

लेखक की अन्य पुस्तकें—

भारतीय अर्थशास्त्र—१९५७	१०)
सुबोध अर्थशास्त्र-सिद्धांत	६)
सुबोध भारतीय अर्थशास्त्र	६।)
इनके अतिरिक्त ये ग्रन्थ अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं ।	

एस० चंद एड कंपनी

आसफ अली रोड —	नई दिल्ली
फव्वारा —	दिल्ली
माई हीरा गेट —	जलघर
लालबाग —	लखनऊ

मूल्य १०।।)

प्रकाशक — गौरीगकर शर्मा, प्रीमियर पब्लिशिंग कम्पनी, फव्वारा—दिल्ली ।
मुद्रक — सुग्रेन्द्र प्रिंटर्स प्राइवेट लि०, टिप्टीगज, दिल्ली ।

तृतीय संस्करण की प्रस्तावना

(अंग्रेजी का छठा संस्करण)

अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धांत के आधुनिकीकरण के कार्य को द्वितीय संस्करण में शुरू किया था। प्रस्तुत संस्करण में उन परम्पराओं को और आगे बढ़ाया है। यद्यपि पुस्तक का ढांचा वही है जिससे प्रोफेसरो तथा छात्रों को कोई असुविधा न हो, लेकिन पुरानी धारणाओं तथा सिद्धांतों के साथ-साथ नई धारणाओं का समावेश भी किया गया है। इस कार्य सम्पादन में लेखक को विश्वविद्यालयों में प्रचलित नवीन धाराओं, लोक-सेवा परीक्षाओं तथा इस विषय की नवीन पुस्तकों से बड़ी सहायता मिली है। स्टोनियर तथा हेग की "टैक्सट बुक ऑफ इकनामिक थ्योरी" नामक पुस्तक से लेखक को विशेष सहायता मिली है। जर्जरत के मुताबिक कई पुराने रेखा चित्रों, तालिकाओं तथा सारिणियों आदि को जोड़ कर नए रेखा-चित्रों को जोड़ा गया है, जिससे विषय का सही ज्ञान हो सके। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए पुस्तक के आकार को भी थोड़ा घटाया गया है परन्तु ऐसा करने में सभी आवश्यक विषयों के मूल तत्त्वों को सही रूप में रखा गया है। पुराने और फालतू विषयों के स्थान पर नए और जरूरी विषयों को लिया गया है। इस कारण प्रस्तुत पाठ में काफी परिवर्तन तथा परिवर्धन की आवश्यकता पड़ी। लेखक को पूरा विश्वास है कि यह सशोधित संस्करण यूनिवर्सिटी तथा लोक-सेवा परीक्षाओं के लिए सर्वोपयोगी पुस्तक का काम देगा।

लेखक अपने साथी और परम मित्र प्रो० जी० मायूर, एम० ए० (कैन्टव) का बड़ा आभारी है जिन्होंने प्रस्तुत पुस्तक में अनेकों रेखा-चित्रों तथा पुरतक के गूढ स्थलों को बड़ी वारीकी से देखा है तथा जहाँ सम्भव हुआ है, अपनी अमूल्य राय भी दी है।

अन्त में हम श्री रा० ना० गुप्त के आभारी हैं जिन्होंने अंग्रेजी के सशोधित तथा परिवर्धित संस्करण के पुनरीक्षण करने तथा यथास्थान अनुवाद आदि जोड़ने में हमारी सहायता की है।

होशियारपुर

केवल कृष्ण ड्यूवेट

द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना

(अंग्रेजी का पंचम संस्करण)

प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम संस्करण का हाथों हाथ विक्रय जाना इसकी लोकप्रियता का और हिन्दी-भाषा-भाषी विद्यार्थी-समाज द्वारा इसके हार्दिक स्वागत का प्रमाण है। ऐसी सर्वप्रिय पाठ्य पुस्तक के लेखक पर निस्सन्देह बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। उसे पुस्तक को सर्वथा समयानुकूल बनाना ही चाहिए। यह अर्थशास्त्र की पुस्तक के लिए तो विशेषतया आवश्यक है, जहाँ हाल ही के वर्षों में अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु तथा व्याख्याओं में नवीन विकास हुए हैं। यह तो सर्वविदित ही है कि हमारे बहुत से भारतीय विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र की पढ़ाई का तरीका वही है, जो आज से पचास वर्ष पहले था और यही कारण है कि उच्च श्रेणी के विद्यार्थी भी आधुनिक अर्थशास्त्र के व्याख्यानों को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। मैंने इस संस्करण में पुस्तक का पूर्णतः संशोधन एवं परिवर्द्धन करके और इसे आधुनिकतम बनाकर इस कमी को दूर करने का प्रयत्न किया है। लगभग प्रत्येक अध्याय में नए विभाग जोड़े गये हैं और हरेक विभाग को फिर से अच्छी प्रकार दोहरा लिया गया है, जिससे कि इसमें पिछले संस्करण से अधिक सुधार दृष्टिगोचर होगा। पुस्तक के आकार से और प्रत्येक अध्याय के अन्त में दी गई पुस्तक की सूची से इस कथन की सत्यता सिद्ध हो जायगी। मैंने पुस्तक के विषय को अत्यन्त व्यापक बनाने का प्रयत्न किया है और इसमें मैं कहा तक सफल हुआ हूँ, इसका निर्णय मैं पाठकों पर छोड़ता हूँ।

इस पर भी मैं अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्तों के विस्तृत ज्ञान-भण्डार को पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को यह मलाह दूँगा कि वे मेयर की Elements of Modern Economics, समुअलसन की Economics, टारशिम की Elements of Economics और म्तिगलर की Theory of Price सरीखी पुस्तकों का अवश्य अध्ययन करें। प्रस्तुत पुस्तक उनका स्थान नहीं ले सकती।

मैं भारतवर्ष के उन अनेकों अर्थशास्त्र के शिक्षकों का धन्यवाद दूँगा जिन्होंने समय-समय पर प्रस्तुत पुस्तक में सुधार के लिए अपने अमूल्य सुझाव मुझे भेजे हैं। मैं अपने मित्र और सहकारी डा० एस० वी० रंगनेकर, जो पञ्जाब यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के रीडर हैं, का विशेषतया हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने प्रस्तुत संस्करण में अनेकों अमूल्य सुझाव दिये हैं।

होशियारपुर,
जनवरी, १९५३

केवल कृष्ण ड्यूवेट

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

- अध्याय
- १ अर्थशास्त्र का स्वरूप तथा क्षेत्र १-२१
- १ परिभाषा की समस्या-१; २ क्या अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है?-१,
३ क्या अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है?-२, ४ रॉबिन्स की परि-
भाषा-४, ५ अर्थशास्त्र का क्षेत्र-७, ६ अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से सम्ब-
न्ध-११, ७ अर्थशास्त्र के नियम-१३, ८ आर्थिक धारणाएँ-१५, ९ क्या
अर्थशास्त्र विज्ञान है?-१६, १० क्या अर्थशास्त्र कला भी है?-१७;
११ अर्थशास्त्र विज्ञान की रीतियाँ-१८, १२ अर्थशास्त्र के अध्ययन की उप-
योगिता-२०।
२. आर्थिक शब्द तथा मूल धारणाएँ २२-३१
- १ भूमिका-२२, २ उपयोगिता-२३, मूल्य-२४, ४ धन-२५,
५ धन का वर्गीकरण-२८, ६ धन और आय-२८, ७ धन तथा कल्याण-२९।
- ३ उपभोग ३२-३७
- १ उपभोग और उसका महत्त्व-३२, २ उपभोग करने की प्रवृत्ति-३३,
३ मानवीय आवश्यकताएँ-३४, ४ अनिवार्यताएँ, मुविधाएँ तथा विलासिताएँ-
३५, ५ जीवन स्तर-३६।
- ४ उपभोग (क्रमशः) घटती हुई उपयोगिता का नियम ३८-५०
- १ भूमिका-३८, २ घटती हुई सीमान्त उपयोगिता का नियम-३८;
३ घटती हुई उपयोगिता के नियम की सीमाएँ-४०, ४ घटती हुई सीमान्त
प्रतिस्थापनीयता का नियम-४२, ५ नियम के कुछ आशय-४३, ६ सीमान्त
उपयोगिता अथवा महत्त्व-४३, ७ जब एक वस्तु कई प्रयोगों में लाई जा सकती
है-४४, ८ द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता-४५; ९ सीमान्त उपयोगिता और
कीमत-४६, १० घटती हुई सीमान्त उपयोगिता के नियम का व्यावहारिक
महत्त्व-४७, ११ सीमान्त विश्लेषण-४८, १२ क्या उपयोगिता मापी जा
सकती?-४८।
- ५ उपभोग (क्रमशः) प्रतिस्थापन का नियम ५१-७४
- १ भूमिका-५१, २ नियम की व्याख्या-५१, ३ तटस्थता वक्र-५४;
४ तटस्थता वक्र का व्यावहारिक महत्त्व-५९, ५ प्रतिस्थापन की सीमान्त
दर-५९, ६ प्रतिस्थापन नियम का व्यावहारिक महत्त्व-६१, ७ प्रतिस्थापन
नियम की सीमाएँ-६२, ८ उपभोक्ता की वचत-अर्थ-६३, ९ उपभोक्ता की
वचत तथा घटती हुई उपयोगिता का नियम-६४, १० क्या उपभोक्ता की
वचत मापी जा सकती है?-६५; ११ उपभोक्ता की वचत की समालोचना-६७;

१२ उपभोक्ता की बचत के सिद्धान्त का महत्त्व-६८, १३ उपभोक्ताओं के अधिमान-७०, १४ उपभोक्ता का प्रभुत्व-७१, १५ उपभोक्ता के प्रभुत्व की सीमाएँ-७१।

६. मांग

७५-६७

१ माँग-७५, २ माँग-अनुसूचि-७५, ३ माँग-वक्र-७७, ४ माँग-वक्र नीचे क्यों झुकता है? -७८, ५ माँग-वक्र का नियम-८०, ६ माँग में परिवर्तन-८१, ७ माँग की लोच-८५, ८ आय लोच तथा कीमत लोच-८६, ९ माँग की लोच का घटती हुई उपयोगिता के नियम से सम्बन्ध-८७, १० माँग की लोच तथा उपभोक्ता की बचत-८८, ११ माँग की लोच कैसे निर्धारित होती है-८८, १२ लोच की माप-९०, १३ माँग की लोच का रेखाचित्र द्वारा वर्णन-९३, १४ माँग की लोच के सिद्धान्त का व्यावहारिक प्रयोग-९५।

७ उत्पादन (सामान्य रूप में)

६८-१०५

१ उत्पादन का अर्थ-९८, २ उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारण-९९, ३ उत्पादन के साधन-१००, ४ भूमि, अर्थ तथा महत्त्व-१०२, ५ भूमि की विशेषताएँ-१०३, ६ भूमि की उत्पादकता-१०३, ७ विस्तृत तथा गहन कृषि-१०४।

८ श्रम

१०६-१२०

१ श्रम का अर्थ-१०६, २ श्रम की विशेषताएँ-१०७, ३ माल्यस का जन-संख्या सिद्धान्त-१०९, ४ माल्यस के सिद्धान्त की आलोचना-११०, ५ आधुनिक जन-संख्या सिद्धान्त अनुकूलतम सिद्धान्त-१११, ६ माल्यस के सिद्धान्त और आधुनिक सिद्धान्त की आलोचना-११३, ७ अधिक आवादी की कसौटी-११४, ८ क्या जन-संख्या की वृद्धि अभिशाप है? -११४, ९ शुद्ध प्रजनन दर-११५, १० श्रम कार्य पट्टा के साधन-११८।

९ मशीन तथा श्रम-विभाजन

१२१-१२६

१ मशीन का उपयोग-१२१, २ श्रम-विभाजन-१२२, ३ श्रम-विभाजन के लाभ-१२३, ४ श्रम-विभाजन से हानियाँ-१२४, ५ श्रम-विभाजन बाजार द्वारा सीमित होता है-१२६, ६ केन्द्रीकरण के अन्य कारण-१२७, ७ स्थानीकरण के परिणाम-१२८, ८ उद्योगों का विकेन्द्रीकरण-१२८।

१० पूजा

१३०-१३७

१ पूजा का स्वरूप तथा महत्त्व-१३०, २ पूजा के कार्य-१३३, ३ पूजा का निर्माण-१३४।

११ उद्यमी तथा उसकी समस्याएँ

१३८-१४७

१ उद्यमी का कार्य-१३८, २ उद्यमी के कृत्यों का प्रत्यायोजन-१३९, ३ उत्पादन का पैमाना-१४०, ४ आन्तरिक तथा बाह्य बचत-१४२, ५ छोटे पैमाने के उत्पादन में लाभ-१४४।

१२. विभिन्न साधनों का परस्पर सहयोग १४८-१६१
 १ साधनों का संयोग-१४८, २ साधनों की व्यवस्थापना-१४९, ३ प्राप्ति के नियम-१५०; ४ घटती हुई प्राप्ति का नियम-१५१, ५ सामान्य रूप में घटती हुई प्राप्ति का नियम-१५५, ६ आर्थिक सिद्धांत में घटती हुई प्राप्ति के नियम का महत्त्व-१५६, ७ घटती हुई प्राप्ति का नियम-१५७, ८ स्थिर प्राप्ति का नियम-१५८, ९ अभिनवीकरण-१५९।
१३. उत्पादन के साधनों की गतिशीलता १६२-१६७
 १ गतिशीलता के भेद-१६२, २ भूमि की गतिशीलता-१६२; ३ श्रम की गतिशीलता-१६३; ४ पूँजी की गतिशीलता-१६५, ५ क्या आधुनिक आर्थिक प्रणाली परिवर्तनशील है ?-१६६।
१४. व्यवसाय संगठन के रूप १६८-१७८
 १. व्यक्तिगत उद्यमी-१६८, २ भागीता-१६९, ३ संयुक्त समवाय कम्पनी-१७०; ४. ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी के लाभ व हानिया-१७३; ५ सूत्र-धारी कम्पनी-१७४, ६ सहकारी संगठन उत्पादक सहकारिता-१७५, ७ सरकारी उद्यम-१७७।
१५. एकाधिकार १७९-१८९
 १ एकाधिकार का क्या अर्थ है ?-१७९, २ गुटवन्दी के भेद-१८०; ३ संघ के लिए अनुकूल कारण-१८१, ४ संघ के लिए प्रतिकूल परिस्थितिया-१८२, ५. एकाधिकारों के गुण तथा दोष-१८४, ६ एकाधिकार के प्रति मौजूदा प्रवृत्तिया-१८५, ७ एकाधिकारों पर रोक-१८६, ८ एकाधिकार पर सार्वजनिक नियन्त्रण तथा स्वामित्व-१८७, ९ क्रयाधिकार-१८८।
१६. विनिमय-बाजार १९०-२०३
 १ बाजार का अर्थ-१९०, २ बाजारों का विकास-१९०, ३. बाजार का विस्तार-१९१, ४ पूर्ण प्रतियोगिता-१९२, ५ पूर्ण तथा अपूर्ण बाजार-१९४, ६. स्टॉक विनिमय संगठन-१९६, ७ स्टॉक विनिमय के लाभ-१९७, ८ उत्पाद एक्सचेंज-१९७, ९ सट्टा-१९८, १० सट्टे के लाभ और खतरे-२०१।
१७. पूर्ति तथा पूर्ति का नियम २०४-२१५
 १ भूमिका-२०४; २ पूर्ति तथा स्टॉक-२०४, ३ पूर्ति-नियम-२०४, ४ पूर्ति की लोच-२०६, ५ पूर्ति में वृद्धि व कमी-२०७, ६ पूर्ति में परिवर्तन के कारण-२०८, ७ माग और पूर्ति के नियम-२१०, ८ एक व्यक्तिगत विक्रेता माग को किस प्रकार देखता है-२१३, ९ एक विचित्र पूर्ति वक्र-२१४।
१८. माग और पूर्ति की मार्केट साम्यावस्था २१६-२२८

दार पूर्ति-२२१, ६ निश्चित सप्लाई-२२३, ७ उत्पादक कार्यों का मूल्यांकन-२२४, ८ कीमत नियन्त्रण तथा राशनिंग-२२५, ९ नवीन उत्पादन का मूल्यांकन-२२७।

१६ लागत और पैदावार २२६-२४५

१ उत्पादन की लागत-२२९, २ प्रमुख और पूरक लागत-२३०, ३ विक्रय मूल्य या लागत-२३२, ४ विक्रय लागत तथा अनुकूलतम पैदावार-२३४, ५ उत्पादन की सीमान्त लागत-२३५, ६ सीमान्त का महत्त्व-२३६, ७ अनुकूलतम फर्म-२३८, ८ अनुकूलतम फर्म बनाम मार्शल फर्म-२४०, ९ अनुकूलतम फर्म में औसत लागत सीमान्त लागत के समान होती है-२४२, १० प्राप्ति के नियमों से अनुकूलतम फर्म का सम्बन्ध-२४३।

२० सामान्य कीमत का सिद्धान्त २४६-२६२

१ सामान्य कीमत तथा बाजार कीमत-२४६, २ कीमत का सीमान्त लागत से सम्बन्ध-२४७, ३ मार्शल का मूल्य सिद्धान्त-२५०, ४ समय का महत्त्व-२५०, ५ सामान्य कीमत का सिद्धान्त-२५१, ६ सामान्य कीमत पर मार्शल के विचार-२५७, ७ आधुनिक दृष्टिकोण-२५८, ८ साधारण साम्य का सिद्धान्त-२५९।

२१. मूल्य से सम्बन्धित वास्तविक लागत २६३-२७८

१ भूमिका-२६३, २ विकल्प, अवसर तथा हस्तांतरण लागत-२६४, ३ श्रम सिद्धान्त-२६७, ४ समाजवादी व श्रम सिद्धान्त-२६८, ५ मार्क्स का शोपण व अतिरेक मूल्य का सिद्धान्त-२६९, ६ मूल्य के श्रम सिद्धान्त की आलोचना-२७०, ७ मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धान्त-२७१, ८ पुनरुत्पादन लागत का सिद्धान्त-२७३, ९ मूल्य के सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त का विकास-२७४, १० मूल्य का सीमान्त-उपयोगिता सिद्धान्त-२७६, ११ प्राप्ति के नियमों का मूल्य पर प्रभाव-२७८।

२२ परस्पर निर्भर मूल्य २७९-२८४

✓ १ सयुक्त पूर्ति-२७९, २ सयुक्त माग-२८०, ३ मामासिक पूर्ति-२८३, ४ सामासिक माग-२८४।

२३. एकाधिकार में मूल्य २८५-३०४

✓ एकाधिकार कीमत निश्चित करता है-२८५, २ सीमान्त राजस्व व सीमान्त लागत की समस्या-२८६, ३ सीमान्त राजस्व तथा औसत राजस्व-२८७, ४ एकाधिकार में अनुकूलतम उत्पादन-२८९, ५ प्राप्ति नियम, माग की लोच तथा एकाधिकार कीमत-२९२, ६ एकाधिकार मूल्य के सिद्धान्त का माराज-२९३, ७ एकाधिकार कीमत निर्धारण का रेखा-चित्र द्वारा निरूपण-२९४, ८ कीमत विभेद-२९६, ९ राशिपातन द्वारा कीमत विभेद-२९९, १० क्या एकाधिकार कीमत सदैव ऊँची कीमत होती है?-३०१, ११ क्रयाधिकार

मे कीमत ३०२, १२ उभयपक्षीय एकाधिकार-२०३ ।

२४ अपूर्ण प्रतियोगिता मे मूल्य ३०५—३१४

१ अपूर्ण अथवा एकाधिकृत प्रतियोगिता-३०४, २ अपूर्ण प्रतियोगिता किस प्रकार प्रकट हो सकती है-३०६, ३ अपूर्ण प्रतियोगिता मे मूल्य-३०७, ४ अपूर्ण प्रतियोगिता मे व्यावसायिक सस्थाओं की सख्या तथा आकार-३०९, ५ अपूर्ण प्रतियोगिता से हानिया-३१० ।

२५ वितरण सामान्य सिद्धात ३१५—३२४

१ भूमिका-३१५, २ एक अलग सिद्धात की आवश्यकता-३१५, ३ राष्ट्रीय लाभांश-३१७; ४ राष्ट्रीय आय का माप-३१९, ५ राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइया-३२०, ६. राष्ट्रीय आय का सिद्धात-३२०, ७ सीमान्त उत्पादन सिद्धात की आलोचना-३२२ ।

२६. लगान ३२५--३४०

१ लगान का अभिप्राय-३२५, २ रिकार्डों का लगान सिद्धात-३२६, ३ रिकार्डों के सिद्धात की आलोचना-३३०, ४ लगान का आधुनिक सिद्धात-३३२, ५ लगान और कीमत-३३३, ६ भूमि तथा विल्डिंग लगान-३३५, ७ खानो, खदानो तथा मीन-क्षेत्रों का लगान-३३५, ८ अर्द्ध-लगान-३३६, ९ लगान और आर्थिक उन्नति-३३७, १० दूसरे साधनों में लगान का तत्व-३३८, ११ हस्तांतरण-आय-३३९ ।

२७ मजदूरी ३४१--३५४

१ परिभाषा-३४१, २ नाममात्र तथा वास्तविक मजदूरी की तुलना ३४२, ३ मजदूरी का जीविका सिद्धात-३४३; ४ मजदूरी का निधि सिद्धात-३४४, ५ अवशिष्ट दावा सिद्धात-३४५, ६ मजदूरी का सीमान्त उत्पादन शक्ति सिद्धात-३४५, ७ सीमान्त उत्पादन शक्ति के सिद्धात की परिमितताए-३४७, ७ (अ) टाजिंग का मजदूरी सिद्धात-३४९, ८ मजदूरी में उतार-चढ़ाव-३५०, ९ मजदूरी व रहन-सहन का स्तर-३५१, १० मजदूरी और कार्य-क्षमता-३५१, ११ मजदूरी तथा आविष्कार-३५२, १२ सापेक्षित मजदूरी-३५२; १३ रित्रयो की कम मजदूरी-३५४ ।

२८ श्रम की कुछ समस्याएँ ३५५—३७४

१ ट्रेड यूनियन (कार्मिक सघ)-३५५, २ कार्मिक सघ और मजदूरी -३५६, ३ कार्मिक सघों के गुण और दोष-३५७, ४ औद्योगिक झगडे-३५८, ५ लाभांश वितरण-प्रणाली-३५९, ६ स्लाडिंग प्रणाली-३६०, ७ लाभ में शेयर-३६०, ८ श्रम-सहभागिता-३६१, ९ श्रम-परिपदे या कर्मशाला समिति -३६१, १० न्यूनतम मजदूरी-३६२, ११ राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी-३६३; १२ औद्योगिक झगडों का निपटारा-३६६, १३ बेकारी-३६७, १४ बेरोजगारी के कारण-३६७, १५ बेकारी दूर करने के उपाय-३६९, १६ सामाजिक

वीमा-३७१, १७ सामाजिक सुरक्षा-३७१ ।

२६ व्याज

३७५—४०२

१ सकल तथा शुद्ध व्याज-३७५, २ व्याज की दरों में अन्तर-३७६, ३ व्याज का उत्पादन सिद्धात-३७८, ४ व्याज का त्याग अथवा प्रतीक्षा सिद्धात ३७९, ५ व्याज का आस्ट्रियन या एणियो सिद्धात-३८०, ६ फिशर द्वारा प्रति-पादन-३८०, ७ नव-शास्त्रीय सिद्धात-३८१, ८ कीस का व्याज सिद्धात-तरल अधिमान-३८२, ९ कीस के सिद्धात की आलोचना-३८७, १० व्याज का नियोजक निधि सिद्धात-३८८, ११ सीमान्त उत्पादन शक्ति सिद्धात-३९०, १२ अनिवार्य एव ऐच्छिक वचत-३९३, १३ व्याज का निर्धारण-३९४, १४ अल्पावधि और दीर्घावधि की दरें-३९५ १५ आर्थिक प्रगति और व्याज की दर-३९७, १६ समाजवादी राज्य और व्याज-३९९, १७ व्याज और लगान-३९९, १८ व्याज लगान और अर्द्ध-लगान-४००, १९ व्याज पर द्रव्य के मूल्य में परिवर्तन होने का प्रभाव- ४०१, १९ व्याज की दर में परिवर्तन के परिणाम-४०१ ।

३० लाभ

४०३--४१५

१ लाभ का स्वरूप-४०३, २ सकल लाभ का विश्लेषण-४०३, ३ लाभ जोखिम उठाने का एक पुरस्कार-४०५, ४ लाभ का गतिशील सिद्धात-४०६, ५ लाभ, अनिश्चितता का भार उठाने का पुरस्कार-४०७, ६ एकाधिकार और लाभ-४०८, ७ लाभ और मजदूरी-४०९, ८ क्या लाभ लगान का एक रूप है ?-४१०, ९ सामान्य या साधारण लाभ-४११, १० क्या लाभ में समानता की ओर प्रवृत्ति होती है ?-४१२, १२ लाभ तथा सीमान्त उत्पादन-शक्ति-४१२, १२ लाभ के कार्य-४१४ ।

१ विनिमय की कार्यविधि

४१६—४३०

१ द्रव्य का अर्थ-४१६, २ वस्तु विनिमय की कठिनाइया-४१७, ३ द्रव्य का विकास-४१८, ४ द्रव्य के कार्य-४२०, ५ अच्छे द्रव्य पदार्थ के गुण-४२२, ६ सिक्के और टकण-४२३, ७ कागजी द्रव्य-४२५, ८ वैक द्रव्य-४२६, ९ लेखा या हिसाब की मुद्रा-४२६, १० द्रव्य के कुछ अन्य रूप-४२७, ११ ग्रेगम का सिद्धात-४२८, १२ भारतीय द्रव्य प्रणाली-४२९ ।

३२. मुद्रा प्रणालिया

४३१—४४६

१ द्विधातुमान-४३१, २ रजत मान-४३३, ३ स्वर्ण परिचलन मान-४३४, ४ स्वर्णधातु मान-४३४, ५ स्वर्ण विनिमय मान-४३५, ६ स्वर्ण समहिता मान-४३८, ७ स्वर्ण मान के लाभ तथा हानिया-४३८, ८ व्यावहारिक रूप में स्वर्ण मान-४४०, ९ स्वर्ण मान के नियम-४४०, १० स्वर्ण मान क्यों समाप्त हो गया ?-४४१, ११ स्वर्ण मान का भविष्य-४४२, १२ स्वर्ण मान के कार्य-४४३, १३ स्वर्ण की गतियों के कारण-४४४, १४ कागजी मान या

प्रवर्धित कागजी मान अथवा चलमुद्रा विनिमय मान-४४५, १५ सर्वोत्तम मुद्रा प्रणाली-४४६ ।

३३ द्रव्य का मूल्य

४४७-४६१

१ भूमिका-४४७; २ द्रव्य का परिमाण सिद्धात-४४७, ३ प्रोफेसर डरविंग फिशर के विनिमय का समीकरण-४४८, ४ परिमाण सिद्धात की आलोचना-४४९, ५ द्रव्य की माग व पूर्ति का सिद्धात-४५२, ६ कैम्ब्रिज मुद्रा समीकरण-४५६, ७ द्रव्य की माग की लोच-४५९ ।

३४. मुद्रा और कीमते

४६२-४८१

१ मुद्रास्फीति, मुद्रा ह्रास आदि-४६२, २. कीमतों में परिवर्तन होने के परिणाम-४६४, ३ मूचक अक-४६६, ४ सूचक अको के लाभ तथा सीमाएँ-४६९, ५ कीमत का स्थायीकरण-४७०, ६ कीमत नियन्त्रण की कठिनाइया-४७२, ७ कीमत का कार्य-४७४; ८ महगी मुद्रा वनाम सस्ती मुद्रा-४७५, ९ तटस्थ मुद्रा नीति-४७७, १० मुद्रा नीति के उद्देश्य-४८० ।

३५. साख

४८२-४८८

१ साख क्या है-४८२, २ साख-पत्र-४८२; ३ क्लियरिंग हाउस-४८४, ४ साख के विस्तार के कारण-४८५; ५ साख के अर्थ तथा उसकी उपयोगिता-४८६; ६ साख की वुराइयाँ-४८६; ७ साख तथा कीमत-४८७; ८ साख तथा पूजी-४८८ ।

३६ वैक

४८९-५००

१. वैको का विकास-४८९, २ वैको के भेद-४९०, ३. साधारण बैंकिंग कार्य-४९१, ४ साख का उत्पादन और उसकी सीमाएँ-४९३, ५ परिमितताएँ-४९५, ६ तरलता का महत्व-४९८, ७ वैको की उपयोगिता-४९९ ।

३७. द्रव्य-बाजार तथा केन्द्रीय बैंक

५०१-५२७

१ द्रव्य-बाजार-५०१, २ द्रव्य बाजार के अग अथवा सदस्य-५०१, ३ केन्द्रीय बैंक-५०२, ४ रिजर्व बैंक का सतुलन पत्र-५०३, ५ केन्द्रीय बैंकिंग के सिद्धान्त-५०५, ६ केन्द्रीय बैंक के कार्य-५०६, ७ केन्द्रीय बैंक नोट निकालने वाले अभिकरण के रूप में-५०७, ८ नोटों की निकासी के सिद्धान्त-५०७, ७ विभिन्न देशों में नोटों की निकासी की पद्धति-५०८, १० केन्द्रीय बैंक राज्य के बैंकर के रूप में-५१०, ११ केन्द्रीय बैंक बैंकों के लिए बैंक के रूप में-५११; १२ साख का नियन्त्रण-५१३, १३ साख के नियन्त्रण में कठिनाइया-५१५, १४ बैंक-दर की नीति-५१६, १५ बैंक-दर नीति के सम्बन्ध में कीन्स का दृष्टिकोण-५१९, १६-खुले बाजार की नीति-५२०, १७ साख सम्बन्धी राशनिंग-५२२, १८ अन्य रीतिया-५२२; १९ अन्तिम ऋणदाता-५२३, २० केन्द्रीय बैंको का राष्ट्रीयकरण-५२३, २१ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक-५२५ ।

४८ घाटे की वित्त-व्यवस्था

६६५-६६७

१ प्रस्तावना-६९५, २ घाटे की वित्त-व्यवस्था क्या है?-६९५, ३. घाटे की वित्त-व्यवस्था का मुद्रास्फीति सम्भाव्य-६९६, २ मुद्रास्फीति की सीमा और विस्तार-६९७।

४९ आर्थिक व्यवस्था

६६८-७२१

१ पूजीवाद क्या है?-६९८, २ पूजीवाद के प्रमुख लक्षण-६९८, ३ पूजीवाद की सफलताएँ-७००, ४ पूजीवाद की आलोचना-७०१, ५ आयोजित अर्थ-व्यवस्था-७०२, ६ समाजवाद-७०४, ७ मार्क्सवादी समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद-७०५, ८ सामूहिकवाद अथवा राजकीय समाजवाद-७०६, ९ कारीगर या श्रेणी समाजवादी-७०६, १० श्रमिक सघवाद-७०७, ११ साम्यवाद-७०७, १२ अराजकतावाद-७०८, १३ फेबियन समाजवादी-७०९, १४ समाजवादी योजना के आवश्यक अंग-७०९, १५ समाजवाद की आलोचना-७१०, १६ आलोचकों को समाजवाद की ओर से दिया गया उत्तर-७१३, १७ समाजवाद की प्रगति-७१५, १८ रूस का प्रयोग-७१७, १९ समाजवादी राज्य में आर्थिक समस्याएँ-७१९।

५० नियोजन-सिद्धान्त

७२२-७३१

१ कुल पैदावार और नियोजन-७२२, से का बाजार सम्बन्धी नियम-७२२, ३ से के नियम की कमजोरियाँ-७४३, ४ नियोजन का आधुनिक सिद्धान्त-७२४, ५ सामाजिक आय और पैदावार-७२५, ६ वचत और विनियोग-७२६, ७ आय कैसे उत्पन्न की जाती है?-७२६, ८ नियोजन के निर्णायक-७२८, ९ पूर्ण-नियोजन का विचार-७२९, १० अर्द्ध-विकसित देशों की विशिष्ट समस्याएँ-७३०।

परिशिष्ट

७३२-७३४

कुछ प्रश्न

७३५-७५०

पारिभाषिक शब्दावली

७५१

अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त

अध्याय १

अर्थशास्त्र का स्वरूप तथा क्षेत्र

(THE NATURE AND SCOPE OF ECONOMICS)

१. परिभाषा की समस्या (The Problem of Definition)—डॉ० जे० एम० कीन्स (Dr. J M. Keynes) का यह कथन अनूचित नहीं है कि “राज्य अर्थशास्त्र” अर्थ-व्यवस्था अपनी परिभाषाओं में फसा हुआ कहा जाता है।”^१ अतएव कुछ ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जैसे रिचर्ड जोन्स (Richard Jones) और कॉम्टे (Comte) जो किसी प्रकार की परिभाषा की आवश्यकता ही नहीं समझते। परन्तु एक विद्यार्थी को अपने अध्ययन के आधार के लिए किसी न किसी परिभाषा की बहुत जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त, परिभाषा की ओर ले जानेवाली चर्चा विषय की मूल धारणा के स्पष्टीकरण के लिये बहुत लाभदायक है। इसलिए हमको समय-समय पर दी गई परिभाषाओं पर विचार करना चाहिए।

२ क्या अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? (Is Economics a Science of Wealth?)—एडम स्मिथ के कथनानुसार अर्थशास्त्र का सम्बन्ध “राष्ट्रो के धन के स्वरूप तथा कारणों की जाच” से था। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान (science of wealth) कहा था। ऐसे समय में जबकि धार्मिक भावनायें दृढ़ थीं और आध्यात्मिक मूल्यों का मनुष्य के विचारों पर अधिकार था, प्रगतिशील मनुष्य को धन का विचार धनी पुरुषों के विलासी तथा ह्लासी पथ के कारण घृणा की ओर उत्तेजित करता था। इसी कारण कार्लायल तथा रस्किन जैसे साहित्यिक लेखक इसकी उचित निन्दा के लिए अग्रसर हुए। प्राचीन अर्थशास्त्री जो कि ‘कुवेर पूजा’ (Mammon-Worship) की नई विचारधारा के अनुयायी थे, घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगे। अर्थशास्त्र स्वार्थता का पाठ पढ़ानेवाला शास्त्र समझा जाने लगा और ‘निकृष्ट विज्ञान’ (dismal science) कहा जाने लगा।

सौभाग्य से अर्थशास्त्र को अब ऐसी शौचनीय दशा से छुटकारा मिल गया है। धन का अत्यधिक महत्त्व कम हो गया है। अब धन को अनूचित महत्त्व नहीं दिया जाता। यह अब सर्वमान्य है कि धन केवल लक्ष्य का एक साधन है, लक्ष्य तो मानवीय कल्याण (human welfare) है। धन न तो मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य तथा उसके प्रयत्नों का अन्त है और न यह आशा की जा सकती है कि केवल यह ही मनुष्य के सुख का एकमात्र

कारण हो सकता है। अब धन के स्थान पर मनुष्य का महत्त्व अधिक हो गया है। मनुष्य का स्थान प्राथमिक और धन का द्वितीय है। मार्शल का कथन उचित है कि अर्थशास्त्र "एक ओर धन का अध्ययन है, और दूसरी ओर, जो अधिक महत्त्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है।"¹ इस प्रकार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है परन्तु प्राथमिक रूप से मनुष्य का अध्ययन है। इसको मनुष्य के कल्याण का विज्ञान कहा जा सकता है।

वर्तमान समय में रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को उसके निन्दा करनेवालों के द्वारा उसे नीचे अथवा तुच्छ कहे जाने से बचा लिया है। रॉबिन्स के अनुसार 'अर्थशास्त्र लक्ष्य से सम्बन्धित नहीं है। लक्ष्य ऊँचे अथवा नीचे हो सकते हैं। यदि उनकी प्राप्ति में दुर्लभ साधनों का उपयोग किया जाता है तो वे आर्थिक रूप रखते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र के अन्तर्गत वह सब अच्छा व बुरा व्यवहार जिस पर न्यूनता का प्रभाव पड़ता है सम्मिलित है। अतएव हम अर्थशास्त्र को ऊँचे अथवा नीचे लक्ष्यों पर आश्रित होने का दोष नहीं दे सकते।'।

३ क्या अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? (Is Economics a Science of Material Welfare?)—बहुत समय से यह एक मान्यता है कि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध उन मानवीय चेष्टाओं से है जो कि धन की ओर केन्द्रित होती हैं, अपने लिए नहीं वरन् भौतिक कल्याण के विकास के लिए। निम्नलिखित परिभाषाएँ इस प्रचलित दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं—

"अर्थशास्त्र उन सामान्य रीतियों का, जिनके हेतु मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महयोग करते हैं, अध्ययन है।" —बेवरिज "Economics is the study of the general methods by which men cooperate to meet their *material needs*" —(Beveridge)

"राजनीतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की व्याख्या है जिन पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर है।"—कैन्नन "The aim of Political Economy is the explanation of the general causes on which the material welfare of human beings depends"—(Cannan)

"हमारी जाच का क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उस भाग तक सीमित हो जाता है जो कि द्रव्य के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मापदण्ड से सम्बद्ध किया जा सकता हो।"—पीगू "The range of our inquiry becomes restricted to that part of social welfare that can be brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money." —(Pigou)

"राजनीतिक अर्थशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र जीवन की साधारण दिनचर्या में मनुष्य के कार्यों का अध्ययन है, यह व्यक्ति तथा समाज के उस भाग की परीक्षा करता है जो

कि भौतिक सुख की आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से गहरे रूप में जुड़े हुए है।”—मार्शल “Political Economy or Economics is a study of mankind in the ordinary business of life; it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the *material requisites of well-being.*” (Marshall)¹

इन सब परिभाषाओं में एक ही सूत्र व्यापक है अर्थात् भौतिक कल्याण। वेबरिज “भौतिक आवश्यकताओं का”, कैनेन भौतिक कल्याण के कारणों का और मार्शल भौतिक सुख के साधनों का वर्णन करते हैं। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य की उन चेष्टाओं का अध्ययन है जो कि मनुष्य के भौतिक रूप में मानव कल्याण में सहायक है।

अर्थशास्त्रियों ने अपना सम्बन्ध भौतिक कल्याण से क्यों रखा है? मानवीय कल्याण प्रत्येक प्रकार से ही अमाप्य है। परन्तु अर्थशास्त्रियों के पास एक ऐसा उपकरण है जिससे भौतिक दृष्टिकोण से मनुष्य का कल्याण नापा जा सकता है। यह उपकरण धन है। यह मानव जाति को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के भौतिक साधन प्राप्त कराता है और उसके कल्याण को बढ़ाता है। जो अर्थशास्त्री धन का अध्ययन करते हैं, उनका भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन उचित ही माना जा सकता है।

परन्तु लियोनेल रॉबिन्स ने इस धारणा पर सीधा वार किया है। वह अर्थशास्त्रियों के लिये यह उचित नहीं समझते कि वे अपने विचार भौतिक कल्याण तक ही सीमित रखें। अर्थशास्त्र के वास्तविक अध्ययन में “भौतिक” तथा “अभौतिक” दोनों मिश्रित हैं। “मजदूरी का वह सिद्धान्त असहनीय होगा जिसके अनुसार उस राशि को जो या तो ‘अभौतिक’ सेवाओं के चुकाने में या ‘अभौतिक’ लक्ष्यों के लिए व्यय किया गया हो।”² अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन की ‘अभौतिक’ परिभाषा को भी एकमत से ग्रहण किया है। रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक “Nature and Significance of Economic Science” में उन पदार्थों के अनेक उदाहरण दिये हैं जो मानवीय कल्याण के लिए अत्यन्त सहायक हैं परन्तु जिनमें कोई भी भौतिकत्व नहीं है। उदाहरणार्थ डाक्टरों, वकीलों इत्यादि की सेवाएँ। इन सेवाओं का आर्थिक महत्त्व है। वे दुर्लभ हैं और उनका मूल्य है। रॉबिन्स का कथन है “यह तृप्ति के साधनों का भौतिकत्व नहीं है वरन् उनसे मूल्य निर्णय का सम्बन्ध है जो उनको आर्थिक माल की प्रतिष्ठा देता है।” यह ‘भौतिक’ परिभाषा निन्दित निर्वाधावादी (Physiocratic) विचारों पर आधारित है। इस प्रकार अर्थशास्त्र भौतिक तथा अभौतिक दोनों वस्तुओं से सम्बद्ध है।

रॉबिन्स (Robbins) का विरोध केवल ‘भौतिक’ शब्द से ही नहीं है। वे अर्थशास्त्र का कल्याण से कोई भी सम्बन्ध नहीं रखना चाहेंगे। जो अर्थशास्त्र का कल्याण की दृष्टि से अध्ययन करते हैं उनकी अव्यवस्था स्पष्ट है। मादक वस्तुएं धन समझी जाती हैं

1 Marshall, A —Principles of Economics, 1948, p. 1

2 Robbins—Nature and Significance of Economic Science, p 6.

परन्तु किसी भी दृष्टिकोण से वे मनुष्य के कल्याण में सहायक नहीं मानी जा सकती। दुर्लभ होने के कारण वे 'मूल्य निर्णय विधि' (Pricing Process) के अधीन हैं। संक्षेप में उनका आर्थिक महत्त्व है, यद्यपि वे मानवीय कल्याण के लिये उपयोगी नहीं हैं। रॉबिन्स यह कहेंगे, "कल्याण की बात क्यों की जाय ? इस परदे को विल्कुल हटा क्यों न दिया जाय ?"

इन अनियमिताओं के अतिरिक्त जिनमें कल्याण में विश्वास करने वाले अर्थशास्त्री फस जाते हैं कुछ अन्य कारण भी हैं, जो केवल आर्थिक विमर्शों से कल्याण के विचार को हटा देते हैं। कल्याण के विचार समय-समय पर देश-देश में और व्यक्ति-व्यक्ति से भिन्न होते हैं। एक सम्मानित विज्ञान के लिए कल्याण पर्याप्त आधार प्रदान करने में अत्यन्त अस्थिर और अनिश्चित सुझाव है।

एक एतराज यह भी है कि मानवीय कल्याण के निर्धारण में हमको यह निर्णय देना होगा कि हम मानवीय कल्याण के लिए क्या सहायक समझते हैं और क्या इतना नहीं समझते। हम लोग नीतिशास्त्र (Ethics) के क्षेत्र में पहुँच जायेंगे जब कि रॉबिन्स के मतानुसार अर्थशास्त्र लक्ष्य के सम्बन्ध में तटस्थ है। इसका कार्य नैतिकता का पाठ पढ़ाना और बुरे-भले का अन्तर बताना नहीं समझा जाता।

इस प्रकार अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन नहीं समझा जा सकता। "अर्थशास्त्र चाहे जिससे भी सम्बद्ध हो, यह भौतिक कल्याण के इस प्रकार के कारणों से सम्बद्ध नहीं है।"—(रॉबिन्स)

४ रॉबिन्स की परिभाषा (Robbins' Definition)—मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा की समस्या हल की हुई प्रतीत होती है और अनेको निपुण अनुकूल मत उनके विचारों पर निर्धारित हैं। परन्तु रॉबिन्स की पुस्तक "Nature and Significance of Economic Science" के सन् १९३१ में प्रकाशन से वादविवाद का चक्कर फिर से चलने लगा। लियोनेल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र विज्ञान के स्वरूप के प्रचलित दृष्टिकोण को चुनौती दी। हमने ऊपर दिये हुए विभाग में कुछ उनके विरोधों का उल्लेख किया है। वह अब तक की स्वीकृत और विख्यात अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को वर्गीकृत तथा अवैज्ञानिक कहता है। "भौतिक" शब्द ने अनावश्यक सीमा बना दी है। अर्थशास्त्र की कल्याण की धारणा में व्यापकता और वैज्ञानिक सूक्ष्मता नहीं है। रॉबिन्स का दृढ़ कथन है कि उनकी परिभाषा में इनमें से कोई भी त्रुटि नहीं है।

रॉबिन्स के अनुसार "अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानव-व्यवहार का सृष्ट्य और न्यून और अनेक उपयोग वाले साधनों के बीच सम्बन्ध के रूप में अध्ययन किया जाता है।" "Economics is the Science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses" विश्लेषण द्वारा हमको ज्ञात होगा कि यह परिभाषा उन तीन मूल प्रस्तावनाओं को स्पष्ट करती है जो अर्थशास्त्र-विज्ञान के आकार के आधार का निर्माण करती हैं।

(क) 'लक्ष्यों' का सम्बन्ध आवश्यकताओं से है। मनुष्यमात्र की आवश्यकता।

अनेक हैं। आवश्यकताओं की वृद्धि अपनी मनुष्य के लिये निरन्तर प्रयत्न चाहती है और आर्थिक चेष्टाओं का अनन्तर चक्र चलता ही रहता है। यदि आवश्यकताएँ सीमित होती तो उनकी सन्तुष्टि पर्याप्त मात्रा में हो सकती और आर्थिक प्रयत्न के लिये उद्दीपन नष्ट हो जाता। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएँ असीमित हैं अतएव ज़्यादा ज़रूरी और कम ज़रूरी आवश्यकताओं में निर्णय करना पड़ता है।

(ख) यद्यपि आवश्यकताएँ असीमित हैं तो भी उनकी तृप्ति के लिये साधन बहुत सीमित हैं। निःसन्देह कुछ प्राकृतिक वस्तुएँ हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो भी अनेक वस्तुएँ जिनकी हमें आवश्यकता है न्यून हैं। यदि साधन असीमित होते तो कोई भी आर्थिक समस्या न उठती। परन्तु जैसी हालत के अनुसार समाज के पास स्रोत (resources) सीमित हैं और उनका किफायत से उपयोग करना चाहिए।

'दुर्लभ' शब्द यहाँ पर एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस दुर्लभता का सम्बन्ध ज़रूरियातों से है। दुर्लभता का अर्थ निरपेक्ष भाव में नहीं लेना चाहिए। एक वस्तु थोड़ी मात्रा में हो सकती है, किन्तु यदि इसका किसी के लिए कोई उपयोग नहीं है तो हम इसको आर्थिक दृष्टिकोण से दुर्लभ नहीं कहेंगे। इस प्रकार, यद्यपि सड़े हुए अण्डे ताज़ों की अपेक्षा कम पाए जाते हैं, परन्तु आर्थिक रूप में उन्हें दुर्लभ नहीं माना जाता। दूसरी ओर गेहूँ अथवा कोयला जैसी कोई वस्तु सप्ताह में यदि भारी मात्रा में हो तो भी वह दुर्लभ नहीं जायेगी, क्योंकि मांग वस्तु की पूर्ति से भी अधिक है। केवल मात्रा ही नहीं वरन् वस्तु की सप्लाई की तुलना में मांग यह निश्चय करेगी कि अमुक वस्तु दुर्लभ है अथवा नहीं।

(ग) रॉबिन्स की परिभाषा के अन्तर्गत तीसरी प्रस्तावना यह है कि दुर्लभ साधनों के अनेक उपयोग हो सकते हैं। यदि एक वस्तु का एक ही उपयोग हो सकता हो और अन्य कोई नहीं तो उसके सम्बन्ध में बहुत कम आर्थिक समस्याएँ उठेंगी। जब इसका वह उपयोग हो चुकेगा तो यह स्वामित्वहीन वस्तु हो जायेगी और इसका कोई आर्थिक महत्त्व नहीं होगा। तो भी, वास्तव में, जिन उपयोगों में कोई वस्तु लाई जा सकती है वह अनेक अथवा लगभग असीमित हैं। अतएव उस वस्तु की कुल मांग लगभग अतृप्य है। यह वैकल्पिक उपयोग नाना महत्त्व वाले हैं जिससे हम उस उपयोग को छाट सके जो एक वस्तु से उठाया जा सके।

जब तक ये सब परिस्थितियाँ नहीं हैं तब तक कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी। केवल साध्यों का वर्द्धन अथवा केवल साधनों की दुर्लभता न तो एक आर्थिक समस्या, और न केवल दुर्लभ साधनों की वैकल्पिक प्रयोजनीयता उत्पन्न कर सकती है। "परन्तु जब साध्य की प्राप्ति के लिये समय और साधन सीमित तथा वैकल्पिक प्रयोग के योग्य होते हैं और साध्य महत्त्व की दृष्टि से विभेद योग्य, तब व्यवहार अवश्य ही सवरण (selection) का रूप धारण कर लेता है।" अर्थात् इसका एक आर्थिक रूप होता है।

रॉबिन्स के मतानुसार आर्थिक चेष्टा अनेक साध्यों को पूरा करने के लिये मनुष्य

के दुर्लभ साधनों का उपयोग है। 'साधनों' का अभिप्राय समय, द्रव्य अथवा किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति से है। वे सब सीमित हैं। प्रत्येक दशा में हम अपने सीमित स्रोतों का अधिक उपयोग करने की कोशिश करते हैं। सरकार के दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र "उन नियमों का अध्ययन है जिन पर एक समाज के स्रोत इस प्रकार नियमित तथा प्रशासित हों जिनसे सामाजिक लक्ष्य बिना क्षय के प्राप्त हो सकें।"—विकस्टीड "Study of those principles on which the resources of a community should be so regulated and administered as to secure communal ends without waste"—(Wicksteed)¹

स्टिगलर के शब्दों में, "अर्थशास्त्र उन सिद्धान्तों का अध्ययन है जो प्रतिस्पर्धी लक्ष्यों में न्यून साधनों के वेंटवारे को नियत करता है जबकि वेंटवारे का उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति को परम मर्यादा तक बढ़ाना है।

"Economics is the study of the principles governing the allocation of scarce means among competing ends when the objective of allocation is to maximise the attainment of the ends."

रॉबिन्स ने इस प्रकार अर्थशास्त्र के भौतिक कल्याण पर आधारित पुराने ढाँचे को तोड़ दिया है और एक नया स्वरूप दिया है जिसके दो आधार हैं, आवश्यकताओं की वृद्धि तथा साधनों की दुर्लभता।

रॉबिन्स का यह दृढ़ विश्वास है कि उनकी परिभाषा दूसरी परिभाषाओं से श्रेष्ठ है। यह अधिक वैज्ञानिक है। यह उस क्षेत्र को बढ़ाती है जिसमें कि भौतिक परिभाषा अर्थशास्त्र को सन्तुष्ट करती है। यह कुछ ऐसे सिद्धान्त सामने रखती है जो हर समय प्रत्येक स्थान पर सही हैं। जैसा कि विकस्टीड का कथन है "इसके नियम जीवन के नियमों की भाँति हैं और उन क्षेत्रों के अनुकूल हैं जिनका कारवार तथा धन के उत्पादन से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है।"

जब अर्थशास्त्र की यह परिभाषा की जाती है तब इस पर मलिनता अथवा कुबेर की गथा का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसको अब एक 'निकृष्ट' (dismal) विज्ञान नहीं कहा जा सकता। इस पर साध्यों के चुनाव का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। जहाँ कहीं साध्य अनेक हैं तथा साधन न्यून हैं वही अर्थशास्त्र का उससे मीठा सम्बन्ध है।

परन्तु रॉबिन्स के भी समाश्लेषक हैं। मार्शल की विचारधारा का अभी अन्त नहीं हुआ है। डरविन, फ्रेजर, वूटन तथा वेवरिज जैसे अर्थशास्त्रियों ने मार्शल के अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों की बड़ी रक्षा की है। वूटन का कथन है "अर्थशास्त्रियों के लिए यह बहुत ही कठिन है कि वे अपने विवेचन से अर्थशास्त्र के आदर्शों के महत्त्व का पूर्ण अपहरण करें।" फ्रेजर के अनुसार "अर्थशास्त्र का मूल्य सिद्धान्त अथवा साम्य-विश्लेषण से कहीं अधिक

है। यद्यपि रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की धारणा अधिक वैज्ञानिक है फिर भी साध्यों के प्रति वह निष्पक्ष, व्यक्तिगत और तटस्थ है। उनका कहना है “साम्य का अर्थ केवल साम्य ही है।”

कहा जाता है कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल मूल्य निर्धारण का सिद्धान्त ही बना दिया। अर्थशास्त्र के अध्ययन के अन्य रूपों की उपेक्षा की गई है। रॉबिन्स की परिभाषा उस एकत्रित ज्ञान को जो विद्यमान है परिमित नहीं करती, परन्तु यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र से उसके उस भाग को जो पहले से मौजूद था, अलग कर देती है।¹

रॉबिन्स की परिभाषा में मानवीय स्पर्श नूरी के समान है। ऐली के अनुसार यह दृढ़ कथन उचित होगा कि “अर्थशास्त्र विज्ञान से कही बढ़कर है, एक ऐसा विज्ञान है जो मानव जीवन के अनेक प्रकार के रूपों में व्याप्त है, जिसके लिए केवल क्रमानुसार विचार ही नहीं वरन् मानवीय सहानुभूति, कल्पना तथा असाधारण मात्रा में व्यावहारिक ज्ञान का संचित अनुग्रह भी आवश्यक है।”²

रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को अधिक निराकार तथा गूढ़ और इसलिए कठिन बना दिया है। यह साधारण मनुष्य के लिये उसकी उपयोगिता घटा देती है। अर्थशास्त्र की उपयोगिता अधिक मात्रा में ठोस और वास्तविक अध्ययन में है।

५ अर्थशास्त्र का क्षेत्र (Scope of Economics)—प्रतिवाद केवल अर्थशास्त्र की परिभाषा पर ही नहीं वरन् उसके क्षेत्र के सम्बन्ध में भी है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र की चर्चा में हमारा सम्बन्ध विशेषकर उसके विषय से सम्बद्ध प्रश्नों से होता है। क्या यह व्यक्ति का पृथक् अध्ययन करता है अथवा समाज के एक सदस्य के रूप में? क्या यह व्यावहारिक समस्याओं को हल कर सकता है? क्या यह वास्तविक विज्ञान (positive science) है अथवा आदर्श विज्ञान (normative science) है?

विषय (Subject-matter)—हम पहले परिभाषा में ही इसके विषय का उल्लेख कर चुके हैं। हम फिर दोहरा सकते हैं कि मनुष्य की वे सब चेष्टाएँ जिनका सम्बन्ध धन से है अथवा वे सब घटनाएँ जो “प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से द्रव्य के मापदंड से सम्बद्ध की जा सकती हैं” अर्थशास्त्र से सम्बद्ध हैं। रॉबिन्स का अभिप्राय है कि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध उन मानव-व्यवहारों से है जो असीमित साध्यों को तृप्त करने वाले वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों के प्रयोग से जुड़े हैं। अवश्य ही इसमें चुनाव और मूल्य निर्णय (valuation) की आवश्यकता है। अतएव यह कहा जाता है कि मूल्य निर्णय प्रत्येक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है।

—वास्तव में अर्थशास्त्र का विषय बहुत विस्तृत है। यह मनुष्य की आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है और उनकी तृप्ति के नियमों को स्पष्ट करता है। यह उत्पादन के उन चार साधनों के प्रयत्नों का जो धन के उत्पादन में लगे हैं और उनकी कार्यपटुता की

1 A paper read by M H Gopal in the Indian Economic Conference held in 1940.

2 Ely and others—Outlines of Economics, 1930, p. 4.

हालतो का अध्ययन करता है। इसके बाद वह यह चर्चा करता है कि माग और पूर्ति की शक्तियाँ कैसे परस्पर प्रतिक्रिया करती हैं और धन का वितरण समाज के विभिन्न उत्पादकों में कैसे होता है। विनिमय (exchange) की रचना द्रव्य तथा वैकिंग प्रथाओं पर आधारित है तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएँ, वैदेशिक विनिमय और सार्वजनिक वित्त भी इसके अध्ययन का एक मुख्य भाग हैं।

✓ एक सामाजिक विज्ञान (A Social Science)—अर्थशास्त्र प्राथमिक रूप से मनुष्य का अध्ययन है न कि धन का। किन्तु यह एक ऐसे व्यक्ति का, जिसने ससार को सज दिया हो, अध्ययन नहीं करता। दूसरी ओर यह उन व्यक्तियों का अध्ययन करता है जो समाज में रहते हैं, अपने कार्यों से समाज को प्रभावित करते हैं और जिन पर समाज का प्रभाव पड़ता है। अर्थशास्त्र का सम्बन्ध “आर्थिक मनुष्य” से इतना अधिक नहीं है—जो निराकार है, जितना उस मनुष्य से है जो वास्तविक है और जो साधारण प्रेरणाओं से, चाहे वह शिष्ट हो अथवा अशिष्ट, प्रभावित है और जिसमें साधारण मानवीय गुण तथा अवगुण का अंश है। परन्तु अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान इस रूप में नहीं है कि वह सामाजिक कार्यों का व्यक्तिगत कार्यों से जुदा अध्ययन करता है।

क्या यह व्यावहारिक समस्याओं को हल कर सकता है? (Can it solve practical problems?)—अंग्रेज अर्थशास्त्रियों का प्रायः यह विश्वास है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह नहीं है कि वह व्यावहारिक समस्याओं को हल करे। यद्यपि इन समस्याओं का आर्थिक स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण और परमावश्यक हो सकता है तब भी केवल आर्थिक आधारों पर ही कोई समस्या हल नहीं की जा सकती क्योंकि वह राजनीतिक तथा शील के विचारों में भी प्रस्त हो सकती है। “अर्थशास्त्र के सिद्धांत में ऐसे निश्चित निष्कर्ष प्राप्त नहीं हैं जिनका नीति के लिए तत्काल प्रयोग हो सकता हो। यह एक रीति नहीं वरन् एक सिद्धांत है, मस्तिष्क का एक यन्त्र तथा विचार को एक कला है जो इसके अधिकारी को सही हल प्राप्त करने में सहायता करती है।”—कीन्स “The theory of Economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to policy It is a method rather than a doctrine, an apparatus of the mind, a technique of thinking which helps its possessor to draw correct conclusions”—(Keynes)

हम इस कथन से पूरे तौर पर सहमत नहीं हैं। कोई अर्थशास्त्री इस आदर्श का प्रतिपादन नहीं कर सकता है। एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस तथा इस युग के स्वर्गीय लार्ड कीन्स स्वयं ने भी अपने-अपने समय की समस्याओं में अपनी तीव्र रुचि रक्खी है। फ्रेजर के शब्दों में “वह अर्थशास्त्री जो केवल अर्थशास्त्री ही है, वह एक शोचनीय वंशा वाली सुन्दर मछली के समान है।” टगवेल के अनुसार यह अर्थशास्त्र का अचूरा विकास है जो उसको व्यावहारिक जीवन से अलग करने का उत्तरदायित्व रखता है। वूटन यह अमतोप प्रकट करते हैं कि “हम सैद्धान्तिक साधनों के गढ़ने में अधिक समय और उनके व्यावहारिक प्रयोग करने में कम समय व्यतीत करते हैं।” अतएव इसका अधिकाधिक

अनुभव किया जाता है कि अर्थशास्त्री को व्यावहारिक समस्याओं को अवश्य ही हल करना चाहिए। जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो "हमारी प्रवृत्ति एक दार्शनिक की प्रवृत्ति अर्थात् ज्ञान के हेतु ज्ञान नहीं है वरन् ऐसा ज्ञान है जो शरीर विज्ञान-शास्त्री के व्याधिमुक्त ज्ञान के समान पीड़ाओं को दूर करने में सहायता दे।"—पीगू
 "Our impulse is not the philosopher's impulse, knowledge for the sake of knowledge, but rather the physiologist's knowledge for the healing that knowledge may help to bring"—Pigou

अतएव हमारा मत यह है कि अर्थशास्त्री को व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में सहायक होना चाहिए। वह ऐसा करने में आर्थिक ज्ञान से रहित एक राजनीतिज्ञ की अपेक्षा कहीं अच्छी स्थिति में है। अर्थशास्त्रियों से प्रतिदिन की व्यावहारिक समस्याओं पर सहायता ली जाती है। पीगू के शब्दों में "अर्थशास्त्र का मूल्य न तो बुद्धि सम्बन्धी व्यायाम होने में है और न अपने लिये सच्चाई स्थापित करने के साधन में, परन्तु नीतिशास्त्र की दासी तथा व्यवहार का एक दास होने में है।"

"Economics is chiefly valuable neither as an intellectual gymnastic, nor as a means of winning truth for its own sake, but as a hand maid of Ethics and a servant of practice."

क्या यह वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान ? (It is a Positive or a Normative Science ?)—हम अब यह विचार करेंगे कि अर्थशास्त्र शीलका निर्णय कर सकता है या सिर्फ वस्तुओं का 'कारण' स्पष्ट कर सकता है। अंग्रेजी प्रतिष्ठित सम्प्रदाय (English Classical School) के मतानुसार अर्थशास्त्री का आर्थिक स्थिति की सत्यता या असत्यता की व्याख्या करने का कोई कार्य नहीं था। सीनियर का विचार था कि अर्थशास्त्री सलाह का एक शब्द भी नहीं जोड़ सकता। कौर्नेस के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र साध्यों के सम्बन्ध में पूर्णतया इस प्रकार तटस्थ था जैसे शिल्पकार रेलों के निर्माण की नाना योजनाओं में निष्पक्ष रहते हैं। हाल ही में रॉबिन्स ने इस तटस्थता को फिर से पुष्ट किया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का सम्बन्ध 'साध्यों' (ends) के उचित तथा अनुचित होने से नहीं है। "अर्थशास्त्री का कार्य अधिकाधिक तब में एक ऐसे विशेषज्ञ जैसा दिखाई देता है जो यह बता सके कि अमुक कार्यों से कैसे तीजे निकलने वाले हैं, किन्तु अर्थशास्त्री के नाते वह उन कार्यों की वाछनीयता के बारे में निर्णय नहीं दे सकता।" यह कहा जाता है कि अर्थशास्त्री का कार्य खोज करना और व्याख्या करना है न कि समर्थन करना तथा निन्दा करना। हमारे विचार में यह उचित मत नहीं है।

हम हाट्टे से सहमत हैं कि अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र से पृथक् नहीं किया जा सकता है। आर्थिक यथार्थता (economic ought) पर भी विचार करना पड़ता है। हरणार्थ धन के अनुचित वितरण के कारणों का विश्लेषण करके अर्थशास्त्री यह कहने

में क्यों सकोच करें कि इसका उचित रूप से वितरण होना चाहिए ? “अतएव मनोविज्ञान से रहित अर्थशास्त्र को अवश्य ही या तो एक दिखावटी कल्पना या स्पष्ट रूप से अवैज्ञानिक शास्त्र समझना चाहिए । यह हैमलेट का ड्रामा विना हैमलेट के है ।”^१ अतएव अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान दोनों है । हम रॉबिन्स के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र में इतना अधिक अन्तर है कि मनुष्य की कोई उक्ति उसकी पूर्ति नहीं कर सकती । जब साध्य भी दिये हुए हो तो अर्थशास्त्र उन साधनों पर निर्णय कर सकता है जो उन साध्यों की प्राप्ति के लिये प्रयोग में लाये जाने चाहिए ।

कैरनक्रॉस (Cairncross) ने इस अवस्था को भलीभाँति एकत्र किया है “अर्थशास्त्री अपने विश्लेषण में नीतिशास्त्र के महीन सूत्र (जिसमें प्रायः विरोधी मत अन्तर्गत हैं) का विश्लेषण करने में चाहे जितने अनिच्छुक हो, वे वह मार्गप्रदर्शन, जो उनके लिए इतना आवश्यक है, नहीं कर सकते जब तक वे ऐसा न करें । वे यह व्याख्या कर सकते हैं कि आर्थिक पद्धति, अर्थशास्त्र विज्ञान को उसके दूषित कपडों पर विना दर्शनशास्त्र का जामा पहनाए हुए, कैसे कार्य कर सकती है । परन्तु वे यह नहीं कह सकते कि यह पद्धति किस प्रकार और भलीभाँति कार्य कर सकती है । वे प्रकाश दे सकते हैं परन्तु व्यावहारिक लाभ नहीं, परन्तु बहुत से लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यावहारिक लाभ ही के लिए करते हैं । जैसे अर्थशास्त्री सलाह देने का साहस करता है, जैसा कि उससे आशा की जाती है, वैसे ही वह भेड़ियों के रूप में भेड़ का कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात् अर्थशास्त्री दर्शनशास्त्री में परिवर्तित हो जाता है । यदि उसके नतीजों को आकर्षण तथा सम्मान प्राप्त करना है तो उसे यह निर्धारित कार्य सचेत रूप से करना चाहिए न कि भेड़ के सदृश धोखे का जामा पहन कर ।”^२

साध्य और साधन (Ends and Means)—यह उल्लेख किया जा चुका है कि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध साधनों से है और साध्य उसके क्षेत्र से बाहर है । इसका अर्थ केवल यह है कि साध्यों या उद्देश्यों के स्थिर करने में अर्थशास्त्र का कोई हाथ नहीं है । यह निश्चित करना सरकार अथवा व्यक्तियों का कार्य है कि वे क्या पाना चाहते हैं अथवा क्या करना चाहते हैं । जब वे यह निश्चित कर लेते हैं तब अर्थशास्त्री यह अनुमति देते हैं कि स्रोतों के कम-से-कम खर्च से उन साध्यों को कैसे भलीभाँति प्राप्त किया जा सकता है । अर्थशास्त्री केवल विशिष्ट साध्यों की पूर्ति के लिए साधनों के न्यूनतम उपयोग का समर्थन करते हैं । अर्थशास्त्र साध्यों का सापेक्ष मूल्य निर्णय (valuation) के परिमाणों में दिये गये रूप में लेता है । यह केवल इन साध्यों की पूर्ति के लिए साधनों के उपयोग की व्याख्या कर सकता है । इस विचार से साध्य इसके क्षेत्र से बाहर है ।

अतएव यह नतीजा निकलता है कि अर्थशास्त्री पर साध्यों के स्वरूप की कोई जिम्मेदारी नहीं है । साध्य चाहे श्रेष्ठ अथवा अप्रतिष्ठित हो, अर्थशास्त्री उनमें सम्बन्ध नहीं

1 Wolfe in Tugwell's Trends of Economics, (1935), p 466

2 Cairncross, A.—Introduction to Economics, (1944), p 9

रखता। अतएव आर्थिक साध्य (economic ends) जैसी कोई वस्तु नहीं है। “जहा तक दुर्लभ साधनो पर किसी साध्य की प्राप्ति आश्रित है वह अर्थशास्त्री की धारणाओं को आकर्षित करने के लिए युक्त है।” तब भी हमने पिछले परिच्छेद में यह स्पष्ट कर दिया कि अर्थशास्त्री नीति निर्णय को पूरी तौर पर नहीं छोड़ सकता।

यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की चर्चा हमें अनेक विवादास्पद प्रश्नों को, जिनका सम्बन्ध अर्थशास्त्र विज्ञान के स्वरूप से है, यह कहकर, हल करना पड़ता है कि यह क्या है और क्या नहीं, यह क्या करता है और क्या नहीं करता।

—६ अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध (Relation of Economics to other Sciences)—अर्थशास्त्र के स्वरूप का अध्ययन करके अब हम इसके अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध पर विचार कर सकते हैं। मानव स्वभाव एक समान है। मनुष्यों की समस्याओं का आर्थिक दृष्टिकोण दूसरे—कानून-सम्बन्धी, राजनीतिक इत्यादि—दृष्टिकोणों से जुदा नहीं किया जा सकता। अतएव अर्थशास्त्र का उन अन्य विज्ञानों से गहरा सम्बन्ध है। यह प्रत्येक विज्ञान मुख्यत इतिहास, गणित, सांख्यिकी (statistics), भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान आदि से बहुधा सहायता लेता है। तब भी अर्थशास्त्र न तो भौतिक विज्ञानों के नियमों को निश्चित करने का और न उनकी व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। यह उनका प्रयोग केवल अपने विवेक के आधारों के लिए करता है। अर्थशास्त्र में मनोविज्ञान का अधिक उपयोग हुआ है। वरण के सिद्धान्त (law of choice) का, जो अर्थशास्त्र का अधिक मूल सिद्धान्त है, एक मनो-वैज्ञानिक आधार है। मिल (Mill) की व्याख्या के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र “एक शीलाचार सम्बन्धी अथवा मनोवैज्ञानिक विज्ञान है।” जैवन्स ने इसको और अधिक मनोवैज्ञानिक बना दिया है। उनके लिए अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, “उपयोगिता तथा आत्म-हित की रचना” और “केवल सुख और दुःख की गणना के आधार” है।

वास्तव में अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से गहरा सम्बन्ध है। काम्टे जैसे दार्शनिक अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र के अधीन मानेंगे और इसे उसका एक अंग समझेंगे। परन्तु समाजशास्त्र का विकास होना अभी बाकी है जबकि अर्थशास्त्र उन्नत अवस्था पर पहुँच गया है। इसलिए इसका जुदा अध्ययन हो सकता है। यह विशेषीकरण वैज्ञानिक पूर्णता के लिए अत्यधिक सहायक है, यद्यपि इस को पूरे तौर से स्वतंत्र विज्ञान मानना अनुचित है। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र को पूरी तौर से जुदा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र का गहरा सम्बन्ध है क्योंकि समस्त आर्थिक चेष्टाएँ नैतिक विचारों से अवश्य ही प्रभावित होनी चाहिए। उत्पादन तथा वितरण की चर्चा करने में हमें नैतिक विचार सदैव ध्यान में रखना चाहिए। आर्थिक चेष्टाओं का संचालन आचार के क्षेत्र में होना चाहिए। प्राचीन अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को नीतिशास्त्र के अधीन मानते थे। वह केवल “नीतिशास्त्र की दासी ही नहीं थी वरन् उसके इस पुष्ट



तथा समृद्धिशाली सहविज्ञान ने उसे कुचलकर नष्ट कर दिया।”

हम अर्थशास्त्र पर नीतिशास्त्र के प्रभाव की पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तब हमने यह विचार किया था कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान। (देखिए विभाग ५)। नीतिशास्त्र मान्यताओं (values) का अध्ययन है, यह उन साध्यों के उचित तथा अनुचित होने का विवेचन करती है जिनकी प्राप्ति के लिए दुर्लभ साधनों का वटवारा किया जाता है। परन्तु बहुत से अर्थशास्त्री इस मत के हैं कि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध उचित-अनुचित अथवा अच्छे-बुरे के प्रश्न से नहीं है। ऐसा करना एक दार्शनिक का काम है। अधिकतर एक अर्थशास्त्री यह कह सकता है कि कुछ स्रोतों का उपयोग लक्ष्य के अनुसार उचित नहीं है।

अर्थशास्त्र को न्यायशास्त्र अथवा विधि विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। आर्थिक क्रियाओं का संचालन कानूनी ढाँचे के अन्दर होना चाहिए। अर्थशास्त्री गैरकानूनी कामों का, वे चाहे कितने भी आकर्षक क्यों न हों, समर्थन नहीं कर सकता। कानून-व्यवस्था हमारी आर्थिक क्रियाओं को सीमित तथा निर्धारित करती है।

अर्थशास्त्र और इतिहास का भी एक दूसरे से गहरा सम्बन्ध है। अर्थशास्त्र साध्यों और साधनों के सम्बन्ध में तथा उनके अन्तर्गत अनेक तात्पर्यों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र का इतिहास समय-समय पर इन सम्बन्धों के रूप का अध्ययन करता है। आर्थिक इतिहास एक पृष्ठभूमि बनाता है जिसके सम्मुख आर्थिक सिद्धान्त तथा समस्याओं का भली-भाँति अध्ययन किया जा सकता है। इतिहास के द्वारा हम पुराने सिद्धान्तों की पुष्टि तथा खडन और नये सिद्धान्तों की खोज कर सकते हैं। सोने की खानों की खोज से मुद्रा-परिमाण-सिद्धान्त (quantity theory of money) और प्लेग की घटना ने श्रम की भाग तथा पूर्ति के सिद्धान्त को पुष्ट कर दिया। इसी प्रकार इतिहास व्यापार-चक्र (trade cycles) के सिद्धान्तों के बनाने में अत्यन्त सहायक हुआ है।

परन्तु जब कि अर्थशास्त्र इतिहास का ऋणी है आर्थिक सिद्धान्त का ज्ञान भी इतिहास-कारों के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में वह इतिहास जो आर्थिक दशाओं का विश्लेषण त्याग देता है, यदि भ्रम उत्पादक नहीं तो अधूरा तो है ही। यह कथन सत्य है कि—

“Economics without History has no root,
History without Economics has no fruit.”

अर्थात् विना इतिहास के अर्थशास्त्र जड़रहित है और इतिहास विना अर्थशास्त्र के फलहीन है।

सब विज्ञानों में अर्थशास्त्र का राजनीति-शास्त्र से सबसे गहरा सम्बन्ध है। यह अब अधिकाधिक माना जाता है कि अर्थशास्त्र अविक-से-अविक राजनीतिक अर्थशास्त्र होता जा रहा है। इसका अर्थ है कि यह राजनीति-शास्त्र से मिश्रित होता जा रहा है। राजनेता के लिए आर्थिक विचारों का बड़ा महत्त्व है। एक राजनीतिज्ञ को राजनीतिक नीति ग्रहण करने से पूर्व आर्थिक व्यवस्था तथा मस्याओं का विचार अवश्य करना चाहिए। राजनीतिक नीतियों को निश्चित करने में आर्थिक विचार मुख्य है।

इसी प्रकार राजनीतिक हालात और सस्थाएँ एक देश के आर्थिक हालातों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि भारतवर्ष में आर्थिक विकास पर राजनीतिक कारणों का प्रभाव पड़ा है। राजनीति-शास्त्र तथा अर्थशास्त्र एक-दूसरे पर अपना-अपना प्रभाव डालते हैं।

सभी प्रचलित राजनीतिक समस्याओं का स्वरूप मुख्यतः आर्थिक है। मंडियों तथा माल के प्रति उत्कट प्रयत्नों के कारण आधुनिक काल में समस्त वृद्ध हुए हैं। हमारे देश की साम्प्रदायिक समस्या वास्तव में एक आर्थिक समस्या रही है। यह सम्प्रदाय के आर्थिक हितों को बढ़ाने की इच्छा से उत्पन्न होती है। सरकारों को सलाह देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषदों (Economic Advisory Councils) अथवा “ब्रेन ट्रस्ट” की स्थापना यह स्पष्ट करती है कि अर्थशास्त्र राजनीति-शास्त्र का दास होता जा रहा है। इसी कारण यह कहा जाता है कि अर्थशास्त्र अधिकाधिक राजनीतिक-अर्थशास्त्र होता जा रहा है।

अर्थशास्त्र तथा गणित की सीमा पर एक नया विज्ञान सांख्यिकी (statistics) है। अर्थशास्त्र सांख्यिकी का, जिसको तथ्यों तथा अकों का शास्त्र कहते हैं अधिकाधिक उपयोग कर रहा है। कोई भी आर्थिक चर्चा पूर्ण नहीं होती जब तक कि उसको सन्बन्धित अकों का सहारा न मिले। तथा कोई भी आर्थिक समस्या का हल सतोपजनक नहीं हो सकता जब तक कि सम्बन्धित सही तथा अद्यावधिक (up-to date) अंक प्राप्त न हो। उदाहरणार्थ भारत की खाद्य समस्या। बिना सही अकों को सामने रखे कोई भी आर्थिक नीति अपनाना केवल अधरे में छलांग लगाना मात्र होगा।

अंक आर्थिक सिद्धांतों को दृढ़ कर सकते हैं अथवा उनकी फिर से परीक्षा के लिए मजबूर कर सकते हैं यदि वे तथ्य अथवा अकों के विपरीत हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अकों की सूचना अपूर्ण अथवा अशुद्ध हो यदि वह एक स्थापित सिद्धान्त की पुष्टि न करे। इस प्रकार सांख्यिकी अर्थशास्त्र सिद्धान्त बनाने वालों के लिए अमूल्य है।

जैसा कि कोलिन क्लार्क (Colin Clark) का कहना है कि “तमाम किताबों तथा लेखों में आधुनिक पेचीदा आर्थिक समस्याओं को बिना तथ्यों की ओर संकेत किये हुए व्याख्या करना, यदि दुःखद नहीं तो, हसन के योग्य अवश्य होगा।” फिर “अर्थशास्त्र विज्ञान के विकास में सिद्धान्त का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। परन्तु सिद्धान्त को तथ्यों का आदर करना चाहिये न कि उल्लंघन।”^१

७. अर्थशास्त्र के नियम (Law of Economics)—अन्य विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्र में उसके भी कुछ साधारण सिद्धान्त हैं जो अर्थशास्त्र के नियम कहलाते हैं। उन नियमों से यह आशा की जाती है कि वे समस्त आर्थिक क्षेत्रों की व्याख्या तथा उनका संचालन करेंगे। मार्शल के शब्दों में आर्थिक नियमों की परिभाषा इस प्रकार है—

“आर्थिक नियम या आर्थिक प्रवृत्तियों के विवरण आचरण की उन शाखाओं से संबंधित सामाजिक नियमों को कहते हैं जिनमें मोटे तौर पर सम्बन्धित मनुवृत्तियों की शक्ति मुद्रा द्वारा मापी जा सकती है।” “Economic laws or statements

1. Quoted by Stigler in his *Theory of Price*, (1947), p. 18.

of economic tendencies are those social laws which relate to branches of conduct in which the strength of the motives chiefly concerned can be measured by money price." रॉबिन्स की आर्थिक क्रियाओं की परिभाषा के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक नियम एकरूपता के कथन हैं जो उस मानव व्यवहार का संचालन करते हैं जो असीमित साध्यों की पूर्ति के प्रति सीमित स्रोतों की उपयोगिता से सम्बद्ध हैं। संक्षेप में ये वे सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार हम दैनिक जीवन में काम करते हैं।

किन्तु इन नियमों का क्या स्वरूप है? वे कैसे हैं? क्या वे सरकारी कानूनों अथवा शीलाचार के नियमों या प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के समान हैं? सरकार के कानून बल द्वारा वाध्य हैं, उनका उल्लंघन करने से दण्ड मिलता है। शीलाचार के नियम इतने अनिवार्य नहीं हैं, वे केवल यह स्पष्ट करते हैं कि हम किस प्रकार जनमत की अथवा अपनी आत्मा की सन्तुष्टि के लिये कार्य करें। प्राकृतिक विज्ञान के नियम निश्चित रूप से वर्णित किये जाते हैं और व्यापक हैं। आर्थिक नियम इन सबसे जूदा हैं। आर्थिक नियमों का स्वरूप न तो "अवश्य" शब्द से जैसा कि परिनियमों (statute laws) के सम्बन्ध में है और न 'उचित' शब्द से जैसा कि शीलाचार के नियमों के सम्बन्ध में है, स्पष्ट होता है, परन्तु उनका स्वरूप "अन्य बातें समान रहें" (Other things being equal) वाक्यखंड से स्पष्ट होता है।

कुछ आर्थिक नियम स्वयं में स्वयंसिद्ध हैं, उदाहरणार्थ अधिक लाभ को कम लाभ से श्रेष्ठ समझा जाता है। कुछ अन्य ऐसे आर्थिक नियम हैं जिनका स्वभाव भौतिक नियमों जैसा है उदाहरणार्थ घटती हुई उपज का नियम (Law of Diminishing Returns) परन्तु अधिकतर आर्थिक नियम कल्पित (hypothetical) होते हैं। वे कुछ ही हालतों में ठीक होते हैं। अमुक परिस्थितियों में अमुक परिणाम होंगे। अर्थशास्त्र की सामग्री जटिल और अस्थिर है। रीतियों के कारण अनेक आर्थिक संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। सामाजिक ऋटिया तथा कानूनी बाधाएँ आर्थिक नियमों के कार्य में बाधा डालती हैं। इनमें मानवीय अज्ञ का भी बहुतायत है। इन्हीं कारणों से आर्थिक नियम अनिश्चित हैं। इनमें निश्चितता तथा यथार्थता इतनी नहीं है जितनी भौतिक विज्ञान जैसे विज्ञानों के नियमों में है। यही कारण है कि मार्शल ने आर्थिक नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण (Law of gravitation) जैसे साधारण नियमों की अपेक्षा ज्वारभाटा (Law of tides) के नियमों से की है।

तो भी, यह स्मरण रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र के नियम किसी अन्य सामाजिक शास्त्र से अधिक ठीक हैं क्योंकि आर्थिक घटनाओं का द्रव्य द्वारा माप किया जा सकता है। किसी अन्य सामाजिक शास्त्र में ऐसा कोई द्रव्य का मापदण्ड नहीं है।

यदि प्रारम्भिक कल्पनाओं (assumptions) की पूर्ति हो जाए तो आर्थिक नियम अनिवार्य तथा अटल हैं। परन्तु इन कल्पनाओं की सदा पूर्ति नहीं होती। अतएव आर्थिक नियम भविष्य नहीं बता सकते। "ऐसा कोई सरल मापदण्ड नहीं है जिससे व्यवसाय के कार्यों के प्रवाह को मापा जा सके, क्योंकि ये भय की उमगी अथवा भूडोल जैसे

अनिश्चित आश्चर्यजनक आशावाद के अधीन है।”^१

अतएव हम यह नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा क्योंकि यह अनक स्थितियों की पूर्ति पर निर्भर है। हम केवल यह कह सकते हैं कि क्या हो सकने की सम्भावना है। अतएव अर्थशास्त्र के नियम केवल प्रवृत्तियों का अथवा सांख्यिकीय अनुमानों का विवरण है।

आर्थिक नियमों के प्रयोग में एक प्रतिवाद है। प्रतिष्ठित (classical) अर्थशास्त्रियों का मत था कि आर्थिक नियम बिना किसी अर्थता के अचल, अनन्त, दृढ़ और बिना किसी अडचन के सब जगह लागू हैं। ऐतिहासिक सम्प्रदाय (Historical School) ने दूसरी ओर इनके सापेक्षवाद को महत्त्व दिया और आग्रह किया कि एक निश्चित वातावरण में ही इनका प्रयोग सीमित है। उदाहरणार्थ वेगहाट ने यह घोषित किया कि इंग्लैंड में प्रतिपादन किये हुए आर्थिक नियम “स्पर्धी वाणिज्य के उन्नत समाज” में लागू किये जा सकते थे।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि जहाँ तक आर्थिक नियम मनुष्य के वास्तविक स्वभाव पर आधारित हैं वे लगभग सब सम्प्रदायों के अनुकूल हैं। लेकिन वास्तविक आर्थिक नीतियों के बनाने में स्थिर स्थानीय स्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें कौन सदेह कर सकता है कि ग्रेशम का नियम (Gresham's Law), मुद्रा-परिमाण-सिद्धान्त (Quantity Theory of Money), घटती हुई उपयोगिता का नियम (Law of Diminishing Utility), वरण का नियम (Law of Choice) और दूसरे अनेक आर्थिक नियम सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर आश्रित नहीं हैं। जब ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें वे ठीक हैं, दी होती हैं, तो उनसे निकलने वाले परिणाम अटल होते हैं। “यदि यह सामग्री जिसे वे उपधारण (postulate) करते हैं, मौजूद हो, तो उनके द्वारा बताये गए परिणाम वैसे ही निकलेंगे।”^२ यह कहना अनुचित है कि आर्थिक नियम इतिहास के सापेक्ष (historico-relative) हैं और कुछ ऐतिहासिक स्थितियों के बाहर उनका कोई महत्त्व नहीं है। वास्तव में वे मनुष्य के अत्यन्त विस्तृत अनुभव पर आधारित हैं और सब जगह लागू हैं।

८ आर्थिक धारणाएँ (Economic Assumptions)—यह तो हम देख ही चुके हैं कि आर्थिक नियम ‘अन्य बातें समान रहें’ वाक्यखण्ड से स्पष्ट होती हैं। इसका अर्थ यह है कि, आर्थिक घटनाओं के विवेचन के समय हम कुछ बातें आधारभूत मान लेते हैं। आर्थिक विवेचन के अन्तर्गत आनेवाली विभिन्न धारणाएँ इस प्रकार हैं—

इन धारणाओं की तीन मुख्य किस्में हैं—पहले वर्ग में का सम्बन्ध व्यक्ति का व्यवहार से है अर्थात्, उपभोक्ता (consumers), उत्पादक (producers), श्रमिक (workers) आदि। उदाहरण के लिए, हम यह मान लेते हैं कि उपभोक्ता समझ-बूझ से काम लेते हैं। आर्थिक मजदूरी के लिए मजदूरों में गतिशीलता (mobility)

1 Moore and others—Modern Economics, (1940), p 3

2 Robbins, L—Nature and Significance of Economic Science, (1945),

है तथा उद्यमी अधिकतम लाभ चाहता है। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन, इन बातों को सरल बनाने के लिए इन सब बातों को मानना (assume) पड़ता है। दूसरे वर्ग का सम्बन्ध सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सस्थाओं से है।

उदाहरण के लिए, हम निजी सम्पत्ति तथा समाज के पूजीवादी क्रम को मानते हैं। हम विधि और व्यवस्था तथा स्थायी राजनीतिक पद्धति को मानते हैं। मद्धियों के स्थायित्व को भी माना जाता है। अन्त में, धारणाओं का एक ऐसा वर्ग भी है जिसका सम्बन्ध भूगोल तथा जीवशास्त्र से है। हमें अपने परिणामों को भौतिक अथवा जलवायु की सम्भावनाओं पर आधारित करना होता है। इन सब धारणाओं में सब से मूल यह है कि माल दुर्लभ है।

६ क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है ? (Is Economics a Science ?)— वूटन का कथन है कि “जहाँ कहीं छ अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं वहाँ सात मत होते हैं।”^१ अर्थशास्त्रियों में इतनी मात्रा में मतभेद होने से अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने में आपत्ति की गयी है। वूटन फिर कहते हैं “अर्थशास्त्रियों ही पर छली होने का सदेह किया जाता है और वे अपने लिए सम्मानित पदवियाँ स्वयं ही नहीं ग्रहण कर सकते। सैद्धान्तिक अर्थशास्त्रियों का अपने अध्ययन को बहुधा विज्ञान शब्द से पुकारना भ्रमपूर्ण है।” फिर “अर्थशास्त्र के उत्साही विद्यार्थी को समय-समय पर यह याद रखना चाहिए कि सब माग तथा पूर्ति की अनुसूची (demand and supply schedules), लागत वक्र (cost curves) अथवा तटस्थता वक्र (indifference curves) जो उसकी पाठ्यपुस्तकों को इतना गहन रूप देते हैं, कोई भी (कुछ को छोड़कर) किसी तथ्य पर आधारित नहीं है। पाठक को एक ऐसी भविष्यवाणी पाने के लिए, जो उन घटनाओं की प्रगति के प्रभुत्वशाली मत के प्रभाव से दृढ़ की गई है और जिसका पूर्वज्ञान किसी साकार ऐतिहासिक अवस्था में किया जा सकता है, विश्लेषक अर्थशास्त्रियों के साहित्य में अधिक छानबीन करनी पड़ेगी।”^२ फिर अर्थशास्त्र को विज्ञान कैसे कहा जा सकता है ?

फिर यह कहा जाता है कि आर्थिक घटनाएँ अत्यन्त जटिल, वहु रूपी तथा अस्थिर हैं क्योंकि मनुष्य में इच्छा की स्वतन्त्रता है। एक विज्ञान को इतने क्षीण आधार पर निर्धारित करना न केवल कठिन है वरन् असम्भव है। अतएव अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक रूप पूर्णतया नष्ट किया गया प्रतीत होता है। परन्तु यह ऐसा नहीं है।

अमूर्क ज्ञान की शाखा को हम विज्ञान कहें अथवा नहीं यह इस बात पर निर्भर है कि हम विज्ञान किसे मानते हैं। यदि हम विज्ञान से यह आशा करते हैं कि वह ऐसे सिद्धांतों को रूप देगा जो प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक समय में लागू हों या वह भविष्य की घटनाओं को घोषित करेगा, तब तो, वास्तव में अर्थशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। परन्तु विज्ञान में होने वाली यह आवश्यक बातें विज्ञान की परिभाषा के आधुनिक मत के अनुकूल नहीं हैं। विज्ञान से हमारा अभिप्राय ज्ञान के एक क्रमबद्ध रूप (systematized body of knowledge) से है। यह केवल तथ्यों का सचय नहीं है। परन्तु तथ्य इस प्रकार

1 Wootton—Lament for Economics, (1938), p 14

2 *Ibid*, pp 112—18

क्रमवद्ध है कि वे स्वयं ही स्पष्ट हैं। जब नियम बना दिये जाते हैं तो ज्ञान की एक शाखा विज्ञान हो जाती है। प्वाइनकेयर (Poincare) के शब्दों में, “विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार बना है जिस प्रकार पत्थरो से एक मकान बनाया जाता है। परन्तु केवल तथ्यों का एकीकरण इस प्रकार विज्ञान नहीं कहा जा सकता जैसे पत्थरो के ढेर को मकान नहीं कह सकते।

इस प्रमाण के अनुसार अर्थशास्त्र अवश्य ही एक विज्ञान है। अर्थशास्त्री ने पहले तो तथ्यों को जमा किया है। फिर तथ्यों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया है तथा उनका उचित वर्गीकरण किया है और तब इन तथ्यों को निश्चित करने वाले साधारण सिद्धान्तों की खोज तथा उसका वर्णन किया है। अर्थशास्त्र विज्ञान बनाने के लिए इससे अधिक क्या आवश्यकता हो सकती है ?

यह अब पूरी तौर से मान लिया गया है कि अर्थशास्त्र एक परिपूर्ण विज्ञान है। वास्तव में यह दूसरे विज्ञानों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। “आर्थिक नियम दूसरे विज्ञानों के नियमों से समता रखते हैं।”

परन्तु अर्थशास्त्र के वास्तविक रूप को समझना आवश्यक है। अर्थशास्त्र का विरोधाभास यह है कि एक विज्ञान होते हुए भी यह भौतिक तथा रसायन-शास्त्र जैसे प्राकृतिक विज्ञान की भांति घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। व्यक्ति में उच्छा की स्वतन्त्रता है। अतएव मानव-व्यवहार में भविष्यवाणी करना असम्भव है। डरविन (Durbin) के कथनानुसार “निश्चितता हमसे जुदा रहेगी और भविष्यवाणी गलत हो जायगी—जिस प्रकार मनुष्य अनुभव से सीख सकते हैं उसी प्रकार वे अर्थशास्त्र से भी सीख सकते हैं। इस प्रकार विषय अपनी ही खोज से अपने परिणामों की काट करता है।”² इस प्रकार अर्थशास्त्र “निरन्तर बदलने वाले सिद्धान्तों” को प्रस्तुत करता है।

१०. क्या अर्थशास्त्र कला भी है ? (Is Economics also an art ?)—यह निश्चित हो चुका है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। परन्तु क्या इसे कला भी माना जा सकता है ? अग्रज अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि अर्थशास्त्र सिर्फ विज्ञान है और कला नहीं। “विज्ञान का रूप, जिसके विकास करने का अर्थशास्त्री प्रयास करेगा, कला के आधार के अनुकूल होना चाहिये। वास्तव में यह स्वयं कला न होगा। यह एक शुद्ध तथा व्यावहारिक विज्ञान है, न कि विज्ञान तथा कला।” —मार्शल “The type of Science that the economist will endeavour to develop must be one adopted to form the basis of an art It will not indeed itself be an art. It is a science pure and applied, rather than a science and an art” (Marshall)

इस मनोवृत्ति को प्रस्तुत करने का एकमात्र तर्क यही है कि सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र

1. Robbins, Op Cit., p. 104

2 Economics, Man and His Material Resources (New Education Library)

वैज्ञानिक पूर्णता की एक मात्रा केवल इसी एक विधि से प्राप्त कर सकता है। इसको एक कला बनाने के असम्बद्ध विचार उसके कार्य में बाधा डालेंगे और उसको विलकुल अपूर्ण कला बना देंगे। अर्थशास्त्र का कार्य केवल खोज तथा व्याख्या करना है और विशेष लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए सूत्र तथा धारणाएँ प्रस्तुत करना नहीं।

फिर भी हम इस मत से सहमत नहीं हैं। प्रत्येक "कला" का सैद्धान्तिक अथवा वैज्ञानिक पक्ष है और इसी प्रकार प्रत्येक विज्ञान में "कला" अथवा उसका व्यावहारिक पक्ष है। हमारे मतानुसार अर्थशास्त्र में "कला" का भाग अधिक महत्त्व रखता है। यदि अर्थशास्त्र एक निराकार विज्ञान हो जाये, जैसा कि अधिकाधिक हो रहा है, तो साधारण जनता के लिए यह अधिक गूढ़ हो जायेगा। वह अपनी व्यावहारिक उपयोगिता से अलग हो जायेगा। हमारे अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो प्रकाश डालने वाला तथा फलदायक भी है। वे भी, जो इसे शुद्ध विज्ञान मानते हैं, व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics) जैसी शाखा को स्थान देते हैं।

११ अर्थशास्त्र-विज्ञान की रीतियाँ (Methods of Economic Science)—अर्थशास्त्र के विज्ञान माने जाने का एक कारण यह है कि हमारे विज्ञानो की भाँति यह वैज्ञानिक रीतियों का उपयोग करता है। अब हमें यह देखना चाहिए कि यह रीतियाँ क्या हैं ?

प्राचीन अंग्रेज अर्थशास्त्रियों ने, जिन्होंने प्रतिष्ठित सम्प्रदाय बनाया, अर्थशास्त्र को कुछ थोड़े से साधारण सामान्य अनुमानों से विज्ञान निर्माण करने का प्रयत्न किया। जो रीति उन्होंने प्रयोग की उसे निगमन, विश्लेषक, निराकार अथवा कारण से कार्य के तर्क की रीति कहते हैं। उनमें से सीनियर, मिल, कैंनेस तथा मुख्यतः रिकार्डों के नाम उल्लेखनीय हैं। इस रीति के मर्मर्क मानवीय स्वभाव के कुछ निर्विवाद तथ्यों से शुरू करते हैं और साकार व्यक्तिगत स्थितियों के विषय में अनुमान निकालते हैं, उदाहरणार्थ, वे विश्वास करते हैं कि केवल निजी स्वार्थ ही मनुष्य के दैनिक जीवन का मार्गदर्शक है और वे अनेक मानवीय व्यवहारों की निजी स्वार्थ के रूप में व्याख्या करते हैं तथा उनकी भविष्यवाणी करने का प्रयत्न करते हैं—जो स्पष्ट रूप से अनुचित है।

यदि धारणाएँ ठीक हों तो इस रीति की श्रेष्ठता यह है कि वह सरल, प्रभावशाली तथा निश्चित होगी। वास्तव में यह "यदि" बड़ा महत्त्वपूर्ण है। बहुधा यह धारणाएँ असत्य या थोड़ी मात्रा में सत्य होती हैं। यह अर्थशास्त्र विज्ञान को सिद्धान्तवादी (dogmatic) बना देता है क्योंकि वे अपने अन्तर्गत अपने पूर्ववाक्य (premise) में कोई त्रुटि नहीं मानते। जब अपूर्ण अथवा गलत धारणाओं पर आधारित सामान्य अनुमान सर्वत्र ठीक समझे जाते हैं और इन सामान्य अनुमानों के आधार पर देश की व्यावहारिक रीतियों की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जाता है, निगमन रीति विशेषकर हानिकारक सिद्ध होती है।

ऐतिहासिक स्कूल (Historical School) इस मनोवृत्ति के विरुद्ध है। यह विरोध विशेषकर जर्मनी में अनुभव किया गया था और इसे रासचर (Roscher), हिल्डब्रैंड (Hildebrand) तथा फ्रेडरिक लिस्ट (Frederich List) जैसे

अर्थशास्त्रियो ने प्रस्तुत किया था। इस नये आन्दोलन के अनुयायी इंग्लैंड में क्लिफ लैसले (Cliffe Leslie) जैसे भी थे। उन्होंने एक रीति का समर्थन किया जिसे ऐतिहासिक, आगमन (inductive) अथवा वास्तविक (realistic) रीति कहते हैं। यह रीति तथ्यों की जाच पर जोर देती है और तब सामान्य नियम प्रस्तुत करती है। यहाँ हम “विशिष्ट” से “सामान्य” की ओर जाते हैं जब कि निगमन रीति (deductive method) में हम “सामान्य” से “विशिष्ट” की ओर आते हैं।

अवलोकन तथा अनुभव आगमन अर्थशास्त्री के मुख्य शस्त्र हैं। इस रीति का यही गुण है कि यह यथार्थता पर निर्भर है और इसलिए एक निश्चित आधार रखती है। परन्तु अपूर्ण तथ्यों से तात्कालिक परिणाम निकाले जाने का भय है। यह हो सकता है कि कुछ मुख्य तथ्य छोड़ दिये गये हो और परिणाम अनुचित हो। इसके अतिरिक्त, उस विज्ञान में, जो मानवीय क्रियाओं से सम्बद्ध है, अवलोकन तथा अनुभव का बहुत ही सीमित प्रयोग होता है।

इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सचेत अनुभव (conscious experimentation) अर्थशास्त्र विज्ञान से परे है तो भी इतिहास समय-समय पर प्रयोग में लाये गये आर्थिक साधनों के रूप में अनेक अनुभव प्रदान करता है। भारत में विभेद सरक्षण (discriminating protection) का प्रदान करना एक महत्वपूर्ण अनुभव था। आधुनिक काल में आगमन रीति (inductive method) का प्रयोग अत्यन्त बढ़ा दिया गया है। प्रत्येक देश में सांख्यिकीय प्रकाशनों (statistical publications) की अधिकता है। “सरकारी पुस्तकें” तथ्यों तथा अकों से भरी हैं और अर्थशास्त्री के पास अपने परिणामों को प्राप्त करने के लिए अधिक तथा विश्वसनीय सामग्री है। आधुनिक युग को आगमन युग (inductive era) कहा गया है।

फिर भी आधुनिक अर्थशास्त्री एक रीति पर दूसरी का निषेध करके आश्रय नहीं लेता। वह दोनों का प्रयोग करता है। मार्शल के प्रायः दोहराये हुए शब्दों में, “वैज्ञानिक विचारधारा के लिए आगमन तथा निगमन दोनों रीतियों की आवश्यकता होती है, जैसे चलने में दाहिने तथा बाएँ दोनों पैरों की आवश्यकता होती है।” सर्वप्रथम अर्थशास्त्री निगमन विचार पर आधारित एक निश्चित कल्पना (hypothesis) से आरम्भ करता है और तब तथ्यों की कसौटी से उसकी जाच करता है और तब कल्पना सिद्धान्त के क्षेत्र तक उठा दी जाती है। सिद्धान्त के नियम में परिवर्तित होने से पूर्व उपस्थित दशा के आधार पर और जाच करनी पड़ती है। इस प्रकार एरिक राल (Eric Rall) के अनुसार “निगमन तथा आगमन का अन्तर-प्रवेग” “interpenetration of deduction and induction” होता है।

इस प्रकार “रीति के इस प्रतिवाद का वास्तविक हल निगमन अथवा आगमन के निर्वाचन में नहीं वरन् निगमन तथा आगमन की स्वीकृति में है।”—वैगनर (Wagner)। अवसर विशेष पर इन दो रीतियों में से कौन-सी काम में लाई जाये, यह जाच के स्वरूप, उपलब्ध सामग्री तथा जाच की अवस्था पर निर्भर है। वास्तविक वैज्ञानिक रीति की भिन्न-भिन्न तीन अवस्थाएँ हैं, अर्थात् अवलोकन, कल्पना तथा तर्क (observation,

वैज्ञानिक पूर्णता की एक मात्रा केवल इसी एक विधि से प्राप्त कर सकता है। इसको एक कला बनाने के असम्बद्ध विचार उसके कार्य में बाधा डालेंगे और उसको विलकुल अपूर्ण कला बना देंगे। अर्थशास्त्र का कार्य केवल खोज तथा व्याख्या करना है और विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सूत्र तथा धारणाएँ प्रस्तुत करना नहीं।

फिर भी हम इस मत से सहमत नहीं हैं। प्रत्येक "कला" का सैद्धान्तिक अथवा वैज्ञानिक पक्ष है और इसी प्रकार प्रत्येक विज्ञान में "कला" अथवा उसका व्यावहारिक पक्ष है। हमारे मतानुसार अर्थशास्त्र में "कला" का भाग अधिक महत्त्व रखता है। यदि अर्थशास्त्र एक निराकार विज्ञान हो जाये, जैसा कि अधिकाधिक हो रहा है, तो साधारण जनता के लिए यह अधिक गूढ़ हो जायेगा। वह अपनी व्यावहारिक उपयोगिता से अलग हो जायेगा। हमारे अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो प्रकाश डालने वाला तथा फलदायक भी है। वे भी, जो इसे शुद्ध विज्ञान मानते हैं, व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics) जैसी शाखा को स्थान देते हैं।

११ अर्थशास्त्र-विज्ञान की रीतियाँ (Methods of Economic Science)—अर्थशास्त्र के विज्ञान माने जाने का एक कारण यह है कि दूसरे विज्ञानों की भाँति यह वैज्ञानिक रीतियों का उपयोग करता है। अब हमें यह देखना चाहिए कि यह रीतियाँ क्या हैं ?

प्राचीन अंग्रेज अर्थशास्त्रियों ने, जिन्होंने प्रतिष्ठित सम्प्रदाय बनाया, अर्थशास्त्र को कुछ थोड़े से साधारण सामान्य अनुमानों से विज्ञान निर्माण करने का प्रयत्न किया। जो रीति उन्होंने प्रयोग की उसे निगमन, विश्लेषक, निराकार अथवा कारण से कार्य के तर्कों की रीति कहते हैं। उनमें से सीनियर, मिल, कर्नेस तथा मुख्यतः रिकार्डों के नाम उल्लेखनीय हैं। इस रीति के समर्थक मानवीय स्वभाव के कुछ निर्विवाद तथ्यों से शुरु करते हैं और साकार व्यक्तिगत स्थितियों के विषय में अनुमान निकालते हैं, उदाहरणार्थ, वे विश्वास करते हैं कि केवल निजी स्वार्थ ही मनुष्य के दैनिक जीवन का मार्गदर्शक है और वे अनेक मानवीय व्यवहारों की निजी स्वार्थ के रूप में व्याख्या करते हैं तथा उनकी भविष्यवाणी करने का प्रयत्न करते हैं—जो स्पष्ट रूप से अनुचित है।

यदि धारणाएँ ठीक हों तो इस रीति की श्रेष्ठता यह है कि वह सरल, प्रभावशाली तथा निश्चित होगी। वास्तव में यह "यदि" बड़ा महत्त्वपूर्ण है। बहुधा यह धारणाएँ असत्य या थोड़ी मात्रा में सत्य होती हैं। यह अर्थशास्त्र विज्ञान को सिद्धान्तवादी (dogmatic) बना देता है क्योंकि वे अपने अन्तर्गत अपने पूर्ववाक्य (premise) में कोई त्रुटि नहीं मानते। जब अपूर्ण अथवा गलत धारणाओं पर आधारित सामान्य अनुमान सर्वत्र ठीक समझे जाते हैं और इन सामान्य अनुमानों के आधार पर देश की व्यावहारिक रीतियों की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है, निगमन रीति विशेषकर हानिकारक सिद्ध होती है।

ऐतिहासिक स्कूल (Historical School) इस मनोवृत्ति के विरुद्ध है। यह विरोध विशेषकर जर्मनी में अन्भव किया गया था और इसे रासचर (Roscher), हिल्डब्रैंड (Hildebrand) तथा फ्रेडरिक लिस्ट (Frederich List) जैसे

अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया था। इस नये आन्दोलन के अनुयायी इंग्लैंड में क्लिफ लैसले (Cliffe Leslie) जैसे भी थे। उन्होंने एक रीति का समर्थन किया जिसे ऐतिहासिक, आगमन (inductive) अथवा वास्तविक (realistic) रीति कहते हैं। यह रीति तथ्यों की जाच पर जोर देती है और तब सामान्य नियम प्रस्तुत करती है। यहाँ हम “विशिष्ट” से “सामान्य” की ओर जाते हैं जब कि निगमन रीति (deductive method) में हम “सामान्य” से “विशिष्ट” की ओर आते हैं।

अवलोकन तथा अनुभव आगमन अर्थशास्त्री के मुख्य शस्त्र हैं। इस रीति का यही गुण है कि यह यथार्थता पर निर्भर है और इसलिए एक निश्चित आधार रखती है। परन्तु अपूर्ण तथ्यों से तात्कालिक परिणाम निकाले जाने का भय है। यह हो सकता है कि कुछ मुख्य तथ्य छोड़ दिये गये हों और परिणाम अनुचित हो। इसके अतिरिक्त, उस विज्ञान में, जो मानवीय क्रियाओं से सम्बद्ध है, अवलोकन तथा अनुभव का बहुत ही सीमित प्रयोग होता है।

इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सचेत अनुभव (conscious experimentation) अर्थशास्त्र विज्ञान से परे है तो भी इतिहास समय-समय पर प्रयोग में लाये गये आर्थिक साधनों के रूप में अनेक अनुभव प्रदान करता है। भारत में विभेद संरक्षण (discriminating protection) का प्रदान करना एक महत्वपूर्ण अनुभव था। आधुनिक काल में आगमन रीति (inductive method) का प्रयोग अत्यन्त बढ़ा दिया गया है। प्रत्येक देश में सांख्यिकीय प्रकाशनों (statistical publications) की अधिकता है। “सरकारी पुस्तकें” तथ्यों तथा अकों से भरी हैं और अर्थशास्त्री के पास अपने परिणामों को प्राप्त करने के लिए अधिक तथा विश्वसनीय सामग्री है। आधुनिक युग को आगमन युग (inductive era) कहा गया है।

फिर भी आधुनिक अर्थशास्त्री एक रीति पर दूसरी का निषेध करके आश्रय नहीं लेता। वह दोनों का प्रयोग करता है। मार्शल के प्रायः दोहराये हुए शब्दों में, “वैज्ञानिक विचारधारा के लिए आगमन तथा निगमन दोनों रीतियों की आवश्यकता होती है, जैसे चलने में दाहिने तथा बायें दोनों पैरों की आवश्यकता होती है।” सर्वप्रथम अर्थशास्त्री निगमन विचार पर आधारित एक निश्चित कल्पना (hypothesis) से आरम्भ करता है और तब तथ्यों की कसौटी से उसकी जाच करता है और तब कल्पना सिद्धान्त के क्षेत्र तक उठा दी जाती है। सिद्धान्त के नियम में परिवर्तित होने से पूर्व उपस्थित दृष्टांश के आधार पर और जाच करनी पड़ती है। इस प्रकार एरिक राल (Eric Rall) के अनुसार “निगमन तथा आगमन का अन्तर्-प्रवेश” “interpenetration of deduction and induction” होता है।

इस प्रकार “रीति के इस प्रतिवाद का वास्तविक हल निगमन अथवा आगमन के निर्वाचन में नहीं बरन् निगमन तथा आगमन की स्वीकृति में है।”—वैगनर (Wagner)। अवसर विशेष पर इन दो रीतियों में से कौन-सी काम में लाई जाये, यह जाच के स्वरूप, उपलब्ध सामग्री तथा जाच की अवस्था पर निर्भर है। वास्तविक वैज्ञानिक रीति की भिन्न-भिन्न तीन अवस्थाएँ हैं, अर्थात् अवलोकन, कल्पना तथा तर्क (observation,

the use of imagination and reason) का प्रयोग और अन्त में सिद्धान्तों की पडताल।

१२ अर्थशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता (Value of the Study of Economics)—अर्थशास्त्री का यह अभिमान उचित ही होगा कि उसका विज्ञान निश्चित ही अन्य ज्ञान की शाखाओं से अधिक लाभदायक है। किसी अन्य विज्ञान में मानवीय कल्याण से इतना प्रत्यक्ष तथा प्राथमिक सम्बन्ध नहीं होता। अर्थशास्त्री अपने नम्र भाव से मानवीय कल्याण को बढ़ाने का भरमक प्रयत्न करता है।

अर्थशास्त्र की ज्ञानसम्बन्धी उपयोगिता (intellectual value) अधिक है। जो आर्थिक समस्याओं के समझने और विश्लेषण में अपना समय व्यतीत करते हैं, उन्हें बुद्धि की तीव्रता के स्वरूप में उचित पुरस्कार मिल जाता है। मूल्य के अनेको सिद्धान्त, मजदूरी तथा व्याज आदि का अध्ययन, वैदेशिक विनिमय (foreign exchange) की गूढ़ समस्याओं को सुलझाना और जटिल मूद्रा तथा आर्थिक समस्याओं के समझने का प्रयत्न उत्तम मानसिक शिक्षा का अभ्यास प्रदान करते हैं। दृढ़ विचारों द्वारा यह जनता के विचारों का परिष्कार करता है।

अर्थशास्त्र के अध्ययन का सांस्कृतिक महत्त्व (cultural value) भी है। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी आर्थिक यन्त्र (economic machine) की कार्यप्रणाली की गूढ़ समस्याओं में प्रवेश करता है। वह समझ लेता है कि वह स्वयं ही किस प्रकार बिना प्रत्यक्ष झटके के और बिना किसी कुशल संचालक के कार्य करती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति इस विस्तृत तथा पेचीदा उत्पादन की प्रणाली में कार्यकर्ता है। सचयी (cumulative) परिणाम प्राप्त करने में उसका स्वयं भी एक भाग है। यह उसको पारस्परिक आर्थिक आश्रित होने की शिक्षा देता है। यह उसे अभिमान, उत्तरदायित्व की चेतना और वस्तुओं की व्यवस्था का भली प्रकार मूल्यांकन करने का बल देता है। यह कोई कम प्राप्ति नहीं है। मानसिक मुद्धार की किसी भी योजना में अर्थशास्त्र का महत्त्वपूर्ण अंश अवश्य ही रहेगा।

अर्थशास्त्र का व्यावहारिक महत्त्व अथवा व्यवसायी उपयोगिता भी बहुत है। राजनीतिज्ञ को अर्थशास्त्र का ज्ञान उसके सन्मुख आने वाली राजनीतिक समस्याओं को ग्रहण करने में बहुत सहायता देता है। वित्त प्रबन्धक के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान अनिवार्य है। यह श्रमनेता को औद्योगिक स्थिति समझने में सहायता देता है। यह उसको पूंजी (capital) के विरुद्ध श्रम की लड़ाई लड़ने में प्रभावशाली शक्ति प्रदान करता है। वह यह जान जायेगा कि कब अपनी मांग पर जोर डालना चाहिये और कब शिष्टतापूर्वक झुक जाना चाहिए।

अर्थशास्त्र व्यवसायी मनुष्य का सब से बड़ा सहायक है। वह व्यापार के मगठन के सिद्धान्तों को सीख सकता है। वह अपने व्यापार की उचित रूप से योजना बना सकता है और उत्पादन तथा क्रय-विक्रय की समस्याओं को भली भांति हल कर सकता है। इस प्रकार यह व्यापारी को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन द्वारा बना हुआ विस्तृत दृष्टिकोण उसको मकट के समय में लाभदायक सिद्ध होता है। वास्तव में अनेक क्रियाओं से परिपूर्ण मानवीय जीवन के किसी भी स्वरूप को सोचना कठिन है जिसमें

अर्थशास्त्र के ज्ञान का प्रवेश न हो। वृद्धन का कथन है कि "आप तब तक सच्चे अर्थों में किसी भी देश के निवासी नहीं हो सकते जब तक कि आप किसी न किसी रूप में अर्थशास्त्री नहीं हैं।"

यह देख कर कि आर्थिक विज्ञान के अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं तथा इस ओर विद्यार्थी अन्यधिक मर्यादा में आकर्षित होते जा रहे हैं, हम डरविन के शब्दों में यह कह सकते हैं कि "अर्थशास्त्र आज के युग का मानसिक धर्म है।"

आर्थिक विकास की कोई भी अवस्था (stage) क्यों न हो मनुष्य के लिए आर्थिक विचार अधिक महत्त्व रखते हैं। राँविन्सन क्रूसो के सामने भी साधनों की दुर्लभता तथा आवश्यकताओं की वृद्धि की समस्याएँ उठीं। समाजवादी राज्य (Socialist State) भी बिना अर्थशास्त्र के कुछ नहीं कर सकता। चाहे शान्ति हो अथवा चाहे युद्धकाल हो अर्थशास्त्र मानवीय कल्याण को बढ़ाने में एक सशक्त मित्र है।

अतएव, अर्थशास्त्र प्रत्येक दृष्टिकोण से अत्यन्त लाभदायक तथा महत्त्वपूर्ण विषय है। इसकी महत्ता अन्य विषयों की महत्ता को ढक लेती है। दूसरे विज्ञानों से प्राप्त किये हुए परिणामों को अन्त में वाणिज्य के प्रयोगों में लाना पड़ता है। यही अर्थशास्त्र की महत्ता है। अन्त में यह आर्थिक मगठन ही है जो मनुष्य की सेवा में अन्य विज्ञानों के परिणामों के तत्त्वों को एकत्रित करता है।

निर्देश पुस्तकें

Marshall—Principles of Economics

Robbins—Nature and Significance of Economic Science

Keynes, J. N —Scope and Method of Political Economy

Wicksteed—Commonsense of Political Economy.

Ely and others—Outlines of Economics

Wootton—Lament for Economics

Tugwell—Trends of Economics.

Moore and others—Modern Economics

Carncross, A —Introduction to Economics, Chapter I.

Benham—Economics

Pigou—Economics of Welfare.

Economics, Man and his Material Resources (New Education Library) Ch XII

Indian Journal of Economics (Allahabad), Vol XX, 1939-40.

अध्याय २

आर्थिक शब्द तथा मूल धारणायें

(ECONOMIC TERMS AND BASIC CONCEPTS)

१ भूमिका (Introduction)—पहले अध्याय में हम अर्थशास्त्र के का प्राथमिक तथा तीव्र सर्वेक्षण कर चुके हैं। इसके पूर्व कि हम, विषय का विस्तृत न प्रारम्भ करें यह आवश्यक है कि हम कुछ उन शब्दों तथा धारणाओं का जिनका प्रयोग करेंगे यथार्थ अर्थ भलीभांति समझ लें।

वस्तु अथवा 'वस्तुओं' ('Good' or Goods') के प्रयोग का अर्थशास्त्र में विशेषण होता है। कोई वस्तु जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने योग्य हो कोई कही जाती है। वस्तुओं का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है।

(१) निर्मूल्य माल (Free Goods)—उदाहरणार्थ वायु, धूप आदि। ये प्रकृति की निर्मूल्य देन (Free Gifts of Nature) हैं। ये बहुतायत में पाई हैं। (२) आर्थिक माल (Economic Goods)—ये वस्तुएँ दुर्लभ हैं। प्राप्त करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है तथा बलिदान करना पड़ता है। अर्थ-आर्थिक वस्तुओं से ही सम्बद्ध है क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के दुर्लभ वस्तुओं के उपयोग से ही आर्थिक क्रिया होती है।

इस पर जोर दिया जा सकता है कि आर्थिक वस्तुओं की दुर्लभता सापेक्ष है, निरपेक्ष (is relative and not absolute), यह जरूरियातों से सम्बद्ध है। एक बहुत थोड़ी मात्रा में हो सकती है, किन्तु मनुष्य ने यदि इसके किसी उपयोग की नहीं कि तो वह दुर्लभ नहीं कही जावेगी। दूसरी ओर कोई अन्य वस्तु हो सकती अधिक मात्रा में हो किन्तु यदि वह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कम हो ह दुर्लभ समझी जावेगी।

आर्थिक वस्तुओं तथा निर्मूल्य वस्तुओं में एक अस्थायी अन्तर नहीं है। एक आज निर्मूल्य वस्तु है कल वही आर्थिक वस्तु हो सकती है अथवा वह एक स्थान निर्मूल्य वस्तु हो सकती है और दूसरे स्थान पर आर्थिक वस्तु हो सकती है। प्राकृतिक के निकट जल एक निर्मूल्य वस्तु है परन्तु एक नगर में नहीं। रॉबिन्स (Robbins) द्वी में हम यह निर्णय दे सकते हैं कि "वस्तुओं में उनके मनुष्य के सम्बन्ध से पृथक् लक्षण नहीं है जो उन्हें आर्थिक वस्तु बना सके एक विशेष वस्तु या विशेष सेवा आर्थिक वस्तु है या नहीं यह पूर्णतया मूल्य पर निर्भर है।"

एक देश की समृद्धि निर्मूल्य वस्तुओं की मात्रा से मापी जाय अथवा आर्थिक वस्तुओं मात्रा से? "यह कथन विरोधाभास-सत्ता प्रतीत होगा कि एक सम्प्रदाय धन के रूप तनी आर्थिक वस्तुएँ रखता है उतना ही वह कम समृद्धिशाली है" (ग्रिजिंग)। यह

इसलिए है कि सम्प्रदाय का कल्याण केवल धन अर्थात् दुर्लभ अथवा आर्थिक वस्तुओं पर ही निर्भर नहीं है। निर्मूल्य वस्तुएँ मानवीय कल्याण के लिए स्वयं सहायक हैं। यदि इस वर्ग में अधिक वस्तुएँ हैं तो मानवीय कल्याण और विस्तारपूर्वक फैलेगा। यदि दूसरी ओर आर्थिक वस्तुओं का घेरा और विस्तृत होता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि वे वस्तुएँ जो पहले बिना मूल्य मिल सकती थीं अब भुगतान द्वारा ही मिल सकेंगी। स्पष्ट रूप से इसका अर्थ यह है कि मानवीय कल्याण कम होगा।

२ उपयोगिता (Utility)—हमने ऊपर देखा है कि प्रत्येक 'वस्तु' अथवा माल का एक गुण है जिससे मनुष्य की आवश्यकता की सन्तुष्टि होती है। अर्थशास्त्र में यह आवश्यकता—सन्तुष्टि करने की शक्ति, उपयोगिता कहलाती है। प्रत्येक वस्तु जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकता की सन्तुष्टि करती है, उपयोगिता रखती है। उपयोगिता किसी वस्तु का प्रयोग मूल्य (value-in-use) है।

जब हम यह कहते हैं कि आम की उपयोगिता १० इकाई (units) है और एक पेस्ट्री के टुकड़े की ७ इकाई तो हम केवल अपना अधिमानमाप (scale of preference) घोषित करना चाहते हैं और इन दो वस्तुओं के उपभोग से अपनी सन्तुष्टि की सापेक्ष-मात्राएँ प्रकट करना चाहते हैं। अतएव उपयोगिता केवल एक रुढ़िगत प्रतिनिधित्व (conventional representation) अथवा किसी आत्मपरक (subjective) वस्तु का वस्तुपरक (objective) भाव अर्थात् अपने अधिमान (preference) की मात्रा है।

प्रत्येक वस्तु में कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं जिसके कारण वह मनुष्य की एक आवश्यकता की तृप्ति करती है। परन्तु जब हम उपयोगिता का वर्णन करते हैं तो हमारा सम्बन्ध वस्तु के इस प्रकार के आन्तरिक गुणों से नहीं है। दूसरी ओर हम वस्तु का एक व्यक्ति की आवश्यकता के सम्बन्ध में विचार करते हैं। उदाहरणार्थ एक सिगरेट में स्वयं ही में कुछ गुण होते हैं जिनके कारण वह एक मानवीय आवश्यकता की तृप्ति के योग्य है। परन्तु एक न पीने वाले के लिये यह बेकार है। अतएव उपयोगिता आत्मपरक और सापेक्ष (relative) है। आत्मपरक होने के कारण यह व्यक्ति-व्यक्ति में भिन्न होती है। एक घोड़े की उस मनुष्य के लिये जो उस पर सवार नहीं हो सकता और एक चित्र की उसके लिये जो उसे देख नहीं सकता कोई उपयोगिता नहीं है। एक मनुष्य जिसको न सगीत के प्रति रुचि है और न कला के प्रति प्रेम, वह किसी की भी प्रशंसा नहीं कर सकता। चैपमैन (Chapman) के शब्दों में, "बाह्य वस्तुएँ (external goods) केवल आन्तरिक वस्तुओं (internal goods) के सम्बन्ध में ही वस्तुएँ हैं।"

उपयोगिता केवल व्यक्ति-व्यक्ति ही से भिन्न नहीं होती। यह एक ही व्यक्ति के लिए भिन्न समय पर भिन्न हो सकती है। रुचि, ऋतु अथवा फैशन में परिवर्तन और विज्ञापन अथवा प्रचार किसी वस्तु अथवा किसी सेवा की उपयोगिता पर प्रभाव डाल सकते हैं।

उपयोगिता और सन्तुष्टि (satisfaction) में अन्तर किया जा सकता है। उपयोगिता वस्तु की सन्तुष्टि देने वाली शक्ति को कहते हैं। सन्तुष्टि वह है जो हमें प्राप्त

होती है, यह उपयोगिता का परिणाम है। यदि किसी वस्तु में उपयोगिता है तो यह हमें सतुष्टि प्रदान करती है।

उपयोगिता और हित (usefulness) में और अधिक महत्वपूर्ण अन्तर है। साधारण बोलचाल में दोनों शब्दों के अर्थ में प्रायः गड़बड़ी हो जाती है और वे पर्यायवाची शब्दों की भाँति प्रयोग किये जाते हैं। यदि कोई वस्तु उपयोगी है तो यह आवश्यक नहीं कि वह हितकर भी है। घूम्रपान करना हितकर नहीं है, शराब पीना अथवा अन्य मादक वस्तुओं का प्रयोग अहितकर है परन्तु अर्थशास्त्री की दृष्टि में सिगरेट, शराब तथा अन्य एसी वस्तुओं में केवल इस कारण उपयोगिता है कि मनुष्य इनके लिये भुगतान करने को तैयार रहते हैं। क्योंकि ये उनकी आवश्यकताओं की तृप्ति करती हैं। अर्थशास्त्री वस्तुओं को एक नीतिज्ञ के दृष्टिकोण से नहीं देखता। जब वह यह देखना चाहता है कि कोई वस्तु उपयोगिता रखती है अथवा नहीं, वह नीति के विचारों से प्रभावित नहीं होता। उसकी कसौटी यह है कि “क्या यह मनुष्य की आवश्यकता-तृप्ति करती है? कोई मनुष्य इसको अपने उपभोग में लाने के लिये भुगतान करने को तैयार है अथवा नहीं?” यदि है तो इसका उपभोग चाहे जितना भी हानिकारक हो उस वस्तु में उपयोगिता होगी। अतएव उपयोगिता शब्द का कोई नैतिक अभिप्राय नहीं है।

यह भी कहा जा सकता है कि “उपयोगिता” शब्द का सम्बन्ध केवल उपभोक्ता की वस्तुओं से है उत्पादक की वस्तुओं से नहीं। साइकिल की उपयोगिता उसके लिये है जो उसका प्रयोग करता है। यह उसे सतुष्टि प्रदान करती है। परन्तु यत्र जिनका प्रयोग साइकिलें बनाने में हुआ है निर्माता (manufacturer) को कोई सतुष्टि नहीं देते। वह केवल लाभ से ही प्रेरित होता है और यत्र से उसे कोई आत्मिक सतुष्टि नहीं मिलती। उपयोगिता का सम्बन्ध आत्मिक सतुष्टि से है और किसी अन्य भाव में सतुष्टि से नहीं।

३ मूल्य (Value)—‘मूल्य’ दूसरा शब्द है जो अर्थशास्त्र के अध्ययन में प्रायः गड़बड़ी डालता है। एडम स्मिथ के शब्दों में “मूल्य शब्द के दो भिन्न अर्थ हैं और कभी-कभी यह विशिष्ट पदार्थ की उपयोगिता तथा कभी-कभी अन्य वस्तुओं की वह ऋण-शक्ति जो उस पदार्थ के अधिकार से प्रकट है, स्पष्ट करता है।” किन्तु मूल्य शब्द का आधुनिक प्रयोग एडम स्मिथ के प्रयोग से भिन्न है।

अब अर्थशास्त्री ‘मूल्य’ शब्द का प्रयोग केवल एक ही विचार से करते हैं। एडम स्मिथ द्वारा बनाये हुए शब्द के पहले प्रयोग अर्थात् प्रयोग-मूल्य (value-in-use) के लिए वे ‘उपयोगिता’ शब्द प्रयोग करते हैं। मूल्य शब्द केवल दूसरे विचार में ही अर्थात् विनिमय मूल्य (value-in-exchange)—वास्तविक अथवा सभावित (actual or potential) भाव में प्रयोग किया जाता है।

किसी वस्तु के मूल्य का अर्थ केवल यह है कि कितनी अन्य वस्तु अथवा वस्तुएँ इसके विनिमय (exchange) से प्राप्त हो सकती हैं। किसी वस्तु के अपने विनिमय से दूसरी वस्तुओं को प्राप्त करने की शक्ति को मूल्य कहते हैं। यदि एक फाउन्टेनपैन का आपकी दो पुस्तकों से विनिमय हो सकता है तो उसका मूल्य दो पुस्तकों के बराबर होगा। जब मूल्य द्रव्य के रूप में व्यक्त किया जाता है तो कीमत कहलाता है।

क्या मूल्यों अथवा कीमतों में सामान्य वृद्धि हो सकती है ? (Can there be a general rise in values or prices ?) — मूल्य सापेक्ष है। हम किसी वस्तु के मूल्य को निरपेक्ष (absolute) रूप में नहीं कह सकते। उदाहरणार्थ हम यह नहीं कह सकते कि किसी विशिष्ट वस्तु का मूल्य अधिक है जब तक साथ ही यह न जानें कि कितनी वस्तुएँ यह अपने विनिमय से प्राप्त कर सकती हैं। सैमुएल वेले के शब्दों में, “एक वस्तु स्वयं बिना किसी अन्य वस्तु से सम्बन्ध के उसी प्रकार मूल्य नहीं रख सकती जिस प्रकार एक वस्तु बिना अन्य वस्तु के सम्बन्ध से उससे दूर नहीं हो सकती।” अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल्यों में सामान्य वृद्धि नहीं हो सकती, जबकि कीमतों में सामान्य वृद्धि हो सकती है।

हमें यह समझ लेना चाहिए कि मूल्यों में सामान्य वृद्धि क्यों नहीं हो सकती ? उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार एक फाउन्टेनपैन दो पुस्तकों के बराबर है। यदि फाउन्टेनपैन के मूल्य में वृद्धि होती है तो यह पहले की अपेक्षा अधिक पुस्तकों विनिमय में प्राप्त करेगा। दूसरे शब्दों में पुस्तकों का मूल्य कम हो जायगा। दोनों वस्तुओं के मूल्यों में साथ-साथ वृद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार चूँकि मूल्य सापेक्ष है, अतएव समस्त वस्तुओं के मूल्यों में एक ही समय में वृद्धि नहीं हो सकती अर्थात् मूल्य में सामान्य वृद्धि नहीं हो सकती।

परन्तु कीमतों में सामान्य वृद्धि हो सकती है जैसा कि युद्धकाल में हुआ। प्रत्येक वस्तु की कीमतें चढ़ गईं। यहाँ समीकरण (equation) के दो पक्ष हैं, वस्तुओं का पक्ष (Money side) तथा द्रव्य का पक्ष (Goods side)। इस दशा में वस्तुओं के पक्ष में वृद्धि हो गई है जब कि द्रव्य के पक्ष अर्थात् (द्रव्य के मूल्य) में कमी हो गई है। अतएव जब कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। किन्तु द्रव्य का मूल्य घट जाता है। इस प्रकार कीमतों में सामान्य वृद्धि हो सकती है परन्तु मूल्यों में नहीं।

४ धन (Wealth) — इस विषय में अत्यधिक मतभेद है कि धन क्या है और क्या नहीं। भाग्यवश इस मौलिक विचार के स्वरूप के विषय में अब एक सामान्य मत है। जब भी ‘धन’ शब्द हमारे सम्मुख आता है तो हम फौरन नकदी, भूमि, इमारतों, यन्त्र, लकड़ी के सामान, वधकाधिकारों (mortgage rights), सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities), स्टॉक तथा शेयर्स (Stocks and Shares) आदि का विचार करते हैं ?

अब यदि हम इन ‘वस्तुओं’ के स्वरूप को सामान्य रूप देने का प्रयत्न करें तो हमें ज्ञात होगा कि वे सब ऐसे पदार्थ हैं जिनकी मनुष्य इच्छा करता है। उनकी आवश्यकता इसलिये होती है कि वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में मानवीय आवश्यकताओं की तृप्ति कर सकते हैं। संक्षेप में उनमें उपयोगिता है। अतएव किसी वस्तु को ‘धन’ कहने से पूर्व हम एक गुण जो वस्तुओं में अवश्य होना चाहिए निश्चित कर सकते हैं।

परन्तु इस विषय पर और विचार करने पर हम यह देखेंगे कि धन की निश्चित कसौटी केवल उपयोगिता होना ही नहीं है। वायु में अत्यधिक उपयोगिता होती है। किन्तु क्या यह धन है ? क्या कोई मनुष्य इसके लिये भुगतान करता है ? नहीं। यह धन नहीं

है। हम इस प्रकार की अनेक 'वस्तुओं' को स्मरण कर सकते हैं जैसे धूप, सागर के किनारे की रेत, प्राकृतिक स्रोतो से निकला हुआ जल आदि। वे धन नहीं हैं क्योंकि वे असीमित मात्रा में हैं। अतएव सीमित होना अथवा दुर्लभता धन का दूसरा आवश्यक गुण है।

एक और भी गुण आवश्यक है अर्थात् हस्तातरित साध्यता (transferability) अथवा विक्रय-शक्ति (marketability)। जब तक हम वस्तुओं पर अधिकार न कर सकेंगे उनका कोई मूल्य न होगा। बिना हस्तातरित साध्यता के अधिकार असंभव है। जब तक किसी वस्तु का विनिमय न हो सके तब तक वह अधिकारी के लिए धन नहीं हो सकती। वस्तु का स्वयं हस्तातरण होना आवश्यक नहीं है केवल अधिकार का हस्तातरण होना यथेष्ट है। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक नहीं है कि वस्तुओं का वास्तव में विक्रय हो। उदाहरण के लिये सार्वजनिक पार्क, पुस्तकालय, स्कूल, अस्पताल आदि धन हैं यद्यपि उनका क्रय-विक्रय नहीं होता।

सारांश यह है कि धन के तीन आवश्यक गुण हैं—(1) उपयोगिता, (11) पूर्ति में दुर्लभता अथवा सीमित होना, तथा (111) हस्तातरित साध्यता अथवा विक्रय शक्ति।

धन की उपर्युक्त परिभाषा आर्थिक वस्तुओं के समानार्थ है क्योंकि वे उपयोगिता रखती हैं, सीमित हैं तथा हस्तातरणीय (transferable) हैं। जे० एन० कीन्स के शब्दों में "धन के अन्तर्गत मानवीय आवश्यकताओं की तृप्ति के समस्त प्रभावयुक्त विनिमयशील साधन हैं।" प्रत्येक वस्तु जिसमें विनिमय-मूल्य (value-in-exchange) (सक्षेप में मूल्य) है वह धन है।

हमको एक प्रश्न पर बल देना चाहिये। धन एक सापेक्ष शब्द है। यह वस्तुओं का मनुष्य से सम्बन्ध है जो उन्हें धन बनाता है। ऐसी अनेक वस्तुएँ हैं जिनका मनुष्य जाति के लिए कभी कोई उपयोग न था। वे निर्मूल्य वस्तुएँ थी और धन नहीं। उद्योग के अनेको उपोत्पाद (bye-products) कूड़े की भाँति फेंक दिये जाते थे। अभी हाल ही में भारत में शक्कर के कारखानों में शीरा इतना एकत्रित हो गया था कि वे इस वेकार पदार्थ से छुटकारा पाने के लिये कुछ भुगतान करने को तत्पर थे। शराब खींचने के कारखानों के स्थापित होने से वह धन बन गया। कालिदास के नाटक एक जगली मनुष्य के लिए धन नहीं है। रॉबिन्स के शब्दों में "धन अपने सारपूर्ण गुणों के कारण धन नहीं है। यह दुर्लभ होने के कारण धन है।"

धन के इस अभिप्राय में समस्त भौतिक तथा अभौतिक पदार्थ और उनके प्रयोग से उत्पन्न होने वाले अधिकार तथा लाभ और साथ ही सब प्रकार की सेवाएँ, यदि उनमें विनिमय मूल्य है, उसके अन्तर्गत होती हैं। प्रेम, मित्रता तथा चरित्र जैसी अत्यन्त प्रगमनीय वस्तुएँ धन की परिभाषा के बाहर केवल इस कारण हैं कि उनका क्रय-विक्रय नहीं हो सकता।

अब हमें कुछ प्रकार की वस्तुओं को इन कमीटियों पर रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या वे धन हो सकती हैं। हमें एक बार फिर सावधानी से विचार करना चाहिये। हम अन्वविश्वास से यह नहीं कह सकते कि यह धन है और वह धन नहीं। एक वस्तु कुछ दशाओं में, किसी निश्चित स्थान पर अथवा किसी निश्चित समय में धन हो

सकती है और अन्य प्रकार की दशाओ में पूर्णतया धन नहीं होती। उदाहरणार्थ साधारण-तया वायु धन नहीं है, किन्तु भूमि के नीचे के कमरो में जहाँ उसकी प्राप्ति के लिए द्रव्य व्यय करना पड़ता है वह धन हो जाती है।

निम्नलिखित पर विचार कीजिये —

वैयक्तिक गुण (Personal Qualities)—क्या शल्यचिकित्सक (सर्जन) की कुशलता, वकील की तर्क चतुराई, मनुष्य की वृद्धि तथा योग्यता धन है ? यह वैयक्तिक योग्यताएँ धन का स्रोत हैं। हम सर्जन को उसकी कुशलता के लिये अदा करते हैं। उसने कदाचित् इसकी प्राप्ति के लिये काफी पैसा तथा मेहनत की होगी। किन्तु वैयक्तिक गुण धन नहीं माने जाते। वे हस्तातरणीय नहीं हैं अतएव विनिमयशील नहीं हैं। जब हम सर्जन को उसकी सेवा के लिये अदा करते हैं तो हम उसकी कुशलता को नहीं खरीदते। उसकी कुशलता उसके शरीर से अलग नहीं की जा सकती। धन में हम यह नहीं देखते कि एक मनुष्य के अन्तर्गत क्या है। उसमें हम यह देखते हैं कि वह अपने से बाहर क्या रखता है ? किन्तु ऐसे गुण शिष्टाचार के नाते वैयक्तिक धन (personal wealth) कहे गये हैं।

वैयक्तिक सेवाएँ (Personal Service)—क्या डाक्टर, वकील, अध्यापक, घरेलू नौकर इत्यादि की सेवाएँ धन हैं ? हा, वे धन हैं। वे मानवीय आवश्यकता की सतुष्टि कर सकती हैं तथा इसलिये उपयोगिता रखती हैं, वे दुर्लभ हैं और विनिमयशील हैं। वे पैसे के एवज की जाती हैं।

द्रव्य (Money)—द्रव्य स्वयं क्या है ? यह कहा जाता है कि द्रव्य केवल एक विनिमय का माध्यम है। स्वयं इसका कोई मूल्य नहीं होता। अब यह विचार गलत है। धातवीय द्रव्य (metallic money) आसानी से धन माना जा सकता है। इसमें आन्तरिक (intrinsic) मूल्य है और यह दुर्लभ तथा विनिमयशील है। परन्तु कागजी द्रव्य (paper money) भी धन है। यह क्रय-शक्ति (purchasing power) रखता है तथा यह उन वस्तुओं तथा सेवाओं का संग्रह प्रस्तुत करता है जिसे द्रव्य रखने वाला खरीद सकता है। निस्सदेह द्रव्य का विनिमय-मूल्य (value-in-exchange) है और प्रत्येक वस्तु जिसका विनिमय मूल्य है वह धन है।

प्रतिष्ठा (Goodwill)—यह अस्पृश्य है। किन्तु यह अवश्य ही धन है। बाजार में इसकी कीमत होती है। एक फर्म (firm) जिसने अधिक परिश्रम करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली है अवश्य ही इसे व्यवसाय के स्वामित्व को किसी अन्य को सौंपते समय द्रव्य में बदल सकती है।

उपाधियों के प्रलेख (Documents of Title)—ऐसे अनेक प्रकार के प्रलेख हैं जिन्हें उनके स्वामी धन मानते हैं, उदाहरणार्थ, चेक, विनिमय-पत्र (Bills of Exchange), प्रतिज्ञा-पत्र (Promissory Notes), वहन-पत्र (Bills of Lading), राज्य बंध (Govt Bonds), परम प्रतिभूतिया (Gilt-edged Securities), स्टॉक तथा शेयर प्रमाण-पत्र, (Stock and Share Certificates) इश्योरेंस पॉलिसिया (Insurance Policies), भूमि तथा

ओर फिर एक धनवान समाज अवश्य ही एक उन्नतिशील समाज का वास्तविक रूप नहीं है। इसके विपरीत घोर भौतिकवाद के इस युग में धनी वर्ग संपूर्ण समाज में पाई जाने वाली समस्त भ्रष्टता पर सर्वाधिकार करता हुआ प्रतीत होता है। धन मनुष्य की आत्मा में विष घोलता है, कुमार्ग पर ले जाता है तथा भ्रष्ट करता है। गोल्डस्मिथ के उचित कथनानुसार,

“डूब ही जायेगा वह देश हो न जिसमें आचार विचार
जहाँ धन सचय ही हो मुख्य और मानव गौरव निस्सार”

“Ill faces the land, to hastening ills a prey
Where wealth accumulates and men decay”

व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो धन है, यह हो सकता है कि वह समाज के दृष्टिकोण से धन न हो। उदाहरणार्थ एक ठग समाज का हित किये बिना ही द्रव्य प्राप्त कर सकता है। बहुधा निजी धन (private wealth) और सार्वजनिक कल्याण (public welfare) में भिन्नता होती है। कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो गम्भीरतापूर्वक विश्वास करते हैं कि एक धनी पुरुष के स्वर्ग में प्रवेश करने की अपेक्षा एक ऊँट के लिए सूई के नोक से निकलना सरल है। अतएव यह कहा जा सकता है कि धन और कल्याण में कोई सांसारिक सम्बन्ध नहीं हो सकता।

परन्तु ऐसा नहीं है। कदाचित् हम ने धन का अनचित निराशावादी रूप में चित्रण किया है। जहाँ हम ने इसके भ्रष्ट करने वाले प्रभावों का वर्णन किया है, हमें इसकी हितकारी प्रबलता को भी अवश्य स्वीकार करना चाहिये। सब इसके उपयोग के ढग पर निर्भर है। एक धनी पुरुष निस्संदेह अपना कुटुम्ब का अच्छा जीवन स्तर (standard of living) स्थापित रखने के लिए सहायक हो सकता है तथा इस प्रकार अपना भौतिक कल्याण बढ़ा सकता है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि वह अपने से कम भाग्यशाली भाइयों की सहायता कर सकता है।

आधुनिक काल में उत्पादन के स्थान पर वितरण पर अधिक जोर दिया जाता है क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि सम्प्रदाय का कल्याण केवल कुल धन पर ही निर्भर नहीं है किन्तु उसके समान वितरण पर भी है। न्यूनतम मजदूरी (minimum wage) प्रणालियाँ प्रचलित कर दी गयी हैं, कुसीद (usury) के विरुद्ध कानून पास किये गये हैं, लाभ सीमित करने के प्रयत्न किये गये हैं।—यह सब इसको निश्चित करने के लिये किया गया है कि धन से मानवीय कल्याण के प्रति अधिकाधिक लाभांश (dividends) प्राप्त किये जावें।

सार्वजनिक वित्त (public finance) में आधुनिक प्रवृत्तियाँ देखिये—धनिकों पर तीव्र उत्तरोत्तर कर (steeply progressive tax), श्रेष्ठ चिकित्सा सहायता, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें तथा सार्वजनिक पार्क, अजायबघर, पुस्तकालय आदि जैसे अन्य सामाजिक वस्तुओं के साधन आदि के रूप में गरीबों के लिए अधिकतम सुविधाओं का प्रवन्ध। ऐसे सब प्रयत्न स्पष्ट रूप में यह बताते हैं कि धन मानवीय कल्याण को बढ़ाने का एक प्रबल तथा कुछ के अनुसार एकमात्र प्रभावी साधन है। धन और कल्याण

मे अति निकट सम्बन्ध है ।

निर्देश पुस्तके

Robbins, L —Nature and Significance of Economic Science.

Marshall, A —Principles of Economics

Wootton, B —Lament of Economics

Pigou, A.C —Economics of Welfare

Fraser, L M —Economic Thought and Language (1937), Ch.

IV & V

Stigler, G J.—Theory of Price(1949), Ch. II

है। चूक गरीब लोग अमीरो की अपेक्षा अपनी आय का अधिक भाग उपभोग करते हैं, इसलिये यदि हम उपभोग बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अमीरो पर कर लगाना चाहिए और यदि घटाना चाहते हैं तो गरीबो पर कर लगाना चाहिए।

३ मानवीय आवश्यकताएँ (Human Wants)—उपभोग का अध्ययन मानवीय आवश्यकताओं से जुड़ा है। यह कहा जाता है कि मनुष्य इच्छाओं की एक गठरी है। “एक सामान्य मनुष्य के जीवन का इतिहास अपूर्णता के निरंतर भाव का अभिलेख है।” यह एक स्वर्णपूर्ण काल्पनिक प्रदेश की ओर दौड़ है तथा मृत्युवृत्ता है। कुछ मनुष्य इसको “दैवी असतुष्टि” मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्धिमान् परमेश्वर ने असतुष्टि निर्दिष्ट कर दी है ताकि मानवीय आनन्द तथा उत्साह के स्रोत सूख न जायें। स्टीवेन्सन का यह कथन है कि “लालसा सर्वदा ही आनन्द है।” “Aspiration”, says Stevenson “is a joy for ever” लेकिन यह तो एक स्पष्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए इच्छाओं में वृद्धि वाछनीय है अथवा नहीं। इच्छाओं का प्रपना महत्त्वपूर्ण लक्षण है। आवश्यकतायें अमीम हैं। हमारी कुछ आवश्यकतायें सचेत रूप से प्रतीत होती हैं। परन्तु उनकी अधिक संख्या हमारे अन्दर प्रायः अचेत रूप से ठाई जाती है। यद्यपि प्रत्येक मानवीय इच्छा को पूरा करना सम्भव नहीं है, परन्तु किसी इच्छा विशेष को पूरा किया जा सकता है। जब हम किसी आवश्यकता की तृप्ति कर लेते हैं तो दूसरी प्रत्यक्ष हो जाती है और उसका स्थान ले लेती है।

मानवीय आवश्यकताओं का यह लक्षण सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम (diminishing marginal utility) का आधार है। क्योंकि प्रत्येक आवश्यकता तृप्य है, इसलिये जैसे-जैसे उपभोग प्रगतिशील होता जाता है, वैसे ही हमारी सतुष्टि क्रम से घटती जाती है।

आवश्यकताएँ पूरक होती हैं (Wants are Complementary) इसका अर्थ यह है कि एक आवश्यकता की पूर्ण तृप्ति करने में हमें अनेक वस्तुओं की एक-साथ आवश्यकता होती है। घोड़ा और गाड़ी, चरमे का शीशा और उसका फ्रेम, फाउन्टेन-पैन तथा स्याही आदि की साथ-साथ आवश्यकता होती है। वास्तव में केवल अकेले माग बहुत कम होती है। प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता माग की प्रणाली का एक भाग है। इमें वस्तुओं की सामूहिक (group) रूप में आवश्यकता होती है।

आवश्यकताओं में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है (Wants are Competitive) उपलब्ध साधनों के अनुसार ही हमारी इच्छाएँ सीमित होती हैं। इसलिए हमको चरण (choice) करना ही पड़ता है। हम कॉफी हाउस, सिनेमा देखने, खेल-फुट अथवा दगल देखने, किताब खरीदने आदि जाना चाहते हैं। इससे एक सिद्धान्त निकलता है जिसको प्रतिस्थापना नियम कहते हैं (law of substitution)।

कुछ आवश्यकताएँ वैकल्पिक होती हैं (Some Wants are Alternative)—कभी-कभी एक विशिष्ट आवश्यकता की तृप्ति के लिए हमारे सामने भिन्न-भिन्न वैकल्पिक साधन होते हैं। जब हम कुछ पीना चाहते हैं तो हम चाय, कॉफी अथवा कोको पी सकते हैं।

आवश्यकतायें द्वारा उत्पन्न हो जाती हैं (Wants Recur). बार-बार की सतुष्टि उसको स्वभाव में परिणत कर देती है ।

४ अनिवार्यताएं, सुविधाएं तथा विलासिताएं (Necessaries, Comforts and Luxuries)—आवश्यकताओं की सतुष्टि के लिए जो वस्तुएं काम में लाई जाती हैं उनका वर्गीकरण अनिवार्यताओं, सुविधाओं तथा विलासिताओं में किया जा सकता है । “अनिवार्यताओं” से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं और सेवाओं से है जिनकी आवश्यकताओं की तृप्ति अवश्य होनी चाहिये । अनिवार्यताओं का वर्गीकरण इस प्रकार है (१) जीवनरक्षक अनिवार्यतायें (necessaries for life)—जिनका अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो जीने के लिए नितान्त आवश्यक हैं, (२) कार्य-कुशलता के लिये अनिवार्यताएं (necessaries for efficiency)—वे हैं जो हमारी कार्यकुशलता में वृद्धि करती हैं, उदाहरणार्थ मेज, कुर्सी तथा एक विद्यार्थी के लिये टेबल लैम्प आदि । उनके प्रयोग से होने वाला लाभ लागत से अधिक है ; (३) हृद्दिगत अनिवार्यताएं (conventional necessities)—कोई व्यक्ति मादक वस्तु तम्बाकू अथवा शराव के वशीभूत हो गया हो ; अथवा उसको एक ऐसा व्यय करना हो जिसकी समाज उससे आशा करता है, उदाहरणार्थ, विवाह और अन्य सामाजिक सत्कारों पर व्यय, उसको प्रचलित पोशाक पहननी पड़ती है ।

सुविधाएं (comforts). वे वस्तुएं तथा सेवाएं हैं जिनका एक व्यक्ति अपने आपको सुखी बनाने के लिए अनिवार्यताओं के अतिरिक्त उपभोग करता है, उदाहरणार्थ, गर्मी में बिजली का पखा तथा जाडों में हीटर, मोटी गद्देदार कुर्सिया अथवा पलंग, कई नौकर आदि । निस्संदेह ये वस्तुएं भी निजी कार्यक्षमता को तो बढ़ाती हैं परन्तु व्यय के अनुपात में नहीं ।

विलासिताएं (luxuries) एक विशिष्ट साधनों के उपयोग अथवा जीवन स्तर के बाहर मनुष्य जो व्यय करता है उस पर विलासितायें प्रकाश डालती हैं । यह व्यय व्यय है । ऐली (Ely) के अनुसार विलासिताओं की परिभाषा अत्यधिक निजी उपभोग है । उनका कथन है कि “साधारण भाव में विलासिता का अर्थ कोई भी वह वस्तु है जो व्यय की आवश्यकताओं की सतुष्टि करे ।”

हम “विलासिता” को अनुचित उपभोग से सम्बद्ध करते हैं । परन्तु कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो विलासिताओं के उपभोग का समर्थन करते हैं । यह कहा जाता है कि विलासितायें सकटकाल के लिये व्यवस्था करती हैं । उदाहरणार्थ, आपत्तिकाल में आभूषण तथा हीरे-जवाहरात ही उनके एकमात्र सहायक होते हैं । इसके अलावा, विलासिताओं के उपभोग की इच्छा मानवीय प्रयास को प्रोत्साहन देती है । विलासिताओं का प्रयोग मनुष्य की रुचि बढ़ाता है, यह मनुष्य को शिष्ट तथा सभ्य बनाता है । यह जीवन में परिवर्तन करके उसे आनन्ददायक तथा परिपूर्ण बना देता है । विलासिताओं के कारण रोजगार मिलता है ।

परन्तु यह तर्क ठीक नहीं है । मनुष्यों को अपनी आय का अपनी इच्छानुसार व्यय

करने का अधिकार हो सकता है, परन्तु वह अपने को असामाजिक तथा चरित्रहीन व्यवहार के लिये सामाजिक धृणा में नहीं बचा सकता। जहाँ तक काम प्रदान करने का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि उसी व्यय से अधिक तथा अच्छे काम की व्यवस्था की जा सकती है, और इससे समाज को भी लाभ हो सकता है। यह सब होते हुए भी विलासिताओं पर व्यय करना प्रशंसनीय नहीं है।

परन्तु 'विलासिताये' 'अनिवार्यताए' तथा 'सुविधाए' सापेक्ष शब्द हैं। वही वस्तु किसी मनुष्य के लिये विलासिता हो सकती है और दूसरे के लिये अनिवार्यता। एक रईम के लिये जो निकट स्थान पर रहता हो, मोटर विलासिता है, परन्तु एक लीन व्यवसायी, मन्त्री अथवा उच्च अधिकारी के लिए ऐसा नहीं है।

५ जीवन-स्तर (Standard of Living)—अनिवार्यताए, सुविधाए तथा विलासिताए जिनके उपयोग का कोई व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है, जीवन-स्तर बनाती हैं। यह स्तर विभिन्न प्रभावों का परिणाम है। कुछ अंशों में हम अपना जीवन-स्तर अपने माता-पिता से ग्रहण करते हैं और तब हम उमें अपनी रुचि, शिक्षा, अनुभव, सामाजिक वातावरण तथा अनुकरण की प्रेरणा के अनुसार बना लेते हैं।

एक समुदाय का जीवन-स्तर ऊँचा रखा जा सकता है तथा उसकी उन्नति हो सकती है, यदि—

(क) उपयोग के लिए प्राप्त कोई भी आर्थिक स्रोत बेकार न रहे,

(ख) उपलब्ध आर्थिक स्रोतों को उन पदार्थों के उत्पादन में लगाया जाय जिनकी उपभोक्ता को अधिक जरूरत है,

(ग) समुदाय की आय व्यक्तियों में इस तरह विभाजित की जाय जिससे राष्ट्रीय आय (national income) से अधिकाधिक मनुष्य प्राप्त हो, तथा

(घ) समस्त जनसंख्या तथा पूँजी का कुल सग्रह उचित मात्रा में पर्याप्त हो।

ऐंजिल के उपभोग नियम को परिवारों के जीवन-निर्वाह-स्तर अथवा पारिवारिक आय-व्यय के आधार पर रचा गया है। अर्नेस्ट ऐंजिल प्रशा (Prussia) के सांख्यिकीय कार्यालय का अध्यक्ष था। उसने निम्नलिखित मुख्य परिणाम इस बारे में निकाले

(१) जैसे-जैसे आय बढ़ती है भोजन तथा जीवन की अन्य अनिवार्यताओं पर प्रतिशत व्यय घटता जाता है और इसके विपरीत भी सच है।

(२) आय के बढ़ने पर विलासिताओं पर तथा अन्य सांस्कृतिक और मनोरंजक आवश्यकताओं पर प्रतिशत व्यय बढ़ता जाता है और आय घटने पर घटता है। कम आय में प्रायः लुप्त हो जाता है।

(३) निवास-स्थान का किराया, ईंधन तथा प्रकाश पर प्रतिशत व्यय सब आयों में लगभग समान रहता है।

(४) कितनी भी आय हो कपड़ों पर प्रतिशत व्यय प्रायः एक-सा रहता है।

यह सावधानी से ध्यान में रखना होगा कि प्रतिशत व्यय बढ़ता-घटता है न कि कुल व्यय।

हमारे देश में पारिवारिक व्यय के सवध में गहन खोज की गई है। डा हेराल्ड मन (Dr. Herald Mann) ने दक्षिण में कुछ खोज की तथा पजाव की आर्थिक-जाच समिति ने भी इस प्रकार की विस्तृत खोज की है। [इन सब खोजों ने ऐंजिल के पिछली मध्य शताब्दी के बनाये हुए नियमों की सत्यता को निश्चित किया है, यद्यपि प्रतिशत में थोड़ा-सा अन्तर है।

अध्याय ४

उपभोग (क्रमशः)

घटती हुई उपयोगिता का नियम (Law of Diminishing Utility)

१ भूमिका (Introduction)—हमने पिछले अध्याय में 'उपयोगिता' शब्द के अर्थ का अध्ययन किया है। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु की आवश्यकता-तृप्ति की शक्ति से है। हमने यह भी देखा है कि उपयोगिता आत्मपरक है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न है। उपयोगिता का अभिप्राय न तो सतुष्टि से है और न "उपयोगिता" शब्द "हितकर" के समानार्थ है। इसका कोई नैतिक महत्त्व नहीं है। अब हम उपभोग में एक महत्त्वपूर्ण नियम जिस पर उपयोगिता आधारित है अर्थात् घटती हुई सीमान्त उपयोगिता नियम का अध्ययन करेंगे।

२ घटती हुई सीमान्त उपयोगिता का नियम (Law of Diminishing Marginal Utility)—यह नियम प्रत्येक उपभोक्ता के साधारण अनुभव से सम्बन्ध रखता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक-एक करके सेब खाना आरम्भ करता है। पहला उसको अधिक आनन्द देता है। दूसरा सेब खाने के पूर्व उसकी भूख कम हो जाती है और वह सेब, कम तीव्र आवश्यकता होने के कारण, कम सतुष्टि प्रदान करता है। तीसरे की सतुष्टि दूसरे से और चौथे की तीसरे से कम होगी और इसी प्रकार घटती जायगी। प्रत्येक क्रमिक सेब की सतुष्टि घटती जायगी यहा तक कि वही शून्य हो जायगी, और यदि उपभोक्ता को और सेब खाना पड़े तो सतुष्टि या तो निषेधात्मक (negative) हो सकती है या उपयोगिता अनुपयोगिता में परिवर्तित हो सकती है।

निम्नलिखित तालिका से यह विचार स्पष्ट हो जायगा —


(१) इकाइया (सेब)	(२) कुल उपयोगिता (सतुष्टि की इकाइया)	(३) सीमान्त उपयोगिता (सन्तुष्टि की इकाइया)
१	२०	२०
२	३८	१८
३	५३	१५
४	६४	११
५	७०	६
६	७०	०
७	६२	-८
८	४६	-१६

नोट—यह आकड़े उपयोगिता की मात्रा की व्याख्या करते हैं। यदि उपयोगिता की मात्रा में ऊपर दी हुई तालिका की भांति परिवर्तन हो तो कोई दूसरे अक

लिये जा सकते हैं।

जब हमारा कल्पित उपभोक्ता सेव खाता जाता है, प्रत्येक क्रमिक सेव के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त सन्तुष्टि घटती जाती है, यहा तक कि छठी इकाई पर शून्य हो जाती है और तब निषेधात्मक हो जाती है (देखो पक्ति ३)। कुल उपयोगिता पाचवी इकाई के उपभोग तक बढ़ती जाती है परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि यह ह्रास (decreasing) गति से बढ़ती है। चैपमैन का कथन है कि हम किसी वस्तु का जितना अधिक उपभोग करते हैं उतनी ही उसकी इच्छा कम होती जाती है। मार्शल ने इस नियम को इस प्रकार प्रस्तुत किया है —

“किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की दी हुई मात्रा में वृद्धि होने से उससे प्राप्त अतिरिक्त लाभ की मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ-साथ घटती जाती है।” हम यह भी कह सकते हैं कि उसकी मात्रा की प्रत्येक घटौती पर सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जायगी। दूसरे शब्दों में उपयोगिता राशि के विपरीत बदलती है, यद्यपि उसी अनुपात में नहीं। सीमान्त उपयोगिता के ह्रास के दो महत्वपूर्ण कारण हैं (क) प्रत्येक विशेष आवश्यकता सन्तुष्ट



रेखा चित्र न० १

होने योग्य है और (ख) वस्तुएँ एक दूसरे के लिए पूरे तौर पर एक दूसरे के स्थान पर नहीं रखी जा सकती और वे उचित अनुपात में उपभोग की जाती हैं।

का फ़ैशन हो जाता है उस पोशाक की उपयोगिता बढ़ जाती है। दूसरी ओर यदि उसका फ़ैशन चला जाता है तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है।

घटती हुई उपयोगिता का नियम दूसरे आर्थिक नियमों की भांति केवल एक प्रवृत्ति (tendency) का विवरण है। यह अनेक स्थितियों पर निर्भर है। इन स्थितियों के न होने पर यह नियम लागू नहीं होता जैसा कि ऊपर लिखे हुए अपवादों में बताया गया है।

४. घटती हुई सीमान्त प्रतिस्थापनीयता का नियम (The Law of Diminishing Marginal Substitutability) — घटती हुई सीमान्त उपयोगिता के नियम के विरुद्ध बहुत से आक्षेप लगाये गये हैं। इस तथ्य के अतिरिक्त कि उपयोगिता आत्मपरक (subjective) होने में अनुमान योग्य है। उपभोक्ता अमुक वस्तु खरीदते समय जिस सन्तुष्टि की आशा करता है वह वास्तविक अथवा पाई गई सन्तुष्टि से भिन्न हो सकती है।

और एक विशिष्ट इकाई पर जिसको सीमान्त इकाई भी कहते हैं, खरीदना बन्द कर देना, विचार-शक्ति तथा मुन्दर गणना को सूचित करता है जो एक औसत उपभोक्ता में नहीं पाई जाती।

इसके अतिरिक्त उपयोगिता के मापन के हर प्रयत्न में यह मान लिया जाता है कि मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता स्थिर रहती है, परन्तु यथार्थ में हर एक नई खरीद के साथ मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता बढ़ जाती है क्योंकि मुद्रा का सग्रह घट जाता है।

घटती हुई उपयोगिता के नियम में एक मुख्य दोष यह है कि ध्यान दूसरी वस्तुओं से हटकर एक ही वस्तु पर केन्द्रित हो जाता है। वास्तव में उपभोक्ता मुद्रा को व्यय करते समय केवल एक जुदा चीज, को ही नहीं परन्तु बहुत-सी वस्तुओं को, जिनको कि वह उससे खरीद सकता है, सोचता है। अतएव यह अधिक उचित होगा कि उपभोक्ता की मांग उसके अधिमान मापों (scales of preferences) में प्रस्तुत की जाय।^१ यह मान लिया गया है कि हम एक वस्तु को अधिक मात्रा में तभी खरीद सकते हैं जबकि हम दूसरी का बलिदान करें। एक उपभोक्ता बहुत-सी वस्तुओं की थोड़ी-सी वृद्धि की सापेक्ष उपयोगिता (relative utility) का विचार करता है और एक को दूसरे के हेतु के स्थान पर मानता है। इसलिये यह सकेत किया गया है कि घटती हुई उपयोगिता के नियम के बजाय घटती हुई सीमान्त प्रतिस्थापनीयता के नियम का उल्लेख करना ही अच्छा होगा। एक वस्तु की सीमान्त प्रतिस्थापनीयता को किसी दूसरी ऐसी वस्तु की इकाइयों की मात्रा से प्रस्तुत किया जाता है जो पहली वस्तु की कुछ इकाइयों से प्रतिस्थापन की जा सकती हो और जो उपभोक्ता को न उससे बुरी और न अच्छी दशा में छोड़ती है^२।

यदि एक उपभोक्ता एक विशिष्ट वस्तु की एक इकाई का बलिदान केवल दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा के प्रस्ताव से ही कर देने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है

१ अध्याय ५ के ३ तथा १३ विभाग देखिए।

२ See marginal rate of substitution Sec 4, Ch V

तो यह अधिक सीमान्त प्रतिस्थापनीयता प्रकट करती है। तो भी, आमतौर पर एक उपभोक्ता अपने पास की वस्तु की एक अधिक इकाई का बलिदान करने के लिये दूसरी वस्तु की कम इकाइयों से ही सतुष्ट हो जावेगा, अतएव सीमान्त प्रतिस्थापनीयता घट जावेगी। इस प्रकार घटती हुई उपयोगिता के नियम का दूसरा नाम सीमान्त प्रतिस्थापनीय नियम भी हो सकता है, और यह एक सुवार होगा, क्योंकि यह मार्शल के मुद्रा के स्थिर सीमान्त उपयोगिता (constant marginal utility of money) की धारणा तथा जेवन्स के उपयोगिता के मात्रिक सीमान्त उपयोगिता (quantitative marginal utility) से दूर हट जाता है।

५ नियम के कुछ आशय (Some Implications of the Law) - घटती हुई उपयोगिता का नियम इसलिये लागू नहीं होता क्योंकि एक वस्तु की क्रमिक (successive) इकाइयाँ हीन समझी जाती हैं। यद्यपि यह सही है कि एक इकाई हीन लक्षण की है तो इसी से तो उसकी उपयोगिता कम होगी, तो भी नियम कही अधिक मूल गुण वाला है। यह गुण से अलग है। सेव एक से ही हो सकते हैं तो भी जैसे उपभोग अधिक होगा, वैसे ही उनकी अतिरिक्त उपयोगिता घटती जायगी।

यह नियम निर्वाचन से भी अलग है। प्रत्येक क्रमिक सेव की अतिरिक्त उपयोगिता इसलिये नहीं गिरती क्योंकि हमारी इच्छा उसके स्वाद पर केन्द्रित होती है। नियम तो पूरी तौर पर लागू होगा ही, चाहे सेव के अतिरिक्त और कोई वस्तु हमारे सामने हो ही नहीं। हम कभी-न-कभी एक वस्तु से तृप्त हो जायेंगे चाहे हमारे सम्मुख कोई दूसरी वस्तु हो या न हो।

इस नियम से सिद्ध होता है कि अधिक आवश्यक इच्छाओं की सन्तुष्टि पहले की जाती है। जैसे-जैसे राशि बढ़ती जाती है, वह कम आवश्यक प्रयोगों में लगाई जाती है और उनके घटने से विधि उलटी हो जाती है।

यह नियम हर प्रकार की सन्तुष्टि में चाहे वह अच्छी हो अथवा बुरी लागू होगा। हम यह धारणा नहीं करते कि उपभोक्ता सदैव विवेकशील होता है। हम यह धारणा भी नहीं बनाते कि प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताएँ एक दृढ़ स्थिर क्रम में रखता है, यद्यपि मोटे तौर पर यह क्रम एक श्रेणी के मनुष्यों में लगभग एक-सा ही होगा।

६ सीमान्त उपयोगिता अथवा महत्व (Marginal Utility or Significance) - एक मनुष्य के क्रय का अन्त अथवा सीमा कहा है? जब एक मनुष्य कोई वस्तु खरीदता है वह सचेत अथवा अचेत रूप से यह सोच लेता है कि उसको कितनी कीमत देनी है और उसको प्रत्येक इकाई से कितनी उपयोगिता मिलती है। जब तक कि उपयोगिता और कीमत समान न हो जाय वह खरीदता ही चला जायगा। अब उपभोक्ता के माग के सिद्धान्त की मूल प्रस्तावना हमारे सामने आती है - "उपभोक्ता किसी भी वस्तु की इकाइयों के बदले में द्रव्य व्यय, 'क', उस सीमा तक करेगा जहाँ तक 'क' की अन्तिम इकाई (सीमान्त) जो वह खरीदता है, द्रव्य के रूप में उसका सीमान्त महत्व द्रव्य-मूल्य (money price) के बिलकुल समान रहता

एक माग खो देता है तो वह उसकी बहुत कम चिन्ता करता है। एक मनुष्य के द्रव्य की मात्रा में हर एक वृद्धि से उसको कम-से-कम अधिकृत आनन्द प्राप्त होता है। अतएव घटती हुई सीमान्त उपयोगिता का नियम द्रव्यों में भी लागू होता है।

६ सीमान्त उपयोगिता और कीमत (Marginal Utility and Price)—ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि सीमान्त उपयोगिता और कीमत समान होते हैं अथवा कीमत से सीमांत उपयोगिता मापी जाती है। उपभोक्ता उस समय उपभोग करना बन्द कर देता है जब कीमत और उपयोगिता समान हो जाते हैं। और यह स्तर सीमान्त उपयोगिता का स्तर है। वस्तु की समस्त इकाइया परस्पर बदलने योग्य होने से जो कुछ सीमान्त इकाई के लिए भुगतान किया जाता है वही हर एक इकाई के लिए दिया जाता है। अतएव हम कह सकते हैं कि सीमान्त उपयोगिता कीमत निर्धारित (determines) करती है। यह सीमान्त उपयोगिता है, कुल उपयोगिता नहीं, जो कीमत निर्धारित करती है, अन्यथा जल की कीमत अधिक होती और सोने की कम। वास्तव में सीमांत उपयोगिता कीमत निर्धारित नहीं करती, यह केवल उसको प्रकट करती है। निर्धारण करने वाले साधन माग और पूर्ति है। यदि कीमत में परिवर्तन होता है तो सीमान्त उपयोगिता भी बदल जाती है। इस प्रकार कीमत तथा सीमान्त उपयोगिता साथ-साथ चलते हैं।

सामाजिक सीमान्त उपयोगिता (Social Marginal Utility)—परन्तु सीमान्त उपयोगिता किसकी कीमत निर्धारित करती है? सीमान्त उपयोगिता आत्मपरक (subjective) है और प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न है, जबकि बाजार में एक ही कीमत प्रचलित रहती है। सीमान्त उपयोगिता जिससे बाजार में कीमत निर्धारित होती है, किसी व्यक्ति विशेष की उपयोगिता नहीं है वरन् समुदाय में समस्त व्यक्तियों का एक प्रकार का औसत (average) है, और सामाजिक सीमान्त उपयोगिता कहा जा सकता है। यह समस्त समाज की सीमान्त उपयोगिता है। अतएव खरीदारों की भिन्न-भिन्न आय तथा स्थितिया होने के कारण बाजार कीमत (market price) उन सबकी सीमान्त उपयोगिताओं को नहीं बताती। प्रत्येक उपभोक्ता की अलग-अलग स्थितियों का प्रभाव भिन्न-भिन्न कीमतों के भुगतान करने पर नहीं वरन् भिन्न-भिन्न मात्राओं में खरीदे जाने पर पड़ता है। इसी प्रकार सबकी सीमान्त उपयोगिताएँ समान हो जाती हैं।

सीमान्त उपयोगिता तथा पूर्ति (Marginal Utility and Supply)—सीमान्त उपयोगिता बनाना पूर्ति का काम है अर्थात् यह पूर्ति के साथ बदलती है। एक निमूल्य वस्तु जिसकी पूर्ति असीमित है, उसकी सीमान्त उपयोगिता शून्य है। केवल दुर्लभ पदार्थ की ही सीमान्त उपयोगिता वास्तविक होती है। यह पूर्ति के घटने पर बढ़ती है और उसके बढ़ने पर घटती है। जब पूर्ति अत्यधिक हो जाती है तो यह शून्य हो जाती है। अतएव सीमान्त उपयोगिता पूर्ति के विपरीत बदलती है।

सापेक्ष सीमान्त उपयोगिता (Relative Marginal Utility)—एक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता अन्य वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता से अलग नहीं है। जब हम

यह निर्णय कर रहे हो कि कौनसी वस्तु अधिक मात्रा में खरीदें और कौनसी वस्तु कम मात्रा में तो हम अन्य दूसरी वस्तुओं की, जोकि हम खरीद सकते हैं, सचेत अथवा अचेत रूप से तुलना करते हैं। इसी प्रकार एक निर्माता सदैव एक अतिरिक्त श्रमिक की सीमान्त उपयोगिता को एक यत्र की सीमान्त उपयोगिता से तुलना करता है। ऐसी तुलनाएँ निरन्तर हमारे मस्तिष्क में हुआ करती हैं और इसी प्रकार एक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता अन्य वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता से सदैव सम्बद्ध है। अतएव सीमान्त उपयोगिता निरपेक्ष (absolute) रूप में विचार नहीं की जा सकती।

यद्यपि घटती हुई सीमान्त उपयोगिता का नियम केवल एक ही वस्तु के होने पर तथा गुणानुवृत्ति (choice) न होने पर भी लागू होता है, तो भी हमको व्यवहार में कुछ-कुछ वरण करना ही पड़ता है। बहुत-सी अन्य वस्तुएँ हैं, जिन्हें हम खरीद सकते हैं। हम आम खरीदना रोक देते हैं क्योंकि हम कुछ बेर भी खरीदना चाहते हैं और हम बेर खरीदना भी बन्द कर देते हैं ताकि हम कुछ नागपाती भी ले सकें। इस प्रकार इन तीनों वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताएँ एक-दूसरे पर आश्रित हो जाती हैं। सक्षेप में सीमान्त उपयोगिता सापेक्ष (relative) है।

१० घटती हुई सीमान्त उपयोगिता के नियम का व्यावहारिक महत्त्व (Practical Importance of the Law of Diminishing Marginal Utility)—घटती हुई उपयोगिता के नियम का व्यावहारिक महत्त्व बहुत है (१) हमने देखा है कि घटती हुई सीमान्त उपयोगिता का नियम द्रव्य पर भी लागू होता है। यह करारोपण (taxation) प्रणाली के सिद्धान्त तथा व्यवहार का आधार है। इस नियम का उत्तरोत्तर कर (progressive taxation) पद्धति में जो धनी पुरुषों पर अधिक भार डालती है, सार्वजनिक वित्त (public finance) के क्षेत्र में व्यावहारिक प्रयोग है।

(२) नियम यह स्पष्ट करता है कि पूर्ति में वृद्धि होने से वस्तु का मूल्य अवश्य ही क्यो गिर जाना चाहिये। इस प्रकार यह मूल्य सिद्धान्त (theory of value) का आधार बनता है। इस भाँति सामान्य उपभोक्ता तथा व्यवसायी के हेतु उसका व्यावहारिक महत्त्व अत्यधिक है।

(३) नियम यह व्याख्या करता है कि माग वक्र नीचे की ओर क्यो गिरती है। इस नियम के कारण ही छोटी उपयोगिता की रेखायें वस्तु की रेखा अर्थात् कक्ष रेखा को बड़े भागों में काटती हैं (विभाग २ में उपयोगिता वक्र देखिये)।

(४) यह उपयोग-मूल्य (value-in-use) तथा विनिमय-मूल्य (exchange-value) की भिन्नता को भी व्याख्या करता है। वायु की अधिक उपयोगिता (उपयोग-मूल्य) है परन्तु विनिमय-मूल्य कम है, क्योंकि इसकी कोई सीमान्त उपयोगिता नहीं है।

(५) समाजवादी जब गरीबों में धन के पुनर्वितरण का समर्थन करते हैं तो इस नियम का ही आश्रय लेते हैं। धनी पुरुषों को उनके खोए हुए धन की सीमान्त उपयोगिता इतनी अधिक नहीं है जितनी कि उस धन की सीमान्त उपयोगिता गरीबों को है।

११ सीमान्त विश्लेषण (Marginal Analysis)—सीमान्त विश्लेषण का प्रयोग मूल्य तथा वितरण के सिद्धान्तों के स्पष्ट करने में किया गया है। वास्तविक जीवन में हमारा ध्यान सदैव सीमा पर केन्द्रित रहता है। यह कहावत है कि 'पेन्मो की बचत करो और पौण्ड अपनी रक्षा स्वर्ण कर लेंगे।' सीमान्त ग्राहक (marginal purchaser) ही कीमत पर प्रभाव डालता है। हम सदैव किमी वस्तु की कुछ अधिक अथवा कुछ कम मात्रा में खरीदने से प्राप्त किए हुए वस्तु लाभ की तुलना किया करते हैं। सीमा के द्वारा ही प्रतिस्थापन नियम कार्य करता है और हम अपना व्यय इम प्रकार ठीक कर लेते हैं कि हमको उसमें अधिकतम सन्तुष्टि मिले। सीमा एक स्थिर बिन्दु नहीं है। यह कीमत परिवर्तन होने से ऊपर-नीचे स्थान बदलती है।

सीमान्त विश्लेषण कुछ धारणाओं पर आधारित है जो सदा ठीक नहीं होतीं (१) यह कल्पना की गई है कि माग तथा पूर्ति कीमत में बहुत कम परिवर्तन होने से घटती-बढ़ती रही है। (२) एक वस्तु की इकाइया एक ही प्रकार की मान ली जाती है जबकि वास्तविक व्यवहार में वे भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। (३) हम मान लेते हैं कि मनुष्य अपने व्यवहार में विचार से काम लेता है हालांकि मनुष्य के सारे कार्य रीति, स्वभाव, भाव अथवा पूर्वगृह से निश्चित होने हैं। तो भी मनुष्य साधारणतया विवेक से काम लेता है। (४) सीमान्त विश्लेषण माग तथा पूर्ति के वक्र में निरन्तर होने की परिस्थिति मान लेता है। परन्तु यथार्थ में हम वस्तुओं को लगातार उपभोग नहीं करते। टिकाउ वस्तुएँ जैसे साइकिलें, रेडियो आदि एक साथ खरीदी जाती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में यह सम्भव है कि ऐसी वस्तुओं के प्रयोग से हुए लाभ को समय की इकाई के अनुसार प्रतिदिन या प्रति सप्ताह मापा जाय। (५) यह कहा जाता है कि उपभोक्ता की माग में परिवर्तन नहीं होता। (६) यह धारणा भी रहती है कि उपभोक्ता के पास द्रव्य की एक निश्चित मात्रा होती है। (७) हम यह भी धारणा करते हैं कि बहुत-से खरीदारों में से वह सिर्फ एक है।

इन विरोधों के होने हुए भी सीमान्त विश्लेषण, आर्थिक समस्याओं के विवेचन तथा सुलझाने में हितकर साबित हो रहा है। आधुनिक अर्थशास्त्री अपना ध्यान व्यक्तिगत व्यवहार से हटाकर सामूहिक अथवा बड़े पैमाने के व्यवहार की तरफ ला रहे हैं, इसे सूक्ष्म-आर्थिक (micro-economic) धारणा से भिन्न बृहन्-आर्थिक (macro economic) दृष्टिकोण कहते हैं। इस भाँति सीमान्त विश्लेषण की उपयोगिता घट गई है।

१२. क्या उपयोगिता मापी जा सकती है (Can Utility be Measured ?)—हम देख चुके हैं कि उपयोगिता किमी वस्तु की आवश्यकता की सन्तुष्टि करने की शक्ति है। यह स्वयं वस्तु के आन्तरिक गुण पर निर्भर नहीं वरन् उपभोक्ता के दृष्टिकोण पर निर्भर है। एक आम में किमी उपभोक्ता की सन्तुष्टि के लिए स्वाभाविक गुण होता है। परन्तु यदि कोई मनुष्य डाक्टरों राय से उसे खाने से वंचित है, तो उसकी उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं है। दूसरे शब्दों में उपयोगिता आत्मपरक (subjective) है।

उपयोगिता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और एक ही व्यक्ति के लिए समय-समय पर तथा भिन्न-भिन्न स्थितियों में भिन्न होती है। एक व्यक्ति अपने आप अपने मन में भिन्न-भिन्न वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना कर सकता है, परन्तु उसके पास कोई बाहरी माप नहीं जिससे कि वह एक वस्तु की उपयोगिता पूर्ण रूप से नाप सके। उपयोगिता एक ऐसी परिमाण (magnitude) नहीं है जो जोड़ी या घटाई जा सके। इसकी तुलना की जा सकती है तथा इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। हम इसकी "कमी या अधिकता" के बारे में कह सकते हैं परन्तु यह नहीं कह सकते कि कितनी अधिक या कितनी कम^१। उपयोगिता उपभोक्ता की मानसिक स्थिति प्रगट करती है।

क्या हम किसी मनुष्य की मानसिक स्थिति को माप सकते हैं? स्पष्ट रूप से नहीं। हमारे पास किसी मनुष्य की सन्तुष्टि की तीव्रता (intensity) को मापने के लिए कोई मापदण्ड नहीं है। तो भी भाग्यवश हमारे पास द्रव्य के रूप में एक सरल तथा कारगर (rough and ready) माप है। यद्यपि द्रव्य सन्तुष्टि की उचित प्रकार से माप नहीं कर सकता, फिर भी यह कम-से-कम हमको दोनों सन्तुष्टियों की तीव्रता की तुलना करने में सहायक होता है। मान लीजिए कि मेरे पास १००) है। मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ। यदि मैं दुविधा की सीमा पर हूँ कि मैं उसे खरीदूँ अथवा नहीं, और यदि मैं अपना द्रव्य बचाये रखने अथवा साइकिल के खरीदने में तटस्थ हूँ तो यह स्पष्ट है कि मैं १००) तथा साइकिल को समान महत्त्व देता हूँ। ऐसी दशा में यह कहा जा सकता है कि मेरे लिए साइकिल की उपयोगिता १००) के बराबर है। इसी प्रकार एक कमरे की उपयोगिता भी १००) के बराबर हो सकती है। इस तरह यह १००) की रकम साइकिल तथा कमरे की अथवा उस धन से प्राप्त की जाने वाली अन्य वस्तुओं अथवा दूसरी वस्तुओं की उपयोगिताओं को बराबर कर देती है जिनके लिए मैं समान धनराशि व्यय करने को तैयार हूँ। द्रव्य उपयोगिताओं को नापता हूँ। दो वस्तुओं की उपयोगिताओं में वही अनुपात होता है जो उनकी तत्सम्बन्धी वाञ्छार की कीमतों में होता है। वास्तव में, हमारा कुछ वस्तुओं के उपभोग करने का अनुभव तथा पुरानी आदत हमको दो वस्तुओं की उपयोगिताओं को द्रव्य से जुदा तुलना करने के योग्य बना देता है।

हम इच्छा (desire) को माप सकते हैं, सन्तुष्टि (satisfaction) को नहीं। यह एक और विषय है। जब मैं इस दुविधा में हूँ कि कमरा खरीदूँ या साइकिल, तो वास्तव में, मैं, आशा की जाने वाली सन्तुष्टि की तुलना, प्राप्त की जाने वाली सन्तुष्टि से करता हूँ। परन्तु हम जानते हैं कि आशा किया जाने वाला आनन्द उस आनन्द से कहीं अधिक है जो वास्तव में प्राप्त होता है। कुछ भी हो, दोनों समान नहीं होते। यहाँ भी हमारा पुराना अनुभव तथा पुरानी आदत हमारी सहायता करते हैं, और हम स्पष्ट रूप से निश्चित कर सकते हैं कि आशा की जाने वाली सन्तुष्टि कितनी होगी। परन्तु यह याद रखने योग्य है कि वह तीव्रता intensity जिससे किसी वस्तु की इच्छा होती है, उस सन्तुष्टि

से जोकि वास्तव में प्राप्त होती है, भिन्न है। मनुष्य के मापने का कोई साधन नहीं है, परन्तु इच्छा की तीव्रता द्रव्य से मापी जा सकती है। अर्थशास्त्री साधारणतया यह मानते हैं कि दोनों समान हैं।

निर्देश पुस्तके

Marshall, A —Principles of Economics

Devenport, H J —Economics of Enterprise

Benham, F —Economics

Viner, J —“The Utility Concept in Economic Theory” in the
Journal of Political Economy, 1925

Knight, F H —Risk, Uncertainty and Profit (1940), Ch III

Stigler, G J —Theory of Price, Ch I

उपभोग (क्रमशः)

प्रतिस्थापन का नियम

(LAW OF SUBSTITUTION)

१ भूमिका (Introduction)—हम यह देख चुके हैं कि आवश्यकताएँ प्रतिस्पर्धी हैं। अतएव हमको अधिक आवश्यक और कम आवश्यक आवश्यकताओं में निरन्तर चुनाव करना होता है। जब हम अपने मन में यह निर्णय कर रहे हो कि किमी वस्तु को कुछ अधिक अथवा कम मात्रा में खरीदें, तो हम वस्तु तथा द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता का सन्तुलन करने लगते हैं। परन्तु हम वास्तव में उस विशिष्ट वस्तु की सीमान्त उपयोगिता तथा उसी द्रव्य से खरीदी जा सकने वाली अन्य बहुत-सी वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताओं का सन्तुलन करते हैं। द्रव्य इस प्रकार हमारे लिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक जाने के हेतु एक पुल का कार्य करता है। इसी प्रकार प्रतिस्थापन (substitution) कार्य करता है। यह केवल एक वस्तु के लिए उमी आवश्यकता की सन्तुष्टि करने वाली दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन नहीं है, जैसे काफी के लिए चाय। परन्तु यह विलकुल भिन्न वस्तुओं का एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापन है।

२. नियम की व्याख्या (Statement of the Law)—प्रत्येक समझदार व्यक्ति अपने स्रोतों का अधिक-से-अधिक उपयोग करना चाहता है। यह इस कारण आवश्यक है कि आवश्यकताओं को देखते हुए स्रोत दुर्लभ हैं—यह वह मूल प्रस्तावना है जिससे कि हमने अर्थशास्त्र का अध्ययन आरम्भ किया था। प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है अधिक-से-अधिक सन्तुष्टि मिले। इस कारण वह कम उपयोगी वस्तु के वजाय अधिक उपयोगी वस्तु का प्रतिस्थापन करेगा। जब वह ऐसा कर चुकता है तो यह उसको ज्ञात होगा कि ऋय की प्रत्येक दशा में सीमान्त उपयोगिताएँ समान हो गई हैं।

कल्पित उपभोक्ता सचेत अथवा अचेत रूप से उस सिद्धान्त पर कार्य करता है जिसको भिन्न नामों से पुकारा गया है, जैसे प्रतिस्थापन का नियम, तटस्थता नियम (Law of Indifference), सम सीमान्त उत्पत्ति नियम (Law of Equi-marginal Returns), व्यय मितव्ययिता नियम अथवा अत्यधिक सन्तुष्टि नियम। इसको प्रतिस्थापन नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी को खरीदते हैं। अत्यधिक सन्तुष्टि नियम (Law of Maximum Satisfaction) इस कारण कहलाता है कि इसके द्वारा हम अपनी सन्तुष्टि चरमसीमा तक पहुँचा सकते हैं। यह सम सीमान्त उपयोगिता नियम इस कारण कहलाता है कि हम अत्यधिक सन्तुष्टि तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि प्रतिस्थापन की विधि द्वारा सीमान्त उपयोगिताएँ समान कर दी जाती हैं।

यह इम प्रकार होता है जबकि उपभोक्ता किसी विशिष्ट वस्तु पर कुछ द्रव्य व्यय कर चुकता है तो उसके पश्चात् उसके लिए उस वस्तु की उपयोगिता गिरने लगती है, और वह गिरनी जाती है, जब तक कि वह यह नहीं सोच लेता कि उसको अन्य वस्तु पर व्यय करने से अधिक सतुष्टि मिलेगी। वह एक स्थिति के बाद एक वस्तु के बदले में दूसरी का प्रतिस्थापन करता रहता है, यहाँ तक कि कुल द्रव्य जो वह व्यय करना चाहता था समाप्त हो जाता है। ऐसा हो जाने के पश्चात् वह सम सीमान्त उपयोगिता प्राप्त कर लेता है। वह अब किसी वस्तु पर अधिक और किसी पर कम व्यय करके कुल उपयोगिता की वृद्धि नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा कर सकता होता तो पहले ही कर लेता। कोई भी हेर-फेर उपयोगिता में लाभ की अपेक्षा अधिक हानिकारक होगा। सबसे उत्तम स्थिति वह होगी जबकि प्रत्येक व्यय की मद में उसकी सीमान्त उपयोगिता बराबर हो जाय।

जब किसी उपभोक्ता का खर्च इस प्रकार व्यवस्थापित हो जाता है, अर्थात् जब प्रत्येक दिशा में सीमान्त उपयोगिता तथा खरीद (purchases) समान होती है तो इसे उपभोक्ता की साम्यावस्था (consumers' equilibrium) कहते हैं। इस तरह उसे और माल खरीदने की इच्छा नहीं रहती। बाजार की कीमतें, उसकी इच्छाएँ (wants) तथा उसकी आय (income) आदि दिए होने पर, उपभोक्ता को साम्यावस्था में उस समय माना जाएगा जब सीमान्त उपयोगिताएँ समान हो चुकी हैं तथा अधिकतम तसल्ली मिल चुकी है। इसके बाद फिर उसे अपने खर्च की योजना को पुनरीक्षण (revise) करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह उन्हीं वस्तुओं को खरीदता रहेगा तथा उतनी ही मात्रा में जबतक कि या तो उसकी आय अथवा इच्छाओं में परिवर्तन नहीं हो जाता। इच्छाओं का अपने वातावरण (environments) से परस्पर व्यवस्थापन (adjustment) उपभोक्ता की साम्यावस्था का चिह्न है। उपभोक्ता के लिए "तमाम माल (goods) को साम्यावस्था में होने के लिए, तमाम माल का द्रव्य (money) के अर्थों में सीमान्त महत्त्व उनकी द्रव्य कीमतों के साथ अवश्य ही समान होना चाहिये।" ("To be in equilibrium with respect to all goods the marginal significance of all goods in terms of money must equal their money price")

एक उपभोक्ता के पास जितना द्रव्य है उससे अधिकतम सतुष्टि पाने के लिए वह अपना खर्च इस प्रकार बाँटेगा कि खरीदी हुई वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता उनकी कीमतों के अनुपात में होगी। इस प्रकार—

$$\frac{\text{क की अधिकतम उपयोगिता}}{\text{क की कीमत}} = \frac{\text{ख की अधिकतम उपयोगिता}}{\text{ख की कीमत}} = \frac{\text{ग की अधिकतम उपयोगिता}}{\text{ग की कीमत}}$$

और यह क्रम इसी प्रकार चलता है।

इसी प्रकार, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो इस वस्तु की कम मात्रा तथा दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जायगी, ताकि अनुपात वही रहे। टिकाऊ वस्तुओं में यह अनुपात रहना सम्भव नहीं हो सकता है। ऊपर का समीकरण (equa-

tion) केवल तभी सही होगा जबकि उपभोक्ता की रुचि तथा अन्य स्थितियों में परिवर्तन न हो।

परन्तु यह स्थिति अवास्तविक है। वास्तविक जीवन में कोई उपभोक्ता भी मामूली सीमान्त व्यवस्थापन करने का कष्ट नहीं करता। मानव गणना करने की मशीन मात्र नहीं है। इसी प्रकार, कोई भी इस बात पर पहले से विचार नहीं करता कि अपने वातावरण में किमी बड़े परिवर्तन होने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। अन्त में, उपभोक्ता लोगो को खरीदारी की सूची रखने की आदत होती है। और इसमें सिर्फ उसी समय परिवर्तन होगा जबकि उसके हालात (condition) में परिवर्तन होता है।


यह नियम नीचे दिये हुए चित्र द्वारा स्पष्ट हो सकता है। माना दो वस्तुएँ दूध 'तथा रोटी ह, जिन पर उ म_१ + उ म_२' द्रव्य व्यय किया जाता है। माना कि अ_१ तथा व रोटी तथा दूध के तत्सम्बन्धी उपयोगिता वक्र है। यदि उ म_१ रोटी पर और उ म_२ दूध पर व्यय होता है तो वस्तुओ (या उन पर व्यय किया हुआ द्रव्य) की सीमान्त उपयोगिता समान होती है, प_१ म_१ = प_२ म_२। प्रतिस्थापन नियम अथवा सम-सीमान्त उपयोगिता नियम यह दृढतापूर्वक बताता है कि द्रव्य का यह वितरण अत्य-

धिक कुल उपयोगिता प्राप्त करता है अर्थात् उ म_१ प_१ अ_१ + उ म_२ प_२ व अत्यधिक है। यदि यह ऐसा है तो किसी भी अन्य प्रकार के वितरण को उससे कम कुल उपयोगिता प्रदान करनी चाहिये। देखे ऐसा है कि नहीं।

मान लिया कि (अ_२) का अभिप्राय द्रव्य की छोटी मात्रा से है। फिर यह मान लीजिये कि अ_२ रोटी पर अधिक और अ_२ दूध पर कम व्यय किया जाता है। दूध की

सीमान्त उपयोगिता प_२ म_२ तक बढ़ जायेगी और रोटी की प_१ म_१ तक गिर जायेगी। जैसा कि गहरे रंग के क्षेत्र द्वारा दिखाया गया है। इस नये क्रम से उपयोगिता की हानि लाभ की अपेक्षा अधिक होगी। कुल उपयोगिता पहले से कम होगी। इस प्रकार योग अधिकतम होगा, जब सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर होगी।

यह बहुत दुर्लभ है कि इस प्रति स्थापन की प्रवृत्ति में एक वस्तु दूसरी से पूर्णत बदल जाय, उदाहरणार्थ, रोटी के बदले में विस्कुट और तरकारी के बदले में दही। हम वस्तुओ की एक व्यवस्था चाहते हैं और सबसे उपयोगी व्यवस्था की खोज में हम




चित्र न० ७

वस्तुओं की मात्रा अर्थात् किसी वस्तु की कुछ अधिक तथा दूसरी की थोड़ी कम मात्रा में कुछ अदल-बदल करने का प्रयत्न करते हैं। प्रतिस्थापन सीमा (margin) पर होता है।

३. तटस्थता वक्र (Indifference Curves)*—चूँकि उपयोगिता मापी नहीं जा सकती, इसलिए उपयोगिता विश्लेषण से माँग के सही स्वभाव की व्याख्या नहीं हो सकती। यह अब मान लिया गया है कि एक उपभोक्ता एक विशेष वस्तु की पृथक् माँग की वजाय एक निश्चित अधिमान माप (scale of preference) रखता है। आधुनिक अर्थशास्त्री उपभोक्ता के अधिमानों की श्रेणी के वर्णन करने के लिए तटस्थता वक्र का प्रयोग करते हैं।

जब हम केवल एक वस्तु का विचार करते हैं तो एक उपयोगिता वक्र उसकी ह्रास सीमात उपयोगिता बतलाती है। परन्तु जब दो वस्तुओं का प्रश्न उठता है तो हम तटस्थता वक्र का ही उपाय प्रयोग में लाते हैं। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हम अपने मस्तिष्क में एक वस्तु की कुछ अधिक त्रय करने की उपयोगिता को दूसरी वस्तु की कुछ कम उपयोगिता से तुलना करते हैं। अर्थात् यह कहिये कि एक वस्तु का दूसरी से विनिमय करते हैं। यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य-अनुपात (price-ratio) ऐसा है कि एक का मूल्य दूसरे में निषिद्धात्मक (prohibitive) है तो कोई विनिमय नहीं हो सकता। परन्तु कुछ सीमाओं के अन्तर्गत विनिमय संवेधा



चित्र न० ८


लाभदायक होगा। परिणाम यह होता है कि दोनों वस्तुओं के कई संयोग हो जाते हैं,

* See Sugler, G J—Theory of Price (1949), op 67-85 There is a lucid treatment of Indifference Curves in Meyer's Elements of Modern Economics (1951), ch VII

जोकि एक उपभोक्ता को स्वीकृत हो सकते हैं। वे उसके लिए एक समान महत्त्व रखते हैं और इस कारण वे एक दूसरे की अभिरुचि में तटस्थ हैं। ऐसे संयोग एक तटस्थता वक्र द्वारा दिखाये जा सकते हैं। जैसा कि रेखाचित्र ८ में दिखाया गया है। तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उस संयोग (combination) को बताता है जो उपभोक्ता के अधिमान माप में समान स्थान रखते हैं, अर्थात् उनसे उसे समान मात्रा में सतुष्टि प्राप्त होती है।

प, प' तथा प'' तटस्थता वक्र स' पर विन्दु हैं। इसका अर्थ है कि इस विशेष उपभोक्ता के लिए अधिमानों (preferences) की श्रेणी यह प्रस्तुत करता है वस्तु व के उ क प = (म) + वस्तु अ के उ म, वस्तु व के उ क' (=प' म') + वस्तु अ के उ म' तथा वस्तु व के उ क'' (=प'' म'') + उ वस्तुओं के उ म'' का संयोग बराबर है, अर्थात् उनकी उपयोगिता एक-सी है।

परन्तु इन संयोगों में से कौन-सा वह वास्तव में चुनेगा यह मूल्य-अनुपात (price-ratio) पर निर्भर है। मूल्य-अनुपात को चित्र में दिखाने के लिए हम दोनों अक्ष रेखाओं के बीच में एक रेखा खींचेंगे जिसका ढाल (slope) मूल्य-अनुपात को प्रस्तुत करेगा। नीचे दिये हुए चित्र में प क रेखा की ढाल विस्कुट तथा चाँकलेट के बीच मूल्य-अनुपात प्रस्तुत करती है। अनुपात १ १२ का है।



एक वच्चे का उदाहरण लीजिये। माना कि केवल दो वस्तुएँ विस्कुट तथा चाँकलेट हैं जिन पर उसको अपना द्रव्य व्यय करना है। वह कुल द्रव्य चाँकलेट पर व्यय करके १० चाँकलेट खरीद सकता है अथवा विस्कुटों पर व्यय करके १२० विस्कुट खरीद सकता है। इसका अनुपात १ १२ है अर्थात् १० चाँकलेट बराबर है १२० विस्कुट

के। वास्तव में एक समझदार उपभोक्ता मिश्रित संयोग रखना चाहेगा। इस मूल्य रेखा (price line) पक पर कोई बिन्दु उस विस्कुट तथा चॉकलेट के संयोग को प्रस्तुत करेगा जोकि वह इस मूल्य-अनुपात पर खरीद सकता है। इस रेखा पक पर कोई भी गति एक वस्तु का दूसरी के लिए त्याग सूचित करती है। उस वच्चे की अधिमानो की श्रेणी नीचे दी हुई उस तालिका से सूचित की जा सकती है जोकि विस्कुट तथा चॉकलेट के उन अनेको संयोगों को प्रकट करती है जिनमें वह सर्वथा तटस्थ है।

	चॉकलेट	और	विस्कुट
	२	"	११४
या	३	"	९३
या	४	"	७५
या	५	"	६६
या	६	"	४५
या	७	"	३६
या	८	"	२८
या	९	"	२१


यह तालिका उसके अधिमानो की पूरी श्रेणी (scale) को नहीं वरन् उसके एक भाग को प्रकट करती है। ये आकड़े अकगणित की श्रेणियों को प्रस्तुत नहीं करते। कोई भी संख्या उन संख्याओं के अतिरिक्त ठीक होगी जोकि यह प्रस्तुत करती है कि जितने अधिक चॉकलेट वच्चा विनिमय में प्राप्त करेगा उतने ही कम विस्कुट वह चॉकलेट पाने के लिए देने को तैयार होगा। मान लीजिये कि वच्चा ५ चॉकलेट और ६६ विस्कुटों से प्रारम्भ करता है। एक और चॉकलेट पाने के लिए २१ (६६-४५) विस्कुट देने को तैयार है, परन्तु सातवाँ पाने के लिए केवल ९ (४५-३६) ही देने को तैयार है। ऊपर दिये हुए संयोगों को प्रस्तुत करने वाले बिन्दुओं को स्थापित करके और उनका क्रम मानकर हम स' तटस्थता वक्र प्राप्त करते हैं।

प्रारम्भ में वच्चा ५ चॉकलेट और ६६ विस्कुट रखता है। यह बिन्दु र से प्रस्तुत होता है। अधिकतम लाभ के संयोग को चुनने के लिए वच्चे को वक्र पर उ से सबसे दूर बिन्दु तक जाना होगा। यह बिन्दु र है जहाँ पर पक मूल्य रेखा तटस्थता वक्र स' पर स्पर्श रेखा है। वह बिन्दु पर अपनी ५ चॉकलेट तथा ६६ विस्कुट की प्रथम व्यवस्था की अपेक्षा रस विस्कुट देकर और श ट चॉकलेट पाकर पहुँचता है। ट ७ चॉकलेट तथा ३६ विस्कुट का संयोग प्रस्तुत करता है। इस बिन्दु पर कुल उपयोगिता अधिकतम है। यदि वह इस बिन्दु से किमी ओर भी चलता है, तो वह एक नीचे वक्र तक उतर जायगा "मूल्य रेखा तथा एक तटस्थता वक्र में सम्पर्क, तटस्थता वक्र के द्वारा नीमान्त उपयोगिताओं तथा मूल्यों के अनुपातों का वर्णन है।"^१ इस प्रकार ही

सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त को तटस्थता वक्र के द्वारा दिखाया जा सकता है ।

इस तटस्थता वक्र के आकार के विषय में भी कुछ कहना है । वक्र को नीचे दाईं ओर गिरना चाहिये । यह सीमान्त उपयोगिता घटती हुई नियम के अनुरूप है । एक वस्तु की कमी दूसरे की वृद्धि से पूरी हो जाती है । यदि एक वस्तु में वृद्धि दूसरी वस्तु में बिना कमी किये हो जाती है, तो हम उसी वक्र पर न रहेंगे वरन् एक ऊँचे पर पहुँच जायेंगे । जब वच्चा अधिक चाँकलेट तथा कम विस्कुट पाने के लिए इस तटस्थता वक्र पर चलता है तो पहले की सीमान्त उपयोगिता घट जाती है और दूसरे की बढ़ जाती है । इससे ढाल कम हो जाएगी । ऐसा वक्र मूल रूप में उन्नतोदर (Convex) होना चाहिए । साक्षेप वस्तुओं के विषय में जहाँ एक वस्तु की मात्रा में परिवर्तन दूसरे की उपयोगिता पर प्रभाव डाल सकता है, वक्र की ढाल भिन्न हो सकती है, वस्तुओं की पूर्ण स्थानापन्नता की दशा में अर्थात् जहाँ प्रतिस्थापन की सीमात दर १:१ है, तटस्थता वक्र एक सीधा कर्ण (diagonal) वक्र है जो ४५ डिग्री का कोण बनाता है । यदि वस्तुएँ एक-दूसरे की पूरक हैं (उदाहरणार्थ घोड़ा तथा गाड़ी अथवा दायँ तथा वार्याँ जूता) तो तटस्थता वक्र हर अक्ष रेखा के समानान्तर होंगे और ९० डिग्री का कोण बनायेंगे ।

तटस्थता मान-चित्र (Indifference Curve)—पिछले पृष्ठ पर दी हुई तालिका एक अधिमानो के अनुमाप को प्रस्तुत करती है जो तटस्थता वक्र में दिखलाये गये हैं । पर ऊँचे-नीचे बहुत-से अनुमाप हो सकते हैं और फिर प्रत्येक नई श्रेणी की सगत में एक दूसरा तटस्थता वक्र हो जायगा । उदाहरणार्थ इस वच्चे का प्रथम सयोग ५ चाँकलेट और ६६ विस्कुट था । परन्तु वह दोनो अधिक मात्रा में ले सकता है, अर्थात् ६ चाँकलेट और ७० विस्कुट अथवा ८ चाँकलेट और ८० विस्कुट इत्यादि । यह विन्दु



चित्र न. १०

उपभोक्ता को एक से दूसरे ऊँचे तटस्थता वक्र पर ले जाने है, जिनमें से प्रत्येक प्रथम वक्र की अपेक्षा अधिक लाभदायक स्थिति प्रस्तुत करते हैं। उमको उन कम लाभदायक मयोगो से ही सतुष्ट होना पडेगा जो कि नीचे वाले तटस्थता वक्र से प्रस्तुत होंगे। तटस्थता वक्रों के सयोगो को तटस्थता चित्र (Indifference Map) कहते हैं जैसा कि चित्र न. १० में दिखाया गया है।

प क, प क', प क" तथा प क''' के झुकाव बदलते हुए मूल्य के अनुपातो को प्रस्तुत करते हैं। स स, स' स', स'' स'', तथा स''' स''' वक्र अधिमानो के अनुमापो की भिन्न-भिन्न श्रेणियो की सगति के तटस्थता वक्र हैं। जितने ऊँचे वक्र होंगे उतने ही अच्छे समान तटस्थ सयोगो की श्रेणियाँ होंगी। विन्दु ट, ट', ट'', ट''' हर क्रम में दो वस्तुओ के बीच में विनिमय के वाजारू दर पर अधिकतम लाभ के विन्दु हैं, जिनको झुकी रेखाएँ प क इत्यादि के द्वारा दिखाया गया है।

इस सब वक्र जो ट ट' ट'' ट''' को मिलाता है इसे आय-उपभोग वक्र (income-consumption curve) कहते हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आय में परिवर्तन होने से इन दो वस्तुओ के उपभोग पर प्रभाव पडता है जबकि इन दोनों वस्तुओ की कीमतें दी हुई हैं और स्थिर (constant) रहती हैं सापेक्षिक कीमतो के प्रत्येक भिन्न सेट (set) के लिए जुदा आय-उपभोग वक्र है। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है तो इस वक्र से आय के प्रभाव का पता चलता है।

प क कीमत वाली रेखा है। इसे कीमत-अवसर (price-opportunity) रेखा कहते हैं। यह रेखा उन अवसरों को बताती है जो उपभोक्ता के लिए हैं, जिसमें कीमतें तथा उसकी आय दी हैं। तटस्थता वक्र (indifference curve), मार्केट के हालतो से अलग उपभोक्ता का स्वाद (taste) अथवा अधिमान (preferences) बताता है।

धारणाएँ तीन प्रकार की हैं जिन पर तटस्थता वक्र खींचे गए हैं (i) तटस्थता वक्र बाएँ से दाएँ को हैं जो सदैव नीचे की ओर झुके हैं। यदि वे क्षैतिज (horizontal) अथवा ऊपर की ओर मुड़े होते तो उनसे बहुत अवास्तविक अथवा अयुक्तियुक्त स्थिति का पता चलता। क्षैतिज शकल (shape) यह बताती है कि उपभोक्ता को एक वस्तु की निश्चिन् मात्रा के मेल (combination) से समान सतुष्टि होगी और दूसरे से कम या ज्यादा। यदि यह ऊपर की ओर मुड़ता तो इसका अर्थ यह होता कि दोनों वस्तुओ की बडी राशि का मेल वही सतुष्टि देता जितना की वह जिसमें दोनों से कम था। (ii) दूसरी धारणा यह है कि तटस्थता वक्र मूल रूप से उ तक उत्तल (convex) हैं। जब कोई वक्र मूल तक उत्तल होता है और जब ऊपर की ओर अधिक मूढा (steep) होता है और दाएँ को अधिक प्लेट (flat) तो यह पता चलता है कि किसी माल की सीमान्त उपयोगिता दूसरे की तुलना में क्रमवर्धमान रूप से (progressively) घटती जाती है, जबकि पहले माल से अधिक की आशा हो। अन्य स्थिति अवास्तविक होगी। वक्र अवतल (concave) कहलाएँगे, यदि सीमान्त उपयोगिता अनिश्चित बढे, जोकि अमम्भव है। (iii) तीसरी धारणा यह है कि दो

तटस्थता वक्र कभी भी परस्पर काट नहीं सकते (intersect)। यदि वे काटें तो यह मानना होगा कि दो सतुष्टियाँ जो परिभाषा के अनुसार असमान हैं काटने वाले बिन्दु (intersection point) पर समान हो गई हैं। ऐसा किस प्रकार सम्भव है ?

४ तटस्थता वक्र का व्यावहारिक महत्त्व (Practical Importance of Indifference Curves)—तटस्थता वक्र एक व्यक्ति के अधिमानों के अनुमाप का मात्रिक (quantitative) प्रदर्शन करने में, जबकि दो वस्तुएँ खरीदनी हो, बहुत लाभदायक हुए हैं। तटस्थता वक्र का यन्त्र विस्तृत रूप से लागू हो सकता है। बेन्हम तटस्थता वक्रों के उपयोगों को इस प्रकार लिखते हैं . “तटस्थता वक्रों का उपयोग दो विकल्पों (alternatives) के बीच (परन्तु वे केवल दो ही हो) किसी व्यक्ति का अधिमान माप चित्रित करने के लिए हो सकता है। इस प्रकार के आय और अवकाश के बीच उसका अधिमान माप चित्रित कर सकते हैं, जिससे यह प्रकट हो सकता है कि वह दिन-रात के २४ घंटों को, किसी निश्चित दर प्रति घंटे पर, काम और अवकाश के बीच किस प्रकार बाँटेगा। इसके अतिरिक्त, उनका उपयोग उसके वर्तमान और भावी उपभोग के बीच द्रव आस्तियाँ (liquid assets) और आय प्राप्ति आस्तियों (income-yielding assets) के बीच, तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों में उसका अधिमान माप प्रकट करने के लिए भी हो सकता है।”^१

स्टीगलर तटस्थता वक्र उपकरण (apparatus) के तीन उपयोग बताते हैं —

(१) दो व्यक्तियों के बीच अदला-बदली—एजवर्थ (Edgeworth) ने जिन्होंने यह उपकरण मालूम किया, तटस्थता वक्र द्वारा यह दिखाया कि अदला-बदली की हुई वस्तुओं के बीच की विनिमय दर निर्धारित नहीं की जा सकती, केवल वह सीमाएँ बताई जा सकती हैं, जिनके बीच विनिमय होगा।

(२) करारोपण (Taxation)—तटस्थता वक्र द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि यदि एक मनुष्य दर वस्तु पर कर लगाने की अपेक्षा व्यक्तिगत आयकर लगाया जाता है, तो वह ऊँचे तटस्थता वक्र को चला जायगा।

(३) सूचक अंक की समस्या (Index Number Problem)—तटस्थता वक्र यह बताते हैं कि एक व्यक्ति का जीवन-स्तर बढ़ गया है या गिर गया है।

(रिखाचित्र के लिए स्टीगलर की पुस्तक ‘Theory of Price’ के पृष्ठ ८०-२ देखिए)

५ प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (Marginal Rate of Substitution)—एक वस्तु की कितनी मात्रा दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा से प्रतिस्थापन की जाती है अथवा किस दर पर हम एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापन करते हैं ? इसका उत्तर प्रतिस्थापन की सीमान्त दर से मिलता है—इस विचार को डा० हिक्स और प्रो० आर० जी० एलन ने प्रस्तुत किया।^२ मान लीजिए कि अ के पास मिठाई है और ब के पास फल और दोनों ही तबादला करना चाहते हैं। विनिमय-अनुपात

1 Benham—Economics, (1947) p. 96--7

2 Hicks—Value and Capital, 1946, Ch 1

एक वस्तु की वह मात्रा होगी जोकि दूसरी वस्तु के लिए विनिमय में दी जायगी जैसे मिठाई की जगह फल ।

परन्तु विनिमय तभी होगा जबकि अ, व दो वस्तुओं का अनुपात अथवा सीमान्त उपयोगिताएँ भिन्न हों। जब तक कि सीमान्त उपयोगिता के अनुपात भिन्न न होंगे, विनिमय नहीं हो सकता। इस अनुपात को प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (marginal rate of substitution) कहते हैं। हिव्स के शब्दों में "हम अ को व में प्रतिस्थापन की सीमान्त दर की परिभाषा व की उस मात्रा से कर सकते हैं जो उपभोक्ता को अ की सीमान्त इकाई की हानि के लिए सन्तुलित करती है।" वास्तव में यह अ की व से सम्बन्धित सीमान्त उपयोगिता है। विभाग ३ में दी हुई तटस्थता अनुसूची में वच्चा १ अधिक चॉकलेट (२ के वजाय ३) लेने के लिए तथा २१ विस्कुट (११४ के वजाय ९३) देने के लिए तैयार है। प्रतिस्थापन की सीमान्त दर १ : २१ है। इसके बाद वह १ चॉकलेट के लिए १८ (९३-७५) विस्कुटों का त्याग करने को तैयार है और इसलिए प्रतिस्थापन दर १ : १८ है और इसी तरह आगे भी प्रतिस्थापन की सीमान्त दर सदैव गिरती रहती है।

प्रतिस्थापन की सीमान्त दर एक उपभोक्ता को किसी वस्तु की कुछ इकाइयों को दूसरी की कुछ इकाइयों से प्रतिस्थापन करने योग्य बनाती है। जिससे कि वह साम्य (equilibrium) अर्थात् अधिकतम लाभ की स्थिति तक पहुँच सके। यह बतलाया जाता है "कि एक व्यक्ति का किसी समय पर लागू मूल्यों की पद्धति के प्रति तभी साम्य हो सकता है जब कि किन्हीं दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात उन दोनों के बीच की सीमान्त प्रतिस्थापन दर को बराबर कर देता है, अन्यथा, उस विशिष्ट मंडी की दर पर, उसके लिए यह लाभदायक होगा कि वह किसी वस्तु के एक भाग को दूसरे की सामान्य मूल्य के लिए प्रतिस्थापन करे।"^१

प्रतिस्थापन की सीमान्त दर इस प्रकार निश्चित की जा सकती है—अध्याय ४, विभाग २, में दी हुई तालिका पर विचार करो। यह मान लिया गया है कि द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता स्थिर है। मान लिया कि द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता प्रत्येक रूप की मनुष्य की ३० इकाइयों के बराबर है। यदि हमारा उपकल्पित उपभोक्ता दो के वजाय तीन सेवों का उपभोग करता है, तो कुल उपयोगिता ३८ से बढ़कर ५३ इकाइयाँ हो जाती है अर्थात् १५ इकाइयों की वृद्धि होती है। यह आठ आने के व्यय के बराबर है (३० इकाइयाँ = १ रुपया, १५ इकाइयाँ = ८ आने के)। यह प्रतिस्थापन की सीमान्त दर है। "प्रतिस्थापन की सीमान्त दर द्रव्य की वह मात्रा है जो कि उस वस्तु की एक इकाई के बराबर की सत्पुष्टि देगी।"^२ हम यह भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के द्रव्य के लिए प्रतिस्थापन की सीमान्त दर के बराबर है जब तक कि प्रचलित मूल्य इस सीमान्त दर से कम है तब तक उस वस्तु के उपभोग को बढ़ाना उपभोक्ता के लिए स्पष्ट रूप से लाभदायक है।

1 Briggs and Jordon—Text Book of Economics (1935), p 94
2 Boulding, K.—Economic Analysis, (1949), p 618

हमको मार्शल के उपयोगिता के विचार को परेटो के विचार से विभेद करना चाहिए। मार्शल ने वस्तु के आन्तरिक गुणों को मोचा जिसके कारण यह सतुष्टि देती है। इसका कोई भी सम्बन्ध किसी अन्य दूसरी वस्तु से नहीं है। यह निरपेक्ष (absolute) उपयोगिता का विचार है जबकि परेटो का विचार सापेक्ष (relative) है। वह किसी वस्तु की उपयोगिता को किसी दूसरी वस्तु की उन इकाइयों के सम्बन्ध में मानता है जो वस्तु की हानि को पूरा करती है। इस प्रकार प्रतिस्थापन की सीमान्त दर परेटो के उपयोगिता के विचार पर आधारित है। यह अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि यह उपयोगिता के मात्रिक (quantitative) माप की आवश्यकता अथवा सम्भावना को त्याग देता है। इस ओर तटस्थता वक्र की धारणा उपयोगिता धारण (concept) से उत्तम है।

६ प्रतिस्थापन नियम का व्यावहारिक महत्त्व (Practical Importance of the Law of Substitution)—प्रतिस्थापन के नियम का विस्तृत उपयोग है समय की उपयोगिता। विभिन्न रूपों में आस्तियों के वितरण तथा विभिन्न कामों के लिए स्रोतों के बटन में इसको लागू किया जाता है। इस नियम को द्रव्य के मौजूदा और भविष्य के उपभोग में भी लागू कर सकते हैं, अर्थात्, वर्तमान में व्यय करना तथा भविष्य के लिए बचाना यह नियम अर्थशास्त्र के सिद्धान्त की प्रत्येक शाखा में लागू होता है।

यह उपभोग में लागू होता है—प्रत्येक उपभोक्ता, यदि वह वृद्धिमान् है, तो वह अपने सीमित साधनों से अधिकतम सतुष्टि लेना चाहता है। उस लक्ष्य के अनुसार अपने व्यय की व्यवस्था करते समय उसको कम उपयोगिता रखने वाली वस्तु के लिये अधिक उपयोगिता रखने वाली वस्तु का प्रतिस्थापन करना चाहिये, जब तक कि सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर न हो जायें। इस प्रकार उपभोक्ता की सतुष्टि अधिकतम हो जायगी।

उत्पादन में इसका प्रयोग—व्यापारी तथा निर्माताओं के लिए यह नियम अधिक महत्त्व रखता है। वह लगाये हुए उत्पादन के साधनों का अति उत्तम मितव्ययी संयोग प्राप्त करना चाहता है। इस अभिप्राय से वह एक साधन दूसरे के लिए प्रतिस्थापन करेगा जिससे कि उनकी सीमान्त उत्पादितता (marginal productivity) समान हो जाये। यदि उसे ज्ञात होता है कि एक साधन, जैसे श्रम की सीमान्त उत्पादितता पूजा की सीमान्त उत्पादितता में अधिक है, तो उसको एक का दूसरे के अतिरिक्त प्रतिस्थापन करना अधिक लाभदायक होगा। इस भाँति वह अपने लाभ को अधिकतम करने के योग्य हो जायगा।

विनिमय में इसका प्रयोग—हमारे सभी प्रकार के विनिमय में यह सिद्धान्त लागू होता है क्योंकि विनिमय एक वस्तु का दूसरे के लिए केवल प्रतिस्थापन ही है। हमारे विनिमय की प्रतिस्थापन होने वाली प्रकृति इस आर्थिक सिद्धान्त की महत्ता को प्रतीत करने के लिए पर्याप्त है।

इस सिद्धान्त का मूल्य के निर्धारण से महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है। जब किसी वस्तु की

कमी होनी है, तो प्रतिस्थापन नियम हमारी सहायता करता है। हम अधिक दुर्लभ (scarce) वस्तु के बदले कम दुर्लभ वस्तु का प्रतिस्थापन करने लगते हैं। इस प्रकार दूमरे की दुर्लभता कम हो जाती है और उसका मूल्य घट जाता है।

इसका वितरण (distribution) में प्रयोग—वितरण में हमारा सम्बन्ध उत्पादन के भिन्न-भिन्न साधनों के तत्सम्बन्धी अंशों अर्थात् लगान, मजदूरी, व्याज, तथा लाभ के निर्धारण से है। ये हिस्से सीमान्त उत्पादितों के सिद्धांत के अनुसार निर्धारित होते हैं। उत्पादन के प्रत्येक साधन का प्रयोग उद्यमी (entrepreneur) द्वारा लाभ की सीमा तक पहुँचाया जाता है और प्रत्येक स्थिति में सीमान्त उत्पादन बराबर होता है। यदि यह बराबर नहीं हो तो प्रतिस्थापन नियम उसकी सीमान्त उत्पादितों बराबर कर देता है। प्रतिस्थापन नियम इसी भाँति राष्ट्रीय लाभश (national dividend) को उत्पादन के भिन्न-भिन्न साधनों में वितरण करने के क्षेत्र में लाभदायक सिद्ध होता है।

इस प्रकार प्रतिस्थापन नियम का प्रयोग सार्वलौकिक है। यह आर्थिक सिद्धांत की प्रत्येक शाखा में मौलिक महत्त्व रखता है।

७ प्रतिस्थापन नियम की सीमाएँ (Limitations of the Law of Substitution)—अन्य आर्थिक नियमों की भाँति यह नियम भी एक प्रवृत्ति (tendency) का विवरण है। लोगों का वास्तविक व्यय इस नियम के विरुद्ध हो सकता है। ऐसा नीचे दी हुई सीमाओं के कारण हो सकता है —

(१) प्रतिस्थापन नियम में पाने वाली सतुष्टि की गणना सावधानी से करनी पड़नी है और इस सतुष्टि की तुलना व्यय किये हुए द्रव्य तथा उस सतुष्टि से करनी होनी है, जोकि इसी द्रव्य को किसी दूसरी ओर व्यय करने से हो सकती है। परन्तु हममें से कितने ऐसी उत्तम गणना करने योग्य हैं और कितने ऐसा करने के हेतु धैर्य तथा योग्यता रखते हैं? क्या हम सब ऐसे बुद्धिमान् तथा गणना करने में दक्ष हैं? वास्तव में हमारा अधिकांश व्यय स्वभाव पर निर्भर है। हम न तो इसकी गणना सचेत रूप से करते हैं और न सावधानी से उपयोगिताओं की तुलना करते हैं।

सिर्फ अधिक व्यय करने में एक समझदार आदमी कुछ सोच विचार करता है और उसका व्यय अधिकतम सतुष्टि के नियम के अनुसार होता है।

अधिक-से-अधिक हम यह कह सकते हैं कि नमस्त विचारयुक्त तथा विवेकशील पुरुष सचेत या अचेत रूप से इस नियम का पालन करते हैं। जैसा कि चैपमैन ने कहा है "हम प्रतिस्थापन नियम अथवा सम-सीमान्त व्यय नियम के अनुसार अपनी आय को वितरण करने में उस प्रकार विवश नहीं होने, जिस प्रकार कि पत्थर का टुकड़ा वायु में फेंके जाने पर भूमि पर गिरने के लिए एक प्रकार से विवश हो जाता है, परन्तु हम वास्तव में ऐसा एक वेङ्गो रूप से करते हैं क्योंकि हम समझबूझ से काम लेते हैं।"¹⁹

(२) उपभोक्ता के अज्ञान से एक ओर सीमा लग जाती है। हो सकता है कि वे

विकल्पो के दूसरे उपयोगो को जानते ही नहीं।

(३) मनुष्य कभी-कभी रीति-रिवाजो अथवा फैशन के अधीन हो जाते हैं और सही उपभोग करने योग्य नहीं रहते।

(४) एक और सीमा इसलिए लागू हो जाती है क्योंकि वस्तुओ का छोटे-छोटे टुकड़ो में विभाजन नहीं हो सकता, जिससे कि उपभोक्ता सीमान्त उपयोगिताओ को समान कर सके।

(५) व्यक्तियों का कोई निश्चित आय-व्ययक (Budget) काल नहीं है। यदि एक निश्चित समय भी है तो भी इस सिद्धान्त का लागू होना व उपभोग की हुई वस्तुओ की स्थिरता की भिन्न-भिन्न मात्राओ के कारण कठिन है। एक स्थायी वस्तु कई क्रमिक लेखा किये हुए काल में उपभोग की जा सकती है। यह सरल नहीं है कि उसको एक लेखा किये हुए समय के आय और व्यय के हिसाब में यह देखने के लिए लाया जाये कि इस काल में सन्तुष्टि सबसे अधिक हुई है।

(६) अन्त में सम सीमान्त उपयोगिता नियम (law of equi-marginal utility) की सन्तुष्टि तभी होगी जबकि उपभोग की हुई वस्तुओ की सीमान्त उपयोगिता तथा उनकी कीमतो के बीच में अनुपात हो। इस प्रकार

$$\frac{\text{क की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{क की कीमत}} = \frac{\text{ख की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{ख की कीमत}} = \text{ग}$$

जब तक ग=१ नहीं होगा, नियम की सन्तुष्टि न होगी। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उपभोक्ता एक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता तथा उसकी कीमत बराबर करें।

उपभोक्ता की वचत (Consumer's Surplus)

८ अर्थ (Meaning)—मार्शल ने उपभोक्ता की वचत का विचार सबसे प्रथम प्रस्तुत किया। उनका विचार उस बात के उचित वर्णन करने का था जिससे सब उपभोक्ता परिचित हैं।

हमारी साधारण खरीद ब्रेच में भी, कुछ-न-कुछ उपभोक्ता की वचत होती है चूँकि जो हम वास्तव में अदा करते हैं उससे ज्यादा अदा करने के लिए तैयार रहते हैं। उन वस्तुओ के खरीदने में जो विगोपत लाभदायक तथा सस्ती होती है, उदाहरणार्थ पोस्ट कार्ड, अखबार, दियासलाई, नमक आदि। यदि कोई विकल्प ही न हो, तो उनके लिए हम जो कुछ देते हैं उससे कहीं अधिक देने को तैयार हो जावेगे। जो अतिरिक्त सन्तुष्टि हम पाते हैं, उसी को उपभोक्ता की वचत कहते हैं।

मार्शल के शब्दों में, "किसी वस्तु के उपभोग से वचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार है और जो कि वह वास्तव में देता है उसका अन्तर ही इस

कमी होनी है, तो प्रतिस्थापन नियम हमारी सहायता करता है। हम अधिक दुर्लभ (scarce) वस्तु के बदले कम दुर्लभ वस्तु का प्रतिस्थापन करने लगते हैं। इस प्रकार दूमरे की दुर्लभता कम हो जाती है और उसका मूल्य घट जाता है।

इसका वितरण (distribution) में प्रयोग—वितरण में हमारा सम्बन्ध उत्पादन के भिन्न-भिन्न साधनों के तत्सम्बन्धी अंशों अर्थात् लगान, मजदूरी, व्याज, तथा लाभ के निर्धारण से है। ये हिस्से सीमान्त उत्पादितों के सिद्धांत के अनुसार निर्धारित होते हैं। उत्पादन के प्रत्येक साधन का प्रयोग उद्यमी (entrepreneur) द्वारा लाभ की सीमा तक पहुँचाया जाता है और प्रत्येक स्थिति में सीमान्त उत्पादन बराबर होता है। यदि यह बराबर नहीं हो तो प्रतिस्थापन नियम उसकी सीमान्त उत्पादितों बराबर कर देता है। प्रतिस्थापन नियम इसी भाँति राष्ट्रीय लाभांश (national dividend) को उत्पादन के भिन्न-भिन्न साधनों में वितरण करने के क्षेत्र में लाभदायक सिद्ध होता है।

इस प्रकार प्रतिस्थापन नियम का प्रयोग सार्वलौकिक है। यह आर्थिक सिद्धांत की प्रत्येक शाखा में मौलिक महत्त्व रखता है।

७ प्रतिस्थापन नियम की सीमाएँ (Limitations of the Law of Substitution)—अन्य आर्थिक नियमों की भाँति यह नियम भी एक प्रवृत्ति (tendency) का विवरण है। लोगों का वास्तविक व्यय इस नियम के विरुद्ध हो सकता है। ऐसा नीचे दी हुई सीमाओं के कारण हो सकता है —

(१) प्रतिस्थापन नियम में पाने वाली सन्तुष्टि की गणना सावधानी से करनी पड़ती है और इस सन्तुष्टि की तुलना व्यय किये हुए द्रव्य तथा उस सन्तुष्टि से करनी होती है, जोकि इसी द्रव्य को किसी दूसरी ओर व्यय करने से हो सकती है। परन्तु हममें से कितने ऐसी उत्तम गणना करने योग्य हैं और कितने ऐसा करने के हेतु धैर्य तथा योग्यता रखते हैं? क्या हम सब ऐसे बुद्धिमान् तथा गणना करने में दक्ष हैं? वास्तव में हमारा अधिकांश व्यय स्वभाव पर निर्भर है। हम न तो इसकी गणना सचेत रूप से करते हैं और न सावधानी से उपयोगिताओं की तुलना करते हैं।

सिर्फ अधिक व्यय करने में एक समझदार आदमी कुछ सोच विचार करता है और उसका व्यय अधिकतम सन्तुष्टि के नियम के अनुसार होता है।

अधिक-से-अधिक हम यह कह सकते हैं कि समस्त विचारयुक्त तथा विवेकशील पुरुष सचेत या अचेत रूप से इस नियम का पालन करते हैं। जैसा कि चैपमैन ने कहा है “हम प्रतिस्थापन नियम अथवा सम-सीमान्त व्यय नियम के अनुसार अपनी आय को वितरण करने में उस प्रकार विवश नहीं होने, जिस प्रकार कि पत्थर का टुकड़ा वायु में फेंके जाने पर भूमि पर गिरने के लिए एक प्रकार से विवश हो जाता है, परन्तु हम वास्तव में ऐसा एक वेडगे रूप से करते हैं क्योंकि हम समझबूझ से काम लेते हैं।”^१

(२) उपभोक्ता के अज्ञान से एक ओर सीमा लग जाती है। हो सकता है कि वे

विकल्पों के दूसरे उपयोगों को जानते ही नहीं।

(३) मनुष्य कभी-कभी रीति-रिवाजों अथवा फैशन के अधीन हो जाते हैं और सही उपभोग करने योग्य नहीं रहते।

(४) एक और सीमा इसलिए लागू हो जाती है क्योंकि वस्तुओं का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन नहीं हो सकता, जिससे कि उपभोक्ता सीमान्त उपयोगिताओं को समान कर सके।

(५) व्यक्तियों का कोई निश्चित आय-व्ययक (Budget) काल नहीं है। यदि एक निश्चित समय भी है तो भी इस सिद्धान्त का लागू होना व उपभोग की हुई वस्तुओं की स्थिरता की भिन्न-भिन्न मात्राओं के कारण कठिन है। एक स्थायी वस्तु कई क्रमिक लेखा किये हुए काल में उपभोग की जा सकती है। यह सरल नहीं है कि उसको एक लेखा किये हुए समय के आय और व्यय के हिसाब में यह देखने के लिए लाया जाये कि इस काल में सन्तुष्टि सबसे अधिक हुई है।

(६) अन्त में सम सीमान्त उपयोगिता नियम (law of equi-marginal utility) की सन्तुष्टि तभी होगी जबकि उपभोग की हुई वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता तथा उनकी कीमतों के बीच में अनुपात हो। इस प्रकार

$$\frac{\text{क की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{क की कीमत}} = \frac{\text{ख की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{ख की कीमत}} = \text{ग}$$

जब तक ग=१ नहीं होगा, नियम की सन्तुष्टि न होगी। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उपभोक्ता एक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता तथा उसकी कीमत बराबर करें।

उपभोक्ता की बचत (Consumer's Surplus)

८. अर्थ (Meaning)—मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का विचार सबसे प्रथम प्रस्तुत किया। उनका विचार उस बात के उचित वर्णन करने का था जिससे सब उपभोक्ता परिचित हैं।

हमारी साधारण खरीद बेच में भी, कुछ-न-कुछ उपभोक्ता की बचत होती है चूँकि जो हम वास्तव में अदा करते हैं उससे ज्यादा अदा करने के लिए तैयार रहते हैं। उन वस्तुओं के खरीदने में जो विशेषतः लाभदायक तथा सस्ती होती है, उदाहरणार्थ पोस्ट कार्ड, अखबार, दियासलाई, नमक आदि। यदि कोई विकल्प ही न हो, तो उनके लिए हम जो कुछ देते हैं उससे कहीं अधिक देने को तैयार हो जावेंगे। जो अतिरिक्त सन्तुष्टि हम पाते हैं, उसी को उपभोक्ता की बचत कहते हैं।

मार्शल के शब्दों में, "किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार है और जो कि वह वास्तव में देता है उसका अन्तर ही इस

कमी होनी है, तो प्रतिस्थापन नियम हमारी सहायता करना है। हम अधिक दुर्लभ (scarce) वस्तु के बदले कम दुर्लभ वस्तु का प्रतिस्थापन करने लगते हैं। इस प्रकार दूमे की दुर्लभता कम हो जाती है और उसका मूल्य घट जाता है।

इसका वितरण (distribution) में प्रयोग—वितरण में हमारा सम्बन्ध उत्पादन के भिन्न-भिन्न साधनों के तत्सम्बन्धी अंशों अर्थात् लगान, मजदूरी, व्याज, तथा लाभ के निर्धारण से है। ये हिस्से सीमान्त उत्पादितों के सिद्धांत के अनुसार निर्धारित होते हैं। उत्पादन के प्रत्येक साधन का प्रयोग उद्यमी (entrepreneur) द्वारा लाभ की सीमा तक पहुँचाया जाता है और प्रत्येक स्थिति में सीमान्त उत्पादन बराबर होता है। यदि यह बराबर नहीं हो तो प्रतिस्थापन नियम उसकी सीमान्त उत्पादितों बराबर कर देता है। प्रतिस्थापन नियम इसी भाँति राष्ट्रीय लाभांश (national dividend) को उत्पादन के भिन्न-भिन्न साधनों में वितरण करने के क्षेत्र में लाभदायक सिद्ध होता है।

इस प्रकार प्रतिस्थापन नियम का प्रयोग सार्वलौकिक है। यह आर्थिक सिद्धांत की प्रत्येक शाखा में मौलिक महत्त्व रखता है।

७ प्रतिस्थापन नियम की सीमाएँ (Limitations of the Law of Substitution)—अन्य आर्थिक नियमों की भाँति यह नियम भी एक प्रवृत्ति (tendency) का विवरण है। लोगों का वास्तविक व्यय इस नियम के विरुद्ध हो सकता है। ऐसा नीचे दी हुई सीमाओं के कारण हो सकता है—

(१) प्रतिस्थापन नियम में पाने वाली सन्तुष्टि की गणना सावधानी से करनी पड़ती है और इस सन्तुष्टि की तुलना व्यय किये हुए द्रव्य तथा उस सन्तुष्टि से करनी होती है, जोकि इसी द्रव्य को किसी दूसरी ओर व्यय करने से हो सकती है। परन्तु हममें से कितने ऐसी उत्तम गणना करने योग्य हैं और कितने ऐसा करने के हेतु धैर्य तथा योग्यता रखते हैं? क्या हम सब ऐसे बुद्धिमान् तथा गणना करने में दक्ष हैं? वास्तव में हमारा अधिकांश व्यय स्वभाव पर निर्भर है। हम न तो इसकी गणना सचेत रूप से करते हैं और न सावधानी से उपयोगिताओं की तुलना करते हैं।

सिर्फ अधिक व्यय करने में एक समझदार आदमी कुछ सोच विचार करता है और उसका व्यय अधिकतम सन्तुष्टि के नियम के अनुसार होता है।

अधिक-से-अधिक हम यह कह सकते हैं कि समस्त विचारयुक्त तथा विवेकशील पुरुष सचेत या अचेत रूप से इस नियम का पालन करते हैं। जैसा कि चैपमैन ने कहा है “हम प्रतिस्थापन नियम अथवा सम-सीमान्त व्यय नियम के अनुसार अपनी आय को वितरण करने में उम प्रकार विवश नहीं होने, जिस प्रकार कि पत्थर का टुकड़ा वायु में फेंके जाने पर भूमि पर गिरने के लिए एक प्रकार से विवश हो जाता है, परन्तु हम वास्तव में ऐसा एक वेङ्गो रूप से करते हैं क्योंकि हम समझवृत्त से काम लेते हैं।”¹

(२) उपभोक्ता के अज्ञान से एक ओर सीमा लग जाती है। हो सकता है कि वे

विकल्पो के दूसरे उपयोगो को जानते ही नहीं।

(३) मनुष्य कभी-कभी रीति-रिवाजो अथवा फैशन के अधीन हो जाते हैं और सही उपभोग करने योग्य नहीं रहते।

(४) एक और सीमा इसलिए लागू हो जाती है क्योंकि वस्तुओं का छोटे-छोटे टुकड़ो में विभाजन नहीं हो सकता, जिससे कि उपभोक्ता सीमान्त उपयोगिताओं को समान कर सके।

(५) व्यक्तियों का कोई निश्चित आय-व्ययक (Budget) काल नहीं है। यदि एक निश्चित समय भी है तो भी इस सिद्धान्त का लागू होना व उपभोग की हुई वस्तुओं की स्थिरता की भिन्न-भिन्न मात्राओं के कारण कठिन है। एक स्थायी वस्तु कई क्रमिक लेखा किये हुए काल में उपभोग की जा सकती है। यह सरल नहीं है कि उसको एक लेखा किये हुए समय के आय और व्यय के हिसाब में यह देखने के लिए लाया जाये कि इस काल में सन्तुष्टि सबसे अधिक हुई है।

(६) अन्त में सम सीमान्त उपयोगिता नियम (law of equi-marginal utility) की सन्तुष्टि तभी होगी जबकि उपभोग की हुई वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता तथा उनकी कीमतों के बीच में अनुपात हो। इस प्रकार

$$\frac{\text{क की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{क की कीमत}} = \frac{\text{ख की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{ख की कीमत}} = \text{ग}$$

जब तक ग=१ नहीं होगा, नियम की सन्तुष्टि न होगी। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उपभोक्ता एक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता तथा उसकी कीमत बराबर करें।

उपभोक्ता की वचत (Consumer's Surplus)

८ अर्थ (Meaning)—मार्शल ने उपभोक्ता की वचत का विचार सबसे प्रथम प्रस्तुत किया। उनका विचार उस बात के उचित वर्णन करने का था जिससे सब उपभोक्ता परिचित हैं।

हमारी साधारण खरीद ब्रेच में भी, कुछ-न-कुछ उपभोक्ता की वचत होती है चूँकि जो हम वास्तव में अदा करते हैं उससे ज्यादा अदा करने के लिए तैयार रहते हैं। उन वस्तुओं के खरीदने में जो विशेषतः लाभदायक तथा सस्ती होती है, उदाहरणार्थ पोस्ट कार्ड, अखबार, दियासलाई, नमक आदि। यदि कोई विकल्प ही न हो, तो उनके लिए हम जो कुछ देते हैं उससे कहीं अधिक देने को तैयार हो जावेंगे। जो अतिरिक्त सन्तुष्टि हम पाते हैं, उसी को उपभोक्ता की वचत कहते हैं।

मार्शल के शब्दों में, "किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार है और जो कि वह वास्तव में देता है उसका अन्तर ही इस

अधिक सतृष्टि की आर्थिक माप है। इसको उपभोक्ता की वचत कह सकते हैं।¹

“The excess of the price which he (i. e. consumer) would be willing to pay rather than go without the thing over that which he actually does pay is the economic measure of this surplus satisfaction. It may be called Consumer's Surplus”
—Marshall


सक्षेप में, उपभोक्ता की वचत = जो कुछ हम देने को तैयार हैं—जो कुछ हम वास्तव में देते हैं।

६ उपभोक्ता की वचत तथा घटती हुई उपयोगिता का नियम (Consumer's Surplus and the Law of Diminishing Utility)—उपभोक्ता की वचत का सिद्धान्त घटती हुई उपयोगिता के नियम से निकलता है। अध्याय ४, विभाग २ में तालिका को देखिये।

मान लीजिये कि प्रत्येक सेव का मूल्य बाजार में ६ पैसा है। उपभोक्ता उस सीमा तक सेव खरीदता जायेगा जहां तक कि उसकी सीमान्त उपयोगिता मूल्य के बराबर हो जाये। इस भाँति वह ५ सेव खरीदेगा और प्रत्येक के लिए ६ पैसे देगा। (उपयोगिता की एक इकाई एक पैसे के बराबर मान ली गई है)। इस प्रकार वह कुल ३० पैसे व्यय करेगा परन्तु ५ सेवों से उसकी कुल उपयोगिता ७० पैसों से मापी जाती है। इस भाँति वह ४०

पैसों के बराबर उपभोक्ता की वचत प्राप्त करता है। यह प्रवृत्ति इस कारण है कि उसने उसके उपभोग से वचत रहने की अपेक्षा ७० पैसे दे दिये होते परन्तु वह वास्तव में ३० पैसे ही देता है। यदि मूल्य ११ पैसे हो जाता है तो वह ४ सेव खरीदेगा और ४४ पैसे देगा जबकि कुल उपयोगिता ६४ पैसे के बराबर है। इसमें उसको २० पैसे के बराबर उपभोक्ता की वचत मिलेगी और इसी प्रकार आगे होगा।

नीचे उपभोक्ता की वचत का रेखाचित्र द्वारा निरूपण किया गया है —



चित्र नं० ११

उ क पर वस्तु की खरीदी जाने वाली इकाइयाँ मापी गई हैं और उ ख पर द्रव्य

1 For later refinements in the concept of Consumer's Surplus, reference may be made to Hick's article on "The Generalized Theory of Consumer's Surplus" in the "Review of Economic Studies" (1945—46) Vol. XIII (2), No 34

में उपयोगिता मापी गई है, जिसका अर्थ उस मूल्य से है जो उपभोक्ता, वस्तु की किसी विनिगिष्ट इकाई के उपभोग की अपेक्षा देने को तैयार है।

यदि प्रचलित कीमत प म है, तो उपभोक्ता म इकाई तक खरीदेगा। वह उ म मात्रा खरीदेगा। ऐसा इस कारण है कि इस राशि पर उसकी सीमान्त उपयोगिता मूल्य के बराबर है। परन्तु उसकी पहली इकाइयों की सीमान्त उपयोगिता प म से अधिक है। उदाहरणार्थ म' इकाई की सीमान्त उपयोगिता प' म' है, परन्तु वह इस इकाई के लिए दूसरी इकाइयों की भाँति केवल प म (=प'' म') प्रचलित मूल्य ही देता है। इस प्रकार म' इकाई के लिए प' प'' के बराबर अधिक उपयोगिता प्राप्त करता है। यह उस इकाई की उपभोक्ता की वचत है। इस प्रकार जब उ म इकाई प म मूल्य पर खरीदी जाती है, तो जो उपभोक्ता की कुल वचत उसको मिलती है वह रगे हुए क्षेत्र य अ प से दिखाई गई है। यदि प्रचलित कीमत प' म' तक बढ़ जाती है तो वह केवल उ म' मात्रा ही खरीदेगा और उपभोक्ता की वचत एक छोटे त्रिभुज य अ' प' तक गिर जायेगी।

उपभोक्ता की वचत इसलिए होती है कि कुछ खरीदार सीमान्त होते हैं तथा दूसरे नहीं। वह खरीदार जो सीमान्त खरीदार के ऊपर हैं, वचत प्राप्त करते हैं। इमी प्रकार एक उपभोक्ता सीमा के भीतर के क्रय में अर्थात् वह क्रय जो सीमान्त नहीं है, वचत प्राप्त करता है।

उपभोक्ता की वचत की गणना करने में हम परिपूर्ण बाजार (perfect market) की अर्थात् प्रत्येक इकाई के लिए समान कीमत की कल्पना कर लेते हैं। यदि किसी उपभोक्ता के लिए कीमत में अन्तर हो, अर्थात् पहिले की इकाइयों के लिए अधिक कीमत तथा क्रमिक इकाइयों के लिए कम कीमत ली जाए तो परिपूर्ण बाजार की अपेक्षा वस्तु की उसी ही मात्रा के लिए उसको अधिक देना होगा। इस प्रकार भिन्न-भिन्न कीमत वाले बाजार की अपेक्षा पूर्ण बाजार में क्रय करने से वचत प्राप्त होगी।

१० क्या उपभोक्ता की वचत मापी जा सकती है ? (Can Consumer's Surplus be Measured ?)—ऐसा मालूम होता है कि यह मापी जा सकती है। हमने ऊपर स्पष्ट कर दिया था कि उपभोक्ता की वचत, जो कुछ हम उपभोग से वचित रहने की अपेक्षा देने को तैयार हैं, तथा जो कुछ वास्तव में देते हैं, दोनों का अन्तर है, अथवा यह नीचे दिये हुए सूत्र से निश्चय किया जा सकता है —

उपभोक्ता की वचत = कुल उपयोगिता — मूल्य × क्रय की हुई इकाइयों की संख्या।
यह कितना साधारण प्रतीत होता है।

किन्तु उपभोक्ता की वचत की माप इतनी साधारण नहीं है। उपभोक्ता की वचत की ठीक-ठीक माप के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ना है।

(१) माँग की कीमतों की पूर्ण सूची प्राप्य नहीं है—हम केवल माँग अनुसूची (demand schedule) के एक भाग को ही जानते हैं। क्योंकि हम यह नहीं जानते कि प्रत्येक इकाई के लिए हम कितना देने को तैयार होंगे, उपभोक्ता की वचत निश्चय नहीं की जा सकती। तो भी वास्तविक जीवन में हमें माँग अनुसूची के उस भाग से

सम्बन्ध रखते हैं, जिस से हम भली भाँति परिचित हैं। कीमतों के छोटे-छोटे परिवर्तनों की प्रतिक्रियाओं का ज्ञान भली भाँति रहता है। वास्तविक जीवन में हम कल्पित दुर्लभता की कीमतों से या बहुत सस्ती कीमतों को ध्यान में नहीं रखते।

(२) उपभोक्ता की वचन आवश्यकताओं तथा लौकिक अनिवार्यताओं में असीमित और अमापनीय है। आवश्यक तथा लौकिक अनिवार्यताओं में से कोई निश्चित मनुष्य नहीं मिलती। उनकी मनुष्य से केवल दुःख दूर होता है और कोई आनन्द नहीं मिलता। पैटन (Patten) इसको 'दुःखमय' अर्थव्यवस्था (pain economy) कहते हैं। जब आवश्यक (necessary) अनिवार्यताओं की मनुष्य हो जाती है तभी उपभोक्ता की वचन का प्रश्न उठ सकता है। इस अवस्था को जिमको पैटन 'आनन्दमय' अर्थव्यवस्था (pleasure economy) कहते हैं, उपभोक्ता की वचन होती है।

(३) उपभोक्ता की स्थिति भिन्न होती है (Consumers' Circumstances vary)—कुछ उपभोक्ता धनी तथा कुछ निर्धन होते हैं। एक धनी पुरुष किसी वस्तु के लिए उसके उपभोग से वचित रहने की अपेक्षा कहीं अधिक देने को तैयार रहता है। उपभोक्ता की स्थिति में इस भिन्नता से उपभोक्ता की वचन मापने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को औसत निकालने में दूर किया जा सकता है। जब धनी तथा निर्धन, अधिक खरीदार होते हैं, तब व्यक्तिगत स्थितियों के अन्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

(४) उपभोक्ताओं की चैतन्यता भिन्न है (Consumers differ in sensibilities)—प्रत्येक उपभोक्ता की भिन्न-भिन्न शक्ति तथा चैतन्यता (sensitivity) होती है। कुछ दूसरों की अपेक्षा एक वस्तु को पाने के बहुत उत्सुक होते हैं तथा उसके लिए अधिक देने को तैयार रहते हैं। यह कठिनाई भी पहले की भाँति औसत निकालने से दूर हो सकती है। जब हम तमाम उपभोक्ताओं के व्यवहार का विचार करते हैं तो व्यक्तिगत रुचि तथा चैतन्यता का ध्यान हटा देते हैं।

(५) द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता में परिवर्तन होता रहता है (Marginal Utility of Money Changes)—जैसे-जैसे हम किसी वस्तु को खरीदते जाते हैं, हमारे पास द्रव्य की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए द्रव्य की प्रत्येक इकाई की सीमान्त उपयोगिता बढ़ जाती है। परन्तु जब हम उपभोक्ता की वचन मापते हैं तो हम द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता में उम परिवर्तन का ध्यान नहीं रखते। इस आक्षेप के उत्तर में हम कह सकते हैं कि वास्तविक व्यवहार में हम अकेली वस्तु के खरीदने में केवल थोड़ी मात्रा में ही द्रव्य व्यय करते हैं। अतएव द्रव्य की सीमान्त उपयोगिताओं में परिवर्तन बहुत ही कम होता है।

(६) एक और कठिनाई यह है कि एक वस्तु की क्रय में प्रत्येक वृद्धि के साथ पहली क्रय की हुई इकाइयों की आवश्यकता घट जाती है तथा उपयोगिता कम हो जाती है। जब हम उपभोक्ता की वचन मापते हैं तो पहली इकाइयों की उपयोगिता की इस कमी का ध्यान नहीं रखते। उपभोक्ता की वचन ठीक ठीक मापने के लिए यह संकेत किया जाता है कि पहली इकाइयों की माँग के मूल्य की सूची को लगातार बदलना चाहिये। यह

आक्षेप सही होता यदि प्रत्येक इकाई के सामने की लिखी हुई उपयोगिता औ कि अतिरिक्त उपयोगिता। केवल औसत हर पग पर बदलता है न कि अतिरिक्त (अध्याय ४ विभाग २ में तालिका को देखो)। यदि उपभोक्ता दो सेव खर औसत १९ है, तीन सेवो पर वह ५३/३ है और चार पर १६ है और १ जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु की चाहे जितनी भी इकाइयाँ खरीदी निस्सदेह ही बदलेगा, परन्तु सीमान्त अथवा अतिरिक्त उपयोगिता नहीं बदल

(७) फिर प्रतिस्थापन वस्तुओ की उपस्थिति के कारण भी कुछ कठिन होती है। यह पहले ही बता दिया गया है कि उनकी उपयोगिता की माप नाई उपस्थित हो जाती है।^१ इस कठिनाई को दूर करने के लिए चाय और दो प्रतिस्थापन वस्तुओ को एक मान लेना चाहिये जैसा कि मार्गल ने बताया

(८) विशिष्टता (Distinction) के लिए उपयोग की जाने वा हीरा जैसी वस्तुओ को कीमत में कमी से माँग में वृद्धि न होगी। जब ऐसी हो जाती है, तो वे उपभोक्ता के लिए कोई श्रेष्ठता नहीं रखती। अतएव गिर सकती है। इसलिए ऐसी स्थितियों में कीमत में कमी होने से उपभोक्त नहीं बढेगी।

इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपभोक्ता की वचत क मापन असम्भव है। परन्तु इम कारण उपभोक्ता की वचत की धारणा व व्यावहारिक जीवन में, चाहे वह व्यवसाय से या सार्वजनिक वित्त से सम्बद्ध ह की वचत की माप के बारे में एक मोटा तथा कार्ययुक्त विचार सदैव ही बना

११. उपभोक्ता की वचत की समालोचना (Criticism sumer's Surplus)—केनन निकलसन राँविन्सन तथा हैविनपोर्ट शास्त्रियों ने उपभोक्ता की वचत के सिद्धान्त की कडी समालोचना की वैज्ञानिक लक्षण पर यह आक्षेप लगाया गया है कि यह ऐसी कल्पनाओ पर जो अनुचित है। इसका माप करने में हम यह कल्पना कर लेते हैं कि उपयो ठीक मापी जा सकती है और द्रव्य में बदली जा सकती है। यह भी मान है कि किसी वस्तु की भिन्न-भिन्न इकाइयो की भिन्न-भिन्न उपयोगिताएँ हो अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता निरपेक्ष (absolute) समझ ली कि वह वास्तव में नहीं है। यह भी मान लिया जाता है कि द्रव्य की सीमान्त स्थिर रहती है। जब हम द्रव्य व्यय करते जाते हैं, तो हमारे पास बची हुई द्रव इकाई की उपयोगिता बढ़ती जाती है। जबकि वस्तु की सीमान्त उपयोगिता है। इससे उपभोक्ता की वचत को मापने में अधिक कठिनाई होने हिक्स ने तटस्थता वक्र द्वारा उपभोक्ता की वचत को प्रस्तुत किया ह जिसके सिद्धान्त इस कल्पना से स्वतन्त्र हो जाता है।^२

सम्बन्ध रखते हैं, जित्त से हम भली भाँति परिचित हैं। कीमतों के छोटे-छोटे परिवर्तनों की प्रतिनिधियों का ज्ञान भली भाँति रहता है। वास्तविक जीवन में हम कल्पित दुर्लभता की कीमतों से या बहुत मस्ती कीमतों को ध्यान में नहीं रखते।

(२) उपभोक्ता की वचत आवश्यकताओं तथा लौकिक अनिवार्यताओं में असीमित और अमापनीय है। आवश्यक तथा लौकिक अनिवार्यताओं में से कोई निश्चित सन्तुष्टि नहीं मिलती। उनकी सन्तुष्टि से केवल कुछ दूर होता है और कोई आनन्द नहीं मिलता। पैटेन (Patten) इसको 'दुःखमय' अर्थव्यवस्था (pain economy) कहते हैं। जब आवश्यक (necessary) अनिवार्यताओं की सन्तुष्टि हो जाती है तभी उपभोक्ता की वचत का प्रश्न उठ सकता है। इस अवस्था को जिमको पैटेन 'आनन्दमय' अर्थव्यवस्था (pleasure economy) कहते हैं, उपभोक्ता की वचत होती है।

(३) उपभोक्ता की स्थिति भिन्न होती है (Consumers' Circumstances vary)—कुछ उपभोक्ता धनी तथा कुछ निर्धन होते हैं। एक धनी पुरुष किसी वस्तु के लिए उसके उपभोग से वचित रहने की अपेक्षा कहीं अधिक देने को तैयार रहता है। उपभोक्ता की स्थिति में इस भिन्नता में उपभोक्ता की वचत मापने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को औसत निकालने से दूर किया जा सकता है। जब धनी तथा निर्धन, अधिक खरीदार होते हैं, तब व्यक्तिगत स्थितियों के अन्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

(४) उपभोक्ताओं की चैतन्यता भिन्न है (Consumers differ in sensibilities)—प्रत्येक उपभोक्ता की भिन्न-भिन्न रुचि तथा चैतन्यता (sensitivity) होती है। कुछ दूसरों की अपेक्षा एक वस्तु को पाने के बहुत उत्सुक होते हैं तथा उसके लिए अधिक देने को तैयार रहते हैं। यह कठिनाई भी पहले की भाँति औसत निकालने से दूर हो सकती है। जब हम तमाम उपभोक्ताओं के व्यवहार का विचार करते हैं तो व्यक्तिगत रुचि तथा चैतन्यता का ध्यान हटा देते हैं।

(५) द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता में परिवर्तन होता रहता है (Marginal Utility of Money Changes)—जैसे-जैसे हम किसी वस्तु को खरीदते जाते हैं, हमारे पास द्रव्य की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए द्रव्य की प्रत्येक इकाई की सीमान्त उपयोगिता बढ़ जाती है। परन्तु जब हम उपभोक्ता की वचत मापते हैं तो हम द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता में इस परिवर्तन का ध्यान नहीं रखते। इस आक्षेप के उत्तर में हम कह सकते हैं कि वास्तविक व्यवहार में हम अकेली वस्तु के खरीदने में केवल थोड़ी मात्रा में ही द्रव्य व्यय करते हैं। अतएव द्रव्य की सीमान्त उपयोगिताओं में परिवर्तन बहुत ही कम होता है।

(६) एक और कठिनाई यह है कि एक वस्तु की क्रय में प्रत्येक वृद्धि के साथ पहली क्रय की हुई इकाइयों की आवश्यकता घट जाती है तथा उपयोगिता कम हो जाती है। जब हम उपभोक्ता की वचत मापते हैं तो पहली इकाइयों की उपयोगिता की इस कमी का ध्यान नहीं रखते। उपभोक्ता की वचत ठीक-ठीक मापने के लिए यह संकेत किया जाता है कि पहली इकाइयों की माँग के मूल्य की सूची को लगातार बदलना चाहिये। यह

आक्षेप सही होता यदि प्रत्येक इकाई के सामने की लिखी हुई उपयोगिता औसत होनी न कि अतिरिक्त उपयोगिता। केवल औसत हर पग पर बदलता है न कि अतिरिक्त उपयोगिता (अध्याय ४ विभाग २ में तालिका को देखो)। यदि उपभोक्ता दो सेव खरीदता है, तो औसत १९ है, तीन सेवो पर वह ५३/३ है और चार पर १६ है और ऐसे ही होता जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु की चाहे जिननी भी इकाइयाँ खरीदी जाये औसत निस्सदेह ही बदलेगा, परन्तु सीमान्त अथवा अतिरिक्त उपयोगिता नहीं बदली जायगी।

(७) फिर प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपस्थिति के कारण भी कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। यह पहले ही बता दिया गया है कि उनकी उपयोगिता की माप में कैसे कठिनाई उपस्थित हो जाती है।^१ इस कठिनाई को दूर करने के लिए चाय और काफी जैसी दो प्रतिस्थापन वस्तुओं को एक मान लेना चाहिये जैसा कि मार्शल ने बताया है।

(८) विशिष्टता (Distinction) के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ—हीरा जैसी वस्तुओं की कीमत में कमी से माँग में वृद्धि न होगी। जब ऐसी वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं, तो वे उपभोक्ता के लिए कोई श्रेष्ठता नहीं रखती। अतएव उनकी माँग गिर सकती है। इसलिए ऐसी स्थितियों में कीमत में कमी होने में उपभोक्ता की वचत नहीं बढ़ेगी।

इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपभोक्ता की वचत का ठीक-ठीक मापना असम्भव है। परन्तु इस कारण उपभोक्ता की वचत की धारणा व्यर्थ नहीं है। व्यावहारिक जीवन में, चाहे वह व्यवसाय से या सार्वजनिक वित्त से सम्बद्ध हो, उपभोक्ता की वचत की माप के बारे में एक मोटा तथा कार्ययुक्त विचार सदैव ही बना सकते हैं।

११. उपभोक्ता की वचत की समालोचना (Criticism of Consumer's Surplus)—केनन निकलसन रॉबिन्सन तथा डैविनपोर्ट जैसे अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता की वचत के सिद्धान्त की कड़ी समालोचना की है। इसके वैज्ञानिक लक्षण पर यह आक्षेप लगाया गया है कि यह ऐसी कल्पनाओं पर आधारित है जो अनुचित हैं। इसका माप करने में हम यह कल्पना कर लेते हैं कि उपयोगिताएँ ठीक-ठीक मापी जा सकती हैं और द्रव्य में बदली जा सकती हैं। यह भी मान लिया जाता है कि किसी वस्तु की भिन्न-भिन्न इकाइयों की भिन्न-भिन्न उपयोगिताएँ होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता निरपेक्ष (absolute) समझ ली गई है जो कि वह वास्तव में नहीं है। यह भी मान लिया जाता है कि द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता स्थिर रहती है। जब हम द्रव्य व्यय करते जाते हैं, तो हमारे पास बची हुई द्रव्य की प्रत्येक इकाई की उपयोगिता बढ़ती जाती है। जबकि वस्तु की सीमान्त उपयोगिता गिरती जाती है। इससे उपभोक्ता की वचत को मापने में अधिक कठिनाई होने लगती है। हिक्स ने तटस्थता वक्र द्वारा उपभोक्ता की वचत को प्रस्तुत किया है जिसके कारण यह सिद्धान्त इस कल्पना से स्वतन्त्र हो जाता है।^२

1. अध्याय ४, विभाग १२।

2. Hicks, J K —Value and Capital, (1948) p p 38-40.

देश से व्यापार करने से हम कृठ वस्तुएँ जो सस्ती होती हैं बाहर से मँगाते हैं। बाहर से मँगाने से पहले हम उसी प्रकार की वस्तुओं के लिए अधिक देते थे। वे हमको अतिरिक्त सतुष्टि देनी हैं जिसकी हम इस प्रकार माप कर सकते हैं—वह मूल्य जो हम देने के लिए तैयार थे, तथा वह मूल्य जो हम वास्तव में देते हैं, उनका अन्तर ही हम सतुष्टि का माप होगा। जितनी अधिक यह वचत होगी उतना ही लाभदायक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होगा।

१३ उपभोक्ताओं के अधिमान (Consumers' Preferences)—वह अध्याय समाप्त करने के पहले उपभोक्ता के चुनावों के बारे में कुछ कहा जा सकता है। जिम सप्ताह में हम रहते हैं चुनाव जरूरी है। इसका कारण समय, शक्ति तथा द्रव्य में हमारे साधनों का सीमित होना और उनके उपयोगों का असीमित होना है। हमको उन वस्तुओं में जिनको हम खरीद सकते हैं अथवा जिनको खरीदते हैं, निरन्तर चुनाव करना पड़ता है। ऐसे निर्णय हमारे अधिमानों (preferences) को प्रकट करते हैं। अपने मोतों से अधिकाधिक सतुष्टि पाने के लिए, उपभोक्ता को खरीदने वाले माल के बारे में अपनी छूट (अधिमान) बना लेना चाहिए। हमारे शब्दों में, उसकी 'अधिमानों की माप' (scale of preferences) होनी चाहिए।

अर्थशास्त्र में हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता अपनी अभिरुचि, लाभ तथा त्याग का उचित विचार और सचेत गणना करके करता है। अतएव हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता प्रेरणा, स्वभाव, रीति-रिवाज तथा आलस्य से प्रभावित नहीं होता। हम यह भी मान लेते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता पर्याप्त समय यह सोचने में लगता है कि वह एक वस्तु खरीदे या नहीं और खरीदे तो कितनी? वह सबसे सस्ती दुकान खोजने तथा अच्छा सौदा करने की मेहनत से पीछे नहीं हटता। हम यह सब इस कारण मानते हैं कि अन्यथा आर्थिक सामान्य अनुमान (economic generalisations) असम्भव हो जायेंगे। तब अर्थशास्त्री भिन्न-भिन्न आर्थिक क्षेत्रों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के योग्य नहीं रहेगा।

परन्तु हमको यह न भूल जाना चाहिये कि उपभोक्ताओं की अभिरुचि वास्तव में विवेकपूर्ण नहीं होती। अधिक मनुष्य वस्तुओं को स्वभाव तथा केवल अनुकरण से ही खरीदते हैं। वह आकर्षित विज्ञापनों द्वारा प्रलोभित हो जाते हैं। कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जो कीमत के सम्बन्ध में पृथक्करण करने का कष्ट उठाते हैं। बहुत-से व्यक्ति तो यों ही बिना सोचे समझे खरीदते हैं। व्यय के लिए पहले से प्रवन्ध नहीं किया जाता। हम कभी यह नहीं सोचते कि वास्तव में हमको एक वस्तु खरीदनी चाहिये या नहीं। इसके सिर्फ कुछ ही अपवाद हैं यह मानना भी वास्तविकता से परे हटना होगा कि उपभोक्ता अपने 'अधिमानों की माप' (scales of preferences) के बारे में पूर्ण रूपसे सचेत होते हैं या यह कि ये माप (scale) पूर्ण तथा स्थिर हैं।

उपभोक्ताओं की अभिरुचि की कुछ भी प्रकृति हो तो भी वह हमारी आर्थिक पद्धति में निश्चित करने वाला साधन है। उपभोक्ता के प्रभुत्व का नीचे के विभाग में विवेचन किया गया है।

१४ उपभोक्ता का प्रभुत्व (Sovereignty of the Consumer)^१— पूजीवाद अथवा अबाध प्रतियोगिता (free competition) में उपभोक्ता की तुलना एक सम्राट् से की गई है। समस्त उत्पादक यत्र उसकी प्रभुता के अन्दर कार्य करते माने गये हैं। उसके मन की लहरें, उसका पक्षपात तथा उसकी इच्छाएँ (production) के सप्ताह पर शासन करती हैं। आधुनिक उद्योग के उद्यमी उसके गुलाम हैं और उसकी आज्ञा पालन करने वाले एजेंट हैं। यदि उपभोक्ता प्रसन्न है तो उद्यमी भी प्रसन्न तथा नैर्भाग्यशाली होंगे और यदि उपभोक्ता असंतुष्ट है तो उद्यमी के भी भाग्य पर ताला लग जायगा।

पहले जमाने में उपभोक्ता का अधिकार स्पष्ट था। उपभोक्ता जूतो, कपड़ों इत्यादि का आर्डर करता था और बनाने वाला केवल आज्ञा का पालन सच्चाई से करता था। उपभोक्ता को जो वह चाहता था, मिलता था। वह निःसदेह सम्राट् था।

परन्तु आधुनिक उत्पादक आज्ञानुसार कार्य नहीं करता। वह कार्य का पहले से अनुमान करता है। उद्यमी का यह कार्य है कि वह चतुराई से यह अनुमान लगाये कि कौन-सी वस्तुओं से उपभोक्ता अधिक संतुष्ट होगा। परन्तु यहाँ भी उपभोक्ता के अधिमानों (preference) का पूरा प्रभाव पड़ता है। यदि उद्यमी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का ठीक-ठीक चतुरतापूर्वक अनुमान नहीं लगा सकता अथवा उसकी स्थिर की हुई कीमतें उपभोक्ता के अनुकूल नहीं हैं तो उसकी वस्तुओं की विक्री नहीं होगी।

पूजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसे उद्यमी ही सफल होंगे जो उपभोक्ताओं को सबसे अधिक संतुष्ट रखते हैं। "व्यापक उपभोग सर्वमताधिकार की भाँति है। यह नियंत्रण का एक लोकप्रिय साधन है। उपभोग के लिए केवल इस गुण की आवश्यकता होगी कि उसकी आय पर अधिकार हो जिससे कि वाछनीय वस्तुएँ प्राप्त होंगी। आर्थिक चुनाव में एक उपभोक्ता उतने वोट डालता है जितने कि उसके पास खर्च करने के लिए हो। यदि आर्थिक नियोजकगण (economic electorates) अपना रूपया आवश्यकताओं की अपेक्षा खिलौनों पर तथा शुद्ध अथवा सुन्दर वस्तुओं की अपेक्षा बनावटी अथवा भद्दी वस्तुओं पर व्यय करना चाहते हैं तो उन वस्तुओं का उत्पादन किया जायगा। हमारी उद्योग सम्बन्धी क्रियाएँ उपभोक्ता के चुनाव पर चाहे वह चतुर हो अथवा भूढ़, व्यवसाय की क्रियाओं का संचालन होता है। यह एक विजली के सर्कट को रोकने (close the electric circuit)के समान है, जोकि ऐसी धारा पैदा करे जिससे कि उत्पादन का यत्र तीव्र गति से चालू हो सके।"^२ प्रत्येक आर्थिक क्रिया का मौलिक कारण उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि है।

१५. उपभोक्ता के प्रभुत्व की सीमाएँ (Limitations on Consumer's Sovereignty)—उपभोक्ता इतना निरंकुश सम्राट् नहीं है जैसा कि वह माना गया है। अधिक-से-अधिक हम उसको एक वैधानिक अथवा सीमित सम्राट् कह सकते हैं।

1 See Benham, F — Economics

2 Kieckhefer, W H.—Economic Principles, Problems and Policies, (1936) p 652.

वैधानिक सम्राट् प्रजा पर शासन करता है, किन्तु उसे अधीन नहीं करता। हमारे उपभोक्ता सम्राट् के प्रभुत्व पर कुछ कटे प्रतिवन्ता हैं।

(क) उसके प्रभुत्व पर सबसे आवश्यक रोक उसकी आय का विस्तार है। वस्तुएँ उसकी आज्ञानुसार नहीं चलती जब तक कि वह द्रव्य के कोठे का प्रयोग नहीं करता। उपभोक्ता असली धी चाहता है पर भुगतान के साधन न होने के कारण उस को डालडा से ही मत्पुष्ट रहना पड़ता है। उपभोक्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि आधुनिक आर्थिक पद्धति में नहीं होती और केवल उन्ही आवश्यकताओं की सन्तुष्टि होती है जोकि द्रव्य में स्पष्ट की जाती है।

फिर व्यक्तिगत उपभोक्ता की क्या गणना ? यह तो केवल सबकी सम्मिलित भाग है, जो शासन करती है।

(ख) उपभोक्ता की सन्तुष्टि उन वस्तुओं पर निर्भर है जो बाजार में मिलती हैं। कुछ भौतिक सीमाये भी है। वास्तविक उत्पादन उस समय के औद्योगिक ज्ञान पर निर्भर है और यत्रकला का विकास उपभोक्ता की इच्छाओं से पीछे रहता है। हम ध्वनि-रहित रेलगाडियाँ चाहते हैं, परन्तु हमें उस समय तक ठहरना होगा जब तक कि यत्रकला का विकास न हो ले। उपभोक्ता के अधिमान, जो कुछ किमी समय पर प्रस्तुत है उससे आगे ही रहते हैं।

(ग) सेल्समैनी (विक्री कला) तथा बराबर विज्ञापन होने से उपभोक्ता की वास्तविक इच्छाओं में सुधार होता है। प्रचार का यन्त्र उपभोक्ता की रुचि का नियन्त्रण करने तथा बनाने में लगाया जाता है। अतएव उनको जो कुछ वह खरीदते उससे कुछ भिन्न खरीदने का प्रोत्साहन मिलता है। हमारा उपभोक्ता सम्राट् निर्वल तथा असहाय है। वही व्यवसायी सफल होता है जो केवल उपभोक्ता की उभरी हुई आवश्यकताओं की सन्तुष्टि ही नहीं करता बरन् जो उपभोक्ता की रुचि अपनी विशेष प्रकार की वस्तुओं की ओर आकर्षित करता है। प्रत्येक देश में ज्यादा पैसा विज्ञापन पर व्यय किया जाता है। उपभोक्ता को सड़क के दोनों ओर, रेल के प्लेटफार्मों, पेडों के तनों, टेलीग्राफ के खम्भों, घरों तथा ट्राम पर लम्बे और आकर्षक विज्ञापन दीख पड़ते हैं। एली के मतानुसार "सयुक्त राज्य अमरीका में केवल राष्ट्रीय विज्ञापन पर ही प्रत्येक मर्द, औरत तथा बच्चे का लगभग १० डालर खर्च होता है। सैंटरडे ईवनिंग पोस्ट के प्रत्येक अंक में विज्ञापन की लागत लगभग १० लाख डालर है।"^१ एक दूसरी गणना यह भी है कि "केवल सयुक्त राज्य अमरीका में ही, लगभग ५ लाख मनुष्य विज्ञापन के कार्य में लगे रहते हैं और राष्ट्र का वार्षिक विज्ञापन खर्च १५० से २०० करोड़ डालर तक होता है।"^२ यह सब द्रव्य उपभोक्ता को प्रसन्न करने के हेतु नहीं, बरन् उत्पादक को मालदार बनाने के लिए खर्च किये जाते हैं। विज्ञापन तथा सेल्समैनी (विक्रीकला) पर खर्च किया हुआ प्रत्येक रुपया उपभोक्ता के प्रभुत्व के शक के बक्स में एक कील के समान है। हम वेन्डम से सहमत नहीं हैं जब वह कहते हैं कि एक सम्राट् अपने कुछ कार्यों में अपने गुलामों से

1 Ely—Outlines of Economics, (1930), p 145

2 Kieckhofer, op cit, p 154

सलाह ले सकता है, पर तो भी वह एक सम्राट् ही रहता है। यह प्रभुत्व नाममात्र का है और राजतन्त्र का एक बहुत तुच्छ प्रतिरूप है।

उपभोक्ता की लाचारी का एक प्रमाण भी देखिये। "नि सन्देह अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष अत्यधिक व्यय करते हैं यद्यपि वे ऐसा करने में अममर्थ हैं। लैम्प भी खरीदते हैं जो कि एक ओर तो प्रकाश देता है और दूसरी ओर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुछ अन्य विजली के यन्त्र (जैसे टोस्ट सेंकने की मशीन तथा विजली की इस्त्री आदि) भी खरीदते हैं जो कि कुछ सीमाओं तक तो मानव जाति के लिए अधिक लाभदायक हैं पर उससे परे भयकर हानिकारक सिद्ध हुए हैं। कुछ उपभोक्ताओं की लाचारी उनकी अनभिज्ञता के कारण होती है, क्योंकि वह यह नहीं जानते कि कितनी शक्ति की विजली से कौन-सा कार्य लिया जा सकता है और तार खुले होने के कारण विजली के यन्त्र मनुष्य के लिए कितने घातक होते हैं।^१ यह बहुत-से उत्पादन के सम्बन्ध में भी लागू है।

(घ) एकाधिकारी भी उपभोक्ता पर नियंत्रण रखता है। आधुनिक काल में संघ अथवा गुटबन्दी की ओर प्रवृत्ति है। कुछ फर्मों का व्यवसाय अथवा उत्पादन पर अधिकार हो जाता है। फिर वे उपभोक्ताओं से, जिनकी कीमत तय करने में तथा उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं होता, मनमाने दाम लेती हैं।

(च) साथ ही सरकारी नियंत्रण भी है जिनसे हम भली भाँति परिचित हैं। साधारण समय में भी सरकार कुछ मादक वस्तुओं का या तो निषेध कर देती है या उनके उपभोग पर रोकटोक लगा देती है। सरकार उत्पादन की प्रगति पर प्रभाव डाल सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार स्वयं ही सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इसलिए कीमत तय करने पर और वस्तुओं के उत्पादन की श्रेणी पर प्रभाव डाल सकती है।

(छ) उपभोक्ता का स्वभाव भी उसको जकड़ देता है और वह अपने बंधे हुए उपभोग की श्रेणियों से हटना नहीं चाहता। अतएव चुनाव की स्वतन्त्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

(ज) उपभोक्ता के चुनाव पर समाज के वातावरण तथा रूढ़ियों का भी निषेधक प्रभाव पड़ता है। अतएव उपभोक्ता की असीमित स्वतन्त्रता केवल एक कल्पना है।

(झ) उपभोक्ता साधारणतया अज्ञानी होते हैं और वे यह नहीं जानते कि उनके लिए क्या उत्तम है। उनका अन्ध-चुनाव उनके स्वार्थ के अनुसार नहीं होता। अतएव अज्ञानी उपभोक्ता की प्रभुत्व प्रगति में एक और बाधा है। यदि उपभोक्ता को देव कहें, तो वह अवश्य ही एक अन्धा देव होगा।

(ट) प्रमाणीकृत वस्तुओं की उत्पत्ति बिना व्यक्तियों की रुचि का ध्यान रखे हुए यह सिद्ध करती है कि आधुनिक आर्थिक पद्धति इस बात का पूरा ध्यान नहीं रखती कि उपभोक्ता क्या लेना चाहेगा। उपभोक्ताओं को एक में मिला दिया जाता है और वह समुदाय की भाँति माने जाते हैं, सम्राट् के समान नहीं, वरन् भेड़ों के झुण्ड

के समान ।

वास्तव में, एक गरीब देहाती अथवा एक मिल मजदूर को यह विश्वास दिलाना बहुत कठिन है, कि वह जो निरीक्षण करता है उसका वह मन्नाट है, और सारे कारखाने जो काम कर रहे हैं, रेल तथा जहाज जो चल रहे हैं, तथा व्यवसायी जो अपनी दूकानों पर बैठे हैं, अथवा बाजार में डधर-उधर दौड़ रहे हैं, वे सब अपनी जेब भरने की अपेक्षा, उसकी सेवा करने तथा उसको मत्पुष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं । वास्तव में न सिर्फ उपभोक्ता और न उत्पादक मन्नाट है । किसी देश की आर्थिक सफलता उपभोग तथा उत्पादन के उचित मन्तुलन पर निर्भर है । ऐली के शब्दों में "उन्नति चूस्त तथा उत्तरदायी उपभोक्ताओं और समझदार और कुशल उत्पादकों पर निर्भर है । यदि उपभोक्ता आलसी है, तो उत्पादक आलसी ही होंगे ।"

निर्देश पुस्तकें

Wicksteed—Commonsense of Political Economy, Vol 1.

Wicksell, K —Lectures on Political Economy, Vol 1

Erich Roll —Elements of Economic Theory

Hicks, J R —Value and Capital

Marshall, A —Principles of Economics

Boulding, K E —Economic Analysis (1949), ch 29

Cairncross, A —Introduction to Economics

Benham, F —Economics

Review of Economic Studies 1941 43 (Symposium
on Consumer's Surplus)

Meyers, A L —Elements of Modern Economics, (1951) ch 7 (for
Indifference Curves)

Stigler, G J —Theory of Price, (1949), pp 67-85

Fraser, L M—Economic Thought and Language, (1947), ch X

Stoner and Hague—A Text-book of Economic Theory (1953)
ch III

अध्याय ६

माँग

(DEMAND)

१ माँग (Demand)—माँग तथा इच्छा (desire) अथवा आवश्यकता (need) में भेद करना जरूरी है। एक बीमार बच्चे को टॉनिक (बलवर्धक औषध) की आवश्यकता (need) होती है तथा एक चपरासी को एक रेडियो रखने की इच्छा (desire) होती है। परन्तु ऐसी आवश्यकताएँ तथा इच्छाएँ माँग नहीं होती। उस समय जब कि इच्छा करने वाला मनुष्य जो कुछ चाहता है उसके लिए भुगतान करने के योग्य और तैयार है (willing and able to pay), तो इच्छा माँग में परिवर्तित हो जाती है। चंपमैन के शब्दों में "माँग अधिमानों को मात्रिक अभिव्यक्ति है।" (Demands are the quantitative expressions of preferences)"

माँग सदैव किसी कीमत (price) पर होती है। "किसी वस्तु की एक दी हुई कीमत पर माँग उसकी वह मात्रा है जो समय की प्रति इकाई से उस कीमत पर खरीदी जायगी।"¹ ('The demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price.')

इसका अभिप्राय केवल यह है कि एक व्यक्ति किसी दी हुई कीमत पर एक वस्तु को जितनी मात्रा को खरीदने के लिए तैयार हो जायेगा किसी दूसरी कीमत पर वह भिन्न मात्रा खरीदेगा, कम कीमत पर अधिक और अधिक कीमत पर कम खरीदेगा। माँग के बारे में बिना कीमत के निर्देश दिये हुए कुछ भी कहना निरर्थक है। इसके अतिरिक्त माँग सदैव समय की प्रति इकाई में ही मापी जाती है चाहे वह प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह अथवा प्रति वर्ष हो।

विक्रेता के दृष्टिकोण से माँग-कीमत (demand price) वह औसत आय है जो वह उस इकाई की बिक्री में कमाता है। अतः माँग-कीमत तथा औसत आमदनी एक-ही है।


यह बात ध्यान रखने योग्य है कि कोई भी माँग पृथक् (isolated) नहीं होती। चीजों की माँग एक व्यवस्था (system) के अन्तर्गत होती है। उदाहरणार्थ विद्यार्थी को अकेले पुस्तक की जरूरत नहीं होती, उसे किताबें तथा स्टेशनरी आदि का सामान भी चाहिए। हमें चीजें ग्रुप (group) में चाहिए। व्यक्ति के रहन-सहन (standard of living) से माँग की व्यवस्था चलती है।

२. माँग-अनुसूची (Demand Schedule)—भिन्न-भिन्न कीमतों पर

1 Benham—Economics, (1943), p 36

के मिलने के बिन्दु एक वक्र रेखा पर होंगे। माँग अनु-सूची से प्रस्तुत की हुई दशाओं में सेवों की माँग का वक्र इसमें प्रतीत होगा।

वक्र बायें से दाहिने को उपयोगिता-वक्र की भाँति तिरछा है और यह दिखाता है कि जब कीमत गिरती है तो माँग की मात्रा बढ़ती है और विपरीत रूप से जब कीमत बढ़ती है तो माँग की



चित्र न० १२

मात्रा घटती है। माँग वक्र एक स्थिर स्थिति प्रस्तुत करता है। यह किसी समय के दौरान में परिवर्तन नहीं बतला सकता। आप किसी एक दी हुई कीमत पर माँग मालूम कर सकते हैं। दूसरे आवश्यक तथ्यों को भी शामिल किया गया है।

ऊपर खींची हुई माँग-वक्र की कुछ धारणाओं (assumptions) को समझ लेना आवश्यक है —

(I) यह कल्पना की गई है कि उपभोक्ता के स्वभाव में, किसी भी फैशन अथवा मौसम के कारण, कोई परिवर्तन नहीं होता।

(II) यह भी कल्पना की गई है कि उपभोक्ता की आय समान बनी रहती है।

(III) यह भी मान लिया गया है कि उन वस्तुओं की कीमतों में, जिनमें उपभोक्ता का स्वार्थ होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता।

(IV) कीमत-माँग के सम्बन्ध में क्रम अथवा लघु अन्तर (continuity and infinitesimal variations) मान लिया गया है, यद्यपि कभी-कभी माँग एकदम बदल सकती है जबकि कीमत में बहुत थोड़ा-सा परिवर्तन होता है। माँग वक्र इन 'अविरल' (discontinuous) अथवा अलग परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता।

(V) यह कल्पना की गई है कि माँग अति लघु इकाइयों में बदली जा सकती है। परन्तु यह कल्पना वास्तविक नहीं है। अविभाज्य (indivisible) वस्तुओं का माँग-वक्र बराबर तथा सतत (निरन्तर) नहीं होगा। वह अविरल होगा।

(VI) यह भी मान लिया गया है कि कोई अकेला खरीदार कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। उसको कीमत को स्थिर माँगा खरीदारी को व्यवस्थित करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, हम पूर्ण प्रतियोगिता खरीदारी को एकाधिकार (monopoly) को मौजूद नहीं मानते।

४. माँग-वक्र नीचे क्यों झुकता है? (Why slope downwards?)—साधारणतया माँग का

हुई उपयोगिता के नियम के अनुकूल है। हमारे बहुत से क्रय इस नियम-मे निश्चित होते हैं। जब कीमत गिरती है तो नये खरीदने वाले बाजार में खरीदना प्रारम्भ कर देते हैं। और सम्भव है पुराने खरीदार अधिक खरीदें। चूँकि यह वस्तु सस्ती रही है, इसलिए कुछ लोग दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा इसे ही खरीदेंगे। केवल ऐसे ही झुकाव वाले वक्र मे हम को कीमत की छोटी रेखाएँ मात्रा की कक्ष रेखा लम्बे टुकड़ो को काटती हुई मिलती हैं। यदि घटती हुई उपयोगिता का नियम सच है और यह साधारणतः सच ही होता है, तो वक्र रेखा को नीचे की ओर झुकना चाहिये। क्योंकि तभी गिरती हुई कीमतों के साथ बढ़ती हुई माँग की घटना प्रस्तुत की जा सकती है।

कीमत के गिरने पर लोगों के अधिक खरीदने के तीन स्पष्ट कारण हैं —

- (i) द्रव्य की इकाई बढ़ जाती है, जिससे एक व्यक्ति अधिक खरीद सकता है।
- (ii) जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो लोगों का अधिक खरीदना स्वाभाविक होता है।
- (iii) जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसका उपयोग दूसरी वस्तुओं के स्थान में किया जा सकता है। अतः उस वस्तु के पुराने क्रेता पहले से अधिक खरीदते हैं और उनके नये क्रेता बन जाते हैं। इन सबका प्रभाव यह होता है कि जब कीमत गिरती है तो माँग बढ़ जाती है।

परन्तु हमको थोड़ा गहराई में जाकर यह मालूम करना चाहिये कि अन्य बातों के पूर्ववत् रहने पर जब कीमत गिरती है तो माँग क्यों बढ़ती है।¹ बेन्हम ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया है—प्रत्येक उपभोक्ता अपनी सीमित द्रव्य की मात्रा से अधिक-से-अधिक सन्तुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अपने अधिमान माप को जानते हुए वह प्रतिस्थापन नियम तथा सम सीमात पाप्ति नियम (law of substitution and equi-marginal returns) के अनुसार अपने व्यय की इस प्रकार व्यवस्था करेगा कि आखरी इकाई से जिसे वह भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर व्यय करता है, बराबर सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो। यदि कीमतें समान रहती हैं तो वह इस व्यवस्था को चालू रखेगा। परन्तु यदि उस वस्तु की कीमत गिरती है जोकि उसकी वस्तुओं और सेवाओं के चुनावों में है तो उसको अपने व्यय मे उसके अनुरूप परिवर्तन करना पड़ेगा। कीमत के गिरने से सीमात उपयोगिता तथा कीमत के बीच भिन्नता उत्पन्न हो जाती है जिसे दूर करना होगा। यह वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने से हो सकता है ताकि उसकी सीमात उपयोगिता कीमत के बराबर हो जाय। यही कारण है कि मनुष्य कीमत गिरने पर अधिक खरीदते हैं।

अपवादस्वरूप माँग-वक्र (Exceptional Demand Curves)—कभी-कभी माँग-वक्र नीचे झुकने की अपेक्षा ऊपर को उठेगा। दूसरे शब्दों में, मूल्य बढ़ने पर कभी-कभी लोग अधिक भी खरीदेंगे। यह केवल ऊपर बढ़ते हुए वक्र से प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी घटनायें बहुत कम होती हैं परन्तु हम कुछ का अनुमान कर सकते हैं।

1 See Benham, F—Economics, (1943), pp 42-43

के मिलने के बिन्दु एक वक्र रेखा पर होंगे। माँग अनु-मूची से प्रस्तुत की हुई दशाओं में सेवो की माँग का वक्र इसमें प्रतीत होगा।

वक्र वायें से दाहिने को उपयोगिता-वक्र की भाँति तिरछा है और यह दिखाता है कि जब कीमत गिरती है तो माँग की मात्रा बढ़ती है और विपरीत रूप से जब कीमत बढ़ती है तो माँग की

मात्रा घटती है। माँग वक्र एक स्थिर स्थिति प्रस्तुत करता है। यह किसी समय के दौरान में परिवर्तन नहीं बतला सकता। आप किसी एक दी हुई कीमत पर माँग मालूम कर सकते हैं। दूसरे आवश्यक तथ्यों को भी शामिल किया गया है।

ऊपर खींची हुई माँग-वक्र की कुछ धारणाओं (assumptions) को समझ लेना आवश्यक है —

(1) यह कल्पना की गई है कि उपभोक्ता के स्वभाव में, किसी भी फैज़न अथवा मौसम के कारण, कोई परिवर्तन नहीं होता।

(II) यह भी कल्पना की गई है कि उपभोक्ता की आय समान बनी रहती है।


(III) यह भी मान लिया गया है कि उन वस्तुओं की कीमतों में, जिनमें उपभोक्ता का स्वार्थ होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता।

(IV) कीमत-माँग के सम्बन्ध में क्रम अथवा लघु अन्तर (continuity and infinitesimal variations) मान लिया गया है, यद्यपि कभी-कभी माँग एकदम बदल सकती है जबकि कीमत में बहुत थोड़ा-सा परिवर्तन होता है। माँग वक्र इन 'अविरल' (discontinuous) अथवा अलग परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता।

(V) यह कल्पना की गई है कि माँग अति लघु इकाइयों में बदली जा सकती है। परन्तु यह कल्पना वास्तविक नहीं है। अविभाज्य (indivisible) वस्तुओं का माँग-वक्र बराबर तथा सतत (निरन्तर) नहीं होगा। वह अविरल होगा।

(VI) यह भी मान लिया गया है कि कोई अकेला खरीदार कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। उसको कीमत को स्थिर मानकर अपनी खरीदारी को व्यवस्थित करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, हम पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना करते हैं तथा एकाधिकार (monopoly) को मौजूद नहीं मानते।

४ माँग-वक्र नीचे क्यों झुकता है? (Why does Demand Curve slope downwards?)—साधारणतया माँग का वक्र नीचे झुकता है। यह घटती



चित्र न० १२

हुई उपयोगिता के नियम के अनुकूल है। हमारे बहुत से क्रय इस नियम-से निश्चित होते हैं। जब कीमत गिरती है तो नये खरीदने वाले बाजार में खरीदना प्रारम्भ कर देते हैं। और सम्भव है पुराने खरीदार अधिक खरीदे। चूँकि यह वस्तु सस्ती रही है, इसलिए कुछ लोग दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा इसे ही खरीदेंगे। केवल ऐसे ही झुकाव वाले वक्र में हम को कीमत की छोटी रेखाएँ मात्रा की कक्ष रेखा लम्बे टुकड़ों को काटनी हुई मिलती हैं। यदि घटती हुई उपयोगिता का नियम सच है और यह साधारणतः सच ही होता है, तो वक्र रेखा को नीचे की ओर झुकना चाहिये। क्योंकि तभी गिरती हुई कीमतों के साथ बढ़ती हुई माँग की घटना प्रस्तुत की जा सकती है।

कीमत के गिरने पर लोगों के अधिक खरीदने के तीन स्पष्ट कारण हैं —

(1) द्रव्य की इकाई बढ़ जाती है, जिससे एक व्यक्ति अधिक खरीद सकता है।

(ii) जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो लोगों का अधिक खरीदना स्वाभाविक होता है।

(iii) जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसका उपयोग दूसरी वस्तुओं के स्थान में किया जा सकता है। अतः उस वस्तु के पुराने क्रेता पहले से अधिक खरीदते हैं और उनके नये क्रेता बन जाते हैं। इन सबका प्रभाव यह होता है कि जब कीमत गिरती है तो माँग बढ़ जाती है।

परन्तु हमको थोड़ा गहराई में जाकर यह मालूम करना चाहिये कि अन्य बातों के पूर्ववत् रहने पर जब कीमत गिरती है तो माँग क्यों बढ़ती है।¹ बेन्हम ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया है—प्रत्येक उपभोक्ता अपनी सीमित द्रव्य की मात्रा से अधिक-से-अधिक सन्तुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अपने अधिमान माप को जानते हुए वह प्रतिस्थापन नियम तथा सम सीमात प्राप्ति नियम (law of substitution and equi-marginal returns) के अनुसार अपने व्यय की इस प्रकार व्यवस्था करेगा कि आखरी इकाई से जिसे वह भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर व्यय करता है, बराबर सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो। यदि कीमतें समान रहती हैं तो वह इस व्यवस्था को चालू रखेगा। परन्तु यदि उस वस्तु की कीमत गिरती है जोकि उसकी वस्तुओं और सेवाओं के चुनावों में है तो उसको अपने व्यय में उसके अनुरूप परिवर्तन करना पड़ेगा। कीमत के गिरने से सीमात उपयोगिता तथा कीमत के बीच भिन्नता उत्पन्न हो जाती है जिसे दूर करना होगा। यह वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने से हो सकता है ताकि उसकी सीमात उपयोगिता कीमत के बराबर हो जाय। यही कारण है कि मनुष्य कीमत गिरने पर अधिक खरीदते हैं।

अपवादस्वरूप माँग-वक्र (Exceptional Demand Curves)—कभी-कभी माँग-वक्र नीचे झुकने की अपेक्षा ऊपर को उठेगा। दूसरे शब्दों में, मूल्य बढ़ने पर कभी-कभी लोग अधिक भी खरीदेंगे। यह केवल ऊपर बढ़ते हुए वक्र से प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी घटनायें बहुत कम होती हैं परन्तु हम कुछ का अनुमान कर सकते हैं।

इनका सबसे पहले सर राबर्ट ग्रिफेन द्वारा जांचा गया था। उनके अनुसार माँग कीमत के बढ़ने से घटती है तथा उसके गिरने से कमजोर होती है। बेन्हम ने चार स्थितियाँ बतलाई हैं^१ (१) यदि अधिक कमी (serious shortage) की संभावना है तो मनुष्य भयभीत होकर बढ़ती हुई कीमत पर भी खरीदेगा। (२) यदि किसी वस्तु के उपयोग करने से उसकी संपत्ति का प्रदर्शन होता है तो धनी मनुष्य इस कारण कीमत बढ़ने पर भी अधिक खरीदेगा ताकि वे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों में गिने जा सकें। इसके विपरीत, यदि माल रद्दी किस्म का हो तो लोग खरीदना बन्द कर देते हैं। (३) कभी-कभी कुछ उपभोक्ता अज्ञान के कारण बड़े हुए मूल्य पर अधिक मात्रा में खरीदते हैं। (४) यदि एक जीवन-रक्षक पदार्थ का मूल्य बढ़ जाता है तो उपभोक्ता को अपना सारा व्यय फिर से व्यवस्थित करना पड़ेगा। वह दूसरे खाने की वस्तुओं पर अपना व्यय कम करके उसको पूरा करने के लिए उस विशेष खाद्य पदार्थ पर अधिक व्यय करेगा। अतएव उसकी कीमत ऊँची होने पर भी अधिक मात्रा खरीदी जायगी।

५ माँग का नियम (The Law of Demand)—अब हम इस अवस्था में हैं कि माँग का नियम प्रस्तुत कर सकें। यह केवल माँग की मात्रा तथा कीमत के संबंध को बताता है। यह बताता है कि माँग कीमत के विपरीत परिवर्तन होती है पर यह आवश्यक नहीं है कि वह उसी अनुपात से बदले। यदि मूल्य गिरता है तो माँग बढ़ेगी तथा इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं “किसी वस्तु अथवा सेवा की कीमत में वृद्धि होने से माँग में कमी हो जाती है और कीमत में कमी होने से माँग में वृद्धि हो जाती है बशर्ते माँग की स्थितियाँ एक-सी रहें”। या “किसी निश्चित समय में किसी वस्तु अथवा सेवा की माँग प्रचलित कीमत पर ऊँची कीमत की अपेक्षा अधिक है और नीची कीमत की अपेक्षा कम है”^२

“किसी निश्चित समय में” अथवा यदि “माँग की स्थितियाँ एक-सी रहें” जैसे वाक्य बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि माँग पर उन बहुत-सी बातों का प्रभाव पड़ता है जिनका अभी विवेचन किया जायेगा और इनमें से कोई भी प्रभाव नियम को निष्फल बना सकता है।

यह भी कहा जा सकता है कि परिवर्तन एक अनुपात में नहीं होना। यदि कीमत १०% घटती है, तो यह आवश्यक नहीं कि माँग १०% ही बढ़ेगी। हम केवल यह कह सकते हैं कि जब कीमत घटती है तो माँग बढ़ जायगी लेकिन यह नहीं कह सकते कि कीमत कितनी बढ़ जायगी। यह माँग की लोच (elasticity) पर निर्भर है जिसका कि हम अभी विवेचन करेंगे।

नियम की सीमाएँ (Limitations of the Law)—फिर भी माँग के नियम के कुछ अपवाद हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी भी स्थितियाँ हैं जब कि कीमत के बढ़ने-घटने से माँग नहीं घटती-बढ़ती। ये स्थितियाँ अपवादस्वरूप (ऊपर बढ़ते हुए) माँग वक्रों द्वारा बतलाई गई हैं। यह नियम तभी तक सच्चा होगा जब तक कि माँग की

1 See Benham, F—Economics, (1943), pp 47-48

2 Thomas S E—Elements of Economics, pp 52-53

स्थिति उसी प्रकार रहती है। नियम के सच होने के लिए निम्नलिखित स्थितियों का होना आवश्यक है^१ —


- (i) उपभोक्ता का स्वभाव न बदलना चाहिये।
- (ii) उपभोक्ता की आय वही होनी चाहिये।
- (iii) दूसरी वस्तुओं की कीमतें न बदलनी चाहियें।
- (iv) उसको बजाए कोई नई वस्तु न होनी चाहिये।
- (v) कीमत में कोई परिवर्तन की आशा न होनी चाहिये।
- (vi) वह भेद का प्रतिपादन करने वाली वस्तु न होनी चाहिये।

हो सकता है ये स्थितियाँ एक-सी न बनी रहें।

६. माँग में परिवर्तन (Changes in Demand)—माँग का नियम माँग तथा कीमत में संबंध बताता है। यदि कीमत बढ़ती है तो माँग घटती है। तथा इसके विपरीत भी ऐसा ही होता है। परन्तु जब कीमत घटती और बढ़ती है तो माँग के साथ प्रयोग किये हुए वृद्धि और कमी (Increase and Decrease) शब्द पूर्णतया ठीक नहीं समझे जाते। इसे माँग का विस्तार तथा सकुचन (Extension and Contraction) कहना चाहिये। हमको एक ओर विस्तार तथा वृद्धि (Extension and Increase) और दूसरी ओर सकुचन तथा कमी (Contraction and Decrease) के अन्तर को समझना चाहिये।

हम माँग के विस्तार तथा सकुचन शब्दों का प्रयोग तभी करते हैं जबकि केवल कीमत में परिवर्तन होने पर माँग में परिवर्तन होता है। उपभोक्ता निष्क्रिय-सा (Passive) है। वह विशेषकर कीमत से ही प्रभावित होता है। उसकी माँग अनुसूची स्थायी है और उसके अनुरूप एक वक्र भी है और जैसा आगे के रेखाचित्र में दिखाया गया है, वह केवल उसी वक्र के ऊपर-नीचे चलता है।

उपभोक्ता द' द' वक्र रेखा पर चलता है। यह उसका वह रास्ता है जो उसकी अधिमान माप (scale of preferences) से बनता है। प क कीमत पर वह उ क मात्रा खरीदेगा। यदि कीमत प' क'' हो जाता है तो वह उ क' मात्रा क्रय करेगा तथा यदि वह प'' क''' तक बढ़ जाता है तो उसकी माँग घट कर उ क'' हो जाती है और यह क्रम ऐसे ही चलता है। यदि कीमतें घटती हैं तो उपभोक्ता पीछे हटने लगता है। उसने अपने स्वयं अधिमान बना रखे हैं और अब वह पूर्णतया कीमत द्वारा संचालित है। यह माँग का



मात्राये

चित्र न० १३

१ उपर्युक्त विभाग ३ को देखिए।

डालता है। भारतवर्ष जैसे जन-संख्या वृद्धि वाले देश में जहाँ बड़े-बड़े शहरों में प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं वहाँ खिलौनों, दूध पिलाने वाली बोटलों, निपिल, बच्चों की गाड़ियों इत्यादि की माँग स्वाभाविक ही होगी।

(iv) द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन (Changes in the quantity of money stock)—जहाँ मुद्रा प्रसार (inflation) है, अतिरिक्त द्रव्य सम्दाय की क्रय-शक्ति को बढ़ा देगा और कीमत बढ़ जायेगी। परन्तु कीमतों में वृद्धि प्रत्येक वस्तु में एक सी नहीं होगी। लोगों को अपने व्यय की फिर से व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ वस्तुओं की माँग घट जायगी और कुछ की बढ़ जायगी। उदाहरणार्थ शक्कर की कमी से देशी-शक्कर और गुड़ की माँग बढ़ गई और बिजली की कमी में मिट्टी के तेल के चिरागों की माँग बढ़ गई।

(v) वास्तविक आय में परिवर्तन—यहाँ ऊपर दी हुई घटना के विपरीत अर्थात् कीमत के गिरने की घटना है। यहाँ द्रव्य आय (money-income) अर्थात् मुद्रा की वह मात्रा जो एक व्यक्ति पैदा करता है, तथा वास्तविक आय जिसका अभिप्राय पदार्थ और सेवाओं की उस मात्रा से है जो वह द्रव्य की मात्रा से खरीद सकता है, अन्तर किया जाता है। औद्योगिक उन्नति के समय सस्ते पदार्थों का उत्पादन बढ़ जाता है। मुद्रा की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है, या यों कहिये कि वास्तविक आय बढ़ जाती है। पदार्थों की वही मात्रा खरीदने के लिए कम द्रव्य की आवश्यकता होगी। और इस भाँति जो द्रव्य बचेगा उससे दूसरी वस्तुएँ खरीदी जायेंगी। माँग अनुसूचियाँ फिर से बनानी होंगी। कुछ पदार्थों को हटा दिया जा सकता है और पूर्णतया नये पदार्थ खरीदे जा सकते हैं। कुछ पदार्थों की माँग घट जायगी और कुछ की बढ़ जायगी।

(vi) आय वितरण में परिवर्तन—सार्वजनिक-वित्त के द्वारा, उदाहरणार्थ धनियों पर कर लगा कर तथा निर्धनों पर द्रव्य व्यय करके धन का वितरण होता है। व्यय-शक्ति में परिवर्तन होता है। इससे माँग पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। उम माल की कीमत बढ़ जाएगी, जिसे उस वर्ग के लोग खरीदते हैं जिनकी क्रय-शक्ति (purchasing power) बढी हुई है, और इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा।

(vii) सचय में परिवर्तन—पदार्थों की माँग उपभोक्ता की सचय करने की शक्ति (propensity to save) में परिवर्तन होने से प्रभावित होती है। अधिक सचय होने से पदार्थों के खरीदने के लिए कम द्रव्य रह जाता है।

(viii) सम्पत्ति अधिमानों में परिवर्तन (Changes in Asset Preferences)—यह पूर्णतया स्पष्ट है कि यदि एक उपभोक्ता का द्रव्य अधिमान (liquid preference) अधिक बढ़ जाता है तो उसके पदार्थों की माँग में परिवर्तन हो जायगा।

(ix) एक-दूसरे से सम्बद्ध मूल्य वाले पदार्थ—चाय तथा कॉफी जैसे प्रतिस्थापन वस्तुओं में एक के उपभोग में वृद्धि से दूसरे की माँग में कमी हो जायगी। घोड़ा और गाड़ी जैसे पूरक वस्तुओं में एक की माँग में वृद्धि दूसरे की माँग को बढ़ा देगी।

गहूँ और भूसा जैसी संयुक्त पूर्ति (joint supply) में एक की माँग में वृद्धि

से दूसरे की कीमत कम हो जायेगी और इस प्रकार उसकी माँग भी कुछ समय पञ्चात् चढ़ जायेगी ।

सामासिक माँग (composite demand) में मकान जैसी अन्तिम वस्तु की माँग की वृद्धि से उसके बनाने की आवश्यक वस्तुओं की माँग भी बढ़ जायेगी ।

सामासिक पूर्ति (composite supply)—उदाहरणार्थ विजली, गैस अथवा मिट्टी के तेल से प्राप्त किए हुए प्रकाश में से किसी एक के मस्ते होने पर दूसरे की माँग घट जायेगी ।

सामासिक माँग, उदाहरणार्थ, पीने, बोनने, नहाने इत्यादि के लिए जल के प्रयोग में से किसी एक के विस्तार अथवा मकूचन में जल की माँग में यथायोग्य परिवर्तन हो जायेगा ।

अस्तु, एक वस्तु की माँग केवल उसकी कीमत पर ही नहीं वरन् दूसरी बातों पर भी निर्भर है ।

(x) व्यापार की व्यवस्थाएँ (Conditions of Trade)—व्यापार की उन्नति के समय प्रत्येक वस्तु की माँग कीमतों में वृद्धि होते हुए भी अधिक होती है । दूसरी ओर मदी के समय में माँग में सामान्य शिथिलता होती है ।

७ माँग की लोच (Elasticity of Demand)—हमने माँग के नियम का अध्ययन किया है और यह देखा है कि माँग और कीमत में विपरीत सम्बन्ध है । कीमत में परिवर्तन (घटाव या बढ़ाव) से माँग में भी परिवर्तन (विस्तार, बढ़ाव या सकोच, घटाव) हो जाता है । माँग का यह गुण जिससे कीमत में परिवर्तन होने से यह बढ़ती घटती है माँग की लोच कही जाती है । “लोच शब्द माँग और कीमत के बीच परस्पर सम्बन्ध प्रकट करता है ।” यह वह दर (rate) है जिस पर कीमत में परिवर्तन होने से माँग की मात्रा बढ़ती है । माँग की लोच यह सकेत करती है कि कीमत के परिवर्तन में माँग की प्रतिकारिता (responsiveness) बताती है ।

वास्तविकता यह है कि “माँग की लोच सापेक्ष (relative) परिवर्तन का वह माप है, जो किसी निर्दिष्ट माँग वक्र में होने वाले सापेक्ष कीमत परिवर्तन के प्रतिकार में माल खरीदा जाता है ।”¹ (“The elasticity of demand is a measure of the relative change in amount purchased in response to a relative change in price on a given demand curve”) श्रीमती जोन राबिनसन ने यथार्थ रूप में इसकी परिभाषा इस प्रकार की है, “माँग की लोच, किसी कीमत अथवा पैदावार पर खरीदी गई मात्रा का वह अनुपाती परिवर्तन है जो कीमत में थोड़े हेरफेर को कीमत में अनुपाती परिवर्तन से भाग देने पर होता है ।”²

परन्तु माँग में परिवर्तन सदैव कीमत के परिवर्तन के अनुपात में नहीं होता । कीमत में थोड़े परिवर्तन से माँग में अधिक परिवर्तन हो सकता है । इस स्थिति में हम कहेंगे कि माँग लोचदार या सचेत अथवा प्रतिकारी (responsive) है । दूसरी ओर यदि कीमत

1 Meyers, A L — Elements of Modern Economics (1951), p 67

2 Robinson (Mrs), J — The Economics of Perfect Competition (1945), p 18.

में अधिक परिवर्तन होने से भी माँग में केवल थोड़ा परिवर्तन होता है तो उसको वेलोचदार माँग कहते हैं। उदाहरणार्थ यदि नमक की कीमत में अधिक परिवर्तन भी हो जाता है तो भी हम उसकी लगभग वही मात्रा खरीदते रहते हैं। ऐसी माँग वेलोचदार (inelastic demand) है। परन्तु यदि रेडियो की कीमत गिर जाती है, तो बहुत से व्यक्ति जो पहले उसको नहीं खरीद सकते थे, अब उसको खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो जायेंगे। इस दशा में माँग बढ़ जायेगी, अथवा विस्तृत हो जायेगी अर्थात् वह लोचदार माँग होगी। मार्शल के शब्दों में “माँग की लोच (elasticity) या प्रतिकारकता (responsiveness) बाजार में उतनी ही कम या ज्यादा कही जाएगी जितनी कि माँगी हुई मात्रा कीमत के एक निर्दिष्ट उतार पर, कम या ज्यादा बढ़ती है, और कीमत के एक निर्दिष्ट चढ़ाव पर, ज्यादा या कम घटती है।”

तो भी शायद ही कोई वस्तुएँ हों जिनकी माँग विल्कुल वेलोचदार (inelastic) हो। माँग कीमत के परिवर्तनों से पूर्णतया अचेतन (insensitive) नहीं हो सकती। वेलोचदार कहने की अपेक्षा हम को कम लोचदार (less elastic) कहना चाहिए। लोच तो केवल डिग्रीमात्र ही है।

लोच में वृद्धि इन कारणों से ही हो सकती है, जब कि कीमत गिरने पर वर्तमान खरीदार अधिक खरीदने लगेँ या नये खरीदार खरीदना आरम्भ कर दें। आमतौर पर शक्तिशाली (potential) खरीदार ही माँग को लोचदार बनाते हैं। उदाहरणार्थ जब गेहूँ की कीमत गिर जाती है तो वर्तमान खरीदारों की अधिक खरीद से नहीं बरन् नये खरीदारों की बढ़ी हुई खरीद के कारण ही गेहूँ की अधिक बिक्री होती है।

यह प्रभाव उपभोक्ता की संतुष्टि में होने वाले परिवर्तनों से सम्बन्धित है, जो उसकी आय में परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं, लेकिन कीमत वैसे ही बनी रहती है। परन्तु यदि कीमतें इस प्रकार बदलें कि आय में होने वाले परिवर्तन में उस पर कोई भी अच्छा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह प्रतिस्थापन प्रभाव (substitution effect) कहलाएगा।

८ आय लोच तथा कीमत लोच (Income Elasticity and Price Elasticity)—आय लोच (income elasticity) की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है (आ० लो० e^1) —

$$\text{आ० लो०} = \frac{\text{माल की खरीद में अनुपाती परिवर्तन}}{\text{आय में अनुपाती परिवर्तन}}$$

चूँकि आय प्रभाव (income effect) प्रायः क्रियात्मक (positive) होता है, इसी तरह आय लोच (income elasticity) भी क्रियात्मक होती है। जब आय में परिवर्तन से खरीद (purchases) में कोई परिवर्तन नहीं होता तो यह शून्य (zero) होता है और जब आय में वृद्धि के साथ उपभोक्ता खरीद कम कर देता है तो यह अक्रियात्मक (negative) होता है, अर्थात् रद्दी माल के सम्बन्ध में माँग की कीमत लोच (price elasticity of demand) तथा माँग की आय लोच (income elasticity of demand) के अन्तर को ध्यान से समझ लेना चाहिए। कीमत लोच

(price elasticity) माँग की प्रतिकारकता अथवा सचेतता (responsiveness or sensitiveness) में कीमत में होने वाले (कम) परिवर्तनों को मापती है, आय लोच (income elasticity) खरीदार की आय में होने वाली प्रतिकारकता (responsiveness) की ओर निर्देश करती है। पहले का सकेत खर्च प्रभाव (expenditure effect) की ओर है, दूसरे का सकेत आय प्रभाव (income effect) की ओर है। वह अपेक्षाकृत मंहगे माल की जगह अपेक्षाकृत सस्ता माल लेगा। यह विषय उपभोक्ता की आय में क्षतिपूर्ति अन्तर (compensating variation) कहलाता है।

जब कि कीमते बदलती हैं और द्रव्य आय स्थिर रहती है, तो भी उपभोक्ता पर अच्छा बुरा असर होता है, ऐसे प्रभाव को कीमत प्रभाव (price effect) कहते हैं। इससे खरीदारी तथा वास्तविक आय को फिर से ठीक करना पड़ेगा और उपभोक्ता पर अच्छे बुरे प्रभाव को बदलना होगा। इस प्रकार आय प्रभाव (income effect) भी होगा। यह आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव (substitution effect) का मेल (combination) कहलाता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि जहाँ तक अकेले दुकानदार तथा दुकान का सवाल है उत्पाद (product) के लिए माँग बहुत लोचदार होती है यद्यपि कुल मिलाकर उत्पाद के लिए माँग बेलोचदार (inelastic) हो। दूसरो की निस्वत अपनी कीमत कम करके वह अपने उत्पाद की माँग में वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार माँग वक्र क्षैतिज (horizontal line) होगा।^१ विभिन्न माल की माँग के माप में ये दोनों लोच (elasticities) पर्याप्त रूप से सहायक हैं। इस प्रकार यह कराधान (taxation) के माप में भी सहायक होता है।

हमें एक दूसरे पद (term) से भी अवगत कर लेना चाहिए अर्थात् सकरण-लोच (cross-elasticity)। यहाँ एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरे की माँग में परिवर्तन हो जाता है। माँग की सकरण-लोच (cross-elasticity)

$$= \frac{\text{क की खरीद में अनुपाती परिवर्तन}}{\text{ख की कीमत में अनुपाती परिवर्तन}}$$

६ माँग की लोच का घटती हुई उपयोगिता के नियम से सम्बन्ध (Relation of Elasticity with the Law of Diminishing Utility)—माँग की लोच का सिद्धान्त घटती हुई उपयोगिता के नियम से सम्बद्ध है। सीमान्त उपयोगिता पूर्ति (supply) के अनुसार बदलती है। जब पूर्ति बढ़ती है यह गिरती है और जब पूर्ति घटती है यह बढ़ती है। परन्तु प्रत्येक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता में कमी एक-ही नहीं होती। नमक जैसी कुछ वस्तुओं में हम तुरन्त ही मनुष्य हो जाते हैं और सीमान्त उपयोगिता तुरन्त गिर जाती है। इन स्थितियों में माँग

१ रेखाचित्र के लिए हमारी पुस्तक "Refresher Course in Economic Theory" के अध्याय ६ को देखिए।

बेलोचदार होती है और मूल्य में कोई भी कमी हमको अधिक ऋण करने को प्रोत्साहित नहीं कर सकती। कुछ दूमरी म्थितियों में सीमान्त उपयोगिता धीरे-धीरे गिरती है, उदाहरणार्थ विलासिताएँ। ऐसी वस्तुओं की कीमतों में कमी में मांग अवश्य बढ़ेगी। अतएव मांग लोचदार होगी। संक्षेप में, मांग बेलोचदार होती है जब कि सीमान्त उपयोगिता शीघ्रता से गिरती है और लोचदार होती है जब कि वह धीरे-धीरे गिरती है।

१० मांग की लोच तथा उपभोक्ता की वचत (Elasticity of Demand and Consumer's Surplus)—मांग के स्वरूप का प्रभाव उपभोक्ता की वचत की मात्रा पर भी पड़ता है। अनिवार्यताओं तथा प्रतिष्ठा-रक्षक आवश्यकताओं की मांग बेलोचदार होती है। उनकी कीमत बाजार में बहुत कम होती है। परन्तु उपभोक्ता उनके लिए, जो वास्तव में भुगतान करते हैं, उमने अधिक देने को तैयार रहते हैं। जो कुछ वे देने को तैयार हैं और जो कुछ वे वास्तव में देते हैं, उनका अन्तर उपभोक्ता की वचत बताता है। अतएव हम कह सकते हैं कि जब मांग बेलोचदार है तो उपभोक्ता की वचत अधिक होती है और जब लोचदार तो कम।

११ मांग की लोच कैसे निर्धारित होती है (What determines Elasticity of Demand)—पदार्थों का वर्गीकरण उनकी मांग के स्वभाव के अनुसार, तथा यह निर्धारित करने लिए दृढ नियम बनाना कि मांग लोचदार या बेलोचदार है, संभव नहीं है। परन्तु हम इस सम्बन्ध में साधारण नियम बना सकते हैं। लोच एक सापेक्षिक (relative) शब्द है। किसी व्यक्ति के लिए अथवा एक स्थान पर मांग लोचदार हो सकती है तथा दूसरे के लिए दूसरे स्थान पर यह बेलोचदार हो सकती है। इस महत्त्वपूर्ण आधार के आधारे हम निम्नलिखित नियम प्रस्तुत कर सकते हैं।

(1) अनिवार्यताओं तथा प्रतिष्ठा-रक्षक आवश्यकताओं के लिए मांग बेलोचदार अथवा कम लोचदार होती है—हम ऐसी वस्तुओं को चाहे जो कुछ कीमत हो अवश्य एक बँधी मात्रा में खरीदते हैं। भारत जैसे निर्धन देश में तो, नमक जैसी वस्तु की मांग भी कुछ लोचदार होती है। १९२३ में नमक-कर को दूना करने से नमक का उपभोग कम हो गया था। गेहूँ के मूल्य में परिवर्तन उच्च तथा मध्यम वर्ग के लिए सारहीन हो सकता है, परन्तु निर्धन में उसका उपभोग मूल्य गिरने पर अवश्य ही बढ़ेगा।

(II) विलासिताओं की मांग लोचदार होती है—यह ठीक प्रतीत होता है कि रेडियो, रेफ्रीजरेटर तथा सुन्दर लकड़ी के सामान के मूल्य में कमी से उनकी विक्री में वृद्धि हो जायेगी। परन्तु वृद्धि कौन करेगा ? वास्तव में धनी नहीं। उनके लिए ये वस्तुएँ प्रतिष्ठा-रक्षक आवश्यकताएँ हैं। वे उसको अवश्य ही खरीदेंगे और एक बार खरीदने के बाद वे दुबारा नहीं खरीदेंगे चाहे जितनी भी कीमत क्यों न हो। अतएव इनकी मांग लोचदार नहीं है।

यहाँ भी हम साधारणीकरण नहीं कर सकते। विलासिता एक सापेक्ष शब्द है। निर्धन की कीमती विलासिता धनी के लिए कम कीमत वाली आवश्यकता होती है। एक वस्तु एक देश में विलासिता हो सकती है और दूसरे में अनिवार्यता, प्राचीनकाल

की विलासिताएँ आधुनिक काल की अनिवार्यताएँ बन गई हैं। इस भाँति एक ही वस्तु के लिए कुछ मनुष्यों की माँग लोचदार तथा दूसरी की बेलोचदार हो सकती है।

(iii) प्रतिस्थापन वस्तुओं की माँग लोचदार होती है (For substitutes the demand is elastic)—“माल की कीमतों में परिवर्तन होने पर भी उनकी माँग में अन्तर इस कारण रहता है कि कुछ वस्तुओं के लिए, दूसरी वस्तुओं की वजाएँ, स्पर्द्धी वस्तुएँ (competitive substitute) मिल जाती हैं।” जब चाय की कीमत बढ़ जाती है, हम उसकी खरीद को घटा सकते हैं और काफी को खरीद सकते हैं तथा इसके विपरीत भी ऐसा कर सकते हैं। कीमत में परिवर्तन होने से माँग में विस्तार या सङ्कुचन हो जायेगा।

तो भी बहुत कम ऐसी वस्तुएँ हैं जो ठीक प्रतिस्थापन कर सकती हैं, कॉफी चाय के पूर्णतया समान नहीं हैं। इटली, अमरीका तथा अर्जेन्टाइना में जूट के प्रतिस्थापन (substitute) करने के प्रयत्न किये गये हैं परन्तु वे अधिकतर निष्फल रहे हैं। यह माना जा सकता है कि श्रृंगार की वस्तुओं में बहुत से विकल्प हैं। आप पौड क्रीम या बाभ्रे क्रीम, लिस्टरीन या मैक्लीन्स दूध मजन, हमाम साबुन या प्रीफैक्ट साबुन, कीवी पालिस या चेरी व्लासम पालिस इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु क्या वास्तव में आप इनमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं? व्यवसायी यह नहीं चाहता कि उसकी वस्तुएँ ऐसी हो जिनकी माँग लोचदार हो। इसी लिए वह उस पर एक विशेष लेबल लगाता है और चतुर तथा सत तत्प्रचार से वह आपको उसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपको उसके प्रयोग की आदत पड़ जाती है। आप सतुष्ट नहीं होते जब तक की वह विशिष्ट मार्क की वस्तु नहीं पाते। इस प्रकार उस ने इसकी माँग को लोचदार से बेलोचदार बना दिया है। अतएव प्रतिस्थापन वस्तुएँ वास्तव में प्रतिस्थापन नहीं कर पाती।



(iv) विभिन्न उपयोगों वाले पदार्थों की माँग—ऐसे पदार्थों की माँग लोचदार होती है। कोयला एक ऐसी वस्तु है। जब सस्ता हो जाता है तो यह खाना पकाने, गरम करने और व्यवसाय सम्बन्धी कार्यों में प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार उसकी माँग बढ़ जाती है। परन्तु जब कीमत बढ़ जाती है तो वह केवल आवश्यक उपयोगों में ही लाया जायगा और कम खरीदा जायगा। अतएव माँग घट जायगी।

(v) संयुक्त माँग वाली वस्तुएँ—संयुक्त माँग में लोच बहुत कम होती है। यदि गाड़ी के दाम गिर जायें और घोड़े के दाम ऊँचे रहें तो गाड़ी की माँग में कोई विशेष वृद्धि न होगी।

(vi) उन पदार्थों की माँग जिनका उपयोग टाला जा सकता है लोचदार होती है—हममें से अधिक मनुष्यों ने लडाई के समय अपने क्रय को जहाँ तक हो सका टाला। उदाहरणार्थ मकान बनाना, फरनीचर खरीदना अथवा कई गर्म सूट रखना। जब यह सस्ते होते हैं हम इनकी अधिक मात्रा खरीदते हैं। अतएव उनकी माँग लोचदार होती है।

(vii) लोच कीमतों के स्तर पर भी निर्भर है (Elasticity also depends on the level of prices)—यदि कोई वस्तु बहुत महँगी अथवा बहुत सस्ती है

१३. माँग की लोच का रेखाचित्र द्वारा वर्णन (Diagrammatic Representation of Elasticity of Demand) ^१—इन दो रेखाचित्रों में द द' माँग वक्र है। शून्य तथा अनन्त के समान लोच केवल सैद्धान्तिक ही है। पहले में द द' उ व के और दूसरे में उ अ के समानान्तर है। लोच जितनी ही कम होती है,



चित्र न० १६

माँग वक्र शून्य वाली वक्र से उतनी ही समीप होती है और लोच जितनी ही अधिक होती है माँग अक्र अनन्त वाली वक्र से उतनी ही समीप होती है। सिर्फ इन्हीं दो वक्रों में लोच सभी बिन्दुओं (points) पर समान होगा। दूसरे वक्रों में, भिन्न बिन्दुओं पर लोच भिन्न है जैसा कि रेखाचित्र १७ में दिखाया गया है। चूँकि लोच सदैव बिन्दु पर होती है न कि वक्र में।


माँग की लोच के नापने की एक और रीति भी है। नीचे द द' एक सीधी माँग वक्र है लोच भिन्न अक्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वक्र पर किसी बिन्दु से द' तक की दूरी—उसी बिन्दु से द तक की दूरी। अतएव बिन्दु प_१, प_२, प_३ पर माँग की लोच—

$$\frac{द' प_१}{द प_१}, \quad \frac{द' प_२}{द प_२} \quad \text{तथा} \quad \frac{द' प_३}{द प_३}$$

$$\text{क्योंकि प}_२ \text{ वक्र के बीच में है, } \frac{द' प_२}{द प_२} = १,$$

इसलिए, लोच एकता (unity) है। यह भी देख पड़ता है कि लोच वक्र के निचले बिन्दु पर ऊँचे बिन्दु की अपेक्षा एकता से कम है।^२

वक्र के ढाल को माँग की लोच से भ्रांति नहीं होनी चाहिये। वक्र का ढाल माँग की लोच नहीं बताता। ऊपर के चित्र में वक्र द द' का ढाल सब जगह एक सा है,



रेखा-चित्र नं० १७

1 For an advanced version see Stigler, pp 51-54

2. हमारी पुस्तक "Refreshes Course" के अध्याय ६ को देखिये।

any fall in price will cause a proportionate increase in the amount bought, and therefore will make no change in the total outlay which purchasers make for the commodity")¹ एक वक्र जो नव कीमतों पर स्थिर कुल व्यय (constant total outlay) बताता है और जहाँ नव में लोच एकता (unity) है तो इसे आयत आकार का हाइपरबोला (rectangular hyperbola) कहते हैं। ऐसे मामलों को छोड़कर कोई भी वक्र सारी लम्बाई में लोच नहीं दिखाता। प्रायः वक्र भिन्न बिन्दुओं पर भिन्न लोच प्रदर्शित करता है।

दूसरी रीति—इसमें हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की माँग की प्रतिशत परिवर्तन से तुलना करते हैं। माना कीमत ५० प्रतिशत बढ़ जाती है। यदि माँग ५० प्रतिशत घट जाती है तो लोच एकता (unity) रहती है, यदि यह ५० प्रतिशत से अधिक घट जाती तो वह एकता से अधिक होती है, और यदि यह ५० प्रतिशत से कम घटती है तो लोच एकता से कम है।

सूत्र इस प्रकार है—

$$\begin{aligned} \text{माँग की लोच} &= \frac{\text{माँगी गई मात्रा में अनुपाती परिवर्तन}}{\text{कीमत में अनुपाती परिवर्तन}} \\ &= \frac{\text{माँगी गई मात्रा में परिवर्तन}}{\text{माँगी गई मात्रा}} \times \frac{\text{कीमत में परिवर्तन}}{\text{कीमत}} \end{aligned}$$

प्रतीक (symbols) के अनुसार,²

$$\text{लो } (\eta) = \frac{\frac{\Delta m}{m}}{\frac{\Delta k}{ma}} = \frac{\Delta m}{\Delta ma} \times \frac{ma}{m}$$

जिसमें—लो (η) = लोच

म = मात्रा

क = कीमत

Δ = मात्रा में लघु (infinitesimal) परिवर्तन अथवा कीमत में लघु परिवर्तन



(मा = माँग)

माँग की लोच सदैव नकारात्मक (negative) होती है, यद्यपि पद्धति के अनुसार उसे सकारात्मक (positive) में समझा जाता है। इसलिए लो (η) सदैव शून्य से कम होगी यदि माँग वक्र रीति-विरुद्ध, अर्थात् दाएँ से बाएँ की ओर झुकती हुई नहीं है।

1 Marshall, A — Principles, p 839,

2 Stigler, G J — Theory of Price (1949), p 52

१३. माँग की लोच का रेखाचित्र द्वारा वर्णन (Diagrammatic Representation of Elasticity of Demand)^१—इन दो रेखाचित्रों में द' द' माँग वक्र है। शून्य तथा अनन्त के समान लोच केवल सैद्धान्तिक ही है। पहले में द' द' उ व के और दूसरे में उ अ के समानान्तर है। लोच जितनी ही कम होती है,



चित्र न० १६

माँग वक्र शून्य वाली वक्र से उतनी ही समीप होती है और लोच जितनी ही अधिक होती है माँग अक्र अनन्त वाली वक्र से उतनी ही समीप होती है। सिर्फ इन्हीं दो वक्रों में लोच सभी बिन्दुओं (points) पर समान होगा। दूसरे वक्रों में, भिन्न बिन्दुओं पर लोच भिन्न है जैसा कि रेखाचित्र १७ में दिखाया गया है। चूँकि लोच सदैव बिन्दु पर होती है न कि वक्र में।


माँग की लोच के नापने की एक और रीति भी है। नीचे द' द' एक सीधी माँग वक्र है लोच भिन्न अक्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वक्र पर किसी बिन्दु से द' तक की दूरी—उसी बिन्दु से द तक की दूरी। अतएव बिन्दु p_1, p_2, p_3 पर माँग की लोच—

$$\frac{d' p_1}{d p_1}, \quad \frac{d' p_2}{d p_2} \quad \text{तथा} \quad \frac{d' p_3}{d p_3}$$

क्योंकि p_2 वक्र के बीच में है, $\frac{d' p_2}{d p_2} = 1$,

इसलिए, लोच एकता (unity) है। यह भी देख पड़ता है कि लोच वक्र के निचले बिन्दु पर ऊँचे बिन्दु की अपेक्षा एकता से कम है।^२

वक्र के ढाल को माँग की लोच से भ्रांति नहीं होनी चाहिये। वक्र का ढाल माँग की लोच नहीं बताता। ऊपर के चित्र में वक्र द' द' का ढाल सब जगह एक सा है,



रेखा-चित्र न० १७

1 For an advanced version see Stigler, pp 51-54

2. हमारी पुस्तक "Refreshes Course" के अध्याय ६ को देखिये।

सरकार की वार्षिक आय के लिए अधिक निश्चित हो सकता है। निःसन्देह, कर में कीमत बढ़ जायेगी परन्तु माँग बेलोचदार होने के कारण लोगो को वह वस्तु खरीदना ही पड़ेगी। माँग घटेगी नहीं। परन्तु मानवता के नाते ऐसे कर नहीं लगाये जाते क्योंकि ऐसी वस्तुयें जीवन-रक्षक अनिवार्यताएँ हैं और उन पर कर लगाने में जनता के हित पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

इसी भाँति व्यापारी को यदि वह एकाधिकारी (monopolist) है तो अपनी कीमत निर्धारित करते समय माँग के स्वरूप का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि माँग बेलोचदार है तो उसको लाभ इसमें होगा कि वह ऊँची कीमत ले और उसकी कुछ कम मात्रा बेचे। दूसरी ओर यदि माँग लोचदार है तो वह कीमत कम करके माँग बढ़ा देगा और इस प्रकार एकाधिकारी लाभ को अधिकतम कर सकेगा। लेकिन स्पर्धा उद्योगों में स्थिति में प्रत्येक फर्म के द्वारा उत्पादित माल की माँग लोचदार होती है। इसलिए कोई एक फर्म कीमत निर्धारित नहीं कर सकती।

लोच का सिद्धान्त सयुक्त उत्पादन पर भी लागू होता है। उनकी पृथक् लागत (cost) नहीं मालूम की जा सकती। उत्पादक कीमत निर्धारित करते समय माँग और उसके स्वभाव से ही प्रभावित होगा। परिवहन (transport) अधिकारी इस सिद्धान्त के अनुसार दर निर्धारित करते हैं—उतना ही दर हो जितना कि यात्री भार सह सकें। जब किसी उद्योग में बढ़ती हुई प्राप्ति (increasing returns) का नियम लागू होता है, तो उत्पादक बाजार का विकास करने के लिए कीमत कम कर देते हैं जिससे कि वे बड़े पैमाने के उत्पादन से लाभ उठा सकें। अतएव हम देखते हैं कि लोच का विषय सैद्धान्तिक चर्चा मात्र नहीं है।

औद्योगिक उत्पादन माँग की लोच से प्रभावित होता है, परन्तु इस सम्बन्ध में हमें एक व्यक्ति की लोच में तथा समस्त बाजार की लोच में भेद करना पड़ेगा। कीमत में कोई भी कमी होने के कारण एक व्यक्ति एक ही समाचार-पत्र या पत्रिका दूसरी बार लेने को प्रोत्साहित न होगा। व्यक्तिगत माँग बेलोचदार है, परन्तु बाजार की माँग बेलोचदार नहीं है और उत्पादक के लिए यह बाजार की माँग ही है जो अधिक महत्त्व रखती है। कीमत में कमी से समस्त बाजार में अवश्य ही विक्री बढ़ जायेगी।

लोच का सिद्धान्त बहुतायत के बीच में निर्धनता के विरोधाभास की व्याख्या करता है। यदि माँग बेलोचदार है तो खूब अच्छी फसल सफलता का एक कारण होने की अपेक्षा विपत्ति पैदा कर सकती है। यह विशेषतः तब होती है जब कि उत्पादन शीघ्र नष्ट होने वाला (perishable) हो। एक बुरी फसल की अपेक्षा अच्छी फसल से कम द्रव्य प्राप्त होगा। कुछ समय तक रखी जाने वाली वस्तुओं की माँग कम बेलोचदार अथवा लोचदार होती है। कीमत के घट जाने से वह अधिक खरीदी जायेगी तथा स्टोर की जायेगी। ऐसा किसी एक वर्ष में हो सकता है, परन्तु ५ वर्ष या अधिक समय में ऐसी वस्तुओं की भी माँग कम लोचदार होती है, उदाहरणार्थ गेहूँ की माँग। यदि गेहूँ की माँग की लोच सम या एकता (unity) के बराबर है तो उत्पादकों की आय एक-सी रहेगी चाहे फसल की कौसी भी स्थिति क्यों न हो। (अतएव कीमत की प्रत्येक स्थिति में

यह समान रहेगी।) बुरी फसल होने वाले वर्ष में कीमत को वृद्धि उत्पादन की कमी को पूरा कर देगी। अतएव किसानों की एक निश्चित आय स्थायी बनाने के लिए सरकार को एक विशिष्ट फसल की माँग की लोच की श्रेणी का ध्यान रखना चाहिए और उत्पादन तथा कमी को रोकने के लिए यथायोग्य कार्य करना चाहिये।

माँग की लोच का प्रभाव मजदूरी (wages) पर भी पड़ता है। यदि श्रम की माँग अपेक्षाकृत वेलोचदार है तो मजदूरी बढ़ाना सरल है अन्यथा नहीं।

निर्देश पुस्तकें

- Marshall, A —Principles of Economics —1.
 Robinson, Joan—Economics of Imperfect Competition, 1942
 Chs 1 and 2
 Meyers, A L —Elements of Modern Economics Ch. 6 and 7.
 Stigler, G J —Theory of Price, Ch. 4 and 5
 Samuelson, P. A —Economics, 1948 pp. 447-454
 Moore and Others—Modern Economics —
 Benham, F.—Economics
 Erich Roll—Elements of Economics Theory —4
 Boulding—Economics Analysis, Ch 29

उत्पादन—(सामान्य रूप में)
(PRODUCTION—GENERAL)

१ उत्पादन का अर्थ (Meaning of Production)—कभी-कभी उत्पादन की परिभाषा उपयोगिता का निर्माण (creation of utility) अथवा आवश्यकता की सतुष्टि करने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण किया जाता है। यह कहा जाता है कि ठीक जिस प्रकार मनुष्य पदार्थ नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार वह पदार्थ का निर्माण भी नहीं कर सकता, वह उसे केवल उपयोगिता प्रदान कर सकता है। फ्रेजर के शब्दों में “यदि प्रयोग का अर्थ उपयोगिता निकाल लेना है तो उत्पादन का अर्थ उपयोगिता पुन देना है।”

परन्तु वैज्ञानिक रूप से यह परिभाषा उचित नहीं है। ऐसी वस्तु का उत्पादन करना जिसमें उपयोगिता (utility) हो किन्तु मूल्य (value) न हो आर्थिक दृष्टि से उत्पादन नहीं है। मैं योग की विचारधारा फैला सकता हूँ तथा अपने मित्रों का शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण कर सकता हूँ जिसकी उपयोगिता अधिक है। परन्तु जब तक मैं इसे अपना व्यवसाय न बना लूँ, मेरी क्रिया उत्पादन के अन्तर्गत नहीं होगी। अतएव उत्पादन को उपयोगिता का निर्माण कहकर नहीं किन्तु मूल्य का निर्माण अथवा उसकी वृद्धि कहकर परिभाषित करना चाहिए। उपयोगिताएँ तीन रूप में पैदा की जाती हैं (i) स्वरूप उपयोगिता (form utility), (ii) समय उपयोगिता (time utility), और (iii) स्थान उपयोगिता (place utility)।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत उत्पादन के अध्ययन में हमारा सम्बन्ध उत्पादन की तकनीक (technique) से नहीं है। हम तो सिर्फ आर्थिक रूप से ही सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए, बढ़िया कपड़ा तैयार करना एक तकनीक है। लेकिन फाइन, मीडियम तथा कोर्स कपड़े के सापेक्ष अनुपात को बताना अर्थशास्त्र का विषय है।¹

इस भाव में, उत्पादन के अन्तर्गत नीचे दिये हुए उद्योगों के अनेक उत्पादक समावेशित हैं—(१) निकालने वाले उद्योग (Extractive Industries), खनन (Mining), मछली पकड़ना, कृषि करना आदि जिनका अधिकतर सम्बन्ध कच्चे माल के उत्पादन से है, (२) निर्माण उद्योग (Manufacturing Industries) जो कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं। आदि (३) वाणिज्य सम्बन्धी सेवाएँ (Commer-

1 For distinction between Economics and Technology read Robbin's Nature and Significance of Economic Science, Ch II Sec. 3

cial Services) जैसे क्रय-विक्रय, परिवहन, बैंकिंग तथा बीमा आदि, तथा (४) उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष सेवाएँ (Direct Services) जैसे घरेलू नौकरो, डाक्टरों, वकीलों, अध्यापकों आदि की सेवाएँ ।

उत्पादन के विस्तार (volume) का सामाजिक महत्व बहुत है। वास्तव में जाति के जीवन-स्तर को उत्पादन के विस्तार तथा विभिन्नता पर निर्भर रहना पड़ता है। यह सच है कि कोई देश अपनी कठिनाई और आपत्तियों के समय का निवारण करने के लिए विदेश से रुपया उधार अथवा दान के रूप में ले सकता है। परंतु उधार लिया हुआ रुपया वापस करना होता है और दान निरन्तर नहीं मिलता। जीवन-स्तर का कोई विश्वसनीय आधार ऐसे विदेशी अथवा आकस्मिक साधनों पर नहीं बनाया जा सकता। यदि जीवन-स्तर को स्थायी रूप से बढ़ाना है, तो देश के उत्पादन को बढ़ाना होगा।

भारत की बढ़ती हुई करोड़ों की जनसंख्या को देखते हुए उसके उत्पादन की कुल मात्रा बहुत कम है तथा संसार में इसका जीवन-स्तर सब से नीचा है। 'उत्पादन करो या मरो'—हमारा नारा होना चाहिए। यह भी बात ध्यान रखनी जरूरी है कि आर्थिक कल्याण सिर्फ राष्ट्रीय आय (national income) पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इस बात पर कि इसका वितरण कैसे होता है।

२ उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारण (Factors determining the Volume of Production)—उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, हमें उन कारणों का जिन पर यह निर्भर है, निरीक्षण करना होगा। उन कारणों का अध्ययन तथा उनकी सापेक्ष महत्ता का उचित ज्ञान हमें उत्पादन में वृद्धि करने वाले प्रधान और सही रास्ते पर डाल देगा।

(१) किसी देश का उत्पादन सर्वप्रथम मनुष्य, द्रव्य तथा पदार्थ पर निर्भर है। यदि हमारे लोग परिश्रमी तथा साधन-सम्पन्न हैं, यदि पूँजी (capital) बहुतायत से है और यदि भूमि हमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ प्रदान करती है, तो उत्पादन का विशाल प्रसार निश्चित है। किसी देश का उत्पादन वहाँ प्राप्त होने वाले उत्पादक स्रोतों की मात्रा तथा कोटि से सीमित होता है।

(२) उत्पादन में वृद्धि कृषि और उद्योग में विज्ञान के प्रयोगों पर और विकास की तकनीक पर भी निर्भर है। बिना वैज्ञानिक तथा टेक्नीकल मालूमात के अधिक सफलता नहीं हो सकती। शक्तिचालित करघों की तुलना में एक जूलाहा क्या कर सकता है ?

(३) इसके अतिरिक्त उत्पादन, साख, बैंकिंग तथा परिवहन की सुविधाओं पर निर्भर होता है। यदि कारीगरों को वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाएँ नहीं हैं तो उन्हें बड़ी असुविधा होगी। आर्थिक सहायता उत्पादन का सुचारु रूप से संचालन करती है। वस्तुओं के उत्पादन से भी कोई अधिक लाभ नहीं होगा यदि वे बाजार में कम व्यय पर तथा शीघ्र ही न पहुँच सकती हों।

(४) राजनीतिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि राज्य सहानुभूति रखता है और उत्पादन में ज्ञान, शिक्षा तथा आर्थिक और अन्य सहायताएँ प्रदान करके

क्रियाशील रूप से सहायक होता है तो उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। रूस का प्रयोग इस बात का एक यथेष्ट चिन्ह है कि इस प्रकार से क्या प्राप्ति हो सकती है।

(५) अन्त में, कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं। जलवायु, मिट्टी, पर्वत तथा नदियाँ सब ही प्राकृतिक प्रसाद हैं। उत्पादन के प्रति उनके सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं। वाद, भूडोल तथा अन्य प्राकृतिक सकट मनुष्य के काम को विगाड़ देते हैं। यदि उत्पादन में वृद्धि करनी है तथा उनकी रक्षा करनी है तो हमें मनुष्य की सेवा के लिए प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग करना सीखना होगा।

३ उत्पादन के साधन (Agents of Production)^१—‘उत्पादन के साधन’ वाक्यांश से हमारा तात्पर्य मालिक (स्वामी) तथा उत्पादक तत्वों के सप्लायर्स से होता है। इसे सही अर्थों में उत्पादन का साधन कह सकते हैं। फ्रेजर की परिभाषा के अनुसार “उत्पादन का साधन ग्रुप अथवा मूल उत्पादक तत्वों के वर्ग के रूप में” (“factor of production as a group or class of original productive resources”—Fraser) ‘साधन’ (factor) वाक्यांश उत्पादक तत्वों के वर्ग (class of productive elements) के लिए काम आता है, व्यक्तिगत रूप से जिसके सदस्य साधन की ‘इकाइयाँ’ (units) माने जाते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पादन के प्रतिष्ठित साधनों^२ (classical factors of production) की वजाए गुमनाम उत्पादक सेवाओं (anonymous productive services) की लय में बात करना पसन्द करते हैं। इनको ‘इनपुट्स’ (inputs) भी कहा गया है, और जो वह पैदा करते हैं उसे ‘आउटपुट्स’ (outputs) कहा गया है।

उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है भूमि, श्रम, पूँजी तथा व्यवस्था अथवा उद्यम (enterprise)। अर्थशास्त्र में भूमि (land) का अर्थ केवल मिट्टी से ही नहीं होता जैसा कि साधारण बोलचाल में होता है। यह वायु, जल, भूमि के धरातल के ऊपर तथा इसके नीचे से प्राप्त होने वाले सब साधनों के, जिनसे आय प्राप्त होती है, समानार्थ है। इसी प्रकार श्रम (labour) का अभिप्राय केवल शारीरिक अथवा मशक्कत (manual labour) से ही नहीं, किन्तु द्रव्य सम्बन्धी पुरस्कार के लिए मनुष्य द्वारा किये हुए सब प्रकार के कार्य से है। यह व्यक्ति के समानार्थ है। पूँजी (capital) से अभिप्राय उस तमाम धनराशि से है जिसमें यन्त्र, औजार कच्चा माल आदि शामिल हैं और जोकि धन के उत्पादन के लिए काम में लाये जाते हैं।

व्यवस्था में उपर्युक्त तीन साधनों को सगठित करना और प्रत्येक को कार्य निर्दिष्ट करना शामिल है। उद्यमी जो कि इस साधन की पूर्ति करता है उत्पादन का कार्य-स्वरूप बनाता है, उसको प्रारम्भ करता है और उसका संचालन करता है तथा जोखिम सहन करता है।

1 See Fraser, L M—Economic Thought and Language (1947), Ch 12

2 See Stigler, G J—Theory of Price (1947) I pp 114—15

कुछ अर्थशास्त्री इस वर्गीकरण को चार से दो, भूमि तथा श्रम अथवा मनुष्य तथा प्रकृति, में इन कारण घटाते हैं कि केवल वे ही मौलिक अथवा प्रारम्भिक साधन हैं। यह कहा जाता है कि पूजी का कोई स्वतन्त्र आदि कारण नहीं है और वह केवल भूमि तथा श्रम के प्रयत्नों का परिणाम है, और व्यवस्था केवल श्रम का एक रूप है। परन्तु आदि कारण जो भी हो पूजी उत्पादन के एक पृथक् साधन के रूप में एक बहुत आवश्यक कार्य करती है तथा एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी प्रकार उद्यमी का कार्य एक भिन्न प्रकार का है और उसे एक भिन्न आधार पर पुरस्कार मिलता है। अतएव चार विभाग वाला वर्गीकरण आधुनिक आर्थिक ससार में प्रचलित दशाओं का अच्छी प्रकार से प्रतिनिधित्व करेगा।

हाल में ही वेन्हम, विकस्टीड, टेवनपोर्ट जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा इस वर्गीकरण का यह कहकर निषेध किया गया है कि यह टेक्नेलॉजिकल, अवैज्ञानिक तथा बिना किसी विशेष महत्त्व के है। वर्गीकरण पर दोष इस कारण लगाया जाता है कि श्रम के विभिन्न प्रकारों में बहुत अधिक भेद है, स्वयं भूमि में अन्तर है, और न पूजी तथा उद्यम ही एक ही प्रकृति के हैं। इसलिए उनको इस आधार पर कि वे मौलिक रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं, पृथक् रखने का कोई कारण नहीं है जबकि वे स्वयं ही एक दूसरे के समान हैं।

पृथक् तथा भिन्न दोनों के बजाय उत्पादन के साधन एक दूसरे के लिए प्रायः प्रतिस्थापित किये जा सकते हैं। श्रम यन्त्रों का स्थान ले सकता है तथा इसके विपरीत भी यही ठीक है। उद्यमी अपनी योग्यता से पूजी तथा श्रम दोनों को बचा सकता है जिसका अर्थ उनके लिए उसकी प्रवीणता का प्रतिस्थापन (substitution) है। इसके अतिरिक्त पूजी से भूमि की पृथक्ता के विचार के पीछे कोई तर्क नहीं। एक व्यक्ति के लिए भूमि पूजी है क्योंकि यह धन के उत्पादन में सहायता देती है। इसी प्रकार श्रम के विशेष लक्षणों को बढ़ा कर कहा गया है। यह चार विभाग वाला वर्गीकरण कुछ सार्थक होता यदि यह दिखाया जा सकता कि उत्पादन के साधनों के यह वर्ग उत्पादन अथवा वितरण के विभिन्न नियमों की क्रिया के आधीन है। किन्तु यह बात नहीं है।

फ्रेजर के शब्दों में “साधन वर्ग जरूरी तौर पर परस्पर प्रतिस्थापनीय इकाइयों का गुण होना चाहिये।” (“a factor class must be a group of mutually substitutable units”—Fraser)। इस परीक्षा (test) के निर्णय से रूढिगत चार भाग वाला वर्गीकरण सही नहीं उतरता। फ्रेजर आगे कहते हैं “रूढिगत वर्गों में से एक भी (सिर्फ पूजी को अपवाद रूप में छोड़ कर) कठिनाई से परस्पर प्रतिस्थापनीय इकाइयों के गुण जैसा है। इसके सदस्य, न सिर्फ प्रकृति में विभिन्न तत्वों (heterogeneous) तथा मूल्य में जुदा (divergent in value) है, बल्कि यह भी असामान्य नहीं है कि एक वर्ग की इकाइयाँ अपने साथियों को छोड़ कर, दूसरे वर्ग की इकाइयों से सुगमता से अदला-बदली के योग्य रहती हैं। ‘आन्तरिक’ (internal) प्रतिस्थापन तथा ‘बाह्य’ (external) प्रतिस्थापन की दिशा में समान (alike) होते हुए, उत्पादक स्रोतों का भूमि (land), श्रम (labour), पूजी (capital)

तथा उद्यम (enterprise) में विश्लेषण अमतोपजनक तथा गुमराह करने वाला है।¹

यद्यपि हमें साधनों का परम्परा-प्राप्त वर्गीकरण वैज्ञानिक कारणों से अवश्य अस्वीकार करना चाहिये, तो भी एक विद्यार्थी के प्रारम्भिक अध्ययन के लिए यह वर्गीकरण साधारण तथा सरलता के साथ समझे जाने के कारण स्थायी रखा जा सकता है। हम इस रूढिगत वर्गीकरण पर सिर्फ इसीलिए नहीं टिकने कि इसमें भटा फोडने की सुविधा है, वरन् इसलिए भी कि इसके परित्याग से अर्थशास्त्र के अन्तर्गत मौजूदा काल में आने वाले विशाल काय विषय को मूल रूप से पुनर्गठन करना पड़ेगा। इसके अलावा परम्परा वाले वर्गीकरण का वितरण के आधार (distributional grounds) पर बचाव किया गया है, अर्थात् यह आय के वर्गीकरण में सहायक होता है। इसके अनुसार चार प्रकार की आय का निर्देश मिलता है, अर्थात् किराया (rent), मजदूरी (wages), व्याज (interest), तथा लाभ (profit)।

भूमि (Land)

४. अर्थ तथा महत्त्व (Meaning and Importance)—‘भूमि’ शब्द को अर्थशास्त्र में एक विशेष अर्थ दिया जाता है। इसका अर्थ मिट्टी नहीं है जैसा कि साधारण बोल-चाल में समझा जाता है वरन् यह बहुत विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मार्शल के शब्दों में भूमि का अर्थ है “वह पदार्थ तथा शक्तियाँ जिन्हें प्रकृति मनुष्य की सहायता के लिए भूमि तथा जल में, वायु और रोशनी तथा गर्मी में स्वतन्त्रता से देती है।”² भूमि उन सभी प्राकृतिक स्रोतों से सम्बन्धित है जिनसे आय होती है अथवा जिनका विनिमय मूल्य (exchange value) है। इनसे उन प्राकृतिक स्रोतों का भाव व्यक्त होता है जो वास्तव में अथवा सम्भाव्य रूप से लाभदायक तथा दुर्लभ हैं।³

आर्थिक विकास के प्रत्येक चरण (stage) में प्रकृति मनुष्य की सब से लाभदायक सहचरी रही है। शिकारी जीवन तथा मछली पकड़ने की अवस्था (hunting and the fishing stage) में प्रकृति भोजन की यथेच्छ स्वतन्त्रता से पूर्ति करती थी तथा मानवीय जीवन को पालती थी। पशु-पालन की अवस्था (pastoral stage) में यदि भूमि का धरातल तथा चरागाह और घास वाली भूमि न होती तो पशुओं तथा भेड़ों के समुदाय पाले तथा रक्खे नहीं जा सकते थे। कृषि की अवस्था (agricultural stage) में जो भूमि की उपयोगिता स्पष्ट है। मिट्टी, वायु तथा धूप के बिना मनुष्य किस प्रकार फसलों की उपज कर सकता है? जब कृषि की अवस्था दस्तकारी तथा औद्योगिक अवस्था को स्थान देती है तब भूमि और भी अनिवार्य हो जाती है। प्रत्येक वस्तु जिसका हम प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से

1 Fraser, L M—Economic Thought and Language (1947), p 204

2 Marshall A.—Principles of Economics, (1936), p 138

3 Fraser, L M —Ibid, p 222

अन्त में भूमि से सम्बद्ध है। चाहे जिस ओर भी हम दृष्टि डाले प्रकृति के प्रति हमारा ऋण स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है। बिना इसके हमारा जीवन ही असम्भव हो जायेगा। मार्शल के शब्दों में, "पृथ्वी का घरातल प्रत्येक कार्य की जो मनुष्य कर सकता है, प्रारम्भिक अवस्था है, यह उसे उसके कार्यों के लिए स्थान देता है।"

५ भूमि की विशेषताएँ (Peculiarities of Land)—उत्पादन के दूसरे साधनों से भेद करने में भूमि में कुछ स्पष्ट विशेषताएँ पाई जाती हैं।

(i) भूमि प्राकृतिक उपहार है (Land is Nature's Gift)—भूमि मनुष्य को प्रकृति द्वारा मिलती है। लेकिन यह कहा जाता है कि मनुष्य ने स्वयं अपने प्रयत्न से वन, भूमि तथा दलदलो को सुधारा है और मनुष्य ने भूमि में खाद डाला है। इस प्रकार भूमि उतनी ही 'मनुष्य द्वारा बनाई हुई' तथा एक 'उत्पन्न किया हुआ' साधन है जितना कि कोई और दूसरा हो सकता है।

परन्तु भूमि के बनाने में प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का भाग लगभग शून्य है। जहाँ तक वायु, धूप तथा भूमि के एक क्षेत्र की स्थिति का सम्बन्ध है, मनुष्य ने वास्तव में उनके लिए कुछ नहीं किया है और वे प्रकृति के वैसे ही अंग हैं जैसे स्वयं पृथ्वी का घरातल।

(ii) भूमि मात्रा में निश्चित है—भूमि का क्षेत्र बढ़ाया नहीं जा सकता। यह कहा जाता है कि भूमि की कोई सप्लाई कीमत नहीं है। बाजार में भूमि की प्रचलित कीमत इसकी पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। इसकी पूर्ति न तो अधिक कीमत होने के कारण बढ़ सकती है और न कम कीमत होने के कारण घट सकती है। भूमि निश्चित होने से जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है यह दुर्लभ लगान (Scarcity Rent) प्राप्त करने लगती है।

(iii) भूमि स्थायी है—पृथ्वी में बमों के द्वारा विध्वंस किये जाने पर भी भूमि थोड़े और साधारण सुधार से अपनी उत्पादकता पुनः प्राप्त कर लेगी। भूमि में स्वाभाविक गुण होते हैं जिन्हें 'रिकार्डों ने 'मौलिक तथा अविनाशी' (original and indestructible) कहा है।

(iv) भौगोलिक विचार से भूमि में गतिशीलता (mobility) का अभाव है। यद्यपि अगूर उगाने वाली मिट्टी फ्रांस से कैलीफोर्निया ले जाई गई है तो भी भूमि स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाई जा सकती। यह कारण भिन्न स्थानों में लगानों की असमानता के लिए उत्तरदायी है।

(v) अन्त में, भूमि उपजाऊपन तथा स्थिति की मात्राओं के अनन्त भेद (infinite variations) प्रदान करती है, जिसके कारण भूमि के कोई दो टुकड़े ठीक एक-से नहीं होते। यह विशेषता कृषि की सीमा के सिद्धान्त को स्पष्ट करती है।

६ भूमि की उत्पादकता (Productivity of Land)—उत्पादन में भूमि की सहायता का महत्त्व उसकी उत्पादकता पर निर्भर है। विभिन्न कारण हैं जिन पर यह उत्पादकता निर्भर है।

(1) प्राकृतिक कारण (Natural Factors)—सब से अधिक महत्त्वपूर्ण

कारण जिस पर भूमि की उत्पादकता निर्भर है, प्राकृतिक कारण है। भारत के कुछ भाग गंगा के मैदान की भाँति बहुत उपजाऊ है, कुछ ऊसर तथा बजर है। वे वैसे ही है जैसा प्रकृति ने उन्हें बनाया है।

(11) मानवीय कारण (Human Factors)—उत्पादकता मानवीय कारण पर भी निर्भर है। मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। जंगल साफ किये हैं, दलदले सुखाई गई है और सिंचाई की सुविधाओं द्वारा बजर भूमि हरे-भरे लहलहाते-उपवनो में परिणत की गई है।

(111) स्थिति का प्रभाव (The Situational Factor)—दूसरा महत्वपूर्ण कारण जिस पर भूमि की उत्पादकता निर्भर है, वह है स्थिति का। नगर के पास स्थित भूमि का एक क्षेत्र, चाहे वह दूर वसे हुए भाग की अपेक्षा कम उपजाऊ क्यों न हो, अत्यधिक उत्पादक समझा जाता है। स्थिति ही यह सब अन्तर कर देती है।

७ विस्तृत तथा गहन कृषि (Extensive and Intensive Cultivation)—हमने अनुभव किया है कि मनुष्य सदैव यह प्रयत्न करता रहता है कि कम-से-कम व्यय करके अधिक से अधिक पुरस्कार प्राप्त करे। उसने कृषि में दो रीतियों का प्रयोग किया है (१) विस्तृत कृषि, (२) गहन कृषि।

विस्तृत कृषि (extensive cultivation) में मनुष्य साधारण रूप से जितनी भूमि जोत सकता है उससे अधिक जोतता है। वह भूमि में प्रयोग होने वाले श्रम और धन में कोई अनुरूप वृद्धि नहीं करता। नये देशों में जहाँ भूमि काफी और आवश्यकता से अधिक है, वहाँ मनुष्य विस्तृत कृषि की रीति प्रयोग करता है। उसका उद्देश्य अपने प्रयासों और पूँजी (capital) का अधिक-से-अधिक लाभ उठाना है चाहे उमर में भूमि का उपयोग अत्यधिक क्यों न हो। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक किसान के पास विस्तृत भूमि होती है। परन्तु वह भूमि के उचित उपयोग के लिए प्रयत्न नहीं करता क्योंकि भूमि बहुत अधिक और सस्ती होती है।

दूसरी रीति गहन-कृषि (intensive cultivation) की रीति कहलाती है। इस अवस्था में भूमि बहुत सीमित होती है। अस्तु, प्रत्येक किसान के पास बहुत थोड़ी भूमि होती है। निश्चय ही वह उससे अधिक-से-अधिक काम लेना चाहेगा। वह अधिक पूँजी लगाने को तैयार रहता है। उसको सर्वोत्तम औजार तथा सामग्री खरीदनी चाहिए और जमीन को अच्छी तरह से जोतना चाहिए। उसे अपने बीजों का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए और उचित फासला देकर उन्हें बो देना चाहिए। उसके खेत में सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसे यथाक्रम हेरफेर (rotation) की विधि अपनानी चाहिए—संक्षेप में उसकी रीति वैज्ञानिक होनी चाहिए।

क्या विस्तृत रीति का अभिप्राय बड़े खेत और गहन रीति का छोटे खेत से है? यह कोई आवश्यक नहीं है। साधारणतया हम देखते हैं कि जहाँ भूमि का क्षेत्रफल विस्तृत है और खेत बड़े हैं, वहाँ किसान कृषि में विस्तृत रीति का प्रयोग करता है और दूसरी ओर जहाँ भूमि सापेक्ष रूप में दुर्लभ (scarce) होती है, वहाँ उसी भूमि को अधिक गहन रीति से जोतना पड़ता है। परन्तु सदैव ऐसा नहीं होता। अमेरिका और

कलाडा में बड़े खेत हैं, परन्तु किसान कृषि की नई और वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग, जिसको हम गहन रीति कहते हैं, करते हैं। दूसरी तरफ भारत में जहाँ जोते (holdings) छोटी हैं, कृषि पुरानी रीतियों से होती है जोकि विस्तृत रीति कही जा सकती है। इस प्रकार विस्तृत रीति और बड़े खेत तथा गहन रीति और छोटे खेत हमेशा साथ-साथ नहीं देखते।

निर्देश पुस्तकें

Pigou, A C —Economics of Welfare, Part I, Ch 6.

Hicks, J R —Social Frame-work.

Indian National Income Committee Report, 1951.

Census of Manufactures

Robbins, L —Article in Encyclopaedia of Social Sciences

Fraser, L M —Economic Thought and Language, Chs 11 and 12

Stigler, G J —Theory of Price (1949), Ch 7.

Knight, H F —Risk, Uncertainty and Profit, Ch 6, pp 123-40

Wicksteed—Commonsense of Political Economy, Book I, Ch 9,
pp 365-67

Devenport, H J —Economics of Enterprise, Ch 22 (for criticism
of traditional classification of factors)

जिन वातावरण में श्रमिक का काम करना होता है उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

तोसरे, श्रम टिकाऊ नहीं है। यह नाशवान् है। विना कार्य किया हुआ दिन सदैव के लिए चला जाता है। चूँकि वह वस्तु जिसे उसे बेचना होता है नाशवान् होती है अतएव उसको उसे विना कीमत् का ध्यान किये बेचना पड़ता है। जैसा कि एरिक रॉल का कथन है "उसकी कोई सुरक्षित कीमत् नहीं है।"

चौथे, श्रम में सौदा करने की शक्ति कम होती है। मालिक श्रमिक की असमर्थता का लाभ उठाता है और बहुधा उसको जितना उचित है उससे कम देता है।

पाँचवें, श्रम की कीमत् में परिवर्तन उसकी पूर्ति पर विलक्षणता से प्रभाव डालता है। साधारण वस्तुओं की पूर्ति (supply) कीमत् के सीधे अनुपात में होती है। अर्थात् जितनी ही कीमत् अधिक होगी उतनी ही अधिक पूर्ति होगी तथा इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा। परन्तु श्रम की कीमत् अर्थात् मजदूरी (wages) में, एक सीमा के नीचे, कमी पूर्ति को बढ़ा सकती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ न काम करने वाले लोग भी काम करने को कर सकते हैं ताकि वे अपने कम-से-कम जीवन-स्तर को स्थिर रखने के लिए परिवार की आय को पर्याप्त बना सकें। यदि कीमत् अर्थात् मजदूरी किसी सीमा से आगे बढ़ जाती है तो पूर्ति घट सकती है। यह भली भाँति विदित है कि भारतीय मजदूर की कमाई में वृद्धि होने से बहुधा कारखानों में अनुपस्थिति (absenteeism) बढ़ जाती है।

अन्त में, माँग और पूर्ति का शोष व्यवस्थापन (adjustment) नहीं हो सकता। मदी (depression) के समय यदि माँग गिर जाती है तो पूर्ति कम नहीं की जा सकती तथा मजदूरी (wages) गिरेगी। परन्तु लड़ाई के समय श्रम की माँग बढ़ जाने से मजदूरी अवश्य ही बढ़ेगी।

जब हम मजदूरी के निर्धारण का विवेचन करेंगे तो इन विशेषताओं का प्रभाव स्पष्ट हो जायेगा। यदि श्रम भी एक साधारण वस्तु होता तो मजदूरी का सिद्धान्त भिन्न होता।

श्रम की विशेषताएँ बढ़ा कर कही गई हैं—परन्तु ये विशेषताएँ अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर कही जाती हैं। कुछ सीमा तक यह विशेषताएँ दूसरे साधनों में भी पाई जाती हैं। यदि किसी दूसरे साधन का प्रयोग नहीं होता, तो वह भी खराब होने लगता है। उद्यमी व्यवसायी की दृष्टि में व्यक्ति एक मशीन के समान है और वह मानवीय गुणों का महान् तिरस्कार करके एक का दूसरे के लिए प्रतिस्थापन करता है। या यो कहिये कि वही माँग और पूर्ति का सूत्र श्रम की कीमत् को निर्धारित करता है। यह एक आर्थिक प्रश्न की अपेक्षा सामाजिक प्रश्न है कि श्रम को एक वस्तु से भिन्न माना जाय। एक अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्री के नाते सामाजिक विचार असम्बद्ध तथा अप्रासंगिक है। यदि दूसरी वस्तुओं के बेचने वाले अज्ञानी हैं और बहुत कम माल रोकने की शक्ति रखते हैं, तो साहसी उनकी इस असमर्थता का भी लाभ उठाता है। अन्य दूसरे और आवश्यक पदार्थों की पूर्ति भी बहुधा वेलोचदार (inelastic) होती है। अतएव इन विशेषताओं से हम को यह न सोच लेना चाहिये कि श्रम के नियम दूसरे

साधनो से भिन्न है ।

३. मालथस का जनसंख्या सिद्धान्त (Malthusian Theory of Population)—श्रम के दो रूप हैं अर्थात् मात्रिक तथा गुणात्मक (quantitative and qualitative) । किसी देश के श्रम की स्थिति का अनुमान करने के लिए इन दोनों रूपों पर विचार करना चाहिये । मात्रिक रूप हम को जनसंख्या के सिद्धान्त का अध्ययन कराता है । सबसे प्रसिद्ध सिद्धान्त मालथस का जनसंख्या सिद्धान्त है । टामस रावर्ट मालथस ने “जनसंख्या के सिद्धान्त” पर अपना निबन्ध सन् १७९८ में लिखा था, और अपने कुछ परिणामों को १८०३ के दूसरे प्रकाशन में सुधारा था । इंग्लैंड की शीघ्रता से बढ़ती हुई तथा मार्ग भ्रष्ट पूअर ला (Poor Law) से प्रोत्साहित जनसंख्या ने इसको अधिक प्रभावित किया । इसको यह डर था कि इंग्लैंड एक विपत्ति की ओर जा रहा था और उसने अपने देशवासियों को सावधान करना अपना परम कर्तव्य समझा । “इस आदमियों की अपेक्षा जानवरों की वृद्धि में अधिक सावधानी दिखाई जाने पर” शोक प्रगट किया ।

उसका सिद्धान्त बहुत ही साधारण है । उन्हीं के गण्डानुसार “प्रकृति से, मानवीय खाद्य मद अकगणितीय अनुपात (arithmetical ratio) में बढ़ता है; मनुष्य स्वयं तीव्र गुणोत्तर या रेखागणितीय अनुपात (geometrical ratio) में बढ़ता है, जब तक कि आवश्यकताएँ तथा दोष उसको न रोकें ।”

“जनसंख्या में वृद्धि विशेषतया निर्वाह के साधनों से सीमित होती है ।” “जब निर्वाह के साधन बढ़ते हैं तो जनसंख्या यदि शक्तिशाली और स्पष्ट अवरोध से रोकੀ न जाय तो स्थायी रूप से बढ़ेगी ।”

उन्होंने अपना कथन जीवन-विद्या (biological) सम्बन्धी तर्क पर आधारित किया कि हर एक जीव (organism) न अनुमान किये जाने वाली सीमा तक बढ़ते हैं । सारिका का एक जोड़ा अपने जीवन भर में १९,५००,००० तक बढ़ जायेगा और २० साल तक १,२००,०००,०००,०००,०००,०००,००० और यदि कन्धे से कन्धा मिला कर खड़े हो तो १५०,००० की संख्या में से केवल एक ही इस सप्ताह में बैठने की जगह पा सकेगा । हक्सले (Huxley) के मतानुसार, केवल एक हरेटिडडे (greenfly) का वंश यदि उसमें से कोई नष्ट न हो और बढ़ते ही जायें तो ग्रीष्म ऋतु के अन्त में चीन की जनसंख्या से भी अधिक हो जायेगा । मानवजाति का, प्रत्येक २५ साल में, दुगुना होने का अनुमान किया जाता है और, एक जोड़ा १,७५० वर्ष में वर्तमान जनसंख्या के बराबर हो जायेगा ।

हर स्पीशीज के पैदा करने की शक्ति की ऐसी ही प्रकृति है । उत्पत्ति (procreation) की शक्ति स्वाभाविक अन्तर्वर्ती तथा सतत होती है और उसको बढ़ने का मार्ग मिलना ही चाहिए । कैन्टिलन कहते हैं “कि मनुष्य खलिहान में चूहों की भाँति बढ़ते हैं ।” दूसरी ओर खाद्य के उत्पादन पर घटती हुई प्राप्ति के नियम का प्रभाव पड़ता है । इन दोनों के आधार पर मालथस ने यह निर्णय किया कि जनसंख्या भोजन की पूर्ति से कहीं आगे निकल जाती है । यदि निवारक अवरोध (preventive

checks) जैसे कि विवाह-त्याग, विवाह-विलम्ब (late marriage) अथवा विवाह से कम बच्चों का होना लागू नहीं किया जाता तो युद्ध, अकाल तथा बीमारी जैसे प्राकृतिक अवरोध (positive checks) होने लगते हैं।

४ मालथस के सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Malthusian Theory)—अर्थशास्त्रियों ने मालथस के जनसंख्या सिद्धान्त का मिश्रित स्वागत किया —

(१) आलोचक यह बतलाते हैं कि मालथस का निराशावाद पश्चिमी देशों के इतिहास से स्पष्ट नहीं होता। जनसंख्या में वृद्धि हुई है। परन्तु यह जीवन निर्वाह के साधनों से अधिक नहीं बढ़ी है। वास्तव में अब लोगों का जीवन-स्तर इतना ऊँचा है कि मालथस कदाचित् सोच ही न सकते थे।

(२) मालथस ने यह अनुमान नहीं किया कि मनुष्य पर जीवन-स्तर का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि परिवारों के वर्ग को जान-बूझ कर सीमित रखा जायगा।

(३) मालथस ने यह सोचा कि निर्वाह के साधनों में वृद्धि से जनसंख्या बढ़ जायेगी इसकी अपेक्षा भौतिक उन्नति के कारण मनुष्य की उत्पत्ति शक्ति (fecundity) के घटने से जनसंख्या बढ़ने से रुक गई।

(४) मालथस ने खाद्य के उत्पादन पर अधिक जोर दिया, जब कि दूसरे रूपों में धन का उत्पादन जनसंख्या की वृद्धि के कारण नीचे जीवन-स्तर की प्रवृत्ति का सामना करने के लिए एक उच्च साधन पाया गया है। एक देश दूसरे देश से खाद्य का आयात कर सकता है।

(५) मालथस का अन्धकारमय अनुमान उच्च तथा मध्यम श्रेणी के मनुष्यों के गर्भ विरोधी (contraceptives) प्रयोग से भी असत्य हो गया है। पश्चिमी यूरोप के देशों, विशेषकर फ्रांस की जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से स्थिर रही है।

तो भी यह अत्यन्त दुःख की बात है कि जनसंख्या अनुचित दिशा पर बढ़ रही है। निर्धन जो अपने बच्चों के पालन-पोषण तथा शिक्षा देने में असमर्थ हैं, बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर धनी जो कि अधिक अच्छे गुण वाले बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, अपनी उत्पत्ति-प्रवृत्ति को रोक रहे हैं। इसका परिणाम राष्ट्र की दरिद्रता और गिरावट है।

(६) मालथस इस बात को पूरी तरह समझ न सके कि घटती हुई प्राप्ति के नियम का लागू होना लगभग असीमित समय तक रोका जा सकता है। उस प्रवृत्ति को कृषि, कला, संचार (communication) तथा विनियम के साधन आदि से भली-भाँति रोका जा सकता है। इस तरह "जनसंख्या की समस्या केवल एक सख्या की समस्या नहीं वरन् कुशल उत्पादन तथा समान वितरण की समस्या है।" (सैलिंगमैन)

मालथस के दिए हुए गणितीय अनुपातों पर भी आपत्ति की गयी है। परन्तु यह स्पष्ट रूप से जोर देने के लिए प्रयोग में लाये गये थे और उसके सिद्धान्त के कोई आवश्यक भाग न थे।

मालथस का सिद्धान्त भारत में लागू होता है—उपर्युक्त विवरण के पश्चात् भी मालथस के सिद्धान्त में कुछ सचाई पाई जाती है। यदि जनसंख्या प्राकृतिक अव-

रोध अथवा निवारक अवरोध से रोकी नहीं जाती, तो यह निर्वाह के साधनों से आगे बढ़ जाएगी। अधिक गर्भ-विरोधी प्रयोग उसके सिद्धान्त का प्रमाण है। यह प्रगट करता है कि मालथस के उपदेश माननीय है। हम भारत में अपने आपको उसी स्थिति में पाते हैं जिससे मालथस डरता था। हमारे यहाँ ससार में सबसे अधिक जन्म-दर तथा मृत्यु-दर है। हमारी वृद्धि लगभग १ प्रतिशत प्रतिवर्ष हो रही है और इसका परिणाम निर्धनता, बराबर होने वाले व्यापक रोग, अकाल, सांप्रदायिक दंगे, शिशु-वध (जो कि कभी होते थे) तथा ससार में सबसे नीचा जीवन-स्तर है। जहाँ तक भारत, चीन तथा अन्य पिछड़े देशों का सम्बन्ध है, मालथस के उपदेश को सचाई पर आपत्ति करना कठिन है।

५. आधुनिक जनसंख्या सिद्धांत अनुकूलतम सिद्धान्त (Modern Theory of Population . The Optimum Theory)—आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मालथस के अधिकतम जनसंख्या के सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया है जो यदि बढ़ जाय तो देश में आपत्ति फैला दे। अधिकतम जनसंख्या (maximum population) के स्थान पर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अनुकूलतम (optimum) जनसंख्या के विचार का प्रतिस्थापन किया है।

अनुकूलतम का क्या अर्थ होता है? (What does the optimum mean)?—अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ किसी देश के साधनों को विचार में रखते हुए आदर्श जनसंख्या से होता है। अनुकूलतम संख्या एक देश की सर्वश्रेष्ठ, आदर्श तथा इष्ट जनसंख्या है, यह ठीक संख्या है। जब किसी देश की जनसंख्या न तो अधिक है और न कम है परन्तु, वस इतनी है जितनी कि उस देश में होनी चाहिए तो वह अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। साधनों की मात्रा, औद्योगिक ज्ञान तथा पूँजी की कुछ राशियों पर जनसंख्या का एक निश्चित आकार होगा जिस पर वस्तुओं तथा सेवाओं की वास्तविक आय प्रति व्यक्ति सब से अधिक होगी। यही अनुकूलतम संख्या है। अतएव अनुकूलतम संख्या वह कही जा सकती है जिस पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।


कम जनसंख्या तथा अधिक जनसंख्या (Under-population and Over-population)—यदि किसी देश की जनसंख्या अनुकूलतम से नीचे अर्थात् जो कुछ होना चाहिये उससे नीचे है, तो वह देश कम जनसंख्या वाला कहलाता है। मनुष्यों की संख्या देश के प्राकृतिक तथा पूँजी के साधनों के श्रेष्ठ प्रयोग के लिए पर्याप्त न होगी। एक नवीन देश में ऐसा होता है। साधन विस्तृत है। अधिक उत्पादन किया जा सकता है परन्तु कुशलतापूर्वक उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मनुष्य नहीं है। ऐसी अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि से प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी। परन्तु वह वृद्धि अनिश्चित मात्रा में नहीं हो सकती। जब जन-शक्ति (man power) की कमी पूरी हो जायेगी तो प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जायेगी और हम कहेंगे कि जनसंख्या अनुकूलतम या आदर्श हो गई है।

यदि जनसंख्या फिर भी बढ़ती जाती है, तथा अनुकूलतम से बढ़ जाती है तो अधिक जनसंख्या की दशा हो जायेगी। देश में अत्यधिक मनुष्य हो जायेगे। साधन कम

होने से मजदूरी लाभजनक काम देने सम्भव न होगी। वे करोड़ों व्यक्तियों में बँटे होंगे। प्रति व्यक्ति आय घट जायेगी, जीवन स्तर गिर जायेगा, लडाई, अकाल और रोग ऐसे मनुष्यों के स्थायी साथी हो जायेंगे। यह अधिक जनसंख्या के लक्षण है।

भारत में हम इस समय अपने आपको इस स्थिति में पाते हैं। अब हम अनुकूलतम तक कैसे वापस जा सकते हैं? हमें समस्याओं को दोनो ओर में मुलज्ञाना चाहिये (1) हम जिस गति से बढ़ रहे हैं उसको हमें मन्द करना चाहिये तथा (ii) हमें अपने साधनों का विकास करना चाहिये। हमारा देश साधनों का अनुपयोग (unutilized) अथवा कम-उपयोग (under-utilized) करने वाला है। बहुवर्धी योजनाएँ (multi-purpose projects) कृषि, उद्योग, बीमा, बैंकिंग तथा परिवहन (transport) के साधनों का विकास इस लक्ष्य की ओर ले जाने वाले कुछ साधन हैं। जब हम अपनी संख्या को सीमित रखने तथा अपनी उत्पादक शक्ति को अधिकतम करने का प्रयत्न करते हैं तो हम अनुकूलतम के रास्ते पर होते हैं।

निम्नलिखित रेखा-चित्र तीन स्थितियों को प्रस्तुत करता है (१) कम जनसंख्या, (२) अनुकूलतम जनसंख्या तथा (३) अधिक जनसंख्या।



हम अब बिन्दु से (कम जनसंख्या) से चलते हैं और ऊपर को बढ़ते हैं। जनसंख्या बढ़ती है और जब हम ह पर पहुँचते हैं तो यह अनुकूलतम है। असे ह तक कम जनसंख्या की स्थिति थी और उसमें वृद्धि से हम अनुकूलतम ह तक पहुँचे। जब तक हम ह तक पहुँचे, प्रतिव्यक्ति आय बढ़ रही थी तथा ह पर यह अधिकतम थी। जब हम ह पार कर जाते हैं, तो प्रतिव्यक्ति आय गिरने लगती है। हम अनुकूलतम से भी अधिक बढ़ गये हैं और हम अब अधिक संख्या में

हैं। यदि अब हम संख्या घटा दें तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जायेगी।

कम जनसंख्या और अधिक जनसंख्या सापेक्षिक (relative) शब्द हैं। वे साधनों के सापेक्ष हैं। एक देश कम जनसंख्या वाला है क्योंकि उसके साधन अधिक हैं। यदि साधन थोड़े होते तो उसे अधिक जनसंख्या वाला कहते। इसी भाँति एक देश को हम अधिक जनसंख्या वाला कहते हैं यदि उसके साधनों का विकास कम है। साधनों के पूर्ण विकास से अधिक जनसंख्या लुप्त हो सकती है यद्यपि जनसंख्या में कोई कमी न हुई हो।

अनुकूलतम स्थिर नहीं बरन् अस्थिर है (Optimum is movable and not fixed)—यह अनुकूलतम दृढरूप से स्थिर नहीं है। यह देश के उत्पादक स्रोतों (productive resources) में वृद्धि तथा कमी के अनुसार घटता-बढ़ता रहता

है। यह अनुकूलतम निरपेक्ष (absolute) नहीं है। यह उपलब्ध साधनों के सापेक्ष है। परन्तु यदि विकास की योजनाएँ सफलतापूर्वक ममाप्त हो रही हो तो प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होगी और हमारा अनुकूलनम पहले की अपेक्षा एक नये उच्च स्तर पर पहुँच जायगा। यदि दूसरी ओर कुछ साधन युद्ध अथवा राजनीतिक झगडों के कारण नष्ट हो जाते हैं या उनको हानि पहुँचती है, तो यह अनुकूलतम जनसंख्या अधिक जन-संख्या हो जाती है तथा नये अनुकूलनम नीचे स्तर पर होगा।

प्रत्येक देश की अवस्था गतिशील (Dynamic) होती है, स्थिर नहीं। उत्पादन-पद्धति में परिवर्तन होता रहता है, अधिक नये उपाय आरम्भ किये जा रहे हैं, नई क्रियाओं तथा नये पदार्थों का आविष्कार किया जा रहा है, पूँजी की वृद्धि हो रही है, प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। इन स्थितियों में प्रतिव्यक्ति आय बढ़नी चाहिये, परन्तु जनसंख्या भी थोड़ी बहुत बढ़ती है। अतएव वह जनसंख्या जिसको हम आज ठीक परिमाण में समझते हैं, कल कम अथवा अधिक जनसंख्या हो सकती है। इस प्रकार अनुकूलतम (optimum) निरन्तर बदलता रहता है।

अनुकूलतम सिद्धान्त हमें संख्या (जन संख्या) की वृद्धि के बारे में नहीं बताता। यह जनसंख्या का सिद्धान्त नहीं है। यह तो अनुकूलतम के सिद्धान्त को किसी देश की जनसंख्या पर लागू करना मात्र है।

डा० डाल्टन (Dalton) ने अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धान्त को इस सूत्र में व्यक्त किया है —

$$m = \frac{a - o}{o}$$

जिसमें m = मात्रा की कुच्यवस्था

a = वास्तविक संख्या

o = अनुकूलतम संख्या

यदि "m" सकारात्मक (positive) है तो यह अधिक जनसंख्या होगी और यदि यह नकारात्मक (Negative) तो वह कम जनसंख्या कहलायेगी। तथा जब वह शून्य हो तो जनसंख्या अनुकूलतम होगी।

६. मालथस के सिद्धान्त और आधुनिक सिद्धान्त की तुलना — इन सिद्धान्तों के अध्ययन से हम उन लोगों के दृष्टिकोणों के महत्त्वपूर्ण अंतर पर ध्यान दे सकते हैं जिन्होंने उनको प्रस्तुत किया।

१ मालथस ने अपना ध्यान खाद्य उत्पादन की ओर रखा जबकि अनुकूलतम सिद्धान्त आर्थिक उन्नति के सब पहलुओं पर ध्यान रखता है।

२ ऐसा मालूम होता है कि मालथस के विचार से किसी देश के लिए एक अधिकतम जनसंख्या होती है जिससे अधिक होने पर दुःख में वृद्धि होती है। अनुकूलतम सिद्धान्त के अनुसार ऐसी कोई अधिकतम संख्या नहीं होती है।

३ मालथस के अनुसार अकाल, युद्ध तथा बीमारी अधिक जनसंख्या के चिह्न थे। परन्तु अनुकूलतम सिद्धान्त से हमें पता चलता है कि इन दुःखद घटनाओं के न होने पर

करने की अवस्था अर्थात् ५० वर्ष को पार कर जाती है^१ मक्षेप में हमें यह मालूम करना है कि पहली १,००० लडकियों की कितनी लडकियाँ पैदा होती हैं। यदि १,००० पैदा हुई लडकियों में से १,००० लडकियाँ वच्चे पैदा करने की अवस्था तक जीवित रहती हैं तो जनसंख्या समान (stationary) है, यदि १,००० से अधिक बचती है तो बढ़ती है अन्यथा घटती है। “वह दर जिस पर कि स्त्री-जनसंख्या अपने आपको प्रतिस्थापित कर रही है (net) पुनरुत्पादन दर है।”

डाक्टर एरिड चार्ल्स के शब्दों में “मुख्य बात यह है कि एक वर्ष में जन्मसंख्या स्वयं जनसंख्या की प्रजनन शक्ति का चिह्न नहीं है, क्योंकि मानव जाति अपने जीवन के काल में ही माता-पिता हो सकने है।” इस प्रकार केवल जन्मदर तथा मृत्युदर पर आधारित अकगणितात्मक गणना काफी नहीं है। हमें प्रत्येक वच्चा पैदा करने वाली आयु के समुदाय में जन्म की आवृत्ति (frequency) का अथवा मृत्युदर का ध्यान रख कर हर समुदाय में जीवित रहने के अवसरों का विचार करना पड़ता है। केवल तभी हम वास्तविक पुनरुत्पादन (reproduction) दर मालूम कर सकते हैं।

हम अपने वास्तविक प्रजनन दर की गणना के लिए मिस्टर ईट्स (Mr. Yeats) के जो कि सन् १९४१ में भारत के जनगणना के कमिश्नर थे, ऋणी हैं। निम्न तालिका रीति स्पष्ट करती है^२ —

भारतवर्ष में सकल तथा शुद्ध प्रजनन दर

(Gross and Net Reproduction Rate in India)

आयु वर्ग	प्रत्येक ग्रुप की १,००० स्त्रियों में पैदा हुए वच्चों की कुल संख्या	प्रत्येक ग्रुप की १,००० स्त्रियों में पैदा की हुई लडकियों की कुल संख्या	प्रत्येक १,००० पैदा की हुई लडकियों में से जीवित रहने वालों की संख्या	वर्तमान स्त्रियों का प्रतिस्थापन करने वाली जीवित स्त्रियों की संख्या
१	२	३	४	५
१५-२०	६९१ २	३३२	५४८ ९४	१८२
२१-२५	१६७० २	८०३	४९९ ३७	४०१

1 Kuczynski—Balance of Births and Deaths, pp 41-44, Quoted in Economic Problems of Modern India edited by Prof Radha Kamal Mukerjee, pp 90—91

2 Brij Naran—Indian Economic Problems Pre war and Post War, p 16

१	२	३	४	५
२६-३०	१५५६ ५	७४८	४४७ ९५	३३५
३१-३५	९०२ २	६३४	३९४ ३८	१७१
३६-४०	४३० ५	२०७	३३९ ७७	७०
४१-४५	१८८ ८	९१	३८५ ३२	२६
४६-५०	७९ ९	३८	२३४ ०१	९
	५५१९ ३	२८५३	२७४९ ७४	११९४

सकल (GROSS) प्रजनन दर पक्ति ३ में दी गई है जो कि १,००० स्त्रियों में लड़कियों की पैदा होने की संख्या बताती है।

$$\text{यह } \frac{२८५३}{१०००} = २.८५३ \text{ है।}$$

शुद्ध (net) प्रजनन दर जो कि पक्ति (column) ५ में है वर्तमान स्त्रियों का प्रतिस्थापन करने वाली जीवित जनसंख्या बताती है। यह $\frac{११९४}{१,०००} = १.१९४$ है। इसका अर्थ यह है कि एक स्त्री १.१९४ से प्रतिस्थापित होती है। १,००० स्त्रियों की अपेक्षा १,१९४ स्त्रियां हो जाती हैं। यह जनसंख्या की वृद्धि बताती है।

सकल तथा शुद्ध प्रजनन पर प्रति इकाई में दिया हुआ है, न कि प्रति १,००० अथवा १०० में।

कुछ अन्य देशों का सकल तथा शुद्ध प्रजनन पर निम्नलिखित है:—^१

देश (country)	वर्ष (year)	शुद्ध उत्पादन (net reproduction)
यू० एस० ए०	१९३९-४१	१.०१
जापान	१९३७	१.४४
फ्रांस	१९३९	०.९
जर्मनी	१९३६	०.९३
इटली	१९३५-३७	१.१३
इंग्लिस्तान	१९४४	०.९९
सोवियत यूनियन	१९३५	१.४
स्वीडन	१९४१	०.८४

इस तालिका में यू० एम० ए०, फ्रांस, इंग्लैंड जर्मनी तथा स्वीडन की शुद्ध प्रजनन दर १.० से कम है। गिरती हुई जनसंख्या प्रस्तुत करते हैं, उदाहरणार्थ इंग्लैंड में १०० स्त्रियों में ९९० जीवित रहती हैं। इटली, सोवियत रूस तथा जापान में शुद्ध पुनः

एकता (unity) से अधिक है, जिसका अर्थ है बढ़ती हुई आवादी। यू०एम०ए० में शुद्ध पुन उत्पादन दर एकता (unity) के इर्द-गिर्द सतुलित हो गई, जिसका अर्थ यह है स्थायी आवादी।

१० श्रम कार्यपटुता के साधन (Factors of Labour Efficiency)—ऊपर हमने श्रम का मात्रिक (quantitative) रूप, अर्थात् जनसंख्या की समस्या का वर्णन किया है। अब हमको गुणात्मक (qualitative) रूप अर्थात् कार्य-पटुता की समस्या के विषय में ध्यान देना चाहिये। यह तो निर्विवाद है कि श्रम की कार्यपटुता राष्ट्रीय हित की बात है। यह आर्थिक पुनर्जीवन का शक्ति-सम्पन्न पुर्जा है। जापान की आर्थिक सम्पन्नता अधिकतर जापानियों की देशभक्ति तथा कार्यपटुता के कारण है। कार्यपटु श्रमिक समय अथवा माल का दुरुपयोग नहीं करता। वह मशीन का होगियारी से उपयोग करता है। उस पर निगाह रखने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। वह बुद्धि से काम लेता है और उसमें अगुआई (initiative) और जिम्मेदारी की प्रबल भावना होती है। कम लागत (cost) पर ज्यादा पैदावार होती है जिससे उद्योग की स्पर्धी शक्ति (competitive power) बढ़ जाती है। ऐसे बहुत से साधन हैं जो कि ससार अथवा किसी भी देश के श्रमिकों की सापेक्ष कार्यकुशलता का विवरण करते हैं। निम्नलिखित कुछ विशेष ऐसे साधन हैं जो श्रम की कुशलता पर प्रभाव डालते हैं —

(१) जातीय गुण (Racial qualities)—श्रम की कुशलता जातीय तथा पैतृक नस्ल पर जिससे कि श्रमिक सम्बद्ध होता है, निर्भर है। पंजाब के सीमा वाले प्रदेशों का जाट बहुत ही हृष्ट-मुष्ट तथा उद्यमी होता है। एक वगाली अथवा एक उत्तर प्रदेश का श्रमिक शारीरिक सहनशीलता में उसके समान नहीं है।

(२) प्राकृतिक तथा जलवायु के कारण—एक ठंडी, शक्ति देने वाली जलवायु कठिन परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करती है जब कि शीतोष्ण (tropical) जलवायु श्रमिक को दुर्बल बना देती है। जहाँ जीविका निरंतर मघर्ष से प्राप्त करनी पड़ती है, वहाँ मानवीय नस्ल, उस स्थान से जहाँ प्रकृति उदार है उत्तम है। ठंडे तथा सम-शीतोष्ण (temperate) भागों में रहने वाले मनुष्य, शीतोष्ण अथवा उप-शीतोष्ण भागों में रहने वालों की अपेक्षा अधिक कार्यपटु होते हैं।

(३) शिक्षा—टेक्नीकल तथा साधारण शिक्षा उचित प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करती है तथा चरित्र को दृढ़ बनाती है। इसमें तनिक संदेह नहीं है कि एक शिक्षित श्रमिक अधिक साधनसम्पन्न तथा जिम्मेदार होता है। एक टेक्नीकल ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति अवश्य ही अधिक कार्यपटु होगा।

(४) व्यक्तिगत गुण—श्रमिक की कुशलता उसके व्यक्तिगत गुणों पर भी निर्भर है। यदि श्रमिक मजदूर डील-डौल, मानसिक चौकमी, बुद्धि, साधनसम्पन्नता तथा अगुआई की भावना रखता है तथा यदि वह गम्भीर और अधिक उत्तरदायित्व रखने वाला है तो वह अधिक उत्पादन करने वाला होगा।

(५) औद्योगिक संगठन तथा उपकरण (Industrial Organisation)

and Equipment) —संगठन तथा श्रमिकों को दी हुई सामग्री से भी उनकी कार्य-पटुता निश्चित होती है। एक दूसरे दर्जों का उद्यमी जो कि पुरानी मशीन तथा घटिया माल इस्तेमाल करना है वहिया सामान तैयार नहीं कर सकता।

(६) कारखाने की स्थितियाँ (Factory Environments) — यदि वातावरण खराब है तो श्रम कम कुशल होगा। मकुचित तथा कम हवादार कारखानों में जो कि घने तथा अस्वस्थ स्थितियों में बने हैं, श्रमिक भली-भाँति कार्य नहीं कर सकता। इसके विपरीत हवादार तथा प्रफुल्ल वातावरण अच्छा और अधिक काम करने को प्रोत्साहित करता है।

(७) काम के घटे (Working Hours) — जितने घटे श्रमिक को काम करना पड़ता है, उनका भी कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ता है। लम्बे घटे जिनमें विश्राम का ठीक प्रबन्ध न हा तथा जिनमें आराम अपना मनोरजन के हेतु कोई समय न मिलता हो, श्रमिकों की कार्यक्षमता को गिराने के सिवा और कुछ नहीं करते।

(८) संतोषजनक तथा शीघ्र भुगतान (Fair and Prompt Payment) — अच्छी मजदूरी पाने वाला श्रमिक माधारणतः सतुष्ट रहता है और काम में मन लगाता है। यह मुख्यतः तभी होता है जबकि मजदूरी शीघ्र और समय पर दी जाती है। सही मजदूरी से खाना, कपडा और स्वास्थ्यप्रद भूकान आदि प्राप्त हो जाता है जिससे पटुता बढ़ जाती है।

(९) श्रम-संगठन (Labour Organization) — संगठित प्रयत्न नदैव प्रभावपूर्ण होता है। यदि श्रमिक श्रम-कारखाने के अन्दर श्रम-विभाजन के द्वारा तथा कारखाने के बाहर एक मजदूर सभा के रूप में ठीक प्रकार से संगठित किया गया है, तो श्रमिकों की कुशलता अवश्य बढ़ जायेगी।

(१०) सामाजिक तथा राजनीतिक कारण — सामाजिक सुरक्षा (security) की योजनाएँ जो श्रमिकों को आवश्यकता तथा भय से और बेकारी की भयकरता से मुक्त करती हैं, श्रम के गौरव और मर्यादा को बढ़ाएंगी। वे मेहनत से काम करके समाज की सेवा के लिए तैयार रहेगी।

भारतीय श्रमिकों की कार्य-पटुता क्यों कम है ? यह स्मरण रहे कि उत्पादन एक सहकारी प्रयत्न (co-operative effort) है तथा श्रम की कार्यकुशलता केवल श्रमिक के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर नहीं है भारतीय मजदूर स्वाभाविक अयोग्यता के कारण नहीं बरन् प्राकृतिक तथा वातावरण के कारण अपेक्षाकृत कम कार्यपटु है। वह मलीन जलवायु में रहता है। जिससे उसका शरीर दुर्बल होता है। तेज गर्मी और जाडा कारखाने के काम को कठिन परीक्षा-सा बना देता है। पारिश्रमिक जो कुछ वह पाता केवल उसके दुःखद जीवन गुजारने भर को होता है। कारखाने की हालत बहुत घुटनेवाली है और उसकी रुचि के विपरीत है। उद्यमी की कुशलता तथा कारखाने की सामग्री रद्दी किसम की है। वह ज्यादा समय तक काम करने को बाध्य किया जाना है। वह अशिक्षित तथा रूढ़िवादी है। वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि वह इन हालत में इतना काम भी कर रहा है।

निर्देश पुस्तकें

- Marshall, A —Principles of Economics
 Adam Smith—Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth
 of Nations
 Benham, F —Economics
 Pearl—The Biology of Population Growth
 Yule—"The Growth of Population and the Factors that control
 it"—F R S S Jan 1925
 Hicks, J R —Theory of Wages
 Robertson, E A G —Structure of Competitive Industry
 Fraser L M —Economic Thought and Language (1947), Ch
 11 and 13
 Robbins, L —Article on "Optimum Theory of Population" in
 Essays in Honour of Edwin Cannan

मशीन तथा श्रम-विभाजन

MACHINERY AND DIVISION OF LABOUR

१ मशीन का उपयोग (Use of Machinery)—आधुनिक युग यन्त्र-युग है। यन्त्र ने मनुष्य पर भी प्रभुत्व जमा रक्खा है। भीमकाय शक्ति आश्चर्यजनक सुकुमारता तथा विस्मयकारी जटिलता से युक्त मशीनो ने प्रायः समस्त उत्पादन व्यवस्था पर अधिकार कर रक्खा है।

इसके उपयोग (Its Uses)—यन्त्र-व्यवस्था द्वारा हुए हित को दो शब्दों में वर्णन किया गया है, शक्ति (Power) और सूक्ष्मता (Precision)।¹ मशीनो के प्रयोग से अनेक बड़े लाभ होते हैं, जैसे उत्पादन में उन्नति, श्रमिक के लिए सुविधा और समाज-कल्याण आदि।

मशीन के सहारे ही मनुष्य ने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया है और फलस्वरूप प्रकृति की विनाश गकिनयाँ मानवता की सेवा के लिए काम ली गई हैं।

समय, स्थल तथा गुणवत्ताकर्षण शक्ति की भौतिक सीमाएँ (physical limitations) तीव्र गति से समाप्त होती जा रही हैं। चन्द्रलोक की यात्रा भी अब विल्कुल अमम्भव नहीं कही जा सकती। मनुष्य के हाथों कार्य इतने शीघ्र नहीं हो सकते। सिगरेट का कारखाना एक मिनट में २५ हजार सिगरेट बना सकता है। यन्त्र इस आश्चर्यजनक सूक्ष्मता (precision) से कार्य करता है कि प्रत्येक निर्मित सामग्री दूसरे के ठीक अनुरूप होती है। ऐसी एक समान उत्पादन-व्यवस्था बिना, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था कुछ काम न कर पाती। विभिन्न उद्योगों में प्रणाली की समता के कारण श्रम की गतिशीलता (mobility) और बढ़ गई है। सस्ती तथा उपयोगी सामग्री के उत्पादन द्वारा तथा परिवहन (transport) की सुविधा में वृद्धि के कारण समाज को बहुत लाभ हुआ है। श्रमिक को अरुचिकर तथा कष्टसाध्य कार्य से छूट मिल गयी है। दिन भर के परिश्रम की अवधि को घटाकर अब वह अधिक अवकाश प्राप्त करता है। उसकी प्रतिभा, कौशल, श्रम निपुणता का स्तर ऊँचा हो गया है। आलसी श्रमिक मशीनो का समुचित संचालन नहीं कर सकता।

इसके दुरपयोग (Its Abuses)—किन्तु इसका दूसरा पक्ष भी है। घने बसे हुए, दुर्गन्ध युक्त, गन्दे नगर, आवश्यकता से अधिक श्रमिकों से युक्त करखाने, मनुष्य की नैतिकता के लिए अपनी सम्पूर्ण विषयतियों सहित, औरतों तथा बालकों से अनुचित लाभ, कारीगरों के स्वावलम्बन का अभाव आदि यन्त्र-व्यवस्था के कुछ दोष हैं।

कारीगर बेचारा "कल चलाने वाले" की स्थिति को पहुँच गया है। हम जानते हैं कि विदेश से होने वाली, यन्त्र-स्पर्द्धा ने किस प्रकार हमारे उद्योगों को नष्ट कर दिया है तथा ढाका की मलमल के बनाने वाले कारीगर अब बड़ी मस्या में कौशल विहीन बन गये हैं। मनुष्य मशीन के भीतर का एक पुर्जा मात्र रह गया है। कलात्मक निर्माण समाप्त हो गया है। लाभ के लिए निर्मित अविश्वसनीय तथा कम टिकाऊ वस्तुओं से बाजार भरे पड़े हैं। पूँजीवाद तथा फ़ैक्टरी व्यवस्था की समस्त वृत्तियाँ यन्त्र प्रणाली के साथ प्रारम्भ हो जाती हैं।

क्या मशीनों से बेकारी पैदा होती है ? (Does Machinery Create Unemployment ?) श्रम की बेकारी के लिए मशीन कहाँ तक उत्तरदायी है ? निमन्देह कलों का तात्कालिक प्रभाव श्रमिकों को फ़ार्म से जुदा करना होता है। वह जो बेकार हो जाते हैं, विशेषकर वृद्ध श्रमिक, सम्भव है उन्हें भविष्य में फिर कोई अच्छा काम न मिले।

लेकिन कुछ समय तो यह व्यवस्थापन (adjustment) ग्रहण करनी ही होगी और लम्बे अर्म में कभी न कभी व्यवसाय या काम में वृद्धि होगी। इसमें किसको सदेह होगा कि औद्योगिक व्यवस्था के पूर्व की अपेक्षा आज इंग्लैंड कहीं अधिक लोगों के लिए नौकरी का प्रबन्ध करता है। इस प्रकार अधिक कार्य-नियोजन (employment) होता है। मशीन की बनी वस्तुएँ सस्ती होनी हैं। उनकी माँग बढ़ जाती है तथा उत्पादन की सम्भावना की ओर अधिक वृद्धि से और अधिक मनुष्यों को कार्य मिलेगा। अथवा कई नई वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ेगी तथा उनको बनाने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होगी। यदि मनुष्य अधिक वस्तुएँ नहीं खरीदता तो वह धन जोड़ेगा। इस प्रकार सचित पूँजी से नए उद्योग चालू होंगे। मशीनों के निर्माण के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होगी। उनकी मरम्मत तथा इस मन्वन्ध के अनेक कार्यों के लिये मनुष्यों की आवश्यकता होगी। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मशीन से तत्काल तो चाहे बेकारी उत्पन्न हो, किन्तु आगे जाकर इससे अधिक कार्य-नियोजन होगा।

२ श्रम-विभाजन (Division of Labour)—मशीन के विस्तृत उपयोग के अतिरिक्त, वर्तमान उत्पादन की प्रधान विशेषता श्रम-विभाजन है। वास्तव में, श्रम-विभाजन तथा मशीनों का उपयोग साथ-साथ चलता है। आज हम यह देखते हैं कि एक वस्तु का निर्माण अनेक प्रणालियों (processes) में विभक्त होता है और प्रत्येक प्रणाली श्रमिकों के जुदा ग्रुप द्वारा पूरी होती है। इसे श्रम-विभाजन कहते हैं। अधिक उपयुक्त शब्दों में इसे विशेषीकरण (specialisation) कहते हैं। यह (क) साधारण श्रम-विभाजन (Simple Division of Labour) हो सकता है जबकि कार्य संयुक्त नीति से होता है, और यह कहना सम्भव नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति ने कितना कार्य किया है—जैसे किमी भारी बोझ के उठाने में। (ख) जटिल श्रम-विभाजन (Complex Division of Labour)—जब प्रत्येक प्रणाली जुदा ग्रुप द्वारा की जाती है और (ग) प्रादेशिक श्रम-विभाजन (Territorial Division of Labour)—जब किसी स्थान के व्यक्ति किसी विशेष सामग्री के उत्पादन की विशेष

योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इसे हम उद्योगो का स्थानीयकरण (Localisation of Industries) कह सकते हैं।

३. श्रम विभाजन के लाभ (Advantages of Division of Labour)—श्रम-विभाजन व्यवस्था के अनेक लाभ माने गए हैं। अर्थ सिद्धान्त के इस अंश के प्रति ऐडम स्मिथ की देन आज भी प्रतिष्ठित समझी जाती है। श्रम-विभाजन निम्नलिखित रूपों में लाभदायी सिद्ध हुआ है —

(१) उत्पादन शक्ति में वृद्धि (Increase in Productivity)—एडम स्मिथ इसके लिए पिन निर्माण उद्योग का उदाहरण देते हैं। पिन निर्माण को वह १८ विभिन्न क्रियाओं में विभक्त करते हैं। दस व्यक्ति एक दिन में ४८,००० पिन बना सकते हैं। अस्तु, एक दिन में एक मजदूर ४,८०० पिन बना लेता है। श्रम-विभाजन तथा मशीन के अभाव में एक व्यक्ति एक दिन में कठिनाई से एक 'पिन' बना पाता और बीस पिन तो कदापि न बना सकता।

यथा उत्पादन-शक्ति की यह वृद्धि केवल श्रम-विभाजन ही के कारण है (Is Increase in Productivity due simply to Division of Labour)—किन्तु अन्य कारणों की उपेक्षा करके केवल इसी को इस वृद्धि का कारण मान लेना अनुचित होगा। टेक्नीकल ज्ञान की प्रगति, अनेक अन्वेषण और खोज विज्ञान के कारण तथा पूंजीका संचय भी अन्य महत्त्वपूर्ण कारण हैं जिनसे उत्पादन-शक्ति में वृद्धि हुई है। इन सभी कारण भूमि की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि हुई है। विज्ञान के कारण भूमि की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि हुई है। इन सभी कारणों का सामूहिक फल उत्पादन-सामर्थ्य की सवृद्धि है।

(२) श्रम-कौशल तथा निपुणता में वृद्धि (Increase in dexterity and skill)—अभ्याससे ही मनुष्य में पूर्ण निपुणता आती है। बार-बार एक ही कार्य करने रहने से मजदूर कुशल हो जाता है।

(३) आविष्कारों की अधिक सम्भावना (Inventions are facilitated)—आन्दोलन सहज हो जाता है। श्रमिक की बौद्धिक एवं मानसिक वृत्तियाँ उस ओर अधिक निपुणता से सोचा करती हैं। प्रायः नये विचार आते रहते हैं। जिससे आविष्कार सम्भव होते हैं।

(४) यंत्रों को उपयोग में लाने की सुविधा (Introduction of Machinery Facilitated)—जब मनुष्य को बार-बार एक ही कार्य करना पड़ता है तो अपनी सुविधा एवं बचत के लिये वह कोई सरल मशीनी उपयोग सोच निकालता है। इस साधारण काम को मशीन द्वारा करना सम्भव हो जाता है।

(५) समय की बचत (Saving in Time)—श्रम-विभाजन व्यवस्था के अन्तर्गत श्रमिक को एक ही कार्य विधि में लगे रहना होता है। किसी विशेष व्यापार को समझने के लिए समस्त व्यापार की अपेक्षा कम समय लगता है।

(६) औजारों तथा उपकरणों की बचत (Saving in Tools and Implements)—जब श्रमिक को कुल कार्य का एक भाग ही करना पड़ता है, जैसे कुर्सी के पाँव बनाना, तो उसे सब तरह के औजार देने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

औजारों के एक सेट (set) से कई कारीगर एक समय में काम कर सकते हैं।

(७) कार्य-नियोजन की अनेकरूपता (Diversity of employment) — श्रम-विभाजन से कार्य की संख्या तथा विभिन्नता में वृद्धि होती है तथा कर्म-नियोजन (employment) में अनेकरूपता आ जाती है।

(८) बड़े पैमाने का उत्पादन (Large-scale Production) — श्रम-विभाजन से उत्पादन बड़े पैमाने में होने लगता है। प्रचुर मात्रा में हुए उत्पादन का लाभ सभी प्रकार की वचत के रूप में समाज को होता है। तैयार माल की मात्रा में ही वृद्धि नहीं होती वरन् उसकी क्वालिटी में भी, चूँकि माल कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है।

(९) उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति (Right Man in the Right Place) — श्रम-विभाजन के अन्तर्गत श्रमिक इन प्रकार बंट जाते हैं कि प्रत्येक श्रमिक अपने कौशल का कार्य करता है। इस प्रकार कार्य की अनुपयुक्तता तथा असंगति नहीं रहती।

४. श्रम-विभाजन से हानियाँ (Disadvantages of Division Labour) हमने देखा है कि श्रम-विभाजन पद्धति से समाज की उत्पादन-सामर्थ्य के अवसरों की वृद्धि होती है। किन्तु चैपमैन का कथन है कि “किसी उत्पादन प्रणाली का उत्पादन सामर्थ्य ही उसके महत्त्वकी एक मात्र कसौटी नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर लेना ही नहीं होता।” हमें यह देखना होगा कि मनुष्य जिसके लिए ही उत्पादन किया जाता है, श्रम-विभाजन के कारण किस प्रकार प्रभावित हुआ है। इस दृष्टि से देखने पर यह सिद्ध नहीं होता कि श्रम-विभाग से केवल लाभ ही होते हैं। श्रम-विभाजन के फलस्वरूप निम्नलिखित दोष भी होते हैं —

(१) नीरसता (Monotony) — श्रमिक वार-वार एक ही कार्य करने के कारण एक प्रकार की नीरसता का अनुभव करने लगता है तथा कार्य साधारण कोटि का तथा कौशलहीन हो जाता है।

(२) मनुष्य के विकास में बाधक (Retards Human Development) मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक विकास उसके कार्य से बहुत प्रभावित होता है। श्रमिक को एक ही प्रकार का कार्य वार-वार करने से शरीर तथा मन की गति एक ही दिशा में रहती है। एक प्रकार की वार-वार क्रियाशीलता व्यक्त के मन को कुठित तथा दृष्टिकोण को सीमित कर देती है। नीरसता से आत्मा हनन होता है।

(३) मानवीय प्रेरणा-रहित उद्योग (Industry de-humanised) श्रम-विभाजन के अन्तर्गत कई लोग मिल कर एक चीज तैयार करते हैं। “सब लोगों के द्वारा किया गया कार्य किसी भी व्यक्ति का नहीं होता।” कारीगर में उत्तरदायित्व और स्वाभिमान की भावना नष्ट हो जाती है। इस प्रकार उद्योग के भीतर से मानवोचित स्फूर्ति निकल आती है।

(४) कौशल की हानि (Loss of skill) — कुशल शिल्पकार अपना कौशल खो

देता है। उसे या तो केवल कातना आता है अथवा बुनना। या तो वह कुर्सी का पाया बना पाता है अथवा फिर कुर्सी पर बैठने का स्थान। संपूर्ण कुर्सी बनाने की सामर्थ्य उसमें नहीं रह जाती।

(५) बेकादी की आशंका (Risk of Unemployment)—कार्य के केवल एक अंग के निर्माण का ज्ञान रखने वाले श्रमिक को बेकारी का मदा डर रहता है। यदि उसका प्रस्तुत कार्य छूट जाय तो सम्भव है दूसरे स्थान पर उसे कार्य न मिल पाये।

(६) श्रम विभाजन से पारिवारिक जीवन में गड़बड़ होती है। (Disrupts family life)—औरतो तथा बच्चों को भी उनके अनुकूल कार्य मिलने का अवसर रहता है। कारखानों में औरतो का अधिक सख्या में कार्य करना गृहस्थ जीवन में गड़बड़ उत्पन्न कर देता है तथा बच्चों को काम में लगाने से राष्ट्र की मूल्यवान मानवीय स्रोत का व्यर्थ ही क्षय होता है।

(७) श्रम-विभाजन तथा फैक्टरी व्यवस्था से हानियाँ (Division of Labour and Evils of Factory System)—फैक्टरी व्यवस्था से सम्बद्ध होने से श्रम-विभाजन में अनेक दोष उत्पन्न हो गये हैं। कारखाने का वातावरण दुर्गन्ध-युक्त बना रहता है। आवादी की अधिकता से चरित्र का पतन होता है। आस-पास की गन्दगी से रोग फैलते हैं। मनुष्य मशीन तथा उद्योगपति का दास हो जाता है।

(८) प्रादेशिक श्रम-विभाजन से हानियाँ (Evils of Territorial Division of Labour)—स्थानीय श्रम-विभाजन से अनेक हानियाँ उत्पन्न होती हैं। इससे उद्योग एक ही स्थान तक सीमित होकर रह जाते हैं। इस का फल यह है कि स्थान-विशेष के व्यक्ति किसी प्रकार के उद्योग पर ही निर्भर रहते हैं। इसमें कार्य नियोजन का क्षेत्र कम हो जाता है, और परिवार की आय भी घट जाती है।

फिर भी श्रम-विभाजन पद्धति स्थायी रूप से चल रही है। दिन भर के कार्यों की अवधि का घट जाना तथा अवकाश की वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, मजदूरी में वृद्धि आदि कुछ रीतियाँ हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है जिससे श्रमिक के जीवन पर श्रम विभाजन का हानिकारक प्रभाव न पड़े।

श्रम-विभाजन व्यवस्था के अन्तर्गत क्या श्रमिक अपनी योग्यता के विल्कुल ही उपयुक्त कार्य में नियोजित किया जाता है? यह आवश्यक नहीं है कि सदैव ऐसा ही हो। किन्तु नियोजक की यह चेष्टा अवश्य रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुकूल ही कार्य प्राप्त हो। परन्तु सर्वदा यह संभव नहीं होता। यह सब 'माँग' पर निर्भर होता है। अनेक विकल्पों (alternatives) में उसे वह कार्य मिलेगा जिसके लिए माँग है और इस प्रकार मिला कार्य उसके सर्वथा उपयुक्त नहीं हो सकता।

श्रम-विभाजन आवश्यक तत्त्व (Requisites of Division of Labour) श्रम-विभाजन का लागू होना कई बातों पर निर्भर है। इसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होना चाहिए।

उत्पादन निरन्तर होना चाहिये (production must be continuous)

अन्यथा विभिन्न श्रमिक वर्गों के बीच समन्वय (coordination) नहीं हो सकता।

इसके अलावा श्रमिकों में प्रतिभा तथा सहयोग की भावना का प्रदर्शन करना चाहिए। उद्योगपति में आवश्यक सगठन की योग्यता होनी चाहिए अन्यथा श्रम-विभाजन की व्यवस्था तथा सगठन उचित नहीं होगा। अन्त में बाजार का विस्तार भी सीमित करने वाले कारणों में से एक कारण है।

५. श्रम-विभाजन बाजार द्वारा सीमित होता है (Division of Labour is limited by the Market)—यह बात बहुत स्पष्ट है। यदि जूते बनाने वाला एक जूता छ महीने में बेच पाता है तो उसका आधे दर्जन श्रमिकों को तले बनाने में लगाना तथा आधे दर्जन व्यक्तियों को ऊपरी भाग बनाने में लगाना, अन्य छ व्यक्तियों को इस प्रकार तले तथा ऊपरी भाग को जोड़ने में लगाना मूर्खता होगी। इस प्रकार की विधि अपनाने के पूर्व उस वस्तु की मांग होनी चाहिये। श्रम-विभाजन में बड़ी मात्रा में सामग्री बनेगी और जब तक बाजार में वस्तु की यथेष्ट खपत न हो, अधिक मात्रा में किसी वस्तु का निर्माण निरर्थक होगा। अस्तु, विस्तृत विक्री का बाजार ही किसी वस्तु के निर्माण तथा विस्तार को निर्धारित करने वाला कारण होता है।

परन्तु कोई भी उद्योगपति व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार इस विषय को नहीं देखता। अपने कारखाने का आकार स्थिर करते समय वह बाजार का विचार रखता है और इस प्रकार विचार के बाद श्रम-विभाजन की सीमा लगाई गई मशीनों तथा कारीगरों के अनुरूप होगी।

बाजार श्रम-विभाजन पर भी निर्भर होता है—श्रम-विभाजन के कारण अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण उत्पादन मस्ता होता है। जब वस्तुएँ सस्ती होती हैं तो अधिक मनुष्य उन्हें खरीदते हैं। इस प्रकार बाजार में विक्री बढ़ जाती है। अस्तु, श्रम-विभाजन तथा विक्री एक दूसरे पर निर्भर है। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि बाजार की सीमा-श्रम-विभाजन का निर्धारण करती है।

श्रम का प्रादेशिक विभाजन (Territorial Division of Labour)

६ स्थानीयकरण (Localisation)—उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रादेशिक श्रम-विभाजन भी कहते हैं। उद्योगों के श्रम का भी स्थानीयकरण से हमारा अर्थ किसी एक स्थान या भाग में किसी एक उद्योग का स्थापन है। नगर या प्रदेश किसी उद्योग के लिए विशेष स्थान बना लेता है। हमारा जूट उद्योग बंगाल में, लोहे का विहार में, शक्कर का उत्तर प्रदेश व बिहार में, तथा सूती उद्योग बम्बई में केन्द्रित है। राज्यों के नगरों में स्थानीयकरण के उदाहरणों में हम लुधियाना (पंजाब) का होजरी उद्योग, फिरोजाबाद (यूपी) में चूड़िया, हजारी बाग (विहार) में रेशम का निर्माण आदि का जिक्र करते हैं।

स्थानीयकरण को निश्चित करने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं —

(१) कच्चे माल की निकटता (Nearness to Raw Materials) — कच्चे माल का निकट होना बड़ा लाभदायक है। इससे परिवहन (transport) की

लागत कम हो जायगी। उत्पादन अधिक किफायती होगा। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कई उद्योगों की स्थापना उन भागों में हुई है जहाँ कि कच्चा माल अधिक मात्रा में प्राप्त है, उदाहरणार्थ, जूट के कारखाने बंगाल में तथा गन्कर के उत्तरप्रदेश में।

(२) शक्ति के स्रोतों की निकटता (Nearness to Sources of Power)—उद्योग के लिये दूसरा आकर्षण शक्ति के साधनों का उपलब्ध होना है। यदि कोयले की खाने समीप हैं तो बहुत से उद्योग शीघ्र ही वहाँ केन्द्रित हो जावेंगे, उदाहरणार्थ, लोहे के कारखाने कोयले के भागों में।

(३) बाजार से समीपता (Proximity to Markets)—किसी उद्योग के लिए विस्तृत बाजार का समीप होना लाभदायक है। परिवहन की लागत में बचत होगी। उपभोग के केन्द्रों के समीप वाले कारखाने दूर वाले कारखानों से अधिक प्रभाव रखते हैं। भारतीय सूती कारखानों का उत्तर भारत तथा बंगाल में विस्तार बाजार के समीप होने के कारण हुआ।

(४) श्रम का उपलब्ध होना (Availability of Labour)—यदि शिक्षित श्रम उपलब्ध है तो यह एक बड़ी सुविधा मानी जाती है। यही कारण है कि उद्योगपति एक पुराने स्थापित केन्द्र पर ही जमा होते हैं। यदि कोई होजरी का कारखाना स्थापित करना चाहता है तो वह लुधियाना में स्थापित करने में अपना लाभ ममज्ञेगा।

(५) पूँजी का उपलब्ध होना (Availability of Capital)—वित्त-व्यवस्था उद्योग का प्राण है। जहाँ बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएँ उद्योगों की सहायता करने को तैयार तथा तत्पर रहती हैं, यह एक बड़ा आकर्षण है। बम्बई, कलकत्ता जैसे गहर उद्योगों के केन्द्र हैं क्योंकि वहाँ अच्छी साख सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

(६) कभी-कभी राजनीतिक कारण (Political Factors) भी उद्योग के स्थापित होने के कारण बने हैं। हैदराबाद जैसे भारतीय राज्यों ने उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए उनको विशेष सुविधाएँ प्रदान की।

(७) कुछ स्थितियों में धार्मिक कारण (Religious Causes) अधिक मनुष्यों को एक स्थान पर केन्द्रित करके कुछ उद्योगों की स्थापना करते हैं।

(८) कभी-कभी केवल पहले किसी उद्योग-धंधे का चल निकलने के अतिरिक्त अन्य कारण बताना असम्भव-सा हो जाता है। जैसे कोई उद्योग किसी स्थान पर चालू हो गया।

केन्द्रीकरण के अन्य कारण (Causes of Further Concentration)—जब उद्योग किसी एक स्थान में स्थापित हो जाता है तो उसमें और उस स्थान की ओर आकर्षण की प्रवृत्ति होती है। जब कोई नया उद्योग उस उद्योग को चलाना चाहता है तो वह किसी अन्य स्थान के बजाय उसी स्थान पर जायगा। इस प्रवृत्ति के बहुत से कारण हैं। शिक्षित श्रम वहाँ तुरन्त मिलता है। मशीन और उसके पुर्जे तथा कच्चा माल वहाँ आसानी से मिल सकता है। उस स्थान पर वित्तीय संस्थाएँ भी विकसित अवस्था में होती हैं। कुछ समय में वहाँ पर पूरक (supplementary)

तथा सहायक उद्योग स्थापित हो जाते हैं और वे मुख्य उद्योग को विभिन्न प्रकार से लाभ पहुँचाते हैं।

टेक्नीकल पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं जो कि उद्योग के लिए लाभदायक होती हैं। सामूहिक हितों की उन्नति तथा रक्षा के लिए उद्यमी-सघ स्थापित होते हैं। परिवहन तथा संचार के साधन, उद्योग की आवश्यकतानुसार विशिष्ट तथा अनुकूल कर लिये जाते हैं। ये सभी साधन उद्यमी व्यवसायी को अधिक सहायता देते हैं। किसी नये स्थान पर साधारण तथा आसान समस्याओं का हल भी उनके लिए अधिक कठिन मालूम होगा। सब ने बढकर वहाँ पर औद्योगिक आलस्य (inertia) होता है। एक बार एक स्थान पर स्थापित होने के पश्चात् वे कहीं और जाना नहीं चाहते। यह मानव प्रवृत्ति है कि लोग अनजानी कठिनाइयों के बीच में रहने की अपेक्षा जानी हुई कठिनाइयों में रहना पसन्द करते हैं।

७ स्थानीकरण के परिणाम (Consequences of Localisation)—उद्योगीकरण के फायदे भी हैं और नुकसान भी। ऊपर दिए हुए उद्योगों के जमकर चलने की प्रवृत्ति के कारण स्थानीयकरण के विभिन्न लाभ हैं अर्थात् श्रम, पूँजी, पदार्थों आदि का उपलब्ध होना और विशेष परिवहन, सहायक उद्योग, औद्योगिक पत्रिकाएँ, सघ आदि के लाभ हैं। इसके अतिरिक्त विचारों के विनिमय के लिये पर्याप्त सुविधायें हैं, क्वालिटी में सुधार हो सकता है, लागत कम की जा सकती है तथा साधारण समस्याएँ सफलतापूर्वक सुलझाई जा सकती हैं। उस स्थान पर उस वर्ग के श्रमिकों को काम अवश्य मिलेगा।

कुछ भी हो स्थानीयकरण एक अमिश्रित प्रसाद नहीं है। उद्योग का एक स्थान पर निर्भर रहना हानिकारक है। यदि उद्योग गिरी हुई दशा में है तो समस्त श्रमिक जो कि उस पर तथा उसके सहायक उद्योगों पर निर्भर हैं, नुकसान में रहेंगे। यह किसी चीज को एक जगह ठूसने के समान है।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के श्रम को काम मिलने की कम सम्भावना होती है।

विशेष श्रम गतिशील (mobile) नहीं रहता तथा अन्य उद्योगों में नौकरी पाने का कम अवसर रहता है।

इसका स्पष्ट उपचार एक ही है जो प्रायः काम में लाया जाता है अर्थात् पूँरक तथा सहायक उद्योगों का चलाना।

८ उद्योगों का विकेंद्रीकरण (Decentralisation of Industry) —आधुनिक काल में अनेकों विकास हुए हैं जिन्होंने पुराने उद्योगों को उनके स्थानों से हटाकर दूसरे स्थानों पर स्थापित कर दिया है —

(१) परिवहन के साधनों का विकास एक ऐसा कारण है। यह विकास वास्तव में एक दुधारा शस्त्र है। एक ओर तो यह केन्द्रित उद्योगों को अपने स्थान में बनाए रखने के लिए सहायक हुआ है। यदि कच्चे माल की पूर्ति जिसके आधार पर उनका विकास हुआ है, क्षीण हो गई है, तो वह वहाँ लाया जा सकता है। यदि बाजार जो कि पहले

विस्तृत था, अब काफी नहीं रह गया तो परिवहन के विकास से दूर स्थानों तक फँस जा सकता है। परन्तु दूसरी ओर यह भारी यन्त्रों को उन दूर देशों को भेजने में सहायक हुआ है जिनमें बाजार अच्छा है, उदाहरणार्थ स्वीडन की दियासलाई के कारखाने भारत में खोले गये हैं। श्रम तथा शिल्पकला में निपुण मनुष्य भी गतिशील हो सकते हैं।

(२) इसके अतिरिक्त औद्योगिक केन्द्रों में किराया तथा भीड़भाड़ की वृद्धि, जमीन की अधिक कीमत तथा म्यूनिसिपल करों के अधिक बोझ से, उद्योग हटा लिये गये हैं, उदाहरणार्थ, सूती मिलें बम्बई से अहमदाबाद, शोलापुर तथा अन्य स्थानों को हटाई जा रही हैं।

(३) अन्त में, बिजली के आने से जिसे दूर तक ले जाया जा सकता है, उद्योगों को अधिक सुविधा वाले स्थानों पर स्थापित होने के योग्य बना दिया है। उनको कोयले की खानों जैसी शक्ति के साधनों के समीप रहने तथा दूसरी कठिनाइयों का सामना करने की आवश्यकता नहीं रही।

उपर्युक्त कारणों से स्थायीकरण की बहुत सी बातें बेकार हो गई हैं और उद्योगों का विकेन्द्रीकरण हो रहा है।

निर्देश पुस्तकें

Marshall, A —Principles of Economics

Adam Smith—An Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations, pp 93-3 and 26

Cannan, E —A Review of Economic Theory

Benham, F —Economics

अध्याय १०

पूँजी

(CAPITAL)

१ पूँजी का स्वरूप तथा महत्त्व (Capital, its Nature and Importance)—अब तक हमने उत्पादन के केवल दो साधनो, भूमि तथा श्रम, का ही विचार किया है। अब हम तीसरे साधन पूँजी पर विचार करेंगे। आधुनिक उत्पादन प्रणाली में पूँजी का बड़ा महत्त्व है। मनुष्य के आदिम जीवनकाल में भी उत्पादन के लिए कुछ औजारो की आवश्यकता पडती है। वर्तमान उत्पादन की विभिन्नता व वृहत् परिमाण केवल इस कारण सम्भव हो सके हैं कि उत्पादनकार्यों के लिए पूँजी उपलब्ध है। यदि किसी राष्ट्र के पास समुचित पूँजी हो तो देश के जीवन-स्तर को स्थिर रक्खा तथा उठाया जा सकता है। हर प्रकार के आर्थिक विकास के लिए पूँजीगत वस्तुओ (capital goods) की आवश्यकता होती है। सिंचाई की योजनाओ को पूरा करने के लिए मशीनो तथा खेती के काम के लिए ट्रैक्टरो की जरूरत पडती है। औद्योगिक उन्नति के लिए भी मशीनो की आवश्यकता होती है। सबके बनाने में भी इसकी जरूरत होती है। अस्तु, पूँजी के बिना किसी प्रकार की आर्थिक उन्नति असम्भव है।

पूँजी के अभाव में भूमि बजर पडी रहेगी, श्रमिक खाली बैठा रहेगा तथा सगठन-कर्त्ता अपने उत्पादक उद्यमो में भारी रुकावट का अनुभव कगें। पूँजी उत्पादन-व्यवस्था का सचालन करती है। इस प्रकार उत्पादन में पूँजी का बड़ा महत्त्व है।

पूँजी शब्द के अर्थों और धारणा के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियो में परस्पर बड़ा मतभेद है। पूँजी का स्वरूप तथा उसका तत्त्व बहुत स्पष्ट है। इसका सबब आय से होता है। मनुष्य के धन का कुछ भाग इस प्रकार बचता है अथवा उपभोग में आता है जिससे उसे आय की प्राप्ति हो, अथवा उसे उत्पादक कार्य में सहायता मिले। धन के इस भाग को पूँजी कहते हैं। चैपमेन^१ के शब्दो में, पूँजी वह धन है जिससे आय होती है, अथवा आय में सहायक होता है, अथवा ऐसा करने के लिए काम में लाया जाता है। इस प्रकार इसमें रेलें, जहाज, कारखाने, नहरें, औजार तथा स्टॉक, शेयर, सिक्योरिटियो तथा बैंक डिपॉजिट्स के रूप में नियोजन भी शामिल है। पीगू (Pigou) ने पूँजी की तुलना एक ऐसी झील से की है, जिसमें ऐसी विभिन्न वस्तुएँ जो बचत (savings) का परिणाम ह, सदैव शामिल होती रहती हैं। पर वे सब वस्तुएँ जो झील में प्रवेश करती हैं कुछ समय पश्चात् फिर इसमे से निकल जाती हैं।^२

1 Chapman—Outlines of Political Economy (1920), p 73

2. Pigou—Economics of Welfare, p 43

अब हमें कुछ वस्तुओं की जाच करके यह मालूम करना है कि वे पूजी हैं अथवा नहीं। जहाँ तक उत्पादक वस्तुओं जैसे मशीन, परिवहन के उपकरण (transport equipment) और उत्पादन की सहायता के लिए उत्पादकों के हाथ में उपभोक्ताओं के माल का सवध है, सदेह का कोई कारण नहीं है। ये तो पूजी हैं ही, पर प्रश्न यह है कि उपभोक्ता के हाथ में उपयोग की वस्तुएँ पूजी हैं या नहीं। इस विषय में अर्थशास्त्रियों के दो मत हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि ये वस्तुएँ पूजी नहीं होती, क्योंकि जहाँ तक इनका सवध है उत्पादन पूर्ण हो चुका है और इसके आगे सौदा नहीं हो सकता। वेनहम का कहना है कि यद्यपि ये वस्तुएँ उपभोक्ताओं तक पहुँच चुकी हैं पर बात यही समाप्त नहीं हो जाती। ये वस्तुएँ वर्षों तक काम में आती रहती हैं। इसके सबसे अच्छे उदाहरण मकान, फरनीचर, रेडियो सेट, मोटर आदि हैं। यहाँ नहीं कभी-कभी इन वस्तुओं से आगे के सौदे भी हो जाते हैं, उदाहरणार्थ, कभी-कभी मकान वाले अपने मकान को किराये पर उठा देते हैं या मोटर को किराये पर चलाते हैं। वेनहम को यह बात अजीब लगती है कि डाक्टर जब कोई मरीज देखने कार पर जाय तो उसे पूजी माना जाय और जब उसके घर वाले उसी पर घूमने जायें तो उसे पूजी न माना जाय। अतएव वह इस प्रकार की सभी वस्तुओं को पूजी मानेंगे।

क्या भूमि पूजी है? (Is Land Capital) ?—भूमि को पूजी के वर्ग में पाच कारणों से नहीं रक्खा जाता.—

(क) भूमि प्रकृति की ओर से उपहार स्वरूप मिलती है, पर पूजी मनुष्य स्वयं पैदा करता है।

(ख) पूजी नाशवान (perishable) होती है, इसके विपरीत भूमि स्थायी व नष्ट न होने वाली होती है।

(ग) भूमि स्थिर होती है पर पूजी गतिशील (mobile) होती है।

(घ) पूजी के परिमाण में वृद्धि हो सकती है पर भूमि निश्चित तथा सीमित होती है।

(ङ) पूजी की आय समान होती है लेकिन भूमि का लगान (rent) भिन्न-भिन्न होता है।

पर इन भिन्नताओं को कुछ बढ़ा-चढ़ा दिया गया है। वास्तव में भूमि का भी बड़ा तत्त्व (element) मनुष्य-कृत होता है। मनुष्य ने अपने प्रयत्नों से बड़े-बड़े रेगिस्तानों को उपजाऊ मैदानों में परिवर्तित कर दिया है। पूजी की भाँति भूमि भी कुछ सीमा तक नश्वर है क्योंकि बहुत अधिक खेती इसकी उर्वरता (productivity) को समाप्त कर देती है और फिर हम भूमि की सीमा को भले ही न बढ़ा सकें पर उसकी उत्पादन शक्ति को तो अवश्य बढ़ा सकते हैं। यह क्षेत्र वृद्धि के समान ही है। भूमि भी एक तरह से गतिशील (mobile) होती है क्योंकि भूमि में उत्पन्न की गई वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा सकता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से भूमि को भी पूजी मान लेना अधिक उपयुक्त होगा। भूमि तथा पूजी का अन्तर किस्म (kind) का नहीं बल्कि मात्रा (degree) का अन्तर है। पर यह अवश्य है कि इन तमाम विशेषताओं

के उपरान्त भी भूमि पूजा के समान नहीं है। दोनों में कुछ ऐसे मूल भेद हैं जिससे पूजा उत्पादन का एक भिन्न साधन बन गई है।

क्या द्रव्य पूजा है (Is Money Capital ?)—द्रव्य और पूजा एक ही वस्तु नहीं है। सब पूजा तो द्रव्य हो सकती है, पर सब द्रव्य पूजा नहीं है। पूजा बनने के लिए यह आवश्यक है कि द्रव्य का प्रयोग उत्पादक कार्यों में हो।

राष्ट्रीय ऋण (National Debt) का पूजागत मूल्य (Capital Value) क्या है ? स्टॉक होल्डर (stock holder) के लिए तो यह पूजा ही होता है क्योंकि इससे आय होती है। पर सरकार की दृष्टि से यह एक प्रकार का ऋण (debt) प्रकट करता है। जिस सीमा तक राष्ट्रीय पूजा का प्रयोग सड़के, नहरों या दूसरे आमदनी वाले कार्यों में होता है, यह पूजा होती है। पर यदि राष्ट्र के ऋण का प्रयोग युद्ध आदि पर होगा तो इसे पूजा नहीं कहा जा सकता।

क्या सर्जन का कौशल अथवा टाइपिस्ट की कुशलता जैसे व्यक्तिगत गुण भी पूजा होते हैं (Are personal qualities like a surgeon's skill or a typist's dexterity capital)—नहीं। हस्तान्तरितसाध्य न होने (not transferable) के कारण ये गुण धन के वर्ग (category of wealth) से पहले ही जुदा कर दिये गए हैं। कुछ अर्थशास्त्री इस प्रकार के गुणों को व्यक्तिगत पूजा का नाम देने के लिए तैयार हैं।

प्राकृतिक उपहार, जैसे नदियां व पहाड़ आदि क्या हैं (What about the Rivers and Mountains)—यह असगत सा लगता है कि नहरों को तो पूजा मान लिया जाय पर नदियों को नहीं, पर ऐसी वस्तुएं पूजा इसलिए नहीं मानी जाती हैं कि पूजा का सबब उत्पादन के 'तैयार' (produced) साधनों से हैं, प्रकृति के उपहारों से नहीं।

क्या सभी धन पूजा हैं ? (Is all Wealth Capital ?)—कुछ लोगों का मत है कि सब प्रकार का धन पूजा होता है क्योंकि मनुष्य का सारा धन किसी न किसी रूप में धन के उत्पादन में सहायक होता है। कोई भी वस्तु जिसकी उपस्थिति से उत्पादन की सहायता मिले और जिसके अभाव से उत्पादन रुकने लगे पूजा होती है। इस विचार की पुष्टि करने के लिए एक तर्क और भी है। प्रत्येक वस्तु से सतुष्टि मिलती है अर्थात् आय होती है, इसलिए हर वस्तु को पूजा मानना चाहिये। पर आम तौर से केवल धन का वह भाग पूजा माना जाता है जिसका उपयोग धन के अधिक उत्पादन में हो सके। सब पूजा धन हैं पर हर प्रकार का धन पूजा नहीं होता।

पूजा और पूजावाद में अन्तर किया जा सकता है। जैसा कि हम पहले भी विचार कर चुके हैं, पूजा का निर्देश (तात्पर्य) सिर्फ उत्पादन के साधनों से है। इसके विपरीत पूजावाद समाज की उस दशा को कहते हैं जिसमें इस साधन का अधिकार व उपयोग कुछ व्यक्ति केवल निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। वे इस स्थिति में हैं कि समस्त जनता पर अत्याचार कर सके। धनवानों की प्रवृत्ति अधिक धनवान होने की होती है, जबकि निर्धन पिसते जाते हैं। इस तरह इन्ने गिने भाग्यशाली लोगों और बहुत से अभाग्य लोगों

के बीच की खाई बढती जाती है। लेकिन पूजीवाद की निन्दा का अर्थ पूजी की निन्दा से नहीं है।

पूजी के विभिन्न वर्ग किये गये हैं—निजी (private) अथवा व्यक्तिगत (individual) व सामाजिक पूजी। राष्ट्रीय पूजी और वैयक्तिक पूजी (personal capital) का अन्तर वैसे ही अन्तर है जैसा कि धन के विभिन्न वर्गों में था (अध्याय २, विभाग ६)। कार्यवहन पूजी (working capital) का अर्थ उस द्रव्य से होता है जो व्यापारी अपने व्यवसाय को चलाने में उपयोग करता है।

अचल पूजी (Fixed Capital) के अन्तर्गत उत्पादकों का टिकाऊ सामान (durable goods) जैसे कारखानों की इमारतें, मशीनें जो स्थायी रूप से कई वर्षों तक काम में आ सकती हैं, सम्मिलित हैं।

परिचल पूजी (Circulating Capital) का स्वरूप स्थायी नहीं होता। यह एक बार के प्रयोग में ही समाप्त हो जाती है। इसमें उत्पादन के प्रयोग में आने वाले वह कच्चे माल सम्मिलित है जैसे जूतों के बनाने में चमड़ा अथवा वीज आदि। कृषि के औजार अचल पूजी होते हैं और श्रम के ऊपर व्यय किया गया रुपया परिचल पूजी होता है। कृषि में प्रयुक्त पशु अचल पूजी होते हैं पर उनके पालन का व्यय परिचल पूजी है। विक्रय के लिए जमा किया गया पशुओं का समूह परिचल पूजी होता है पर दूध आदि के लिए पाले गये जानवर अचल पूजी है। एक ही वस्तु एक व्यक्ति के लिए अचल पूजी हो सकती है और दूसरे के लिए परिचल। कम्पनी के लिए सिलार्ड की मशीन जिसे बेचकर कम्पनी को लाभ होता है, परिचल पूजी है पर वही मशीन दर्जों के लिए अचल पूजी है।

उपयोजित पूंजी (Sunk Capital)—जिस पूजी का प्रयोग केवल किसी विशेष कार्य में हो सकता है, और जिसे वैकल्पिक कामों (alternative uses) में नहीं लगाया जा सकता, वह उपयोजित पूजी कहलाती है, जैसे बर्फ के कारखाने में लगी पूजी का प्रयोग होजरी के लिए नहीं किया जा सकता।

प्लवमान पूंजी (Floating Capital)—इस रूप में होती है कि विभिन्न प्रयोगों में काम में लाई जा सकती है जैसे द्रव्य, ईंधन, कच्चा माल आदि।

२. पूजी के कार्य (Functions of Capital)—पूजी के उपर्युक्त वर्गीकरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान उत्पादन में पूजी क्या कार्य करती है। पूजी सदैव उच्चमी व्यवसायी की सहायता करती है। प्रथम तो वह इसको उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरण जैसे मशीन तथा पुर्जों खरीदने में प्रयोग करता है।

दूसरे, उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल को खरीदने में पूजी सहायता देती है।

अन्तिम कार्य पूजी का यह है कि इसके द्वारा उत्पादन में लगे हुए मनुष्यों के जीवन निर्वाह की वस्तुओं अर्थात् उपभोक्ताओं की वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यह स्पष्ट है कि ये सब कार्य इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि वर्तमान काल में बिना पूजी के किसी प्रकार का उत्पादन कार्य नभव नहीं है। जिस देश के पास पूजी नहीं होती वह देश सदैव दरिद्र व पिछड़ा हुआ रहता है।

कुटिल या परोक्ष उत्पत्ति (Roundabout Production)—कभी-कभी घर का सबसे लम्बा रास्ता सबसे छोटा सिद्ध होता है। वर्तमान पूजीवादी उत्पादन को कुटिल कहा जाता है। जिन वस्तुओं से उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन होता है उनके उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों का अधिक उपभोग होता है। उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में बहुत कम मनुष्य व्यस्त होते हैं। प्राचीन काल का शिकारी एक पत्थर या एक छड़ी से भी शिकार कर लेता था जैसा कि चैपमैन का कथन है “पर आज कल का शिकारी पहले खान खोदता है और तब लोहे को गलाकर शिकार के हथियार बनाता है” और तब उसका शिकार प्रारम्भ होता है।

इस प्रकार की लम्बी रीतियों के प्रयोग में कोई विशेष आकर्षण नहीं है। पर तब भी आधुनिक उत्पादन इतना कुटिल क्यों है? इनका उपयोग इसलिए होता है जिससे अधिक उत्पादन हो और समाज की इच्छाओं की सन्तुष्टि में अधिक सहायता मिले।

चैपमैन (Chapman) के शब्दों में “केवल इसलिए कि कोई प्रणाली अधिक परोक्ष है वह अधिक मितव्ययी नहीं हो जाती। परन्तु ऐसा होता है कि अधिक मितव्ययी रीतियाँ प्रायः परोक्ष हो जाती हैं।” डाक्टर हेयक (Hayek) ने पूजीवादी उत्पादन की तुलना एक ऐसे पखे से की है जो पूजीवादी तरीकों की अधिकता अथवा न्यूनता से खुलता बन्द होता है। यह पखा जितना ही अधिक तेज चलता है उतना ही अधिक अन्तर कच्चे माल की प्राप्ति और अन्तिम वस्तु के निर्माण में लगने वाले समय के मध्य होता है।”

३ पूजी का निर्माण (Capital Formation)—यदि राबिन्सन क्रूसो शिकार के लिए बन्दूक का निर्माण करना चाहता है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह खाने की सामग्री बड़ी मात्रा में एकत्रित कर ले। चीन की एक पुरानी कहावत है (सेमएलसन Samuelson ने उद्धृत की है) कि “जो मनुष्य प्रातः काल के बाद के समय को नहीं विचार सकता, उसको मध्याह्न में अच्छी से अच्छी शराब पीने को मिलेगी, सायंकाल में उसके सर के दर्द को ठीक करने के लिए अधिक हरी शराब मिलेगी, और अन्य दिनों के लिए उसको केवल वर्षा का जल ही पीने को मिलेगा।” सयम अथवा प्रतीक्षा (abstinence and waiting) ही पूजी का जन्मदाता कहा जाता है। परन्तु धनवानों के लिए, जो विलासिता में रहने के उपरान्त भी बचत कर लेते हैं, इसमें किसी प्रकार का कष्ट या त्याग नहीं होता किन्तु सयम शब्द में भावना शामिल है। इसलिए ‘प्रतीक्षा’ शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त होगा।

शताब्दियों की खोजों के फलस्वरूप प्रारम्भ के भद्दे बाजारों से बढ़कर पूजी ने वर्तमान काल की दैत्याकार कलों का रूप ले लिया है।

यह सब बचत का ही परिणाम है। टाजिग के अनुसार “पूजी को बनाया तथा पैदा तो किया ही जा सकता है पर इसकी बचत और इसका संचय भी होता है।” दूसरे शब्दों में पूजी का संचय बचत करने की इच्छा व सामर्थ्य पर निर्भर रहता है।

किसी व्यक्ति की बचत करने की सामर्थ्य उसकी आय और व्यय के अन्तर पर निर्भर रहती है। जहाँ तक राष्ट्र का सवध है यह सामर्थ्य उसके व्यापार और उद्योग के समुचित संगठन, परिवहन के साधनों के विकास और ‘साख’ व बैंकिंग प्रणाली की उन्नति पर

निर्भर रहती है। शिक्षा व स्वास्थ्य के उचित प्रवर्ध से, मानव साधनों का अधिकतम विकास व प्राकृतिक साधनों के अधिकतम प्रयोग से भी पूजी का निर्माण होता है।

वचान की इच्छा—मनुष्य की वचत करने की प्रवृत्ति कई बातों पर निर्भर रहती है। इन बातों में सबसे महत्त्वपूर्ण ये हैं—घरेलू स्नेह, ऊँचे उठने की इच्छा, सामाजिक अथवा राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की लालसा अथवा केवल सफलता प्राप्ति की भावना।

स्थायी सरकार द्वारा मानव जीवन और धन की सुरक्षा का समुचित प्रवर्ध मनुष्य की वचत करने की इच्छा व शक्ति दोनों को बढ़ा सकता है। ऐसी दशा में पूजी विनियोग (investment) के अन्य साधन भी जैसे बैंक, बीमा कम्पनी, व्यापारिक सस्थायें, सरकारी सिक्कोरिटियो का चलन आदि बढ़ जायगा।

व्याज की ऊँची दर भी वचत को प्रेरणा देती है। यदि व्याज की दर ऊँची हो तो अधिक लोग वचत करने लगते हैं। पर व्याज की दर का वचत पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो केवल व्याज की इच्छा से वचत करते हैं। धनवान लोग स्वाभाविक रूप से वचत करते हैं और निर्धनों को कुछ धन का कोई आकर्षण नहीं होता। इसके विपरीत जो लोग अपनी वृद्धावस्था के लिए या अपने बच्चों के लिए एक निश्चित आय की कोई व्यवस्था करना चाहते हैं वह प्रायः व्याज की कम दर पर अधिक और ऊँची दर पर कम वचत करते हैं।

सामाजिक विधानों जैसे सामाजिक बीमा (social insurance) व वार्धक्य निवृत्ति वेतन (old-age pension) का वचत पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत संभव है कि यह हो कि श्रमिक अपने भविष्य से बिल्कुल निश्चित हो जाय और वचानों का बिल्कुल प्रयत्न न करे। पर हमारा यह विश्वास है कि वचाने की इच्छा अत्यन्त गहन होती है। मनुष्य सदैव वचाने का प्रयत्न करता है।

वचत वास्तव में पूजी का साधन है। एडम स्मिथ का कहना है कि “मितव्ययता से पूजी बढ़ती है और अति व्यय से घटती है।” पर वचत मात्र ही यथेष्ट नहीं होती। वचत को पूजी का रूप देने के लिए यह आवश्यक है कि उसका विनियोग (investment) हो।

लेकिन अधिक वचत हानिकारक है। इससे उपभोक्ता के माल की माँग कम हो जायगी और बाजार में मन्दी फैलेगी। अधिक व्यय भी हानिकारक है, ऐसा करने से भविष्य के लिए कोई उपबन्ध (provision) नहीं होगा। इसलिए, दोनों में समुचित सतुलन होना चाहिए।

पूजी निर्माण (capital formation) के अन्तर्गत तीन मुख्य स्टेज (broad stages) हैं (क) वचत (savings) इकट्ठा करना जो वचत करने की इच्छा तथा वचत करने की सामर्थ्य पर निर्भर है, (ख) वचत का गतिशीलन तथा विभक्तीकरण (mobilisation and canalization) और उसको विनियोजित निधि (investible fund) का रूप देना। यह बैंकिंग प्रणाली की दक्षता पर निर्भर है, तथा (ग) पूजीगत माल का अर्जन (acquisition) जो उद्यमी के प्रयास पर निर्भर है। पूजी निर्माण के मार्ग में कई बाधाएँ हैं। कुछ वचत को साठे-

बाजी से रक्खा गया हो (hoarded) लेकिन विनियोजन (investment) में न लगाया गया हो। कुछ वचत को स्वामियों द्वारा पुन व्यापार में ही लगा दिया गया हो। निधि (funds) के सचय होने तथा पूजीगत माल के अर्जन होने में बीच का समय होता है।

भारत में पूजी निर्माण में कई कारणों (factors) ने बाधा डाली है। १९४७-४८ के लियाकत अली वजट ने उद्योगों पर अधिक कर लगाने की नीति अपनाई, राष्ट्रीयकरण का भय, स्टॉक एक्सचेंजों (श्रेष्ठ चतवर्ण) में सट्टा (speculation), उद्यम (enterprise) का कदाचार, निर्गम पूजी (capital issues) पर नियन्त्रण आदि कुछ ऐसे कारण हैं। भारत में शुद्ध (net) घरेलू पूजी निर्माण (domestic capital formation) का अन्दाज १९५३-५४ में लगाया गया था जो ७१९ करोड़ था। यह उस वर्ष की राष्ट्रीय आय (national income) का ६-८ प्रतिशत था।

पूजी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। पूजी के उपभोग से किसी समुदाय (community) के जीवन-स्तर में वृद्धि तो हो सकती है, परन्तु यह मार्ग राष्ट्रीय (व्यापक रूप में) दीवाले (national bankruptcy) की ओर ले जाने वाला है। समुदाय की पूजी—शताब्दियों के प्रयास तथा बलि का संचित परिणाम—तिरोहित हो गई होती। पीगू के शब्दों में “बहुता हुआ चश्मा घटते-घटते छोटा पड़ जायगा। और एक समय ऐसा आएगा कि सबसे भारी मद के ठिकाने लगने तक, यह (चश्मा) तथा जलाशय जिससे इसका जन्म हुआ था दोनों ही सूख जायेंगे।” इसलिए, मरम्मत करके, बदलकर तथा नया लगाकर कम से कम मौजूदा पूजी को अवश्य ही बनाए रखना चाहिए।

निर्देश पुस्तकें

Erigh Roll—Elements of Economic Theory

Pigou, A C —Economics of Welfare, Part I, ch 4

Wickshell, K —Lectures on Political Economy, Vol I

Cannan, E —A Review of Economic Theory

Cower—The Distribution of Wealth

Benham—Economics

Fraser, L M —Economic Thought and Language (1947),
ch 14

Stigler, G J —Theory of Price, (1947), ch 17

Kaldove, N —Article in Annual Survey of Economic Theory
on “Recent Controversy on the Theory of Capital”

Econometric—Vol I, No 3 (1937)

Knight • Articles on

(a) Capital, Production, Time and the Rate of Return in
Economic Essays in the honour of Gustav Cassel, (1933)

(u) Capital, Time and Interest Rate in Economics (1934)

- (iii) Prof Hayek and the Theory of Investment in Economic Journal (1935)
- (iv) The Quantity of Capital and the Rate of Interest, Part I and II, Journal of Political Economy, August and October, 1936.

उद्यमी तथा उसकी समस्यायें

(THE ENTREPRENEUR AND HIS PROBLEMS)

१ उद्यमी का कार्य (Entrepreneur's Role)—आर्थिक विकास के प्रारम्भिक काल में, स्वतन्त्र श्रमिक की अपनी भूमि अथवा कारखाना होता था। उसमें वह स्वयं अपनी पूँजी लगाता, अपने औजारों से काम करता, संचालन की योजना बनाता, और उसकी जोखिम सहता था। संक्षेप में वह जमींदार, श्रमिक, पूँजीपति, तथा उद्यमी के कार्यों को स्वयं निभाता था। लेकिन आज की जटिलता तथा उत्पादन के स्तर को ध्यान में रखते हुए और उससे पैदा होने वाली समस्याओं के स्वरूप तथा विस्तार को जो आधुनिक उत्पादन से सम्बद्ध है, यह प्रायः असम्भव है कि एक व्यक्ति सारे दायित्व अपने ऊपर ले। इस तरह उद्यमी का उदय हुआ। आज उत्पादन के साधन एक दूसरे से जुदा हैं। उद्यमी उन्हें एक साथ मिलाता है तथा उत्पादन के कार्यों में लगाता है।

वह सगठन के कार्यों में विशिष्ट होता है। उसकी अपनी कोई भी भूमि और प्रायः कोई भी पूँजी नहीं होती तथा साधारणतया उससे परिश्रम भी नहीं कराया जा सकता। उसके पास केवल एक वस्तु अर्थात् सगठन की योग्यता होती है। वह लगान पर भूमि, उधार पूँजी अथवा भाड़े पर मजदूर पा सकेगा। वह प्रत्येक साधन को उचित अनुपात में उपयोग करेगा जिससे अच्छा परिणाम निकले।

उद्यमी का कार्य उत्पादन के अन्य साधनों का सहयोजित करना तथा परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना है। वह कार्य को आरम्भ करता है, उसका सगठन तथा निरीक्षण करता है और समस्या का सामना करता है। वह उत्पादन के प्रत्येक साधन को पारिश्रमिक देता है भूमि-स्वामी को लगान, पूँजीपति को व्याज तथा श्रम को मजदूरी और उनको पदार्थों की विक्री के पहले भुगतान करता है। यदि शेष बचता है तो उसका है। उसके आवश्यक भुगतान करने के बाद कुछ भी शेष न रह सकता है। इस अवस्था में उसका साहस विफल हो सकता है। परन्तु यह भी सम्भव है वह पर्याप्त मात्रा में लाभ उठाये। परिणाम जो कुछ भी हो, उसे सब कुछ स्वीकार करने को तैयार रहना चाहिए।

यदि उसने उपभोक्ताओं की इच्छाओं का उचित अनुमान लगा लिया है और उसके अनुसार काम किया है तो उसको पर्याप्त फल मिलता है। इस प्रकार सगठन करना तथा जोखिम उठाना (organising and risk-taking) अथवा जैसा कि कहा जाता है, अनिश्चितता का सामना करना (uncertainty bearing) आधुनिक उद्यमी के दो मुख्य कार्य हैं।

एक सफल उद्यमी में युक्त विचार, सतोष, चतुराई, अवलोकन तथा विवेक-शक्ति होनी चाहिए। वह मानवीय स्वभाव को भली भाँति जानने वाला तथा नेतृत्व (leader-

ship) के गुण वाला होना चाहिए। वास्तव में यह मस्तिष्क तथा हृदय के गुणों का अपूर्व संयोग है जो उसे एक सफल उद्योग नायक बनाता है। यही कारण है कि भारत में विरला, टाटा, डालमिया तथा थापर जैसे अधिक उद्योगपति नहीं हैं।

२ उद्यमी के कृत्यों का प्रत्यायोजन (Delegation of Entrepreneurial Functions)—व्यापार जगत् में कुछ ऐसे विकास हुए हैं जिनके कारण उद्यमी सम्भवतया अपने कुछ कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकता है। एक समय था जबकि उद्यमी अपने व्यापार को आरम्भ करता, सगठन करता, उसको चलाता तथा उसका वित्त-पोषण करता था। सारी जोखिम वह स्वयं उठाता था। सगठन करने तथा जोखिम उठाने के दोनों कार्य एक दूसरे से मिश्रित तथा वधे हुए थे। परन्तु ज्वाइंट-स्टॉक सिद्धान्त (joint-stock principle) के आ जाने से परिवर्तन हो गया है और कार्य अलग होते हुए दिखाई देते हैं। "नियन्त्रण जोखिम के साथ-साथ रहता है"—यह सुनहला सिद्धान्त टूट गया है।^१ एक योग्य तथा चतुर उद्यमी के लिए दूसरो से सारी पूजी एकत्रित करने में कोई कठिनाई न होगी। इसके अतिरिक्त वह योजनाओं को आरम्भ कर सकता है। लेकिन योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम वह वैतनिक मैनेजरो पर छोड़ सकता है। इस प्रकार शेयर होल्डर जोखिम उठाते हैं परन्तु सगठन उद्यमी करते हैं और प्रबन्ध वेतन पाने वाले मैनेजर करते हैं।

बीमा व्यवसाय (insurance business) की उन्नति से भी साहसी की बहुत-सी चिन्तायें तथा जोखिम हट गये हैं। यदि खजाची रुपया लेकर भाग जाता है, यदि कारखाने में आग लग जाती है, और यदि बाहर से मगाया हुआ माल बीच समुद्र में डूब जाता है तो बीमा कम्पनिया हानि को पूरा करने के लिए हैं।

उद्यमी "द्वैधरक्षण" (hedging) के द्वारा कच्चे माल के मूल्य में अचानक उतार-चढ़ाव को हटाकर अपनी हानियों को पूरा कर सकता है।

इसके अतिरिक्त व्यापार ठप्प होने पर नुकसान उठाने वाला केवल वही नहीं है, एक बड़ी व्यवसाय-संस्था में लगी हुई विशाल श्रम-शक्ति व्यवसाय में हानि-लाभ में भाग लेती तथा जोखिम उठाती है।

इस प्रकार यह कहा जाता है कि साहसी ने आर्थिक जोखिम को शेयर होल्डरो पर तथा अनेक दूसरे जोखिमों को बीमा कम्पनियों तथा सट्टेबाजों पर टाल दिया है। व्यवसाय का कार्य वेतन पाने वाले नौकर करते हैं। फिर साहसी के लिए क्या रह जाता है?

निःसन्देह साहसी बहुत से कार्यों तथा चिन्ताओं से छुटकारा पा गया है, परन्तु कार्यों का संपना ऐसा नहीं है जैसा कि दिखाई देता है। उसको कुछ अपनी पूजी लगानी पड़ती है। अतएव, हमारे माननीय सिद्धान्त अर्थात्, 'नियन्त्रण जोखिम के साथ है', में कोई उल्लंघन नहीं होता।

फिर जोखिम जोकि बीमा कम्पनिया उठाती है, व्यवसाय के जोखिम नहीं है,

तथा साहसी पर बाहरी जोखिमो का भार रखना अनुचित था। व्यवसाय के वास्तविक जोखिम उस पर ही रहते हैं। इसी भाँति सट्टा उसको तमाम जोखिमो से मुक्त नहीं करता।

श्रमिको को, जब व्यवसाय असफल हो जाता है, निस्सन्देह हानि उठानी पड़ती है। परन्तु उनकी दशा की तुलना एक जहाज के यात्रियों से की गई है जोकि जहाज के डूबने के समय अपने को वहाँ से हटा सकते हैं। परन्तु उद्यमी एक नायक के समान है जोकि सबसे अन्त में यदि छोड़ने का अवसर मिला तो छोड़ेगा।

तो निष्कर्ष यह निकलता है कि कुछ सीमा तक काम दूसरो पर सौंपा जा सकता है परन्तु पूर्णतः नहीं। व्यवसाय के स्वामित्व तथा नियन्त्रण (ownership and control) एक-दूसरे से अलग हो गये हैं। क्योंकि हिस्सेदार स्वामी होते हैं और नियन्त्रण डायरेक्टरों पर निर्भर होता है। पुराने समय वाले पूजीपति-संचालक (capitalist-employer) उस व्यवस्था से हट गये हैं जिसका आज प्रचलन है।

फिर भी भारत में स्वामित्व तथा नियन्त्रण को काफी सीमा तक जुदा नहीं किया गया है। प्रबन्धक अभिकर्ता (managing agents) उद्योगपति ही हैं। वे कार्य प्रारम्भ करते हैं, योजना बनाते हैं, रचना तथा संचालन करते हैं। वे अधिकतर पूजी की पूर्ति भी करते हैं। यदि वे पूजी की पूर्ति करते हैं तो वे अपने हाथों में नियन्त्रण भी कम रखते हैं। इस प्रकार भारतीय कम्पनियों का स्वामित्व तथा नियन्त्रण साथ-साथ चलते हैं।

३ उत्पादन का पैमाना (Scale of Production) — उद्यमी को व्यापार के लिए उचित आकार का विकास करना होता है। आकार जितना बड़ा हो, उतना ही किफायती होगा। बड़े पैमाने के उद्योग से कई लाभ हैं, जिनमें से निम्नलिखित इस प्रकार हैं —

(१) श्रम तथा यन्त्र के विशेषीकरण होने की अधिक सम्भावना रहती है। प्रत्येक मनुष्य को उस कार्य के करने में रखा जा सकता है जिसको वह भली भाँति कर सकता है तथा प्रत्येक कार्य सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को सौंपा जा सकता है।

(२) यह भली भाँति स्पष्ट है कि एक बड़ा तथा कुशलतापूर्वक स्थापित कारखाना विशिष्ट मशीनों का प्रयोग कर सकता है। एक छोटी रूई की मिल में तैयार माल बनाने तथा साफ करने की सारी मशीनें नहीं हो सकती।

(३) एक बड़ा व्यवसायी सबसे आधुनिकतम मशीन लगा सकता है। वह अपना निजी मरम्मत विभाग भी खोल सकता है ताकि उसको विश्वास-हीन मिस्त्रियों पर आश्रित न होना पड़े।

(४) क्रय-विक्रय के कुछ वाणिज्यिक लाभ भी हैं। उनके उत्पादक बड़ी व्यवसाय-संस्था के व्यापार को पाने के लिए स्पर्धा करते हैं। दूसरी ओर एक बड़ी व्यवसाय-संस्था का बाजार विस्तृत होता है। कारण, ग्राहक को शीघ्र तथा निश्चित वस्तु की पूर्ति होती रहती है। बड़े आर्डरों की पूर्ति करना अधिक लाभदायक होता है। वे अपने काम में दक्ष खरीदार तथा दक्ष सेल्समेन रखते हैं। वस्तुओं की जाच तथा वर्गीकरण किया जा सकता है और एक-सी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार दोष-युक्त वस्तुओं से सम्बद्ध हानियाँ दूर की जा सकती हैं। उनका क्रय-विक्रय बाजार के

अनकूलतम समय पर होता है।

(५) उसके विस्तृत साधन उसको आपत्ति काल में भली भाँति कार्य चालू रखने के योग्य बनाते हैं जबकि एक छोटी सस्था किसी भी भार से बरवाद हो सकती है।

(६) वह खोज तथा प्रयोग पर अधिक व्यय कर सकता है जोकि उसको अन्त में लागत से कहीं अधिक लाभ पहुँचाता है।

(७) वह विज्ञापन तथा विक्री के कार्य पर अधिक व्यय कर सकता है और बाजार को अधिक विस्तृत कर सकता है।

(८) एक बड़ी सस्था के लिए ऊपर का खर्चा (overhead charges) तथा प्रति इकाई अनपूरक लागत (supplementary cost) बहुत कम आती है। इसके अन्तर्गत प्रबन्धक की लागत जिसमें व्यवस्थापक तथा क्लर्कों का वेतन, किराया, विज्ञापन तथा फिरने वाले सेल्समेन की लागत शामिल हैं।

(९) इसके अतिरिक्त बड़ी व्यवसाय-सस्था उपोत्पाद (bye-products) को भली भाँति प्रयोग में ला सकती है। एक बड़ी शक्कर मिल शीरे को न फेंक कर उसको मदिरा के बनाने के काम ला सकती है।

अनकूलतम पैदावार (What is the Optimum Output?)—वेन्हम के शब्दों में उत्तर यह होगा कि "प्रत्येक व्यवसाय-सस्था उस सीमा तक उत्पादन करेगी जिससे कि सीमान्त लागत कीमत के बराबर हो जाय। व्यवसाय-संस्था की कुशलता में भिन्नता होने से सीमान्त लागत में नहीं बरन् पैदावार की मात्रा में भिन्नता होगी। अधिक कुशल व्यवसाय-सस्था की पैदावार अधिक होगी।"

अविभाज्यता का सिद्धान्त (Concept of Indivisibility)—एक बड़ी व्यवसाय-सस्था की कम खर्ची, अथवा वचत का एक महत्त्वपूर्ण मूल कारण उत्पादन के अविभाज्य साधनों का प्रयोग है। इस अविभाज्यता के सिद्धान्त को भली भाँति समझना चाहिए। एक कालिज के छात्रावास के रसोई घर को लीजिये। इसमें कम से कम वर्तनो तथा सेवकों की सामग्री होनी चाहिए, उदाहरणार्थ, एक महारज तथा एक नौकर। यह अविभाज्य साधन है। यदि आप एक रसोई घर चलाना चाहते हैं तो कम से कम आप को इनको रखना होगा। अब यदि यह सामग्री १५ छात्रों के लिए काम दे सकती है तो रसोई में १० छात्रों का रखना गैरकिफायती (uneconomical) न होगा। ऐसा होने पर प्रति छात्र लागत अधिक होगी, और रसोइयें तथा नौकर कुछ समय के लिये बेकार रहेंगे। छात्रों का एक बड़ा समूह उनको पूर्ण रूप से लगाये रहेगा और उनसे अधिक से अधिक काम लेगा। इसी प्रकार एक अध्यापक अविभाज्य है। मान लीजिये वह ५० छात्रों के क्लास को भली भाँति पढा सकता है। एक छोटे कालिज में जहाँ कि कक्षा में छात्र कम हो तो वहाँ के अधिकारी उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर सकेंगे। एक कारखाने की भी यही स्थिति है। एक शक्कर मिल का उदाहरण लीजिये। उसके पास कम से कम मकान, मशीन और दूसरे अनेक प्रकार के सामान होने चाहियें। परन्तु यदि कारखाना अपनी पूरी शक्ति से कम काम करता है तो यह सामग्री पूर्णतः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, उसका कुछ भाग व्यर्थ पड़ा रहेगा।

सन् १९३०-३९ के पहले वर्षों में हमारे उद्योग विशेषतः सीमेंट और जूट अपनी सामर्थ्य

से कम काम कर रहे थे जोकि निःसन्देह नष्टकारी थे। अविभाज्य सामग्री पूर्ण रूप से काम नहीं लाई जा रही थी। अतएव तात्पर्य यह है कि जब बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा तो सामग्री निरर्थक नहीं रहेगी, और अविभाज्य साधन पूर्ण रूप से प्रयोग में लाये जायेंगे। यह उत्पादन और भी किफायती होगा।

स्टिगलर (Stigler) ने कई प्रकार की अविभाज्यताएँ (Indivisibilities) प्रकट की हैं^१—(१) मशीन की अविभाज्यता (Indivisibility of Machinery)। (२) मार्केटिंग की अविभाज्यताएँ (Marketing Indivisibilities)—इनका तात्पर्य सेल्समैन से, खरीद विभाग तथा विज्ञापन से है। जितनी अधिक विक्री होगी उतना ही प्रति इकाई व्यय कम होगा। (३) वित्त-सम्बन्धी अविभाज्यताएँ (Financial Indivisibilities)—इनका तात्पर्य कर्जों से सम्बन्धित व्यवस्थापकीय व्यय से है। अधिक मात्रा में निकाली प्रतिभूतियाँ (securities) को स्टॉक एक्सचेंज (श्रेष्ठ-चत्वर) में दर्ज किया जा सकता है। (४) खोज-सम्बन्धी अविभाज्यताएँ (Research Indivisibilities)—यदि खोज में कुछ रुपया व्यय किया गया हो तो जितनी अधिक मात्रा में उत्पादन होगा उतनी ही अधिक उसमें किफायत होगी।

४ आन्तरिक तथा बाह्य वचत (Internal and External Economies)—बड़े पैमाने की किफायत को हम दो भागों में बाट सकते हैं—आन्तरिक लाभ तथा बाह्य लाभ।

आन्तरिक लाभ^२ व्यवसाय की आन्तरिक व्यवस्था से सबघ रखते हैं। वे एक व्यवसाय-संस्था के व्यापारिक भेद हैं। वे विशिष्ट व्यवस्थापक के मस्तिष्क की देन हैं और वह उनको सुरक्षित रखता है। प्रत्येक व्यवस्थापक अपने अनुभव के अनुसार श्रम, मशीन, वित्त व्यवस्था तथा मार्केटिंग आदि का प्रबन्ध करता है। इन सबको आन्तरिक लाभ कहते हैं।

यह भली भाँति ध्यान रखना चाहिये कि आन्तरिक लाभ केवल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने से ही होते हैं। वे उन रीतियों के प्रयोग से होते हैं जिनको छोटी व्यवसाय-संस्था प्रयोग में लाना उचित नहीं समझती।

आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था (Internal Economies) निम्न प्रकार की हो सकती हैं

(क) टेक्नीकल अर्थव्यवस्था (Technical Economies)—वे इस कारण होती हैं कि एक बड़ा यन्त्र बनाना सरल है और बड़े यन्त्र के प्रयोग में यान्त्रिक लाभ होते हैं। कई प्रणालियों को मिलाने तथा ऊर्ध्वाधरत संसर्ग (vertical combination) तथा विशिष्टीकरण (specialisation) से लाभ भी होते हैं।

(ख) व्यवस्थापकीय अर्थव्यवस्था (Managerial Economies)—ये लाभ विशेषोपयुक्त विभाग के स्थापित करने में अथवा कार्यसम्बन्धी विशेषोपयोजन, नित्य क्रम और विस्तृत विषयों को आधीन पुरुषों को सौंपने से होते हैं।

1 For a detailed study see Cairncross (1944), pp 64, 80

2 Stigler, G J —Theory of Price (1947), pp 135—137

(ग) वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था (Commercial Economies)—ये वस्तुओं के क्रय-विक्रय से होते हैं। बड़े व्यवसायों में सौदा करने का लाभ होता है और जिस व्यवसाय-संस्था से वह सौदा करते हैं उससे अधिमान्य व्यवहार (preferential treatment) मिलता है।

(घ) वित्तीय अर्थव्यवस्था (Financial Economies)—ये लाभ इसलिए होते हैं कि एक बड़ी व्यवसाय-संस्था की साख अच्छी होती है और वह उचित दर पर रुपया उधार ले सकती है। इसके अंशों का अधिक विस्तृत बाजार होता है जो रुपया लगाने वाले को प्रोत्साहित करता है।

(ङ) जोखिम उठाने सम्बन्धी अर्थव्यवस्था (Risk-bearing Economies)—एक बड़ी व्यवसाय-संस्था जोखिम को विस्तृत कर सकती है और अक्सर उसको दूर भी कर सकती है। वह अनेक प्रकार की उत्पत्ति करके ऐसा कर सकती है। इससे उसकी शक्ति तथा स्थिरता बढ़ जाती है और उस पर व्यापारिक उतार-चढ़ाव का कम प्रभाव पड़ता है। बाजार, पूर्ति के साधन तथा निर्माण-विधि में भी विभिन्नता लाई जा सकती है।

दूसरी ओर बाह्य लाभ (external economies) किसी एक विशिष्ट व्यवसाय की निजी सम्पत्ति नहीं है। सब उसको जानते हैं और उसमें सभी का अंश है। ऐसी किफायत प्रायः केन्द्रित उद्योग को ही हो सकती है जहाँ सबके लाभ के लिए सामूहिक विकास हुए हों।

बाह्य लाभो (External Economies) का निम्न वर्गीकरण हो सकता है :—

(क) केन्द्रण के लाभ (Economies of Concentration)—यह लाभ कुशल श्रमिक की प्राप्ति से, परिवहन के अच्छे साधनों के होने तथा सुधार के प्रोत्साहन सहायक उद्योगों (subsidiary industries) आदि के लाभ से सम्बद्ध है। विखरी हुई व्यवसाय-संस्थाएँ ऐसे लाभ नहीं उठा सकती।

(ख) सूचना के लाभ (Economies of Information)—इन लाभों का सम्बन्ध उन सुविधाओं से है जो एक उद्योग के समस्त व्यवसाय-संस्था को व्यापार तथा औद्योगिक पत्रिकाओं के छपने तथा केन्द्रीय खोज-संस्था से प्राप्त होते हैं।

(ग) अलग करने के लाभ (Economies of Disintegration)—जब एक उद्योग उन्नति करता है तो कुछ कार्यों को अलग-अलग करके विशिष्ट संस्थाओं को सौंपना सम्भव हो जाता है। उदाहरणार्थ, एक विशेष स्थान में स्थापित रूई की मिलें मिलकर एक चिकना करने वाले यंत्र (calendering plant) से लाभ उठा सकती हैं।

आन्तरिक तथा बाह्य लाभों के बीच में कोई विशेष अन्तर नहीं किया जा सकता। जब अधिक व्यावसायिक संस्थाएँ मिल जाती हैं तो बाह्य लाभ आन्तरिक लाभ हो जाते हैं। कौन से विशिष्ट लाभ आन्तरिक अथवा बाह्य हैं, केवल इस पर निर्भर है कि किन कार्यों को संयुक्त करना लाभदायक होगा।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी उद्योग की वृद्धि से कई खराब अर्थव्यवस्थाएँ

(diseconomies) भी हो सकती है, चूँकि ऐसा करने में कई रद्दी अथवा कम दक्ष साधनों को भी काम में लाया जायगा।

यह जानने योग्य है कि जैसे व्यापारिक तथा टेक्नीकल शिक्षा फ़ैलती है और ऐसी दूसरी उन्नति होती है तो आन्तरिक लाभो का क्षेत्र सीमित होता जाता है तथा बाह्य लाभो का विस्तृत होता जाता है। यह भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उन्नति का फल है।

व्यापार के विस्तार की सीमाएँ (Limits to the Expansion of a Business)—यद्यपि व्यापार का विस्तार लाभदायक है तो भी ऐसा करना सदैव सम्भव नहीं होता। व्यापार के बढ़ाने में विशेष कठिनाइयाँ यह हैं (अ) वित्तीय (Financial), (ब) व्यवस्थापकीय (Managerial), तथा (स) बाजार सम्बन्धी बाधाएँ (Market Obstacles)। पहले आर्थिक या वित्तीय कठिनाइयों को लीजिये। व्यापार को बढ़ाने के लिए उद्यमी को पूँजी की नवीन पूर्ति (fresh supply) की आवश्यकता होती है। वैसे तो अधिक पूँजी के लिए प्रबन्ध करना सरल नहीं होता फिर भी कठिनाइयाँ ऐसी नहीं हैं जिन पर विजय न प्राप्त की जा सके। एक सफल व्यवसायी को, जोकि ईमानदारी तथा कार्य-कुशलता के लिए विख्यात है, पूँजी सरलता से मिल जायेगी। यह कहा गया है कि वित्त केवल एक सेवक के समान है।

परन्तु कुछ अन्य कठिनाइयाँ भी हैं, जैसे व्यापार विस्तृत होता है वैसे ही उत्पादन के साधनों का मूल्य बढ़ेगा, साधनों के अतिरिक्त पूर्ति को पाने के लिए अधिक लगान, मजदूरी तथा ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। अतएव लागत (cost) बढ़ जायेगी। दूसरी ओर अतिरिक्त पैदावार (output) बाजार में कीमत को कम कर सकती है। अतएव कुछ समय में लागत आय के बराबर हो जायेगी। वह व्यवसाय को बढ़ाता जायेगा जब तक कि सीमान्त राजस्व (marginal revenue) [अतिरिक्त पैदावार से अतिरिक्त आय] सीमान्त लागत (अतिरिक्त पैदावार के कारण अतिरिक्त लागत) से अधिक होगी। विस्तार की सीमा तब आ पहुँचेगी जब सीमान्त राजस्व सीमान्त लागत के बराबर होगा। ऐसे आकार की फर्म को अनुकूलतम फर्म (optimum firm) कहते हैं।

सबसे बड़ी कठिनाई व्यवस्था (managerial) सम्बन्धी है। एक उद्यमी चाहे जितना योग्य हो, उन समस्याओं को सफलतापूर्वक नहीं सुलझा सकता जो पेचीदापन की सीमा से अधिक हैं। यही कारण है कि व्यापार का असीमित रूप से विस्तार नहीं किया जा सकता। एक ऐसी स्थिति आ जायेगी जबकि साहसी को यह ज्ञात होगा कि उसका कारबार उसकी प्रबन्ध करने की शक्ति से बाहर हो गया है। तब निरीक्षण प्रभावशाली न रहेगा कपट छल से बचाव करने में लागत बढ़ जायेगी। आन्तरिक अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे लुप्त हो जायेगी।

५. छोटे पैमाने के उत्पादन से लाभ (Advantages of Small-scale Production)—छोटे पैमाने के उद्योगों से होने वाली कई किफायतें हैं —(१) यह कहा जा सकता है कि छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले में अधिक चतुराई से प्रबन्ध करने की शक्ति होती है। वह शीघ्र निर्णय तथा तत्काल ही कार्यान्वित की नीति को

अपना सकता है, और बाजार के रख के अनुसार अपने दाव-पेंच (strategy) अपना सकता है। यहां दायित्व बटा हुआ नहीं होता।

(२) उसकी अगुआई (initiative) दैनिक कार्यों (routine) तथा उत्तरदायित्व से नष्ट नहीं हुई है। उसको वही खाते की लम्बी-चौड़ी पद्धति की ओर छुट्ट-कपट को रोकने के लिए अवरोध की, अथवा श्रम या माल के नाश को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं जैसा कि मार्शल ने कहा है कि "मालिक की आंख हर जगह रहती है।"

(३) श्रमिकों से निजी सम्पर्क (personal contact) तथा कभी-कभी दयालुता के शब्द से हड़ताल या दुर्घटनाओं की सम्भावना कम हो जाती है।

(४) ग्राहकों से निजी सम्बन्ध होने के कारण वह सदैव सन्तुष्ट रहते हैं और इसका फल अच्छा ही होता है।

(५) यदि मांग सीमित तथा परिवर्तनशील (limited and fluctuating) है तो उसको अधिक लाभ होगा—

(६) प्रायः वह स्वयं अकेला मालिक होता है। प्रबोध निजी-स्वार्थ (enlightened self-interest) उसकी कार्यवाही को प्रोत्साहन देता है।

टैकनीकल ज्ञान के प्रसार से बाह्य किफायतें (external economies) की सख्या में वृद्धि होती है और आन्तरिक किफायतें (internal economies) कम होती हैं। इससे छोटे निर्माता को फायदा होता है। इसके अलावा, जहां व्यापार को दैनिक-कार्यों (routine) तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, छोटे उत्पादक को बड़े उत्पादक की अपेक्षा फायदा रहता है।

छोटे पैमाने का व्यापार अपने को कैसे बनाए रखता है—छोटे पैमाने के व्यापार में होने वाले फायदों के कारण यह बड़े पैमाने के व्यापार से सफलतापूर्वक टक्कर ले सकता है। इसके अलावा कई हालात ऐसे हैं जिनमें छोटे व्यापार को कुछ फायदे होते हैं और सहायता मिलती है, लेकिन बड़े पैमाने के उत्पादन को किफायत नहीं होती। जब किसी वस्तु की मांग कम और सही होती है तो व्यापार का विस्तार ठीक नहीं है। इन कारणों से यह स्पष्ट है कि कई वस्तुओं की निकासी सीमित है। सबसे पहले भौगोलिक सीमाओं (geographical limitations) को ही लीजिये। सम्भव है अमुक वस्तु की मांग खास तौर पर स्थानीय (local) ही हो। छोटी फर्मों से स्थानीय मांग किफायत से पूरी हो सकती है। इसी भाँति कम जनसंख्या वाले नगरों में छोटी तथा विस्तृत इकाइयों में उत्पादन करना अधिक लाभप्रद होगा। यदि बाजार तथा पूर्ति के स्रोत (market and sources of supply) एक ही जगह पर हों ताकि उपभोक्ता तथा उत्पादक एक दूसरे से निकट सम्पर्क में हों, उदाहरणार्थ जैसा कि दूध की पूर्ति में होता है तो ऐसे स्थान पर छोटी व्यवसाय-संस्था अधिक किफायती होती है। इस प्रकार एक छोटी व्यवसाय-संस्था को दूरी से आश्रय मिलता है। व्यवसाय-संस्था का विस्तार बाजार के प्रतिरोध (resistance of market) से रुकता है, विशेषतः यदि परिवहन की लागत ऊँची है।

भौगोलिक सीमाओं के अतिरिक्त बाजार मनोवैज्ञानिक कारणों (psychological factors) से भी सीमित रहता है। उपभोक्ता की अपनी पसन्द (preference) होती है जोकि प्रयोग में लाये जाने वाले पदार्थों की वास्तविक अथवा काल्पनिक श्रेष्ठता पर आधारित है। इस प्रकार यह केवल दूरी ही नहीं जो बाजार को नष्ट करती है परन्तु ग्राहक के पक्षपात, रुचि तथा स्वभाव पर भी प्रभाव डालती है। यह हर व्यवसाय-संस्था को स्वरक्षित ग्राहक देती है। बाजार के इस प्रतिरोध को हटाने के लिए महंगे प्रचार की जरूरत पड़ती है।

भौगोलिक रुकावटों को हटाने के लिए शाखाएँ स्थापित करके तथा मनोवैज्ञानिक रुकावटों को उत्पादन की किस्मों की सीमा में विस्तार करके विजय प्राप्त की जा सकती है। परन्तु ये उपाय न तो सदा सम्भव हैं और न मितव्ययी हैं क्योंकि इनका टकराव प्रबन्ध सम्बन्धी रुकावटों से होता है।

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि खेती जैसे निष्कर्षक उद्योगों (extractive industries) की इकाई निर्माण उद्योगों (manufacturing industries) की अपेक्षा छोटी होती है। इसी प्रकार ऐसे रोजगार में जैसे मरम्मत करना, वस्त्रों, जेवरों का बनाना आदि, जहाँ व्यक्तिगत रुचि का महत्त्व है और जहाँ प्रमाणीकरण (standardisation) सम्भव नहीं है, जहाँ गुण के विचार अधिक महत्त्वपूर्ण हैं तथा फैशन महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालता है, एक छोटा व्यवसाय बड़े की तुलना में अच्छा चल सकता है। उन उद्योगों में जहाँ कि लागत लेखा (cost accounting), वैज्ञानिक व्यवस्था, तथा दफ्तर की प्रचलित सामग्री की पद्धति का लाभ नहीं उठाया जाता, एक छोटा व्यवसाय बड़े व्यवसाय से सरलतापूर्वक बाजी मार सकता है।—यही कारण है कि खेती साधारणतः छोटे पैमाने पर की जाती है। ईंट जैसी भारी वस्तुओं में भी जिनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं लाया जा सकता, उत्पादन की इकाई छोटी होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त आधुनिक समय में छोटे उत्पादक को बड़े उत्पादक के विरुद्ध खड़ा रहने में विजली, सहकारिता (co-operative movement), औद्योगिक पत्रिकाओं के द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक ज्ञान के विस्तार से सहायता मिलती है। ऐसा ज्ञान केवल बड़े व्यवसायों का ही एकाधिकार (monopoly) नहीं है।

उद्यमी की अपनी मनोभावना के कारण भी छोटी व्यवसाय-संस्थाएँ बनी हुई हैं। “प्रयोजनों के सम्मिश्रण के कारण—स्वतन्त्र रहने की चेष्टा अथवा अनिश्चितता, अभिमान अथवा लालसा, अथवा निर्माण करने की प्रेरणा से—वेतन की ऊँची दर पर अधीनस्थ (subordinate) के रूप में काम करने की अपेक्षा कुछ लोग अपना छोटा सा व्यापार ही चालू करना पसन्द करें।”

निर्देश पुस्तकें

Robinson, E A G—The Structure of Competitive Industry, Chs 3—6 and 10.

Robertson—Control of Industry

Benham—Economics.

Indian Journal of Economics, Conference Number 1946 (for location of Industry).

Cairncross—Introduction to Economics, chaps. 6 and 7.

Clark, J M—The Economics of Over-head Costs, chaps. 4, 6.

Cassel, J M—On the Law of Variable Proportions, Explorations in Economics 1936, pp 223-236.

Fraser, L M—Economic Thought and Language (1947), chap 15.

Knight—Concept of Entrepreneur.

Schumpeter, J.—Theory of Economic Development.

D H. Robertson, P Sraffa E A G Robinson and G F. Shove—Symposium on “Increasing Returns” and the “Representative firm” in Economic Journal 1932.

विभिन्न साधनों का परस्पर सहयोग (FACTORS IN CO-OPERATION)

१. साधनों का संयोग (Combination of Factors)—उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्थापन के सिद्धान्त (principle of substitution) अथवा सम-सीमान्त प्राप्ति (equi-marginal returns) के लागू करने से उत्पादन के साधनों का सही संयोग प्राप्त होता है। ठीक जिस प्रकार प्रतिस्थापन नियम के अनुसार चलकर उपभोक्ता अपनी सन्तुष्टि को अधिकतम (maximise) कर सकता है, उसी प्रकार प्रतिस्थापन के नियम पर चलकर उद्यमी अथवा उत्पादक अपना लाभ (profit) अधिकतम कर सकता है।

समाज में उत्पादन के सब साधनों का उपयोग उद्योगपति के द्वारा होता है। वह सब साधनों का संयोग किफायत से करने का प्रयत्न करता है। उसका एकमात्र ध्येय लाभ होता है। जिस प्रकार उपभोक्ता अधिकाधिक सन्तुष्टि चाहता है, उसी प्रकार उद्यमी अपने लाभ को अधिकाधिक बढ़ाना चाहता है। जिस प्रकार उपभोक्ता अपने खरीदे हुए माल से अधिकाधिक उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उसे इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान हो जाय (marginal utilities equalise), उसी प्रकार उद्यमी भी अपने उत्पादन में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न उत्पादक साधनों की सीमांत उत्पादन शक्ति को समान करता है। उदाहरणार्थ, यदि एक साधन मशीन की सीमांत उत्पादन शक्ति दूसरे साधन श्रम की सीमान्त उत्पादन शक्ति से अधिक है, तो वह दूसरे साधन के वजाय पहले साधन की प्रतिस्थापना करेगा। परिणाम यह होगा कि घटते हुए उत्पादन की प्राप्ति का नियम (law of diminishing returns) के लागू होने के कारण मशीन की सीमांत उत्पादक शक्ति क्षीण होने लगेगी और श्रम की शक्ति में वृद्धि प्रारम्भ हो जायेगी। यह उस समय तक होगा जब तक कि दोनों की शक्ति समान न हो जाय। इस प्रकार का संयोग उत्पत्ति के साधनों का किफायती संयोग (economical combination) प्रकट करता है।

सबसे अधिक सस्ता व अच्छा संयोग प्राप्त करने के लिए उत्पादक भाति-भाति के संयोगों (various permutations and combinations) की परीक्षा करता है। ऐसा करने में एकमात्र विचारणीय बात विभिन्न साधनों की पारस्परिक कीमतें व कार्यक्षमता होगी। इसके लिए बेन्हम (Benham)^१ ने निम्नलिखित सूत्र बताया है

यदि अ साधन का सीमात उत्पादन
अ का मूल्य

ब साधन का सीमात उत्पादन
ब का मूल्य

से अधिक है, तो उद्यमी को उत्पादन की

इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग करने में अधिक लाभ होगा जिसमें अ का अधिक और ब का कम प्रयोग हो।

इस विषय में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि अधिकतर साधन एक दूसरे से इतने भिन्न होते हैं कि किसी एक साधन को दूसरे से पूर्णतया प्रतिस्थापित (replace) करना एकदम संभव नहीं होता। साधारणतया होता यह है कि किसी साधन का उपयोग अधिक किया जाता है, किसी का कम। दूसरे शब्दों में, प्रतिस्थापन नियम केवल सीमा (margin) पर ही लागू होता है।

पर प्रतिस्थापन नियम से हम इस निर्णय पर नहीं पहुँचते कि उद्यमी केवल उसी माल का उत्पादन करेगा जिसकी कुल लागत न्यूनतम हो। यदि किसी जूते के कारखाने में १० जोड़े जूते प्रतिवर्ष तैयार होते हैं तो बहुत सम्भव है कि उनकी कुल लागत न्यूनतम हो पर केवल १० जोड़े जूते बनाने से उत्पादक को लाभ नहीं होगा? उद्यमी को अधिक चिन्ता इस बात की नहीं होती कि लागत कितनी हुई, उसे तो एकमात्र चिन्ता अपने लाभ को अधिकतम कर लेने की होती है। इसी प्रकार हम इस सिद्धान्त से यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि उसकी उत्पादन मात्रा इतनी होगी कि जिससे प्रति इकाई औसत लागत न्यूनतम हो। उद्यमी को औसत लागत (average cost) की अधिक चिन्ता नहीं होती। वह इसमें किसी प्रकार की वृद्धि से नहीं घबराता यदि उसकी सीमात आय (marginal revenue) सीमात लागत (marginal cost) से अधिक रहे। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपर्युक्त उस समय तक अपने उत्पादन में वृद्धि करता रहेगा जब तक कि सीमात आय व सीमात लागत समान (equalise) न हो जायें। प्रतिस्थापन नियम से तो केवल हमें इस बात का पता चलता है कि उत्पादक जिस वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, वह उसे अधिक से अधिक मितव्ययता से उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा। सबसे किफायती संयोग (economical combination) वह होगा जिसमें विभिन्न साधनों की सीमान्त उत्पादकताएँ (productivities) समान (equalise) हो जाएं।

२. साधनों की व्यवस्थापना (Allocation of the Factors)—

उपर्युक्त विभाग में हमने उस सिद्धान्त का अध्ययन किया जिसमें विभिन्न साधन किफायती उत्पादन विधि (economical production process) से मिलते हैं। इस विभाग में हम यह देखेंगे कि प्रत्येक साधन को किस प्रकार विभिन्न उपयोगों में लगाया जा सकता है। उत्पादन के साधन बहुत सीमित होते हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि उनकी व्यवस्थापना विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार की जाए कि सम्प्रदाय को उनसे अधिकाधिक लाभ हो। इसका अन्तिम निर्णय उपभोक्ता की अपनी पसन्द से होगा।

यदि साधन प्रकृति के उपहार के रूप में हैं तो उसे दूसरे साधनों के साथ इस प्रकार

मिला लिया जाएगा कि इसकी सीमात उत्पादकता शून्य (zero) हो जाये। क्योंकि इस पर व्यय कुछ नहीं होता इसलिए इसका उपयोग तब तक होगा जब तक कि इससे थोड़ी सी भी सहायता मिलती रहेगी अथवा अतिरिक्त उत्पादन शून्य हो जाए।

पर वास्तविकता यह है कि बहुत कम साधन उपहार-स्वरूप (free) होते हैं। चूंकि प्रत्येक साधन की कुछ न कुछ कीमत देनी ही पडती है, इसलिए किमी का भी उपयोग उस सीमा तक नहीं होगा जहां पर उसकी सीमात उत्पादकता शून्य के बराबर हो जाए। प्रत्येक दुर्लभ साधन (scarce factor) की विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार व्यवस्थापना होती है कि हर उद्योग में जिसमें कि उसका प्रयोग हुआ हो उसकी सीमान्त उत्पादकता बराबर रहे। यदि इस्पात उद्योग में श्रम की सीमात उत्पादन शक्ति शक्कर के उद्योग की अपेक्षा अधिक है, तो शक्कर के उद्योग से हटकर श्रम इस्पात के उद्योग में चला जायेगा। परिणाम यह होगा कि दोनों उद्योगों में श्रम का सीमात उत्पादन समान हो जायेगा। इसी प्रकार यदि कपास की अपेक्षा गन्ने की खेती से अधिक लाभ होता है तो कपास की कुछ भूमि गन्ने की खेती के उपयोग में आने लगेगी। और यह विकर्षण (diversion) उस समय तक चलेगा जब तक कि दोनों में भूमि की सीमात उत्पादकता समान न हो जायेगी।

इस प्रकार जब तक एक प्रकार के उद्योग से हटाकर दूसरे उद्योग में किसी साधन का वैकल्पिक (alternative) उपयोग नहीं होता तब तक उनका बंटन (allocation) निर्जीव रहेगा। ऐसा तभी होगा जबकि प्रत्येक दशा में सीमान्त प्राप्ति (marginal return) समान हो। जब तक यह समान नहीं होगा हेर-फेर होता ही रहेगा। जब किसी साधन के सीमात उत्पादन का मूल्य हर उद्योग में समान होता है तभी उसकी व्यवस्थापना पूर्णतया ठीक होती है। दूसरे शब्दों में किसी साधन की समता की स्थिति (equilibrium situation) तब आती है जब सम्प्रदाय के लिए प्रत्येक उद्योग में उसके सीमात उत्पादन का मूल्य समान होता है।^१

३ प्राप्ति के नियम (Laws of Returns)—उत्पादन के साधनों के संयोग (combination) का उन नियमों (laws) पर बड़ा प्रभाव होता है जिनके अधीन कोई उद्योग हो। अर्थशास्त्री प्राप्ति के तीन नियमों को जानते हैं, अर्थात् घटती हुई (diminishing), बढ़ती हुई (increasing) तथा समान (constant) प्राप्ति के नियम। “घटती हुई, बढ़ती हुई तथा समान प्राप्ति उस समय कही जाती है, जब सीमान्त प्राप्ति (marginal returns) चढ़ती (rise), गिरती (fall) तथा अपरिवर्तित (unchanged) रहती है” जैसे-जैसे उत्पादन के साधन की मात्रा (quantity) बढ़ती है। लागत (cost) के रूप में, अमुक उद्योग बढ़ती, घटती तथा समान प्राप्ति के अधीन उत्पादन की सीमान्त लागत के गिरने, चढ़ने तथा समान रहने के अनुकूल होता है। ऐसा उद्योग के विस्तार के क्रमानुसार होता है। अब हम प्रत्येक के सम्बन्ध में कुछ विचार करते हैं।

४. घटती हुई प्राप्ति का नियम (Law of Diminishing Returns)—कृषि में घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है। केयरनेस (Cairnes) के कथनानुसार यदि यह नियम लागू न हो तो "अर्थशास्त्र इस प्रकार पूर्णतः परिवर्तित हो जायेगा जैसे कि मानव स्वभाव स्वयं परिवर्तित हो गया हो।" इतना अधिक महत्त्व घटती हुई प्राप्ति के नियम का अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों में है।

प्रत्येक कृषक का यह व्यावहारिक अनुभव है कि "एक निर्धारित भूमि में पूजा तथा श्रम के क्रमशः प्रयोग से, यदि अन्य वस्तुएं उसी अवस्था में रहे, तो अन्त में उत्पादन वृद्धि अनुपात से कम होगी।" यदि पूजा और श्रम को दुगुना करने पर, वह उत्पादन को भी दुगुना कर सके तो यह स्पष्ट है कि केवल एक एकड़ भूमि से उतना गेहूँ पैदा किया जा सकता है जितना कि सम्पूर्ण विश्व की जन-संख्या के लिए आवश्यक हो। परन्तु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू हो जाता है। यदि लागत बढ़ा दी जाय तो इसमें सदेह नहीं कि उत्पादन बढ़ेगा परन्तु घटती हुई दर से।

घटती हुई प्राप्ति के नियम की सीमाएं—क्रमागत उत्पत्ति हास नियम सदैव लागू नहीं होता। इस सिद्धान्त के कुछ अपवाद हैं—(1) कृषि के उन्नत उपाय—उत्पादन कला में प्रगति से मानव की कल्पना-शक्ति इस नियम की प्रतिक्रिया के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। वैज्ञानिक रीति से फसलों का हेर-फेर (rotation), अच्छे बीज, कृषि के आधुनिक यंत्र, कृत्रिम खाद (artificial manures) और सिंचाई (irrigation) के अच्छे तथा सुगम साधन आदि से आवश्यक उपज अधिक होगी। परन्तु विज्ञान खाद्य पदार्थ की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति नहीं कर सकता। अन्त में प्रकृति का कोप होगा ही और कभी-न-कभी नियम अवश्य ही लागू होगा।

(ii) नई मिट्टी (New Soil)—जब बिना जुती हुई भूमि कृषि के अन्तर्गत आती है तब क्रमशः बढ़ाई हुई श्रम और पूजा की मात्रा के कारण कुछ समय के लिए सीमातः उपज बढ़ सकती है। परन्तु कुछ सीमा के बाद घटती हुई प्रवृत्ति स्पष्ट होगी।

निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए —

५० एकड़ खेत द्वारा गेहूँ की उपज (मनों में)

१	२	३	४
श्रमिकों की संख्या	कुल उपज	सीमान्त उपज	औसत उपज
१	८०	८०	८०
२	१७०	९०	८५
३	२७०	१००	९०
४	३६८	९८	९२
५	४३०	६२	८६
६	४८०	५०	८०
७	५०४	२४	७२
८	५०४	०	६३
९	४९५	—९	५५
१०	४७०	—२५	४७

इस तालिका से ऐसा प्रतीत होता है कि घटती हुई प्राप्ति (उपज) नियम के तीन भिन्न सामान्य विचार अथवा पहलू हैं—

(१) घटती हुई कुल प्राप्ति का नियम (Law of Total Diminishing Returns)—(स्तम्भ न० २) इस तरह नवें श्रमिक से उपज घटनी प्रारम्भ हो जाती है। प्रत्येक क्रमशः लगाया हुआ श्रमिक उपज में कुछ वृद्धि करता है। किन्तु आठवां कुछ वृद्धि नहीं करता तथा नवें और दसवें स्पष्ट रूप से व्यर्थ हैं। क्योंकि मनुष्य विना मूल्य के नहीं मिल सकते इसलिए कोई वृद्धिमान किसान इस तालिका के द्वारा प्रस्तुत दशाओं में सात श्रमिकों से अधिक नहीं लगायेगा।

(२) घटती हुई सीमांत प्राप्ति का नियम (Law of Diminishing Marginal Returns)—(स्तम्भ न० ३) सीमान्त उपज तीसरे श्रमिक तक बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए है कि श्रमिकों का भूमि से अनुपात पहले अपर्याप्त था और भूमि पूर्णतः नहीं जोती गई थी। कृषि की यह स्थिति अस्थायी है और यह व्यवहार में नहीं पाई जायेगी। यदि किसान जानता है कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाने से उपज समानुपात से अधिक बढ़ेगी तो वह अवश्य ही ऐसा करेगा। सीमान्त अर्थात् अतिरिक्त उपज तीसरे श्रमिक के बाद घटती चली जाती है और आठवें पर शून्य हो जाती है। नवें तथा दसवें श्रमिक दूसरों के लिए केवल बाधा के कारण हैं तथा सीमान्त उपज को ऋणात्मक (negative) बनाने के उत्तरदायी हैं।


यह स्मरण रखना चाहिये कि सीमांत उपज उस अंतिम मनुष्य द्वारा उपज से नहीं है जिसकी नियुक्ति केवल उचित ही समझी जाती है क्योंकि सब मनुष्य एक से माने जाते हैं। सीमान्त उपज केवल वह वृद्धि (addition) है जो सीमान्त श्रमिक कुल उपज के लिए करता है।

(३) घटती हुई औसत प्राप्ति का नियम—(स्तम्भ न० ४) औसत उपज (average return) चौथे श्रमिक पर अधिकतम सीमा पर पहुँचती है अर्थात् सीमान्त उपज के अधिकतम होने के एक संख्या बाद, इसके बाद सीमांत उपज और शीघ्रता से घटती है। दोनों चौथे तथा पाँचवें के मध्य में किसी स्थान पर समान होगी अर्थात् जब पाँचवां आंशिक समय तक काम करता है। किन्तु हम वास्तविक जीवन में मनुष्यों को भागों में नियुक्त नहीं करते हैं। अतएव सीमान्त तथा औसत उपजों को हमेशा समान करना सम्भव नहीं होता है। यह भी स्पष्ट है कि जब सीमान्त उपज घटती है, तो औसत उपज में वृद्धि सम्भव है।

रेखाचित्र की सहायता से इस नियम को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ^१—

कुल उत्पाद (अर्थात् उपज) बढ़कर अधिकतम (maximum) हो जाती है जबकि यह तीसरी स्टेज पर पहुँच जाती है। सीमान्त उपज सबसे पहले अधिकतम पर पहुँचती है और पहले घटनी शुरू हो जाती है (अर्थात् पहली स्टेज पर)। औसत उपज उसके

बाद घटनी शुरू होती है, अर्थात् जहा दूसरी स्टेज शुरू होती है। यह स्थिति उपर्युक्त तालिका का ही रेखा-चित्र के रूप में निरूपण है। स्पष्ट है कि कोई भी समझदार उद्यमी तीसरी स्टेज में, जहा सीमान्त उत्पाद शून्य है, काम नहीं करेगा, जब तक कि परिवर्तन-शील-साधन (variable factor) स्वतन्त्र है। आर्थिक दृष्टि से दूसरी स्टेज महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जहा औसत उत्पाद सीमान्त उत्पाद से अधिक है जो अब भी क्रियात्मक (positive) है।



रेखाचित्र न० २३

नियम गहन तथा विस्तृत दशाओं में (The Law in the Intensive and Extensive Forms)—जब तक अतिरिक्त उपज का मूल्य खेती के व्यय से अधिक होता है, किसान और निम्न श्रेणी की भूमि लेता चला जाता है। वह खेती के विस्तार को आगे बढ़ाना बन्द कर देगा जबकि अतिरिक्त आय (सीमान्त आय) अतिरिक्त व्यय (सीमान्त लागत) के बराबर हो जाएगी। यह भूमि खेती के ठीक उपयुक्त है तथा सीमान्त भूमि कहलाती है। विस्तृत दशा में घटती हुई प्राप्ति का नियम उस समय लागू होता है जबकि जताई निम्न श्रेणी की भूमि तक बढ़ाई जाती है और उपज हर बार घटती चली जाती है। किन्तु जब किसान भूमि के एक ही टुकड़े में अधिक-से-अधिक श्रम तथा पूँजी की मात्राओं लगाता जाता है तो प्रत्येक मात्रा के लगाने से उत्पादन क्रमशः समानुपात से कम प्राप्त होगा। यह घटती हुई प्राप्ति के नियम का गहन रूप (intensive form) है। वह और अधिक मात्राओं का प्रयोग बन्द कर देगा। जब अतिरिक्त व्यय प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय के बराबर होता है तो आखिरी मात्रा जिसका प्रयोग बस उचित ही समझा जाता है सीमान्त मात्रा कहलाती है। विस्तृत दशा में श्रम तथा पूँजी पर भूमि का अनुपात बढ़ाया जाता है और गहन दशा में भूमि पर श्रम तथा पूँजी का अनुपात बढ़ाया जाता है।

इसे महत्त्व देना उचित है कि इस विषय में यह माना जाता है कि उत्पादन मूल्य में नहीं वरन् मात्रा में मापी जाती है। यह हो सकता है कि अतिरिक्त उपज तो घट गई हो किन्तु कीमत बढ़ने से इसका मूल्य अधिक हो।

इस नियम की काट कैसे की जाय ? (How to Counteract the Law ?)

—कोई भी वस्तु जो भूमि की कोटि या शक्ति को बढ़ाती है और इसकी उपज में वृद्धि कर है अथवा कोई वस्तु जो उपज के मूल्य में वृद्धि लाती है, नियम के संचालन को रोकेगी।

आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग, मिट्टियों तथा खादों का वृद्धिमानी से मिश्रण, बीज को होशियारी से चुनना और उचित बोआई, गहरी-से-गहरी जूताई तथा यथेष्ट सिंचाई की सुविधाओं का प्रबन्ध आदि से हम इस नियम की काट कर सकते हैं। सक्षेप में वैज्ञानिक कृषि घटती हुई प्राप्ति के नियम के संचालन को रोक सकती है।

खेती के अलावा, यह नियम निष्कर्षक उद्योगों (extractive industries) जैसे खनन (mining), मीन क्षेत्र (fisheries) तथा भवन निर्माण उद्योगों में भी लागू होता है। यह नियम तब लागू होता है जब खनन के काम को रद्दी, दूर अथवा गहरी खानों तक फैलाया जाता है। जब मछली पकड़ने का काम एक स्थान पर केन्द्रित कर दिया जाता है और जब एक ही भवन पर कई मजिले बनाई जाती हैं।

यह नियम विशेष रूप से कृषि पर क्यों लागू है? (Why the Law Specially Applies to Agriculture?)—घटती हुई प्राप्ति का नियम कृषि तथा अन्य निष्कर्षक उद्योगों में लागू होता है। इन सब उद्योगों में प्रकृति का प्रभुत्व समान है। अतएव यह प्रायः कहा जाता है कि उत्पादन में प्रकृति का जितना भाग है उसमें घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है और मनुष्य का जितना भाग है उसमें बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है। इससे परिणाम यह निकलता है कि कृषि में, जिसमें प्रकृति प्रधान है, घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है, जबकि उद्योग में, जिसमें मनुष्य प्रधान है, बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है।

कृषि में घटती हुई प्राप्ति के नियम लागू होने के कई कारण हैं। कृषि-सम्बन्धी कार्य एक विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं और उनकी उचित देखभाल नहीं हो सकती। मशीन के प्रयोग में विशिष्टीकरण का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। अतएव बड़े पैमाने के उत्पादन की किफायतें नहीं प्राप्त हो सकती। इस उद्योग के मौसमी होने के कारण और भी सीमायें उत्पन्न होती हैं। कृषि-सम्बन्धी कार्यों में वर्षा तथा अन्य जलवायु-सम्बन्धी परिवर्तनों द्वारा बाधा पड़ने की समावना है। मनुष्य प्रकृति का पूर्ण स्वामी नहीं है और कोई आश्चर्य नहीं कि कृषि में घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है।

इसी प्रकार यह प्रतीत हो सकता है कि शिल्प-उद्योगों में बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू हो। इसमें मनुष्य की युक्ति के प्रयोग के लिए अधिकतम क्षेत्र है। श्रम-विभाजन तथा पूर्णतः आधुनिक यन्त्रों के प्रयोग के प्रचार से उत्पादन कल्पना से परे सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। एक स्थान पर श्रमिकों के केन्द्रित होने से देखभाल आसान तथा प्रभाव-शाली हो जाती है। प्रकृति के दूषित प्रभाव निरन्तर अलग कर दिये जाते हैं। मनुष्य योजना बनाने, उसे प्रारम्भ करने तथा चलाने में स्वतन्त्र है। वह सब आन्तरिक और बाह्य मितव्ययतायें (economies) प्राप्त कर सकता है।

परन्तु यह कहना भी अनुचित है कि कृषि में सदैव घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है और शिल्प उद्योगों में बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम। घटती हुई प्राप्ति का नियम हर जगह लागू होता है। विकस्टीड के शब्दों में "यह नियम स्वयं जीवन के नियम की भांति सब जगह लागू है।" इसका प्रयोग कृषि में ही सीमित नहीं है, यह शिल्प उद्योगों में भी लागू होता है। यदि उद्योग बहुत विस्तृत कर दिया जाय और स्थूल हो

जाय, तो उसकी देखभाल ढीली हो जायेगी और व्यय बढ़ जायेगा। घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू हो जायेगा। अन्तर केवल इतना ही है कि कृषि में यह जल्दी लागू होता है जबकि उद्योग में बहुत बाद में। यह हो सकता है कि एक बद्धिमान उद्योगपति यह दशा आने ही न दे। प्रारम्भ में कृषि में भी वृद्धि होती है। अतएव दोनों नियम निष्कर्षक-सम्बन्धी तथा शिल्प-उद्योग-सम्बन्धी सब प्रकार के उद्योगों में लागू होते हैं। वास्तव में वे एक ही नियम के दो रूप हैं जिसे अनपाती नियम (Law of Proportionality) भी कहा जाता है।

५. सामान्य रूप में घटती हुई प्राप्ति का नियम (Law of Diminishing Returns in a General Form)—इङ्गलैण्ड के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समय से घटती हुई प्राप्ति के नियम के भूमि के सम्बन्ध में विवेचन ने इसके वास्तविक महत्त्व को ढक दिया है। कृषि के विषय में कोई विशेषता नहीं है जिसके कारण नियम को केवल इसी से सम्बद्ध किया जाय। वास्तव में उन्नतिशील देशों में वैज्ञानिक विधि की कृषि ने इस नियम को नहीं के बराबर कर दिया है। यह इससे स्पष्ट है कि जबकि जीवन-स्तर के बढ़ने से खाद्य के उपभोग में वृद्धि हुई है, खाद्य के उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या वास्तव में कम हो गई है।

यथार्थता यह है कि नियम कृषि में ही नहीं लागू होता। इसका सामान्य प्रयोग होता है और इसलिए इसको सामान्य रूप दिया जा सकता है। घटती हुई प्राप्ति का नियम केवल साधनों के मिश्रण के सिद्धान्त की ओर संकेत करता है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि यदि एक परिवर्तनशील साधन (variable factor) कुछ स्थायी साधनों (constant factors) से मिलाया जाय, तो उस परिवर्तनशील साधन की औसत तथा सीमान्त उपज गिर जायेगी। वेन्डम ने इस नियम को इस प्रकार बतलाया है, “एक सीमा (point) के बाद यदि साधनों के एक अंश को दूसरे साधनों के संयोग से बढ़ाया जाय तो इससे उस साधन का औसत तथा सीमान्त उत्पाद घट जायेगा।” यह इस कारण से है कि संयोग साधनों के एक उचित अनुपात को नहीं दिखाता। दूसरों की तुलना में एक साधन अत्यधिक हो जाता है। जब साधनों के बीच उचित संतुलन स्थापित हो जायेगा तब घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू नहीं होगा।

यह नियम इसलिए लागू होता है कि उत्पादन के साधन सीमित हैं। जैपमैन के शब्दों में “यदि अन्य बातें समान रहें, तो एक उद्योग का विस्तार शीघ्र ही अथवा अन्त में घटती हुई प्राप्ति के नियम के अवश्य ही साथ चलेगा यदि उत्पादन में किसी एक साधन की जो अनिवार्य है अधिक, पूर्ति न प्राप्त हो सकती हो।”

यदि हम जरा ध्यानपूर्वक विचार करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि घटती हुई प्राप्ति का नियम इस कारण लागू होता है कि उत्पादन के साधन एक दूसरे का पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन (substitution) नहीं कर सकते। श्रीमती जोन राबिन्सन ने इस बात पर उचित प्रकाश डाला है।^१ श्रीमती राबिन्सन के शब्दों में “घटती हुई प्राप्ति का नियम यह बताता है कि उत्पादन के एक साधन को दूसरे के लिए प्रतिस्थापन (substitute) करने की

1 Robinson, Joan—The Economics of Imperfect Competition (1945), p 330.

मात्रा की एक सीमा है। अथवा, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साधनों के बीच प्रस्थापना की लचक (elasticity) असीम (infinite) नहीं है। यदि यह सच नहीं होता तो जब उत्पादन का एक साधन राशि (amount) में निश्चित होता है और बाकी की सप्लाई पूरे तौर पर लचकदार होती है—पैदावार (output) के भाग को निश्चित साधन की मदद से पैदा करना संभव होता। और इसके बाद, जब इस साधन तथा दूसरे साधनों के बीच अनुकूलतम अनुपात (optimum proportion) स्थापित हो जाता तो इसके (इस साधन के) स्थान पर कोई अन्य साधन प्रतिस्थापित करके और पैदावार को स्थिर लागत (constant cost) पर बढ़ाया जा सकता था। इस प्रकार घटती हुई प्राप्ति का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक विभिन्न तत्वों (elements) को ग्रुपों में बांट लेना चाहिये जिससे प्रत्येक ग्रुप इस रूप में उत्पादन का साधन बने कि परस्पर साधनों के बीच की प्रतिस्थापना की लचक असीम से कम रह जाए।”

घटती हुई प्राप्ति के नियम का अर्थ है बढ़ती हुई लागत का नियम। ऐसा मानने पर, यह मालूम होता है कि कुछ साधनों को बढ़ी हुई मात्रा में लागू करने से, जबकि दूसरे स्थिर (constant) हैं, पैदावार प्रति इकाई अधिक लागत पर तैयार होगी। आप कुछ भी मान सकते हैं कि या तो प्राप्ति घटती जाती है अथवा लागत बढ़ती जाती है। ये दोनों बातें समान हैं।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि घटती हुई प्राप्ति का नियम उत्पादन के साधनों का अधिकतम कार्यपटु सयोग (maximum efficient combination) बताता है। यह ऐसा सयोग है जिससे उच्चतम प्राप्ति (highest return) मिलेगी। हम किसी व्यक्ति को अधिक वीधे जमीन देकर अर्थात् भूमि को बेकार करके बढ़ती हुई प्राप्ति कर सकते हैं। इसी भाँति श्रम तथा जन बेकार करके प्रति एकड़ बढ़ती हुई प्राप्ति कर सकते हैं। परन्तु यह अर्थशास्त्र की बात नहीं है। इस प्रकार बढ़ती हुई प्राप्ति की ओर किसी भी प्रयास का अर्थ है कि स्रोतों का कुछ क्षय होगा ही और साधनों के अधिकतम आर्थिक सयोग से हटना पड़ेगा। सही सयोग में प्रत्येक साधन को दूसरे साधनों से ऐसे अनुपात में मिलाया जायेगा कि यदि इसको (इस साधन को) अकेले बढ़ाया जाता तो इसका औसत उत्पाद घट जायेगा। इसी तरह वह बिन्दु जहाँ से घटती हुई प्राप्ति शुरू होती है, यह बताता है कि यही अत्यधिक कार्यपटु सयोग है।

६. आर्थिक सिद्धान्त में घटती हुई प्राप्ति के नियम का महत्त्व (The Importance of the Law of Diminishing Returns in Economic Theory)—घटती हुई प्राप्ति का नियम प्रतिष्ठित अग्रज अर्थशास्त्रियों विशेषतः माल्थस तथा रिकार्डों द्वारा बनाये हुए अनेक आर्थिक सिद्धान्तों का आधार बन गया है। इसको प्रकृति का निष्ठुर नियम कहा गया था। इसके कारण अर्थशास्त्र में बहुत से निराशावादी विचार हुए जिससे इसको निकृष्ट विज्ञान (dismal science) कहा गया। माल्थस का जनसंख्या का सिद्धान्त जिसके अनुसार जनसंख्या खाद्य-पदार्थों से अधिक शीघ्रता से बढ़ती है, स्पष्ट रूप से इस यथार्थता पर निर्धारित है कि खाद्यों के

उत्पादन में घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है।

रिकार्डों का लगान-सिद्धान्त (theory of rent) यह स्पष्ट करता है कि लगान इस कल्पना पर निश्चित होता है कि नीची श्रेणी की भूमि पर कृषि घटती हुई प्राप्ति के नियम के लागू होने के कारण की जाती है। कृषि की सीमा गिरती जाती है और लगान बढ़ता जाता है। व्यवसाय के अनुकूलतम आकार (optimum size) का आदर्शरूप भी इस सिद्धान्त के संचालन से स्पष्ट किया जाता है। मूल्य का सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त तथा सीमान्त उत्पादन का सिद्धान्त जो राष्ट्रीय लाभांश (national dividend) में उत्पादन के एक साधन का हिस्सा निश्चित करता है, इस आवश्यक नियम के संचालन पर आधारित है। अस्तु, घटती हुई प्राप्ति का नियम आर्थिक विचार-धारा में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

७. बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम (Law of Increasing Returns) —यदि उद्योग में किसी प्रकार के अतिरिक्त विनियोग (investment) के फलस्वरूप अनुपात से अधिक उत्पादन होने लगे अथवा यदि सीमान्त उत्पाद में वृद्धि हो जाय तो ऐसा बढ़ती हुई प्राप्ति के नियम के अन्तर्गत होता है। लागत की दृष्टि से बढ़ती हुई प्राप्ति के नियम के लागू होने पर उद्योग के विस्तार से सीमात उत्पादन लागत में कमी हो जाती है। क्योंकि सीमात लागत किसी वस्तु की कीमत प्रकट करती है, अतएव जिस उद्योग में बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है उसमें उद्योग के विस्तार के साथ-साथ वस्तु की कीमत गिरती जाती है।

हम देख चुके हैं कि यदि उत्पादन का रूप बढ़ा दिया जाय तो बड़े लाभ उठाये जा सकते हैं। श्रम व मशीन के विशिष्टीकरण व दूसरी वाणिज्यिक तथा विविध सुविधाओं के कारण उत्पादन की लागत में कमी हो जाती है और ऐसी दशा में बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है।

बड़े पैमाने के उत्पादन की किफायती में जो कम कीमत पर अधिक उत्पाद में सहायक होती है वे ये हैं^१—(i) अमानवीय तथा अपाशविक शक्ति स्रोत [जैसे जल तथा पवन शक्ति, स्टीम (भाप), विजली, आन्तरिक अणु शक्ति], (ii) ऑटोमैटिक स्वयं-व्यवस्थापक मशीन यंत्र, (iii) स्टैंडर्ड, बदल सकने योग्य पार्ट्स का उपयोग, (iv) जटिल विधि के स्थान पर सादे पुनरावृत्ति वाले कार्य अपनाना; (v) श्रम-विभाजन के कार्यों का विशिष्टीकरण, तथा (vi) दूसरे अन्य टेक्नोलॉजिकल साधन।

जब किसी आवश्यक साधन की कमी हो जाती है तो उद्योग घटती हुई प्राप्ति के नियम के प्रभाव में आ जाता है। पर यदि उद्योग के विस्तार के समय उत्पादन सम्बन्धी सब साधन आवश्यक मात्रा में प्राप्त हो तो बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम अवश्य लागू होगा। “यदि उत्पादन सम्बन्धी साधनों की कमी न हो तो, सब बातें समान रहने पर, किसी उद्योग के विकास के साथ-साथ बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम प्रारम्भ हो जाता है।”^२

1. Samuelson, P.A.—Economics (1948), p. 21

2. Chapman, op cit p. 102.

जब साधनों का संयोग अनुचित अनुपात में होता है तो घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है। जब हम संयोग को सही करन का प्रयास करते हैं तो बढ़ती हुई प्राप्ति उस समय तक होगी जब तक संतुलन (balance) पूरी तौर पर वापस नहीं आ जाता।

अविभाज्यता के सिद्धान्त (concept of indivisibility) का भी बढ़ते हुए प्राप्ति के नियम से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी प्रकार मान लीजिये एक निर्माता व्यवसायी ने अधिकाधिक भाग को पूरा करने की दृष्टि से एक मशीन लगाई। परन्तु वास्तव में वह मशीन अपनी शक्ति से कम मात्रा में उत्पादन करती है। ऐसी दशा में यदि किसी दूसरे साधन (factor) में अथवा साधनों में वृद्धि कर दी जाय, तो इस अविभाज्य मशीन का अधिक समुचित उपयोग होगा और फलस्वरूप बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू हो जायेगा।

इन दोनों नियमों अर्थात् बढ़ती तथा घटती प्राप्ति (returns) की व्याख्या अनुकूलतम व्यापारिक इकाई (optimum business unit) के रूप में भी हो सकती है। जब हम अनुकूलतम की ओर चल रहे हैं तो हमें बढ़ती हुई प्राप्ति (increasing returns) की ओर जब हम अनुकूलतम से दूर को चल रहे हैं तो हमें घटती हुई प्राप्ति की अवस्था होगी।

८. स्थिर प्राप्ति का नियम (Law of Constant Returns)—जब किसी उद्योग में चाहे कौंसा भी उत्पादन किसी भी माप में हो पर प्रति इकाई लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब उस समय स्थिर प्राप्ति नियम लागू होता है। श्रम व पूँजी के विनियोग में वृद्धि के बाद भी यदि उत्पादन की वृद्धि समानुपात के अनुसार हो तब उस उद्योग में स्थिर प्राप्ति नियम लागू होता है।

मार्शल का विश्वास है कि उद्योग को प्रकृति सदैव घटती हुई प्राप्ति की ओर ले जाती है व मनुष्य को बढ़ती प्राप्ति की ओर। यही कारण है कि कृषि में जहाँ प्रकृति का भाग प्रमुख होता है घटती प्राप्ति होती है पर उद्योग-धन्धों में जहाँ बाह्य शक्तियों से विचलित हुए बिना मनुष्य अपनी वृद्धि की शक्ति द्वारा कार्य करता है, बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है। यह भी संभव है कि कोई उद्योग ऐसा हो जहाँ न तो बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम और न घटती हुई प्राप्ति का नियम ही लागू हो बल्कि स्थिर प्राप्ति नियम हो।

किसी ऐसे उद्योग का उदाहरण लीजिये जिनमें कच्चे मालों की (जो प्रकृति के भाग को प्रकट करते हैं) लागत का अनुपात उतना ही है जितना कि माल तैयार करने की लागत का अनुपात है। प्रत्येक उद्योग में दो विभिन्न प्रवृत्तियाँ काम करती हैं। जब उद्योग का विस्तार होता है तो कुछ व्यय बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। यह हो सकता है कि कोई ऐसा उद्योग हो जिसमें यह दोनों प्रवृत्तियाँ समान हो जायें व स्थिर प्राप्ति हो। इस सम्बन्ध में कभी-कभी प्राकृतिक शुद्ध ऊर्जा से कम्बल बनाने के उद्योग का उदाहरण दिया जाता है। यह कहा जाता है कि इस उद्योग में कच्चा माल (ऊर्जा) घटती हुई प्राप्ति के नियम से प्रभावित होता है। पर इसकी कमी माल तैयार करने की सुविधाओं से पूरी हो जाती है, और परिणामस्वरूप स्थिर प्राप्ति नियम लागू होता है।

अनुकूलतम नियम (optimum theory) स्थिर प्राप्ति नियम की कार्यप्रणाली

को समझाने में हमारी सहायता कर सकता है। हम देख चुके हैं कि अनुकूलतम उत्पादन की प्रवृत्ति में बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम होता है व उससे विपरीत प्रवृत्ति में घटती हुई प्राप्ति का नियम, पर यदि हम अनुकूलतम (optimum) को पालें, तो ऐसा चाहे कितना ही थोड़े समय को क्यों न हो, स्थिर प्राप्ति नियम लागू होगा।

६. अभिनवीकरण (Rationalisation)—अभी तक हमने व्यक्तिगत कारखानों की दृष्टि से साधनों के सगठन का अध्ययन किया, अब हम उद्योग को सम्पूर्ण मानकर उसका अध्ययन करेंगे। अभिनवीकरण उद्योग के सर्वोत्तम सगठन को कहते हैं।

१९१४-१८ के महायुद्ध के बाद बहुत-सी भूमि छिन जाने व युद्ध क्षतिपूर्ति (reparations) की कठिन मांग से आहत होने के कारण जर्मनी के सम्मुख अपने उद्योग में पुनर्निर्माण की समस्या थी। उसकी पुनर्निर्माण की प्रणाली को अभिनवीकरण कहते हैं। जर्मनी के बाद अभिनवीकरण की लहर दूसरे देशों में भी पहुँची।

वालफर के शब्दों में “वास्तव में यह (अभिनवीकरण) टैकनीक (technique) तथा सगठन की रीति है, जिसका उपयोग प्रयास तथा माल की न्यूनतम क्षय द्वारा काम चालू रखना है। इसके साथ ही, श्रम का वैज्ञानिक ढंग पर सगठन, मेटैरियल (माल) तथा उत्पाद का प्रमाणीकरण (standardisation), तथा व्यवस्थापन को सरल करना और परिवहन तथा मार्केटिंग की प्रणाली में बाह्य सुधार आदि करना है।”

प्रतियोगी पूँजीवाद में स्वाभाविक, आर्थिक शक्तियों के स्वतंत्र प्रभाव से समता (equilibrium) की स्थापना होती है। परन्तु इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करने में कष्ट और त्याग की मात्रा अधिक होती है। अभिनवीकरण के समर्थकों का कहना है कि वे इस प्रकार के कष्ट को दूर कर सकते हैं। वे कहते हैं कि उद्योग का सगठन और प्रवन्ध ऐसे वैज्ञानिक ढंगों पर किया जा सकता है जिससे इस प्रकार के सकटों का कोई असर न रहे या यदि वह आये भी तो उनका प्रभाव इतना खराब न हो।

अभिनवीकरण के मुख्य तत्व यह हैं—आधुनिकीकरण (modernisation), वैज्ञानिक प्रवन्ध (scientific management) व एकीकरण (amalgamation)। उद्योग की हर उत्पादक इकाई में सबसे आधुनिक मशीनें, प्लांट (plant) तथा दूसरे उपकरण होने चाहिए, जिससे सभी उपकरण बढ़िया किस्म के हों। अभिनवीकरण के अन्तर्गत पुरानी व टूटी-फूटी मशीनों को हटा देना चाहिए।

पर केवल आधुनिकता (modernisation) ही पर्याप्त नहीं होती। आधुनिकता के साथ प्रवन्ध भी वैज्ञानिक होना आवश्यक है। अमेरिका में टेलर (Taylor) द्वारा वैज्ञानिक प्रवन्ध के विचार का प्रादुर्भाव हुआ। इसके अन्तर्गत समय अध्ययन (time study), गति अध्ययन (motion study) तथा श्रान्ति अध्ययन (fatigue study) है। यह आवश्यक होता है कि कारखानों के कर्मचारियों को न्यूनतम समय में काम करने की सर्वोत्तम ढंग की शिक्षा दी जाये।

किसी उत्पादन की प्रत्येक इकाई की अधिकतम कार्यक्षमता सम्पूर्ण उद्योग की समस्याओं का निवारण नहीं कर देती है। यही नहीं, इससे हर इकाई के सर्वाधिक उत्पादन

उत्पादन के साधनों की गतिशीलता^१

(MOBILITY OF THE FACTORS OF PRODUCTION)

१ गतिशीलता के भेद (Types of Mobility)—उपभोक्ताओं के अधिमान माप (scale of preference) में किसी भी परिवर्तन से उत्पादन क्रिया के प्रवाह में अनुरूप परिवर्तन अवश्य होगा। इस सम्बन्ध में उत्पादन के साधनों की गतिशीलता अत्यन्त सहायक होती है। गतिशीलता से हमारा अभिप्राय केवल भौतिक अथवा भौगोलिक गतिशीलता अर्थात् उत्पादन के साधन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही नहीं होता है। परन्तु गतिशीलता का अभिप्राय एक ही स्थान पर अथवा अन्य स्थान पर एक साधन का वैकल्पिक प्रयोग (alternative uses) से भी होता है। इस अर्थ में गतिशीलता के अर्थ कार्यगत गतिशीलता, स्थानीय गतिशीलता, तथा औद्योगिक गतिशीलता हैं (1 e between occupation, place and industries)। एक खेत पर गन्ने के स्थान पर कपास की खेती की जा सकती है, यह उद्योग का परिवर्तन है परन्तु स्थान का कोई परिवर्तन नहीं है। अहमदाबाद की कपड़े की मिल का प्रबन्धक बम्बई की एक मिल का प्रबन्धक हो सकता है। यह स्थान का परिवर्तन है, व्यवसाय का नहीं। बम्बई के अर्थशास्त्र के एक प्राध्यापक दिल्ली के एक बैंक के आर्थिक सलाहकार (economic adviser) हो जाते हैं, इसमें स्थान तथा व्यवसाय का भी परिवर्तन हो जाता है। एक क्लर्क एक शक्कर के कारखाने से नौकरी छोड़ कर एक कपड़े की मिल में क्लर्क हो जाता है तो वह उद्योग का परिवर्तन होता है। इस कारण एक प्रकार की गतिशीलता में अवश्य ही दूसरे प्रकार की गतिशीलता नहीं होती।

हम उत्पादन के प्रत्येक साधन के सम्बन्ध में गतिशीलता की सीमा का अध्ययन करेंगे।

२ भूमि की गतिशीलता (Mobility of Land)—अर्थशास्त्र में 'भूमि' (land) का अभिप्राय पर्वतों, समुद्रों, नदियों, जलवायु, मिट्टी, वायु, घूप आदि प्राकृतिक साधनों से है। बाघ बना कर नदियों के प्रवाह को बदलना तथा पानी को नहरों की ओर ले जाना सम्भव है। परन्तु हमें पर्वतों को उनके स्थान से हटाने में अयनवृत्त सवन्धी (tropical zone) जलवायु को समशीतोष्ण (temperate) जलवायु में परिवर्तित करने में अपनी भूमि को ऐसे भाग में ले जाने में जहा वर्षा अधिक हो अथवा अपने विद्यालय तथा छात्रावास की इमारत को अच्छे स्थान पर हटाने में अपनी असामर्थ्य अवश्य स्वीकार करनी होगी। गतिशीलता

के सम्बन्ध में 'भूमि' हमारे प्रयत्नों को रोकती है क्योंकि भूमि की भौगोलिक गतिशीलता असम्भव है।

परन्तु गतिशीलता की केवल यही किस्म नहीं है जिसको हम जानते हैं। जिस रूप में हमने गतिशीलता की परिभाषा की है उसमें उसका अभिप्राय एक साधन का वैकल्पिक प्रयोगों में लाये जा सकने की संभावना से है। क्या भूमि पूर्णतया विशिष्ट (absolutely specific) नहीं है। यद्यपि भूमि कुछ मात्रा में विशिष्टता रखती है, तो भी किसी सीमा तक इस पर अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं। एक व्यक्ति अपनी भूमि को एक नगर से हटा कर दूसरे में नहीं पहुँचा सकता, तो भी एक स्थान पर उसे बेचकर तथा दूसरे स्थान पर उसे खरीद कर वह उसे गतिशीलता प्रदान करता है। एक अन्य विधि भी है। एक मनुष्य जिसके पास भिन्न-भिन्न स्थानों पर भूमि है, वह श्रम तथा पूँजी को एक स्थान पर हटा सकता है और वहाँ की भूमि को अच्छा कर सकता है तथा दूसरे स्थान की भूमि की उपेक्षा कर सकता है। इस प्रकार, एक भूमि अधिक उत्पादक हो जाती है तथा दूसरी उत्पादकता से वंचित रहनी है। उत्पादकता ही वास्तव में हम चाहते हैं। इस प्रकार भूमि गतिशील हो जाती है।

परन्तु भूमि उस समय अधिक गतिशील हो जाती है, जबकि उसकी उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। व्यावहारिक रूप से यह भूमि की सेवा (service of land) का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करती है तथा एक साधन का मूल्य निरूपण (value) स्वयं उसके कारण नहीं परन्तु उस सेवा के कारण है जो वह करता है। इस प्रकार भूमि इतनी अगतिशील नहीं है जितनी समझी जाती है। इसके अनेकों वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। गहूँ उत्पन्न करने वाली भूमि को चरागाह में परिवर्तित किया जा सकता है और इसका उल्टा भी सच है। यदि कुछ और नहीं किया जा सके तो इसकी उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। गतिशीलता की यह मात्रा सम्प्रदाय के लिए उन वस्तुओं के क्रम को, जिन्हें वह सबसे अधिक पसन्द करता है, उत्पन्न करने के लिए यथेष्ट है।

यदि सरकार जमीन बेचने पर ज्यादा रजिस्टर फीस (registration fee) लगाकर विक्रय के हस्तांतरण पर निरोध लगाये तो इसकी गतिशीलता कम होगी। १९०१ के पंजाब के भूमि अधिकार अलग करने के अधिनियम (Punjab Land Alienation Act) का कुछ रोकने वाला प्रभाव है। इस अधिनियम के अधीन कृषि के कार्य में लाई जाने वाली भूमि को कृषि के अलावा अन्य प्रयोगों में नहीं लगाया जा सकता।

३. श्रम की गतिशीलता (Mobility of Labour)—मनुष्य सबसे कम गतिशील कहा जाता है। हम विचार करेंगे कि श्रमिकों में हर प्रकार की गतिशीलता किस सीमा तक पाई जाती है। यहाँ पर यह दोहराया जा सकता है कि गतिशीलता तीन प्रकार की होती है, अर्थात् औद्योगिक, स्थानीय तथा कार्यगत गतिशीलता।

औद्योगिक गतिशीलता (Mobility between Industries)—विभिन्न उद्योगों के बीच गतिशीलता में कोई कठिनाई नहीं होती। एक उद्योग में लगा हुआ

मुनीम, टाइप वावू अथवा एक चौकीदार सरलता से ऐसा ही कार्य किसी अन्य उद्योग में प्राप्त कर सकता है।

स्थानीय गतिशीलता (Mobility between Places)—जहाँ तक श्रम की एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशीलता का सम्बन्ध है, जिसे भौगोलिक गतिशीलता कहने हैं, उसमें अत्यन्त बाधाएँ पाई जाती हैं। परिवर्तन का बहुत भय होता है। कोई मनुष्य परिचित वातावरण से निकल कर दूसरे स्थान पर बसना नहीं पसन्द करता। कुछ ही लोग एक नये स्थान पर नवीन रूप से जीवन प्रारम्भ करने का साहस रखते हैं। विशेषतः यह उनके सम्बन्ध में ज्यादा सच है जो वृद्ध हैं। युवावस्था के श्रमिक साहसी तथा निर्भीक होते हैं और वे आसानी से बाहर जाने के लिये प्रोत्साहित किये जा सकते हैं।

भाषा, स्वभाव, रीतियों तथा जीवन-क्रम की भिन्नताये श्रम के लिये देश के एक भाग से दूसरे भाग तथा एक देश से दूसरे देश में जाने में अन्य बाधा टालने वाले कारण हैं।

देशों के अन्तर्गत गतिशीलता में आप्रवास कानूनो (immigration laws) से और भी बाधा पड़ती है। निर्धनो की सहायता की प्रथा, बेरोजगार सुविधाये तथा राज्य के द्वारा विपत्ति में पड़े हुए श्रमिकों को दी हुई अन्य सहायताएँ गतिशीलता की इच्छा को कम करती हैं तथा श्रम को और भी अगतिशील बनाती हैं।

भारत में अत्यधिक जनसंख्या वाले नगर, घने औद्योगिक स्थान, रहने की सुविधाओं का अभाव, गन्दा वातावरण, अधिक जीवन-निर्वाह-व्यय, सदा रहने वाला व्यापक रोगों का चक्र श्रमिकों को भयभीत करने के लिये यथेष्ट है। इसी कारण भारतीय श्रम पर रायल कमीशन (Royal Commission) ने लिखा था कि औद्योगिक व्यवसाय में श्रम आकर्षित नहीं होता वरन् ढकेला जाता है। ऐसे हालात श्रम की गतिशीलता के मार्ग में बाधक होते हैं। संचार तथा परिवहन के साधनों की उन्नति ने भौगोलिक गतिशीलता को बहुत सुविधाजनक बना दिया है।

कार्यगत गतिशीलता (Mobility between Occupations)—कार्यगत गतिशीलता सब से अधिक कठिन है। यह दो प्रकार की होती है।

(क) क्षैतिज गतिशीलता (Horizontal Mobility) अर्थात् एक ही प्रकार के दो व्यवसायों में गतिशीलता है। उदाहरणार्थ, इतिहास का प्रोफेसर अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हो जाता है या एक लोहार एक बढ़ई हो जाता है। इस प्रकार की गतिशीलता इतनी कठिन नहीं होती।

(ख) लम्बरूप या खड़ी गतिशीलता (Vertical Mobility) से अभिप्राय ऊँचे प्रकार के व्यवसाय में गतिशीलता से है। उदाहरणार्थ, एक क्लर्क एक अध्यापक हो जाता है अथवा एक मिस्त्री एक यन्त्रकार हो जाता है। यह गतिशीलता अत्यन्त कठिन है। स्वाभाविक योग्यता के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न व्यवसायों में भिन्न-भिन्न निपुणता तथा ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा एक मनुष्य के लिए स्वयं को दूसरे व्यवसाय के उपयुक्त बनाना, जहाँ अधिक ज्ञान की जरूरत है, सरल नहीं है।

किसी निर्धन व्यक्ति को बताना कि उसके लिए सब व्यवसाय खुले हुए हैं, उसका निष्ठुरतापूर्वक उपहास करना है। उद्योगों द्वारा लगाई गई बाधाओं के अतिरिक्त परीक्षाएँ,

अधिकार देने की प्रथा तथा मेवा-फाउ के लिए अधिक पारितोषिक लेना (उदाहरणार्थ अधिकृत तथा सस्थापित लेखापाठ के सम्बन्ध में) प्रभावशाली बाधाये हैं जिन्हें थोड़े ही लोग दूर कर सकते हैं। कुछ कार्यों जैसे उच्च दीवानी के अफसर की पदवी में अथवा राजनीति की सेवाओं की पदवियों के लिए उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा तथा माता-पिता के प्रभाव की आवश्यकता होती है। यह आखिरी कारण निर्धन कुटुम्ब के युवक को अलग रखने में सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार एक श्रेणी (grade) से दूसरी श्रेणी में गतिशीलता बहुत कम है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सबसे अधिक माननीय कार्यों में सबसे अधिक पारिश्रमिक मिलता है, जबकि वे कार्य जो निम्न सामाजिक श्रेणी में हैं, आर्थिक दृष्टि से भी निम्न श्रेणी में होते हैं।

आर्थिक समायोजन (adjustment) के लिए कुछ न कुछ गतिशीलता तो बहुत जरूरी है। यदि आर्थिक प्रणाली को घक्को तथा मानवीय पीडा को रोकना है तो यह जरूरी है कि श्रम गतिशील हो। श्रम की गतिशीलता आर्थिक प्रणाली को लचीलापन (flexibility) देने में सहायक है। इस तरह गतिशीलता बहुत लाभदायक है। परन्तु एक समूह के अन्तर्गत तथा कौशलरहित (unskilled) श्रमिकों में गतिशीलता आर्थिक सुधार करने के लिए बहुत काफी है। ऐसे अनेकों कार्य हैं जिन्हें उचित शारीरिक शक्ति वाला तथा अच्छी बुद्धि से सम्पन्न मनुष्य सफलतापूर्वक कर सकता है और फिर एक नई अवस्था का सामना करने के लिए सब श्रम के गतिशील होने की आवश्यकता नहीं है।

फिर प्रत्यक्ष प्रतिस्थापना (direct substitution) की नहीं, किन्तु केवल अप्रत्यक्ष अदल-बदल की ही आवश्यकता होती है। यदि सूती कपड़े का उद्योग घट रहा है तथा गन्धक का उद्योग बढ़ रहा है, तो यह आवश्यक नहीं है कि श्रमिक पहले उद्योग से दूसरे में सीधे चले जाए। वास्तव में मिले हुए व्यवसायों में अदल-बदल होगी। सूती कपड़े के उद्योग से कुछ श्रमिक जूट उद्योग में जा सकते हैं तथा इन उद्योगों के कुछ श्रमिक कागज के कारखाने में जा सकते हैं।

एक स्थायी अथवा घटती हुई जनसंख्या गतिशीलता में बाधा होती है जबकि भारत जैसी बढ़ती हुई जनसंख्या अत्यन्त सहायक होती है क्योंकि नई पीढ़ी नए व्यवसायों में लग सकती है तथा उनका त्याग कर सकती है जिनमें पारिश्रमिक कम हो रहा है।

हमारा निर्णय यह है कि यद्यपि श्रम की गतिशीलता में अनेकों महत्त्वपूर्ण बाधाये हैं, तो भी उद्योग की नई आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक साधनों के व्यवस्थित करने के लिए यह यथेष्ट है, जब तक कि परिवर्तन बहुत शीघ्र तथा मूल न हो, जो बहुधा नहीं होता है।

४ पूँजी की गतिशीलता (Mobility of Capital)—पूँजी के अनेकों रूप होते हैं। चालू पूँजी काफी गतिशील होती है। औजार तथा यन्त्र और साधारण मशीनें प्रत्येक उद्योग द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती हैं और आसानी से तथा बिना अधिक व्यय के किसी स्थान पर हटाई जा सकती हैं। राष्ट्र की पूँजी का यह भाग भी गतिशील है।

परन्तु सम्प्रदाय की पूँजी के सबसे कीमती भाग में स्थिर पूँजीकृत वस्तुएँ शामिल हैं अर्थात् कारखानों की इमारतें, मशीनें, रेलों के स्थायी सामान जैसे रेल की पटरियाँ

स्टेशन की इमारतों, नहरों, ट्यूब वैंल्स आदि । इनमें गतिशीलता नहीं होती । एमी सब पूजी स्थायी रूप से स्थिर होती है और आसानी से अन्य स्थानों पर नहीं ले जाई जा सकती ।

दूसरे महायुद्ध में भी पूजी की गतिशीलता का उदाहरण मिलता है । जब नाजी जट्ये मास्को से मुश्किल से वारह मील रह गये थे, रूसियों को अपने यत्र तथा कलें उखाडना तथा उन्हें यूरल पर्वत के पीछे ले जाना पडा था । किन्तु यहा व्यय का कोई महत्व नहीं था । सामान्य दशाओ में ऐसा कभी नहीं किया जायेगा ।

और फिर काफी पूजी आमतौर से निमग्न (sunk) अथवा विशिष्ट भी होती है । आप एक सूती कपडे के कारखाने को एक शक्कर के कारखाने में नहीं बदल सकते । इसलिये न केवल स्थायी पूजी को अवश्य ही वही रहना चाहिये जहा वह है, वरन् उसका प्रयोग भी वही कायम रहना चाहिये, जिस अभिप्राय से वह लगाई गई थी । जब हम ऐसी पूजी पर विचार करते हैं तो उसकी अगतिशीलता हमें पूर्ण रूप से प्रतीत होती है ।

परन्तु गतिशीलता से हमारा अभिप्राय केवल भौगोलिक गतिशीलता नहीं है । इसका अर्थ वैकल्पिक प्रयोगों में आने की सम्भावना भी है । इस विचार से पूजी भी काफी मात्रा में गतिशील होती है । परिवहन (transport) के साधनों से कुछ भी ले जाया जा सकता है । मशीन में थोडा बहुत परिवर्तन करके पूर्णतया भिन्न प्रकार की वस्तुएँ उत्पादित की जा सकती हैं । यह कहा जाता है कि घड़ियों के बनाने की मशीनों से सिलाई की मशीनें बनाई जा सकती हैं । मोटर कार के उत्पादन यत्र को हवाई जहाज तथा दूसरी युद्ध की सामग्री उत्पन्न करने में प्रयोग किया जा सकता है । एक ही कारखाने में एक ही यन्त्र से उसी उत्पादन कार्य में भी अनेक प्रकार की वस्तुएँ उत्पन्न की जा सकती हैं ।

इसके अतिरिक्त पूजी के आकार में लचीलापन एक दूसरी रीति से प्रदान किया जा सकता है । श्रम की नई जनसंख्या जैसी नई वचतें भी होती हैं । इन वचतों को उन प्रयोगों में लगाया जा सकता है जो अधिक महत्वपूर्ण तथा अधिक लाभप्रद हो गये हैं । प्रत्येक निर्माता अपने वार्षिक लाभ से कुछ भाग मूल्य-ह्रास कोष (depreciation fund) में डालता है । यह कोष यन्त्रों की मरम्मत तथा बदलने के लिये उम समय प्रयोग में आता है जब वे घिस जाते हैं और पुराने पड जाते हैं । परन्तु ऐसा बहुत कम होगा कि एक यन्त्र दूसरे ऐसे यन्त्र से बदल दिया जाए जो पुराने के पूर्णतया समान हो । इस प्रकार पूजी का इस्तेमाल हो रहा है तथा उसके स्थान पर दूसरी लगाई जाती है न कि नई आर्थिक अवस्था के अनुसार बिल्कुल ही बदल दी जाती है । यह पूर्णतया गतिशील नहीं है किन्तु गतिशीलता की मात्रा हमारे प्रयोजन के लिए यथेष्ट है ।

५ क्या आधुनिक आर्थिक प्रणाली परिवर्तनशील है ? (Is Modern Economic System Adaptable ?)—यह विवेचन करके कि उत्पादन के अनेक साधन कहा तक गतिशील हैं, अब हम यह देख सकते हैं कि आधुनिक आर्थिक प्रणाली संपूर्ण रूप से स्थायी है अथवा गतिशील । क्या उसमें परिवर्तन हो सकते हैं अथवा क्या हमें सदा एक विशिष्ट आर्थिक अवस्था के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा ?

हम देख चुके हैं कि व्यवहार में उत्पादन के साधनों की गतिशीलता में बाधा होती है ।

भूमि की भौतिक गतिशीलता असंभव है । भूमि की सफाई, सुखाई (drainage)

तथा कृषियोग्य बनाने में कभी-कभी बहुत अधिक पूजा लगाने की आवश्यकता होती है। हमें ऋतु, जलवायु तथा वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। यह भूमि की गतिशीलता में कुछ बाधाएँ हैं।

श्रम भी स्वतंत्रतापूर्वक गतिशील नहीं है। कुछ ही लोग अपने थोड़े से लाभ के लिए अपने घर तथा देश छोड़ना पसन्द करते हैं। लोग भाषा की कठिनाइयों तथा रीति-रिवाजों की भिन्नताओं के कारण अपने देश के वातावरण में रहना पसन्द करते हैं। भिन्न-भिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक दक्षता में भिन्नता, कुछ व्यवसायों के लिए आवश्यक शिक्षा पर अत्यधिक व्यय, दूसरों में सेवा काल का अधिक समय, सामाजिक असामर्थ्य तथा राज्य के नियमों के कारण किसी व्यवसाय में स्वतन्त्र प्रवेश सम्भव नहीं होता।

पूजा भी स्थायी होती है। उसको उखाड़ने तथा हटाने में अधिक व्यय तथा समय नष्ट होता है। यह इतनी विशिष्ट हो जाती है कि किसी अन्य प्रयोग में लाये जाने योग्य नहीं रहती।

ये वास्तविक कठिनाइयाँ हैं। परन्तु इन सबके होते हुए भी उत्पादन-अर्थ-व्यवस्था का आकार काफी लचीला है। भूमि पर अनेक प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं और इसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। श्रम की औद्योगिक गतिशीलता (mobility between industries) आसान है और स्थानीय गतिशीलता (mobility between places) की सुविधा संचार व परिवहन के सस्ते व कुशल साधनों के द्वारा हो रही है। कार्यगत गतिशीलता में शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तृत रूप से बढ़ने तथा यत्र-सम्बन्धी शिक्षा से सहायता मिल रही है। नई पीढ़ी का आगमन पुरानी पीढ़ी की अगतिशीलता को पूरा करता है। पूजा की भौतिक गतिशीलता समभव नहीं हो सकती है, तो भी एक निश्चित यत्र से अनेक प्रकार की वैकल्पिक वस्तुएँ तैयार की जा सकती हैं जिससे अन्तिम वस्तुओं अथवा उपभोग्यताओं की वस्तुओं की बनावट में परिवर्तन बिना कठिनाई से किया जा सकता है। अतएव जब एक उद्योगपति उत्पादन में परिवर्तन करने का निश्चय कर लेता है तो उत्पादन के साधन कोई विशेष कठिनाई प्रस्तुत नहीं करते।

संचार तथा परिवहन के साधनों के विकास ने स्थान तथा समय (time and space) का लोप कर दिया है। वैज्ञानिक उन्नति तथा मशीनी ज्ञान में वृद्धि ने उद्योगपति को अज्ञात सम्भावनाएँ उपलब्ध करा दी हैं। अनेक नये उद्योगों की उन्नति हो गई है तथा अनेक पुराने उद्योग नष्ट हो गये हैं। परिवर्तन शांतिपूर्वक तथा अगोचर रूप से और आर्थिक प्रणाली को बिना कोई धक्का पहुँचाये हुए है। अतएव हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक आर्थिक प्रणाली पूर्णतया अनुकूल बनने योग्य है। द्वितीय महायुद्ध ने यह दिखा दिया है कि किस सीमा तक तथा कितनी शीघ्रता से राष्ट्रीय स्रोत (resources) परिवर्तित हो सकते हैं, तथा उन प्रयोगों में लाये जा सकते हैं, जिनको समाज सबसे अधिक आवश्यक समझता है।

निर्देश पुस्तक

Benham, F.—Economics, Chapter XIV.

व्यवसाय संगठन के रूप

(FORMS OF BUSINESS ORGANISATION)

१ व्यक्तिगत उद्यमी (The Individual Entrepreneur)—
उद्यमी के कार्य का संगठन अनेको प्रकार में किया जा सकता है। सबसे प्राचीन तथा सबसे अधिक मख्या में 'एक व्यक्ति' का व्यक्तिगत व्यवसाय है।

'एक व्यक्ति' वाले व्यापार का संचालक अपनी पूजी स्वयं लगाता है तथा कुछ उधार भी ले सकता है। वह एक किराये की दूकान लेगा और यदि आवश्यकता हुई तो एक सहायक की सेवा प्राप्त करेगा। वह स्वयं क्रय तथा विक्रय करता है। वह अपना स्वयं प्रबन्धक है। वह कार्य प्रारम्भ करता है, उसकी व्यवस्था करता है, काम के लिये आज्ञा देता तथा पूरा जोखिम उठाता है। इस प्रकार मालिक (sole proprietor) स्वयं ही पूजी, उद्योग तथा बहुत-सी दशाओं में श्रम के भी कार्य संयोग करता है।

इस प्रकार का व्यवसाय साधारणतः छोटे पैमाने पर किया जाता है। खेती तथा सभी प्रकार के फुटकर व्यापार में व्यक्तिगत उद्योग व्यवस्था अधिकतर देशों में पाई जाती है।

इस प्रकार के व्यवसाय संगठन के कई लाभ हैं —

(१) आर्थिक हितों तथा व्यवसाय के संचालन का पूर्ण दायित्व का संयोग दक्षता के लिए सहायक होता है। अकेला उद्योगपति बहुत परिश्रम से अधिक समय तक कार्य करता है।

(२) सारे व्यवहार तथा कार्य ठीक व्यवस्था द्वारा किफायत से किये जाते हैं और हर प्रकार का क्षय कम हो जाता है। किसी तरह के बढ़िया और खर्चीले खाते रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

(३) सभी याहकों की ओर व्यक्तिगत ध्यान देना तथा कम-से कम लागत पर पूरी सतुष्टि देना सम्भव होता है। रुचि तथा फैशन में प्रत्येक परिवर्तन का ध्यान रखा जाता है और यथायोग्य पूर्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है।

(४) व्यक्तिगत उद्योगपति सीमित तथा परिवर्तनशील माँग की सतुष्टि करने की स्थिति में होता है। व्यवसाय की स्थिति में तीव्र परिवर्तनों के लिए शीघ्र निर्णय सम्भव हो जाता है।

(५) इस प्रकार का व्यवसाय सरलता से प्रारम्भ किया जा सकता है और उतनी ही सरलता से बन्द भी किया जा सकता है। अकेला स्वामी ही केवल एकमात्र उससे सम्बद्ध है।

अपने सीमित क्षेत्र में व्यवसाय संगठन का यह रूप बहुत उच्च कोटि का कार्यपटु और किफायती है।

परन्तु ऐसे उद्योगपति को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है —

(१) एक व्यक्ति के पास साधारणतः बहुत कम पूंजी होती है, जिससे कि व्यवसाय का विस्तार, चाहे वह कितना ही लाभदायक क्यों न हो, नहीं हो पाता।

(२) एक व्यक्ति अपने व्यवसाय के विभिन्न अंगों की अच्छी तरह देख-भाल नहीं कर सकता। यह उसको बहुत-सी किरायाओं से तथा लाभदायक विनियोग (investment) की सुविधाओं से वंचित कर देती है।

(३) व्यवसाय के ऐसे आदिम ढंग से संगठित होने पर न तो पहले नम्बर का व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है और न कोई देना व्यवसाय की अगुआई ही पा सकता है।

२. भागिता (Partnership)—‘एक व्यक्ति’ व्यवसाय की सीमाओं से दूसरे प्रकार का व्यवसाय संगठन अर्थात् भागिता उत्पन्न होती है। दो, तीन या अधिक मनुष्य संगठन करते हैं, पूंजी एकत्रित करते हैं और निश्चित अनुपात में लाभ-हानि में भाग लेने के लिए राजी होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य उस व्यवसाय में बराबर पूंजी लायें। एक पार्टनर (साझेदार) केवल अपनी योग्यता का ही उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि लाभ और हानि एक ही अनुपात में बाँटे जायें। भागिता की शर्तें अधिक लोचदार होती हैं। पार्टनरों का दायित्व तथा अधिकार (responsibilities and privileges) भागिता के विलेख (partnership deed) में स्पष्ट होते हैं, जिनको आपसी सम्मति से बदला जा सकता है। जब तक व्यवसाय सस्था के कार्य वैध (legal) हैं, तब तक राज्य की ओर से कोई नियंत्रण नहीं हो सकता।

भागिता समस्त आसत दर्जे वाले व्यवसायों के लिए एक बहुत उचित व्यवसाय-व्यवस्था है जहाँ कि स्वामी के व्यक्तिगत प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, आटे की मिल, हाँजरी की फैक्टरी, इमारती सामान के कारखाने, बरफ के कारखाने, खेल-कूद का सामान बनाने वाले कारखाने, वैकिंग सस्थाएँ आदि। यद्यपि भागिता व्यवसाय इतने अधिक नहीं है जितने कि एक व्यक्ति वाले व्यवसाय हैं, तो भी ये बहुत ही प्रचलित तथा महत्त्वपूर्ण हैं।

भागिता के लाभ (Advantages of Partnership)—संगठन के इस रूप के बहुत-से लाभ हैं —

(१) अकेले उद्यमी की अपेक्षा उनके पास अधिक साधन होते हैं। वे अधिक पूंजी, अधिक व्यवसाय, योग्यता तथा अधिक जन-शक्ति (man-power) उपयोग करते हैं।

(२) सब के परस्पर लाभ के लिए व्यक्तिगत मद्योग स्थापित करना सम्भव हो जाता है। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय की जमीन की एक कड़ी है।

(३) व्यवसाय अधिक बड़े पैमाने पर चलाया जा सकता है, जिससे अनेक प्रकार की वचत हो सकती है। उदाहरणार्थ स्थान की, औजारों की, श्रम विशेष तथा मशीनों की, क्रय-विक्रय में लाभ की, खोज, अनुभव तथा विज्ञापन पर अधिक व्यय की किरायात।

(४) स्वामित्व तथा प्रबन्ध का मिलान कुशलता तथा किरायाती कार्यों को प्रोत्सा-

हित करता है। साझेदारो को हानि उठानी पडती है और यदि लाभ हो तो मुनाफे में रहते हैं।

(५) भागिता व्यवसाय-व्यवस्था में आसानी से परिवर्तन लाये जा सकते हैं और बहुत ही उचित और शीघ्र निर्णय किये जा सकते हैं। उनके कार्य में देरी नहीं होती।

(६) असीमित दायित्व का होना साझेदारो के सट्टे की प्रवृत्तियो तथा जोखिम और अदूरदर्शी उद्योग करने को रोकता है। और वे दूसरी ओर समय के साथ चलने की योग्यता तथा साधन रखते हैं।

भागिता पीरुपेय, गतिशील, लोचदार तथा कुशल मानी जाती है यदि वे एक होकर कार्य करें।

साझेदारी से हानियाँ (Disadvantages of Partnership)—यदि साझेदार पूर्णतया हादिक सहयोग से कार्य करते हैं तो व्यवसाय अवश्य ही ऊँचा उठेगा। परन्तु इसमें 'यदि' बहुत महत्त्वपूर्ण है।

(१) वास्तविक व्यवहार में साझेदार बहुत ही स्वार्थी होते हैं और सबसे कम कार्य करके अधिकतम फल पाने का प्रयत्न करते हैं। कोई आपत्ति पडने पर वे एक दूसरे को दोष देते हैं। अनकूलता के वजाय प्रतिकूलता होती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भागिता अल्पकालीन (short-lived) होती है।

(२) कानून के अनुसार किसी साझेदार की मृत्यु, दिवालियापन अथवा पागलपन पर भागिता का अन्त हो जाता है। अतएव वह निरन्तर नहीं रह सकती।

(३) परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई असीमित दायित्व (unlimited liability) की है। हरएक साझेदार को दूसरे को बाधने (bind) का अधिकार प्राप्त है। असफल होने पर भागिता-ऋण (partnership debt) किसी भी साझेदार से वसूल किया जा सकता है। असीमित दायित्व व्यवसाय-संस्था की रीति को भीरु तथा असाहसी बना देता है।

(४) इसके अतिरिक्त साझेदारी के स्रोत इतने सीमित होते हैं कि साझेदार कोई बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। स्पष्टत रेलवे अथवा जहाज, यातायात, बीमा अथवा लोहे तथा इस्पात का कार्य भागिता से नहीं किया जा सकता।

सगठन के इस रूप से आधुनिक व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकताओ की पूर्ति नहीं हो सकती।

सीमित भागिता (Limited Partnership)—साधारणत साझेदारो का दायित्व असीमित होता है परन्तु कानून एक साझेदार को अपना दायित्व स्वीकृत से कुछ मात्रा तक सीमित रखने के लिए स्वीकृति दे सकता है। लेकिन ऐसा साझेदार प्रवन्ध में कोई भाग नहीं ले सकता। सीमित भागिता में भी कुछ ऐसे साझेदार होने पडते हैं जिनका दायित्व असीमित हो। व्यवसाय-संस्था के सारे साझेदार अपने दायित्व को सीमित नहीं कर सकते।

३ सयुक्त समवाय कम्पनी (Joint-Stock Company)—नि सन्देह ज्वाइंट स्टॉक (सयुक्त समवाय) कम्पनी व्यवसाय सगठन का अधिक महत्त्वपूर्ण और

प्रचलित रूप है और यह साझेदारी की कठिनाइयों तथा अयोग्यताओं को दूर करने का प्रयत्न करती है।

ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी दो प्रकार की होती है —

- (१) निजी सीमित कम्पनिया (Private Limited Companies),
- (२) सार्वजनिक सीमित कम्पनिया (Public Limited Companies)।

(१) निजी सीमित कम्पनियाँ—एक निजी सीमित कम्पनी में, शेयरों के अलावा कम-से-कम दो तथा अधिक-से-अधिक ५० व्यक्ति होते हैं। जब एक भागिता व्यवसाय के साझेदारों की हानि उठाने की शक्ति अधिक बढ़ जाती है तो वे अपने दायित्व को एक निजी सीमित कम्पनी की रजिस्ट्री करा कर परिमित कर सकते हैं। इस ढंग से वे व्यवसाय का नियन्त्रण अपने हाथों में रख सकते हैं।

सगठन के इस रूप में भागिता के प्रत्येक लाभ जैसे गोपनीयता, शीघ्रता, निज-स्वार्थ जिससे कफायत तथा कार्यपटुता बढ़ती है, अपरिमित दायित्व (unlimited liability) से पैदा होने वाली हानियों से मुक्त पाये जाते हैं। एक निजी सीमित कम्पनी को व्यवसाय आरम्भ करने से पहले कम-से-कम पूँजी का इकट्ठा करना आवश्यक नहीं होता और न उसको इस बात की आवश्यकता होती है कि वह ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी के रजिस्ट्रार के यहाँ वार्षिक आय-व्यय का विवरण अथवा सतुलन-पत्र (balance sheet) जमा करे। यह जनता से अपनी शेयर पूँजी (share capital) में जमा करने के लिए नहीं कह सकती। शेयरों का हस्तान्तरण भी नहीं हो सकता।

अधिकतर माध्यमिक श्रेणी के उद्योग इस तरह चलाये जाते हैं। यदि व्यवसाय अच्छा चलता है तो वे अन्त में सार्वजनिक सीमित कम्पनियों (public limited companies) में निश्चित ही परिवर्तित हो जाती हैं।

(२) सार्वजनिक सीमित कम्पनियाँ—कम-से-कम ७ सदस्यों से सार्वजनिक सीमित कम्पनी बनाई जा सकती है। इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है। प्रवर्तकों (promoters) को ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास निवेदन करना पड़ता है। (क) मेमोरेण्डम ऑफ़ एसोसियेशन (Memorandum of Association) जिसमें कम्पनी का नाम, हैड ऑफिस, उसके उद्देश्य, हिस्से का वर्णन तथा हिस्से की पूँजी की मात्रा तथा यह प्रकाशन कि हिस्सेदारों का दायित्व परिमित है। (ख) सन्धा के अन्तर्नियम (Articles of Association) जिसमें कम्पनी के उपनियम होते हैं।

यदि रजिस्ट्रार सतुष्ट है कि समस्त वैध आवश्यकताएँ पूरी कर दी गई हैं तो वह समावेशन प्रमाण-पत्र (certificate of incorporation) दे देगा। लेकिन वह व्यवसाय आरम्भ नहीं कर सकती जब तक कि निर्गमित पूँजी (issued capital) की कम-से-कम प्रतिशत जमा न हो चुकी हो। यह पूँजी लगाने वालों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए होती है ताकि पूँजी लगाने वालों को फास कर उनके धन को झूठी कम्पनियों के प्रवर्तकों (promoters) द्वारा ठग न लिया जाये।

शेयर पूँजी (share capital) एक साथ इकट्ठा नहीं किया जाता।

सिद्धान्त में सार्वभौमिक है, वास्तव में यह अल्पजन वाला (oligarchy) है। संचालक वास्तव में अपने आप निश्चित होते हैं और जब तर्क चाहते हैं रहते हैं।

(२) कुछ संचालक सिद्धान्तहीन होते हैं और मीचे-सादे रूपया लगाने वाले को ठगते हैं। वे आन्तरिक जानकारी को अपनी भलाई के लिए प्रयोग करते हैं।

(३) झूठा प्रचार जनता को धोखा देता है। विवरण पत्रिका में जो अच्छी दशा बताई जाती है वह कभी-कभी बिल्कल झूठ होती है।

(४) संचालक बहुधा वकील तथा डाक्टर होने हैं जिनका व्यवसाय के कार्य में न तो कोई अनुभव और न कोई ज्ञान होता है। उनकी योग्यता केवल शेयर की योग्यता होती है।

(५) ऐसे व्यवसाय में व्यक्तिगत भलाई वृद्धि के भाव का अभाव रहता है। व्यवसाय के मालिक अर्थात् शेयर होल्डर केवल लाभ ही से सम्बन्ध रखते हैं। नीरुरो के कल्याण का ध्यान वेतन पाने वाले मैनेजर नहीं करते। वे इस वहाने में अपनी असमर्थता दिखाते हैं। यह मानवीय भाव की हानि एक बड़ी हानि है। व्यवसाय पूर्णतः स्वार्थी हो जाता है।

(६) देनदारी परिमित होने और शेयर हस्तांतरित होने के कारण शेयर होल्डर कम्पनी में रुचि नहीं रखते। उनमें से बहुत कम मीटिंग में जाते हैं। उनकी उदामीयता से सारी शक्ति कुछ संचालकों के हाथ में आ जाती है।

(७) कभी-कभी संचालक अदूरदर्शी उद्योगों को चालू कर देते हैं क्योंकि दूसरों के रूपयों से खेलना आसान है।

(८) व्यवस्था प्रबन्ध की शक्ति से बाहर और बहुत ही भारी हो जाती है। यह जल्दी निर्णय नहीं कर सकती। यह उन व्यवसायों के लिए ठीक है जो कि उन वने हुए नियमों पर चल सकते हैं। इस प्रकार व्यवसाय सस्या ऐसे कामों के लिए उचित नहीं है जो कि नये हो अथवा जिनमें स्थिति के बदलने से पद्धति तथा उत्पादन में निरन्तर परिवर्तन की आवश्यकता होती है या जहाँ ग्राहक कठिनाई से वन पाते हैं और या किसी मामूली वहाने से विगड़ जाते हैं।

इन सब लाभों और हानियों के उपरान्त भी यह कहा जा सकता है कि ज्वाइंट स्टॉफ सिद्धान्त की अनपस्थिति में देश का औद्योगिक विकास तथा प्राकृतिक साधनों का कुशल उपयोग सम्भव नहीं हो सकता। यह उत्पादन का एक कुशल तथा शक्तिशाली तंत्र है।

५ सूत्रधारी कम्पनी (Holding Company)—सूत्रधारी कम्पनी एक विधि है जिसके द्वारा एक कम्पनी दूसरी कम्पनी पर नियन्त्रण रखती है। मान्य विधि यह है कि कम्पनी दूसरी कम्पनी के अधिकतम शेयरों को खरीद लेती है। जो कम्पनी शेयरों को खरीदती है और दूसरी पर नियन्त्रण रखती है, उसको सूत्रधारी कम्पनी कहते हैं और वह कम्पनी जिसके अंश इस प्रकार खरीदे जाते हैं उसको सहायक कम्पनी (subsidiary company) कहते हैं। कभी-कभी एक कम्पनी दो या तीन जाने वाली कम्पनियों के अधिकतम शेयरों को खरीदने के लिए स्थापित की जाती है। कुछ हालतों में सूत्रधारी कम्पनी स्वयं एक जाने वाली कम्पनी है तथा वह उन एक दो कम्पनियों को

खरीद लेना चाहती है जो उससे प्रतियोगिता (competition) रखती है।

सूत्रधारी कम्पनी की विधि सयुक्तीकरण की किफायतें (economies of integration) लाने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। दूसरी कम्पनी के औद्योगिक तथा योग्य व्यक्तियों का लाभ उठाया जाता है, माल तथा स्टोर के एक साथ खरीदने से विभिन्न लाभ उठाये जा सकते हैं। सामूहिक व्यवस्था के कारण प्रवन्ध सम्बन्धी लाभ होते हैं, पेटेन्ट एकत्रित किये जा सकते हैं। जब कुछ कम्पनियों की अपने को मिटाने की अनिच्छा के कारण प्रत्यास (Trust) बनाना असम्भव प्रतीत होता है, तो सूत्रधारी कम्पनी की विधि बहुत ही सुविधाजनक मालूम पड़ती है। ट्रस्ट (न्यास) के रूप में यह लाभदायक सिद्ध होती है और व्यापारी सघ (Cartel) से ज्यादा अच्छी रहती है, चूँकि दूसरी व्यवस्था के अन्तर्गत उसके सदस्यों की निष्ठा (loyalties) मिलनी जरूरी नहीं होती।

सूत्रधारी कम्पनी के कुछ दोष भी हैं। नियन्त्रण करने वाला ग्रुप शेयरों की अधिक संख्या रखता है और शेयर होल्डरों के अल्प पक्ष का ध्यान रखे बिना मनमानी कर सकता है। यह विधि सक्रामक (contagious) है, इसके अग दूर-दूर फैल जाते हैं और यह अपने अनुयायियों तथा सहायकों की लम्बी जजीर बना लेते हैं। शेयर होल्डरों का रूपया काम में लाया जाता है। परन्तु कम्पनी के कार्यों में उनका कोई वस नहीं। यह उचित तथा सार्वलौकिक नहीं है।

जनता के दृष्टिकोण से सूत्रधारी कम्पनी की एक और हानि पाई जाती है। यदि सहायक प्राइवेट कम्पनी है तो वह ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों के रजिस्ट्रार को स्थिति विवरण देने को बाध्य नहीं है। सूत्रधारी कम्पनी यदि चाहे तो सहायक कम्पनी को अपने व्यवसाय की हालत बताने के लिए बाध्य नहीं है। इस तरह पब्लिक को वास्तविक स्थिति से अपरिचित रखा जाता है।

जर्मनी में सूत्रधारी कम्पनियाँ अधिक हैं। बैंक कई औद्योगिक कम्पनियों में रूपया लगाते हैं और संचालकों के कार्यालय आपस में जुड़ (inter-locked) जाते हैं। भारत में ऐसी कम्पनियाँ कम हैं। प्रवन्ध अभिकर्ता पद्धति (managing agency system) इसके विल्कुल निकट है, जिसमें प्रवन्धक अभिकर्ताओं की मैनेजिंग एजेंटों की निजी सन्ध्या है जो अपने निजी बैंक, बीमा कम्पनियाँ, सीमेन्ट, शक्कर तथा कागज के कारखाने, वायुमार्ग आदि चला सकती हैं। इस पद्धति से वितरण तथा उत्पादन में सयुक्तीकरण की किफायतें होंगी।

६. सहकारी संगठन, उत्पादक-सहकारिता (Co-operative Organisation, Producers' Co-operation)—पूजीपति व्यवस्था (capitalistic enterprise) से पृथक् सहकारी व्यवस्था भी है। श्रमिक यह जानते हैं कि उद्योगपति लाभ का अधिकतम भाग ले जाते हैं। वे यह जानकर कि बिना उद्योगपति के उद्योग चला सकते हैं, श्रमिक व्यवसाय का कार्य स्वयं करना निश्चित करते हैं। वे कुछ पूजी आपस में इकट्ठी करते हैं तथा शोष उधार लेते हैं, वे अपना अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक स्वयं चुन लेते हैं तथा कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। सारे खर्च, पूजी पर व्याज, वेतन

नौकर समझता है, और यही सारा अन्तर है।

सरकार द्वारा व्यवस्थापित व्यवसाय में प्रति दिन का कार्य उत्तरदायित्व का स्थान लेता है। वहा अफसर का डर रहता है। वहा काम में अधिक देरी होती है। एक कागज बहुत से अफसरो के पास से गुजरता है और उसमें कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं करता।

सरकारी उद्यम में कुछ अन्य दोष भी हैं जैसे जल्दी-जल्दी बदली (transfers), भाई-भतीजावाद (nepotism), सिफारिश से नौकरी पाना, तथा उन्नति योग्यता पर निर्भर न होना।

यदि उसमें हानि होती है तो कोई भी फिक्र नहीं करता। उसमें शेयर होल्डरो का कोई सहायक अंग नहीं होता जिसका सञ्चालक सामना करें। कर देने वाला गुगा होता है। यदि उसमें हानि होती है तो कोई यह नहीं सोचता कि वह उसकी हानि है। उसके प्रतिनिधि विधानसभाओ (legislatures) में निस्सन्देह अधिक शोर मचायेंगे, परन्तु सरकार के दल के सदस्यो की सख्या प्राय अधिक होती है इसलिये कार्य चलता रहता है।

अतएव यह सुझाया गया है कि केवल सुरक्षित व्यवसाय जो कि नित्य-कर्म (routine)की भाँति हैं, जहा वाजार को प्राप्त करने वाले तथा उनको सभालने का प्रश्न नहीं है, और जिनका वास्तव में एकाधिकार होता है, राज्य को दिये जा सकते हैं। विचार लाभ उठाने का नहीं है परन्तु स्वच्छता तथा सेवा की नियम व्यवस्था प्राप्त करने का है जिससे पब्लिक को लाभ कमाने वाले लालची उद्यमियो की दया पर आश्रित न रहना पड़े।

तो भी हमारा अनुमान है कि सरकारी त्रुटिया बढा कर कही गयी है। बडे व्यवसाय में चाहे वे सरकारी हो, चाहे व्यक्तिगत हो, यथाचार (red-tapism) पर अधिक ध्यान दिया जाता है। उसमें भी कही सञ्चालन-शक्ति (initiative) की कमी पाई जाती है।

रूस के अन्भव की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी अकुशलता केवल कल्पना है। रूस की पचवर्षीय योजना की सफलता आश्चर्यजनक कही जा सकती है। अब लोग रूसी रीति अर्थात् राज्य उद्यम की आलोचना करने से पूर्व सोचेंगे। लोक राज्य में नागरिको को प्रोत्साहन तथा रक्षा कवच देकर उनके जीवन में नये मूल्यो को जन्म दिया जाता है। अब पुराने वाक्याशो (premises) पर तर्क करना समभव नहीं है। राज्य उद्यम का क्षेत्र दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। भारत में राज्य उद्यम की सफलताये प्राइवेट उद्यम से कम नहीं है।

निर्देश पुस्तकें

- Taussig, F W —Principles of Economics Vol I, (1946)
 Benham, F —Economics
 Hartley Withers—Stocks and Shares

एकाधिकार

(MONOPOLY)

१ एकाधिकार का क्या अर्थ है ? (Meaning of Monopoly)

—कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी वस्तु की पूर्ति (supply) की शक्ति, कम या अधिक मात्रा में, किसी एक उत्पादक या उत्पादकों के एक समूह के पास आ जाती है। इस प्रकार वे उत्पादक उस वस्तु की कीमत पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखते हैं। तब यह कहा जायेगा कि उन उत्पादकों ने उस वस्तु पर एकाधिकार कर लिया है या उनका एकाधिकार हो गया है। कीमत पर प्रभाव डालने की योग्यता ही एकाधिकार का सार है। इसका अर्थ है कि प्रतियोगिता थोड़े अथवा पूर्णरूप से हट जाती है। एकाधिकारी किसी वस्तु का अकेला उत्पादनकर्ता होता है। उस उद्योग विशेष की वही फर्म होती है। इसलिए फर्म उद्योग कहलाता है। “जैसा कि हम कह सकते हैं, शुद्ध एकाधिकार (pure monopoly) की स्थिति तब होती है, जब कोई उत्पादक इतना शक्तिशाली हो जाय कि वह उपभोक्ताओं की, सदैव ही, सारी आय ले सके, उसकी पैदावार का चाहे जो स्तर हो। ऐसी स्थिति उस समय होती है जब एकाधिकारी की फर्म के औसत प्रतिकूल वक्र (average reverse curve) की लोच एकीय (unitary elasticity) होती है (अर्थात् rectangular hyperbola) तथा ऐसे स्तर पर होती है कि सभी उपभोक्ता उस फर्म के उत्पाद पर, कीमत चाहे जो हो, अपनी सारी आय खर्च करते हैं।”^१ किन्तु ऐसा बहुत ही कम होता है कि प्रतियोगिता विल्कुल ही हटा दी गई हो। जिस प्रकार सम्पूर्ण प्रतियोगिता बहुत कम देखने में आती है, उसी प्रकार पूर्ण अथवा शुद्ध एकाधिकार भी बहुत कम होता है। वास्तविक जगत् में अकेला उत्पादनकर्ता कोई नहीं होता, एकाधिकारी अपूर्ण प्रतियोगी नहीं है। एकाधिकार प्रतियोगिता (monopolistic competition) होता है। अर्थशास्त्र की परिभाषा में “एकाधिकार” शब्द से व्यवसाय के विभिन्न प्रकार के संगठन या गुटों (combinations) से तात्पर्य होता है, जैसे ट्रस्ट या कार्टेल (trusts and cartels) आदि।

एकाधिकार कभी-कभी प्राकृतिक (natural), कानूनी (legal), सामाजिक (social), और स्वैच्छिक (voluntary) एकाधिकारों में विभाजित किये जाते हैं। प्राकृतिक एकाधिकार प्राकृतिक दुर्लभता (scarcity) के कारण होते हैं। कानूनी एकाधिकार एकस्व (patent) के कारण होते हैं। सामाजिक एकाधिकार से अभिप्राय गैस, विजली, पानी के वितरण जैसे जनोपयोगी

सेवा कार्यों (public utility service) से है। ये स्वैच्छिक एकाधिकार उत्पादकों में स्वयं किये गये समझौतों के कारण होते हैं और वे मगठन के भिन्न-भिन्न तरीकों का संकेत करते हैं। ये करार (agreements) इस प्रकार हो सकते हैं (क) पैदावार में कमी अथवा नियमन (reduction or regulation in output), (ख) कीमत नियत करना तथा विक्री की दूसरी शर्तें (fixation of price and other terms of sale), तथा (ग) प्रदेश विभाजन (division of territory)।

२. गुटबन्दी के भेद (Types of combinations)—व्यापार मगठन के अनेक प्रकार के प्रख्यात भेद हैं। क्षैतिज मगठन (horizontal combination) उस समय होता है जबकि मिलने वाले कारोबार एक ही तरह के उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। खड़ा मगठन (vertical combination) उस दशा में होता है जबकि उत्पादन की भिन्न अवस्थाओं को मिश्रित किया जाय जैसे कि कताई और बुनाई। ट्रस्ट (trust) और कार्टेल (cartels) मगठन के दो प्रख्यात भेद हैं।

ट्रस्ट (Trust)—जब कई कम्पनियाँ आपस में मिलकर पूर्णतया एक नई कम्पनी की रचना करती हैं, तो इसको ट्रस्ट कहते हैं। उन मिलने वाली कम्पनियों का कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता, बल्कि पूर्णतया एक नई कम्पनी बन जाती है। इसे एक सबिलयन (merger) भी कहा जा सकता है। सन् १९३६ में भारत की तात्कालिक सब सीमेंट कम्पनियों ने मिलकर एक नई कम्पनी बनाई जिसका नाम ए सी सी (एसोशिएटेड सीमेंट कम्पनीज ऑफ इंडिया) रखा गया।

कार्टेल (Cartels)—परन्तु मिलने वाले कारोबार अपना पृथक् अस्तित्व नहीं छोड़ना चाहते, तब वे एक कार्टेल बनाते हैं। ये कारोबार अलग-अलग चलते हैं और उनका प्रबन्ध भी अलग-अलग होता है। परन्तु वे सब अपनी उत्पादित वस्तुओं को एक साझी विक्रय-संस्था को दे देते हैं। सन् १९३६ में भारत में चीनी के कारखानों ने मिलकर एक अखिल भारतीय खाद्य सिंडीकेट (All-India Sugar Syndicate) स्थापित किया और सबने अपनी तैयार की हुई चीनी के बेचने का कार्य उसको सौंप दिया। 'कार्टेल' शब्द का अभिप्राय ऐसे ही प्रबन्धों से है।

ट्रस्ट और कार्टेल में अन्तर जानना आवश्यक है। ट्रस्ट में अगभूत कारोबारों (constituent concerns) की जगह एक नया कारोबार ले लेता है। कार्टेल में सब कारोबार अपना अलग-अलग अस्तित्व स्थापित रखते हैं। ट्रस्ट में उत्पादन और वितरण दोनों एक ही केन्द्रित अधिकार में रहते हैं, जबकि कार्टेल में केवल वितरण ही एक केन्द्रित अधिकार में रहता है और उत्पादन कार्य भिन्न-भिन्न फर्मों द्वारा होता है। ट्रस्ट एक स्थायी संस्था है, जिसमें सम्मिलित कारोबार अपने अस्तित्व को पूर्णतया मिटा देते हैं, परन्तु दूसरी ओर कार्टेल प्रायः थोड़े काल के लिए होता है। कार्टेल में सम्मिलित कारोबार अपने-अपने हित की ओर निरन्तर ध्यान देते रहते हैं और जब कभी उन्हें जचता है तो सम्मिलित समूह से अलग हो जाते हैं। कुछ बातों में ट्रस्ट से कार्टेल अच्छा समझा जाता है। यह अधिक लोचदार (flexible)

है। वह उत्पादको को अपने-अपने कारोबार को कुशलतापूर्वक चलाने की स्वतन्त्रता देता है। ट्रस्ट में अत्यधिक पूंजी लगाने का भय रहता है।

प्रबन्धक कम्पनी (Holding Company)—हम यह पहले बतला चुके हैं कि एक कम्पनी किस प्रकार दूसरी कम्पनी पर नियन्त्रण कर सकती है। (अध्याय १४, विभाग ५)। कहा जाता है कि मन् १९११ में न्यू जर्सी की स्टैंडर्ड आयल कम्पनी लगभग ४० दूसरी कम्पनियों पर नियन्त्रण करती थी। पंजाब नेशनल बैंक लाहौर के नेशनल बैंक पर नियन्त्रण रखता है। डालमिया कम्पनी ने भारत बीमा कम्पनी पर नियन्त्रण किया।

समूहीकरण (Pool)—इस शब्द का अभिप्राय उन समझौते से है जो मंडियों को बांटने, लाभों के भागीदार होने और उत्पादन को नियत करने के लिए किए जाते हैं। बर्फ के कारखाने में ये अधिक प्रचलित हैं। इनकी लोकप्रियता इसलिए है कि इनके नियम बहुत लोचदार होते हैं और सरलता से बनाये जा सकते हैं। वे कीमत और उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। परन्तु उनकी सबसे बड़ी हानि यह है कि वे अस्थायी होते हैं और प्रबन्धकों में स्थिरता नहीं होती। उनमें प्रायः झगड़े होते रहते हैं। उनका अन्त उतनी ही शीघ्र हो जाता है जितनी शीघ्र वे बनते हैं।

रिंग (Ring)—जहाजी कम्पनियों के सम्मिलन को रिंग (ring) या कांफ्रेंस (conference) कहते हैं। जहाजी कम्पनियाँ अपनी प्रतिद्वन्द्वी कम्पनियों से आस्यगित छूट प्रणाली (deferred rebate system) जैसी रीतियों के द्वारा अच्छी डिग्रा प्राप्त कर लेती हैं।

बाजार को मुट्ठी में करना (Corner)—किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने के प्रयास को "मुट्ठी में करना" कहते हैं। यदि एक मारवाडी सेठ या उनका एक समूह भारतीय कपास की एक वर्ष की संपूर्ण पैदावार को खरीदने का प्रयत्न करता है ताकि बाजार में वह उमड़े ऊँचे दामों पर बेच सके, तो उसके इस प्रयत्न को "मुट्ठी में करना" कहेंगे। आजकल संचार तथा परिवहन के उन्नत साधनों के कारण इस प्रकार के प्रयत्न प्रायः असफल ही रहते हैं।

३. सघ के लिए अनुकूल कारण (Factors Favourable to Combination)—अनेक कारण ऐसे हैं, जिनसे बड़े-बड़े व्यावसायिक सघ स्थापित होते हैं। कोई भी वस्तु, जो सहयोग (co-operation) को सुविधा प्रदान करती है, या अपने हित के लिए किसी कार्य को करने पर मजबूर करती है, वह सघ की स्थापना में सहायता करती है। ऐसे कुछ कारण नीचे दिये जाते हैं—

(क) कच्चे मालों की प्राकृतिक दुर्लभता अथवा नियन्त्रण से एकाधिकार को बढ़ावा मिलता है।

(ख) तटकर (tariffs) लगाने से विदेशी प्रतियोगिता या तो सीमित हो जाती है या गिराविल हो जाती है। इसलिए तटकर को ट्रस्ट का जन्मदाता कहा जाता है। विदेशी प्रतियोगिता से मुक्त होकर व्यवसायी देश में से प्रतियोगिता को दूर करने के लिए संगठित होते हैं, ताकि उन्हें अधिक-से-अधिक लाभ मिल सके।

(ग) जब निर्माताओं (manufacturers) की संख्या बहुत कम होती है और उद्योग किसी विशेष स्थान में सीमित होता है, तो उस समय सघ बनना सरल होता है। यदि सरकार नवागन्तुको (new-entrants) पर प्रतिबन्ध लगा देती है, या उस व्यवसाय को आरम्भ करने के लिए अत्यधिक पूँजी की आवश्यकता होती है तो निर्माताओं की संख्या कम हो जायेगी।

(घ) यदि प्रतियोगी फर्म समान रूप से शक्तिशाली हैं, तो उनकी परस्पर गुट बनाने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी बड़ी फर्म किसी कमजोर फर्म से, जिसे वह कुचल सकती है, गुट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होती।

(च) प्रामाणिक वस्तुएँ (Standardised products)—यदि उत्पन्न की हुई वस्तुएँ एक ही प्रकार की हैं तो उसके एक उत्पादक और दूसरे उत्पादक में अन्तर नहीं होगा। इसमें सघ सरलता से स्थापित हो जाता है।

(छ) किसी देश की परम्परा भी संयुक्त कार्य के लिए अनुकूल होने पर सघ निर्माण में सहायक बनती है।

एकाधिकार की शर्तों अथवा एकाधिकार शक्ति प्रकट होने में, प्रो० पीगू दो बातें बताते हैं—

(क) जब उद्योग के किसी विशेष वैयक्तिक संस्थापन (typical individual establishment) को बड़े स्तर पर चलाना किफायती होता है, तथा

(ख) जब व्यवसाय (business) के किसी विशेष वैयक्तिक इकाई (typical individual unit) को बड़े स्तर पर चलाना किफायती होता है, अर्थात् जब कई संस्थापनों का नियंत्रण एक प्राधिकारी (authority) के हाथ में होता है, जैसे भारत में प्रचलित मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली।

बेन्हम कहता है, “एकाधिकार की सफलता की कुंजी पैदावार का नियंत्रण है।” जब तक एकाधिकारी का पूर्ति (supply) पर नियंत्रण नहीं है उसकी एकाधिकार शक्ति नष्ट हो जायेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे नए लोगों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। बेन्हम कहता है “वे परिस्थितियाँ जो नवागत (newcomer) को आने से रोकती हैं अथवा रोक्क हैं, और इस तरह पैदावार की वृद्धि में बाधा डालती हैं, ऐसा प्रतिष्ठान है जिस पर एकाधिकार की शक्ति आधारित है।” उत्पादन के क्षेत्र में किसी आवश्यक वस्तु का नियंत्रण, विशेष तथा कम लागत की मशीनों की जरूरत तथा एकस्व अधिकार (patent rights) नए उद्यमियों को उसके क्षेत्र से बाहर रखेंगे और उसकी (एकाधिकारी की) शक्ति बनाए रखेंगे।

४. सघ के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ (Circumstances Unfavourable to Combination)—कुछ ऐसी भी अवस्थाएँ हैं, जो सघ के निर्माण में रुकावट पैदा करती हैं। यदि नव-आगन्तुको के लिये विशेष कठिनाइयाँ न हों तो, उस दशा में सघ अथवा एकाधिकार की संभावना बहुत कम रह जाती है। यदि उत्पादक इधर-उधर फैले हुए हैं और प्रत्येक उत्पादक थोड़ा-थोड़ा माल बाजार में भेजता है, तो उस दशा में भी सघ का बनना कठिन होगा। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में उसके गुण

का विशेष ध्यान रखना होता है और उस पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक होता है; तो उस समय भी किन्नी वडे सघ के बनने की संभावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जिस समय कुछ उत्पादक पहले से ही किसी एकाधिकार की अवस्था में होते हैं, तब भी उनके लिए सघ स्थापित करने का आकर्षण कम होता है।

संघ को आतंकित करने वाली शक्तियाँ (Forces that threaten a combination)—एक वार के बने सघ को हमेशा ही बनाये रहना आसान नहीं होता। दो शक्तियाँ ऐसी हैं जो उसको निरन्तर जुदा (disintegrate) करने का प्रयत्न करती रहती हैं। ये शक्तियाँ भीतर और बाहर से अपना कार्य करती रहती हैं।

सघ में भाग लेने वाली कुछ ऐसी फर्में होती हैं जो यह अनुभव करती हैं कि समझौता उनकी निष्ठा (loyalty) पर अधिक दबाव डाल रहा है। उन्हें पता चलता है कि सघ उनके हित में कार्य नहीं कर रहा है। हो सकता है कि सघ में सम्मिलित होने वाली फर्मों में से कुछ ने टैकनीकल उन्नति कर ली है, और वे यह समझते हैं कि वे अपना व्यवसाय स्वयं देखने में समर्थ हैं। यदि समझौते की रुकावट न होती तो वह बाजार को अधीन कर लेने की आशा करते। संभवतः उन्हें अपनी सामर्थ्य से कम काम करना होता है और उन्हें पता होता है कि जिस शक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है, वह अत्यधिक हानि है। संभवतः कोटा (quota) नियत करना अन्यायपूर्ण समझा जाता है। कभी-कभी बुरे समय का सामना करने के लिए भी सघ का उपयोग किया जाता है और जब समय में परिवर्तन हो जाता है तो सघ की भी आवश्यकता नहीं रहती। योग्य फर्में अनुभव करने लगती हैं कि वह अयोग्य फर्मों को जीवित रखने के लिए स्वार्थ त्याग कर रही हैं। इस प्रकार व्यापार और उद्योग में परिवर्तन होते रहने में सघ में सम्मिलित सब फर्मों में निष्ठा (loyalty) स्थापित रखना अति कठिन है और कभी-कभी असंभव भी हो जाता है। इन्हीं कारणों से निरन्तर परित्याग हो रहा है।

किन्तु सघ को छिन्न-भिन्न करने वाली केवल यही शक्तियाँ नहीं हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो बाहर से आक्रमण करती हैं। कभी-कभी नई फर्मों का दबाव काफी बढ़ जाता है। नई फर्मों के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वे कम समय काम करें, जैसा कि पुरानी फर्मों को कीमतें ऊँची करने के लिए करना पड़ता है। सघ द्वारा रक्षित ऊँची कीमतों से तो वे लाभ उठाती हैं, किन्तु स्वतः पूर्ण सामर्थ्य से काम करती हैं। इस प्रकार बढ़े हुए उत्पादन से बाजार सस्ता होने लगता है। इससे वचने के लिए सघ को उत्पादन कम करना पड़ता है। इस प्रकार बाहर वाले अथवा नई फर्मों लाभ उठाती हैं और सघ हानि सहता है। जब यह बाहरी दबाव अत्यधिक हो जाता है तो संघ को समाप्त करना पड़ता है, और सघ के सब सदस्यों को काम करने की स्वतन्त्रता दे दी जाती है। सन् १९३० के लगभग भारतीय जूट मिल एसोसिएशन के सदस्यों को ऐसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जूट मिल्स एसोसिएशन को अपने सदस्यों को कार्य-स्वतन्त्रता के लिए मुक्त करना पड़ा और समझौता समाप्त हो गया।

इस प्रकार भीतर और बाहर की शक्तियों से आतंकित सघ अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता।

५. एकाधिकारो के गुण तथा दोष (Merits and Demerits of Monopolies)—एकाधिकार स्थापन प्रायः बड़ी व्यापार-संस्थाएँ होती हैं और इस प्रकार उन्हें बड़े स्तरके उत्पादन की सभी किफायतें प्राप्त होती हैं। नियमित तथा सतोपजनक पूर्ति निश्चित होती है और वृहत् स्रोतों के कारण बुरे समय का भली प्रकार सामना कर सकते हैं। गूट (combination) दूसरे सदस्यों के आविष्कारों तथा व्यापार चिह्नों (trade marks) का उपयोग कर सकता है। उन्हें ज्वाइंट-स्टॉक (संयुक्त-समवाय) सिद्धान्तों के लाभ भी प्राप्त हैं। इसके अलावा उन्हें अपनी एकाधिकार स्थिति से भी कुछ फायदे होते हैं। इस तरह वे क्रय-विक्रय में किफायत वरत सकते हैं। उन्हें उत्तम कौशल (superior skill) प्राप्त है और इसलिए दक्षता (efficiency) का उच्च स्तर प्राप्त है। वितरण (distribution) की ओर वे अपने विक्री विभागों (sales departments) का ज्यादा किफायत से प्रबन्ध कर सकते हैं। चूंकि उन्हें प्रचार (publicity) पर अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। एकाधिकार उपभोक्ताओं पर और वस्तुओं के गुण तथा मात्रा पर प्रभाव डालता है, और उसके साथ ही उत्पादन के साधनों के उपयोग और पारिश्रमिक को भी प्रभावित करता है।

(1) उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक घट जाता है क्योंकि एकाधिकार की अवस्था में उन साधनों की मांग प्रतिद्वंद्वी फर्मों के मुकाबले में कम हो जाती है।

(11) सभ में हर फर्म के लिए साधनों का कोटा (quota) नियत कर दिया जाता है, ताकि वह अपने सामर्थ्य से कम काम करे। इस प्रकार उत्पादन की कुछ शक्ति बेकार रह जाती है।

(111) चूंकि कोटे का अनुकालिक पुनरीक्षण (periodic revision) होता रहता है, इसलिए हर फर्म यह प्रयत्न करती है कि उसे आगामी पुनरीक्षण के अवसर पर अधिक कोटा मिले। इस उद्देश्य के लिए समझौता चालू रहने के काल में वह चुपचाप अतिरिक्त साधनों को जुटा लेते हैं। इन सब का फल यह होता है कि उद्योग की उत्पादन शक्ति फालतू बढ़ जाती है।

(1V) इस कोटा प्रणाली का एक फल यह भी होता है कि उत्पादन कार्य कम कार्य-कुशल इकाइयों (units) में भी होने लगता है। कमजोर फर्मों को जीवित रखने के लिए योग्य फर्मों को अपनी सामर्थ्य से कम उत्पादन करना पड़ता है। ये बातें स्पष्टतः उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि लागत जरूरत से ज्यादा होती है।

(V) एकाधिकार अवस्था में उत्पादन के साधन उपभोक्ताओं की इच्छानुसार वितरित नहीं किये जाते, बल्कि एकाधिकारी के निजी निर्णय के आधार पर होते हैं। इसलिए एकाधिकारी उपभोक्ता की संपूर्ण सत्ता (sovereignty) को सीमित करता है और उत्पादन के साधनों को भी अधिक-से-अधिक पारिश्रमिक या लाभ लेने से रोकता है।

(VI) एकाधिकारी नयी पूंजी और नये उद्यम के मार्ग में बाधक होता है और उद्योग में उनके प्रवेश को रोकता है। नये रक्त का समावेश संभवतः समाज के लिए बहुत लाभदायक होता, किन्तु एकाधिकारी, प्रतियोगी उद्योगों को कुचलकर, समाज को

इस लाभ से वंचित करता है।

(vii) एकाधिकारी टैकनीकल उन्नति को भी समय के पीछे डाल देता है। वह अपने अधिकतम लाभ की चिन्ता करता है। कभी-कभी उसको यह उचित नहीं मालूम होता है कि वह पुरानी मशीनें बदल कर नई मशीनें लगाये। उसे प्रतिद्वंद्विता का डर नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप वह नवीन आविष्कारों और रीतियों की सहायता लेकर उत्पादन के खर्चों में भी कमी नहीं करता। प्रतियोगिता के अन्तर्गत जो फर्म आधुनिक मशीनों का (उपकरणों का) उपयोग करती है, वही बाजी मार ले जाती है। इससे उद्योग में आविष्कार को प्रोत्साहन मिलता है। एकाधिकार के कारण उपभोक्ता उत्पादन के दूसरे कार्यपट्ट तरीकों से होने वाले फायदों से वंचित रहता है।

(viii) एकाधिकार में उत्पादन प्रतिद्वंद्वी दशाओं के उत्पादन से कम होता है। बाजार की हालत खराब न हो, इसलिए उत्पादन कम कर दिया जाता है, या नष्ट कर दिया जाता है। ब्राजील की कॉफी इन्स्टीट्यूट (Coffee Institute of Brazil) ने नव १९३१ और १९३४ के बीच में २० लाख टन से अधिक कॉफी नष्ट कर दी थी। उत्पादन के कुछ अंग जान बूझकर बेकार रखे जाते हैं या मशीनों से कम काम लिया जाता है, वशतें कि उनसे पूरी तौर से काम लेने पर एकाधिकार लाभ में कमी होने की संभावना मालूम होती हो।

(ix) एकाधिकार में कीमतें सामान्यत ऊंची होती हैं। हालांकि ऐसे कारण बहुत से हैं जिनसे कि एकाधिकार की दशा में भी वस्तु का दाम कम होना चाहिये। एकाधिकारी को भीतरी और बाहरी वचन की भी भारी गुजाइश होती है। वह 'अविभाज्य' (indivisible) साधनों का पूर्ण उपयोग कर सकता है। उसे प्रचार के लिए भी अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्रय-विक्रय में भी उसे मदद सुविधा रहती है। उसके कारखाने का आकार समुचित निर्माण और उत्पादन के निकटतर हो सकता है। इसलिए एकाधिकारी को वे सब सुविधाएँ हैं जिनसे वह उत्पादन के खर्च को कम कर सकते हैं। इस पर भी हम देखते हैं कि एकाधिकारी जो कीमतें लेता है, वे प्रतिद्वंद्वी दशा की कीमतों से आम तौर पर अधिक होती हैं। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है जिसके कारण कि एकाधिकारी अपनी स्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठाता है। कभी-कभी वे अपने ग्राहकों पर अनुचित शर्तें लगाते हैं अथवा उनके साथ विभेद का वर्तव करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकाधिकार से उपभोक्ताओं को हानि होती है, जबकि वास्तव में उन्हें हानि नहीं चाहिये।

(x) वे विधान सभा के सदस्यों को घूस आदि देते हैं और इस प्रकार व्यापार सदाचार (morality) तथा लोक सदाचार के स्तर को गिराते हैं।

(xi) अन्त में हम यह भी देखते हैं कि एकाधिकार से धन के वितरण (distribution of wealth) पर भी बरा प्रभाव होता है। एकाधिकारी धनवान् होते हैं और उनकी प्रवृत्ति अधिक-से-अधिक धनवान् बनने की रहती है। इस प्रकार एकाधिकार के अस्तित्व से धन-वितरण में असमानता बढ़ती जाती है।

६ एकाधिकार के प्रति मौजूदा प्रवृत्तियाँ (Recent Tendencies)

Towards Monopolies) — एक जमाना था जब उद्योग तथा व्यापार में गुटों (combinations) को सशय की दृष्टि से देखा जाता था। वे समुदाय के व्यापक हितों में बाधक समझे जाते थे। अमेरिका में ट्रस्ट के खिलाफ कानून पास किये गए, और राज्य सर्वत्र सघ-चलन (combination movement) के ऊपर कड़ी दृष्टि रखने लगे। सघों को खतरनाक समझा जाता था।

परन्तु अब यह दृष्टिकोण बदल गया है। एकाधिकारी व्यवस्था अब समाज के लिए सदा हानिकर नहीं समझी जाती। वल्कि किसी उद्योग को वैज्ञानिक रूप देने के लिए अब यह ढंग आवश्यक समझा जाता है। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद वहाँ के उद्योग को स्वतः उसके अस्तित्व के लिए अभिनवीकरण (rationalisation) करना पड़ा। भीतरी प्रतिद्वन्द्व को दूर कर दिया गया और प्रतिद्वन्द्वी इकाइयों को एक सगठन के अधीन कर दिया गया था, जो उत्पादन और वितरण का नियन्त्रण करता था। उस समय जर्मनी में सघ सवधी चलन का बहुत आश्चर्यजनक फल हुआ। यह आंदोलन वहाँ से अमेरिका, जापान और अन्य देशों में फैल गया। हर जगह पर राज्यों ने सघ स्थापित करने के प्रयत्न किए हैं। महान मन्दी (great depression) ने सघ-व्यवस्था को विशेष योग प्रदान किया, क्योंकि उद्योगों को फिर से सगठित करने के लिए उनको अभिनवीकरण (rationalisation) रूप देना और उन्हें स्थिर बनाये रखना आवश्यक समझा गया था। इसलिए एकाधिकार और औद्योगिक कार्य-पटुता के बीच बहुत गहरा सम्बन्ध है।

७ एकाधिकारी पर रोक (Checks on the Monopolist) — ऊपर दिये हुए विवरण से शायद ऐसा लगेगा कि एकाधिकारी अपने लाभ का ही ध्यान रखकर मनमाना दाम ले लेता है। परन्तु एकाधिकारी स्वेच्छाचारी के रूप में व्यवहार नहीं कर सकता। एकाधिकारी शक्ति के दुरुपयोग पर अनेक प्रतिबन्ध हैं —

पहली बात तो यह है कि एक एकाधिकारी सम्भाव्य प्रतिद्वन्द्वियों (potential rivals) से सदैव डरता रहता है। यदि वह अत्यधिक कीमतें कर देता है, तो कुछ अन्य उद्योग-परिचालक अवश्य ही उस क्षेत्र में आ जायेंगे और ऊँचे दामों से लाभ उठायेंगे।

दूसरे, यह भी हो सकता है कि उपभोक्ता भी चुपचाप उन्हें सहन न करें। उनके शोषण की भी आखिर एक सीमा है। दामों में एक पैसे की वृद्धि भी उनके विनाश का कारण हो सकती है। उपभोक्ता सक्रिय रूप में बहिष्कार कर सकते हैं। इसलिए कोई भी एकाधिकारी उपभोक्ताओं की सहानुभूति को ठुकराने का साहस नहीं कर सकता।

तीसरे, शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो जिसका प्रतिस्थापन (substitution) कम या पूर्ण रूप से न हो सके। इस प्रकार प्रतिस्थापित वस्तुओं से एकाधिकारी की शोषण प्रवृत्ति को बहुत कुछ सीमित किया जा सकता है। उपभोक्ता एकाधिकारी वस्तु और प्रतिस्थापित वस्तु के दामों में केवल एक विशेष सीमा तक ही अन्तर को सहन करते हैं। जैसे ही वह अन्तर उस सीमा को पार कर जाता है, वैसे ही प्रतिस्थापित वस्तु अपनी जगह बना लेती है।

चौथे, एकाधिकारी माग की स्थितियों पर लापरवाही करके स्वतन्त्र रूप से कार्य

नहीं कर सकता। उसको कदम-कदम पर भाग की स्थिति पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यदि भाग लोचदार है तो एकाधिकारी की दशा भी उसी के अनुसार कमजोर होती है।

पांचवें, हम यह देख चुके हैं कि सघ के भीतर की शक्तियां उसे निरन्तर आतंकित रखती हैं। इस कारण सघ के अस्तित्व को बनाये रखना सरल नहीं है। सघ एक प्रकार का ऐमा मकान है, जो भीतर से अपने ही विरुद्ध विभाजित है और इसीलिए एकाधिकारी मनमानी नहीं कर पाते।

अन्त में, हम यह देखते हैं कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप (state intervention) का भय तो रहता ही है। कोई भी राज्य जनता के हितों का रक्षक होते हुए किसी एकाधिकारी को समाज का शोषण करते नहीं देख सकता। आवश्यकता पड़ने पर राज्य हस्तक्षेप करने के लिए सदा तैयार रहता है। इससे एकाधिकारी की स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति पर यह कार्यवाही हितकर नियन्त्रण के रूप में है।

८. एकाधिकार पर सार्वजनिक नियन्त्रण तथा स्वामित्व (Public Control and Ownership of Monopolies)—एकाधिकारी आम तौर पर उत्पादन कम कर देता है जिससे कि वह ऊँचा दाम लेकर अपना लाभ बढ़ा सके। यह रीति वास्तव में समाज-विरोधी है। राज्य को एकाधिकारी के लाभ के लिए जनता के शोषण करने की कुप्रवृत्ति का नाश और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अवश्य ही जनता के रक्षक की हैसियत से हस्तक्षेप करना चाहिये।

एकाधिकारों को नियंत्रित करने के लिए सभावित उपाय —

(i) संघ-विरोधी विधान बनाना (Trust-preventing and Trust-breaking Legislation)—अमेरिका में शरमन एन्टी-ट्रस्ट लाँ सन् १८९० और सन् १९१४ में क्लेटन एन्टी-ट्रस्ट लाँ स्वीकार किए गए। जर्मनी और आस्ट्रिया में भी व्यवसायी-समझौतों के विरुद्ध कानून बने। परन्तु इस प्रकार के कानून सदैव कारगर न हुए। जब एक प्रकार का सघ कानून-विरुद्ध घोषित किया गया तो वकीलों के चातुर्य ने एक दूसरी ही तजवीज निकाल दी। कभी-कभी अनियमित समझौते नियमित समझौतों की जगह ले लेते। सन् १९२७ में व्यापारिक बोर्ड ने व्यापार और उद्योग की कमेटी को जो सूचना दी थी उससे मालूम हुआ कि राजकीय नियन्त्रण को केवल आंशिक सफलता ही मिली थी।

(ii) अनुचित रीतियों की रोक (Suppression of Unfair Practices) प्रोफेसर पीगू ने कहा है कि राज्य को सम्भाव्य प्रतिद्वन्द्व की रक्षा करनी चाहिये और कुरीतियों (clubbing devices), को जिनसे सम्भाव्य प्रतिद्वन्द्वी डर कर भागते हैं, नियन्त्रण करना चाहिये। इस प्रकार की कुरीतियां यह हैं—जैसे विनाशकारी कीमतें घटाना (dumping), विकट प्रतिद्वन्द्विता, और बहिष्कार (boycott)। परन्तु वह भी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यदि इन कुरीतियों के नियन्त्रण करने में और सम्भाव्य प्रतिद्वन्द्व को बनाए रखने में सफलता मिली भी तो वह अपूर्ण ही होगी।

(iii) लाभ और कीमतों पर नियन्त्रण (Control of Prices and Profit)
—लाभ और कीमतों पर नियन्त्रण रखने में राज्य एकाधिकार को नियमित कर सकता

अध्याय १६ विनिमय—बाजार

(EXCHANGE—MARKETS)

१ बाजार का अर्थ—जेवन्स (Jevons) का कहना है, “मूलतः, बाजार नगर में एक ऐसा सार्वजनिक स्थान होता था, जहाँ आवश्यक व दूसरे प्रकार की वस्तुएँ विक्रय के लिए रखी जाती थी। पर अब इस शब्द के अर्थ का विस्तार करके इसको यह अर्थ दे दिये गये हैं कि ऐसे व्यवित्तियों का समुदाय, जिनमें आपस में व्यापारिक सम्बन्ध हों और जो किसी वस्तु के बड़े-बड़े सौदे करते हों, वह बाजार कहलाता है। किसी बड़े शहर में उतने ही बाजार हो सकते हैं, जितनी कि वहाँ व्यापारिक महत्त्वपूर्ण शाखाएँ होती हैं तथा इस प्रकार के बाजार स्थानीय भी हो सकते हैं और नहीं भी। किन्तु स्थान-विशेष (locality) का भाव आवश्यक नहीं है। यदि व्यापारी आपस में मेले, सभाओं, विज्ञापनों, डाकखानों और दूसरे उपायों से आवागमन रखते हों और भले ही वह किसी नगर में, अथवा प्रदेश में या देश में, फैल गए हों, किन्तु तब भी वे बाजार का निर्माण कर सकते हैं।”^१ फ्रांसीसी अर्थशास्त्री कुर्नो (Cournot) के शब्दों में “बाजार शब्द से अर्थशास्त्र के विद्वानों का आशय किसी विशेष हाट से, जहाँ वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता हो, नहीं होता, बल्कि उस सम्पूर्ण प्रदेश से होता है, जिससे ग्राहक और विक्रेताओं के बीच इस प्रकार का स्वतंत्र आदान-प्रदान हो कि उन्हीं वस्तुओं की कीमत अधिक शीघ्रता और सरलता से समान हो सके।”

इस प्रकार बाजार के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं (१) वह वस्तु जिसका व्यवहार होना है, (२) ग्राहकों व विक्रेताओं का मौजूद होना, (३) एक स्थान, चाहे वह एक प्रदेश विशेष में हो, एक देश अथवा पूर्ण ससार में हो, (४) विक्रेता व ग्राहकों में इस प्रकार का आदान-प्रदान हो कि एक वस्तु की कीमत एक समय में एक ही रहे।

(क) क्षेत्रफल (area) के आधार पर बाजार को स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व-व्यापी किस्मों में बाटा जा सकता है। यह विभाजन व्यापारियों पर निर्भर है। तथा (ख) समय (time) के आधार पर बाजार का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है—किसी दिन अथवा समय विशेष के भाव (market price), अल्प-कालीन कीमत, दीर्घकालीन कीमत अथवा बहुदीर्घकालीन अथवा लौकिक (secular) बाजार, जिसका विस्तार एक पीढ़ी तक हो।

२ बाजारों का विकास (Evolution of Markets)—बाजारों के विकास का अध्ययन दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है (क) भौगोलिक (geogra-

1. Quoted by Marshall—Economics of Industry, pp 134 35

phical) तथा (ख) कार्यात्मक (functional) ।

भौगोलिक दृष्टि से बाजार के विकास की चार अवस्थाएँ हैं—(१) प्रारंभ में पारिवारिक (family) बाजार हुआ करता था, जिसमें एक कुटुम्ब के बीच विनिमय होता था, (२) उसके बाद स्थानीय बाजारों (local markets) का विकास हुआ, जिसमें क्रय-विक्रय एक नगर अथवा गाव तक ही सीमित था, (३) इसके बाद राष्ट्रीय बाजारों (national markets) का जन्म हुआ, जब एक वस्तु के लिए संपूर्ण राष्ट्र एक बाजार माना जा सके, तथा (४) आज का विश्व बाजार (world market) है, जिसमें कुछ चीजों का व्यापार विश्व-व्यापी होता है। स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व-बाजार साथ-साथ ही चलते हैं। कुछ चीजों का बाजार सर्वथा स्थानीय होता है, जैसे ताजा दूध, कुछ वस्तुओं का बाजार राष्ट्रीय होता है, जैसे कुछ प्रकार के फल और बहुत-सी वस्तुओं का बाजार विश्वव्यापी होता है जैसे जूट, कपास, चाय, मूल्यवान् धातुएँ आदि। भौगोलिक विकास सदैव परिवहन साधनों की प्रगति और ठंडा करने जैसी वैज्ञानिक रीतियों के विकास पर निर्भर करता है।

जहाँ तक कार्यात्मक विकास (functional development) का प्रश्न है, बाजार का विकास इन अवस्थाओं में हुआ—(१) साधारण अथवा मिश्रित बाजार (the general or mixed market)—इस प्रकार के बाजार में एक ही स्थान पर नाना प्रकार की चीजों का क्रय-विक्रय होता था। (२) विशिष्ट बाजार (the specialised market)—हर वस्तु के लिए जुदा मंडी (मार्केट) जैसे, आजकल सूत, कपड़ा, श्रम मार्केट, द्रव्य मार्केट, विदेशी विनिमय मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज (श्रेष्ठ चत्वर), तथा प्रोड्यूस एक्सचेंज आदि। (३) नमूनों द्वारा विक्रय (marketing by sample)—वस्तुओं का मान-नयन कर लिया जाता है (standardised) और क्रय-विक्रय नमूनों के आधार पर होता है। (४) ग्रेडिंग द्वारा विक्रय (marketing by grades)—इस रीति में वस्तुओं की सही-सही क्वालिटी दी जाती है, जिससे नमूना देखने की आवश्यकता नहीं रहती। गेहूँ की ५९१-सी तथा ८-ए नंबर की किस्में बड़ी प्रसिद्ध हैं। और ४-एफ, तथा एम जी एफ. जी भारत में कपास की प्रसिद्ध किस्में हैं।

३ बाजार का विस्तार (The Extent of the market)—बाजार का आकार बहुत-सी बातों पर निर्भर है—

(१) वस्तु के लक्षण (The Character of commodities)—उन्हीं वस्तुओं का बाजार विस्तृत हो सकता है जिनमें निम्न गुण हो (i) ले जाई जाने योग्य (portable), (ii) टिकाऊ (durable), (iii) नमूना बनाने, श्रेणीबद्ध करने और सही विवरण देने योग्य, और (iv) ऐसी कि जिनकी पूर्ति (supply) में वृद्धि की जा सकती हो। इस प्रकार की वस्तुओं में गेहूँ, सोना, सरकारी सिक्खूरिटियाँ आदि शामिल हैं। भारी सामान जैसे ईंटे तथा शीघ्र ही खराब होने वाली चीजें जैसे ताजे फल, तरकारी आदि का मार्केट भी सीमित होता है।

(२) वस्तुओं की माग का रूप (The Nature of the Demand for Commodity)—जिस वस्तु की माग विश्वव्यापी होगी उसका व्यापार ऐसी वस्तुओं

विनिमय—बाजार

(EXCHANGE—MARKETS)

१ बाजार का अर्थ—जेवन्स (Jevons) का कहना है, "मूलतः, बाजार नगर में एक ऐसा सार्वजनिक स्थान होता था, जहाँ आवश्यक व द्रव्य प्रकाश की वस्तुएँ विक्रय के लिए रखी जाती थी। पर अब इस शब्द के अर्थ का विस्तार करके इसको यह अर्थ दे दिये गये हैं कि ऐसे व्यक्तियों का समुदाय, जिनमें आपस में व्यापारिक सम्बन्ध हों और जो किसी वस्तु के बड़े-बड़े सौदे करते हों, वह बाजार कहलाता है। किसी बड़े शहर में उतने ही बाजार हो सकते हैं, जितनी कि वहाँ व्यापारिक महत्त्वपूर्ण शाखाएँ होती हैं तथा इस प्रकार के बाजार स्थानीय भी हो सकते हैं और नहीं भी। किन्तु स्थान-विशेष (locality) का भाव आवश्यक नहीं है। यदि व्यापारी आपस में मेले, सभाओं, विज्ञापनों, डाकखानों और दूसरे उपायों से आवागमन रखते हों और भले ही वह किसी नगर में, अथवा प्रदेश में या देश में, फैल गए हों, किन्तु तब भी वे बाजार का निर्माण कर सकते हैं।" फ्रांसीसी अर्थशास्त्री कुर्नो (Cournot) के शब्दों में "बाजार शब्द से अर्थशास्त्र के विद्वानों का आशय किमी विशेष हाट से, जहाँ वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता हो, नहीं होता, बल्कि उस सम्पूर्ण प्रदेश से होता है, जिससे ग्राहक और विक्रेताओं के बीच इस प्रकार का स्वतंत्र आदान-प्रदान हो कि उन्हीं वस्तुओं की कीमत अधिक शीघ्रता और सरलता से समान हो सके।"

इस प्रकार बाजार के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं (१) वह वस्तु जिसका व्यवहार होना है, (२) ग्राहकों व विक्रेताओं का मौजूद होना, (३) एक स्थान, चाहे वह एक प्रदेश विशेष में हो, एक देश अथवा पूर्ण ससार में हो, (४) विक्रेता व ग्राहकों में इस प्रकार का आदान-प्रदान हो कि एक वस्तु की कीमत एक समय में एक ही रहे।

(क) क्षेत्रफल (area) के आधार पर बाजार को स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व-व्यापी किस्मों में बाँटा जा सकता है। यह विभाजन व्यापारियों पर निर्भर है। तथा (ख) समय (time) के आधार पर बाजार का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है—किसी दिन अथवा समय विशेष के भाव (market price), अल्प-कालीन कीमत, दीर्घकालीन कीमत अथवा बहुदीर्घकालीन अथवा लौकिक (secular) बाजार, जिसका विस्तार एक पीढ़ी तक हो।

२ बाजारों का विकास (Evolution of Markets)—बाजारों के विकास का अध्ययन दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है (क) भौगोलिक (geogra-

phical) तथा (ख) कार्यात्मक (functional) ।

भौगोलिक दृष्टि से बाजार के विकास की चार अवस्थाएँ हैं—(१) प्रारंभ में पारिवारिक (family) बाजार हुआ करता था, जिसमें एक कुटुम्ब के बीच विनिमय होता था, (२) उसके बाद स्थानीय बाजारों (local markets) का विकास हुआ, जिसमें क्रय-विक्रय एक नगर अथवा गाव तक ही सीमित था, (३) इसके बाद राष्ट्रीय बाजारों (national markets) का जन्म हुआ, जब एक वस्तु के लिए संपूर्ण राष्ट्र एक बाजार माना जा सके, तथा (४) आज का विश्व बाजार (world market) है, जिसमें कुछ चीजों का व्यापार विश्व-व्यापी होता है। स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व-बाजार साथ-साथ ही चलते हैं। कुछ चीजों का बाजार स्थानीय होता है, जैसे ताजा दूध, कुछ वस्तुओं का बाजार राष्ट्रीय होता है, जैसे कुछ प्रकार के फल और बहुत-सी वस्तुओं का बाजार विश्वव्यापी होता है जैसे जूट, कपास, चाय, मूल्यवान् धातुएँ आदि। भौगोलिक विकास सदैव परिवहन साधनों की प्रगति और ठंडा करने जैसी वैज्ञानिक रीतियों के विकास पर निर्भर करता है।

जहाँ तक कार्यात्मक विकास (functional development) का प्रश्न है, बाजार का विकास इन अवस्थाओं में हुआ—(१) साधारण अथवा मिश्रित बाजार (the general or mixed market)—इस प्रकार के बाजार में एक ही स्थान पर नाना प्रकार की चीजों का क्रय-विक्रय होता था। (२) विशिष्ट बाजार (the specialised market)—हर वस्तु के लिए जुदा मंडी (मार्केट) जैसे, आजकल सूत, कपड़ा, श्रम मार्केट, द्रव्य मार्केट, विदेशी विनिमय मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज (श्रेष्ठ चत्वर), तथा प्रोड्यूस एक्सचेंज आदि। (३) नमूनों द्वारा विक्रय (marketing by sample)—वस्तुओं का मान-नयन कर लिया जाता है (standardised) और क्रय-विक्रय नमूनों के आधार पर होता है। (४) ग्रेडिंग द्वारा विक्रय (marketing by grades)—इस रीति में वस्तुओं की सही-सही क्वालिटी दी जाती है, जिससे नमूना देखने की आवश्यकता नहीं रहती। गेहूँ की ५९१-सी तथा ८-ए नंबर की किस्में बड़ी प्रसिद्ध हैं। और ४-एफ, तथा एम. जी एफ. जी भारत में कपास की प्रसिद्ध किस्में हैं।

३ बाजार का विस्तार (The Extent of the market)—बाजार का आकार बहुत-सी बातों पर निर्भर है—

(१) वस्तु के लक्षण (The Character of commodities)—उन्हीं वस्तुओं का बाजार विस्तृत हो सकता है जिनमें निम्न गुण हो (i) ले जाई जाने योग्य (portable), (ii) टिकाऊ (durable), (iii) नमूना बनाने, श्रेणीबद्ध करने और सही विवरण देने योग्य, और (iv) ऐसी कि जिनकी पूर्ति (supply) में वृद्धि की जा सकती हो। इस प्रकार की वस्तुओं में गेहूँ, सोना, सरकारी सिक्कूरिटियाँ आदि शामिल हैं। भारी सामान जैसे ईंटें तथा शीघ्र ही खराब होने वाली चीजें जैसे ताजे फल, तरकारी आदि का मार्केट भी सीमित होता है।

(२) वस्तुओं की मांग का रूप (The Nature of the Demand for Commodity)—जिस वस्तु की मांग विश्वव्यापी होगी उसका व्यापार ऐसी वस्तुओं

पूर्ण होती है। चूँकि धोक क्रेता विक्रेताओं को पूर्ति तथा माग (supply and demand) के संघर्ष में अधिक जानकारी होती है। खुदरा मार्केट में, जहाँ उपभोक्ता लोग सीधे उपभोग के लिए माल खरीदते हैं, प्रतियोगिता अपेक्षाकृत अपूर्ण रहती है।

प्रतियोगिता लाभदायक भी है और हानिकारक भी। इससे उत्पादन और उपभोग में साम्यावस्था (equilibrium) स्थापित होती है और उपभोक्ताओं के लिए अपनी इच्छाएँ अधिक प्रभावी रूप में पूरा करना सम्भव होता है। व्यापारियों में प्रतियोगिता से आर्थिक उन्नति होती है और इस प्रतियोगिता से उपभोक्ताओं को फायदा होता है। प्रतियोगिता की स्थिति में उत्पादन के साधनों को अत्यधिक पारिश्रमिक रोजगार (remunerative employment) मिलता है। लेकिन प्रतियोगिता कई प्रकार से क्षयकारी भी है। उत्पादन पर आने वाली लागत के अलावा विज्ञापन पर अतिरिक्त खर्चा होता है। प्रतियोगिता से सकट पैदा होता है। नया उद्यम (enterprise) हतोत्साहित होता है। इसके कारण से सस्ते तथा अपमिश्रित (adulterated) माल का उत्पादन होता है जिससे शक्तिशाली निर्माता निर्बल उपभोक्ता का शोषण करते हैं।

५ पूर्ण तथा अपूर्ण बाजार (Perfect and Imperfect Markets) — “जब सम्भाव्य (potential) विक्रेता और ग्राहकों को इस बात का ज्ञान होता है कि किन-किन कीमतों पर सौदे हो रहे हैं, दूसरे ग्राहक व विक्रेता किस कीमत पर सौदा करने को तैयार हैं, और जब कोई भी ग्राहक किसी भी विक्रेता से वस्तु खरीद सकता है तो बाजार पूर्ण कहलाता है। इसके विपरीत परिस्थितियों में बाजार अपूर्ण होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी वस्तु की कीमत सारे बाजार में एक ही रहेगी (परिवहन व आयात कर आदि के व्यय निकाल कर)।”¹ पूर्ण मार्केट का यह अर्थ है कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं को न सिर्फ़ पूरा ज्ञान ही होगा बल्कि वे इस ज्ञान का अपने लाभ के लिए पूरा उपयोग भी कर सकेंगे। मार्शल के शब्दों में, “बाजार जितना ही अधिक पूर्ण होगा, उतनी ही किसी वस्तु की कीमत का एक समय में, बाजारों के सब भागों में, एक-सा होने की अधिक संभावना रहेगी।”

इसके विपरीत निम्नलिखित किसी एक कारण होने पर बाजार अपूर्ण हो जाएगा —

(1) क्रेताओं तथा विक्रेताओं को माग कीमत (demand price) तथा उस कीमत पर वस्तु के बेचे जाने की मात्रा का एक-दूसरे पर प्रभाव का ज्ञान नहीं होता।

(II) क्रेताओं तथा विक्रेताओं में एक-दूसरे की मूल्य नीति के ज्ञान का अभाव नहीं होता परन्तु उनमें उस ज्ञान के प्रयोग की शक्ति नहीं होती। स्वभाव, रूढ़िवादिता, पक्षपात अथवा राज्य नियन्त्रण उन्हें सस्ते-से-सस्ते विक्रेता से क्रय करने अथवा महंगे-से-महंगे खरीदार को बेचने से रोक सकता है।

(III) किसी वस्तु की सभी इकाइयाँ एक वास्तविक श्रेणी की नहीं हो सकती। वे एक-दूसरे से या तो स्थान द्वारा अलग की जा सकती हैं अथवा भिन्न तथा अपूर्ण प्रतियोगी मात्राओं में मिल सकती हैं।

यह एक बाजार में एक ही कीमत होने से रोकेगी ।

दूसरे शब्दों में यदि बाजार में एक वस्तु की एक समय में एक ही कीमत है, तो बाजार पूर्ण समझा जाता है । पर यदि एक ही समय में एक वस्तु को कई कीमतें प्रचलित हैं, तो बाजार अपूर्ण समझा जाता है ।

निम्नलिखित कारणों से मार्केट पूर्ण होता है --

(1) पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition)---जब तक माग और पूर्ति दोनों ही दिशाओं में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होगी, तब तक दिये हुए समय में एक वस्तु की कीमत एक नहीं होगी । इसलिये यह भी आवश्यक है कि ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों को इस बात का ज्ञान हो कि क्वालिटी कैसी है और दूसरे लोग किस कीमत पर सौदा कर रहे हैं ।

(ii) परिवहन के सस्ते साधन (Cheap Means of Transport)---बाजार में एक वस्तु की कीमत तभी समान रह सकती है जबकि कीमत में परिवर्तन की सूचना आसानी से और जल्दी से बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में भेजी जा सके । उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वस्तु उस जगह पर, जहां वह अधिक कीमत पर बिकती है, जल्दी आसानी से और सस्ते दामों में भेजी जा सके । वस्तुओं का यह आदान-प्रदान तब तक चलेगा, जब तक कि कीमत समान नहीं हो जायेगी ।

(iii) किसी व्यवसाय तथा उद्योग में प्रवेश करने तथा उससे निकलने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये ।

(iv) विस्तृत क्षेत्र (Wide Extent)---पूर्ण बाजार और विस्तृत बाजार के अर्थ कभी-कभी एक ही समझे जाते हैं । बाजार का क्षेत्र इन बातों पर निर्भर करता है (क) माग और पूर्ति की प्रचुरता, (ख) वस्तु का टिकाऊपन, (ग) उसे ले जाने की सुगमता, (घ) नमूना बनाने और श्रेणीबद्ध (grading) करने की सुगमता ।

नियोजित पूंजी (Invested Capital) अर्थात् (स्टॉक तथा शेयर) का बाजार पूर्ण बाजार का बहुत अच्छा उदाहरण है, चूंकि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट (stock exchange market) अधिक संगठित होता है । "शेयरों का भाव बताने, सौदे तय करने और उन्हें पूरा करने की रीतियां विलकुल निश्चित व सर्वविदित होती हैं । कीमतों का परिचलन शीघ्र व सुगम होता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कठोर-से-कठोर कानूनी नियन्त्रण भी इतनी कुशलता से धोखा व जोखिम नहीं बचा सकते, जितनी सफलता से इस प्रकार के बाजारों में नैतिक स्तर को ऊंचा रखकर किया जा सकता है ।"---(टॉमस) ।

मूल्यवान् धातुओं, प्रथम श्रेणी की हड्डियों, विदेशी मुद्राओं व महत्त्वपूर्ण कच्चे मालों के बाजार भी बहुत संगठित होते हैं । इसलिए इन चीजों के व्यापार को भी पूर्ण बाजार कहा जा सकता है ।

उपरोक्ता माल का मार्केट, जो वास्तव में खुदरा होता है और इस तरह कम पूर्ण है । विभिन्न स्थानों में कीमतों में भी काफी अन्तर रहता है । इस प्रकार थोक मार्केट की अपेक्षा खुदरा (retail) मार्केट कम पूर्ण होते हैं ।

नियमत, उत्पादको की वस्तुएँ थोड़ा विकती हैं, इसलिए इनके बाजार अधिक पूर्ण होते हैं। श्रम मार्केट प्रायः पूर्ण होता है। चकि श्रम अपेक्षाकृत कम गतिशील होता है, उममें सौदा करने की शक्ति क्षीण होती है और श्रमिक अधिकतर अज्ञानी होते हैं, इसलिए श्रम का बाजार सामान्यतः अपूर्ण होता है। अस्तु, वास्तविक सम्पदा (real estate) का बाजार सामान्यतः पूर्ण होता है, क्योंकि ग्राहक खरीदने के पहले अत्यधिक कष्ट उठा लेते हैं। बाजार में द्रव्य उधार लिया दिया जाता है और उसकी दर में अप्राप्ति के खतरे और ऋण काल के अनुसार सूद की दरों में अन्तर होता है। विशेष रूप से भारत में द्रव्य बाजार (money market) को अपूर्ण समझना चाहिये।

६ स्टॉक विनिमय संगठन (Stock Exchange Organisation) — हमारे यहाँ के स्टॉक विनिमय अधिकतर लन्दन के स्टॉक विनिमय बाजार के आकार पर बनाये गये हैं। इनके सदस्यों के दो वर्ग होने हैं — (१) आढती (jobbers) और (२) दलाल (brokers)।

आढती स्वतन्त्र रूप से व्यवसाय करते हैं, किन्तु वह जनता से सीधा सार्क नहीं रख सकते। उन्हें दलालों के द्वारा काम करना होता है। इसके विपरीत दलालों को केवल दलाल ही रहना होता है। वह स्वतन्त्र रूप से कोई क्रय नहीं कर सकते। इन विशिष्टता का प्रयोजन बोखे को कम करना है।

शेयरो के क्रय-विक्रय की प्रणाली इस प्रकार है। सभावित ग्राहक अथवा विक्रेता को दलालों की एक फर्म में आर्डर देना पडता है, जो एक दलाल के साथ सपर्क करते हैं। मान लीजिये 'अ' कुछ हिस्से क्रय करना चाहता है। वह स्टॉक के एक दलाल को उन्हें खरीदने का आदेश देता है। तब दलाल स्टॉक-विनिमय में जाता है, और आढती से मिलकर उन हिस्सों के भाव मागेगा। स्टॉक विनिमय के नियमों के अनुसार आढती को सदैव क्रय-विक्रय के लिए तैयार रहना चाहिये। उसे उन हिस्सों को, जिनकी उसे आवश्यकता नहीं है, क्रय के लिए और उन हिस्सों को भी, जो उसके पास नहीं हैं, बेचने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिये। अतएव आढती को हमेशा दो कीमतें आकनी पडती हैं। एक तो वह, जिस पर वह खरीदेगा और दूसरी वह कीमत, जिस पर वह बेचेगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अन्तर होता है, वही आढती का लाभ होता है। उसे आढती की बदली (jobber's turn) कहते हैं।

यदि दूसरा पक्ष भाव को स्वीकार कर लेता है तो सौदा तै हो जाता है। अन्य सब स्टॉक और शेयरो के सौदों का भुगतान इस उद्देश्य के लिए निश्चित दिनों में होता है। यह भुगतान के दिन कहलाते हैं। इनमें पहले दिन तो यह निश्चित किया जाता है कि दोनों पक्ष अपने सौदे को पूरा करने में समर्थ हैं अथवा नहीं। मान लीजिये कि ग्राहक अपने खरीदे हुए शेयरो का रुपया चुकाने में असमर्थ है, तो ऐसी दशा में उसका दलाल आढती को अगली भुगतान के दिन तक जो साधारणतया १५ दिन बाद पडता है, स्थगित करने को कहेगा। आढती इस सुझाव को मान लेता है, पर खरीदार को उस रकम पर, जो उसे देनी थी, और अब जिसे वह अगले भुगतान के दिन देने की प्रतिज्ञा करता है, व्याज देना पडेगा। इस प्रकार का भुगतान अग्रनयन-प्रभार (contango) कहलाता है।

किन्तु यदि खरीदार के पास क्रय करने को रकमा है, पर आढती बेचे हुए शेयरो का प्रबन्ध नहीं कर सकता, तो आढती भुगतान की टाल के लिए कहेगा। इसके लिए उसे रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि शेयरो के मिलने में देर होने के कारण खरीदार को लाभ (dividend)की हानि होगी। आढती समय पर शेयर न देने का जुर्माना खरीदार को देता है, वह बैकवार्डेशन (Backwardation) कहलाता है।

पर यदि दोनो वर्ग सौदे को पूर्ण करने के लिये तैयार व समर्थ है, तो अगले दो दिन जिन्हें “अन्त दिन या टिकिट दिन” (Intermediate or Ticket Days) कहते हैं, सारी कार्यवाही कर ली जाती है। खरीदार का विवरण विक्रेता के पास भेज दिया जाता है, जिससे कि शेयर नियमानुसार, खरीदार के नाम किये जा सके। चौथे तथा अन्तिम दिन रुपए का भुगतान व शेयरो का प्रदान होता है।

७ स्टॉक विनिमय के लाभ (Advantages of Stock Exchange)—स्टॉक-विनिमय के सगठन से अनेक लाभ होते हैं —

(१) यह नियोजित पूजी (invested capital) के लिए वाजार प्रदान करता है। स्टॉक और शेयरो का सन्तोषजनक वर्गीकरण हो सकता है और उनके बेचने व प्राप्त करने में सुगमता होती है। आवश्यकता पडने पर शेयरो का मालिक अपने शेयरो पर स्टॉक-विनिमय द्वारा नकदी प्राप्त कर सकता है।

(२) इस सगठन की व्यापारिक नैतिकता नियोजको (investors) में विश्वास पैदा करती है तथा फलस्वरूप स्टॉक-विनिमय व्यापार और उद्योग में नवीन पूजी आकर्षित करने में बड़ी मदद करता है। यदि नियोजित पूजी आसानी से प्राप्त न की जा सके तो नवीन पूजी को व्यापारिक और औद्योगिक व्यवसायो मे आने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

(३) स्टॉक-विनिमय स्टॉक और शेयरो के सौदे को सुगम व सस्ता बना देता है और इससे पूजी की गतिशीलता और परिवर्द्धन में सुगमता होनी है।

(४) सिक्यूरिटियो का “सही मूल्य” स्टॉक-विनिमयो में निश्चित होता है। इसमें काम करने वाले अपने काम मे निपुण होते हैं और वह स्टॉक की सही कीमत, जो उसकी प्राप्ति पर निर्भर करता है, अनुमान कर सकते हैं। निस्सन्देह कभी-कभी स्टॉक विनिमय में सट्टा करने वाले सिक्यूरिटियो की कीमत ऊपरी तौर से बढ़ा देते हैं और कभी अनुचित रूप से गिरा भी देते हैं। परन्तु इस प्रकार के परिवर्तन अस्थायी होते हैं। कभी-न-कभी कीमत अवश्य अपने सही स्थान पर आ जाती है।

८. उत्पाद एक्सचेंज (Produce Exchange)—जिस प्रकार स्टॉक तथा शेयरो के क्रय-विक्रय के लिए विनिमय होते हैं, उसी प्रकार उत्पाद-एक्सचेंज भी होते हैं, जिनमें गेह, चना, कपास व सूत आदि में सट्टा (speculation) होता है। इन उत्पाद एक्सचेंज बाजारो के विभिन्न नाम होते हैं, जैसे “गल्ला व्यापारी सघ” “कम्पनी” या “चैबर” आदि। केवल सघ की ओर से मान्य सदस्य ही सौदे कर सकते हैं। सघ के पास विभिन्न फर्मों की, जिनके साथ सदस्य सौदे कर सकते हैं, एक सूची होती है। केवल वे ही व्यक्ति इन समितियो के सदस्य हो सकते हैं जिनके पास काफी

जायदाद आदि हो। प्रवेश शुल्क बहुत अधिक होता है।

एक कोठा (५०० मन) से कम परिमाण की वस्तु में सौदा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को सौ रुपए प्रति कोठे की गुजाइश रखनी पडती है। यह गुजाइश कभी १०० रुपये से कम नहीं होनी चाहिये। यदि ऐसा होता है तो या तो ममिति सौदे को रद्द कर देती है अथवा इनके पहले की गुजाइश हानि को पूरा करने में पर्याप्त हो, सौदा तय कर लेती है।

सौदे दो प्रकार के होते हैं (१) हाजिर माल (Spot), इसका आशय यह है कि सौदा तुरन्त पूर्ण हो जाना चाहिये। (२) वायदा (Forward Transactions) अर्थात् जब सौदा वर्तमान मूल्य के अनुसार हो तो वस्तु का प्रदान एक निश्चित तिथि पर भविष्य में होता है।

इस प्रकार के सब सौदे हिन्दुस्तानी महीनो के अनुसार होते हैं। जैसे, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, भादो, असोज, मगहर, माघ, आदि। पहले १५ दिन में विक्रेता को यह अधिकार होता है कि ग्राहक को वस्तु लेने के लिए कहे और वाद के १५ दिनों में मागने का अधिकार खरीदार को होता है। महीने के अन्तिम दिन पर खरीदार व विक्रेता, दोनों में से कोई भी माल लेने या देने की सूचना दे सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई ज्येष्ठ, आषाढ का सौदा है, तो १६ ज्येष्ठ से ज्येष्ठ के महीने के अन्त तक किसी भी दिन विक्रेता माल ले लेने की सूचना दे सकता है। खरीदार १ आषाढ से १४ आषाढ तक कभी भी माल माग सकता है। आषाढ की १५ तारीख को, जो उस मास का आखिरी दिन है, और जिस दिन के लिए सौदा किया गया था, खरीदार या विक्रेता दोनों में से कोई भी माल उठाने अथवा देने की सूचना दे सकता है।

यदि खरीदार माल उठाने में, उस समय जब उससे कहा जाय, असमर्थ होता है, या विक्रेता समय पर माल नहीं दे सकता, तो कम्पनी सौदे को पूर्ण कर देती है। यदि इससे कोई हानि होती है तो वह उसको पूरी करनी पडती है जिसके कारण कि वह हानि हुई। जब खरीदार माल मागता है, तो उसे कुल माल का २५ प्रतिशत मूल्य (value) कम्पनी के पास जमा कर देना पडता है, और विक्रेता माल सौंप देने के बाद कम्पनी से मूल्य ले सकता है।

पर यदि दोनों में से कोई भी पक्ष सौदा पूर्ण करने में असमर्थ होता है, तो उमे नई कीमत पर, जो दूसरे पक्ष के लिए सुविधाजनक हो, सौदा रखने की आज्ञा मिल जाती है। किन्तु इसके पूर्व पुरानी रकम का भुगतान हो जाना चाहिये और उस भुगतान का अन्तर उस पक्ष को मिलना चाहिये, जिसे कीमत के परिवर्तन से लाभ हुआ हो, अर्थात् यदि कीमत गिर गई हो तो खरीदार को अन्तर का भुगतान करना ही होगा।

६. सट्टा (Speculation)—विभिन्न बाजारों में सौदे केवल क्रय-विक्रय के लिए ही नहीं होते, बल्कि सट्टे के लिये भी होते हैं। सट्टे में व्यापारी वस्तुओं को किसी विशेष समय में होने वाली कीमतों के परिवर्तन के लाभ की आशा से खरीदते अथवा बेचते हैं। जब कीमतों के हेर-फेर से लाभ उठाने के लिए सौदा वर्तमान कीमत पर करने के पश्चात् उसकी व्यवस्था किसी भविष्य की निश्चित तिथि के लिए कर दी जाती है तो उस सौदा करने को सट्टा कहते हैं।

इसलिए सट्टे की अनिवार्यताएँ हैं (क) सौदा चालू कीमत (current price) पर किया जाता है। (ख) इसका भुगतान किसी भावी तिथि (future date) में होता है। (ग) यह सौदा किसी लाभ के लिए किया जाता है। इसमें माल लेना या देना नहीं होता, केवल अंतर की रकम ही दी जाती है। सट्टे को भविष्य का व्यवसाय (dealings in future) भी कहते हैं। जिस वस्तु की माग काफी विस्तृत है और जिसको उचित रूप से ग्रेड (grade) किया गया है और जिसकी कीमत चढ़ती उतरती (fluctuating) है सट्टे के लिए उपयोगी होती है।

सट्टा दो प्रकार का होता है —

(i) वैध सट्टा (Legitimate Speculation) — इस प्रकार के सट्टे में उन लोगों की गतिविधि (activity) शामिल है जो अपने कार्य में प्रवीण होते हैं। वे हर काम वैज्ञानिक और सही रीति से करते हैं। वे माग की भविष्यवाणी करने व भविष्य की पूर्ति (supply) का अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हैं। इस काम के लिए वह सभी प्रकार के आकड़ों की सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। वह काम में आने वाली हर प्रकार की सूचना को इकट्ठा करके भविष्य के उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाता है। इन्हो वैज्ञानिक तथा सचेत गणनाओं के आधार पर वह सौदे करता है और यही वास्तविक सट्टा होता है।

(ii) अवैध सट्टा (Illegitimate Speculation) — यह सर्वथा जुआ होता है। बहुत-से लोग ऐसे हैं जिनको माग और पूर्तियों की गतियों का ज्ञान नहीं होता। वे बिना सोचे-समझे अंधे होकर सौदा कर लेते हैं। इस प्रकार के सट्टोरिये बाजार भाव को अपने अनुसार बनाने का प्रयत्न करते हैं। प्रायः इनका अनुमान सही की अपेक्षा गलत होता है। अक्सर इस प्रकार के नासमझ सट्टोरिये अपने को बरवाद कर लेते हैं।

उचित व अनुचित सट्टे में केवल इतना अन्तर है कि पहले में निपुण सट्टोरिये काम करते हैं और दूसरे प्रकार के सट्टे का सम्बन्ध नासमझ सट्टोरियो से है जो निपुण सट्टोरियो के अंधे शिष्य होते हैं, पर मौदा एक ही प्रकार का करते हैं। यदि इसी सौदे को निपुण सट्टोरिये करते हैं, तो वह उचित होता है अन्यथा अनुचित।

सट्टे का वर्गीकरण प्रतियोगी सट्टा (competitive speculation) तथा एकाधिकारी सट्टा (monopolistic speculation) के रूप में हुआ है। पहले वर्ग के सट्टोरिये कीमतों पर प्रभाव डालने अथवा नियंत्रण करने में अपने को समर्थ नहीं पाते। इसके विपरीत एकाधिकारी सट्टोरिये बड़े-बड़े सौदों में अपने भारी वित्तीय स्रोत लगाकर, जान-बूझ कर कीमतों में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे सट्टोरिये कीमतों में उतार-चढ़ाव कम करने की अपेक्षा बढ़ाते हैं। इस प्रकार के हस्तक्षेप से वे प्रतियोगी अर्थव्यवस्था की स्वतंत्र कार्यवाही में बाधा डालकर उसे विगाड़ते हैं और किसी समुदाय के स्रोतों के अनुकूल तम (optimum) वितरण को रोकते हैं।

सट्टे के बाजार में प्रयोग में आने वाले कुछ शब्द^१—

१. इन शब्दों का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ, साँड अपने शत्रु को ऊपर और रीछ नीचे फेंक देता है।

जायदाद आदि हो। प्रवेश शुल्क बहुत अधिक होता है।

एक कोठा (५०० मन) से कम परिमाण की वस्तु में सौदा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को सौ रूपए प्रति कोठे की गुजाइश रखनी पड़ती है। यह गुजाइश कभी १०० रुपये से कम नहीं होनी चाहिये। यदि ऐसा होता है तो या तो ममिति सौदे को रद्द कर देती है अथवा इनके पहले की गुजाइश हानि को पूरा करने में पर्याप्त हो, सौदा तय कर लेती है।

सौदे दो प्रकार के होते हैं (१) हाजिर माल (Spot), इसका आशय यह है कि सौदा तुरन्त पूर्ण हो जाना चाहिये। (२) वायदा (Forward Transactions) अर्थात् जब सौदा वर्तमान मूल्य के अनुसार हो तो वस्तु का प्रदान एक निश्चित तिथि पर भविष्य में होता है।

इस प्रकार के सब सौदे हिन्दुस्तानी महीनों के अनुसार होते हैं। जैसे, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, भादो, असोज, मगहर, माघ, आदि। पहले १५ दिन में विक्रेता को यह अधिकार होता है कि ग्राहक को वस्तु लेने के लिए कहे और बाद के १५ दिनों में मागने का अधिकार खरीदार को होता है। महीने के अन्तिम दिन पर खरीदार व विक्रेता, दोनों में से कोई भी माल लेने या देने की सूचना दे सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई ज्येष्ठ, आषाढ का सौदा है, तो १६ ज्येष्ठ से ज्येष्ठ के महीने के अन्त तक किसी भी दिन विक्रेता माल ले लेने की सूचना दे सकता है। खरीदार १ आषाढ से १४ आषाढ तक कभी भी माल माग सकता है। आषाढ की १५ तारीख को, जो उस मास का आखिरी दिन है, और जिस दिन के लिए सौदा किया गया था, खरीदार या विक्रेता दोनों में से कोई भी माल उठाने अथवा देने की सूचना दे सकता है।

यदि खरीदार माल उठाने में, उस समय जब उससे कहा जाय, असमर्थ होता है, या विक्रेता समय पर माल नहीं दे सकता, तो कम्पनी सौदे को पूर्ण कर देती है। यदि इससे कोई हानि होती है तो वह उसको पूरी करनी पड़ती है जिसके कारण कि वह हानि हुई। जब खरीदार माल मागता है, तो उसे कुल माल का २५ प्रतिशत मूल्य (value) कम्पनी के पास जमा कर देना पड़ता है, और विक्रेता माल सौंप देने के बाद कम्पनी से मूल्य ले सकता है।

पर यदि दोनों में से कोई भी पक्ष सौदा पूर्ण करने में असमर्थ होता है, तो उमे नई कीमत पर, जो दूसरे पक्ष के लिए सुविधाजनक हो, सौदा रखने की आज्ञा मिल जाती है। किन्तु इसके पूर्व पुरानी रकम का भुगतान हो जाना चाहिये और उस भुगतान का अन्तर उस पक्ष को मिलना चाहिये, जिसे कीमत के परिवर्तन से लाभ हुआ हो, अर्थात् यदि कीमत गिर गई हो तो खरीदार को अन्तर का भुगतान करना ही होगा।

६. सट्टा (Speculation)—विभिन्न बाजारों में सौदे केवल क्रय-विक्रय के लिए ही नहीं होते, बल्कि सट्टे के लिये भी होते हैं। सट्टे में व्यापारी वस्तुओं को किसी विशेष समय में होने वाली कीमतों के परिवर्तन के लाभ की आशा से खरीदते अथवा बेचते हैं। जब कीमतों के हेर-फेर से लाभ उठाने के लिए सौदा वर्तमान कीमत पर करने के पश्चात् उसकी व्यवस्था किसी भविष्य की निश्चित तिथि के लिए कर दी जाती है तो उस सौदा करने को सट्टा कहते हैं।

इसलिए सट्टे की अनिवार्यताएँ हैं (क) सौदा चालू कीमत (current price) पर किया जाता है। (ख) इसका भुगतान किसी भावी तिथि (future date) में होता है। (ग) यह सौदा किसी लाभ के लिए किया जाता है। इसमें माल लेना या देना नहीं होता, केवल अंतर की रकम ही दी जाती है। सट्टे को भविष्य का व्यवसाय (dealings in future) भी कहते हैं। जिस वस्तु की माग काफी विस्तृत है और जिसको उचित रूप से ग्रेड (grade) किया गया है और जिसकी कीमत चढ़नी उतरनी (fluctuating) है सट्टे के लिए उपयोगी होते हैं।

सट्टा दो प्रकार का होता है —

(1) वैध सट्टा (Legitimate Speculation)—इस प्रकार के सट्टे में उन लोगों की गतिविधि (activity) शामिल है जो अपने कार्य में प्रवीण होते हैं। वे हर काम वैज्ञानिक और सही रीति से करते हैं। वे माग की भविष्यवाणी करने व भविष्य की पूर्ति (supply) का अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हैं। इस काम के लिए वह सभी प्रकार के आकड़ों की सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। वह काम में आने वाली हर प्रकार की सूचना को इकट्ठा करके भविष्य के उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाता है। इन्हीं वैज्ञानिक तथा सचेत गणनाओं के आधार पर वह सौदे करता है और यही वास्तविक सट्टा होता है।

(ii) अवैध सट्टा (Illegitimate Speculation)—यह सर्वथा जुआ होता है। बहुत-से लोग ऐसे हैं जिनको माग और पूर्तियों की शक्तियों का ज्ञान नहीं होता। वे बिना सोचे-समझे अंधे होकर सौदा कर लेते हैं। इस प्रकार के सट्टोरिये वाजार भाव को अपने अनुसार बनाने का प्रयत्न करते हैं। प्रायः इनका अनुमान सही की अपेक्षा गलत होता है। अक्सर इस प्रकार के नासमझ सट्टोरिये अपने को बरवाद कर लेते हैं।

उचित व अनुचित सट्टे में केवल इतना अन्तर है कि पहले में निपुण सट्टोरिये काम करते हैं और दूसरे प्रकार के सट्टे का सम्बन्ध नासमझ सट्टोरियो से है जो निपुण सट्टोरियो के अंधे शिष्य होते हैं, पर सौदा एक ही प्रकार का करते हैं। यदि इसी सौदे को निपुण सट्टोरिये करते हैं, तो वह उचित होता है अन्यथा अनुचित।

सट्टे का वर्गीकरण प्रतियोगी सट्टा (competitive speculation) तथा एकाधिकारी सट्टा (monopolistic speculation) के रूप में हुआ है। पहले वर्ग के सट्टोरिये कीमतों पर प्रभाव डालने अथवा नियंत्रण करने में अपने को समर्थ नहीं पाते। इसके विपरीत एकाधिकारी सट्टोरिये बड़े-बड़े सौदों में अपने भारी वित्तीय स्रोत लगाकर, जान-बूझ कर कीमतों में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे सट्टोरिये कीमतों में उता-चढ़ाव कम करने की अपेक्षा बढ़ाते हैं। इस प्रकार के हस्तक्षेप से वे प्रतियोगी अर्थव्यवस्था की स्वतंत्र कार्यवाही में बाधा डालकर उसे विगाड़ते हैं और किसी समुदाय के स्रोतों के अनुकूल तम (optimum) वितरण को रोकते हैं।

सट्टे के वाजार में प्रयोग में आने वाले कुछ शब्द^१—

१. इन शब्दों का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ, साँड अपने शत्रु को ऊपर और रीऊ नीचे फेंक देता है।

जायदाद आदि हो। प्रवेश शुल्क बहुत अधिक होता है।

एक कोठा (५०० मन) से कम परिमाण की वस्तु में सौदा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को सौ रुपए प्रति कोठे की गुजाइश रखनी पडती है। यह गुजाइश कभी १०० रुपये से कम नहीं होनी चाहिये। यदि ऐसा होता है तो या तो ममिति मौदे को रद्द कर देती है अथवा इनके पहले की गुजाइश हानि को पूरा करने में पर्याप्त हो, सौदा तय कर लेती है।

सौदे दो प्रकार के होने हैं (१) हाजिर माल (Spot), इसका आशय यह है कि सौदा तुरन्त पूर्ण हो जाना चाहिये। (२) वायदा (Forward Transactions) अर्थात् जब सौदा वर्तमान मूल्य के अनुसार हो तो वस्तु का प्रदान एक निश्चित तिथि पर भविष्य में होता है।

इस प्रकार के सब मौदे हिन्दुस्तानी महीनों के अनुसार होते हैं। जैसे, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, भादो, असोज, मगहर, माघ, आदि। पहले १५ दिन में विक्रेता को यह अधिकार होता है कि ग्राहक को वस्तु लेने के लिए कहे और बाद के १५ दिनों में मागने का अधिकार खरीदार को होता है। महीने के अन्तिम दिन पर खरीदार व विक्रेता, दोनों में से कोई भी माल लेने या देने की सूचना दे सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई ज्येष्ठ, आषाढ का सौदा है, तो १६ ज्येष्ठ से ज्येष्ठ के महीने के अन्त तक किसी भी दिन विक्रेता माल ले लेने की सूचना दे सकता है। खरीदार १ आषाढ से १४ आषाढ तक कभी भी माल माग सकता है। आषाढ की १५ तारीख को, जो उस मास का आखिरी दिन है, और जिस दिन के लिए सौदा किया गया था, खरीदार या विक्रेता दोनों में से कोई भी माल उठाने अथवा देने की सूचना दे सकता है।

यदि खरीदार माल उठाने में, उस समय जब उससे कहा जाय, असमर्थ होता है, या विक्रेता समय पर माल नहीं दे सकता, तो कम्पनी सौदे को पूर्ण कर देती है। यदि इससे कोई हानि होती है तो वह उसको पूरी करनी पडती है जिसके कारण कि वह हानि हुई। जब खरीदार माल मागता है, तो उसे कुल माल का २५ प्रतिशत मूल्य (value) कम्पनी के पास जमा कर देना पडता है, और विक्रेता माल सौंप देने के बाद कम्पनी से मूल्य ले सकता है।

पर यदि दोनों में से कोई भी पक्ष सौदा पूर्ण करने में असमर्थ होता है, तो उमे नई कीमत पर, जो दूसरे पक्ष के लिए सुविधाजनक हो, सौदा रखने की आज्ञा मिल जाती है। किन्तु इसके पूर्व पुरानी रकम का भुगतान हो जाना चाहिये और उस भुगतान का अन्तर उस पक्ष को मिलना चाहिये, जिसे कीमत के परिवर्तन से लाभ हुआ हो, अर्थात् यदि कीमत गिर गई हो तो खरीदार को अन्तर का भुगतान करना ही होगा।

६. सट्टा (Speculation)—विभिन्न बाजारों में सौदे केवल क्रय-विक्रय के लिए ही नहीं होते, बल्कि सट्टे के लिये भी होते हैं। सट्टे में व्यापारी वस्तुओं को किसी विशेष समय में होने वाली कीमतों के परिवर्तन के लाभ की आशा से खरीदते अथवा बेचते हैं। जब कीमतों के हेर-फेर से लाभ उठाने के लिए सौदा वर्तमान कीमत पर करने के पश्चात् उसकी व्यवस्था किमी भविष्य की निश्चित तिथि के लिए कर दी जाती है तो उस सौदा करने को सट्टा ५८।२।

इसलिए मट्टे की अनिवार्यताएँ हैं (क) सौदा चालू कीमत (current price) पर किया जाता है। (ख) इसका भुगतान किसी भावी तिथि (future date) में होता है। (ग) यह सौदा किसी लाभ के लिए किया जाता है। इसमें माल लेना या देना नहीं होता, केवल अंतर की रकम ही दी जाती है। मट्टे को भविष्य का व्यवसाय (dealings in future) भी कहते हैं। जिस वस्तु की माग काफी विस्तृत है और जिसको उचित रूप से ग्रेड (grade) किया गया है और जिसकी कीमत चढ़नी उतरनी (fluctuating) है मट्टे के लिए उपयोगी होती है।

सट्टा दो प्रकार का होता है —

(1) वैध सट्टा (Legitimate Speculation)—इस प्रकार के सट्टे में उन लोगों की गतिविधि (activity) शामिल है जो अपने कार्य में प्रवीण होते हैं। वे हर काम वैज्ञानिक और सही रीति से करते हैं। वे माग की भविष्यवाणी करने व भविष्य की पूर्ति (supply) का अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हैं। इस काम के लिए वह सभी प्रकार के आकड़ों की सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। वह काम में आने वाली हर प्रकार की सूचना को इकट्ठा करके भविष्य के उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाता है। इन्हीं वैज्ञानिक तथा सचेत गणनाओं के आधार पर वह सौदे करता है और यही वास्तविक सट्टा होता है।

(11) अवैध सट्टा (Illegitimate Speculation)—यह सर्वथा जुआ होता है। बहुत-से लोग ऐसे हैं जिनको माग और पूर्तियों की शक्तियों का ज्ञान नहीं होता। वे बिना सोचे-समझे अंधे होकर सौदा कर लेते हैं। इस प्रकार के सट्टोरिये बाजार भाव को अपने अनुसार बनाने का प्रयत्न करते हैं। प्रायः इनका अनुमान सही की अपेक्षा गलत होता है। अक्सर इस प्रकार के नासमझ सट्टोरिये अपने को बरबाद कर लेते हैं।

उचित व अनुचित सट्टे में केवल इतना अन्तर है कि पहले में निपुण सट्टोरिये काम करते हैं और दूसरे प्रकार के सट्टे का सम्बन्ध नासमझ सट्टोरियो से है जो निपुण सट्टोरियो के अंधे गिण्य होते हैं, पर सौदा एक ही प्रकार का करते हैं। यदि इसी सौदे को निपुण सट्टोरिये करते हैं, तो वह उचित होता है अन्यथा अनुचित।

सट्टे का वर्गीकरण प्रतियोगी सट्टा (competitive speculation) तथा एकाधिकारी सट्टा (monopolistic speculation) के रूप में हुआ है। पहले वर्ग के सट्टोरिये कीमतों पर प्रभाव डालने अथवा नियंत्रण करने में अपने को समर्थ नहीं पाते। इसके विपरीत एकाधिकारी सट्टोरिये बड़े-बड़े सौदों में अपने भारी वित्तीय स्रोत लगाकर, जान-बूझ कर कीमतों में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे सट्टोरिये कीमतों में उतार-चढ़ाव कम करने की अपेक्षा बढ़ाते हैं। इस प्रकार के हस्तक्षेप से वे प्रतियोगी अर्थव्यवस्था की स्वतंत्र कार्यवाही में बाधा डालकर उसे विगाड़ते हैं और किसी समुदाय के स्रोतों के अनुकूल तम (optimum) वितरण को रोकते हैं।

सट्टे के बाजार में प्रयोग में आने वाले कुछ शब्द^१—

१ इन शब्दों का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ, साँड अपने शत्रु को ऊपर और रीऊ नीचे फेंक देता है।

बुल्स (Bulls) वे लोग होते हैं जो इस आशा से स्टॉक और शेयर खरीदते हैं कि मूल्य में वृद्धि होगी।

बियर्स (Bears)—बियर्स वर्तमान में इसलिए विक्रय करते हैं कि उन्हें यह भय होता है कि भविष्य में कीमत गिरेगी। जब कीमत बढ़ रही होती है तो बाजार 'तेजी' का मूल्यारोपण कहलाता है। एक-से मूल्यों के बाजार को 'मूल्यापात' अथवा 'मदी' का बाजार कहते हैं।

द्वैध रक्षण (Hedging)—जब व्यवसायी या उत्पादक कीमतों के उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचने के लिये कोई तरकीब करता है, तो उसे द्वैध-रक्षण अथवा अप्रेजी में हैजिंग कहते हैं। उसे कई महीनों के लिए कच्चा माल खरीद कर रखना पड़ता है। यदि कीमत गिर जाय तो उसे हानि होगी। ऐसी परिस्थितियों में वह यह सोचेगा कि उसे अपनी खरीदारी को टाल देना चाहिए था। यदि कीमत बढ़ जाती है तो उसे लाभ होता है। वह अपने उत्पादन कार्य में जोखिम लेने के लिए तैयार होता है, पर कच्चे माल के मूल्यों के उतार-चढ़ाव में नहीं। वह उससे बचना चाहता है। इसे वह कैसे कर सकता है?

उदाहरण के लिये एक आटा पीसने वाले को ले लीजिए। उसने १०) प्रति मन के हिसाब से २०,००० मन गेहूँ लिया। पर बाद में मूल्य गिरकर ८) प्रति मन हो गया। इससे उसे २) प्रति मन अर्थात् ४०,०००) की हानि हुई। पर यदि मूल्य बढ़कर १२) प्रति मन हो जाय तो उसे ४०,०००) का लाभ होगा। वह यह प्रयत्न करेगा कि इस हानि की सभावना न रहे, चाहे लाभ हो अथवा न हो। ऐसी परिस्थिति में वह द्वैध-रक्षण का सहारा लेगा। जब वह १०) प्रति मन के भाव से २०,००० मन गेहूँ स्थायी बाजार में खरीदता है तो उसी को इसी कीमत पर भविष्य बाजार में बेच देता है। अब मान लीजिए, कीमत गिरकर ८) प्रति मन हो गयी और उसे स्थायी बाजार में ४०,०००) का घाटा हुआ। पर भविष्य के बाजार में उसे ४०,०००) का लाभ होगा, क्योंकि तब उसे, ८) प्रति मन के हिसाब से गेहूँ मिलेगा और वह उसे १०) प्रतिमन के भाव से बेचेगा। इस प्रकार एक सौदे की हानि दूसरे सौदे के लाभ से पूरी हो जाती है। और इस प्रकार न उसकी हानि होती है और न लाभ, और वह यही चाहता था। वह अपने आटा पीसने के व्यवसाय के लाभ के अतिरिक्त किसी प्रकार की हानि अथवा लाभ का भार उठाना नहीं चाहता।

विकल्प (Options)—सटोरिया विकल्प खरीद लेता है, जिसके द्वारा वह हानि वाले सौदे में से निबल सकता है। विकल्प तीन प्रकार के होते हैं —

(१) याचना विकल्प (Call Option)—मान लीजिए, मैंने १०) मन के हिमाव से गेहूँ लिया किन्तु भुगतान के समय उसकी कीमत गिरकर ८) प्रति मन रह गयी। इस प्रकार मुझे २) प्रति मन की हानि हुई। यदि मैंने ५,००० मन गेहूँ खरीदने का ठेका लिया था, तो कुल ठेके में मुझे १०,०००) का घाटा हुआ, पर मैंने यदि याचना-विकल्प अर्थात् एक आना मन देकर, खरीदने या न खरीदने का अधिकार खरीद लिया है, तो मैं १ आना फी मन देकर गेहूँ न खरीदने के विकल्प का प्रयोग करूँगा। इस प्रकार २) मन के स्थान पर मुझे केवल एक आना फी मन का घाटा होगा।

(ii) Put Option—अर्थात् बेचने अथवा न बेचने का विकल्प—मैंने ५,००० मन गेहूँ १०) फी मन के हिसाब से बेचने का सौदा किया, किन्तु नियत तिथि पर वाजार भाव १२) हो गया। इससे मुझे २) प्रति मन का घाटा होगा अर्थात् कुल १०,००० रुपये का। पर यदि मैंने (Put Option) खरीद ली है, तो मुझे बेचने से इन्कार कर देने का भी अधिकार होगा। किन्तु विकल्प ले लेने से मेरी हानि कुल सौदे की हानि की तुलना में नाममात्र की होगी।

(iii) दोहरा विकल्प (Double Option)—इस प्रकार के विकल्प से मुझे इस बात का अधिकार हो जायगा कि मैं अपना हानि-लाभ ध्यान में रखकर वस्तु खरीदू अथवा बेच दूँ। पर इस दोहरी विकल्प को खरीद कर मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे लाभ ही होगा। क्योंकि लाभ या हानि इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने विकल्प की क्या कीमत दी है तथा कीमत में परिवर्तन की क्या सीमा है। यदि मैंने दोहरे विकल्प के लिए ४ आने प्रति मन दिया है और कीमत में परिवर्तन भी ४ आने के बराबर ही हुआ है, तो न हानि होगी, न लाभ। पर यदि उतार-चढ़ाव इससे अधिक होगा तो मैं खरीदने अथवा बेचने के अपने अधिकार को प्रयोग में लाकर लाभ उठा लूँगा। पर यदि कीमत परिवर्तन दोहरे विकल्प से कम हुआ, तो मुझे अवश्य ही हानि होगी।

१० सट्टे के लाभ और खतरे (Benefits and Dangers of Speculation)—आधुनिक व्यापार व्यवसाय में सट्टे का एक महत्त्वपूर्ण और लाभप्रद स्थान है। इसके अपने अनेक निजी लाभ हैं। समय के नियत भाग में माग व पूर्ति की शक्तियों को समान करके यह कीमत को स्थिर रखता है। मान लीजिये, कपास की वर्तमान कीमत १०) प्रति मन है और एक प्रभावशाली सटोरिया इस निर्णय पर पहुँचता है कि कीमत १८) तक बढ़ेगी। इस निर्णय के आधार पर वह अधिक-से-अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न करेगा। दूसरे सटोरिये भी यही करेंगे। इससे कपास की माग अनायास ही बढ़ जायेगी, और फलस्वरूप उसके भाव में वृद्धि हो जायगी। थोड़े ही समय में कीमत बढ़कर १०) से १३) हो सकती है। यदि सट्टा न होता तो कीमत बढ़कर १८) प्रति मन हो गयी होती, पर सटोरियो ने भविष्य में बेचने के लिए कपास बड़ी मात्रा में खरीद ली। इससे पूर्ति बढ़ जायगी और फलस्वरूप कीमत उतनी नहीं बढ़ेगी, जितनी कि बढ़ने की आशा थी। बहुत सम्भव है कि १८) प्रति मन के बजाय यह १५) पर ही रुक जाय। इसके अर्थ यह हुए कि सट्टे के कारण कीमत का अन्तर घटकर (१८-१० ६०) आठ रुपये से २ रुपये (१५-१३ ६०) रह गया।

संक्षेप में कुशल सटोरियो के कार्य कीमतों के भीषण उतार-चढ़ाव के भय को समाप्त कर देते हैं। यदि सट्टा न होने पर कीमत बढ़ती तो सट्टे के रहते हुए वे कम बढ़ती है। और यदि कीमत गिरने की आशा होती है, तो सट्टे से वे कम गिरती है। इस प्रकार सट्टा कीमत को स्थिर रखता है। सटोरियो माग व पूर्ति के बीच सन्तुलन लाने में बहुत सहायक होते हैं।

कीमतों में भीषण परिवर्तन समाज के लिए हानिकारक होता है। आर्थिक जीवन में इससे उथल-पुथल हो जाती है। कीमत के सदा घटते-बढ़ते रहने से एक प्रकार की अनिश्चि-

तना का वातावरण पैदा हो जाता है, जो उद्योग व व्यवसाय के लिए बहुत बुरा होता है। मटोरिये कीमतों में भीषण परिवर्तन को रोक कर समाज की बड़ी सेवा करते हैं।

स्थिर कीमतें (steady prices) (१) उपभोक्ता, (२) उत्पादक, तथा (३) समस्त समाज के लिए बहुत लाभदायक होती हैं।

(1) जब कीमतें स्थिर होती हैं, तो उपभोक्ता अपने व्यय का अधिक सही अनुमान लगा सकता है। कीमतों के भीषण परिवर्तन से उसके पारिवारिक बजट में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है जिससे पारिवारिक आर्थिक जीवन में अनिश्चितता आ जाती है। पर यदि कीमतें स्थिर हो तो उसके अनुमान सही व सरल हो जाते हैं। अतएव सटोरिया कीमतों में स्थिरता लाकर उपभोक्ता का बड़ा उपकार करता है।

(11) उत्पादक को भी मटोरियों के कार्यों से लाभ होता है। वर्तमान औद्योगिक प्रणाली में माग के बहुत पूर्वं ही उत्पादन-कार्य प्रारम्भ हो जाता है। यदि कच्चे माल की कीमतों में भीषण उतार-चढ़ाव होंगे, तो उत्पादक के सारे हिसाब उलट-पलट जायेंगे। सटोरिया इस भय को कम कर देता है। वह कीमत को अधिक स्थिर बनाकर कीमत परिवर्तन की सारी चिन्ता को उत्पादक के हृदय से निकाल देता है। ढ़ँघ-रक्षण (hedging) में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार उत्पादक बाहरी जोखिम को कम करने का प्रयत्न करता है।

(111) यही नहीं, सट्टे से सारे समाज को लाभ होता है। कारण अपने कार्यों से सटोरिये समाज का ध्यान भविष्य में सभावित वस्तु की कमी अथवा अधिकता की ओर आकर्षित करते हैं। यदि वस्तु कम होने वाली है तो हमें नियन्त्रण से काम लेना चाहिये। और यदि उसकी पूर्ति बढ़ने वाली है तो उसको अधिक परिमाण में रखना अनावश्यक व जोखिम से भरा होगा।

(1V) सटोरियों से वस्तु के आर्थिक वितरण में भी काफी सहायता मिलती है। वे अपने कार्य में कुशल होते हैं। केवल यही नहीं जानते कि कीमत कब घटेंगी अथवा बढ़ेंगी बल्कि यह भी जानते हैं कि कीमत कहां अधिक है और कहां कम। वस्तु की गति उस ओर होती है जहाँ कीमतें अधिक होती हैं। "सटोरिया वर्तमान पूर्ति में कोई वृद्धि नहीं कर देता, यह उनको घटाता भी नहीं है, पर उसके कार्य वर्तमान व भविष्य की माग व पूर्ति को समता की ओर लाते हैं।" और हम कह सकते हैं कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान को मिलाता है।

(V) स्टॉक विनिमय में सट्टा स्टॉक विनिमय के सौदे सुगम करके पूजी बढ़ाता है, तथा पूजी लगाने वाले का मार्गदर्शक का काम करता है। यह नई पूजी को बढ़ाने में सहायक होता है।

यह सर्व विदित है कि किस प्रकार सन् १९२९ में न्यूयार्क में मटोरियों की गतिविधियों के कारण वाल स्ट्रीट (न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज) में भीषण हानि हुई थी। सट्टे के कारण स्टॉक की कीमत को उनके वास्तविक और भावी कीमतों से कहीं अधिक बढ़ा दिया गया था। न्यूयार्क के स्टॉक विनिमय में मासिक विनिमय की मात्रा १८० लाख हिस्सों से बढ़कर दस करोड़ के हिस्सों तक पहुँच गई। परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही विस्फोट हुआ जिससे

हजारों अमरीकी स्टोरिये तवाह हो गये। इसका प्रभाव सारे ससार पर पड़ा तथा जगत को भीषण सकट ने जकड़ लिया। इसी सकट ने "मदी" को जन्म दिया। आर्थर साल्टर (Arthur Salter) के शब्दों में "आर्थिक तत्वों पर आधारित सट्टा लाभदायक हो सकता है पर "सट्टे पर सट्टा" सदैव हानिकर होता है।" (Speculation based on economic realities may be beneficial but 'speculation on speculation' is definitely injurious)

सट्टे को सारे औद्योगिक व व्यावसायिक चेष्टाओं का 'नमक' कहा गया है। एक भारतीय लेखक ने इस उपमा को ठीक मानकर कहा है, "अक्सर ऐसा होता है कि खाने वाला, बिना नमक का खाना खाने से इन्कार अवश्य कर देता है। पर इसी प्रकार वह अधिक नमक पड़े हुए खाने को भी वापस कर सकता है।" सट्टा अच्छा अवश्य है, पर अधिक सट्टा बुरा होता है। यदि सट्टा एक-मात्र ध्येय बन जाय तो यह भयानक हो जाता है। "जब ऐसा हो जाता है और उत्पादन कार्यों से लाभ की आशा न रखकर केवल इन अनुमानों पर अवलम्बित रहती है कि शायद कीमत घटे या बढ़े अथवा इस बात पर आधारित होती है कि खरीद की कीमत व विक्रय की कीमत से लाभ होगा,.....तब सट्टे का कार्य वास्तविक क्षेत्र से हटकर खेल में, कारखाने से हटकर स्टॉक विनिमय में, उत्पादन के क्षेत्र से हटकर वितरण अथवा पुनर्वितरण में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार दूसरे की शक्ति पर किसी एक के अमीर होने से धन बिना किसी विशेष वृद्धि के व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चला जाता है।"²

निर्देश पुस्तकें

- Robinson, Joan—The Economics of Imperfect Competition
 Chamberlain, E. H.—The Theory of Monopolistic Competition,
 Ch I
 Pigou, A C—Economics of Welfare
 Marshall, A.—Principles of Economics, (1936) pp 112, 322-32
 Benham, F—Economics (1940) pp 20-42
 Brij Naran—Principles of Economics, (1945) Ch. VI. pp 75-84.
 (S. Chand & Co)

1. Brij Naran—Principles of Economics, (1945) p 83
 2. Ibid. pp. 83-4

पूर्ति तथा पूर्ति का नियम

(SUPPLY AND THE LAW OF SUPPLY)

१. भूमिका—मूल्य निश्चय करना (valuation) अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है। दो प्रकार की शक्तियों (अर्थात् पूर्ति तथा माँग) के आवार पर मूल्य (value) निश्चित होता है। अब तक हमने माँग का अध्ययन किया है। माँग तथा पूर्ति की साम्यावस्था (equilibrium) के अध्ययन से पूर्व हम पूर्ति के विषय में संक्षेप में वर्णन करेंगे।

२ पूर्ति तथा स्टॉक (Supply and Stock)—पूर्ति से हमारा तात्पर्य उस राशि से है जो हम किसी मूल्य विशेष पर बिक्री के लिए देते हैं। हम पूर्ति की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि “पूर्ति किसी वस्तु की मात्राओं की वह अनुसूची है जो विक्रय के लिये विभिन्न कीमतों पर किसी समय में, उदाहरणार्थ एक दिन, एक सप्ताह आदि जिसमें पूर्ति की सभी दशाएँ स्थिर हो, प्रस्तावित की जाय।” (Meyers)

परन्तु पूर्ति और स्टॉक में अंतर है। स्टॉक तो वस्तु के उस संपूर्ण परिमाण को कहते हैं जो थोड़े समय के भीतर बाजार में बिकने के लिए रखा जा सकता है और पूर्ति का अर्थ उस मात्रा से है जो मार्केट में बिक्री के लिए वास्तविक मात्रा में लाई जाती है। इस वर्ग में शीघ्र नष्ट होने वाली मछली व फल जैसी वस्तुओं की पूर्ति तथा स्टॉक की समान गणना होती है। लेकिन जो वस्तुएँ शीघ्र नष्ट नहीं होती उनको कीमत अनुकूल न होने पर विक्रय से रोका जा सकता है। यदि कीमत अधिक है तो बिक्रेता कुल मात्रा का अधिक भाग बेचने को तैयार होते हैं, पर यदि वस्तु की प्रचलित कीमत कम होती है तो स्टॉक राशि का बहुत थोड़ा-सा भाग विक्रय के लिए निकाला जाता है। संक्षेप में स्टॉक ही का दूसरा नाम सम्भावित पूर्ति (potential supply) है।

३ पूर्ति-नियम (The Law of Supply)—पूर्ति का कीमत के साथ क्रियाकारी (functional) सम्बन्ध है। ‘यदि और परिस्थितियाँ पूर्ववत् हो, तो वस्तु की कीमत बढ़ने से पूर्ति में वृद्धि होती है व कीमत घटने से पूर्ति कम हो जाती है।’ कीमत के अनुसार ही बिक्री के लिए दी जाने वाली मात्रा पर सीधा प्रभाव पड़ता है अर्थात् जितनी अधिक कीमत होगी उसकी पूर्ति भी उतनी अधिक होगी और इसके ठीक विपरीत भी ऐसा ही होगा।

माग अनुसूची की तरह जो कि समझाई जा चुकी है (अध्याय ६, विभाग २) हम किसी व्यक्ति की पूर्ति अनुसूची बना सकते हैं। बाजार में विभिन्न कीमतों पर विक्रेता वस्तुओं की जिस परिमाण में पूर्ति करते हैं उनको जोड़ कर हम किसी वस्तु की पूर्ति अनुसूची बना सकते हैं। पूर्ति अनुसूची कीमतों तथा मात्रा में सम्बन्ध बताती है जो कि कुछ व्यक्ति

उत्पादन करने तथा बेचने के लिए तैयार है ।


मान लीजिये सेवो की पूर्ति अनसूची इस प्रकार है —

मूल्य प्रति दर्जन (रुपये में)	पूर्ति की मात्रा (दर्जनों में)
७	४३
६	४०
५	३६
४	३१
३	२५
२	१८
१	१०

इसमें हमें यह ज्ञात होता है कि जब कीमत ७ रुपये प्रति दर्जन तक बढ़ जाती है तो ४३ दर्जन सेवो को विक्री के लिए बाजार में रखा जाता है । पर ज्यो-ज्यो कीमत गिरती जाती है पूर्ति की मात्रा भी कम होती जाती है, यहाँ तक कि जब कीमत गिरकर १ रुपया प्रति दर्जन हो जाती है तो केवल दस दर्जन सेव विक्रम के लिए आते हैं । इसके अर्थ यह हुआ कि ज्यो-ज्यो कीमत गिरती जाती है, पूर्ति कम होती जाती है और ज्यो-ज्यो कीमत बढ़ती जाती है, पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है । इसी को पूर्ति का नियम कहते हैं ।

उपर्युक्त पूर्ति अनसूची को एक पूर्ति वक्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ।

ख, ग रेखा पर वस्तु का परिमाण अंकित है और ख क रेखा पर कीमत का, स स' पूर्ति वक्र है । यदि पूर्ति वक्र के किमी बिन्दु प से ख ग रेखा पर एक लम्ब प म तथा



रेखा चित्र न० २४

क ख पर प ख' तक लम्ब खींचा जाए तो प म (=ख' ख) कीमत पर प ख' (=ख म) मात्रा की पूर्ति होगी ।

इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूर्ति वक्र दाहिनी ओर में बाईं ओर को झुकता है, जबकि माग वक्र बाईं ओर से दाहिनी ओर को झुकता है। इसका कारण यह है कि जब कीमत गिरती है तो माग बढ़ जाती है पर पूर्ति कम होती है और जब कीमत बढ़ती है तो माग कम हो जाती है व पूर्ति में वृद्धि होती है।

यदि कीमत बहुत अधिक गिर जाए तो पूर्ति बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। वह कीमत जिससे कम में बेचने वाला बेचने से इन्कार कर देता है रक्षित कीमत (reserve price) कहलाती है। इस कीमत पर खरीदार अपना स्टॉक खरीदता है।

खरीदार की रक्षित कीमत को बनाने में कई कारण हैं —

(१) रक्षित कीमत प्रायः माल की खराब होने की स्थिति (perishability) पर आधारित है। माल जितना शीघ्र खराब होने वाला होगा, उतनी ही उस माल की रक्षित कीमत नीची होगी।

(२) जहां तक ऐसे माल का सवाल है जो नष्ट होने वाला नहीं है, रक्षित कीमत इस बात पर आधारित रहेगी कि बेचने वाले का आगामी कीमत (future price) का क्या अंदाज (प्रावकलन) है।

(३) यह भविष्य की लागत पर आधारित होगा। यदि लागत गिरने की आशा है तो रक्षित कीमत कम हो जाएगी (गिर जाएगी), और ठीक इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा।

(४) रक्षित कीमत (reserve price) माल ढोने पर आने वाले खर्च पर आधारित है। इसलिए जितने समय तक स्टॉक रोक जा सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। जितनी लम्बी यह अवधि होगी उतनी ही रक्षित कीमत कम हो जाएगी।

(५) इसके अन्तर्गत बेचने वाले का तरल अधिमान (liquidity preference) इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। नकद (cash) की मांग जितनी तीव्र होगी, उतनी ही रक्षित कीमत गिर जाएगी।

(६) कई व्यापारी जिद के कारण पहले हुई लागत पर अधिक जोर देते हैं और रक्षित कीमत अधिक रख लेते हैं चाहे इससे उन्हें ज्यादा ही नुकसान उठाना पड़े।

४. पूर्ति की लोच (Elasticity of Supply)—जब कीमत में थोड़ी-सी कमी से भी पूर्ति बहुत गिर जाती है तो पूर्ति अपेक्षाकृत लोचदार होती है। लेकिन जब कीमत में बहुत बड़ी कमी हो जाने पर भी पूर्ति में बहुत कम कमी होती है, तो पूर्ति अपेक्षाकृत लोचहीन कहलाती है। इसके विपरीत यदि तनिक कीमत बढ़ने से पूर्ति में अतीव वृद्धि हो जाय तो पूर्ति लोचदार होती है। पर यदि कीमत बहुत अधिक बढ़ जाने पर पूर्ति में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हो तो पूर्ति लोचहीन होती है।

वास्तव में पूर्ति की लोच उस सरलता की माप है जिससे एक व्यवसाय बढ़ाया जा सकता है तथा उसका सीमान्त लागत (marginal cost) पर प्रभाव जाना जा सकता है। यदि कीमत में थोड़ी वृद्धि से बहुत-सी व्यवसायी सस्था (firms) आ जाएं, जिनके अत्यल्प औसत लागत कीमत के बराबर रहती हैं तथा सीमान्त लागत नहीं बढ़ती,


तो पूर्ति पूर्णतया लोचदार कही जाती है। तो भी यदि बढ़ा हुआ उत्पादन केवल कीमत में अपरिमित वृद्धि से पाया जा सकता है तथा कोई नई सस्था (firm) उद्योग की ओर आकर्षित नहीं होती तो पूर्ति लोचदार नहीं होगी। इन दो सीमाओं के बीच लोच की कई श्रेणी होगी। लोच की श्रेणी एक विशिष्ट स्थिति में सस्थाओं की सीमात लागत वक्रों के ढाल (slope) तथा औसत लागत वक्रों के आकार पर निर्भर होगी।

“पूर्ति की मात्रा व कीमत में कुछ ऐसा ही संवध है जैसे कुत्ते व सीटी में होता है। सीटी जितनी ही अधिक तीव्रता से बजेगी, उतनी ही अधिक तेजी से कुत्ता दौड़ेगा। इसी प्रकार कीमत बढ़ते ही मात्रा अनायास ही बढ़ जाती है। यदि कुत्ता सचेत होगा—अर्थशास्त्र की भाषा में लोचदार होगा—तो सीटी की क्षीण-सी ध्वनि से वह दौड़ पड़ेगा। पर यदि कुत्ता चेष्टाहीन अथवा लोचहीन होगा, तो जब तक सीटी बहुत जोर से नहीं बजेगी वह नहीं दौड़ेगा।”

एक खड़ी सीधी रेखा से पूर्ण रूप में बेलोचदार पूर्ति का पता चलता है (अर्थात् शून्य लोच (zero elasticity) का तथा क्षैतिज (horizontal) सीधी रेखा से अनिश्चित रूप से लोचदार पूर्ति का। इन दोनों चरम सीमाओं के बीच लोच विभिन्न मात्राओं में पाई जाएगी। निम्नलिखित सूत्र लोच का सामान्य माप है —

$$\text{पूर्ति की लोच} = \frac{\text{सप्लाई की जाने वाली राशि में वृद्धि}}{\text{सप्लाई की गई राशि}} \cdot \frac{\text{कीमत में वृद्धि}}{\text{कीमत}}$$

पूर्ति (सप्लाई) की लोच मापने के लिए निम्नलिखित रेखाचित्र की सहायता से समझा जा सकता है —




रेखा चित्र न० २५

स स' सप्लाई (पूर्ति) वक्र है। इस पर कोई प बिन्दु लीजिए। प बिन्दु से प ट एक स्पर्श-रेखा (tangent) खींचिए जो ख दण्ड पर ट बिन्दु तक हो। इसके बाद प बिन्दु से प म लम्ब बनाइए, जो ख दण्ड पर म बिन्दु तक बने। इस तरह,

$$\text{सप्लाई की लोच} = \frac{प ट}{प ट'} = \frac{म ट}{अ म}$$

५ पूर्ति में वृद्धि व कमी (Increase and Decrease in Supply)
—अर्थशास्त्री प्रायः कहते हैं कि, यदि और बातें समान रहें तो किसी क्षण में एक अद्वितीय मांग तथा पूर्ति अनसूची होगी। इस प्रकार पूर्ति और मांग में एक परिवर्तन होगा।

पूर्ति को उस समय वृद्धिशील कहा जाता है जब उसी कीमत पर विक्री के लिए दिया जाता है अथवा उन्नी मात्रा को कम कीमत पर दिया जाता है। पूर्ति को गिरा हुआ (decreasing) कहा जाता है जब उसी कीमत पर विक्री के लिए कम दिया जाता है अथवा वही मात्रा ऊँची कीमत पर दी जाती है। इस बात का निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा निरूपण किया गया है।



रेखा चित्र न० २६

यदि परिवर्तन के पूर्व पूर्ति वक्र $s-s'$ है तो $s'-s'$ पूर्ति में कमी दिखाता है क्योंकि उसी मूल्य $k-j$ ($=p'm'$) पर पूर्ति की मात्रा कम हो जाती है ($k-m$ के वजाय $k-m'$)। $s''-s''$ पूर्ति में वृद्धि दिखलाता है क्योंकि उन्नी मूल्य $k-j$ पर ($=p''m''$) पर अधिक मात्रा विक्रय के लिए रखी जाती है, वजाय $k-m$ के $k-m''$ ।

विद्यार्थियों को सावधानी के साथ 'पूर्ति की मात्रा में वृद्धि' तथा 'पूर्ति में वृद्धि' का अंतर जान लेना चाहिये। 'पूर्ति में वृद्धि' का

अर्थ यह है कि पूरा पूर्ति वक्र दाहिनी ओर एक नए स्थान को ग्रहण कर लेता है। यह पूर्णतया एक नया वक्र है। परन्तु 'पूर्ति की मात्रा में वृद्धि' का अर्थ केवल यह है कि ऊँची कीमत पर अधिक विक्री के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। पूर्ति वक्र वही रहता है। उसी वक्र के साथ-साथ चलना केवल कीमत के परिवर्तन के साथ पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन बतलाता है। यह पूर्ति की अनुसूची अथवा पूर्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं प्रस्तुत करती।

पूर्ति को कीमत के परिवर्तन से व्यवस्थित होने के लिये समय लगने के दृष्टिकोण से हम तीन प्रकार की पूर्ति में भेद कर सकते हैं —

(i) बाजार पूर्ति (Market Supply)—यह क्षणिक पूर्ति होती है और इसमें पूर्ति को माग में परिवर्तन से व्यवस्थित होने का समय नहीं मिलता। ऐसी कोई अत्यल्प कीमत नहीं है जिससे कम पर विक्रेता विक्रय नहीं करेंगे। माग को स्थिर मानकर कीमत विक्रेताओं की अपनी पूरी राशि अथवा उसके कुछ भाग को बेचने की लालसा पर पूर्णतया निर्भर होगी।

(ii) अल्पकालीन पूर्ति (Short-period Supply)—यह उस पूर्ति को सूचित करता है जो वर्तमान उत्पादन के साधनों के द्वारा ही की जा सकती है। इसमें आवश्यकता के अनुसार उद्योग को बढ़ाने या घटाने का समय नहीं होता।

(iii) दीर्घकालीन पूर्ति (Long-term Supply)—इसमें उद्योग को बढ़ाने अथवा घटाने में काफी समय लगता है। इसमें पुरानी कलो की जगह नई कलो को बनाने तथा उनके प्रयोग का समय होता है अथवा यदि आवश्यकता हो तो मौजूदा कलो की शक्ति बढ़ाने का समय होता है।

६ पूर्ति में परिवर्तन के कारण (Causes of Changes in Supply)

—पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी कई कारणों से होती है ।

सर्वप्रथम तो उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे कच्चा माल आदि की कीमतों में वृद्धि से किसी वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाती है । उससे पूर्ति की मात्रा कम हो जायगी । इसके विरुद्ध उन साधनों की कीमत में कमी होने पर उत्पादन बढ़ जायगा और फलस्वरूप पूर्ति भी बढ़ जायगी ।

दूसरे, जहा तक कृषि का सबंध है, अच्छी वर्षा, सिंचाई में उन्नति, खाद की अधिक पूर्ति और उत्पादन की उन्नतिशील रीतियों के प्रयोग से स्वभावतः पूर्ति में वृद्धि होगी । दूसरी ओर यदि वर्षा नहीं होगी, अथवा बाढ़, आग, नाशक कीट, तूफान या भूचालों का प्रकोप होगा तो पूर्ति कम हो जायगी । भारत में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के फलस्वरूप खाद्य में वृद्धि हुई ।

तीसरी बात यह है कि टैकनीक (technique) में उन्नति होने से उत्पादन की लागत में कमी आती है और इससे पूर्ति बढ़ जाती है । दूसरी ओर वस्तु के उत्पादन पर अथवा उत्पादन के साधनों पर अधिक कर लगने से पूर्ति में कमी हो जाती है ।

चौथी बात यह है कि यदि विदेशों से परिवहन और संचार को प्रोत्साहन दिया जाय, तो इन साधनों में उन्नति से किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है । पर यदि परिवहन की सुविधाओं के कारण निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, तो पूर्ति में कमी हो जाती है ।

पांचवीं यह कि राजनैतिक उथल-पुथल अथवा युद्ध से व्यापार की दशा बदल जाती है और इससे बहुत-सी वस्तुओं की कमी हो जाती है ।

छठी यह कि उत्पादकों के किसी आपसी समझौते से जान-बूझकर भी वस्तु की पूर्ति कम की जा सकती है । पूर्ति का कुछ भाग कीमत बढ़ाने के अभिप्राय से नष्ट कर दिया जा सकता है । महान् मदी के दिनों में उत्पादकों के अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के द्वारा रबर, चाय और दूसरी वस्तुओं का उत्पादन नियन्त्रित कर दिया गया था । ब्राजील में तो इसलिए बड़ी मात्रा में कहवा समुद्र में फेंक दिया गया था ।

अन्त में, उत्पादन, विक्रय व आयात पर लगने वाले करों का भी पूर्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । अपने देश में किसी वस्तु के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए किसी देश की सरकार उस वस्तु के विदेशों से आयात पर भारी आयात कर लगाकर उसकी पूर्ति को कम कर देती है । स्वास्थ्य की दृष्टि से कभी-कभी सरकार कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर नियन्त्रण लगा देती है, जैसे भारत में अफीम पर ।

मांग व पूर्ति पर प्रभाव डालने वाली बातें (Factors affecting both Demand and Supply)—अभी तक हमने उन बातों का अध्ययन किया है जिनका प्रभाव केवल मांग पर पड़ता है । पर कुछ बातें ऐसी भी हैं, जिनका प्रभाव एक ही समय में मांग व पूर्ति दोनों पर पड़ता है —

(i) द्रव्य-आय में परिवर्तन (Change in Money Incomes)—मुद्रा-विस्तार (inflation) के दिनों में लोगों की द्रव्य-आय बढ़ जाती है । ऐसी परिस्थितियों में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है । पर इसका प्रभाव पूर्ति पर भी पड़ता है । कीमत में वृद्धि से लाभ उठाने के अभिप्राय से सप्लाई भी बढ़ती है । मुद्रा-

सकुचन (deflation) के दिनों में जब द्रव्य की मात्रा कम हो जाती है, तो कीमतें गिर जाती हैं। इससे माग तो बढ़ती है पर पूर्ति कम होने लगती है।

(11) **टैकनीक में सुधार (Improvement in Technique)**—जहाँ कार्य-कुशलता और पद्धति में उन्नति हो जाती है, वहाँ उत्पादन का परिमाण और पूर्ति बढ़ जाती है। फलस्वरूप वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं और लोगों की वास्तविक आय बढ़ जाती है। पर हम यह देख चुके हैं कि वास्तविक आय में किसी प्रकार के परिवर्तन से माग में भी परिवर्तन हो जाता है।

(111) **मजदूरी में वृद्धि या कमी (Wage-induced Inflation or Deflation)**—यदि मजदूरी बढ़ती है तो श्रमिक की क्रय-शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इससे माग बढ़ जाती है। पर मजदूरी की वृद्धि का प्रभाव उत्पादन लागत के बढ़ जाने के कारण वस्तु की पूर्ति पर भी पड़ता है।

(1V) **श्रेताओं की रुचि और प्रतिष्ठा तथा श्रेताओं और विक्रेताओं की आय में परिवर्तन से माग व पूर्ति प्रभावित होंगे।**

(V) **सामाजिक अथवा राष्ट्रीय धन का आकार तथा वितरण (Size and Distribution of Social or National Wealth)**—यदि धन का वितरण समान होता है तो कुछ व्यक्ति कम धनी तथा कुछ कम निर्धन हो जाते हैं। इस प्रकार लोगों की क्रय-शक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है जिससे माग भी प्रभावित होती है। और माग में इन परिवर्तनों के फलस्वरूप वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाता है।

७ **माग और पूर्ति के नियम (Laws of Demand and Supply)**—अब हम इस स्थिति में हैं कि पूर्ति और माग के कुछ महत्वपूर्ण नियमों की परिभाषा कर सकें। बेन्डम ने अपनी पुस्तक में चार नियमों का वर्णन किया है^१—

(१) कीमत वस्तु की उस मात्रा को, जो विक्रेता क्रय के लिए देने को तैयार हैं, व उस मात्रा को, जो ग्राहक क्रय करना चाहते हैं, समता की ओर ले जाती है।

(२) साधारणतः अधिक कीमत की अपेक्षा कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा की माग होगी। इसके विपरीत ऊँची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा विक्रय के लिए निकाली जायेगी।


(३) माग में वृद्धि से कीमत बढ़ जाती है और फलस्वरूप पूर्ति की वृद्धि होती है। पर माग गिरने से कीमत में कमी हो जाती है। इससे पूर्ति भी घट जाती है।

(४) पूर्ति की वृद्धि कीमत गिरा देती है—जिससे माग बढ़ जाती है। पूर्ति कम हो जाने से कीमत में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप माग गिर जाती है।


यह ध्यान में रखना चाहिये कि माग में परिवर्तन दिये होने पर, पूर्ति-रेखा की प्रकृति का कीमत पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रो मेयर्स इस सबब में इस प्रकार लिखते हैं

“अन्य बातों के पूर्ववत् रहने पर, माग की वृद्धि कीमत और विनिमय-मात्रा को बढ़ा देती है, और माग की घटी से कीमत और विनिमय-मात्रा घट जाती है। माग में दिये

हुए परिवर्तन पर, पूर्ति में जितनी अधिक लोच-शक्ति होगी, उतनी ही कम कीमत बदलेगी और विनिमय मात्रा में उतनी ही अधिक तबदीली होगी।^१ यदि पूर्ति पूर्णत लोचदार है, तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माग में वृद्धि होने से केवल विनिमय-मात्रा



रेखा चित्र न० २७



रेखा चित्र न० २८

में ही परिवर्तन होगा। दूसरी ओर यदि पूर्ति पूर्णत बेलोचदार है, तो माग के बढ़ने से कीमत बढ़ेगी लेकिन विनिमय-मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसका रेखा-चित्र ऊपर दिया गया है —

प 'प' पूर्ति की रेखा है और म 'म' माग की पुरानी रेखा है और म' 'म'' माग की नई रेखा है जो माग में वृद्धि दिखलाती है। माग में परिवर्तन उतना ही है लेकिन पूर्ति की लोच में विभिन्नता है। कीमत ट 'क' से बढ़कर ट' 'क'' हो जाती है और विनिमय मात्रा अ 'क' से अ' 'क''।


अब हम यह अध्ययन करेंगे कि माग की भिन्न-भिन्न लोच पर, पूर्ति में परिवर्तन होने से कीमत और विनिमय-मात्रा किस तरह प्रभावित होती है। प्रो मेयर्स ने इस सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष को इस प्रकार लिखा है —

“अन्य बातों के पूर्ववत् रहने पर, पूर्ति में वृद्धि होने से कीमत घटती है और विनिमय-मात्रा में वृद्धि होती है। पूर्ति में घटी होने से, कीमत बढ़ती है और विनिमय मात्रा में कमी आती है। पूर्ति में दिये हुए परिवर्तन पर माग में जितनी अधिक लोच होगी, कीमत में उतना ही कम और विनिमय-मात्रा में उतना ही अधिक परिवर्तन होगा। इसके विपरीत, माग जितनी कम लोचदार होगी, कीमत में उतना ही अधिक और विनिमय-मात्रा में उतना ही कम परिवर्तन होगा।^२ यदि माग पूर्णत लोचदार है और पूर्ति में वृद्धि होती है तो इससे कीमत में घटी नहीं होगी। केवल विनिमय-मात्रा में ही वृद्धि होगी। दूसरी ओर, यदि माग पूर्णत बेलोचदार है तो पूर्ति में वृद्धि होने से कीमत गिरेगी लेकिन


1. Elements of Modern Economics, 1951,
2, Op. cit., p. 133.

विनिमय-मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके रेखा-चित्र इस प्रकार खींचे जायगे।

दोनों ही चित्रों में म म माग की रेखा है, प प पूर्ति की पुरानी रेखा और प' प' पूर्ति की नई रेखा है। चित्र २९ में माग की रेखा लोचदार है और चित्र ३० में वेलोचदार। कीमत और विनिमय-मात्रा में जो अन्तर पडता है वह ट क से ट' क' और म क से अ' क' द्वारा दिखाया गया है।



रेखा चित्र न० २९



रेखा चित्र न० ३०

लोचदार पूर्ति के सहित माँग में वृद्धि वेलोचदार पूर्ति के सहित माग में उतनी ही वृद्धि

जब माग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन होता है—उपर्युक्त सिद्धान्तों को उस समय लागू करते हुए जबकि माग और पूर्ति दोनों में ही परिवर्तन होता है, प्रो० मेयर्स ने निम्न-लिखित सिद्धान्त स्थापित किये हैं^१—


१. जब माग और पूर्ति दोनों ही एक दिशा की ओर चलती हैं तो कीमत पर एक दूसरे का प्रभाव कट जाता है, और विनिमय-मात्रा पर पडने वाला प्रभाव और तेज हो जाता है।

२ जब माग और पूर्ति का झुकाव एक ही ओर होता है लेकिन एक में दूसरी की अपेक्षा अधिक परिवर्तन होता है, तो जिसमें अधिक परिवर्तन होता है उसका अधिक प्रभाव पडता है। लेकिन यदि दूसरी रेखा अपरिवर्तित रहे, तो उसका प्रभाव कीमत पर कम और विनिमय-मात्रा पर अपेक्षाकृत अधिक पडेगा।

३ जब माग और पूर्ति विपरीत दिशा में बदलते हैं, तो वे कीमत पर एक दूसरे के प्रभाव को प्रवल कर देते हैं और विनिमय-मात्रा पर पडने वाले प्रभाव को काट देते हैं।


४ जब माग और पूर्ति विपरीत दिशा में बदलते हैं लेकिन एक में दूसरे से अधिक परिवर्तन होता है तो जिस रेखा में अधिक परिवर्तन होता है उसका प्रभाव अधिक होगा। हा, यह बात अवश्य है कि दूसरी रेखा के न बदलने पर, उसका प्रभाव कीमत पर अपेक्षाकृत अधिक और विनिमय-मात्रा पर कम पडेगा।

८. एक व्यक्तिगत विक्रेता माग को किस प्रकार देखता है? (How the Individual Seller looks at Demand)—अभी तक हम मंडी में लाई गई कुल पूर्ति पर विचार कर रहे थे। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से व्यक्तिगत विक्रेता की तरफ से माग पर विचार करना कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह सभव है कि किसी वस्तु की कुल माग बेलोचदार हो लेकिन एक विक्रेता की वस्तु की माग बहुत लोचदार हो। अस्तु, यदि वह थोड़ी-सी भी कीमत ऊपर कर देगा, तो उसका सब बाजार छिन जाएगा और कीमत कम करने की उसको कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि प्रचलित कीमत पर वह अपनी कुल पूर्ति बेच सकता है। एक व्यक्तिगत विक्रेता के लिए बाजार-कीमत दी हुई होती है। उसकी पूर्ति कुल पूर्ति का इतना सूक्ष्म भाग होता है कि उसमें परिवर्तन लाकर वह कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। वह कीमत पर बिना प्रभाव डाले अपनी पूर्ति में इच्छानुसार परिवर्तन ला सकता है। चित्र ३१ में बाजार माग दिखाई



रेखा चित्र न० ३१

मार्केट की मांग



रेखा चित्र न० ३२

व्यक्तिगत बेचने वाले के आगे की मांग

गई है, और चित्र ३२ में किसी एक व्यक्तिगत विक्रेता की वस्तु की माग को दिखाया गया है।

चित्र ३१ में टक बाजार-मूल्य है। यह वह कीमत है जो एक विक्रेता को अपने किसी भी भाग के बेचने पर मिल सकती है। टक चित्र ३२ के अमके बराबर है। यदि टक बिन्दु को हम व्यक्तिगत विक्रेता की दृष्टि से देखें तो यह एक सीधी रेखा मम में परिवर्तित हो जायगा। पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति में ऐसा ही होगा।

लेकिन यदि एकाधिकार प्रतियोगिता की मिली हुई स्थिति हो तो क्या होगा ?


एकाधिकार-प्रतियोगिता (monopolistic competition) की स्थिति उस समय होती है जब कोई खरीदार वस्तु की किसी एक ब्रांड अथवा छाप को या एक दूकान को दूसरे से अधिक महत्त्व देता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं जैसे कि वह दूकान अपेक्षाकृत साफ या शानदार हो, दूकानदार बड़ा प्रभाव डालने

वाला हो आदि। इसका परिणाम यह होता है कि खरीदार उस छाप या दूकानदार को अधिक कीमत देने के लिए तैयार रहता है या कीमत एक रहने पर एक को दूसरे से अधिक पसन्द करता है। ऐसी स्थिति को उत्पाद विभेद (product differentiation) कहते हैं।

जब ऐसी स्थिति होती है, तो विक्रेता अपने को एकाधिकार की स्थिति में पाता है क्योंकि उसकी वस्तु की माग उतनी लोचदार न होगी जितनी कि प्रतियोगिता पूर्ण स्थिति में होती। यदि वह कीमत को थोड़ा-सा बढ़ा देगा तो उसके सब ग्राहक उससे छिन नहीं जायगे, और न कीमत कम करके वह सब ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकेगा। प्रतियोगिता की स्थिति में एक विक्रेता की दृष्टि से माग पूर्णतः लोचदार होती है और इसे चित्र ३२ में दी गई माग की रेखा द्वारा दिखाया जा सकता है। एकाधिकार युक्त प्रतियोगिता की स्थिति में माग की लोचशक्ति कुल कम हो जाती है और इसलिए नीचे दी झुकती हुई रेखा द्वारा इसे दिखाया जायगा।

रेखा चित्र के रूप में उपर्युक्त बात को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है —

इस चित्र में a म कीमत है जोकि शुद्ध प्रतियोगिता की स्थिति में है। m म प्रतियोगिता की स्थिति में एक विक्रेता की वस्तु की माग है, और m' म एकाधिकार युक्त प्रतियोगिता में व्यवित विशेष की माग है। m ट के लिए खरीदार बाजार कीमत से अधिक कीमत देने को तैयार है क्योंकि वे उस विक्रेता अथवा उस की वस्तु को अधिक पसन्द करते हैं। a म में परिवर्तन होने से m' म की लोच में अथवा m म की सापेक्ष स्थिति में अन्तर आ जायगा।




रेखा चित्र न ३३

उपर्युक्त वर्णन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई एक विक्रेता प्रतियोगिता की स्थिति में अपनी पूर्ति की मात्रा में अन्तर लाकर कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। एकाधिकार और प्रतियोगिता की मिली-जुली स्थिति में एक विक्रेता कीमत पर प्रभाव डाल सकता है। एकाधिकार की तरह वह पूर्ति को निर्धारित कर सकता है जो वह बेचना चाहता है या अपनी वस्तु की कीमत निश्चित कर सकता है।

६. एक विचित्र पूर्ति वक्र (A Peculiar Supply Curve)—पूर्ति का साधारण नियम यह बताता है कि ऊँची कीमत पर पूर्ति की मात्रा अधिक होगी। पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक सीमा तक तो यह सम्बन्ध देखने में आता है लेकिन उसके बाद सम्बन्ध उलट जाता है अर्थात् ऊँची कीमत पर पूर्ति कम होगी। श्रम के सम्बन्ध में ऐसा देखने में आ सकता है। मजदूरी बढ़ने पर लोग अधिक काम करने

को प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन एक सीमा के बाद लोग काम की अपेक्षा आराम को ज्यादा पसन्द करते हैं। ऊँची मजदूरी मजदूरों को छुट्टी लेने के योग्य बना देती है और काम के घण्टों को कम कर देती है। व्याज की दर का भी ऐसा प्रभाव हो सकता है। साधारणतः व्याज की ऊँची दर से बचत में वृद्धि होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बड़ी रकम बचाना चाहते हैं। इसलिये व्याज की दर जब ऊँची होगी तो वे कम बचत करेंगे। इसे चित्र द्वारा इस तरह दिखाया जा सकता है —



रेखा चित्र न० ३४

म म माग की पुरानी रेखा है और म म' माग की नई रेखा है जो माग की वृद्धि प्रकट करती है। प प पूर्ति-रेखा है। र बिन्दु तक ऊँची कीमत से पूर्ति बढ़ती है लेकिन इसके बाद

इसका उल्टा होता है। जब कीमत ट क से बढ़ कर ट' क' हो जाती है तो पूर्ति अ क से घट कर अ क' हो जाती है।

निर्देश पुस्तकें

Wicksteed, P.H. —The Commonsense of Political Economy, 1946
Vol. II Ch IV.

Marshall, A —Principles of Economics

Benham, F —Economics

Henderson, H D —Supply and Demand.

Meyers, A, L.—Elements of Modern Economics, 1951, Ch. 9

Samuelson, P A.—Economics, 1948, pp. 469-476.

मांग और पूर्ति की मार्केट साम्यावस्था

(MARKET EQUILIBRIUM OF SUPPLY AND DEMAND)

१. साम्यावस्था (Equilibrium)—कभी-कभी आधुनिक अर्थशास्त्र साम्यावस्था सम्पन्न विश्लेषण कहा गया है। सतुलन की स्थिति को साम्यावस्था कहते हैं। जब परस्पर-विरोधी दिशाओं में कार्य करने वाली शक्तियाँ परस्पर समान जाती हैं, वह वस्तु, जिसे वे प्रभावित करती हैं, साम्यावस्था की स्थिति में कही जाती है। एक पत्थर के टुकड़े को रस्सी में बाँधकर हवा में हिला दीजिये, तो वह इधर उधर झूलने के उपरान्त एक जगह स्थिर हो जायगा, वशर्ते कि उसे फिर से हिलाया जाय। अब पत्थर साम्य की स्थिति में है। इस विशेष प्रकार की साम्यावस्था को स्थायी साम्यावस्था (stable equilibrium) कहते हैं, क्योंकि पदार्थ हिल जाने के उपरान्त अपनी पूर्व-स्थिति में आने का प्रयत्न करता है।

जब साधारण गडबड से अधिक गडबड होती है जिससे मूल स्थिति नहीं आ पाती तो ऐसी अवस्था को अस्थिर साम्यावस्था (unstable equilibrium) कहते हैं। तटस्थ साम्यावस्था (neutral equilibrium) की अवस्था उस समय होती है जब गडबड पैदा करने वाले हालात न तो उसे मूल स्थिति में लाते हैं और न उसे उल्टा आगे बढ़ाते हैं। वह जैसी होती है वैसी ही रहती है। पीगू ने इन तीन स्थितियों को विवेचना इस प्रकार की है—स्थिर साम्यावस्था उस जलपोत के समान है जिसकी तली में भारी शहतीर (keel) हो, यदि इसके पार्श्व में एक अण्डा हो तो यह स्थिति तटस्थ साम्यावस्था की हुई, और यदि अण्डा इसके एक ओर रखा हो तो यह स्थिति अस्थिर साम्यावस्था की हुई। साम्यावस्था को उस समय एकांगी (partial) कहते हैं जब यह सीमित आँकड़ों (limited data) पर आधारित होती है परन्तु पूरे आँकड़ों पर आधारित होने से सामान्य (general) कहलाती है।

स्थिर (static) अर्थव्यवस्था साम्यावस्था की व्याख्या इस प्रकार करती है—मौजूदा आँकड़ों निर्धारित समय में तबदील नहीं होंगे। ये आँकड़े आबादी, आय, ताल्लोमी की रुचि, टैक्नीकल ज्ञान की स्थिति तथा स्रोतों आदि के आकार तथा गठन के आर्थिक स्थिति या तो बदलती नहीं अथवा क्रमशः बार-बार बदलती हैं। गतिशील (dynamic) अर्थशास्त्र साम्यावस्था का अध्ययन नहीं करता बल्कि वह तो आर्थिक शक्तियों का जो अन्तिम ध्येय तक पहुँचने से पूर्व है और इस मार्ग से गुजरता है, अध्ययन करता है। रॉबिन्सन के अनुसार 'हम स्थिर नियमों का अध्ययन करते हैं (अर्थात् स्थिर अर्थशास्त्र का) जिससे गतिशील अर्थशास्त्र के परिवर्तन वाले नियमों का समझ सकें।'

२. मांग और पूर्ति की साम्यावस्था (Equilibrium of Supply and Demand)—साम्य का विचार मांग और पूर्ति पर लागू किया गया है। ये दो शक्तियाँ विरोधी दिशाओं में कार्य करने वाली हैं। अधिक पूर्ति कीमत में कमी लाती है और मांग की अधिकता कीमत में। जब विरोधी दिशाओं में इन दोनों शक्तियों का सतुलन स्थापित हो जाता है तो वे किसी उस एक मूल्य को ही बनाये रखने का प्रयत्न करती हैं, जिसे साम्य कीमत (equilibrium price) कहते हैं।

निम्न तालिका सेवो की मांग और पूर्ति को मिलाती है और यह दिखलाती है कि किस प्रकार इन दो विरोधी शक्तियों के बीच साम्य होता है।


कीमत प्रति दर्जन	मांग की मात्रा (दर्जनों में)	पूर्ति की मात्रा (दर्जनों में)
७	४	४०
६	७	३३
५	१२	२९
४	१५	२६
३	२३	२३
—	—	—
२	२९	१६
१	३८	१०

इस सूची से यह पता चलता है कि जब कीमत ३ रुपये प्रति दर्जन है, तब पूर्ति की मात्रा २३ दर्जन है, और २३ दर्जन ही मांगी जाती है। पूर्ति मांग के बराबर है। अतः साम्य-मूल्य ३ रुपये है। किसी प्रकार भी इस कीमत में कोई बाधा उन शक्तियों को क्रियाशील बना देगी और वे उसी कीमत को फिर से स्थिर करने का प्रयत्न करेंगी। उदाहरणार्थ यदि कीमत बढ़कर ४ रुपये हो जाती है तो पूर्ति (१५ दर्जन) मांग से बढ़कर २६ दर्जन हो जायगी। सीमित मांग को अपने हाथ में करने के लिए बेचने वालों में होने वाली प्रतियोगिता कीमत को साम्य से गिरा देगी। यदि कीमत में २ रुपये की गिरावट हो जाती है तो मांग (२९ दर्जन) पूर्ति (१६ दर्जन) से अधिक होगी। ऐसा होने से खरीदारों में सीमित पूर्ति के लिए चलने वाली प्रतियोगिता कीमत को साम्य से ऊपर उठा देगी। अतः ३ रुपये साम्य-कीमत है। २३ दर्जन साम्य की मात्रा (equilibrium amount) कहलाती है जिसे साम्य-कीमत पर खरीदा और बेचा जाता है।

अगले पृष्ठ का चित्र इसी बात पर प्रकाश डालता है। मांग और पूर्ति की वक्र रेखाएँ, जो उपर्युक्त उदाहरण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, एक साथ दिखाई गई हैं।

दोनों वक्र रेखाएँ एक-दूसरे को प स्थान पर काटती हैं जो कि दोनों वक्र रेखाओं पर पड़ता है। प म एक लम्ब है जिसे व स पर खींचा गया है। प म (=वव' = ३) रुपये साम्य मूल्य है।

यदि कीमत 'प' म' (४ रुपये) प्रति दर्जन तक बढ़ जाता है तो माग व म' (=१५) पूर्ति व म (=२६) से नयी कीमत में कम हो जायगी। कीमत का साम्य



रेखा चित्र न० ३५

प म (=३ रुपये) से नीचे गिर जायेगा। यदि कीमत में २ रुपये की कमी होती है तो जब कि इस कीमत पर माग पूर्ति से अधिक होगी तो इसके विपरीत होगा। श्रेताओं में होने वाली प्रतियोगिता इसे साम्य-कीमत से ३ रुपये ऊँचा उठा देगी।

इससे यह स्पष्ट है कि आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत मार्केट प्राइस (बाजार कीमत) दो मुख्य कार्य करता है

(1) यह मौजूदा सप्लाई को खरीदारों में बाँटता है, जिससे वे सब जो यह कीमत अदा करने के लिए तैयार होते हैं माल खरीद सकते हैं, तथा

(II) सीमित सप्लाई को कालावधि में बाँटता है। मार्केट प्राइस (कीमत) किस प्रकार क्वायत, कार्यपटुता तथा व्यापक रूप में कार्य करती है, राशन प्रणाली की असुविधाओं, खर्चीली तथा अपटु व्यवस्था से स्पष्ट है।

३. प्रचलित कीमत (Market Price)—एक निश्चित समय पर माग तथा पूर्ति की प्रतियोगी शक्तियों में साम्य के परिणामस्वरूप अल्पकालीन कीमत निर्धारित होती है। अल्पकालीन कीमत वह कीमत होती है जो एक बाजार में किसी विशिष्ट दिन में प्रचलित होने का प्रयत्न करती है। यह उस समय की माग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा प्रभावित होती है। यह प्रभाव अस्थायी तथा क्षणिक होता है। दूसरे दिन अथवा दूसरे घंटे में ही माग और पूर्ति अथवा माग या पूर्ति भिन्न हो सकती है। इस प्रकार अल्पकालीन कीमत अस्थिर घटनाओं तथा थोड़े काल की शक्तियों का परिणाम है। अतएव अल्पकालीन कीमत प्रति दिन तथा प्रति घंटे बदलती रहती है। मान लीजिये कि पशुओं का एक मेला है। उन दिनों में दूध की सप्लाई बढ़

जाती है। इस अधिक सप्लाई के कारण दूध का भाव गिर जायेगा। एक नीची दर पर एक नया साम्य स्थापित हो जायगा। दूध की सम्पूर्ण पूर्ति की माग करने के लिए कीमत को बहुत कम होना पड़ेगा। परन्तु यह साम्य अल्पकालिक होगा। जब पशुओं का मेला समाप्त हो लेगा तब पुराना साम्य फिर से स्थापित हो जायेगा। श्राद्धों के महीने में दूध की माग बहुत बढ़ जाती है और दूध की कीमत बढ़ जाती है। साम्य एक ऊँची दर पर स्थापित होता है। कीमत कम आवश्यक माग को रोकने के लिए काफी अधिक होती है जिससे प्राप्त होने वाली पूर्ति माग के बराबर हो जाय। किन्तु जब श्राद्ध समाप्त हो जाते हैं तो पुरानी कीमत फिर से स्थापित हो जाती है। अल्पकालीन कीमत इस प्रकार एक परिवर्तनशील साम्य प्रकट करती है।

समय इतना कम होता है कि वस्तु की सप्लाई केवल उस कुल मात्रा से हो सकेगी जो बाजार में प्राप्त है अथवा थोड़े समय में लाई जा सकती है अथवा "दृष्टि" में है। इसलिए और उत्पादन से उसकी वृद्धि का प्रश्न उठना ही नहीं। अतएव उत्पादन लागत का कीमत पर केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। यदि वस्तु जल्दी खराब होने वाली होती (perishable) है और एक दिन से अधिक नहीं रह सकती (उदाहरणार्थ मछली) तो कीमत पर उत्पादन व्यय का लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह वस्तु उस कीमत पर बेची जायगी जो उसकी मात्रा के लिए उपभोक्ताओं की सीमान्त उपयोगिता (सामूहिक रूप से) के बराबर है।

मार्केट प्राइस (बाजार कीमत) को निर्धारित करने में प्रतिस्पर्धा का बड़ा हाथ है। बेचने वालों में स्पर्धा होने से कीमतें कम हो जाती हैं और इसके विपरीत खरीदारों में स्पर्धा होने से कीमतें बढ़ जाती हैं। परन्तु सचाई यह है कि न तो सभी बेचने वाले और न सभी खरीदार ऐसा प्रभाव डालते हैं। यह तो सीमान्त खरीदार और सीमान्त बेचने वालों के लिए है कि जिन्हें मार्केट प्राइस से सतुष्टि मिले। इस मार्केट प्राइस पर सीमान्त खरीदार खरीदने के लिए लालायित होते हैं। यदि कीमत जरा भी अधिक होती, तो वे कभी भी नहीं खरीद सकते थे। इसी प्रकार सीमान्त बेचने वाले वे हैं जो बेचने के लिए लालायित होते। जरा कीमत कम होने पर वे कभी भी नहीं बेचते।

मार्केट प्राइस के निर्धारण में हम पूर्ण मार्केट (perfect market) की कल्पना करते हैं (देखिए अध्याय १६, विभाग ४)। दूसरे शब्दों में यह माना जाता है कि सारे खरीदार और बेचने वालों के पास माग और पूर्ति की सारी सूचना है। और वे सब इन कीमतों के विषय में जानते हैं जो दी जा रही है और मान्य है। वास्तविक जगत् में ऐसी सम्भावना बहुत कम जगह है। ऐसी स्थिति में सही मार्केट प्राइस सीधे तौर पर नहीं बनती। पहले कुछ सौदे होते हैं, जो कि वास्तविक कीमत से थोड़ा कम ज्यादा कीमत पर तैयार होते हैं और इसके पश्चात् होते-होते, व्यापारी सही कीमत (true price) पर पहुँच जाते हैं जिस पर मार्केट में सौदा होता है।

शुद्ध प्रतियोगी मार्केट में, बेचने वालों और खरीदारों को कीमत ही गाइड करने वाला साधन है, क्योंकि किसी भी खरीदार को किसी खास बेचने वाले से लगाव नहीं होता

और न बेचने वाले को खरीदार से। चूकि प्रत्येक बेचने वाले के लिए मार्केट प्राइस निश्चित होती है और यह धारणा की जाती है कि वह इस कीमत पर सारी पैदावार बेच देगा, तो इसमें कोई सदेह की बात नहीं कि वह कीमत गिरा दे यद्यपि उसकी रक्षित कीमत (reserve price) मार्केट प्राइस से कम हो। यदि रक्षित कीमत मार्केट प्राइस से अधिक हो, तो वह कुछ भी नहीं बेच पाएगा, क्योंकि जहाँ तक एक व्यक्तिगत दूकानदार का सवाल है उसके माल की माग पूरे तौर पर लोचदार है।

सप्लाई में सम्पूर्ण परिवर्तन तथा/अथवा माग में क्रमशः तभी होगा जब कि बहुत से बेचने वाले अपनी रक्षित कीमत बदल दें तथा/अथवा बहुत से खरीदार अपने खरीदने की मात्रा के निर्णय को जो वे विभिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार हैं बदल दें। यदि माग बेलोचदार (inelastic) हुई तो मार्केट प्राइस बेजी से गिरेगी और सप्लाई बढ़ेगी।

जहाँ तक बेचने वाले के पास पहले से खरीदे गए माल का सवाल है कोई भी समझदार बेचने वाला अवसर लागत (opportunity cost) को लागत मान बैठेगा। पिछले खर्चें मौजूदा विकल्पों (alternatives)—लागतों—पर प्रभाव नहीं डाल सकते। वह यह नहीं सोचेगा कि उसने कल क्या खर्च किया (भूतकाल में) बल्कि यह सोचेगा कि उसे कल क्या प्राप्त होगी (भविष्य की कीमत के बारे में)। यदि भविष्य की कीमतें ऊँची होती जा रही हैं, तो वह स्टॉक जमा करेगा, बल्कि भविष्य के लिए और खरीदेगा। परन्तु यदि भविष्य में कीमतें गिरने का खतरा है तो वह सारा स्टॉक बेच देगा और भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर नहीं रखेगा।

अब हम यह देखेंगे कि विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं।

४ जब वस्तु सड़ने वाली होती है (When the Commodity is Perishable)—एक उदाहरण यह स्पष्ट कर देगा। मान लीजिये कि मछली जैसी सड़ने वाली वस्तु की १०० मात्रा बाजार में लाई जाती है। यह मात्रा किस कीमत पर बेची जायगी। चूकि वस्तु सड़ने वाली है, इसलिए सब मात्रा उसी दिन बेच देनी होगी। हम कल्पना कर लेते हैं कि मछली के बेचने वालों में निजी माग उसके लिए कुछ नहीं है। कुछ मछली के उपभोक्ता ऐसे होंगे जो शायद ५ रुपये प्रति सेर की कीमत देने को तत्पर हो जायेंगे, बजाय इसके कि मछली का उपभोग न करें, क्योंकि मछली की सीमान्त उपयोगिता उनके लिए बहुत अधिक है। परन्तु इस कीमत पर शायद केवल पाच सेर मछली बेची जा सकेगी। इसी प्रकार ऐसे उपभोक्ता होंगे जो अपनी सीमान्त उपयोगिता के अनुसार कम कीमत देने को तत्पर होंगे। हम इस बाजार की माग की तालिका बनाते हैं। यह कुछ-कुछ इस प्रकार होगी —

कीमत प्रति सेर रुपये में

५-०-०

४-०-०

३-०-०

२-०-०

१-०-०

०-८-०

०-४-०

०-३-०

०-१-०

मात्रा की मात्रा सेरो में ।

५

७

१२

२०

४०

६०

८०

१००

१५०

अंत में कीमत ३ आने प्रति सेर पर निश्चित हो जायेगी । ये उपभोक्ता जिनकी मछली की सीमान्त उपयोगिता ३ आने के बराबर है, सीमान्त उपभोक्ता होंगे और यदि सब मछली को बेचना है तो उन्हें आकर्षित करना आवश्यक है । परन्तु क्योंकि पूर्ण बाजार (perfect market) में एक वस्तु की एक ही कीमत हो सकती है, इसलिए मछली की कीमत ३ आने प्रति सेर होगी । धनी मनुष्य भी जो ५ रुपये सेर देने को तत्पर थे, उसी दर पर खरीदेंगे । उन्हें ४-१३-० उपभोक्ता की वचत प्राप्त होगी ।


साथ में दिया हुआ यह चित्र स्पष्ट करता है कि मछली की अल्पकालीन कीमत कैसे निर्धारित होती है ।

मात्रा को व ख पर तथा कीमत को व क पर दिखाया गया है । क्योंकि पूर्ति स्थायी है । इसलिए सम क व के समानान्तर होगी ।

पूर्ति तथा मांग वक्रों के मिलने के बिन्दु को क कहा गया है । इसलिए

क म अल्पकालीन कीमत होगी जिस पर १०० सेर मछली बेची जायेगी । क म = ३ आने ।

५. लचकदार पूर्ति (Flexible Supply) — जब वस्तु सड़ने वाली न हो तो यह संचय की जा सकती है । ऐसा तब होता है जब विक्रेताओं को भविष्य में अच्छी कीमत की आशा हो । उस दिशा में विक्रय के लिए मात्रा निश्चित नहीं होगी । यह कीमत



रेखा चित्र न० ३६

के साथ बदलेगी। खिलौना का उदाहरण लीजिये। माग के वे ही अक लेकर हम खिलौना के लिए एक पूर्ति-तालिका भी तैयार कर सकते हैं। यदि कीमत बहुत अधिक है (माना ५ रुपये) तो सम्पूर्ण मात्रा बाजार में विक्रय की जायगी। परन्तु यदि कीमत गिरती है तो कुछ विक्रेता दूसरे दिन की प्रतीक्षा करेंगे अथवा खिलौना को अपने बच्चों के लिए रख देंगे। उस दशा में खिलौना के लिए विक्रेताओं की सीमान्त उपयोगिता न्यूनतम होगी जिसके नीचे वे कोई कीमत स्वीकार नहीं करेंगे। जिस कीमत पर बेचने वाले अपना स्टॉक खरीदने को तैयार रहते हैं उसे रक्षित कीमत (reserve price) कहते हैं। लचकदार सप्लाई में उत्पादकों की अपने माल की माग मात्रा के रूप में (quantitatively) महत्त्वरहित होती है, इसलिए इसे छोड़ा जा सकता है। यहाँ अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन कितना किया जाए और जब माल का उत्पादन ही नहीं किया जा सके अथवा सप्लाई निश्चित हो तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए लागत (cost) ही मूल कारण है जिससे सप्लाई निश्चित होती है। इस तरह पैदावार बढ़ने से सामान्य रूप में लागत प्रति इकाई बढ़ेगी। अतः पूर्ति वक्र साधारण रूप से ऊपर की तरफ चलता है, बाएँ से दाएँ की ओर। अतः

कीमत प्रति खिलौना (आनों में)	खिलौना की माग की मात्रा	खिलौना की पूर्ति की मात्रा
८०	५	१००
६४	७	९०
४८	१२	८०
३२	२०	७०
१६	४०	६५
८	६०	६०
—	—	—
४	८०	४०
३	१००	२०
१	१५०	१०

मोल-भाव के बाद कीमत की प्रवृत्ति ८ आना प्रति खिलौना निर्धारित होने की होगी। यह कीमत उस कीमत से अधिक है जिस पर मछली बेची गयी थी क्योंकि खिलौने के विक्रेता प्रतीक्षा कर सकते थे। ४० खिलौना के रखने वाले ने इस कीमत पर बेचना अस्वीकार कर दिया है। वे अच्छे समय की प्रतीक्षा करेंगे अथवा उनमें से कुछ खिलौने अपने बच्चों को देना पसन्द करेंगे, बजाय इसके कि कम कीमत स्वीकार करें।

८ आने ऐसी कीमत है जो खिलौना के उस विशिष्ट बाजार में उस विशिष्ट दिन की पूर्ति तथा माग में साम्य का परिणाम है। भागे दिया हुआ वक्र यह दिखाता है कि खिलौना के सम्बन्ध में साम्य कीमत कैसे स्थापित होगी।

पहले की तरह अ व पर कीमत तथा अ क पर मात्रा (इकाइयों में) दिखाई गयी

है। s_1, s_2 पूर्ति वक्र तथा d माग वक्र है। p परस्पर मिलने का बिंदु है। m, p इस प्रकार साम्य कीमत है। $m, p = c$ आने।


यदि यह मान लिया जाय कि मांग और पूर्ति की मात्रा में वृद्धि की कोई सीमा नहीं है, तो, रेखाएँ ऊपर की ओर टूटी-टूटी नहीं होगी।

अभी तक हम यह समझने का प्रयत्न कर रहे थे कि कीमत किस प्रकार माग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। पर वास्तविकता यह है कि माग और पूर्ति स्वयं अनेक बातों से निर्धारित होती है। माग और पूर्ति एक प्रकार का कृत्रिम सूत्र है।

“माग और पूर्ति कीमत का अन्तिम हल नहीं

है। वे तो सामान्य रूप से अन्य विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण, कारणों तथा साधनों को बताने में सहायक सिद्ध होते हैं जिनका कीमत से सम्बन्ध रहता है।”^१ (उन कारणों का जिनका प्रभाव माग और पूर्ति पर पड़ता है जिनका अध्याय ६ तथा १४ में किया जा चुका है)।

६ निश्चित सप्लाई (Fixed Supply)—अभी तक हमने यह कल्पना की थी कि सम्बन्धित वस्तु का, चाहे वह सड़ने वाली हो अथवा न हो, पुनः उत्पादन हो सकता है और सप्लाई लचकदार है। अब यह देखना है कि उन वस्तुओं की मार्केट कीमत, जिनका स्टॉक निश्चित है कैसे निर्धारित होती है। ऐसी वस्तुएँ पुरानी हस्त-लिपियाँ, पुराने कलाकारों के चित्र, अद्वितीय हीरे आदि हो सकते हैं। सैद्धान्तिक दृष्टि से ऐसी स्थितियों में तथा उन दशाओं में जिनका ऊपर विवेचन हो चुका है, बहुत कम अन्तर है। ऐसी वस्तुओं की कुल मात्रा निश्चित होती है। विक्रेता प्रतीक्षा कर सकता है। अन्त में कीमत उपभोक्ताओं की सीमान्त उपयोगिता द्वारा निर्धारित की जायगी। कीमत की न्यूनतम सीमा स्वयं विक्रेता की सीमान्त उपयोगिता द्वारा निर्धारित होगी। यदि ऐसी वस्तु की केवल एक इकाई बेची जाती है तो क्रेता द्वारा लगायी गई अधिकतम कीमत उसकी अधिकतम सीमा को निर्धारित करेगी। यदि एक ही वस्तु की अनेक इकाइयाँ हैं तथा उन सब का विक्रय एक ही समय होता है, तो उपभोक्ताओं की सामूहिक




रेखा चित्र नं० ३७

रूप से सीमान्त उपयोगिता कीमत को निश्चित करेगी। ऐसी कीमत का वस्तु के उत्पादन व्यय से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। पुन उत्पादन के व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वस्तु का पुन उत्पादन नहीं हो सकता। इस अवस्था में सीमान्त उपयोगिता सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, चाहे समय अल्प हो अथवा दीर्घ।

एक न्यूनतम कीमत है जिससे कम पर बेचने वाला बेचना पसन्द नहीं करेगा। इसे रक्षित कीमत (reserve price) कहते हैं। इस कीमत पर वे अपने माल की स्वयं माग करते हैं। बेचने वालों की अपने माल के लिए माग और खरीदारों की माग मिलकर कुल माग बनती है और निश्चित स्टॉक के परस्पर प्रभाव (inter-action) से कीमत निर्धारित होती है। इस बात को निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा इस प्रकार समझाया गया है।

फ स निश्चित सप्लाई वक्र है। ड ड' के द्वारा बेचने वालों की माग का पता चलता है तथा ट ड चिह्नकित वक्र (dotted curve) से कुल माग वक्र का पता चलता है। ट परस्पर प्रभाव (inter-action) का बिन्दु है जो कुल माग तथा निश्चित सप्लाई के बीच स्थित है। लेकिन सट=पम इस प्रकार प म कीमत है तथा अ म बेची गई मात्रा बताती है और म स वह मात्रा है जो न बेची गई हो।



रेखा चित्र न० ३८

ऐसी स्थितियाँ पुन उत्पादन योग्य वस्तुओं की स्थिति से इस बात में भिन्न होती हैं कि बाद वाली स्थिति में सीमान्त उत्पादन-व्यय अन्त में पूर्ति की वृद्धि को सीमित करता है। जब तक यह व्यय कीमत से नहीं निकलेगा, पुन उत्पादन योग्य वस्तुओं का उत्पादन रुक जायगा। प्रचलित कीमत

(Market Price) के विपरीत सामान्य कीमत (Normal Price) की यह एक समस्या है। हम इस पर आगे के एक अध्याय में विचार करेंगे।

७. उत्पादक कार्यों का मूल्यांकन (Pricing of Productive Services)^१—अब तक हमारा सबध उपभोग वस्तुओं के मूल्यांकन तक ही सीमित रहा। अब यह देखना है कि उत्पादन के साधनों की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? उपभोग-वस्तुओं तथा उत्पादन के साधनों की मंडियों के बीच एक गोलाकार सम्बन्ध होता है। उपभोक्ता उपभोग की वस्तुओं को खरीदते हैं और उत्पादन के साधनों को बेचते हैं। दूसरी ओर उद्यमी उत्पादन के साधनों को खरीदते हैं और उपभोग वस्तुओं

को बेचते हैं। अस्तु, माग और पूर्ति के मौलिक सिद्धांत यहा भी लागू होते हैं।

माग का प्रमुख सिद्धांत यह है कि "एक प्रतियोगी फर्म की माग का वक्र उसी की सीमान्त उत्पादन के मूल्य के वक्र की सेवा के समान रहता है।" सीमान्त उत्पादन में ह्रास होने के कारण मांग वक्र भी गिरता है। यदि उत्पादन के प्रत्येक साधन की सीमान्त उत्पादन की कीमत के बराबर मिलता है, तो अवश्य समस्त उत्पादन साधनों के लगाने में खप जायगा।

उत्पादन कार्य से सलग्न माग के सम्बन्ध में निम्नांकित चार बातें ध्यान देने योग्य हैं ^१

(i) जितनी अधिक सहयोगी साधनों की मात्रा होगी, उतनी ही अधिक किसी साधन की दी हुई मात्रा की माग-कीमत अधिक होगी।

(ii) जितना ही अधिक कोई साधन लगाया जायगा, उसकी माग-कीमत घटती जायगी।

(iii) यदि कोई साधन किसी बहुमूल्य पदार्थ के बनाने में लगाया जाता है तो उसकी माग-कीमत अधिक होगी।

(iv) जितना अधिक उत्पादक कोई साधन होगा, उसकी माग कीमत उतनी ही अधिक होगी।

एक उद्योग का माग वक्र (demand curve), विभिन्न फर्मों की माग रेखाओं का योग होता है। इसी प्रकार जोड़कर हम किसी साधन की सभी उद्योगों की तरफ से एक माग रेखा तैयार कर सकते हैं। किसी साधन की पूर्ति रेखा या इसकी पूर्ति विभिन्न बातों पर आधारित रहती है। उदाहरणार्थ, यदि हम श्रम को लें—जो एक महत्त्वपूर्ण सेवा है—यह कुल आवादी पर, उसका पेशा तथा भौगोलिक वितरण परिश्रम की उत्तमता, पढाई का खर्च तथा प्रशिक्षण (training) घूमने फिरने का खर्च, आशा की हुई आमदनी, काम तथा आराम का पारस्परिक महत्त्व आदि पर निर्भर है। इस तरह प्रामाणिक बातें देखकर किसी उत्पादन सेवा की पूर्ति रेखा बनाना सम्भव हो सकता है।


माग वक्र तथा पूर्ति वक्र बना लेने पर मूल्यांकन सदैव की रीति से हो जाता है। इन दोनों शक्तियों के सन्तुलन द्वारा किसी उत्पादन-कार्य की कीमत निर्धारित होती है।

८. कीमत नियन्त्रण तथा राशनिंग (Price Control and Rationing) ^२—हम कीमत के नियन्त्रण तथा राशनिंग को पूर्णतया जानते हैं। लडाई के समय मुद्रा-स्फीति (inflation) तथा दूसरे कारणों से कीमते बहुत बढ़ जाती हैं। साधारण आवश्यक पदार्थ जनसमूह के खरीदने की शक्ति के बाहर हो जाते हैं। यदि सरकार दामो पर रोक न लगाए तो भय रहता है कि कहीं असन्तोष क्रान्ति का रूप धारण न कर ले। राज्य की स्थिरता भंग होने के डर के कारण कंट्रोल आवश्यक

1. Ibid p 182

2 Samuelson, P. A —Economics, 1948, pp 463—66

प्रतीत होने लगता है। दामो का नियन्त्रण अधिकतर उस सीमा से बहुत कम होता है जो यदि माग और पूर्ति के नियम को स्वतन्त्रता से काम करने देने में हो जाने की आशका रहती है। इस कम कीमत पर दुर्लभ प्राप्त वस्तुओं की माग बढ़ जाती है—“यह एक सगीत की कुर्सियों जैसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को, आर्कस्ट्रा समाप्त होने पर खाली थैला देकर छोड़ दिया जाता है।” इस निम्न कीमत पर अप्राप्य वस्तुओं पर बहुत झपट रहती है। अमुविधा तथा गड़बड़ को रोकने के हेतु दाम का नियन्त्रण राशनिंग का रूप धारण कर लेता है। चोर-बाजारी शुरू हो जायगी। इसकी सीमा लोगों की कर्तव्यपरायणता, देश-भक्ति तथा ईमानदारी पर अवलम्बित है। साधारण समय में यह साम्यावस्था कीमत प्रणाली के द्वारा बनी रहती है। यानी कीमत माग घटाने के हेतु बढ़ती है। लेकिन लड़ाई के समय कीमत प्रणाली भंग हो जाती है। या यो कहिए कि लोकहित को आगे रखते हुए इसे काम नहीं करने दिया जाता। लड़ाई के समय में कीमत प्रणाली का काम कीमत नियन्त्रण तथा राशनिंग द्वारा किया जाता है।



रेखाचित्र न० ३९

अधिकतम कीमत (ceiling price)

यह स्थिति चित्र द्वारा स्पष्ट हो जाती है। ड ड माग वक्र है और स स पूर्ति वक्र है। उन्हें स्वतन्त्र कर देने से वे क पर समतुल्य (equilibrate) हो जायेंगे। यह बहुत ही ऊँची कीमत है। सरकार र ट रोक लगाती है (ceiling)। लेकिन इस पर माग पूर्ति से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह प प (gap) बीच से दिखाया गया है। कीमत बढ़ना चाहती है जो कि प प' पर तीर के द्वारा संकेत किया गया है। राशनिंग कर देने से माग कम कर दी जाती है। घटी हुई माग ड' ड' से अंकित की गई है। जो पहले वक्र के बायें तरफ है। अब यह घटी हुई नई माग रेखा तथा पूर्ति रेखा स स एक दूसरे को प पर काटती है। यहाँ दाम पर नियन्त्रण तथा राशनिंग के द्वारा साम्यावस्था (equilibrium) स्थापित की गई है।

६. नवीन उत्पादन का मूल्यांकन (Pricing of New Products)^१—नवीन उत्पाद का मूल्यांकन एक प्रकार से अघेरे में कूदना है। अनुभवी कारीगर अघो की तरह नही भागते बल्कि वैज्ञानिक तरीको पर प्रयोग करते हैं। नई वस्तु को बाजार में कई श्रेणिया (stages) पार करनी पडती है। प्रारम्भिक नवीनता घटती जाती है तथा वस्तु अपनी विशेषता खो देती है। “नए उत्पादो में रक्षित विशेषता पाई जाती है जो प्रतियोगिता के कारण कम होनी जाती है।” इसकी विभिन्न श्रेणियाँ ये हैं. मार्केट मे नए माल का पेटेंट होता है। यह तरल अवस्था है। माल की निकासी के साथ विक्री वढती है। इससे प्रतियोगिता उत्पन्न होती है। बाजार में नए प्रतियोगी आते हैं, जिससे माल मे फर्क करना कठिन हो जाता है। कीमते कम होने लगती है तथा माल आम हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक श्रेणी के अनुसार कीमत नीति बनानी पडती है।

उद्यमी के सम्मुख निम्नांकित विशेष कार्य रहते हैं —

(i) मांग का अनुमान लगाना (to estimate demand)—उपभोक्ता की पसन्द वास्तविक तथा सम्भावित (actual and potential) जानना होता है। कुछ प्रश्न का हाल आवश्यक होता है जैसे आया वस्तु की माग होगी अथवा नही। किसी कीमत पर यह अधिक आकर्षित होगी? किन कीमतो पर क्या विक्री होगी और इन कीमतो का दूसरी वस्तुओ के बनाने वालो पर क्या असर पड़ेगा?

(ii) बाजार लक्ष्य निर्धारित करना (To Decide Market Targets)—यह लक्ष्य बाजार के हिस्से पर जो यह अपनाना चाहता है निर्धारित है, पैदा करने का ढग तथा वितरित करने के जरिये पर निर्धारित है। उत्पादन तथा वितरण की लागत द्वारा इस बात का निर्धारण होगा।

(iii) उन्नतिशील कौशल की रचना (To Design Promotional Strategy)—इसके पहले कि बनाने वालो की कीमत लगाने की इच्छा खतम हो, वह खर्च जो बाजार बनाने में तथा अधिकार देने आदि में खर्च हुए है वसूल कर लेने चाहिएँ।

(iv) वितरण के रास्ते निकालना (To Choose distribution Channels)—नई वस्तुओ की कीमत लगाने में विक्रय कीमत का भी ध्यान रखना चाहिए।

अब हमको कीमत लगाने के ढग को, जो दो विशेष श्रेणियो म होती है, जिससे वस्तुओ को गुजरना पडता है, देखना है। (क) रास्ता बताने वाला दर्जा (pioneering stage) तथा (ख) प्रौढता का दर्जा (stage of maturity)।

(क) Pioneering Pricing —इस हालत में कारीगर (manufacturer) के लिए दो रास्ते खुले हैं —

(i) ऊची कीमत जिसको Skimming Price कहते हैं और

1. Joel Dean, *Harvard Business Review*, November 1950, pp 45-52, reprinted in Hess and others—*Outside Roadways in Economics*, 1951, Ch 15.

(11) नीची कीमत जिसको Penetration Price कहते हैं।

ऊची कीमत (Skimming Price) बाजार में किसी प्रतिवादी के आने के पहले बाजार को मथने (skim) के लिए होती है। यह उन वस्तुओं के लिए उचित है जो मौजूदा वस्तुओं से अत्यधिक भेद बतलाती हैं और जिन पर प्रारम्भ में ही अधिक खर्च होता है। ऊची कीमत के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि पहले पहले माग अपेक्षाकृत वेलोचदार होती है, यह बाजार के तत्त्व को मथ लेती है जिससे कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह रक्षित है, और साथ ही ऊचे दाम द्वारा पैदावार, वितरण तथा तरक्की के लिए अधिक रूपया लगाने की व्यवस्था होती है।

नीची कीमत (Penetration Price) वह कीमत है जो नीची कीमत है और पूरे बाजार पर सीधे आक्रमण करती है और अधिक मुनाफे की आशा भी रखती है। जहा पर ऊची कीमत से माग की लोच बढ़ती है वहा के लिए थोड़ी कीमत उपयोगी सिद्ध होगी। यह वहा के लिए भी उपयोगी होगी जहा प्रतिस्पर्धा का भारी डर है तथा जहा पैदावार उपभोक्ता के खर्च के लिए आसानी से उपयोगी हो। अधिक उत्पादन जो कम दामो पर अधिक माग की पूर्ति के लिए किया गया हो उत्पादन की लागत में बचत करेगा।

(ख) प्रौढावस्था में मूल्यांकन (Pricing in Maturity)—Brand preference में कमजोरी लाना, वस्तुओं के बीच भौतिक विभिन्नता को कम करना जबकि उत्पादन स्टैंडर्ड (standardized) हो, व्यक्तिगत होड करने वाले चिन्ह की अधिकता का होना, बाजार का शिखर पर होना, और उत्पादन के साधन का स्थिर हो जाना आदि नई वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा (competitive status) को नीचा करने के कुछ लक्षण हैं। जब कि ऐसे चिन्ह प्रतीत होते हैं और निर्माता को यह मालूम होता है कि बाजार उसके हाथ से निकलता जा रहा है तो उसे कीमत कम कर देना चाहिए और इस तरह एक मजबूत दीवार उसके विरोधी के रास्ते में खड़ी हो जाती है। उसको अपनी वस्तु को उन्नतिशील बनाने का प्रयत्न करना चाहिए और साथ ही मार्केट का विभाजन (segmentation) जिससे पैदावार “सम्पन्न श्रेणी में आ जाए और ऊची आय वाले को आकर्षित करे।” इस तरह कम तथा इतनी-कम-भी-नहीं कीमत (low and not-so-low a price) ही के बीच छाट का विकल्प रहता है।

निर्देश पुस्तके

Marshall, A —Principles of Economics

Benham, F —Economics

Meyers—Elements of Modern Economics, Ch 9

Stigler, G J —Theory of Price, p 147 and also Ch 10 for pricing of productive services

Samuelson, P A —Economics, 1948, Ch 19

Hess & Others—Outside Readings in Economics, 1951, Ch 15.

Wicksteed, P H —Commonsense of Pol Economy, 1946, Vol 1 Ch 6

अध्याय १६

लागत और पैदावार

(COST AND OUTPUT)

१. उत्पादन की लागत (Cost of Production)—पिछले अध्याय में हमने यह देखा कि माग तथा पूर्ति में साम्यावस्था होने से किस प्रकार कीमत का निर्धारण होता है। माग पर सीमान्त उपयोगिता (marginal utility) का तथा पूर्ति (सप्लाई) पर उत्पादन की लागत का प्रभाव पड़ता है। उत्पादन लागत नाम-मात्र (nominal) भी हो सकती है और वास्तविक (real) भी। उत्पादन की नाम-मात्र लागत द्राव्यिक लागत खर्च (money cost of production) कहलाता है। इसे उत्पादन पर आने वाला खर्चा भी कहते हैं। “द्राव्यिक पर्दे को छेदने” के कई प्रयास किए गए। इसके बाद वास्तविक उत्पादन पर लागत का अन्दाज लगाने के कई प्रयत्न हुए। उत्पादन की वास्तविक लागत के कई अर्थ लगाये जाते हैं। एडम स्मिथ ने श्रमिक के कण्टो और त्यागो को वास्तविक लागत माना है। मार्शल ने इसके अन्तर्गत “विभिन्न योग्यताओं के प्रयत्नों की वास्तविक लागत” और “प्रतीक्षा की वास्तविक लागत” शामिल किया है।^१ मार्शल ने इसे सामाजिक लागत कहा है। आस्ट्रेलिया के अर्थशास्त्रियों और उनके अनुयायियों ने वास्तविक लागत को एक नया रूप दिया है। उनके अनुसार एक विशेष जिस की वास्तविक लागत “उस जिस की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला आगामी सर्वश्रेष्ठ त्याग है।” इसे अवसर लागत अथवा विस्थापन लागत (displacement cost) भी कहते हैं।

यहाँ हम उत्पादन की लागत का प्रयोग द्राव्यिक लागत आदि शब्दों (terms) का प्रयोग करेंगे। इसे उद्यमी की लागत कहते हैं। अतएव हमें उद्योगपति की उत्पादन लागत की विवेचना करनी है और देखना है कि ऐसी लागत कीमत को किस भाँति प्रभावित करती है। बाद में इन द्राव्यिक लागतों के आधार पर हम उन आधारभूत तत्वों का निष्कर्ष निकालेंगे जो कीमत निर्धारित करते हैं।

उद्यमी की उत्पादन लागत में निम्न तत्व सम्मिलित रहते हैं^२—(i) श्रमिक की मजदूरी (wages of labour), (ii) पूँजी पर व्याज (interest on capital), (iii) भूमि अथवा दूसरी सम्पत्ति का किराया (लगान) अथवा ‘रायल्टी’ (iv) कच्चे माल की लागत, (v) मशीनों को ठीक करवाने अथवा बदलवाने पर

१ मार्शल—अर्थशास्त्र के सिद्धांत (आठवाँ संस्करण) पृष्ठ ३५०।

२. अधिक जानकारी के लिए—

व्यय, तथा (VI) उद्यमी का लाभ, जिसके आवार पर वह उत्पादन को चालू रख सके।

लागत का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है—(१) उत्पादन लागत जिसमें माल की लागत, मजदूरी लागत, व्याज लागत आदि अर्थात् परोक्ष तथा अपरोक्ष दोनों प्रकार की लागतें शामिल हैं, (२) विक्री लागत, जिसमें विज्ञापन की लागत शामिल है, तथा (३) दूसरी लागतें, जिसमें बीमा के दाम, दर तथा कर आदि शामिल हैं।

२. प्रमुख और पूरक लागत (Prime (Variable) and Supplementary (Fixed) Cost)—उद्यमी की द्राव्यिक लागत को एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। कुछ लागतें निकासी के अनुपात से थोड़ी या बहुत भिन्न-भिन्न होती हैं, जबकि अन्य स्थिर रहती हैं और पहले की भांति भिन्न नहीं होतीं। पहली को प्रमुख लागत और दूसरी को पूरक लागत अथवा ऊपरी लागत (overhead) कहते हैं। उनका भुगतान अवश्य होना चाहिए, भले ही खाड का उत्पादन अस्थायी रूप से स्थगित क्यों न हो। यह पूरक लागत है और इनमें कारखाने का किराया, मशीनों में लगी पूजा का व्याज और स्थायी कर्मचारियों का वेतन सम्मिलित रहता है। दूसरी ओर प्रमुख लागत (prime costs) खर्च परिवर्तनशील होते हैं। यह लागत पैदावार में भेद होने से बदलती रहती है। इनमें उत्पादन में प्रयोग में आने वाले कच्चे माल की लागत और अनियमित श्रमिक की मजदूरी सम्मिलित होती है। यह व्यय तभी होते हैं जब फैक्टरी चालू रहती है।

प्रमुख (परिवर्तनीय) और पूरक (स्थिर) लागत खर्च का अन्तर केवल अल्पकालीन समय में लागू होता है। कोई भी वस्तु लम्बे समय तक स्थिर नहीं रह सकती। कालान्तर में कर्मचारियों में हेरफेर हो सकता है, लगी हुई पूजा की रकम में भिन्नता आ सकती है और फैक्टरी के क्षेत्रफल में भी अन्तर पड सकता है। अतएव दीर्घकाल में सभी व्यय परिवर्तनीय अथवा प्रमुख होते हैं।^१


कुल लागत वक्र जिसमें स्थिर (पूरक), परिवर्तनीय (कीमत लागत) तथा औसत लागत शामिल हैं इनका निम्नलिखित लागत वक्रों^२ द्वारा निरूपण किया जा सकता है।

रेखा चित्र ४० में स स पूरी लागत का वक्र है जिसमें स्थिर लागत भी है (जिसे वक्र स ट तथा अक्ष य के बीच में दिखाया गया है) और परिवर्तनीय (variable) लागत भी (जिसे स स तथा स ट वक्र के बीच में दिखाया गया है)। स्थिर लागत स ट से दिखाई गई है। यह एक क्षैतिज (horizontal line) है जो बताती है कि यह लागत हमेशा एक ही रहती है उत्पादन चाहे जो हो (यानी व म या व म')। लेकिन व म उत्पादन के लिए बदलती (variable) हुई लागत प क है और व म' के लिए प' क' है। बदलती हुई लागत शून्य है जबकि उत्पादन कुछ भी नहीं है। यह बिन्दु स के द्वारा बताया गया है, यद्यपि बदलती हुई लागत नहीं है, लेकिन स्थिर लागत (=व स) मौजूद है। पहले पहल उत्पादन के साथ बहुत शीघ्रता से बदलती हुई लागत


1 Benham—Economics, 1940, p 181.

2 Easily understandable cost curves of all types will be found in Tarshus Elements of Economics, Chp 6—9

बढ़ती है और फिर उत्पादन माप की मितव्ययताओं के कारण उससे कम बढ़ता है। लेकिन एक समय बाद यह घटती हुई प्राप्ति (diminishing returns) घटने के कारण एक दम से बढ़ जाती है।




रेखा चित्र न० ४०
पूरी लागत



रेखा चित्र न० ४१
औसत लागत

रेखा चित्र ४१ औसत लागत बताता है। पहले पहल औसत लागत बढ़ी स्थिर लागत तथा थोड़ी पैदावार के कारण बहुत ऊँची है। जैसे पैदावार बढ़ती है, स्थिर लागत इकाई उत्पादन की बढ़ी संख्या के ऊपर फैली हुई है, और औसत लागत गिरती है। इसका कारण कई आन्तरिक अर्थ व्यवस्था (internal economy) तथा अविभाज्य साधनों का होना है। लेकिन जब घटती हुई प्राप्ति प्रवृत्त की असुविधा तथा मशीनों की कमी के कारण शुरू होती है, तो बदलती हुई लागत और इसलिए औसत लागत बढ़ना शुरू हो जाती है। वक्र के नीचे का भाग मुड़ कर U की शकल का हो जाता है। इसी कारण से औसत लागत का वक्र U की शकल की तरह होता है।



रेखा चित्र नं० ४२

उपर्युक्त रेखाचित्र न० ४२ द्वारा इन बातों का निरूपण किया गया है। औसत स्थिर लागत (average fixed cost) जो रेखाचित्र में बिन्दी वाली टूटी रेखा से बनाई गई है (असल), औसत बदलती लागत (average variable cost)

जो चित्र में बिन्दुदार रेखा से बनाई गई है (अ, ब, ल), और औसत पूरी इकाई लागत (average total unit cost) जो चित्र में पूरी वक्र से बनाई गई है (अ, प, ई, ल) और सीमान्त लागत (marginal cost) जो चित्र में बिन्दु और वक्र के द्वारा बनाई गई है (म, ल)^१।

यह देखा जा सकता है कि औसत बदलती लागत गिरती जाती है जब तक कि सीमान्त लागत इसके नीचे है, लेकिन यह जहां पर म, ल रेखा अ, ब, ल को काटती है बढ़ना शुरू हो जाती है। सीमान्त लागत सदा औसत बदलती लागत से जल्दी बढ़ेगी। ऐसा ही सम्बन्ध सीमान्त लागत तथा औसत पूरी इकाई लागत में है।

ऐसी चीजें जो लागत को प्रभावित करती हैं वे ये हैं — (i) पैदावार का तल (level of output), (ii) उत्पादन के साधनों के लिए दी गई कीमत में परिवर्तन, (iii) उत्पादन के तरीकों में उन्नति, और (iv) कल और कारखानों की शक्ति में परिवर्तन। आखिरी दशा में नई औसत पूरी लागत (average total cost) पहले पहल जबकि पैदावार कम है पुरानी औसत पूरी लागत वक्र के ऊपर होगी, लेकिन जब पैदावार काफी बढ़ गयी हो तो नई रेखा पुरानी रेखा के नीचे होगी।

यह याद रखना चाहिए कि परिवर्तनीय लागत की वृद्धि से सीमान्त लागत (marginal cost) तथा औसत कुल लागत (average total cost) बढ़ जायगी। लेकिन स्थिर लागत के बढ़ने से औसत पूरी लागत बढ़ सकती है और सीमान्त लागत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सीमान्त लागत के माने होते हैं एक बढ़ती इकाई की उत्पादन के द्वारा पूरी लागत में वृद्धि करना। और यह उचित नहीं होगा कि इस इकाई पर वेतन, व्याज एवं किराये में वृद्धि के बोझ को लादा जाय। इनमें जो वृद्धि होती है वह बढ़ती इकाई के उत्पादन के द्वारा नहीं होती।

३ विक्रय मूल्य या लागत (Selling Costs)^२—विज्ञापन, प्रचार कार्य तथा वेचने में जो खर्च होता है उसे विक्रय लागत कहते हैं। विक्रय लागत की परिभाषा इस प्रकार है “यह वह लागत खर्च है जो खरीदार को एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी खरीदने के लिए बाध्य करता है या जो खरीदार को एक दूकान से दूसरी दूकान से खरीदने के लिए विवश करता है।”

यदि बाजार पूर्ण हो यानी अगर खरीदारों को कीमतों के बारे में पूरी जानकारी हो तथा चीजों की क्वालिटी की पूरी-पूरी जानकारी है तो विज्ञापन बेकार होगा। इससे कोई भी खरीदार आकर्षित नहीं होगा। विज्ञापन प्रतियोगितापूर्ण बाजार में भी अनावश्यक होगा जहां कि प्रामाणिक वस्तुएं विकती हैं। एकाधिकारी को भी विज्ञापन पर खर्च करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके साथ स्पर्धा करने के लिए कोई नहीं

1 See Meyers, A L.—Elements of Modern Economics, 1951, p 159

See also Stigler, G, J—Theory of Price, 1947, p 157, and Joan Robinson—The Economics of Imperfect Competition, 1954, p 335

२ This section is based on Meyers, Elements of Modern Economics, 1951,

होता। असलियत में पूर्ण प्रतियोगिता तथा पूर्ण एकाधिकार तो होता ही नहीं। बहुत थोड़े खरीदार ऐसे होंगे जो पारखी हो अथवा बाजार की हालतों से पूरे परिचित हों। बहुत से ब्रैंडो (brand) में चुने जाने की प्रतियोगिता रहती है। यह विज्ञापन के लिए बहुत बड़ा-क्षेत्र है जो या तो नई वस्तुओं का ज्ञान दिलाता है या खरीदारों को आगाह करता है कि पुरानी वस्तु अब भी ठीक से चल रही है। विक्रय लागत इस तरह अपूर्ण बाजार (imperfect market) से सबधित है। उत्पादन की भिन्नता से विज्ञापन और विक्रय कार्य आवश्यक हो जाते हैं।

विज्ञापन एक बहुत नाजुक औजार है और इसका सही-सही मूल्यांकन करना सम्भव नहीं। सवप्रथम, किसी बात को सामान्य रूप से कहना कठिन है। वही विज्ञापन पर खर्च बहुत लाभप्रद हो सकता है जब कि वह एक किसी खास तरीके से या ऐसी किसी परिस्थिति में खर्च किया जाय और वही खर्च किसी दूसरे ढंग से खर्च करने पर विल्कुल बेकार सिद्ध हो सकता है। कारण यह है कि इसकी सफलता इसकी न्यूनता तथा अद्वितीयता (novelty and uniqueness) पर निर्भर है। जब यह चीज नहीं रह जाती, विज्ञापन निर्मूल हो जाता है। दूसरे, विक्रय लागत तथा किसी फर्म के व्यापार की मात्रा में कोई सबध नहीं है। तीसरे, चूंकि विज्ञापन, विरुद्ध विज्ञापन उत्तेजित करता है, अतः विक्रय लागत प्रतिद्वंद्वी के कार्य से बहुत अधिक प्रभावित होता है। प्रतियोगिक विज्ञापन कुल लाभ हड़प सकता है, और हो सकता है कि सिवाय विज्ञापनकर्त्ता तथा विक्रयकर्त्ता के किसी को भी लाभ न हो। चौथे, विक्रय-लागत खर्च से जो इसे करता है उसको तथा उसके प्रतिद्वंद्वी दोनों को लाभ हो सकता है। जैसे मान लो न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी (New India Insurance Company) के विज्ञापन द्वारा कोई व्यक्ति बीमा के लिए तैयार हुआ लेकिन वह बीमा करने के लिए इसके बदले ओरियन्टल लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी (Oriental Life Insurance Company) के पास जा सकता है। पांचवें, विज्ञापन इस धारणा पर आधारित है कि बहुत से खरीदार अपनी रुचि बदलने को तैयार हैं। ऐसा भी नहीं होता। यह पता लगाना कठिन है कि उसका कितना व्यापार पुराने खरीदारों के कारण है और कितना व्यापार नए खरीदारों के कारण है जो विज्ञापन द्वारा बनाए गए हैं। पहली हालत में विक्रय लागत स्थिर लागत माना जाना चाहिए और दूसरी दशा में परिवर्तनीय लागत (variable costs) विज्ञापन की पूरी लागत नये व्यापार पर लगाना चाहिए।

विक्रय लागत तथा मांग वक्र (Selling Costs and Demand Curve):— विक्रय लागत खर्च पुराने ग्राहकों को ज्यादा चीजें खरीदने के लिए लालायित कर सकता है और नए ग्राहक भी बना सकता है। इसका अर्थ है माग में बढ़ोतरी। नए माग का वक्र, जो माग की बढ़ती बताता है, पुराने वक्र के ऊपर या उसके दाहिने तरफ होगा लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वक्र की लोच पुराने की ही तरह हो। यह नए ग्राहकों की खरीद की आदत पर निर्भर है। अगर वे कीमत से ज्यादा प्रभावित होते हैं तो वह अधिक लोचदार होगी, नहीं तो पुराने वक्र से कम लोच-


ले। जो फर्म इस सदेह में झूलती रहती है कि व्यवसाय चालू रक्खा जाय अथवा बन्द कर दिया जाय, उसे सीमान्त फर्म कहते हैं।

(11) सीमान्त पैदावार (Marginal Output)---जब एक व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ता है, और पैदावार में वृद्धि होती है, तो उस समय घटती हुई प्राप्ति का नियम (law of diminishing returns) अपना कार्य प्रारम्भ कर सकता है और फलस्वरूप लागत में वृद्धि हो सकती है। उद्यमी उस सीमा तक उत्पादन कार्य जारी रखेगा जब तक कि उसे उतना मिलता रहे जितना कि उसका और खर्च हो रहा है। पैदावार में अन्तिम योग को सीमान्त पैदावार (output) कहते हैं। सीमान्त निकासी की प्रति इकाई की उत्पादन लागत उत्पादन की सीमान्त लागत होती है। सीमान्त लागत को परिवर्तनीय लागत में योग (addition) को कहा गया है जिसमें पैदावार में थोड़ी वृद्धि जुड़ी मानी गई है।¹

यह स्पष्ट है कि स्थायी या पूरक लागत अल्प-काल में सीमान्त लागत का अंग नहीं बनती। पैदावार चाहे जितनी हो उनका भुगतान होना आवश्यक है। किन्तु ज्यो-ज्यो दीर्घकाल होता जायेगा पूरक सूची के विषयो पर कीमत बढ़ती जायेगी और यह सीमान्त लागत का ही एक अंग होगी।

सीमान्त लागत तथा औसत लागत के परस्पर सम्बन्ध को जान लेना जरूरी है निम्नलिखित चित्र को ध्यान से देखिए —

अस (औसत लागत) है तथा मस (सीमान्त लागत) है और इनका आकार अंग्रेजी के U अक्षर जैसा है। जब तक अस गिरता है मस इसके नीचे है और जब अस उठना शुरू हो जाता है तब मस इसके ऊपर हो जाता है। लेकिन मस की दिशा के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह किस ओर चलेगी। उदाहरण के लिए, यदि अस गिरता है, मस उठ भी सकता है और गिर भी, और यदि अस उठता है मस गिर भी सकता है और उठ भी। परन्तु यदि अस स्थिर (constant) तो मस भी स्थिर रहेगा।



रेखा चित्र न० ४४

६ सीमान्त का महत्त्व (Importance of the margin)² हमें सीमान्त विश्लेषण की ओर निर्देश करने का अवसर मिला (अध्याय ४, विभाग ११)। इसका महत्त्व इसमें होता है कि "सीमान्त पर ही माग और पूर्ति के परिवर्तित सम्बन्ध परस्पर स्पष्ट होकर बदलाव सम्भव करते हैं, अर्थात् यह ज्ञात होता है कि

1 Benham, F—Economics, 1943, p 224

2 Richard, A Lester—"Shortcomings of Marginal Analysis" The American Economic Review, March, 1946, pp 72-82, reprinted in Hess and others—Outside Readings in Economics, 1951, Ch 18

अब व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिये । सीमान्त पर ही व्यवसाय की असफलता अथवा दिवालियेपन का ज्ञान होता है । सीमान्त पर ही नई फर्म अथवा उद्योगपति उन्नति की ओर बढ़ते हैं । सीमान्त पर ही एक वस्तु अथवा काम की जगह दूसरी वस्तु अथवा काम को लगाया जाता है । सीमान्त पर ही नये सामान की मागों की पूर्ति को प्राप्त साधनों के अन्तर्गत विभाजित किया जाता है । और द्रव्य के वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए किस भाति वितरण हो, इस नतीजे पर पहुँचा जाता है । विकस्टीड के शब्दों में "जहाँ कहीं भी वह (सीमान्त) अपना प्रभाव जमा चुकी है वही वह अपनी प्रभुता स्थापित करती है । यही पर मनुष्य के प्रयत्नों की दिशा की आर्थिक परीक्षा होती है और उसे वही से निर्देश मिलते हैं । विभाजन के प्रत्येक बिन्दु पर वह साधनों के विवरण की जाँच करती है ।"

पैदावार के सम्बन्ध में भी सीमान्त का अपना एक विशेष महत्त्व है । यह पैदावार का रूप स्थिर करने का माप-दंड होता है । यह निश्चय करने के लिए कि उत्पादन कितनी मात्रा में होना चाहिए, उत्पादक सामान्य उत्पादन लागत को दृष्टि में नहीं रखता बल्कि वह सीमान्त उत्पादन व्यय पर ध्यान देता है । उसके लिए यह जानना अधिक आवश्यक होगा कि पैदावार में वृद्धि करने के लिए उसे कितना अधिक और व्यय करना होगा । इस अतिरिक्त निकासी पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की वह अनुमानित आय से तुलना करेगा । जो नियम उसे अपनाना होगा वह सीमान्त लागत की सीमान्त कीमत से समानता होती है ।

प्रतियोगितापूर्ण स्थिति में प्रत्येक फर्म की सीमान्त लागत एक-सी होगी क्योंकि सब के लिए कीमतें बराबर हैं । जो सस्थायें कार्यकुशल न होगी, वे उत्पादन शीघ्र ही बन्द कर देगी क्योंकि उनकी सीमान्त लागत कीमत से शीघ्र ही अधिक होने और उनके विपरीत कुशल सस्थायों की निकासी अधिक होने से उनकी सीमान्त लागत कीमत के समान आ जायगी ।

उस बिन्दु पर जहाँ सीमान्त लागत सीमान्त राजस्व (revenue) से मिलती है लाभ अधिकतम हो जाता है (अथवा यू कहिए कि हानि न्यूनतम हो जाती है) । जब तक सीमान्त राजस्व सीमान्त लागत से अधिक होता है, पैदावार बढ़ जायेगी चूँकि जब इससे लागत की अपेक्षा कुल प्राप्ति (total receipts) में बढ़ोतरी होगी । लेकिन जिम् अवस्था में सीमान्त लागत सीमान्त राजस्व से बढ़ जाती है, तो पैदावार सिकुड़ जाती है, चूँकि इससे कुल लागत की अपेक्षा कुल प्राप्ति घट कर कम हो जायेगी । पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक व्यक्तिगत बेचने वाले की कीमत निश्चित होती है । इसलिए वह कीमतें कम किए बिना ही जितना माल चाहे बेच सकता है । इस प्रकार सीमान्त राजस्व तथा कीमतें समान होती हैं ।

यह सकेत कर देना उचित होगा कि सीमान्त विक्रेता अथवा खरीदार का कोई विशेष महत्त्व नहीं होता । वह बहुतों में से एक होता है । प्रत्येक विक्रेता अथवा खरीदार का महत्त्व होता है । कीमत का निर्धारण कुल माग और पूर्ति से होता है । सीमान्त केवल मूल्य की ओर इंगित करता है—वह उस पर शासन नहीं करता ।

७ अनुकूलतम फर्म (Optimum Firm)—इससे पूर्व के अध्याय में हमने पढ़ा है कि सीमान्त फर्म क्या होती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने एक नयी प्रकार की फर्म की कल्पना की है, जिसे अनुकूलतम फर्म कहते हैं। यह ऐसी सस्था है जिसमें उत्पादन के विभिन्न साधनों का सर्वश्रेष्ठ समन्वय होता है। उद्यमी के दृष्टिकोण से यह एक इकाई पर न्यूनतम औसत व्यय से उत्पादन क्रिया सम्पन्न करती है। इसका आकार इस प्रकार का होता है कि थोड़े से ही विस्तार से अथवा साधनों में कमी कर देने से इसकी उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है और प्रति इकाई व्यय बढ़ जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक सस्था अनुकूलतम आकार ग्रहण करना चाहती है, क्योंकि इस आकार से उद्यमी को अधिकतम लाभ होता है।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि अनुकूलतम कोई निश्चित बिन्दु नहीं है। यह भी एक सापेक्षिक शब्द है। विभिन्न साधनों के विभिन्न मिलाव से इसमें भिन्नता हो सकती है। उनमें थोड़े से हेर-फेर से इसमें भी अन्तर आ जाता है। अनुकूलतम इकाई में उन परिस्थितियों में वृद्धि हो सकती है जब पूजी को प्राप्त करने में सरलता हो, क्रय और विक्रय की कला का समुचित ज्ञान हो। यदि इसके विपरीत एक या दूसरे प्रकार के साधनों की प्राप्ति में कोई बाधा आ पड़े तो अनुकूलतम पर उसका उल्टा प्रभाव होगा।


हमने यह देखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक उत्पादक की प्रवृत्ति यह होती है कि उसके उत्पादन का विस्तार इतना हो जाय कि उसकी सीमान्त लागत तथा कीमत समान स्तर पर पहुँच जाय। इस प्रकार जितनी पैदावार होती है उसे अनुकूलतम पैदावार कहते हैं क्योंकि इससे उत्पादक को अधिकतम लाभ होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थितियों में प्रत्येक सस्था की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अनुकूलतम मात्रा उत्पादित करके अनुकूलतम आकार ग्रहण कर सके। परन्तु इसके अर्थ यह नहीं होते कि वह इस आकार तक पहुँच चुकी है। अनुकूलतम आकार तक पहुँचने के लिए उसका प्रति-क्रम व्यवसाय की किस्म पर निर्भर होता है। अनुकूलतम पैदावार की समस्या पर विचार करते समय, उत्पादक को उत्पादन-कार्य के सम्बन्ध में सोचना पड़ता है। उत्पादन कार्य की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि यह एक सम्बन्ध है जो समय की प्रति इकाई के अनुसार लगाई गई उत्पादक सेवाओं और उत्पादन का समय की प्रति इकाई की पैदावार के साथ स्थापित होता है।

यह आवश्यक नहीं कि एक साधन का अनुकूलतम दूसरे के अनुकूलतम के समान हो। उदाहरणार्थ—निर्देशन के दृष्टिकोण से एक बड़ा आकार अधिक क्षमतापूर्ण हो सकता है। परन्तु उत्पादन की विधि की दृष्टि से छोटे आकार से अधिक अच्छा काम लिया जा सकता है। इस बाधा को सरल करने के लिए कभी-कभी उत्पादन की कई पूर्ण इकाइयों को एक ही निर्देशन के अन्तर्गत रख दिया जाता है। इसके विपरीत कई स्वयं निर्देशन सस्थायें सभव है कि एक ही जिन्स के उत्पादन में योग देती हो।

आगे अनुकूलतम पैदावार का रेखाचित्र द्वारा निरूपण किया गया है।

हम देख चुके हैं कि लाभ उस समय अधिक होता है जबकि सीमान्त लागत

सीमान्त आय के बराबर होती है। म ल सीमान्त लागत वक्र है और म अ सीमान्त आय वक्र है। यह दोनो रेखायें एक दूसरे को प पर काटती हैं। यह बिंदु अनुकूलतम पैदावार (optimum output) व म बताती है। इस उत्पादन पर सीमान्त लागत सीमान्त आय के बराबर होती है क्योंकि प बिन्दु दोनो रेखाओ, म ल तथा म अ पर है। म प रेखा जब ऊपर बढ़ाई जाती है तो माग रेखा, ड ड को प' पर मिलती है। अतः प' म अनुकूलतम कीमत है और व म अनुकूलतम पैदावार है। इस म बिंदु पर सीमान्त लाभ वक्र म प घन से ऋण की ओर जाती है और व य (axis) को काटती है।



हम फिर वह नियम दुहराते हैं जिस पर


रेखाचित्र न० ४५

अधिक-से-अधिक लाभदायक पैदावार वह होगी जिस पर—

सीमान्त लागत = सीमान्त राजस्व

अथवा सीमान्त लागत = कीमत

उत्पादन को बदली हुई कीमतों से ठीक करना—एक फर्म के लिए जो पूर्ण प्रति-योगिता के अन्तर्गत है, हम कहते हैं कि यह वह है जिस पर सीमान्त लागत कीमत के बराबर होती है। अतः पैदावार को कीमत की घटती-बढ़ती के अनुसार ठीक करना है। यह इस रेखाचित्र में दिखाया गया है —



रेखाचित्र न० ४६

है। यानी यह वहा है जहा म ल वक्र कीमत रेखा को काटता है। इस तरह व क (=प_१ म_१) तो पैदावार व म_१ होगी। व र (=प_२ म_२) पर अनुकूलतम पैदावार व म_२ होगी और इसी तरह आगे ऐसे ही बढ़गी।

ध्यान रहे कि कीमत रेखा म ल को दूसरे सिरे पर भी काटती है लेकिन वहा पर उत्पादन बहुत कम होता है। जब कीमत रेखा म ल के उठते हुए भाग को काटती है तो लाभ सबसे ज्यादा होगा।

जब लाभ नकारात्मक (negative) है तो भी सीमान्त लागत और सीमान्त आय वाला नियम लागू होता है। यह ज्यादा हानि होने से बचायेगा। जब कीमते गिर रही हो तो व्यापारी को स्थिर लागत को छोड़ना पड सकता है। लाभ को अधिक करने का नियम केवल अस्थिर लागत को ही नहीं बल्कि स्थिर लागत यानी कुल लागत को भी ध्यान में रखना होता है। यह नियम इस प्रकार है “औसत कुल इकाई लागत से अधिक जो भी लागत हो उससे अधिक पैदावार जिस पर सीमान्त आय सीमान्त लागत के बराबर हो, अधिकतम शुद्ध लाभ का बिन्दु होगा।”

प्रतियोगी मार्केट (मडी) में कई अनुकूलतम फर्मों की स्थापना सम्भव है। इसका कारण घटती हुई प्राप्ति के नियम का लागू होना है। कुछ प्रक्रम (stage) के बाद किफायती तथा गैर-किफायती समस्याएँ एक दूसरे के सामने आ खडी होती है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न न होती तो एक दो फर्मों ने ही सारे मार्केट को हडप लिया होता और एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती। और इससे प्रतियोगिता का अन्त हो जाता। इस प्रकार अनुकूलतम फर्म प्रतियोगिता के साथ असगत नहीं है।

क्रमश घटती हुई लागत (वढती हुई प्राप्ति) वाले उद्योग में प्रतियोगिता का समाप्त हो जाना जरूरी है। जब औसत तथा सीमान्त लागत कम हो रही है, प्रतियोगी फर्म विस्तृत होगी तथा उनमें तीव्र स्पर्धा उत्पन्न होगी, जिससे अधिकांश फर्मों को नुकसान होगा। कुछ ऐसी फर्मों जो वित्तीय रूप से अधिक पुष्ट है दूसरी फर्मों को उखाडकर स्वयं एकाधिकार स्थापित कर लेंगी। ऐसी स्थिति अमरीका में मोटर के व्यवसाय में उत्पन्न हुई, जिसके फलस्वरूप जनरल मोटर्स, क्रिसलर तथा फोर्ड आदि मोटर सस्थाओं ने सारे मार्केट पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। किन्तु कृषि के क्षेत्र में तथा दूसरे उद्योगों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की आशका नहीं है जबकि किसी एक भी फर्म तथा ग्रुप का सारे मार्केट पर प्रभाव डालने की शक्ति से पूर्व सीमान्त लागत वक्र (marginal cost curve) उठ गया है।

८ अनुकूलतम फर्म बनाम मार्शल फर्म (Optimum Firm Versus Marshall's Representative Firm)—यह दावा किया गया है कि मूल्य की व्याख्या की दृष्टि से अनुकूलतम सस्था मार्शल की प्रतिनिधि सस्था से श्रेष्ठ है। मार्शल के अनुसार “प्रतिनिधि फर्म वह सस्था है, जिसकी जडें काफी मजबूत हों और जिसे यथेष्ट सफलता प्राप्त हो चुकी हो, और जिसका प्रबन्ध सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता हो तथा जिसे वह बाह्य तथा आन्तरिक मितव्ययतायें सामान्य रूप से प्राप्त हों जो पैदावार की कुल मात्रा के फलस्वरूप होती है, जिनमें उत्पादित वस्तुओं का वर्ग, उनको बेचने की स्थितियाँ तथा आर्थिक वातावरण का विचार

रक्खा जाता है।^१ इस प्रकार यह फर्म न तो बहुत अच्छी व्यवस्था वाली होती है और न बहुत खराब व्यवस्था वाली ही, न तो यह बहुत नयी होती है और न बहुत पुरानी और यह बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन का साधारण लाभ उठाती है। एक शब्द में यह अपने ढंग की एक विशेष फर्म होती है।

मार्शल के अनुसार इस सस्था की सीमान्त उत्पादन लागत दीर्घ-काल में कीमत के लगभग हो जाती है। जो फर्म इस कीमत पर क्रय नहीं करती वह आज या कल अवश्य समाप्त हो जाती है। इस तरह के उद्योग में, जो किसी भाति क्रय करने में समर्थ हो जाती है, वे सीमान्त फर्म होती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार साधारण अथवा प्रतिनिधि फर्म अपनी कीमत सीमान्त उत्पादन लागत के अनुरूप करने का सतत प्रयत्न करती है।

आधुनिक अर्थशास्त्र मार्शल के इस सिद्धान्त को उचित नहीं ठहराता। पीगू प्रति-योगी साम्यावस्था (competitive equilibrium) को बढ़ती हुई प्राप्ति की अवस्था में गणित की दृष्टि से असम्भव मानता है। यदि बढ़ती हुई प्राप्ति आन्तरिक तथा बाह्य किफायतो (internal and external economies) के कारण है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। रॉबिन्सन की आलोचना और भी तीव्र है। यह कहा जाता है कि 'प्रतिनिधि फर्म' की धारणा, रिकार्डों के 'आर्थिक व्यक्ति' (economic man) की भाति, अधिक अमूर्त तथा गतिहीन (abstract and static) है जिससे इसका व्यावहारिक रूप में कोई लाभ नहीं हो सकता। औद्योगिक स्थिति (हालात) चूँकि जरूरी तौर पर गतिशील होते हैं, यह माना जाता है कि किसी भी उद्योग में प्रतिनिधि फर्म को स्थिर (locate) करना असम्भव होगा। यह युक्ति दी जाती है कि प्रतिनिधि फर्म का सिद्धान्त रिकार्डों के "आर्थिक व्यक्ति" की भाति किसी व्यावहारिक उपयोगिता के योग्य नहीं है। औद्योगिक परिस्थितियाँ अधिक प्रभावशाली होने के कारण यह निश्चित है कि व्यावहारिक रूप में प्रतिनिधि फर्म को स्थान देना असम्भव है। रॉबिन्सन के विचार से प्रतिनिधि फर्म का सिद्धान्त व्यर्थ है, "उसका कहना है कि प्रतिनिधि फर्म या प्रतिनिधि उत्पादक की बात सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे लिए वहाँ सोचने की वस्तुएँ हैं, प्रतिनिधि रूप में एक घरती का टुकड़ा, प्रतिनिधि रूप में एक मशीन, अथवा प्रतिनिधि रूप में एक मजदूर"।^२

"दूसरी ओर अनुकूलतम फर्म एक ठोस सम्भावना है।" यह आकार की वह इकाई है जो निर्देशन की भावना जाग्रत करती है और स्पर्धा वाले तत्वों को विवश करती है कि वाछनीयता के बिन्दु तक पहुँचें और जीवन-सघर्ष में सफल हो।^३

यद्यपि रॉबर्टसन ने मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की धारणा की रक्षा करने का प्रयास किया लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा इसकी उपेक्षा की गई है, चूँकि बढ़ती हुई प्राप्ति के नियम की तुलना में घटती हुई प्राप्ति का नियम ही चरम रूप

1. Marshall—Principles of Economics, 8th. Ed., p 317

2 "The Representative Firm", Economic Journal, Sept. 1928, p 317.

3. Briggs and Jordan—Text Book of Economics, p. 221.

से प्राप्त नियम है (is the ultimate law of returns) । इस धारणा के स्थान पर अनुकूलतम फर्म के नियम को माना गया है ।

अनुकूलतम (optimum) फर्म पीगू की साम्यावस्था प्राप्त फर्म से भिन्न है जो कि सिर्फ काल्पनिक धारणा मात्र है, जिससे प्राप्त के नियमों का अध्ययन हो सके । ऐसी फर्म का वास्तव में मौजूद होना जरूरी नहीं है । यह तो सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति की साम्यावस्था (equilibrium) के दोनों ओर मान लेना मात्र है । दूसरी ओर अनुकूलतम फर्म वास्तविकता है और ऐसी स्थिति की ओर निर्देश करती है जो कि दीर्घावधि में वास्तव में अपनाई जा सकती है ।

६ अनुकूलतम फर्म में औसत लागत सीमांत लागत के समान होती है (For the Optimum Firm Average Cost Equals Marginal Cost)—जब एक फर्म अनुकूलतम आकार पर पहुँच जाती है तो उसकी सीमान्त लागत औसत लागत के बराबर हो जाती है । यह एक गणित का तथ्य है, जिसे एक साधारण उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है । मान लीजिये, एक डाकिया प्रतिदिन औसतन १५ मील चलता है । यदि वह एक अतिरिक्त दिन अपनी ड्यूटी पर जाय और उसका औसत कम हो जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि वह पन्द्रह मील से कम चला । यदि यह बढ़ जाता है तो वह १५ मील से अधिक चला और यदि वह वही औसत कायम रखता है, तो उस अतिरिक्त दिवस पर भी १५ मील ही चलेगा, इस भाँति हम मान लें कि एक उत्पादक का प्रति-इकाई लागत औसतन पन्द्रह है । यदि अगली इकाई उत्पादन करने से इसकी औसत लागत कम हो जाती है, तो अतिरिक्त इकाई अवश्य ही पन्द्रह से कम होगी । यदि अतिरिक्त इकाई की औसत लागत बढ़ जाती है, तो सीमान्त इकाई में उसकी पन्द्रह से अधिक लागत होगी और अन्त में यदि उसकी औसत लागत अपरिर्वतित रहती है, तो सीमान्त इकाई में उसकी पन्द्रह ही लागत होगी । दूसरे शब्दों में, तीसरे उदाहरण में उसकी सीमान्त लागत और औसत लागत बराबर हैं । जबकि औसत लागत का गिरना बन्द हो गया है और लागत ने बढ़ना आरम्भ नहीं किया है, तब फर्म का आकार अनुकूलतम है । दूसरे शब्दों में जब सीमान्त लागत न तो औसत लागत को बढ़ाती है और न घटाती है (औसत लागत के समान है) तो फर्म अनुकूलतम आकार की होती है । इसे हम यो भी कह सकते हैं कि अनुकूलतम फर्म के लिए सीमान्त लागत और औसत लागत समान होती है ।

दीर्घावधि में सीमान्त लागत तथा औसत लागत की परस्पर मिलने की प्रवृत्ति होती है । यदि औसत लागत से सीमान्त लागत अधिक (ऊँची) हो तो इसका अर्थ है कीमत, जो सीमान्त लागत से मिलती है (के समान होती है), तो औसत लागत से ऊँची होती है । इस प्रकार अतिरिक्त लाभ उठाया जाता है और उत्पादन में वृद्धि होती है । इस प्रकार ऊँची औसत लागत (higher average cost) पर अतिरिक्त उत्पादन होगा, और समय के साथ, दोनों मिल जाएंगे (equalised) । यदि, दूसरी ओर, सीमान्त लागत, इसलिए कीमत, औसत लागत से कम (नीची) है तो नुकसान

उठाने पड़ते हैं और पैदावार (output) कम हो जाती है। इसलिए औसत लागत कम हो जाएगी और कम होकर सीमान्त लागत के समतल (at par) हो जाएगी।

पूर्ण प्रतियोगी साम्यावस्था (perfectly competitive equilibrium) में, माल की कीमत पैदावार की सीमान्त तथा औसत लागत के समान होती है। चूँकि किसी फर्म में भी साम्यावस्था में, सीमान्त राजस्व (revenue) तथा उत्पादन की लागत समान होती है (देखिए उपर्युक्त विभाग ७)। जब माग वक्र पूरी तौर पर लोचदार होता है तो सीमान्त राजस्व औसत लागत के समान होता है अर्थात् कीमत के। इसलिए, अब हमारे सामने दो समीकरण (equations) इस प्रकार हैं—

$$\text{सीमान्त राजस्व} = \text{सीमान्त लागत (लाभ की अधिकतम होने की स्थिति)} \dots (१)$$

$$\text{सीमान्त राजस्व} = \text{औसत राजस्व (शुद्ध प्रतियोगिता की स्थिति)} \dots (२)$$

∴ सीमान्त लागत = औसत राजस्व = किसी फर्म की पूर्ण प्रतियोगिता में साम्यावस्था के समय कीमत।

इस प्रकार अब औसत राजस्व (अर्थात् कीमत), जो कि सीमान्त लागत के समान है, (क) की अपेक्षा बड़ी, (ख) के समान, अथवा (ग) औसत लागत से कम हो सकती है। यदि (क), यह असाधारण लाभ कमाए तो इस प्रकार यह नई फर्मों को आकर्षित करेगी तथा पुरानी फर्मों का विस्तार करेगी। लागत बढ़ जाएगी तथा औसत राजस्व (अर्थात् कीमत) औसत लागत के बीच का अन्तर स्पर्द्धा में समाप्त हो जाएगा। यदि (ग), कीमत औसत लागत को कवर (cover) नहीं करती है तो नुकसान होंगे। कुछ फर्मों को मजबूरन बन्द होना पड़ेगा और कई को अपना व्यापार कम (सिकोडना) करना पड़ेगा। पैदावार (output) कम हो जायगी तथा कीमत बढ़कर औसत लागत के समान हो जायगी। इस प्रकार सिर्फ (ख) ही ठीक बैठेगा,


अर्थात्—

$$\text{कीमत} = \text{औसत राजस्व} = \text{औसत लागत (उद्योग की दीर्घावधि की साम्यावस्था की स्थिति)} \dots (३)$$

इन तीनों समीकरणों (equations)

से यह परिणाम निकलता है कि पूर्ण प्रतियोगी साम्यावस्था में $M = MS = AR = AS$ । इस रेखाचित्रको देखिए। यहाँ M सीमान्त राजस्व है, MS सीमान्त लागत, AR औसत राजस्व तथा AS औसत लागत।

१०. प्राप्ति के नियमों से अनुकूलतम फर्म का सम्बन्ध (Optimum Firm in Relation to Laws of Return)—हमने यह



रेखा चित्र नं० ४७

देखा है कि जब एक फर्म अनुकूलतम आकार पर पहुँच जाती है तो उसकी सीमान्त लागत और औसत लागत बराबर हो जाती है। अतएव एक अनुकूलतम फर्म में समान प्राप्ति का नियम लागू होता है। यह अतिरिक्त इकाई का उत्पादन समान लागत पर प्रति इकाई के अनुसार करती है चाहे इसे औसत लागत कहिए अथवा सीमान्त लागत।

यदि फर्म का आकार अनुकूलतम से छोटा है या दूसरे शब्दों में उसके विस्तार से अनुकूलतम के बिन्दु तक पहुँचा जा सकता है तो प्रत्येक अगली इकाई का उत्पादन कम लागत पर होगा, चूँकि सीमान्त लागत गिराव पर होगी, इसलिए उसकी औसत लागत भी अवश्य गिरनी चाहिये। दूसरे शब्दों में इस तरह की सस्यायें बढ़ती हुई प्राप्ति के नियम को पालेंगी।

यदि फर्म का आकार अनुकूलतम के बिन्दु से अधिक विस्तृत हो गया है, दूसरे शब्दों में उसका विस्तार अनुकूलतम के बिन्दु से दूर ले जाता है, तो प्रत्येक अगली इकाई के उत्पादन पर अधिक लागत होगी। चूँकि सीमान्त लागत बढ़ाव पर होगा, उसकी औसत लागत अवश्य बढ़नी चाहिये। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की सस्यायें घटती हुई प्राप्ति के नियम का पालन करेंगी।

हमने देखा है कि घटती हुई प्राप्ति के नियम उत्पादन के साधनों में दोषपूर्ण अनुपात का विषय है। यदि साधनों को समुचित अनुपात से मिलाया जाय अथवा काम में लाया जाय तो घटाव की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। पूर्ण स्पर्धा में साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं। नतीजा यह होता है कि इस तरह का मिलान स्थापित हो जाता है जिससे प्रति इकाई लागत कम-से-कम होती है। दूसरे शब्दों में उत्पादन की इकाई की प्रवृत्ति अनुकूलतम आकार को पाने की होती है। वास्तविक जीवन में स्पर्धा पूर्ण नहीं होती। अतएव सम्पूर्ण चेष्टाएँ करने पर भी साधनों का श्रेष्ठ योग सम्भव है प्राप्त न हो। हो सकता है कि इसका कारण साधनों को एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में लाने की कठिनाई हो या एक विशेष साधन की बड़ी कमी हो, जैसे भूमि जिसका विस्तार नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में घटती हुई प्राप्ति का नियम कार्य करता है।

बढ़ती हुई प्राप्ति के नियम इन कारणों से हो सकते हैं, अर्थात् फर्म का आकार बहुत छोटा है और इसलिए, जैसे आकार में विस्तार होता है, बड़े पैमाने की किफायतें मिलती हैं, अथवा कई अविभाज्य साधन (indivisible factors) या उपकरण (equipments) [खर्चीला प्रबन्ध अथवा महंगी मशीनें आदि] का आंशिक उपयोग होता है। इस तरह पैदावार में बढ़ती हुई लागत के अनुपात में कम वृद्धि होगी। यह नियम विशेष रूप से ऐसी फर्मों तथा उद्योगों में लागू होगा जिनमें पूरक लागत (supplementary costs) का कुल लागत में बड़ा अनुपात रहता है।

घटती हुई तथा बढ़ती हुई प्राप्ति के नियम दो परिस्थितियों के कारण प्रभाव डालते हैं (क) समुचित अनुपात का विषय, (ख) आकार का विषय। बहुत से मामलों में ये दोनों परिस्थितियाँ एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। हम एक उदाहरण लें.—

मान लीजिये कि शक्कर उत्पादक कारखाने की स्थापना बहुत अधिक कार्यकुशल किन्तु मूल्यवान मशीनरी से की जाती है। मान लिया कि एक वर्ष में १५,००० मन शक्कर उत्पादित करके मशीन ने अपनी सम्पूर्ण उपयोगिता व्यय की। मान लिया कि शक्कर वास्तव में १०,००० मन तैयार हो सकती है, अतएव यदि पैदावार में वृद्धि कर दी जाती है तो प्रति इकाई पर औसत लागत और सीमान्त लागत कम हो जायेगी, क्योंकि मशीन का खर्च इकाइयों की काफी बड़ी संख्या पर वितरित किया जायगा। यह क्रम उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि उत्पादित पैदावार अनुकूलतम के विन्दु पर अर्थात् १५,००० मन पर पहुँच जाता है। इस विन्दु तक बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम अपना प्रभाव डालेगा। प्रति इकाई की लागत अशत. कम हो जायेगी, क्योंकि अविभाज्य साधन तथा स्तर की किफायतें (economies of the scale) लागू होंगी।

जब फर्म अपन अनुकूलतम आकार पर पहुँच जाती है, तो सीमान्त लागत और औसत लागत का गिरना बन्द हो जाता है। तब वे समानता पर आ जाते हैं। एक समय तक सम्भव है समान प्राप्ति हो। इस परिस्थिति में समान प्राप्ति का नियम अपना काम करता रहेगा।

अब मान लो कि फर्म का विस्तार और अधिक बढ़ जाता है। साधनों के समुचित अनुपात में अन्तर पड़ जायगा। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि व्यवस्था में कठिनाई आ जाय, अथवा कच्चे माल की कमी पड़ जाय आदि। जब एक वार अनुपातों में अन्तर पड़ जाता है तो कुछ साधनों में दूसरों की अपेक्षा कमी आ जायेगी। सभी साधन उस अनुपात तक नहीं बढ़ेंगे जिससे अनुकूल योग प्राप्त हो सके और फलतः घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू हो जायगा। हम कह सकते हैं कि या तो फर्म ने अनुकूल विन्दु को पार कर लिया है या कतिपय साधनों की वृद्धि नहीं हो पाई, जिसके कारण दोषपूर्ण अनुपात उत्पन्न हो गया। या तो आकार में कमी करके पुराने अनुकूल विन्दु पर पुनः लाया जाय या उन साधनों को जिनकी कमी है, बढ़ाया जाय, जिससे एक बड़े आकार पर अनुकूल विन्दु तक पहुँचा जा सके। यदि ऐसा करना सम्भव नहीं है तो घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होगा। वास्तविक जीवन में कभी-कभी ऐसा होता है कि कमी वाले साधनों में वृद्धि नहीं हो सकती और न फर्म या उद्योग से सम्बद्ध कमी वाले साधन को हटाया ही जा सकता है। हो सकता है कि यह पूर्ण स्पर्धा की कमी के कारण हो या साधन जैसे कि भूमि की पूर्ण अप्राप्यता के कारण हो। अतएव कभी-कभी घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता दिखाई पड़ता है।

निर्देश पुस्तके

Marshall, A —Principles of Economics

Benham, F —Economics

Meade—Economic Analysis and Policy.

Henderson—Supply and Demand

Robinson, E A.G.—Structure of Competitive Industry.

सामान्य कीमत का सिद्धान्त

(THEORY OF NORMAL PRICE)

१ सामान्य कीमत तथा बाजार-कीमत (Normal Price and Market Price) — पिछले अध्याय में हमने उत्पादन व्यय के बारे में विचार किया था जिससे सामान्य या स्वाभाविक कीमत प्रभावित होती है। अब हम सामान्य कीमत का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सामान्य कीमत क्या है, और किस तरह बाजार कीमत से यह भिन्न है।

बाजार-कीमत माग और पूर्ति किसी भी पक्ष में परिवर्तन होने से बदल सकती है। एक बाजार विशेष में अत्यधिक मछलियों के आ जाने से कीमत गिर जायगी। इसी तरह अचानक गर्मी बढ़ जाने से बर्फ की कीमत बढ़ सकती है। ये अस्थायी (temporary) प्रभाव हैं और बाजार कीमत में क्षणिक बाधाएँ डालते हैं। इन बाधक कारणों के न होने पर कीमत एक निश्चित सतह (level) पर वापस जाने के लिए प्रयत्नशील होगी। यह सम्भव है कि यह सतह सदा के लिए निश्चित न हो। परन्तु यदि उत्पादन का परिमाण और विधि स्थिर रहते हैं तो यह एक निश्चित कीमत मानी जा सकती है जिसके चारों ओर बाजार कीमत चक्कर काटती है। एडम स्मिथ ने इस सतह को “प्राकृतिक” (natural) कीमत और मार्शल ने इसे “सामान्य” (normal) कीमत का नाम दिया है। मार्शल के शब्दों में “सामान्य या स्वाभाविक कीमत वह होती है जिसे आर्थिक शक्तियाँ दीर्घकाल में लाने का प्रयत्न करती हैं। यह एक औसत कीमत है जिसे आर्थिक शक्तियाँ स्थापित करेंगी, बशर्तकि जीवन की सामान्य स्थितियाँ काफी समय तक अचल रहें जिससे वे अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित कर सकें।”

अब हम सामान्य और बाजार कीमत के बीच जो अन्तर है उसे संक्षेप में बतायेंगे।

(१) बाजार कीमत वह कीमत है जो किसी एक समय में उस समय की माग तथा पूर्ति के अस्थायी साम्य (equilibrium) के फलस्वरूप होती है।

दूसरी ओर, सामान्य कीमत वास्तविक कीमत नहीं होती। यह वह कीमत है जिसके होने की दीर्घकाल में सम्भावना है। जब वह समय आ जायगा तब उस समय की वास्तविक कीमत को बाजार कीमत कहेंगे, और जिसकी आगे चलकर सम्भावना होगी, उसे सामान्य कीमत कहेंगे।

(२) बाजार कीमत अस्थायी कारणों तथा चलायमान घटनाओं का परिणाम है जबकि सामान्य कीमत स्थायी कारणों से निर्धारित होती है। दीर्घकाल में अस्थायी कारण दूर हो जाते हैं और एक दूसरे को तटस्थ कर देते हैं।

(३) बाजार कीमत हर रोज या हर घण्ट बदलती रहती है, लेकिन दी हुई परिस्थितियों में, सामान्य कीमत स्थिर रहती है। यह वह केन्द्र है जिसके चारों ओर बाजार कीमत घूमती है।

(४) सब वस्तुओं की बाजार कीमत होती है लेकिन सामान्य कीमत उन्ही वस्तुओं की हो सकती है जो पुन उत्पादन योग्य हो। यदि वस्तुएँ फिर से उत्पन्न नहीं की जा सकती तो उनकी सामान्य कीमत का विचार करना व्यर्थ है क्योंकि उनकी उत्पादन लागत कुछ नहीं होगी।

२. कीमत का सीमान्त लागत से सम्बन्ध (Price in relation to Marginal Cost)—यह तो हम बता चुके हैं कि सामान्य कीमत क्या होती है। एक प्रकार से इसे हम कीमत कह सकते हैं। एक समय में (क्षण में) कीमत पर माग का शासन होता है। लेकिन दीर्घ काल में इस पर सप्लाई अपना प्रभाव दिखाती है। दीर्घावधि में सप्लाई उत्पादन की लागत से प्रभावित होती है। इस प्रकार सामान्य कीमत (दीर्घावधि में) पर उत्पादन की लागत का शासन होता है (सीमान्त लागत न कि कुल लागत)।

यह हम देख चुके हैं कि जहाँ तक किसी व्यक्तिगत व्यावसायिक सस्था का सबघ है, उसकी पैदावार कुल उत्पादन का बहुत सूक्ष्म भाग होती है तथा उसकी पैदावार कीमत पर बिना किसी प्रभाव के बढ़ायी जा सकती है। कीमत पर तभी प्रभाव पड़ता है जब कि एक साथ बहुत-सी व्यवसायी सस्थायें अपनी पैदावार बढ़ा या घटा दें, या नई व्यवसायी सस्थायें उस उद्योग क्षेत्र में आ जाय अथवा पुरानी बाहर चली जाय। किसी व्यक्तिगत फर्म के लिए जो पूर्ण रूप से प्रतियोगिता की हालत में होती है बाजार कीमत दी हुई रहती है। उसे अपनी पैदावार अल्पकालीन कीमत के हिसाब से ठीक करनी पड़ती है। वह उतना ही उत्पादन करती है जिसकी सीमान्त लागत अल्पकालीन कीमत के बराबर होती है। “फर्मों में परस्पर पटुता के भेद से यह पता चलेगा कि उनकी सीमान्त लागत में भेद नहीं है बल्कि पैदावार में है।”^१

जब प्रतियोगिता पूर्ण होती है, तब प्रत्येक फर्म का झुकाव सर्वोत्तम बनने की ओर होता है। इसलिए दीर्घकाल में कीमत को इतना ऊँचा होना चाहिए जिससे कि आदर्श फर्म की औसत उत्पादन लागत निकल सके। हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि ऐसी फर्म की औसत लागत सीमान्त लागत के बराबर होती है।

इस प्रकार प्रतियोगिता की शक्तियाँ उस अनुकूलतम फर्म (optimum firm) को स्थापित करती हैं, जो उत्पादन लागत (सीमान्त-औसत) को पूरा करती है। यदि बाजार में अनुकूलतम व्यवसायी फर्म की औसत लागत से अधिक कीमत बढ़ जाती है और वह अल्पकालीन कीमत बहुत दिनों तक ठहर जाती है, तो उद्योग क्षेत्र में व्यवसायी सस्थाएँ अपना उत्पादन अनुकूलतम पैदावार के निकट रखकर तथा ऊँची कीमत में बेचकर बहुत अधिक लाभ उठा लेती हैं। फल यह होता है कि नई व्याव-

सायिक सस्थाए इस उद्योग क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है, जिससे कुल उत्पादन बढ़ जाता है और कीमत गिर जाती है और गिरकर अनुकूलतम व्यवसायी सस्था की लागत की सतह (level) तक आ जाती है। इसके विरुद्ध यदि अल्पकालीन कीमत अनुकूलतम व्यवसायी सस्था की लागत से नीचे गिर जाती है तो कोई व्यवसायी सस्था अपनी लागत को पूरा नहीं कर पाती। कुछ व्यवसायी सस्थाए उद्योग क्षेत्र छोड़ देती हैं। कुल पैदावार तब तक गिरती जाती है जब तक कि कीमत उस सतह तक नहीं बढ़ जाती जो अनुकूलतम फर्म की उत्पादन लागत को पूरा करने में समर्थ हो। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु की लागत अनुकूलतम व्यवसायी संस्था के उत्पादन के औसत और सीमान्त लागत के बराबर होती है। दीर्घ-काल में दोनों प्रकार की लागतें, प्रमुख तथा पूरक, शामिल रहनी चाहियें लेकिन अल्पकाल में प्रमुख लागत बहुत आवश्यक होती है और पूरक लागत सीमान्त लागत का भाग नहीं होती। जितना ही समय दीर्घ होगा उतनी ही अधिक वस्तुएँ सीमान्त लागत के अन्दर आ जाती हैं।

अस्थायी रूप से कीमत उत्पादन की लागत से कम हो सकती है। लेकिन ऐसा मन्दी के समय होगा अथवा जब मार्केट में डम्पिंग (dumping) होता हो अथवा तीव्र विदेशी स्पर्धा हो अथवा आधुनिक ढंग की मशीनें लगने के कारण बन्द करना मुनासिब न हो, चाहे कीमत से मुनाफा (remuneration) न मिलता हो। परन्तु मुख्य तत्व यह है कि कीमत ऐसी होनी चाहिए जो कि उत्पादन की कुल लागत अर्थात् मुख्य और पूरक लागत को वसूल कर सके।

अपूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकार होने पर कीमत सीमान्त लागत से अधिक हो जाती है। एक एकाधिकारी तब तक अपनी पैदावार को नहीं बढ़ाता जब तक कि सीमांत लागत कीमत से कम नहीं होती।

लेकिन यह कहना कि कीमत सर्वोत्तम व्यवसायी सस्था के सीमान्त अथवा औसत उत्पादन लागत के बराबर होती है, इसका यह अर्थ नहीं कि उसी से कीमत "निर्धारित" होती है। कीमत में स्वाभाविक लाभ भी सम्मिलित होता है, लेकिन लाभ कीमत की विभिन्नता से बदलता है। इसलिए कीमत परिवर्तन, जो लागत के एक अंग 'लाभ' पर प्रभाव डालता है, लागत को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार लागत के ऊपर कीमत का प्रभाव पड़ता है वजाय इसके कि कीमत पर लागत का प्रभाव पड़े। और फिर लागत पुन उत्पादित न होने वाली वस्तुओं की कीमत को निर्धारित नहीं करती क्योंकि ऐसी वस्तुओं की कोई लागत ही नहीं होती। इस प्रकार यह कारण और कार्य (cause and effect) का सम्बन्ध नहीं, बल्कि पारस्परिक कारणत्व (mutual causation) है। वे एक दूसरे को निश्चित नहीं करती। वस्तुतः लागत निर्मित वस्तुओं की कीमतों को 'निर्धारित' नहीं करती बल्कि कीमत निर्मित वस्तुओं की लागत को निर्धारित करती है। "सभी कीमतें परस्पर एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं।"¹ लागत और कुछ नहीं है, केवल उस वस्तु के उत्पादन में जितने विभिन्न साधनों का उपयोग हुआ है, उन सब का योग कीमत है। इस प्रकार कीमतें लागत में शामिल हो जाती हैं।

इसलिए यह कहना बहुत उचित होगा कि वे दोनों मिली हुई हैं। सीमान्त लागत से कीमत निर्धारित नहीं होती। दोनों मिल जाती (coincide) है। एक दूसरे को प्रकट करती है।

परन्तु वे परस्पर बहुत कम मिलती हैं। कभी-कभी ऐसा ही होता है कि वे दीर्घ काल में एक दूसरे से सहमत हो जाती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। जो दीर्घ-काल में होना होता है, वह होता नहीं। जैसा कि प्रो. वृजनारायण कहते हैं, "मैं जितना प्रयत्न होशियार होने का करता हूँ, अन्त में उतना ही मूर्ख होता जाता हूँ;" इसका कारण यह है कि सीमान्त लागतों को पैदावार की कीमत, जो अति सूक्ष्म वृद्धि के कार्य रूप में परिणत होती है, बराबरी करना सम्भव नहीं। वास्तव में पैदावार की वृद्धि बहुत बड़ी इकाइयों में होती है और बहुत कम कारीगर आर्थिक सिद्धान्त के बताये हुए नियमानुसार उसकी सन्तुष्टि के लिए सीमान्त लागत और कीमत में बराबरी करने की गणना करते हैं। "कीमत साधारणतया वही होती है जो पैदावार के १० प्रतिशत से १५ प्रतिशत तक ऊँची लागत में बाकी नीची लागत में होती है।"^१

संसार अचल नहीं बल्कि गतिशील है; कला-कौशल में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और माग व पूर्ति की हालत लगातार बदलती रहती है। ऐसे वातावरण में यह आशा करना निरर्थक है कि कीमत और सीमान्त लागत कभी बराबर हो सकेंगी।

यह भी है कि कीमत स्वतः लागत के भीतर प्रवेश करती है। फिर दोनों क्योंकर बराबर की जा सकती है? कीमत की गणना करने के लिए स्थापित यंत्र के कृत्यक की कीमत का निश्चय करना ही होगा। किन्तु यह यंत्र द्वारा उत्पादित वस्तु की संभावित कीमत पर निर्भर करता है। "जैसा कि अधिकतर कहा जाता है कि उत्पादन लागत वास्तव में तब लागत नहीं होती जो स्वतंत्रतापूर्वक वस्तु की कीमत कही जाती है, लेकिन वह किराया-भात्र (quasi rent) या घिसाई कीमत का अंश (depreciation quota) जिसे संभावित पूंजीयुक्त कीमत के लिए स्वीकार करना होता है और इसलिए वह उन कीमतों पर, जिनके होने की संभावना होती है, आश्रित रहता है।"^२

मार्शल के शब्दों में "सीमान्त उपयोग और लागत मूल्य पर शासन नहीं करते परन्तु वे मूल्य के साथ मिल कर माग और पूर्ति के सम्बन्धों से निर्धारित होते हैं। सीमान्त उपयोग संकेत करता है, लेकिन यह मूल्य पर शासन नहीं करता।^३ कीमत न तो उपयोगिता की सीमान्त इकाई और न उत्पादन व्यय की सीमान्त इकाई से निर्धारित होती है, प्रत्युत कुल माग और कुल पूर्ति के साम्य से निर्धारित की जाती है। तो भी, जिस प्रकार सीमान्त इकाई योग पूर्ति का माग होती है वह अपना पुरान

1. The Trend of Economics, Edited by Tugwell, p. 77.

2. Hayek—Collectivist Economic Planning. pp. 226-27

3. Principles, p 410.

ढालकर आशिक प्रभाव मूल्य पर ढालती है । अगर यह नहीं होती तो मूल्य भी भिन्न होता ।

३ मार्शल का मूल्य सिद्धान्त (Marshall's Theory of Value)— हम लोग माग (सीमान्त उपयोगिता) और पूर्ति (सीमान्त लागत) को निर्धारित करने वाली विभिन्न शक्तियों को अच्छी तरह जान चुके हैं । अब इस दशा में कि मूल्य का सिद्धान्त भली प्रकार समझ सकें । हम मार्शल से आरम्भ करते हैं । मार्शल मूल्य को निर्धारित करने में उत्पादन लागत और सीमान्त उपयोगिता को समान महत्त्व देते हैं । उनका प्रसिद्ध सादृश्य कैंची की दो फलों में दिया जाता है जो कि निम्नांकित है । “जिस प्रकार हम इस बात पर झगड़ सकते हैं कि कैंची के दो फलों में ऊपर का फल कागज को काटता है अथवा नीचे का, उसी पर प्रकार इस बात पर वादविवाद हो सकता है कि मूल्य को उपयोगिता निर्धारित करती है अथवा उत्पादन व्यय । यह सच है कि जब एक फल शान्त रहता है और काटने का कार्य दूसरे को चलाने से हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि काटने का काम दूसरे के द्वारा होता है । लेकिन यह विवरण पूर्णतः ठीक नहीं है । यह तभी तक स्वीकार किया जा सकता है जब तक यह इस बात का वैज्ञानिक रूप से स्पष्टीकरण करने का दावा नहीं करता ।”^१

पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में माग व पूर्ति की शक्तियों का इस ओर झुकाव रहता है कि वह अपनी साम्यावस्था (equilibrium) स्थापित करने का प्रयत्न करती है । “कीमत एक महाराज के बीच के पत्थर की तरह होती है जोकि दोनों ओर के दबाव से (अर्थात् एक ओर माग और दूसरी ओर पूर्ति) साम्य बनाये रहता है ।”

हर एक व्यक्ति के लिए बाजार भाव दिया रहता है और वह अपने व्यक्तिगत कार्य या नीति से उसे सुधार नहीं सकता । उसके लिए बाजार भाव एक सकेत होता है जिसके द्वारा वह अपना क्रय अथवा विक्रय करता है । ये व्यक्तिगत क्रय-विक्रय कीमत द्वारा निर्धारित होते हैं, लेकिन ये मिलकर कुल माग और कुल पूर्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं । उस दशा में यह कीमत को निर्धारित करते हैं । अस्तु, माग, पूर्ति और कीमत एक दूसरे से सम्बन्धित हैं । ये एक प्याले में तीन गेंदों के समान हैं जिसके सम्बन्ध में यह कहना कठिन है कि कौन किसके सहारे है ।

इस प्रकार “माग की ओर से कीमत सीमान्त उपयोगिता के बराबर होती है और पूर्ति की ओर से यह सीमान्त उत्पादन-लागत अथवा सीमान्त फर्म की लागत के बराबर होती है । जिस स्थान पर सीमान्त उपयोगिता और सीमान्त लागत का साम्य होता है, यदि उसे मुद्रा में अंकित किया जाये तो वह कीमत कहलाती है ।” (Silverman)

४ समय का महत्त्व (Importance of Time Element)—हमने देखा कि कीमत, माग व पूर्ति के साम्य द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन यह साम्य शीघ्र ही प्राप्त नहीं हो जाता । माग व पूर्ति की शक्तियों को आपस में कार्य करने में कुछ समय

की आवश्यकता होती है। जैसे समय बीतता जाता है, अस्थायी साम्य स्थायी साम्य में बदल जाता है और आंशिक साम्य पूर्ण साम्य हो जाता है। मार्शल ने इस प्रकार से समय के तत्त्व का महत्व अपने मूल्य सिद्धांत में दिया है।

माग व पूर्ति के प्रभाव का महत्व समय के साथ बदल जाता है। मार्शल का कहना है “साधारणतः जितना ही अल्पकाल होगा उतना ही हमें मूल्य के ऊपर माग के प्रभाव पर अधिक ध्यान देना होगा और जितना ही दीर्घकाल होगा उतना ही अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पादन लागत का मूल्य के ऊपर पड़ता है। वास्तविक कीमत जिसे साधारणतः बाजार मूल्य कहा जाता है अस्थायी बातों या क्षणिक कारणों और घटनाओं से अधिक प्रभावित होता है। परन्तु दीर्घकाल में क्षणिक और अनियमित कारण एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। और इस प्रकार दीर्घकाल में आग्रहयुक्त कारण ही मूल्य को निर्धारित करने में समर्थ होते हैं। फिर भी अधिक आग्रहयुक्त कारण भी बदल सकते हैं। उत्पादन के सम्पूर्ण ढांचे में सुधार हो सकता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उत्पादन व्यय में स्थायी परिवर्तन हो सकते हैं।”^१ समय की अवधि में माग और पूर्ति दोनों की अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं।

इस प्रकार मार्शल ने समय के तत्त्व को मूल्य निर्धारित करने में विशेष महत्व दिया है। समय के आधार पर, जो माग व पूर्ति की शक्तियों के पारस्परिक सुधार करने के लिए दिया जाता है, उन्होंने बाजार को चार श्रेणियों में विभक्त किया है : (१) बाजार मूल्य (२) अल्पकालीन मूल्य (३) दीर्घकालीन मूल्य (४) लौकिक व्यापार मूल्य (secular movements in price)।

मूल्य निर्धारण में समय तत्त्व एक दूसरे प्रकार से भी प्रभाव डालता है। अल्पकाल में यह सम्भव है कि किसी व्यवसायी को पूरक और प्रमुख लागत पूरे तौर से न मिल सके। किन्तु दीर्घकाल में इन दोनों प्रकार की लागतों का मिलना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो लागत अल्पकाल की दृष्टि से पूरक लागत है, वही दीर्घकालीन दृष्टि से प्रमुख लागत है।

५. सामान्य कीमत का सिद्धांत (Normal Price)—सामान्य कीमत वह कीमत है, जो दीर्घकाल में प्रचलित होती है अथवा जब कि माग और पूर्ति को बदलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है जिससे वे अपना-अपना कार्य कर सकें। दीर्घकाल में मूल्य अर्थात् सामान्य मूल्य सीमान्त उत्पादन लागत के निकट होता है। सीमान्त लागत का अर्थ सीमान्त व्यवसायी सस्था की प्रति इकाई की औसत लागत अथवा औसत व्यवसायी सस्था की सीमांत उत्पादन की प्रति इकाई की लागत से है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत व्यवसायी सस्था की सीमान्त लागत और सीमान्त व्यवसायी संस्था की औसत लागत में समानता होने की प्रवृत्ति होती है।

अब हम मार्शल के सामान्य मूल्य (Marshall's Theory of Normal Price) संबंधी सिद्धान्त को एक उदाहरण द्वारा समझाएंगे। एक वस्तु जैसे रेडियो

ओर, जब लाभ की दर कम है तो कुछ फर्म जो सीमा पर है, वे उस उद्योग को छोड़ देंगी। अस्तु, नए प्रवेश करने वालों के लिए बाधाओं के न होने पर "उद्योग में उस समय साम्य होगा जब फर्मों की संख्या में कोई घट-वृद्ध नहीं होती और जब उस उद्योग की फर्मों के लिए उत्पादन बढ़ाने व घटाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रहता।" लागत की दृष्टि से, यह मानते हुए कि सब फर्मों की लागत एक समान है और कोई भी साधन सीमित नहीं है तो उद्योग का साम्य उस समय होगा जब कि कीमत प्रत्येक फर्म की निम्नतम औसत लागत के बराबर है।" यदि कीमत इससे अधिक है तो नई फर्म इस ओर खिंच आयेगी और यदि कम है तो कुछ बाहर निकल जायेगी। थोड़े समय में, फर्मों की परस्पर साम्यावस्था इतनी पैदावार पर हो सकती है जिस पर लाभ अधिकतम हो अथवा नुकसान (हानि) न्यूनतम। यद्यपि कुछ हालतों में इसका अर्थ उत्पादन को बिल्कुल बन्द करना है। लेकिन ऐसा सोचने के लिए कोई आधार नहीं है कि मुख्य रूप से उद्योग ही थोड़े समय में साम्यावस्था प्राप्त कर लेंगे। यद्यपि लम्बी अवधि में ऐसा होगा जब कि फर्मों की संख्या घट बढ़ जायगी।

अब मान लो माग में स्थायी रूप से वृद्धि होती है। तो ऐसी दशा में दीर्घकाल में बाजार कीमत क्या होगी? दूसरे शब्दों में, सामान्य कीमत क्या होगी? सामान्य कीमत उस बढी हुई पूर्ति की सीमान्त लागत पर निर्भर होगी जो बढी हुई माग तथा ऊँचे लाभ के कारण लाई गई है। अल्पकाल में सीमान्त लागत का अर्थ उस लागत से है जो विद्यमान यंत्रों की सहायता से अतिरिक्त उत्पादन करने में लगती है। कुछ समय तक उत्पादन के जो साधन रेडियो व्यवसाय में हैं उन्हीं से अधिक काम लिया जायगा। यदि वे साधन कार्य-कुशल नहीं हैं तो सीमान्त लागत कुछ समय तक बढ़ सकती है। उस समय तक जो कीमत होगी उसे अर्ध-सामान्य कीमत कहेंगे। यह अल्पकालीन सामान्य कीमत (short-period normal price) है जो बाजार कीमत और वास्तविक सामान्य कीमत के बीच में होती है।

अल्पकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण का नियम इस प्रकार है

प्रत्येक फर्म की दृष्टि से यह कीमत पूर्ति की सीमान्त लागत के बराबर होगी और उद्योग की दृष्टि से पूर्ति और माग की मात्राओं में साम्य होना चाहिए। यह बात रेखा चित्र द्वारा इस प्रकार दिखाई जा सकती है —

रेखा चित्र ५० उद्योग के किसी एक फर्म के लिए है और रेखा चित्र ५१ समस्त उद्योग के लिए है जिसका वह फर्म एक सदस्य या अंग है।


हमें यह देखना है कि जो कीमत उद्योग के लिए निर्धारित होगी वह फर्म के लिए ठीक होगी या नहीं। चित्र ५० में स ल सीमान्त लागत वक्र है और अ ल औसत लागत वक्र है। चित्र ५१ में प प पूर्ति वक्र है और म_१, म_२, म_३ माग वक्र है।

जब माग रेखा रेखा म_१ है तो कीमत न_१ ल_१ के बराबर होगी क्योंकि इस कीमत पर माग और पूर्ति दोनों बराबर हैं (अ ल_१)। और जहाँ तक फर्म का सम्बन्ध है यह कीमत (प_१, म_१) सीमान्त लागत के बराबर है क्योंकि चित्र ५० में प बिन्दु सीमान्त लागत वक्र पर है। ठीक यही उस समय भी होगा जब माग न_२ और न_३ होगी।

सेट ही लीजिए। मान लो कि पूर्ति और माग के बीच अस्थायी साम्य के कारण एक निश्चित समय पर रेडियो सेट का मूल्य रेखाचित्र की प म लाइन के बराबर है।

स स' एक पूर्तिवक्र है और द द माग वक्र। प म = व' व जो किसी समय का साम्य मूल्य है।


अब मान लीजिए कि माग बढ़ती है, जो कि बिंदीदार वक्र द' द' द्वारा दिखाई गई है। इससे नयी साम्य कीमत प' म' हो जाती है जो (व' व') के बराबर है और जो (व व') से ऊची है। यदि माग की बढ़ोतरी के कारण अस्थायी है तो कुछ समय के पश्चात् यह गायब हो जायेगा और पुन वही प म मूल्य स्थापित हो जायगा।



रेखा चित्र न० ४८

अस्थायी साम्य (Temporary Equilibrium)—समतुल्यता को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है—एक तो फर्म के दृष्टिकोण से और दूसरे उद्योग के दृष्टिकोण से। फर्म अधिकतम लाभ की दृष्टि से कार्य करती है। इसलिए उत्पादन की वह मात्रा इसको तैयार करनी होगी जिस पर कुल विक्री और कुल लागत के बीच का अन्तर अधिकतम हो। इस बिंदु पर उत्पादन की दृष्टि से, फर्म का सामंजस्य होगा। इस बिंदु पर सीमान्त राजस्व (marginal revenue) सीमान्त लागत के समान होगा। ऐसी पैदावार जिस पर अधिकतम लाभ होता है निम्नलिखित रेखाचित्र में दर्शायी गयी है।

ट स कुल लागत वक्र है तथा ट र कुल राजस्व (revenue) वक्र इन दो वक्रों के बीच का अधिकतम अन्तर जो दो समानान्तर स्पर्श-रेखाओं के बीच (कुल राजस्व—कुल लागत) प' प है और इससे अधिकतम लाभ का पता चलता है। अ म अनुकूलतम (optimum) पैदावार है।



रेखा चित्र न० ४९

समस्त उद्योग की दृष्टि से हम यह कहेंगे कि इसमें लाभ की वह दर होनी आवश्यक है जो उसी प्रकार के जोखिम उद्योगों में होती है अन्यथा उसमें साम्य न होगा। यदि लाभ की दर अधिक है तो नई फर्म उस ओर आकर्षित होगी और पुरानी फर्म अपना उत्पादन बढ़ायेगी। दूसरी

ओर, जब लाभ की दर कम है तो कुछ फर्म जो सीमा पर हैं, वे उस उद्योग को छोड़ देंगी। अस्तु, नए प्रवेश करने वालों के लिए बाधाओं के न होने पर "उद्योग में उस समय साम्य होगा जब फर्मों की संख्या में कोई घट-बढ़ नहीं होती और जब उस उद्योग की फर्मों के लिए उत्पादन बढ़ाने व घटाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रहता।" लागत की दृष्टि से, यह मानते हुए कि सब फर्मों की लागत एक समान है और कोई भी साधन सीमित नहीं है तो उद्योग का साम्य उस समय होगा जब कि कीमत प्रत्येक फर्म की निम्नतम औसत लागत के बराबर है।" यदि कीमत इससे अधिक है तो नई फर्म इस ओर खिंच आयेगी और यदि कम है तो कुछ बाहर निकल जायेगी। थोड़े समय में, फर्मों की परस्पर साम्यावस्था इतनी पैदावार पर हो सकती है जिस पर लाभ अधिकतम हो अथवा नुकसान (हानि) न्यूनतम। यद्यपि कुछ हालतों में इसका अर्थ उत्पादन को विलकुल बन्द करना है। लेकिन ऐसा सोचने के लिए कोई आधार नहीं है कि मुख्य रूप से उद्योग ही थोड़े समय में साम्यावस्था प्राप्त कर लेंगे। यद्यपि लम्बी अवधि में ऐसा होगा जब कि फर्मों की संख्या घट बढ़ जायेगी।

अब मान लो माग में स्थायी रूप से वृद्धि होती है। तो ऐसी दशा में दीर्घकाल में बाजार कीमत क्या होगी? दूसरे शब्दों में, सामान्य कीमत क्या होगी? सामान्य कीमत उस बड़ी हुई पूर्ति की सीमान्त लागत पर निर्भर होगी जो बड़ी हुई माग तथा ऊंचे लाभ के कारण लाई गई है। अल्पकाल में सीमान्त लागत का अर्थ उस लागत से है जो विद्यमान यंत्रों की सहायता से अतिरिक्त उत्पादन करने में लगती है। कुछ समय तक उत्पादन के जो साधन रेडियो व्यवसाय में हैं उन्हीं से अधिक काम लिया जायगा। यदि वे साधन कार्य-कुशल नहीं हैं तो सीमान्त लागत कुछ समय तक बढ़ सकती है। उस समय तक जो कीमत होगी उसे अर्ध-सामान्य कीमत कहेंगे। यह अल्पकालीन सामान्य कीमत (short-period normal price) है जो बाजार कीमत और वास्तविक सामान्य कीमत के बीच में होती है।

अल्पकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण का नियम इस प्रकार है


प्रत्येक फर्म की दृष्टि से यह कीमत पूर्ति की सीमान्त लागत के बराबर होगी और उद्योग की दृष्टि से पूर्ति और माग की मात्राओं में साम्य होना चाहिए। यह बात रेखा चित्र द्वारा इस प्रकार दिखाई जा सकती है —

रेखा चित्र ५० उद्योग के किसी एक फर्म के लिए है और रेखा चित्र ५१ समस्त उद्योग के लिए है जिसका वह फर्म एक सदस्य या अंग है।


हमें यह देखना है कि जो कीमत उद्योग के लिए निर्धारित होगी वह फर्म के लिए ठीक होगी या नहीं। चित्र ५० में S_1 ल सीमान्त लागत वक्र है और A_1 औसत लागत वक्र है। चित्र ५१ में P_1 पूर्ति वक्र है और M_1, M_2, M_3 माग वक्र है।

जब माग रेखा M_1 है तो कीमत N_1 के बराबर होगी क्योंकि इस कीमत पर माग और पूर्ति दोनों बराबर हैं (A_1)। और जहाँ तक फर्म का सम्बन्ध है यह कीमत (P_1, M_1) सीमान्त लागत के बराबर है क्योंकि चित्र ५० में P_1 बिन्दु सीमान्त लागत वक्र पर है। ठीक यही उस समय भी होगा जब माग M_2 और M_3 होगी।

यदि माग बराबर अधिक वनी रहती है, तो उत्पादन के नये साधन रेडियो व्यवसाय



रेखा चित्र न० ५० (फर्म)



रेखा चित्र न० ५१ (उद्योग)

की ओर खिंच जायेंगे। किन्तु शर्तों पर ये साधन आयेंगे? दीर्घकाल में साधनों की लागत तो निकलनी ही होगी। पूर्ति का आशय अब उस मात्रा से होगा जो नये साधनों की सहायता से लाई जा सकती है। पूर्ति की नई कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि सीमान्त लागत किस तरह बदलती है। सीमान्त लागत का अर्थ होगा नये साधनों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन की लागत।

रेडियो व्यवसाय में यह बहुत संभव है कि प्रति इकाई सीमान्त लागत रेडियो सेट के अधिक उत्पादन से कम हो जाय, इसलिए कि यह एक ऐसा व्यवसाय है कि जो उत्पादन वृद्धि के नियम के अनुसार चलता है। उस व्यवसाय की, जो घटती हुई प्राप्ति नियम (law of decreasing returns) को मानता है, सीमान्त लागत और इसलिए दीर्घकालीन पूर्ति कीमत अवश्य बढ़ेगी। यदि उस व्यवसाय की प्रकृति घटती हुई प्राप्ति के नियम की ओर है तथा अन्य साधन बढ़ती हुई प्राप्ति के द्वारा उसे सतुलित किए हुए है, तो वह व्यवसाय स्थिर उत्पादन के नियम को मानने वाला कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में सीमान्त लागत या दीर्घकालीन पूर्ति कीमत और इसलिए सामान्य कीमत फिर उसी सतह पर आ जायगी। वह सतह, जहां पर से पहले माग की वृद्धि हुई थी, यही आ जायगी। इसलिए मांग की स्थायी वृद्धि से सामान्य कीमत कम होगी या ऊंची अथवा वहीं की वहीं रहेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह व्यवसाय वृद्धि, ह्रास अथवा स्थिर (increasing, diminishing or constant) किस नियम को मानता है।


यही बात उस समय भी लागू होगी जबकि हम यह मान लें कि माग दीर्घकाल की दृष्टि से गिर गई है और पूर्ति की शक्तियों को बदलने के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है। सामान्य कीमत घड़ेगी, गिरेगी या उतना ही रहेगी, यह इस बात पर निर्भर है कि उस उद्योग में उत्पादन वृद्धि, ह्रास या स्थिर नियम लागू है।

दीर्घकालीन सामान्य कीमत का नियम यह है कि दीर्घकाल में कीमत फर्म की निम्नतम औसत लागत के बराबर होगी और उद्योग के सभी फर्मों की दीर्घकालीन औसत लागत के एक समान होगी। हम उपर देख चुके हैं कि हर फर्म के लिए अल्पकालीन सामान्य कीमत उस फर्म की सीमान्त लागत के बराबर होनी चाहिये। लेकिन यदि दीर्घकाल में औसत लागत गिर रही है तो उस फर्म का विस्तार होगा। औसत लागत हमेशा ही गिरती नहीं रहेगी और यदि ऐसा होता रहा तो प्रतियोगिता समाप्त हो जायगी और एकाधिकार की स्थिति आ जायगी। अस्तु, घटती हुई औसत लागत और प्रतियोगिता एक दूसरे के असंगत (incompatible) विरोधी हैं। कुछ समय के बाद बड़े पैमाने के उत्पादन की सीमा आ पहुँचेगी और एक फर्म का और अधिक बढ़ना चन्द हो जायगा। फलस्वरूप और फर्मों के लिए रास्ता खुल जायगा और प्रतियोगिता की स्थिति सम्भव हो जायगी।


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि दीर्घकालीन कीमत का निर्धारण उत्पादन के नियम से प्रभावित होता है। आगे दिए हुए रेखा चित्रों में यह दिखाया गया है कि कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है जबकि स्थिति इनमें से एक हो (i) स्थिर लागत (अथवा प्राप्ति), (ii) बढ़ती हुई लागत (अथवा घटती हुई प्राप्ति); तथा (iii) घटती हुई लागत (अथवा बढ़ती हुई प्राप्ति)।

(i) स्थिर लागत अथवा स्थिर प्राप्ति (Constant Costs or Constant Returns)—चित्र ५२ में एक फर्म की स्थिति, दिखाई गई है और चित्र ५३ में एक समस्त उद्योग की। चित्र ५२ में स म ल वक्र अल्पकालीन सीमान्त लागत दिखाती है, स अ ल अल्पकालीन औसत लागत और ल अ स दीर्घकालीन, औसत लागत की वक्र है। चित्र ५३ में m^1 और m^2 माग की वक्र हैं और p^1 और p^2 पूर्ति की वक्र हैं। यह स्पष्ट है कि फर्म की लागत वक्र उद्योग के पूर्ति-वक्र होते हैं।

p^1 और m^1 वक्र का अल्पकालीन साम्य ट बिन्दु पर है। कीमत ट क है और उत्पादन की मात्रा अ क। अब मान लो माग बढ़ कर m^2 हो जाती है। शीघ्र ही कीमत τ^1 क^१ तक बढ़ जायगी। τ^1 नई माग का वक्र और पुरानी पूर्ति के वक्र पर है। अर्थात्




रेखा चित्र न० ५२ (फर्म)




रेखा चित्र नं० ५३ (उद्योग)

ट^१ बिन्दु पर अल्पकालीन पूर्ति बड़ी हुई माग के समतुल्य है। लेकिन ऊची कीमत से लाभ उठाने के लिए पूर्ति बढ़ेगी। नई फर्म खुल जायगी। फलस्वरूप पूर्ति का वक्र दाहिने ओर खसक कर प^२ पर हो जायगा। कीमत फिर ट क (=ट^२क^२) के बराबर हो जायगी। इसका अर्थ यह है कि दीर्घकालीन सामान्य कीमत दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर होती है। चूँकि फर्म स्थिर लागत पर उत्पादन कर रही है, इसलिए प बिन्दु पर अल्पकालीन औसत और सीमान्त लागत बराबर होगी। चित्र ५२ में सब रेखाएँ इसी बिन्दु पर मिलती हैं।

(11) बढ़ती हुई लागत अथवा घटती हुई प्राप्ति (Increasing Costs or Diminishing Returns)—नीचे दिये हुए दोनों चित्र पीछे के चित्रों के समान हैं।




रेखा चित्र न० ५४ (फर्म)



रेखा चित्र न० ५५ (उद्योग)

लेकिन अन्तर यह है कि जब माग म^२ तक और पूर्ति प^२ तक बढ़ जाती है साम्य का नया बिन्दु (क^२) ऊँचे स्थान पर है। फर्म के चित्र को देखने से हमें ज्ञात होगा कि दीर्घकालीन औसत लागत (क ख ग^२) दूसरी दशा में पहले से अधिक है। इसका कारण यह है कि उद्योग में उत्पादन का घटता हुआ नियम लागू है और पूर्ति ऊँची लागत पर मिल रही है। दीर्घकालीन पूर्ति वक्र (ट) क, क^२ आदि बिन्दुओं को मिलाने से बना

है और यह ऊपर चढ़ते हुए वक्र को प्रकट करता है।



रेखा चित्र न० ५६

(111) घटती हुई लागत अथवा बढ़ती हुई प्राप्ति (Decreasing Costs or Increasing Returns)—हम पहले ही कह चुके हैं कि लगातार घटती हुई दीर्घकालीन औसत लागत का मेल प्रतियोगिता के साथ नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी दशा में

एकाधिकार की स्थिति पैदा हो जायगी। कारखानों में कुछ समय तक औसत लागत गिरती चली जाती है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। घटती हुई प्राप्ति (returns) (अथवा बढ़ती हुई लागत) उत्पादन का मूल नियम है। ऐसी स्थिति कम आती है। फिर भी इसे इस प्रकार रेखा चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। m^1 , m^2 , m^3 और m^4 के वक्र बढ़ती हुई माग दिखाते हैं, और p^1 , p^2 , p^3 और p^4 बढ़ती हुई पूर्ति के वक्र हैं। समतुल्यता के बिन्दु k^1 , k^2 , k^3 और k^4 गिरते हुए वक्र पर हैं जो घटती हुई लागत का संकेत करते हैं।

दीर्घकालीन साम्य (Long-term Equilibrium)—अब हम संक्षेप में कुछ शब्द दीर्घकालीन साम्य के विषय में कहेंगे। इस दशा में उद्योग को फैलने अथवा घटने के लिए काफी समय मिल जाता है। माग के अनुसार नई मशीनें लगाई जा सकती हैं या वर्तमान मशीनों और औजारों को पुराने होने पर बदला न जाय। उद्योग उस समय तक बढ़ता-घटता रहेगा जब तक कि उत्पादन या लागत की दृष्टि से वह सबसे अधिक लाभप्रद स्थान पर नहीं पहुँच जाता।

प्रो० मेयर्स ने उद्योग के दीर्घकालीन साम्य के लिए निम्नलिखित बातें कही हैं।^१ प्रतियोगिता के अन्तर्गत दीर्घकाल में—

(१) किसी फर्म के लिए जिसको उद्योग में रहना है आदर्श उत्पादन पर कीमत को निम्नतम औसत पूरी इकाई लागत के बराबर रहना पड़ेगा।

(२) यदि कोई फर्म घटती लागत पर उत्पादन कर रही है तो उद्योग के लिए कोई प्रतियोगिक साम्य न होगा।

(३) यदि फर्म आदर्श रूप से बड़ी है और यदि समान लागत दशाओं में बाहर से फर्म आ सकती है तो प्रतियोगिक साम्य सम्भव न होगा।

(४) यदि कोई साधन सीमित नहीं है तो कीमत उद्योग के सभी फर्मों की निम्नतम औसत लागत के बराबर होगी। उत्पादन उस समय स्थिर लागत पर होगा।

(५) यदि साधन सीमित है और उद्योग के विस्तार के साथ उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो कीमत नीची लागत वाली फर्म की सीमान्त लागत के बराबर होगी।

(६) यदि लगान को (अर्थात् हस्तान्तरित आय) लागत में शामिल कर लिया जाय तो कीमत सभी फर्मों की निम्नतम औसत लागत के बराबर होगी।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि “अल्पकाल में, पूर्ण प्रतियोगी उद्योग का वक्र ऊपर की ओर दायें को जायगा। दीर्घावधि में, यह मान लिया जाए कि प्रवेश खुला है, यह तो सम्भावना है कि यह ऊपर की ओर तब तक मुड़ेगा जब तक सारे साधन (factors) एक समान (homogeneous) न हो जाए। परन्तु यह नीचे की ओर भी काफी मुड़ सकता है यदि उद्योग की वृद्धि के साथ साथ बाहर से होने वाली किरायायें काफी हो।”^२

६. सामान्य कीमत पर मार्शल के विचार (Marshall's View of

१ Meyers, A L — Elements of Modern Economics, 1951, pp. 176-77.

२ Stonier and Hague, Op Cit., p 145.

Normal Price) — मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की सामान्य कीमत उसकी सीमान्त लागत द्वारा निर्धारित होती है। सीमान्त लागत के यहाँ दो अर्थ लिये गए हैं (१) एक तो यह सीमान्त फर्म की औसत लागत है, और (२) दूसरे प्रतिनिधि फर्म की सीमान्त लागत है। “सीमान्त लागत” शब्द का प्रयोग उन उद्योगों के सबंध में किया जाता है जहाँ घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है। यह वह फर्म है जिसका उत्पादन मंडी की माग की पूर्ति के लिए आवश्यक है। इसकी लागत सर्व अवश्य निकलनी चाहिए। इसका उत्पादन व्यय सबसे ऊँचा होता है। यदि कीमत थोड़ी गिर जाती है अथवा लागत बढ़ जाती है, तो यह फर्म उत्पादन-कार्य न कर सकेगी। यदि इसका उत्पादन माग की पूर्ति के लिए आवश्यक है तो कीमत को इतना होना होगा जिससे कि सामान्य लाभ को शामिल करते हुए उसकी लागत पूरी हो सके।

उन व्यावसायिक सस्थाओं के वर्णन में, जिनमें बढ़ती हुई प्राप्ति नियम लागू होते हैं, मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म का प्रयोग किया है। ऐसी व्यावसायिक सस्था के उत्पादन की सीमान्त लागत अवश्य ही निकलनी चाहिए। एक बार जब इस सीमान्त लागत के अनुसार कीमत निर्धारित कर दी जाती है तो अन्य व्यावसायिक सस्थाएँ अपनी सीमान्त लागत को इस कीमत तक लाने के लिए अपने उत्पादन को बढ़ा देती हैं। इस प्रकार मार्शल के अनुसार यह सीमान्त व्यावसायिक सस्था की औसत लागत (घटती की दशा में) तथा प्रतिनिधि या औसत व्यावसायिक सस्था की सीमान्त लागत (वृद्धि की दशा में) है जो सामान्य कीमत को निर्धारित करती है।

७ आधुनिक दृष्टिकोण (Modern View) — नया आर्थिक विश्लेषण सीमान्त लागत और सामान्य कीमत के सम्बन्ध में मार्शल से भिन्न है।

मार्शल उत्पादन की सीमान्त लागत के दो विचार देते हैं, अर्थात् सीमान्त व्यावसायिक सस्था की औसत लागत तथा औसत व्यावसायिक सस्था की सीमान्त लागत। पहिला उन व्यवसायों पर जो घटती नियम को मानते हैं, तथा दूसरा जो वृद्धि के नियम को मानते हैं, लागू किया जाता है। मार्शल उसी व्यावसायिक सस्था को सीमान्त व्यावसायिक सस्था कहते हैं, जो अधिकतम औसत लागत पर उत्पादन करती है। मार्शल की प्रतिनिधि व्यावसायिक सस्था के उत्पादन की सीमान्त लागत उसकी इकाइयों के उत्पादन के बराबर हो जो बहुत कम फायदे में उत्पन्न हुई है, जिसकी तुलना सीमा पहुँचने के पहले उत्पादित इकाइयों के साथ हो सके। आधुनिक विश्लेषण के अनुसार सीमान्त लागत सर्वोत्तम व्यवसायी सस्था के प्रति इकाई लागत के बराबर होती है। हम यह देख चुके हैं कि सर्वोत्तम या आदर्श व्यवसायी सस्था का विचार मार्शल की प्रतिनिधि व्यवसायी सस्था की अपेक्षा क्यों श्रेष्ठ है।

मार्शल का सामान्य मूल्य सम्बन्धी सिद्धान्त व्यवसायों को कई श्रेणियों में, उत्पादन के नियमों के अनुसार, बाँट देता है। उदाहरण के लिए, कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो घटती हुई प्राप्ति के नियम को मानते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बढ़ती हुई प्राप्ति के नियम को मानते हैं। पहिले में सामान्य मूल्य सीमान्त व्यवसायी सस्था की उत्पादन

लागत के बराबर होगा, तथा दूसरे में प्रतिनिधि व्यवसायी सस्था की। लेकिन आधुनिक विश्लेषण व्यवसायो को उत्पादन नियमों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में नहीं बांटता। उत्पादन के नियम उत्पादन के सीमान्त लागत के बराबर साधनों के संगठन में आनुगतिक रूप में मान्य होते हैं। समस्त उसी फर्म के विकास में वे विभिन्न अवस्थाओं को बनायें। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सभी व्यवसायी सस्थाएँ समान सीमान्त और औसत लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करके सर्वोत्तम बनने का प्रयत्न करती हैं। इसलिए माना जाता है कि 'सर्वोत्तम' कोई निश्चित बिन्दु नहीं है, यह तो उत्पादन की कला और प्रवृत्त के साथ-साथ बदलता रहता है।

मार्शल के सिद्धान्त के साथ असहमति केवल यही पर समाप्त नहीं हो जाती। जब हम उन शक्तियों की जो लागत के पीछे काम करती हैं, जाच करते हैं, तो नया विश्लेषण या दृष्टिकोण मूलतः मार्शल तथा अन्य प्राचीन अंग्रेज विद्वानों के सिद्धान्त से भिन्न पाते हैं। मार्शल तथा उनके पूर्वाधिकारी, जो कि उत्पादन लागत के सिद्धान्त को मानते हैं, इस बात से सहमत हैं कि मुद्रा के रूप में उत्पादन लागत को ठीक प्रकार से स्पष्ट नहीं करती। मुद्रा की पृष्ठ में जो लागत है, वही असली लागत है। इस वास्तविक लागत को भी भिन्न-भिन्न ढंगों से लोग समझते हैं जैसे (i) मजदूरों की दर्दभरी मेहनत तथा त्याग अर्थात् मूल्य का श्रम-सिद्धान्त; (ii) दर्दभरी कोशिशों और मजदूरों के त्याग तथा प्रतीक्षा का कष्ट अर्थात् मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धान्त। लेकिन आजकल असली उत्पादन लागत का अर्थ दूसरे सर्वोत्तम विकल्प का त्याग माना जाता है अर्थात् अवसर लागत। यह उत्पादन व्यय को उपयोगिता के रूप में समझाता है और यह मूल्य का सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त है। अर्थशास्त्रियों में नवीनतम प्रवृत्ति इसी अन्तिम सिद्धान्त को स्वीकार करने की है। अगले अध्याय में इन सब सिद्धान्तों पर ऐतिहासिक क्रमानुसार विचार किया जायगा।

८. साधारण साम्य का सिद्धान्त^१ (Theory of General Equilibrium)—सामान्य कीमत के सम्बन्ध में विचार करते समय हमने यह देखा है कि किस तरह अल्प और दीर्घकाल-में कोई फर्म या उद्योग साम्य (Equilibrium) की स्थिति पर पहुँचता है। लेकिन साम्य का सिद्धान्त केवल कीमत पर ही नहीं बल्कि सारी आर्थिक व्यवस्था या पद्धति पर लागू होता है। जब कुल आर्थिक व्यवस्था साम्य की स्थिति में होती है तो उसे साधारण साम्य कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हर फर्म आदर्श उत्पादन की मात्रा का उत्पादन कर रही है, हर उद्योग अधिकतम लाभ की स्थिति को पा चुका है, तथा उत्पादन और कीमत के बीच दीर्घकालीन साम्य स्थापित हो चुका है। संक्षेप में, अर्थ-व्यवस्था का हर अंग अधिकतम लाभ की स्थिति तक पहुँच चुका है और परिवर्तन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह गया है। "सामान्य साम्यावस्था गतिहीन स्थिति है।" या तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं या कोई परिवर्तन होता है तो वह क्रमशः बार-बार और ऐसी प्रत्येक चेष्टा (गति movement) जो आर्थिक प्रणाली

1. See Meyers, A.L —Elements of Modern Economics, 1951, Ch 15.

में होती है वह ऐसी साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए होती है। प्रो० शम्पटर (Prof Schumpeter) ऐसी अवस्था को "चक्रदार बहाव" (circular flow) का नाम देते हैं। प्रो० नाइट का विचार है कि सामान्य साम्यावस्था के अन्तर्गत वह प्रणाली आती है जो कि पूर्ण रूप से पूर्व परिचय दे (predict), जिसमें यदि कोई गड़बड़ हो तो उसका समायोजन (adjustment) तत्काल ही हो जाए। इस समायोजन की सम्भावना पर विश्वास किया जाता है चूँकि आर्थिक प्रणाली माल (commodities) तथा उत्पादन के साधनों (factors of production) की परस्पर-सहायक तथा सूत्रवद्ध व्यवस्था है।

साम्य की दशाएँ (Conditions of Equilibrium)—चूँकि साम्य की स्थिति साधनों के एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आने-जाने से आती है, इसलिए हम यहाँ यह विचार करेंगे कि वे कौन सी शर्तें हैं जिनकी पूर्ति साधनों की कीमतों में साम्य लाने के लिए आवश्यक है। वे शर्तें इस प्रकार हैं—

(1) साधन की समस्त इकाइयों की कीमत समान होनी चाहिये। जरा सी असमानता (disparity) से असाम्य का पता चल जायगा। इससे यह जरूरी होगा कि कम प्राप्ति वाली इकाई (low-paid units) को अधिक प्राप्ति वाली इकाई के क्षेत्र में लाना जरूरी होगा। ऐसा होना सिर्फ प्रतियोगिता के आधार पर ही सम्भव है। यदि, उदाहरण के लिए, कुछ मजदूरों की मजदूरी (wages) दूसरों की अपेक्षा अधिक है तो कम मजदूरी वाले श्रमिक अधिक वालों से होड़ लगाएंगे। मालिक यह प्रयत्न करेंगे कि अधिक मजदूरी वाले श्रमिकों के मुकाबले में कम मजदूरी वाले श्रमिक लगाए जाएँ। इसमें मजदूरी समान (साम्य स्थिति) हो जाएगी। इस प्रकार किराया (rent), व्याज (interest) तथा लाभ (profit) समान हो जाएंगे।

(11) विभिन्न साधनों की कीमत अपनी सीमान्त उत्पादकता (marginal productivity) के अनुपात में होनी चाहिए।

इस प्रकार सही सूत्र यह होगा

$$\left. \begin{array}{l} \text{सी० उ०} = \text{सीमान्त उत्पाद} \\ \text{MP} = \text{Marginal Product} \end{array} \right\}$$

$$\frac{\text{साधन क की सी० उ० (MP)}}{\text{क की कीमत}} = \frac{\text{साधन ख की सी० उ०}}{\text{ख की कीमत}}$$

$$= \frac{\text{साधन ग की सी० उ०}}{\text{ग की कीमत}} \quad \dots$$

$$= \frac{\text{साधन क्ष की सी० उ०}}{\text{क्ष की कीमत}}$$

यदि यह अनुपात समान नहीं है अर्थात्, यदि

$$\frac{\text{साधन क की सी० उ०}}{\text{क की कीमत}} \text{ इससे अर्थात् } \frac{\text{साधन ख की सी० उ०}}{\text{ख की कीमत}} \text{ से ज्यादा है}$$

तो फायदा इसी में है कि ख की अपेक्षा क का अधिक उपयोग किया जाए, जिससे

अन्त में साम्यावस्था स्थापित हो जाए। इस प्रकार प्रतिस्थापना (substitution) का नियम लागू होगा चाहे साधनो (factors) की कीमत सीमान्त उत्पादन की तुलना में अनुपात में न हो। उदाहरण के लिए यदि श्रम पूँजी की अपेक्षा सस्ता हो, सम्बन्धित पट्टा (क्षमता) के अनुसार, तो भी यह पूँजी के मुकाबले श्रम से प्रतिस्थापित होगा। इससे मजदूरी बढ़ेगी और सूद कम हो जायगा जिससे अनुपात (ratio) की समानता पुनः स्थापित हो जायगी।

साधनो की कीमत बदलने के अलावा, सीमान्त उत्पादन तथा कीमतों के अनुपात में समानता लाने के लिए यह तरीका है कि सीमान्त उत्पादन में परिवर्तन में परिवर्तन लाया जाए। इस प्रकार जब अधिक श्रम की जरूरत हो तो इससे न सिर्फ मजदूरी बढ़े बल्कि श्रम की उत्पादकता में गिरावट आएगी। पूँजी पर, जिसके लिए श्रम लगाया जाता है, उल्टा प्रभाव होगा। इस प्रकार, साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। इस साम्यावस्था में गड़बड़ हो सकती है। यदि साधन कीमतों में परिवर्तन हो अथवा सीमान्त उत्पादन परिवर्तन से तथा नई साम्यावस्था भिन्न कीमतों पर हो और विभिन्न सीमान्त उत्पादों पर हो।

यह स्पष्ट है कि यह समायोजन (adjustment) साधनो के परस्पर प्रतिस्थापन तथा लोच पर आधारित है। प्रतिस्थापन गति साधनो की सम्बन्धित पट्टा (relative efficiency) पर आधारित है तथा कीमतों के सम्बन्धित परिवर्तनों पर। यदि मौजूदा फर्म नए हालात के अनुसार बनने में असमर्थ है तो उद्योग को साम्यावस्था में लाने के लिए नए उद्योग चालू करने चाहिए।

(iii) तीसरी स्थिति दूसरी स्थिति की अनुगामी है। इसमें न सिर्फ यह जरूरी है कि विभिन्न साधनो की कीमत परस्पर अपने सीमान्त उत्पादन के अंशों (proportion) में हो बल्कि यह भी जरूरी है कि प्रत्येक साधन की कीमत अपने सीमान्त उत्पादन के समान हो। यदि सीमान्त उत्पादन अधिक (high) होगा तो पैदावार बढ़ाने लिए इसे अधिक देना होगा, और यदि यह कम (low) होगा तो फर्म को सिकुड़ना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि जहां तक पैदावार का प्रश्न है फर्म साम्यावस्था में होनी चाहिए जिससे विस्तार अथवा सिकुड़ाव (extension or contraction) जरूरी न रहे। विस्तार से पैदावार की कीमत घट जाएगी (अर्थात् सीमान्त पैदावार घटेगी) लेकिन इससे साधन (factor) की कीमत बढ़ेगी। इससे, सीमान्त उत्पादन तथा कीमत में, यदि पहली दूसरे से बड़ी है तो साम्यावस्था स्थापित हो जायगी। यदि स्थिति विपरीत होती तो सिकुड़न से साम्यावस्था उत्पन्न होती। आविष्कारों, मांग में परिवर्तन अथवा दूसरे परिवर्तनों से साम्यावस्था में बाधा पड़ती है किन्तु गति वास्तव में ऐसी स्थिति लाने की ओर होगी।

(iv) चौथी स्थिति यह है जिसमें साधनो की प्रत्येक इकाई को काम (रोजगार) में लगाना है, जिनकी सप्लाई कीमत, मार्केट में चालू साधन की कीमत के या तो समान है अथवा कम। बेरोजगार स्रोत (unemployment resources) साधन कीमत में बढ़ी लाएंगे। खाली (बेरोजगार) श्रमिक जो कुछ भी मजदूरी पाने के लिए सवर्ष कर

रहे हैं साम्यावस्था को गड़बड़ा देंगे ।

साधारण साम्य सिद्धांत की आलोचना (Criticism of General Equilibrium Theory)—इस सिद्धान्त से यह पता चल जाता है कि अर्थ-व्यवस्था में कोई गड़बड़ी है या वह अपनी ठीक दशा में है । इससे यह भी विदित होता है कि साम्य के टूटने पर वह फिर कैसे स्थापित हो सकता है । हमें यह भी मालूम हो जाता है कि अर्थ-व्यवस्था के भिन्न-भिन्न अंग ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं जिससे अधिकाधिक आर्थिक सतोष मिले । इससे हमें यह भी पता चलता है कि एक बार साम्यावस्था बिगड़ने पर पुनः कैसे सुधर सकती है । हम यह भी जान सकते हैं कि इस प्रणाली में होने वाली विभिन्न गतिविधियाँ ठीक ओर काम कर रही हैं ।

लेकिन यह सिद्धांत वास्तविकता से कही परे है । वास्तविक जगत् में सदा और निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं । इस कारण साम्य की स्थिति को पाना असम्भव सा हो जाता है और इसकी आशा करना एक इच्छामात्र रह जाती है और यह एक आदर्श ही रहता है । इसका कारण यह है कि इस सिद्धान्त में बहुत सी बातें जो मग्न ली जाती हैं, वे वास्तविक जीवन में दिखाई नहीं पड़ती, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता उत्पादन के साधनों का इच्छानुसार विभाजन, तथा उनका पूर्ण स्थानांतरण आदि जिन पर साम्यावस्था टिकी होती है परन्तु ऐसा होता बहुत कम है । अस्तु, शुद्ध प्रतियोगिता, जो कि एक प्रकार से मूल धारणा है, स्वप्नमात्र रह जाती है । एकाधिकार प्रतियोगिता वास्तविकता के कुछ करीब है । किन्तु सामान्य साम्यावस्था के सिद्धान्त में अकादेमी तत्व बहुत कम पाए जाते हैं ।

निर्देश पुस्तके

Marshall, A —Principles of Economics

Benham, F —Economics

Stigler, G J —Theory of Prices, 1947, pp 155-66

Meyers, A L —Elements of Economics, 1951, Ch 11, 12 and 13.

Tarshis, A L —Elements of Economics, 1946, Chs 15, 16 and 19

Wicksteed P H —Commonsense of Pol Economy, 1946, Vol I.

Ch. 6.

मूल्य से सम्बन्धित वास्तविक लागत

(REAL COST IN RELATION TO VALUE)

१. भूमिका—पिछले दो अध्यायों में उत्पादन लागत का अर्थ उत्पादन पर खर्च होने वाली मुद्रा लागत अथवा उत्पादन पर खर्च से लिया गया है। दूसरे शब्दों में उत्पादन के खर्चों को उत्पादन व्यय या लागत मान लिया गया था। उत्पादक की दृष्टि से यह व्यय अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। यह खर्च दीर्घकाल में सामान्य लाभ के साथ मूल्य द्वारा पूरे हो जाने चाहिए, अन्यथा (निजी उद्यम पूँजीवादी) प्रणाली में उत्पादन कार्य चालू नहीं रह सकता।

पर संपूर्ण समुदाय की दृष्टि से केवल मुद्रा सम्बन्धी व्यय ही सब कुछ नहीं होता। समाज की दृष्टि से वास्तविक लागत (real cost) अधिक महत्वपूर्ण होती है। वास्तविक लागत का आशय उन प्रयत्नों व त्यागों से है, जो किसी वस्तु के उत्पादन के लिए समाज के विभिन्न सदस्य करते हैं। श्रमिक परिश्रम करते हैं, पूँजीपतियों को वचत करके फल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है व जमींदार को अपने को अपनी सम्पत्ति के प्रयोग से वंचित रखना पड़ता है। ऐसा होने पर ही उत्पादन सम्भव होता है। अस्तु, किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के प्रयत्न सम्मिलित होते हैं। और यही विभिन्न प्रयत्न उत्पादन की वास्तविक लागत कहलाते हैं।

द्रव्य-लागत व वास्तविक लागत समान नहीं होंगी (Money Cost and the Real Cost do not Coincide)—ऐसा बहुत कम होता है कि वस्तु की वास्तविक लागत द्रव्य-लागत के बराबर हो। मार्शल के शब्दों में, “यदि मुद्रा की क्रय-शक्ति प्रयत्नों के सम्बन्ध में स्थिर रहती है, और यदि प्रतीक्षा के लिए पारिश्रमिक की दर भी स्थिर रहती है, तो वस्तु की मुद्रा लागत वास्तविक लागत के समान होती है। पर इस प्रकार की समानता को महत्वहीन नहीं समझ लेना चाहिए।”¹ इस प्रकार द्रव्य-लागत व वास्तविक लागत में, बहुत कुछ संघर्ष है। परिवर्तनशील सस्यार में किसी भी समय में दोनों लागत कभी समान नहीं हो सकती। चाहे हम दीर्घावधि की दृष्टि से विचार करें चाहे अल्पावधि की दृष्टि से। भूमि का मूल्य, उसकी दुर्लभता (scarcity) पर निर्भर है। उसमें त्याग अथवा प्रयत्न से संवर्धित लागत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अभिनेताओं, अध्यापकों, कुलियों, झाड़ू लगाने वाले, किसानों या व्यापारियों आदि के उपार्जनो का सम्बन्ध प्रत्येक के प्रयत्न व त्याग से बहुत कम होता है।

साधारणतया लागत का अर्थ द्रव्य-लागत होता है। पर वास्तव में द्रव्य-लागत

वह मूल्य होता है जो उत्पादक उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उत्पादन कार्य करने के लिए देता है। इसलिए हम एक वर्ग की कीमतों की दूसरे वर्ग की कीमतों से तुलनात्मक व्याख्या नहीं कर सकते। इस कठिनाई से निकलने के बहुत से प्रयत्न किए गये हैं। कुछ लोगों ने श्रम को ही मूल्य का अन्तिम माप व निर्णायक माना है। पर कुछ लोग इनके साथ प्रतीक्षा (पूंजी) को भी जोड़ देते हैं। अभी हाल में कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि उपयोगिता (utility) से दीर्घकालिक व अल्पकालिक कीमतों का निर्धारण होता है। अस्तु, इन तीनों विचारों के आधार पर मूल्य के तीन सिद्धान्त मान लिये गए हैं—(१) मूल्य का श्रम सिद्धान्त (Labour Theory of Value) (२) मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धान्त (Cost of Production Theory of Value), और (३) मूल्य का सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त (Marginal Utility of Value)। मार्शल जिस सिद्धान्त को मानते हैं वह उत्पादन लागत के सिद्धान्त व सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त का मध्य है। उत्पादन लागत के सम्बन्ध में मार्शल के विचार मिल आदि के विचारों के विस्तृत रूप मात्र हैं जिममें इस संश्लेष (synthesis) के अन्तर्गत उत्पादन की लागत के विचार को व्याख्यात्मक रूप से रखा गया है। मिल आदि अन्य अर्थशास्त्री कीमत की व्याख्या “प्रयत्न व त्याग” (efforts and sacrifices) के रूप में करते थे।

२ विकल्प, अवसर अथवा हस्तांतरण लागत (Alternative, Opportunity or Transfer Cost)—आजकल के कुछ अर्थशास्त्री “वास्तविक लागत” शब्द का प्रयोग अवसर लागत अथवा हस्तांतरण लागत के अर्थ में करते हैं। अमरीकी अर्थशास्त्री डेवेनपोर्ट (Davenport) ने इस सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार की है “मान लीजिए एक बच्चे को एक नाशपाती और एक आड़ू दोनों दिए गए, पर कोई शैतान लडका उन्हें छीनने का प्रयत्न करता है। ऐसे समय में उस बच्चे के लिए सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं होगा कि वह नाशपाती को रास्ते की झाड़ियों में गिरा कर उठाये तो कहीं जावु, शय है कि आड़ू व कुछ भी नहीं है। छोड़नी पड़ी। इस “बदलना” अथवा हानि होगी। या मान लीजिए देख लीजिए। तो दूसरे की एवज में वचित रहना होता डालर है। उससे आ एक पुस्तक खरीद ले

२ भाग निकले। और जब तक आततायी नाशपाती
ऐसी दशा / की लागत क्या हुई? यह अव-
रूप में दि २। इस दृष्टि से उसकी लागत
लिए बच्चे को नाशपाती
नहीं जान पड़ता, शायद
going) शब्द एक
२ या शाम ६:३०
। एक की
के लिए

से इतना नहीं होता कि डालर कमाने में कितना परिश्रम करना पड़ा था, या डालर स्वयं कितना मूल्यवान है, जितना कि उसके वैकल्पिक प्रयोग से। . . . आपके लिए पुस्तक की अधिक से अधिक क्या लागत है, इसकी सबसे अच्छी परीक्षा इसमें है कि पुस्तक खरीदने की इच्छा ने चाकू खरीदने की इच्छा पर कितनी विजय पाई।”^१ चूकि उत्पादक स्रोत (productive resources) सीमित हैं, इसलिए किसी एक वस्तु का उत्पादन दूसरी वस्तु के उत्पादन के बदले ही में हो सकता है। जिस वस्तु का इस प्रकार बलिदान होता है वह उत्पादित वस्तु की वास्तविक लागत होती है। हेन्डर्सन (Henderson) के शब्दों में “किसी वस्तु की वास्तविक लागत दूसरी उपयोगी वस्तुओं की पूर्ति में कमी है जो कि उस विशिष्ट वस्तु के उत्पादन से होती है।”^२

इस उदाहरण के आधार पर यदि हम निष्कर्ष निकालें, तो हमें ज्ञात होगा कि उत्पादन लागत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वस्तु के उत्पादन में कितना त्याग अथवा प्रयत्न किया गया, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु विशेष के कारण हमें दूसरे कौन से महत्त्वपूर्ण व अति आकर्षक विकल्प से वंचित रहना पड़ा। अस्तु, वास्तविक लागत का उपयोगिता से स्वतन्त्र व अन्तिम अस्तित्व नहीं होता। पर वास्तव में परस्पर प्रतियोगी मागों के त्याग को ही वास्तविक लागत कहते हैं। द्रव्य व्यवस्था में यह “द्रव्य की वह मात्रा है जिससे उत्पादन के साधन वजाय इसके कि वे कहीं और प्रयोग में लाए जायें, इस विशिष्ट कार्य की ओर प्रोत्साहित होते हैं।”

इस दृष्टि से लागत का महत्त्व (Significance of Cost in this Sense)—एक ही स्रोत (resource) के लिए बहुत-सी प्रतियोगी मागें होती हैं, (जो उपभोक्ताओं की सीमान्त उपयोगिता पर निर्भर करती हैं)। क्योंकि साधन दुर्लभ (scarce) होते हैं, इसलिए एक समय में एक ही माग की पूर्ति हो सकती है, और वह भी दूसरी मागों के त्याग करने पर। फलस्वरूप साधनों की प्रवृत्ति उन प्रयोगों से, जिनमें उनकी माग की कीमत उपभोक्ताओं की सीमान्त उपयोगिता के योग से कम होती है, उन प्रयोगों की ओर, जिनमें वह अधिक होती है, जाने की होती है। और ऐसा तब तक होता है, जब तक वह विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित तमाम प्रयोगों में इस प्रकार बट जाते हैं कि विभिन्न प्रयोगों में उनकी सीमान्त उपयोगिता समान हो जाती है।

इस प्रकार माग-कीमत (demand price) अथवा सीमान्त उपयोगिता (marginal utility) ही इस बात का निर्णय करती है कि उत्पादन के किसी साधन का कितना भाग किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग में लाया जायगा। इसलिए किसी वस्तु की पूर्ति (supply) उस आकर्षण पर निर्भर करती है, जो उस वस्तु की माग कीमत (या सीमान्त उपयोगिता) उत्पादन के विभिन्न साधनों के प्रति करती

1. Davenport—The Economics of Enterprise, page 61.

2 Supply and Demand, 1932, p 166,

वह मूल्य होता है जो उत्पादक उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उत्पादन कार्य करने के लिए देता है। इसलिए हम एक वर्ग की कीमतों की दूसरे वर्ग की कीमतों से तुलनात्मक व्याख्या नहीं कर सकते। इस कठिनाई से निकलने के बहुत से प्रयत्न किए गये हैं। कुछ लोगों ने श्रम को ही मूल्य का अन्तिम माप व निर्णायक माना है। पर कुछ लोग इसके साथ प्रतीक्षा (पूँजी) को भी जोड़ देते हैं। अभी हाल में कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि उपयोगिता (utility) से दीर्घकालिक व अल्पकालिक कीमतों का निर्धारण होता है। अस्तु, इन तीनों विचारों के आधार पर मूल्य के तीन सिद्धान्त मान लिये गए हैं—(१) मूल्य का श्रम सिद्धान्त (Labour Theory of Value) (२) मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धान्त (Cost of Production Theory of Value), और (३) मूल्य का सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त (Marginal Utility of Value)। मार्शल जिस सिद्धान्त को मानते हैं वह उत्पादन लागत के सिद्धान्त व सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त का मध्य है। उत्पादन लागत के सम्बन्ध में मार्शल के विचार मिल आदि के विचारों के विस्तृत रूप मात्र हैं जिसमें इस संश्लेष (synthesis) के अन्तर्गत उत्पादन की लागत के विचार को व्याख्यात्मक रूप में रखा गया है। मिल आदि अन्य अर्थशास्त्री कीमत की व्याख्या “प्रयत्न व त्याग” (efforts and sacrifices) के रूप में करते थे।

२ विकल्प, अवसर अथवा हस्तांतरण लागत (Alternative, Opportunity or Transfer Cost)—आजकल के कुछ अर्थशास्त्री “वास्तविक लागत” शब्द का प्रयोग अवसर लागत अथवा हस्तांतरण लागत के अर्थ में करते हैं। अमरीकी अर्थशास्त्री डेवेनपोर्ट (Davenport) ने इस सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार की है “मान लीजिए एक वच्चे को एक नाशपाती और एक आड़ू दोनों दिए गए, पर कोई शैतान लडका उन्हें छीनने का प्रयत्न करता है। ऐसे समय में उस वच्चे के लिए सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं होगा कि वह नाशपाती को रास्ते की झाड़ियों में गिरा कर आड़ू लेकर भाग निकले। और जब तक आततायी नाशपाती उठाये तो कही जाकर छिय जाये। ऐसी दशा में आड़ू की लागत क्या हुई? यह अवश्य है कि आड़ू वच्चे को उपहार के रूप में दिया गया था। इस दृष्टि से उसकी लागत कुछ भी नहीं है। पर तब भी इसको अपने पास रखने के लिए वच्चे को नाशपाती छोड़नी पड़ी। इस उदाहरण में “लागत” शब्द का प्रयोग ठीक नहीं जान पड़ता, शायद “बदलना” अथवा “त्यागना” (displacement or forgoing) शब्द ठीक होंगे। या मान लीजिए कोई आपसे कहे कि घुडसवारी कर लीजिए या शाम को नाटक देख लीजिए। तो यह कहना अस्पष्ट लगेगा कि दोनों में से किसी एक की स्वीकृति दूसरे की एवज में है, फिर भी यह अवश्य है कि एक काम करने के लिए दूसरे से वंचित रहना होता है। या इसी को इस प्रकार समझ लीजिये कि आपके पास एक डालर है। उससे आप चाहे तो एक पुस्तक खरीद लें या एक चाकू। और अन्त में आप एक पुस्तक खरीद लेते हैं तो पुस्तक खरीदने की तीव्रतर इच्छा का पूर्तर्जन इस बात

से इतना नहीं होता कि डालर कमाने में कितना परिश्रम करना पड़ा था, या डालर स्वयं कितना मूल्यवान है, जितना कि उसके वैकल्पिक प्रयोग से। आपके लिए पुस्तक की अधिक से अधिक क्या लागत है, इसकी सबसे अच्छी परीक्षा इसमें है कि पुस्तक खरीदने की इच्छा ने चाकू खरीदने की इच्छा पर कितनी विजय पाई।”^१ चूँकि उत्पादक स्रोत (productive resources) सीमित हैं, इसलिए किसी एक वस्तु का उत्पादन दूसरी वस्तु के उत्पादन के बदले ही में हो सकता है। जिस वस्तु का इस प्रकार बलिदान होता है वह उत्पादित वस्तु की वास्तविक लागत होती है। हेन्डर्सन (Henderson) के शब्दों में “किसी वस्तु की वास्तविक लागत दूसरी उपयोगी वस्तुओं की पूर्ति में कमी है जो कि उस विशिष्ट वस्तु के उत्पादन से होती है।”^२

इस उदाहरण के आधार पर यदि हम निष्कर्ष निकालें, तो हमें ज्ञात होगा कि उत्पादन लागत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वस्तु के उत्पादन में कितना त्याग अथवा प्रयत्न किया गया, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु विशेष के कारण हमें दूसरे कौन से महत्त्वपूर्ण व अति आकर्षक विकल्प से वंचित रहना पड़ा। अस्तु, वास्तविक लागत का उपयोगिता से स्वतन्त्र व अन्तिम अस्तित्व नहीं होता। पर वास्तव में परस्पर प्रतियोगी भागों के त्याग को ही वास्तविक लागत कहते हैं। द्रव्य व्यवस्था में यह “द्रव्य की वह मात्रा है जिससे उत्पादन के साधन वजाय इसके कि वे कहीं और प्रयोग में लाए जायें, इस विशिष्ट कार्य की ओर प्रोत्साहित होते हैं।”

इस दृष्टि से लागत का महत्त्व (Significance of Cost in this Sense)—एक ही स्रोत (resource) के लिए बहुत-मी प्रतियोगी मागें होती हैं, (जो उपभोक्ताओं की सीमान्त उपयोगिता पर निर्भर करती है)। क्योंकि साधन दुर्लभ (scarce) होते हैं, इसलिए एक समय में एक ही माग की पूर्ति हो सकती है, और वह भी दूसरी मागों के त्याग करने पर। फलस्वरूप साधनों की प्रवृत्ति उन प्रयोगों से, जिनमें उनकी माग की कीमत उपभोक्ताओं की सीमान्त उपयोगिता के योग से कम होती है, उन प्रयोगों की ओर, जिनमें वह अधिक होती है, जाने की होती है। और ऐसा तब तक होता है, जब तक वह विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन से सबंधित तमाम प्रयोगों में इस प्रकार बंट जाते हैं कि विभिन्न प्रयोगों में उनकी सीमान्त उपयोगिता समान हो जाती है।

इस प्रकार माग-कीमत (demand price) अथवा सीमान्त उपयोगिता (marginal utility) ही इस बात का निर्णय करती है कि उत्पादन के किसी साधन का कितना भाग किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग में लाया जायगा। इसलिए किसी वस्तु की पूर्ति (supply) उस आकर्षण पर निर्भर करती है, जो उस वस्तु की माग कीमत (या सीमान्त उपयोगिता) उत्पादन के विभिन्न साधनों के प्रति करती

1. Davenport—The Economics of Enterprise, page 61.

2 Supply and Demand, 1932, p 166,

है। यदि माग कीमत अधिक नहीं है तो साधनो का प्रयोग उस वस्तु का उत्पादन में किया जाता है, जिसकी माग कीमत अपेक्षाकृत अधिक है। मूल रूप में एक वस्तु की उत्पादन लागत एक व्यवसाय में उत्पादक सेवाओ के बनाये रखने के लिए दिये गये प्रतिधारण कीमत (retention price) का जोड़ है तथा यह उतना होता है जितना कि वे दूसरी जगह पा सकते हैं।

आर्थिक सिद्धान्त के क्षेत्र में अवसर लागत के मत का बड़ा महत्त्व है। यह आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों तरह के मूल्य निर्धारणो में लागू होता है। यह आय के वितरण में भी लागू होता है।

फिर भी इसके लागू होने की कुछ सीमाएँ हैं। यह उन उत्पादन सेवाओ पर जो असाधारण अथवा विशेष प्रकार की हैं, लागू नहीं होता। एक विशेष साधन के वैकल्पिक उपयोग नहीं होते। अतः इसकी अवसर लागत अथवा हस्तान्तरित लागत शून्य होती है। इसलिए ऐसे साधन के भुगतान का स्वभाव लगान की तरह होता है। इसके अतिरिक्त अवसर लागत का सिद्धान्त अप्रवृत्ति के तत्व को विचार में नहीं रखता। साधन किसी व्यवसाय में रहने से अनिच्छुक हो सकते हैं। ऐसी दशा में जहाँ पर कि एक साधन की चाह को बदलना होता है तो वैकल्पिक व्यवसाय में प्रयोग में लाने के लिए उस साधन को हस्तान्तरित लागत से अधिक भुगतान देना पड़ेगा। इन बिना अर्थ-सम्बन्धी विचारों के दृष्टिकोण से द्रव्य लागत के मत का वहिष्कार कर देना चाहिये। अवसर लागत के सिद्धान्त की फिर से व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है "अ के बनाने में उत्पादक सेवा ट की लागत राशि ब है जो ट उत्पादन कर सकता है तथा बिना अर्थ सम्बन्धी उत्पादन (अथवा लागत) जो ब के उत्पत्ति करने में होता है (अथवा इतना कम) के बराबर होता है।" यह बताया जा चुका है कि सिद्धान्त में द्रव्य का अभिप्राय फिर से डालने के लिए बिना अर्थ-सम्बन्धी (non-pecuniary) अर्थ सम्बन्धी उत्पादन में बदली जाए। परन्तु इस काम के लिए सदैव मुद्रा मापदण्ड (monetary denominator) का पाना संभव नहीं है।

इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना चाहिये कि उत्पादक सेवाओ की इकाइयाँ बहुत कम एक सी (homogeneous) होती हैं।

इससे अधिक यह सिद्धात पूर्ण प्रतियोगिता पर निर्भर है जो बहुत कम होता है।

व्यक्तिगत लागत तथा सामाजिक लागत में भिन्नता के कारण भी इस सिद्धात का विरोध किया जा सकता है। एक वस्तु की लागत मिल मालिक को १० हो सकती है परन्तु समाज को उसकी लागत उसके कारखाने से निकले हुए धुएँ के कारण खराब स्वास्थ्य के रूप में होगी।

इन सब सीमाओ तथा विषमताओ के होते हुए भी लागत का यह सिद्धात अर्थात् अवसर लागत व वैकल्पिक लागत का सिद्धात सबसे अधिक मान्य सिद्धात है। इस सिद्धात की कुछ विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं —

(i) एक वस्तु की उत्पादन लागत दूसरी वस्तुओं की, जिनके उत्पादन में वही उत्पादक सेवाएँ सहायता दे सकती है, माग-कीमतों पर निर्भर है।

(ii) लागत का यह विश्लेषण इस बात से नष्ट नहीं हो जाता कि वस्तु का उत्पादन कई साधनों के संयोग से होता है क्योंकि हर साधन का सीमान्त उत्पादन जाना जा सकता है।

अब हम मूल्य के अनेक सिद्धान्तों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम श्रम-सिद्धांत को ही ले लिया जाय।

३. श्रम-सिद्धान्त^१ (Labour Theory)—श्रम सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य का निर्णय उस परिश्रम से होता है जो उसे बनाने में व्यय किया जाता है। इस सिद्धांत का संवध एडम स्मिथ (Adam Smith), रिकार्डों (Ricardo) व कार्ल मार्क्स (Karl Marx) आदि के नामों से है। एडम स्मिथ के पूर्व पेटी (Petty) व लॉक (Locke) भी श्रम को मूल्य का स्रोत मानते थे।

एडम स्मिथ का विश्वास था कि मूल्य का अन्तिम मान श्रम ही होता है। “किसी वस्तु की वास्तविक कीमत उसके आकांक्षी मनुष्य के लिए वह परिश्रम व मेहनत होती है, जो उस मनुष्य को उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है। जो वस्तु द्रव्य द्वारा खरीदी जाती है, उसका “ऋय” वास्तव में श्रम ही करता है।”^२

पर एडम स्मिथ का विचार था कि केवल समाज की प्रारम्भिक स्थितियों में ही श्रम विनिमय-मूल्य का आधार था। बाद में क्योंकि भूमि दुर्लभ हो गई व पूँजी का संचय शुरू हुआ, इसलिए इनके स्वामियों को भी कीमतें देनी पड़ी, और इस प्रकार श्रम अब उत्पादन की एकमात्र लागत नहीं रह गया। फलस्वरूप स्मिथ उत्पादन लागत के सिद्धांत की ओर बढ़े। इसके विपरीत रिकार्डों का यह विश्वास था कि तत्कालीन जगत् में भी किसी वस्तु का मूल्य अथवा दूसरी वस्तुओं के प्रति उसकी विनिमय शक्ति श्रम की उस मात्रा पर निर्भर करती है, जो उसके उत्पादन के लिए आवश्यक होती है।^३

पर इसका यह अर्थ नहीं कि रिकार्डों ने भूमि और पूँजी को उत्पादन का साधन नहीं माना। उसका विचार था कि भूमि की लागत का कोई महत्त्व नहीं होता, क्योंकि अनाज की कीमत खेती में प्रयुक्त ऐसी अनुपजाऊ भूमि की उत्पादन लागत पर निर्भर करती है, जिस पर कोई लगान नहीं देना पड़ता। और जहाँ तक पूँजी का सम्बन्ध है यह तो अतीत में किये गये श्रम का फलस्वरूप है।

एडम स्मिथ यह मानते थे कि श्रम में गुणों के अनुसार भिन्नता होती है, इसलिए उनका यह विचार था कि सिवाय बहुत ही पिछड़े समाजों के और कहीं श्रम की तुलना नहीं हो सकती, और श्रम के सिद्धांत का सम्बन्ध ऐसे ही समाजों से है। पर चूँकि

1. See Fraser, L. M.—Economic Thought and Language, 1947, pp 117—123.
 2. Adam Smith—Wealth of Nations, Book I Ch. V.
 3. Principles of Political Economy and Taxation in Works of David Ricardo by Mc Culloch, p 9

रिकार्डों उन्नत जातियों में भी श्रम को ही मूल्य का मूल मानते थे, इसलिए उन्हें विभिन्न गुणों वाले श्रमों की तुलना करने में पैदा होने वाली कठिनाइयों को भी समझना पड़ा। इन कठिनाइयों को रिकार्डों ने इस प्रकार समझाया था कि यह भेद बाजार में इस प्रकार स्थिर हो जाते हैं कि हर प्रकार का श्रम मूल्य के क्रमिक प्रवन्ध में अपनी उचित जगह पर पहुँच जाता है। रिकार्डों के अनुसार इस क्रमिक प्रवन्ध में बहुत कम परिवर्तन होते हैं। उनका कहना है कि यदि "एक सुनार का एक दिन का श्रम एक साधारण श्रमिक के एक दिन के श्रम से अधिक मूल्यवान है, तो यह श्रम बहुत पहले व्यवस्थित होकर मूल्य के क्रमिक प्रवन्ध में अपने उचित स्थान पर पहुँच चुका होगा।" पर यह व्याख्या कोई विशेष सतोषजनक नहीं है।

श्रम सिद्धांत के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आक्षेप यह है कि यह ऐसी वस्तुओं के मूल्य की, जिनका उत्पादन नहीं हो सकता, कोई व्याख्या नहीं करता। पर इसका उत्तर रिकार्डों ने इस प्रकार दिया है "कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका मूल्य उनकी न्यूनता में निश्चित होता है।... उनके मूल्य से उस आवश्यक श्रम के परिमाण से कोई सम्बन्ध नहीं होता, जो उत्पादन में लगाया जाता है और इसलिए धन व उन वस्तुओं के उपभोक्तियों की प्रवृत्तियों के अनुसार उसमें परिवर्तन हुआ करते हैं।" आजकल की भाषा में इससे रिकार्डों का तात्पर्य यह था कि उपभोक्तियों की सीमात्त उपयोगिता इस प्रकार की वस्तुओं का मूल्य निश्चित करती है। यहाँ तक तो उनके विचार वर्तमान अर्थशास्त्रियों के विचारों के अनुकूल ही हैं पर उनकी यह व्याख्या श्रम सिद्धांत के आलोचकों को सन्तुष्ट नहीं कर सकती क्योंकि इससे सिद्धांत की अपूर्णता ही अधिक प्रकट होती है।

४ समाजवादी व श्रम सिद्धांत (The Socialists and the Labour Theory)—रिकार्डों के श्रम सिद्धांत ने समाजवादियों को विशेष रूप से आकर्षित किया। चूँकि मूल्य का उद्गम श्रम ही है, पर कुल मूल्य का बहुत कम भाग मजदूरी के रूप में मिलता है, इसलिए यह प्रमाणित करना सरल था कि पूँजीपति उत्पादन का बड़ा भाग हड़प कर श्रमिकों का शोषण करते हैं। रूसो (Rousseau) के पश्चात् टामसन ग्रे (Thomson Gray) व ब्रे (Bray) जैसे समाजवादियों ने पूँजीवादी शोषण का एक अपना निजी सिद्धांत बना लिया और रॉडबर्टस (Rodbertus) व कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने तो इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक का प्रमुख आधार बनाया।

वैज्ञानिक समाजवाद (scientific socialism) के मूल प्रवर्तक कार्ल मार्क्स ने अपने विचार अपनी पुस्तक 'डॉस कैपिटल' में प्रकट किए हैं। इस पुस्तक में उन्होंने पूँजीवाद पर अकाट्य आक्षेप किये हैं। मार्क्स का विश्वास था कि मूल्य प्रयोग में लाये गये मानवीय श्रम को कहते हैं (value as crystallised human labour) उनकी दृष्टि में किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम पर ही निर्भर होता है। अर्थात् इसे श्रम समय (labour time) कह सकते हैं जो सामाजिक ढंग से (socially) बहुत जरूरी है। अपने इस विचार की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार

की है—“मूल्य श्रम के उस समय पर अवलम्बित है जो किसी वस्तु को साधारण परिस्थितियों में योग्यता और तीव्रता की औसत मात्रा से बनाने में लगता है, जो उत्पादन काल में प्रचलित है।”^१

मार्क्स ने भी पूँजी की वही व्याख्या की जो कि रिकार्डों न पूर्व श्रम (past labour) के आधार पर की थी। जहाँ तक श्रम की क्वालिटी के अन्तर का प्रश्न है, उनका विचार था कि “कुशल श्रम का महत्व केवल यह है कि वह साधारण श्रम का तीव्र रूप है।” उनके विचार में कुशल श्रम की एक निश्चित मात्रा साधारण श्रम की बड़ी मात्रा के बराबर ही है। उनका कहना था कि “अनुभव यह बतलाता है कि यह कमी निरन्तर पूरी हो रही है। एक वस्तु के बनाने में चाहे जितना भी कुशल श्रम लगा हो, पर यदि उसको साधारण श्रम द्वारा निर्मित किसी वस्तु के समान कर दिया जाय तो उसका मूल्य साधारण श्रम की वही एक निश्चित मात्रा का प्रदर्शन करेगा।” मार्क्स के अनुसार कुशल व अकुशल श्रम का यह अनुपात रूढ़ि द्वारा निश्चित होता है। उनका कहना था कि कुशल श्रम का मूल्य इसलिए अधिक होता है कि इस प्रकार के श्रम को पैदा करने में अकुशल (unskilled) श्रम की अपेक्षा अधिक समय व श्रम की आवश्यकता होती है।^२

५. मार्क्स का शोषण व अतिरेक मूल्य का सिद्धान्त (Marx's Theory of Surplus Value and Exploitation)—अपने श्रम सिद्धान्त के आधार पर मार्क्स ने अपने अतिरेक मूल्य के सिद्धान्त का विकास किया। उन्होंने बताया कि श्रमिक को उत्पादन कार्य चालू रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके पास औजार व दूसरी सुविधायें हो, किन्तु यह सुविधायें उसके पास नहीं होती। इसलिए वह अपने श्रम को पूँजीपति के हाथों बेच देता है। पूँजीपति के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह श्रमिक को उसके द्वारा निर्मित वस्तु का पूरा मूल्य दे। यहाँ मार्क्स ने एक दूसरे प्रतिष्ठित सिद्धान्त (classical theory), मजदूरी जीवन निर्वाह सिद्धान्त (subsistence theory of value) का आधार लिया है, जिसके अनुसार मजदूरी का स्तर ऐसा है कि श्रमिक जीवन-निर्वाह कर सके। पर होता यह है कि अपने जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करने लायक काम कर लेने के बाद भी श्रमिक काम करता ही रहता है। मार्क्स के शब्दों में “इतने समय तक जितने में कि श्रम अपने मूल्य के बराबर कीमत का काम कर लेता है, कार्य कर चुकने के बाद भी श्रम का कार्य जारी ही रहता है। कभी-कभी श्रम का कार्य छ घटे की अपेक्षा बारह घटे तक चल सकता है, इसलिये श्रम-शक्ति का कार्य केवल अपने मूल्य का ही उत्पादन करना नहीं बल्कि इससे भी अधिक उत्पादन करना है। यह अतिरेक मूल्य उत्पादित वस्तु के मूल्य का, उन साधनों के मूल्य का, जिनका प्रयोग उसके उत्पादन में हुआ, अन्तर होता है। दूसरे शब्दों में उत्पादन के साधनों के व श्रम शक्ति के

1. 'Capital' Vol 1, Part 1 Chap. 1, Sec 1.

2 Ibid, Part III, Ch. VII, Sec 2.

मूल्य का अन्तर यह अतिरेक मूल्य होता है।¹ इस अतिरेक मूल्य के द्वारा पूजीपति अधिक श्रम खरीद कर और अधिक अतिरेक मूल्य प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। अस्तु, पूजीपति-वर्ग श्रम-वर्ग का शोषण कर अधिक धनवान हो जाता है। इस प्रकार मूल्य के सिद्धान्त के आधार पर मार्क्स ने अपना शोषण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया।

६. मूल्य के श्रम सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Labour Theory of Value)—श्रम सिद्धान्त की कई प्रकार से आलोचना की गई है। कुछ आलोचनाओं का सम्बन्ध तो रिकार्डों द्वारा प्रतिपादित साधारण सिद्धांत से है, पर दूसरी आलोचनाओं का मुख्य विषय इस सिद्धांत का समाजवादियों और विशेषकर कार्ल मार्क्स द्वारा स्पष्टीकरण है। आलोचना के विभिन्न दृष्टिकोण ये हैं—

(1) श्रम कई प्रकार और कई श्रेणी का है। इसलिए उसका कोई समान माप नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, हम सड़क पर पत्थर तोड़ने वाले एक मजदूर को तुलना लड़ाई के मैदान में शत्रु के आक्रमण को तोड़ने वाले मेनापति के श्रम से नहीं कर सकते। इसी प्रकार अपने नाटकों के लिखाने वाले बर्नार्ड शॉ के श्रम की तुलना उसके टाइपिस्ट के श्रम से नहीं कर सकते, जो उन्हें टाइप करता है। सब प्रकार के श्रम को रीति की शक्ति से गिराकर अकुशल श्रम के स्तर पर ला देना कोई सन्तोषजनक व्याख्या नहीं है। आजकल के परिवर्तनशील सप्ताह में “साधारणतया आवश्यक श्रम के समय का विचार भी कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता।

(ii) वस्तु का मूल्य उत्पादन में श्रम के सम्मिलित हो जाने के उपरान्त भी अक्सर घटा-बढ़ा करता है। मार्क्स ने इस विशेषता को इस प्रकार समझाने का प्रयत्न किया है कि यदि उस समय में, जो किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो उस वर्ग की सब वस्तुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि मार्क्स ने सदैव पुनरुत्पादन (reproduction) की लागत पर ही अधिक ध्यान दिया, उत्पादन पर नहीं। इसलिए श्रम को मूल्य का मूल कारण नहीं कहा जा सकता। हा, इतना अवश्य है कि मार्क्स के अनुसार श्रम मूल्य का माप हो सकता है। पर यह दोनो विचार एक से नहीं है।

(iii) इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त में उन वस्तुओं का कोई वर्णन नहीं है, जिनका मूल्य तो होता है, पर जिनके उत्पादन में किसी प्रकार के श्रम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें उन वस्तुओं का भी कोई वर्णन नहीं है जिनके श्रम से सम्बन्धित मूल्य का कोई ठीक अनुपात नहीं होता। पहली वस्तु का उदाहरण एक ऐसा स्रोत है, जिनमें औषधि का मिश्रण है, अथवा मृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, प्राचीन कलाकारों के चित्र व मूर्तियों आदि से दिया जा सकता है। फिर श्रम का अनूचित प्रयोग भी हो सकता है ऐसी दशा में यह श्रम किसी प्रकार के मूल्य का उत्पादन नहीं करेगा।

(iv) फिर आधुनिक काल के प्रतियोगी साम्यावस्था (competitive equilibrium) के दृष्टिकोण से भी मार्क्स के ‘अतिरेक मूल्य’ के सिद्धांत की जो

कि श्रम-सिद्धान्त पर आधारित है आलोचना की गई है। प्रतियोगितापूर्ण स्थिति में अतिरेक मूल्य समाप्त हो जाना चाहिए। विट्टाकर (Whittaker) के शब्दों में यदि एक फर्म का उत्पादन उस उद्योग के कुल उत्पादन के अनुपात में बहुत कम है (जैसा कि अंग्रेजी वस्त्र उद्योग में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक था जिससे मार्क्स ने बहुत से उदाहरण लिये हैं) तो एक फर्म के उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि से वस्तु के बाजार भाव पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिये उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई के अतिरेक मूल्य में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होगा। यदि अधिक इकाइयों का उत्पादन होगा तो फर्म की कुल अतिरेक मूल्य में वृद्धि होगी। फलस्वरूप फर्म अपने उत्पादन की मात्रा बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। यही नहीं, उस उद्योग के सभी कारखाने इस बात का प्रयत्न करेंगे और यदि उत्पादन बढ़ जायगा तो वस्तु का बाजार भाव गिरने लगगा। इसका परिणाम यह होगा कि अतिरेक मूल्य कम होते-होते समाप्त हो जायगा।”¹

इस प्रकार ऊपरी तौर से मूल्य का श्रम सिद्धान्त न्याय व समन्याय (justice and equity) पर आधारित अवगम्य प्रकट होता है पर इससे मूल्य की कोई सन्तोषजनक व्याख्या नहीं होती।

७. मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धांत (The Cost of Production Theory of Value)—कैन्टिलन (Cantillon) ने किसी वस्तु के मूल्य की (जिसे वह वास्तविक मूल्य कहते थे) परिभाषा इस प्रकार की है. “किसी वस्तु का मूल्य उत्पादन में प्रयोग होने वाले श्रम व भूमि की मात्रा के माप को कहते हैं। पर ऐसे माप में भूमि की उर्वरता व श्रम के गुण का ध्यान रखन चाहिये।” पर इस मूल्य का वस्तु के बाजार भाव से कोई सामंजस्य नहीं होता, क्योंकि उसका बाजार मूल्य तो उपभोक्ताओं की मांग पर निर्भर होता है। इस प्रकार उन्होंने मूल्य के पुरातन सिद्धांत की नींव डाली, जिसको बाद में एडम स्मिथ (Adam Smith), सीनियर (Senior) व जान स्टुअर्ट मिल (J S. Mill) ने भी विस्तृत किया।

जिस मूल्य को कैन्टिलन “वास्तविक मूल्य” कहते थे, उसे आगे चल कर एडम स्मिथ “स्वाभाविक मूल्य” (‘natural value’) व मार्शल “सामान्य मूल्य” (‘normal value’) कहने लगे। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी वस्तु का स्वाभाविक तथा सामान्य मूल्य उसके उत्पादन की लागत पर निर्भर करता है।

रिकार्डों पूजा को वीता-हुआ श्रम कहते हैं। लेकिन सीनियर का कहना है कि व्याज प्रतीक्षा अथवा धन से वंचित रहने का भुगतान है। उनका विश्वास था कि सयम (abstinence) से रहना भी उत्पादन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि श्रम। सयम एक प्रकार का त्याग है और इसलिए उत्पादन की वास्तविक लागत, जिससे मूल्य निश्चित होता है, केवल श्रम में ही नहीं बल्कि श्रम व सयम दोनों में होती है। यही नहीं, उसने लागत में से भूमि के लगान को भी निकाल दिया। सीनियर का सिद्धांत

बहुत कुछ एडम स्मिथ के सिद्धान्त पर आधारित था। उसे इस बात का ज्ञान था कि चू कि प्रतियोगिता कभी पूर्ण नहीं होती, इसलिए मूल्य केवल दीर्घकाल में ही उत्पादन लागत के बराबर होता है।

मिल यह मानते थे कि समय का लागत पर प्रभाव पड़ता है पर उन्होंने “प्राप्ति के नियमों” (“laws of return”) के प्रभाव का विश्लेषण करके इस सिद्धान्त को और भी विस्तृत कर दिया है। सीनियर की भांति वह भी मूल्य व लागत के सामंजस्य को दीर्घकालिक विशेषता समझते थे। पर मिल ने श्रम व समय के वास्तविक लागत की अपेक्षा मुद्रा व्यय ही पर अधिक जोर दिया, और यही पर मार्शल ने मिल के मूल्य के लागत सिद्धान्त (cost theory of value) को आगे बढ़ाया।

मार्शल के लिए उत्पादन लागत केंची का केवल एक फल है। उसका कहना था कि मूल्य रूपी केंची का एक फल तो उत्पादन लागत है, और दूसरा सीमान्त उपयोगिता (marginal utility)। मार्शल ने वास्तविक लागत तथा मुद्रा-लागत को यह कहकर समान करने का प्रयत्न किया कि यद्यपि मुद्रा-व्यय उद्यमी की दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण है, पर समाज के लिए सबसे अधिक महत्त्व वास्तविक लागत (कठिन प्रयत्न व प्रतीक्षा) का ही है। इसके अतिरिक्त उसका विश्वास था कि यदि प्रयत्नों के रूप में मुद्रा की ऋण-शक्ति स्थिर रहे, और प्रतीक्षा के भुगतान की दर भी स्थिर रहे तो लागत का मुद्रा में माप वास्तविक लागत के समान ही होगा। पर साथ ही साथ मार्शल का यह भी कहना है कि “इस प्रकार का सामंजस्य सदैव नहीं मान लेना चाहिए।”

हम देख चुके हैं कि उद्यमी के व्यय के रूप में उत्पादन लागत का विचार, वैसे गणना की दृष्टि से चाहे कितना ही लाभदायक क्यों न हो, पर मूल्य की समस्या की कोई व्याख्या नहीं करता, क्योंकि यह वस्तु की कीमत केवल उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत के आधार पर ही इसकी व्याख्या करता है। जब तक प्रयत्नों के रूप में किए गए उत्पादन की वास्तविक लागत को मुद्रा लागत (money cost) में परिवर्तित न कर दिया जाय, तब तक इस प्रकार की लागत को हम उत्पादन लागत में शामिल कर ही नहीं सकते। इसके अतिरिक्त लागत की धारणा में इस कठिनाई के अतिरिक्त उत्पादन लागत मूल्य सिद्धान्त में और भी बहुत सी बृद्धियाँ हैं।

आलोचना (Criticism)—निम्नलिखित कारणों से सिद्धान्त मूल्य विषय की उचित रूप की व्याख्या नहीं कर पाता —

इस सिद्धान्त में ऐसे श्रम व पूजा का, जिसका अनुचित उपयोग हुआ हो, कोई वर्णन नहीं है। उत्पादन के पश्चात् बहुत सम्भव है कि वस्तु का मूल्य बढ़ जाय। सिद्धान्त दुर्बल वस्तुओं और विशेषकर ऐसी वस्तुओं, जैसे पुराने कलाकारों द्वारा निर्मित चित्र व मूर्तियों आदि के मूल्य की कोई व्याख्या नहीं करता। कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनकी उत्पादन लागत का अनुमान लगाना असम्भव होता है। ऐसा विशेष रूप से उन वस्तुओं में होता है जो उप-उत्पाद के रूप में अथवा मिलाकर तैयार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न फर्म व हर फर्म की विभिन्न इकाइयों के अनुसार

उत्पादन लागत में भिन्नता आ जाती है, और ऐसी परिस्थिति में यह निश्चित करना कठिन होता है कि इनमें से किस फर्म की लागत मूल्य निर्धारित करती है।

सच तो यह है कि दुर्लभता (scarcity) व माग के पारस्परिक सम्बन्ध से ही मूल्य निर्धारित होता है। वस्तु की यह दुर्लभता उत्पादन की अधिक लागत के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी हो सकती है। यदि यह दुर्लभता अधिक उत्पादन लागत के कारण होती है, तो इसके अर्थ केवल यह होते हैं कि विभिन्न प्रयोगों में माग होने के कारण उत्पादन के साधन दुर्लभ हो गए हैं। इसलिए उपयोगिता अथवा उत्पादन के दुर्लभ साधनों की प्रतियोगी मागों के आधार पर उत्पादन लागत की व्याख्या की जा सकती है। लागत का यह नवीन विचार मूल्य की सीमान्त उपयोगिता सिद्धांत (utility theory of value) से सम्बन्धित है।

८. पुनरुत्पादन लागत का सिद्धांत (Cost of Reproduction Theory)—ऐसा बहुत कम होता है कि किसी वस्तु का सामान्य मूल्य उत्पादन लागत के बराबर ही हो। परिवर्तनशील सप्ताह में यह आवश्यक नहीं है कि दीर्घकाल में उत्पादन लागत किसी एक दिन की उस लागत के बराबर ही हो। अधिकतर ऐसा है कि दीर्घकाल में उत्पादन लागत उस लागत के बराबर होती है, जो वस्तु के पुनरुत्पादन में लगती है। इसलिए केरी (Carey) का कहना है कि सामान्य मूल्य को समझने के लिए उत्पादन लागत की अपेक्षा पुनरुत्पादन लागत का सिद्धांत अधिक उपयोगी होगा।

पर इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। मार्शल के अनुसार उत्पादन की सामान्य लागत व पुनरुत्पादन की सामान्य लागत ऐसे शब्द हैं, जिनको एक दूसरे के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। वास्तव में किसी वस्तु की दीर्घकाल में उत्पादन लागत क्या होगी, इसके अर्थ ही यह है कि पुनरुत्पादन (reproduction) की लागत क्या होगी।

यद्यपि यह अवश्य है कि पुनरुत्पादन के मूल्य व लागत में उत्पादन के मूल्य व लागत की अपेक्षा अधिक समानता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि पुनरुत्पादन की लागत ही मूल्य निर्धारित करती है। इस सम्बन्ध में उन सब आरोपों का जो उत्पादन लागत सिद्धांत के विषय में बताये गये हैं, यहाँ उल्लेख किया जा सकता है।

यदि कोई सुगमता से उस समय तक प्रतीक्षा कर सके, जब वस्तु का पुनरुत्पादन सम्भव होगा तो पुनरुत्पादन के व्यय का कुछ प्रभाव वस्तु के मूल्य पर हो सकता है। जब तक नई पूर्ति नहीं आती, उस समय तक तो माग की तीव्रता (intensity of demand) पर ही मूल्य निर्भर होगा।

कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जब कि पुनरुत्पादन की लागत का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मार्शल के शब्दों में "किसी घिरे हुए शहर में अनाज, किसी रोग-ग्रस्त द्वीप में कुनीन जिसकी पूर्ति कम हो गई है, राफेल के चित्र, ऐसी पुस्तक, जिसे पढ़ना कोई पसन्द नहीं करता, पुराने ढंग का जगो जहाज, आधिक्य या कमी के बाजार में मछली, फूटी हुई घटी, पुराने रिवाज की पोशाक अथवा नष्ट गांव में किसी मकान इत्यादि

की कीमत तथा पुनरुत्पादन की लागत (price and cost of production) में कोई सम्बन्ध नहीं होता।”¹

६ मूल्य के सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त का विकास (Development of Marginal Utility Theory of Value)—यद देखा जा चुका है कि थम सिद्धान्त अथवा उत्पादन-लागत सिद्धान्त या पुनरुत्पादन लागत सिद्धान्त ने मूल्य की कोई सत्तोजनक व्याख्या नहीं की है। अब हम तीसरे सिद्धान्त अर्थात् सीमान्त उपयोगिता के सिद्धान्त का अध्ययन करेंगे। बारबोन (Barbon) (१६४०-१६९८) व टर्गोट (Turgot) (१७२७-१७८१) आदि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने मूल्य का आधार उपयोगिता (utility) को माना है। पर लाडर डेल (Lauderdale) (१७५९-१८३०) ने यह बताया कि मूल्य के लिए उपयोगिता व दुर्लभता (utility and scarcity) दोनों का होना आवश्यक है। उनका विश्वास था कि मनुष्य की किसी वस्तु को पाने की इच्छा तथा मूल्य में घनिष्ठ सम्बन्ध है। वह माग की लोच से भी परिचित थे। जहा तक उत्पादन या पूर्ति (production or supply) का प्रश्न है, उन्होंने लॉक (Locke) कान्टिलन (Cantillon) व एडम स्मिथ (Adam Smith) के विचारों का आश्रय लिया। पर माग के सम्बन्ध में वह सीमान्त उपयोगिता को मानने वाले लोगों में से सर्वप्रथम थे।

पिछली शताब्दी के १८२१ से १८३० वर्षों में एफ डब्लू लॉयड (F W Lloyd) ने उपयोगिता व मूल्य के सम्बन्ध की विस्तृत व्याख्या की। उसने लोगों का ध्यान इस तत्त्व की ओर आकर्षित किया कि वस्तु की पूर्ति बढ़ जाने से मनुष्य के लिए उसका मूल्य कम हो जाता है। यही सिद्धान्त बाद में घटती हुई प्राप्ति के नियम से विख्यात हुआ। यही नहीं, उसे सीमान्त उपयोगिता का भी ज्ञान था। उसका विश्वास था कि सीमान्त उपयोगिता व उत्पादन लागत में से जो भी कम होता है, मूल्य उसी के बराबर होता है।

सीनियर (१७९०-१८६४) उपयोगिता की घटती हुई प्राप्ति सिद्धान्त (principle of diminishing utility) को तो मानता था पर उसका कहना था कि क्योंकि मानवीय आवश्यकताएँ अतृप्य होती हैं, इसलिये व्यक्ति सदा विभिन्न प्रकार की विलासिता की वस्तुओं की माग करता है। सीनियर यद्यपि उपयोगिता के महत्त्व को मानते थे पर वह अनुमोदन सदैव उत्पादन लागत के सिद्धान्त का ही करते थे। वह माग व पूर्ति की शक्तियों का संश्लेष (synthesis) न कर सके, जिसको कि बाद में मार्शल को करना पड़ा।

आयरलैण्ड के लॉग फील्ड (Long Field), जर्मनी के वॉन थुनेन (Von Thunen) व फ्रांस के डूपी (Dupeit) सीनियर के समकालीन थे। पहले दानों अर्थशास्त्रियों ने मूल्य के सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त की व्याख्या वड़े अनोखे ढंग से की और वे वितरण की समस्या से अधिक सम्बन्धित थे। डूपी (Dupeit) ने घटते

हुए उपयोगिता सिद्धान्त को रेखाचित्र द्वारा बड़े अच्छे ढंग से समझाया। वाद में मार्शल ने इस विचार का नाम 'उपभोक्ता की बचत' ('consumer's surplus') रक्खा, उसका भी प्रतिपादन सर्वप्रथम डूपी ने ही किया था। डूपी इस सिद्धान्त को "सापेक्ष उपयोगिता" (relative utility) कहते थे।

सीमान्त उपयोगिता के विचारको में सर्वप्रथम जर्मन अर्थशास्त्री एच. एच. गॉसेन (H. H. Gossen) थे (१८१०-१८५६)। इनके सिद्धान्त बहुत कुछ डब्लू. एस. जीवन्स (W. S. Jevons) के सिद्धान्तों के अनुकूल थे। यद्यपि जीवन्स को इस बात का ज्ञान नहीं था, पर यह सच है कि उनकी व. गॉसेन की पुस्तक के साथ ही माथ प्रकाशित हुई थी।

योरुप के तीन देशों में १८७० के लगभग अर्थशास्त्रियों का एक नवीन विचार-धारा का समूह प्रकट हुआ। इस समूह के विशिष्ट लोग यह थे—आस्ट्रिया में कार्ल मेंजर (Carl Menger) (१८४०-१८८१), वालरस (Walras) (१८३४-१९१०), स्विटजरलैंड व इंग्लैंड में जीवन्स (Jevons)। यह लोग एक ही समय के थे। फलस्वरूप उपयोगिता के सिद्धान्त पर अर्थशास्त्र में एक नई विचारधारा की स्थापना हुई। उनके विचार विल्कुल नवीन तो नहीं थे, पर उन्होंने अपने विचारों को अधिक विस्तारपूर्वक लोगों के सामने रखा, और परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी योरोप में उनका अपना विशिष्ट व महत्त्वपूर्ण स्थान बन गया।

"अन्तिम उपयोगिता" (Final utility) (जो वाद में सीमान्त उपयोगिता के नाम से विख्यात हुई) के आधार पर जीवन्स ने अपने विनिमय के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उनका निष्कर्ष यह था "किन्हीं दो वस्तुओं की विनिमय दर उन वस्तुओं की उन मात्राओं की उपयोगिता के अनुपात में होगी, जो विनिमय के उपरान्त उपभोग के लिए प्राप्त हो सकती है।" इससे उनका आशय था कि मूल्य सीमान्त उपयोगिता के अनुकूल होता है।

१८९० के बाद एक पीढ़ी तक इंग्लैंड के आर्थिक विचारों पर मार्शल का प्रभाव रहा और फलस्वरूप उस देश में जीवन्स का सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त अधिक महत्त्व न पा सका। मार्शल ने अपने सिद्धान्त में माग के सम्बन्ध में जीवन्स के विचार का तथा उत्पादन अथवा पूर्ति के सम्बन्ध में मिल के सिद्धान्त का अनुकरण किया। इस प्रकार उन्होंने मूल्य के एक नवीन सिद्धान्त को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने एक कच्ची के दो फालों का उदाहरण दिया।

योरोप में जीवन्स के समकालीन मेंजर व वालरस का बड़ा प्रभाव था।

इनके बाद वाम बावर्क (Bohm Bawerk) व बीजर (Weiser) हुए। अर्थशास्त्रियों का यह ग्रुप "आस्ट्रियन स्कूल" के नाम से विख्यात है।

मार्शल के उत्पादन की लागत के विचार के प्रतिकूल बीजर ने विकल्प (alternative) अवसर अथवा हस्तान्तरण-लागत के एक नवीन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उनका विश्वास था कि केवल श्रम व सयम के कारण उठाये गये कष्ट ही से लागत का अनुमान नहीं होना, बल्कि उपयोगिताओं व सुखों का त्याग भी लागत में सम्मिलित है।

इस प्रकार उन्होंने उपयोगिता के रूप में लागत का विचार किया और हमारे सन्मुख मूल्य का एकात्मक (monistic) रूप रखा, जो मार्शल के द्वैतभाव (dualities) से भिन्न था। इस सिद्धान्त के महत्त्व का अध्ययन मूल्य के सिद्धान्त में किया जा चुका है (विभाग २)।

१०. मूल्य का सीमान्त-उपयोगिता सिद्धान्त (Marginal Utility Theory of Value)—मूल्य के सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त के अनुसार सीमान्त उपयोगिता द्वारा वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में वस्तु की दुर्लभता (scarcity) से सम्बन्धित भाग ही मूल्य निर्धारित करती है। उत्पादन लागत का एकमात्र कार्य वस्तु की दुर्लभता निर्धारित करना है। महत्त्वपूर्ण बात तो वस्तु की दुर्लभता ही है, चाहे उसके कारण कुछ भी हो। अस्तु, चाहे वस्तु पुनरुत्पादन के योग्य हो अथवा नहीं, चाहे उसकी दुर्लभता का कोई भी कारण क्यों न हो (वस्तु की स्थिर मात्रा अथवा उत्पादन के साधनों की दुर्लभता के कारण उसके उत्पादन में कठिनाइयाँ) मूल्य का निर्धारण वही सिद्धान्त करेगा। पर चूक बड़े हुए भाव, बड़ी हुई माग कीमत का ही दूसरा रूप है, इसलिए माग कीमत या उपभोक्ताओं की सीमान्त उपयोगिता (जिस पर कि यह मूल्य निर्भर है) ही मूल्य निर्धारित करती है। यह मूल्य की एकात्मक व्याख्या है।

उपर्युक्त बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्य के इस सिद्धान्त में व उत्पादन लागत के सिद्धान्त में बहुत थोड़ा अन्तर है, क्योंकि उत्पादन लागत सिद्धान्त को मानने वाले भी यह कहते हैं कि उत्पादन-लागत पूर्ति निर्धारित करती है, जिससे कीमत निश्चित होती है। पर वास्तव में दोनों सिद्धान्त एक दूसरे से मूल रूप में भिन्न हैं। सीमान्त उपयोगिता के सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन-लागत पर मूल्य निर्भर नहीं होता। यह अवश्य है कि उत्पादन-लागत न्यूनता पर प्रभाव डालती है, किन्तु वह भी परोक्ष रूप से। दुर्लभता तो एक सापेक्ष शब्द है। कोई वस्तु अपनी माग के अनुसार दुर्लभ होती है। उदाहरण के लिए दुर्लभ वस्तुओं की कमी का कारण उनकी उत्पादन-लागत नहीं होती। इसलिए उत्पादन-लागत नहीं बल्कि परस्पर प्रतियोगी मांगों (competing demands) मूल्य निश्चित करती है। इन मागों के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति व लागत अपने आपको व्यवस्थित कर लेती है। विकल्पों (alternatives) के त्याग के रूप में ही लागत, जिन्हें अवसर, वैकल्पिक तथा हस्तांतरण लागत भी कहते हैं, कीमत व मूल्य पर कुछ प्रभाव डालती है। दीर्घ काल में माग में उपक्रमी के वह सब व्यय सम्मिलित हो जाते हैं, जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को इकट्ठा करने में उसे करने पड़ते हैं। इसलिए लागत का यह सिद्धान्त उपयोगिता पर आश्रित है।

यही कारण है कि वर्तमान रूप में सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त 'एकात्मक' ('monistic') कहलाता है और यह मार्शल की दुहरी (dual) व्याख्या से भिन्न है। मार्शल का विश्वास था कि उपयोगिता व लागत दो स्वतंत्र वर्ग होते हैं जो मूल्य के निर्धारण में समान रूप से सहयोग देते हैं। उनके महत्त्व की मात्रा सम

अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। पर एकात्मक व्याख्या की उत्पादन लागत भी उपयोगिता का एक अंग है, इसलिए वह स्वतन्त्र वर्ग नहीं मानी जा सकती। और चूँकि लागत वैकल्पिक उपयोगिता प्रकट करती है इसलिए पूर्ति व माग दोनों ही उपयोगिता पर निर्भर होनी हैं।^१

पर वास्ट्रियन स्कूल व उनके समर्थकों ने, जिनमें मुख्य अर्थशास्त्री विकस्टीड (Wicksteed) है, पूर्ति व माग की शक्तियों के समीकरणको और भी बड़ा दिया है। विकस्टीड^२ ने यह प्रमाणित किया है कि बाजार में ग्राहक व विक्रेताओं के मस्तिष्क में काम करने वाली शक्तियों में कोई दिशे अन्तर नहीं होता। जब निश्चित कीमत, जिसे क्रेता की सुरक्षित कीम (seller's reserve price) कह जाता है, गिर जाती है तो विक्रेता वस्तु को बाजार से हटा लेता है। ऐसी परिस्थिति-म वह ग्राहक की हैसियत में दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में कीमत के एक विशेष स्तर पर पहुँच जाने पर वह स्वयं एक तरह से अपनी वस्तु को क्रय करना प्रारम्भ कर देता है। ब्रिग्स (Briggs) व जारडन (Jordan) के शब्दों में "नीलाम के समय इस प्रकार के सब विक्रेता, जिन्हें लोग नहीं पहचानते, कीमतें बढ़ाने के निमित्त प्रतियोगिता में सम्मिलित हो जाते हैं।"^३

आजकल सीमान्त उपयोगिता सिद्धांत मूल्य का सर्वमान्य सिद्धांत है। यद्यपि इसको सर्वप्रथम जीवन्स व योरोप के कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों—आस्ट्रियन मत के विजर, वामवावर्क तथा मैजर सरीखे अर्थशास्त्रियों, ने १०वीं शताब्दी के अन्त में प्रतिपादित किया था, पर वास्तव में विकस्टीड,^४ विकसेल^५ (Wicksell), डेवनपोर्ट^६ (Davenport), कैसेल^७ (Cassel) आदि ने ही इसको वर्तमान रूप दिया है।

सीमान्त उपयोगिता का सिद्धांत मूल्य का सर्वमान्य सिद्धांत इसलिए है क्योंकि

(क) यह हर समय के मूल्य की व्याख्या करता है, चाहे वह समय थोड़ा हो या अचिक,

(ख) माग अथवा पूर्ति या दोनों में होने वाले परिवर्तनों के कारण मूल्य में जो परिवर्तन होते रहते हैं, उनका स्पष्टीकरण यह सिद्धांत करता है, तथा

(ग) "दुर्लभ, खराब, अपूर्ण अथवा नष्ट वस्तुओं के मूल्य की एकमात्र सतोषजनक व्याख्या इसी सिद्धांत में मिलती है। ऐसी वस्तुओं के मूल्य का कोई सबब उत्पादन-लागत से नहीं होता। यह सिद्धांत पानी, धूप आदि ऐसी वस्तुओं के मूल्य का भी स्पष्टीकरण करता है, जो अत्यधिक उपयोगी होते हुए भी विशेष मूल्यवान नहीं होती।"^८

1 Whittaker—A History of Economic Ideas, p 458

2 Wicksteed—Commonsense of Political Economy, Vol II Ch 4.

3 Briggs & Jordan—Text Book of Economics, p 78

4 Commonsense of Political Economy

5 Lectures on Political Economy

6 Economics of the

११ प्राप्ति के नियमों का मूल्य पर प्रभाव (The Influence of the Laws of Returns on Value)—यह देखा जा चुका है कि किसी निश्चित समय में मूल्य माग व पूर्ति के मन्वय से निर्धारित होता है, पर दीर्घकाल में इसकी प्रवृत्ति, उत्पादन की सीमान्त लागत के बराबर होने की होती है। उत्पादन के नियम उत्पादन लागत पर और फलस्वरूप दीर्घकाल में मूल्य पर प्रभाव डालते हैं। अब देखना यह है कि उत्पादन के इन तीनों नियमों का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।

१ घटती हुई प्राप्ति का नियम (Law of Diminishing Returns)—यदि किसी उद्योग में इस नियम का प्रभाव हो तो जितना भी अधिक उत्पादन होगा, प्रति इकाई व्यय उतना ही अधिक होगा। इसके प्रतिकूल उत्पादन जितना ही कम होगा, व्यय भी उतना ही कम हो जायगा। यदि वस्तु की माग बढ़ जाती है, तो मूल्य भी बढ़ेगा और इससे पूर्ति में वृद्धि होगी। पर अतिरिक्त पूर्ति (additional supply) प्राप्त करने में औसत लागत बढ़ जायगी और इसलिए मूल्य बढ़े रहेंगे।

२ बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम (Law of Increasing Returns)—पर यदि उद्योग वृद्धि उत्पादन नियम के प्रभाव में है, तो अतिरिक्त पैदावार (additional output) अनुपात से कम लागत पर प्राप्त होगी। ऐसी दशा में मांग बढ़ जायगी तो पूर्ति कम लागत पर प्राप्त हो सकेगी। फलस्वरूप कीमत गिर जाएगी। माग के बढ़ने से कीमत में वृद्धि अवश्य होगी पर दीर्घकाल में जब पूर्ति भी बढ़ जायगी तब अन्त में कीमत में कमी हो जायगी। लेकिन यदि माग में वृद्धि हो तो इसके विलकुल विपरीत होगा। पर यदि माग कम हो जाती है, तो उत्पादन में भी कमी होगी, और बढ़ती हुई प्राप्ति नियम में इसका परिणाम यह होगा कि औसत लागत बढ़ जायगी। अस्तु, इस दशा में कीमत में पूर्ति के विपरीत परिवर्तन होता रहता है, अर्थात् अधिक पूर्ति पर कम कीमत और कम पूर्ति पर अधिक कीमत होगी।

३ प्राप्ति का स्थिर नियम (Law of Constant Returns)—प्राप्ति के स्थिर नियम की दशा में उत्पादन के हर परिमाण में लागत स्थिर रहती है। इसलिए यदि माग घटने-बढ़ने के कारण पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी करनी पड़ती है, तो उसका कोई प्रभाव कीमत पर नहीं पड़ता।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राप्ति (returns) के नियमों का प्रभाव केवल दीर्घकाल में ही होता है। या इसी को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि उत्पादन के नियम सामान्य मूल्य (normal value) को प्रभावित करते हैं, प्रचलित मूल्य (market value) को नहीं।

निर्देश पुस्तकें

Adam Smith—Wealth of Nations (Cannan's Edition)

Recardo—Principles of Political Economy and Taxation (Sraffa's Edition)

Jevons—The Theory of Political Economy (Third Edition)

अध्याय २२ परस्पर निर्भर मूल्य

(INTER RELATED VALUES)

१ सयुक्त पूर्ति (Joint Supply)—पृथक् माग (isolated demand) की समस्या बहुत कम पैदा होती है। यही स्थिति पृथक् पूर्ति (isolated supply) की भी है। माग पक्ष में, न सिर्फ संयुक्त रूप से माल की माग होती है जो परस्पर प्रतिस्थापन (substitutes) करते हैं वल्कि व्यक्ति की भिन्न मार्गों परस्पर सम्बद्ध हो जानी है। ऐसा इस कारण से होता है चूकि उसकी आय सीमित होती है और उसे प्रतियोगी भागों में बाँटना पड़ता है। इसी प्रकार, पूर्ति पक्ष में भी, न सिर्फ मयुक्तपूर्ति की समस्या बनी रहती है वल्कि उत्पादन के साधन दुर्लभ (scarce) होने के कारण पूर्तिया परस्पर सम्बद्ध (inter-connected) हो जाती है। अब हमें यह देखना है कि परस्पर-सम्बद्ध वस्तुओं की दशा में मूल्य (value) किस तरह निश्चित होता है। पहले सयुक्त-पूर्ति को ही लीजिए, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं का उत्पादन साथ-साथ होता है, तो उनकी पूर्ति सयुक्त मानी जाती है अथवा उसे सयुक्त उत्पादन कहते हैं। उदाहरण के लिए, गोश्त और ऊन, गेहूँ व भूसा; कपास व विनौला; कोयला व गैस आदि।

प्रत्येक वस्तु की पूर्ति व माग का साम्य उसका बाजार भाव निर्धारित करता है। जहाँ तक सामान्य कीमत (normal price) का सम्बन्ध है, वहाँ सयुक्त उत्पादन की वस्तुओं की कीमतों के योग से उन सब के उत्पादन की सीमान्त लागत (marginal cost of production) पूरी हो जानी चाहिए।

ऐसी स्थिति में या तो वे दोनों वस्तुएँ (यदि वे दो हो तो) एक ही अनुपात में भी बनती हैं, अथवा उनके अनुपात में भिन्नता भी हो सकती है। पहली स्थिति में तो एक वस्तु की कीमत के तनिक भी बढ़ने से दूसरे की कीमत तुरन्त गिरने लगेगी। पर शर्त यह है कि दूसरी वस्तु की माग में कोई परिवर्तन न हुआ हो। दूसरी स्थिति में क्योंकि अनुपात में भिन्नता हो सकती है, इसलिए एक वस्तु की कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि से दूसरी वस्तु की कीमत में उभी मात्रा में कमी नहीं होगी, जिस मात्रा में कि प्रथम उदाहरण में हुई थी।

उदाहरण, के लिए, मास व ऊन को ले लीजिये, जो भेड़ के सयुक्त उत्पादन (joint product) हैं। यदि ऊन की माग बढ़ जाय, तो उसकी कीमत में वृद्धि हो जायगी और ऊन का उत्पादन अधिक लाभदायक बन जायगा। फलस्वरूप ऊन के लिए अधिक भेड़ें पाली जायेंगी जिससे भेड़ के मास की पूर्ति बढ़ जायगी। यदि मास की माग स्थिर (constant) रहती है तो उसकी कीमत गिर जायगी। पर यदि किसी प्रकार

११ प्राप्ति के नियमों का मूल्य पर प्रभाव (The Influence of the Laws of Returns on Value)—यह देखा जा चुका है कि किसी निश्चित समय में मूल्य माग व पूर्ति के संबंध से निर्धारित होता है, पर दीर्घकाल में इसकी प्रवृत्ति, उत्पादन की सीमान्त लागत के बराबर होने की होती है। उत्पादन के नियम उत्पादन लागत पर और फलस्वरूप दीर्घकाल में मूल्य पर प्रभाव डालते हैं। अब देखना यह है कि उत्पादन के इन तीनों नियमों का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।

१ घटती हुई प्राप्ति का नियम (Law of Diminishing Returns)—यदि किसी उद्योग में इस नियम का प्रभाव हो तो जितना भी अधिक उत्पादन होगा, प्रति इकाई व्यय उतना ही अधिक होगा। इसके प्रतिकूल उत्पादन जितना ही कम होगा, व्यय भी उतना ही कम हो जायगा। यदि वस्तु की माग बढ़ जाती है, तो मूल्य भी बढ़ेगा और इससे पूर्ति में वृद्धि होगी। पर अतिरिक्त पूर्ति (additional supply) प्राप्त करने में औसत लागत बढ़ जायगी और इसलिए मूल्य बढ़े रहेंगे।

२ बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम (Law of Increasing Returns)—पर यदि उद्योग वृद्धि उत्पादन नियम के प्रभाव में है, तो अतिरिक्त पैदावार (additional output) अनुपात से कम लागत पर प्राप्त होगी। ऐसी दशा में मांग बढ़ जायगी तो पूर्ति कम लागत पर प्राप्त हो सकेगी। फलस्वरूप कीमत गिर जाएगी। माग के बढ़ने से कीमत में वृद्धि अवश्य होगी पर दीर्घ काल में जब पूर्ति भी बढ़ जायगी तब अन्त में कीमत में कमी हो जायगी। लेकिन यदि माग में वृद्धि हो तो इसके विलकुल विपरीत होगा। पर यदि माग कम हो जाती है, तो उत्पादन में भी कमी होगी, और बढ़ती हुई प्राप्ति नियम में इसका परिणाम यह होगा कि औसत लागत बढ़ जायगी। अस्तु, इस दशा में कीमत में पूर्ति के विपरीत परिवर्तन होता रहता है, अर्थात् अधिक पूर्ति पर कम कीमत और कम पूर्ति पर अधिक कीमत होगी।

३ प्राप्ति का स्थिर नियम (Law of Constant Returns)—प्राप्ति के स्थिर नियम की दशा में उत्पादन के हर परिमाण में लागत स्थिर रहती है। इसलिए यदि माग घटने-बढ़ने के कारण पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी करनी पड़ती है, तो उसका कोई प्रभाव कीमत पर नहीं पड़ता।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राप्ति (returns) के नियमों का प्रभाव केवल दीर्घकाल में ही होता है। या इसी को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि उत्पादन के नियम सामान्य मूल्य (normal value) को प्रभावित करते हैं, प्रचलित मूल्य (market value) को नहीं।

निर्देश पुस्तकें

Adam Smith—Wealth of Nations (Cannan's Edition)

Recardo—Principles of Political Economy and Taxation (Sraffa's Edition)

Jevons—The Theory of Political Economy (Third Edition)

p. 95 onwards

है। व्युत्पन्न माग उन पदार्थों व सेवाओं की होती है जिनके द्वारा वस्तु का उत्पादन होता है।

जब दो वस्तुएँ संपूरक होनी हों, जैसे फाउन्टेनपेन तथा स्याही, तो एक वस्तु (फाउन्टेनपेन) की माग में वृद्धि दूसरी (स्याही) की माग भी बढ़ा देगी। यदि एक की भी कीमत घट जायगी तो दोनों की माग में वृद्धि हो जायगी। इसके अर्थ यह है कि यदि फाउन्टेनपेन की कीमत घट जाती है तो स्याही की कीमत बढ़ जायगी क्योंकि उसकी माग भी बढ़ जायगी। इन कीमतों के बदलने की सीमा फाउन्टेनपेन की माग तथा स्याही की पूर्ति की लोच पर निर्भर होगी।

यह बात इस उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी। मान लीजिए कि मकानों की माग अचानक बढ़ जाने से उनकी कीमत बढ़ जाती है। मकानों की कीमतों में यह वृद्धि उनमें प्रयोग होने वाले पदार्थों की कीमत पर क्या प्रभाव डालेगी? इसका तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि मकान बनाने में प्रयोग होने वाले विभिन्न पदार्थों की माग बढ़ जाएगी। इससे उनकी कीमत में वृद्धि होगी। पर उनमें से प्रत्येक की कीमत की वृद्धि की मात्रा समान नहीं होगी क्योंकि प्रत्येक की पूर्ति की परिस्थितियाँ विभिन्न हैं। और यह भी सम्भव है कि उनके प्रयोग के अनुपात में परिवर्तन करके उनकी माग को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक की कीमत में वृद्धि को निर्धारित करने में बहुत सी परिस्थितियाँ काम करेगी। इनमें से मुख्य भाग की लोच व दुर्लभता की मात्रा (elasticity of demand and degree of scarcity) है। अस्तु—

(क) यदि अन्य बातें समान हों तो जो वस्तु अधिक दुर्लभ होगी, उसकी कीमत में वृद्धि होगी। (ख) यदि कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक बढ़ जाये तो उनके प्रयोग के अनुपात को कम किया जा सकता है। ऐसी दशा में कीमत की यह वृद्धि कुछ हद तक रोकी जा सकती है। कुछ वस्तुओं की वजाय दूसरी सस्ती चीजें मिल जाती हैं, जिनसे उनकी कीमत अधिक नहीं बढ़ पाती। (ग) यह भी हो सकता है कि मकान के कुछ पदार्थ वैकल्पिक प्रयोगों (alternative uses) में अधिक लाभदायक हों, और इसलिए यदि मकान मालिक उनकी अत्यधिक कीमत न दें तो ऐसी दशा में उनको दूसरे प्रयोगों में लाया जायगा और कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ जायेंगी। (घ) यदि किसी पदार्थ की लागत उत्पादित वस्तु की कुल लागत (total cost) से बहुत कम अनुपात में हो तो उसकी कीमत अधिक बढ़ सकती है क्योंकि इससे वस्तु की कीमत व फलस्वरूप उसकी माग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी अंगभूत (constituent) की कीमत (जैसे श्रम) मकान की लागत के अत्यधिक भाग के बराबर होगी तो उसकी कीमत अधिक नहीं बढ़ सकती क्योंकि इससे मकान की कीमत बढ़ जायगी व फलस्वरूप उसकी माग कम हो जायगी। माग की कमी कीमत को फिर गिरा देगी और इसका प्रभाव उस पदार्थ की कीमत अचानक बढ़ गयी थी, उल्टा पड़ेगा।

इसलिये, इस प्रकार की सभी वस्तुओं की कीमत उस वस्तु की, जिसके उत्पादन में इनका प्रयोग होता है, सीमान्त उपयोगिता द्वारा निश्चित होती है, दीर्घकाल में

ऐसी भडे प्राप्त हो जाती है जिनमे मास की अपेक्षा ऊन का उत्पादन अधिक हो सकता है तो ऊन की पूर्ति मास की पूर्ति में अब मात्रा में बढ़ाना अधिक सरल हो जायगा। ऐसी दशा में मास के दाम उतने नहीं गिरेगे, जितने कि पहले उदाहरण में गिर गये थे।

कुछ परिस्थितियों में किमी सयुक्त उत्पादन की वस्तु के विभिन्न मसूहों (different combinations) की तुलना कर के वस्तु की सीमान्त उत्पादन-लागत का अनुमान लगाया जा सकता है। मान लीजिये कि एक विशेष प्रकार की जाति की भडे के किमी समूह से एक निश्चित परिमाण में मांस प्राप्त होता है और एक दूसरी जाति के अधिक बड़े समूह से, जिसमें मांस की अपेक्षा ऊन अधिक निकलती है, अधिक मांस प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। अब इस अतिरिक्त खर्च (extra expense) से, जो अधिक भेड़ें पालन में किया जाता है, उससे अधिक ऊन प्राप्त की जा सकेगी। यही ऊन की सीमान्त लागत (marginal cost) होगी। इस प्रकार मांस की भी सीमान्त लागत का हिसाब लगाया जा सकता है।¹ जब वस्तुओं की सीमान्त लागत का अनुमान पृथक् रूप से लगाया जा सकता है, तो उनको कीमत का निर्धारण भी पृथक् रूप से होगा क्योंकि ऐसी दशा में इन वस्तुओं को पृथक् मान लिया जाता है।

१ सयुक्त उत्पादन आज की प्रणाली है (Joint Products are the Rule)—आजकल औद्योगिक तकनीक इतनी विकसित है कि बहुत कम वस्तुएं ऐसी हैं, जिनका उत्पादन पृथक् रूप से होता है। इनलिए अर्थशास्त्र के अध्ययन में सयुक्त उत्पादन का बड़ा महत्त्व है। वह उपोत्पाद (by-products) जो पूर्वकाल में फेंक दिये जाते थे, अब व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त हो रहे हैं। रेलों द्वारा सयुक्त लागत पर बहुत सी सेवाएं मिल रही हैं। ऐसी सेवाओं (अथवा माल) की कीमतों का निर्णय इस आधार पर होता है कि यातायात (traffic) क्या सहार सकता है ('What the traffic will bear')। यद्यपि उत्पादन लागत सयुक्त है पर उत्पादित वस्तुएं अनेक होती हैं, और हर प्रकार की वस्तु की पृथक् उत्पादन लागत का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। इसलिए इन वस्तुओं की कीमत सयुक्त पूर्ति के आधार पर निश्चित होती है।

२ सयुक्त माग (Joint Demand)—परस्पर सम्बन्धित माग दो प्रकार के सम्बन्ध प्रस्तुत करती है (1) सपूरक (complimentary) तथा (2) परिस्थापित (substitutive)। अब हम पहले सपूरक सम्बन्ध का अध्ययन करेंगे।

जिन वस्तुओं की मांग साथ-साथ होती है, उनकी माग को सयुक्त माग कहते हैं। मोटरकार व पेट्रोल, कलम व स्याही, टैनिंग वाल व रैकट आदि सयुक्त मागें हैं। इस सम्बन्ध में व्युत्पन्न माग (derived demand) के उदाहरण बहुत महत्त्वपूर्ण

हैं। व्युत्पन्न माग उन पदार्थों व सेवाओं की होती है जिनके द्वारा वस्तु का उत्पादन होता है।

जब दो वस्तुएँ अपूरक होती हैं, जैसे फाउन्टेनपेन तथा स्याही, तो एक वस्तु (फाउन्टेनपेन) की माग में वृद्धि दूसरी (स्याही) की माग भी बढ़ा देगी। यदि एक की भी कीमत घट जायगी तो दोनों की माग में वृद्धि हो जायगी। इसके अर्थ यह है कि यदि फाउन्टेनपेन की कीमत घट जाती है तो स्याही की कीमत बढ़ जायगी क्योंकि उसकी माग भी बढ़ जायगी। इन कीमतों के बदलने की सीमा फाउन्टेनपेन की माग तथा स्याही की पूर्ति की लोच पर निर्भर होगी।

यह बात इस उदाहरण में स्पष्ट हो जायगी। मान लीजिए कि मकानों की माग अचानक बढ़ जाने से उनकी कीमत बढ़ जाती है। मकानों की कीमतों में यह वृद्धि उनमें प्रयोग होने वाले पदार्थों की कीमत पर क्या प्रभाव डालेगी? इसका तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि मकान बनाने में प्रयोग होने वाले विभिन्न पदार्थों की माग बढ़ जाएगी। इसमें उनकी कीमत में वृद्धि होगी। पर उनमें से प्रत्येक की कीमत की वृद्धि की मात्रा समान नहीं होगी क्योंकि प्रत्येक की पूर्ति की परिस्थितियाँ विभिन्न हैं। और यह भी सम्भव है कि उनके प्रयोग के अनुपात में परिवर्तन करके उनकी माग को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक की कीमत में वृद्धि को निर्धारित करने में बहुत सी परिस्थितियाँ काम करेगी। इनमें से मुख्य माग की लोच व दुर्लभता की मात्रा (elasticity of demand and degree of scarcity) है। अस्तु—

(क) यदि अन्य बातें समान हों तो जो वस्तु अधिक दुर्लभ होगी, उसकी कीमत में वृद्धि होगी। (ख) यदि कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक बढ़ जाये तो उनके प्रयोग के अनुपात को कम किया जा सकता है। ऐसी दशा में कीमत की यह वृद्धि कुछ हद तक रोकी जा सकती है। कुछ वस्तुओं की वजाय दूसरी सस्ती चीजें मिल जाती हैं, जिनसे उनकी कीमत अधिक नहीं बढ़ पाती। (ग) यह भी हो सकता है कि मकान के कुछ पदार्थ वैकल्पिक प्रयोगों (alternative uses) में अधिक लाभदायक हों, और इसलिए यदि मकान मालिक उनकी अत्यधिक कीमत न दें तो ऐसी दशा में उनको दूसरे प्रयोगों में लाया जायगा और कीमते अप्रत्याशित रूप से बढ़ जायेंगी। (घ) यदि किसी पदार्थ की लागत उत्पादित वस्तु की कुल लागत (total cost) से बहुत कम अनुपात में हो तो उसकी कीमत अधिक बढ़ सकती है क्योंकि इससे वस्तु की कीमत व फलस्वरूप उसकी माग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी जगमूत (constituent) की कीमत (जैसे श्रम) मकान की लागत के अत्यधिक भाग के बराबर होगी तो उसकी कीमत अधिक नहीं बढ़ सकती क्योंकि इससे मकान की कीमत बढ़ जायगी व फलस्वरूप उसकी माँग कम हो जायगी। माग की कमी कीमत को फिर गिरा देगी और इसका प्रभाव उस पदार्थ पर जिसकी कीमत अचानक बढ़ गयी थी, उल्टा पड़ेगा।

इसलिये, इस प्रकार की सभी वस्तुओं की कीमत उस वस्तु की, जिसके उत्पादन में इनका प्रयोग होता है, सीमान्त उपयोगिता द्वारा निश्चित होती है, दीर्घकाल में

हर वस्तु का उपयोग इतनी मात्रा में होना चाहिये कि उसकी सीमान्त उत्पादन-लागत समान हो जाय। अधिकतर उनमें से प्रत्येक की व्यक्तिगत रूप से सीमान्त उपयोगिता पृथक् करना सम्भव नहीं होता।

कुछ परिस्थितियों में सयुक्त माग वाली किसी वस्तु की सीमान्त उपयोगिता का अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है कि उसके ऐसे प्रयोग वाले दो उपयोग लिये जायें, जिनमें उसके परिमाण का प्रयोग भिन्न अनुपातों में होता हो और दूसरी वस्तुओं का अनुपात स्थिर हो। हेन्डरसन (Henderson) के शब्दों में "हम उत्पादन के विभिन्न अंशों के अनेक संपूर्ण ले सकते हैं और उनमें से ऐसे दो समूहों की तुलना कर सकते हैं जिनमें एक अंश की विभिन्न मात्राएँ दूसरे अंशों की समान मात्राओं के साथ प्रयोग की जा रही हों। ऐसी दशा में वह अतिरिक्त उत्पादन, जो भिन्न अनुपात वाले अंश के उस प्रयोग से हुआ, जिसमें उसकी अधिक मात्रा लगी थी, उस अंश की अतिरिक्त मात्रा का सीमान्त उत्पादन (सीमान्त उपयोगिता) समझा जायगा। हम कह सकते हैं कि इस अंश का प्रयोग उस बिन्दु तक बढ़ता जायगा जहाँ पर कि यह सीमान्त उत्पादन उसकी कीमत के लगभग बराबर होगा।"^१

सारांश यह है कि उत्पादित वस्तु की कीमत किसी निश्चित समय में उसकी पूर्ति से सम्बन्धित मांग पर निर्भर करती है, पर दीर्घकाल में इसकी कीमत इस प्रकार व्यवस्थित हो जानी चाहिये कि जिससे सके उत्पादन में प्रयुक्त विभिन्न अंशों की कीमतें पूरी हो जायें।

स्थानापन्न वस्तुएँ (substitutes) जैसे चाय तथा कॉफी में एक की कीमत में वृद्धि से दूसरे की मांग बढ़ जायगी। फलस्वरूप दूसरे की कीमत भी बढ़ जायगी। कीमत के गिरने से उल्टा प्रभाव पड़ेगा। मिश्रित-लोच (Cross elasticity) का सामान्य विचार इस सबंध को बताने का मार्ग-दर्शक है। स्थानापन्न वस्तुओं के सबंध में मिश्रित-लोच निम्नलिखित नियम से जानी जा सकती है —

$$\text{मि लो} = \frac{\text{च की मात्रा में सम्बन्धित परिवर्तन}}{\text{क की कीमत में सम्बन्धित परिवर्तन}}$$

मि लो = मिश्रित लोच, च = चाय तथा क = कॉफी

क्या कोई अग सयुक्त मांग में अपनी पूर्ति रोक कर पारिश्रमिक बढ़ा सकता है ?

यदि उत्पादन का यह अंश अत्यन्त आवश्यक है तो इसका पारिश्रमिक अवश्य बढ़ जायगा क्योंकि इसके बिना उत्पादन कार्य ही बन्द हो जायगा। उसकी पूर्ति का विरोध उत्पादन बन्द कर देगा। फलस्वरूप उत्पादित वस्तु जैसे (मकान) की कीमत में वृद्धि होना अवश्यम्भावी है। ऐसी दशा में यह कीमत दूसरे साधनों की लागत से अधिक हो जायगी और इन्हीं अतिरिक्त लाभ में से ही निरोधित साधन (श्रमिकों का एक विशिष्ट समुदाय) को चकाया जायगा, "मार्शल" ने इस व्युत्पन्न माग के नियम (Law of Derived Demand) की व्याख्या इस प्रकार की है —

“वह कीमत जो उत्पादित वस्तु के किसी साधन को दी जायगी, सदैव उस अन्तर तक सीमित रहैगी, जो कि उस कीमत में, जिस पर कि वस्तु का विक्रय हो सकता है व उन कीमतों का योग, जिन पर दूसरे साधनों की पूर्ति होनी है” प्रयोग के लिए मिल सकती है।

कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जिनमें श्रमिकों का एक समूह अपनी पूर्ति रोक कर अपनी मजदूरी बढ़ाने में सदैव सफल रहता है। यह भी तयुक्त माग की स्थिति है। वह परिस्थितियाँ ये हैं — (१) उत्पादित वस्तु (मकान) की माँग, जिसमें ऐसे मनुष्यों की सेवायें प्रयोग में लाई जाती हैं, लोचहीन (inelastic) होनी चाहिये। (२) ऐसे समूह की सेवायें अति आवश्यक हो तथा उनका स्थानापन्न न हो सके। (३) यह भी आवश्यक है कि उनकी मजदूरी कुल मजदूरी का थोड़ा भाग हो। ऐसी दशा में उद्यमी उनकी माग को स्वीकार कर सकेगा। (४) माघ ही माघ दूसरे साधनों की माँग लोचपूर्ण व पूर्ति लोचहीन हो, जिससे कि माँग में तनिक हकावट भी उसकी पूर्ति की कीमत को गिरा दे। इससे असहयोगी अंश (non-cooperating factor) अपना पारिश्रमिक बढ़ा सकेगा।

३. सामासिक पूर्ति (Composite Supply) — जिन वस्तुओं की पूर्ति कई वैकल्पिक साधनों द्वारा हो सकती है उनकी पूर्ति को ‘सामासिक पूर्ति’ कहते हैं, क्योंकि उनकी पूर्ति का निर्माण विभिन्न साधनों से प्राप्त पूर्ति द्वारा होता है। उदाहरण के लिए नमक खानों से भी प्राप्त हो सकता है और समुद्र के पानी से भी सुखाकर बनाया जा सकता है। पर इसके सबसे अच्छे उदाहरण स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अधिक विस्तृत रूप से देखा जाय तो हमें ज्ञात होगा कि उपभोक्ता की माग के अन्तर्गत सब वस्तुएं परस्पर प्रतियोगी होती हैं क्योंकि वह एक वस्तु के वजाय किसी समय भी किसी दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकता है। यहाँ हम पेय पदार्थों में केवल चाय, कहवा व दूध, खाद्य पदार्थों में माँस व मछली व अनाजों में गेहूँ व चावल जैसी स्थानापन्न वस्तुओं का ही अध्ययन अधिक ध्यान से करेंगे। परन्तु उनमें से प्रत्येक की कीमत दूसरे की कीमत पर सबधित है, वह साथ ही साथ घटती-बढ़ती है। अस्तु, यदि गेहूँ के दाम बढ़ जायेंगे तो लोग चावल या अन्य निम्न कीटि के अनाजों का उपभोग करने लगेंगे। फलस्वरूप इन स्थानापन्न वस्तुओं की माग बढ़ जाने के कारण उनकी कीमत भी बढ़ जायेगी। इसके विपरीत गेहूँ की कीमत में कमी होने से स्थानापन्न वस्तुओं की माग गिर जायेगी और परिणाम यह होगा कि उनकी कीमतों में भी कमी हो जायेगी। सब स्थानापन्न वस्तुओं की कुल पूर्ति उनकी कुल माँग के अनुसार प्रत्येक की कीमत निश्चित करेगी।

उनकी कीमत एक दूसरे से लगभग एक स्थिर ‘दूरी’ पर घटा या बढ़ा करती हैं, ऐसी वस्तुओं में से प्रत्येक की कीमत दीर्घकाल में उस बिन्दु पर व्यवस्थित हो जाती है, जहाँ उसके उत्पादन की सीमान्त लागत उपभोक्ताओं के लिए सीमान्त उपयोगिता

के समान होती है।

४ सामासिक माँग (Composite Demand)—जिस वस्तु के एक से अधिक उपयोग होते हैं उसकी माँग सामासिक होती है। उसकी सम्मिलित माँग का निर्माण उसके विभिन्न उपयोगों की माँग से होता है। उदाहरण के लिए कोयले का प्रयोग रेलवे इंजन में, कारखानों में, कमरों को गरम करने में तथा खाना पकाने में होता है। इन विभिन्न उपयोगों में कोयले की कीमत लगभग समान रहती है। उदाहरण के लिए, यदि रेलवे में कोयले की माँग बढ़ जाती है, तो तमाम कोयला रेलवे में जाने लगेगा। परिणामस्वरूप दूसरे उपयोगों में उसकी पूर्ति कम हो जायगी जिससे उन प्रयोगों में भी उसकी कीमत बढ़ जायगी। इसलिए सामासिक माँग वाली वस्तुओं की कीमत विभिन्न प्रयोगों में, उनकी सीमान्त उपयोगिता द्वारा निर्धारित होती है क्योंकि वस्तु एक प्रयोग से हटाकर दूसरे प्रयोग में लाई जा सकती है। दीर्घकाल में इनकी कीमत इतनी होनी चाहिये जिससे कि उनकी सीमान्त उत्पादन की लागत पूरी हो सके।

निर्देश पुस्तकें

Henderson, H D — Supply and Demand

Clark, J M — Economics of Overhead Costs, 1923, Ch XI, pp - 216, 232

Stigler, G J — Theory of Price

एकाधिकार में मूल्य

(VALUE UNDER MONOPOLY)

१ एकाधिकार कीमत निश्चित करना (Fixing Monopoly Price)

—पिछले तीन अध्यायों में मूल्य अथवा कीमत का अध्ययन करते समय हमने यह मान लिया था कि ग्राहकों व विक्रेताओं, दोनों के बीच पूर्ण प्रतियोगिता (perfect competition) पाई जाती है। पर इस अध्याय में हम इसके प्रतिकूल स्थितियों का अध्ययन करेंगे अर्थात् एकाधिकार का। विस्तृत अर्थ में एकाधिकार शब्द का प्रयोग "पूर्ति अथवा माग किसी भी दृष्टिकोण से किये गये वस्तु तथा सेवा की कीमत के नियन्त्रण के लिए होता है। पर सकुचित रूप में इसका आशय व्यापारियों अथवा उत्पादकों के उस सब से होता है, जो वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति की कीमत को नियन्त्रण करता है।"^१

प्रत्येक विक्रेता व उत्पादक अधिक से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करता है। चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता में, कीमत सीमान्त लागत के बराबर होती है, इसलिए उत्पादकों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, जो लागत का एक अंग होता है। पर एकाधिकार की स्थिति में एकाधिकारी में सामान्य से अधिक लाभ कमाने की शक्ति होती है। अपनी वस्तु को सीमान्त उत्पादन व्यय से अधिक दामों पर बेचकर वह यह लाभ प्राप्त करता है। सीमान्त लागत तथा कीमत के बीच का यह अन्तर ही एकाधिकार शक्ति की मात्रा का माप है।

यह तो स्पष्ट है कि कोई भी एकाधिकारी पैदावार की मात्रा व कीमत दोनों ही निश्चित नहीं कर सकता। वह या तो एक निश्चित मात्रा में पैदावार करके यह प्रतीक्षा करता है कि माग की शक्ति उसकी वस्तु की कीमत निर्धारित करे, अथवा कीमत निश्चित कर वह माग के लोच पर छोड़ देता है कि उत्पादन किस परिमाण में हो। अधिकतर एकाधिकारी दूसरा रास्ता अपनाता है।

अब प्रश्न यह है कि एकाधिकारी के लिए कौन-सी कीमत सबसे अधिक लाभप्रद होगी। सैद्धांतिक दृष्टि से तो वह ऐसी ही कीमत निश्चित करेगा जिससे लाभ सर्वाधिक हो। शुद्ध एकाधिकार सीमित करने वाला है।^२ उसकी आय स्थिर होती है जोकि उपभोक्ताओं की मरम्मत आय के बराबर होती है। यदि उसकी कुल लागत सबसे कम है तो उसका एकाधिकार लाभ अधिकतम होगा। वह इतना शक्तिशाली होता है कि अपने उत्पाद के छोटे से भाग को भी बहुत अधिक ऊँची कीमत पर बेच सकता है।

1 Thomas Op Cit p 215

2 Sec Ch XV, Section 1.

किन्तु ऐसी स्थिति वास्तव में व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है। वास्तव में यह आवश्यक नहीं है कि एकाधिकार कीमत अत्यधिक ऊँची या नीची हो। यदि एकाधिकारी कीमत को बहुत अधिक बढ़ा देगा तो वस्तु की बहुत थोड़ी इकाइयाँ विक्रिगी। साथ ही यदि कीमत बहुत कम होगी तो उसे प्रति इकाई बहुत कम लाभ होगा। इसलिए उसे कीमत इस प्रकार निश्चित करनी चाहिये, जिससे कि प्रति इकाई पर एकाधिकारी का लाभ बेची हुई इकाइयों से गुणा करके योग अधिकतम हो। इसी बात को दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एकाधिकारी को अधिकाधिक लाभोपार्जन के निमित्त "वस्तु के उत्पादन व विक्रय को तब तक शून्य इकाइयों से परे बढ़ाते रहना चाहिये जब तक कि एक इकाई की वृद्धि से आय का योग इस एक इकाई के बढ़ जाने से कुल लागत के बराबर न हो जाय।"¹ दूसरे शब्दों में एकाधिकारी को उस बिन्दु तक अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहिये, जहाँ कि सीमान्त राजस्व सीमान्त लागत के समान हो जाय।

२. सीमान्त राजस्व व सीमान्त लागत की साम्यता (Equalisation of Marginal Revenue and Marginal Costs)—सीमान्त-लागत क्या होती है, इसकी व्याख्या की जा चुकी है। सीमान्त लागत वह लागत है जो अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से उत्पादन की कुल लागत में जोड़ने से प्राप्त होती है। इसी प्रकार सीमान्त राजस्व वह आगम है, जो अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आय को एकाधिकार के कुल आगम में जोड़ देने में प्राप्त होती है। इससे यह स्पष्ट है कि जब तक उत्पादित व विक्रय की गई अतिरिक्त इकाई से लागत की अपेक्षा आय अधिक बढ़ती है, तब तक एकाधिकारी को अपना उत्पादन व विक्रय बढ़ाने में लाभ होगा। इसके विपरीत होने पर उत्पादन कम करना ही लाभप्रद होगा। जिस बिन्दु पर सीमान्त लागत व सीमान्त राजस्व समान होते हैं, वह अनुकूलतम उत्पादन है, अर्थात् वह, जो सर्वाधिक एकाधिकारी लाभ प्रकट करता है। यह बिन्दु कहा होगा, यह माग व व्यय की सूची पर निर्भर होगा। नीचे इसी का सुगम अंकित उदाहरण दिया जा रहा है —

(१) कीमत (₹०)	(२) मागी गई इकाइयाँ (दर्जन)	(३) कुल राजस्व (₹०)	(४) सीमान्त राजस्व (₹०)	(५) पूति की इकाइयाँ (दर्जन)	(६) कुल लागत (₹०)	(७) औसत लागत (₹०)	(८) सीमान्त लागत (₹०)
१	१	९	९	९	८१	९	१७
८	२	१८	७	८	६४	८	१५
७	३	२७	५	७	४९	७	१३
६	४	३६	३	६	३६	६	११
५	५	४५	१	५	२५	५	९
४	६	५४	-१	४	१६	४	७
३	७	६३	-३	३	९	३	५
२	८	७२	-५	२	४	२	३
१	९	८१	-७	१	१	१	१

पीछे की तालिका में कीमतें, मागी गई इकाइया, पूर्ति की हुई इकाइया तथा कुल लागत का अनुमान दिया गया है। अन्य अंक इस प्रकार प्राप्त हुए हैं —

- (क) कुल राजस्व = कीमत \times मागी गई इकाइयाँ ।
 (ख) सीमान्त राजस्व १ इकाई का कुल राजस्व ९ है, २ इकाइयों का १६ है, ३ इकाइयों का सीमान्त राजस्व १६-९=७ है, और आगे भी यह क्रम इसी प्रकार चलेगा ।
 (ग) औसत लागत कुल लागत—पूर्ति की इकाइयाँ
 (घ) सीमान्त लागत : ८ इकाइयों की लागत ६४ है ।
 ९ " " ८१ है ।

• ९ इकाइयों की सीमान्त लागत ८१-६४=१७ होगी ।

यदि हम यह मान लें कि एक दर्जन की इकाई को भंग नहीं किया जा सकता, तो यदि तीन इकाइया उत्पादित करके बेची जायें तो एकाधिकारी का लाभ अधिकतम होगा, क्योंकि यही वह बिन्दु है जहाँ सीमान्त लागत व सीमान्त राजस्व समान होता है। अस्तु—

इकाइया (Units)	कुल आगम (Total Revenue) (₹०)	कुल लागत (Total Cost) (₹०)	शुद्ध एकाधिकारी राजस्व (Net Monopoly revenue) (कुल राजस्व—कुल व्यय)
१	९	१	८
२	१६	४	१२
३	२१	९	१२
४	२४	१६	८
५	२५	२५	०
६	२४	३६	—१२
७	२१	४९	—२८
८	१६	६४	—४८
९	९	८१	—७२

उपर्युक्त दृष्टांत में तीन इकाइयों का एकाधिकारी राजस्व सर्वाधिक है। दो इकाइयों का भी सर्वाधिक है। यदि इकाई भंग की जा सकती तो यह गणित की अशुद्धि नहीं होती। वास्तव में ऊपर की परिस्थितियों में सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन २½ इकाइया अर्थात् २ व ३ इकाइयों के मध्य में होना चाहिये।

३. सीमान्त राजस्व तथा औसत राजस्व (Marginal Revenue and Average Revenue)—सीमान्त आगम को औसत आगम से भिन्न किया जा सकता है। यह ध्यान में रखना चाहिये कि म म (माग) वक्र को औ रा (औसत राजस्व) वक्र भी कहा जा सकता है क्योंकि यह एक इकाई की औसत कीमत जिस पर कि वस्तु की भिन्न-भिन्न मात्राएं बेची जा सकती हैं, प्रस्तुत करती है, तथा ग्राहक की दी हुई कीमत विक्रेता के दृष्टिकोण से राजस्व है। अतएव औसत राजस्व सामान्य

मांग की अवस्थाएं (demand conditions)

लागत अवस्थाएं (cost conditions)

पूर्ण व अपूर्ण प्रतियोगिता में समान मांग ली गई इकाइयाँ	पूर्ण प्रतियोगिता				अपूर्ण प्रतियोगिता					
	(क) उत्पादन की इकाइयाँ	(ख) औसत व्यय	(ग) कुल व्यय	(घ) सीमात व्यय	(च) मांग की कीमत	(छ) कुल प्राप्ति	(ज) सीमात राजस्व	(झ) मांग की कीमत	कुल प्राप्ति	सीमात राजस्व
१	१५	१०	१५	१०	१०	१०	१०	१४	१४	१४
२	१४	८	२९	६	१०	२०	१०	१४	२८	१३
३	१३	८	४०	८	१०	३०	१०	१३	४०	१२
४	१२	१०	५०	८	१०	४०	१०	१३	५२	११
५	११	१४	५९	८	१०	५०	१०	१२	६२	१०
६	११	४	६७	८	१०	६०	१०	१२	७२	९
७	१०	१२	७५	७	१०	७०	१०	११	८०	८
८	१०	६	८३	७	१०	८०	१०	११	८८	७
९	१०	२	९१	८	१०	९०	१०	१०	९४	६
१०	१०	०	१००	८	१०	१००	१०	१०	१००	५
११	१०	०	११०	१०	१०	११०	१०	९	१०४	४
१२	१०	२	१२१	११	१०	१२०	१०	९	१०८	३
१३	१०	६	१३४	१३	१०	१३०	१०	८	११०	२
१४	१०	१२	१५०	१५	१०	१४०	१०	८	११२	१
१५	११	४	१६८	१८	१०	१५०	१०	७	११२	०
१६	११	१४	१९०	२१	१०	१६०	१०	७	११२	०

तालिका से यह प्रकट होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में माग की कीमत (कालम च) स्थिर रहती है, क्योंकि किसी फर्म में उत्पादन बढ़ जाने से कीमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। प्रतियोगिता में उत्पादक के लिए माग कीमत स्थिर रहने के कारण सीमान्त राजस्व भी स्थिर रहता है। अस्तु, उत्पादन का विस्तार उस बिन्दु (११ इकाइयों) तक होगा, जहाँ सीमान्त लागत माग कीमत के बराबर होगी।


अपूर्ण प्रतियोगिता में जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है (कालम झ) माग की कीमत गिरती जाती है। ऐसी दशा में सीमान्त राजस्व भी कम होने लगता है, यहाँ तक कि वह ऋणात्मक (negative) हो जाता है। इस परिस्थिति में ७ इकाइयों पर उत्पादक को उत्पादन का विस्तार बन्द कर देना होगा। यदि वह अधिक उत्पादन करेगा तो उसकी सीमान्त लागत सीमान्त राजस्व से अधिक हो जायगी। ७ इकाइयों पर यह दोनों लगभग बराबर हैं।

यह बात विचारणीय है कि प्रतियोगिता में उत्पादक के लिए सीमान्त-प्राप्ति (marginal receipts) व सीमान्त राजस्व एक ही बात है। पर अपूर्ण प्रतियोगिता वाले उत्पादक-एकाधिकारी के लिए यह दोनों एक अर्थ नहीं रखते। ७ इकाइयों तक माग कीमत सीमान्त लागत से अधिक है।

यदि माँग की लोच (औसत राजस्व) वक्र एकता (unity) से कम है तो कोई भी एकाधिकारी अपनी पैदावार निश्चित नहीं करेगा जब तक सीमान्त लागत नकारात्मक (negative) न हो जाए। चूँकि जहाँ लागते क्रियात्मक (positive) हैं वहाँ पैदावार में वृद्धि का अर्थ होगा कि उसके कुल राजस्व (प्राप्ति-receipts) में उसकी लागत से कम वृद्धि होगी। मान लीजिए कि लोच एक है (अर्थात् माग कीमत में परिवर्तन के अनुपात के अनुसार बढ़ती है), एकाधिकारी अपनी पैदावार का निश्चय तब तक नहीं करेगा जब तक सीमान्त लागत शून्य नहीं हो जाती। चूँकि एकाधिकारी की कीमतें क्रियात्मक होती हैं, इसलिए दोनों स्थितियाँ असम्भव हैं।

“एकाधिकारी की साम्यावस्था स्थिति वही होगी जहाँ उसकी वस्तु की माग की लोच एक से बड़ी है। चूँकि ऐसी स्थिति में ही एकाधिकारी के लिए क्रियात्मक सीमान्त लागत यह जानना सम्भव होगा कि यदि वह पैदावार घटा दे तो लागत की अपेक्षा कहीं राजस्व अधिक कम होता है। यदि लोच एक से अधिक नहीं होती तो पैदावार में कमी से लाभ में सदैव वृद्धि होगी।”

स्टोनियर तथा हेग द्वारा (अपनी पुस्तक जिसका वर्णन २८९ पृष्ठ पर किया गया



रेखा चित्र न० ५८

है) निम्नलिखित रेखा चित्र का निरूपण किया गया है, जिससे सब बात स्पष्ट हो जाती है.—

र से आगे, लोच एकता (unity) से कम है, र तथा र' के बीच यह एकता है, और 'र' के बाईं ओर यह एकता से अधिक है। एकाधिकारी र' के बाईं ओर अपनी पैदावार की मात्रा निश्चित करेगा। पैदावार अ म तब होगी जहाँ सीमान्त राजस्व सीमान्त लागत के बराबर होगा।

५ प्राप्ति नियम, माग की लोच तथा एकाधिकार कीमत (Laws of Returns, Elasticity of Demand and Monopoly Price) — हम पहले के एक अध्याय में देख चुके हैं कि किसी वस्तु की इकाइया अतिरिक्त प्रति इकाई स्थिर लागत, वृद्धि लागत अथवा ह्रास लागत (constant, increasing and decreasing costs) पर उत्पादित की जा सकती है। अब प्रश्न यह है कि एकाधिकार मूल्य के सिद्धान्त में यह बात क्या परिवर्तन कर देती है। एकाधिकार की कीमत निश्चित करने के सिद्धान्त में कोई परिवर्तन नहीं होता। एकाधिकारी हर दशा में यही प्रयत्न करेगा कि ऐसी कीमत निश्चित हो या इतना उत्पादन किया जाय कि एकाधिकार राजस्व सर्वाधिक हो। और ऐसा करने के लिए वह उत्पादन का विस्तार तब तक करता रहेगा जब तक कि उसकी सीमात लागत सीमात राजस्व के बराबर न हो जायगी। इसमें वह सफल भी होगा। यह स्थिति कम उत्पादन पर पैदा होगी, अथवा अधिक उत्पादन पर इसका निर्णय प्राप्ति नियम व माग की लोच मिल कर करेंगे।

प्रत्येक दशा में एकाधिकारी को दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा —

(क) एकाधिकारी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीमान्त लागत का बढ़ते हुए उत्पादन से क्या सम्बन्ध है, अर्थात् उत्पादन प्राप्ति के किस नियम (law of return) के अन्तर्गत हो रहा है।

(ख) उपभोक्ताओं की माग की लोच की क्या दशा है। अस्तु . . .

(1) यदि पदार्थ का उत्पादन स्थिर प्राप्ति नियम के अनुसार हो रहा है, तो इस बात का निर्णय कि उत्पादन बढ़ाया जाय अथवा कम किया जाय, माग की लोच करेगी, क्योंकि ऐसी दशा में प्रति इकाई लागत स्थिर होती है। यदि माग अत्यधिक लोचदार होगी तो एकाधिकारी को अपना उत्पादन बढ़ा कर कीमत कम कर देने से अत्यधिक लाभ होगा। पर यदि माग लोचहीन होगी तो उसे पूर्ति कम करके कीमत में वृद्धि लाने से लाभ होगा।

(ii) यदि उत्पादन घटती हुई प्राप्ति के नियम के अन्तर्गत हो रहा हो, तो एकाधिकारी को उत्पादन में वृद्धि करके कम कीमत पर विक्रय करने से लाभ होगा। उसका उत्पादन सबसे कम उस समय होगा जब बढ़ती लागत की दशा में (घटती हुई प्राप्ति की अवस्था में) इसका मेल बेलोचदार माग से होगा।

(iii) यदि वस्तु बढ़ती हुई प्राप्ति की दशा में पैदा की जा सकती है तो एकाधिकारी के लिए यह लाभदायक होगा कि पैदावार को बढ़ाए और कीमत गिरा दे। उसकी पैदावार (output) सबसे अधिक उस समय होगी जब घटती लागत पर तैयार किए गए माल (अर्थात् बढ़ती हुई प्राप्ति में) का मेल लोचदार माग से होगा।

६. एकाधिकार मूल्य के सिद्धांत का सारांश (Theory of Monopoly Value summed up)—इस प्रकार एकाधिकारी की परिस्थिति में मूल्य के निर्णय के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। चूँकि अपूर्ण प्रतियोगिता में भी एकाधिकार की कुछ मात्रा होती है, इसलिए अपूर्ण प्रतियोगिता में भी यह निष्कर्ष लागू होते हैं —

(क) पूर्ण प्रतियोगिता की भाँति एकाधिकार में भी कीमत का निर्धारण माग व पूर्ति की शक्तियाँ ही करती हैं। परन्तु केवल इतना है कि एकाधिकारी पूर्ति में इच्छानुसार वृद्धि अथवा कमी ला सकता है। ऐसा करने के लिए उसके पास दो उपाय हैं : (i) कीमत को निश्चित करके वस्तु को उपभोक्ताओं की माग के अनुसार विक्रय के लिए छोड़ देना। (ii) वस्तु के उत्पादन तथा विक्रय का परिमाण निश्चित करके कीमत का निर्धारण पूर्ति से सम्बन्धित माग पर छोड़ देना। पर कोई भी एकाधिकारी दोनों बातें एक साथ नहीं कर सकता।

(ख) यदि एकाधिकारी कम कीमत रखे तो वह अधिक इकाइयों का विक्रय कर सकता है। यदि वह वस्तु की कीमत अधिक रखता है तो उसे प्रति इकाई आय तो अवश्य अधिक होगी, पर विक्रय कम इकाइयों का होगा। इसका माँग पर क्या प्रभाव होगा, यह वस्तु की माँग की लोच पर निर्भर करता है। यदि माँग लोचहीन होगी तो वह कीमत अधिक रखेगा, पर यदि माँग लोचपूर्ण होगी तो कम कीमत ही उसके लिए सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करेगी।

(ग) एकाधिकारी सदैव अपने राजस्व को अधिक से अधिक करना चाहता है। इसलिए वह कीमत इस प्रकार निश्चित करेगा कि उसके लिए प्रति इकाई राजस्व व विक्रय की गई इकाइयों का गुणनफल सर्वाधिक हो।

(घ) यदि एकाधिकारी को वस्तु की प्राप्ति में कुछ भी व्यय न करना पड़ा हो तो वह विक्रय को इतना बढ़ावेगा कि उसकी सीमान्त प्राप्ति (receipts) शून्य हो जाय। ऐसा इसलिए होगा कि वस्तु पर कुछ व्यय न होने के कारण क्रियात्मक सीमान्त प्राप्ति (positive marginal receipts) की मात्रा उसके एकाधिकार राजस्व को बढ़ा देगी।

(च) यदि वस्तु के उत्पादन में उत्पादन की लागत सम्मिलित हो, तो एकाधिकारी केवल वस्तु की उस मात्रा का उत्पादन करेगा, जिससे प्राप्त सीमान्त प्राप्ति (receipt) सीमान्त उत्पादन लागत के बराबर हो। यदि वह पहले रुक जाता है तो उत्पादन में थोड़ी वृद्धि से कुल लागत की अपेक्षा कुल राजस्व अधिक बढ़ जायगा। अतएव उत्पादन के बढ़ने से कुल शुद्ध लाभ भी बढ़ जायगा। यदि वह सीमान्त राजस्व तथा सीमान्त लागत के साम्य (equilibrium) के बिन्दु के आगे उत्पादन करता है, तो उत्पादन में कमी होने से कुल राजस्व की अपेक्षा कुल लागत में अधिक कमी हो जायगी। इस प्रकार जब सीमान्त राजस्व सीमान्त लागत के बराबर हो जायगा, तो एकाधिकार लाभ अधिकतम होगा। यह बात हर समय लागू होगी चाहे उत्पादन के किसी भी नियम के अनुसार हो। लोचहीन माग की दशा में यदि उत्पादन घटती नियम

के अन्तर्गत हो रहा हो तो उत्पादन की मात्रा सबसे कम होगी। पर यदि उत्पादन में वृद्धि नियम लागू हो, और माग लोचपूर्ण हो तो उत्पादन की यह मात्रा सर्वाधिक होगी। पहले उदाहरण में कम उत्पादन व अधिक कीमत से लाभ अधिक होगा, पर दूसरे उदाहरण में अधिक उत्पादन और कम कीमत से एकाधिकारी को अधिकाधिक लाभ (एकाधिकार राजस्व) प्राप्त होगा।

(छ) पूर्ण प्रतियोगिता में “सीमान्त प्राप्ति” व विक्रय कीमत समान होती है। इसका कारण यह है कि ऐसी दशा में विश्रेता की कम या अधिक विक्री का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर एकाधिकार (व अपूर्ण प्रतियोगिता) में अनुकूलतम (Optimum) उत्पादन के समय सीमान्त प्राप्ति विक्रय कीमत से कम होती है क्योंकि इन परिस्थितियों में विक्रय में वृद्धि से विक्रय कीमत गिर जाती है।


(ज) पर यदि सब बातें समान रहें तो एकाधिकारी व अपूर्ण प्रतियोगिता के उत्पादन का अनुकूलतम उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति में उत्पादन करने वालों की अपेक्षा कम मात्रा में होगा। इसका कारण यह है कि इससे पहले कि सीमान्त लागत विक्रय कीमत के बराबर हो जाय, अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पादन बन्द हो जाता है। पर प्रतियोगिता में उत्पादक उस समय तक विक्रय में विस्तार कर सकता है, जब तक उसकी सीमान्त-लागत तत्कालीन बाजार भाव के बराबर न हो जाय।

(झ) यह याद रखना आवश्यक है कि जिस परिवर्तनशील सप्ताह में हम रहते हैं उसमें माग तथा लागत की दशाओं में परिवर्तन का ठीक अनुमान लगाना असम्भव है। एक एकाधिकारी अधिकतम उत्पादन के बिन्दु का ठीक पता नहीं लगा सकता। कीमत निर्धारण में महत्त्वपूर्ण साधन सही माग नहीं वरन् एकाधिकारी का सही माग का अनुमान है। उत्पादन तथा कीमत में छोटे २ एकीकरण से तथा परीक्षा और गलती करके वह अनुकूलतम पैदावार प्राप्त कर सकता है। पर अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है और आज का अनुकूलतम भविष्य के लिए केवल मार्गदर्शक ही सिद्ध होता है।

७ एकाधिकार कीमत निर्धारण का रेखाचित्र द्वारा निरूपण (Diagrammatic Representation of the Determination of Monopoly Price)

रेखा चित्र ५९ में एकाधिकार उत्पादन तथा कीमत का एकीकरण बढ़ती हुई प्राप्ति नियम अथवा घटती लागत नियम के अन्तर्गत प्रस्तुत करता है।^१

ओ अ माग वक्र या औसत राजस्व वक्र है, स अ सीमान्त राजस्व वक्र है, क इ औ ल कुल इकाइयों का औसत लागत वक्र है, तथा स ल सीमान्त लागत वक्र है। प वह बिन्दु है जहा पर सीमान्त राजस्व



रेखा चित्र नं० ५९—घटती हुई लागत


के अन्तर्गत हो रहा हो तो उत्पादन की मात्रा सबसे कम होगी। पर यदि उत्पादन में वृद्धि नियम लागू हो, और माग लोचपूर्ण हो तो उत्पादन की यह मात्रा सर्वाधिक होगी। पहले उदाहरण में कम उत्पादन व अधिक कीमत से लाभ अधिक होगा, पर दूसरे उदाहरण में अधिक उत्पादन और कम कीमत से एकाधिकारी को अधिकाधिक लाभ (एकाधिकार राजस्व) प्राप्त होगा।

(छ) पूर्ण प्रतियोगिता में “सीमान्त प्राप्ति” व विक्रय कीमत समान होती है। इसका कारण यह है कि ऐसी दशा में विक्रेता की कम या अधिक विक्री का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर एकाधिकार (व अपूर्ण प्रतियोगिता) में अनुकूलतम (Optimum) उत्पादन के समय सीमान्त प्राप्ति विक्रय कीमत से कम होती है क्योंकि इन परिस्थितियों में विक्रय में वृद्धि से विक्रय कीमत गिर जाती है।

(ज) पर यदि सब बातें समान रहें तो एकाधिकारी व अपूर्ण प्रतियोगिता के उत्पादन का अनुकूलतम उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति में उत्पादन करते वालों की अपेक्षा कम मात्रा में होगा। इसका कारण यह है कि इससे पहले कि सीमान्त लागत विक्रय कीमत के बराबर हो जाय, अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पादन बन्द हो जाता है। पर प्रतियोगिता में उत्पादक उस समय तक विक्रय में विस्तार कर सकता है, जब तक उसकी सीमान्त-लागत तत्कालीन बाजार भाव के बराबर न हो जाय।

(झ) यह याद रखना आवश्यक है कि जिस परिवर्तनशील सप्तार में हम रहते हैं उसमें माग तथा लागत की दशाओं में परिवर्तन का ठीक अनुमान लगाना असम्भव है। एक एकाधिकारी अधिकतम उत्पादन के बिन्दु का ठीक पता नहीं लगा सकता। कीमत निर्धारण में महत्त्वपूर्ण साधन सही माग नहीं वरन् एकाधिकारी का सही माग का अनुमान है। उत्पादन तथा कीमत में छोटे-छोटे एकीकरण से तथा परीक्षा और गलती करके वह अनुकूलतम पैदावार प्राप्त कर सकता है। पर अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है और आज का अनुकूलतम भविष्य के लिए केवल मार्गदर्शक ही सिद्ध होता है।

७ एकाधिकार कीमत निर्धारण का रेखाचित्र द्वारा निरूपण (Diagrammatic Representation of the Determination of Monopoly Price)



रेखाचित्र नं० ५९—घटती हुई लागत

क-रेखाचित्र ५९ में एकाधिकार उत्पादन तथा कीमत का एकीकरण बढ़ती हुई प्राप्ति नियम अथवा घटती लागत नियम के अन्तर्गत प्रस्तुत करता है।^१

औ अ माग वक्र या औसत राजस्व वक्र है, स अ सीमान्त राजस्व वक्र है, क इ औ ल कुल इकाइयों का औसत लागत वक्र है, तथा स ल सीमान्त लागत वक्र है। प वह बिन्दु है जहाँ पर सीमान्त राजस्व

1 See Meyers, A L — Elements of Modern Economics, 1951, p 180

एकाधिकारी का पूर्ति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, तो वह तीव्रता के अनुसार माग को विभाजित कर सकता है। इस प्रकार वह उन लोगों से जो अधिक कीमत दे सकते हैं अधिक कीमत लेता है और जो कम कीमत दे सकते हैं उनसे कम कीमत लेता है। पर यह तभी हो सकता है जब वस्तु अपूर्ण मार्केट से महंगे बाजार में न ले जाई जा सके।

साथ ही विभेद तब भी हो सकता है जब कि बाजार की अपूर्णता के कारण ग्राहक एक विक्रेता से दूसरे के पास आसानी से नहीं जा सकता।

कीमत विभेद को सम्भव तथा लाभदायक बनाने के लिए निम्नलिखित मुख्य शर्तें आवश्यक हैं :—

(i) विभिन्न मंडियों में माग की लोच भिन्न होनी चाहिए। तब एकाधिकारी अपनी मंडी को बाँटता चला जाएगा (dividing and sub-dividing)। वह ऐसा उस समय तक करता रहेगा जब तक विभिन्न लोच वाले दो खरीदार एक ही गुप में नहीं आ जाते, अथवा जब तक प्रत्येक मंडी में माँग की लोच समान हो जाए। एकाधिकारी ऐसी मंडी (market) में अधिक दाम लेना लाभदायक पाएगा जहाँ लोच कम है और जहाँ (लोच) अधिक है कम कीमत लेना चाहेगा। श्रीमती रॉबिंसन ने इस विषय में अपना मत इस प्रकार दिया है, “उप-मंडियाँ अपनी लोच के क्रम के बढ़ते हुए (ascending) रख पर बनाई जायेंगी जिससे कम से कम लोच वाली मंडी में ऊँची से ऊँची कीमत ली जाए, अत्यधिक लोचदार मंडी में कम से कम कीमत।”¹

(ii) बाजारों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटने तथा उनको अलग रखने की लागत इतनी अधिक न होनी चाहिये कि माँग की लोच के अन्तर को बराबर कर दे।


(ii) विक्रेताओं में आपस में समानता हो, नहीं तो स्वतन्त्र स्पर्धकों को तेज बाजार में बेचने से लाभ होगा।

(iv) जब वस्तु खास आर्डर पर बेची जाती है तो विवेचन सम्भव होता है क्योंकि तब खरीदने वाले यह नहीं जान सकते कि दूसरों से क्या लिया जा रहा है।

पीगू के अनुसार, लाभदायक तथा सफल विभेद (discrimination) के लिए दो बातें जरूरी हैं: (क) किसी वस्तु को किसी इकाई को, जिसे एक मण्डी में बेचा जा सकता है, दूसरी मण्डी में भेजना सम्भव नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति उस समय होती है जब उपभोक्ताओं की सीधे सेवा की जाती है, जैसे अव्यापको, डाक्टरों तथा वकीलों आदि के द्वारा की जाने वाली सेवाएँ अथवा वे सेवाएँ जो सीधे वस्तु से सम्बन्धित हों, जैसे रेल द्वारा माल का परिवहन। हस्तान्तरण (transference) अथवा माल भेजने पर परिवहन की लागत बढ़ा कर इसे रोका जा सकता है अथवा अधिक प्रशुक्ल (tariff) द्वारा अथवा ऐसी सन्धिदाएँ (contracts) जिनके द्वारा बेचने पर रोक हो। (ख) यह भी सम्भव नहीं होना चाहिए कि माग को एक इकाई एक मण्डी विशेष से दूसरे में पूरी हो सके। ऐसी स्थिति उन समय पैदा होगी जब मण्डी धन (wealth) के आधार पर विभक्त होनी है। कोई भी धनी व्यक्ति किमी मुफ्त

1 Robinson, Mrs. Joan—The Economics of Imperfect Competition, 1945, p 187.

हुई (rising), गिरती हुई (falling) अथवा स्थिर सीमान्त लागतें (constant marginal costs) यदि सीमान्त राजस्व सीमान्त लागत के समान (equal) हो



रेखा चित्र न० ६१—स्थिर लागत

(ख) दूसरे अन्तर का सम्बन्ध लाभ के आकार से है। पूर्ण प्रतियोगिता में, अति-सामान्य (super-normal) लाभ समाप्त हो जाएंगे, लेकिन एकाधिकार की अवस्था में अति-सामान्य लाभ होते रहेंगे।

८ कीमत विभेद (Price Discrimination)—अभी तक हमने यह मान लिया था कि एकाधिकारी अपनी वस्तु की सब ग्राहकों से एक ही कीमत लेता है, पर बहुधा ऐसा नहीं होता। एकाधिकारी कभी-कभी विभिन्न व्यक्तियों से जुदा कीमत लेते हैं। पर ऐसा तभी हो सकता है, जब कि व्यक्तियों का सम्बन्ध “विभिन्न बाजारों” अथवा प्रतियोगी समूहों से हो। इसे कीमत विभेद कहते हैं।

कीमत विभेद कई प्रकार का हो सकता है —

(क) व्यक्तिगत (personal) (२) स्थानीय (local) अथवा (३) व्यवसाय या प्रयोग के अनुसार। जब विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न कीमतें ली जाती हैं, तब विभेद व्यक्तिगत होता है। पर जब स्थान के अनुसार कीमत में अंतर आ जाता है, तो विभेद स्थानीय अर्थात् रागि-पातन (dumping) कहलाता है, और यदि वस्तु के प्रयोग के आधार पर कीमत घटती बढ़ती रहती है तो इसका यह परिवर्तन व्यवसाय के अनुसार होता है। जैसे बिजली घरेलू जीवन की अपेक्षा औद्योगिक प्रयोग के लिए अधिक सस्ती मिलती है। कई बार एकाधिकारी लेवल लगाकर माल को विशेष रूप से नया बताने की कोशिश करता है और इस प्रकार विभेद कीमत लेता है। विभेद कीमत इन कारणों से पैदा होती है—

(क) उपभोक्ता की पसन्द अथवा स्वभाव, (ख) वस्तु का गुण, तथा (ग) दूरी तथा सीमा रोक।

वस्तु की माग की तीव्रता में अंतर होने के कारण ही विभेद सम्भव होता है। यदि

एकाधिकारी का पूर्ति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, तो वह तीव्रता के अनुसार माग को विभाजित कर सकता है। इस प्रकार वह उन लोगों से जो अधिक कीमत दे सकते हैं अधिक कीमत लेता है और जो कम कीमत दे सकते हैं उनसे कम कीमत लेता है। पर यह तभी हो सकता है जब वस्तु अपूर्ण मार्केट से महंगे बाजार में ले जाई जा सके।

साथ ही विभेद तब भी हो सकता है जब कि बाजार की अपूर्णता के कारण ग्राहक एक विक्रेता से दूसरे के पास आसानी से नहीं जा सकता।

कीमत विभेद को सम्भव तथा लाभदायक बनाने के लिए निम्नलिखित मुख्य शर्तें आवश्यक हैं --

(1) विभिन्न मंडियों में माग की लोच भिन्न होनी चाहिए। तब एकाधिकारी अपनी मंडी को बाँटता चला जाएगा (dividing and sub-dividing)। वह ऐसा उस समय तक करता रहेगा जब तक विभिन्न लोच वाले दो खरीदार एक ही ग्रुप में नहीं आ जाते, अथवा जब तक प्रत्येक मंडी में माँग की लोच समान हो जाए। एकाधिकारी ऐसी मंडी (market) में अधिक दाम लेना लाभदायक पाएगा जहाँ लोच कम है और जहाँ (लोच) अधिक है कम कीमत लेना चाहेगा। श्रीमती रॉबिंसन ने इस विषय में अपना मत इस प्रकार दिया है, "उप-मंडियाँ अपनी लोच के क्रम के बढ़ते हुए (ascending) हल पर वनाई जायेंगी जिससे कम से कम लोच वाली मंडी में ऊँची से ऊँची कीमत ली जाए, अत्यधिक लोचदार मंडी में कम से कम कीमत।"¹

(ii) बाजारों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटने तथा उनको अलग रखने की लागत इतनी अधिक न होनी चाहिये कि माँग की लोच के अन्तर को बराबर कर दे।

(ii) विक्रेताओं में आपस में समानता हो, नहीं तो स्वतन्त्र स्पर्धकों को तेज बाजार में बेचने से लाभ होगा।

(iv) जब वस्तु खास आर्डर पर बेची जाती है तो विवेचन सम्भव होता है क्योंकि तब खरीदने वाले यह नहीं जान सकते कि दूसरों से क्या लिया जा रहा है।

पीगू के अनुसार, लाभदायक तथा सफल विभेद (discrimination) के लिए दो बातें जरूरी हैं. (क) किसी वस्तु की किसी इकाई को, जिसे एक मण्डी में बेचा जा सकता है, दूसरी मण्डी में भेजना सम्भव नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति उस समय होती है जब उपभोक्ताओं की सीधी सेवा की जाती है, जैसे अध्यापकों, डाक्टरों तथा वकीलों आदि के द्वारा की जाने वाली सेवाएँ अथवा वे सेवाएँ जो सीधे वस्तु से सम्बन्धित हों, जैसे रेल द्वारा माल का परिवहन। हस्तान्तरण (transference) अथवा माल भेजने पर परिवहन की लागत बढ़ा कर इसे रोका जा सकता है अथवा अधिक प्रशुक्ल (tariff) द्वारा अथवा ऐसी मन्दिदाएँ (contracts) जिनके द्वारा बेचने पर रोक हो। (ख) यह भी सम्भव नहीं होना चाहिए कि माग की एक इकाई एक मण्डी विशेष से दूसरे में पूरी हो सके। ऐसी स्थिति उम समय पैदा होगी जब मण्डी धन (wealth) के आधार पर विभक्त होनी है। कोई भी धनी व्यक्ति किमी मुफ्त

रियायत (free concession) का फायदा उठाने के लिए गरीब होना नहीं चाहेगा। मिल्क का व्यापारी कोयले का व्यापारी नहीं बन सकता, जिसमें वस्तु भाडा (freight) कम है।

कीमत विभेद तथा पैदावार (Price Discrimination and Output)
—जब दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न होती है तो यह पाया जायगा कि उत्पादन की एक इकाई की विक्री से सीमान्त आगम (revenue) वहाँ अधिक होगा जहाँ लोच अधिक है, न कि जहाँ लोच कम है। अतएव जहाँ लोच कम है वहाँ उत्पादन घटाना और कीमत बढ़ाना तथा जहाँ लोच अधिक है वहाँ उत्पादन बढ़ाना और कीमत घटाना लाभदायक होगा। इस प्रकार दोनों बाजारों में सीमान्त आगम बराबर हो जायगा। पर क्या उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी या घट जायगी अथवा वही रहेगी? श्रीमती रोबिन्सन ने इसका इस प्रकार उत्तर दिया है “यह बात स्थापित करना सम्भव है कि विभेद के अन्तर्गत कुल उत्पादन साधारण एकाधिकार की अपेक्षा अधिक या कम होगा। जैसे-जैसे अलग बाजारों में माँग वक्रों में से अधिक लोचदार वक्र कम लोचदार माँग वक्र की अपेक्षा अधिक या कम टेढ़ा होगा, और यह कि कुल उत्पादन वही होगा यदि माँग वक्र सीधी रेखाएँ हों या अन्य दूसरी दशा में जब कि टेढ़ापन बराबर है।”^१ यह तभी लागू होता है जब कि सीमान्त लागत साधारण एकाधिकार तथा विभेद एकाधिकार में एक ही है। परन्तु यदि सीमान्त लागत गिर रही है तो विभेद एकाधिकार में उत्पादन में अधिक वृद्धि हो जायगी और यदि सीमान्त लागत बढ़ रही है तो उत्पादन में अधिक कमी हो जायगी। पूर्ण रूप से यह अधिक सम्भव है कि विभेद से कुल उत्पादन में कमी की अपेक्षा वृद्धि हो।

क्या कीमत विभेद समाज के लिए लाभदायक है? (Is price discrimination beneficial to society?)—कुछ दशाओं में कीमत विभेद समाज के लिए लाभप्रद होता है, विशेषकर ऐसी सेवाओं में जो समाज के लिए लाभप्रद हो। यदि गरीबों के लिए कीमतें कम कर दी जायें तो प्रति इकाई सामान्य लाभ न होने के कारण उत्पादन-लागत पूरी नहीं हो सकेगी। यदि कीमत अधिक कर दी जाय तब भी विक्रय कम होने के कारण प्राप्ति कम होगी। फलस्वरूप सम्भव है कि वस्तु का उत्पादन ही बन्द हो जाय। इस प्रकार कुछ उत्पादन की मात्रा तैयार ही न होगी क्योंकि विभेद एकाधिकार में औसत आगम (revenue) साधारण एकाधिकार की अपेक्षा अधिक होता है। “यह हो सकता है कि यदि विभेद की मनाही हो तो रेल ही न बनाई जाय या डाक्टर अपनी प्रैक्टिस ही न शुरू करे। यह उचित है कि ऐसी दशाओं में विभेद की अनुमति दी जावे।” ऐसी दशा में यदि विभेद कीमतें ली जायें तो प्राप्ति से लाभ के साथ लागत पूरी हो सकेगी, और इस प्रकार हर व्यक्ति को लाभ होगा।

चूँकि विभेद के अन्तर्गत कुछ व्यक्तियों के लिए कीमत बढ़ा दी जाती है और कुछ के लिए कम कर दी जाती है यह स्पष्ट है कि कीमत विभेद कुछ के लिए लाभ-

दायक और कुछ के लिए हानिकारक है। परन्तु सामाजिक कल्याण पर शुद्ध प्रभाव इस बात पर निर्भर होगा कि समाज किस वर्ग का पक्षपात करता है। यदि आम जनता के लिए कीमत घटा दी जाती है और दूसरे "वर्गों" के लिए बढ़ा दी जाती है तो समाज को दुखी होने की कोई बात नहीं है क्योंकि ऐसी व्यवस्था का तात्पर्य आर्थिक कल्याण का बढ़ाना है। परन्तु भौगोलिक विभेद की दशा में यह भी सम्भव है कि कम लोचदार बाजार (जिसके लिए कीमत बढ़ाई जाती है) स्वदेशी बाजार हो सकता है, जबकि विदेशी बाजार अधिक लोचदार हो और इसलिए जिसमें कीमत घटानी पड़े। ऐसी दशा में अपने देश वालों की अपेक्षा विदेश वालों को अधिक लाभ होगा। ऐसा विभेद समुदाय के लिए हानिकारक होता है। तो भी इसमें एक शर्त लागू होती है। यदि उद्योग में बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है तो विवेचन एकाधिकार में साधारण एकाधिकार की अपेक्षा अधिक उत्पादन से कम लोचदार बाजार को भी लाभ होगा। इस प्रकार विदेशों में राशिपातन (dumping) से स्वदेशी बाजार में भी कीमत गिर जाती है। और इस तरह उस देश को भी लाभ होता है।

श्रीमती रोविन्सन इस प्रकार निष्कर्ष निकालती है। "समाज के दृष्टिकोण से यह कहना असम्भव है कि कीमत विभेद उचित है या नहीं। एक दृष्टिकोण से कीमत विभेद साधारण एकाधिकार से उन सब दशाओं में जिनमें उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है बढ़कर है। और ऐसी दशाएँ साधारणतया अधिक पाई जाती हैं। परन्तु इस लाभ के विपरीत कीमत विभेद भिन्न-भिन्न प्रयोगों में साधनों का गलत वितरण करता है। अतएव यह कहने के पहिले कि कीमत विभेद उचित है या नहीं यह आवश्यक है कि इस हानि के विपरीत उस लाभ की तुलना कर लेनी चाहिये जो उत्पादन की वृद्धि से होता है। उन दशाओं में जिनमें कि विभेद उत्पादन को कम करता है, यह सब तरह से हानिकारक है।"

जब विभेद राशिपातन (dumping) का रूप लेता हो तो यह घातक हो जाता है।

६. राशिपातन द्वारा कीमत विभेद (Price Discrimination by Dumping)—जब उत्पादक दूसरे देशों में अपने देश से कम कीमत पर उसी वस्तु को बेचते हैं, तो उनका यह कार्य "राशिपातन" कहलाता है। कभी-कभी ऐसा करने से (लागत से भी कम कीमत पर बेचने से) एकाधिकारी को लाभ भी होता है।

राशिपातन में एकाधिकारी के कई आशय होते हैं—(क) या तो वह माग का सही अनुमान न लगने के कारण अधिक उत्पादित वस्तु के स्टॉक के विक्रय के हेतु करता है। (ख) कभी-कभी वह विदेश के बाजार से प्रतियोगियों को भगाने के लिए भी राशिपातन का सहारा लेता है। (ग) अथवा नये व्यापारिक सम्बन्ध करने के लिए करता है। (घ) बड़े परिमाण में उत्पादन के लाभ उठाने के हेतु भी एकाधिकारी ऐसा करता है।

राशिपातन का उदाहरण इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है --

घरेलू बाजार
(Home Market)

विक्रय कीमत (Sale price)	उत्पादन कीमत (Production price)	इकाइयों की मख्या (No of units)	शुद्ध आगम (Net revenue)
₹० आ०	₹० आ०		₹० आ०
१० ०	५ ०	२००	५०० ०
९ १२	४ १२	१५०	७५० ०
९ ४	४ ८	२००	९५० ०
८ ८	४ ४	२५०	१०६२ ८
७ १२	४ ०	३००	११२५ ०
७ ०	३ १२	३५०	११३७ ८
<hr/>			
५ १२	३ ४	४००	१००० ०
४ १२	२ १२	४५०	७८७ ८

इस उदाहरण से यह प्रकट है कि यदि एकाधिकारी केवल घरेलू बाजार के लिए ही उत्पादन करता तो ३५० इकाइयों का उत्पादन करता, और उसे ७ ₹० प्रति इकाई बेच देता। इससे उसे सबसे अधिक शुद्ध आगम की प्राप्ति होगी। (₹० ११३७-८आ०)।

अब मान लीजिये कि उसने वजाय ३५० इकाइयों के ४५० इकाइयों का उत्पादन किया। उसकी कुल लागत ₹० ४५० × २ $\frac{३}{४}$ = ₹० १२३७-८-० होती। ३५० इकाइयों पर उसकी कुल लागत ३५० ₹० × ३ $\frac{३}{४}$ = १३१२ ₹० ८ आ० होती।

इस प्रकार एकाधिकारी १०० इकाइयों का और उत्पादन करके अपनी कुल लागत में ७५ ₹० (१३१२ ₹० ८ आ०—१२३७ ₹० ८ आ०) की कमी कर सकता है।


इसलिए यदि उसे अपनी इन १०० इकाइयों को वाद में नष्ट भी करना पड़े तब भी इन १०० इकाइयों का उत्पादन उसके लिए लाभदायक होगा। और यदि वह परिवहन (transport) के व्यय से कुछ अधिक कीमत पर उन्हें विदेशों में बेच सके तो उसे और भी लाभ रहेगा। इस कीमत पर कोई विदेशी उत्पादक उससे प्रतियोगिता नहीं कर सकेगा।

पर ऐसे लाभ बहुत कम होते हैं। हमने तो सिद्धान्त को समझाने के लिए एक अत्यन्त सीधा उदाहरण ले लिया था। और फिर यदि वस्तु की घरेलू कीमत व विदेशी कीमत में इतना अंतर हो कि उस वस्तु के द्वारा उत्पादन के लिए देश में आने पर यह अपनी लागत को भी पूरा कर ले तो उसका पुनः निर्यात प्रारम्भ हो जायगा, अर्थात्कि बहुत अधिक कर न लगा दिये जाए। विदेश राशिपातन से बचने के लिए उच्च आयात कर लगा देते हैं, विशेषकर उस समय जबकि उनके निजी उद्योग प्रभावित होते हो। यह एक अस्थायी स्थिति है और उस देश में जिसमें माल डम्प (dump) किया जाता है उसे कोई स्थायी लाभ नहीं होता। "यदि सीमान्त लागतें बढ़ रही हैं

तो विदेश मडी में डम्प (dump) करने की सम्भावना से घरेलू मडी चढ जायगी, यदि वे (सीमान्त लागतें) घट रही हैं तो कीमतें कम हो जायेंगी, और यदि वे स्थायी हैं तो वे अपरिवर्तित रहेंगी।" (वेन्हम) ।

निम्न रेखाचित्र एकाधिकारी द्वारा कीमत विभेद की रीति प्रस्तुत करता है --

एकाधिकारी ने अपने बाजार को दो भागों में बाट दिया है जिनको m_1 और m_2 वक्रों द्वारा दिखाया गया है। k m कुल माग प्रस्तुत करता है। और s_1 , a_1 बाजार में सीमान्त आगम (marginal revenue) है और s_2 , a_2 दूसरे में। k s a कुल सीमान्त आगम वक्र है। s l सीमान्त लागत वक्र है। u x_1 एक बाजार का उत्पादन है और u x_2 दूसरे का। कुल उत्पादन u x है। u x_1 , p_1 x_1 पर बेचा जाता है और u x_2 p_2 x_2 पर। एकाधिकार आगम रण्ये हुए क्षेत्र से दिखाया गया है। यह k s a कुल सीमान्त आगम वक्र (कुल आगम) तथा s l सीमान्त लागत वक्र (कुल लागत) के बीच में है। यह देखा जा सकता है कि अनुकूलतम उत्पादन (optimum production) (u x) उस बिन्दु पर है जहा



रेखा चित्र नं० ६२

सीमान्त लागत वक्र (s l) कुल सीमान्त आगम वक्र (k s a) को काटता है। हर एक बाजार में विक्री की मात्रा वह है जिसके लिए सीमान्त आगम (s a_1 , या s a_2) सीमान्त लागत (s l) के बराबर है।

१०. क्या एकाधिकार कीमत सदैव ऊची कीमत होती है ? (Is Monopoly Price a High Price ?)—हम देख चुके हैं कि एकाधिकारी अपने उत्पादन को नियंत्रित करके सीमान्त उत्पादन लागत से अधिक कीमत पर वस्तु का विक्रय कर सकता है। परस्पर प्रतियोगी कीमतें वस्तु के सीमान्त उत्पादन लागत को समान करने की प्रवृत्ति रखती हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि एकाधिकारी की कीमतें सदैव प्रतियोगी कीमतों से अधिक ही होती हैं। बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि एकाधिकार की कीमतें कम ही रहें और कभी-कभी तो कुछ कारणों से यह कीमतें प्रतियोगिता की कीमतों से भी कम हो सकती हैं।

अपनी विशेष सुविधाओं, उत्पादन का परिमाण, प्रचार तथा बाजार व्यय के कारण कभी-कभी एकाधिकारी प्रति इकाई कम लागत पर उत्पादन कर लेता है। ऐसी दशा में यदि वह अपनी सीमान्त लागत से अधिक कीमत भी ले, तो भी वह प्रतियोगिता में उत्पादित वस्तु की सीमांत लागत में कम ही रहेगा। यह विशेषकर उन उद्योगों में होता है, जो महंगी और बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं तथा जिनकी वस्तुओं की माग लोच-

पूर्ण होनी है। ऐसे उद्योग में उत्पादन की वृद्धि से प्रति इकाई लागत कम हो जाती है और बड़ा हुआ उत्पादन अधिक लाभ से बेचा जा सकता है, चाहे कीमत कम ही क्यों न हो।

साधारणतया एकाधिकार-कीमत प्रतियोगिता की कीमत से कम नहीं होती। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि एकाधिकार कीमत अत्यधिक ऊँची होती है। एकाधिकार के अधिकार पर भी अनेक बधन होते हैं—वह असीम नहीं होते। वह सदैव अत्यधिक ऊँची कीमतें नहीं ले सकता। इसके अतिरिक्त एकाधिकांशी सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाली कीमत के स्तर से भी अनभिज्ञ हो सकता है। कुछ और भी विचारणीय बातें हैं, जिनकी बहुत कम एकाधिकारी उपेक्षा कर सकते हैं। वैसे तो इनका अध्ययन एक दूसरे अध्याय में किया जा चुका है, पर उनको यहाँ पर फिर दुहरा देना उचित ही होगा।

परन्तु इन तमाम नियंत्रणों के होते हुए भी साधारणतया एकाधिकार की कीमतें प्रतियोगी कीमतों से अधिक ही होती हैं। इस तरह हमारा निष्कर्ष यह है कि एकाधिकारी ऐसी दशा में यदि वह चाहे कीमतों को नीचे स्तर पर रख सकता है, किन्तु ऐसा वह करता नहीं। इसलिए, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि एकाधिकार कीमतें अधिक ही हों, तथापि वास्तव में वह होती अधिक ही हैं।

१२ क्रयाधिकार में कीमत (Price under Monopsony)¹—स्पर्धा क्रय (competitive buying) तथा क्रयाधिकार में यह अन्तर है कि पहले में बहुत से खरीदार हैं और उसमें से बहुतों का क्रय बाजार कीमत पर प्रभाव डालता है। हर एक के लिए पूर्ति पूर्ण रूप से लोचदार होती है। यदि उसकी लगाई हुई कीमत में तनिक परिवर्तन हो जाता है तो उसकी खरीदारी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ यदि उसने बाजार भाव से कम कीमत लगाई, तो वह कुछ भी न खरीद सकेगा। जहाँ तक हर एक खरीदारी का सम्बन्ध है, बाजार भाव दिया हुआ होता है। वह उतनी मात्रा खरीदेगा जो उसकी सीमान्त उपयोगिता को कीमत के बराबर कर देगा। क्रयाधिकार में एक ही खरीदने वाली एजेंसी होती है या खरीदार मिलजुल कर कार्य करते हुए मान लिये जाते हैं।

एक क्रयाधिकारी अपने क्रय की ऐसी व्यवस्था करेगा कि सीमान्त लागत सीमान्त उपयोगिता के बराबर हो जाय क्योंकि उसको वस्तु की पूर्ति की कीमत का भुगतान करना ही पड़ेगा। प्रतियोगिता में कीमत अथवा औसत लागत सीमान्त उपयोगिता के बराबर होती है। सीमान्त लागत तथा कीमत में अन्तर तभी होगा जबकि उद्योग में लागत वृद्धि या लागत घटती नियम लागू होता है। जब स्थिर लागत नियम लागू होता है, तो औसत लागत (अर्थात् कीमत) तथा सीमान्त लागत बराबर होती है। और प्रतियोगिता तथा क्रयाधिकार में खरीदी हुई मात्रा एक होगी। जब उद्योग में वृद्धि लागत नियम लागू होता है तो क्रयाधिकारी जितनी अधिक मात्रा खरीदता है, उतनी ही अधिक कीमत उसको देनी पड़ेगी। वस्तु की पूर्ति-कीमत की अपेक्षा उसकी

1 See Joan Robinson—The Economics of Imperfect Competition, 1945 Ch 18

सीमान्त लागत अधिक होगी। पूर्ति की गिरती हुई कीमत में जितनी अधिक मात्रा खरीदी जायगी, उतनी ही कम पूर्ति की कीमत होगी और सीमान्त लागत पूर्ति की कीमत से कम होगी। इस हालत में वह प्रतियोगिता की अपेक्षा अधिक खरीदेगा।

जिस प्रकार एकाधिकारी का लक्ष्य लाभ को अधिकतम करना है इसी प्रकार क्रयाधिकारी का लक्ष्य अपनी उपभोक्ता की वचत अधिकतम करना है। और उपभोक्ता की वचत तब तक अधिकतम होगी जब कि सीमान्त लागत सीमान्त उपयोगिता के बराबर हो। इसको "अनुकूलतम क्रय" (optimum purchase) कह सकते हैं। यदि क्रय की हुई मात्रा इससे अधिक है तो सीमान्त उपयोगिता सीमान्त लागत से कम होगी और उपभोक्ता की वचत घट जायगी। क्रय की मात्रा कम होने का मतलब यह होगा कि उपयोगिता लागत में वचत से अधिक कम हो जायगी।

एक क्रयाधिकारी भी एकाधिकारी की भांति बेचने वालों से अलग-अलग व्यवहार करके कीमत विवेचन कर सकता है। "क्रयाधिकारी पूर्ति के हर सूत्र से इस प्रकार खरीदेगा कि हर सूत्र में खरीदी हुई मात्रा की सीमान्त लागत उसके लिए आपस में तथा कुल खरीदी हुई मात्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर है जैसे कि एक एकाधिकारी हर बाजार में उतनी ही मात्रा बेचेगा कि हर बाजार में सीमांत आगम आपस में बराबर हो तथा कुल मात्रा की सीमांत लागत के भी बराबर हो। लाभ के साथ विवेचन करने की सम्भावना भिन्न-भिन्न सूत्रों की पूर्ति की लोच में अन्तर पर अर्थात् हर खरीदारों के समूह के औसत लागत वक्र की लोच पर निर्भर होगी।" किस हद तक क्रयाधिकारी विवेचन कर सकता है, यह बेचने वाले की संख्या तथा हर एक की पूर्ति की दशाओं पर निर्भर है।

एक प्रकार से एकाधिकारी अपने प्रयोग किये हुए साधनों का क्रयाधिकारी है। और यदि साधन एक ही प्रकार के नहीं हैं, तो वह उनमें विवेचन कर सकेगा, खासकर एक अपूर्ण लोचदार पूर्ति की दशा में।

१२. उभयपक्षीय एकाधिकार (Bilateral Monopoly)—यह शब्द उस स्थिति पर लागू होता है जब कि एक क्रय के एकाधिकार के साथ-साथ विक्री का एकाधिकार भी होता है, अर्थात् एक एकाधिकार का एक क्रयाधिकारी सामना करता है। वास्तविक संसार में ऐसी स्थिति का होना सामान्य नहीं है। एकाधिकारी ऐसे पैमाने पर कार्य करना चाहता है जहाँ कि सीमान्त लागत सीमान्त आगम के बराबर है क्योंकि ऐसा करने से उसका अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। दूसरी ओर एक क्रयाधिकारी वह मात्रा खरीदना चाहता है जिससे कि सीमान्त लागत सीमान्त उपयोगिता के बराबर हो जाय। यह बताता है कि खरीदार के लिए अनुकूलतम कीमत एक होती है और बेचने वाले के लिए दूसरी। यह निर्धारित करने के लिए कि इन कीमतों के बीच कौन सी कीमत स्थापित होगी, इसके लिए कोई आर्थिक सिद्धान्त नहीं है। माँग तथा लागत वक्रों का पूरा ज्ञान नहीं है और यह ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता कि कितनी मात्रा किस कीमत पर विकेगी। कीमत परिस्थिति पर निर्भर होगी। बहुत सी स्थितियों में यह

समझौते की कीमत होगी जो दोनों पक्षों की मोल तौल की शक्ति से प्रभावित होती है।
आर्थिक प्रेरणा के अतिरिक्त प्रशासनीय (administrative) कारण भी निर्णय में
हस्तक्षेप कर सकते हैं।

निर्देश पुस्तकें

- Meyers, A L —Elements of Modern Economics, 1951, Ch 13
 Marshall, A —Principles of Economics and Industry and Trade
 Pigou, A C —Economics of Welfare
 Benham, F —Economics
 Robinson, Joan—The Economics of Imperfect Competition, 1944,
 Ch 15 and 20
 Chamberlin, E H —Theory of Monopolistic Competition
 Robinson, E A G —Monopoly
 Stigler, G J —Theory of Price, 1947, Chs 11—14
 Watkins, M W —Industrial Combinations and Public Policy, 1927.
 Macgregor, D H —Industrial Combination, 1935
 Tarshis, L —Elements of Economics, 1946 Chs 15 and 16

अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य

(VALUE UNDER IMPERFECT COMPETITION)

१ अपूर्ण अथवा एकाधिकृत प्रतियोगिता (Imperfect or Monopolistic Competition)—अभी तक हमने मूल्य को पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण एकाधिकार की स्थिति द्वारा निर्धारित होने पर विचार किया है। ये परिस्थितियाँ वास्तविक जीवन में घटित होने वाली नहीं हैं। अधिकतर वास्तविक परिस्थितियाँ इन दोनों के बीच में रहती हैं, जिनको “एकाधिकृत प्रतियोगिता” अथवा “अपूर्ण प्रतियोगिता” अथवा समूह साम्यावस्था (group equilibrium) का नाम दिया जाता है। इस अध्याय में हम इस विषय पर विचार करेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में मूल्य निर्धारण कैसे होता है।

जब एक अथवा सम्मिलित रूप से कई विक्रेता (combined body of sellers) होते हैं तो इसे एकाधिकार का नाम दिया जाता है। किन्तु जब विक्रेता कई होते हैं और प्रत्येक का अपना मार्केट होता है, उस समय इसे अपूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकृत प्रतियोगिता की स्थिति कहते हैं। यह स्थिति प्रतियोगी एकाधिकारियों की है। वे न तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में तैयार किया जाने वाला माल तैयार करते हैं, और न ऐसा ही जो इससे सर्वदा भिन्न हो अथवा ऐसा जो एकाधिकार में तैयार किए जाने वाले के समान। उत्पादविभेद बना रहता है, तैयार किया गया माल भिन्न किस्म का होता है परन्तु विलकुल भिन्न भी नहीं होता। फिर भी काफी प्रतियोगिता होती है। इसलिए स्थिति एकाधिकार की अपेक्षा प्रतियोगिता की होती है।

जब प्रतियोगिता अपूर्ण होती है, (1) वहाँ पर उत्पादन के साधनों को एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में आने-जाने पर प्राकृतिक अथवा कृत्रिम बन्धन होते हैं। यह बन्धन उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति को विभिन्न व्यवसायों के समान होने से रोकते हैं। (ii) नियंत्रण की इकाई बड़ी होनी चाहिये, जो वस्तुओं का उत्पाद घटा-वढा कर उसकी कीमत पर प्रभाव डाल सके तथा (iii) विज्ञापन द्वारा या किसी दूसरे कारणों की सहायता से आपारी परदे के पीछे इस प्रकार कार्य करते हैं कि कीमत तथा गुण छिपे रहते हैं। जब प्रतियोगिता अपूर्ण होती है तब प्रतिरोधी उत्पादक कठिनाइयों के कारण अपने मूल्य को कम करके एक दूसरे के ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर सकते। इस प्रकार वह अपने ग्राहकों को खोए बिना भी पर्याप्त ऊँची कीमतें वसूल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को वे-कीमत (non-price) प्रतियोगिता कहते हैं। लाभ सुरक्षित रहता है। लेकिन दीर्घावधि में असाधारण लाभ प्रतिस्पर्द्धकों के द्वारा

उमी प्रकार का माल तैयार करने के कारण समाप्त हो जाता है।

एकाधिकृत प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म का औसत आगम (average revenue) वक्र स्वतंत्र तथा दिया हुआ होता है। यह (वक्र) नीचे की ओर मुड़ता है और इसका रूप (shape) उपभोक्ताओं के स्वाद तथा समस्त प्रतिस्पर्धी उत्पादकों के मिश्रित कार्य पर आधारित होता है।

२ अपूर्ण प्रतियोगिता किस प्रकार प्रकट हो सकती है (How Imperfect Competition May Emerge)—एकाधिकार की कुछ स्पष्ट घटनाओं पर पिछले अध्याय में विचार किया जा चुका है। कुछ ऐसे भी कारण हैं जो प्रतियोगिता को पूर्ण बना देते हैं। यहाँ कुछ अर्ध-एकाधिकार (Semi-monopoly) की अवस्थाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जो ऊपरी तीर से प्रतियोगिता करने वाले विक्रेताओं को एकाधिकार के लाभ की प्राप्ति के लिए उकसाती हैं। ऐसी हालत तब उपस्थित होती है जब किसी वस्तु का बाजार अपूर्ण होता है, चाहे उस वस्तु के उत्पादकों की संख्या बहुत बड़ी क्यों न हो। उत्पादक अपनी वस्तुओं के साथ सेवाओं को मिलाकर तथा अन्य तरीकों से अपनी-अपनी वस्तुओं को ग्राहकों की दृष्टि में पृथक्-पृथक् कर लेते हैं। इससे उन्हें सीमित एकाधिकार की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की एकाधिकार प्रतियोगिता की परिस्थितियाँ निम्नलिखित कारणों से पैदा हो सकती हैं—

(क) परिवहन सबबी लागत खर्च—परिवहन सबबी खर्च बाजार के क्षेत्र को सीमित कर सकते हैं और इस प्रकार प्रतियोगी वस्तुओं को क्षेत्र से अलग रख सकते हैं। यह एक विक्रेता को एकाधिकार कीमतें लेने योग्य बना देगी।

(ख) उपभोक्ताओं में योग्यता, समाचार व सूचना का अभाव—उपभोक्ता इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि वह उसी वस्तु को दूसरे उत्पादक से सस्ती कीमत पर खरीद सकते हैं और इस प्रकार वह प्रतियोगिता मूल्य से अधिक देने को तैयार हो जाते हैं।

(ग) क्वालिटी में वास्तविक और अनुमानित अंतर—यह भी वस्तु का विभेद (differentiation) कहलाता है। उपभोक्ता विशिष्ट चिह्न वाली वस्तुओं, जैसे चाय, कॉफी, साबुन, सिगरेट, कपड़े इत्यादि का प्रयोग करने लग जाते हैं। यह क्रम उन वस्तुओं के उत्पादकों को इस योग्य बनाता है कि वे प्रतियोगिता की कीमतों से अधिक ले सकें।

(घ) कुछ उपभोक्ता वस्तुओं को फैशनेबल (चटक-मटक) वाली दुकानों से खरीदना पसन्द करते हैं, जैसे चादनी चौक और सदर बाजार की अपेक्षा कनाट प्लेस व नई दिल्ली से। इसी कारण कनाट प्लेस वाले उन्हीं वस्तुओं के लिए अधिक दाम लेते हैं।

अन्तिम दो हालतों में अगर कीमत बहुत अधिक होती है तो उपभोक्ता या तो उस चिह्न वाली वस्तु को अथवा उस खरीदने के स्थान को बदल देता है।

अपूर्ण प्रतियोगिता के लक्षण (Symptoms of Imperfect Competition)—ऐसी स्थिति की जांच करने के लिए कि हालत शुद्ध प्रतियोगिता (pure competition) अथवा एकाधिकृत अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता के हैं, यह बातें जरूरी हैं—(1) विज्ञापन, (11) विभिन्न ट्रेड-चिह्न तथा लेवल आदि का उपयोग,

(iii) मूल्य-रथन (price-quotation), तथा (iv) कीमतों में भेद (price variations) ।

यदि व्यापारी प्रतियोगिता का सहारा लेने है और अपन माल पर जुदा छाम (ब्राड) लगाते है, तो यह स्पष्ट है कि प्रतियोगिता अपूर्ण है । शुद्ध प्रतियोगिता उसे कहते है जब उत्पाद स्टैंडर्ड हो ओर वज्जापन की जहरत न पडे । यदि प्रति मन के हिसाव से कीमतो मे भेद को बताया जाए तो प्रतियोगिता पूर्ण होती है, चूकि इससे यह पता चलता है कि खरीदार कीमतो के जरा से भेद को भी पहचानते है । जब कीमतो मे विस्तार से अन्तर होता है, जैसा कि खुरदा स्टोर आदि मे तो प्रतियोगिता अपूर्ण होती है ।

३. अपूर्ण प्रतियोगिता मे मूल्य (Value Under Imperfect Competition)—अपूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति मे मूल्य-निर्धारण मौलिक रूप से पूर्ण प्रतियोगिता से भिन्न होता है । जब प्रतियोगिता अपूर्ण होती है तो जिस वस्तु का क्रय-विक्रय होता है, वह प्रामाणिक नहीं होती और इसलिए, कीमत के आधार पर प्रतियोगिता सभव नहीं है । अब खरीदार केवल एक वस्तु ही नहीं खरीदते बल्कि उन सेवाओं को भी साथ-साथ खरीदते है जो उस वस्तु के साथ जुडी हुई होती है (अर्थात् माल भडारो की स्थिति, पैकिंग, ट्रेड चिह्न, वेचने वालो के व्यक्तित्व आदि बातों को परख कर) ।^१ वे अपनी पसन्द की वस्तु के लिए अपेक्षाकृत अधिक देने को तैयार रहते है । वे कितना अधिक देगे, यह इस बात पर निर्भर नहीं करना कि उसकी वास्तविक उपयोगिता कितनी है, अथवा वेचने वाला उसके विषय मे क्या कहता है बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि खरीदार की दृष्टि में वह वस्तु अपेक्षाकृत कितनी अच्छी लगती है ।

इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता में किसी विक्रेता की वस्तु की माँग पूर्णत लोचदार होती है । वह बाजार भाव पर प्रभाव नहीं डाल सकता लेकिन उम कीमत पर जितना चाहे वेच सकता है । उसके ऐसा करने से बाजार-भाव के गिरने का कोई डर नहीं रहता । अपूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति इससे भिन्न है । विक्रेता जानता है कि खरीदार उसकी चीज बहुत पसन्द करता है । उस वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु के प्रयोग होने का डर नहीं रहता । फलस्वरूप उसकी वस्तु की माँग इतनी लोचदार नहीं होती । इसलिए वह कीमत निर्धारित कर सकता है ।

वे कौन-सी बातें जो है अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य-निर्धारण पर प्रभाव डालती है ? अपूर्ण प्रतियोगिता मे भी विक्रेता अपनी वस्तुओं की मन्डियो को बढाना चाहते है । यह वे दूसरो के छाप या ब्रान्ड्स के द्वारा कर सकते है । लेकिन इसके लिए उन्हें पूर्ण प्रतियोगिता के अपेक्षाकृत कही अधिक कीमत गिरानी पडेगी । तब कही जाकर दूसरो के ग्राहक तोडे जा सकेंगे । लेकिन ऐसा करते समय उसे इस बात का ध्यान रखना पडेगा कि अन्य विक्रेता भी दाम गिरा सकते है और आगे चलकर कीमत को बढाना न तो ठीक होगा

और न सभव ही होगा। जो भी मूल्य-नीति वह अपनायेगा, उसे उसके दीर्घकालीन परिणामों को ध्यान में रखना होगा।


यदि कीमत की गिरावट दूसरो पर अधिक प्रभाव नहीं डालती या दूसरो के ग्राहकों में से केवल थोड़े से ही लोगों को खींचती है, तो बदले का डर बहुत कम होगा। साधारणतः प्रत्येक विक्रेता को 'भूल-सुधार' (trial and error) के सिद्धान्त पर चलना होगा। प्रतियोगी वस्तुओं की कीमतें बदलती रहती हैं और यह मालूम करना कि अमुक कीमत का प्रतियोगी विक्रेताओं पर क्या-कैसा प्रभाव पड़ेगा असंभव-सा है। इसलिए यदि कोई कीमत सतोषजनक पाई गई है तो अपूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति में विक्रेता उसी को स्थिर रखेगा।

वह कौन-सा सिद्धान्त है जिसके अनुसार वह अपने उत्पादन की मात्रा और कीमत निश्चित करेगा। अपूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार से बहुत-कुछ मिलती जुलती है। केवल अन्तर यह है कि एकाधिकार में एक व्यक्ति या फर्म का सारे बाजार पर अधिकार होता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कई भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग में एक छोटा-सा एकाधिकारी होता है। अस्तु, प्रत्येक भाग में कीमत का निर्धारण एकाधिकार के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार होता है। एकाधिकार की तरह, अपूर्ण प्रतियोगिता में भी कीमत उस स्थान पर निश्चित होगी जहाँ पर सीमांत लागत और सीमांत आगम (marginal cost and marginal revenue) की उत्पादक इकाइयाँ समान (equal) होंगी। अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादक पैदावार को उस समय तक बढ़ाते रहेंगे और उसकी पैदावार उस समय अनुकूलतम (optimum) होगी जब कि सीमान्त आगम सीमान्त लागत के बराबर न हो जायेगी। दोनों के बराबर होने पर उत्पादन आदर्श बिंदु पर पहुँच जायगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सीमान्त आगम वह आगम है जो अतिरिक्त पैदावार की विक्री से प्राप्त के कुल आगम में जोड़ा जाता है।


यहाँ तक याद रखना होगा कि सीमान्त लागत और सीमान्त आय को समतुल्य करने का सिद्धान्त तभी तक लागू होगा जब तक कि एक विक्रेता की वस्तु की मांग-रेखा अपरिवर्तित रहती है। नई प्रतियोगी फर्मों के आने से माग और फलस्वरूप लाभ में परिवर्तन होगा। शुरू में जब प्रतियोगिता अपूर्ण होती है, तो माग कम लोचदार होती है। अब मान लो कुछ नई फर्में खुल जाती हैं और ग्राहकों की आवश्यकताओं की तृप्ति की दृष्टि से उनकी स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। इसका फल यह होगा कि कुछ ग्राहक उनकी ओर खिंच आयेगे और माग-रेखा बाई ओर खिसक जायगी। इसी प्रकार यदि और नई फर्में आती जायेंगी, तो माग घटती चली जायगी। यदि नई फर्मों का आना आसान है, और यदि एकाधिकार लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तो जबतक एकाधिकार लाभ समाप्त न हो जायगा नई फर्में आती रहेंगी।¹

1 See *ibid*, pp 186—196 for diagrams illustrating the effects of entry of rivals and the final situation when monopoly profit disappears

पिछले अध्याय के तीसरे विभाग में यह दिखाया गया है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निश्चित होती है। उसको देखने से पता चलता है कि एकाधिकार की तरह अपूर्ण प्रतियोगिता में भी, सीमान्त आय कीमत से कम होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में वह कीमत के बराबर होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में अनुकूलतम पैदावार की मात्रा पूर्ण प्रतियोगिता के हिसाब से कम होती है। अनुकूलतम पैदावार वह राशि है जिसपर लाभ (एकाधिकारी के लिए एकाधिकार आगम—अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में) होता है।



निम्नांकित रेखा चित्रों में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मूल्य निश्चय करने की विधि का निरूपण



किया गया है। रेखा चित्र नं० ६३ में अल्पावधि में होनेवाली स्थिति समझायी गई है और रेखा चित्र नं० ६४ में दीर्घावधि में। अल्पावधि में, अनुकूलतम पैदावार अ म है, जबकि म र तथा म स प बिन्दु पर काटने हैं, अर्थात् सीमान्त आगम सीमान्त लागत के बराबर है। इस तरह र क प' स असाधारण लाभ होता है। लेकिन, दीर्घावधि में, यह प्रतियोगी अवस्था के कारण खत्म हो जाता है। अनुकूलतम पैदावार अधिक होती है।

४. अपूर्ण प्रतियोगिता में व्यावसायिक सस्थाओं की संख्या तथा आकार (Size and Number of the Firms under Imperfect Competition) —जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में व्यावसायिक सस्थाओं की संख्या इस प्रकार सगठित की जाती है कि साम्य (equilibrium) की स्थिति में हर एक फर्म अनुकूलतम अथवा सर्वोत्तम आकार वाली होगी। इन हालतों में अनुकूलतम आकार से नीचे वाली व्यवसायी सस्थाएं आगे बढ़ेंगी। जैसे वे बढ़ें उनकी लागत गिरेगी लेकिन उनके अतिरिक्त उत्पादन से प्राप्त कीमत वहीं रहेगी। अगर प्रतियोगिता अपूर्ण है तो संभव है वह फर्म न बढ़ें। उसके बढ़ने में निःसंदेह सीमांत व्यय कम हो जायगा, लेकिन साथ-साथ इसकी कीमत भी कम हो जाएगी क्योंकि उसकी उत्पादन की मात्रा उसकी कीमत पर प्रभाव डालेगी। यह संभव है कि कीमत कम हो जाने

पर विक्रय के लाभ से भी अधिक हानि हो, इसलिए वह फर्म आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करेगी। अस्तु, अयोग्य फर्म (inefficiency firms) जब तक अपूर्ण प्रतियोगिता है, तब तक रह सकती हैं। इस तरह सभी फर्म अनुकूलतम आकार की नहीं होंगी। उपर्युक्त कथन से यह भी स्पष्ट है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में किसी व्यवसाय के अन्दर व्यवसायी सस्थाओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता में व्यवसायी सस्थाओं की संख्या से अधिक हो सकती है। यह इसलिए सम्भव है कि अयोग्य फर्म पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाहर निकल जाती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में योग्य व्यवसायी सरथाए अयोग्य व्यवसायी सस्थाओं को बाजार से बाहर निकालने में असमर्थ रहती है। क्योंकि ऐसा करने में योग्य व्यवसायी सस्थाओं को अयोग्य व्यवसायी सस्थाओं के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कुछ सीमा तक वस्तुओं की कीमत में कमी करनी पड़ती है। और योग्य फर्म ऐसा करना उचित नहीं समझती। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य की थोड़ी कमी ही अयोग्य फर्मों के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके अयोग्य फर्मों को बाजार के बाहर निकालने में समर्थ हो जाती है।

इस प्रकार जब प्रतियोगिता अपूर्ण होती है, तब बहुत सी फर्म उत्पादन क्षेत्र में होती हैं और प्रत्येक का उत्पादन अनुकूलतम उत्पादन से कम होता है। उनमें से बहुत सी सामान्य लाभ से अधिक लाभ उठा लेती हैं। इस प्रकार एकाधिकार इस बात में हो सकता है कि प्रत्येक के पास एक अर्धस्वतन्त्र बाजार हो जिसकी रक्षा, परिवहन लागत (transport cost), अनभिज्ञता और क्लेताओं की सरक्षकता का द्वारा हो। ऐसी परिस्थितियों में समाज को लाभ अधिक होगा यदि उद्योग में कुछ कम फर्म हो। फर्मों की संख्या कम होने से प्रत्येक फर्म अनुकूलतम आकार की हो सकेगी। इससे लागत घट जायगी और साथ-साथ कीमत भी।

इस प्रकार अब हम अपूर्ण प्रतियोगिता से होने वाली हानियों के अध्ययन की ओर बढ़ेंगे।

५ अपूर्ण प्रतियोगिता से हानिया (Wastes of Imperfect Competition) — जो हानिया एकाधिकार के सम्बन्ध में ऊपर कही गई हैं इनके अतिरिक्त कुछ और भी हैं, जो अपूर्ण प्रतियोगिता से सम्बन्धित हैं। ऊपरी तौर से यह कमी-कमी “प्रतियोगिता की हानियों” के रूप में खयाल की जाती है, लेकिन इन्हें “एकाधिकार की हानिया”^१ अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता की हानिया कहना अधिक अच्छा होगा। यह हानिया क्लेताओं के स्वभाव, पूर्वाग्रह (prejudice), तथा अनभिज्ञताओं के कारण होती हैं।

(क) प्रतियोगिक विज्ञापन-व्यय साधारणतया प्रतियोगिता की हानियों की सूची में शामिल किया जाता है। पर वास्तव में यह पूर्ण प्रतियोगिता के कारण नहीं, बल्कि अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण होता है। यदि प्रतियोगिता पूर्ण हो तो इतनी लागत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तब तो हरेक फर्म अपनी कीमत को थोड़ा कम करके अपनी

विक्री बढ़ा लेगी। अपूर्ण प्रतियोगिता में उपभोक्ताओं की परम्परागत पसन्दगी को तोड़ने के लिए कीमत में बहुत भारी कमी करने की आवश्यकता होगी। इससे यह बात ज्ञात होती है कि प्रचार पर रुपया व्यय करके उपभोक्ताओं को फुसलाना "कि अमुक प्रचारक सभ्यता की उत्पादित वस्तु अन्य प्रतिद्वन्द्वियों से अच्छी है," देश और जाति को आर्थिक हानि पहुंचाना है।

(ख) एक ही वस्तु के दुहरा परिवहन का व्यय भी ऐसा ही एक अपव्यय है। उत्तर भारत की सस्था दक्षिण भारत के उपभोक्ताओं को कोई वस्तु बेचती है। तथा उसी समय वही वस्तु दक्षिण भारत की सस्था उत्तर भारत में बेचती है। इस प्रकार की दशा भी पूर्ण प्रतियोगिता के न होने के कारण पैदा होती है। यदि प्रतियोगिता पूर्ण होती तो थोड़ी सी कीमत कम करके उत्तर भारत की सस्था वहां के क्रेताओं को आकर्षित करती और दक्षिण भारत की सस्था दक्षिण के क्रेताओं को अपनी ओर आकर्षित करती। इससे परिवहन व्यय में काफी बचत हो जाती। प्रायः होगा यह है कि व्यावसायिक सस्थाएं अपने प्रचार व परिवहन पर अधिक व्यय करती हैं, इसे वह अधिक ठीक समझती हैं, लेकिन वस्तुओं की कीमत को थोड़ा कम करके अपने पड़ोसी क्रेताओं को उनकी पसन्दगी के अनुसार आकर्षित नहीं करती।

(ग) अपूर्ण प्रतियोगिता का तीसरा अपव्यय यह है कि हर एक फर्म जिसके लिए वह अधिक उपयुक्त है, उसमें विशेषता प्राप्त करने के लिए असफल हो जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसी विशेषता तभी प्राप्त होती है, जब कि उसमें कुछ वास्तविक किफायत हो। क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में हर एक सस्था को प्रचार पर रुपया व्यय करना पड़ता है, और अपने प्रतिरोधियों से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भी कीमतें कम करनी पड़ती हैं इसलिए प्रत्येक फर्म अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार तथा गुण वाली वस्तुओं को उत्पन्न करना अधिक ठीक समझती है।

(घ) अपूर्ण प्रतियोगिता से होने वाले अपव्यय के सम्बन्ध में पहले ही बताया जा चुका है। अपूर्ण प्रतियोगिता की एक और हानि यह है कि ऐसी हालतों में वह दोग्ध व्यवसायी सस्थाएं, जो कि कम व्यय में उत्पादन कर सकती हैं अयोग्य फर्मों (inefficient firms) को बाजार से हटाने में असमर्थ होती हैं। यदि प्रतियोगिता पूर्ण है तो फर्मों अपना कुल उत्पादन इतना बढ़ावेंगी कि कीमत सीमान्त लागत तक आजाय जिसके फलस्वरूप अयोग्य व्यावसायिक सस्थाएं पूर्ण (supply) करने में असमर्थ रहे। लेकिन यदि प्रतियोगिता अपूर्ण है तो योग्य व्यावसायिक सस्था को अपनी प्रतिरोधी अयोग्य व्यावसायिक सस्था के उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी रुपया व्यय करना पड़ेगा या इस उद्देश्य-प्राप्ति के लिए अपनी कीमत को घटाना पड़ेगा। इसलिए यद्यपि अयोग्य फर्मों सीमान्त लागत से अधिक कीमतें ले रही हों तो भी योग्य फर्मों उनको बाजार से हटाना पसन्द न करेंगी।

(च) अपूर्ण प्रतियोगिता उन वस्तुओं के मान को स्थापित करने में बारा उल्लस सकती है, जो उत्पादन के सर्वोच्च तरीकों को प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक हैं। उच्च उत्पादन लागत पर विभिन्न प्रकार की मोटरे कई फर्मों द्वारा बनाई जाती

यदि केवल कुछ डिजाइनों की ही मोटरें बनाई जायें तो बड़ी मात्रा की पैदावार के लाभ के कारण प्रति इकाई लागत काफी घटाई जा सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता में इस प्रकार की वृहद् उत्पादन इकाइयाँ निकलेंगी। अपूर्ण प्रतियोगिता में कोई उत्पादक एक विशेष डिजाइन की कारों अधिक संख्या में उत्पादन करने का खतरा नहीं उठायेगा, क्योंकि अपने प्रतिस्पर्धी उत्पादकों के पास से क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए जो व्यय होगा, वह अधिक मात्रा में उत्पादन की किफायती से अधिक होगा।

द्व्यधिकार तथा अल्पाधिकार (Duopoly and Oligopoly)—अभी तक हमने ऐसी स्थिति पर विचार किया है जहाँ एक अकेला एकाधिकारी (एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का एक समूह) सारे बाजार का मालिक होता है। पर दूसरी स्थितियाँ भी इस संसार में आ सकती हैं। एक वह है जब कि एक के बजाय दो एकाधिकारी एकाधिकार की शक्ति रखते हों। इसको द्व्यधिकार कहते हैं। दूसरी वह है जब दो से अधिक या कुछ विक्रेता एकाधिकार शक्ति रखते हों। इसको अल्पाधिकार कहते हैं। इस प्रकार के एकाधिकार कीमत सम्बन्धी अपनी निजी समस्याएँ प्रस्तुत करते हैं। अल्पाधिकार एकाधिकार तथा एकाधिकार प्रतियोगिता से भिन्न है, चूँकि एकाधिकार में, बेचने वाला एक (व्यक्ति) है, लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता में उनकी काफी बड़ी संख्या होती है और अल्पाधिकार में बेचने वालों की संख्या बहुत कम होती है।

द्व्यधिकार में एकाधिकारी एक समान वस्तु को बेचते मान लिये जाते हैं। बहुधा दोनों में दलबन्दी होगी। वे एक कीमत मान ले अथवा भाग स्थिर कर लें, या प्रादेशिक बटवारा कर लें जिसमें वह अपनी वस्तुएँ बेचें। विशेषकर ऐसा तब होगा जबकि उनकी लागत बराबर या लगभग बराबर है और माग स्थायी तथा लोचदार है। स्पष्ट रूप से यह दलबन्दी ऐसी स्थिति या पैदा कर देती है जो कि एकाधिकार से विल्कुल मिलती जुलती है और कीमत निर्धारण एकाधिकार की भाँति ही होगा।

यदि दोनों में कोई समझौता नहीं होता, तो स्थिति बदल जायगी। सबसे अधिक सम्भावना इस बात की है कि उनमें सदैव कीमत की लड़ाई होगी। सबसे महत्वपूर्ण सोचने की बातें हैं लागत तथा प्रतिस्पर्धी को निकालने में लाभ, दोनों फर्मों का सापेक्ष आकार (relative size), माग की लोच तथा ग्राहकों की गतिशीलता, जिस फुरती से कि प्रतिस्पर्धी दूसरे की नीति में परिवर्तन होने से प्रत्याघात करता है तथा किस सीमा तक कीमत में रियायत को गुप्त रखा जा सकता है और इस प्रकार आगे भी।

यदि उत्पादक विभेद नहीं है और माल समान रूप का है तो इन दो उत्पादकों के बीच के उपभोक्ता उपेक्षित रहते हैं और दीर्घावधि में दोनों से समान कीमत ली जानी चाहिए, वरना जो ज्यादा कीमत लेगा, वह कुछ भी नहीं बेच पायेगा। उन्हें ऐसी कीमत निश्चित करनी चाहिए जिससे यह पता लगे कि दोनों एकाधिकारी (monopolists) एक समान हैं। सिर्फ इसी तरीके से वे अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति हो कि दोनों के बीच भाव तय करने पर परस्पर झगडा होता है तो वे सिर्फ सामान्य लाभ ही कमा सकेंगे जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता

की स्थिति में होता है। यदि उनकी लागते भिन्न-भिन्न हैं तो कम कीमत वाला दूसरे की विक्री को पट कर देगा और इस प्रकार साधारण एकाधिकार की स्थिति स्थापित हो जायगी। इसलिए द्वचधिकारी के लिए सब से अच्छा उपाय यही है कि वे एकाधिकार कीमत निश्चित करें और इस प्रकार मार्केट तथा लाभ को परस्पर बाँट लें। अल्पावधि में यह सम्भव है कि प्रतियोगिता कीमत से द्वचधिकार कीमत कम हो तो कोई भी उत्पादक सामान्य लाभ नहीं उठायेगा। दीर्घावधि में यह कीमत एकाधिकार कीमत तथा प्रतियोगिता कीमत के बीच की होगी।

जिस दशा में उत्पाद विभेद होता है तो प्रत्येक उत्पादक के अपने ग्राहक होते हैं और उसकी अपनी साख (गुडविल) होती है। यदि कोई उत्पादक अपनी कीमत पैदावार नीति को बदल दे तो इस तरह प्रतिस्पर्धियों द्वारा बदला लेने की भावना भी लुप्त हो जाती है। इस प्रकार कीमतों के निश्चय करने पर होने वाले द्वन्द्व का डर भी खत्म हो जाता है। उनमें परस्पर कोई करार ही नहीं होगा। चूकि उत्पाद समान रूप के नहीं होते, इसलिए वह फर्म जो अच्छी किस्म का माल तैयार कर रही है उसे सामान्य से अधिक लाभ कमाने की गुजायश रहती है।

अल्पाधिकार (oligopoly) में कीमत का सिद्धान्त (pricing theory) मूल रूप में वही है। अन्तर केवल इतना ही है कि जितनी अधिक फर्में होंगी उतना ही अधिक अन्तर सीमान्त लागत में होगा और समझौते की सम्भावना भी अधिक दूर होगी। विज्ञापन, अनुसन्धान, विनियोग तथा मुनाफे का अनुमान अनिश्चित होता है। उद्यमी का स्वभाव चाहे आशावादी हो या निराशावादी हो, स्थिति को और जटिल बना देता है। चूकि वे सब प्रामाणिक उत्पादन से सम्बन्ध रखते हैं और वे हर एक कुल उत्पादन का एक बड़ा भाग उत्पन्न करते हैं, इसलिए हर एक की कीमत व उत्पादन नीति दूसरे पर अधिक प्रभाव डालती है, परन्तु कोई भी नहीं बता सकता कि कैसे।

“अल्पाधिकार द्वारा निश्चित की गई कीमत जिसमें उत्पाद विभेद नहीं है बन जाती है। किन्तु व्यापक रूप से उत्पादको की सत्या अधिक होने पर कम होगी, जब तक कि अन्त में पूर्ण प्रतियोगी साम्यावस्था पर पहुँचने तक काफी हो जाती है।”

जिस दशा में उत्पाद विभेद है, एकाधिपत्य फैसले होने की ओर भी कम सम्भावना है। चूकि उत्पाद समान नहीं होने, अल्पाधिकारी उत्पादक अपने ग्राहकों को कम किये बिना ही कीमतों को चढ़ा सकता है और गिरा सकता है। तीव्र प्रतिस्पर्धा की सम्भावना नहीं रहती। तो भी उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा की तीव्र भावना एकाधिकार प्रतियोगिता को जन्म दे सकती है। दीर्घावधि में कीमत ऐसे स्तर पर तय हो जो एकाधिकार कीमत तथा तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच का हो।

अल्पाधिकार में एक फर्म की वस्तु के लिए माग का स्वरूप एक त्रिशेषता रखता है। वर्तमान कीमत से ऊँची कीमत पर यह लोचदार और वर्तमान कीमत से नीची कीमत पर यह कम लोचदार है। यदि वह कीमत बढ़ा देता है तो वह अपने बाजार का बहुत बड़ा भाग (अपने प्रतिस्पर्धियों को) खो देता है और यदि कीमत गिरा देता

वितरण : सामान्य सिद्धान्त

(DISTRIBUTION : GENERAL PRINCIPLES)

१. भूमिका—वर्तमान प्रसंग में 'वितरण' का अर्थ व्यापारियों तथा विचौलियों के वितरण कार्यों (चेप्टाओ) से नहीं है। चैपमैन (Chapman) के शब्दों में, "वितरण किसी वर्ग द्वारा उत्पादित किये गये धन को एजेंटों अथवा उनके मालिकों के तथा जो भी उत्पादन में सक्रिय रहे हैं, उनके बीच बांटने से संभव रखता है।"¹ दूसरे दृष्टिकोण से वितरण का सम्बन्ध सिद्धान्त उत्पादन के साधनों की सेवाओं के मूल्यांकन (evaluation) से है। अर्थात् इन साधनों की इकाइयों की मांग तथा पूर्ति की दशाओं का अध्ययन करना और उन प्रभावों का जिनके कारण उनकी भाकॉट कीमत में परिवर्तन होता है। इस रूप में वितरण का सिद्धान्त अधिकतर विनिमय (अथवा मूल्य) सिद्धान्त का विस्तार (extension) मात्र है।

प्रारम्भिक समाज में उत्पादन का ढग इतना साधारण था कि सभी साधनों की पूर्ति एक आदमी स्वयं कर लिया करता था। वितरण का प्रश्न इसलिए उठता ही नहीं था और किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे उत्पादन जटिल होता जाता है और विभिन्न एजेंट विशेषता प्राप्त करते जाते हैं उन्हें विभिन्न क्षेत्रों से पाने के लिए उचित पारिश्रमिक की आवश्यकता होती है। साथ ही यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि कुल उत्पादन की कितनी मात्रा किस साधन के द्वारा हुई है। इस प्रकार समस्या जटिल हो जाती है, और सचेष्ट अध्ययन की आवश्यकता होती है।

यहां यह बताना जरूरी है कि जिस वितरण का जिक्र किया है वह कृत्य सम्बन्धी (functional) है न कि व्यक्तिगत। इस तरह यह वितरण व्यक्तियों के बीच न होकर उत्पादन के एजेंटों के बीच होता है। एक ही व्यक्ति अपने में उत्पादन के चारों एजेंटों के रूपों में हो सकता है, जैसे किसान स्वामी (peasant proprietor)। वितरण का कार्य उद्यमी (entrepreneur) के द्वारा सम्पादित होता है। वह उनकी सेवाएं लेता है और प्रत्येक एजेंट को जो एवज (reward) मिलता है वह उसके द्वारा की गई सेवाओं की कीमत है जिसकी अदायगी उद्यमी करता है।

२. एक अलग सिद्धान्त की आवश्यकता (Need for a Separate Theory)—विनिमय में हमने पढ़ा कि कीमतों का सिद्धान्त क्या है। यह वह सिद्धान्त है, जिसके द्वारा किसी वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है। क्या वही सिद्धान्त उत्पादन के एजेंटों द्वारा, जो सेवा की जाती है, उसकी कीमत निर्धारित नहीं कर

सकता। नहीं, एक अलग सिद्धान्त की आवश्यकता है। मार्शल^१ (Marshall) वितरण के अलग सिद्धान्त की आवश्यकता इसलिए उचित समझते हैं कि “स्वतन्त्र व्यक्ति अपने काम पर उसी प्रकार उन्हीं सिद्धान्तों पर नहीं लाये जा सकते, जिस प्रकार कि मशीन, एक घोड़ा या एक दास लाया जा सकता है।” वे आगे कहते हैं कि “अगर वे ऐसे होते तो मूल्य के वितरण और विनिमय अगो में बहुत कम अन्तर होता, क्योंकि आकस्मिक असफलताओं की माग और पूर्ति में समायोजन (adjustment) की गुजाइश को छोड़ कर प्रत्येक उत्पादन का एजेंट उतना बदला चाहता है जो कि उत्पादन की लागत को सभी तरह से पूर्ण कर सके।” परन्तु समुचित रूप से केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि और भी उत्पादन के साधनों में जैसे पृथ्वी आदि में, प्रधानतया पूर्ति के मामले में विचित्र विशेषताये होती हैं। उदाहरण के लिए, उत्पादन के साधनों की सीमान्त उत्पादन लागत उसी अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती जब कि अन्यत्र उसे हम साधारण वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ जमीन प्रकृति की उपहार स्वरूप है। इसकी सफ़ाई सदा के लिए नियत है। जब एकवार सब जमीन काम में लाई जा चुकी है तो उसकी पूर्ति किसी भी दशा में बढ़ाई नहीं जा सकती, चाहे कितनी अधिक कीमत उसकी सेवाओं के लिए क्यों न दी जाय। इसमें कोई उत्पादन लागत नहीं होती। वह इस अर्थ में जैसा कि रेडियो सेट में होता है पूँजी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है परन्तु इसका पूर्ति-मूल्य, जैसा कि और वस्तुओं में होता है, उत्पादन की सीमान्त लागत के आश्रित नहीं रहता। जहाँ तक श्रम का सवाल है, मला एक मनुष्य के उत्पादन की सीमान्त लागत क्या हो सकती है? मनुष्य व्यापार के विचार से पैदा नहीं किये जाते। यही एक उद्योग पर भी लागू होता है।

इस प्रकार मूल्य का सिद्धान्त, जो कि वस्तुओं (commodities) के मूल्य निर्धारण में मदद देता है, वह पूर्ण रूप से सेवाओं (services) के मूल्य अथवा विभिन्न उत्पादन के एजेण्टों का राष्ट्रीय लाभांश (national dividend) के भाग के मूल्य निर्धारित करने में लागू नहीं होता। दो बातों में दोनों सिद्धान्त—मूल्य का सिद्धान्त और वितरण का सिद्धान्त—एक दूसरे में मिलते-जुलते हैं (१) माग पक्ष में, दोनों वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य सीमान्त उपयोगिता अथवा सीमान्त उत्पादन शक्ति के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, और (२) पूर्ति के परिवर्तन से, जो तात्कालिक प्रभाव मूल्य के ऊपर पड़ता है, वह भी एक समान ही होता है, जैसे पूर्ति में पसार उसके मूल्य को कम कर देगा, तथा इसके विपरीत भी ऐसा होगा।

किन्तु पूर्ति पक्ष में कुछ मुख्य अन्तर हैं, प्रधानतया कीमत का प्रभाव पूर्ति पर पड़ता है। जब एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति महंगाई का लाभ उठाने के लिए बढ़ जाती है। परन्तु उत्पादन के एजेण्टों के मामले में ऐसा नहीं होता। उदाहरणार्थ यदि किराया अथवा मजदूरी बढ़ जाती है, तो भूमि व श्रम की पूर्ति क्रमशः नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार उत्पादन के साधनों की पूर्ति उनके पुरस्कार-परिवर्तन के साथ

शीघ्रता से नहीं बदलती । एक एजेंट की पूर्ति माग के अनुसार उतनी तेजी से नहीं बदल सकती जितनी कि वस्तु की पूर्ति बदल सकती है ।

यही नहीं, एक उत्पादन के एजेंट की उत्पादन-लागत निर्धारित नहीं की जा सकती । उत्पादन के एजेंट की उत्पादन-लागत के बारे में कहना, जैसाकि श्रम के बारे में कहना भद्दा मालूम पड़ता है । क्या आप एक मजदूर की अथवा एक एकड़ भूमि की उत्पादन-लागत बता सकते हैं ? इस प्रकार यद्यपि एक वस्तु के विषय में हम कह सकते हैं कि उसका मूल्य दीर्घकाल में लगभग उत्पादन लागत के बराबर हो जाता है, परन्तु यह प्रश्न उत्पादन के एजेंट के सम्बन्ध में नहीं उठ सकता क्योंकि उसकी लागत निर्धारित नहीं की जा सकती ।

इन विशेषताओं के होते हुए भी माग और पूर्ति का सामान्य सिद्धान्त उत्पादन के एजेंटों के लिए भी लागू होता है । परन्तु उसमें कुछ आवश्यक सुधार करने होते हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि मूल्य के सिद्धान्त से वितरण का सिद्धान्त अलग रखा जाय ।

३ राष्ट्रीय लाभांश (The National Dividend)—हमें पहले यह जानना जरूरी है कि किस वस्तु का वितरण करना है । यह वस्तु राष्ट्रीय लाभांश है अथवा राष्ट्रीय आय (national income) जिसे सहकारी एजेंटों (co-operative agents) में बांटना है । राष्ट्रीय लाभांश की परिभाषा विभिन्न रूपों में की गई है । पीगू (Pigou) के अनुसार “राष्ट्रीय लाभांश वस्तुपरक आय का वह भाग है, जिसमें विदेश में हुई आय भी शामिल रहती है, जो मुद्रा में मापी जा सकती है ।”

इस प्रकार पीगू के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश को निश्चित करने में केवल वही वस्तुएं व सेवाएं शामिल की जानी चाहिए, जिनका बाजार में विनिमय हुआ हो । यह परिभाषा उन सेवाओं को, जो एक व्यक्ति स्वयं अपने कुटुम्ब के व्यक्तियों की अथवा दोस्तों की निःशुल्क करता है, अलग रखती है । उसी प्रकार सार्वजनिक सम्पत्ति, जैसे बागों अथवा पुलों (टोल-रहित) आदि द्वारा उठाये जाने वाले निःशुल्क लाभों को भी शामिल नहीं करती । यह परिभाषा बहुत सर्कीर्ण है और विरोधियों को बढ़ावा देती है । पीगू ने स्वयं एक का उल्लेख किया है । यदि एक आदमी घर की नौकरानी से शादी कर लेता है तो राष्ट्रीय आय कम हो जायगी । यह इसलिए कि अब सेवाओं के लिए कुछ चुकाना नहीं पड़ता, हालांकि सेवाएं वही हो रही हैं ।

राष्ट्रीय आय (परिभाषा) (National Income)—राष्ट्रीय आय वह समस्त साधन आय (factor income) (अर्थात् श्रम तथा सम्पत्ति का अर्जन) है जो माल तथा सेवाओं के चालू उत्पादन की सहायता से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा उपजता है । राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्देश उत्पादन के साधनों से है (अर्थात् जन तथा सम्पत्ति से) जिसकी पूर्ति राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र (national territory) के सामान्य निवासियों द्वारा होती है ।

राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र वह क्षेत्र (territory) है जो देश के सीमा-शुल्क (customs) सीमान्त के भीतर होता है । शेष राज्यक्षेत्र ऐसे देश के लिए दूसरे देश होते हैं । फिर भी राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र की परिभाषा की जयनी अर्हताएँ

(qualifications) है। किसी देश के उड़ते हुए वायुयान तथा विदेश जाते हुए जलपोत जिन पर राष्ट्रीय झंडा लगा है उन्हें चाहे वे किसी भी देश के जल-प्रागण (territorial waters) में हो अथवा ऊपर वायु में उड़ रहे हो राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र के भाग ही माने जाने चाहिए। इसी प्रकार विदेशी झंडे से सज्जित जल-पोत तथा जहाज चाहे वे उस देश के जल-प्रागण में हो अथवा ऊपर वायु में उड़ रहे हो दूसरे देश माने जाने चाहिए। दूतालय, सरकारी मिशन को किसी भी देश में राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र के रूप में मानना चाहिए। इसी प्रकार दूतालय, सरकारी मिशन तथा सशस्त्र सेना जो राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र में स्थापित है उस देश के सम्बन्ध में जुदा विश्व के भीतर मानना चाहिए।

सामान्य निवासी उन्हें कहा जाता है जिनका निवास-स्थान उस देश के राष्ट्रीय सीमात में स्थापित होता है। किसी देश के टूरिस्ट जो बाहर विदेशों में भ्रमण करते हैं उस देश के सामान्य निवासी माने जाते हैं, लेकिन किसी देश के नागरिक जो प्रायः वाहर रहते हैं उन्हें ऐसा नहीं माना जाता। किसी देश के सरकारी प्रतिनिधि जो विदेश भूमि पर रह सेवा कर रहे हैं उन्हें उसी (अपने देश का) देश का सामान्य निवासी माना जाता है।

आय की उत्पत्ति उसी राज्यक्षेत्र से मानी जाती है जिस पर कि आय-उत्पादक (income-generating) आर्थिक चेष्टा होती है। किसी देश के राज्यक्षेत्र से कमाई गई आय को शुद्ध भौगोलिक (net geographical) अथवा गृह-उत्पाद (domestic product) कहा जाता है। चूँकि किसी देश के राज्यक्षेत्र में उत्पन्न (originate) वाली साधन आय (factor income), आय-प्राप्ति के साधनों की मालकियत (ownership of income-earning factors) के कारण विदेशियों को प्रोद्भूत (accrue) हो सकती है तथा साधन आय का एक भाग जिसकी उत्पत्ति विदेशी राज्यक्षेत्र में है उसी कारण से उस देश के सामान्य नागरिकों के लिए प्रोद्भूत हो सकती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय तथा शुद्ध गृह उत्पाद (net domestic product) में भेद है। इसमें (राष्ट्रीय आय में) शुद्ध गृह उत्पाद तथा विदेशों से शुद्ध आय शामिल है। दूसरे प्रकार की आय साधन आय का वह आधिक्य (excess) है जिसकी उत्पत्ति विदेश में होती है लेकिन देश के सामान्य वासियों को प्रोद्भूत होती है और यह वह आय है जो किसी देश में आरम्भ होने वाली साधन आय के अलावा है लेकिन जो बाकी ससार के सामान्य निवासियों को प्रोद्भूत होती है।

चूँकि साधन आय का उदय माल तथा सेवाओं के उत्पादन से होता है, और चूँकि यह आय माल और सेवाओं से बढ़ती है (expanded), इसलिए माल और सेवाओं की तीन पर्यायी परिभाषाएँ देना संभव है। पहली, राष्ट्रीय आय की परिभाषा के अन्तर्गत बताया गया था कि यह बटने वाले शेष का कुल योग है। (sum of distributive shares) अर्थात्, यह आय भुगतान (income payments) का कुल जोड़ है जोकि उत्पादन के साधनों की सहायता से निर्दिष्ट काल में किसी

राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र के सामान्य निवासियों द्वारा पूर्ति से प्राप्त होता है। दूसरे, इसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (net national product) कह सकते हैं, अर्थात्, माल और सेवाओं द्वारा प्राप्त कुल शुद्ध पैदावार (aggregate net output) जो किसी काल में राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र के सामान्य निवासियों के उपभोग (consumption) अथवा पूँजी निर्माण (capital formation) के लिए मिलती है। इस रूप में इसका माप "किसी निर्दिष्ट काल में समस्त आर्थिक चेष्टाओं के अन्तर्गत जोड़े गए कुल शुद्ध मूल्य (aggregate net values) तथा बाहर से प्राप्त शुद्ध आय" है। तीसरे, इसको शुद्ध राष्ट्रीय खर्च (net national income) कह सकते हैं, अर्थात् किसी निर्दिष्ट काल में राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र के सामान्य निवासियों द्वारा अन्तिम उपभोग तथा गृह तथा विदेशी विनियोजन (foreign investment) पर किया गया कुल खर्च। निर्दिष्ट काल प्रायः एक वर्ष होता है। इस प्रकार परिभाषा करने से राष्ट्रीय आय के अग्र-प्रद्वय हमारे सामने आते हैं, अर्थात् वैयक्तिक रूप से उपभोग पर व्यय (personal consumption expenditures), सकल निजी तथा घरेलू विनियोजन (gross private domestic investment), शुद्ध विदेश विनियोजन (net foreign investment), तथा सरकार द्वारा माल तथा सेवाओं का क्रय। इन चारों मदों के जोड़ से सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product) का मार्केट कीमत का पता चलता है। यदि हम इस कुल योग में से पूँजी उपभोग (घिसाई तथा टूटफूट) तथा परोक्ष कर (राजकीय सहायता) घटा दें तो इस प्रकार शुद्ध राष्ट्रीय आय निकल आती है।

४. राष्ट्रीय आय का माप (Measurement of National Income)—राष्ट्रीय आय की उपर्युक्त तीन परिभाषाओं के कारण इसे (राष्ट्रीय आय) को मापने के तीन वैकल्पिक उपाय (alternative methods) सामने आते हैं। पहला उपाय "समस्त उत्पादकों के सकल उत्पाद (विक्री + स्वतः उपभोग + स्टॉक में वृद्धि) के कुल मूल्य को जोड़ लेना और फिर उसमें से इन उत्पादकों का दूसरे उत्पादकों के कुल क्रय, तथा उत्पादन के दौरान में उपभोग में आने वाले उपकरणों की घिसाई आदि को घटा देना" है। उत्पादकों की सकल पैदावार के मूल्य में से, मध्यवर्ती उत्पाद उपभोग तथा उत्पादन के दौरान में काम आने वाले उपकरणों की घिसाई आदि के खर्च कम करने से उसके द्वारा जोड़ा गया शुद्ध मूल्य (net value) अथवा अ-दोहरे उत्पाद (unduplicated produce) के कुल मूल्य में उसके अंशदान (contribution) का पता चलता है। इस प्रकार के शुद्ध आंकड़े (net figures) का प्राक्कलन (estimate) प्रत्येक उद्योग के बारे में लगाया जा सकता है। इन प्राक्कलनों के जोड़ से साधन लागत (factor cost) पर होने वाली शुद्ध गृह उत्पादन (net domestic product) का पता चलता है। इस कुल योग (aggregate) में बाहर से प्राप्त आय जोड़ने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन अथवा साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का पता चलता है। उपर्युक्त उपाय को राष्ट्रीय आय प्राक्कलन करने का उत्पाद उपाय (product method) कहते हैं।

दूसरा उपाय राष्ट्रीय राज्य-भेद में रहने वाले सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादन के साधनों को प्रोद्भूत (accrue) होने वाली आयों का जोड़ है, अर्थात् मजदूरी (wages) तथा दूसरे प्रकार की थमिकों को होने वाली आय, व्याज, किराया तथा अनिगमित उद्यमों (unincorporated enterprises) की आय (माल के स्टॉक में परिवर्तन मात्र होने से प्राप्त आय) जोड़ना। इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय आय मापने का आय उपाय (income method) कहते हैं।

तीसरा उपाय उपभोग तथा विनियोग के लिए उपलब्ध तैयार माल के मार्केट मूल्य को जोड़ना है। तथा ऐसे समायोजन (adjustment) करना जो मार्केट कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सावन लागत से प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय आय में से घटाने के लिए जरूरी हो।

५ राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयाँ (Difficulties of Measuring National Income)—भारत जैसे अर्ध-विकसित देश में राष्ट्रीय आय मापन के कार्य में कई कठिनाइयाँ हैं, जैसे धारणा सम्बन्धी (conceptual) तथा सांख्यिकी (statistical)। इनमें से मुख्य ये हैं

(क) पैदावार की जितनी मात्रा का द्रव्य से विनिमय नहीं होता, इसका कारण चाहे यह हो कि उसका उपभोग उत्पादक स्वयं कर लेते हैं अथवा दूसरी वस्तुओं तथा सेवाओं से वस्तु-विनिमय (barter) हो जाता है, तो यह समस्या खड़ी हो जाती है कि राष्ट्रीय पैदावार में क्या शामिल किया जाय तथा इसका क्या मूल्य आका जाय।

(ख) अनिगमित उद्यमों (unincorporated enterprises) के व्यापार की मात्रा, जिससे खाते इस प्रकार तैयार नहीं होंगे कि पैदावार की मात्रा तथा मूल्य आदि के प्राक्कलन (estimation) में आसानी हो। इस प्रकार की सूचना तो सिर्फ राज्य की ओर से चालू तथा निगमित उद्यमों में ही आसानी से प्राप्त हो सकती है।

(ग) एक उद्योग की पैदावार दूसरे उद्योग की पैदावार का काम करती है जिससे इसका मूल्य दूसरे में भी जुड़ जाता है, तो इस दोहरे हिसाब (double counting) को घटाने की समस्या बनी रहती है। इस तरह मूल्यांकन प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है।

(घ) उपलब्ध सामग्री (data) व्यापक (comprehensive), शुद्ध (accurate) तथा अद्यावधिक (up-to-date) नहीं होती जो राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन में सही रूप से सहायता कर सके।

(ङ) जहाँ (जैसा कि भारत में है) अर्थव्यवस्था के भीतर कृत्यों (functions) के विशिष्टीकरण की कमी है, वहाँ राष्ट्रीय आय का औद्योगिक उत्पत्ति (industrial origin) से वर्गीकरण करना असम्भव हो जाता है।

राष्ट्रीय आय का सिद्धान्त (The Theory of National Income)—उद्यमी विभिन्न साधनों की सेवा खरीदता है। उसी के जरिए विभिन्न साधनों को किराया

(rent), मजदूरी (wages), तथा व्याज (interest) आदि के रूप में अपना पारि-
तोषिक मिलता है। उद्यमी उत्पादन के विभिन्न साधनों को लगाने में स्थानापन्न सिद्धान्त के
अनुसार कार्य करता है। जब तक सब साधनों का सीमान्त उत्पादन समान नहीं होता
वह एक साधन को दूसरे साधन से बदलता रहता है। यह संयोग सब से अधिक किफायत
तथा अधिक से अधिक लाभ देने वाला होता है। सीमान्त उत्पादन शक्ति क्या है ?
किसी साधन के सीमान्त उत्पादन का अर्थ उस मात्रा से होता है जो उसकी
सीमान्त इकाई द्वारा कुल उत्पादन में वढोतरी होती है अर्थात् वह इकाई जिसे मालिक
अपने काम में लगाना उचित समझता है।। व्यापार की सीमा पर किसी साधन को
जो कुछ भुगतान किया जाता है, वह उस साधन की इकाई द्वारा बढे हुए उत्पादन के
मूल्य के बराबर होता है।

इसलिए उत्पादन के साधन उन स्थानों से हटकर जहाँ पर सीमान्त उत्पादन शक्ति
कम होती है, वहाँ चले जाते हैं, जहाँ सीमान्त उत्पादन शक्ति अधिक होती है। इस
प्रकार उत्पादन के किसी साधन की दी हुई पूर्ति ऐसे ढग से बाटी जाती है कि सब
प्रयोगों में उसका सीमान्त उत्पादन बराबर रहे।

इस प्रकार साम्य (equilibrium) की दशा में (i) उत्पादन के किसी साधन
की सीमान्त उत्पादन शक्ति सब व्यवसायों में बराबर रहती है। (ii) प्रत्येक उत्पादन
के साधन की सीमान्त उत्पादन शक्ति उसी व्यवसाय के अन्य उत्पादन साधनों की
सीमान्त उत्पादन शक्ति के बराबर रहती है। (iii) उत्पादन के साधन की सीमान्त
उत्पादन शक्ति, उस साधन की कीमत द्वारा आकी जाती है।

इसलिए व्यवसाय के पूर्ण क्षेत्र में उत्पादन के प्रत्येक साधन का, उसकी सीमान्त
उत्पादन शक्ति के हिसाब से ही भुगतान किया जाता है। इस तरह राष्ट्रीय लाभांश
का वितरण कोई गडबड-घुटाला नहीं है जैसा कि हडतालों और तालाबन्दी वाले बताते
हैं। यह निश्चित रूप से आर्थिक सिद्धान्त पर आधारित है।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रतियोगिता क्षेत्र में काम करने वाला एक व्यव-
सायी उत्पादन के साधनों के लिए जो कीमत देता है, वह पहले ही से निर्धारित होनी
है। चूँकि उसके उत्पादन के साधनों की माग कुल माग का महत्त्वहीन भाग होता है,
इसलिए उसके कम व अधिक साधन लगाने से उनकी कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं
पड़ता। उसका काम साधनों को काम में लाकर उस बिन्दु पर पहुँचाना होता है, जिससे
कि उनकी सीमान्त उत्पादन शक्ति उनकी कीमत के बराबर हो जाय, जो कि बाजार
शक्तियों से पहले से ही निर्धारित होती है। उसी प्रकार उत्पादन के एक साधन का मूल्य,
किसी व्यक्तिगत व्यवसायी की सीमान्त उत्पादन शक्ति से नहीं, बल्कि व्यवसायों की
एकत्रित सीमान्त उत्पादन शक्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है।

उपर्युक्त सिद्धान्त कुछ धारणाओं में ठीक है। प्रथम यह मान लिया जाता है कि साधन
की सब इकाइयाँ समान (homogeneous) होती हैं, जिससे कि जैसी एक इकाई
अच्छी होती है उसी प्रकार दूसरी भी। दूसरे, विभिन्न साधनों को एक दूसरे की जगह पर
लगाया जा सकता है। इसलिए सीमान्त पर यह सम्भव है कि कुछ अधिक भूमि या

श्रम या पूजा लगाई जा सके। यदि स्थानापन्न समव नहीं है तो विभिन्न साधनों की सीमान्त उत्पादन शक्ति असमान (unequal) रहेगी। उस हालत में योग उत्पादन शक्ति अधिकतम से कम होगी। तीसरे, यह भी मान लिया जाता है कि किसी साधन की मात्रा में इच्छानुसार परिवर्तन लाया जा सकता है। इस प्रकार यह समव हो जाता है कि उसी साधन का कुछ अधिक या कुछ कम भाग काम में लाया जाय। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उस साधन का प्रयोग उस बिन्दु तक नहीं ले जाया जा सकता, जिससे उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति उसके व्यय के बराबर हो सके। चौथे, यह भी मान लिया जाता है कि विभिन्न कार्यों में उत्पादन के साधन इधर-उधर जा सकते हैं। अगर एक साधन, एक व्यवसाय अथवा कार्य से दूसरे में प्रयोग न किया जा सके तो उसकी सीमान्त-उत्पादन-शक्ति विभिन्न व्यवसायों में असमान रहेगी। अन्त में, यह सिद्धान्त घटती हुई प्राप्ति के नियम पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि अन्य वस्तुएँ बराबर रहने पर किसी साधन की पूर्ति की वृद्धि से योग उत्पादन ह्रास के अनुपात से बढ़ता है।

इन्हीं धारणाओं के अन्तर्गत यह है कि उत्पादन के चार साधनों में से प्रत्येक अर्थात् जमीन का लगान (rent of land), पूजा पर व्याज (interest on capital), श्रम की मजदूरी (wages of labour) तथा उद्यमी का लाभ (profits of enterprise) सीमान्त शुद्ध उत्पाद के मूल्य के समान होने का प्रयास करते हैं।

६. सीमान्त उत्पादन सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Marginal Productivity Theory)—इन स्वयंसिद्धियों के होते हुए भी यह सिद्धान्त अर्थशास्त्र-वेत्ताओं द्वारा सर्वमान्य नहीं है। इसकी बहुत सी आलोचनाएँ की गई हैं।

(1) पहली साधारण आलोचना यह है कि एक उत्पादित वस्तु उत्पादन के सभी साधनों का सामूहिक प्रयत्न है। उनमें से हर एक का भाग अलग करना असंभव है। यह आलोचना टाजिग और डेवनपोर्ट द्वारा की गई है, जो कि स्पष्ट रूप से सीमान्त उत्पादन शक्ति का गलत अर्थ लगाने से हुई है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, सीमान्त उत्पादन सीमान्त साधन के फलस्वरूप नहीं है, यह तो केवल वह वृद्धि है, जो कुल उत्पादन में इसकी एक और इकाई लगाने से होती है, अथवा वह घटी है जो इसकी एक इकाई कम करने से होती है।

(11) दूसरा आक्रमण हाव्पन ने किया है। वे कहते हैं कि यदि किसी विशेष साधन की इकाई हटा ली जाती है तो सारा व्यवसाय इतना असंगठित हो जाता है कि हटाई हुई इकाई की उत्पादन शक्ति से बहुत अधिक हानि उत्पादन में होती है। यह आलोचना भी सिद्धान्त के गलत प्रयोग से उत्पन्न होती है। हमारा ध्यान छोटे व्यवसाय के संगठन और साधन की बड़ी इकाइयों की ओर रहता है। अगर हम बड़े व्यवसाय और साधन की छोटी इकाइयों पर ध्यान दे तो यह स्पष्ट हो जायगा कि सीमा पर से साधन की एक इकाई हटा लेने से दूसरे साधनों की उत्पादन-शक्ति पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।

(111) इसके अतिरिक्त एक प्रतिकूल विचार है जिसके अनुसार सभी साधनों का

सीमान्त उत्पादन का जोड़ कुल उत्पादन से कम होगा। और इस प्रकार जो अन्तर होगा वह किसी एक साधन द्वारा नहीं बल्कि सबके सहयोग द्वारा होगा। विकस्टीड ने इस आलोचना का उत्तर दिया है। वह यह मान लेते हैं कि सभी साधनों की वृद्धि से उत्पादन का परिमाण भी उसी अनुपात से बढ़ेगा। लेकिन यह स्वयंसिद्धि, जिससे ज्ञात होता है कि व्यवसाय, स्थायी प्राप्ति (returns) नियम को मानता है, सदैव उचित नहीं होती और इसमें कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं।

(iii) एक अन्य आपत्ति, जो शुद्ध सीमान्त उत्पादन (marginal net product) को मापने में होती है, जान राविन्सन,¹ पीगू² और जे० आर० ह्विस³ द्वारा उल्लिखित की गई है। यह आपत्ति बताई गई है कि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन में जो किफायतें होती हैं, वह किसी फर्म के साधन की इकाई की सीमान्त उत्पादन शक्ति सम्पूर्ण व्यवसाय की उत्पादन शक्ति से कम होती है। ऐसा इसलिए है कि जब कोई इकाई किसी व्यवसाय में अधिक लगाई जाती है, तब उसके कारण एक बहुत बड़ा श्रम-विभाजन हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यवसाय नई पूर्ति के लिए स्वयं अपने को ठीक प्रवृत्त कर लेता है तो यह बिल्कुल सम्भव है कि किसी विशेष फर्म के साधन की सीमान्त उत्पादन शक्ति सम्पूर्ण व्यवसाय से कम हो क्योंकि इसका हटाया जाना व्यवसाय को एक विशेष फर्म से अधिक हानि पहुँचा सकता है। इसलिए ऐसे उद्योगों में एक साधन की सीमान्त उत्पादन शक्ति अनिर्धारित रहती है।

(v) हाब्सन का कहना है कि अधिकांश दशाओं में साधन (factors) के प्रयोगों को अलग-अलग करना सम्भव नहीं है। वह अनुपात जिससे साधनों को काम में लाया जा सकता है, व्यवसाय की विशेष कला की दशाओं, स्थायी पूँजी जैसे मशीन आदि के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उदाहरणार्थ, कुछ मशीनें ऐसी हैं जिनके लिए केवल एक मजदूर की आवश्यकता होगी। दो को लगाना गैर-किफायती होगा। जब हम किसी साधन के प्रयोग को बदल नहीं सकते, तो उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साधारणतया इसके लिए उत्तर दिया जाता है कि जिस अनुपात में विभिन्न साधनों को मिलाया जाता है, उनकी विभिन्नता में बहुत सम्भावनाएँ रहती हैं।

(vi) अन्त में, इसका भी विरोध किया जाता है कि इस सिद्धान्त में पूर्ति को स्थायी मान लिया जाता है। कार्य-रूप में अधिकतर एक साधन का पुरस्कार उसकी पूर्ति पर भी प्रभाव डालता है। यह सिद्धान्त मांग की समस्याओं पर ही विचार करना है, पूर्ति की नहीं।

यह याद रखना चाहिए कि यह सिद्धान्त तभी ठीक उतरेगा जबकि यह मान लिया जाय कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता (perfect competition) को देगा है। क्योंकि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती, इसलिए साधनों का

1 The Economics of Imperfect Competition, p 327.

2 Economics of Welfare

पारिश्रमिक उनके सीमान्त उत्पादन के बराबर नहीं होता। साथ ही यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जो पारिश्रमिक सीमान्त उत्पादन के बराबर होता है, वह नैतिक दृष्टि से न्याययुक्त भी है।

जैसा कि सेमुअलसन (Samuelson) कहते हैं “यह सीमान्त उत्पादन सिद्धान्त वह सिद्धान्त नहीं है जो मजदूरी, लागत अथवा व्याज की व्याख्या करता है। इसकी अपेक्षा यह केवल यह बताता है कि किस भाँति फ़म उत्पादन के साधनों को किराये पर लेती है जब कि एक बार उनकी कीमत मालूम हो जाती है।”

यह सिद्धान्त वास्तव में क्रियात्मक तथा आदर्शात्मक (positive and normative) है। यह सिद्धान्त यह नहीं बताता कि सीमान्त उत्पाद के आधार पर साधन को दिया गया पुरस्कार (reward) उचित ही है।

वितरण के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए फ़ेजर (Fraser) कहते हैं “कोई भी अर्थशास्त्री यह दृढतापूर्वक नहीं कह सकता कि सिद्धान्त अब भी पूरा है अर्थात् अकादेमी के ढाँचे के रूप में भी। इसमें अपने गुणों की खराबी है। चूँकि यह सरल और दृढ है, इसलिए यह अमूर्त तथा अवैयवितक (abstract and impersonal) है। इसमें कई बातें छोड़ दी गई हैं। इसमें छूट तथा कमीशन (omission and commission) के दोष पाये जाते हैं। इसके स्वयंसिद्ध प्रमाण बहुत दृढ तथा सकुचित हैं।”

निर्देश पुस्तकें

Marshall, A — Principles of Economics

Hubert Phillips—Value and Distribution

Clark—The Distribution of Wealth

Readings in the Theory of Income Distribution Chapters 3, 8 and 11, (American Economic Association)

Hicks, J R —Theory of Wages

Fraser, L M —Economic Thought and Language, 1947

Ch XVII

लगान (RENT)

१ लगान का अभिप्राय (Meaning of Rent)—हमें सबसे पहले किराए (लगान) का विश्लेषण कर लेना चाहिए, उत्पादन के प्रथम साधन अर्थात् भूमि (land) के एवज (reward) का।

लगान क्या है—साधारण भाषा में 'लगान' का आशय किसी वस्तु के किराए से होता है, जैसे मकान, तागे अथवा मशीन आदि का किराया। पर अर्थशास्त्र में "आर्थिक लगान" (economic rent) शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है।

इसका अर्थ केवल उस भुगतान से होता है जो किरायेदार भूमि (अर्थात् प्रकृति उपहार) के उपयोग के बदले में करता है। पर यह आवश्यक नहीं है कि जो किराया जमींदार को देता है वह किराया "आर्थिक लगान" के बराबर ही सम्भव है कि इस किराये में उस पूँजी का व्याज भी सम्मिलित हो जो जमींदार मारत बनवाने अथवा वाड़े या नाली का प्रवन्व करने में लगाता है। अर्थशास्त्र का प्रयोग अधिकतर आधिक्य (surplus) के अर्थ में होता है अर्थात् उत्पादन साधन वर्तमान व्यवसाय में अपनी पूर्ति बनाये रखने के लिए आवश्यकता से अधिक प्राप्त करता है।

सरलता से समझा जा सकता है कि इस अर्थ में लगान तभी हो सकता है जब धन के साधन की पूर्ति पूर्ण लोच (elasticity) से कम है और अधिकतर का यही हाल है। यदि किसी साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है, तो यह अपनी ऊपर कोई वचत नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि जब यह साधन अपनी पूर्ति अधिक पाता हुआ पाया जाता है, तो इस साधन की अधिक इकाइयाँ लगीं और वचत समाप्त हो जावेगी। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता साधन की बाजार-कीमत उसकी पूर्ति-कीमत के बराबर होगी। पर जब पूर्ति धन के पारितोषिक (reward) के साथ-साथ घटती बढ़ती नहीं है, तो यह पूर्ति पर आवश्यकता से अधिक प्राप्त किये जायगी और इसको इस बात का डर न होगा कि साधन की नई इकाइयाँ आकर उसको उसके अधिक पारितोषिक में चर्चित कर देंगी। सामाजिक दृष्टिकोण से भूमि की पूर्ति पूर्णतः लोचरहित है और इस प्रकार इसकी पूर्ति इसके उपाजित धन से स्वतन्त्र है। ऊँचा लगान उसकी अधिक मात्रा को आकर्षित नहीं कर सकता और न कम लगान उसको कम ही कर सकता है। इसकी पूर्ति-कीमत शून्य है। इसलिए इसकी पूरी आय आर्थिक दृष्टिकोण से लगान कहलाती है। यही कारण है कि "लगान" शब्द का प्रयोग साधारणतया भूमि से जुड़ा हुआ है, हालांकि जैसा कि यहाँ बताया गया है, लगान की धारणा सब साधनों में लागू होती है।

हमने ऊपर कहा है कि सामाजिक दृष्टिकोण से भूमि (तथा अन्य प्राकृतिक उपहार) से प्राप्त सारा धन लगान कहा जा सकता है क्योंकि उनकी कोई पूंक्ति कीमत नहीं होती अथवा उत्पादन-लागत शून्य होती है। तो उत्पादन के ऐसे साधनों के लिए कोई भुगतान ही क्यों किया जाता है? इसका कारण यह है कि वे अपनी माग के सम्बन्ध में सीमित हैं। लगान कैसे उत्पन्न होता है? सौ साल से भी पहले डेविड रिकार्डो (David Ricardo) ने इसका उत्तर दिया।

२ रिकार्डो का लगान सिद्धांत (Ricardian Theory of Rent)—
रिकार्डो ने लगान की परिभाषा इस प्रकार की है—“लगान जमीन से उत्पादित वस्तु के उस भाग को कहते हैं, जो जमींदार को भूमि की मूल व अक्षय शक्ति (Original and indestructible powers) के उपयोग के लिए दिया जाता है।” इसको बहुत से लोग भूल से पूंजी पर व्याज के रूप में समझते हैं और साधारण भाषा में किसी भी प्रकार के उस भुगतान को लगान कहते हैं जो किसान जमींदार को देता है।”

रिकार्डो के अनुसार आर्थिक लगान उस वास्तविक वचत को कहते हैं जो कृषि की लागत निकाल लेने के बाद वचता है। कृषि की यह लागत श्रम, पूंजी व साहस की सेवाओं के भुगतान से पूर्ण की गई है।

यह आधिक्य (surplus) क्यों होता है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। मान लीजिए, किसी देश में अ, ब, स, द चार प्रकार की भूमि है। भूमि के कुछ टुकड़े दूसरे भागों की अपेक्षा अधिक उपजाऊ हैं, कुछ टुकड़े जनसंख्या अथवा परिवहन के साधनों की दृष्टि से अधिक अच्छी स्थिति में हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख कर हम यह मान लें कि इन चारों प्रकार की भूमि के टुकड़ों में “अ” सबसे श्रेष्ठ है तथा ब, स, और द क्रमशः द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के टुकड़े हैं। इन चारों प्रकार की भूमि में श्रम व पूंजी (labour and capital) की समान इकाया लगाने से टुकड़ों में गेहूँ की पैदावार इस क्रम से होती है —

श्रम व पूंजी की खुराक	गेहूँ का उत्पादन प्रति एकड़ (मनो में)			
	अ	ब	स	द
१ ली	१५	१४	१३	१२
२ री	१४	१३	१२	११
३ री	१३	१२	११	१०
४ थी	१२	११	१०	९
५ वी	११	१०	९	८
६ वी	१०	९	८	७

यदि अ वर्ग की भूमि पर्याप्त मात्रा में हो और प्रति एकड़ श्रम व पूंजी की एक

खुराक (dose) लगा देने से गेहूँ की सम्पूर्ण माग प्रचलित दर पर ही पूरी की जा सके तो इस भूमि का कोई लगान नहीं होगा। ऐसी दशा में यह प्रकृति के उपहार स्वरूप ही होगी।

अब मान लीजिए कि जन-संख्या इतनी बढ़ जाती है कि अ वर्ग की समस्त भूमि जुत जाती है और इस पर भी बढ़ती हुई माग को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में अ वर्ग की भूमि में और अधिक श्रम व पूजी लगाई जायगी व व वर्ग के टुकड़ों पर भी खेती होने लगेगी। यह तभी हो सकेगा जब कि गेहूँ के दाम इतने बढ़ जायें कि अ भूमि में श्रम व पूजी की और अधिक इकाइया (doses) व व भूमि में श्रम और पूजी की पहली इकाई लगाने से लाभ हो। दूसरे शब्दों में हमारी ऊपर की सूची के अनुसार १४ मन गेहूँ इतने में विकना चाहिए कि श्रम व पूजी की लगी एक इकाई की लागत (cost) निकल आये। अस्तु, अ वर्ग की भूमि में श्रम व पूजी की दो इकाइयों (doses) के लगाने से $१५ + १४ = २९$ मन गेहूँ पैदा होगा। पर दोनों इकाइयों के व्यय को पूरा करने के लिए $१४ \times २ = २८$ मन गेहूँ पर्याप्त है। अ भूमि में १ मन गेहूँ की वचत है। इसलिए किसान चाहे तो बिना लगान दिये व वर्ग की भूमि को जोत सकते हैं और प्रति एकड़ श्रम व पूजी की एक इकाई लगा कर १४ मन गेहूँ पैदा कर सकते हैं अथवा भूमिके मालिकों को १ मन गेहूँ या द्रव्य में उनके बराबर मूल्य लगान के रूप में देकर प्रति एकड़ श्रम व पूजी को एक इकाई लगा कर १४ मन गेहूँ प्राप्त कर सकते हैं। यदि पूर्ण प्रतियोगिता (perfect competition) होगी तो अ वर्ग की भूमि का यह लगान अवश्य स्थिर हो जायगा।

अब चूँकि गेहूँ की माग बढ़ती ही जाती है और साथ-साथ कीमत भी बढ़ती जाती है, इसलिए यह कम चलता रहेगा। एक ओर तो श्रेष्ठ टुकड़ों पर श्रम व पूजी की अधिकाधिक इकाइयाँ (doses) लगती रहेगी, दूसरी ओर निम्नतर टुकड़े खेती के लिए जूतने लगेंगे। प्रस्तुत श्रम व पूजी की इकाइयाँ इस प्रकार लगाई जायेंगी कि खेती की सीमा पर उत्पादन बराबर रहे। उदाहरणार्थ, यदि श्रम व पूजी की १४ इकाइयाँ प्राप्य हैं तो उनमें से ५ तो अ भूमि में लगेगी, ४ व में, ३ स में व २ द में। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग की भूमि में लगी अंतिम अथवा सीमान्त इकाई से समान प्राप्ति (same return) होगी (११ मन गेहूँ)। ऐसी दशा में गेहूँ का कुल उत्पादन $६५ + ५० + ३६ + २३ = १७४$ मन होगा। इस योग से अधिक उत्पादन किसी दूसरी प्रणाली द्वारा नहीं हो सकेगा पर इन इकाइयों का प्रयोग तभी हो सकेगा, जब कि गेहूँ का मूल्य इतना ही हो कि केवल ११ मन गेहूँ से ही श्रम व पूजी की इन इकाइयों की लागत पूरी हो जाय।

ऐसी परिस्थिति में विभिन्न प्रकार की भूमियों का लगान इस प्रकार होगा —

$$\begin{aligned} \text{अ वर्ग का लगान} &= (१५ + १४ + १३ + १२ + ११) - (११ \times ५) \\ &= (\text{कुल उत्पादन}) - (\text{कुल लागत}) \\ &= ६५ - ५५ = १० \text{ मन} \end{aligned}$$

$$\text{ब वर्ग का लगान} = ५० - ४४ = ६ \text{ मन}$$

$$\text{स वर्ग का लगान} = ३६ - ३३ = ३ \text{ मन}$$


द वर्ग का लगान = २३ - २२ = १ मन

यहां हमने उत्पादन के रूप में लगान का हिसाब लगाया है। उत्पादन के प्रचलित माप के अनुसार इसे द्रव्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

सीमान्त अथवा लगान-हीन भूमि (Marginal or No-rent Land) — जब सीमान्त उत्पादन ११ मन है तो हमारे उदाहरण में सभी प्रकार की भूमि के टुकड़े लगान देते हैं। यदि सीमान्त उत्पादन १२ मन हो जाय तो द भूमि का लगान नहीं रहेगा। ऐसी दशा में यह भूमि सीमान्त अथवा अन्तिम भूमि हो जायगी। ऐसी भूमि को "लगान-हीन भूमि" कहते हैं। इस भूमि में उत्पादन व्यय के ऊपर किसी वचत का उत्पादन नहीं होता। इसकी पैदावार केवल इतनी है कि उत्पादन की लागत पूरी हो सके। अस्तु, बाकी सब श्रेष्ठ टुकड़ों के लगान को इस टुकड़े के वाद से तथा इसके आधार पर नापा जायगा।

यह सीमान्त भूमि सब से कमजोर अथवा खराब न भी हो। हमको भूमि के गुण को नहीं बरन् उसका श्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग भी देखना है। सीमान्त भूमि अर्थात् वह भूमि जो हस्तांतरण की सीमा (margin of transfer) पर है, श्रेष्ठ भूमि हो सकती है। वह भूमि जो कपास की जोत के लिए श्रेष्ठ हो सकती है, गेहूँ के लिए भी श्रेष्ठ हो सकती है। यदि कपास की कीमत गिर जाती है तो यह भूमि सब में पहले गेहूँ में लगाई जायगी और इसलिए कपास के दृष्टिकोण से सीमान्त हो जायगी। यह सीमान्त भूमि का आधुनिक वृत्तान्त (modern version) कहा जा सकता है।

नीचे के चार रेखा-चित्र यह दिखाते हैं कि लगान कैसे पैदा होता है। रेखा-चित्र ६५ श्रेष्ठ भूमि अर्थात् अ वर्ग भूमि को प्रस्तुत करता है, रेखा-चित्र ६६ द वर्ग भूमि, रेखा-चित्र ६७ स वर्ग भूमि, भूमि द सब से कम उपजाऊ या सब से खराब भूमि है। हर एक चित्र में ओ ल औसत लागत वक्र है और स ल सीमान्त लागत वक्र। k_1, k_2, k_3, k_4 तथा k_5 बढ़ती हुई कीमतें प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि आगे (विभाग ५ में) बताया जायगा, हर एक भूमि उस बिन्दु तक जोती जायगी, जहां सीमान्त लागत कीमत के बराबर होती है (margi-



रेखा-चित्र नं० ६५ रेखा-चित्र नं० ६६ रेखा-चित्र नं० ६७ रेखा-चित्र नं० ६८

nal cost equals price)। मान लिया बाजार कीमत k_5 है तो केवल अ वर्ग भूमि की जुताई होगी। k_4 पर स ल (सीमान्त लागत वक्र) ओ ल (औसत लागत

घर) को काटता है, अर्थात् सीमान्त लागत औसत लागत के बराबर है। वह कीमत के भी बराबर है। इसलिए कुल आगम (revenue) (जो कि कीमत पर आचारित है) कुल लागत के बराबर है और कोई भी आधिक्य (surplus) अथवा लगान नहीं है। अब मान लिया जाय कि कीमत k_2 तक बढ़ जाती है। अब व वर्ग भूमि जोती जाने लगेगी पर यह कोई लगान न देगी। अ वर्ग भूमि लगान देना प्रारम्भ कर देगी। इस स्थिति पर रेखा-चित्र ६६ में स ल और औ ल, k_2 पर एक दूसरे को काटते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, यहाँ कोई वचत नहीं है। परन्तु रेखा-चित्र ६५ जो अ वर्ग भूमि को प्रस्तुत करता है देखो। रंगा हुआ क्षेत्र अब स k_2 लगान प्रस्तुत करता है। यह क्षेत्र अब अर्थात् सीमान्त लागत तथा औसत लागत के अन्तर को उ म₂ अर्थात् उत्पादन से गुणा करने से मिलता है। जब कीमत k_3 तक बढ़ जाती है तो स वर्ग भूमि से कोई लगान नहीं मिलता और व वर्ग भूमि से लगान मिलने लगेगा। जब कीमत k_4 तक बढ़ जाती है, तो द वर्ग भूमि सीमान्त भूमि या न लगान देने वाली भूमि हो जाती है, स वर्ग भूमि से लगान मिलने लगता है और अ तथा व वर्ग भूमि से लगान बढ़ जायेगा। जब कीमत k_4 तक बढ़ जाती है तो द वर्ग भूमि से भी दुर्लभता (scarcity) के कारण लगान मिलने लगता है। जब यह स्थिति हो जाती है तो हर प्रकार की भूमि का लगान हर चित्र में रगे हुए क्षेत्र से दिखाया गया है।

क्या सीमान्त अथवा लगानहीन भूमि का वास्तव में कोई अस्तित्व है? (Does marginal or no-rent land really exist) — बहुत से लोगों का विचार है कि इस प्रकार की भूमि होती ही नहीं है। ऐसी भूमि को हर व्यक्ति लेना चाहेगा और फलस्वरूप मालिक इस स्थिति में होगा कि लगान माग सके। पर इस विचार में अधिक सार नहीं है। लगानहीन भूमि होती है। इसका लगान पूँजी के व्याज के कारण होता है। भूमि स्वयं इस योग्य नहीं होती कि इससे कोई आधिक्य प्राप्ति हो। उदाहरणार्थ किसी ऊसर जमीन (waste land) को, जो बेकार पड़ी हो, लगान पर लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। पर यदि मालिक उसमें कुआ बनाव दे तो बहुत संभव है कि भावी आसामी उसके लिए कुछ देने को तैयार हो जाय। इससे यह प्रकट है कि भुगतान कुआ बनाने में लगी पूँजी के कारण किया जायगा, भूमि के कारण नहीं। बड़े खेतों में लगानहीन भूमि का अस्तित्व पता नहीं चलता क्योंकि इसमें लगान कुछ रुपये प्रति एकड़ के रूप में होता है। पर बड़े खेत में अच्छे व बुरे सभी प्रकार के एकड़ होते हैं। बुरी भूमि यदि अकेली दी जाय तो उसका कुछ भी लगान नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा भी तो वह आर्थिक लगान नहीं बल्कि दुर्लभता के कारण उत्पन्न लगान होगा। ऐसा उन पुराने देशों में होता है, जिनकी जनसंख्या बराबर बढ़ती रहती है। इन देशों में सीमान्त भूमि का भी लगान होता है, जिसे दुर्लभता के कारण पैदा होने वाला लगान कहते हैं। अधिक अच्छी भूमि में श्रेष्ठता के कारण दुर्लभता लगान के साथ-साथ आर्थिक लगान भी मिलता है क्योंकि उनमें प्राकृतिक भेद रहता है। फिर उसी बाजार को पूर्ति करने वाली सीमांत भूमि, आस्ट्रेलिया अथवा कॅनेडा आदि देशों में भी होकर इंग्लैंड जैसे पुराने देश के लिए सीमान्त भूमि हो सकती है।

दुर्लभता का लगान (Scarcity Rent) —आर्थिक लगान के अलावा दुर्लभता का लगान भी होता है। चूकि कीमत बढ़ती है इसलिए (द) भूमि में गहन कृषि (intensive cultivation) प्रारम्भ हो जाती है और लागत पर वचत होने लगती है। पर यह वचत किसी लगान-रहित भूमि के अस्तित्व के कारण नहीं बल्कि भूमि की दुर्लभता के कारण होती है। इसलिए इस प्रकार के लगान को दुर्लभता का लगान कहते हैं।

अस्तु, श्रेष्ठ भूमियों के लगान में दो प्रधान लक्षण होते हैं उनके लगान में सोमान्त भूमि पर अतिरिक्त लाभ और दूसरे दुर्लभता का लगान सम्मिलित होता है। उदाहरण के लिए यदि कृषि इतनी गहन हो कि द भूमि लगान के रूप में २ मन गेहूँ देने लगे तो श्रेष्ठ भूमि आर्थिक लगान के अतिरिक्त २ मन गेहूँ दुर्लभता के लगान का भी देगी। श्रेष्ठ भूमि का दुर्लभता का लगान वही होता है जो खराब भूमि का, परन्तु वह आर्थिक लगान भी प्रदान करती है। मार्शल के अनुसार “एक प्रकार से सभी लगान दुर्लभता के लगान हैं, और सभी लगान भिन्नक लगान भी।” (“in a sense all rents are scarcity rents, and all rents are differential rents”)¹ भिन्नक लगान का उदय प्रत्येक ग्रेड की भूमि की दुर्लभता के कारण होता है।

३ रिकार्डों के सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Ricardian Theory) —रिकार्डों के सिद्धान्त की बड़ी आलोचना हुई है। प्रथम तो “भूमि की मूलतः तथा अविनाशी शक्ति” नाम की कोई वस्तु नहीं होती। अच्छी भूमि भी लगातार जुतने के उपरान्त अपना उपजाऊपन खो देती है। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि उपजाऊपन समाप्ति के बाद भी यदि अच्छी भूमि में बुरी भूमि के साथ-साथ खाद डाला जाय तो अच्छी भूमि बुरी भूमि की अपेक्षा अपनी उत्पादन-शक्ति शीघ्र प्राप्त कर लेगी। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि पुराने देशों में जहाँ सदैव खाद डाली जाती है भूमि की ऊपरी पतें सदैव मनुष्य निर्मित हुआ करती है। पर यह बात नहीं है क्योंकि जलवायु, हवा, धूप और स्थिति प्रकृति की ओर से नियत होते हैं। इसलिए वे “मूल अविनाशी” होते हैं।

दूसरी बात जो इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में कही जाती है, वह यह है कि रिकार्डों ने ‘उपजाऊपन’ शब्द का प्रयोग अनिश्चित अर्थ में किया है। स्थिति के अतिरिक्त उपजाऊपन किसान की योग्यता व उत्पादन के साधनों पर भी निर्भर करता है, और फिर उपजाऊपन का सम्बन्ध उत्पादित फसलों से है।

तीसरी बात यह है कि रिकार्डों के सिद्धान्त के अनुसार लगान-रहित भूमि के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया जिससे काश्त की लागत वसूल हो जाती है। और अधिकतर ऐसा होता भी है—पर इस प्रकार की भूमि से किसी प्रकार का आर्थिक लगान प्राप्त नहीं होता। यह समस्या लगान की दुर्लभता से हल हो जाती है। सिद्धान्त

के वास्तविक प्रयोग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि लगान-रहित भूमि हो ही।

चौथे, इसके अतिरिक्त रिकार्डों के सिद्धान्त के अनुसार लगान का जन्म उन प्राकृतिक भिन्नक लाभ (natural differential advantages) के कारण होता है, जो अच्छी भूमि में सीमान्त भूमि की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। पर यदि यह मान भी लिया जाय कि सारी भूमि प्रथम श्रेणी की है, तब भी जब गहन खेती की जाती है, घटती हुई प्राप्ति के नियम के कारण लगान अवश्य होगा। वास्तव में उत्पादित वस्तु श्रम व पूँजी की लगी हुई सीमान्त इकाई की क्षति-पूर्ति उत्पाद द्वारा होनी चाहिए। इसलिए प्रारम्भ में लगी हुई इकाइयों से लागत पर वचत की प्राप्ति होगी जो लगान का रूप ले लेगी।

पाँचवें, यही नहीं, केरी (Carey) व रोशर (Roscher) के मतानुसार ऐतिहासिक अध्ययन यह सिद्ध करता है कि यह मान लेना कि नये देशों में केवल सर्वश्रेष्ठ भूमि की जुताई ही सर्वप्रथम होती है, गलत है। सच तो यह है कि ऐसे देशों में सर्वप्रथम उसी भूमि के टुकड़ों पर खेती होती है, जो सरलतापूर्वक प्राप्त हो सके, और यह आवश्यक नहीं है कि भूमि के ऐसे टुकड़े सर्वश्रेष्ठ ही हों। पर वाकर (Walker) का कहना है कि सर्वश्रेष्ठ भूमि से रिकार्डों का आशय केवल ऊपजाऊ भूमि से ही नहीं बल्कि ऐसी जमीन से था, जो उपजाऊन तथा स्थिति की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो।

और फिर रिकार्डों का यह कहना भी गलत बताया जाता है कि चूँकि सीमान्त भूमि पर कोई लगान नहीं होता और इसलिए लगान का उत्पाद की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार है कि यह सिर्फ सामूहिक रूप में अर्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण ही से नहीं है कि भूमि की सप्लाई पूरे तौर पर लोचहीन (inelastic) होती है। और उस पर आधिक्य अथवा लगान प्राप्त होता है। यह आधिक्य (surplus) लागत में शामिल नहीं किया जाता और इस प्रकार कीमत (price) में नहीं जुड़ता। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसान अथवा उद्योग के लिए, भूमि को दूसरे काम में बदले जाने से बचाने के लिए अदायगी (payment) करनी पड़ती है। इस भुगतान को हस्तान्तरण प्राप्ति (transfer earnings) कहते हैं और यह लागत का तत्व (element) होने से कीमत में जुड़ता है। व्यक्तिगत रूप से किसान के लिए सारा लगान ही लागत है। “हस्तांतरण प्राप्ति की इस धारणा से रिकार्डों के सिद्धांत को जहाँ हस्तांतरण प्राप्ति शून्य है, चूँकि अध्ययन समस्त अर्थ-व्यवस्था का होता है—वास्तविकता को सापेक्ष रूप से समझने में आसानी होती है।”

अन्त में रिकार्डों के सिद्धान्त की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना उन लोगों ने की है जो यह मानने को कभी तैयार नहीं हैं कि किसी ऐसे सिद्धान्त के द्वारा जो उत्पादन के अन्य साधनों पर लागू नहीं होता, लगान का निर्धारण किया जाय। इस मत के लोग लगान को भी मजदूरी, व्याज और लाभ की भाँति ही समझते हैं। उनका कहना है कि रिकार्डों ने लगान की जो विशेषता बतलाई है, वह वास्तविक नहीं है।

का कीमत पर प्रभाव पड़ता है।

दूसरे रूप में यह कहा जा सकता है कि लगान कीमत का कोई भाग नहीं होता। भूमि प्रकृति की उपहार-स्वरूप है, इसकी पूर्ति को स्थिर रखने के लिए किसी प्रकार के भुगतान की आवश्यकता नहीं होती। अस्तु, लगान का भूमि कीमत से कोई सम्बन्ध नहीं होता और वह उसकी उत्पादित वस्तुओं की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता।

पर जब हम सारी भूमि का नहीं, बल्कि भूमि के केवल उस भाग का, जिसका कोई विशेष प्रयोग हो रहा हो, अध्ययन कर रहे हैं, तब लगान कीमत को अवश्य प्रभावित करता है। अवसर लागत (opportunity cost) के सिद्धान्त से यह बात स्पष्ट है। भूमि के अधिक भागों के कई प्रयोग हो सकते हैं। न्यूनतम कीमत जिसका इसको भुगतान करना होगा, इतनी होगी जो कि यह भूमि अपने सबसे लाभदायक वैकल्पिक प्रयोग (alternative use) में प्राप्त करती है। यह अवसर लागत अथवा हस्तांतरण (transfer) कीमत कहलाती है। (देखिये विभाग १४)। भूमि के प्रयोग के लिए इस भुगतान का प्रभाव कीमत पर पड़ता है। हम जानते हैं कि बाजार कीमत उस बिन्दु पर निर्धारित होती है जहाँ कीमत अधिकतम मूल्यवाली भूमि (जिसको उद्योग में रखना पड़ता है) की सीमान्त लागत के बराबर है और इस सीमान्त लागत में हस्तांतरण कीमत मिली होती है।

प्रत्येक फर्म के दृष्टिकोण से सब साधनों का सारा लगान उत्पादन-लागत में शामिल होना चाहिए और इसलिए कीमत को प्रभावित करना चाहिए। यदि किसान किसी दूसरे की भूमि प्रयोग में ला रहा है, तो जो लगान वह देता है, वह उसकी लागत है। मालिक किसान की दशा में भी लगान लागत है परन्तु इसकी उपस्थिति छिपी हुई है। यदि वह इस भूमि को खुद न जोतता तो उसके लिए उसको जो भुगतान मिलता वह इस भूमि की अवसर लागत है।

इस समस्या का एक दूसरा पहलू भी है। कीमत वस्तु की माग से सवधित दुर्लभता (scarcity) द्वारा भी निश्चित होती है। वह उद्यमी जो लगान देता है, वह उसकी लागत का एक अंग होता है। यदि लगान अधिक होगा तो वह कम भूमि से काम चलाने का प्रयत्न करेगा। और यदि लगान कम होगा तो वह अधिक भूमि को काम में लेगा। यदि उद्यमी अधिक भूमि पर प्रयोग करेगा तो दूसरे प्रयोगों के लिए भूमि की कमी हो जायगी। और यदि वह कम भूमि का प्रयोग करेगा तो दूसरे कामों के लिए भूमि की मात्रा बढ़ जायगी। इस प्रकार विभिन्न प्रयोगों में भूमि की पूर्ति को प्रभावित करके लगान भिन्न-भिन्न वस्तुओं के मूल्य पर निश्चयात्मक प्रभाव डालता है।

यदि हम इस समस्या पर सूक्ष्म विश्लेषण करें तो "डेवनपोर्ट" के शब्दों में न तो लगान कीमत निश्चित करता है और न कीमत लगान निश्चित करती है। सच तो यह है कि कीमत और लगान दोनों पर ही भूमि से उत्पादित वस्तुओं की पारस्परिक दुर्लभता का प्रभाव पड़ता है। यही सिद्धान्त मजदूरी, व्याज और लाभ के साथ भी लागू होता है।

भूमि तथा बिल्डिंग लगान (Ground Rent and Building Rents)—
अभी तक हमने केवल कृषि की भूमि का ही अध्ययन किया है। पर लगान नगरों की भूमि पर भी होता है। नगरों में भी न्यूनता के दृष्टिकोण से लगान प्राप्त होता है। व्यापार के केन्द्रों के निकट अथवा खास सड़कों या रेलवे स्टेशन के समीप होने के कारण भूमि में श्रेष्ठता आ जाती है। शहरों में भी भूमि के कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं, जिनसे किसी प्रकार की वचत की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी भूमि को हम सीमान्त भूमि (marginal site) कह सकते हैं।

पर सीमान्त भूमि पर भी माग के अनुरूप न्यूनता के कारण लगान हो सकता है। इस प्रकार की भूमि फल आदि उत्पन्न करने अथवा बाग लगाने के काम आ सकती है। ऐसी दशा में अच्छी भूमि के टुकड़ों से दो प्रकार का लगान प्राप्त होता है। एक तो भिन्नता (differential type) के फलस्वरूप, दूसरा दुर्लभता (scarcity) का लगान। पर यह याद रखना चाहिए कि भिन्नता का लगान भी समस्या की कोई समुचित व्याख्या नहीं है। उदाहरण के लिए बड़े शहरों में बड़े बाजारों की दुकानों के किराये अधिक होने के दो कारण होते हैं। पहला तो भूमि की दुर्लभता, दूसरा विभिन्न प्रयोगों के लिए उसी भूमि की माग की प्रतियोगिता के कारण सापेक्ष दुर्लभता।

खेतिहर भूमि तथा शहरी भूमि के स्थानीय अथवा स्थिति कीमत में एक अन्तर है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। पहली दशा में यह केवल परिवहन (transport) की लागत का विषय है और दूसरी दशा में इसमें एकाधिकार (monopoly) का तत्त्व होता है। एक विशेष स्थान पर स्थित फुटकर दूकान कुछ ग्राहकों का एकाधिकार रखती है। यह ग्राहक स्वभाव से या सुविधा के कारण उस दूकान से खरीदते हैं। यह भली भाँति विदित है कि फुटकर विक्रेता भिन्न-भिन्न कीमतें लेते हैं। इस भिन्नता का कारण केवल परिवहन की लागत नहीं है। यह एकाधिकार का तत्त्व है जो इस भिन्नता की व्याख्या करता है।

जो किराया या लगान इमारतों के लिए दिया जाता है उसमें दो अंग होते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है इसमें एक ओर तो भूमि का किराया होता है तथा दूसरी ओर भूमि पर बनी हुई इमारत के प्रयोग का लगान होता है। इसमें दूसरे खर्च भी शामिल होते हैं। यदि इस प्रकार के व्यय लगान से पूरे नहीं होंगे तो मकानों की पूर्ति कम हो जायगी। यदि इस प्रकार के मकानों के मालिक इन्हें बेच देगे तो उनका यह यत्न होगा कि मकान की जो कीमत उन्हें मिले उसमें भूमि का पूँजीकृत मूल्य (capitalised value) व इमारत का लगान सम्मिलित हो। अल्प काल में मकान की लागत लगान पर कोई प्रभाव नहीं डालती क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मकान का लगान पर कम प्रभाव होता है और जो माग और पूर्ति के सिद्धान्त पर निश्चित होता है। अल्प काल में पूर्ति लगभग स्थिर होती है। क्योंकि मकान धीरे-धीरे तैयार होते हैं और धीरे-धीरे खराब होते हैं। और इसलिए माग या दूसरे शब्दों में सीमान्त उपयोगिता ही मकान का लगान निश्चित करती है।

७. खानों, खदानों तथा मीन-क्षेत्रों का लगान (Rent of Mines,

Quarries and Fisheries)—खानें तथा खदानें कृषि की भूमि की अपेक्षा कभी न कभी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए खानों के पट्टे लेने वाले जो लगान देते हैं, उनमें दो अग होते हैं। पहला लगान और दूसरा खान के खत्म हो जाने के कारण अधिकार शुल्क (royalty)। श्रेष्ठ खानों का लगान खान की लगान सीमान्त पर प्राप्त वचत के रूप में होने वाला भिन्नक आधिक्य (differential surplus) है। लगान की वास्तविक व्याख्या यही है कि खानों तथा खदानों की पूर्ति उनकी माग से कम होती है और न्यूनता के सिद्धान्त के आधार पर लगान का निर्णय होता है।

जहां तक मीन-क्षेत्रों (fisheries) का सम्बन्ध है, यदि मछलियों की पूर्ति निरन्तर हो तो उससे प्राप्त आय से उसके लगान की प्रकृति का निर्णय होगा। यह लगान उन मछलीगाहों (fisheries) के लगान से ऊपर नापा जायगा, जिनमें कम मछलियां प्राप्त होती हैं। पर यदि मछलियों के सगुप्त होने की आशंका हो तो इनमें भी खानों वाला सिद्धान्त लागू होगा। अन्त में यह सत्य है कि सदैव लगान दुर्लभता के सिद्धान्त से निश्चित होता है।

८ अर्द्ध-लगान (Quasi Rent)—सर्वप्रथम मार्शल ने अर्थशास्त्र में आभास लगान का प्रयोग किया था। मार्शल के अनुसार अर्द्ध-लगान उस वचत को कहते हैं, जो भूमि के अलावा उत्पादन के दूसरे साधनों द्वारा होती है। अर्थशास्त्र में भूमि से प्राप्त आय को 'लगान' कहते हैं, और अर्द्ध-लगान उस आय को कहते हैं जो मनुष्य के प्रयत्नों से बनी मशीनों और दूसरे यंत्रों से होती है। अर्द्ध-लगान उस लगान को कहते हैं, जिसका सम्बन्ध उस तमाम आप से होता है, जो माग बढ़ जाने के कारण उत्पादन के साधनों से प्राप्त होती है। अर्द्ध-लगान उस समय में प्राप्त होता है, जब उत्पादन साधनों की पूर्ति माग के अनुसार बढ़ाई नहीं जा सकती। लगान और अर्द्ध-लगान में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि भूमि की पूर्ति स्थिर होती है पर उत्पादन के दूसरे साधन, जैसे इमारत, कल आदि की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है।

उदाहरण के लिए, युद्ध-काल में नगरों की जनसंख्या बढ़ जाने के कारण मकानों की माग अचानक बढ़ गई। पर इमारतों के लिए भूमि न मिल सकने के कारण इनकी पूर्ति अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती थी। कुछ समय के लिए यह पूर्ति भूमि की ही भांति स्थिर हो गई। फलस्वरूप राज्य की ओर से नियंत्रण होने पर भी किराये अत्यधिक बढ़ गये। मकानों के किराये में इस प्रकार अनुचित वृद्धि को ही अर्द्ध-लगान कहते हैं। इसे आर्थिक लगान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दीर्घविधि में मकानों की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है।

अर्द्ध-लगान अस्थायी आधिक्य (वचत) है। जैसे-जैसे इमारती सामान मिलने लगता है और नये मकान बनने प्रारम्भ हो जाते हैं, वैसे ही वैसे यह वचत समाप्त होने लगती है। इस प्रकार की वचत दूसरी टिकाऊ वस्तुओं (durable goods) में भी हो सकती है। इसी भांति किसी प्रकार की कौशल (skill) की स्थायी कमी के कारण अर्द्ध-लगान पैदा हो जाता है, जो एक समय पश्चात् बढ़ाया जा सकता है।

दीर्घ काल में इस प्रकार की वस्तुओं से प्राप्त आय तत्कालीन व्याज की दर के

बराबर होनी चाहिए। अस्थायी रूप से ऐसी वस्तुओं से अर्द्ध-लगान अवश्य प्राप्त होगा। अर्द्ध-लगान को व्याज से भिन्न सनझना चाहिए। व्याज वह प्राप्ति है जो मुफ्त तथा प्लवमान पूँजी (free and floating capital) से होती है। अर्द्ध-लगान वह प्राप्ति है जो विशिष्टीकृत तथा उपयोजित पूँजी (specialised and sunk capital) अर्थात् पूँजी के पुराने विनियोजन (investment) से प्राप्त होती है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि आर्थिक लगान तथा अर्द्ध-लगान का अन्तर और वास्तव में किमी भी उत्पादक साधन के उत्पादन में केवल मात्रा का अन्तर होता है। मार्शल के शब्दों में “चल पूँजी पर प्राप्त होने वाला व्याज वास्तव में एक प्रकार का लगान ही होता है—एक ऐसा आभास लगान जो पूँजी के पुराने विनियोजन पर प्राप्त होता है। चल पूँजी अथवा उत्पादन की किसी विशेष शाखा में लगी हुई पूँजी में विभाजन की कोई निश्चित रेखा नहीं खिंची होती। यही नहीं, पुरानी या नई पूँजी में भी कोई अन्तर नहीं होता।” इस प्रकार लगान बड़े वर्ग की वस्तु है (a leading specie of a large genus) इन में से प्रत्येक में दुर्लभता के कारण वचत होती है। पर चूँकि और साधनों की अपेक्षा भूमि की पूर्ति अधिक सीमित है, इसलिए अर्थशास्त्रियों ने भूमि को प्रथम वर्ग में रखा है, किंतु मूलतः इस प्रकार की विभिन्नता का कोई उचित कारण नहीं है।

यह आवश्यक है कि इस विषय में एक भ्रम निवारण हो जाय। बहुत से लोगों ने अर्द्ध-लगान को अनावश्यक लाभ कहा है। इस प्रकार के भ्रम का कारण यह है कि दीर्घकालीन और अल्पकालीन परिस्थितियों में समुचित अन्तर नहीं किया जाता। अल्प काल में अर्द्ध लगान अनावश्यक लाभ समझा जा सकता है क्योंकि यह कीमत का अंग नहीं होता और इसको प्राप्त करने के लिए कोई विशेष व्यय नहीं करना पड़ता। दीर्घ काल में अनेकों अतिरिक्त व्यय करने पड़ते हैं और यह आवश्यक है कि व्यापारी को अपने इन खर्चों का पूरा प्रतिफल मिले। ऐसी परिस्थितियों में आभास लगान व्यय का एक अंग होता है और इसलिए इसे ‘आवश्यक लाभ’ समझना चाहिए।

६ लगान और आर्थिक उन्नति (Rent and Economic Progress)।
—आर्थिक उन्नति का लगान पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। आर्थिक उन्नति तीन बातों से प्रकट होती है। (क) उत्पादन के साधनों में औद्योगिक उन्नति (ख) परिवहन के साधनों में उन्नति (ग) जनसंख्या में वृद्धि।

(क) कृषि में उन्नति से तब प्रकार की भूमि पर बराबर प्रभाव पड़ता है। यह भी हो सकता है कि केवल श्रेष्ठ भूमि अथवा निम्नतर भूमि पर ही प्रभाव पड़े। यदि सब प्रकार की भूमि पर बराबर प्रभाव पड़े तो अनाज की पूर्ति बढ़ जायगी। और चूँकि माग वही रहेगी इसलिए इसकी कीमत गिर जायगी और रिकार्डों के सिद्धांत के अनुसार श्रेष्ठ भूमि के लगान गिरने लगेंगे। दूसरे शब्दों में कृषि में उन्नति से अनाज की पूर्ति बढ़ने के कारण लगान घट जायगा। अनाज की पूर्ति का बढ़ना लगभग भूमि की पूर्ति

Quarries and Fisheries)—खानों तथा खदानों कृषि की भूमि की अपेक्षा कमी न कमी समाप्त हो जाती है। इसलिए खानों के पट्टे लेने वाले जो लगान देते हैं, उनमें दो अग होते हैं। पहला लगान और दूसरा खान के खत्म हो जाने के कारण अधिकार शुल्क (loyalty)। श्रेष्ठ खानों का लगान खान की लगान सीमान्त पर प्राप्त वचत के रूप में होने वाला भिन्नक आधिक्य (differential surplus) है। लगान की वास्तविक व्याख्या यही है कि खानों तथा खदानों की पूर्ति उनकी माग से कम होती है और न्यूनता के सिद्धान्त के आधार पर लगान का निर्णय होता है।

जहाँ तक मीन-क्षेत्रों (fisheries) का सम्बन्ध है, यदि मछलियों की पूर्ति निरन्तर हो तो उससे प्राप्त आय से उसके लगान की प्रकृति का निर्णय होगा। यह लगान उन मछलीगाहों (fisheries) के लगान से ऊपर नापा जायगा, जिनमें कम मछलियाँ प्राप्त होती हैं। पर यदि मछलियों के सम्पत्त होने की आशका हो तो इनमें भी खानों वाला सिद्धान्त लागू होगा। अन्त में यह सत्य है कि सदैव लगान दुर्लभता के सिद्धान्त से निश्चित होता है।

८ अर्द्ध-लगान (Quasi Rent)—सर्वप्रथम मार्शल ने अर्थशास्त्र में आभास लगान का प्रयोग किया था। मार्शल के अनुसार अर्द्ध-लगान उम वचत को कहते हैं, जो भूमि के अलावा उत्पादन के दूसरे साधनों द्वारा होती है। अर्थशास्त्र में भूमि से प्राप्त आय को 'लगान' कहते हैं, और अर्द्ध-लगान उस आय को कहते हैं जो मनुष्य के प्रयत्नों से बनी मशीनों और दूसरे यंत्रों से होती है। अर्द्ध-लगान उस लगान को कहते हैं, जिसका सम्बन्ध उस तमाम आप से होता है, जो माग बढ़ जाने के कारण उत्पादन के साधनों से प्राप्त होती है। अर्द्ध-लगान उस समय में प्राप्त होता है, जब उत्पादन साधनों की पूर्ति माग के अनुसार बढ़ाई नहीं जा सकती। लगान और अर्द्ध-लगान में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि भूमि की पूर्ति स्थिर होती है पर उत्पादन के दूसरे साधन, जैसे इमारत, कल आदि की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है।

उदाहरण के लिए, युद्ध-काल में नगरों की जनसंख्या बढ़ जाने के कारण मकानों की माग अचानक बढ़ गई। पर इमारतों के लिए भूमि न मिल सकने के कारण इनकी पूर्ति अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती थी। कुछ समय के लिए यह पूर्ति भूमि की ही भाँति स्थिर हो गई। फलस्वरूप राज्य की ओर से नियंत्रण होने पर भी किराये अत्यधिक बढ़ गये। मकानों के किराये में इस प्रकार अनुचित वृद्धि को ही अर्द्ध-लगान कहते हैं। इसे आर्थिक लगान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दीर्घावधि में मकानों की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है।

अर्द्ध-लगान अस्थायी आधिक्य (वचत) है। जैसे-जैसे इमारतों सामान मिलने लगता है और नये मकान बनने प्रारम्भ हो जाते हैं, वैसे ही वैसे यह वचत समाप्त होने लगती है। इस प्रकार की वचत दूसरी टिकाऊ वस्तुओं (durable goods) में भी हो सकती है। इसी भाँति किसी प्रकार की कौशल (skill) की स्थायी कमी के कारण अर्द्ध-लगान पैदा हो जाता है, जो एक समय पश्चात् बढ़ाया जा सकता है।

दीर्घ काल में इस प्रकार की वस्तुओं से प्राप्त आय तत्कालीन व्याज की दर के

बराबर होनी चाहिए। अस्थायी रूप से ऐसी वस्तुओं से अर्द्ध-लगान अवश्य प्राप्त होगा। अर्द्ध-लगान को व्याज से भिन्न समझना चाहिए। व्याज वह प्राप्ति है जो मुफ्त तथा प्लवमान पूजी (free and floating capital) से होती है। अर्द्ध-लगान वह प्राप्ति है जो विशिष्टीकृत तथा उपयोजित पूजी (specialised and sunk capital) अर्थात् पूजी के पुराने विनियोजन (investment) से प्राप्त होनी है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि आर्थिक लगान तथा अर्द्ध-लगान का अन्तर और वास्तव में किसी भी उत्पादक साधन के उत्पादन में केवल मात्रा का अन्तर होता है। मार्शल के शब्दों में "चल पूजी पर प्राप्त होने वाला व्याज वास्तव में एक प्रकार का लगान ही होता है—एक ऐसा आभास लगान जो पूजी के पुराने विनियोजनों पर प्राप्त होता है। चल पूजी अथवा उत्पादन की किसी विशेष शाखा में लगी हुई पूजी में विभाजन की कोई निश्चित रेखा नहीं खिंची होती। यही नहीं, पुरानी या नई पूजी में भी कोई अन्तर नहीं होता।" इस प्रकार लगान बड़े वर्ग की वस्तु है (a leading specie of a large genus) इन में से प्रत्येक में दुर्लभता के कारण वचत होती है। पर चूकि और सावनों की अपेक्षा भूमि की पूर्ति अधिक सीमित है, इसलिए अर्थशास्त्रियों ने भूमि को प्रथम वर्ग में रखा है, किंतु मूलतः इस प्रकार की विभिन्नता का कोई उचित कारण नहीं है।

यह आवश्यक है कि इस विषय में एक भ्रम निवारण हो जाय। बहुत से लोगो ने अर्द्ध-लगान को अनावश्यक लाभ कहा है। इस प्रकार के भ्रम का कारण यह है कि दीर्घकालीन और अल्पकालीन परिस्थितियों में समुचित अन्तर नहीं किया जाता। अल्प काल में अर्द्ध लगान अनावश्यक लाभ समझा जा सकता है क्योंकि यह कीमत का अग नहीं होता और इसको प्राप्त करने के लिए कोई विशेष व्यय नहीं करना पड़ता। दीर्घ काल में अनेको अतिरिक्त व्यय करने पड़ते हैं और यह आवश्यक है कि व्यापारी को अपने इन खर्चों का पूरा प्रतिफल मिले। ऐसी परिस्थितियों में आभास लगान व्यय का एक अग होता है और इसलिए इसे 'आवश्यक लाभ' समझना चाहिए।

६ लगान और आर्थिक उन्नति (Rent and Economic Progress)।
—आर्थिक उन्नति का लगान पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह प्रश्न बड़ा महत्त्वपूर्ण है। आर्थिक उन्नति तीन बातों से प्रकट होती है। (क) उत्पादन के साधनों में औद्योगिक उन्नति (ख) परिवहन के साधनों में उन्नति (ग) जनसंख्या में वृद्धि।

(क) कृषि में उन्नति से सब प्रकार की भूमि पर बराबर प्रभाव पड़ता है। यह भी हो सकता है कि केवल श्रेष्ठ भूमि अथवा निम्नतर भूमि पर ही प्रभाव पड़े। यदि सब प्रकार की भूमि पर बराबर प्रभाव पड़े तो अनाज की पूर्ति बढ़ जायगी। और चूकि माग वही रहेगी इसलिए इसकी कीमत गिर जायगी और रिकार्डों के सिद्धांत के अनुसार श्रेष्ठ भूमि के लगान गिरने लगेंगे। दूसरे शब्दों में कृषि में उन्नति से अनाज की पूर्ति बढ़ने के कारण लगान घट जायगा। अनाज की पूर्ति का बढ़ना लगभग भूमि की पूर्ति

के बढ़ने के बराबर ही है।

यदि इस उन्नति का प्रभाव केवल सीमान्त भूमि पर ही पड़े तो रिकार्डों के सिद्धान्त के अनुसार लगान फिर गिरने लगेंगे क्योंकि ऐसी दशा में श्रेष्ठ भूमि के उत्पादन और सीमान्त के उत्पादन में बहुत कम अन्तर रह जायगा। इसके विपरीत यदि इस उन्नति का प्रभाव केवल श्रेष्ठ भूमि के टुकड़ों पर पड़ेगा, तो लगान श्रेष्ठ भूमि की उत्पादन शक्ति अधिक होने के कारण बढ़ जायगा। पर यदि इस उत्पादन शक्ति के कारण कीमतों में किसी प्रकार का अवसाद आ जाय तो लगान गिर भी सकता है। अस्तु, लगान सदैव उत्पादित वस्तु की माँग व पूर्ति पर निर्भर करता है। कृषि में किसी प्रकार की उन्नति का प्रभाव जो लगान पर पड़ता है, वह कृषि के सीमान्त के प्रभाव के कारण इतना नहीं पड़ता जितना कि भूमि अथवा उसकी उत्पादन की दुर्लभता को प्रभावित करने से पड़ता है।

(ख) जहाँ तक परिवहन के साधनों ने उन्नति का सबध है, परिवहन के साधनों की उन्नति का लगान पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि दूर-स्थित स्थान भी बाजार के सपर्क में आ जायेंगे, इसलिए उनके लगान बढ़ जायेंगे। किंतु अधिक अच्छी जगह स्थित भूमि के लगान गिर जायेंगे। यदि यातायात के साधनों में उन्नति से दुर्लभता में वृद्धि होगी तो लगान बढ़ जायगा। पर इसके विपरीत परिस्थिति में लगान गिरने लगेंगे।

जनसंख्या की वृद्धि सदैव लगान को बढ़ाती है। रिकार्डों के सिद्धान्त के अनुसार अधिक गहन खेती व निम्नतर भूमि के प्रयोग के कारण ऐसा होगा। पर इसी बाल को अधिक आधुनिक ढंग से इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि से माँग के अनुसार भूमि की दुर्लभता बढ़ जाती है जिससे लगान में वृद्धि हो जाती है।

१० दूसरे साधनों में लगान का तत्त्व (Rent Element in other Factors)—लगान का तत्त्व केवल भूमि में ही नहीं वरन् उत्पादन के दूसरे साधनों में भी पाया जाता है।

(१) लाभ में भी लगान तत्त्व (Rent Element in Profits)—सारे एक सी योग्यता नहीं रखते। इतने ऐसे उद्यमी भी होते हैं जो कम लाभ पर भी किसी प्रकार अपना काम चलाया करते हैं। इस प्रकार के उद्यमियों को लाभ बहुत कम होते हैं किन्तु ऐसे उद्यमी भी होते हैं जो अपनी योग्यता के कारण कम व्यय में उत्पादन कार्य चला लेते हैं। इनको अधिक लाभ प्राप्त होता है जिसकी तुलना श्रेष्ठ भूमि से प्राप्त वचत से की जा सकती है। इन उद्यमियों का यह लाभ कुछ-कुछ श्रेष्ठ भूमि की स्थिति से प्राप्त लाभ की भाँति होता है। इस प्रकार लाभ में भी लगान का तत्त्व पाया जाता है। कुछ अर्थशास्त्री लाभ को योग्यता का लगान (rent of ability) कहते हैं।

(२) मजदूरी में लगान का अर्थ (Rent Element in Wages)—इस प्रकार श्रमिकों में विभिन्न प्रकार की कुशलता पाई जाती है। मजदूरी श्रमिक की कुशलता के अनुसार मिलती है। जो मजदूर अधिक कुशल होता है, उसे दूसरे मजदूरों की तुलना में उसी प्रकार की वचत प्राप्त होती है। यह सिद्धान्त आसानी से प्राप्त जमीनों

के लगान के समान है ।

(३) व्याज में लगान का अंश (Rent Element in Interest)—प्रचलित व्याज सीमान्त विनियोजक (marginal investor) का प्रतिफल होता है अर्थात् वह व्यक्ति जिसे वचाने का प्रोत्साहन मिला हुआ है । पर कुछ लोग कम दर पर भी वचत करना चाहते हैं । या तो ऐसे आदमी बहुत अमीर होते हैं अथवा उनके खर्च कम होते हैं । इस प्रकार के विनियोजकों को एक प्रकार की वचत को प्राप्ति होती है । यह वचत विस्तृत रूप में लगान के समान होती है । पर व्याज में गहरे लगान का भी तत्त्व होता है । नौकरी में बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि किसी साधन को न्यूनतम अदायगी का लालच दिया जाए । इसने अधिक होने वाली आमदनी (वचत) का स्वरूप लगान (rent) का है और यह तत्त्व प्रत्येक साधन (factor) में पाया जाता है ।

११. हस्तांतरण आय (Transfer Earnings)—समाज के पास बहुत कम साधन ऐसे होते हैं, जिनके कई प्रयोग न हों । उत्पादन के कुछ ही साधन बहुत विशिष्ट होते हैं । वास्तव में अधिक आय का आकर्षण ही साधनों को सदैव हस्तांतरण के लिए प्रेरित करता है । इस हस्तांतरण से आय में जो वृद्धि होती है, वह अर्थशास्त्र में हस्तांतरण आय कहलाती है । वैनहम के शब्दों में “द्रव्य का वह परिमाण जो कोई इकाई अपने उस सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग में प्राप्त करती है जिसकी आय सर्वाधिक हो, कभी-कभी हस्तांतरण आय कहलाती है ।”

हस्तांतरण आय के सिद्धांत का सम्वन्ध आर्थिक लगान के सिद्धांत से बहुत घनिष्ठ है । मान लीजिये कि भूमि के किसी टुकड़े में गन्ने के बजाय कपास पैदा करने से अधिक लाभ होता है । पर यदि कपास का लाभ गिर जाय और गन्ने के लाभ में वृद्धि हो जाय तो भूमि में गन्ने का उत्पादन होने लगेगा । ऐसी दशा में भूमि अधिक आय की प्राप्ति के लिए एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में लाई जायगी । यदि किसी साधन की आय हस्तांतरण होने के बाद प्राप्त होने वाली आय से अधिक हो तो वह लगान कहलाती है । वैनहम के अनुसार “साधारणतया उस वचत को जो कोई इकाई अपनी हस्तांतरण आय पर प्राप्त करती है, लगान का रूप दे दिया जाता है ।” यदि कोई भूमि का टुकड़ा केवल कपास के उत्पादन में ही लगा हो अर्थात् वह और कुछ न उत्पादन कर सकता हो तब उसकी हस्तांतरण आय शून्य होगी, और उस भूमि की कपास का उत्पादन लगान समझा जायगा । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि साधन की एक इकाई किसी उद्योग में अपने को उस उद्योग में बने रहने की पर्याप्त मात्रा से अधिक पैदा करती है तो वास्तविक आय और हस्तांतरण आय का अन्तर उस उद्योग के दृष्टिकोण से लगान कहा जा सकता है । श्रीमती रॉबिंसन के कथनानुसार “किसी उद्योग में साधन की इकाई को बनाए रखने के लिए जो कीमत देनी जरूरी है उसे हस्तांतरण प्राप्ति अथवा हस्तांतरण कीमत कह सकते हैं । इसको इस नाम से इसलिए पुकारते हैं चूंकि इससे कम कीमत चुकाने से वह (साधन) दूसरी जगह भागने की सोचेगा । इस प्रकार ऐसी किसी इकाई को किसी उद्योग में इतनी आय प्राप्त कर रहा है जो उसे अन्य जगह भागने (हस्तांतरण) से रोके हुए है तो हम उसे हस्तांतरण की सीमा

पर मानेंगे अथवा उसे सीमान्त इकाई कहेंगे।”

इस प्रकार, हस्तातरण आय की मान्यता (धारणा) के अनुसार, वह भूमि जो समस्त अर्थ-व्यवस्था के लिए (economy as a whole) अपनी लोचहीन प्राप्ति (inelastic supply) के कारण लगान कमानी है, उसे अन्य विशेष उद्योग में कुछ भी लगान न मिले। क्योंकि इसकी पूर्ति किसी उद्योग विशेष के दृष्टिकोण से पूर्णतया लोचदार हो सकती है। समस्त अर्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण से भूमि का कोई भी वैकल्पिक उपयोग नहीं होता। अतएव हस्तातरण की दृष्टि से इसकी हस्तातरित आय शून्य के बराबर है। इसलिए, भूमि की समस्त प्राप्ति इस विचार से लगान कहलाती है। लेकिन, किसी उद्योग विशेष में, भूमि हस्तातरित आय से अधिक प्राप्त कर सकती है। और हस्तातरण आय से अधिक प्राप्ति, भूमि के सम्बन्ध में उद्योग के अन्तर्गत लगान (rent) है। निजी उद्योग में भूमि को दूसरे लाभदायक काम में चले जाने से रोकने के लिए एक कीमत चुकानी होती है। इसी प्रकार, किसान को भूमि के उपयोग के एवज में एक कीमत चुकानी होती है, जिससे वह किसी अन्य काम में न आने लगे। इसलिए किसान के वास्ते वह जो लगान देता है वास्तव में लागत (cost) होती है।

जैसा कि श्रीमती रोबिन्सन का कथन है “हर साधन की हर एक इकाई उस स्थान में ठीक होगी जहाँ कि उसकी आय सबसे अधिक होगी। जब उस प्रयोग में उसकी आय कम हो जायेगी तो वह दूसरे लाभदायक प्रयोग का आश्रय लेगी और यदि उसकी वास्तविक आय तथा उसके दूसरे लाभदायक प्रयोग में चले जाने से आय में अधिक अन्तर है तो उसको लगान मिलेगा। यदि हर उत्पादक इकाई उस उद्योग तथा दूसरे वैकल्पिक प्रयोगों की कार्यकुशलता के दृष्टिकोण से अपनी समीप की इकाई के समान है तो वहाँ कोई लगान न होगा।”¹

हस्तातरण आय के इस सिद्धान्त से यह भी पता चलता है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से किस प्रकार व्यय में परिवर्तन हो जाता है। जिस उद्योग का विकास हो रहा हो वह दूसरे उद्योगों से अपने उत्पादन के साधन प्राप्त करता है। यदि इन साधनों की दूसरे उद्योगों में अधिक आय हो रही हो तो जब तक इस उद्योग में उन्हें उस आय से अधिक रुपये न मिले, वह इस उद्योग में नहीं आयेंगे। ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त उत्पादन के लिए अल्प काल में अत्यधिक व्यय करना पड़ेगा। सीमान्त तथा औसत लागत प्रति इकाई बढ़ जायगी। इस वृद्धि का कारण केवल यह है कि उत्पादन साधनों की हस्तातरण आय अधिक है।

निर्देश पुस्तकें

Marshall, A —Principles of Economics

Cannan, E —Review of Economic Theory

Ricardo, D —Principles (Straffa Edition)

Robinson, Joan —The Economics of Imperfect Competition,

1945, Ch 8

अध्याय २७

मजदूरी

(WAGES) १

१ परिभाषा (Definition)—श्रम उत्पादन का दूसरा साधन है और जो कुछ उसे मिलता है, उसे “मजदूरी” कहते हैं। ‘मजदूरी’ शब्द व्यापक अथवा सीमित अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है। व्यापक अर्थ में इसका अर्थ श्रम की सेवाओं का भुगतान है। कुछ लेखक मजदूरी शब्द को नीमित अर्थों में उपयोग करते हैं। बेंहम (Benham) कहते हैं “मजदूरी की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि ठेके द्वारा व्यवसायी, जो रूपया मजदूर की सेवाओं के लिए देता है, वह मजदूरी कहलाती है।” हम मजदूरी को व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं, तथा उसे राष्ट्रीय लाभांश (national dividend) का वह भाग मानते हैं, जो किसी व्यवसायी के लिए अथवा स्वतन्त्र रूप से अपने हाथों अथवा मस्तिष्क द्वारा कार्य करने वालों के लिए होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि स्वतन्त्र मजदूरों की मजदूरी दूसरों द्वारा नियुक्त किये मजदूरों की मजदूरी से समय के हिसाब से घटती-बढ़ती रहती है चूँकि उन्हें व्यापार में होने वाली जोखिम उठानी पड़ती है।

मजदूरी काम के हिसाब से अथवा जितने समय तक मजदूर काम पर लगा होता है, उसके हिसाब से दी जाती है। पहली ‘खण्ड-मजदूरी’ (piece wage) और दूसरी ‘समय-मजदूरी’ (time wage) कहलाती है। जब काम का परिमाण व नाप आदि ठीक प्रकार से सभव होता है तब व्यवसायी ‘खण्ड’ में मजदूरी देना पसन्द करता है। यह दगा तब होती है, जब व्यवसायी बहुत अधिक पैदावार (output) चाहता है। जब काम ऐसा होता है कि वह साधारणतया परिमाण (standardised) में नहीं आ सकता अथवा उसकी जाच नहीं हो सकती व उसमें परिमाण से अधिक गुण (quality) का महत्त्व होता है उस समय समय-मजदूरी ही पसन्द की जाती है।

जब कार्य एक निश्चित परिमाण का होता है और एक निश्चित समय में करना पड़ता है, तो यह ‘ढग धधा’ (task work) के नाम से प्रसिद्ध होता है।

कभी-कभी ‘समय-मजदूरी’ निश्चित कर दी जाती है तथा खण्ड-मजदूरी द्वारा वस्तुओं के उत्पादन के हिसाब से पूरक किया जाता है। कभी-कभी मजदूरों के गुट को सामूहिक रूप से अधिक काम करने पर पारितोषिक मजदूरी दे दी जाती है।

कुछ अवस्थाओं में मजदूरी कानून द्वारा भी नियत कर दी जाती है। कुछ अतिरिक्त

१ Wages के लिए हमने मजदूरी तथा मजूरी दोनों ही शब्द काम में लिये हैं। मजूरी शब्द का प्रयोग हमारे सविधान के अनुवाद में हुआ है। (देखिये भारत का सविधान, अनुच्छेद ४३)

श्रमशील व्यापारों (sweated trades) में न्यूनतम मजदूरी नियत की जा सकती है। कुछ लोग राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की राय देते हैं, जो कि सब उद्योगों पर लागू हो।

२ नाममात्र तथा वास्तविक मजदूरी की तुलना (Nominal Versus Real Wages)—नाममात्र मजदूरी तथा वास्तविक मजदूरी में बहुत भारी अन्तर है। नाममात्र मजदूरी वह है, जो द्रव्य (money) के रूप में प्राप्त अथवा भुगतान की जाती है। परन्तु केवल द्रव्य मजदूरी एक मजदूर की आर्थिक स्थिति का सही परिचय नहीं दे सकती। वास्तविक मजदूरी जानने के लिए, जो एक व्यक्ति के जीवन का स्तर निश्चित करती है, निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(क) द्रव्य की क्रय-शक्ति (The Purchasing Power of Money)—जब एक जगह की दूसरी जगह के साथ और एक समय की दूसरे समय के साथ मजदूरी की तुलना की जाती है, तो द्रव्य की क्रय-शक्ति पर भी ध्यान रखना होगा। ऊची मजदूरी का एक अर्थ इंग्लैंड और अमरीका में इसलिए मभव है कि वहाँ के बाजारों में कीमतें बहुत ऊची हैं। शहर की अपेक्षा देहान में कहीं भी रुपये अधिक सुखकर हो सकते हैं अथवा उससे विपरीत संचित व्यक्ति की परिस्थितियों और पसन्द के अनुसार। सन् १९३९ के सौ रूपों में सन् १९५१ के सौ रूपों की अपेक्षा अधिक क्रय-शक्ति थी। मजदूरी के द्रव्य में वृद्धि कर देने पर भी सन् १९५१ में वास्तविक मजदूरी १९३९ की अपेक्षा कम ही रही।

(ख) सहायक आमदनी (Subsidiary Earnings)—नियमित द्रव्य मजदूरी के अतिरिक्त एक नौकर अपनी अतिरिक्त आय, वस्तु या द्रव्य के रूप में अधिक कर सकता है। उदाहरण के लिए, घरेलू नौकर के रहने व खाने के प्रबन्ध, अध्यापकों के परीक्षा-शुल्क आदि। सहायक आमदनी वह भी कही जा सकती है, जो मजदूर परिवार के अन्य व्यक्तियों को नौकरी का अवसर मिल जाने से उपलब्ध हो जाती है।

(ग) अतिरिक्त भुगतान के बिना अतिरिक्त काम (Extra Work without Extra Payment)—अगर किसी नौकर को बिना उचित पुरस्कार के अधिक कार्य करना पड़ता है, तो उसकी वास्तविक मजदूरी उतनी ही कम हो जाती है। बैंक के क्लर्कों को नियत घंटों के काम का ही वेतन मिलता है। परन्तु वह हिसाब-किताब की गलती ठीक करने के लिए प्रायः अधिक समय के लिए रोक लिये जाते हैं। ऐसे अधिक काम के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता।

(घ) नौकरी की नियमितता अथवा अनियमितता (Regularity or Irregularity of the Employment)—नियमित अथवा अधिक सुरक्षित व्यवसाय अल्प मजदूरी दे सकता है, फिर भी उसमें वास्तविक मजदूरी, उस अनियमित और अरक्षित नौकरी की अपेक्षा जिसमें अधिक द्रव्य मजदूरी मिलती है, अधिक हो सकती है। उदाहरणार्थ, एक मनुष्य जिसे ५ रुपये दैनिक मिलते हैं, परन्तु काम का मिलना अनिश्चित है, वह उतना संपन्न नहीं होगा जितना नियमित रूप से २ रुपये कमाने वाला व्यक्ति होगा।

(च) काम की दशायें (Conditions of Work)—कुछ व्यवसाय दूसरो की अपेक्षा अच्छे होते हैं तथा कुछ में दूसरो की अपेक्षा काम के घटे कम होते हैं; काम कुछ अधिक अथवा कम आरामदायक हो सकता है, व्यवसायी अधिक या कम योग्य हो सकता है। यह सब बातें किसी मनुष्य की वास्तविक मजदूरी मात्तूम करते समय ध्यान में रखनी होगी।

३ मजदूरी का जीविका सिद्धान्त^१ (The Subsistence Theory of Wages)—किसी देश में प्रचलित मजदूरी के सामान्य स्तर की व्याख्या के लिए कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। पहले हम जीविका सिद्धान्त को लेते हैं। यह सिद्धान्त सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्र-वेत्ताओ के फिजियोक्रेटिक स्कूल से निकला और उन्नीसवीं शताब्दी में साधारण रूप से मान लिया गया। जर्मनी के अर्थशास्त्र-वेत्ता लैजले (Lassalle) इसे मजदूरी का लौह सिद्धान्त अथवा ब्रेजन लॉ आफ वेजेज (Iron Law of Wages or the Brazen Law of Wages) कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने इसे अपने शोषण सिद्धान्त का आधार बनाया है।

इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी उसी सतह पर ठहर जानी है, जहां कि मजदूर उस मजदूरी से कम अपनी और अपने परिवार की जीविका चला सके। अगर मजदूरी इस सतह से ऊपर उठती है, तो मजदूरों को शादी करने और अपने परिवार को बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलता है। श्रम-पूर्ति की वृद्धि से मजदूरी जीविका की सीमा तक आ जाती है। यदि मजदूरी इस सीमा से नीचे गिर जाती है, तो शादी व पैदाइश का उत्साह नहीं रहता तथा आहार के अभाव के कारण मृत्यु-दर बढ़ जाती है और अन्त में श्रम-पूर्ति कम हो जाती है और यह तब तक चलता रहता है, जब तक कि मजदूरी को बढ़ा कर पुनः जीविका की सीमा तक नहीं कर दिया जाता।

पिछड़े हुए देशों में मजदूरी जीविका-स्तर के आस-पास रहती है, लेकिन यह सिद्धान्त अधिक उन्नतिशील देशों, जैसे इंग्लैंड, अमरीका आदि में लागू नहीं होता। यह सिद्धान्त माल्थस (Malthus) के जनसंख्या-सम्बन्धी नियम पर आधारित है। लेकिन यह गलत है कि मजदूरी वृद्धि के कारण जन्म के अनुपात में भी वृद्धि होगी। मजदूरी की उन्नति से रहन-सहन का दर्जा भी तो बढ़ सकता है। डेनमार्क और हॉलैंड में कृषि मजदूर जीविका की सीमा से अधिक मजदूरी पाते हैं। यूरोप और अमरीका सरीखे औद्योगिक देशों में मजदूरी बराबर बढ़ती जा रही है और मजदूर वर्ग एक शताब्दी पहले जैसे था उससे बहुत अधिक सुखी है।

दूसरी आलोचना यह है कि जीविका की सीमा कुछ दशाओं को छोड़ कर लगभग सभी मजदूर वर्गों की एक सी होती है। इस प्रकार यह सिद्धान्त विभिन्न व्यवसायों में मजदूरों के अन्तरो को प्रकट नहीं करता।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि यह सिद्धान्त केवल पूर्ति (Supply) की ओर से ही लिया गया है, माग की ओर विल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। माग

की ओर से व्यवसायी मजदूर के काम को देखता है उसकी जीविका को नहीं।

४ मजदूरी का निधि सिद्धान्त (The Wages Fund Theory)^१
—यह सिद्धान्त जे० एस० मिल से सम्बन्धित है। मिल ने लिखा कि “मजदूरी श्रम की माग व पूर्ति पर अथवा जैसा कि कहा जाता है, पूँजी और जनसंख्या के बीच के अनुपात पर निर्भर करती है। यहाँ पर जनसंख्या शब्द का अर्थ मजदूर वर्ग की संख्या, तथा वह मजदूर, जो किराये पर काम करते हैं, उनसे है, और पूँजी का अर्थ ‘व्यवसाय’ की कुल पूँजी में नहीं, परन्तु जितनी पूँजी प्रत्यक्षत श्रम खरीदने में व्यय होती है, उसी से है।”

इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी दो परिमाणों पर आश्रित है, (1) मजदूरी-निधि (wage fund) अथवा चल पूँजी (circulating capital) जिसे श्रम का क्रय किया जाय (11) नौकरी चाहने वाले निधि मजदूरों की संख्या। इसलिए मजदूरी तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि मजदूरी निधि न बढ़ जाय अथवा मजदूरों की संख्या कम न हो जाय। लेकिन चूँकि सिद्धान्त की दृष्टि में मजदूरी निधि नियत है, इसलिए मजदूरी तभी बढ़ सकती है, जब मजदूरों की संख्या में कमी हो। इसलिए यह प्रकट होता है कि सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों के सब प्रयत्न निरर्थक हैं। यदि वे एक व्यापार में अपनी मजदूरी बढ़ा लेते हैं, तो यह बड़ी हुई मजदूरी दूसरे पर प्रभाव डालेगी क्योंकि मजदूरी निधि निश्चित है तथा इन ट्रेड यूनियनों का आवादी के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

इस सिद्धान्त पर बहुत आलोचनायें की गई हैं और अब तो इसे बिल्कुल रद्द ही कर दिया गया है। मिल ने स्वयं इसे अपनी ‘अर्थशास्त्र के सिद्धान्त’ नाम की पुस्तक की दूसरी आवृत्ति में से हटा दिया है।

मिल का विचार था कि मजदूरी केवल चल-पूँजी के द्वारा ही दी जाती है। इस विषय पर कि मजदूरी का प्रधान जरिया पूँजी है अथवा वर्तमान उत्पाद वस्तुएँ, काफी वाद-विवाद रहा। कुछ दशाओं में, जहाँ पर उत्पादन छोटे ढंग का होता है, वहाँ मजदूरी वर्तमान उत्पादन के अनुसार दी जाती है और दूसरी दशा में जहाँ उत्पादन का ढंग लम्बा होता है, वहाँ मजदूर प्रत्यक्ष अथवा विनिमय (exchange) के रूप में मजदूरी नहीं पाते। इन दशाओं में उनकी मजदूरी पूँजी से ही प्राप्त होती है।

मिल कहते हैं कि मजदूरी पूँजी के एक निश्चित भाग से दी जाती है जो कि इसके लिए नियत रहता है। यह भी सच नहीं है, क्योंकि कोई निश्चित मजदूरी निधि नहीं होती और वह निधि लोचदार (elastic) होती है। इसकी परिमा (volume) लाभ के अनुसार बदलती है। इन चीजों को ठीक प्रकार से निर्धारित करने के लिए श्रम की समयानुसार उत्पादक शक्ति एक आवश्यक साधन है।

यह सिद्धान्त स्वतः सिद्ध है। यह बिना बताये हुए कि मजदूरी निधि के कौन-कौन से साधन हैं तथा इसका किस प्रकार अनुमान लगाया जाता है, यह इतना ही बताता है जो अपने आप प्रत्यक्ष है। अर्थात् मजदूरी निधि को मजदूरों की संख्या से भाग देने

पर मजदूरी निकल आती है ।

फिर इसमें यही माना गया है कि पूजा और श्रम में कुछ विरोध रहना है, वास्तव में नहीं होता । इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी, लाभ बढ़ने पर ही बढ़ाई जा सकती है, परन्तु वान्तव में ऐसी दशा नहीं होती है । व्यवसाय की समृद्धि में मजदूरी और लाभ दोनों बढ़ सकते हैं । यह भी समझना भूल है कि मजदूरी के बढ़ने से पूजा विदेश में चली जायगी । पूजा ऐसी चीज नहीं है और न लाभ ही ऐसे बेलोचदार हैं । पूजा के लाभ समय-समय पर घटते-बढ़ते रहते हैं । मजदूरी निधि सिद्धान्त इस बात को समझने में कि भिन्न-भिन्न व्यवसायों की मजदूरी में क्यों अन्तर रहता है, मदद नहीं करता । इसके अलावा, मजदूरी की दरें, जो विभिन्न देशों में फैली हैं, वह वहाँ की पूजा से कोई सम्बन्ध नहीं रखती । नये देशों में पूजा कम होती है, परन्तु मजदूरी अधिक होती है । पुराने देशों का हाल इसके विपरीत है ।

५. अवशिष्ट दावा सिद्धान्त (Residual Claimant Theory)—यह सिद्धान्त अमरीका के अर्थशास्त्र-वेत्ता वाकर (Walker) के द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इसके अनुसार मजदूरी वह वचत है, जो उत्पादन के साधनों का भुगतान करने के बाद बच रहे । वाकर के अनुसार लगान, लाभ और व्याज (rent, profit and interest) निश्चित नियमों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं किन्तु मजदूरी से सम्बन्धित ऐसा कोई नियम नहीं है । इसलिए, कुल उत्पादन में से लगान, लाभ, व्याज की रकम भुगतान करने के बाद, जो रकम बचती है, वही मजदूरी है । इस प्रकार इस सिद्धान्त से श्रम की योग्यता बढ़ने पर मजदूरी बढ़ने की सम्भावना हो सकती है ।

इस सिद्धान्त को भी बहुत से अर्थशास्त्र-वेत्ताओं ने अस्वीकृत कर दिया है । इसमें अनेक बुराइयाँ हैं । पहली बात तो यह है कि यह सिद्धान्त यह नहीं बताता कि ट्रेड यूनियन किस प्रकार मजदूरी बढ़ा सकती हैं । दूसरे, यह नहीं बताता कि मजदूरी के ऊपर श्रम की पूर्ति का क्या प्रभाव होता है । तीसरे, यह समझने में कठिनाई होती है कि वही माग और पूर्ति का नियम, जो कि उत्पादन के अन्य साधनों को पुरस्कार देता है, मजदूरी पर क्यों लागू नहीं होता । अन्त में सब से महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अवशिष्ट दावेदार उद्यमी होता है न कि मजदूर ।

८ मजदूरी का सीमान्त उत्पादन शक्ति सिद्धान्त (Marginal Productivity Theory of Wages)¹—यह सिद्धान्त श्रम की माग और पूर्ति दोनों को ध्यान में रखता है । इसके अनुसार मजदूरी माग व पूर्ति के साधनों की शक्ति के बीच साम्यावस्था (equilibrium) द्वारा निर्धारित होती है । किसी विशेष समय पर पूर्ति दी रहती है और माग का विशेष महत्त्व होता है । अधिक काल होने पर श्रम की पूर्ति घट-बढ़ सकती है और पूर्ति की शक्तियाँ विशेष महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं ।

1. For a detailed study see Readings in the Theory of Income Distribution—pages 221—236, D H Robertson's article on "Wage Grumbles".

परन्तु यह शक्तियाँ सीमान्त उत्पादन शक्ति के ऊपर प्रभाव डालनी हैं। इसलिए इस सिद्धान्त को सीमान्त उत्पादन शक्ति सिद्धान्त कहते हैं।

श्रम की माग (Demand for Labour)—‘श्रम की माग’ निकाली हुई माग होती है। यह उन चीजों की माग से पैदा होती है, जो उत्पादन में मदद देती हैं। इसलिए किराी वस्तु की माग में आशा के अनुकूल उन्नति उस श्रम की माग को बढ़ा देती है, जो उस वस्तु को पैदा करती है। श्रम की माग उम हालत में नहीं बढ़ती जब कि उनकी मजदूरी कुल मजदूरी का बहुत छोटा भाग हो, परन्तु माग उम हालत में घट-पड़ सकेगी जबकि उत्पादिन वस्तु की माग लोचदार हो अथवा बढ़ने में सस्ती चीजें उपलब्ध हों।

जिस प्रकार वस्तुओं की माग-कीमत (demand price) होती है, उसी प्रकार श्रम की माग कीमत होती है। एक नए प्रकार के देश की विभिन्न परिस्थितियों में श्रम की माग उद्योगपति की ओर से होती है, जो अपने व्यवसाय में लाभ उठाने के लिए उत्पादन के अन्य माधनों तथा श्रम को लगाता है। इसीलिए श्रम की माग की कीमत वह मजदूरी है, जो एक उद्योगपति एक विशेष प्रकार के श्रम के लिए देने को तैयार है। मान लीजिए कि वह एक के बाद दूसरा मजदूर काम पर लगाता है। कुछ समय के बाद घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू हो जायगा। प्रत्येक बढ़ा हुआ मजदूर कुल उत्पादन को घटती दर पर बढ़ायेगा। मालिक उसी बिन्दु पर अतिरिक्त मजदूर लगाता चन्द करेगा, जब कि उसके द्वारा योग उत्पादन में बढ़ाव मजदूरी के बराबर अथवा उसके द्वारा लगाई गई अधिक लागत में कम होगा। इस प्रकार मजदूरी, जो वह उसे देगा (श्रम की सीमान्त इकाई) उम बड़े हुए उत्पादन अथवा सीमान्त उत्पादनशक्ति के मूल्य के बराबर होगी। लेकिन चूँकि सभी मजदूर एक ही श्रेणी के होंगे इसीलिए जिस मजदूरी का भुगतान सीमान्त मजदूर को होगा, वही सब मजदूरों को होगा।

वास्तव में किसी मालिक विशेष के लिए, जो पूर्ण प्रतियोगिता में व्यवसाय करता है, मजदूरी, बाजार की शक्तियों द्वारा निश्चित होती है। वह कम या अधिक मजदूरों को लगाकर मजदूरी के ऊपर अधिक प्रभाव नहीं डाल सकता। कोई मालिक उतने मजदूरों को रखेगा जिससे कि मजदूरी की प्रचलित दर सीमान्त उत्पादन शक्ति के बराबर हो जाय। सभी मालिकों की यह माग होती है जो समष्टि (aggregate) के अनुसार दी हुई पूर्ति के सम्बन्ध में ली जाती है तथा जो बाजार में मजदूरी को निर्धारित करती है।

श्रम की पूर्ति (Supply of Labour)—जब हम माग की दृष्टि से मजदूरी की व्याख्या करते हैं तो पूर्ति को स्थिर मान लेते हैं। इसी प्रकार हम माग को स्थिर मान कर यह कह सकते हैं कि जब श्रम की पूर्ति बढ़ती है, तो उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति गिर जाती है और जब पूर्ति गिर जाती है, तब श्रम की उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है। पहली हालत में मजदूरी गिरेगी और दूसरी में बढ़ेगी।

इसलिए श्रम की पूर्ति पर विभिन्न साधनों का प्रभाव पड़ता है। अन्य चीजें समान रहने पर अधिक मजदूरी मिलने से अधिक श्रम आकर्षित होगा। परन्तु यह सब उद्योगों

मे लागू नहीं होना। यह विशेष उद्योग में ही लागू है। दूसरे माघन इस प्रकार है। विवाह के प्रति सामान्य धारणा, परिवार का आकार, सतति निरोध (birth control), औपवीय सहायता का स्तर, स्वच्छता आदि। धन की कुल पूर्ति आवादी के वढाव पर निर्भर करती है। किसी विशेष व्यवसाय में दूसरे उद्योगों की अपेक्षा श्रम की पूर्ति बढाई जा सकती है, यदि ऐसे उद्योग में श्रम की उत्पादन शक्ति बढ जाने से मजदूरी भी बढ जाय। दी हुई श्रम की पूर्ति को पूर्ण प्रतियोगिता में, विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार नाँटा जाता है कि श्रम की सीमान्त उत्पादन शक्ति सभी उद्योगों में एक-सी रहे। परन्तु यदि श्रम एक जगह से दूसरी जगह स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं जा सकता तो श्रम की सीमान्त उत्पादन शक्ति विभिन्न उद्योगों में भिन्न-भिन्न होगी तथा उनी प्रकार के श्रम के लिए अलग-अलग मजदूरी होगी।

किसी भी समय मजदूरी के काम करने से इन्कार करने पर श्रम की पूर्ति घट सकती है। यह तभी होता है, जब श्रम मजदूर नष्ट में सगठित किया जाता है। मजदूर उस मजदूरी को लेने में इन्कार कर देते हैं, जो उनकी आदत पड़े हुए स्तर को पालन करने से कम होती है। परन्तु जैसा कि हम देखेंगे कि ऊँची मजदूरी तभी ठीक समझी जाती है, जब उसके द्वारा उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति ऊँचे दर्जे की हो। इस रूप में अधिक मजदूरी दी जायगी। इस प्रकार मजदूर, जिनकी सीमान्त उत्पादन शक्ति कम है, ऊँचे दर्जे पर रहते हुए भी उसके लिए ऊँची मजदूरी नहीं मांग सकते हैं। किन्तु दीर्घ काल में सीमान्त उत्पादन शक्ति (marginal productivity) मजदूरी (wages) और जीवन-स्तर (standard of living) एक दूसरे को ठीक कर लेते हैं।

पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि सम्भाव्य मजदूरी (potential workers) की सख्या दी होने पर, श्रम पूर्ति की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, यह श्रम इकाइयों की वह अनुसूची (schedule) है जो कि विभिन्न मजदूरी स्तर पर मजदूर (श्रमिक) देने के लिए तैयार होते हैं। यह दो साधनों पर निर्भर है (क) ऐसे श्रमिकों की सख्या जो विभिन्न मजदूरियों पर काम करने को तैयार हैं तथा जो काम करने लायक हैं, (ख) काम करने के घटो (working hours) की सख्या जिनमें प्रत्येक श्रमिक विभिन्न मजदूरियों पर काम करने को तैयार है तथा काम करने लायक है।

ऐसी स्थिति में जब श्रमिकों के ठहरने की शक्ति (staying power) नहीं रहती और भूखो मरना ही एकमात्र रास्ता रहता है, तो ऐसी स्थिति में श्रमिक की व्यापक रूप से पूर्ति पूर्णतया लोचहीन (inelastic) रहती है। इसका अर्थ यह है कि मजदूरी (wages) कम की जा सकती है। थोड़े समय तक, मजदूरी में कटौती से श्रम की पूर्ति में कोई कमी न हो। लेकिन यदि मजदूरी बहुत कम कर दी जाय तो मालिकों में परस्पर स्पर्धा से ही मजदूरी अधिक हो जायगी। लम्बे अर्से तक श्रम की पूर्ति बहुत लोचदार नहीं होती।

१३ सीमान्त उत्पादन शक्ति के सिद्धान्त की परिमितताएँ (Limitations of the Marginal Productivity Theory)—इन वितरण के

परन्तु यह शक्तियाँ सीमान्त उत्पादन शक्ति के ऊपर प्रभाव डालती हैं। इसलिए इस सिद्धान्त को सीमान्त उत्पादन शक्ति सिद्धान्त कहते हैं।

श्रम की माग (Demand for Labour)—'श्रम की माग' निकाली हुई माग होती है। यह उन चीजों की माग से पैदा होती है, जो उत्पादन में मदद देती हैं। इसलिए किसी वस्तु की माग में आशा के अनुकूल उन्नति उस श्रम की माग को बढ़ा देती है, जो उस वस्तु को पैदा करती है। श्रम की माग उम हालत में नहीं बढ़ती जब कि उनकी मजदूरी कुल मजदूरी का बहुत छोटा भाग हो, परन्तु माग उम हालत में घट-बढ़ सकेगी जबकि उत्पादिन वस्तु की माग लोचदार हो अथवा बदले में सस्ती चीजें उपलब्ध हों।

जिम प्रकार वस्तुओं की माग-कीमत (demand price) होती है, उमी प्रकार श्रम की माग कीमत होती है। एक नए प्रकार के देश की विभिन्न परिस्थितियों में श्रम की माग उद्योगपति की ओर से होती है, जो अपने व्यवसाय में लाभ उठाने के लिए उत्पादन के अन्य साधनों तथा श्रम को लगाता है। इसीलिए श्रम की माग की कीमत वह मजदूरी है, जो एक उद्योगपति एक विशेष प्रकार के श्रम के लिए देने को तैयार है। मान लीजिए कि वह एक के बाद दूसरा मजदूर काम पर लगाता है। कुछ समय के बाद घटती हुई प्रार्थना का नियम लागू हो जायगा। प्रत्येक बढ़ा हुआ मजदूर कुल उत्पादन को घटनी दर पर बढ़ायेगा। मालिक उसी बिन्दु पर अतिरिक्त मजदूर लगाना बन्द करेगा, जब कि उसके द्वारा योग उत्पादन में बढाव मजदूरी के बराबर अथवा उनके द्वारा लगाई गई अधिक लागत से कम होगा। इस प्रकार मजदूरी, जो वह उसे देगा (श्रम की सीमान्त इकाई) उस बड़े हुए उत्पादन अथवा सीमान्त उत्पादनशक्ति के मूल्य के बराबर होगी। लेकिन चूँकि सभी मजदूर एक ही श्रेणी के होंगे इसीलिए जिस मजदूरी का भुगतान सीमान्त मजदूर को होगा, वही सब मजदूरों को होगा।

वास्तव में किसी मालिक विशेष के लिए, जो पूर्ण प्रतियोगिता में व्यवसाय करता है, मजदूरी, बाजार की शक्तियों द्वारा निश्चित होती है। वह कम या अधिक मजदूरों को लगाकर मजदूरी के ऊपर अधिक प्रभाव नहीं डाल सकता। कोई मालिक उतने मजदूरों को रखेगा जिससे कि मजदूरी की प्रचलित दर सीमान्त उत्पादन शक्ति के बराबर हो जाय। सभी मालिकों की यह माग होती है जो समष्टि (aggregate) के अनुसार दी हुई पूर्ति के सम्बन्ध में ली जाती है तथा जो बाजार में मजदूरी को निर्धारित करती है।

श्रम की पूर्ति (Supply of Labour)—जब हम माग को दृष्टि से मजदूरी की व्याख्या करते हैं तो पूर्ति को स्थिर मान लेते हैं। इसी प्रकार हम माग को स्थिर मान कर यह कह सकते हैं कि जब श्रम की पूर्ति बढ़ती है, तो उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति गिर जाती है और जब पूर्ति गिर जाती है, तब श्रम की उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है। पहली हालत में मजदूरी गिरेगी और दूसरी में बढ़ेगी।

इसलिए श्रम की पूर्ति पर विभिन्न साधनों का प्रभाव पड़ता है। अन्य चीजें समान रहने पर अधिक मजदूरी मिलने से अधिक श्रम आकर्षित होगा। परन्तु यह सब उद्योगों

में लागू नहीं होता। यह विशेष उद्योग में ही लागू है। दूसरे साधन इस प्रकार हैं। विवाह के प्रति सामान्य धारणा, परिवार का आकार, सतति निरोध (birth control), औपधीय सहायता का स्तर, स्वच्छता आदि। श्रम की कुल पूर्ति आवादी के बढ़ाव पर निर्भर करती है। किसी विशेष व्यवसाय में दूसरे उद्योगों की अपेक्षा श्रम की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है, यदि ऐसे उद्योग में श्रम की उत्पादन शक्ति बढ़ जाने से मजदूरी भी बढ़ जाय। दी हुई श्रम की पूर्ति को पूर्ण प्रतियोगिता में, विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार बाँटा जाता है कि श्रम की सीमान्त उत्पादन शक्ति सभी उद्योगों में एक-सी रहे। परन्तु यदि श्रम एक जगह से दूसरी जगह स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं जा सकता तो श्रम की सीमान्त उत्पादन शक्ति विभिन्न उद्योगों में भिन्न-भिन्न होगी तथा उसी प्रकार के श्रम के लिए अलग-अलग मजदूरी होगी।

किसी भी समय मजदूरों के काम करने से इन्कार करने पर श्रम की पूर्ति घट सकती है। यह तभी होता है, जब श्रम मजदूर सघ में नाशित किया जाता है। मजदूर उस मजदूरी को लेने से इन्कार कर देते हैं, जो उनकी आदत पड़े हुए स्तर को पालन करने से कम होती है। परन्तु जैसा कि हम देखेंगे कि ऊँची मजदूरी तभी ठीक समझी जाती है, जब उसके द्वारा उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति ऊँचे दर्जे की हो। इस रूप में अधिक मजदूरी दी जायगी। इस प्रकार मजदूर, जिनकी सीमान्त उत्पादन शक्ति कम है, ऊँचे दर्जे पर रहते हुए भी उसके लिए ऊँची मजदूरी नहीं माग सकते हैं। किन्तु दीर्घ काल में सीमान्त उत्पादन शक्ति (marginal productivity) मजदूरी (wages) और जीवन-स्तर (standard of living) एक दूसरे को ठीक कर लेते हैं।

पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि सम्भाव्य मजदूरों (potential workers) की संख्या दी होने पर, श्रम पूर्ति की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, यह श्रम इकाइयों की वह अनुसूची (schedule) है जो कि विभिन्न मजदूरी स्तर पर मजदूर (श्रमिक) देने के लिए तैयार होते हैं। यह दो साधनों पर निर्भर है - (क) ऐसे श्रमिकों की संख्या जो विभिन्न मजदूरियों पर काम करने को तैयार हैं तथा जो काम करने लायक हैं, (ख) काम करने के घंटों (working hours) की संख्या जिनमें प्रत्येक श्रमिक विभिन्न मजदूरियों पर काम करने को तैयार है तथा काम करने लायक है।

ऐसी स्थिति में जब श्रमिकों के ठहरने की शक्ति (staying power) नहीं रहती और भूखो मरना ही एकमात्र रास्ता रहता है, तो ऐसी स्थिति में श्रमिक की व्यापक रूप से पूर्ति पूर्णतया लोचहीन (inelastic) रहती है। इसका अर्थ यह है कि मजदूरी (wages) कम की जा सकती है। थोड़े समय तक, मजदूरी में कटौती से श्रम की पूर्ति में कोई कमी न हो। लेकिन यदि मजदूरी बहुत कम कर दी जाय तो मालिकों में परस्पर स्पर्धा से ही मजदूरी अधिक हो जायगी। लम्बे अर्से तक श्रम की पूर्ति बहुत लोचदार नहीं होती।

१३ सीमान्त उत्पादन शक्ति के सिद्धान्त की परिमितताएँ (Limitations of the Marginal Productivity Theory)—इन वितरण के

सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर हम सीमान्त उत्पादन शक्ति के विषय में पहले ही आलोचनाये पढ़ चुके हैं।¹ इस सिद्धान्त को जब हम मजदूरी पर लागू करते हैं तो फिर से दोहरा लेना चाहते हैं कि यह सिद्धान्त कुछ स्वयंसिद्धियों के बीच ठीक बैठता है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, श्रम स्वतन्त्रता-पूर्वक एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जा सकता हो, सब श्रम एक समान हो, निश्चित व्याज व लगान की दरें तथा उत्पादित वस्तु की कीमत। यह एक गतिहीन सिद्धान्त है। परन्तु यह ससार गतिशील है। सब साधन, जिन्हें हम सतत (constant) मान लेते हैं, वे वास्तव में लगातार बदलते रहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता कभी नहीं होती। श्रम के इवर-उधर जाने में भी अनेक प्रतिबन्ध होते हैं। सारा श्रम एक श्रेणी का नहीं होता। साधनों का उचित पुरस्कार स्थायी नहीं होता, उत्पादन के साधनों का मूल्य भी स्थिर नहीं रहता। इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जब कि इस सिद्धान्त को वास्तविक परिस्थितियों में लागू किया जाता है तो फिर भी यह सिद्धान्त, प्रवृत्ति के रूप में सही है, और उन मूल शक्तियों से जो मजदूरी की दरें निश्चित करती हैं, समझने में बहुमूल्य है।

वास्तविक ससार में उपर्युक्त मान्यताओं (assumptions) के न होने से, सब श्रम को एक सी मजदूरी नहीं दी जा सकती। मजदूरी के सम्बन्ध में जगह-जगह में, आदमी-आदमी में तथा व्यवसाय-व्यवसाय में अन्तर होता है। ये अन्तर कार्यपटुता में अन्तर, जो प्राकृतिक रूप से अथवा स्वयं प्राप्त की गयी हो तथा अन्य आर्थिक बाधाओं के कारण होते हैं। सौदा करने में मालिक अच्छी स्थिति में होते हैं। वह जितनी मजदूरी चाहें दें, इसके लिए वह मजदूर नहीं किये जा सकते। मजदूर भी अज्ञान और घर व कुटुम्बियों के मोह के कारण अच्छी मजदूरी नहीं ढूँढते इसलिए मजदूरी की प्रचलित दर प्रायः सीमान्त उत्पादन शक्ति के हिसाब से कम होती है। इसके अलावा उत्पादन शक्ति को उत्पादित वस्तुओं अथवा मूल्य के रूप में भी मापना कठिन है।


मजदूरी का आधुनिक सिद्धान्त श्रम में लागू होता है, जो श्रम का मुख्य सिद्धान्त है तथा जिससे सावारण्यतया वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य की भाँति मजदूरी भी क्रमशः किसी क्षण में मिलने वाली मजदूरी (wages at any given moment) तथा दीर्घावधि में मिलने वाली मजदूरी (wages in the long run) होती है। किसी क्षण में मिलने वाली मजदूरी में मजदूरी उद्यमी की सीमान्त उत्पादन शक्ति के अनुसार निर्धारित करनी पड़ती है, जब कि दीर्घकालीन मजदूरी तो उतनी ही होनी चाहिए, जिससे कि मजदूर अपने रहन-सहन के स्तर को बनाये रख सकें। दीर्घकाल में मजदूरी की सीमा वह होती है जहाँ पर मजदूर की सीमान्त उत्पादन शक्ति श्रम के पूर्ण मूल्य के बराबर हो, जो कि रहन-सहन के स्तर के अनुसार नियत किया गया हो।² वास्तव में वास्तविक मजदूरी दो सीमाओं के बीच होती है। ऊपर की सीमा मजदूर की सीमान्त उत्पादन शक्ति के अनुसार व्यवसायी

1 Chapter XXVI

2 Thomas, S E —Elements of Economics, 1939, p 258

निर्धारित करता है और निचली सीमा उसके जीवन-स्तर से निर्धारित होती है। इन दोनों सीमाओं के बीच वास्तविक मजदूरी दोनों दलों के सञ्चित सौदा करने की शक्ति के अनुसार होती है।

दीर्घावधि तथा प्रतियोगिता की स्थिति में, मजदूरी श्रम के सीमान्त तथा औसत उत्पादन की शक्ति के समान होती है। यदि उत्पादन की सीमान्त शक्ति औसत उत्पादन शक्ति से अधिक होती है, तो ज्यादा मजदूर लगाना ठीक रहेगा और ऐसा तब तक होगा जब तक सीमान्त उत्पादन शक्ति (marginal productivity) औसत उत्पादन शक्ति (average productivity) के स्तर तक गिर जाती है। इसके विपरीत, जब सीमान्त उत्पादन शक्ति औसत उत्पादन शक्ति से कम होती है, तो सीमान्त उत्पादन शक्ति के औसत उत्पादन शक्ति तक उठने में कम मजदूरों (श्रमिकों) की जरूरत होगी। इस प्रकार सीमान्त उत्पादन शक्ति तथा औसत उत्पादन शक्ति की समान होने की प्रवृत्ति रहती है। चूंकि मजदूरी सीमान्त शक्ति के समान होती है, इसलिए वह (मजदूरी) औसत उत्पादन के समान भी होती है। इस समस्या का संतुलनरूपण तिमन्लिखित रेखाचित्र द्वारा किया गया है.—



रेखाचित्र न० ६९

र रेखा के द्वारा मजदूरी स्तर दिखाया गया है। अ प औसत उत्पादन शक्ति वक्र है तथा म प सीमान्त शक्ति का वक्र है। ये दोनों वक्र प बिन्दु पर परस्पर काटते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों स्थितियों में—अर्थात् सीमान्त उत्पादन शक्ति तथा औसत उत्पादन शक्ति—मजदूरी समान होती है। जब अ प ऊँचा उठता है, म प > अ प और जब अ प गिरता है, म प < अ प। लेकिन जब वे (दोनों वक्र) साम्यावस्था (state of equilibrium) में होते हैं अर्थात् जब अ प न ऊपर उठता है न नीचे गिरता है म प = अ प। इसलिए मजदूरी = म प = अ प।

७. टाजिग का मजदूरी सिद्धान्त^१ (Tauszig's Theory of Wages)
—टाजिग मजदूरी के सीमान्त उत्पादन शक्ति के सुधरे हुए रूप को लेते हैं। उनके अनुसार मजदूरी श्रम की वट्टा की हुई सीमान्त उत्पादन का प्रतिनिधित्व करती है।

1 For detailed study see, Readings in the Theory of Income Distribution pp 278-93

वह सोचते हैं कि मजदूर सीमान्त उत्पादन का कुल योग नहीं पा सकता। यह इसलिए कि उत्पादन में समय लगता है और श्रम का अंतिम उत्पादन, शीघ्रता से प्राप्त नहीं हो सकता। परन्तु मजदूरों को उस समय तक सहायता देनी होती है। यह पूँजीपति व्यवसायी के द्वारा होता है। व्यवसायी आशा की हुई मजदूरों को सीमान्त उत्पादन के मूल्य के बराबर भुगतान नहीं करता। वह आखिरी उत्पादन (output) से अग्रिम रूप से देने के कारण खतरे को अपने ऊपर लेने के लिए कुछ प्रतिशत कम कर लेता है। सीमान्त व्यावसायिक सस्था या सीमान्त भूमि के श्रम के कुल उत्पादन में से उपर्युक्त कटौती काटने के बाद जो रकम बचती है, वह मजदूरी कहलाती है। उस वस्तु की वर्तमान कीमत भविष्य के अनुमानित कटौती तथा बदले पर निर्भर रहती है।

टाजिग इस सिद्धांत की दो कमजोरियाँ स्वयं बतलाते हैं। पहली यह कि यह घुघली तथा भावपरक (abstract) है जो कि वास्तविक जीवन की समस्या से दूर है। इसके लिए वह उत्तर देते हैं कि यह कमजोरी लगभग सभी माने हुए सिद्धान्तों में पाई जाती है। दूसरी, और अधिक गम्भीर आपत्ति यह है कि मिश्रित उत्पादन की चालू व्याज की दर पर कटौती होती है, लेकिन उसके विश्लेषण के अनुसार व्याज की दर मजदूरों के अग्रिम रूप से देने के ढग का फल होती है, क्योंकि मजदूरों को जो कुछ दिया जाता है, उसी के आधार पर वह अधिक उत्पादित करते हैं और उसी आधिक्य पर यह निर्भर है। यह तो चक्र के रूप में तर्क करते रहने के समान है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए टाजिग प्रस्ताव करते हैं कि हमें सीमान्त उत्पादन शक्ति का समय के अनुसार (by the rate of time preference) स्वतंत्रतापूर्वक व्याज की दर निर्धारित कर लेनी चाहिये, और उस व्याज से, जो इस प्रकार निर्धारित किया जाता है, श्रम की सीमान्त उत्पादन की कटौती मालूम कर सकते हैं।

अन्त में टाजिग का यह सिद्धान्त अवशिष्ट दावा सिद्धान्त (Residual Claimant Theory of Wages) का दूसरा रूप है। वे कहते हैं कि वास्तव में मजदूरी कुल उत्पादन में से लाभ, व्याज, लगान घटाने से जो बचता है वही मजदूरी है। इस प्रकार इस सिद्धान्त पर अवशिष्ट दावे सिद्धान्त की सब आपत्तियाँ लागू हो सकती हैं।

८ मजदूरी में उतार चढ़ाव (Wages Fluctuations)—मजदूरी की दर श्रम की माग तथा पूर्ति की शक्तियों के परस्पर कार्य (interaction of forces) से निश्चित होती है। अन्तिम रूप से, श्रम की माग उसके द्वारा तैयार किए गए माल की माग से उत्पन्न होती है और श्रम की पूर्ति जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन चाहे वे प्राकृतिक वृद्धि अथवा प्रजनन (migration) के कारण हो, पैदा होती है। माग में होने वाला कोई परिवर्तन अथवा सज्जाई में अथवा दोनों ही में परिवर्तन होने से मजदूरी दर में तदनुसृत (corresponding) परिवर्तन होने की सम्भावना होती है।

मोटे तौर पर, मजदूरों निम्नलिखित स्थिति में बढ़ती है —

- (1) काम में लगी आवादी (working population) में मृत्यु अथवा उत्प्रवास (emigration) के कारण कमी।
- (ii) मजदूरों की कार्य-पट्टा में वृद्धि।
- (iii) देश में आर्थिक विकास होना। विशेष तथा तीव्र आर्थिक विकास में मजदूरों

की माग बढ़ जाती है और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय लाभांश (national dividend) में वृद्धि होती है जो कि उत्पादन के साधनों के लिए पारिश्रमिक के स्रोत का काम करता है। (iv) प्राकृतिक स्रोतों का वैज्ञानिक उपयोग (scientific exploitation) का भी यही प्रभाव होता है। (v) मजबूत मजदूर सशक्तों का निर्माण (vi) मालिकों की कार्यपटुता में नरकवी अथवा उनकी सख्या में वृद्धि (मालिकों की) जिससे श्रम में तीव्र स्पर्धा होती है। (vii) युद्ध।

इसके विपरीत, निम्नलिखित स्थिति में मजदूरी गिर सकती है --

(1) आवादी में वृद्धि। (ii) आर्थिक मन्दी। (iii) दूषित स्वास्थ्य, अकाल, खराब आवास तथा विचपिच (congestion) आदि के कारण श्रम की कार्यपटुता में कमी (iv) युद्ध के कारण राष्ट्रीय आस्तियों (national assets) का वरवाद होना।

६ मजदूरी व रहन-सहन का स्तर (Wages and the Standard of Living)¹—उन्नीसवीं शताब्दी के समाप्त होने पर कुछ लेखकों ने जीवन-स्तर सिद्धान्त को अधिक सुधार कर लिखा। वे इस बात पर सन्तोष कर चुके थे कि मजदूरी केवल जीविका की सीमा तक नहीं होती, परन्तु रहन-सहन के उस दर्जे पर निर्धारित रहती है जिस में रहने की उन्हें आदत हो गई है। इस शृद्ध किये सिद्धान्त में कुछ सच्चाई अवश्य है, क्योंकि रहन-सहन का दर्जा अधिकतर मजदूरी के ऊपर विभिन्न तरीकों से प्रभाव डालता है। प्रथम, मजदूर जहाँ तक सम्भव होगा, उस मजदूरी को स्वीकार न करेगा, जो उनके रहन-सहन के स्तर में कम होगी तथा श्रम की पूर्ति न होने से व्यवसायी को उनकी माग मानना पड़ेगी। दूसरे, अच्छे रहन-सहन में रहने से उनकी कार्यपटुता बढ़ने से उनकी सीमान्त उत्पादन शक्ति बढ़ जायगी और इस प्रकार मजदूरी भी बढ़ जायगी। तीसरे, रहन-सहन का स्तर आवादी की वृद्धि की सीमा को नियत कर मजदूरी के ऊपर प्रभाव डालता है। यदि मजदूरी से उस मजदूर के रहन-सहन का स्तर ठीक नहीं रहता, तो वह वन्चों की वृद्धि को रोक कर तथा शादी न करके उसे ठीक करेगा। यह श्रम की पूर्ति को कम करेगा और सीमान्त उत्पादन शक्ति तथा मजदूरी को बढ़ायेगा।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि रहन-सहन का दर्जा मजदूरी पर इतना ही आश्रित है जितना कि मजदूरी रहन-सहन के दर्जे पर निर्भर है। केवल रहन-सहन के स्तर पर हठ करने से ही मजदूरी नहीं बढ़ जायगी। मजदूरी सीमान्त उत्पादन शक्ति के बढ़ने पर ही बढ़ सकेगी। इस प्रकार मजदूरी का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से रहन-सहन के स्तर पर पड़ता है जबकि रहन-सहन के स्तर का मजदूरी पर परोक्ष (indirect) होता है अर्थात् श्रम की कार्यपटुता के जरिए।

१० मजदूरी और कार्यक्षमता (Wages and Efficiency)—मजदूरी और कार्यपटुता में गहरा सम्बन्ध है। मजदूर में जितनी अधिक कार्यपटुता होगी, उसकी उतनी ही अधिक उत्पादन-शक्ति होगी। इससे उसकी मजदूरी भी बढ़ जायगी।

भिन्न होती है, इसके कारणों पर प्रकाश डालना है। प्रत्येक व्यवसाय में मजदूरी की समस्या अलग है। परन्तु साधारण मजदूरों को निर्धारित करने का सिद्धान्त सब जगह एक है। मजदूरी सभी जगह श्रम की सीमान्त उत्पादन शक्ति के लगभग समान होती है परन्तु श्रम की उत्पादन शक्ति में विभिन्न व्यवसायों और श्रेणियों में हर एक प्रकार के श्रम के माधनों की माग के कारण कमी होने से विभिन्नता होगी।

यदि श्रम स्वतन्त्रतापूर्वक सभी उद्योगों में आ-जा सकता होता तो वास्तविक मजदूरी हर एक काम में लगाये हुए उस श्रम की सापेक्ष कार्यपटुता (relative efficiency) के अनुपात पर आधारित होती। मजदूरों की वास्तविक मजदूरी (न कि नाममात्र की मजदूरी) कार्यपटुता की उसी सीमा पर समान होती। यदि एक उद्योग के मजदूर अपनी कार्यपटुता के अनुपात से अधिक वास्तविक मजदूरी पा रहे हैं, तो श्रम उसी व्यवसाय में तब तक जायगा, जब तक बड़े हुए श्रम की पूर्ति वहाँ की सीमान्त उत्पादन शक्ति और मजदूरी को कम न कर देगी। यदि एक उद्योग में श्रम की सापेक्ष योग्यता के आधार पर निर्धारित की हुई मजदूरी से कम मजदूरी मिलती है, तो इसके विपरीत दशा होगी। वास्तविक जगत् में एक उद्योग से दूसरे उद्योग में विशेष तथा विभिन्न वर्गों (different grades) में स्वतन्त्रतापूर्वक श्रम आ-जा नहीं सकता। बहुत-सी श्रेणियाँ “स्पर्धा न करने वाले दल” बन जाते हैं।

सापेक्षित मजदूरियों में अन्तर क्यों? (Why Relative Wages Differ)
—उन कारणों को, जो विभिन्न उद्योगों, रोजगारों (employments), पेशों (professions) तथा स्थानों में मजदूरी में अन्तर लाते हैं, संक्षेप में, इस प्रकार कह सकते हैं—

(1) कार्यपटुता में अन्तर (Differences in Efficiency)—यह अलग-अलग जगह के आंतरिक गुणों के कारण जो प्रशिक्षण (training) परिस्थितियों के अनुसार हो सकती है, जिनमें कि काम किया जाता है। (ii) स्पर्धाहीन दलों का होना (Existence of Non-competing Groups)—जैसा कि ऊपर समझाया जा चुका है, यह तब होता है, जब एक कम भुगतान करने वाले से अधिक भुगतान करने वाले व्यवसाय में श्रम के इधर-उधर होने में कठिनाइयाँ होती हैं। यह कठिनाइयाँ भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से होती हैं, उदाहरण के लिए, परिवहन (transport) के साधनों की कमी, जाति-बन्धन, गृहस्थ बन्धन अथवा ठीक शिक्षा का अभाव। (iii) व्यापार सीखने की कठिनाइयाँ (The Difficulties of Learning a Trade)—कई व्यापारों में निपुण व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। उनकी पूर्ति माग से कम है और इसलिए उनकी मजदूरी अधिक है। (iv) रोजगार के उपयुक्त होने अथवा उसके सामाजिक मान आदि में भेद (Differences in Agreeableness or Social Esteem of Employment)—जो उद्योग अशुचिकर हैं, वे मजदूरों को आकर्षित करने के लिए अधिक मजदूरी देंगे और अगर अशुचिपूर्ण कार्य अयोग्य श्रमिकों द्वारा किया जायेगा (चाहे इन्का कारण जातिपात हो अथवा दूसरे गुण) तो मजदूरी कम होगी जैसे भारत के मेहतर।

(v) भविष्य की सम्भावना (Future Prospects)—यदि किसी उद्योग में भविष्य में उन्नति की आशा है, तो लोग इसमें कम मजदूरी पर भी कार्य करना स्वीकार कर लेंगे, परन्तु एक अन्य उद्योग जिसमें मजदूरी अधिक मिल रही है, परन्तु भविष्य में उन्नति की कोई सम्भावना नहीं, तो उसे नहीं करेंगे। किसी भी पेशे में वहां मिलने वाली सुविधाओं के कारण मजदूरी में अन्तर होता है। (vi) जिन वयों में ज्यादा जोखिम तथा डर रहता है वहां उपलब्धि (emoluments) अधिक होती है। (vii) रोजगार में नियमितता और अनियमितता का भी मजदूरी के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

यह बात फिर मे ध्यान में रखनी चाहिये कि यह सब सावन उद्योगों और वर्गों में श्रम की मांग व पूर्ति की समायोजना (adjustment) पर प्रभाव डाल कर मजदूरी में अन्तर उपस्थित करते हैं। मजदूरी प्रत्येक दशा में श्रम की मांग की दृष्टि से पूर्ति की कमी के द्वारा निर्धारित की जाती है अथवा श्रम के हर प्रकार के कार्य को सीमान्त उत्पादन शक्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है।

१३ स्त्रियों की कम मजदूरी (Low Wages of Women)—अधिकतर उसी श्रम के लिए स्त्रियों को पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है। इसके कई कारण हैं। एक तो यह आदत अथवा रीति के कारण है। बहुत काल तक स्त्रियों को सभ्य देशों में भी सेविकाएँ समझा जाता रहा। आज भी वे चन्द घघों में ही घिरी रहती हैं जिसके कारण उनकी मजदूरी कम है।

दूसरे, चूँकि वह अपने काम को जीविका का अंग नहीं बनाती इसलिए वह अपने को ठीक प्रकार से शिक्षित व कुशल बनाने का प्रयत्न नहीं कर सकती। उनका मुख्य उद्देश्य विवाह करना होता है और इसके पश्चात् वे अधिकतर स्वतन्त्र रूप से कमाना छोड़ देती हैं।

तीसरे, इन्हीं कारणों से स्त्रियाँ अपने को मजदूर सघों में सगठित नहीं कर सकती, जो कि उनके लिए ऊँची मजदूरी दिलाने में सहायक हो सकते हैं। उनका काम पर लगना बहुत कम समय के लिए होता है। इसलिए वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करती।

चौथे, स्त्रियाँ कम मजदूरी ले कर काम करने के लिए इस कारण तैयार हो जाती हैं, क्योंकि उन पर बहुत कम उत्तरदायित्व होता है। अधिकतर वे अपनी आय पर धारित नहीं रहती। पति, भाई, पिता आदि को उनकी माली (financial) सहायता करनी पड़ती है।

और अन्त में, मनुष्य स्त्रियों से अधिक उत्तरदायी, विश्वासी एवं योग्य कार्यकर्ता विभिन्न कारणों से माने जाते हैं। पुरुष अधिक शक्तिशाली होता है तथा बड़े से बड़े कठिन कार्य को कर सकता है। अधिकतर स्त्री शारीरिक कारणों से आशिक अथवा पूर्ण रूप से अपने जीवन के कुछ काल में काम करने में असमर्थ रहती हैं।

निर्देश पुस्तक

Marshall, A —Principles of Economics

श्रम की कुछ समस्याएँ

(SOME PROBLEMS OF LABOUR)

ट्रेड यूनियन (कार्मिक सघ)—पिछले अध्याय में हमने राष्ट्रीय लाभांश (national dividend) में श्रमिकों के भाग (share) निर्धारण करने वाले सामान्य सिद्धान्तों का विवेचन किया था। परन्तु ये सब सिद्धान्त सर्वत्र स्वतन्त्रतापूर्वक प्रभावी नहीं होते। नियोजक या मालिक को श्रम की अपेक्षा कुछ अधिक मुविधाएँ रहती हैं। इसलिए श्रमिकों को ट्रेड यूनियनों के रूप में अपने को संगठित करना पड़ता है।

वैक्स के शब्दों में 'कार्मिक सघ मजदूरी पाने वालों का एक ऐसा निरंतरगामी संगठन है जो उनके कार्य की अवस्थाओं को ठीक रखने तथा सुधारने के लिए बनाया जाता है।'

श्रम शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं में से है। उममें कोई रक्षित-शक्ति (reserve power) नहीं रहती। यदि एक दिन काम न मिला, तो उस दिन की श्रम-शक्ति सदैव के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए मजदूर के सामने दो ही स्थितियाँ रह जाती हैं। या तो वह काम करे या मूखो मरे। जैसा कि मार्शल ने कहा है 'कि वह व्यक्त, जो हजार व्यक्तियों को काम पर लगाता है, श्रम मार्केट में हजार इकाइयों तक के खरीदारों में वह स्वयं निरपेक्ष रूप से निश्चल संयोग (absolute rigid combination) बना रहता है।' सौदा करने की इस कमजोरी के कारण मजदूरों को अपनी सीमान्त उत्पादक शक्ति (marginal productivity) से कहीं कम मजदूरी स्वीकार करनी पड़ती है। इसलिए विभिन्न देशों के श्रमिक वर्ग ने औद्योगिक विकास के प्रारम्भिक काल में इस बात का अनुभव किया कि जब तक वे कार्मिक सघ बनाकर काम की शर्तें तय करने में (सौदा करने में) सुधार नहीं करते तब तक मालिकों के द्वारा, उनको शोषण का गभीर भय बना रहेगा।

ट्रेड यूनियनों के कृत्य (Functions of Trade Unions)—आधुनिक औद्योगिक देशों में कार्मिक सघ दो प्रकार का कार्य करते हैं—एक तो सवर्ष का (militant), दूसरे भ्रातृत्व का (fraternal)। श्रमिकों के अधिकारों के लड़ने के लिए ये सवर्ष के साधन हैं। उनका लक्ष्य उचित मजदूरी, कार्य की दशायें और शर्तों में सुधार तथा कुछ समय से उद्योग के नियन्त्रण में भाग प्राप्त करना है। सदस्यों के चन्दे से एक कोष (fund) बना कर वे मजदूरों को बीमारी व दुर्घटना के समय आर्थिक सहायता देते हैं और औद्योगिक झगड़ों के समय बेकारी, हड़ताल और तालाबन्दी की दशा में सहायता करते हैं। ये भ्रातृत्व सम्बन्धी कृत्य कहलाते हैं।

२ कार्मिक संघ और मजदूरी (Trade Unions and Wages)¹—

श्रमिक संघों के सामने मुख्य प्रश्न मजदूरी का रहा है और अब भी है। मजदूरों के नेताओं का सदा विश्वास रहता है कि मजदूरों की काम की शक्ति तथा करने के बारे में शक्ति बढ़ा कर वे मजदूरी या वेतन बढ़वा सकते हैं। दूसरी ओर पुराने अर्थशास्त्रियों का विचार है कि मजदूरी केवल लाभ को कम करके ही बढ़ सकती है। इसलिए यदि औद्योगिक कार्य को कम किया जायगा तो लाभ कम होगा और श्रम की माग भी कम हो जायगी। इसलिए या तो मजदूरी कम की जाय या फिर बेकारी का सामना करने के लिए तैयार रहे। इस दृष्टिकोण के अनुसार कार्मिक संघ स्थायी ढंग से मजदूरी नहीं बढ़वा सकते। यह भी ध्यान दिलाया जाता है कि लाभ सीमान्त उत्पादन शक्ति से निर्धारित होते हैं और कार्मिक संघ उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते।

परन्तु कार्मिक संघ मुख्यतः दो प्रकार में मजदूरी बढ़वा सकते हैं।

(i) श्रमिक संघ इस बात को सुनिश्चित करा सकते हैं कि मजदूरों को उनकी सीमान्त उत्पादन शक्ति का पूरा मूल्य मिले। पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति में तो मजदूरी सीमान्त उत्पादन शक्ति के समान होती है। परन्तु वास्तव में प्रतियोगिता पूर्ण नहीं होती। इसलिए श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति निर्बल होने के कारण मजदूरी उत्पादन शक्ति के अनुकूल नहीं होती। इस शक्ति में वृद्धि करके श्रमिक संघ उत्पादन शक्ति के स्तर तक मजदूरी बढ़वा सकते हैं।

(ii) श्रमिक संघ मजदूरों की उत्पादन शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। (क) वे मालिक को अधिक आधुनिक यन्त्र एवं सगठन का उपयोग करने के लिए बाध्य करते हैं। (ख) वे मजदूरों को ही कार्यपटुता बढ़ाने में सहायक होते हैं। यह मजदूरों के स्वभाव में गम्भीरता, किरायायत एवं ईमानदारी की आदतों को बढ़ाकर तथा नई पीढ़ी को अधिक अच्छी सामान्य शिक्षा अथवा कार्य-प्रशिक्षण देकर किया जा सकता है। (ग) कार्मिक संघ मजदूरों के किसी विशेष वर्ग को पूर्ति (supply) कम करके उसके उत्पादन शक्ति के मूल्य को बढ़ा सकते हैं।

कुछ विशेष हालात ही ऐसे हैं जिनमें सप्लाई (पूर्ति) कम करने से मजदूरों के वग विशेष की मजदूरी बढ़ाई जा सकती है (१) उन प्रकार की श्रमिक वर्ग की माग लोचनीय हो जिसका अर्थ यह है कि जिस वस्तु के उत्पादन में वह वर्ग सहायक होता है, उसकी माग लोचनीय हो। (२) उस वर्ग की मजदूरी कुल उत्पादन लागत का छोटा भाग हो, तथा (३) उत्पादन की अन्य अवस्थाएँ भी अधिक मजदूरी देने को विवश करने के लिए अनुकूल हो। दूसरे शब्दों में, उनका अन्य उपयोग न हो सके। परन्तु इस बात की आशा न रहनी है कि मालिक श्रमिकों के बदले में काम करने वाले यंत्रों का उपयोग करने लगे, और इससे श्रमिकों को माग कम हो जाय और उसके फलस्वरूप मजदूरी भी कम हो जाय।

श्रमिक मजदूरी तब बढ़ा सकने है जब मजदूर उनके सदस्य हों और कोई अन्य मजदूर उनके स्थान पर काम करने के लिए बाहर से न बुलाया जा सके।

यह हम कार्मिक सघों द्वारा मजदूरी निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातों का जिक्र करेंगे।

कार्मिक सघ मजदूरी को ऊँचा करके किमी उद्योग के अनुचित प्रसार को रोक सकता है, जब कि नई फर्मों के लिए एकमात्र आकर्षण कम मजदूरी (low wages) ही। परन्तु यह एक ऐसी मजदूरी पर आग्रह करके जिसको कि उद्योग सहन नहीं कर सकता वेकारी का कारण हो सकता है। कुछ उद्योगपति उद्योग से हट जायेंगे और कुछ उत्पादन कम कर देंगे। दोनों दशाओं में ही कुछ श्रमिक हटायें जायेंगे। निकाले हुए मजदूरों की दूसरे उद्योग में जाने से वहाँ मजदूरी कम हो जावेगी। सघ में प्रवेश पर रोक लगाना अनुचित है तथा इसमें एकाधिकार (monopoly) की वृत्ति आती है और मजदूरी के स्तर का एकाधिकार उतना ही बुरा है जितना कि कीमत स्तर का एकाधिकार। यदि कार्मिक सघ एकाधिकारी से एकाधिकार लाभ छिन सकता है तो यह उचित है। एक कार्मिक संघ का उचित कार्य शोषण रोकना है और जब वह इससे परे जाता है तो यह बुरा है।

३ कार्मिक सघों के गुण और दोष (Merits and Demerits of Trade Unions)—जहाँ एक ओर कार्मिक सघ मजदूरों के लिए बरदान तुल्य साबित हुए हैं, वहाँ उनकी आलोचना भी की गई है। इनके मुख्य लाभ ये हैं —

(i) एक सुदृढ़ कार्मिक सघ औद्योगिक शांति तथा स्थिरता में सहायक होता है क्योंकि सामूहिक रूप से समझौता उसके अधिकांश मजदूरों द्वारा मान्य होने के कारण उनकी मान्यता प्राप्त करता है।

(ii) मजदूरी के प्रामाणिक एवं उचित स्तर पर बल देने से ये अयोग्य अथवा (असमर्थ) मालिकों को उद्योग से बहिष्कृत करने में सहायक होते हैं।

(iii) पारस्परिक सहायता से उन्होंने मजदूरों की कार्यपटुता को काफी बढ़ाया है। मजदूरी की वृद्धि से मजदूर वर्ग की गरीबी और गदगी को कम करने में भी सहायता मिली है।

(iv) श्रम लागत बढ़ने से श्रम वचाने वाले यंत्रों के उपयोग को प्रेरणा मिली है। इससे टैकनिकल प्रगति हुई है।

दूसरी ओर श्रमिक सघों की तीव्र आलोचना, विशेषकर उनकी समाज-विरोधी कार्यवाहियों के कारण, की गई है। उनके विरुद्ध दोषारोपणों में कुछ निम्नलिखित हैं

(i) प्रामाणिक वेतन-स्तर पर अनुचित जोर देकर उन्होंने अधिक कार्यपटु या ऊँचे श्रमिकों का वेतन-स्तर कम कर दिया है।

(ii) उन्होंने अभिनवीकरण (rationalisation), उत्पादन तथा उत्पादन के अधिक उन्नत साधनों के उपयोग का केवल इसलिए विरोध किया है कि उससे कुछ मजदूरों का काम छिन जायगा। इस रुख के कारण टैकनिकल प्रगति तथा फलस्वरूप राष्ट्रीय लाभांश की वृद्धि में बाधा पड़ी है।

(III) वे बहुधा 'धीरे काम करो' की नीति बरतने का पाठ पढाते हैं, जिससे राष्ट्रीय लाभांश कम होता है। काम करने के अवसर कम होते हैं और इसलिए मजदूरों को ही हानि होती है। इससे 'मजदूरों की निधि' (work fund) का जो विचार मजदूरों में होता है उसकी वास्तविकता का भी पता चलता है।

(IV) अपनी शक्ति के मद में कभी-कभी उन्होंने अपर्याप्त आवारों पर हड़ताल कराके उत्पादकों, समाज तथा स्वयं को हानि पहुँचाई है।

(V) इस बात की हठ करके कि केवल कार्मिक सघ के सदस्य मजदूरों को ही काम पर लगाया जाय, उन्होंने श्रमिकों के कृत्रिम अभाव को उत्पन्न किया है।

इन सब बातों के उपरान्त भी हम कह सकते हैं कि कार्मिक सघों ने अनुभव की जाने वाली एक कमी को पूरा किया है। यह समझना विलकुल सरल है कि यदि वे न होते तो श्रमिकों का निर्दयतापूर्वक शोषण होता। यदि जनसाधारण कष्ट पाता है, तो क्या राष्ट्र को लाभ होता है?

४ औद्योगिक झगड़े (Industrial Disputes)—श्रमिकों और मालिकों के झगड़े पूँजीवादी देशों के औद्योगिक जीवन के एक प्रकार से साधारण अंग बन गये हैं। ऐसे झगड़ों का परिणाम या तो हड़ताल होता है अर्थात् मजदूरों का काम पर न जाना अथवा तालाबन्दी जिसमें मालिक मजदूरों को काम पर नहीं जाने देते। तालाबन्दी की अपेक्षा हड़ताल अधिक होती है क्योंकि अधिकांशतः मजदूर वर्ग, जो सतप्त पक्ष है, पहले कार्यवाही करता है।

श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार होना चाहिये अथवा नहीं, यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है, विशेषकर सार्वजनिक अथवा असावर्जनिक उद्योगों के सम्बन्ध में। रेलवे, 'ग्रन्वे', जल तथा विद्युत सप्लाई करने वाले वर्कशापों के बन्द होने से समाज का जीवन-क्रम अस्तव्यस्त हो जाता है और उममें गति-हीनता उत्पन्न होती है। जहाँ तक व्यक्तिगत स्वामित्व में चलने वाले उद्योग हैं और खासकर जो बुनियादी उद्योग नहीं हैं, उनमें हड़ताल का अधिकार साधारणतया स्वीकार किया जाता है। सार्वजनिक उद्योगों में भी यदि मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगे तो न्याय की मांग है कि मजदूरों की शिकायतों पर ध्यान दिया जाय और उनके अधिकारों पर सरकार द्वारा ठीक प्रकार से संरक्षण हो।

परन्तु कारण कुछ भी हो, हड़ताल से समाज के जीवन पर गभीर प्रभाव पड़ता है। मजदूरों, मालिकों और समाज को हानि उठानी पड़ती है। मजदूरों को मजदूरी की हानि होती है, मालिकों को लाभ की तथा बाजार खोने की हानि होती है, विशेषकर विदेशी बाजारों (foreign markets) के हाथ से चले जाने का भय रहता है। समाज को उद्योग द्वारा प्रस्तुत वस्तुओं की सेवा से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए सभी सम्बन्धित पक्षों का कर्त्तव्य है कि वे ऐसी अवस्थाएँ उत्पन्न करें जिससे हड़तालों की संभावना कम से कम हो जाय। और जब ऐसे औद्योगिक झगड़े उत्पन्न हो तो उनको निपटाने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें झगड़ों के कारणों की जांच की जरूरत होती है।

भोटे तौर पर औद्योगिक झगडो और श्रमिकों के अमतौर के तीन कारण होते हैं—

(1) श्रमिकों की उच्च जीवन-स्तर प्राप्त करने की आकांक्षा। इससे पर्याप्त मजदूरी देने की समस्या हल करने की आवश्यकता होती है। इस मांग को पूरा करने के लिए वेतन प्रणाली में कई प्रकार के परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है और कई देशों में उनका प्रयोग करके देखा गया है। उदाहरण के लिए स्लाइडिंग स्केल सिस्टम (sliding-scale system), बोनस (bonus) व लाभ में शेयर देने की योजना (profit sharing schemes) निम्नतम वेतन निर्धारण आदि। इन उपायों का वर्णन अगले विभागों में किया जायगा।

(ii) श्रमिकों की अधिक आर्थिक सुरक्षा की आकांक्षा। इससे बेकारी की समस्या का सम्बन्ध है। अध्याय के अन्तिम भाग में इस पर विचार किया जायगा।

(iii) उद्योग के प्रवृद्ध और नियंत्रण में कुछ भाग लेने की मजदूरों की मांग। इसके लिए भी कई तरीके बताये गये हैं जिनका उल्लेख आगे के विभागों में किया जायगा।

(iv) काम करने के घटों के प्रश्न पर भी झगडे उठते हैं। परन्तु अब उन्हें कानून बनाकर निश्चित कर दिया गया है।

(v) कभी-कभी मजदूरों के नेता, सर्वप्रिय मजदूर का निकाला जाना अथवा श्रमिक सब को अधिमान्यता न देने पर भी हड़तालें होती हैं।

५ लाभांश वितरण-प्रणाली (Premium Bonus System)—
लाभांश वितरण प्रणाली श्रम-काल (time-rate system) तथा ठेके के आधार पर मजदूरी (piece-rate system) देने के दोषों को दूर करने के लिए निकाली गई है। जब मजदूरी काम के समय के आधार पर दी जाती है, तो इस बात की आशंका रहती है कि मजदूर अपनी शक्ति भर काम नहीं करेगा। दूसरी ओर यदि ठेके के आधार पर मजदूरी दी जाती है, तो मजदूर काम में जल्दबाजी करके निम्न श्रेणी की वस्तु बना सकता है। चंपमैन के कथनानुसार “लाभांश वितरण प्रणाली (Premium bonus system) में जो कई प्रकार की है, इस बात की कल्पना की गई है कि उत्पादन के एक प्रामाणिक स्तर को स्वीकार किया जाय और उससे अतिरिक्त अधिक उत्पादन के लिए मजदूरी की घटी हुई अथवा अतिरिक्त उत्पादन की वृद्धि के साथ क्रमिक ढग से घटती हुई दर मजदूरों को दी जाय। इससे मजदूर को सीमा से अधिक काम करने पर रोक रहती है क्योंकि जैसे ही समय बीतता जायगा, अतिरिक्त अर्जन की न्यूनता होती जायगी। इस प्रकार जल्दबाजी और अत्यधिक जी तोड़ कार्य करने का अवसर कम रह जाता है। इस प्रकार ठेके की दर (piece-rate) के दोष उसके लाभों से बिना वंचित हुए दूर हो जाते हैं।

लाभांश वितरण प्रणाली के कई रूप हैं। कभी तो बोनस मजदूर द्वारा उत्पादन के ‘योग्यता स्तर’ (efficiency rate) प्राप्त करने पर काम के घंटों की दर के अतिरिक्त दिया जाता है। कुछ स्थानों में योग्यता स्तर निम्नतम होता है और उससे अधिक उत्पादन के लिए बोनस दिया जाता है। पहले प्रकार में बोनस इसलिए दिया

जाता है कि समय की वचत की जाती है और दूसरे में अतिरिक्त उत्पादन के लिए। पहले का उदाहरण अमेरिका में प्रचलित हैल्से प्रणाली (Halsey System) है। उसमें जितना समय बचाया जाता है, उसके लिए साधारणतया प्रति घंटे की निर्धारित मजदूरी से आधी मजदूरी प्रति घंटे के अनुसार वोनस दिया जाता है। मान लो कि एक कार्य को करने के लिए १० घंटे नियत हैं और दर १० पेंस प्रति घंटा है। कोई मजदूर उम कार्य को आठ घंटे में करता है तो उसे (10×8) पेंस + (2×5) पेंस का वोनस अर्थात् कुल ९० पेंस मिलेंगे।^१

६ स्लाइडिंग प्रणाली (Sliding Scale)—इस योजना में मजदूरी उत्पादित वस्तु की कीमत के परिवर्तन या निर्वाह व्यय (cost of living) या उद्योग द्वारा अर्जित लाभ के आधार पर घटती-बढ़ती है। जब मजदूरी की दरों का सम्बन्ध कीमतों से होता है, तो कुछ आधारभूत कीमतें निश्चित कर ली जाती हैं। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो एक अनुपात से मजदूरी भी बढ़ाई जाती है, यदि कीमत गिरती है तो मजदूरी की दर भी गिरती है। परन्तु उसे एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं गिरने दिया जाता। वैसी ही व्यवस्था निर्वाह-व्यय तथा लाभ में परिवर्तन होने पर की जाती है।

कभी-कभी स्लाइडिंग प्रणाली की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उस से मजदूरों के वेतन में ऐसे कारणों से कमी हो सकती है जिनसे लाभ किसी प्रकार कम नहीं होता। उदाहरण के लिए उत्पादन के उन्नत साधनों के प्रयोग से, भाड़ा कम होने से, व्यापारिक खतरे कम होने आदि कई कारणों से कीमतें कम हो सकती हैं। ऐसी दशाओं में मजदूरी कम करना न्यायसंगत न होगा। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यापार की अवस्थाओं में अंतर उपस्थित होते रहने पर बनियादी दरों में भी बहुधा संशोधन करना चाहिए।

निर्वाह व्यय के आधार पर स्लाइडिंग स्केल प्रणाली को लागू करने पर भी कई आक्षेप किये गये हैं, जिनमें सूचक अंको (index numbers) की अपूर्णता है और यह भी कि इस प्रणाली में मजदूरी स्थायी हो जाती है और उससे केवल कम वेतन वाले मजदूरों को ही सुविधा मिलनी है।

इन एतराजों का उत्तर यह दिया जाता है कि प्रणाली का उद्देश्य मुद्रा में भुगतान की जाने वाली मजदूरी की क्रय-शक्ति को स्थिर रखना है। मजदूरी की दरें बढ़ाने के लिए मजदूरों को अलग से अपने सगठनों और कार्मिक सघों के द्वारा जोर डालना चाहिए। स्लाइडिंग स्केल प्रणाली से मजदूरी परिवर्तन कीमतों के अनुकूल होता है और यह प्रणाली मजदूरों को, आवश्यक होने पर, मजदूरी की दर बढ़ाने के लिए जोर डालने को स्वतन्त्र छोड़े रहती है। इसके अतिरिक्त इन एतराजों को सूचक अंको के सुधार तथा निर्वाह-व्यय में परिवर्तन होने पर पूर्ण रूप से हानि पूर्ण करके दूर किया जा सकता है।

७ लाभ में शेयर (Profit Sharing)—इसमें मजदूरों को साधारण मजदूरी के अतिरिक्त उद्योग में होने वाले शुद्ध लाभ (net profit) का कुछ प्रति-

शत भाग दिया जाता है। इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल होते हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रचलित नकद बोनस (cash bonus system) देने का है। इसमें रामज-समय पर मजदूरों में कारखाने के लाभ के एक निश्चित अंश को वितरित किया जाता है।

इस प्रणाली में कई अच्छाईयाँ हैं। (i) एक तो इससे संघर्ष कम होता है और मालिकों तथा मजदूरों के बीच अद्भावना उत्पन्न होती है, (ii) इसमें मजदूरों का कारखाने से अधिक प्रेम हो जाता है और (iii) इससे मजदूर को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

दूसरी ओर कई कारणों से इस प्रणाली की आलोचना भी की जाती है। (i) उत्पादन का अधिकांश लाभ मालिकों को मिलता है, (ii) इससे श्रमिकों की एकता नष्ट हो जाती है, (iii) इससे मजदूरों के स्थान-परिवर्तन में बाधा पड़ती है, और (iv) लाभ में हिस्सा दिया जाय तो नुकसान में भी हिस्सा लगना चाहिए। परन्तु यह तब तक नहीं हो सकता, जब तक मजदूरों का उद्योग के नियन्त्रण और प्रबन्ध में हिस्सा न हो।

८ श्रम-सहभागिता (Labour-Co-partnership)—यह प्रणाली उपर्युक्त प्रणाली से मिलती-जुलती है। केवल अन्तर यह है कि लाभ का भाग प्राप्त करने की प्रणाली में श्रमिकों का उद्योग के नियन्त्रण में कोई हाथ नहीं रहता, परन्तु भागीदारी में एक सीमित अंश तक नियन्त्रण में भी हिस्सा होता है। यह या तो शेयर (share) खरीदने के लिए प्रोत्साहित करके किया जाता है, जिससे भागीदारों के साधारण अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं, अथवा संचालक मंडल (Board of Directors) में श्रमिकों के एक या अधिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करके किया जाता है। यह भेद इधर कई वर्षों से कम होता जा रहा है, क्योंकि श्रमिकों तथा मालिकों, दोनों के प्रतिनिधियों की सम्मिलित समितियाँ लाभ का शेयर लेने (profit sharing) एवं सह-भागीदारी, दोनों बातों के देखने के लिए अधिकाधिक बनाई जा रही हैं। य समितियाँ कारखाने के प्रबन्ध को देखने के लिए भी व्यापक अधिकारों का प्रयोग करती हैं।

लाभ का शेयर लेने की प्रणाली की उपर्युक्त आलोचनाएँ भागीदारी (co-partnership) प्रणाली पर भी लागू होती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी है कि यदि कारखाना बन्द हुआ तो श्रमिकों की रोजी भी जाती है और साथ-साथ उनकी पूँजी भी। इससे बढ़कर, मजदूरों के प्रतिनिधि संचालक सदस्य सदा ही अल्प संख्या में होते हैं।

लाभ का शेयर लेने की प्रणाली ने इंग्लैंड में भी, जहाँ उसके प्रयोगों को पर्याप्त अवसर दिया गया, औद्योगिक झगड़ों की समस्या का सर्वथा समाधान नहीं किया। फिर भी योजना अभी प्रयोग की दशा में ही है और केवल सीमित क्षेत्र में ही लागू की गई है।

९. श्रम-परिषदें या कर्मचाला समिति (Works Councils)—उद्योग के नियन्त्रण में श्रमिकों के सहयोग पाने का एक तरीका, जिसका प्रयोग इंग्लैंड में किया गया, श्रम-समितियों का है। इस योजना को सन् १९१७ में व्हिटले समिति की

जाता है कि समय की वचत की जाती है और दूसरे में अतिरिक्त उत्पादन के लिए। पहले का उदाहरण अमेरिका में प्रचलित हैलसे प्रणाली (Halsey System) है। उसमें जितना समय बचाया जाता है, उसके लिए साधारणतया प्रति घंटे की निर्धारित मजदूरी से आधी मजदूरी प्रति घंटे के अनुसार वोनम दिया जाता है। मान लो कि एक कार्य को करने के लिए १० घंटे नियत हैं और दर १० पैसे प्रति घंटा है। कोई मजदूर उस कार्य को आठ घंटे में करता है तो उसे (१०×८) पैसे $-(२ \times ५)$ पैसे का वोनस अर्थात् कुल ९० पैसे मिलेंगे।^१

६ स्लाइडिंग प्रणाली (Sliding Scale)—इस योजना में मजदूरी उत्पादित वस्तु की कीमत के परिवर्तन या निर्वाह व्यय (cost of living) या उद्योग द्वारा अर्जित लाभ के आधार पर घटती-बढ़ती है। जब मजदूरी की दगो का सम्बन्ध कीमतों से होता है, तो कुछ आधारभूत कीमतें निश्चित कर ली जाती हैं। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो एक अनुपात से मजदूरी भी बड़ाई जाती है, यदि कीमत गिरती है तो मजदूरी की दर भी गिरती है। परन्तु उसे एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं गिरने दिया जाता। वैसी ही व्यवस्था निर्वाह-व्यय तथा लाभ में परिवर्तन होने पर की जाती है।

कमी-कमी स्लाइडिंग प्रणाली की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उस से मजदूरों के वेतन में ऐसे कारणों से कमी हो सकती है जिनसे लाभ किसी प्रकार कम नहीं होता। उदाहरण के लिए उत्पादन के उन्नत साधनों के प्रयोग से, भाड़ा कम होने से, व्यापारिक खतरे कम होने आदि कई कारणों से कीमतें कम हो सकती हैं। ऐसी दशाओं में मजदूरों को कम करना न्यायसंगत न होगा। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यापार की अवस्थाओं में अतर्क उपस्थित होते रहने पर बनियादी दरों में भी बहुधा संशोधन करना चाहिए।

निर्वाह व्यय के आधार पर स्लाइडिंग स्केल प्रणाली को लागू करने पर भी कई आक्षेप किये गये हैं, जिनमें सूचक अंकों (index numbers) की अपूर्णता है और यह भी कि इस प्रणाली में मजदूरी स्थायी हो जाती है और उससे केवल कम वेतन वाले मजदूरों को ही सुविधा मिलती है।

इन एतराजों का उत्तर यह दिया जाता है कि प्रणाली का उद्देश्य मुद्रा में भुगतान की जाने वाली मजदूरी की क्रय-शक्ति को स्थिर रखना है। मजदूरी की दरें बढ़ाने के लिए मजदूरों को अलग से अपने सगठनों और कार्मिक संघों के द्वारा जोर डालना चाहिए। स्लाइडिंग स्केल प्रणाली से मजदूरी परिवर्तन कीमतों के अनुकूल होता है और यह प्रणाली मजदूरों को, आवश्यक होने पर, मजदूरी की दर बढ़ाने के लिए जोर डालने को स्वतन्त्र छोड़े रहती है। इसके अतिरिक्त इन एतराजों को सूचक अंकों के सुचारु तथा निर्वाह-व्यय में परिवर्तन होने पर पूर्ण रूप से हानि पूर्ण करके दूर किया जा सकता है।

७ लाभ में शेयर (Profit Sharing)—इसमें मजदूरों को साधारण मजदूरी के अतिरिक्त उद्योग में होने वाले शुद्ध लाभ (net profit) का कुछ प्रति-

शत भाग दिया जाता है। इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल होते हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रचलित नकद बोनस (cash bonus system) देने का है। इसमें समय-समय पर मजदूरों में कारखाने के लाभ के एक निश्चित अंश को वितरित किया जाता है।

इस प्रणाली में कई अच्छाइयाँ हैं। (i) एक तो इससे भ्रष्टाचार कम होता है और मालिकों तथा मजदूरों के बीच सद्भावना उत्पन्न होती है, (ii) इसमें मजदूरों का कारखाने से अधिक प्रेम हो जाता है और (iii) इससे मजदूरों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

दूसरी ओर कई कारणों से इस प्रणाली की आलोचना भी की जाती है। (i) उत्पादन का अधिकतम लाभ मालिकों को मिलता है, (ii) इससे श्रमिकों की एकता नष्ट हो जाती है, (iii) इससे मजदूरों के स्थान-परिवर्तन में बाधा पड़ती है, और (iv) लाभ में हिस्सा दिया जाय तो नुकसान में भी हिस्सा लगना चाहिए। परन्तु यह तब तक नहीं हो सकता, जब तक मजदूरों का उद्योग के नियन्त्रण और प्रबन्ध में हिस्सा न हो।

८. श्रम-सहभागिता (Labour-Co-partnership)—यह प्रणाली उपर्युक्त प्रणाली से मिलती-जुलती है। केवल अन्तर यह है कि लाभ का भाग प्राप्त करने की प्रणाली में श्रमिकों का उद्योग के नियन्त्रण में कोई हाथ नहीं रहता, परन्तु भागीदारी में एक सीमित अंश तक नियन्त्रण में भी हिस्सा होता है। यह या तो शेयर (share) खरीदने के लिए प्रोत्साहित करके किया जाता है, जिससे भागीदारों के साधारण अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं, अथवा संचालक मंडल (Board of Directors) में श्रमिकों के एक या अधिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करके किया जाता है। यह भेद इधर कई वर्षों से कम होता जा रहा है, क्योंकि श्रमिकों तथा मालिकों, दोनों के प्रतिनिधियों की सम्मिलित समितियाँ लाभ का शेयर लेने (profit sharing) एवं सह-भागीदारी, दोनों बातों के देखने के लिए अधिकाधिक बनाई जा रही हैं। ये समितियाँ कारखाने के प्रबन्ध को देखने के लिए भी व्यापक अधिकारों का प्रयोग करती हैं।

लाभ का शेयर लेने की प्रणाली की उपर्युक्त आलोचनाएँ भागीदारी (co-partnership) प्रणाली पर भी लागू होती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी है कि यदि कारखाना बन्द हुआ तो श्रमिकों की रोजी भी जाती है और साथ-साथ उनकी पूँजी भी। इससे बढ़कर, मजदूरों के प्रतिनिधि संचालक सदस्य मदाही अल्प संख्या में होते हैं।

लाभ का शेयर लेने की प्रणाली ने इंग्लैंड में भी, जहाँ उसके प्रयोगों को पर्याप्त अवसर दिया गया, औद्योगिक झगड़ों की समस्या का सर्वथा समाधान नहीं किया। फिर भी योजना अभी प्रयोग की दशा में ही है और केवल नीमिन क्षेत्र में ही लागू की गई है।

९. श्रम-परिषदे या कर्मशाला समिति (Works Councils)—उद्योग के नियन्त्रण में श्रमिकों के सहयोग पाने का एक तरीका, जिसका प्रयोग इंग्लैंड में किया गया, श्रम-समितियों का है। इन योजनाओं को सन् १९१७ में विट्टले समिति की

(Whitley Committee Report) के पश्चात् तैयार किया गया। श्रम-तया श्रमिकों तथा मालिकों के समान प्रतिनिधियों को मिश्रकर संगठित की जाती है—कही उनमें केवल मजदूरों के प्रतिनिधि रहते हैं और उन्हें मालिकों से प्रबन्ध-स्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार-विनिमय का अधिकार होता है। इसके अलावा, किसी उद्योग के मालिकों तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों को मिलाकर जिला परिषदें (strict councils) भी बनाई जाती हैं।

श्रम-समितियाँ, जिन्हें द्विटले समितियाँ भी कहते हैं, किसी सीमा तक मालिकों और श्रमिकों के बीच शान्ति और सद्भावना रखने में सफल हुई हैं। उनसे मजदूरों में उत्तर-व की भावना अधिक बढ़ी, क्योंकि उद्योग के संचालन के हेतु किये गये निर्णय-भाव डालने के लिए उन्हें अवसर दिया गया। झगड़े-अविकारात्मक पारस्परिक-र-विनिमय से हल हुए।

१० न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages)^१—औद्योगिक झगड़ों-म करने का एक तरीका पर्याप्त मजदूरी (adequate wage) की व्यवस्था-कानून के द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाती है जिससे कम देना अपराध-र दिया है। न्यूनतम वेतन कुछ चुने हुए उद्योगों में, जिन्हें 'पसीने के धन्धे' (sweated trades) कहा जाता है, निर्धारित किया जा सकता है अथवा-राष्ट्रव्यापी बनाया जा सकता है। इस प्रकार की नीति का मजदूर, मालिक तथा-श्रमिकों पर क्या प्रभाव होगा ?

मान लीजिए कि किसी एक अथवा कुछ उद्योगों में प्रतियोगिता स्तर से अधिक-न्यूनतम मजदूरी कानून या कार्मिक संघ के दबाव से निश्चित कर दी जाती है।-गर मालिक को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए बाध्य कर सकती है, परन्तु वह-श्रमिकों को सब श्रमिकों को काम में लगाए रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कुछ-को काम से अलग किया जा सकता है और अधिक कार्यकुशल श्रमिकों को रखा-सकता है। इस प्रकार न्यूनतम मजदूरी की योजना से उन्हीं का हित नहीं होता, के लिए वह लागू की जाती है। उससे केवल श्रमिकों का पुनर्वितरण होता है।

साथ ही इस बात का भी खतरा रहता है कि सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी को-एक अधिकतम मान कर चले। इस प्रकार मजदूरी के स्तर में वृद्धि के स्थान पर-वृद्धि की नीवत आ जाती है।

यदि इम ऊँची दर को उपभोक्ताओं के सिर पर डाला जाता है तो वस्तु की कीमत-जायगी और बेकारी नहीं होगी। परन्तु कीमत बढ़ाना हर दशा में शायद सम्भव-ही क्योंकि विदेशों से प्रतियोगिता हो सकती है अथवा उपभोक्ता उस वस्तु के-न पर दूसरी वस्तु से काम चला सकते हैं। दूसरे शब्दों में जब उत्पादित वस्तु की-परिवर्तनीय होती है, तो ऊँची मजदूरी के भार को उपभोक्ताओं के सिर नहीं

1 See Stigler, G. J. on "The Economics of Minimum Wage Legislation," *The American Economic Review*, June 1946, pp. 358-363

डाला जा सकता ।

यदि मालिक साधारण लाभ ही कमा रहा है, तो भार उसके लाभ पर जाकर पड़ेगा, परन्तु अधिक दिनों तक यह नहीं चल सकता । यदि किसी व्यवसाय में लाभ कम होता जा रहा है, तो नई पूँजी, नये उद्यमी आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे वर्तमान पूँजी कुछ समय तक कम लाभ पर लगी रह सके, वरतें कि उद्योग विविध प्रकार का और स्थिर है ।

अन्तत उद्योग के कम होने अथवा श्रम वचाने वाले यत्रो अथवा उत्पादन प्रगालियो के प्रयोग से बेकारी अवश्य होगी । स्टिगलर के शब्दों में "न्यूनतम मजदूरी जितनी ऊँची होगी उतने ही अधिक सरक्षित श्रमिक (covered workers) निकाले जायगे ।" यह अनुमान किया जाता है कि न्यूनतम मजदूरी का मजदूरी के कुल काम पर उलटा प्रभाव पड़ता है ।

परन्तु तब बेकारी न होगी जब कि मजदूरी कुल उत्पादन लागत का एक छोटा हिस्सा ही होगा । तब वस्तु की कीमत में हल्की सी वृद्धि करने से मालिक को बड़ी मजदूरी देने से हुई हानि की क्षति-पूर्ति हो जायगी ।

इसी प्रकार उस समय भी बेकारी की नीवत नहीं आ सकती जब कि उत्पादक का सम्बन्धित उत्पादन पर एकाधिकार हो और उस वस्तु की माग अपेक्षाकृत अपरिवर्तनशील हो, जैसे कि विजली, पानी, गैस तथा अन्य सार्वजनिक उपभोग्य वस्तुओं के विषय में है ।

यदि न्यूनतम मजदूरी प्रतियोगिता स्तर (competitive level) से कम है, तो उन उद्योगों में अधिक लाभ की आशा और सभावना के कारण अधिक पूँजी लगाने को प्रोत्साहन मिलेगा । मजदूरी के लिए उनकी माग बढ़ेगी । पर नए 'रगस्ट' इन कामों से दूर रहने का यत्न कर सकते हैं । इस प्रकार अशत, मजदूरी की पूर्ति कम होने तथा अगत उनकी माग अधिक बढ़ने से मजदूरी प्रतियोगिता स्तर पर आ सकती है ।

यदि 'पसीनों के धन्धों' में पहले बहुत अधिक लाभ कमाया जा रहा था तो न्यूनतम वेतन से प्रतियोगिता स्तर पर स्थिर करने से बेकारी नहीं होगी वरन् लाभ कम होकर मजदूरी साधारण स्तर पर आ जायगी ।

इस प्रकार यह दृढ़तापूर्वक नहीं कहा जा सकता कि न्यूनतम मजदूरी का प्रभाव श्रम पर क्या होगा ? कुछ स्थितियों में यह लाभदायक होगा और कुछ में हानिकारक । हर स्थिति में उसके गुणावगुणों (merits and demerits) के अनुसार विचार प्रकट करना पड़ेगा ।

११. राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (The National Minimum Wages)—देश भर में सब उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का परिणाम और गभीर हो सकता है, विशेषकर यदि मजदूरी प्रतियोगिता के स्तर से अधिक ऊँची हो । इस दशा में सब मार्ग बन्द हो जाते हैं । श्रमिकों का एक उद्योग के स्थान पर दूसरे में लग जाना या श्रम का पुनर्वितरण नहीं हो सकता । हर जगह उन्हें कम से कम यही मजदूरी देनी पड़ेगी ।

ऊँचे मूल्यों से उसका प्रभाव नष्ट न ही जाए, इसलिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी

को वास्तविक न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, न कि निर्धारित द्रव्य मजदूरी। जब कीमते बढ़े तो न्यूनतम मजदूरी भी बढ़नी चाहिए।

चूंकि इस न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पर किसी मजदूर को कहीं भी नहीं रखा जा सकता, इसलिए एक उद्योग में निकाला गया मजदूर दूसरे में काम नहीं पा सकता। इस तरह काम से निकाले गए मजदूर तब तक स्पर्धा तीव्र पर बेकार बने रहेंगे जब तक कि वह अपनी कार्यक्षमता नहीं बढ़ाते या न्यूनतम-न्यूनतम मजदूरी पर काम करने को तैयार नहीं हो जाते।

इस भार को उपभोक्ताओं पर भी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जन कीमते बढ़ेंगी तो फिर मजदूरी का स्तर भी बढ़ाना होगा। उत्पादन के तरीकों को बदल देने से लाभ के स्तर को स्थिर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि श्रम बचाने वाली मशीनों तथा अन्य उपायों की भी कीमते बढ़ जायेगी। इसका परिणाम व्यापक बेकारी होगा और सभी प्रकार के उद्योगों में सकीर्णता आ जायेगी। इससे पूँजी के मंचय और विनियोग में बाधा होगी।

इसके अतिरिक्त बेकारों को सार्वजनिक कोष से सहायता देनी होगी, जिसका परिणाम ऊँचे कर और उद्योगों पर और अधिक भार तथा और अधिक बेकारी होगी। इस प्रकार जहाँ उत्पादन में कमी होगी, वहाँ बेकारों पर किये गये व्यय के कारण टैक्स बढ़ेंगे। समाज अपनी पिछली वचत को व्यय करते हुए दिवालियेपन की ओर जायेगा, और यदि यह नीति बहुत अधिक दिनों तक बरती गई तो आर्थिक क्रिया के स्रोत सूखने लगेंगे।

परन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना आवश्यकीय तौर पर मजदूरों की हानि करना है। कई परिस्थितियों में उससे अनिर्धार्य रूप में लाभ भी हो सकता है —

(१) ऐसे उद्योगों में, जहाँ बहुत बड़ी पूँजी (large capital) लगी है और विशेष प्रकार के यंत्र काम में आ रहे हैं, उद्योगपति कारखाना चालू रखने पर विवश होंगे, भले ही मजदूरी चुकाने में उनके लाभ कम हो जाय। ऐसी दशा में लाभ सकुचनशील (squeezeable) होते हैं। मजदूरों को बेकारी का तात्कालिक खतरा हुए बिना न्यूनतम मजदूरी मिलती रह सकती है।

(२) यह सम्भव है कि बड़ी हुई मजदूरी का उपयोग मजदूर इस प्रकार करें कि उनकी कार्यपटुता बढ़ जाय। इसमें उनकी उत्पादन-शक्ति बढ़ेगी और वे अधिक मजदूरी पाने के योग्य, यदि पहले नहीं थे, तो अब हो जायेंगे। तब मजदूरी वृद्धि का लाभ पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और तब पूँजी के हतोत्साह होने अथवा बेकारी बढ़ने का खतरा न होगा।

(३) यह सम्भव है कि मजदूरों के गरीब और अमगठित होने से मालिक उनका शोषण करें। इस दशा में मजदूरी निश्चित करना, पुराना न्याय (belated justice) करने के समान होगा और मालिक का उन्हें काम से छुटाने का कोई कारण नहीं होगा।

(४) अन्त में, यदि किसी देश में बेकारी की सहायता की व्यवस्था है, तो मजदूरों को उतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। वे राज्य से भरण-व्यय या खाने-पीने का खर्च पाते हैं। उसका भार बनी कर-दाताओं पर पड़ता है। इस तरह न्यूनतम मजदूरी निर्धारण

वन के धनिकों से लेकर गरीबों में वितरण का साधन बन जाता है और आर्थिक तथा सामाजिक न्याय-स्थापना में सहायक होता है।

न्यूनतम वेतन का समर्थन कुछ ठोस आधारों पर किया जा सकता है। (क) इससे श्रमिकों को उचित जीवन-स्तर का आश्वासन होता है, उनकी कार्यपटुता बढ़ती है और गरीबों से उद्धार होता है। (ख) इससे स्वार्थी मालिकों की, जो कि मजदूरों का शोषण करते तथा न्यूनतम मजदूरी देने से बचने के लिए श्रमिकों को एक उद्योग से दूसरे में बदलते हैं, स्वार्थपूर्ण तथा समाजविरोधी कार्यवाहियों को रोक होती है। (ग) इससे अयोग्य मालिकों का, जो कि न्यूनतम मजदूरी देने भर को भी अर्जन नहीं कर सकते सम्बन्धित उद्योगों से निष्कासन होगा और औद्योगिक प्रवन्ध का स्तर ऊँचा होगा। परन्तु यह स्वीकार करना चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण से मजदूरी प्रणाली में कठोरता तथा लोचनीयता आ जायगी, जिससे उत्पादन लागत का कीमतों से समायोजन (adjust) करना कठिन हो जायगा। यदि स्तर बहुत अधिक ऊँचा है तो उद्योग की प्रतियोगिता-शक्ति घट जायगी और बेकारी बढ़ेगी। यदि वह नीचा होता है, तो श्रमिकों को कोई लाभ नहीं होता।

एक सामाजिक सुधारक को ऐसे श्रम कानून की सामाजिक लागत पर भी ध्यान रखना चाहिए। जब किसी उद्योग पर ऊँचे स्तर की न्यूनतम मजदूरी का बोझ लादा जायगा तो उत्पादन लागत बढ़ जायगी। इससे कम वस्तुएँ अधिक कीमत पर मिलेंगी। राजकोष (exchequer) को सहायता (doles), पेंशन तथा गरीबों की सहायता के अन्य कार्यों का बड़ा हुआ बोझ सहन करना पड़ेगा। यह खर्चों की मंशे हैं। आय की मद में हम बच्चों की उन्नति से बचत तथा बड़े होने पर उनकी अर्जन शक्ति में वृद्धि रख सकते हैं। जब शिक्षा का सामान्य स्तर ऊँचा हो जाता है, तो कुशल श्रम तथा शिक्षित व्यापार प्रवन्धकों की पूर्ति बढ़ जायगी। यह यथासमय पर ऐसे लोगों को उनके सापेक्षिक लाभ से वंचित कर देगी क्योंकि पूर्ति के बढ़ने से उनकी आय कम हो जायगी। परन्तु समाज को निस्सन्देह लाभ होगा।

भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (The Minimum Wages Act) १९४८ में पास हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकती हैं, इनमें क्लर्क भी शामिल हैं। ऐसा अनुसूचित रोजगारों (scheduled employments) में हो सकता है तथा समुचित शासन (appropriate government) इस कानून को किसी भी उद्योग में लागू कर सकता है। मजदूरी निश्चित करने में सलाह आदि के लिए सलाहकार समिति की नियुक्ति की जा सकती है। इस प्रकार निश्चित की गई दरों के पुनर्-मूल्यांकन के लिए एक अवधि निश्चित होती है जो पाँच साल से ज्यादा न हो। जैसा कि औद्योगिक श्रमिकों की अनुसूची में वर्णित है प्रत्येक राज्य में न्यूनतम मजदूरी को दर निश्चित है। जहाँ तक कृषि में मजदूरों का प्रश्न है, इसे पूरा करने के लिए एक प्रखिल भारतीय समिति की स्थापना की गई जो तत्सम्बन्धी आकड़े एकत्रित करे। अधिकांश राज्यों में मजदूरी को दर निश्चित हो गई है।

किन्तु, चीज न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना जरूरी नहीं है, जरूरी तो उचित मजदूरी (fair wages) निश्चित करना है। उचित मजदूरी की परिभाषा करना सहज काम नहीं। मार्शल के अनुसार मजदूरी उसी समय 'उचित' होगी यदि यह "दूसरे व्यापारों में काम की भुगतान के औमत के अनुकूल स्तर पर है, वे समान रूप से कठिन तथा रुचिहीन हो, और जिन्हें करने में समान रूप से दुर्लभ प्राकृतिक गुणों तथा समान रूप से खर्चीले प्रशिक्षण की जरूरत हो।" पीगू के अनुसार, सकुचित अर्थों में मजदूरी उस समय उचित होती है जब यह पड़ोस के समान उद्योगों में चालू मजदूरी के समान होती है। विस्तृत अर्थों में, यह उचित है यदि समस्त देश में समान काम के लिए तथा व्यापारों की व्यापकता (generality of trades) में प्रभावी दरों (predominant rates) के समान रहे।

भारत में १९४७ में औद्योगिक सम्मेलन में औद्योगिक सन्धि सकल्प (Industrial Truce Resolution) पास हुआ जिसमें उचित मजदूरी निश्चित करने की मांग की गई। सरकार ने इस सकल्प (resolution) को अपने १९४८ की औद्योगिक नीति विवरण (Industrial Policy Statement) में स्वीकार कर लिया। एक उचित मजदूरी समिति (Fair Wage Committee) की नियुक्ति की गई जिसने १९४९ में अपनी रिपोर्ट पेश की और इन सिफारिशों (recommendations) के आधार पर १९५० में एक अधिनियम का मसविदा (draft) तैयार किया गया। लेकिन वह बाद में व्यपगत (lapsed) हुआ। इस समिति के अनुसार उचित मजदूरी वह है जो न्यूनतम मजदूरी तथा निर्वाह मजदूरी (living wage) के बीच में बनती है, इसकी अपनी सीमा का निर्धारण उद्योग विशेष की वर्दाश्त करने की क्षमता से निश्चित होता है।

१२ औद्योगिक झगड़ों का निपटारा (Settlement of Industrial Disputes)—झगड़ों को रोकने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करने पर भी वे हो सकते हैं और होते ही रहते हैं। इसलिए उनके निपटारे के लिए कोई व्यवस्था होनी आवश्यक है। साधारणतया उसके लिए दो उपाय होते हैं (i) समझौता (conciliation) तथा (ii) पंच-निर्णय (arbitration)।

(1) समझौता (Conciliation)—इस उपाय की मुख्य बात यह है कि मजदूरों तथा मालिकों के प्रतिनिधियों में स्वतः विना किसी बाहरी व्यक्ति की मध्यस्थता के अथवा मध्यस्थता की सहायता से समझौता हो जाता है। भारतवर्ष में सन् १९२९ के औद्योगिक विवाद कानून से सरकार ने यह अधिकार प्राप्त किया कि किसी एक पक्ष की प्रार्थना पर वह झगड़े की जाँच के लिए एक समझौता बोर्ड (Conciliation Board) नियुक्त कर सकती है। परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था से हड़तालें विलुप्त ही असम्भव नहीं हो जाती, क्योंकि विशेषकर कार्मिक सघों में अविश्वास की भावना सदा बनी रहती है।

जब समझौता बोर्ड का सभापति विलुक्त स्वतन्त्र और विख्यात ईमानदार व्यक्ति होता है, तब समिति अच्छा काम करती है।

(11) पंच निर्णय (Arbitration)—इस प्रकार की व्यवस्था में झगड़े के निपटारा करने का कार्य एक बाहरी व्यक्ति या मध्यस्थ समिति को सौंप दिया जाता है। पंच निर्णय ऐच्छिक (voluntary) हो सकता है, जैसा कि इंग्लैंड में है, अथवा अनिवार्य, जैसा कि आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। ऐच्छिक पंच निर्णय में झगड़े को एक मध्यस्थ न्यायालय (Arbitration Court) में भेजा जाता है। न्यायालय के निर्णय को अधिकांशतः मान लिया जाता है, परन्तु दोनों पक्षों के लिए मानने की वाच्यता नहीं होती। पंच-निर्णय की रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं और बहुत से मामलों में जनमत के दवाव से दोनों पक्षों को निर्णय मानना पड़ता है।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पंच न्यायालय का निर्णय मानना दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य होता है। हड़ताल और तालाबन्दी दोनों कानून से निषिद्ध कर दिये जाते हैं और जर्मनी या कारावास से दण्डीय होते हैं। अनिवार्य पंच-निर्णय से काफी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, खास तौर से उन देशों में जहाँ और दूसरे काम मिलने की गुंजाइश कम रहती है। आस्ट्रेलिया में चूक खेती पंच-निर्णय-कानून के अधिकार-क्षेत्र के बाहर है, वहाँ पूँजी अथवा मजदूरों के लिए अन्य मार्ग खुला रहता है। चैपमैन का कहना है कि "बुनियादी उद्योगों में, जिनकी निरन्तर सक्रियता के ऊपर सारा समाज निर्भर करता है, उदाहरण के लिए, परिवहन, वहाँ अनिवार्य पंच-निर्णय के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है।"¹¹

१३ वेकारी (Unemployment)—आधुनिक औद्योगिक देशों में मजदूरों के झगड़ों का सबसे बड़ा कारण रोजगार की अनिश्चितता है। वेकारी का भय श्रमिकों के सामने सदा बना रहता है। इसे प्रगति की 'सहगामिनी छाया' (Shadow side of progress) कहा गया है।

पारिभाषिक रूप से वेकारी ऐसी दशा है जबकि किसी देश में कार्य-क्षम या युवक के शारीरिक-सामर्थ्य-संपन्न व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या काम करने के लिए प्रस्तुत है, परन्तु उसे प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम नहीं मिल पाता। वह लोग जो शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलता के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं, अथवा जो काम करना ही नहीं चाहते, जैसे साधु, उनकी गणना वेकारों में नहीं की जाती।

किसी उत्पादक कार्य में सलग्न होना ही वेकारी का बिल्कुल न होना नहीं माना जाता। जो लोग केवल थोड़ा समय कार्य करते हैं अथवा अपनी योग्यता से नीचे का काम करते हैं, उन्हें पर्याप्त रूप से कार्य-सलग्न नहीं कहा जा सकता। इसे न्यून काम (under-employment) को दशा कहते हैं। यह भी देश की समृद्धि के लिए हितकारी नहीं है। पूँजीवादी देशों में बेरोजगारी का होना अनिवार्य है। वहाँ अधिक से अधिक जो किया जा सकता है, वह है वेकारों की संख्या को यथासम्भव कम करना।

१४. बेरोजगारी के कारण (Causes of Unemployment)—चैपमैन ने बेरोजगारी के वस्तुपरक तथा आत्मपरक (objective and subjective) कारणों में अन्तर किया है। आत्मपरक कारण व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोषों

से होते हैं चाहे वह जन्मजात हो अथवा बाद में पैदा हुए हो, उपचारयोग्य हो या लाइलाज । वस्तुपरक कारण ऐसी शक्तियों से उत्पन्न होते हैं जिनपर व्यक्ति का कोई नियन्त्रण अथवा अधिकार नहीं होता । ये कारण इस प्रकार हैं—

(i) व्यापार चक्र (Trade Cycles) —इसका विस्तृत अध्ययन एक पृथक् अध्याय में किया जायगा ।¹ यहाँ केवल इतना कहना ही काफी होगा कि व्यापार मन्दी (depression) साधारणतः एक निश्चित काल के बाद होती है । मदी के समय व्यापारिक क्रिया धीनी हो जाती है और बेरोजगारी (unemployment) बढ़ती है । कुछ लोगों का काम छूट जाता है और कुछ को केवल आशिक्र काम मिलता है ।

(ii) मौसमी माग (Seasonal Demand) —रूई आर्थिक चेष्टाएँ मौसमी होती हैं । मदी के मौसम में मजदूरों की माग कम हो जाती है और उसका परिणाम बेरोजगारी होता है । उदाहरण के लिए, बर्फ के कारखानों में केवल गर्मी की ही ऋतु में काम होता है, खेतों में भी काम फसल के समय होता है । तीन महीने से पाच महीने तक हमारे कृषकों को विवशत बेकार रहना पड़ना है ।

(iii) औद्योगिक परिवर्तन (Industrial Changes) —इसमें नई रीतियों का प्रयोग निहित है । चूंकि उत्पादन प्रणाली में धीरे-धीरे परिवर्तन होता है, इसलिए बहुत से जदूर एक साथ रोजगार से जुदा नहीं होते । परन्तु यदि ऐसे परिवर्तन शीघ्र होते हैं तो, बहुत से लोग बेकार हो जाते हैं । इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति के सस्ते सामान ने भारतीय बाजारों को पाट दिया, इसलिए स्वदेशी उद्योगों में लगे लोग बेरोजगार हो गए ।

(iv) नैमित्तिक श्रम (Casual Labour) —नैमित्तिक श्रम का आशय उस श्रम से है जो थोड़े समय के लिए विविध प्रकार के कार्य में लगे रहते हैं, जैसे बदरगाह पर माल लादने या उतारने का काम । ऐसे लोगों को तब तक काम मिलता है जब तक व्यापार चालू रहता है । उन्हें निरन्तर एक काम को छोड़कर दूसरे काम को करना पड़ता है । बहुत से आलसी लोग अस्थायी कार्य करना पसन्द करते हैं अथवा जो इस तरह का कार्य करना है, वे आलस्य की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं । काम मिलने और करने में अनियमितता की इससे वृद्धि होती है ।²

(v) बीच का समय (Social Time-lag) —बीच का समय वह समय है जो कि मजदूर को एक काम छोड़ कर दूसरे काम के ढूँढने में लगता है । यह समय मदी के समय अधिक और व्यापार के वृद्धिकाल में कम होता है । काम करने वाले की प्रकृति तथा उसके आर्थिक वातावरण से भी समय में भेद हो सकता है । यह बिल्कुल समझ है कि एक ओर मजदूर बेकार हो और दूसरी ओर मजदूरों की कमी हो । ऐसी स्थिति काम तथा मजदूर चाहने वालों में संपर्क की कमी से होती है ।

(vi) ऊँची मजदूरी (High Wages) —यह भी कहा जा सकता है कि श्रमिक सघ की कार्यवाही से भी बेकारी हो सकती है । यदि सघ ऐसी मजदूरी की दर

1 Chapter XLII

2 Chapman, Op Cit, p 351

स्वीकार कराने में सफल होते हैं, जो कि सीमान्त उत्पादन शक्ति के हिसाब से अधिक है, तो आगे या पीछे मजदूरो को काम से अवश्य अलग किया जायगा। ऐसा तब भी होगा जब कि न्यूनतम मजदूरी, जो कि मजदूरो की उत्पादन शक्ति से अधिक है, कानून द्वारा देना अनिवार्य किया जायगा, परन्तु जिसका देना उद्योग की सामर्थ्य के बाहर है।

(vii) सम्पत्ति में वृद्धि (Growth of Wealth)—कीन्स (Keynes)⁹ के अनुसार बेरोजगारी सम्पत्ति वृद्धि के परिणामस्वरूप भी हो सकती है। आय की वृद्धि के साथ लोगो में उसके क्रमशः कम अंश को तात्कालिक उपभोग में व्यय करने की प्रवृत्ति होती है। इससे उपभोग्य वस्तुओ की माग कम होती है और इससे उन वस्तुओ के बनाने वाले व्यवसायियो का लाभ भी कम होने लगता है। इसकी प्रतिक्रिया में वे उत्पादन के साधनो पर, जिसमें श्रमिक भी शामिल होते हैं, कम व्यय करना चाहते हैं और मजदूरो की संख्या कम करने लगते हैं। इस प्रवृत्ति को तभी रोका जा सकता है, जब कि अधिक वचत का उपयोग अधिकाधिक व्यवसाय में पूजी लगाकर हो। परन्तु समृद्ध देशो में नये उद्योगो में पूजी लगाने के अवसर भी कम होते हैं। इसलिए नये तौर पर पूजी लगाने से भी उपभोग की कमी के प्रभाव को पूर्णरूप से नहीं रोका जा सकता। परिणाम यह होता है कि मजदूरो का एक भाग काम पाने में असफल रहता है।

१५ बेकारी दूर करने के उपाय (Remedies for Unemployment)—आर्थिक योजना (economic planning) तैयार करना बेकारी दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। उसमें बेकारी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सन् १९२९—१९३४ की व्यापारिक मंदी के समय अमेरिका में ४० लाख आदमी और ब्रिटेन में २५ लाख आदमी बेकार थे, परन्तु उसी समय रूस की आयोजित अर्थ-व्यवस्था में एक व्यक्ति भी बेकार नहीं था। परन्तु यदि किसी कारण समाजवादी ढंग की योजना न हो सके तो पूँजीवादी व्यवस्था में भी बेकारी को कम करने के लिए कई उपाय किये जा सकते हैं। ये निम्नलिखित हैं —

(1) रोजगारी के दफ्तरों की स्थापना (Establishment of Employment Exchanges)—ये सस्थाएँ एक ओर बेकार व्यक्तियों के नाम, उनकी योग्यताएं और आवश्यकताएँ तथा काम देने वाले मालिको की आवश्यकताएँ रजिस्टर में लिखती जाती हैं। इस प्रकार वे उन लोगो में जो कि काम की तलाश में रहते हैं, और जिन्हें मजदूरी की जरूरत रहती है, सम्पर्क स्थापित करते हैं। इन सस्थाओ से कुछ और भी लाभ होते हैं। वे एक काम से दूसरे काम पाने के बीच के समय को कम करने में सहायक होते हैं और साथ ही मजदूरो को अपनी कार्य-पटुता बढ़ाने के अवसरों की सूचना भी प्रदान करते हैं। वे स्कूल के बाद शिक्षा जारी रखने अथवा शिल्प-शिक्षण पाने के विषय में भी परामर्श दे सकते हैं। अस्थायी कार्य करने वालो को स्थायी कार्य

दिलाने में भी उनसे सहायता मिलती है ।

(11) व्यापार चक्र द्वारा उत्पन्न वेकारी का निराकरण दो प्रकार से हो सकता है । (क) मजदूरो की घटती हुई माग को सब प्रभावित व्यवसायो में वितरित करके । (ख) श्रम की सार्वजनिक माग को क्षतिपूर्ति का साधन बनाकर । जहा तक पहले उपाय का सम्बन्ध है, मजदूरो की माग का वितरण उद्योग को कम समय तक चला कर या काम के घटे कम करके किया जा सकता है । चैपमैन का मत है कि "यह अधिक अच्छा होगा कि एक उद्योग में लगे हुए सब कर्मचारी कम काम करें और कम कमायें, वजाय इसके कि कुछ कर्मचारी कुछ भी न कमायें ।" कुछ का सुझाव है कि मालिक सारी मजदूरी श्रमिक सघो (labour unions) को दे दे, जो सब श्रमिको को नियमित रूप से मजदूरी दें ।

दूसरे के विषय में, मजदूरी की सार्वजनिक (सरकारी) माग अन्य उद्योगो की माग के विपरीत होनी चाहिये । उदाहरणार्थ, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य जैसे रेल, सड़कें, मरकारी इमारतें आदि व्यापारिक मदी के समय शुरू होने चाहिए क्योंकि ऐसे समय निजी उद्यम (private enterprise) शिथिल अवस्था में होते हैं । इससे केवल उन कार्यों में लगे हुए लोगो को ही काम न मिलेगा वरन् व्यक्तिगत उद्योगो को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनेक वस्तुओ की माग बढ़ेगी । इससे आर्थिक सक्रियता में तेजी आ सकती है । इसके विपरीत व्यापार के तेजी काल में सार्वजनिक अधिकारियो को यथासभव बडो योजनाओ को चालू न करना चाहिए । इसमें विशेष योजना बनाने की जरूरत पडती है, जिससे कि विशेष सस्याए जैसे राष्ट्रीय रोजगार समिति तथा विकास बोर्ड (National Employment and Development Board) बनाए जाय जो कि सार्वजनिक व्यय सम्बन्धी क्षतिपूरक (compensatory) योजनाए तैयार करे ।

(111) सामयिक या ऋतु विशेष की वेकारी एक व्यापार को दूसरे से परस्पर मिलाने से दूर हो सकती है । शिथिल काल में सग्रह हेतु सामग्री निर्मित की जा सकती है अथवा सामग्री पूर्ति के अग्रिम आर्डर लिये जा सकते हैं और काम को वर्ष भर चलाया जा सकता है ।

जहाँ तक काम करने के लिए असमर्थ लोगो का सम्बन्ध है, उनकी कई प्रकार से सहायता की जा सकती है । पहले, जो शराबी हैं, आवारा हैं या अन्य प्रकार से सामाजिक परोपजीवी (social parasites) हैं, उनके सुधार की चेष्टा करनी चाहिए । उन लोगो की, जो किमी शारीरिक रोग से असमर्थ हो गये हैं, यदि उनका रोग अच्छा होने लायक है, तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए ।

वेकारो के कष्ट-निवारण की एक अलग समस्या है । इससे हम सामाजिक वीमा योजना की समस्या पर पहुचते हैं, जिसका क्षेत्र न केवल वेकारी के लिए ही वरन् मजदूरो की अन्य कठिनाइयो को भी दूर कर सकता है ।

१६. सामाजिक बीमा (Social Insurance)—सामाजिक बीमा, कोहोन (Cohon) के शब्दों में “बीमा के सारे क्षेत्र का वह अंग है, जिसमें मजदूरों की उन सकटों से रक्षा होती है, जिनमें या तो वह मजदूरों का ऐसा सौदा करने में असमर्थ रहता है, जिसमें वह अपने एव अपने परिवार का सतोपजनक जीवन निर्वाह कर सके अथवा शारीरिक असमर्थता के कारण सौदे के अपने अंश को पूरा नहीं कर सकता।” ऐसे मुख्य खतरे (क) अस्थायी असमर्थता जैसे दुर्घटना, रोग अथवा बेकारी (ख) अयोग्यता अथवा बुढ़ापे के कारण स्थायी असमर्थता, तथा (ग) मृत्यु, जिसमें विधवाओं अथवा बच्चों के लिए कोई भविष्य निधि नहीं छोड़ी गई है, से उत्पन्न होते हैं।

सामाजिक बीमे की परिभाषा इस प्रकार है कि “यह एक सहकारी युक्ति है, जिसका बेरोजगारी, बीमारी तथा दूसरे आपात कालों में बीमा कराये हुए लोगों के लिए उचित सहायता का प्रबन्ध करना है, जिससे न्यूनतम जीवन-निर्वाह-स्तर सुनिश्चित हो सके। ऐसी सहायता त्रिपक्षीय (tripartite) निधि से मिले जिसे श्रमिकों के, मालिकों के तथा राज्य (सरकार) के अंशदान से मिला कर बनाया जाता है। साथ ही ऐसी सहायता बिना किसी परीक्षा के, उन व्यक्तियों को अपने अधिकारों के रूप में मिले।”

उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर हमें सामाजिक बीमे के सम्बन्ध में मुख्य बातें सहज ही में मालूम हो जाती हैं। वे इस प्रकार हैं (1) सामाजिक बीमे का उपबन्ध अनिवार्य रूप से होता है, (ii) यह सभी दलों की ओर से अंशदान के रूप में है, (iii) इससे प्राप्त होने वाली सुविधाएँ अधिकार-स्वरूप मिलती हैं तथा उनके आत्म-सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुँचती तथा (iv) सुविधाओं को सीमा में रखने के लिए वे सिर्फ न्यूनतम जीवन-निर्वाह-स्तर बनाए रखने के लिए होती हैं। इसके अलावा, श्रमिकों का अंशदान इतना होता है जिसकी अदायगी वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकें। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सामाजिक बीमा आपात काल (emergency) में सहायता तो कर सकता है लेकिन आपात काल की स्थिति पैदा होने से रोक नहीं सकता।

ब्रिटेन में सामाजिक बीमे कई प्रकार के हैं, जहाँ इस ओर काफी प्रगति हुई है। ये इस प्रकार हैं बेकारी बीमा (Unemployment Insurance), (ii) स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance), (iii) वार्षिक-निवृत्ति-वेतन योजना (Old-age Pension Scheme), तथा (iv) विधवा तथा अनाथ निवृत्ति वेतन योजना (Widows' and Orphans Pension Scheme)।

भारत में ‘सामाजिक बीमा’ के सम्बन्ध में जो वृद्धि हुई है उसका वर्णन हम निम्न-लिखित विभाग सामाजिक सुरक्षा में करेंगे।

१७ सामाजिक सुरक्षा (Social Security)—आधुनिक राज्य की आर्थिक चेष्टाओं के अन्तर्गत ‘सामाजिक सुरक्षा’ वाक्यांश बहुत प्रचलित हुआ है। ‘सामाजिक बीमा’ वाक्यांश की अपेक्षा यह अधिक विस्तृत है। उपर्युक्त वर्णित सामाजिक बीमा के अलावा इसमें सामाजिक सहायता (social assistance) भी शामिल है। सामाजिक बीमा उनकी सुविधा के लिए है जो अंशदान देते

है और इसकी (सुविधा की) अधिकार रूप में माग कर सकते हैं। इसके विपरीत सामाजिक सुरक्षा का उपबन्ध सरकारी निधि में से सरकार की ओर से मुफ्त होता है। सामाजिक बीमे में परीक्षण (test) लेने का कोई तरीका नहीं है। किन्तु सामाजिक सहायता सिर्फ उन्हें दी जाती है जो कुछ निर्दिष्ट शर्तें पूरी करते हैं। कई जोखिम (risks) का सर्वोत्तम संरक्षण तो सामाजिक बीमे के अन्तर्गत ही होता है। लेकिन कुछ आकस्मिकताएँ (contingencies) सामाजिक सहायता के लिए ही उचित हैं। प्रायः, यदि सामूहिक निधि (common fund) के दुरुपयोग की आशंका है तो अथवा गलत क्लेम (दावों) का डर रहता है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक बीमा ही सर्वोत्तम है। सामाजिक बीमे के अन्तर्गत, बेकारी, बीमारी, वार्धक्य का उपबन्ध होता है। इसके विपरीत सामाजिक सहायता का सम्बन्ध अस्पतालों, सेनिटोरियों, प्रसूति-केन्द्रों, बाल-कल्याण-केन्द्रों तथा स्कूल आदि संस्थाओं से है। किसी देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली वहाँ की सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सहायता योजनाओं को मिलाकर बनती है।

सामाजिक सुरक्षा की भावना का उदय राज्य (सरकार) के इस दायित्व के प्रति सजग होने से हुआ कि कुछ आपदाओं से बचने के लिए नागरिकों का उचित उपबन्ध होना चाहिए। इससे पूर्व राज्य गरीब नागरिकों के अभाव तथा निर्धनता का उपबन्ध मात्र करके अपने कर्तव्य को पूरा हुआ मानता था। किन्तु, सर विलियम वेविरिज के अनुसार "अभाव पुनर्निर्माण के मार्ग पर पाँच दैत्यों में सिर्फ एक है, तथा कई अर्थों में, इस पर आघात करना सब से सहज है। दूसरे दैत्य हैं, बीमारी (disease), अज्ञान (ignorance), गन्दगी (squalor) तथा आलस्य (idleness)" सामाजिक सुरक्षा का ध्येय इन विशाल तथा भयावह दैत्यों से रक्षा करना है। इस ओर सब से अधिक ध्यान देने का श्रेय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन (I L O) को है जिसके इस ओर रुचि लेने से ही विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा की भावना ने उन्नति की है। द्वितीय महायुद्ध से भी विभिन्न देशों के राजनेताओं के अन्तःकरण में इस भावना की जागृति हुई कि नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाए। ये सुविधाएँ सिर्फ श्रमिकों तक ही सीमित न रहें और इनका लाभ विशद तथा विस्तृत स्तर पर हो। युद्धोत्तर-काल में, इस बात पर विचार किया गया कि जनसाधारण का कल्याण किया जाए, और उसकी मजबूरी तथा निर्धनता से पैदा होने वाली अनेकों चिन्ताओं का निवारण किया जाए। तदनुसार, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, तथा न्यूज़ीलैण्ड आदि देशों में तथा दूसरे देशों में भी जहाँ जनसाधारण के कल्याण की ओर ध्यान दिया जाता था, सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी बड़ी-बड़ी योजनाओं का सूत्रपात किया गया। कई देशों में इस ओर बहुत काम हुआ जिनमें ब्रिटेन की वेविरिज योजना, कनाडा की सामाजिक सुरक्षा के लिए माश रिपोर्ट तथा संयुक्त राज्य अमरीका का मरे डिंगल विधेयक (Murray Dingell Bill) विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं।

किन्तु भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में इतना काम नहीं हुआ जितना जरूरी था। इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि हमारा देश एक उप-महाद्वीप के समान है

और यहाँ की विशाल जनसंख्या तथा लोगों की गरीबी किसी भी योजना के लिए बाधक सिद्ध होती है जिसे अशदान के आधार पर चालू किया जाए। इसलिए काफी अर्से तक सामाजिक बीमा योजना सिर्फ बौद्धिक स्तर पर सोच-विचार और वाद-विवाद का विषय बनी रही। बेवरिज योजना के प्रकाशित होने से भारत में बड़ी रुचि उत्पन्न हुई। स्वाधीनता के आगमन, श्रमिक वर्ग में चेतना उत्पन्न होने तथा साम्यवादी विचारों के प्रसार से भारत में भी सामाजिक सुरक्षा के उपायों को भारत में लागू करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। भारत में मजदूरी कम है, रोग आदि का प्रकोप अधिक होता है, बेकारी बड़े पैमाने पर फैली है तथा जीवन-स्तर बहुत गिरा हुआ है। श्रमिक अपनी सारी आय से दैनिक जरूरियात की वस्तुएँ कठिनाई से जुटा पाता है। ऐसी दशा में उसके लिए यह असम्भव है कि वह कुछ बचा पाए और विभिन्न आकस्मिकताओं का उपबन्ध कर सके। इस कारण से सामाजिक सुरक्षा योजना भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाती है।

श्रमिक को जिन आकस्मिकताओं का अपने जीवनकाल में सामना करना पड़ता है उनमें से किसी के भी पूरे-पूरे निवारण का उपबन्ध नहीं हुआ है। यह सही है कि औद्योगिक दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए अधिनियम (Acts) बने हैं, साथ ही प्रभूति सहायता तथा हाल ही में स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ भी बनी हैं। लेकिन उन्हें किसी भी रूप से सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं कहा जा सकता। इस ओर १९४८ में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (Employees' State Insurance Act, 1948) तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ पास करके कुछ काम हुआ है। इनमें पहले का वित्तपोषण कर्मचारी राज्य बीमा निधि से होगा जिसे मालिकों तथा कर्मचारियों के अशदानों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अनुदानों (grants) से मिला कर बनाया जाता है। प्रशासकीय खर्च (administrative expenses) के दो-तिहाई के लिए केन्द्रीय सरकार पहले पाच सालों के लिए प्रतिवर्ष अनुदान देती है और साथ ही राज्य सरकारों को औपवीय खर्चों की लागत का भार उठाना पड़ता है। मालिकों तथा कर्मचारियों के द्वारा साप्ताहिक अशदान की एक निश्चित रकम दी जाती है। बीमारी, प्रसूतावस्था, अगहानि (disablement), आश्रितों को सहायता तथा औपवीय सहायता आदि के लिए सहायता का उपबन्ध (provision) है। अब यह योजना (१९५५ से) कानपुर, पंजाब के सात नगरों नागपुर, बम्बई, कोइम्बटूर, मध्य-भारत के चार केन्द्रों, हैदराबाद, सिकन्दराबाद, कच्छता (जिसमें ९॥ लाख मजदूरों को फायदा पहुँचता है), आदि में लागू की गई है। कर्मचारी बीमा भविष्य निधि अधिनियम (Employees' Insurance Provident Fund Act) के अन्तर्गत एक रुपये में एक आना कर्मचारियों को तथा एक आना मालिकों को अशदान के रूप में जमा करना पड़ता है। इसके अन्तर्गत (१९५५ से) छ बड़े उद्योगों में उस हर श्रमिक के लिए उपबन्ध है जिसने एक वर्ष लगातार नौकरी की है और जिसकी मूल मजदूरी (basic wage) ३०००० प्रति मास से अधिक नहीं है। भविष्य निधि योजना से १९०० कारखानों में काम करने वाले १५ लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ है।

१९५५ में भविष्य निधि की कुल रकम सरकारी प्रतिभूतियों (government securities) के रूप में ३२ करोड़ रुपये थी ।

अब यह आशा की जाती है कि इस प्रकार के प्रारम्भिक सामाजिक सुरक्षा के उपायो से भविष्य के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यापक योजना तैयार करना सम्भव होगा ।

निर्देश पुस्तकें

Keynes, J M —General Theory of Employment, Interest and Money

Davison, Sir R —Social Security

Beveridge, W —Social Security Scheme

Hicks, J R —Theory of Wages, 1932

Dobb, M —Wages (Rev Edition), 1946

Industrial Relations Handbook (His Majesty's Stationery Office),

Meyers, A L —Elements of Modern Economics, 1951, Ch 16

Tarshis, L —Elements of Economics, 1946, Ch 39

अध्याय २६

व्याज

(INTEREST)

१ सकल तथा शुद्ध व्याज (Gross and Net Interest)—उधार ली गई रकम के उपभोग के एवज में दी जाने वाली कीमत व्याज है। यह एवज उत्पादन के तीसरे साधन अर्थात् पूँजी की सेवाओं के लिए है। सामान्य रूप से व्याज उधार दी गई राशि पर प्रतिशत के अनुसार लगाया जाता है। अधिकतर व्याज कही जाने वाली राशि पूँजी की सेवाओं की कीमत नहीं होती। प्रायः व्याज कही जाने वाली चीज वास्तव में सकल व्याज है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, शुद्ध व्याज सकल व्याज का छोटा सा अंश होता है। व्याज की दर में फर्क से इसी तथ्य का पता चलता है। विभिन्न कार्यों में शुद्ध व्याज की प्रवृत्ति समान होने की होती है यदि प्रतियोगिता (competition) खुली और पूर्ण रहे।

ऋणी साहूकार को जो पूरी रकम चुकाता है, उसे सकल व्याज कहते हैं। परन्तु ऋणी जो सब रकम साहूकार को देता है, वह शुद्ध व्याज नहीं होता, अर्थात् पूँजी की सेवाओं की कीमत नहीं होती। उसमें अनेक अन्य अंशों का समावेश होता है जिनमें से शुद्ध व्याज केवल एक अंश होता है। इसलिए कुल व्याज में निहित तत्त्वों का विश्लेषण आवश्यक है। वे निम्नलिखित हैं।

(क) शुद्ध व्याज (Pure Interest)—यह पूँजी अथवा उधार ली हुई रकम की सेवाओं के बदले की कीमत होता है।

(ख) जोखिम या खतरे के लिए बीमा (Insurance against Risk)—ऋणदाता जब रुपया उधार देता है तो वह कुछ खतरा उठाता है। इन खतरों के बदले में उसे कुछ रकम मिलनी चाहिए। यह खतरे दो प्रकार के होते हैं (i) व्यक्तिगत, जो ऋण लेने वाले के चरित्र की अविश्वसनीयता के कारण होते हैं, और दूसरे (ii) व्यापारिक खतरे जो रुपया लगाये जाने वाले किसी व्यवसाय के चढ़ाव-उतार के कारण हो सकते हैं। इस प्रकार ऋणदाता को, एक तो यह भय हो सकता है कि ऋण लेने वाला शायद उसका रुपया और व्याज वापस न करे, अथवा कर्जदार व्यापार में ही घाटा खा जाय। जितना ही अधिक इन बातों का भय होगा, उतना ही अधिक द्रव्य बीमा (insurance money) के रूप में ऋणदाता लेना चाहेगा।

(ग) प्रबन्ध की मजदूरी (Wages of Management)—भुगतान का कुछ अंश प्रबन्ध की मजदूरी के रूप में हो सकता है। ऋणदाता को हिसाब-किताब रखना पड़ता है और थोड़े-थोड़े समय के लिए ऋण देने की व्यवस्था करनी पड़ती है, इस तरह रुपया उधार देना या साहूकारी करना उसका पूरे समय का धन्धा हो जाता है।

(घ) फिर, असुविधाओं के बदले में भी कुछ भुगतान होता है। जब कोई अपना रुपया दूसरे को उधार देता है, तो एक अवधि तक वह उस रुपये के अधिकार से वंचित हो जाता है। वह इच्छा भी करे, तो भी उसके उपभोग में असमर्थ रहता है। ऐसी दशा में लाभकारी अवसर (सयोग) हाथ से निकल सकते हैं। असुविधा दो प्रकार की होती है। हो सकता है, ऋणदाता उस समय रुपया वापस न पा सके, जब उसे आवश्यकता हो, और दूसरे से व्याज पर रुपया लेना पड़े या उसे तब रुपया वापस मिले जब उसे सुरक्षापूर्वक लगाने का अवसर न हो, और इसलिए रुपया निष्क्रिय पड़ा रहे और उससे व्याज भी न मिल सके। इस प्रकार की हानियों के लिए उसे क्षतिपूर्ति मुआवजे के रूप में भी कुछ मिलना चाहिए। इसलिए वह शुद्ध व्याज के अतिरिक्त भी कुछ वसूल करता है।

इन बातों को ध्यान में रखने से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि गाव के महाजन की व्याज की दरें प्रतियोगिता के होते हुए भी क्यों इतनी ऊँची हैं। आशकाए और असुविधाये बहुत हैं। उसी प्रकार वस्तुएँ बन्धक रखने वाले महाजन (pawn-brokers) वार्षिक आधार के अनुमान से बड़ी ऊँची व्याज दरें लेते प्रतीत होते हैं परन्तु उन्हें छोटे-छोटे अलग-अलग हिसाब रखने आदि में काफी असुविधाओं को सहना पड़ता है। इसी से यह भी ज्ञात हो जायगा कि सरकार, विशेष करके वह जिस की आर्थिक स्थिति अच्छी है, व्याज की बड़ी हल्की दरों पर रुपया उधार ले सकती है। उनमें ऋणदाता को भय या असुविधा बहुत कम रहती है और व्याज मुख्यतः शुद्ध व्याज होता है। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण ब्रिटिश सरकार की सचिव वार्षिकी (Consols)¹—ब्रिटिश सरकार की दीर्घावधि की प्रतिभूतियों पर मिलने वाला विशुद्ध व्याज है।

२ व्याज की दरों में अन्तर (Differences to Interest Rates)—द्रव्य मार्केट में एकाधिकार प्रतियोगिता (monopolistic competition) इतनी सीमा तक होती है जितनी सीमा तक विभिन्न ऋण लेने वालों से व्याज की भिन्न दरें ली जाती हैं। यदि एक ही श्रेणियों में एक ही अवधि में गिना जाय तो शुद्ध व्याज समानता की ओर चलता है। जो अन्तर है, वे सकल व्याज में होते हैं। दूसरे शब्दों में व्याज की दरों में अन्तर ऋणदाता द्वारा उठाए गए खतरो और असुविधाओं के आधार पर होते हैं।

शुद्ध व्याज अलग-अलग उद्योगों में लगाने पर, जबकि बाजार एक ही न हो, निम्नलिखित कारणों से अलग-अलग हो सकता है —

(क) दूरी के कारण अन्तर (Differences due to Distance)—लोग दूरी की अपेक्षा निव स के निकट ही रुपया लगाना अधिक पसन्द करते हैं। इससे पूंजी की अपेक्षाकृत गतिहीनता के कारण माग और पूर्ति में अन्तर पैदा हो सकता है।

1 Consols = n pl.—Short word for consolidated annuities: = सचिव वार्षिकी

(ख) समय का अन्तर (Differences due to Time)—यदि लोगो को अधिक लम्बे समय के लिए अपना रुपया देना पडता है, तो वे अन्य खतरो एवं असुविधाओ के होने पर भी व्याज की अधिक ऊची दर पाने की आशा करते हैं। यदि रुपया थोड़ी-थोड़ी अवधि के लिए बार-बार देना पडता है, तो प्रवन्ध की असुविधा के कारण सकल व्याज बढ जायगा। परन्तु वह शुद्ध व्याज नहीं होता।

(ग) ऋण की मात्रा में अन्तर (Differences due to the Amount of Loans)—साधारणतया व्याज की दर और ऋण की मात्रा में विपरीत सम्बन्ध है। जब ऋण की रकम अधिक होती है तो व्याज की दर कम होती है।

सकल व्याज में उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से भी अन्तर हो सकता है—

(1) सामाजिक सम्मान में अन्तर (Differences in social Esteem)—ईमानदारी के लिए अधिक विख्यात व्यक्ति नीची व्याज की दर पर ऋण ले सकता है। यह पहले बताए गए व्यक्तिगत खतरे के कम होने के कारण होता है।

(ii) उत्पादन शक्ति में अन्तर (Differences in Productivity)—जहा पर उत्पादक को पूंजी से अधिक लाभ हो सकता है, वहा वह अधिक व्याज देने के लिए प्रस्तुत होगा। परन्तु ऐसे व्यापार अधिकांशतः सट्टेवाजी के होते हैं और ऊँचा व्याज अधिक खतरो के कारण ही होता है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता की पूर्णता की अवस्था में, जैसा कि हम बतायेंगे, पूंजी की सीमान्त उत्पादन शक्ति तथा उसके कारण शुद्ध व्याज की दर समानता की ओर प्रवृत्त होती है। किसी विशेष व्यवसाय की विशेष लाभ की सभावनाएँ, यदि अधिक खतरे एवं असुविधाओ से उचित नहीं ठहरती, तो प्रतियोगिता की शक्ति से विलुप्त हो सकती है, परन्तु यदि प्रतियोगिता अपूर्ण होती है, तो इस प्रकार के अन्तर बने रह सकते हैं।

पूँजी की उत्पादन शक्ति में विभिन्न देशों में अन्तर हो सकता है। उदाहरण के लिए नए देशों में पूँजी की माग अधिक होती है और पूर्ति कम। इसमें पूँजी की सीमान्त उत्पादन शक्ति अधिक होती है, इसलिए व्याज की दर भी ऊँची होती है। इसका कारण पहले बताई गई विभिन्न स्थानों में पूँजी की गतिहीनता होती है। कुछ अंश में वह अधिक खतरे के कारण भी होती है। इस दशा में सकल व्याज अधिक होगा, परन्तु शुद्ध व्याज नहीं।

इसलिए व्याज की दरों का अन्तर रुपया उधार देने के खतरो एवं असुविधाओ के आधार पर होता है। इसका अपवाद केवल तब होता है, जब हमें किसी एक ही बाजार से व्यवहार नहीं करना होता। एक ही बाजार में शुद्ध व्याज की दर लगभग एक ही होती है।

संक्षेप में व्याज के स्वरूप की व्याख्या रिचार्ड यंगडल¹ ने इस प्रकार की है—

1 Richard Youngdahl on "Structure of Interest Rates" Federal Review Bulletin, July, 1947.

‘व्यक्तिगत रूप से व्याज की शर्तें ऋणदाता और ऋण लेने वाले के बीच परस्पर तय होती हैं। इसमें उधार लेने वाले व्यक्ति की उधार लेने की शक्ति आदि भी निर्णायक होते हैं। साथ ही उसकी दूसरी जगह से उधार लेने की शक्ति, उधार की रकम तथा अदायगी तिथि, व्यापार की स्थिति, व्यापार-क्षेत्र में सम्बन्ध तथा बैंक आदि प्रतिभूतियाँ (securities), सबका ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा दूसरी कई बातें जिनका उधार लेने वाले अथवा उधार से सीधा सम्बन्ध नहीं होता बल्कि उधार देने वाले बैंक अथवा बैंकिंग से सम्बन्धित व्यापारी आदि का होता है, उनका भी व्याज की दर पर प्रभाव पड़ता है। उधार देने वाले बैंक का यह आकार है। साथ ही उसका स्थापनकेन्द्र और वह देश जहाँ उधार दिया जाता है, महत्त्वपूर्ण हैं।

व्याज के सिद्धान्त (THEORIES OF INTEREST)

३ व्याज का उत्पादन सिद्धान्त (Productivity Theory of Interest) — व्याज के स्पष्टीकरण के लिए कई सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ पुराने अर्थशास्त्रियों का विचार था कि व्याज उसी रूप में वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिस प्रकार से भूमि द्वारा फसलों की पैदावार होती है। उनका मत था कि व्याज की विद्यमानता इस कारण से है कि पूँजी द्वारा अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन हो पाता है। निस्सन्देह, पूँजी में उत्पादन शक्ति है। किंतु ठीक भेड़ों के एक झुंड अथवा उपजाऊ भूमि की तरह उत्पादक नहीं होती। पूँजी इस अर्थ में उत्पादनशील है कि श्रम पूँजी द्वारा सहायता पा लेने पर, पूँजी के अभाव की अपेक्षा, अधिक उत्पादन करता है। एक मछुआ जाल की सहायता से जितनी मछलियाँ पकड़ सकता है, उतनी उसके बिना नहीं। एक किसान जितना ट्रैक्टर की सहायता से उत्पन्न कर सकता है, उतना उसके बिना नहीं कर सकता।

किन्तु पूँजीगत माल से तैयार होने वाले भौतिक उत्पादन से व्याज की व्याख्या नहीं होती। यदि उधार देने वाले बिना व्याज असीम राशि उधार देने लगे तो व्यापार उस सीमा तक बढ़ेगा कि वस्तुओं के उत्पाद में दूसरे खर्चों (charges) शामिल होंगे लेकिन व्याज नहीं। व्याज लागत में नहीं आया। लेकिन व्याज वह लागत है जिसे प्रत्येक उद्यमी को जोड़ना चाहिए, जिससे कालान्तर में कीमत में व्याज सहित सारी लागत आजाए। चूंकि व्याज रहित पूँजी की माग में वृद्धि होगी, और पूर्ति में कमी, व्याज का उदय होना स्वाभाविक है। यदि कुछ उधार देने वाले बिना व्याज देने को तैयार हो तो भी प्रतियोगिता के कारण यह उन्हीं लोगों को मिलेगा जो व्याज अदा करेंगे न कि अदा न करने वालों को। अतः व्याज की व्याख्या उत्पादन-शक्ति (productivity) न होकर दुर्लभता (scarcity) है।

उत्पादन शक्ति के सिद्धान्त से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उधार लेने वाले क्यों व्याज देते हैं, परन्तु उससे यह बात नहीं ज्ञात हो सकती कि व्याज दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं। यदि व्याज केवल उत्पादन शक्ति पर (सीमान्त उत्पादन पर नहीं)

निर्भर होता, तो पूजा की उत्पादन शक्ति के अन्तर के आधार पर ही व्याज का अन्तर भी होना परन्तु व्यवहार में शुद्ध व्याज की दर एक देश में एक-सी ही रहती है, और यदि पूजा श्रम को अधिक उत्पादन करने में सहायक होती है, तो इस अतिरिक्त उत्पादन में से कितना पूजा के कारण होता है और कितना श्रम से, क्योंकि बिना श्रम के पूजा तो कुछ भी पैदा नहीं करती और फिर उपभोग के उद्देश्य के लिए दिए गए ऋणों को क्या मानना होगा? वे उत्पादन तो करते नहीं किन्तु व्याज तो उन पर भी देना ही होता है। इन पर हम वाद में विचार करेंगे, किन्तु इन आपत्तियों पर विजय पाई जा सकती है, यदि हम केवल पूजा की उत्पादन शक्ति की बात न करके सीमान्त उत्पादन शक्ति पर भी ध्यान रखें।

४ व्याज का त्याग अथवा प्रतीक्षा सिद्धान्त (Abstinence or Waiting Theory of Interest)—उत्पादन सिद्धान्त माग की दृष्टि से व्याज की व्याख्या करने की चेष्टा करता है, और त्याग सिद्धान्त पूर्ति की दृष्टि से व्याज की समस्या का समाधान करता है। सीनियर (Senior) ने सर्वप्रथम बताया कि वचत में त्याग का अर्थ निहित है। वचत उपभोग के त्याग का एक कार्य है। चूँकि त्याग करने में कष्ट होता है, इसलिए उसके लिए लोगों को कुछ प्रतिदान या पुरस्कार चाहिए। आय का एक अर्थ व्यय करने की अपेक्षा वचत करने वाले को व्याज के रूप में यह पुरस्कार मिलता है।

त्याग के सिद्धान्त की इस तर्क से आलोचना की गई है कि इसमें कष्ट उठाने का भाव सन्निहित है, जब कि बहुत से धनी लोग बिना किसी प्रकार की असुविधा के ही वचत कर लेते हैं। इसलिए मार्शल ने 'त्याग' के स्थान पर 'प्रतीक्षा' शब्द रख कर वचत में प्रतीक्षा का भाव सन्निहित कर दिया। जब कोई व्यक्ति वचत करता है, तो वह उपभोग का सर्वदा के लिए परित्याग नहीं करता बल्कि वह केवल वर्तमान उपभोग को किसी भावी समय या तिथि के लिए स्थगित कर देता है। इस बीच उसे प्रतीक्षा करनी होती है। किन्तु, चूँकि अधिकांश लोग प्रतीक्षा करना पसन्द नहीं करते इसलिए इस उपभोग को स्थगित करने के लिए प्रोत्साहन रूप में किसी प्रलोभन की आवश्यकता होती है। व्याज वह प्रलोभन है।

कुछ 'प्रतीक्षा' व्याज प्राप्ति के प्रलोभन के बिना भी हो सकती है। कुछ लोग व्याज की नकारात्मक दर (negative rate) तक भी प्रतीक्षा कर सकते हैं। परन्तु इस प्रकार भी वचत पूजा की माग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अन्य लोगों को वचत के लिए प्रलोभन के रूप में व्याज देना ही चाहिए और उस दशा में प्रतीक्षा करने में असुविधा होगी ही। वचत की सीमान्त वृद्धि या प्रतीक्षा को उत्पादन की माग की पूर्ति के लिए अग्रणी करने के निर्मित व्याज की दर भी पर्याप्त ऊँची होनी चाहिए। व्याज की दर उसी स्तर पर नियत की जायगी, जिसमें प्रतीक्षा की पूर्ति माग के समान होगी।

इस सिद्धान्त में सचाई का पर्याप्त अर्थ है, किन्तु यह उस शक्ति का स्पष्ट विश्लेषण नहीं करती जो कि पूजा के लिए माग के पक्ष में क्रियाशील है।

५. व्याज का आस्ट्रियन या एगियो सिद्धान्त (The Austrian or Agio Theory of Interest)—इसको मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त भी कहते हैं। पहले इसे “जान रे” ने सन् १८३४ में प्रस्तुत किया और उसको अन्तिम रूप आस्ट्रिया के प्रमुख अर्थशास्त्री वाम बावर्क (Bohm Bawerk) ने दिया। बाद में साधारण मशोवनो के साथ यह सिद्धान्त फिशर आदि अन्य अमरीकन अर्थशास्त्रियों में भी लोकप्रिय हो गया।

वाम बावर्क के सिद्धान्तों का सार यह है कि व्याज की उत्पत्ति इसलिए होती है कि लोग भविष्य की अपेक्षा वर्तमान सामग्री की अधिक इच्छा रखते हैं। इससे विद्यमान वस्तुओं का महत्त्व बढ़ जाता है। “नौ नकद न तेरह उधार” की कहावत इस बात की पुष्टि करती है। भविष्य के सतोष की अपेक्षा वर्तमान के सतोष को अधिक महत्त्व दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान के दृष्टिकोण से देखने पर भविष्य के सतोष का मूल्य कम होता है। व्याज इसी घाटे की पूर्ति करता है, जो ज़रूर दिया जाना चाहिए, जिससे लोग रुपया उधार देने अथवा वर्तमान सतोष को भविष्य की तिथि के लिए स्थगित करने के लिए आकर्षित या प्रलुब्ध किए जा सकें। व्याज भविष्य के सतोष को वर्तमान सतोष के समकक्ष बनाने के उद्देश्य से दिया जाता है। इस समय किमी को सौ रुपये दे देने को आकर्षित करने के लिए वर्ष भर के बाद केवल सौ रुपये वापस करने का वचन देना पर्याप्त नहीं है। उधार लेने वाले को कुछ और अधिक देना होगा अन्यथा उधार देने वाला समझेगा कि वह घाटे में है। मानव मस्तिष्क की रचना ऐसी है कि भविष्य की क्रय शक्ति का अन्दादा मौजूदा क्रय शक्ति की तुलना में घटाकर आका जाता है।

लोग भविष्य की सतुष्टि की अपेक्षा वर्तमान की सतुष्टि को क्यों अधिक पसन्द करते हैं, वाम बावर्क ने इसके तीन कारण बताए हैं, एक तो “भविष्य के मूल्यांकन को कम करना है।” भविष्य स्वभावतः वर्तमान की अपेक्षा कम निश्चित प्रतीत होता है। दूसरे, वर्तमान की आवश्यकताओं एवं प्रभावों का अनुभव भविष्य की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है। परिणाम यह होता है कि वर्तमान वस्तुओं की मांग भविष्य की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तीसरे, भविष्य की अपेक्षा टेकनीकल रूप से वर्तमान माल का अधिक महत्त्व होता है” ऐसा इसलिए होता है कि समय उत्पादन की चक्रपूर्ण प्रणालियों के अधिक उपयोग का अवसर देता है, जिनसे वर्तमान से तुलना करते हुए भविष्य तक अधिक सामग्री का निर्माण किया जा सकता है।

६. फिशर द्वारा इस सिद्धान्त का प्रतिपादन (Fisher's Statement of the Theory) — फिशर “समय अधिमान” (time preference) पर जोर देते हैं। लोग भविष्य की अपेक्षा उसी प्रकार के समान वर्तमान सतोष को अधिक पसन्द करते हैं। इस प्रकार वे अपनी आय को उसी समय व्यय करने के लिए व्यग्र रहते हैं। यह व्यग्रता की मात्रा, आय की मात्रा, आय के वितरण का काल तथा उससे भविष्य में सतोष पाने की निश्चिन्तता की मात्रा, व्यक्ति के स्वभाव एवं चरित्र पर निर्भर करती है। अधिक आय वाले की वर्तमान आवश्यकताओं का सन्तोष

अधिक पूर्णता के साथ हो सकता है, और इस प्रकार वे गरीबों की अपेक्षा भविष्य की दर कम आँकेंगे।

आय के काल-वितरण के सम्बन्ध में तीन स्थितियों का अनुमान किया जा सकता है। किसी की आय जीवन-भर बराबर रह सकती है, आयु के साथ बढ़ सकती है, तथा आयु के साथ घट सकती है। यदि वह एक समान है तो व्यय करने की व्यग्रता भविष्य को बढ़ा करने की दर, आय की मात्रा तथा व्यक्ति के स्वभाव से प्रभावित एवं निर्धारित होगी। यदि आयु के साथ अधिक होती है, तो इसका अर्थ यह है कि भविष्य अच्छी तरह सुरक्षित है। तो उस दशा में भविष्य की दर ऊँची करने की प्रवृत्ति होगी। यदि आय उम्र बढ़ने के साथ घटती है, तो इसके विपरीत होगा अर्थात् भविष्य का मूल्यांकन अल्प दर से किया जायगा।

जहाँ तक निश्चितता की मात्रा का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि आय से भविष्य में सन्तोष पाने की जितनी ही अधिक निश्चितता होती है, उतनी ही अवधि अधिमान या भविष्य के मूल्यांकन की मात्रा कम होती है और उससे विपरीत भी होता है।

व्यक्ति के आचरण का भी समय की पसन्दगी पर प्रभाव पड़ता है। एक भविष्यद्रष्टा व्यक्ति अपव्ययी की अपेक्षा भविष्य का मूल्यांकन कम दर पर करेगा। जीवन-प्रत्याशा (expectation of life) का प्रभाव समय अधिमान की दर पर भी पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को लम्बी उम्र का भरोसा हो तो उसको मौजूदा समय में खरीदारी की कम इच्छा होगी। इसी भाँति उस व्यक्ति की भी यही दशा होगी जो मरने के बाद धन-सम्पत्ति आदि छोड़ने का अभिलाषी है।

किसी व्यक्ति के समय अधिमान की दर इस बात पर भी आधारित है कि उस की आय का कितना भाग उधार मागा जा रहा है। उधार का भाग जितना बड़ा होगा व्याज की दर उतनी ऊँची होगी, चूँकि ऐसा करने में उधार देने वाले को अधिक नकदी का त्याग करना पड़ता है।

इस प्रकार, व्यक्तिगत अवधि-अधिमान इस तरह निर्धारित होने के बाद व्याज की दर के समान हो जाती है। एक व्यक्ति, जो बाजार की व्याज दर की अपेक्षा अवधि अधिमान की अधिक ऊँची दर रखता है, वह अपनी तीव्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेने को प्रेरित होता है। यदि उसकी अवधि-अधिमान की दर बाजार की व्याज दर से कम होती है, तो वह ऋण देगा और इससे लाभ उठायेगा। इस प्रकार व्यक्ति अपनी आय धारा का प्रभाव उधार देकर या उधार लेकर परिवर्तित करेगा। इस क्रिया से व्याज की दर अवधि-अधिमान अथवा समय की पसन्दगी की दर के समान हो जायगी।

७ नव-शास्त्रीय सिद्धांत (New Classical Theory)—नव-शास्त्रीय अर्थवेत्ताओं का यह कहना था कि पूँजी के सम्बन्ध में व्याज की दर का वही कार्य है जो वस्तुओं के सम्बन्ध में कीमत का होता है—अर्थात् माग और पूर्ति के बीच साम्य स्थापित करना। किसी वस्तु के सम्बन्ध में क्या होता है? मान लो गेहूँ की माग

पूर्ति की अपेक्षा अधिक है। इसका फल यह होगा कि कीमत गिरेगी और कम आवश्यक खरीदारों को एक तरह से चंतावनी मिल जायगी। इस प्रकार माग कम होकर पूर्ति के बराबर होगी। अब मान लो पूर्ति माग से अधिक है। इससे कीमत घटेगी और माग में वृद्धि होने से मन्दी से पूर्ति की मात्रा कम हो जायगी। इस प्रकार कीमत के घटने बढ़ने से माग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार का कार्य ब्याज की दर करती है। यदि माग अर्थात् नियोजन (investment) पूर्ति से अर्थात् बचत (savings) अधिक है तो ब्याज की दर ऊँची होगी। इससे नियोजन पर रूकावट होगी जिससे यह घट कर बचत के स्तर पर आ जायगा। इस प्रकार नि (नियोजन) व (बचत) के समान हो जायगा। यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि यदि माग में स्थायी रूप से वृद्धि हुई है तो इसकी पूर्ति के लिए नई पूँजी का निर्माण होगा। लेकिन इसमें समय लगेगा। तब तक इसकी पूर्ति ब्याज की दर में वृद्धि होने से होगी। इस प्रकार ब्याज की दर में अन्तर से ही माग और पूर्ति में समानता होती है। इसके विपरीत यदि नियोजन से बचत की मात्रा अधिक है तो ब्याज की दर घटेगी। इससे बचत की मात्रा घटेगी और नियोजन में वृद्धि होगी। इस प्रकार ब्याज की दर बचत तथा नियोजन के बीच साम्यावस्था (equilibrium) स्थापित करने का काम करती है। इस तरह नि (नियोजन) तथा व (बचत) में साम्यावस्था स्थापित हो जायगी। संक्षेप में, ब्याज की दर उस स्थान पर स्थिर होगी जहाँ बचत और माग दोनों बराबर हैं।

इस सिद्धांत की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की गई है

- (1) कुछ बचत स्वेच्छा से हो जाती है। उस पर ब्याज की दर का कोई प्रभाव नहीं पन्ता। साम्य लाने के सम्बन्ध में ब्याज की दर की महत्ता बढ़ाकर कही गई है।
- (11) एक कड़ी आलोचना कीस (Keynes) द्वारा की गई है। उनका कहना है कि इन सिद्धान्त में यह मान लिया जाता है कि समाज की आय उतनी ही बनी रहती है जो कि वास्तव में ठीक नहीं है। यदि आय बड़ी हुई है तो यह सिद्धान्त ठीक है। उदाहरणार्थ, ब्याज की ऊँची दर से बचत में वृद्धि होगी लेकिन इस बात को यहाँ भुला दिया जाता है कि इस ऊँची दर का आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऊँची दर के प्रभाव से पूँजी का लगाना कम हो जायगा। इससे आय गिर जायगी और फिर बचत करने की शक्ति भी कम हो जायगी। कीस के कथनानुसार साम्य की स्थापना ब्याज की दर पर नहीं बल्कि आय के स्तर पर निर्भर है। उनका कहना है कि साम्य ब्याज की दर में परिवर्तन द्वारा नहीं होता। यह काम आय में परिवर्तन द्वारा होता है। उनका कहना है कि नि (नियोजन) तथा व (बचत) सदैव समान रहते हैं और यह समानता आय स्तर में परिवर्तन के कारण होती है, न कि ब्याज के दर में परिवर्तन से।

८ कीस का ब्याज सिद्धांत—तरल अधिमान (Keynes' Theory of Interest—Liquidity Preference)—अपनी "कार्य नियोजन, ब्याज तथा द्रव्य के सामान्य सिद्धांत" नामक युगान्तरकारी पुस्तक में स्वर्गीय लार्ड कीस ने ब्याज के सिद्धांत को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनके मतानुसार "ब्याज एक निश्चित

अवधि के लिए द्रवता के परित्याग का पुरस्कार है।”^१

एक निश्चित आय वाले व्यक्ति को पहले यह निर्णय करना होता है कि वह कितना उपभोग करे और कितनी बचत। पहली बात कीस के शब्दों में, व्यक्ति की उपभोग-वृत्ति (propensity to consume) पर निर्भर करेगी। इस वृत्ति के पूर्ण होने पर व्यक्ति अपनी आय के कुछ अंश को बचाएगा। अब उसे दूसरा निर्णय करना होगा। क्या वह अपने साधनों को द्रव्य (money) के रूप में रखे जिससे किसी भविष्य समय पर वस्तुओं, सेवाओं तथा ऋण शक्ति पर वह तात्कालिक नियन्त्रण कर सके। अपने साधनों में से कितना वह चालू द्रव्य (नकद या बिना व्याज के बैंक में अमानत) के रूप में रखेगा और कितना वह उधार देगा, यह कीस के कथनानुसार तरल अधिमान पर निर्भर होगा। उधार देने की जितनी ही कम इच्छा होगी उतना ही अधिक तरल अधिमान होगा। जैसा कि मेयर्स ने कहा है, “तरल अधिमान वह अधिमान है जिसमें दूसरे पर दावों की अपेक्षा समान राशि की नकदी हो।” यदि भविष्य की अपेक्षा में अब समान राशि का माल तथा नकदी रखना चाहूँ, तो मेरे अधिमान की दर सकारात्मक (positive) होगी। किन्तु यदि मैं समान राशि वर्तमान की अपेक्षा भविष्य में लेना चाहूँ तो इसे अधिमान की नकारात्मक दर (negative rate of preference) कहेंगे।

किसी व्यक्ति विशेष का तरल अधिमान (liquidity preference) कई बातों पर निर्भर है। प्रश्न यह है कि लोग अपने साधनों को द्रव्य अर्थात् नकद रूपों के रूप में क्यों रखते हैं, जब कि उधार देने से उनको व्याज मिल सकता है। इसके कई कारण हैं (i) लोग नकद इसलिए रखते हैं, जिससे “आय की प्राप्ति और व्यय के बीच के समय का काम चलाया जा सके।” इसी का दूसरा नाम द्रव्य हेतु (money motive) है। अधिकांश लोगों को सप्ताह या महीने में आय मिलती है, जब कि खर्च हर दिन चलता रहता है। इसलिए नकद रूपया चालू भुगतान करने के लिए पास रहना जरूरी होता है। उसकी मात्रा व्यक्ति की आय, आय प्राप्त होने की अवधि, तथा स्थान विशेष में प्रचलित भुगतान के तरीकों पर निर्भर करती है।

(ii) व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी अपने साधनों के कुछ अंश को नकद रूप में रखना होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के भुगतान किये जा सकें। इस तरह द्रव्य का कार्य विनिमय करना है। कीस के अनुसार इसे “व्यापार हेतु” (Business Motive) कहते हैं।

इन दोनों हेतुओं को एक वर्ग अर्थात् “कार्य सन्पादन हेतु” (transaction motive) कह कर किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि सौदा (कार्य-सम्पादन) तो उपभोक्ता तथा उद्यमी (entrepreneur) दोनों ही को करना पड़ता है।

(iii) अप्रत्याशित आवश्यकताओं के खर्च के लिए भी नकद रूपया रखा जाता

1. Keynes General Theory of Employment, Interest and Money, p. 167.

है। ऐसे मौकों पर ऋण लेना शायद असम्भव हो अथवा उसके लेने से हानि की आशका को, जैसे कि सिक्युरिटियों को नुकसान में वेचना पड़े। इस प्रकार द्रव्य रखने को कीस "पूर्वावधान हेतु" (Precautionary motive) कहते हैं।

(1V) द्रव्य को जमा करने का एक कारण और भी है। एकमुश्त रकम लगाने से पूर्व यह जरूरी है कि द्रव्य को धीरे-धीरे जमा किया जाए। इसलिए, कुछ समय के लिए पैसे को अपने पास रखना पड़ता है। संक्रमण काल (transition period) में पैसे को नदी के रूप में रखना जरूरी है, जबकि नियोजक (investor) ने एक किस्म की आस्तियाँ (assets) बेच दी हो और इसकी वजाए दूसरे काम में रुपया लगाने की देखभाल कर रहा हो। इस प्रकार पैसा रखने को "वित्तीय हेतु" (financial motive) कहते हैं।

कुछ लोग सट्टेबाजी के लिए भी नकद रकम रखते हैं। इसे "सट्टा हेतु" (speculative motive) कहते हैं। भविष्य में व्याज की दर ऊँची चढ़ने की संभावना हो सकती है और ऋणदाता ऐसे अवसर से लाभ उठाने की प्रतीक्षा में हो सकता है। व्यापार में बड़ी अनिश्चितता है। इसलिए पैसा लगाने वाले तथा वित्तीय संस्थाएँ बड़े संशय में रहते हैं और अपने पास नकद पैसा रखने के लिए वाध्य रहते हैं। ऐसी स्थिति १९३० की मदी में हुई।


सट्टे हेतु (speculative motive) के लिए द्रव्य रखने का विचार कीस के आधार पर नया विचार है। स्पष्ट ही, यह पूर्वावधान हेतु (precautionary motive) के अन्तर्गत मूल्य के भंडार (store of value) को बताता है। किन्तु इसे बनाने का कारण दूसरा है। इस हेतु से रखा गया नकद पैसा सट्टेबाजी जैसे लाभ कमाने के लिए है और इस काम को बांड^१ आदि की सहायता से किया जा सकता है, जिनकी कीमत घटती बढ़ती रहती है। यदि बांड आदि की कीमत बढ़ने की आशा होती है, अर्थात् व्याज के दर की गिरने की आशा होती है तो व्यापारी बांड खरीदेंगे जिससे वास्तव में बढ़ने पर बेच सकें। लेकिन, यदि, बांड की कीमतों की गिरने की आशा है अर्थात् व्याज के दर की चढ़ने की, तो पूजा हानि से बचने के लिए व्यापारी बांड बेचेंगे। इस गतिशील सप्तर में कुछ भी निश्चित न होने से, विशेष रूप से जबकि भविष्य के बारे में सारे अदाज अनिश्चित आधार पर लगाए जाते हैं, बांड की संभावित परिवर्तनशील कीमतों (अथवा व्याज की दर) के लिए व्यापारी नकद रुपया सट्टे के कामों के लिए अपने पास रखेंगे जिससे लाभ कमाया जा सके।

इस हेतु के अन्तर्गत रखी जाने वाली धन की राशि, व्याज की दर से निश्चित होगी। यदि व्याज की दर गिरने की आशा है अर्थात् बांड की कीमत चढ़ने की, तो व्यापारी बांड इसलिए खरीदेंगे कि कीमत चढ़ने पर उन्हें बेचा जाय। दूसरे शब्दों में

1 All securities and other such papers which yield a fixed and known amount of interest over a period of time are known as bonds

सट्टे के लिए व्याज की कम दर की अपेक्षा ऊँची दर पर नकदी की माँग कम होगी। स्पष्ट शब्दों में स्थिति इस प्रकार होगी व्याज की दर कम होने पर अधिक रखा जाएगा और व्याज की दर ऊँची होने पर कम रखा जायगा। अकगणित (Algebra) के अनुमार स्थिति यह होगी इस हेतु के अन्तर्गत द्रव्य की माग व्याज की दर के अनुसार घटाता हुए कृत्य (decreasing function) है। निम्नलिखित रेखाचित्र में इस सिद्धान्त का निरूपण इस प्रकार किया गया है —

अ क्ष रेखा के साथ सट्टे के लिए द्रव्य की माग (कोस इसे 'क्रियात्मक शेष' 'active balances' के नाम से पुकारते हैं) दिखाई गई है, और अ य रेखा के साथ व्याज की दर। ल प तरल अधिमान (liquidity preference) है, जिसे ढाल पर वक्र के द्वारा दिखाया गया है, और यह दाईं ओर को मुडता है। इससे व्याज की ऊँची दर का पता चलता है। सट्टे के लिए माग जितनी कम होगी वक्र की उपर्युक्त स्थिति होगी, तथा इसके विपरीत स्थिति वैसे ही बदल जाएगी। दाईं ओर



रेखाचित्र न० ७०


अनुसूची अधिक लोचदार होती है और व्याज की बहुत कम दर पर वाड की कीमत बहुत ऊँची है, और व्याज की दर में जरा सी गिरावट से, सट्टे के लिए खरीदने की बहुत अधिक माग होती है, क्योंकि कीमतों के किसी भी क्षण गिरने की आशका रहती है।

ये पाच हेतु परस्पर मिलकर द्रव्य की माग का निर्णय करते ह। कोस के अनुसार पहले तीन हेतुओं के अन्तर्गत रखा गया द्रव्य "अक्रियात्मक शेष" (inactive balance) कहलाता है और अन्तिम हेतु के अन्तर्गत रखा गया 'क्रियात्मक शेष'। इसके कारण स्पष्ट है। अक्रियात्मक शेष मुख्य रूप से आय का कृत्य है, लेकिन क्रियात्मक शेष व्याज की दर (जैसा ऊपर दिखाया गया है) के कृत्य है। मान लीजिए कि हम पहले को m_1 तथा दूसरे को m_2 के नाम से पुकारते हैं। इसलिए, किसी विशेष समय में द्रव्य की कुल माग का स्वरूप $m_1 + m_2$ होगा।

जहा तक द्रव्य की पूर्ति का प्रश्न है, वह किसी देश के सेंट्रल बैंक की नीतियों द्वारा निश्चित होता है। द्रव्य की कुल सप्लाई में, सिक्के (coins) + बैंक नोट + बैंक निक्षेप (deposits) शामिल होते हैं। इसे हम M कहते हैं।

अब हमारे सामने द्रव्य की माग का (रखना—to hold), तथा द्रव्य की पूर्ति का (रखना—to hold), स्पष्ट चित्र है। अब हमें यह देखना है कि वास्तव में व्याज की दर का निर्णय कैसे होता है। निम्नलिखित रेखाचित्र का ध्यान से अध्ययन कीजिए।

बाई ओर के रेखा चित्र में अक्रियात्मक शेष दिखाया गया है अर्थात् m_1 । यह आय कृत्स्न के रूप में है। जैसे आय y से y_1 की ओर बढ़ती है, m_1 की मांग अ ए से बढ़कर अ ए'



हो जाती है, और यह क्रम इसी प्रकार चलता है। m_1 पर व्याज की दर का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव तभी पड़ता है जब व्याज की दर बहुत ऊँची हो जाती है—अर्थात् $इ_3$ से अधिक जैसा कि हमारे रेखा चित्र से स्पष्ट है। इसीलिए $इ_3$ के बाद, y_1, y_2, y_0 को पिछली ओर को ढालवा दिखाया गया है, अर्थात् व्याज की दर में वृद्धि से m_1 की मांग कम हो जाती है, जबकि आय वही रहती है।

दाई ओर के रेखा चित्र द्वारा क्रियात्मक शेष दिखाया गया है, अर्थात् m_2 में।

इन दोनों रेखा चित्रों का साथ अध्ययन करने से निम्नलिखित बातों का पता चलता है।

(1) विशिष्ट द्रव्य पूर्ति (अ ए + अ ब) तथा विशिष्ट आय (y_0), ऐसी स्थिति में व्याज की दर जितनी ऊँची होगी, तरल अधिमान भी उतना ही अधिक होगा और व्याज की दर जितनी कम होगी, तरल अधिमान भी उतना ही कम होगा। उपर्युक्त रेखाचित्र में, आय के y स्तर पर, द्रव्य की पूर्ति अ ए + अ ब होने से, जब तरल अधिमान ल प है, तो व्याज की दर $इ_1$ है। लेकिन जब तरल अधिमान बढ़ कर ल' प' हो जाता है, व्याज की दर बढ़कर $इ_3$ हो जाती है, यदि दूसरे हालात समान रहें। इसी प्रकार, जब तरल अधिमान गिरता है, तो व्याज की दर भी कम होगी, यदि दूसरे हालात समान रहें।

(11) विशिष्ट तरल अधिमान (ल प) पर, तथा विशिष्ट आय (y_0) पर, द्रव्य की पूर्ति जितनी अधिक होगी, व्याज की दर उतनी ही कम होगी। और द्रव्य की पूर्ति जितनी कम होगी, व्याज की दर उतनी ही अधिक होगी। उपर्युक्त रेखाचित्र में जब

य. आय स्तर पर, तरल अधिमान को ल प द्वारा दिखाया गया है, द्रव्य की पूर्ति अ ए + अ व से बढ़कर अ ए + अ व' हो जाती है, तो व्याज की दर इ_० से गिर कर इ_२ हो जाती है। इसी तरह, यदि सब हालात समान रहें तो, पूर्ति में घटोत्तरी होने से व्याज की दर बढ़ जायगी।

(iii) विशिष्ट तरल अधिमान (ल प) होने पर, और विशिष्ट द्रव्य की पूर्ति अ ए + अ व होने पर, आय जितनी अधिक होगी, व्याज की दर भी उतनी ही अधिक होगी, तथा आय जितनी कम होगी, व्याज की दर उतनी ही कम होगी। उपर्युक्त रेखाचित्र में, अ ए + अ व द्रव्य की पूर्ति की स्थिति में, तरल अधिमान को ल प वक्र द्वारा दिखाया गया है, तो आय य_० से बढ़कर य_१ हो जाती है, व्याज की दर इ_० से बढ़कर इ_१ हो जाती है। यह इसलिए होता है कि सट्टे हेतु के लिए व्य की पूर्ति में घटोत्तरी होती है। द्रव्य की कुल पूर्ति अ ए + अ व रहती है, आय में य_० से य_१ वृद्धि होती है जिससे म_१ के अन्तर्गत बढ़कर ए ए' हो जाती है। म_२ से व व' राशि निकाल ली जाती है। इससे व्याज की दर बढ़ जाती है। अतः आय में परिवर्तन होने से व्याज की दर पर, द्रव्य की सापेक्ष माग के कारण, म_१ तथा म_२ के लिए, प्रभाव पड़ता है।

संक्षेप में यह स्पष्ट है कि तरल अधिमान सिद्धांत के अनुसार, तरल अधिमान द्वारा, एक ओर तो व्याज की दर का निर्धारण होता है और दूसरी ओर द्रव्य की पूर्ति। आय को सतत (constant) मान कर, तरल अधिमान, अथवा द्रव्य की माग, का निर्देश उस माग से है जो सिर्फ सट्टेवाजी के लिए है। इस प्रकार, तरल अधिमान जितना अधिक होगा, विशिष्ट द्रव्य पूर्ति पर, व्याज की दर उतनी ही अधिक होगी, तथा स्थिति के अनुकूल इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा। यानी द्रव्य की पूर्ति अधिक होने पर, विशिष्ट तरल अधिमान में, व्याज की दर कम होगी, तथा स्थिति के अनुकूल इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा। अतः सट्टेवाजी के हेतु यह द्रव्य की माग है जो द्रव्य की पूर्ति के साथ मिलकर व्याज की दर निर्धारण करती है। आय के लाने पर, द्रव्य की माग का निर्देश म_१ + म_२ से होता है।

६. कीस के सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Keynes' Theory)—कीस ने व्याज की व्याख्या वास्तविक शक्ति के रूप में न करके शुद्ध द्रव्य शक्ति के रूप में की है। वे इस बात से सहमत थे कि पूंजी की शुद्ध सीमान्त उत्पाद की प्रवृत्ति व्याज की चालू दर के समान होने की है, लेकिन व्याज की दर का निर्णय सीमान्त शुद्ध उत्पाद से नहीं होता। उसके अनुसार व्याज वचत का मुआवजा नहीं है, बल्कि वचत में से (एक हिस्सा) दूसरे को देने का है। व्याज की दर वचत तथा नियोजन के समान नहीं होना चाहती। समानता तो आय के स्तर में परिवर्तन से पैदा होती है। कीस के सिद्धान्त की एक कठिनाई उनके द्वारा बताई गई 'द्रव्य' की परिभाषा में उपस्थित होती है। उनका कहना है कि द्रव्य का विस्तार (co-extension) बैंक में जमा रकम के साथ होता है। दूसरी ओर रावर्टसन के साथ किए गए विचार-विनिमय में वह अपनी तालिका से साख (credit) को वहिष्कृत करते हुए

प्रतीत होते हैं ।

दूसरे, कीन्स व्याज की दर को नियोजन रकम की माग से स्वतन्त्र मानते हैं । वास्तव में वह उतना स्वतन्त्र नहीं होता । व्यवसायियों के रोकड़ बाकी पर पूजा लगाने के लिए धन की माग का बड़ा प्रभाव पड़ता है । पूजा की माग उसकी पूजा की सीमान्त उत्पादन शक्ति पर निर्भर करती है और इस प्रकार व्याज की दर पूजा की सीमान्त उत्पादन क्षमता से स्वतन्त्र होकर निर्धारित नहीं की जा सकती ।

कीन्स का सिद्धान्त किसी सीमा तक वाम बावर्क (Bohm Bawerk) के एणियो के सिद्धान्त से मिलता है, जिसे वाम बावर्क “भविष्य का कम मूल्यांकन करना” कहते हैं और फिशर (Fisher) जिसे “समय अधिमान” कहते हैं, उसी को कीन्स “उपभोग की प्रवृत्ति” का नाम देते हैं । वास्तव में उन दोनों का आशय वर्तमान वस्तुओं की प्राप्ति को भविष्य की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक पसन्द करने से है । एक व्याज को विद्यमान वस्तुओं पर अधिमूल्य (premium) मानता है, दूसरा उसे नकदी के परित्याग (parting with liquidity) का पुरस्कार समझता है । सार दोनों का एक ही है ।

परन्तु जहाँ वाम बावर्क अप्रत्यक्ष रूप से पूजा की उत्पादक शक्ति को एक निर्णायक तत्त्व स्वीकार करते हैं, वहाँ कीन्स ऐसा नहीं मानते । कीन्स के मत में चालू पूजा के इतने महत्त्वपूर्ण अंग नहीं होते कि उन्हें व्याज की दर का निर्णायक तत्त्व माना जाय । वास्तव में उन पर व्याज का प्रभाव पड़ता है ।

इसलिए सब मिलाकर कीन्स का सिद्धान्त व्याज को स्पष्ट करने के लिए अपर्याप्त है क्योंकि उसमें केवल द्रव्य के अंग को विचार में लिया गया है । वह वास्तविक द्रव्य सम्बन्धी शक्तियों (ऋणीय कोष से पृथक् पूजा की माग और पूर्ति) की क्रिया को प्रकाश में नहीं लाते । अब हम पूजा की माग और उसकी पूर्ति के पीछे काम करने वाली शक्तियों का निरीक्षण करेंगे ।


१० व्याज का नियोजक निधि सिद्धान्त (The Investible Funds Theory of Interest)—इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण जे एस ब्रेन द्वारा उनकी पुस्तक “कीमत, वितरण तथा नौकरी” नामक पुस्तक में हुआ है ।^१ उनका कहना है कि किसी दिये हुए समय में व्याज की दर नियोजन निधि की कुल माग तथा कुल पूर्ति के साम्यावस्था द्वारा निर्धारित की जाती है । ऐसी निधि की माग नियोजन तथा नकद रकम की माग होती है और पूर्ति वचत की मात्रा तथा नकद रकमों से पैदा होती है ।

यह आवश्यक नहीं है कि व्याज की इस दर पर वचत और नियोजन एक समान हों । इन दोनों के बीच का अन्तर धन गाढ़ने अथवा न गाढ़ने से होता है । उदाहरण के लिए यदि वचत नियोजन से अधिक है, तो वह रकम जमा कर ली जायगी, और यदि नियोजन वचत से अधिक है, तो वह रकम जमा से निकलेगी ।

हम किसी भी समय में तीन प्रकार की माग तथा पूर्ति सूची प्राप्त कर सकते हैं

जिनको रेखा चित्रों में इस तरह दिखाया जा सकता है :

(१) वि रेखा विनियोग (investment)^१ की रेखा है जो विनियोग तथा उपभोग के लिए आवश्यक माग प्रकट करती है, और प वचत की पूर्ति की रेखा है जो नियोजन तथा होर्ड (hoard) करने के लिए उपलब्ध है। व्याज की एक दर पर वि (विनियोग) और व (वचत) बराबर होंगे। इस चित्र में यह दर T_1 , M_1 के द्वारा दिखाई गई है, जो वि तथा प वक्रों के काटने के स्थान पर पड़ता है।



रेखाचित्र न० ७२

(२) निधि माग की दूसरी अनुसूची म ल रेखा से दिखाई गई है जो इस बात को प्रदर्शित करती

है कि नकदी के रूप में रखने के लिए कितनी मात्रा को माग है; (अर्थात् वि कुल खर्च न करने के लिए) और प ल पूर्ति की रेखा है जो इस बात को बताती है कि नकदा कोप से कितनी मात्रा उपलब्ध है। व्याज की एक दर पर दोनों (अर्थात् नकदी के लिए माग तथा नकदी की पूर्ति) बराबर होंगे। यह दर T_2 , M_2 होगी जो म ल और प ल रेखाओं के एक दूसरे को काटने के बिन्दु पर मिलती है।

(३) दाईं ओर की अनुसूचियों में, माग तथा पूर्ति दोनों को ही, उपर्युक्त दोनों अनुसूचियों के कुल योग (total) के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जिसमें कुल माग अनुसूची द्वारा नियोजन के लिए मांगी गई राशि का प्रदर्शन होगा (जैसा कि उपर्युक्त अनुसूची न० १ में है) + (न० २ अनुसूची में) तरल शेष (liquid balance) के लिए मांगी गई राशि। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार रख सकते हैं, $वी + म ल$ । इसको कुल मांग वक्र ए म (काली लाइन) द्वारा दिखाया गया है। इसी प्रकार ए प (काली लाइन) कुल पूर्ति वक्र है जो कि नियोजन योग्य कुल निधि की पूर्ति प्रदर्शित करता है, अर्थात् वचत में से (जैसा कि न० १ में ऊपर दिखाया गया है) + तरल शेष में से (जैसा न० २ में ऊपर दिखाया गया है) T म व्याज की वास्तविक दर, वह होगी जिस पर नियोजन योग्य कुल निधि की मांग नियोजन योग्य कुल निधि की पूर्ति के बराबर हो (जैसा कि उपर्युक्त परिभाषा में बतलाया गया है)। और जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है यह ए म कुल माग अनुसूची तथा ए प

१ अंग्रेजी के 'investment' शब्द के लिए 'विनियोग' तथा 'नियोजन' दोनों शब्दों को पर्यायवाची के रूप में लिया है।

कुल पूर्ति अनुसूची के काटने वाले बिन्दु पर होगी। T_1 पर दो दरों के बीच की होगी अर्थात् T_1 , T_2 के जैसा कि अनुसूची से स्पष्ट है। तथा यह वह दर नहीं है जिस पर वचत और नियोजन समान होते हैं। दोनों के बीच का भेद (discrepancy) साठेवाजी (hoarding) अथवा साठेवाजी न करने (dishoarding) जैसे स्थिति हो, की समान राशि से सतुलित होता है। वचत और नियोजन में असमानता (disparity) के कारण एक काल (period) से दूसरे तक द्रव्य आय में परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए, यदि वचत की तुलना में नियोजन अधिक है, तो इससे द्रव्य आय में वृद्धि होगी, और वचत नियोजन से अधिक हो तो दूसरे काल में द्रव्य आय कम होना जरूरी है। द्रव्य आय की घटती बढ़ती तब तक चलेगी जब तक वचत और नियोजन समान हो।

११ सीमान्त उत्पादन शक्ति सिद्धान्त (Marginal Productivity Theory)—'मूल्य' शब्द की किसी भी रूप में उचित व्याख्या देना बड़ा कठिन है, जब तक हम इसके पीछे माग तथा पूर्ति की शक्तियों का अध्ययन नहीं करते। व्याज की सबसे सन्तोषजनक व्याख्या सीमान्त उत्पादन शक्ति सिद्धान्त है, जबकि मूल्य का कोई अन्य कारण। सीमान्त उत्पादन शक्ति उस सम्बन्ध की अभिव्यक्ति है जो एक ओर तो दुर्लभता (पूर्ति) की मात्रा में तथा दूसरी ओर वस्तु अथवा सेवा (माग) को वैकल्पिक उपयोगों में लगाया जा सकता है। जब हम इसे व्याज पर लागू करते हैं, अथवा पूँजी से उठाई गई कीमत, तो इसके अन्तर्गत माग और पूर्ति दोनों ही आ जाते हैं।

माग का विश्लेषण (Analysis of Demand)—माग पक्ष में यह बात ध्यान देने योग्य है कि उधार की जरूरत दो कामों के लिए है। (1) उपभोग, तथा (2) उत्पादन। उधार लेने वालों में उपभोग की माग समय अधिमान पर आधारित है। दूसरे शब्दों में यह इस बात पर आधारित होगी कि वे अपनी भविष्य की मागों को कितना महत्त्व देते हैं। यदि वे मौजूदा माग को पूरा करना ज्यादा जरूरी समझें, तो वे व्याज की ऊँची दर पर भी उधार लेने को तैयार होंगे।

लेकिन उपभोग के लिए उधार की माग उत्पादक कार्यों की तुलना में महत्त्वहीन है। उत्पादक अथवा उद्यमी जो व्याज की दर देना चाहेंगे वह लाभ की प्रत्याशित दर पर आधारित होगा, और यह पूँजी के सीमान्त उत्पादन मूल्य पर निर्भर रहेगा। किसी समुदाय के उपलब्ध पूँजी स्रोतों को कई कामों में लगाया जा सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, पूँजी की एक मात्रा का वितरण इस प्रकार होता है कि जिससे इसकी सीमान्त उपयोगिता अथवा उत्पादन शक्ति विभिन्न उपयोगों में समान हो जाए। यदि किसी उपयोग विशेष में पूँजी की सीमान्त उत्पादन शक्ति अधिक है, यदि उसे वहाँ अधिक प्राप्ति (return) होती है, तो पूँजी का आकर्षण उस ओर तब तक बना रहेगा जब तक इसकी सहायता से तैयार माल कीमत न गिरा दे। इसलिए पूँजी की सीमान्त उत्पादन शक्ति यह उपयोग है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक इस उपयोग से होने वाली प्राप्ति औरों के समान न हो जाए। यह बात दोहराने की आवश्यकता है कि पूँजी की सीमान्त उत्पादन शक्ति वह अतिरिक्त (additional) भाग है

जो कुल पैदावार में अतिरिक्त इकाई लगाकर होता है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है किसी क्षण विशेष में पूँजी की कुल पूर्ति की धारणा कर ली जाय। इस पूर्ति का उपयोग वे करते हैं जो इसे इस तरह लगाते हैं जिससे पूँजी की सीमान्त लागत तथा इसके उपभोग से होने वाली सीमान्त प्राप्ति समान हो जाय। जहाँ तक किसी उत्पादक का प्रश्न है, सीमान्त लागत का पता व्याज की प्रचलित दर से लगता है। वह अपनी पूँजी उस बिन्दु तक लगाता है जहाँ प्राप्त किए गए सीमान्त शुद्ध आय (marginal net revenue) व्याज की प्रचलित दर के समान हो जाए। यदि व्याज की दर गिरती है तो वह और पूँजी लगायेगा और यदि दर बढ़ती है तो कम पूँजी लगायेगा। किसी उधार लेने वाले को बाजार की प्रचलित दर से ज्यादा व्याज देने की जरूरत नहीं होगी, उसकी प्राप्ति की दर चाहे जो हो। साथ ही, प्रतियोगिता पूर्ण मार्केट में व्याज की दर प्राप्ति की दर से अधिक समय तक ज्यादा नहीं रह सकती।

उधार लेने वाला व्यक्तिगत रूप से व्याज की दर निर्धारित नहीं करता। व्याज की दर तो सीमान्त ऋणदाता और ऋण लेने वाले तय करते हैं, और यह ऐसी होनी चाहिए जिस पर पूँजी की कुल माग और उसकी पूर्ति साम्यावस्था में हो। वास्तव में व्यक्तिगत माग की वजाय यह कुल माग ही है जो महत्वपूर्ण है। यदि पूँजी के लिए कुल माग में वृद्धि होती है, तो व्याज की दर में वृद्धि होगी, और इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा। पूँजी की अधिक माग का अर्थ है एक निर्दिष्ट पूर्ति की ऊँची सीमात उत्पादन शक्ति और कम मागो का अर्थ है कम सीमान्त उत्पादन शक्ति। इन अर्थों में सीमान्त उत्पादन शक्ति व्याज की दर निश्चित करती है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि माग पक्ष अथवा उद्यमी की ओर से, प्राप्ति की प्रत्याशित दर न कि वास्तविक दर महत्वपूर्ण है, जो दीर्घावधि में, व्याज की दर के समान हो। वास्तविक प्राप्ति प्रत्याशित प्राप्ति से ऊँची नीची हो सकती है। यदि यह ऊँची है तो प्रतियोगिता के कारण यह कम हो जायगी और यदि यह कम है तो प्रतियोगिता न होने से यह ऊँची हो जायगी। जिससे दीर्घावधि में प्राप्ति की दर तथा व्याज की दर दोनों समान हो जायें। लेकिन यह प्रवृत्ति कभी पूरी नहीं होती।

पूर्ति का विश्लेषण (Analysis of Supply)—लेकिन पूर्ति के विषय में क्या कहा जा सकता है? अभी तक हमने पूर्ति को दिया हुआ मान लिया था। थोड़ी अवधि के लिए हम पूर्ति को प्रदत्त मान सकते हैं, क्योंकि पूँजी की नई पूर्ति में समय लगता है। तो पूँजी की पूर्ति पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है? उधार मिलने वाली रकम की सप्लाई (पूर्ति) इस बात पर आधारित है कि उधार देने वालों का समय तथा तरल अधिमान (time and liquidity preference) के सम्बन्ध में क्या विचार है। इससे इस बात का निर्णय भी होगा कि वे अपने निजी व्यापार में कितना पैसा लगाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि, बाजार से रुपया उधार लेने में उन्हें व्याज की ऊँची रकम देनी पड़ती है, जो उनके समय और तरल अधिमान से अधिक है, तो वे बाजार से उधार न लेकर अपने पैसे को अपने व्यापार में ही लगायेंगे। इसके

विपरीत, यदि उनके समय तथा तरल अधिमान में बाजार में व्याज की दर कम है तो वे बाजार से उधार लेंगे।

जैसा कि एक पिछले अध्याय में बताया गया है, पूँजी की पूर्ति एक तो (क) वचत की शक्ति तथा दूसरे (ख) वचत की इच्छा पर निर्भर करती है। वचत की शक्ति तीन बातों पर निर्भर करती है (1) कुल उत्पादन, (11) जीवन-स्तर को कायम रखने के लिए निम्नतम आवश्यकताएँ और (111) बैंकिंग प्रणाली का विकास।

वचत की इच्छा-शक्ति चार बातों पर निर्भर करती है—१ विविध और व्यवस्था २ देश में उपलब्ध बैंकिंग की सुविधाएँ, ३ व्याज की दर की आशाएँ, तथा ४ अपने तथा अपने कुटुम्ब की भावी सुरक्षा का विचार।

जब वचत व्यक्तियों की अपेक्षा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा की जाती है, तो वचत की रकम अन्य बातों के अतिरिक्त उनकी नीति के ऊपर भी निर्भर करेगी।

वक की साख से भी द्रव्य की पूर्ति होती है।

व्याज की दर और वचत के बीच के सम्बन्ध को भी समझ लेना चाहिए। कुछ लोग एक समान रकम वचायेंगे, चाहे व्याज की दर कम हो या अधिक। वे लोग कजूस हो सकते हैं, या गरीब। अन्य लोग, व्याज की चाहे जो कुछ दर हो, वचत नहीं करेंगे। वे लोग बहुत गरीब हो सकते हैं, या अपव्ययी। कुछ ऐसे होंगे, जो कि व्याज की दर जब कम होगी, तब अधिक वचायेंगे और जब अधिक होगी तब कम वचायेंगे। परन्तु मध्य मिलाकर यह कहा जा सकता है कि देश में व्याज की दर ऊँची होने से वचत को प्रोत्साहन मिलता है, और कम दर का विपरीत प्रभाव होता है। व्याज की दर इतने लम्बे समय तक ऊँची रहती है जिससे वचत के लिए प्रेरणित पूँजी की पूर्ति बढ़ेगी, उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति घटेगी और व्याज की दर कम हो जायेगी।

उधार देना बन्द करके अथवा सिक्कुरिटियां बेचकर घटा सकते हैं। संप्ट्रल बैंक बैंक दर निश्चित करता है और सारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। जब तक बैंक के पास सिक्कुरिटियां बेचने और खरीदने के साधन हैं वे व्याज की कोई भी दर बनाए रख सकते हैं। वेन के शब्दों में, 'सिंप्ट्रल बैंक द्वारा विनियमित बैंकिंग व्यवस्था, व्याज की दर निर्धारित करने में समर्थ है, और जब वह ऐसा करता है, व्याज की दर निश्चित कीमत बन जाती है, तथा द्रव्य की मात्रा विभिन्न हो जाती है, जो नियोजन के लिए निधि की मांग, तथा तरल शेष (liquid balances), और वचत की पूर्ति आदि जैसे विभिन्न कामों के लिए अपने आपको अनुकूल बनाती है।

१२. अनिवार्य एवं ऐच्छिक वचत (Forced Saving and Voluntary Saving)—हम ऊपर देख चुके हैं कि पूंजी की पूर्ति वचत पर निर्भर करती है। स्वेच्छा से की गई वचत और विवशता से की गई वचत में कभी-कभी कुछ अन्तर समझा जाता है। स्वैच्छिक वचत से तात्पर्य व्यय से बच रही आय से होता है। यह वचत की सामान्य कल्पना है। लोग इस प्रकार की वचत स्नय करते हैं। वे अपनी आय बढ़ाने तथा व्यय कम करने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार वचत करते हैं। यह सब स्वेच्छा से होता है और वचत का सबसे अधिक स्वाभाविक मार्ग मालूम होता है।

परन्तु अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रकम और द्रव्य की शब्दावली में एक नई कल्पना प्रविष्ट हुई है। वह है अनिवार्य वचत की। इस वचत का सम्बन्ध मुद्रा-प्रसार (inflation) से है। मुद्राप्रसार केवल नोट और द्रव्य बनानेवाले अधिकारियों द्वारा अधिकाधिक नोट प्रचलित करने से नहीं बढ़ता वरन् बैंको द्वारा उधार देने की प्रथा से भी उनमें वृद्धि होती है। बैंक ऋण देकर साख की सृष्टि करते हैं। बैंक का प्रत्येक ऋण निक्षेप (deposit) की सृष्टि करता है। निक्षेप की यह कृत्रिम वृद्धि उधार लेने वालों के हाथों में अधिक रकम दे देती है। इससे समुदाय (community) में अतिरिक्त ऋणशक्ति की सृष्टि होती है। इस प्रकार चाहे मुद्रा-प्रसार सरकारी नीति का परिणाम हो, चाहे बैंक प्रथा का, उससे कीमत बढ़ सकती है। कीमतों में वृद्धि से "स्थायी आय वालों को वचत के लिए बाध्य" होना पड़ता है। अनिवार्य वचत का अर्थ यह नहीं होता कि लोग मुद्रा-प्रसार के कारण बड़ी हुई आय की रकम से वचत करते हैं। वह तो स्वेच्छा की वचत होगी। बाध्य वचत का प्रत्यक्ष आशय यही है कि बड़ी हुई आय वालों को वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण विवश होकर उपभोग में कमी करनी पड़ती है।

स्वेच्छा की वचत अनिश्चित काल तक बिना किसी हानिकारक प्रभाव के चलती रह सकती है। स्वेच्छा की वचत स्वागत करने योग्य है और उसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक उपाय किया जाना चाहिए। परन्तु बाध्य वचत एक कृत्रिम वस्तु है। मुद्रा-प्रसार में बड़ी सकटपूर्ण सभावनाएँ निहित रहती हैं। जो राष्ट्र मुद्राप्रसार का सहारा लेता है, वह एक बड़े जटिल चक्र में फँस जाता है और फिर उससे निकलना कठिन हो जाता है। अत्यधिक मुद्राप्रसार से आर्थिक व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त नहीं हो जाती वरन् उससे राज्य की सुस्थिरता तक खतरे में पड़ जाती है। इसलिए अनिवार्य वचत को सकट-रहित सीमा के अन्तर्गत ही रखना चाहिए, जबकि स्वेच्छापूर्ण वचत की कोई सीमा निर्धारित

विपरीत, यदि उनके समय तथा तरल अधिमान से बाजार में व्याज की दर कम है तो वे बाजार से उधार लेंगे।

जैसा कि एक पिछले अध्याय में बताया गया है, पूजा की पूर्ति एक तो (क) वचत की शक्ति तथा दूसरे (ख) वचत की इच्छा पर निर्भर करती है। वचत की शक्ति तीन बातों पर निर्भर करती है (1) कुल उत्पादन, (11) जीवन-स्तर को कायम रखने के लिए निम्नतम आवश्यकताएँ और (111) बैंकिंग प्रणाली का विकास।

वचत की इच्छा-शक्ति चार बातों पर निर्भर करती है—१ विविध और व्यवस्था २ देश में उपलब्ध बैंकिंग की सुविधाएँ, ३ व्याज की दर की आशाएँ, तथा ४ अपने तथा अपने कुटुम्ब की भावी सुरक्षा का विचार।

जब वचत व्यक्तियों की अपेक्षा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा की जाती है, तो वचत की रकम अन्य बातों के अतिरिक्त उनकी नीति के ऊपर भी निर्भर करेगी।

वक की साख से भी द्रव्य की पूर्ति होती है।

व्याज की दर और वचत के बीच के सम्बन्ध को भी समझ लेना चाहिए। कुछ लोग एक समान रकम वचायेंगे, चाहे व्याज की दर कम हो या अधिक। वे लोग कजूस हो सकते हैं, या गरीब। अन्य लोग, व्याज की चाहे जो कुछ दर हो, वचत नहीं करेंगे। वे लोग बहुत गरीब हो सकते हैं, या अपव्ययी। कुछ ऐसे होंगे, जो कि व्याज की दर जब कम होगी, तब अधिक वचायेंगे और जब अधिक होगी तब कम वचायेंगे। परन्तु सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि देश में व्याज की दर ऊँची होने से वचत को प्रोत्साहन मिलता है, और कम दर का विपरीत प्रभाव होता है। यदि व्याज की दर इतने लम्बे समय तक ऊँची रहती है जिससे वचत के लिए प्रेरणा होगी तो पूजा की पूर्ति बढ़ेगी, उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति घटेगी और व्याज की दर आगे चल कर कम हो जायेगी।

बैंकों का व्याज पर क्या प्रभाव होता है (How banks effect interest)—

यह कहना बड़ी भूल है कि उधार का एकमात्र स्रोत व्यक्तिगत रूप से वचत करने वाले हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि व्यापारी ऐसे लोगों से उधार नहीं लेते। वे बैंकों से उधार लेते हैं। बैंकों की ओर से समय अधिमान (time preference) नहीं होता। चूँकि वे नकदी के रूप में उधार नहीं देते बल्कि निक्षेप (deposit) बनाने में सहायक होते हैं, वे उधार देने की ओर आकृष्ट होते हैं और अपनी प्राप्ति (earning) बढ़ाते हैं। इस तरह स्त्रेच्छा अथवा अनिवार्य वचत के कारण मुद्रा-स्फीति (inflation) की स्थिति पैदा हो जाती है। यद्यपि बैंक के लिए समय अधिमान का कोई महत्त्व नहीं है, लेकिन तरल अधिमान का है। उधार देने के लिए किये गये वायदों को पूरा करने के लिए उसके पास काफी तैयार पैसा होना जरूरी है। इससे वे शक्ति से ज्यादा उधार देने (over-lending) से बचे रहते हैं।

सैण्ट्रल बैंक, जो समस्त देश की बैंकिंग व्यवस्था का नियन्त्रण करता है, बैंक साख को नियमित करके इस स्थिति में है कि व्याज की दर निश्चित करे। वे सिक्युरिटियाँ खरीद कर अथवा उधार देकर नये द्रव्य का सृजन कर सकते हैं, और द्रव्य की मात्रा

उधार देना बन्द करके अथवा सिक्क्युरिटियां बेचकर घटा सकते हैं। संप्ट्रल बैंक बैंक दर निश्चित करता है और सारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। जब तक बैंक के पास सिक्क्युरिटियां बेचने और खरीदने के साधन हैं वे व्याज की कोई भी दर बनाए रख सकते हैं। वेन के शब्दों में, "सिंप्ट्रल बैंक द्वारा विनियमित बैंकिंग व्यवस्था, व्याज की दर निर्धारित करने में समर्थ है, और जब वह ऐसा करता है, व्याज की दर निश्चित कीमत बन जाती है, तथा द्रव्य की मात्रा विभिन्न हो जाती है, जो नियोजन के लिए निधि की मांग, तथा तरल गेप (liquid balances), और वचत की पूर्ति आदि जैसे विभिन्न कामों के लिए अपने आपको अनुकूल बनाती है।

१२. अनिवार्य एवं ऐच्छिक वचत (Forced Saving and Voluntary Saving) — हम ऊपर देख चुके हैं कि पूंजी की पूर्ति वचत पर निर्भर करती है। स्वेच्छा से की गई वचत और विवशता से की गई वचत में कभी-कभी कुछ अन्तर समझा जाता है। स्वैच्छिक वचत से तात्पर्य व्यय से बच रही आय से होता है। यह वचत की सामान्य कल्पना है। लोग इस प्रकार की वचत स्वयं करते हैं। वे अपनी आय बढ़ाने तथा व्यय कम करने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार वचत करते हैं। यह सब स्वेच्छा से होता है और वचत का सबसे अधिक स्वाभाविक मार्ग मालूम होता है।

परन्तु अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रकम और द्रव्य की शब्दावली में एक नई कल्पना प्रविष्ट हुई है। वह है अनिवार्य वचत की। इस वचत का सम्यन्ध मुद्रा-प्रसार (inflation) से है। मुद्राप्रसार केवल नोट और द्रव्य बनानेवाले अधिकारियों द्वारा अधिकाधिक नोट प्रचलित करने से नहीं बढ़ता वरन् बैंकों द्वारा उधार देने की प्रथा से भी उनमें वृद्धि होती है। बैंक ऋण देकर साख की सृष्टि करते हैं। बैंक का प्रत्येक ऋण निक्षेप (deposit) की सृष्टि करता है। निक्षेप की यह कृत्रिम वृद्धि उधार लेने वालों के हाथों में अधिक रकम दे देती है। इससे समुदाय (community) में अतिरिक्त क्रयशक्ति की सृष्टि होती है। इस प्रकार चाहे मुद्रा-प्रसार सरकारी नीति का परिणाम हो, चाहे बैंक प्रथा का, उससे कीमत बढ़ सकती है। कीमतों में वृद्धि से "स्थायी आय वालों को वचत के लिए बाध्य" होना पड़ता है। अनिवार्य वचत का अर्थ यह नहीं होता कि लोग मुद्रा-प्रसार के कारण बड़ी हुई आय की रकम से वचत करते हैं। वह तो स्वेच्छा की वचत होगी। बाध्य वचत का प्रत्यक्ष आशय यही है कि बड़ी हुई आय वाली को वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण विवश होकर उपभोग में कमी करनी पड़ती है।

स्वेच्छा की वचत अनिश्चित काल तक बिना किसी हानिकारक प्रभाव के चलती रह सकती है। स्वेच्छा की वचत स्वागत करने योग्य है और उसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक उपाय किया जाना चाहिए। परन्तु बाध्य वचत एक कृत्रिम वस्तु है। मुद्रा-प्रसार में बड़ी संकटपूर्ण संभावनाएँ निहित रहती हैं। जो राष्ट्र मुद्राप्रसार का सहारा लेता है, वह एक बड़े जटिल चक्र में फँस जाता है और फिर उससे निकलना कठिन हो जाता है। अत्यधिक मुद्राप्रसार से आर्थिक व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त नहीं हो जाती वरन् उससे राज्य की सुस्थिरता तक खतरे में पड़ जाती है। इसलिए अनिवार्य वचत को संकट-रहित सीमा के अन्तर्गत ही रखना चाहिए, जबकि स्वेच्छापूर्ण वचत की कोई सीमा निर्धारित

नहीं की जा सकती।

हम लोग इन दोनों में एक और अन्तर देखते हैं। अनिवार्य वचत की परिस्थिति में उपभोग रुकता है, इसलिए उपभोग की सामग्री का उत्पादन कम होने लगता है, परन्तु वस्तुओं की कीमत बढ़ने से व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और अधिक कारखाने खड़े किये जाते हैं। इसलिए उत्पादन की सामग्री (पू जीगत माल) में वृद्धि होती है।

अन्ततः वाध्य वचत (मुद्रा-प्रसार) कीमतों में सभी ओर वृद्धि करती है। उपभोग की वस्तुओं तथा पू जी सामग्री दोनों की कीमतें बढ़ती हैं। परन्तु स्वेच्छा की वचत से उपभोग की वस्तुओं की माग कम होती है और उत्पादकों की अर्थात् पू जी सामग्री की माग बढ़ती है। इसलिए उसकी कीमतें उपभोग की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक बढ़ती हैं।

कुछ लोगों का विचार है कि मुद्रा-प्रसार (जिससे वाध्य वचत की अवस्था उत्पन्न होती है) उत्पादन सक्रियता (productive activity) को प्रोत्साहित करता है और वास्तविक सम्पत्ति को बढ़ाता है। जैसा कि डा० हेक (Dr Heyek) कहते हैं निश्चित आय वाले की वाध्य वचत की क्षतिपूर्ति किसी सीमा तक सम्पत्ति की बढ़ती हो जाती है, जिसका आशय उस सम्पत्ति से है, जिसकी उपयोगिता का मूल्य बढ़ जाता है।¹ बेंहम (Benham) भी इसी प्रकार कहते हैं, "मुद्रा बढ़ाने से जैसे मुद्रा प्रसार होता है सरकार बड़ी मात्रा में वास्तविक सम्पत्ति की वृद्धि करने की शक्ति का विकास होता है।" यद्यपि संयोजित आर्थिक व्यवस्था में इस प्रकार त्रिभुजा से "उत्पन्न" किये हुए द्रव्य का उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है, तथापि असीमित मुद्राप्रसार अन्ततः विनाशक ही होता है। समृद्धि बरत दिखाने की ही होती है और देश की वास्तविक सम्पत्ति में कोई वृद्धि नहीं होती।

१३ व्याज का निर्धारण (Determination of Interest)—माग और पूर्ति (वचत की प्रेरक शक्तियों का अध्ययन किया जा चुका है। अब यह देखना है कि इन शक्तियों से व्याज की दर कैसे निर्धारित होती है। व्याज का निर्धारण पू जी की सीमान्त उत्पादक शक्ति (Marginal Productivity) से होता है। सीमान्त उत्पादन शक्ति पर माग और पूर्ति दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। माग के प्रभाव को जानने के लिए हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं कि पूर्ति दी हुई है। वास्तव में दुनिया में माग और पूर्ति के रूप बदलते रहते हैं। पर यह सच है कि जब समय थोड़ा होता है तो माग की पूर्ति सहज और जल्दी नहीं हो सकती। यदि व्याज की दर ऊंची रहती है तो माग की पूर्ति वचत की वृद्धि से होती है। यदि व्याज बहुत समय तक कम दर पर रहता है तो उपभोग वृद्धि के कारण वचत कम होती है। साम्यावस्था में व्याज की दर ऐसी होती है कि माग और पूर्ति समान स्तर पर रहते हैं।

हम एक साम्यावस्था (equilibrium) की स्थिति से आरम्भ करते हैं। मान

लो कि बचत में आकस्मिक वृद्धि होती है और इस प्रकार पूजा की पूर्ति बढ़ जाती है। उससे व्याज की दर कम हो जायगी, क्योंकि पूजा की सीमान्त उत्पादन शक्ति कम हो जायगी, अर्थात् पूजा ऐसे कामों के लिए उपलब्ध होगी, जिनमें उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति कम होगी। व्याज की दर का गिरना उस समय रुकेगा जबकि दर वहाँ तक पहुँच जायगी जहाँ कि उसके गिरने से माग में जो बढ़ती हुई हो, वह पूर्ति के समान हो जाय। इसके विपरीत तब होगा जबकि पूजा की पूर्ति में कमी होगी। पूजा अपेक्षाकृत दुर्लभ होने पर ऐसे ही कार्यों में प्रयुक्त होगी, जिनमें उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति अधिक ऊँची होगी। तब व्याज की दर बढ़ जायगी। माग और पूर्ति ऊँचे व्याज की दर पर साम्यावस्था में होंगे।

माग की वृद्धि का असर वही होता है, जो पूर्ति में कमी का होता है। और माग की कमी का वही असर होता है, जो कि पूर्ति में वृद्धि का होता है।

व्याज की मार्केट दर वह होगी जिस पर कि पूजा की माग और पूर्ति साम्यावस्था में है अर्थात् वह बिन्दु जिस पर सकल उधार देने वालों की राशि सकल के उधार लेने वालों की राशि के समान बैठती है।

व्याज और दुर्लभता का सिद्धान्त (Interest and Scarcity Principle)

—वास्तविक स्रोतों (resources) की दृष्टि से व्याज की उत्पत्ति एक ओर तो दुर्लभ साधनों से तथा दूसरी ओर उनके हो सकने वाले अनेक प्रकार के वैकल्पिक उपयोगों के सम्बन्ध से होती है। इस वास्तविक अर्थ में पूजा की सीमान्त उत्पादन शक्ति उन वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता से उत्पन्न होती है जिनके उत्पादन के लिए पूजा (अन्य साधनों के सहित) की सेवाएँ प्राप्त की जाती हैं। निर्दिष्ट स्रोत तथा प्रतियोगी माग आमने सामने आ जाते हैं। इन स्रोतों को दूसरे सर्वोत्तम कामों में लगाने के लिए कीमत चुकानी ही चाहिए। अन्ततः व्याज की दर से कमी की वह मात्रा ज्ञात होती है, जो उत्पादन के अन्य तत्त्वों के सम्बन्ध से पूजा की होती है, जब कि वह उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रतिद्वन्द्वी मागों में सहायक होती है।

१४. अल्पावधि और दीर्घावधि की दरें (Short-term and Long term Rates)—उपर्युक्त विवेचन से यह समझना सहज है कि व्याज की दर में क्या परिवर्तन होता है। यदि पूजा की अपेक्षाकृत कमी (scarcity) होती है, तो व्याज की दर में साधारणतया वृद्धि होगी। अपेक्षाकृत कमी माग की वृद्धि अथवा पूर्ति की कमी से होती है। व्याज की दरों में परिवर्तन के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि अल्पावधि प्रभावों तथा दीर्घावधि प्रभावों में अन्तर रहता है। पहले हम अल्पावधि की दरों (short-term rates) को लेंगे। अल्पावधि में सामान्य रूप से यह दुर्लभता माग से आरम्भ होगी। यदि व्यापारियों को उद्योग वृद्धि अथवा अधिक ऊँचे दामों और लाभ की आशा होती है, तो अल्पकाल में व्याज की दर बढ़ेगी, क्योंकि पूजा के लिए माग अधिक होगी। औद्योगिक शेरों का मूल्य बढ़ जायगा, जबकि स्थिर व्याज वाली प्रतिभूतियों की कीमत गिर जायगी, जिससे उनकी प्राप्ति में वृद्धि होगी। यही परिणाम तब भी होते हैं, जब नये आविष्कारों से पूजा के उपयोग के नये और अधिक लाभप्रद

दर भी बढ़ेगी।

परन्तु ऐसा होता नहीं। आर्थिक प्रगति के साथ-साथ हमारी वचत की शक्ति और इच्छा भी काफी बढ़ जानी है। उपभोग की अपेक्षा उत्पादन अधिक होता है। बैंक और बीमा कम्पनियों के विकास से लोगों को रुपया लगाने के अच्छे अवसर मिल जाते हैं। जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, शिक्षा में उन्नति आदि से वचत करने की इच्छाएँ और प्रबल हो जाती हैं। इन सब का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि पूँजी की पूर्ति माग की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए व्याज की प्रवृत्ति लगातार गिरने और घटने की ओर होती है। इंग्लैंड अथवा अमेरिका जैसे उन्नतिशील देशों में कतिपय ऋणों (certain types of loans) पर तो व्याज की दर घट कर $\frac{1}{4}$ प्रतिशत अथवा $\frac{1}{2}$ प्रतिशत रह गई है।

जैसे-जैसे कोई देश उन्नति करता है, रकम गाढ़ कर रखने की भावना (साठेवाजी hoarding) कम होती जाती है और रुपया उद्योग में लगाने की इच्छा बढ़ती है। जैसे जैसे उद्योग में लगाने के लिए पूँजी की पूर्ति बढ़ती जाती है, वैसे ही सीमान्त उपयोगिता और उसके कारण व्याज की दर गिरती है।

क्या व्याज की दर शून्य भी हो सकती है? (Can the Rate of Interest fall to Zero?)—सिद्धांततः व्याज की शून्य दर की कल्पना की जा सकती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लोगों की वचत की शक्ति और इच्छा बढ़ती जाती है। शक्ति इसलिए कि उत्पादन-सामर्थ्य बढ़ता है और इच्छा इसलिए कि उन्नत जीवन में दूरदर्शिता तथा भविष्य की नीची दर पर बट्टा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। एक ऐसी अवस्था की कल्पना की जा सकती है, जिसमें पूँजी का समग्र पूँजी की माग से अधिक हो जाय और इससे पूँजी की सीमान्त उत्पादन शक्ति शून्य हो जाय और उसे नकारात्मक कर दे अर्थात् लोग अपनी वचत को सावधानी से रखने के लिए कुछ भुगतान करने लगें।

परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था का आना, यदि पूर्णतया असंभव नहीं, तो कठिन अवश्य है। पहली बात तो वह है कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ पूँजी के लिए माग भी बढ़ेगी और लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ पूँजी की माग बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन की चक्रपूर्ण प्रणालियों का उपयोग अधिकाधिक बढ़ता जायगा। यह सच है कि नये आविष्कारों से पूँजी की मितव्ययता के तरीके निकलते आयेंगे, इससे व्याज की दर में कमी हो सकती है। परन्तु पूँजी की सीमान्त उपयोगिता फिर भी वास्तविक रहेगी, इसलिए व्याज की दर भी वास्तविक रहेगी।

पूर्ति की दृष्टि से देखें तो हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं। कुछ लोग वचत करेंगे चाहे व्याज की दर नकारात्मक अर्थात् शून्य ही हो। परन्तु यदि उपभोग को कम करने के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी तो अधिकांश वचतों में बढ़ी कमी आ जायगी, जिससे पूँजी की अपेक्षाकृत कमी हो जायगी।

इस प्रकार व्याज की दर शून्य होने की कोई सम्भावना नहीं।

हम व्याज की शून्य दर तभी लागू कर सकते हैं जबकि पूंजी के अभाव की दशा समाप्त हो जाय। परन्तु जैसी कि स्थिति है, पूंजी माग की अपेक्षा कम रहती है। अनेक कार्यों में पूंजी का उपयोग हो सकता है। व्याज की दर इस बात का निर्णय करती है कि पूंजी का उपयोग किस लिए किया जाय।

समाजवादी राज्य और व्याज (Interest in a Socialist State)—समाजवादी व्यवस्था में भी व्याज को हटाया नहीं जा सकता, भले ही वह व्यक्तियों को भुगतान न किया जा सके। वहाँ भी उसके जरिये पूंजी के सीमित साधनों के विभिन्न उपयोगों के लिए प्राथमिकताओं का निर्णय करना पड़ेगा। समाजवादी राज्य में सम्भवतः प्राथमिकताओं का क्रम पूंजीवादी समाज से विभिन्न होगा, परन्तु व्याज अपना कार्य फिर भी करेगा। उसका वही काम है जो कीमत का है। वह माग का उपलब्ध पूर्ति से हिसाब बँटाता है। वह पूंजी को वैकल्पिक उपयोगों के लिए होने वाली प्रतिद्वन्द्विताओं के बीच ठीक हिसाब से वितरण करता है। व्याज के द्वारा ही पूंजी के जिस उपयोग से अधिक लाभ की आशा होती है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। यह ठीक है कि पूंजीवादी व्यवस्था में अधिक से अधिक लाभ की कल्पना समाजवादी व्यवस्था से अलग प्रकार की होगी। पहली दशा में उद्योग में रुपया लगाने वाले व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ का विचार होगा और दूसरे में योजना बनाने वाले अधिकारियों के लाभ का, और उसी के अनुसार प्राथमिकता का क्रम निर्धारित होगा। व्याज को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका समाजीकरण (socialisation) कर सकते हैं। वरतेंकि आप पूंजी का समाजीकरण कर डालें। जब तक पूंजी का समाजीकरण नहीं होगा, तब तक पूंजी के निर्माण के लिए व्याज अवश्य देना होगा। इसलिए व्याज अवश्य दिया जाना चाहिए क्योंकि उधार लेने वाला उसे दे सकता है और यदि उसको पूंजी की आवश्यकता है तो वह ऋणदाता को अवश्य दिया जाना चाहिए।

१७ व्याज और लगान (Interest and Rent)—अब हम व्याज और लगान के अन्तर को समझाने का प्रयत्न करेंगे।

(i) सम्यता और आर्थिक प्रगति के साथ व्याज की दर कम होती है जबकि लगान की दर बढ़ती है। यह इसलिए होता है कि पूंजी की पूर्ति लगातार बढ़ती रहती है। परन्तु भूमि की मात्रा सीमित है और बढ़ाई नहीं जा सकती जबकि उसकी माग जनसंख्या की वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है।

(ii) उर्वरा शक्ति तथा स्थितियों में विभिन्नता होने से भूमि के लगान में भी अनेक अन्तर होते हैं। भूमि के गुणों के अन्तर स्थायी होते हैं। जितनी ही अधिक प्रति-योगिता होगी, उतना ही अधिक लगानों में अन्तर होगा। भूमि की गतिहीनता के कारण उसको एक उपयोग से दूसरे उपयोग में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए लगान के अन्तर स्थायी होने की ओर प्रवृत्त रहते हैं।

दूसरी ओर, व्याज की प्रवृत्ति समानता की ओर होती है। केवल 'सकल' (gross) व्याज में खतरे तथा असुविधाजनक तत्त्वों के कारण अन्तर होता है। पूंजी उससे कहीं अधिक गतिशील (mobile) होती है और इसलिए शुद्ध व्याज के

दर भी बढ़ेगी।

परन्तु ऐसा होता नहीं। आर्थिक प्रगति के साथ-साथ हमारी वचत की शक्ति और इच्छा भी काफी बढ़ जाती है। उपभोग की अपेक्षा उत्पादन अधिक होता है। बैंक और बीमा कम्पनियों के विकास से लोगो को रुपया लगाने के अच्छे अवसर मिल जाते हैं। जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, शिक्षा में उन्नति आदि से वचत करने की इच्छाएँ और प्रबल हो जाती हैं। इन सब का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि पूँजी की पूर्ति माग की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए व्याज की प्रवृत्ति लगातार गिरने और घटने की ओर होती है। इंग्लैंड अथवा अमेरिका जैसे उन्नतिशील देशों में कतिपय ऋणों (certain types of loans) पर तो व्याज की दर घट कर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत अथवा $\frac{1}{4}$ प्रतिशत रह गई है।

जैसे-जैसे कोई देश उन्नति करता है, रकम गाढ़ कर रखने की भावना (साठेबाजी hoarding) कम होती जाती है और रुपया उद्योग में लगाने की इच्छा बढ़ती है। जैसे-जैसे उद्योग में लगाने के लिए पूँजी की पूर्ति बढ़ती जाती है, वैसे ही सीमान्त उपयोगिता और उसके कारण व्याज की दर गिरती है।

क्या व्याज की दर शून्य भी हो सकती है? (Can the Rate of Interest fall to Zero?)—सिद्धांततः व्याज की शून्य दर की कल्पना की जा सकती है। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, लोगो की वचत की शक्ति और इच्छा बढ़ती जाती है। शक्ति इसलिए कि उत्पादन-सामर्थ्य बढ़ता है और इच्छा इसलिए कि उन्नत लोगो में दूरदर्शिता तथा भविष्य की नीची दर पर बट्टा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। एक ऐसी अवस्था की कल्पना की जा सकती है, जिसमें पूँजी का सग्रह पूँजी की माग से अधिक हो जाय और इससे पूँजी की सीमान्त उत्पादन शक्ति शून्य हो जाय और उसे नकारात्मक कर दे अर्थात् लोग अपनी वचत को सावधानी से रखने के लिए कुछ भुगतान करने लगें।

परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था का आना, यदि पूर्णतया असंभव नहीं, तो कठिन अवश्य है। पहली बात तो वह है कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ पूँजी के लिए माग भी बढ़ेगी और लोगो की आवश्यकताओं में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ पूँजी की माग बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन की चक्रपूर्ण प्रणालियों का उपयोग अधिकाधिक बढ़ता जायगा। यह सच है कि नये आविष्कारों से पूँजी की मितव्ययता के तरीके निकलते आयेंगे, इससे व्याज की दर में कमी हो सकती है। परन्तु पूँजी की सीमान्त उपयोगिता फिर भी वास्तविक रहेगी, इसलिए व्याज की दर भी वास्तविक रहेगी।

पूर्ति की दृष्टि से देखें तो हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं। कुछ लोग वचत करेंगे चाहे व्याज की दर नकारात्मक अर्थात् शून्य ही हो। परन्तु यदि उपभोग को कम करने के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी तो अधिकांश वचतों में बड़ी कमी आ जायगी, जिससे पूँजी की अपेक्षाकृत कमी हो जायगी।

इस प्रकार व्याज की दर शून्य होने की कोई सम्भावना नहीं।

दर भी बढ़ेगी।

परन्तु ऐसा होता नहीं। आर्थिक प्रगति के साथ-साथ हमारी वचत की शक्ति और इच्छा भी काफी बढ़ जाती है। उपभोग की अपेक्षा उत्पादन अधिक होता है। बैंक और बीमा कम्पनियों के विकास से लोगों को रुपया लगाने के अच्छे अवसर मिल जाते हैं। जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, शिक्षा में उन्नति आदि से वचत करने की इच्छाएं और प्रबल हो जाती हैं। इन सब का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि पूजा की पूर्ति माग की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए व्याज की प्रवृत्ति लगातार गिरने और घटने की ओर होती है। इंग्लैंड अथवा अमेरिका जैसे उन्नतिशील देशों में कतिपय ऋणों (certain types of loans) पर तो व्याज की दर घट कर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत अथवा $\frac{1}{4}$ प्रतिशत रह गई है।

जैसे-जैसे कोई देश उन्नति करता है, रकम गाढ़ कर रखने की भावना (साठेबाजी hoarding) कम होती जाती है और रुपया उद्योग में लगाने की इच्छा बढ़ती है। जैसे जैसे उद्योग में लगाने के लिए पूजा की पूर्ति बढ़ती जाती है, वैसे ही सीमान्त उपयोगिता और उसके कारण व्याज की दर गिरती है।

क्या व्याज की दर शून्य भी हो सकती है? (Can the Rate of Interest fall to Zero?)—सिद्धान्त व्याज की शून्य दर की कल्पना की जा सकती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लोगों की वचत की शक्ति और इच्छा बढ़ती जाती है। शक्ति इसलिए कि उत्पादन-सामर्थ्य बढ़ता है और इच्छा इसलिए कि उन्नत लोगों में दूरदर्शिता तथा भविष्य की नीची दर पर बट्टा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। एक ऐसी अवस्था की कल्पना की जा सकती है, जिसमें पूजा का मग्रह पूजा की माग से अधिक हो जाय और इससे पूजा की सीमान्त उत्पादन शक्ति शून्य हो जाय और उसे नकारात्मक कर दे अर्थात् लोग अपनी वचत को सावधानी से रखने के लिए कुछ भुगतान करने लगे।

परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था का आना, यदि पूर्णतया असंभव नहीं, तो कठिन अवश्य है। पहली बात तो वह है कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ पूजा के लिए माग भी बढ़ेगी और लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ पूजा की माग बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन की चक्रपूर्ण प्रणालियों का उपयोग अधिकाधिक बढ़ता जायगा। यह सच है कि नये आविष्कारों से पूजा की मिनव्ययता के तरीके निकलते आयेगे, इससे व्याज की दर में कमी हो सकती है। परन्तु पूजा की सीमान्त उपयोगिता फिर भी वास्तविक रहेगी, इसलिए व्याज की दर भी वास्तविक रहेगी।

पूर्ति की दृष्टि से देखें तो हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं। कुछ लोग वचत करेगे चाहे व्याज की दर नकारात्मक अर्थात् शून्य ही हो। परन्तु यदि उपभोग को कम करने के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी तो अधिकांश वचतों में बड़ी कमी आ जायगी, जिससे पूजा की अपेक्षाकृत कमी हो जायगी।

इस प्रकार व्याज की दर शून्य होने की कोई सम्भावना नहीं।

हम व्याज की शून्य दर तभी लागू कर सकते हैं जबकि पूजी के अभाव की दशा समाप्त हो जाय। परन्तु जैसी कि स्थिति है, पूजी माग की अपेक्षा कम रहती है। अनेक कार्यों में पूजी का उपयोग हो सकता है। व्याज की दर इस बात का निर्णय करती है कि पूजी का उपयोग किस लिए किया जाय।

समाजवादी राज्य और व्याज (Interest in a Socialist State)—समाजवादी व्यवस्था में भी व्याज को हटाया नहीं जा सकता, भले ही वह व्यक्तियों को भुगतान न किया जा सके। वहाँ भी उसके जरिये पूजी के सीमित साधनों के विभिन्न उपयोगों के लिए प्राथमिकताओं का निर्णय करना पड़ेगा। समाजवादी राज्य में मभवतः प्राथमिकताओं का क्रम पूजीवादी समाज से विभिन्न होगा, परन्तु व्याज अपना कार्य फिर भी करेगा। उसका वही काम है जो कीमत का है। वह माग का उपलब्ध पूर्ति से हिसाब बैठाता है। वह पूजी को वैकल्पिक उपयोगों के लिए होने वाली प्रतिद्वन्द्विताओं के बीच ठीक हिसाब से वितरण करता है। व्याज के द्वारा ही पूजी के जिस उपयोग से अधिक लाभ की आशा होती है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। यह ठीक है कि पूजीवादी व्यवस्था में अधिक से अधिक लाभ की कल्पना समाजवादी व्यवस्था से अलग प्रकार की होगी। पहली दशा में उद्योग में रूपा लगाने वाले व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ का विचार होगा और दूसरे में योजना बनाने वाले अधिकारियों के लाभ का, और उसी के अनुसार प्राथमिकता का क्रम निर्धारित होगा। व्याज को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका समाजीकरण (socialisation) कर सकते हैं, वशर्ते कि आप पूजी का समाजीकरण कर डालें। जब तक पूजी का समाजीकरण नहीं होगा, तब तक पूजी के निर्माण के लिए व्याज अवश्य देना होगा। इसलिए व्याज अवश्य दिया जाना चाहिए क्योंकि उधार लेने वाला उसे दे सकता है और यदि उसको पूजी की आवश्यकता है तो वह ऋणदाता को अवश्य दिया जाना चाहिए।

१७ व्याज और लगान (Interest and Rent)—अब हम व्याज और लगान के अन्तर को समझाने का प्रयत्न करेंगे।

(i) सम्यता और आर्थिक प्रगति के साथ व्याज की दर कम होती है जबकि लगान की दर बढ़ती है। यह इसलिए होता है कि पूंजी की पूर्ति लगातार बढ़ती रहती है। परन्तु भूमि की मात्रा सीमित है और बढ़ाई नहीं जा सकती जबकि उसकी भाग जनसंख्या की वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है।

(ii) उर्वरा शक्ति तथा स्थितियों में विभिन्नता होने से भूमि के लगान में भी अनेक अन्तर होते हैं। भूमि के गुणों के अन्तर स्थायी होते हैं। जितनी ही अधिक प्रतियोगिता होगी, उतना ही अधिक लगानों में अन्तर होगा। भूमि की गतिहीनता के कारण उसको एक उपयोग से दूसरे उपयोग में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए लगान के अन्तर स्थायी होने की ओर प्रवृत्त रहते हैं।

दूसरी ओर, व्याज की प्रवृत्ति समानता की ओर होती है। केवल 'सकल' (gross) व्याज में खतरे तथा असुविधाजनक तत्वों के कारण अन्तर होता है। पूजी उससे कहीं अधिक गतिशील (mobile) होती है और इसलिए शुद्ध व्याज के

अन्तर यदि कुछ होते भी हैं तो प्रतियोगिता के कारण उनके लोप होने की सम्भावना रहती है ।

(111) लगान-रहित भूमि (no-rent land) भी होती है परन्तु व्याज-हीन पूजा (no-interest capital) नहीं हो सकती । पूजा का निर्माण मनुष्य द्वारा होता है और उसकी पूर्ति की एक निश्चित कीमत होती है । पूजा के प्रत्येक अंश पर कुछ न कुछ व्याज अवश्य होगा । परन्तु कुछ भूमि इतनी अनुपजाऊ या अनुपयोगी हो सकती है कि उस पर कोई लगान न हो । भूमि प्रकृति की देन है और कुछ न मिलने पर भी इसे हटाया नहीं जा सकता ।

१८ व्याज, लगान और अर्ध-लगान (Interest, Rent and Quasi-Rent)—कुछ अर्थशास्त्री इस बात को स्वीकार नहीं करते कि लगान, अर्ध-लगान तथा व्याज में कोई अन्तर है । उनका तर्क है कि भूमि के बारे में कोई विचित्रता नहीं है और यदि है भी तो उसे बहुत बड़ा-चड़ा कर कहा जाता है । भूमि की तरह और भी अनेक वस्तुएँ हैं जो सीमित हैं । उत्पादन के अन्य साधनों में भी अन्तर का तत्त्व रहता है । इसलिए यह तर्क पेश किया जाता है कि पूजा लगाने से होने वाली आय चाहे वह भूमि-सदृश स्थायी वस्तुओं में लगाई जाय अथवा अर्ध-स्थायी या नष्ट होने वाली वस्तुओं में लगाई जाय, अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों की क्रिया की दृष्टि में, यह सब समान है । दुर्लभता का सिद्धान्त मूल्य के निर्धारण करने में हर अवस्था में लागू होता है ।

परन्तु इन समानताओं के कारण हमें व्याज, लगान अथवा अर्ध-लगान के अन्तर को नहीं भुगाना चाहिए । सबसे बड़ा अन्तर परिवर्तन तत्त्व की पूर्ति की रकम पर होने वाली प्रतिक्रिया का होता है । लगान बढ़ सकता है या घट सकता है परन्तु भूमि की पूर्ति अप्रभावित रहती है और अर्ध-लगान की दशा में भी कुछ समय के लिए पूर्ति अपरिवर्तित रहती है । परन्तु शीघ्र पुनर्स्थान की जाने वाली चीजों (पूजा) के अर्जन में परिवर्तन होने की प्रतिक्रिया बड़ी शीघ्र उमकी पूर्ति पर होती है । बात यह है कि भूमि की दुर्लभता उसका स्थायी लक्षण है, जबकि और वस्तुओं की दुर्लभता अपवाद-स्वरूप और स्थायी होती है ।

किमी साधन की पूर्ति की लोच (elasticity) और उसका सतुलन समायोजन (adjustment) के लिए आवश्यक समय के कारण लगान, अर्ध-लगान और व्याज में अन्तर होता है । यदि किमी साधन की पूर्ति स्थिर होती है, जैसी कि भूमि की अल्प तथा दीर्घकाल दोनों के लिए होती है, तो उससे होने वाली आय लगान के तौर पर होती है । यदि पूर्ति अल्पावधि के लिए लोचहीन (inelastic) होती है, जैसे कि मशीनों की होती है तो आय अर्ध-लगान कहलाती है । परन्तु यदि किमी साधन की पूर्ति अल्प तथा दीर्घ दोनों कालों में लोचपूर्ण है, तो उससे होने वाली आय व्याज कहलाती है ।

परन्तु मार्शल जैसे कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये अन्तर मात्रा के हैं, प्रकार के नहीं । वे कहते हैं कि "धीरे-धीरे चल पूजा पर व्याज और पुरानी पूजा के लगाने से प्राप्त अर्ध-लगान एक दूसरे में मिल जाते हैं । भूमि का लगान भी स्वयं कोई स्वतन्त्र

वस्तु नहीं है, वरन् एक बड़ी जाति की ही एक शाखा है।" ^१ परन्तु मात्रा का यह अन्तर भी व्यावहारिक नीति और कर के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। इनसे सामाजिक और वित्तीय महत्त्व की बड़ी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

१६ व्याज पर द्रव्य के मूल्य में परिवर्तन होने का प्रभाव (Effect of Changes in the Value of Money on Interest)—द्रव्य के मूल्य का अर्थ होता है उसकी क्रय-शक्ति, जो फिर कीमतों के स्तर पर निर्भर है। यदि कीमतें बढ़ती हैं, तो द्रव्य कम खरीद सकता है अर्थात् द्रव्य का मूल्य कम होता है। इसके विपरीत जब कीमतें गिरती हैं, तो द्रव्य का मूल्य बढ़ता है।

अब हमें देखना चाहिए कि द्रव्य के मूल्य में (अथवा कीमतों में परिवर्तन) होने से व्याज की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है।

जब कीमतें ऊँची हैं, तो व्यापारियों को बड़ा लाभ होता है। पूँजी की माँग बढ़ती है और व्याज की दर भी बढ़ती है। कीमतें बढ़ने पर ऋणदाता को घाटा होने से वे अपनी क्षतिपूर्ति करने का प्रयत्न व्याज की दर बढ़ा कर करेंगे। फिर कीमतों में निरन्तर वृद्धि होते रहने से वर्तमान में वस्तुओं की प्राप्ति को भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाता है। इस प्रकार आट्रियन (एगियो) सिद्धांत की दृष्टि से व्याज की दर बढ़ेगी। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के साथ द्रव्य का मूल्य घटता है, तो पूँजीपतियों को रुपया वचाने के लिए आकर्षित करने को प्रलोभन की आवश्यकता पड़ती है। जब तक वह प्रलोभन नहीं होगा अर्थात् जब तक व्याज की दर नहीं बढ़ती तब तक पूँजी की पूर्ति कम बनी रहेगी। माँग बड़ी रहने पर, व्याज की दर में वृद्धि अवश्य होगी।

दूसरी ओर जब कीमतें गिरती हैं, तो साधारणतया व्याज की दरें भी गिरने लगती हैं। द्रव्य की क्रय-शक्ति बढ़ने से ऋणदाता व्याज की कम दर पर भी सन्तोष कर लेंगे। ऋणी भी अधिक व्याज देने में समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि जब कीमतें गिरती हैं, तो ऋण का बोझ बढ़ता है। कीमतें गिरने से व्यापार में रुपया लगाने में हतोत्साह होता है। पूँजी की माँग कम होती है और ऐसी दशा में व्याज की दर गिरेगी।

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि उल्टे रूप से व्याज की दर द्रव्य के मूल्य में परिवर्तन के अनुसार तथा प्रत्यक्षतः वस्तुओं की कीमत के स्तर में परिवर्तन के अनुसार बदलती है।

२० व्याज की दर में परिवर्तन के परिणाम (Consequences of Changes in Interest rates)—व्याज की दरों में बढ़ती और घटती होने से कई प्रतिक्रियाएँ होती हैं। व्याज की दर में वृद्धि होने के कुछ परिणाम, संक्षेप में, ये हैं—(१) व्याज की दर बढ़ने से वस्तुओं का स्टॉक अधिक महंगा हो जाता है। सट्टेवाज और विचौलिए (middlemen) हतोत्साह होते हैं। कच्चे माल तथा अर्धनिर्मित माल की माँग कम हो जाती है और परिणामस्वरूप उनकी कीमतें गिरने लगती हैं। (२) व्याज की दरें बढ़ने पर उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। यदि

सकानो का किराया नहीं बढ़ता तो गृह-निर्माण कम होने लगता है। जब तक लाभ की दरें नहीं चढ़ती, तब तक कारखानों के लिए भी माग नीचे गिरती रहेगी। (३) व्याज की दर बढ़ने पर पूजापति भी तब तक कम ही उधार लेंगे जब तक उन्हें बहुत बड़े लाभ की आशा न होगी। इससे औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में बाधा पड़ेगी। (४) व्याज की दर बढ़ने से वचत करने का प्रोत्साहन मिलेगा और कालांतर में पूजा की पूर्ति में वृद्धि होगी। (५) बाढ़ों की कीमतों में कमी हो जायगी क्योंकि ऊँचे व्याज पर अपेक्षाकृत कम रकम लगाने से भी वचनपत्रों से उतना ही व्याज मिलेगा।

व्याज की दर कम होने से विपरीत परिणाम होंगे — (१) स्थिर व्याज के बाढ़ की कीमत बढ़ जायगी। (२) वचत करने का उत्साह कम होगा। (३) सट्टेबाजी की वृद्धि होगी और वच्चे माल अथवा अर्धनिर्मित वस्तुओं की माग बढ़ जायगी, क्योंकि रटाँक की कीमत उस अवस्था में कम होगी। (४) औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रगति में सहायता मिलेगी, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि केवल व्याज की दर गिरने से यह नहीं होगा। अधिक लाभ होने की आशा अवश्य होनी चाहिये, नहीं तो केवल व्याज की दर कम होने से व्यवसायी उधार लेने के लिए आकर्षित न होंगे। घोंडे को जल के पास ले जाया जा सकता है, परन्तु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। (५) भवन-निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। (६) यदि व्याज की दर स्वैच्छिक वचत के कारण गिरी होगी तो उपभोक्ता सामग्री की माग कम होगी और उत्पादन सामग्री के लिए बढ़ेगी। उत्पादन के साधन उत्पादन सामग्री के उद्योग की ओर प्रवाहित होंगे। (७) यदि व्याज की दर पूजा की पूर्ति अधिक होने से है, तो उत्पादन के अन्य साधनों के साथ पूजा का अधिक उपयोग होने से उनकी सीमान्त उत्पादन शक्ति में वृद्धि होगी। इससे लगान और मजदूरी बढ़ेगी। (८) कारखानों में वस्तुएँ अधिक धन से चीजें सस्ती होंगी और इससे उपभोक्ता को लाभ होगा।

निर्देश पुस्तकें

Keynes, J M—General Theory of Employment, Interest and Money

Benham, F—Principles of Economics

Marshall, A—Principles of Economics Readings in the Theory of Income Distribution, pp 355-499

Readings in Business Cycle Theory

Meyers, A L—Elements of Modern Economics, 1951, Ch 17

Tarshus, L—Elements of Economics, 1946 Ch 25

Bain, J S—Pricing, Distribution and Employment 1948, pp 384—395

Fisher, J—The Nature of Capital and Interest

Cassel, G—Nature and Necessity of Interest

Stigler, G J—Production and Distribution Theories

Wilson, T—Fluctuations in Income and Employment, Chs 1, 2 and 3

Lakshmi Narasimhan, S—Theories of Interest

अध्याय ३०

लाभ

(PROFITS)

१ लाभ का स्वरूप (Nature of Profits)—लाभ उद्यमी कार्यों की अपेक्षा उद्यमी का पुरस्कार है। ड्रकर (Druker) के शब्दों में “पिछली लागत पर वर्तमान आय की बढ़ती को लाभ कहते हैं। यह वर्तमान आय की पिछले औसत से तुलना करके मापा जाता है यह भूतकाल पर वर्तमान का आगे निकला स्वरूप है।” व्यापारिक दृष्टि से लाभ का यही अर्थ होता है। परन्तु औद्योगिक दृष्टिकोण इससे भिन्न है, यह व्यक्तिगत होने के बजाय सांस्थीय (corporate) है। उत्पादन एक विस्तृत विधि है जब कि व्यापार अति सन्निहित विधि है। अतएव औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था भूत की अपेक्षा भविष्य पर अधिक ध्यान देती है। औद्योगिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से लाभ वर्तमान लागत तथा वर्तमान उत्पादन की भिन्नता से मालूम किया जाता है और यह व्यवसाय में रुके रहने के लिए भावी लागत पर एक प्रकार का पारितोषिक है। और भावी लागत का आशय व्यवसाय में होने वाले विभिन्न प्रकार के जोखिमों से है।

लाभ का अध्ययन कठिनाइयों से परिपूर्ण है। “लाभ का कोई सरल सिद्धान्त (नियम) बनाना कठिन है, जिसमें इसके अन्तर्गत छोटे स्वतन्त्र व्यापारी, बड़े मालिक, कम्पनियों के हिस्सेदार आदि सभी सम्मिलित किए जाएं और उत्तरदायी प्रबन्धकों को अलग रखा जाए।”^१

लाभ अन्य साधनों के प्रतिफल से तीन मुख्य बातों में भिन्न होता है—(क) लाभ बची हुई आय है, न कि अन्य साधनों को मिलने वाली एक बंची आय। (ख) अन्य साधनों के पारिश्रमिक की अपेक्षा लाभ में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होता है। (ग) लाभ ऋणात्मक (negative) भी हो सकता है, लेकिन लगान, मजदूरी और व्याज ऐसा कभी नहीं हो सकते।

२ सकल लाभ का विश्लेषण (Analysis of Gross Profits)—लाभ का वास्तविक स्वरूप समझने का सब से अच्छा उपाय यह है कि उद्यमी की सकल आय का उसके विभिन्न भागों में विश्लेषण कर लिया जाय। उद्यमी को जो कुछ प्राप्त होता है, उस सब को “सकल लाभ” कहा जाता है कि सिर्फ उसके कृत्यों से होने वाला। यह कई तत्वों का सम्मिश्रण है। प्रो० वॉकर पहले अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने इस जटिल अवस्था में से लाभ और व्याज में फर्क करने की कोशिश की। उनके

अनुसार, उद्यमी की आय सिर्फ दो तत्त्वों से बनी है, अर्थात् व्याज तथा लाभ। आधुनिक काल में इस विषय में और अधिक छान-बीन हुई है, जिससे पता चलता है कि शुद्ध लाभ तो बहुत-सी मदों में से एक मद है जो सिर्फ उद्यमी कृत्यों (entrepreneurial functions) से प्राप्ति के रूप में मिलती है। व्यापार से होने वाली कुल प्राप्तियों में से उस रकम को निकाल देना चाहिये, जो ठेकेदारी के आधार पर प्रयुक्त उत्पादन के विभिन्न साधनों को पारिश्रमिक रूप में दी गई है। इस प्रकार भूमि का लगान, मजदूरो का वेतन और पूजा का व्याज घटा देना चाहिये। इसके बाद जो धन बचता है, वह व्यापार का सकल लाभ अथवा सकल आय होती है। इनका निम्नलिखित रूपों में विश्लेषण किया जा सकता है —

(I) प्रायः व्यापार में लगी हुई उद्यमी की निजी पूजा के व्याज को भ्रम से लाभ में शामिल कर दिया जाता है। लेकिन यह लाभ नहीं है, क्योंकि उद्यमी अपनी पूजा को किसी अन्य को ऋण के रूप में देकर उससे व्याज पा सकता है। इसलिए हमें व्याज की चालू दर के अनुसार कुल प्राप्ति में से रकम घटा देनी चाहिए।

(II) उद्यमी की निजी भूमि के किराये को भी लाभ में नहीं शामिल करना चाहिए। वह अपनी भूमि को किसी दूसरे किरायेदार को देकर उससे किराया ले सकता था। अस्तु, उस प्रकार की भूमि का जो चालू किराया हो उसके बराबर कुल आय में से कटौती कर देनी चाहिए।

(III) प्रबन्ध-व्यवस्था पर वेतन के रूप में उद्यमी पर होने वाला व्यय—यह प्रबन्धक के रूप में उद्यमी द्वारा किये गये श्रम का पारिश्रमिक है। वह किसी दूसरी सस्था में वेतन पर यही काम कर सकता था। इसलिए उसे वेतन दिया ही जाना चाहिये और इसको उसका वेतन समझा जाना चाहिये, न कि उसका लाभ।

उक्त तीनों तत्त्व वस्तुतः, उद्यमी के पुरस्कार नहीं हैं, बल्कि पूजापति, जमींदार व प्रबन्धक के प्रतिफल हैं जो बिना उद्यमी हुए भी वह इतना प्राप्त कर सकता है।

(IV) जोखिम उठाने वाले रूप में उद्यमी का पुरस्कार—जोखिम उठाने का कार्य उद्यमी को स्वयं करना होता है। दुर्घटना, आग लगना आदि जैसे कुछ जोखिमों का तो बीमा किया जा सकता है लेकिन अनेक ऐसे जोखिम हैं जिनका बीमा नहीं हो सकता और वे सब उद्यमी को ही उठाने पड़ते हैं।

(V) मजदूर, पूजापति, जमींदार, कच्चे माल की पूर्ति करने वाले तथा उप-भोक्ताओं के साथ सौदा करने की अधिक योग्यता होने के कारण होने वाला उद्यमी का लाभ भी शामिल है।

(VI) तत्पश्चात् एकाधिकार लाभ का भी अंश हो सकता है (देखिए विभाग ६)। यह लाभ अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण होते हैं जिसके अन्तर्गत उद्यमी अधिक कीमत लेकर अथवा प्रयुक्त साधनों को कम पारिश्रमिक देकर अपने लाभ को बढ़ा सकता है।

(VII) सयोगवश होने वाले लाभ—यह लाभ परिस्थितियों के कारण भाग्यवश अचानक हो जाते हैं, जैसे युद्ध छिड़ जाने पर युद्ध के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादकों तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादकों को भी बड़े परिमाण में लाभ होते

हैं। युद्धकाल में अनेक उद्यमियों ने चीजों की माग और फलस्वरूप कीमत बढ़ जाने के कारण भारत तथा अन्य देशों में बहुत बड़े परिमाण में लाभ उठाया था। आकस्मिक लाभ केवल कीमत के तुरन्त ही बढ़ने से नहीं होता। वे स्वाद में परिवर्तन अथवा वस्तु के नये प्रयोग के पता लगने से माग में आकस्मिक वृद्धि से भी हो सकते हैं। आकस्मिक लाभ जनसंख्या में परिवर्तन से भी होगा।

अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्री लाभ-सम्बन्धी अमरीकी दृष्टिकोण को मानते हैं कि लाभ उद्यमी के उन कार्यों का पारिश्रमिक है जो वेतनभोगी प्रबन्धकों को नहीं सौंपा जा सकता। कुछ अर्थशास्त्री जोखिम उठाने व सौदेबाजों से होने वाले लाभ को उद्यमी का "शुद्ध लाभ" मानते हैं जो सकल लाभ से भिन्न है, जैसा कि ऊपर गिनाया गया है। शुद्ध लाभ "वह रकम है, जो उद्यमी को ऐसे जोखिम उठाने से प्राप्त होती है, जिन्हे माग की आशा में उत्पादन की प्रणाली के अन्तर्गत समस्त व्यापार से अलग नहीं किया जा सकता।" "यह वह भुगतान है, जिसे विशेषतः जोखिम उठाने के निमित्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उद्यमी "कुछ" ऐसा कार्य करता है जिसे केवल वही कर सकता है। यह सबसे आवश्यक कार्य माना जाता है। यह "कुछ" प्रबन्ध-कार्य नहीं हो सकता क्योंकि प्रबन्धक वेतन पर रख जा सकते हैं। न यह कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसे उद्यमी किसी अन्य को सौंप सके। अस्तु, यह कहा जाता है कि लाभ वह पुरस्कार है जो उद्यमी को अन्तिम उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेने के लिए मिलता है।"^१ वह उत्तरदायित्व जो दूसरों पर नहीं डाला जा सकता।

अब हम यहाँ लाभ के कुछ सर्वविदित सिद्धान्तों का अध्ययन करेंगे।^२

३ लाभ, जोखिम उठाने का एक पुरस्कार (Profits, a Reward for Risk-bearing)—बहुत से ऐसे लोग हैं, जो जोखिमों का ध्यान रखते हैं और मैदान में आने से पहले हिचकिचाते हैं। व्यापार में जितना ही अधिक जोखिम होता है उतनी ही अधिक लाभ की आशा रहती है। सभी व्यापार में कम या अधिक जोखिम होती है। अतः जब तक जोखिम उठाने वाले को पर्याप्त मात्रा में पुरस्कृत नहीं किया जायगा, व्यापार नहीं प्रारम्भ होगा। चूँकि जोखिम हतोत्साहित करने वाला होता है, इसलिए उद्यमियों की संख्या कम रहती है और जो जोखिम उठाते हैं, उनकी आय पूँजी पर होने वाले साधारण प्रत्याय से बहुत अधिक होती है। इसलिए लाभ को जोखिम उठाने के लिए पुरस्कार माना जाता है।

लाभ का यह सिद्धान्त "हाले" (Hawley)^३ के नाम से सम्बन्धित है। उनके अनुसार "लाभ उद्यमी द्वारा जोखिम उठाने तथा उसके उत्तरदायित्व का पुरस्कार होता है।" इकर चार प्रकार के जोखिम बताते हैं, पुनः स्थापना (replacement) जोखिम (risk proper), अनिश्चितता (uncertainty), तथा प्रयोग से हटना

1 S E Thomas—Element* of Economics, 1939 p 293-294,

2 For history of the theories of Profits see Knight, F H —Risk, Uncertainty and Profit, 1940 Ch II

३. Hawley, F B —Enterprise and the Productive Process, 1907.

(obsolescence)। पुनःस्थापना को आमतौर पर अवमूल्यन (depreciation), कहते हैं, इसको गिना जा सकता है और लागत के रूप में माना जाता है। 'प्रयोग से हटने' को गिना (calculate) नहीं जा सकता परन्तु यह लागत की मुख्य मद है। जोखिम (अर्थात् उत्पाद के बाजार में बेचने की जोखिम) तथा अनिश्चितता लागत नहीं है, परन्तु लाभ के व्यय स्वरूप है। यह व्यवसाय में रुके रहने की लागत कहे जा सकते हैं। प्राकृतिक जोखिम जैसे आग, दुर्घटना आदि की बीमे से रक्षा की जा सकती है। इसलिए इनको लागत में गिना जाता है। लेकिन कई जोखिम ऐसी हैं जिनका पूर्वाभास नहीं हो सकता। इसलिए उनके बारे में निश्चित नहीं हो सकते। इन जोखिमों को उठाने के परिणामस्वरूप ही उद्यमी को पुरस्कार मिलता है।

इसके विपरीत एक यह भी विचार-धारा है कि यद्यपि लाभ में जोखिम उठाने का कुछ पुरस्कार सम्मिलित है तथापि उद्यमी को जो भारी लाभ होता है, उस सबको जोखिम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। उठाये गये जोखिम के साथ उनका आनुपातिक सम्पर्क किसी भी प्रकार नहीं होता। इसके विपरीत कारवर (Carver) का कहना यह है कि केवल जोखिम उठाने से लाभ नहीं होता बल्कि लाभ इसलिए होता है कि अच्छे उद्यमी जोखिम को कम करने में समर्थ होते हैं।¹ हमको यह विरोधाभास प्रतीत होता है कि लाभ इसलिए नहीं होते क्योंकि जोखिम होता है, परन्तु इसलिए होते हैं कि जोखिम को हटा दिया जाता है और उससे कोई सम्बन्ध ही नहीं रह जाता। इस पर भी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि शुद्ध लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है।

४ लाभ का गतिशील सिद्धांत (Dynamic Theory of Profits)
 —यह सिद्धान्त अमरीकी अर्थशास्त्री श्री जे बी क्लार्क (J B Clark) के नाम से सम्बन्धित है। इनका कथन है कि स्थिर विश्व में जहाँ जनसंख्या, पूँजी, मानव इच्छाओं का परिमाण व गुण, उत्पादन की प्रणालियाँ, टैकनीकल ज्ञान, व्यापार का सगठन आदि एक ही स्थिति में रहते हैं, वहाँ प्रतियोगिता के प्रभाव से लाभ की प्रवृत्ति लोप होने की ओर रहती है। लाभ विक्रय मूल्य व लागत के बीच के अन्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह लागत के ऊपर का आधिक्य या अतिरेक होता है। लेकिन सघर्षणहीन ढंग पर प्रतियोगिता चलती रहे तो यह आधिक्य लुप्त हो जाता है। जहाँ वही आधिक्य होगा, उत्पादन में वृद्धि होने से कीमत घटेगी। इस प्रकार आधिक्य लुप्त हो जायगा। "स्थिर अवस्था में प्रत्येक साधन को जो वह पैदा करता है प्राप्त कर लेता है, और चूँकि लागत तथा विक्रय कीमत सदैव समान रहती है, मजदूरी के अलावा जो निरीक्षण कार्य है,² कोई लाभ नहीं होगा।" स्थिरता की स्थिति में लोग हर बात को जानते हैं और जान सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोई जोखिम या अनिश्चितता नहीं होती और इसलिए लाभ नहीं होता।

परन्तु हम स्थिरता की स्थिति में नहीं रह रहे हैं। हमारा विश्व गतिशील है और

1 Carver—Distribution of Wealth, p 274

2. Knight, F H —Risk, Uncertainty and Profit, 1940, p 33

इसमें निरन्तर परिवर्तन होने रहते हैं। कुशल उद्यमी पहले से ही इन परिवर्तनों को जानता है। वह अग्रगामी है। वह आविष्कारो या अन्य किसी प्रकार से लागत को घटाकर लाभ प्राप्त करता है। दूरदर्शी, साहसी और कुशल उद्यमियों के लिए अपने अनुकूल स्थिति बना कर लाभ करने के निमित्त परिवर्तनशील विश्व में असीम अवसर होते हैं। इनके लिए आगे बढ़ना और लाभ प्राप्त करना केवल इमीलिए सम्भव है कि विश्व गतिशील है। स्थिरता की स्थिति में लाभ गायब हो जायेंगे और उद्यमी व्यवस्था का वेतन ही प्राप्त करेंगे।

प्रोफेसर नाईट का यह मत है कि केवल उन्हीं परिवर्तनों से लाभ होगा, जिनके विषय में पहले से कुछ नहीं जाना जा सकता और जिनके लिए पहले से कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। अन्य परिवर्तनों से लाभ नहीं होगा। उनका कहना है "ऐसे कौ परिवर्तन न कहेंगे जिसको पहले से जाना जा सकता है। क्योंकि यदि 'परिवर्तन' पहले से जान लिया जायेगा, जैसा कि बहुधा होता है, तो लाभ न होगा। 'परिवर्तन' ऐसी परिस्थिति ला सकता है जिसमें लाभ हो परन्तु यह तभी होगा जब वह भविष्य के विषय में अज्ञान लायेगा।"¹ अतएव नाईट के अनुसार परिवर्तन के वजाय यह भविष्य का अज्ञान अथवा अनिश्चितता है जिससे लाभ होते हैं।

५. लाभ, अनिश्चितता का भार उठाने का पुरस्कार (Profits, a Reward for Uncertainty-bearing)—प्रोफेसर नाईट के अनुसार जोखिम उठाने (जो उद्यमी का विशेष कार्य है) के वजाय अनिश्चितता वहन करना ही वह कारण है जिससे लाभ होता है। हम यह देख चुके हैं कि कुछ जोखिम ऐसे हैं, जो पहले से ही विदित होते हैं और जिनके लिए व्यवस्था कर ली जाती है। मृत्यु के जोखिम और अग्निकांड, जहाज डूबने जैसी दुर्घटनाओं के जोखिम ऐसे हैं, जिनको पहले से निश्चित किया जा सकता है। बीमा कम्पनिया प्रीमियम के रूप में प्राप्त होने वाले धन के बदले इन जोखिमों को अपने ऊपर ले लेती हैं। इस प्रीमियम के भुगतानों को उत्पादन की लागत में शामिल कर लिया जाता है। इन जोखिमों के बदले में उद्यमी को लाभ नहीं मिलता। इसलिए जोखिम उठाने का काम उद्यमी का नहीं बल्कि बीमा कम्पनियों का हो सकता है।

लेकिन प्रोफेसर नाईट उन जोखिमों को जोखिम नहीं मानते जिनके विषय में पहले से नहीं जाना जा सकता। वे उन्हें 'अनिश्चितता' मानते हैं। जोखिम उन्हीं खतरों को कहा जाता है, जिनके विषय में पहले से जानकारी रहती है या जिन्हें पहले से जाना जा सकता है। उद्यमी को अनिश्चितताओं को वहन करने का पुरस्कार मिलता है न कि जोखिम उठाने का।

जिस प्रकार प्रतीक्षा करना (पूजी) उत्पादन का साधन माना गया है, उसी प्रकार अनिश्चितता वहन करने को भी उत्पादन के साधन का दर्जा दिया गया है। उत्पादन के अन्य साधनों के समान अनिश्चितता वहन करने का भी एक पूर्ति-मूल्य होता है,

अर्थात् जब तक निश्चित प्रत्याय की आशा नहीं होती, किसी भी उद्यमी को अनिश्चितता का सामना करने के लिए प्रलोभन नहीं दिया जा सकता। एक साहसी और धनवान उद्यमी, जिसने अपने धन के बड़े भाग को उद्योग में लगाने का इरादा कर लिया है वही अनिश्चितता वहन कर सकता है। एक उद्यमी जो कि अपनी पूजा के छोटे भाग की अपेक्षा बड़ा भाग उद्योग में लगाने के लिए तैयार है, उसके लिए यह आवश्यक है कि उसे अधिक लाभ हो।

यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि अनिश्चितता वहन करने और पूजा के मिलने से ही उद्यमी को अच्छे लाभ के रूप में पुरस्कार मिलता है। अकेली पूजा निर्जीव है और बिना पूजा के अनिश्चितता वहन करना अर्थहीन है। केवल पूजा ही जोखिम पर लगाई जा सकती है। इन दोनों का योग मुश्किल से ही होता है। कल्पनाशील मस्तिष्क के उद्यमी के पास थोड़ी ही पूजा हो सकती है। दूसरी ओर एक व्यक्ति असाधारण रूप में धनी हो सकता है। किन्तु सम्भव है वह डरपोक हो।

लाभ के एक कारण के रूप में “अनिश्चितता वहन करने” के इस सिद्धान्त की निम्नलिखित आवारो पर आलोचना की जाती है —

(१) अनिश्चितता ही केवल-मात्र वह कारण नहीं है जो उद्यमियों की पूर्ति को सीमित करता है। पूजा, ज्ञान एवं अवसर का अभाव, आर्थिक सघर्ष का होना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो उद्यमियों की पूर्ति को सीमित करते हैं।

(२) अनिश्चितता वहन करना ही उद्यमी का कार्य नहीं है। जो लाभ वह प्राप्त करता है, वह अनेक प्रकार की सेवाओं का प्रतिफल होता है। वह उद्योग को स्थापित करता है, मग्नित करता है, सौदे करता है।

अनिश्चितता वहन करने को उत्पादन के साधन का दर्जा नहीं दिया जा सकता यह धन की लागत से भिन्न उस वास्तविक लागत का एक अंग है, जिसका अर्थ शक्ति लगाना, आत्मत्याग, बलिदान आदि हो सकता है। सामान्यतः वास्तविक लागत के रूप में लागत को नहीं आका जाता। हम जानते हैं कि पूजा उत्पादन का एक साधन है किन्तु पूजा वचाने के लिए आत्मत्याग आवश्यक नहीं है।

६ एकाधिकार और लाभ (Monopoly and Profits)—अभी तक हमने यह माना है कि नियोजक (employer) प्रतियोगिता की स्थिति में काम कर रहा है। दीर्घावधि में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में लाभ नहीं होता। जब प्रतियोगिता नहीं है या अचूरी अथवा दोषयुक्त है, तब उद्यमी अपनी वस्तुओं की पूर्ति या साधनों की मांग पर प्रतिबन्ध लगाकर, यदि ऐसे साधनों को खरीदने का उसको एकाधिकार है, अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकता है। एकाधिकारी व्यापार क्षेत्र में नई फर्मों के प्रवेश पर नियन्त्रण लगा कर, करार (agreements) तथा पेटेंट (एकस्व) आदि द्वारा, तथा ऐसे ही अन्य उपायों से एकाधिकार लाभ उठाने की स्थिति में रहता है। लेकिन एकाधिकार लाभ का सबसे सामान्य लाभ एकाधिकार प्रतियोगिता अथवा उत्पाद विभेद (product differentiation) में है।

“एकाधिकार लाभ का नव नवप्रवर्धन लाभ (innovation profit) अथवा

पहल करने के कारण भी होता है। वह फर्म जो नया माल तैयार करती है, या किसी प्रकार के नये माल (material) की खोज की है, अथवा कोई नई मण्डी खोजी है तो वह उस दशा में तब तक लाभ कमाती रहेगी जब तक दूसरे प्रतिद्वंदी नहीं खड़े होते। चूकि प्रतियोगिता का अभाव रहता है, आशिक अथवा पूर्णरूप में नवव्रवर्तन अथवा पहले से होने वाले लाभों को एकाधिकार लाभ माना जा सकता है।

वास्तविक जगत् में चूकि परम एकाधिकार (absolute monopoly) दुर्लभ है, इसलिए अपूर्ण प्रतियोगिता के बहुत से केस सामने आते हैं। इसलिए एकाधिकार लाभ इतना दुर्लभ नहीं है जितना माना जाता है। वास्तव में इसके तत्त्र प्रत्येक व्यापार में पाए जाते हैं।

७ लाभ और मजदूरी (Profits and Wages)—लाभ और मजदूरी के सम्बन्ध का दो दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम दृष्टिकोण समाजवादीयों का है, और वह यह है कि लाभ मजदूरी के परिश्रम के फल का केवल एक निकाला हुआ भाग है। इस विचारवारा के अनुसार लाभ न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे वेतन प्राप्त करने वालों पर प्रभाव डालकर उपाजित किये जाते हैं। दूसरी विचारवारा प्रोफेसर टासिग की है। वे लाभ को मजदूरी का केवल एक विशेष रूप मानते हैं।

जहां तक समाजवादी दृष्टिकोण का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत एक ही प्रकार के श्रम की मजदूरी की दर एक ही उद्योग में समान होती है, जिससे नियोजक को लाभ नहीं होता। वह भी उतनी ही मजदूरी देता है जितनी ऊँचे लाभ पाने वाला देता है। अच्छा और योग्य नियोजक इसलिए ऊँचे लाभ उपाजित नहीं करता कि वह कम मजदूरी देता है वह ऐसा प्रतियोगिता की दशा में नहीं कर सकता, बल्कि वह अपनी अधिक अच्छी सगठन योग्यता और अनिश्चितता वहन करने की शक्ति के कारण अधिक लाभ प्राप्त करता है। वह अपने प्रतिद्वन्दी से कम लागत पर उत्पादन कर सकता है।

अब हम प्रोफेसर टासिग (Taussig) के इस मत पर विचार करेंगे कि लाभ केवल एक विशेष प्रकार के श्रम के लिए दी गई मजदूरी के समान है। टासिग का कथन है कि "लाभ मजदूरी का एक सर्वमान्य रूप है।"

टासिग के इस विचार को क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता। मजदूरी और लाभ में अनेक मौलिक अन्तर हैं जो इस प्रकार हैं — (१) लाभ जोखिम और अनिश्चितता का भार वहन करने का पुरस्कार है। मजदूर यह जोखिम नहीं उठाता। मजदूरी या पुरस्कार मुख्यतः उसके द्वारा किए गये श्रम के लिए है। नियोजक को जोखिम की तुलना में उसका जोखिम महत्त्वहीन है। (२) मजदूरी की वजाय लाभ में सयोग का तत्त्र अधिक होता है। मजदूरी निर्दिष्ट और निश्चित आय है जब कि लाभ अनियमित और अनिश्चित होता है। इस प्रकार मजदूरी लाभ से अधिक यथार्थ अर्थ में 'अर्जित' आय है। (३) लाभ का एक बड़ा भाग प्रतियोगिता की अपूर्णताओं के कारण होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत, जब कि लाभ की प्रवृत्ति वृद्धि की ओर होती है, तो मजदूरी की प्रवृत्ति गिरावट की ओर रहती है। इसके कारण पहले बताये

जा चुके हैं।

८ क्या लाभ लगान का एक रूप है ? (Is Profit a Kind of Rent ?)—लाभ के सम्बन्ध में एक दूसरी विचारधारा के अनुसार इसे लगान से मिलता-जुलता माना गया है। लाभ का "लगान सिद्धान्त" अमरीकी अर्थशास्त्री एफ ए वाकर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अंग्रेजी अर्थशास्त्र सिद्धान्त में उसने सर्व-प्रथम पूजीपति और नियोजक में भिन्नता के मत को निश्चित किया। उद्यमी के लिए पूजीपति होना आवश्यक नहीं है। वह बिना अपनी पूजी का प्रयोग किये किसी व्यापार को प्रारम्भ कर सकता है।

वाकर लाभ को योग्यता का लगान स्वरूप मानते हैं। जिस प्रकार भूमि के विभिन्न वर्ग हैं, ठीक उसी प्रकार उद्यमियों के भी भिन्न-भिन्न वर्ग हैं। कम योग्यता का उद्यमी, जिसे वर्तमान माँग की पूर्ति के लिए उत्पादन क्षेत्र में रहना है, अपने उत्पादन की लागत को ही केवल निकाल पाता है। उसके ऊपर विभिन्न श्रेणी की योग्यता के श्रेष्ठतर उद्यमी हैं। जिस प्रकार सीमान्त भूमि से श्रेष्ठतर भूमि में पार्थक्यपूर्ण सुविधा होती है, उसी प्रकार लाभ भी अलाभकर्ता उद्यमी या सीमान्त उद्यमी से अधिक योग्य उद्यमी को पार्थक्यपूर्ण योग्यता के लिए प्राप्य पुरस्कार है। इसी प्रकार लाभ भी लगान के समान है और लगान की भाँति कीमत में शामिल नहीं होता। व्यवस्था-सम्बन्धी वेतन लाभ नहीं है। सीमान्त नियोजक केवल व्यवस्था-सम्बन्धी वेतन अर्जित करता है, और कुछ नहीं। कीमत और लागत में थोड़ा भी विपरीत हेरफेर होने पर वह नियोजक की अपेक्षा कर्मचारी के रूप में कार्य करना अधिक पसन्द करेगा। इस प्रकार उद्यमियों की पूर्ति को जारी रखने के लिए व्यवस्था-सम्बन्धी वेतन का भुगतान करना ही होगा। अस्तु, इस प्रकार वेतन कीमत में शामिल होता है।

इस सिद्धान्त में भी वही कमजोरी है, जैसा कि "रिकाडों" के लागत सिद्धान्त में है। जो नियोजक परिस्थितियों में तनिक सी विपरीत उलट-फेर होने पर ही व्यापार छोड़ देता है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कम योग्य हो। वह योग्यता में और अधिक ऊँचा हो सकता है तथा और अधिक लाभप्रद दूसरा काम उसे आकर्षित कर सकता है।

विशेषतः यह सिद्धान्त लाभ के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या नहीं करता। यह केवल लाभ का एक माप-दण्ड उपस्थित करता है।

यह कहना गलत है कि लाभ कीमत में शामिल नहीं होता। अल्पकाल में ऐसा नहीं होता, किन्तु दीर्घकाल में लाभ कीमत में शामिल होता है। उद्यमी जोखिम उठाने का आवश्यक कार्य करता है। और जब तक वस्तु की कीमत इतनी ऊँची नहीं होती कि वह इसके लिए नियोजक की क्षतिपूर्ति करे, नियोजक की पूर्ति घट जायगी। जब तक कि जोखिम उठाने की सेवाओं के लिए भुगतान करने की कीमतें पर्याप्त ऊँची नहीं हो जाती।

कुछ नियोजकों को भारी लाभ हो सकते हैं और कुछ दूसरों को भारी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। दीर्घ अवधि में जब औसत लिया जाता है तब कल्पित

आधिक्य गायब हो जाता है ।

अन्त में लाभ की मात्रा स्पष्ट करने में भी यह सिद्धान्त असफल रहता है । श्रेष्ठतर नियोजको के अभाव के कारण लाभ की भिन्नता होती है । पर ऐसा अभाव होता क्यों है ? भूमि के अभाव का कारण प्राकृतिक सीमाएँ हैं । उद्यमियों के वारे में ऐसी सीमाएँ नहीं हैं । लाभ के सिद्धान्त को इस प्रकार के अभाव का स्पष्टीकरण करना ही चाहिए ।

इस प्रकार लगान की भाँति लाभ में भिन्नता के तत्त्व होने से श्रेष्ठतर उद्यमी उच्चतर लाभ अर्जित करते हैं , लेकिन सामंजस्यता का अन्त यही हो जाता है । विना लगान की भूमि रह सकती है, किन्तु विना लाभ के उद्यमी नहीं रह सकते । लगान कीमत में शामिल नहीं हो सकता परन्तु साधारण लाभ हो सकते हैं । इस कारण भूमि की पूर्ति होगी, चाहे लगान हो या न हो, लेकिन उद्यमियों की पूर्ति को तब तक कायम नहीं रखा जा सकता, जब तक कि लाभ का भुगतान न हो । यद्यपि प्राप्त लाभ कीमत में शामिल नहीं होते, तथापि लाभ की आशाये या प्रत्याशित लाभ कीमत में शामिल होते हैं । लेकिन दीर्घावधि में लाभ की आशाओं को प्रभावित करके प्राप्त लाभ भी कीमत में शामिल हो जाते हैं ।

६. सामान्य या साधारण लाभ (Normal Profits)—कुछ लेखक साधारण लाभ के दृष्टिकोण को व्यवहार में लाते हैं । अनिश्चितता और अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण जो आधिक्य होता है, वह गतिशील या परिवर्तनशील स्थिति की घटना है । जैसा कि प्रोफ़ेसर नाईट सकेत करते हैं कि साधारण लाभ समता की परिस्थिति से सम्बन्धित है और उनका सम्बन्ध ऐसी स्थिति से होता है, जिसमें परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी आशा पहले से की जा सकती है । परिवर्तन से पूर्णतः खाली विश्व की कल्पना करना कठिन है । लेकिन हमारे अनेक समाज, विशेषतः पुराने स्थापित समाज ऐसे हो सकते हैं जिनमें स्थितियाँ स्थिर होती हैं और व्यवसाय के तरीके दैनिक कार्यों जैसे हो जाते हैं ।

साम्यावस्था या स्थिर समाज में साधन, कम या अधिक, निश्चित हो जाते हैं और उनका विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार वितरण होता है कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का उद्देश्य ही नहीं रह जाता । किसी फर्म को उद्योग में प्रवेश करने अथवा छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती । अस्तु, न्यूनतम अनिश्चितता और पूर्ण प्रतियोगिता रहेगी । ऐसी दशा में शुद्ध लाभ की प्रवृत्ति प्रायः समाप्त होगी और उद्यमी लोग केवल निरीक्षण का वेतन अर्जित करेंगे । अतः व्यावहारिक रूप में साधारण लाभ केवल व्यवस्था-सम्बन्धी आय रह जायगी । किसी उद्यमी को उद्योग में बनाए रखने के लिए ये कारण पर्याप्त हैं ।

यदि प्रतियोगिता पर कोई रोक न हो और परिवर्तन के वारे में पहले में आशा लगाई जा सके तो प्रगतिशील स्थिति में भी इससे मिलने-जुलने परिणाम हो सकते हैं । चूँकि परिवर्तनों में समता नहीं होती, इसलिए उद्यमी कुछ उद्योगों में अन्य उद्योगों से अधिक उच्चतर लाभ अर्जित करने में समर्थ हो सकते हैं ।

यदि अनिश्चितता की स्थिति न भी हो तो भी गतिशील विश्व में आधिक्य लाभ (surplus profits) हो सकते हैं। यदि अवधि अल्प हो तो यह केवल अस्थायी दशा होगी। साधारण से अधिक लाभ देने वाले उद्योग, उद्यमी की क्षमता के अन्य साधनों को आकर्षित करेंगे। ऐसे उद्योगों के लाभ के दर गिरने लगेंगे। जिन उद्योगों में ऐसे साधन नष्ट होने लगते हैं, उनमें लाभ की वृद्धि तब तक होगी जब तक उसका साधारण स्तर नहीं स्थिर हो जाता। किन्तु गतिशील विश्व में यह आवश्यक नहीं है कि साधारण लाभ ठेके पर रखे गये प्रबन्धक के वेतन के समान हो, भले ही उसमें अनिश्चितता न भी हो? परिवर्तन का अस्तित्व बना रहने का अर्थ उद्यमी पर स्थिर राज्य से अधिक उत्तरदायित्व का भार रहना होगा, भले ही उसके विषय में पहले से ही आशा लगाई गई हो। उद्यमियों की पूर्ति को जारी रखने के लिए उनको ऐसा भार वहन करने का प्रोत्साहन दिया ही जाना चाहिए। लेकिन व्यवस्था सम्बन्धी व्यय के ऊपर उस अतिरिक्त भुगतान को प्रतियोगिता की शक्तियों की सकीर्ण सीमा के अन्दर रखा जायगा।

गतिशील विश्व में, प्रतियोगिता में भी अनिश्चितता के तत्त्व के साथ लाभ को स्थायी रूप में साधारण स्तर से ऊपर रखा जा सकता है। जहाँ एकाधिकारी के हाथों में पूर्ति है और माग लोचदार नहीं है, वहाँ साधारण लाभ भी स्थायी रूप में हो सकते हैं, चाहे अनिश्चितता की स्थिति रही हो या नहीं।

यह ध्यान देने की बात है कि अनिश्चितता कोई स्थायी नहीं है। अनिश्चितता की श्रेणिया (degrees) होती हैं। अनिश्चितता की जितनी ऊँची श्रेणी होगी, उतना ही लाभ अधिक होना चाहिये, जिससे उद्यमियों के जोखिम उठाने की क्षतिपूर्ति हो सके।

१० क्या लाभ में समानता की ओर प्रवृत्ति होती है? (Do Profits tend to Equality?)—यहाँ भी हम सीधा उत्तर नहीं दे सकते। यह उस समय की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। समता की स्थिति में निरीक्षण के वेतन के अर्थ में लाभ समान हो जायगा। शुद्ध लाभ लोप हो जायगा। ऐसे समाज में, जिसमें परिवर्तन उपस्थित है, किन्तु अनिश्चितता नहीं है, लाभ समानता की ओर जायगे, जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है। योग्यता में भिन्नता होने के कारण भिन्नताएँ भी पूर्णतः अनुपस्थित रहेंगी। लेकिन प्रतियोगिता की शक्ति के द्वारा इन भिन्नताओं को सकीर्ण रखा जायगा। अतः यह कहा जा सकता है कि जितना ही अधिक उद्योग का दैनिक कार्य जैसा स्वरूप होगा, उतना ही अधिक लाभ का झुकाव समानता की ओर होगा। यदि समय लम्बा हो और प्रतियोगिता पर प्रतिबन्ध न रहे, तो अल्पकाल में असमानताएँ रह सकती हैं।

परन्तु जब हम परिवर्तनशील समाज के विषय में विचार करते हैं, जहाँ अनिश्चितता मुख्य है, तो दीर्घावधि में भी लाभ का झुकाव समानता की ओर नहीं होता। यहाँ लाभों में पर्याप्त विभिन्नताएँ हो सकती हैं।

११ लाभ तथा सीमान्त उत्पादन-शक्ति (Profit and Marginal Productivity)—क्या हम लाभ पर सीमान्त उत्पादनशक्ति का सिद्धान्त लागू कर सकते हैं? नामान्यतः हाँ। सीमान्त उत्पादनशक्ति, जिसकी हम व्याख्या कर चुके

है, दुर्लभता तथा माग के बीच के सम्बन्ध की अभिव्यक्ति है। उद्यमियों का अभाव क्यों है तथा उनकी पूर्ति बढ़ाना क्यों सरल नहीं है। उत्पादन की आधुनिक दशाओं में उद्यमियों, विशेषतः अद्भुत योग्यता वाले उद्यमियों की माग बढ़ी है। उद्यमियों की सीमान्त उत्पादनशक्ति ऊँची है, और इसीलिए लाभ ऊँचे हैं। जितना ही अधिक अनिश्चितता रहेगी, व्यापार को सफल बनाने के लिए पर्याप्त ऊँची योग्यता के नियोजकों का उतना ही अधिक अभाव रहेगा, और फलस्वरूप उतने ही ऊँचे लाभ होंगे।

अन्य साधनों की तुलना में उद्यमियों की सीमान्त उत्पादनशक्ति के सिद्धान्त को लागू करने में केवल यही अन्तर है कि यहाँ प्रतियोगिता की शक्तियाँ प्रत्यक्षरूप में काम करती हैं, जब कि अन्य साधनों के मामलों में वे नियोजकों के द्वारा कार्य करती हैं। अन्तिम सारतत्त्व वही है। समाज की प्रतियोगितापूर्ण भागों को सन्तुष्ट करना आवश्यक है और इस प्रकार उद्यमी-विषयक योग्यता के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। प्रतियोगिता की शक्तियाँ समान योग्यता के नियोजकों के लाभ को समान करती हैं।

यह सिद्धान्त जितना स्पष्ट रूप में मूल्य के अन्य विषयों पर लागू होता है, उतना स्पष्ट रूप में लाभ पर नहीं लागू किया जा सकता। ऐसा इस कारण से कि नियोजक जटिल कार्यों को सम्पादित करता है तथा अनिश्चितता के नियोजक भी होते हैं, जिनको सीमान्त कहा जा सकता है। इस अर्थ में कि वे इस सन्देह में रहते हैं कि नियोजक बने रहे या वेतन-भोगी प्रबन्धक बन जायें—तथापि एक वर्ग के रूप में नियोजकों के अभाव के कारण लाभ व्यवस्था-सम्बन्धी वेतन (मजदूरी) के स्तर पर नहीं पहुँचते।

लाभ के निर्धारण-सम्बन्धी निष्कर्ष (Conclusions regarding the Determination of Profits)—अन्त में, लाभ के निर्धारण के विषय में हम यह कह सकते हैं कि कोई भी सिद्धान्त लाभ की व्याख्या करने के लिए उपयुक्त नहीं है। भिन्न-भिन्न विचार, उद्यमी के कार्यों के भिन्न-भिन्न अंगों पर जोर देते हैं। वास्तविक कठिनाई इस बात से उपस्थित होती है कि लाभ एक ही प्रकार की आय नहीं है। यह उद्यमी के कार्यों के मिले-जुले रूप के कारण मिली-जुली आय है। उदाहरणार्थ, उपक्रमी जोखिम उठाता है, अनिश्चितता वहन करता है, योजना बनाता है, सूत्रपात करता है, निर्णय करता है, आदि अनेक प्रकार के कार्य करता है। इनमें से कोई भी कार्य लाभ के वास्तविक रूप की व्याख्या नहीं कर सकता। विभिन्न कार्यों के, जिसके लिए लाभ भुगतान होते हैं, अनुसार लाभ के भागों में इसका विभ्लेषण करने मात्र से भी लाभ के निकलने की व्याख्या नहीं की जा सकती। एक सही सिद्धान्त को इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए कि सगठन-संबन्धी योग्यता का इतना अभाव क्यों है? इसका कारण यह है कि उद्यमी-विषयक विलक्षण योग्यता के लिए माग को देखते हुए इसी अभाव के हेतु वह आधिक्य निकलता है, जिसे अनिश्चितता और परिवर्तन के आधुनिक विश्व में शुद्ध लाभ कहा जाता है। सफल उद्यमी के लिए अति आवश्यक योग्यताओं (कल्पना, सगठन, क्षमता, निर्णय, साहस आदि) का इतना अभाव क्यों है, इस बात का स्पष्टीकरण ऐसे सिद्धान्त को अवश्य करना चाहिए। कहा तक यह सीमा प्राकृतिक कारणों से है तथा कहा तक वातावरण के कारण? इस सिद्धान्त को एकाधिकार के

तत्त्व और सयोगवश होने वाली प्राप्तियों के कारण होने वाले अलौकिक लाभों की भी व्याख्या अवश्य करनी चाहिए। विशेषतया मुद्रासवधी साधनों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती और न हम समाज के वर्तमान अगो की भिन्नता के प्रभाव की, जो गतिशीलता और अवसर को सीमित करता है, उपेक्षा कर सकते हैं। इन जटिलताओं के कारण अभी तक लाभ का कोई विस्तृत सिद्धान्त नहीं निकाला गया है।

१२ लाभ के कार्य (The Functions of Profit)^१—साधारणतया यह सोचा जाता है कि लाभ उद्यमी को होता है तथा इसका भार उपभोक्ता अथवा साधारण जनता पर पड़ता है। यह अनुमान किया जाता है कि व्यक्तिगत उद्यमी तथा सामाजिक हितों में अथवा, पीगू के शब्दों में, व्यक्तिगत उत्पादन और सामाजिक उत्पादन के हितों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है।

परन्तु ऐसा विचार केवल एक भ्रम है। संघर्ष के वजाए, दोनों के बीच अर्थात् उद्यमी क्या पाता है और समाज क्या देता है, बड़ी अनुरूपता है। झगडा केवल दिखावट के लिए है। समाज का रूप चाहे जिस प्रकार का हो—पूजावाद, समाजवाद, साम्यवाद अथवा फासिज्म—लाभ बड़ा महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी कार्य करता है।

परोपकार से प्रभावित उद्यमी समाज के क्षेत्र को बढ़ाने में अपने कर्तव्य, उनके साथ श्रमिक बनकर काम करने वाले तथा बजाय लाभ लेने के “जनता को सुखी बनाने में अपने कर्तव्य के विषय में चाहे जो कुछ कहे, परन्तु आर्थिक उद्यम का सबसे पहला कर्तव्य आर्थिक प्रयोग (कार्य) है, जिसका अर्थ प्रतिपादित साधनों को बनाए रखना है।” सामूहिक उद्यम का इन साधनों को बनाए रखना अपनी ओर तथा समाज की ओर पहला कर्तव्य है। यदि इसमें वह असफल होता है तो यही नहीं कि वह अपने अतिजीवन की शक्ति को नष्ट करता है बल्कि समाज को भी कमजोर बनाता है।” उद्यमी को अपने साधनों को बनाए रखने के लिए हानि न होने देना चाहिये तथा लाभ के साधारण दर के लिए कार्य करना चाहिये।

हर व्यक्तिगत उद्यमी का अपने अतिजीवन के संघर्ष में (१) व्यवसाय की वर्तमान लागत और, (२) व्यवसाय में रुकने के कारण बताए गए चार प्रकार के जोखिमों (पुनः स्थापना, जोखिम, अनिश्चितता तथा प्रयोग से हटाना) को पूरा करने का कर्तव्य है। परन्तु इसके अतिरिक्त दो कर्तव्य और हैं जिनको लाभ प्राप्त करने वाले उद्यमी को पूरा करना चाहिये। (३) एक तो डूकर के अनुसार ‘ड्राई होल्स’ भरना चाहिए, अर्थात् सामाजिक दृष्टिकोण से एक सफल उद्यम (enterprise) को अकुशल उद्यम की हानि को पूरा करना चाहिए। “जिस प्रकार कि एक उत्पादक तेल के कुए को सूखे झिद्र में ले जाए गये नल तथा श्रम की लागत को पूरा करना पड़ता है, इसी प्रकार एक सफल कम्पनी को दूसरी असफल कम्पनी की हानि को पूरा करना चाहिये।” यह बीमा का सिद्धान्त है। व्यक्तिगत उद्यमी इन ‘ड्राई होल्स’ की चिन्ता चाहे न करे, परन्तु ऐसा समाज नहीं कर सकता (४) इसीलिये लाभदायक उद्यम को

1 See P F Drucker on “The Function of Profit” in Fortune, March, 1949

‘ड्राई होल्स’ की हानियों को पूरा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये। इसके अतिरिक्त लाभ को एक और कार्य करना चाहिये। वह है सामाजिक भार का उत्तरदायित्व। सफल औद्योगिक उपक्रमों को सामाजिक सेवाओं अथवा सामाजिक सुरक्षा उदाहरणार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, गरीबों की सहायता, वृद्धों की पेशान, मातृत्व सहायता, रक्षा, नागरिक राज्य शासन आदि की लागत का भार सहना चाहिये।

लाभ को यह चार कार्य आवुनिक औद्योगिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करने पड़ते हैं। परन्तु कोई भी आवुनिक समुदाय केवल इससे सतुष्ट नहीं होते कि वे केवल जीवित अथवा बने रहें। उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि तथा उन्नति के लिए इसका प्रबंध करना चाहिए। अर्थव्यवस्था को उत्पादन के केवल नये साधनों के प्रयोग से ही नहीं, बल्कि वर्तमान साधन के अच्छे प्रयोग से विस्तृत करना चाहिये। यह साधारण ज्ञान की बात है कि यान्त्रिक कला में सुधार से उद्योग की सभी शाखाओं में प्रति मनुष्य कई गुना उत्पादन बढ़ गया है। यह सब लाभ के परिणाम हैं।

अन्त में हम यह कह सकते हैं लाभ का दर इस बात का सूचक है कि समुदाय के साधन किस ओर प्रयोग में लाए जायें। यह पर्याप्त साधन के अनुकूलतम वटवारे (optimum allocation) का मार्गदर्शक है। आर्थिक पद्धति चाहे जैसी हो, कोई भी समुदाय अपने साधनों से अधिकाधिक लाभ उठाने की आवश्यकता को अवश्य मानेगा। बिना हानि उठाए इसे भूलाया नहीं जा सकता। यह हानि अर्थ-व्यवस्था का अस्त-व्यस्त होना है। साम्यवादी समाज में भी साधन सीमित और आवश्यकताएँ असीमित होती हैं। लाभ की दर चाहे जिसकी जेब में जाए, विनियोग (investment) का मार्गदर्शक है। अतएव समाजवादी अथवा साम्यवादी व्यवस्था में लाभ को बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है।

निर्देश पुस्तके

- Schumpeter, J —Theory of Economic Development.
 Knight, J —Risk, Uncertainty and Profit
 Taussig, F W.—Principles, Vol II.
 Benham, F —Economics
 Readings in the Theory of Income Distribution, pp 547—571.
 Meyers, A L —Elements of Modern Economics, 1951, Ch 19.
 Summer, M Statcher—An article entitled “Are Profits Too High ?”
 Atlantic Monthly, July 1948
 Peter F. Daucher—“The Function of Profit” in Fortune.
 Knight, F. H —Article on “Profit” in Encyclopaedia of Social Sciences.

विनिमय की कार्यविधि

(MECHANISM OF EXCHANGE)

द्रव्य का रूप तथा कार्य

(The Nature and Functions of Money)

१ द्रव्य का अर्थ (Meaning of Money)—वस्तुओं के विनिमय अथवा मूल्य के निर्धारण के विषय में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। हमने द्रव्य को भी मान लिया है। अब हम द्रव्य तथा द्रव्य-व्यवस्था के बारे में विचार करेंगे। द्रव्य क्या है? उसका क्या कार्य है? उसे चलन में कौन लाता है तथा उसकी क्या शर्तें होती हैं? यह वे कुछ प्रश्न हैं जिन पर अब हम विचार करेंगे।

“भिन्न-भिन्न लेखकों ने द्रव्य (money) की भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। कुछ कहते हैं कि “द्रव्य वह है जो द्रव्य का कार्य करता है।” दूसरे शब्दों में जो भी द्रव्य का कार्य करते हैं, वे द्रव्य हैं। व्यापक रूप में द्रव्य विनिमय का आधार है। सोना, चादी, तावा, कागज, चेक, व्यावसायिक वित्त आफ एक्सचेंज अर्थात् हुडी, आदि। यह व्याख्या काफी विस्तृत है। चेको, विलो आदि को प्रतिनिधि द्रव्य (representative money) कहा गया है क्योंकि वे मूल्य के मापदण्ड के सुविधाजनक प्रतिनिधि हैं। कुछ लेखक व्याख्या को सीमित कर देते हैं। और वे उसी वस्तु (अर्थात् सोना) को सम्मिलित करते हैं, जो मूल्य का कार्य कर सके। यह द्रव्य की सूची से बैंक नोटो, सरकारी करेंसी नोटो आदि को पृथक् कर देता है। तर्क की दृष्टि से इन्हें पृथक् नहीं किया जा सकता क्योंकि हम फिलहाल देखेंगे कि उनमें अच्छे द्रव्य के सभी गुण पाये जाते हैं। साधारणतया स्वीकृत मत यह है कि “भुगतान और विनिमय के प्रत्येक माध्यम को जिनका ऋण के भुगतान में कानूनन प्रयोग हो सकता है, द्रव्य कहा जा सकता है।”

इस प्रकार चैक, हुडी (Bills of Exchange) तथा भुगतान के ऐसे ही दूसरे साधनों को द्रव्य की अनुमूची में नहीं रखा जा सकता। उनके लिए हम “साख के साधन” (Credit Instrument) शब्दों को प्रयोग में लाते हैं, जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे। द्रव्य की विशेषता यह है कि वह साधारणतया ग्राह्य होता है। चैक तथा हुडियो का भुगतान नियमित नहीं होना और किसी व्यक्ति को भुगतान के लिए उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साधारणतया बैंकनोट ग्राह्य होते हैं, अतएव उन्हें द्रव्य कहा जा सकता है।

द्रव्य की साधारणतया स्वीकृत विशेषता यह है कि वह विनिमय का माध्यम होने के अतिरिक्त मूल्य-निर्धारण का भी कार्य करता है। किसी वस्तु को द्रव्य माना जाय

अथवा नहीं, इसके परीक्षण का उपाय यह है कि यह देखा जाय कि उसकी मात्रा में परिवर्तन का साधारण मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं।

क्या नोट के बराबर बुलियन को कोय में रखा जाता है ? नहीं। निरवदेह नोटों को धातु में परिवर्तित किया जा सकता है और वह दोनों धातु आपस में परिवर्तनीय हैं। किंतु नोट द्रव्य होने हैं जब कि बुलियन नहीं है। साधारणतया विनिमय में बुलियन को स्वीकार नहीं किया जाता। क्रय गति के रूप में वह प्राप्य नहीं है।

बैंक बैंक की जमा रकम (deposits) द्रव्य है। जिनका बैंक में धन जमा होता है उनकी दृष्टि में वह द्रव्य ही रहता है। किंतु वास्तव में जब तक वह बैंक में रहता है, उसे द्रव्य नहीं कहा जा सकता। अतएव बैंक में जमा धन के उस अंश को ही द्रव्य माना जा सकता है जिसे चलने का माध्यम बना लिया गया हो और जो विनिमय में व्यवहार में आता हो।

“द्रव्य का अर्थ मूल्य के मान और भुगतान के साधनों से है। यह हिताव खाता का आधार है, और साथ ही विनिमय का माध्यम है।”

२ वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ (Difficulties of Barter)—क्या किसी समाज का अस्तित्व बिना द्रव्य संभव है ? आदि काल में बहुतेरे प्रारम्भिक समाज द्रव्य का प्रयोग नहीं करते थे। जब द्रव्य के बिना विनिमय होता है, हम उसे वस्तु विनिमय (Barter) कहते हैं। जब सामाजिक व्यवस्था श्रम-विभाजन की सर्कीर्णता तथा मनुष्य की मांगों में वृद्धि के कारण अधिक पेचीदा हो गई, तब यह प्रतीत हुआ कि वस्तु-विनिमय के द्वारा विनिमय सतोपजनक उपाय नहीं है —

वस्तु-विनिमय में तीन आधारभूत कठिनाइयाँ हैं —

(i) आवश्यकताओं की दोहरी अनुरूपता (Double Coincidence of Wants)—वस्तु-विनिमय में आवश्यकताओं की दोहरी अनुरूपता की आवश्यकता पड़ती है। यदि अ के पास एक गाय है और वह उसके बदले में घोड़ा चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जिसके पास न केवल घोड़ा हो वरन् जिसे गाय की भी आवश्यकता हो। मान लीजिए उसकी व व्यक्ति से भेंट होती है जिसे गाय की जरूरत है लेकिन बदले में देने के लिए सिर्फ एक भेड़ है। अ को तब ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसे भेड़ की जरूरत है, और यह क्रम काफी लम्बा हो जायगा। इस तरह कई सौदों के बाद उसे अपनी जरूरत की चीज मिलेगी। यह स्पष्ट है कि इस साधन में अनगिनत कठिनाइयाँ और खतरे हैं।

(ii) मूल्य के नापदण्ड का अभाव (Lack of Common Measure of Value)—कठिनाइयों का यही पर अन्त नहीं होता। यदि दो व्यक्ति, जिन्हें एक दूसरे की वस्तु की चाह है मिल भी जायें तो भी एक दूसरी परेशानी उपस्थित हो जाती है। किस अनुपात में दोनों वस्तुओं का विनिमय हो ? दूसरे शब्दों में वस्तु-विनिमय की

अर्ध-व्यवस्था (barter economy) के अन्तर्गत माग और पूर्ति में सतोषपूर्ण समानता नहीं मिलेगी। मूल्य निर्धारण का कोई समान मापदण्ड नहीं होता। अनुपात इच्छा से निर्धारित किया जायगा तथा उसका आधार दोनो पक्षों की आवश्यकता तथा उनकी परस्पर मागो की तीव्रता होगी। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि एक पक्ष को हानि हो क्योंकि प्रत्येक विनिमय में लेन-देन पृथक् रूप में होता है।

(111) कतिपय वस्तुओं की अविभाज्यता (Indivisibility of Certain Articles)—यदि विनिमय के अनुपात के सम्बन्ध में समझौता ही भी जाय तो उन वस्तुओ के सम्बन्ध में एक तीसरी परेशानी उपस्थित हो जाती है कि वे विभाजित नहीं हो सकती। मान लिया, एक व्यक्ति अपनी गाय के आधे मूल्य के बराबर गेहूँ लेना चाहता है। दूसरे आधे मूल्य के बदले में वह कपडा लेना चाहता है, जो तीसरे व्यक्ति के पास है। गाय का विभाजन कैसे हो ? इसी प्रकार की कई दूसरी परिस्थितियों की हम कल्पना कर सकते हैं।

वस्तु-विनिमय से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयो का उदाहरण हम एक फ़ामीनी सगीतज्ञ से ले सकते हैं, जिसने एक ऐसे द्वीप में अपने सगीत का प्रदर्शन किया जहाँ द्रव्य का चलन नहीं था। उसे सूअरो, मुर्गियों, बकरियों, सेब, केले आदि में भुगतान किया गया। बकरियों और सूअरो ने फलो और दूसरे खाद्य पदार्थों का सफाया कर दिया और अपने सूअरो और बकरियों को जीवित रखने के लिए उसे कई अन्य प्रदर्शन देने पड़े। उसे क्या लाभ हुआ ? कुछ भी नहीं। यदि उसे द्रव्य में भुगतान किया जाता तो वह धनी हो जाता।

विनिमय-क्षेत्र में वस्तु-विनिमय की इन कठिनाइयो के अतिरिक्त धन (wealth) को समुचित रूप से जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि समय के साथ अधिकांश वस्तुएं खराब हो जाती हैं और यदि वे खराब न भी हों और उनका पूर्व-सा ही रूप रहे, तो भी उनके मूल्य में अन्तर पड़ जाता है।

३ द्रव्य का विकास (Evolution of Money)—शीघ्र ही यह परिणाम निकला कि विनिमय में बड़ी सुगमता लाई जा सकती है बशर्ते कि विनिमय का आधार किसी एक वस्तु को बना लिया जाये। इस वस्तु द्वारा सभी पदार्थों का मूल्यांकन किया जा सकता था और उसके द्वारा व्यक्ति वांछित वस्तु का क्रय-विक्रय कर सकता था।

इस रूप में अनेक प्रकार की वस्तुओं को भिन्न-भिन्न सफलता के साथ अपनाया जा चुका है। दास, पशु, पत्थर, खाल, तीर, अनाज, कौड़ी आदि को अपनाया गया। किन्ती विशेष समाज के आर्थिक विकास के लिए यह उस युग पर आधारित था कि द्रव्य का क्या रूप हो। शिकारी स्वभावतः खाल और तीर को साधन मानते थे, वनजारे पशु और किसान अनाज को द्रव्य का रूप देते थे। अभी कुछ ही दिनों पूर्व तक हमारे ग्रामों में क्रय के लिए अनाज और कपास को काम में लाया जाता है।

अन्ततोगत्वा, किसी भाँति यह पता चला कि मोना और चादी जैसे मूल्यवान् धातु इन काम के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रारम्भ में मोना और चादी को धातु के टुकड़ों के रूप

(bullion) में प्रयोग में लाया गया। इससे असुविधा होती थी और प्रत्येक बार जब वह एक हाथ से दूसरे में जाते थे, उनकी जाँच में गलती की सम्भावना रहती और वजन आदि करना पड़ता था। तदनन्तर सरकारों ने उन्हें करेंसी में सिक्कों का रूप दिया, जिससे उन्हें ग्रहण करने वालों को उसकी किस्म (quality) और उसके वजन का कुछ भरोसा रहे। कुछ समय बाद धातु के सिक्कों (metallic coins) के साथ कागजी मुद्रा (paper currency) का प्रचलन शुरू हुआ जिसे धातु-मुद्रा में बदला जा सकता है। बहुत-सी देशों में सिक्के, विशेषकर वे जो प्रमाणित (standard) होते थे, सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रचलित कागजी मुद्रा के सम्मुख लोप हो जाते थे और कागजी मुद्रा ही अकेली करेंसी शेष रह जाती थी।

वस्तु-विनिमय अर्थ-व्यवस्था (barter economy) से वस्तु-द्रव्य (commodity money), वस्तु-द्रव्य से कागजी-मुद्रा (paper currency), और कागजी मुद्रा से बैंक-द्रव्य अथवा साख अर्थ-व्यवस्था (credit-economy)—द्रव्य की उन्नति तथा उसका विकास इस प्रकार होता रहा है। क्रॉथर (Crowther) के शब्दों में केवल "सामान्य स्वीकृति ही मुख्य आवश्यकता है। द्रव्य का स्वयं मूल्यवान होना आवश्यक नहीं। यह वास्तव में अपेक्षाकृत सीमित होना चाहिए। परन्तु, यदि इसको अपेक्षाकृत न्यून रखने और मात्रा में अपेक्षाकृत स्थिर रखने की सावधानी न रखी जाय तो द्रव्य में ऐसी बँकाव वस्तुएँ पैदा होने लगेंगी जैसे कागज के फटे हुए टुकड़े अथवा बैंक की पुस्तकों में किनी बलर्क के कलम द्वारा किए हुए निशान।"¹

द्रव्य के जारी करने से वह सभी असुविधाएँ दूर हो गई हैं जो वस्तु-विनिमय से उत्पन्न होती थी। विनिमय के लिए दुहरी अनुरूपता की आवश्यकता नहीं रही। इच्छा के अनुसार वस्तु का विभाजन और विनिमय आसानी से हो सकता है। समाज को विनिमय का ऐसा माध्यम मिल गया जो साधारणतया सभी को मान्य था और सरलता से एक हाथ से दूसरे हाथ में जा सकता था। मूल्य के निर्धारण के लिए एक विश्वस्त माप-दण्ड (Standard) लोगों को मिल गया। ऋण-शक्ति का मचय करना अथवा स्वयान्तरित करना सुगम हो गया। ऋण का लेन-देन निर्विघ्न सम्भव हो गया।

उपभोक्ता को द्रव्य के चलन से अनगिनत लाभ हुए हैं। द्रव्य के हाथ में होने से वह दूसरों की वस्तुओं तथा सेवाओं पर अपना अधिकार प्रकट कर सकता है। वह अपनी सुविधा के अनुसार उन वस्तुओं को किसी स्थान पर तथा किसी समय भेजने का आदेश दे सकता है। द्रव्य से उसकी ऋण-शक्ति व्यापक हो गई है। द्रव्य के अभाव में उपभोक्ता के लिए यह कठिन था कि वह अपने ऋण की विभिन्न दिशाओं में सम-सीमान उपयोगिता (equi-marginal utility) प्राप्त कर सकता। इस प्रकार वह अब अधिकतम मनोप प्राप्त कर लेता है।

उत्पादक के लिए भी द्रव्य के जारी करने से कम लाभ नहीं हुआ है। अब वह

अपने कार्य को अधिक कुशलता और मितव्ययिता से सगठित कर सकता है। उसे उत्पादन के लिए कई साधनों को किराये पर लेना होता है। वह उन्हें वेतन के रूप में द्रव्य दे देता है, जिससे जिस प्रकार चाहें व्यय करके वे अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लें। उत्पादक भी द्रव्य के द्वारा जिन साधनों को अपने उत्पादन-कार्य में प्रयोग कर रहा है, उनकी सीमान्त उत्पादन शक्ति को बराबर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है।

समाज पर द्रव्य के प्रादुर्भाव से काफी लाभ हुआ है। इसी के आधार पर साख का विशाल भवन निर्मित हुआ है। राष्ट्र के आर्थिक विकास में साख और बैंक-प्रथा के विस्तार से बड़ी सहायता मिली है। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि वर्तमान युग ने द्रव्य की जो सुविधाएँ दे रखी हैं, उनके अभाव में उद्योग और व्यवसाय कैसे विकसित हो सकते थे। आर्थिक साधनों का अनुकूलतम वितरण (optimum distribution) तथा आधुनिक आर्थिक पद्धति का कुशल संचालन बिना मुद्रा-विपयक प्रणाली के नहीं हो सकता है।

४ द्रव्य के कार्य (The Functions of Money)—हमने देखा है भिन्न-भिन्न समयों में कि भिन्न-भिन्न वस्तुओं को द्रव्य चुना गया है और सोना-चादी तथा बाद में कागज श्रेष्ठ द्रव्य सिद्ध हुए हैं। श्रेष्ठ किस बात के लिए? द्रव्य के कार्यों को पूर्ण रूप से करने के लिए श्रेष्ठ।

द्रव्य क्या कार्य करता है? उसके पाच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हैं—

(क) वह विनिमय का माध्यम (medium) है।

(ख) वह मूल्य संचय (store) करने के लिए प्रयोग में आता है या आधुनिक व्याख्या के अनुसार साधनों को द्रवता का गुण (liquidity) देने में सहायक होता है।

(ग) वह मूल्य का मापदण्ड (measure) है।

(घ) ऋण के लेन-देन का वह एक स्थिर साधन होता है।

(ङ) वह मूल्य को स्थानान्तरित (transfer) करता है।

द्रव्य विनिमय के माध्यम के रूप में (Money as Medium of Exchange)—अभी हमने उन विभिन्न असुविधाओं की चर्चा की जो वस्तु-विनिमय से उत्पन्न होती हैं। द्रव्य द्वारा यह सब असुविधायें दूर हो जाती हैं। द्रव्य की अर्थ-व्यवस्था में यह आवश्यक नहीं होता कि इच्छाओं की अनुरूपता हो। व्यक्ति को, जो गाय के बदले में घोड़ा चाहता है, अब उसे ऐसे घोड़े वाले को ढूँढने की आवश्यकता नहीं, जिसे गाय की आवश्यकता हो। वह अपनी गाय को बाजार में बेच सकता है और इस प्रकार जो द्रव्य मिले, उससे कपड़ा खरीद सकता है। जिस समय व्यक्ति अपनी सेवाओं अथवा वस्तुओं को अपूर्ण अवस्था में बेचना चाहता है, उसे बड़ी सुविधा रहती है। वह उन्हें सरलता से द्रव्य के रूप में परिवर्तित कर सकता है। कतिपय वस्तुओं की अविभाज्यता का प्रश्न भी समाप्त हो गया है। द्रव्य की इकाइयाँ विभिन्न मूल्य की होती हैं। और उनसे किसी भी प्रकार की खरीदारी की जा सकती है जो वस्तु-विनिमय में सम्भव नहीं।

द्रव्य आस्तियों के रूप में द्रव्य (Money as Liquid Assets)--
द्रव्य मूल्य-सचय का कार्य सम्पादित करता है या यह कहना उचित होगा कि वह व्यक्ति को अपनी आस्तियों के एक अंश को द्रवत्व गूण देने के योग्य बना देता है। तरल आस्तियाँ (liquid assets) वह साधन हैं जो किसी भी समय किसी भी व्यवहार में आ सकता है। आधुनिक जगत् में अविकाश व्यक्ति अपनी जेबों में करंसी नोट रखते हैं अथवा उन्हें घर पर रखते हैं या बैंक में चालू खाते जमा रखते हैं और जिस समय चाहते हैं चेक के द्वारा निकाल सकते हैं। यह इसलिए आवश्यक होता है कि आय और व्यय का क्रम समान गति में नहीं चलता। नियोजकों को मजूरी आदि का भुगतान एक अवधि में करना होता है, कभी-कभी दैनिक भी। लेकिन उसे अपनी आय इसी रूप में नहीं मिलती। मूल्य-सचय के रूप में रखा गया सबसे अच्छा है।

द्रव्य मूल्य का प्रामाणिक मापदण्ड (Money as a Standard Measure of Value)--वस्तु-विनिमय की एक यह कठिनाई भी अनुभव की गई है कि उसमें मूल्य का साधारण मापदण्ड नहीं था, जिसके अनुसार दूसरे मूल्यों को प्रकट किया जा सकता, जोड़ा जा सकता अथवा हिसाब-खाता रखा जा सकता। द्रव्य ने यह कठिनाई भी दूर कर दी है। द्रव्य के रूप में हम मूल्य और सेवाओं की सुगमता से तुलना कर सकते हैं। मूल्यों का कीमतों में प्रकटीकरण हमें उन्हें जोड़ने तथा व्यक्ति अथवा वस्तु के धन का अन्दाज लगाने में सहायक होता है। विनिमय के लिए मूल्य के रूप में एक सामान्य मापदण्ड होने से सीदे करना सरल और उचित हो जाता है।

द्रव्य विलम्बित भुगतानों का आधार (Money as Standard of Deferred Payments)--द्रव्य ऐसे भुगतानों के आधार का भी स्तर कायम रखता है जिनका भुगतान कुछ समय बीत जाने पर किया जाता है। जब कोई ऋणदाता अपने साधनों को उधार देने लगता है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि उसे यह भरोसा रहे कि उसके साधन नियत व्याज सहित उसे वापिस मिल जायेंगे। अतएव लेन-देन अवश्य ही किसी वस्तु के रूप में होंगे, जिनका स्थायी मूल्य होगा। बहुत-सी वस्तुएँ समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। किन्तु यदि द्रव्य का उचित चुनाव हुआ है और उसका उचित प्रबन्ध रखा जाता है, तो उसका मूल्य दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्थायी रहता है। भावी भुगतानों के लिए एक प्रामाणिक मापदण्ड का कार्य करने के कारण, द्रव्य ऋण लेने देने के खतरे को कम कर देता है। इस प्रकार यह नव प्रकार की आर्थिक कार्यवाहियों को सतुलित रखता है जिनका आधार ऋण होता है।

द्रव्य के कार्यों को सक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं।

“माध्यम (a medium), मापदण्ड (a measure) प्रामाणिकता (a standard) तथा एकत्रीकरण (a store)।”

“Money is a matter of functions four

A medium, a measure, a standard, a store”

यह ध्यान में रखना चाहिए कि द्रव्य के यह चारों काम परस्पर स्वतन्त्र नहीं हैं।

ऋण के भुगतान के लिए द्रव को द्रव्य आस्ती के रूप में रखा जाता है। यह विनिमय के माध्यम का कार्य करता है। यह विनियम के माध्यम के रूप में इसलिए स्वीकार किया जाता है कि इसका मूल्य अपेक्षाकृत स्थायी रहता है। इसी कारण से यह भावी भुगतान का साधन तथा मूल्य का मापदण्ड माना जाता है।

द्रव्य मूल्य को हस्तांतरित करने का साधन (Money as a Means of Transferring Value)—द्रव्य के द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्य भी होता है। कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर अपनी चल और अचल सम्पत्ति को बेच सकता है और दूसरे स्थान पर खरीद सकता है। इस प्रकार मूल्य हस्तांतरित हो सकता है। इस तरह के मामले भारत में विभाजन के बाद बहुत पाये गये।

५ अच्छे द्रव्य पदार्थ के गुण (Qualities of Good Money Materials)—उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि अपने कार्यों को भली भाँति सम्पन्न करने के लिए द्रव्य पदार्थ में कुछ गुण अवश्य होने चाहियें।

(क) सर्वमान्यता (General acceptability)—वह वस्तु, जो सर्वसाधारण को ग्राह्य न हो, समुचित रूप से द्रव्य का कार्य सम्पन्न नहीं कर सकती। लोग एक वस्तु को या तो इस विश्वास पर स्वीकार कर लेते हैं कि दूसरे लोग उसे स्वीकार कर लेंगे या इस विश्वास पर कि वह उसे किसी दूसरे उपयोग में ला सकेंगे। सोना और चादी सर्वसाधारण को ग्राह्य रहते हैं। करंसी नोट इसलिए ग्राह्य रहते हैं, कि लोगो को विश्वास है कि उनसे क्रय कर सकते हैं या उन्हें जारी करने वालो से उनके समान मूल्य पा सकते हैं आदि।

(ख) वहनीयता (Portability)—जो पदार्थ प्रयोग में आए, वह सहज वहनीय होना चाहिए। हमारे शब्दों में, थोड़ी मात्रा में उसका अधिक मूल्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए कोयला अच्छा द्रव्य पदार्थ नहीं है जबकि सोना, चादी, कागज, आदि अच्छे द्रव्य पदार्थ हैं।

(ग) सुगमता से पहचान (Cognizability)—द्रव्य के लिए यह एक आवश्यक गुण है। इससे अर्थ है कि वह सुगमता से पहचान में आ सके। यदि आप को द्रव्य की प्रमाणिकता के लिए विशेष खोजबीन करनी पड़े तो इसमें बड़ी असुविधा होगी। मिक्को और कागजी मुद्रा, जिनका आकार प्रकार पहचान योग्य होता है, उनके प्रचलन में यह असुविधा दूर हो जाती है।

(घ) समरूपकता (Homogeneity)—पदार्थ को एक ही अनुरूप का होना चाहिये। यदि उसके गुण (quality) अनुरूप नहीं है, तो उनका मूल्य भी समान नहीं रहेगा।

(च) विभाज्यता (Divisibility)—पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि बिना अपना मूल्य खोये वह छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो सके। उदाहरण के लिए यदि एक हीरे के दो हिस्से कर दिये जाते हैं तो उनका वही मूल्य नहीं रहता जो पहले था। जानवरों को उस समय तक विभाजित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे जानवर रहते हैं। सोना और चादी विभाज्य हैं।

(छ) स्थायित्व (Durability)—नाशवान वस्तुएँ द्रव्य का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकती। एक समय बाद उनका मूल्य समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जानवर बीमार पड़ सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं और मर सकते हैं। जल्दी नाश होने वाली वस्तुओं की स्थिति भी ऐसी ही है।

(ज) सब से खास बात तो यह है कि द्रव्य अपेक्षाकृत स्थिर मूल्य का (stable in value) होना चाहिए क्योंकि वह दूसरे मूल्यों को निर्धारण करने के लिए प्रामाणिक मापदण्ड होता है। मोना और दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्थिर मूल्य की होती है क्योंकि वह स्थायी होती है और इन पदार्थों को बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, फिर भी इतनी अधिक मात्रा में नहीं, जिनसे उनका मूल्य बहुत गिर जाय। इनका वार्षिक उत्पादन उनके कुल परिमाण में बहुत थोड़ी वृद्धि करता है जिससे इनके मूल्यों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ पाता।

कागज की ऋय-शक्ति की स्थिरता का आधार उसके सम्बन्ध में बनावटी नियंत्रण पर अवलम्बित रहता है। अतएव सुप्रबन्धित कागजी मुद्रा, इन सब में श्रेष्ठ है। दूसरी बातों के अलावा इससे द्रव्य-सम्बन्धी पद्धति मस्ती रहती है।

६. सिक्के और टकण (Coins and Coinage)—मोटे तौर पर द्रव्य को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है, पहला घातु-द्रव्य और दूसरा कागजी द्रव्य।

घातु करैसी अथवा सिक्के एक विशेष वजन और देश की सरकार की मोहराकित घातु के टुकड़े होते हैं। ऊँचे मूल्य की मुद्राओं के किनारे साधारणतया खुदे रहते हैं, जिससे वे नष्ट होने से बची रहे और उनके साथ की गई चालवाजी का आसानी से पता चल सके। अच्छे टकण के मुख्य सिद्धान्त यह हैं—(क) सिक्के सुविवाजनक माप के होने चाहियें, (ख) वे इस प्रकार के बनने चाहिये कि चलन के कारण उनमें कम से कम छीजन हो, (ग) उनका स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिये कि उनका प्रतिरूपण तथा छापना असम्भव हो जाय, (घ) उन पर कलात्मक सरकारी मोहरें होनी चाहियें।

मिछली लड़ाई के पहले हमारे चांदी के रुपये में १८० ग्रेन चांदी रहती थी। १११२ भाग शुद्ध। शुद्धता (fineness) शब्द का अर्थ है किसी सिक्के में खोटे की तुलना में खरे द्रव्य की मात्रा। प्रतिकार भत्ता (remedy allowance) वह सीमा है जिसके अन्दर रहते हुए मुद्रा की टकण अथवा वजन में अन्तर होते हुए भी, वे विधिमान्य रहते हैं। इसे टकनाल की सहनशीलता (tolerance of the mint) भी कहते हैं। जहाँ तक हमारे रुपये का प्रश्न है, वजन में १५००० तथा गठन १२००० प्रतिकार होता है।

टकण मुफ्त या स्वतन्त्र (gratuitous or free) हो सकता है। पहली दशा में टकण का कोई मूल्य नहीं लिया जाता। हमारी दशा में टकण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहना। कोई भी व्यक्ति घातु को टकसाल में ले जाकर मुद्राकन करा सकता है। भारत में १८९३ के पूर्व निर्मूल्य मुद्राकन प्रचलित था। कोई भी व्यक्ति टकसाल में चांदी को-

ले जाकर सिक्के ढला सकता था। किन्तु निर्मूल्य मुद्राकन का निष्कारण (gratuitous) होना आवश्यक नहीं है। अधिकारी टक्का का मूल्य ले सकता है। यदि यह मूल्य वातु को टक्का करने के मूल्य के समान है, तो उसे टक्काली (mintage) अथवा ब्रासेज (brassage) कहेंगे। यदि यह इस मूल्य से अधिक है, तो उसे प्रभुत्व (seigniorage) कहते हैं। यह प्रभुत्व मुद्रा में सीधा मूल्य लेकर अथवा उसमें मिश्रण करके चमूल किया जा सकता है।

साकेतिक मुद्रा (Token Coins)—वास्तविक मुद्रा पूर्ण मुद्रा अथवा साकेतिक मुद्रा हो सकती है। पूर्ण मुद्रा वह मुद्रा होती है, जिस पर अंकित मूल्य (face value) उममें मिली हुई धातु के मूल्य के बराबर हो। साकेतिक मुद्रा में उस पर लिखा हुआ मूल्य धातु के मूल्य से अधिक होता है। भारतीय रुपया एक साकेतिक सिक्का है। उसमें मिली धातु का मूल्य रुपये के मूल्य से कम है। सन् १८९३ के पूर्व भारतीय रुपया पूर्ण मुद्रा था। यदि उसे गलाया जाता तो एक रुपये के मूल्य के बराबर धातु निकलती।

कभी-कभी साकेतिक मुद्रा में निहित धातु की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि यह पूर्ण मुद्रा वाला सिक्का हो जाता है। उस समय उसे साठेवाजी (hoard) करने अथवा गलाने का भय रहता है। उदाहरण के लिए सन् १९२७ में चादी का मूल्य बढ़ जाने से भारतीय रुपया साकेतिक मुद्रा न रहा और बाजार से वह गायब होने लगा। सरकार को उसके लिए विनिमय का समुचित माध्यम पूर्ति करने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। इसी प्रकार सन १९४० में १८० ग्रेन्स ११/१२ श्रेष्ठ मुद्रायें प्रचलन से गायब होने लगी। सरकार ने तब नई मुद्राएँ चालू की, जिनमें चादी कम थी। उनमें ११/१२ के बजाय १/२ चादी थी। उन्हें संचय (hoard) करने का भय नगण्य है। पुराना प्रामाणिक रुपया सिक्का बाहर कर दिया गया। उसे ऋण के भुगतान में नहीं दिया जा सकता। सन् १९४६ में निकल का रुपया प्रचलित हुआ।

साधारणतया साकेतिक मुद्रा सहायक मुद्रा होती है। किन्तु जैसा कि भारतीय रुपयों में है, मुख्य मुद्रा भी साकेतिक मुद्रा हो सकती है। सहायक मुद्राएँ छोटे भुगतानों के लिए होती हैं। उदाहरणार्थ पैसा, इरुन्नी, दुअन्नी और चवन्नी सहायक मुद्राएँ हैं।

सीमित तथा असीमित विधिमान्य मुद्रा (Limited and Unlimited Legal Tender)—मुद्राएँ सीमित विधिमान्य मुद्रा अथवा असीमित विधिमान्य मुद्रा हो सकती हैं। विधिमान्य मुद्रा वह होती है जिसके अन्तर्गत विधिवत् भुगतान किये जा सकते हैं। विधिमान्य मुद्रा को अस्वीकार करना अपराध है।

जब किसी भी मात्रा में द्रव्य का भुगतान हो सकता है, तब उसे असीमित विधिमान्य मुद्रा कहते हैं। वह यदि एक नीना के अन्दर ही भुगतान किया जा सकता है तो उसे सीमित विधिमान्य मुद्रा कहेंगे। उदाहरण के लिए भारत में रुपया और रुपये के नोट असीमित विधिमान्य मुद्रा हैं और यही हाल जठनी का भी है। किन्तु इससे छोटे मूल्य की मुद्राएँ सीमित विधिमान्य मुद्रा हैं। वे दस रुपये तक ही विधिमान्य रहती हैं।

जब एक मुद्रा पुरानी हो जाती है और वह एक निश्चित मीमा से अधिक हल्की हो जाती है, तब वह विधिमान्य मुद्रा नहीं रहती। एक रुपये और आठ आने की मुद्राएँ जब प्रामाणिक वजन से २० प्रतिशत कम हो जाती हैं, तो वे विधिमान्य मुद्रा नहीं रहनी।

सरकार चाहे तो वह मुद्रा की विधिमान्यता को समाप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए, १८० ग्रेन्स $1\frac{1}{2}$ श्रेष्ठ वाली रुपये की मुद्रा भारत में अब विधिमान्य मुद्रा नहीं है। सन् १९४६ में सरकार ने ५०० रुपये और उससे अधिक मूल्य के करेन्सी नोटों को विधिमान्य मुद्रा नहीं रखा। इसका साधारण उद्देश्य ऐसी करेन्सी को जो साठेवाजी (hoard) के रूप में है बाहर लाना है।

प्रामाणिक द्रव्य (Standard Money)—प्रामाणिक द्रव्य वह द्रव्य है जिसके सकेत से द्रव्य की दूसरी किसमो का मूल्य मापा जाता है। यह द्रव्य का अति उत्तम रूप है। या तो इसमें मुद्रा-विषयक प्रमाण है या यह उसका निष्कट प्रतिनिधि है। साधारणतया एक धातु को चुन लिया जाता है, और द्रव्य की इकाइयाँ उसमें बदली जा सकती हैं। कभी २ दो धातुएँ यह कार्य करती हैं। जब प्रामाणिक धातु एक होती है तो उस प्रणाली को एक-धातु-मान (Monometallism) कहेंगे। जब दो प्रामाणिक धातुएँ होती हैं तो उसे द्विधातुवाद (Bimetallism) कहेंगे। इसी प्रकार यदि सोना धातु को चुना जाय तो उसे स्वर्ण धातुवाद अथवा स्वर्णमान (Gold Standard) कहेंगे। और यदि धातु रजत है तो उसे रजतमान (Silver Standard) कहेंगे।

कभी २ कोई एक देश अपनी करेन्सी का मूल्य विदेशी करेन्सी के मूल्य के रूप में निर्धारित करता है। उसे विनिमय मान (Exchange Standard) कहेंगे। यदि विदेशी मान स्वर्ण पर होता है तब सम्बन्धित देश की करेन्सी स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard) होती है। वर्तमान गताव्दी के प्रारम्भ में भारत ने अपने रुपये को अंग्रेजी करेन्सी में सम्बन्धित कर लिया। इंग्लैंड स्वर्णमान वाला देश है। इन प्रकार भारत स्वर्ण विनिमय मान वाला देश हुआ। जब सन् १९३१ के सितम्बर मास में इंग्लैंड ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया तो भारत का सम्बन्ध स्टर्लिंग से हो गया। तब भारत स्टर्लिंग विनिमय मान वाला देश बन गया। जब से भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F) से सम्बन्ध स्थापित किया है, भारतीय रुपये के विनिमय मूल्य को खत्म (सिद्धान्त में) कर दिया गया है।

कागजी द्रव्य (Paper Money)—'कागजी द्रव्य' के अन्तर्गत बैंक नोट और सरकारी नोट आते हैं, जो हाथो हाथ बिना रोक-टोक चलते हैं। इसके अन्तर्गत बैंक तथा हुडिया नहीं आती, जिनका सीमित प्रचलन है।

कागजी द्रव्य दो किस्म का होता है—परिवर्तनीय (convertible) तथा अपरिवर्तनीय (inconvertible)। पहले किस्म की मुद्रा उसके स्वामी की इच्छा अनुसार प्रामाणिक सिक्के (प्रामाणिक धातु) में बदली जा सकती है, लेकिन दूसरी इस रूप में नहीं बदली जा सकती।

कागजी द्रव्य का परिवर्तित होना इसलिए आवश्यक है कि उससे लोगों को भरोसा रहे और वे एक निश्चित मीमा में प्रचलित रहे। जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे,

द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि यदि उपभोग की वृद्धि के अनुरूप न हुई तो उसका मूल्य उमी-भाति घट जाता है जैसा कि अन्य किसी जन्म का। इसलिए कागजी द्रव्य का प्रचलन सरकार की विधियों के अन्तर्गत नियन्त्रित रहता है। इसका एक उपाय नियन्त्रण का यह होता है कि उसे मुद्रा अथवा प्रामाणिक धातु में परिवर्तित किया जा सके।

अपरिवर्तनीय कागजी द्रव्य में एक सबसे बड़ा खतरा यह रहता है कि वह अधिक-प्रचलित (over-issue) हो सकती है। सरकार के लिए यह लाभप्रद होता है कि वह सकट काल में, जैसे युद्ध के समय, अपने साधनों में वृद्धि के लिए अधिक नोट छाप ले और उनकी क्रय-शक्ति से लाभ उठाये। सत्तर के करंसी इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब नोटों का अधिक प्रचलन (over-issue) हुआ। जर्मनी पहले विश्वयुद्ध में इसका प्रमाण है। गत कुछ वर्षों (१९३९-४५) में भी अधिक नोट प्रचलित हुए।

पाठकों को यह स्पष्ट होना चाहिये कि कागजी द्रव्य का सोने व चादी से विनि-मयत्व ही इसको अधिक मूल्यवान बनाता है। द्रव्य को जो मूल्य देती है वह है सरकारी मोहर और जो उसके मूल्य को स्थिर रखती है वह है उसकी मात्रा पर नियन्त्रण।

८ बैंक द्रव्य (Bank Money)—बैंक द्रव्य में विभिन्न साख-पत्र (instruments of credit) सम्मिलित रहते हैं। कीन्स (Keynes) के शब्दों में, "बैंक-द्रव्य केवल निजी कर्ज की स्वीकृति है जो कि लेखा-द्रव्य (money of account) में प्रसारित की जाती है। लेन-दान के निवटारे के लिए यह एक आदमी से दूसरे आदमी के पास वास्तविक मुद्रा के रूप में आती जाती रहती है।"

बैंक-द्रव्य के कई रूप हैं। इनमें से कुछ चेक हुडो, बैंक ड्राफ्ट आदि हैं। इनका वर्णन हम आगे के अध्याय में करेंगे। यहाँ केवल यह समझ लेना चाहिये कि साख-पत्र (credit instruments) द्रव्य नहीं है, क्योंकि वे सामान्य रूप से स्वीकृत नहीं किये जाते। बैंक-द्रव्य अथवा 'बैंक द्वारा उत्पन्न किया हुआ द्रव्य' समस्त आधुनिक सम्प्रदायों में परिमाणित रूप में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार धातु द्रव्य ने अन्य द्रव्य की वस्तुओं का प्रतिस्थापन किया और कुछ ही समय के अन्दर कागजी द्रव्य ने उसको प्रतिस्थापित किया था उसी प्रकार बैंक-द्रव्य ने आधुनिक काल में सभी प्रकार के द्रव्यों को प्रतिस्थापित किया है। चेक तथा बैंक-द्रव्य अन्य प्रकार के द्रव्यों से इसलिए अधिक अच्छे हैं कि टाक द्वारा ले जाने में, खरा पैसा देने में, काउन्टर फायल के रूप में, रसीदों के देने में, तथा चुरा लिये जाने अथवा खोये जाने के प्रति सुरक्षित होने के कारण सुविधाजनक हैं।

९ लेखा या हिसाब की मुद्रा (Money of Account)—इसके पूर्व कि हम द्रव्य के रूप पर इस अध्याय को समाप्त करें, कुछ शब्द लेखा मुद्रा की विवेचना के विषय में कहना उचित होगा। लेखा मुद्रा वह इकाई है जिसमें किसी देश का लेखा तैयार किया जाता है और लेन-दान होता है। स्टर्लिंग, डालर फ्रैंक और मार्क क्रमशः ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराष्ट्र, फ्रान्स और जर्मनी की लेखा मुद्रा हैं।

उपरोक्त देगो में क्रमशः यही सब इकाइयाँ चलन का माध्यम हैं। किन्तु यह

आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही ही। लेखा मुद्रा किनी देश में प्रचलित द्रव्य से भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, मुद्रास्फीति (inflation) के कारण सन् १९२२-२४ में जर्मनी के मार्क का मूल्य अधिक गिर गया। लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि अगले दिन या अगले घण्टे मार्क का क्या मूल्य होगा। यह बड़ा अरक्षित था कि इतनी अनिश्चित मूल्य की करेन्सी द्वारा लेन-देन किया जाय। अतएव मार्क लेखा-शोधन मुद्रा नहीं रहा। उस समय अमेरिकन डालर सर्वाधिक सन्तुलित द्रव्य था। अतएव लोगो ने लेन-देन में उसे अपना लिया। यद्यपि भुगतान मार्कों में होता था किन्तु सौदा डालरो में तय किया जाता था। डालरो को एक निश्चित सख्या मार्कों के विपरीत निश्चित कर दी जाती थी, अतएव इस प्रकार जर्मनी में डालर ने लेखा-शोधन मुद्रा का रूप ले लिया। इंग्लैंड में गिनीस (Guineas) और भारत में पाइयाँ (pies) नहीं चलती हैं और विनिमय के माध्यम का काम नहीं करती। वे केवल 'लेखा-द्रव्य' (Money of Account) हैं। कीन्स (Keynes) ने द्रव्य (money) तथा लेखा द्रव्य (money of account) में इन प्रकार अन्तर किया है "लेखा द्रव्य वर्णन (description) अथवा टाइटल (Title) है और द्रव्य वह वस्तु है जो कि उस वर्णन का उत्तर देता है।"^१

यह याद रखना चाहिए कि लेखा द्रव्य में निरन्तरता होना आवश्यक है। जहाँ तक हो सके इसका नाम नहीं बदलना चाहिए, परन्तु जब नाम में परिवर्तन हो तो नई इकाई का पिछली से अवश्य ही सम्बन्ध होना चाहिये, अन्यथा, भ्रम हो जायगा। केवल एक आपत्ति ही जो कि समस्त प्रचलित मौदो को एक साथ समाप्त कर देगी, लेखा द्रव्य की निरन्तरता में आरम्भ से बाधक हो सकती है।

१० द्रव्य के कुछ अन्य रूप (Some other Forms of Money) — कुछ और भी शब्द हैं जो कि वाद-विवाद के समय द्रव्य के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाते हैं। वे वस्तु द्रव्य (commodity money), फिरेट द्रव्य (fiat money) तथा प्रबन्धित द्रव्य (managed money) हैं। कीन्स (Keynes) ने उनकी निम्नलिखित परिभाषायें की हैं —

वस्तु द्रव्य (commodity money)—किनी विशेष असीमित मात्रा में प्राप्त उस नैकाधिकार वस्तु की वास्तविक इकाइयों से बना है, जिसकी अधिक अभिरुचि द्रव्य के स्पष्ट कार्यों के करने के लिए की गई हो, परन्तु उसकी पूर्ति का निर्धारण—अन्य वस्तुओं के अनुसार—दुर्लभता (scarcity) तथा उत्पादन व्यय (cost of production) से हो।

फिरेट द्रव्य (fiat money), प्रतिनिधि द्रव्य (representative money) है (अर्थात् भौतिक पदार्थ का कुछ असली मूल्य, जो कि उसके मुद्रा-विषयक अंकित मूल्य (monetary face value) से पृथक् कर दिया गया है)—अव

1 Keynes, J M—A Treatise on Money, 1950, Vol I, pp 34

2 Ibid, p 7.

छोटी मन्ना (denomination) के सिवा अधिकतर कागज का बनता है—जिसको सरकार बनाती अथवा निकालती है। परन्तु यह कानून के अनुसार अपने के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में बदलने योग्य नहीं है और बाहरी विनिमय के सम्बन्ध में इसका कोई निश्चित मूल्य नहीं है।

प्रबन्धित द्रव्य (managed money), फिरेट द्रव्य (fiat money) के समान है। केवल अन्तर यही है कि राज्य इसके इस प्रकार चलाने की व्यवस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेता है, कि चाहे बदलने योग्य हो या नहीं, किसी बाहरी वस्तु के प्रमाण के सम्बन्ध में इसका मूल्य नियत रहे।

यह वस्तु द्रव्य तथा फिरेट द्रव्य के बीच में एक दोगले के समान है। वस्तु द्रव्य के अनुसार इसका सम्बन्ध मूल्य के बाहरी प्रभाव से है और फिरेट द्रव्य के अनुसार यह केवल प्रतिनिधि द्रव्य है और कोई निजी अमली मूल्य नहीं रखता।

११ ग्रेशम का सिद्धान्त (Gresham's Law)—टकन के सिलसिले में रानी एलिजाबेथ (Queen Elizabeth) के आर्थिक सलाहकार सर टॉमस ग्रेशम (Sir Thomas Gresham) के नाम से सम्बोधित एक अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। रानी एलिजाबेथ इस बात के लिए उत्सुक थी कि वह अप्रैजी करेन्सी में, जिसका मूल्य उनके पिता हैनरी अष्टम ने घटा दिया था, सुधार करे। किन्तु वे परेशान थी कि ज्यों ही वे किमी नई मुद्रा को चक्र में भेजती वह लोप हो जाती थी। तब सर टॉमस ग्रेशम से कहा गया कि वह उस पर प्रकाश डाले। उन्होंने जो उत्तर दिया, वह अन्हीं के नाम पर एक सिद्धान्त बन गया।

ग्रेशम के सिद्धान्त को संक्षेप में हम इस प्रकार कह सकते हैं —

“बुरा द्रव्य, अच्छे द्रव्य को चलन के बाहर कर देता है।” (Bad money drives good money out of circulation)

यह कैसे कार्य करता है? ग्रेशम का सिद्धान्त तीन रूपों में कार्य करता है।

(क) अच्छा द्रव्य जमा कर लिया जाता है, (ख) अच्छे द्रव्य को गला डालते हैं, (ग) अच्छे द्रव्य को निर्यात कर देते हैं। इस प्रकार अच्छा द्रव्य चलन में बाहर हो जाता है।

अच्छे द्रव्य (Good Money) से हमारा तात्पर्य प्रमाण, वजन और श्रेष्ठता पूर्ण मूल्य वाली मुद्राओं से है जो बुरे द्रव्य (bad money) से हमारा अर्थ उन्नत है जिसका मूल्य कम कर दिया गया हो, अथवा जो पुराना हो गया हो, जिसमें उनके मूल्य में अन्तर पड़ जाय।

ग्रेशम का सिद्धान्त कब लागू होता है? (When does Gresham's Law operate?)—यह सिद्धान्त तीन दशाओं में लागू होता है। (क) जब मूल्य वाली मुद्रा और कम मूल्य, जागी अथवा पुरानी मुद्राएँ साथ-साथ चलन में हों, (ख) जब बातु-द्रव्य और कम मूल्य वाला कागजी द्रव्य साथ-साथ प्रचलित हों और (ग) द्विनातुवाद ही ज्यों ही जब दो प्रामाणिक मुद्राएँ प्रचलित हों दोनों अनी में विभिन्न ग्राह्य दोनों निर्मूल्य मुद्राकन के अधीन हो और दोनों

का अंकित मूल्य धातु के बराबर हो। द्विधातुवाद के अन्तर्गत प्रेशम के सिद्धान्त के प्रभाव हम अगले अध्याय में देखेंगे।

नियम की सीमाएँ (Limitations of the Law)—यह नियम लागू नहीं होगा यदि (क) करेंसी में कमी हो और (ख) बुरे द्रव्य के विरुद्ध जनमत हो, जिसके कारण बुरे द्रव्य को चलन के बाहर जाना ही होगा।

१२ भारतीय द्रव्य प्रणाली (Indian System of Money)—भारत में मुख्य मुद्रा रुपया है, जो लगभग पूर्णतया निकिल का बना होता है। इसका मूल्य वास्तव में २-३ आन से अधिक नहीं होता। रुपया हिसाब और मूल्य निर्धारण का मान है। दूसरी मुद्रा अठन्नी है जिसका रूप रुपये के समान है। दोनों ही अमीमित विधिमान्य मुद्रा हैं। हमारी मुद्राओं में चवन्नी, दुवन्नी, इकन्नी, अचन्ना, पंसा और पाई भी सम्मिलित हैं। पाई का प्रयोग केवल हिसाब-खाते (accounting) में होता है और उसे व्यावहारिक प्रचलन में नहीं पाया जाता। यह मुद्राएँ दस रुपये तक विधिमान्य मुद्रा हैं।

हमारे यहाँ कोई पूर्ण मुद्रा नहीं है अर्थात् वह मुद्रा, जिसका अंकित मूल्य (face value) अथवा सरकारी मूल्य (official value) धातुमूल्य (metallic value) के बराबर हो। हमारी कोई भी मुद्रा पूर्ण मुद्रा नहीं है। वह सभी प्रतीक या साकेतिक मुद्राएँ हैं। उनका धातु मूल्य उनके अंकित मूल्य (face value) से बहुत कम है। उसे 'चादी पर मुद्रित नोट' कहा जाता था। अब यह कहना अधिक उचित होगा कि यह 'निकिल पर मुद्रित नोट' है। इस प्रकार हमारा रुपया साकेतिक (token) और प्रामाणिक (standard) मुद्राओं का मिश्रण है।

धातु मुद्रा (metallic money) के अतिरिक्त हमारे यहाँ कामजी करेन्सी भी प्रचलित है। हमारे नोट (१००), (१०), (५), (२), और (१) रुपये के हैं। भारत में सन् १८३९ में सर्वप्रथम तीन प्रेमीडेन्सी बँकों—बैंक आफ बाम्बे, बैंक आफ मद्रास और बैंक आफ बंगाल ने करेन्सी नोट जारी किये थे। सन् १८६१ में नोट जारी करने का कार्य भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। सर्वप्रथम नोटों को जारी करने का प्रत्यक्ष भाग चार करोड़ निश्चित रुपये दिया गया। और उसके बाद घत-प्रतिघत सुरक्षित कोष रखना पड़ता था। यह सीमा क्रमशः बढ़ा दी गई। हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) ने अनुपात सुरक्षित प्रणाली (Proportional Reserve System) को स्वीकार करने की सिफारिश की। सन् १९३५ में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (Reserve Bank of India) ने नोट जारी करने का काम अपने हाथ में ले लिया। रिजर्व बैंक ऐक्ट के अनुसार कागजी करेंसी के पीछे रुपये के सिक्के, भारत सरकार की रुपये वाली सिक्कोरिटिया, स्वर्ण मुद्रा (Gold Coins), तथा (ब्रिटिश सरकार की) स्वर्ण सिक्कोरिटियों का अवश्य ही पूर्ण सहारा होगा। किन्तु स्वर्ण, और स्वर्ण सिक्कोरिटिया प्रत्येक दगा में पूर्ण सुरक्षित कोष का ४० प्रतिशत ही और स्वर्ण मुद्रा तथा धातु की मात्रा कम से कम ४० करोड़ रुपये हो। सभी नोट, केवल एक रुपये के नोट को छोड़कर, परिवर्तनीय हैं।

निर्देश पुस्तके

- Crowther, G —An Outline of Money, 1950, Ch I
 Cole, G D H —Money, Its Present and Future
 Cole and Others—What Everybody Wants to Know about Money
 Brij Narain—Money and Banking (S Chand & Co)
 Coulborn, W A L—A Discussion of Money, 1950, Chs I—IV
 Keynes, J M —A Treatise on Money, 1950, Chaps I, II and III
 Wicksell, K —Lectures on Political Economy, Vol II, Chaps
 I and II
 Kemmer, E W —Money, 1935, Ch I
 Badford, F A —Money and Banking, 1936, Chs I and II
 Downie, G W —Money and Banking, 1936, Chs I and II
 Leffler, R. V — Money and Credit, 1935, Chs I, II and III
 Halm, G N—Monetary Theory, 1949 Chs I and 3
 Robertson, D N —Money, 1948
 Wither, H —Meaning of Money, 1935

मुद्रा प्रणालियाँ

(MONETARY SYSTEMS)

१ द्विधातुमान (Bimetallism)—समय-समय पर कई प्रकार की मुद्रा प्रणालियों अथवा मुद्रा मानों को अंगीकार (adopted) किया गया है। ये प्रणालियाँ इस प्रकार हैं—(क) द्विधातुमान (Bimetallism), (ख) एकधातुमान (monometallism), (ग) रजतमान अथवा स्वर्णमान, तथा (घ) पत्रमान (Paper Standard)।

द्विधातुमान में सोने और चादी के सिक्के साथ-साथ चलते हैं। दोनों धातुओं के बीच एक विशेष अनुपात स्थिर कर दिया जाता है और दोनों ही धातुओं के बने सिक्के असीमित विधिमान्य मुद्रा होते हैं। कभी-कभी दोनों प्रकार के सिक्के असीमित विधिमान्य मुद्रा होते हुए भी स्वतन्त्र-मुद्रा निर्माण केवल एक प्रकार के सिक्के में होता है। फ्रांस में द्विधातुमान के समय में चादी के फ्रैंक का स्वतन्त्र मुद्रा निर्माण नहीं था। इस प्रकार की निर्माण प्रणाली को लग मान (Limping Standard) कहते हैं।

सन् १८०३ में फ्रांस ने द्विधातुमान अपनाया। सोने और चादी में प्रति औंस सोने पर १५ $\frac{1}{2}$ औंस चादी का अनुपात रखा गया। पचास वर्ष तक फ्रांस ने यह अनुपात निभाया। पर सन् १८४८-५० में सोने की खानों के अनुसंधान के कारण चादी के सम्बन्ध में सोने का भाव गिर गया। मार्केट अनुपात में भेद होने से ग्रंथम का सिद्धांत, जिसके अनुसार सस्ती धातु मंहगी धातु को चलन से हटा देती है लागू होने लगा। किन्ती एक देश के लिए दो धातुओं में, लम्बे अर्से तक अनुपात बनाए रखना कठिन होता है। कई देश मिलकर तो इसे निभा सकते हैं।

इसी ध्येय से फ्रांस, बेलजियम, इटली और स्विटजरलैंड ने १८६५ में एक मुद्रा मण्ड (monetary union) स्थापित किया। कुछ वर्ष बाद यूनान, सर्बिया, रोमानिया, तथा दक्षिणी अमरीका के कुछ राज्य भी इस मण्ड में सम्मिलित हो गये। पर यह मण्ड द्विधातुमान को स्थिर रखने में सफल नहीं हो सका और फलस्वरूप १८७४ में चादी का भाव गिरने के कारण यह समाप्त हो गया।

१९ वीं शताब्दी के अन्त की ओर अन्तर्राष्ट्रीय ढंग पर द्विधातुमान स्थापित करने के कई प्रयत्न किये गये। पर चूँकि इंग्लैंड ने साथ नहीं दिया, इसलिये यह प्रयत्न भी सफल नहीं हो सके। इंग्लैंड अपना द्रव्य मान बदलना नहीं चाहता था।

अमरीका अपने देश की चादी के विचार से द्विधातुमान के पक्ष में था। भारत ने १८९३ में अपने यहाँ चादी का स्वतन्त्र टकन वद कर दिया और इस प्रकार चादी के मूल्य में भारी कमी पैदा हो गई। १८९७ में भारत के सामने यह प्रश्न आया

कि यदि अमरीका और फ्रांस अपने यहां स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई प्रारम्भ कर दें तो क्या भारत भी अपनी टकसालो को स्वतन्त्र कर देगा । पर भारत ने ऐसा करना पसन्द न किया और फलस्वरूप फ्रांस व नयुक्तराज्य अमेरिका में भी चादी का स्वतन्त्र टकन बंद रहा ।

अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान स्थापित करने का एक दूसरा उद्देश्य यह भी था कि किसी प्रकार मुद्रा की पूर्ति बढ जाय । जब दो धातु के सिक्के एक साथ विधिमान्य मुद्रा होते हैं, तो मुद्रा की पूर्ति बढ जाती है । पर बैंक प्रणाली के विकास और पत्र-मुद्रा व साख-पत्रों के प्रयोग से यह कमी पूरी हो गई । परिणाम यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान की आशा सदैव के लिए समाप्त हो गई ।

द्विधातुमान के गुण तथा अवगुण (Merits and Demerits of Bimetallism)—द्विधातुमान के गुण निम्नलिखित हैं—(१) इस प्रकार की मुद्रा की पूर्ति आसानी से बढ़ाई जा सकती है चूँकि दो धातुओं से मुद्रा बनाई जाती है । (२) ऋण के लिए बैंक उचित मात्रा में नकद रुपया सरलता से रख सकते हैं । चूँकि चादी या सोना दोनों धातुओं के सिक्के असीमित विधिमान्य मुद्रा होने हैं । (३) सरकार को भी कुछ आर्थिक लाभ होते हैं । एकधातुमान की अपेक्षा इसमें सरकार अधिक सुगमता से नकदी की आवश्यकताओं की व्यवस्था कर सकती है । (४) द्विधातुमान से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी सुविधा हो जाती है क्योंकि इस मान के अन्तर्गत प्रत्येक से विनिमय दर स्थापित की जा सकती है । (५) यदि केवल सोने का एकधातुमान रखा जाय तो इसके लिये सोना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकेगा । इसलिए द्विधातुमान अधिक उपयोगी होता है । (६) १९वीं शताब्दी के अन्त की ओर चादी के भाव में कमी हो जाने के कारण द्विधातुमान अपनाते पर अधिक जोर दिया जाने लगा । यह विचार किया गया कि यदि द्विधातुमान नहीं अपनाया गया तो चादी प्रयोग करने वाले देशों को हानि होगी और ऐसी दशा में, उन देशों के व्यापार पर जो चादी के देशों के वाजारों पर निर्भर करते हैं, बुरा असर पड़ेगा । (७) लोगों का यह विश्वास था कि यह मान अधिक स्थिर रहेगा क्योंकि एक धातु की कीमत गिरने की कमी दूसरे धातु की कीमत की वृद्धि से पूरी हो जायगी ।

द्विधातुमान के अवगुण—पर इन सब गुणों के होते हुए भी द्विधातुमान स्थापित करने के सारे प्रयत्न विफल हुए । सब को विश्वास था कि जब तक अन्तर्राष्ट्रीय ढग पर द्विधातुमान की स्थापना न होगी, तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । और इसकी कोई आशा न थी । यदि केवल एक देश इसे अपनाता तो ब्रेशम के नियम के कारण वह नफरत न होता ।

इनके अतिरिक्त पत्र-मुद्रा के चलन के कारण अब धातुओं के अपर्याप्त होने का भी डर नहीं रहा । सरकार भी पत्र-मुद्रा द्वारा अपनी कठिनाइया हल कर सकती हैं । पत्र-मुद्रा के कारण सरकार भी वित्तीय कठिनाई के समय को गुजार सकती थी ।

और फिर विदेशी विनिमय की प्रणाली जब इतनी विकसित हो चुकी है कि विना धातु के भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हो सकता है ।

पत्र-मुद्रा ने द्विधातु-मान के प्रचलन के विचार को मद्देव के लिए समाप्त कर दिया है।

जिस प्रकार दो मदात्र व्यक्तियों की अपेक्षा एक गम्भीर व्यक्ति अधिक स्थिर पग रख सकता है, इसी भाँति यह देखा गया कि सोना अथवा चादी के एकधातुमान में अधिक स्थिरता होती है।

टकसाली अनुपात तथा मार्केट अनुपात में प्रतिदिन विकर्षण (divergence) होने से व्यापार में गड़बड़, भ्रम तथा कई प्रकार की जटिलताएँ पैदा होती हैं। “यह (द्विधातुमान का कार्यवहन) वाणिज्यिक कार्यवाही तथा राष्ट्रीय स्पर्धा का सूचक है, जिस से वाणिज्यिक व्यवस्था तथा देशभक्ति की भावना को ठेस पहुँच सकती है।”^१

क्या द्विधातुमान में सोना व चादी के बीच सरकारी अनुपात स्थिर रक्खा जा सकता है?—द्विधातुमान के समर्थकों का कहना है कि इम मान में प्रतिकरात्मक क्रिया (compensatory action) होती है क्योंकि टकसाल के भाव और बाजार भाव के अनुपात में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से ऐसी दशायें पैदा हो सकती हैं जिनसे अनुपात स्वयं ठीक हो जाता है। निम्नलिखित उदाहरण में यह बात स्पष्ट हो जायगी—

मान लीजिये कि सोने और चादी में १ : १५ का अनुपात है। अब यदि यह मान लिया जाय कि बाजार में दोनों धातुओं का अनुपात बदल कर १ : १६ हो जाय तो किसी भी व्यक्ति के लिए यह अधिक लाभप्रद होगा कि बाजार में जाकर एक सोने के सिक्के के बदले १६ चादी के सिक्के प्राप्त कर एक सिक्के को तो अपने पास रखे और १५ सिक्कों से टकसाल में जाकर फिर एक सोने का सिक्का ले ले और ऐसा करता रहे। यदि बहुत से लोग यही करना शुरू कर दें तो बाजार में चादी की माँग बढ़ जायगी और उसकी कीमत बढ़ जायगी। ऐसा उस समय तक होता रहेगा जब तक कि चादी की कीमत इतनी न बढ़ जाय कि अनुपात फिर १ : १५ हो जाय। इसके विपरीत यदि सोना सस्ता हो जाय जिससे अनुपात १ : १५ की वजाय १ : १४ हो जाय, तो इससे सोने की माँग बढ़ जायगी और पिछला अनुपात कभी न कभी स्थापित हो जायगा। इसी को द्विधातुमान के समर्थक प्रतिकरात्मक क्रिया कहते हैं।

प्रतिकरात्मक क्रिया सिद्धांत रूप में पूर्ण लगनी है। लेकिन यह एक निरन्तर गतिमान झूले के समान रहेगी। मार्केट में भाव सदा बदलते रहेंगे। जिनके फलस्वरूप कभी सोने के और कभी चादी के सिक्के चलन से निकलते रहेंगे। इस सिद्धांत में मुद्रा मान का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए इस मत के बहुत कम समर्थक हैं। वास्तव में यह वाद अब जीवित भी नहीं रहा।

२ रजत मान (Silver Standard)—रजत मान में द्रव्य की इकाई का मूल्य चाँदी में निश्चित किया जाता है। अक्सर एक निश्चित भार व शुद्धता के सिक्के स्वतन्त्र टकन प्रणाली के अनुसार बनाये जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में

१८३५ से १८९३ तक रजत मान रहा। भारतीय रुपये का भार १८० ग्रेन होता था और इनमें $\frac{1}{2}$ के अनुपात में शुद्धता थी।

इस प्रणाली के चलन की वृद्धि या सकुचन स्वचालित तो अवश्य हो गया पर १८७४ में जब चाँदी का भाव तेजी से गिरने लगा तो सरकार को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मूल्य की यह कमी बहुत कुछ तो इस कारण थी कि चाँदी की पूर्ति बढ़ गई और इसकी माग कम होने लगी। हमारे आयात पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि पौंड के बदले में पहले से अधिक रुपये देने पड़ने लगे, और परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड के प्रति भारत के रुपये से इंग्लैंड में होने वाला व्यय का भार बहुत बढ़ गया। भारतीय वजट के सतुलन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अन्त में हर्शल कमेटी के सुझाव के अनुसार भारत-वर्ष में चाँदी का स्वतन्त्र टक्का बन्द कर दिया गया और इस देश में रजत मान की समाप्ति हुई।

रजत मान व स्वर्ण मान की कार्य-प्रणाली प्रायः एक-सी है। पर स्वर्ण मान इसलिए अधिक ठीक रहता है कि चाँदी की अपेक्षा इसके मूल्य में कम परिवर्तन होते हैं।

३ स्वर्ण परिचलन मान (Gold Circulation Standard)—इसको पूर्ण स्वर्ण मान भी कहते हैं। जिस देश में स्वर्ण केवल मूल्य के मान के रूप में ही नहीं बरन् सिक्कों के रूप में भी प्रचलित होता है, उस देश का मान स्वर्ण परिचलन मान कहलाता है। १९१४ के पहले इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और मयूक्त-राष्ट्र अमेरिका में स्वर्ण मान प्रचलित था। ऐसी प्रणाली मुद्रा के लिए एक ठोस तथा स्पष्ट प्रतिभूति (tangible security) उपस्थित करती है। यह उन लोगों के लिए भी बहुत सुविधाजनक होता है जो विदेश में भ्रमण करते हैं क्योंकि वे अपनी मुद्रा ले जा सकते हैं और ममार के किसी भी भाग में स्वीकार किये जाने की निश्चित आशा रख सकते हैं। यह बहुत ही पुरानी द्रव्य प्रणाली है। इसको हम पुरातन प्रणाली कह सकते हैं।

स्वर्णमान की प्रणाली को हम १९१४ के पूर्व के ब्रिटेन के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। उस देश में एक निश्चित भार के स्वर्ण के सिक्के सावरेन के रूप में चला करते हैं। इस सिक्के में विशुद्ध सोने (११३ १/६२३ ग्रेन भार) के अतिरिक्त थोड़ा मिश्र-धातु भी होता था। सावरेन का असली भार १२३ २७४४७ ग्रेन होता था और इसमें $\frac{1}{2}$ विशुद्धता होती थी। दूसरे गब्दों में, अंग्रेजी मुद्रा के अनुसार $\frac{1}{2}$ विशुद्धता का एक औंस सोना ३ पौंड १७ शिलिंग १० $\frac{1}{2}$ पेंस में प्राप्त किया जा सकता था। चाम्सव में एमे १ औंस सोने के बदले बैंक केवल ३ पौंड १७ शिलिंग ९ पेंस देता था। पर बैंक ने १ औंस सोना खरीदने के लिए ३ पौंड १७ शिलिंग १० $\frac{1}{2}$ पेंस देने पड़ते थे। इस प्रणाली के अनुसार ब्रिटिश सावरेन का कभी भी मूल्य १२३ २७४४७ ग्रेन से अधिक ऊपर या नीचे नहीं हो सकता था।

४ स्वर्ण धातु मान (Gold Bullion Standard)—इस प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा का मूल्य मोने में जम्कित रहता था और इस चल मुद्रा (currency) को मोने (बुलियन अथवा निक्के) में परिवर्तित किया जा सकता था और इसके विप-

रीत भी ऐना ही सम्भव था। पर सोना सिक्को के रूप में प्रचलित नहीं होता।

सयुक्त राष्ट्र (U K.) में बैंक ऑफ इंग्लैंड ३ पाँड १७ शिलिंग १ पैस (१ $\frac{1}{2}$ विगुडना) प्रति औंस सोना खरीद कर ४०० औंस तक सोना ३ पाँड १७ शिलिंग १० $\frac{1}{2}$ पैस के हिमात्र से बेचना था। यह वही दर थी जो १९१४ से पहले प्रचलित थी। सोने का निर्यात अथवा आयात स्वतन्त्र रूप से हो सकता था पर सोने के सिक्के नहीं चलते थे। इसका आगम विदेशी भुगतानों के लिए सोना मुरझित रखने से था।

भारत में १९२७ में हिल्टन यंग कमेटी के मुझावों पर स्वर्ण-धातु मान अपनाया गया। इसके अनुसार राज्य को पूर्व-घोषित दरो पर कम से कम ४०० औंस सोना खरीदना व बेचना पड़ना था। कमीशन का दावा था कि इस प्रकार के मान में केवल स्वर्ण मान की हानिया नहीं होंगी परन्तु लाभ सब होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

(1) यह प्रणाली किफायती थी, चूँकि इससे सोने के सिक्के बनाकर चलन में देने की जरूरत न थी। जनता रोज के चलन में मस्ती मुद्रा जैसे कागजी मुद्रा अथवा रुपये का प्रयोग कर सोने को बचा लेती है।

(II) इसने राज्य का सम्मान बना रहता है क्योंकि सोने का स्वतन्त्र आयात अथवा निर्यात हो सकता है। स्वर्ण विनिमय मान की भाँति केवल विनिमय के लिए ही सोने का प्रयोग नहीं होता।

(III) स्वर्ण धातु मान के अन्तर्गत कागजी मुद्रा स्थिर रहती है, क्योंकि इसे सोने में बदला जा सकता है। लेकिन स्वर्ण विनिमय मान के अन्तर्गत एक साकेतिक मुद्रा (नोट) को दूसरी साकेतिक मुद्रा (रुपये) में बदला जा सकता है।

(IV) यह भी कहा जा सकता है कि इस मान में मुद्रा की वृद्धि अथवा मकुचन अपने आप होता रहता है, क्योंकि मुद्रा की वृद्धि तब होगी जब सोना अधिकारियों को देखेगी और मकुचन तब होगा जब जनता सोना खरीदेगी।

(V) ऐसा विचार किया जाता है कि केन्द्रीय बैंक में मचित होना, अधिक उपयोगी होता है और राष्ट्रीय मुद्रा को उस सोने से अधिक सहारा देता है जो कि परिचलन में होता है।

(VI) स्वर्ण धातु मान जनता को सोना प्राप्त करने की योग्यता तथा उसको गलाने या आयात करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है।

पर यह लाभ वास्तविक नहीं है। कम से कम भारत के लिए तो यह लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि साधारण मनुष्य इतने कागज के नोट कभी भी जमा न कर सकता था कि ४०० औंस सोना (४०० औंस = १०६५ तोला) बदले में ले सके। स्वर्ण धातु मान में मुद्रा के विस्तार और मकुचन को स्वचालित नहीं रखा जा सका।

१९३१ में इंग्लैंड और भारत ने स्वर्ण-धातु मान को छोड़ दिया और स्वर्ण धातु-मान की समाप्ति हो गई। इस प्रकार स्वर्ण-धातु-मान पूर्णतया लुप्त हो गया।

५ स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard) —^१

पहिला देश जिसने स्वर्ण विनिमय अपनाया हालैण्ड है, जिसने १८७७ में इस प्रणाली को अपनाया। रूस ने इसके बाद १८९४ में इसको अपनाया। इसी समय इसको आस्ट्रिया और हंगरी ने भी ग्रहण किया। तो भी इसको पूर्ण तथा सुचारु रूप से अपनाने का श्रेय भारतवर्ष को है जहाँ यह १९०७ में चलना शुरू हुआ। फिलीपाइन द्वीप ने इसको कुछ वर्षों पहिले ग्रहण किया। जेनेवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने जो १९२२ में हुआ, एक प्रस्ताव द्वारा स्वर्ण विनिमय मान को अपनाते की सिफारिश की। १९१४-१८ के युद्ध के समय भारत में यही प्रणाली प्रचलित थी।

इस मान के अन्तर्गत देशीय मुद्रा चादी के रूपों में थी, जो कि साकेतिक सिक्कों व कागज के नोटों की होती थी, पर विदेशी भुगतान के लिए एक विशेष दर पर रूपों के बदले ब्रिटिश मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। लंदन में राज्य सचिव, परिषद् विपत्र (council bill) को (रूपों) उन लोगों के भुगतान के लिए दिया करता था जो भारत में सौदों की अदायगी करना चाहते थे। भारत सरकार जब भारत में राज्य सचिव के विकर्ष (draft) बेचती थी तो वे प्रति-परिषद् विपत्र (Reverse Council Bill) कहलाते थे। इस क्रय-विक्रय की दर ऐसी होनी थी कि स्टर्लिंग व रूपों का अनुपात १ शिलिंग ४ पैसे अथवा इसके आसपास रहे।^१

स्वर्ण विनिमय मान में यह आवश्यक होता है कि दो प्रकार के रिजर्व रखे जाय। एक तो उस देश में, जो इसे अपनाये और दूसरा विदेश में। यदि यह रिजर्व पर्याप्त होंगे तो प्रणाली सफल रहेगी। इसी उद्देश्य से भारत सरकार एक स्वर्णमान रिजर्व रखा करती थी। जो देश इस मान को अपनाता था वह उस देश पर, जिसकी मुद्रा से अपनी मुद्रा को सवधित करता था, आश्रित होता था। भारत सरकार इस आशय के लिए एक रिजर्व रखती थी, जिसे स्वर्ण-मान-रिजर्व कहते थे।

प्रथम महायुद्ध में चादी की कीमत और रूपों की माग बढ़ जाने के कारण यह प्रणाली समाप्त हो गई। चादी की कीमत बढ़ जाने से रूपों जमा किया जाने लगा और गलाया जाने लगा। सरकार पुराने भाव पर रूपों नहीं दे सकती थी। पहले सरकार ने रूपों का भाव बढ़ा दिया। पर बाद में स्टर्लिंग में रूपों को स्थिर रखने का प्रयत्न छोड़ दिया गया।

सन् १९२० में फिर स्वर्ण विनिमय मान को २ शिलिंग (सोना) प्रति रूपों अपनाते का प्रयत्न किया गया पर असफल रहा। इस बार इसकी असफलता का कारण यह था कि चादी की कीमत एक दम गिर गई और आयात निर्यात से बढ़ जाने के कारण विदेशों में भुगतान के लिए स्टर्लिंग की माग अधिक हो गई। सरकार दो शिलिंग स्वर्ण प्रति रूपों के भाव में अथवा दो शिलिंग स्टर्लिंग के भाव से रूपों नहीं बेच सकी और स्वर्ण विनिमय मान स्थापित करने का प्रयत्न असफल रहा।

स्वर्ण विनिमय मान की कुछ विशेषताएँ ये हैं (१) द्रव्य मान प्रत्यक्ष अथवा

1. Before the war of 1914-18 the selling and buying rates of the Rupee were 1 s 4½ d and 1 s 32½ d respectively, the former in London (Council Bills) and the latter in India (Councils)

अप्रत्यक्ष रूप से सोने की कुछ मात्रा में स्थिर कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ भारतीय रुपया ७ ५३ ग्रेन के बराबर बनाया गया था। (२) स्थानीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा से बाध दिया जाता है और स्थानीय टकसाल में स्वतन्त्र डलाई नहीं होती ताकि उसका मूल्य बनाये रखने में कोई अडचन न पड़े। (३) यह आवश्यक है कि दूसरे देश में एक स्वर्ण रिजर्व रहे और पीछे चलने वाले देश में स्थानीय मुद्रा का रिजर्व रहे ताकि मुद्रा का विनिमय मूल्य घटे-बढ़े नहीं। (४) दोनों देशों में ड्राफ्ट (draft) स्वतन्त्रता से बेचे जाते हैं ताकि वास्तविक विनिमय दर में स्थिर दर से अधिक परिवर्तन न हो।

स्वर्ण विनिमय मान के बहुत से लाभों में से एक लाभ यह भी है कि इसके अन्तर्गत पूर्ण स्वर्ण मान के संपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं जबकि वास्तव में सोने के सिक्के नहीं चलाने पड़ते। इस तरह यह तरीका किफायती है। इसके अतिरिक्त भारत के रुपये पर स्टर्लिंग से सम्बन्ध हो जाने से कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत को लाभ हुआ है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में सुविधा हो गई और विश्व व्यापार में भारतीय रुपये का सम्मान बढ़ गया। इस प्रणाली से होने वाले सामान्य लाभ यह हैं (१) यह किफायती होता है। (२) यह विदेशी व्यापार को सहायता पहुँचाता है। (३) यह मुद्रा के बाहरी मूल्य को स्थिर रखता है। (४) इससे कीमतों का तुलनात्मक स्तर भी स्थिर रहता है।

स्वर्ण विनिमय मान के अवगुण (Defects of the Gold Exchange Standard)—स्वर्ण विनिमय मान की या इससे मिली-जुली व्यवस्था की जो, युद्ध के बीच के काल में कार्य करती थी, बड़ी आलोचना की गई है एक तो इस पर मुद्रा-प्रसार के बढ़ाने का दोष रखा जाता है। पर यह मुद्रा-प्रसार के बढ़ाने के बजाय मुद्रा-सकुचन की विधि थी। दूसरे केन्द्रिय बैंक, स्वर्ण की अपेक्षा विनिमय रिजर्व पर अधिक भरोसा रखने में एक समान रीति न मानते थे। अतः उनके पृथक् कार्य आर्थिक अशान्ति पैदा कर देते थे। तीसरे, किसी विदेशी मुद्रा में रिजर्व रखना राष्ट्रीय गौरव को घक्का पहुँचाना है। चौथे, चूँकि यह अग्रेजों का दास समझा जाता था, इसलिए बहुत से देश इसको पसन्द नहीं करते थे। पाचवें, इसमें विदेशी मुद्रा के अवमूल्यन (depreciation) का भय था जिसमें रिजर्व रखे जाते थे। छठे, यह कहा जाता था कि स्वर्ण गति के विपरीत विदेशी विनिमय रिजर्व में गति से मुद्रा-सकुचन व मुद्रा-प्रसार न होता था।

जहाँ तक इस मान का सबब भारतवर्ष से है, हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी कटु आलोचना की है। इस सम्बन्ध में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं।

(i) यह प्रणाली सरल नहीं है और 'अशिक्षित जनता की समझ में नहीं आती।' ऐसी प्रणाली जिसे शिक्षित भारतीय भी अधिक नग समझते हों, जनता की विश्वास-पात्र नहीं हो सकती। इससे लोगों के हृदय में अधिकारियों के प्रति एक उत्पन्न हो गया।

(ii) भारत में इस प्रणाली के अन्तर्गत कई प्रकार के रिजर्व दो स्थानों पर रखने पड़ते थे। भारत में ऐसे तीन रिजर्व थे, जिनके प्रतिरूप इंग्लैण्ड में होते थे। यह

रिजर्व इस प्रकार थ (a) स्वर्णमान रिजर्व (Gold Standard Reserve), (b) पत्र चल मुद्रा रिजर्व (Paper Currency Reserve) और (c) भारत सरकार के भुगतान (Government of India's Balances)

(III) प्रणाली स्वचालित नहीं थी क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली चलमुद्रा अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर थी।

(IV) इसमें लोच का सर्वथा अभाव था। यह अवश्य था कि परिषद् विपत्र (council bills) को पूरा करने के लिए जब रुपये निर्गमन (issued) किये जाते थे तो मुद्रा का विस्तार होता था। किन्तु बुराई यह थी कि एक बार निर्गमन होने के पश्चात् इनका चलन जारी रहता था। कोई ऐसा उपाय न था जिसमें मुद्रा का सकृचन भी हो सके।

(V) सब से बड़ी बात यह थी कि इस प्रणाली से एक देश की मुद्रा-नीति दूसरे देश की मुद्रा-नीति पर आश्रित हो जाती थी। भारतीय रुपये को अंग्रेजी मुद्रा की सब मुमीवतों में हाथ बटाना पड़ता था।

(VI) हिल्टन यंग कमीशन का विचार था कि इस मान में कुछ जन्मजात बुरा-इया है जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता और इसलिए उन्होंने इसे समाप्त कर स्वर्ण-वुलियन मान अपनाने की राय दी।

६ स्वर्ण समहिता मान (Gold Parity Standard)—स्वर्ण मान की सूची में सबसे बाद में आने वाला स्वर्ण समहिता मान है। यह वह मान है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्षता के अधीन प्रचलित है। इस प्रणाली में सोने के सिक्के नहीं चलाये जाते। सोना विनिमय का माध्यम नहीं होता। देश की करेन्सी में नोट तथा कुछ धातु के सिक्के होते हैं लेकिन सोने के नहीं और न यह नोट सिक्कों में बदले जा सकते हैं जैसे पूर्ण स्वर्ण मान में, न स्वर्ण धातु में जैसा कि स्वर्ण धातु मान में होता है और न स्वर्ण विनिमय मान की तरह हमारी स्वर्ण पर आधारित विदेशी मुद्रा में। इस प्रणाली में सोने का कार्य केवल यह है कि मुद्रा अधिकारी देश की मुद्रा की विनिमय दर को सोने की एक निश्चित मात्रा में स्थिर रखने का भार अपने ऊपर लेता है। यह वह स्वर्ण माप है जिसको अ० मु० को० के सदस्य देश मानते हैं।

६ स्वर्ण मान के लाभ तथा हानिया (Advantages and Disadvantages of Gold Standard)—स्वर्णमान के, विशेषतः जब यह अन्तर्राष्ट्रीय ढग पर अपनाया जाय तो कई लाभ होते हैं—

(१) इसके ऊपर सरकार की अथवा चलमुद्रा अधिकारियों की वस्तुपरक (objective) नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(२) इसमें देग की मुद्रा की ऋय-शक्ति दीर्घकाल में स्थिर रहती है। इसका कारण यह है कि देग की मुद्रा और साख स्वर्ण पर आधारित होती है।^१

(३) स्वर्ण मान का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि इससे मुद्रा का बाह्य मूल्य

(विनिमय दर) स्थिर रहता है।^१ वास्तव में स्वर्ण मान से विनिमय स्थिर हो जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन हो जाता है।

(४) स्वर्णमान से अन्तर्राष्ट्रीय ढग पर मूल्य का माप प्राप्त हो जाता है। फाऊलर कमेटी (Report on Indian Currency in 1898) के समक्ष मार्गल ने यह कहा था कि स्वर्णमान को अपना रेल लाइनो को मुख्य लाइनो से मिलाकर एक रेल सघ की स्थापना करने के समान है। क्योंकि विनिमय दर में परिवर्तन होने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा पडती है।^२ इससे विदेशी व्यापार में बड़ी सुविधा मिलती है।

(५) स्वर्ण मान से विभिन्न देशों के बीच भुगतान की रकमें स्वयं स्थिर हो जाती हैं। यह बात छोटे से उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी। मान लीजिये कि इंग्लैण्ड और अमेरिका दोनों में स्वर्णमान है और दोनों में आपस में व्यापार होता है। अब यदि इंग्लैण्ड की ओर से अमेरिका का कुछ भुगतान बाकी है, तो ऐसी दशा में इंग्लैण्ड से अमेरिका को सोना भेज दिया जायगा। अग्रेजी केन्द्रीय बैंक को इससे हानि होगी। और फलस्वरूप इंग्लैण्ड में मुद्रा का मकुचन हो जायगा जिससे इंग्लैण्ड में कीमतें गिर जायेंगी। अमेरिका में मुद्रा का विस्तार होने के कारण मूल्य बढ़ जायेंगे। ऐसी दशा में इंग्लैण्ड में क्रय में लाभ रहेगा और विक्रय में हानि। इसके विपरीत अमेरिका में विक्रय में लाभ रहेगा और क्रय में हानि, इंग्लैण्ड का निर्यात बढ़ जायगा और आयात कम हो जायगा और अमरीकी निर्यात कम हो जायगा व आयात बढ़ जायगा। साम्यावस्था होने तक भुगतान इंग्लैण्ड के हक में होगा। सोने का आदान प्रदान इस प्रकार कीमतों तथा व्यापार पर प्रभाव डालकर स्वर्णमान देशों में साम्यावस्था बनाए रखता है। इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे।

(६) इससे जनता में राज्य की ओर विश्वास पैदा होता है और विदेशों में देश का सम्मान बढ़ता है। जब तक "दस व्यक्तियों में से नौ व्यक्ति हर देश में स्वर्णमान को अच्छा समझते हैं तो वह सर्वोत्तम ही है।"

हानियाँ (Disadvantages)—

(1) यह बहुत महगी होती है और लागत भी फिजूल होती है। हमें केवल विनिमय का माध्यम ही चाहिए और यह माध्यम सोने का बना हुआ क्यों हो यह तो विलास मात्र की भावना है। 'पीली धातु को केवल असभ्य जातिया ही पसन्द करेगी।'

(ii) स्वर्ण का मूल्य भी दीर्घकाल में पूर्णतः स्थिर नहीं रहता।

(iii) स्वर्णमान में चल मुद्रा को आवश्यकतानुसार बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि चल-मुद्रा की पूर्ति स्वर्ण की पूर्ति पर निर्भर करती है जिसका कि मवब खानों में है और खानों के ऊपर उद्योग अथवा व्यापार के विस्तार का कोई प्रभाव नहीं पडता।

हाल में स्वर्णमान भी प्रबंधित (managed) मान रह गया है। केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली को स्वर्णमान पर नियन्त्रण करने का भार सौंपा गया। ऐसी दशा में यह मान स्वचालित नहीं रहा।

१ विदेशी विनिमय का अध्याय देखिये।

२ Report, Fowler Committee, para 34

(1V) स्वर्णमान वाह्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए आन्तरिक स्थिरता की आहुति देता है, चूँकि इस मान में अन्तर्देशीय विनिमय पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

(v) इसके अतिरिक्त “स्वर्ण की गति से व्याज की दरों में परिवर्तन हो जाता है। जिससे केवल आय को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए विनियोजन (investment) की उन्नति अथवा अवनति होती है।” (बैनहम)

(1V) स्वर्णमान के देश की स्वतन्त्र नीति नहीं हो सकती। स्वर्णमान स्थिर रखने के लिए देश को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कभी कभी अपनी मुद्रा का सकुचन (deflate) करना पड़ता है। इस प्रकार का सकुचन देश के लिए बड़ा हानिकर होता है। क्योंकि इससे देश में बेकारी फैलती है और उद्योग आदि को हानि पहुँचती है।

८ व्यावहारिक रूप में स्वर्णमान (Gold Standard in Practice)—स्वर्णमान के लाभ केवल सैद्धान्तिक हैं, व्यावहारिक नहीं। इनको तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि स्वर्णमान का देश इसके नियमों का सदैव पालन करता रहे।¹ प्रथम महायुद्ध तक स्वर्णमान सफल रहा, क्योंकि उस समय तक देशों ने इसके नियमों का पालन किया। इसके अतिरिक्त, क्योंकि सोने के सिक्के भी चलते थे, इसलिए केन्द्रीय बैंक के सोने और भुगतानों के माध्यम के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध था।

किन्तु युद्ध के पश्चात् स्वर्ण धातुमान ने केन्द्रीय बैंक को करेन्सी में घट-बढ़ करने की अधिक शक्ति दे दी क्योंकि साख और द्रव्य के लिए रखे गये रिजर्व के अनुपात में काफी परिवर्तन लाया जा सकता था। इस प्रकार स्वर्णमान ने, स्वचालित न रह कर, “प्रवर्धित” चलन प्रणाली का रूप ले लिया है।

९ स्वर्णमान के नियम (Rules of Gold Standard) —स्वर्णमान की सफलता के लिए चलमुद्रा अधिकारियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है।

एक तो देश में बहुत अधिक व्यापारिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए जिससे भुगतानों की असाम्यावस्था (disequilibrium) वस्तुओं की गति से व्यवस्थित हो जाय। स्वर्ण को केवल अल्पकाल में गतिशील होना चाहिए।

दूसरे, स्वर्णमान के देशों की आर्थिक व्यवस्था में काफी लोच होनी चाहिए जिससे कीमत और मजदूरी अपने को सोने के साथ व्यवस्थित कर ले।

तीसरी बात यह है, और यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है, कि राज्य व केन्द्रीय बैंक को सोने की गति के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जिस देश में सोने की हानि हो वहाँ पर कीमतों को गिरने देना चाहिये। और जिस देश में सोना अधिक हो वहाँ कीमतों को बढ़ने देना चाहिए। जब सोना देश में आय तब मुद्रा का विस्तार करना चाहिए और जब सोना देश में बाहर जाय तब मुद्रा का सकुचन करना चाहिए। जैसा क्रॉउथर (Crowther) कहते हैं “स्वर्ण मान का स्वर्ण

नियम यह है जब सोना आता हो तो साख को बढ़ाओ और जब सोना बाहर जाता हो तो साख को घटाओ ।”^१

प्रथम महायुद्ध के बाद ये शर्तें पूरी नहीं हो सकी और स्वर्ण मान के देशों ने इन नियमों का पालन नहीं किया ।

१०. स्वर्णमान क्यों समाप्त हो गया ? (Why Gold Standard Broke Down?)—प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने के पश्चात् थोड़े ही दिनों बाद एक के बाद दूसरे देश ने स्वर्ण मान समाप्त होता चला गया । इसके कई कारण थे ।

यह बात बड़े महत्त्व की है कि राजनैतिक अनिश्चितता के कारण बहुत से योरोपीय राज्य अपनी पूँजी के कुछ भाग विदेशी बैंकों, विशेषकर इंग्लैण्ड में रखने लगे । इन पूँजियों को किसी समय भी तनिक से भय के आभास-मात्र से निकाला जा सकता था । चूँकि फ्रांस ने ब्रिटेन में अपनी पूँजी का भाग निकलवा लिया, इसलिए इंग्लैण्ड में १९३१ में स्वर्ण मान समाप्त हो गया । बैंक आफ इंग्लैण्ड इतने कम समय में इतना अधिक सोना खो देना न सह सका ।

इसके अतिरिक्त प्रथम महायुद्ध के फलस्वरूप बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व (International Obligations) व युद्ध क्षतिपूर्ति (Reparations) दायित्व पैदा हो गये । क्योंकि महाजन देशों ने वस्तुओं के रूप में भुगतान लेने से इन्कार कर दिया और अधिक ऋण देना भी पसन्द न किया, इसलिये ऋणी देशों को स्वर्ण द्वारा इस ऋण का भुगतान करना आवश्यक हो गया । परिणाम यह हुआ कि ससार के सोने का ३/४ भाग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व फ्रांस में जमा हो गया । जो सोना और देशों में बचा वह इतना नहीं था कि वह सफलतापूर्वक स्वर्ण मान को स्थापित रख सकता ।

इस मान के असफल होने का तीसरा कारण यह था कि जिन देशों को सोना प्राप्त हुआ उन्होंने स्वर्ण मान नियमों का पालन नहीं किया । उन्होंने (विशेषतया यू. एस. ए.) अपने देश में प्रचलित कीमतों को इस आए हुए सोने से प्रभावित नहीं होने दिया—फलस्वरूप सोना प्रभावहीन (sterilised) हो गया और स्वर्ण मान स्वचालित रूप से काम न कर सका । यदि इन देशों में कीमते बढ़ती तो आयात को प्रोत्साहन मिलता और निर्यात पर रोक रहती और इस प्रकार व्यापार संतुलन हक में न होने से सोने की गति दूसरी ओर हो जाती । चूँकि ऐसा नहीं होने दिया गया, स्वर्ण मान स्वयं ही बन्द हो गया ।

और फिर प्रथम महायुद्ध के बाद हर देश का आर्थिक ढाँचा अत्यधिक लोचनीय हो गया था । इसके कई कारण थे । राज्यों तथा स्थानीय अधिकारियों के ऊपर ऋण होने के कारण दीर्घकाल के व्याज की किराँतों का भुगतान आवश्यक हो गया और दूसरे आवश्यक व्यय कम नहीं किये जा सके । अव. ट्रेड यूनियन भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे । एकाधिकार व गुटबन्दी के कारण कच्चे माल के मूल्य भी निश्चित रूप से स्थिर हो चुके थे । फलस्वरूप स्वर्ण गति के अनुसार कीमते उभर दिशा में न चल सकीं और

पुराने ढंग पर माम्भावस्था को न लाया जा सका।

यही नहीं, इस मान की सब से बड़ी कमजोरी यह थी कि सकट के समय यह मान मदैव असफल हो जाता था। इसलिए अक्सर यह मान अनुकूल समय मान (fair weather standard) के नाम से पुकारा जाता था।

और अन्तिम कारण यह था कि स्वर्ण गति के कारण व्याज की दरों में अनावश्यक परिवर्तन होते रहते थे। उदाहरण के लिए मान को स्थिर रखने के लिए सकट के समय मुद्रा सकुचन करना आवश्यक हो जाता है, पर इस प्रकार के मुद्रा-सकुचन का प्रभाव बहुत बुरा होता है। गिरते हुए मूल्य का सरकार व निश्चित भुगतान करने वाले लोगों पर बुरा असर पड़ता है। और फिर मूल्यों के गिरने से बेकारी आदि फैलती है और व्यापार को भी आघात पहुंचता है।

यही कारण है कि सब देशों ने यह स्वर्ण मान छोड़ दिया।

११ स्वर्ण मान का भविष्य (Future of Gold Standard)---

इन अनुभवों के बाद अब शायद कोई भी देश स्वर्ण मान अमान्य पसन्द न करेगा। १९१४ के पूर्व के व्यापार की दशाओं में इस मान ने लगभग स्वयंचालित होकर काम किया पर लड़ाई के बाद के अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया कि इसकी सफरता के लिए समुचित संगठन व बहुत अधिक सहयोग की आवश्यकता है। पर आर्थिक प्रणाली की दृढ़ता के कारण मूल्य व व्यय में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी जिससे कि यह मान सफर रहता। युद्ध काल के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया कि स्वर्ण मान में पर्याप्त व्यवस्था (management) की जरूरत है, तथा दूसरे स्वर्ण-मान स्तर वाले देशों के अधिकाधिक सहयोग की भी। "स्वर्ण मान उसी दशा में कार्यशील होगा जब प्रत्येक साथ पग बढ़ा कर साथ-साथ चलने के लिए तैयार रहे।" जब तक स्वर्ण मान के नियमों का पालन नहीं किया जायगा, यह सफरतापूर्वक काम नहीं करेगा। आर्थिक चेष्टाओं की कठोरता भी कीमतों और लागतों के स्तर के समायोजन (adjustment) में बाधक रही जो इसके सुचारु रूप से चलने में इतनी जरूरी थी।

और फिर विभिन्न देशों के बीच इसका वितरण भी ठीक नहीं था। अमरीका के पास १९३९ में ससारा का ८०% सोना था और इसका वितरण तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि वस्तुएं स्वतन्त्र गति द्वारा फिर से व्यवस्थित न हो जायें। इन सब बातों के लिए बहुत अधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। यदि किसी प्रकार ऐसा सहयोग प्राप्त हो जाय तो एक ऐसी संगठित प्रणाली को, जिसमें सोने की इतनी महत्ता नहीं होनी जितनी कि स्वर्ण मान में, कार्यान्वित किया जा सकता है। लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं रहा कि सोना कीमतों भन्वा विनिमय के स्तर को स्थिर रख सकता है। इसके विपरीत दूसरे देशों में प्रवृत्त चक्र-मुद्रा प्रणाली बड़ी सफर रही, उदाहरण के लिए इंग्लैंड में।

इसके विपरीत अमरीका व दक्षिणी अफ्रीका आदि स्वर्णोत्पादक देश जिन्हीं भी ऐसी प्रणाली का समर्थन नहीं कर सकते थे, जिनमें सोने का कोई भाग नहीं। और दिन कोई भी संगठित प्रणाली, जो स्वर्ण की दृढ़ नींव पर स्थिर न हो, विश्वासपात्र

नहीं हो सकती ।

फरस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष^१ की ब्रैटनवुड्म स्कीम में एक मध्यम मार्ग निकाला गया। इस स्कीम का ध्येय अन्तर्देशीय महयोग द्वारा स्वर्ण-मान को हानिनों को दूर कर उसके सम्पूर्ण लाभ प्राप्त करना है। इस प्रवन्ध का भी आचार स्वर्ण होगा, पर उसका वह प्रमुख महत्व नहीं रहेगा जो स्वर्ण मान के अन्तर्गत था। इस प्रवन्ध का अध्ययन हम विदेशी विनिमय के अध्याय में करेंगे।

१२ स्वर्ण मान के कार्य (Functions of Gold Standard)—
स्वर्ण-मान के विषय को समाप्त करने से पहिले हम देख सकते हैं कि आधुनिक स्वर्ण-मान दो कार्य करता है —

(१) मुद्रा के आन्तरिक मूल्य का स्थायित्व (Stability of Internal Value of Currency)^२—पहिला कार्य मुद्रा के आन्तरिक मूल्य अथवा घरेलू कीमतों के स्तर का स्थायित्व है। हर प्रकार के स्वर्ण मान में मुद्रा मोने से जुड़ी रहती है। इन कडी के द्वारा देश मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण रखता है तथा उसकी व्यवस्था करता है। इंग्लैण्ड में सन् १९३९ में विश्वासनिष्ठ निर्गम (Fiduciary Issue) जो कि कुल नोट निर्गम का $\frac{१}{५}$ था, ४० करोड पीण्ड था। चूकि इसके अतिरिक्त नोटों के बदले में १०० प्रतिशत मोना रखना पडता था, इसलिए नोटों का निर्गम वगैर मोने की वृद्धि के नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस प्रकार सोना नोटों के निर्गम पर रोक लगता था। युद्ध काल में विश्वासनिष्ठ निर्गम में समय-समय पर वृद्धि की गई। यहा तक कि १९४७ में वह नोटों के निर्गम के बराबर हो गया और मोने का सहारा बिल्कुल जाता रहा। इससे अधिक नोटों का निर्गम नियम-विरुद्ध होता यदि साथ-साथ केन्द्रीय बैंक के पाम मोना न बढ़ाया जाता। रिजर्व के बारे में कोई भी नियम क्यों न हो कोई भी केन्द्रीय बैंक वगैर नियम भंग किये अपने पास के सोने से अधिक नोट निर्गम नहीं कर सकता। इस प्रकार स्वर्ण मान यह निश्चित करता है कि देश की मुद्रा एकद्वारगी तथा त्रिना मोचे नभझे बढ़ा ली जाय। इससे कीमतों के स्तर में स्थायित्व आ जाता है।

(२) बाह्य मूल्य का स्थायित्व (Stability of External Value)—स्वर्ण मान का दूसरा कार्य आधुनिक समय में मुद्रा के बाह्य मूल्य का स्थायित्व है। यह कार्य केन्द्रीय बैंक पर यह प्रतिबन्ध लगाकर किया जाता है कि वह एक निश्चित दर पर असीमित मात्रा में सोना बेचे व खरीदे। अतएव एक निश्चित दर पर खरीद सकने वाला खरीदार सोने की कीमत निश्चित करने योग्य रहता है। जब तक इन नियम का मुधार या खंडन नहीं किया जाता तब तक मोने की धातु की बाजार खरीदार की ध्या पर रहती है। हर देश में जहा यह नियम लागू होता है मुद्रा की एक इकाई तथा एक औन मोने में निश्चित अनुपात रहता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उपबन्ध (provisions) के अनुसार है। सोने के द्वारा सारे देशों की मुद्रा में एक निश्चित अनुपात स्थापित हो

1 Chapter XLI

2 See Crowther, G—An Outline of Money, 1950, pp 281-85

जाता है। जैसा क्राउथर (Crowther) कहते हैं "स्वर्ण मान यह निश्चित करने का एक उपाय है कि विनिमय बाजार में एक मुद्रा की माग तथा पूर्ति सदैव एक होगी।" इस प्रकार स्वर्ण मान उद्बन्धन (pegging) का एक विशेष नमूना हो जाता है।

स्वर्णमान की आधुनिक स्थिति यह है कि यह स्वर्ण मान की अपेक्षा डालर मान अधिक है। इसका कारण यह है कि रूस को छोड़कर २९ बड़े देशों के सोने का कुं भाग मर्यादित राष्ट्र अमरीका में है। कुछ समय के लिए, अमरीका की वस्तुओं की माग अधिक रहने के कारण दूसरे देश अमरीका को अधिक मोना देगे और इस प्रकार इनके पास कम से कम सोना रह जायगा। अनुकूल व्यापाराधिक्य (favourable balance of trade) द्वारा उनको मोना प्राप्त करने की बहुत कम आशा है। क्या मसार सोने के चिन्ह को छोड़कर डालर का चिन्ह अपनायेगा या नहीं? यह सच है कि स्वर्ण मान की अपेक्षा डालर की पूर्ति ही मुख्य देशों की मुद्राप्रणाली में प्रभुत्व रखेगी। जब तक मोने का वर्तमान असमान वितरण ठीक न किया जायगा, जिसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, स्वर्ण मान के रहने की तनिक भी आशा नहीं है। अमरीका की वस्तुओं की वेलोच माग के कारण अन्य मुद्राओं का डालर में अवमूल्यन (devaluation) कोई विशेष सहायक न होगा।

१३ स्वर्ण की गतियों के कारण (The Causes of Gold Movements)—'स्वर्ण मान के नियमों' में स्वर्ण के बाहर जाने व अन्दर आने का वर्णन किया गया था। अब हम यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि इस गति के कारण क्या है। बेनहम ने इसके निम्न कारण बताये हैं।^१

(१) मुद्रा-सवध नीति (Monetary Policy)—यदि कोई देश अपने देश में मुद्रा प्रसार कर दे, और दूसरे देश न करें तो इस देश में कीमतें बढ़ जायगी। इससे निर्यात कम हो जायेंगे और आयात बढ़ जायेंगे। और यदि स्वतन्त्र स्वर्ण मान हुआ तब मोना बाहर चला जायगा।

(२) पूँजी की गति (Capital Movement)—यदि कोई देश दूसरे देशों में रुपया उधार देता है, तब सोना देश से बाहर जायगा पर जब ऐसा होता है और स्वर्ण मान के नियम माने जाते हैं, तो मुद्रा-सकुचन प्रारम्भ हो जाता है (अथवा द्रव्य आय कम हो जायगी)। फलस्वरूप मूल्य गिरने लगते हैं, आयात कम हो जाते हैं और निर्यात बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में स्वर्ण लौटने लगेगा। जिस देश को स्वर्ण मिलेगा उसकी द्रव्य में आय बढ़ जायगी (चलमुद्रा में फैलाव होगा) और वहाँ कीमतें भी बढ़ जायगी। ऐसे देशों में आयात बढ़ जायेंगे और निर्यात कम हो जायेंगे। इससे व्यापार का अनुलन हक में न रहने में ये सोना बाहर चला जायेगा।

(३) वस्तुओं की पारस्परिक माग व पूर्ति (Reciprocal Supply and Demand of Goods and Services)—जिस देश में वस्तुओं और सेवाओं का अधिक निर्यात होता है, उसके पास नन्दन अधिक होगा, तथा हालात के अनुसार

1 Benham, T. —Economics, 1940, pp 456 59

विपरीत अवस्था में भी ऐसा ही होगा ।

(४) जनसंख्या में परिवर्तन (Changes in Population)—यदि जनसंख्या आप्रवास (immigration) के कारण बढ़ जाती है तो द्रव्य की माग बढ़ जायगी और उसके मूल्य बढ़ने से कीमतें कम हो जायेंगी । निर्यात बढ़ने लगेंगे, आयात कम हो जायेंगे और सोना देश के अन्दर आने लगेगा । जनसंख्या कम होने से इसके विपरीत प्रभाव होंगे ।

(५) पूँजी में परिवर्तन (Changes in Capital)—जिस देश में वचत अधिक होगी, वहाँ पूँजी का मन्च अधिक होगा । इससे उत्पादन बढ़ जायगा, कीमतें कम हो जायेंगी, निर्यात बढ़ेंगे, आयात कम हो जायेंगे और सोना देश में आने लगेगा ।

(६) उत्पादन-प्रणाली में परिवर्तन (Changes in Technique)—उत्पादन-प्रणाली में उन्नति होने से उत्पादन सस्ता हो जायगा । निर्यात बढ़ जायेंगे, आयात कम हो जायेंगे और सोना देश में आने लगेगा ।

(७) माग में परिवर्तन (Changes in Demand)—यदि किसी कारण विदेशों में देश की वस्तुओं की माग कम हो जाती है, तो निर्यात कम हो जायेंगे और सब बातें समान रहने पर सोना बाहर जाने लगेगा ।

“यह ध्यान रखना चाहिये कि इस सत्र में दूसरे देशों से संबंधित परिवर्तन ही हैं न कि निरपेक्ष (absolute) परिवर्तन, जो महत्वपूर्ण होने हैं ।” (Benham)

१४. कागजी मान या प्रबंधित कागजी मान अथवा चलमुद्रा विनिमय मान (Paper Standard or Managed Paper Currency or Currency Exchange Standard)—इस प्रणाली के अन्तर्गत कागजी द्रव्य प्रमुख द्रव्य होता है । देश के चलमुद्रा अधिकारी कागजी द्रव्य का सोने में विनिमय करने का उत्तरदायित्व नहीं लेते । विश्वव्यापी मदी के पश्चात् बहुत से देशों को, जिनमें भारत और ब्रिटेन भी थे, स्वर्णमान छोड़ना पड़ा । इस प्रकार इन देशों में कागजी मान अपनाया ।

भारत में मुद्राकन का अधिकार रिजर्व बैंक आफ इंडिया को है । इस बैंक ने स्टर्लिंग के सम्बन्ध में रुपये के मूल्य का अनुपात १ शि० ६ पैस रखा है । यह स्टर्लिंग को १ शि० ६^३/_४ पें० प्रति रुपये के हिसाब में खरोदना है और १ शि० ५^३/_४ पें० प्रति रुपये के हिसाब से बेचता है । किन्तु यह क्रय-विक्रय की मात्रा £१०००० से कम होनी चाहिए । देश की करेन्सी में रुपये (साकेतिक) के नोट व सिक्के सम्मिलित हैं ।

यह प्रणाली द्रव्य विनिमय-मान की प्रणाली है क्योंकि इसमें मुद्रा सोने पर आधारित न होकर एक देश की मुद्रा पर आधारित है । यदि यह देश फ्रांस होता तो यह मान फ्रैंक विनिमय मान कहलाता और यदि अमेरिका होता तो वह डालर विनिमय मान कहलाता ।

आजकल ब्रिटेन में भी कागजी द्रव्य मान है, यद्यपि ब्रिटिश स्टर्लिंग को डालर के मूल्य से संबंधित कर दिया गया है । १९४९ की सितम्बर में डालर के हिसाब में स्टर्लिंग का मूल्य लगभग ३० प्रतिशत कम हो गया ।

यद्यपि १९३१ से ब्रिटेन ने स्वर्णमान छोड़ दिया है और स्टर्लिङ्ग सोने में बदला नहीं जा सकता तब भी इन देश की मुद्रा १८४४ के बैंक चार्टर एक्ट के अनुसार स्वर्ण के रिजर्व द्वारा व्यवस्थित रहती है।

स्टर्लिङ्ग के बाह्य मूल्य में परिवर्तनों को रोकने के लिए एक विनिमय समकारी लेखा (Exchange Equalization Account) बना दिया गया है। इस हिमाव का नियन्त्रण ब्रिटिश ट्रेजरी द्वारा होता है। पर वास्तव में यह बैंक ऑफ इंग्लैंड का एक भाग है। जब ब्रिटेन में विदेशी मुद्रा बहुत आ जाती है तो स्टर्लिङ्ग की माग बढ़ जाती है और फलस्वरूप उसका मूल्य भी जाता है। पर इन मुद्राओं को विनिमय समकारी निधि (Exchange Equalization Fund) प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार स्टर्लिङ्ग के मूल्य में वृद्धि रुक जाती है। इसी प्रकार जब मुद्रा इंग्लैंड के बाहर जाती है, तब स्टर्लिङ्ग का मूल्य गिर जाता है और तब यह विनिमय सरकारी लेखा सोने के भुगतान करके स्टर्लिङ्ग के मूल्य में परिवर्तन होने से बचाता है।

१५ सर्वोत्तम मुद्रा प्रणाली (The Best Currency System)—
अब प्रश्न यह है कि सबसे अच्छी मुद्रा-प्रणाली कौन-सी है। इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न मानों ने काफी सफलता से काम किया है। इसलिए इन प्रश्नों को रखना अधिक उचित होगा अच्छी चलमुद्रा प्रणाली की क्या परीक्षा है।

एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली में निम्नलिखित गुण होने चाहियें —

(1) यह देश में कीमत की स्थिरता रखने में समर्थ होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका जातिरिक मूल्य (अथवा सम्बन्धित देश में माल खरीदने अथवा सेवा लेने की श्रम शक्ति) में बहुत अधिक बहुत परिवर्तन नहीं होने चाहिये। जैसा कि हम अध्ययन करेंगे, इसके अर्थ यह है कि देश में व्यापार व उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रचलित मुद्रा की मात्रा का नियन्त्रण होना चाहिये।

(11) इसे मुद्रा के बाह्यमूल्य को भी स्थिर रखना चाहिए। इसके अर्थ यह है कि इसका विदेशी मुद्रा के निश्चित परिमाण पर इतना दबाव कि इसकी विदेशों में वस्तुओं तथा सेवाओं पर श्रम-शक्ति एक सी रहे। पर यह विदेशी विनिमय की समस्या है जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे।

(111) यह विश्वासनीय होनी चाहिए। विनिमय का महंगा माध्यम राष्ट्रीय अपव्यय है।

(1V) प्रणाली लोचपूर्ण होनी चाहिए जिससे कि यह व्यापार की आवश्यकताओं के अनुकूल चलमुद्रा विस्तृत अथवा सकुचित हो सके।

(V) प्रणाली बहुत सरल होनी चाहिए जो साधारण मनुष्य की भी समझ में आ जाय।

निर्देश पुस्तकें

F Mlyalarsky—Functioning of Gold Standard

Robertson, J H —Money, 1948, Ch I and II

Crowther, G —An Outline of Money, 1950, Ch IX

द्रव्य का मूल्य

(THE VALUE OF MONEY)

१ भूमिका—पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि सबसे अच्छी मुद्रा प्रणाली वह होती है जिसमें द्रव्य का बाह्य व आन्तरिक मूल्य स्थिर रहे। अब प्रश्न यह है कि 'द्रव्य के मूल्य' का अर्थ क्या है ?

“द्रव्य का मूल्य” शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। अन्तु, (i) स्वर्ण अथवा रजत के एक निश्चित वजन तथा खरेपत के अनुसार इसका अधिकार, जैसा कि स्वर्ण या रजत मान के अन्तर्गत होना है अथवा (ii) विदेशी मुद्रा की इकाइयाँ जिनका यह क्रय कर सकता है। उदाहरण के लिए इन नमय स्टैंडिंग में रुपये का मूल्य १ शि० ६ पें० है (iii) देश में वस्तुओं की क्रय-शक्ति। इसे द्रव्य की (आन्तरिक) क्रय-शक्ति कहते हैं। जब हम बिना किसी दूसरे पद के जोड़े हुए “द्रव्य का मूल्य” शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारा आशय इस तीसरे अर्थ से होता है।

यह बात ध्यान रखने योग्य है कि द्रव्य का मूल्य अथवा इसकी क्रय-शक्ति का देश के अन्दर प्रचलित कीमतों से एक विरोध, यद्यपि उलटा (inverse) संबंध होता है। जब सामान्य कीमतों का स्तर बढ़ जाता है तो द्रव्य का मूल्य कम हो जाता है। जब कीमतों का स्तर कम होता है तो यह मूल्य बढ़ जाता है। इस अध्याय में हम द्रव्य के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के कारणों पर विचार करेंगे।

२ द्रव्य का परिमाण सिद्धांत (The Quantity Theory of Money)—इटली के १६वीं शताब्दी के एक लेखक डवन्जाटी (Danzati) इस द्रव्य के परिमाण सिद्धांत के निर्माण करने वाले थे। इसको लॉक (Locke) तथा ह्यूम (Hume) ने प्रचलित किया तथा बाद में उसको प्रतिष्ठित (classical) अर्थशास्त्रियों ने अपने हाथ में लिया। मरलतम शब्दों में द्रव्य का परिमाण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्य के मूल्य में इसके परिमाण के विपरीत परिवर्तन होता है। “यदि द्रव्य का परिमाण द्विगुणित हो जाय और यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तुओं की कीमत पहले से दुगुनी हो जायगी और मुद्रा का मूल्य आधा रह जायगा। यदि परिमाण आधा कर दिया जाय तो, अन्य बातों के समान रहने पर कीमतें पहले से आधी रह जायेंगी और द्रव्य का मूल्य दुगुना हो जायगा।”¹

कीमत का स्तर द्रव्य की मौजूदा राशि के सीधा अनुपात में होता है। यदि किसी वस्तु की वृद्धि होती है, तो इसका मूल्य कम हो जायगा, और यदि मात्रा में वृद्धि होती है, तो इसका मूल्य अधिक हो जायगा। लेकिन द्रव्य में यही एक विशेषता

है जो द्रव्य तथा दूसरी वस्तुओं में भेद उत्पन्न करती है कि द्रव्य की मात्रा (quantity of money) तथा वस्तु कीमतों (commodity prices) में आनुपातिक सम्बन्ध (proportionality) है। इस सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है—

द्रव्य के परिमाण में वृद्धि होने से उसका मूल्य उसी अनुपात में गिर जाता है (और कीमतें बढ़ जाती हैं)। इसके विपरीत यदि अन्य वस्तुएँ समान रहें, तो द्रव्य के परिमाण में निदिष्ट वृद्धि से द्रव्य का मूल्य उसी अनुपात में बढ़ जाता है और कीमत-स्तर गिर जाता है।

अब प्रश्न यह है कि “अन्य वस्तुएँ समान रहने के क्या अर्थ हैं” ? इस पद के अर्थ यह है कि निम्नलिखित बातों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

(१) द्रव्य के चलन का वेग (Velocity)—द्रव्य के चलन के वेग का आशय द्रव्य की इकाई जितनी बार उपयोग में आती है उससे होता है। उदाहरण के लिए यदि एक निश्चित समय में पाच रुपये का एक नोट पाच बार उपयोग में आता है, तो द्रव्य का परिणाम २५) रुपये हुआ न कि ५) रुपये।

(२) साख-पत्रों का द्रव्य की भाँति प्रचलन—यदि साख-पत्रों के प्रयोग में वृद्धि (अथवा कमी) हो जाय, जैसे चेक आदि, तो यह समझना चाहिये कि प्रचलित द्रव्य की मात्रा में वृद्धि (अथवा कमी) हो गई है। इसी प्रकार साख-पत्रों के चलन के वेग की स्थिति है।

(३) वस्तु विनिमय के सौदे—यदि कुछ सौदे बिना द्रव्य के प्रयोग के किये जायें, तो उन्हें या तो बिल्कुल अलग कर देना चाहिये अथवा द्रव्य के परिमाण (पूर्ति) में वृद्धि समझना चाहिये अथवा सौदों की मात्रा (द्रव्य की माँग) में कमी समझनी चाहिये।

(४) व्यापार का परिमाण स्थिर रहना चाहिये—इसके अर्थ यह है कि द्रव्य द्वारा जो काम या मोदे होने हैं, वह सदैव समान रहें। केवल विनिमय की हुई वस्तुएँ ही नहीं वरन् उनके प्रचलन का वेग भी स्थिर (constant) रहना चाहिये।

एक शब्द में द्रव्य का मूल्य उसकी मात्रा के प्रतिकूल और वस्तुओं तथा सेवाओं की राशि के अनुकूल बदलता है।^१

३ प्रोफेसर इरविंग फिशर के विनिमय का समीकरण (Professor Irving Fisher's Equation of Exchange)—प्रोफेसर इरविंग फिशर ने द्रव्य के परिमाण व उसके मूल्य के सम्बन्ध को एक सूत्र (formula) के रूप में प्रकट किया है जिसे वह विनिमय का समीकरण कहते हैं। यह इस प्रकार है—

$$P = \frac{M \cdot V}{T}$$

1 In a word, the value of money varies inversely with its quantity and directly with the volume of goods and services in existence

यहा प=कीमतों का स्तर या $\frac{१}{प}$ =द्रव्य का मूल्य.....;

ट=द्रव्य द्वारा होने वाले सौदे ।

म=धातु का द्रव्य

म' =साख द्रव्य

व=द्रव्य का चलन वेग

व' =साख द्रव्य का चलन वेग

इस सूत्र द्वारा द्रव्य की पूर्ति उसकी माग के बराबर हो जाती है । कीमत-स्तर को सौदे से गुणा कर देने से कुल सौदे निकल आते हैं, जिसका अर्थ द्रव्य की माग है (प ट) । यह द्रव्य की पूर्ति के बराबर है, जिसमें नकद व साख अपने प्रचलन प्रवेग के साथ सम्मिलित है (म व + म' व') ।

अस्तु, प ट = म व + म' व'

$$प = \frac{म व + म' व'}{ट}$$

प्रोफ़ेसर फिगर का कहना था कि अल्पकाल में ट, व, व', सदैव स्थिर रहते हैं । म' और म का अनुपात भी स्थिर रहता है, इसलिए प का म के साथ परिवर्तन सीधे अनुपात में होता है । दूसरे शब्दों में १/प (द्रव्य का मूल्य) म अथवा प्रचलित द्रव्य के परिमाण के उल्टे अनुपात में होता है ।

अब प्रश्न यह है कि 'दूसरी वस्तु' (ट, व, व' और म' का म के साथ अनुपात) स्थिर क्यों रहती है, प्रोफ़ेसर फिगर का मत है कि —

सौदे अथवा द्रव्य द्वारा होने वाला काम अल्पकाल में स्थिर रहता है । क्योंकि जनसंख्या नहीं बदलती, प्रति व्यक्ति के हिसाब से उत्पादन नहीं बदलता, उत्पादको द्वारा उपभोग की प्रतिगत मात्रा नहीं बदलती, बदल-बदल द्वारा विनिमय की प्रतिगत मात्रा नहीं बदलती, और वस्तुओं के चलन की तीव्र गति नहीं बदलती । इस सम्बन्ध में उत्पादन के ढग व लोगों की आदतें विल्कुल स्थिर रहनी हैं । अस्तु, द्रव्य की माग स्थिर रहती है ।

जहा तक पूर्ति (Supply) का सम्बन्ध है, मुद्रा तथा साख के चलन का वेग लोगों की आदतों व रीति-रिवाजों पर निर्भर करता है । म' का म के साथ अनुपात बैंकों की नीति पर निर्भर करता है । अल्पकाल में इन बातों में विशेष परिवर्तन नहीं होते । इसलिए द्रव्य का मूल्य अपनी मात्रा के उल्टे अनुपात में होता है ।

४ परिमाण सिद्धांत की आलोचना (Criticism of the Quantity Theory) — परिमाण सिद्धांत की कड़ी आलोचना हुई है । “अन्य बातें समान रहें” के पद के साथ यह सिद्धांत सिवा अनावश्यक सत्य के और कुछ भी नहीं है । सच तो यह है कि अन्य वस्तुएं कभी समान रहती ही नहीं । इनमें दीर्घ-काल में ही नहीं, अल्पकाल में भी परिवर्तन होते रहते हैं । जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति के हिसाब से सौदे, चलन का वेग, साख की नकद के अनुपात में नीति, इन सभी बातों में परिवर्तन होते रहते हैं ।

इसके अतिरिक्त जैसा कि फिशर का विश्वास है, यह बातें स्वतन्त्र नहीं हैं। उदाहरण के लिए, म में किसी प्रकार के परिवर्तन से व में भी परिवर्तन हो जायगा और प में म की अपेक्षा अधिक अनुपात से परिवर्तन होगा। पिछले महायुद्ध के पश्चात् जर्मनी के मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। लोगों का इसमें से विश्वास उठ गया और फलस्वरूप मार्क के बदले में वह वस्तुएँ लेने लगे। अस्तु, द्रव्य के प्रचलन की गति (व) बढ़ गई, यहाँ तक कि वह नोटों के प्रचलन (म) के सब अनुपातों से अधिक हो गई। इसी प्रकार म में किसी प्रकार के परिवर्तन से ट में भी परिवर्तन हो जाता है और प का परिवर्तन म में परिवर्तन कर देता है। द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि होने से कीमतें और फलस्वरूप लाभ बढ़ जाते हैं, जिससे उत्पादन को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है और कीमतों में मदी प्रारम्भ होती है। इसके अतिरिक्त अधिक ऊँचे कीमत-स्तर यह आवश्यक कर देते हैं कि द्रव्य की पूर्ति बढ़ जाय जिससे सौदे चलते रहें। इस प्रकार ऊँचा कीमत-स्तर द्रव्य के परिमाण का परिणाम नहीं वरन् कारण होता है। फिर म का सम्बन्ध समय के एक क्षण से व और व का सम्बन्ध समय के एक काल से है तथा दो भिन्न वस्तुओं को गुणा करना गलत है (जैसे म व)।

द्रव्य परिमाण सिद्धान्त दो ऐसी कल्पनाओं पर आधारित है जिनकी सम्पूर्ण प्रवृत्ति अनिश्चित है (1) कीमतें कुल व्यय के साथ उसी अनुपात में बदलती हैं। (11) कुल व्यय मुद्रा की कुल मात्रा के साथ उसी अनुपात में बदलता है। सेमुअलसन का कहना है "यदि हम यह अवास्तविक कल्पना कर लें कि कुल उत्पादन समान रहता है और लोगों में बेकारी नहीं होती तब कुल व्यय में वृद्धि से कीमतें उसी अनुपात में बढ़ जायेंगी मदी के स्तर से कुल व्यय में वृद्धि से पैदावार में अधिक वृद्धि होती है और कीमतों में अनुपात से कम वृद्धि होती है।"¹ कुल व्यय तथा द्रव्य के स्टॉक में भी अनुपात के साथ परिवर्तन नहीं होता क्योंकि द्रव्य का चलन वेग भी करीब-करीब स्थिर नहीं रहता। जैसा कि सेमुअलसन कहते हैं "परिमाण (dimensionally) के हिसाब से व्यय का द्रव्य की मात्रा से वही सम्बन्ध है जो कि एक झील में पानी के वहाव का झील से है।"² ✓

द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त का मूल दोष यह है कि यह मान लेता है कि द्रव्य की मात्रा में वृद्धि वस्तुओं तथा सेवाओं के खरीदने में लगाई जाती है। यही कारण है कि इससे कीमतें बढ़ जाती हैं। परन्तु इसके स्थान पर अधिक द्रव्य बैंकों में जमा किया जा सकता है, तिजोरियों में बेकार पड़ा रह सकता है, भिक्थोरिटों में विनियोजन किया जा सकता है अथवा बीमा कराने में प्रयोग में लाया जा सकता है। इस हद तक उसका कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कुछ लेखकों ने चलन-वेग के विचार की आलोचना की है। मार्शल का कहना है कि "परिमाण सिद्धान्त उन बातों की, जिनसे चलन की तीव्रता निर्धारित होती है, कोई व्याख्या नहीं करता।" वजाय चलन वेग में वृद्धि अथवा कमी के कुछ लेखक द्रव्य की माग

1 Economics, 1948 p 292

2 Samuelson, 'Dimensionally speaking, spending bears the same relationship to the stock of money that a flow of water through a lake bears to the lake itself'

में वृद्धि अथवा कमी का वर्णन करते हैं। हम इसका अध्ययन आगे करेंगे।

द्रव्य का परिमाण सिद्धान्त एक दीर्घकालीन घटना की व्याख्या ही नहीं है। यह उस अल्पकालीन ससार की घटनाओं की व्याख्या करने में असमर्थ है जहाँ साम्यावस्था (equilibrium) में विघ्न डालने वाले कई कारण लगातार कार्य करते रहते हैं और जो एक सक्रमण काल (transitional period) के सूचक हैं। परन्तु चूँकि हमारा वास्तविक ससार शाश्वत रूप से सक्रमण अवस्था में है, सिद्धान्त की केवल सीमित उपयोगिता है। वह दीर्घकालीन साम्यावस्था जिसकी व्याख्या परिमाण सिद्धान्त करना चाहता है कभी भी प्राप्त नहीं होती। “साम्यावस्था कल के समान है—यह कभी नहीं आती क्योंकि जैसे ही सुवह की भूरी लकीरे दीख पड़ने लगती हैं, कल के अर्थ कुछ और हो जाते हैं।”

द्रव्य की मात्रा तथा सामान्य कीमत-स्तर के बीच साधारण और प्रत्यक्ष सम्बन्ध तभी ठीक होता है जब कि अर्थ-व्यवस्था एक साम्य की दशा में है। जैसा कि कीन्स (Keynes) कहते हैं “साम्य में—अर्थात् जब उत्पादन के सावन पूर्णरूप से कार्य करते हैं, जब जनता सिन्डोरिटियो के लिये न तो तेजी वाली और न मन्दी वाली प्रवृत्ति रखती है और अपने कुल धन के असामान्य अनुपात से न तो अधिक और न कम भाग वचत-जमा (savings deposits) के रूप में रखते हैं और जब वचत की मात्रा नये विनियोग की लागत तथा प्रकृति दोनों के बराबर होती है—मुद्रा की मात्रा उपभोग वस्तुओं की कीमत स्तर तथा उत्पादन में एक विचित्र सम्बन्ध इस प्रकार का होता है कि यदि मुद्रा की मात्रा दुगुनी हो जाती है तो कीमतों का स्तर दुगुना हो जाता है”¹ कौन कह सकता है कि ऐसा साम्य प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा परिमाण सिद्धान्त अपने प्रारम्भिक रूप में वेकार तथा धोखा देने वाला है।

प्रोफेसर हायक² का विचार है कि इस सिद्धान्त ने व्यर्थ में द्रव्य के सिद्धान्त में इतना प्रमुख स्थान पा लिया है। उनका यह भी विश्वास है कि जिस विचार ने इस सिद्धान्त को जन्म दिया है, उससे आगे की उन्नति में बाधा पड़ती है। “इस सिद्धान्त का एक बहुत बुरा प्रभाव यह है कि यह अर्थशास्त्र से द्रव्य के सिद्धान्त को पूर्णतः पृथक् कर देता है।”

लार्ड कीन्स को इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में सब से बड़ा विरोध यह है कि यह समस्या का उचित अध्ययन नहीं करता। “द्रव्य के सिद्धान्त की वास्तविक समस्या केवल सांख्यिक समीकरण मात्र स्थापित कर देना ही नहीं है। उदाहरण के लिए द्रव्य के कुल परिमाण का द्रव्य के बदले मिलने वाली वस्तुओं से सम्बन्ध है। इस सिद्धान्त का असली कार्य तो यह है कि वह विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करे कि वह तमाम कारण, जिनसे कीमत-स्तर निश्चित होते हैं और वह उपाय जिनसे साम्यावस्था में फेर-फार होते हैं, स्पष्ट हो जायें।”³ विट्टेकर के शब्दों में “परिमाण सिद्धान्त इस अर्थ में तो बड़ा अच्छा है कि यह कीमत-स्तर की प्रणाली स्पष्ट कर देता है किन्तु जहाँ तक कारणों की

- 1 A Treatise on money, 1950, Vol I, pp 146-47
2. Prices and Production, Lecture 1
- 3 Keynes • A Treatise on Money

व्याख्या का सम्बन्ध है, इसमें बड़ी कमियाँ हैं।^१

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त को उसके प्रारम्भिक रूप में माना नहीं जा सकता। कुछ प्रश्न इसकी गलत प्रकृति को स्पष्ट कर देंगे। क्या एक व्यापारी अपनी वस्तुओं की कीमत केवल इसलिए बढ़ा सकता है कि केन्द्रीय बैंक ने अधिक नोटों को छाप दिया है? क्या प्रत्येक मनुष्य जितना द्रव्य उसके पास है खर्च करने को तैयार है? इसका जवाब नहीं में है। क्या यह संभव नहीं है कि नई मुद्रा अधिक उत्पादन को सुविधा दे और इस प्रकार कीमतों को बढ़ने से रोके। सिद्धान्त वस्तुओं की पूर्ति की लोच पर ध्यान नहीं देता। जब पूर्ति लोचशर है तो टप से अधिक बढ़ सकता है। फिशर का समीकरण समय (element of time) का ध्यान नहीं रखता। मुद्रा एकबारगी बढ़ाई जा सकती है, परन्तु व्यापार की मात्रा तथा वेग एक काल में फैले होते हैं।

व्यापार की मात्रा तथा उसके चलन वेग को ध्यान में रखते हुए सिद्धान्त को सुधरे हुए रूप में इस प्रकार रख सकते हैं—कीमतों का सामान्य स्तर मुद्रा की मात्रा तथा उसके चलन वेग के अनुकूल और द्रव्य द्वारा खरीदी हुई वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा के प्रतिकूल बदलता है।^१ पुराने तथा अबूरे परिमाण सिद्धान्त के इस आधुनिक वर्णन में कीमतों पर प्रभाव डालने वाले तीन मुख्य साधनों अर्थात् मुद्रा की मात्रा, उसके वेग तथा व्यापार की मात्रा अथवा सौदों पर ध्यान दिया गया है। कोई भी अर्थशास्त्री अब यह विश्वास नहीं करता कि मुद्रा की मात्रा तथा सामान्य कीमतों के स्तर के बीच कोई स्थिर तथा अचेत सम्बन्ध है। इस प्रकार सिद्धान्त बदल गया है, केवल नाम मात्र रह गया है। आधुनिक अर्थशास्त्री ने एक तरह से नई शराब पुरानी बोतल में रख दी है।

अब यह बात मान ली गई है कि “वास्तव में, द्रव्य का मूल्य, द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त की अपेक्षा कुल आय के परिणामस्वरूप है।” कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का कारण व्यक्तिगत आय में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण होता है। मन्दी के समय पैसा अधिक मात्रा में होता है किन्तु आय कम होती है और इसलिए कीमतें भी कम होती हैं।

किन्तु परिमाण सिद्धान्त पूर्णतः बेकार नहीं है। आर्थिक सिद्धान्त की हैसियत में यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसकी उपयोगिता यह है कि इससे हमें यह पता चल जाता है कि मुद्रा-प्रसार की परिस्थितियों में अथवा बैंक के साख के कम विस्तार की दशा में अथवा व्यापार की वृद्धि की दशा में कैसा प्रभाव होगा। पर इसके लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरी बातों (साधनों) का भी ध्यान रखें। अधिकारी वर्ग जब मुद्रा-प्रसार करते हैं अथवा मुद्रा-सकुचन करते हैं, तो इसी सिद्धान्त के अनुसार काम करते हैं। सिद्धान्त मुद्रा-प्रसार के काल में आर्थिक घटनाओं तथा भूतकाल में कीमतों की अस्थिरता की व्याख्या करने में बहुत सहायक है।

५ द्रव्य की माग व पूर्ति का सिद्धान्त (Supply and Demand Theory of Money)—द्रव्य के मूल्य निर्धारण में माग तथा पूर्ति के नियम लागू

होते हैं। हम जानते हैं कि कीमतों के मामान्य स्तर की तरह द्रव्य के मूल्य में उल्टा परिवर्तन होता है। किन्तु कीमतों का स्तर एक ओर तो द्रव्य की माग (अर्थात् ब्रेचे जाने वाले माल की मात्रा) पर निर्भर करता है और दूसरी ओर द्रव्य की पूर्ति (अर्थात् मात्रा) पर। इस सिद्धान्त के अनुसार "द्रव्य का मूल्य दूसरी वस्तुओं के मूल्य की भांति इसकी माग और पूर्ति पर निर्भर करता है।" द्रव्य की माग व पूर्ति का वर्णन परिमाण सिद्धान्त में भी है किन्तु वह सिद्धान्त माग व पूर्ति की शक्तियों की व्याख्या करने में सफल नहीं हुआ।

मुद्रा की पूर्ति (The Supply of Money)—वर्तमान समाज में मुद्रा की पूर्ति में बहुत-सी बातें सम्मिलित हैं। (क) धातु की मुद्रा अर्थात् सोना और चादी, (ख) विविमान्य मुद्रा, जिसका प्रचलन सरकार करे अथवा सरकार के नियमों के अन्तर्गत हो, (ग) साख-पत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, विल ऑफ एक्सचेज आदि।

इनमें से प्रत्येक पूर्ति का साधन विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर है। (क) धातु की मुद्रा इन बातों पर निर्भर है —

(1) खान खोदने के उपायों में उन्नति, (ii) नयी खानों की खोज, (iii) अमुद्रा (non-monetary) प्रयोगों से अधिक सोने का आना।

(ख) विविमान्य मुद्रा व दूसरे छोटे सिक्कों की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर है—(१) सिक्का ढलाई व सुरक्षित रखने के विषय में सरकारी नियम। (२) सरकार की मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताएँ। (३) फुटकर सौदों का परिमाण।

(ग) "बैंक मुद्रा" की पूर्ति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है—(1) बैंक डिपॉजिट्स की मात्रा, (ii) बैंकों की साख नीति, (iii) देश में आर्थिक विकास की दशा।

इस विषय में हमें प्रत्येक भांति के द्रव्य के चलन के वेग और तीव्र गति का भी ध्यान रखना चाहिए। द्रव्य की वास्तविक पूर्ति सरकार की ऋण-नीति, गाढ़ने की आदत आदि से भी प्रभावित होती है।

इन बातों से यह स्पष्ट है कि जिन देशों में धातु के सिक्के ही मुद्रा का एकमात्र स्वरूप है, वहाँ उतनी सरलता से मुद्रा की पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती जितनी उन देशों में, जहाँ साकेतिक सिक्के अथवा कागज के नोट मुद्रा के रूप में चलते हैं। यदि कागज के नोट धातु के सिक्कों में विनिमय-साध्य न हो और यदि उनके विषय में कोई मर-कारी नियन्त्रण न हो, तो उनका चलन करेमी-अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर होगा। जिन देशों में बैंक मुद्रा का चलन होता है, वहाँ मुद्रा की पूर्ति किसी सीमा तक भी बढ़ाई जा सकती है। पर आम तौर से बैंकों में नकद रुपये का कुछ भाग रिजर्व के रूप में रख लिया जाता है। चूँकि यह अनुपात लोचपूर्ण होता है, इसलिये पूर्ति किन्नी हद तक भी घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

बैंक व्याज की दर घटाकर उधार को प्रोत्साहन दे सकते हैं अथवा बढ़ाकर हतोत्साह कर सकते हैं। पर यह अक्सर केन्द्रीय बैंक के नेतृत्व में होता है। बैंक और विशेषकर केन्द्रीय बैंक सिक्कोरिटी खरीदकर मुद्रा की अग्र-शक्ति बढ़ा सकते हैं और

सिक्वोरिटी बेचकर इसे घटा सकते हैं। पर उनकी विस्तार अथवा सकुचन की शक्ति व्यापार की दशा पर निर्भर होती है, मन्दी के दिनों में बैंक उद्यमियों को उधार लेने को बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में विनियोजन लाभप्रद नहीं होता। यदि वह बाजार में सिक्वोरिटी खरीदे भी तब भी उस धन का कोई विनियोजन नहीं होगा। इससे केवल द्रव्य ठहर (holding of money) जायगा। अस्तु, बढ़ी हुई पूर्ति को बढ़ी हुई माग से उदासीन (neutralize) कर देना चाहिये। पर द्रव्य की माग क्या है ?

मुद्रा की माग (Demand for Money)—आरम्भ में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मुद्रा की माग के क्या अर्थ हैं ? मुद्रा की माग से हमारा तात्पर्य आय अथवा धन की माग से नहीं है इसका अर्थ है नकदी अथवा तरल स्रोतों (liquid resources) की माग। यह इसलिए मागी जाती है कि इसकी क्रय-शक्ति होनी है अतएव द्रव्य की माग वास्तव में उसकी क्रय-शक्ति की इकाइयों की माग है। फिगर के सूत्र के अनुसार द्रव्य की माग (पट) कुल सौदों के मूल्यों के बराबर होती है जो किसी समय में पूरे हों। माग का यह विचार न तो सही है, न वैज्ञानिक। इस सम्बन्ध में प्रोफेसर कैनेन का कहना है —

“यह विचार ऐसे विचार के समान लगता है जैसे कि यह कहा जाय कि मकानों की माग उन व्यक्तियों द्वारा नहीं होती है जो उनमें रहें वरन् उन लोगों द्वारा होती है जो कि उन्हें खरीदकर बेच दें। मकानों की प्रभावी (effective) माग उन लोगों द्वारा होती है, जो उन्हें पास रखना चाहते हैं। सट्टेबाज भी कुछ समय के लिये मकान अपने पास ही रखना चाहते हैं। “मकानों की ले बेच मण्डी” में केवल थोड़ी-सी गति-विधि से—केवल माग में उसी प्रकार वृद्धि हो जाती है जिस प्रकार रद्द करने वाली प्रवृत्ति के कारण पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इन वाक्यांशों के सही प्रयोग के विषय में चाहे कुछ भी कहा जाय, यह तो स्पष्ट है कि जिस माग का मूल्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, वह मकान में रहने की माग है।”¹

इसी प्रकार द्रव्य की माग इसका उपभोग (consume) करने के लिये इतनी नहीं होती जितनी कि उसे रखने (hold) के लिये। यह प्रवृत्ति मुद्रा के वेग के प्रतिकूल है। व्यक्ति, व्यापारिक सगठन और लोक-संस्थायें सभी प्रकार के लोग रुपया रखना चाहते हैं। इसके कई कारण हैं। साधारण उपभोक्ता तो रुपया केवल इसलिए रखना चाहते हैं कि इससे उनकी वस्तुएँ खरीदने की प्रतिदिन की आवश्यकतायें पूरी होती रहें। उद्यमी मजदूरी और दूसरे प्रकार के व्यय करने के लिये रुपया चाहते हैं। इसी प्रकार के कारणों से प्रभावित हो लोक-संस्थाएँ भी रुपया रखती हैं। कभी-कभी रुपया केवल इसलिए रखा जाता है, कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा लाभदायक विकल्प नहीं होता। रुपया रखने का एक और कारण यह भी है कि इसे या तो वस्तुओं के क्रय में व्यय कर

1 Quoted by Stevenson and Branton in *Economics of Banking, Trade and Finance*, p 15

परिमाण सिद्धान्त के चलन के 'वेग' की प्रोफ़ेसर कैनन व दूसरे लोगो ने कड़ी आलोचना की। यह विचार अनिश्चित है। जब इसे द्रव्य की माग के रूप में प्रकट किया जाय तो यह अधिक सही हो जायगा। उदाहरण के लिए, बढ़ती हुई कीमतों के समय में अथवा चलार्थ की कमी में द्रव्य के चलन वेग की वृद्धि हो जाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि द्रव्य की माग कम हो गई। ऐसे समय में हर व्यक्ति अपना व्यय ही करना चाहता है। जब कीमतें गिरने लगती हैं तब इसका उल्टा होता है। मदी के दिनों में यह कहने के बजाय कि द्रव्य का चलन वेग कम हो गया हम यह कहते हैं कि द्रव्य की माग बढ़ गई।

अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि और वस्तुओं की भाँति मुद्रा का मूल्य भी माग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निश्चित होता है। माग व पूर्ति ही कीमत और फलस्वरूप द्रव्य का मूल्य निर्धारित करती है। यदि पूर्ति के साथ-साथ द्रव्य की माग जो मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करती है बढ़ जाय तो सामान्य कीमत-स्तर बढ़ जायगा। निश्चित पूर्ति की अवस्था में, माग में वृद्धि से द्रव्य के मूल्य में वृद्धि होनी है अथवा सामान्य कीमतें कम हो जाती हैं, जैसा कि मदी के दिनों में होता है। इसके विपरीत यदि द्रव्य की पूर्ति बढ़ जाय तो उसका मूल्य कम हो जायगा और कीमतें बढ़ जायेंगी जैसा कि व्यापार के खूब चलने के समय हुआ। पूर्ति और माग जब साम्यावस्था पर पहुँच जाते हैं तो कीमतें स्थिर हो जाती हैं।

६ कैम्ब्रिज मुद्रा समीकरण^१ (The Cambridge Monetary Equation)—मुद्रा की मात्रा तथा उसके मूल्य (अथवा कीमत स्तर) के बीच के सम्बन्ध की समस्या दो प्रकार से हल की जा सकती है। इमसे दो परिमाण सिद्धान्त उठ खड़े हुए हैं। एक मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त है, जो लेन-देन वाला सिद्धान्त कहलाता है जिसका विवेचन हम विभाग २ में कर चुके हैं और जिसकी व्याख्या फिशर के समीकरण से हुई है। यह सिद्धान्त अमरीका में अधिक प्रचलित है। दूसरा सिद्धान्त जिसको नकद आधिक्य वाला भी कहते हैं और जो यूरोप में, खास कर इंग्लैंड में अधिक प्रचलित है, कैम्ब्रिज समीकरण से प्रस्तुत होता है।

दूसरे प्रकार का समीकरण पहले परिमाण समीकरण से इसलिए सुधरा हुआ है कि यह राष्ट्रीय आय पर आधारित है और इसके अन्तर्गत तरलता (liquidity) की धारणा को भी शामिल किया गया है। ये दोनों ही कीस की अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कैम्ब्रिज समीकरण मुद्रा के मूल्य के बारे में रोकड वाकी (cash balance) वाला सिद्धान्त प्रस्तुत करता है।^२ यह केवल यह कहता है कि मुद्रा का मूल्य रोकडवाकी विभाग की माग तथा पूर्ति पर निर्भर करता है। पिछले विभाग में हम मुद्रा की माग तथा पूर्ति के निर्धारण करने वालों के बारे में विवेचन कर चुके हैं। यहाँ हम विद्यार्थी का ध्यान माग की तरफ एक बात पर डालना

१ यह विभाग ऑनर्स तथा एम० ए० के विद्यार्थियों के लिए है।

२ Marshall, A —Money, Credit and Commerce, 1, iv, 3

३ Robertson, D M —Money, 1932, Ch II and Appendix A.

चाहते हैं। मुद्रा की माग केवल मात्रानो अथवा विनिमय की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करती परन्तु उम समय पर भी निर्भर करती है जिसमें व्यापार होता है। गेहूँ के उपभोग करने वाले को लो। उसके लिए क्या यह आवश्यक है कि वह सारे साल का गेहूँ एत साथ खरीद ले या काफी नकद रुपया सारे साल की आवश्यकता के लिए खरीदने को रख ले। नहीं, यह आवश्यक नहीं है। बहुत कम उपभोक्ता ऐसा करेंगे। एक उपभोक्ता महीने-महीने खरीदना त कर सकता है। तब उसको यह आवश्यक होगा कि वह साल भर की आवश्यकता के $\frac{1}{12}$ के बराबर नकद रख ले। इसी प्रकार वह इतना नकद रखेगा जो कि उसको दूसरी वस्तुओं तथा सेवाओं के खरीदने के लिए किसी निश्चित समय के लिए आवश्यक हो न कि पूरे साल के लिए।

यदि एक समुदाय के लोगो का स्वभाव दीर्घकाल में क्रय पूरा करने के लिए नकद रखने का है, तो नकद की माग अधिक होगी। कुल आय का केवल एक हिस्सा नकदी में रखा जाता है, शेष का विनियोग (invest) कर दिया जाता है। न तो नकद अधिक रखना चाहिये क्योंकि अधिक नकद रुपया रखना खतरे के अतिरिक्त एक प्रकार की हानि भी है, हालाँकि अधिक नकद आधिक्य व्यापार को सरल तथा शान्त रूप बनाता है। और न नकद कम ही रखना चाहिए क्योंकि व्यापार के अनुसार यह आपत्तिजनक हो सकता है। जैसा कि मार्शल कहते हैं — “एक व्यक्ति अपनी आय का उचित भाग नकद रखने तथा अपने साधनो को इस रूप में रखने की हानियो से जिसमें उनसे कोई प्रत्यक्ष आय या अन्य लाभ नहीं होता सतुलन करके स्थिर करता है।” एक व्यक्ति इस प्रकार अपनी आय का केवल एक अंश ही नकद रुपयो में रखता है ताकि उसका व्यापार आंतिपूर्वक चले तथा सकट-काल में रक्षा हो। मान लो एमे अंश को क सूचित करता है।

समीकरण को प्राय इस रूप में रखा जाता है —

$$m = k p r,$$

इसमें m द्रव्य की मात्रा है और यह फिशर के विनिमय के समीकरण वाले m के समान है। r वास्तविक राष्ट्रीय आय है अर्थात् माल तथा सेवाओं का कुल योग है जिसे मंडी में लाकर द्रव्य के बदले बेचा जाता है, जैसे रुई र के अन्तर्गत नहीं आती किन्तु दर्जी द्वारा तैयार किए गए सूट आदि इस r के अन्तर्गत आते हैं। इसी तरह इसके अन्तर्गत रोटी तो आती है किन्तु गेहूँ नहीं आता।

p राष्ट्रीय आय का वास्तविक औसत कीमत, स्तर है। अर्थात् इसके अन्तर्गत वे सब माल तथा सेवाएँ आती हैं जिनका उपभोग जनता करती है जैसे भोजन, वस्त्र तथा मकान आदि।

इस प्रकार p र मुद्रा राष्ट्रीय आय है।

मुद्रा राष्ट्रीय आय (monetary national income) का एक भाग समाज द्वारा नकदी के रूप में रहता है। इन भाग को k द्वारा दिखलाया गया है और यह जनता की तरल ससाधन (liquid resources) के रूप में बचा रखने

की प्रवृत्ति को बताता है। इसे खरीदारी के लिए रखा गया तरल साधन (liquidity factor) कहते हैं। यदि सारा द्रव्य सिर्फ एक बार ही परिचालित हो तो वाञ्छित धन की राशि वही होगी जो मुद्रा राष्ट्रीय आय की। यदि मुद्रा वर्ष में दो बार परिचालित (circulate) हो तो यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उत्पाद (national product) खरीदने के लिए प र के आधे की जरूरत होगी, अर्थात् द्रव्य राष्ट्रीय आय के लिए जैसा कि प र द्वारा उपर्युक्त सूत्र में दिखाया गया है। राष्ट्रीय उत्पाद को एक वर्ष के भीतर खरीदने के लिए द्रव्य का जितनी बार परिचालन होता है उसे व, द्वारा दिखाया गया है, अर्थात् द्रव्य के परिचालन की आय गति (income velocity of circulation of money)। क द्रव्य राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो जनता नकदी के रूप में अपने पास रखना चाहती है। इस प्रकार प र राष्ट्रीय उत्पाद खरीदने के लिए द्रव्य की मांग है। यह जरूरी तौर पर द्रव्य पूर्ति (money supply) के समान होती है।

$M^1 \times \text{द्रव्य परिचालन की गति} = M V_1$

$$M = क प र \text{ इसमें } क = \frac{इ}{व_1}$$

हम फिशर के विनिमय समीकरण को सरलतम रूप में समझ चुके हैं।

$$M = \frac{प ट}{व ट} = \frac{इ}{व ट} \times प ट$$

कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार

$$M = क प र$$

अतः जिस प्रकार $क = \frac{इ}{व_1}$

$$M = \frac{इ}{व_1} प र।$$

दो समीकरणों का भेद निम्न प्रकार है —

(1) फिशर के समीकरण (equation) में ट कुल सौदो (total sum of transactions) के लिए है, जिसमें र अन्तिम उत्पाद मात्र है जो मार्केट में आती है। उदाहरण के लिए, फिशर ट के अन्तर्गत रुई के उत्पादन तथा विक्रय, सूत के विक्रय, कपड़े के मिश्रण तथा मिले हुए कपड़ों (अन्तिम रूप से सिले हुए तैयार कपड़ों) को शामिल करते हैं, जिसमें र के अन्तर्गत अन्तिम रूप से तैयार माल (अर्थात् सिले हुए कपड़े) जिसे मार्केट में लाया जाता है शामिल है।

(11) इती भॉति प्रथम समीकरण में प द्वारा प्रत्येक माल तथा सेवाओं के उत्पादन की हर स्टेज पर औसत कीमत-स्तर का निरूपण है और सारे सौदो का औसत कीमत-स्तर शामिल है। कैम्ब्रिज समीकरण में प सिर्फ उस माल का कीमत, स्तर है जिन्हें अन्तिम रूप में मार्केट में लाया जाता है। इनका उतार-चढ़ाव एक दिशा में होना तो सम्भव है किन्तु दोनों समान नहीं हैं।

(iii) इन दोनों में व अर्थात् परिचलन की गति के अर्थों में भी परस्पर भेद है। फिगर के समीकरण में इसे व ट अर्थात् सौदो के परिचालन की गति (Transaction Velocity of Circulation) के रूप में दिखाया गया है। यह इस बात का निरूपण (प्रतिनिधित्व) करता है कि एक वर्ष की अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत द्रव्य की एक इकाई सारे सौदो की ले-वेच के लिए कितनी बार परिचालन में आती है। इसके विपरीत व, सिर्फ परिचालन की आय गति है और इस बात का निरूपण करता है कि द्रव्य की एक इकाई अन्तिम राष्ट्रीय उत्पाद की खरीद के लिए कितनी बार परिचालन में आती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कम्प्लेज समीकरण राष्ट्रीय आय के कीमत-स्तर तथा जनता की तरल (liquidity) की माँग पर वल देती है। कीस ने राष्ट्रीय आय की धारणा जिसे आधुनिक कीस विश्लेषण में लिया गया है उपयोग किया है। इसमें आधुनिक व्यापार-चक्र, अर्थशास्त्री तथा सरकार अन्तिम माल तथा पैदावार (final goods and output) की कीमत-स्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव (fluctuations) से सम्बन्धित है। तरलता की धारणा, जिसका थोड़ा-सा शोधन किया गया है, कीस ने व्याज की दर तथा विनियोजन के सिद्धान्त के लिए उपयोग किया है, जो कुल उत्पादन का निर्धारण करता है।

लेकिन कीस और भी कई अधिक जरूरी साधनों को मानते हैं जिन पर राष्ट्रीय आय आधारित है। वे हैं विनियोजन (investment) से होने वाले लाभ तथा फालतू खर्च। कम्प्लेज समीकरण में इनका ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए आजकल विश्लेषण में इनका उपयोग नहीं किया जाता।

७ द्रव्य की माग की लोच (Elasticity of Demand for Money)—जब हम कहते हैं कि द्रव्य का मूल्य विल्कुल अपने परिमाण (quantity) (अर्थात् मद्रा दुगनी होने से उसका मूल्य आधा रह जाता है, और मुद्रा आधी होने से उसका मूल्य दुगना हो जाता है) पर निर्भर करता है तो वह केवल इसलिए कि यह मान लिया गया है कि द्रव्य की माँग की लोच ऐक्य (unity) के बराबर है।

द्रव्य की माग वस्तु-विनिमय, साख और सौदो के परिमाण पर निर्भर करती है। यह मान लिया गया है कि एक निश्चित समय में द्रव्य की माग म थोड़ा परिवर्तन होता है। (अर्थात् माग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता।) यदि द्रव्य की माग समान रहे तो उसकी पूर्ति (मात्रा) उसका मूल्य निर्धारित करेगी। द्रव्य के परिमाण में किसी प्रकार के परिवर्तन से उसके मूल्य में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। यदि द्रव्य के परिमाण में शत-प्रतिशत वृद्धि हो जाय तो कीमतों में भी शत-प्रतिशत वृद्धि हो जायगी और यदि द्रव्य के परिमाण में शत-प्रतिशत कमी हो जाय तो कीमतों में भी शत-प्रतिशत कमी हो जायगी। वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसा नहीं होता। यदि गेहूँ की पूर्ति शत-प्रतिशत बढ़ जाय तो उसके मूल्य में उसी अनुपात में कमी नहीं होगी। ऐसा क्यों ?

ऐसा माना जाता है कि द्रव्य केवल एक टिकट मात्र है, जिसके द्वारा केवल विनिमय होता है। इसका दूसरी वस्तुओं की भाँति उपभोग नहीं किया जा सकता। जब

वस्तुएँ अधिक तथा सस्ती होती हैं, तो उनका अधिक उपभोग होगा। परन्तु मुद्रा का इस प्रकार उपभोग नहीं हो सकता। इसलिए यदि यह बढ़ जाय तो उसका विनिमय वस्तुओं के बदले होगा। मान लीजिये, किसी देश में १०० वस्तुएँ हैं और १०० सिक्के हो तो १०० सिक्कों के बदले में १०० वस्तुएँ मिलेंगी और प्रति वस्तु की कीमत एक सिक्का होगी। अब यदि द्रव्य का परिमाण बढ़ जाय तो २०० सिक्कों के बदले में १०० वस्तुएँ मिलेंगी। २०० सिक्कों और १०० सिक्कों की क्रय-शक्ति बराबर है। इसलिए कुछ लेखकों का यह विश्वास है कि द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन का कोई महत्त्व नहीं होता। यही बात इस प्रकार भी कही जा सकती है कि माँग की लोच ऐक्य (unity) है। “इसका अर्थ है कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से उसकी माँग में उसी अनुपात में कमी होगी और मुद्रा के मूल्य में कमी से उसकी माँग में उसी अनुपात में वृद्धि हो जावेगी।”

किन्तु क्या द्रव्य की माँग की लोच वास्तव में ऐक्य (unity) है? नहीं।

वास्तविक जगत् में हम यह नहीं पाते कि द्रव्य के परिमाण में किसी प्रकार के परिवर्तन से कीमतों में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो जाय। जर्मनी में प्रथम महा-युद्ध के पश्चात् मुद्रा-प्रसार के दिनों में कीमतें प्रचलित माध्यम से कहीं अधिक बढ़ गई थी। मुद्रा-प्रसार के पश्चात् और अधिक मुद्रा-प्रसार आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में द्रव्य की माँग भी बढ़ती रहती है। लोगों का मुद्रा से विश्वास उठ जाता है। प्रतिदिन कीमतें बढ़ती हैं। लोग आगे की कीमतें वसूल करने लगते हैं। अस्तु, जब द्रव्य का परिमाण बढ़ जाता है तब उसका मूल्य अनुपात के अनुसार ही नहीं बरन् और भी अधिक कम हो जाता है। इसी प्रकार मदी के दिनों में कीमतें गिरती ही जाती हैं, चाहे द्रव्य के परिमाण में कोई परिवर्तन न हो। बीसवीं शती के प्रारम्भ में मदी के दिनों में यद्यपि बहुत से देशों में मुद्रा बढ़ाकर कीमतें बढ़ाने का प्रयत्न किया गया था, किन्तु वह असफल रहे।

सच तो यह है कि यह एक बड़ी अद्भुत घटना है, जिस पर द्रव्य का परिमाण प्रभाव डालने वाला एक अंग है। इसीलिए यह सोचना कि द्रव्य के परिमाण में हर प्रकार के परिवर्तन से कीमतों में उमी अनुपात में परिवर्तन होता है, गलत है। इससे हम इम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव्य की माँग की लोच ऐक्य (unity) के बराबर नहीं होती।

पर यह बिल्कुल उल्टी बात है कि व्यापार की समृद्धि के दिनों में सौदों की संख्या बढ़ जाती है। जिसके अर्थ यह है कि द्रव्य की माँग बढ़ जाती है। अस्तु, द्रव्य का मूल्य भी बढ़ जाना चाहिये और कीमतें गिरनी चाहिए। इसके विपरीत जब व्यापार मंदा पड़ जाता है तो द्रव्य की माँग बहुत कम हो जाती है, इसका मूल्य गिरना चाहिए अर्थात् कीमतें बढ़नी चाहिए। लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। इसका क्या कारण है?

इसका उत्तर यह हुआ कि साख का परिमाण व्यापारिक दशाओं के अनुरूप घटता-पड़ता है। समृद्धि के दिनों में आशावादी भावनाओं के कारण साख खूब बढ़ जाती है।

यहां तक कि व्यापार से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है । परिणाम यह होता है कि समुदाय की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है और कीमतों में वृद्धि हो जाती है । मदी के दिनों में साख कम होने से और व्यापार जरूरत से ज्यादा सिकुड़ने से, कीमतें गिरने लगती हैं ।

निर्देश पुस्तके

Hayek—*Prices and Production, Lecture 1*

Keynes, J. M.—*A Treatise on Money, 1950, Book II, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936, Tract on Monetary Reforms, 1924*

Weiser—*Natural Value*

Crowther, G —*An Outline of Money, 1950, Ch III.*

Cole, G D H —*Money, Its Present and Future, What Everybody Wants to Know About Money*

Fisher, Irving—*The Purchasing Power of Money*

Brij Narain—*Money and Banking (S Chand & Co)*

Meyers, A L —*Elements of Modern Economics, 1951, Ch 22*

Chandler, L V —*An Introduction to Monetary Theory, 1950, Chs. II—IV*

मुद्रा और कीमतें

(MONEY AND PRICES)

इस अध्याय में हम कीमतों में होने वाले हेरफेर (fluctuations) के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम मुद्रा-स्फीति (inflation), मुद्रा ह्रास (deflation) आदि वाक्यांशों का जिक्र करेंगे।

१ मुद्रा स्फीति, मुद्रा ह्रास आदि (Inflation, Deflation etc) — आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्दों के अर्थ बतला देना आवश्यक है। यह शब्द उस समय प्रयोग में लाया जाता है जबकि हमारा अभिप्राय कीमतों में असामान्य परिवर्तन से होता है। जब कीमत का सामान्य स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसका कारण साधारणतः मुद्रा की पूर्ति का बढ़ना और माग का उसी के अनुसार बढ़ना नहीं होता तो उस दशा को स्फीति (inflation) कहते हैं। जब मोने की अधिक पूर्ति से कीमते बढ़ जाती हैं तो हम स्वर्ण स्फीति कहते हैं। यदि मुद्रा के बढ़ने से कीमते बढ़ जाती हैं तो, उसको मुद्रा स्फीति कहते हैं। और जब कीमतें साख (credit) के अत्यधिक बढ़ जाने से बढ़ती हैं तो उसको साख स्फीति (credit inflation) कहते हैं। केवल 'स्फीति' शब्द से हमारा मतलब कीमतों के अत्यधिक बढ़ जाने से होता है जो कि ऊपर दिये हुए किसी एक या सब कारणों से हुआ हो। स्फीति उस दशा में भी उत्पन्न हो सकती है जब कि मुद्रा की माग कम हो जाए परन्तु पूर्ति वैसी ही बनी रहे। परन्तु ऐसा बहुत कम होता है। प्रथम महायुद्ध के बाद योरोप के कई देशों में स्फीति का कष्टप्रद अनुभव हुआ था। कुछ समय चीन भी एक ऐसे ही वातावरण में था जबकि वहाँ एक जूते का दाम कई लाख डालर देना पड़ता था। जर्मनी में भी स्फीति इस स्तर पर पहुँच गई थी कि वहाँ के मार्क का मूल्य करीब-करीब नहीं के बराबर हो गया था। दिन-प्रतिदिन उसका मूल्य कम होता जाता था और इसीलिए उसको कोई लेना नहीं चाहता था। यह हिसाब लगाया गया था कि उस समय यदि जर्मनी के संपूर्ण राष्ट्रीय ऋण को किसी एक मनुष्य को दे दिया जाता तो भी वह उससे एक समय का खाना भी नहीं खरीद सकता था, शायद वह सिगरेट का एक पैकेट खरीद सकता।

जर्मनी के दो भाइयों की दशा से जो कि अपने पिता की बहुत बड़ी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हुए थे, यह ज्ञात होता है कि अत्यधिक स्फीति से समाज में कैसा उलट-फेर हो जाता है। एक भाई ने अपने धन को बैंक में जमा करा दिया और उसको व्यय नहीं किया तथा दूसरे ने अपना सारा धन शराब पीने में लगा दिया। जब स्फीति का आविर्भाव हुआ तो मितव्ययी भाई क्या देखता है कि उसकी लाखों मुद्राओं की क्रय-ध्वित लगभग बिलकुल नहीं के समान हो गई जब कि उसका खर्चीला भाई अपनी

खाली वोटलो को बेचकर लखपती बन गया।

मध्यम श्रेणी के लोगो पर स्फीति का प्रभाव बहुत ही हानिकारक हुआ। उनका तो अस्तित्व ही मिट गया। मुद्रा स्फीति के समय में एक दक्षिण के रहने वाले ने कहा, "हम दूकान पर मुद्रा को जेब में रखकर ले जाते थे और अपनी टोकरियो में खाना लेकर आते थे। अब हम मुद्रा टोकरियो में ले जाते हैं और खाना जेबों में लेकर वापस आते हैं।" मुद्रा स्फीति सकीर्ण स्थिति पैदा करती है। उत्पादन अव्यवस्थित हो जाता है। प्रत्येक वस्तु, मिवाय मुद्रा के, न्यून हो जाती है। इसलिए डम पर नियन्त्रण अवश्य करना चाहिये।

मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए हम निम्न उपाय बता सकते हैं (1) बैंक दर या विवृत बाजार रीति (open market operations) के द्वारा केन्द्रीय बैंक का मुद्रा सकुचन, (ii) बैंक साख पर नियन्त्रण, (iii) कर बढ़ाकर, (iv) राष्ट्रीय सचय को प्रोत्साहन देकर, (v) सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता, (vi) मूल्य नियन्त्रण (vii) तथा उत्पत्ति की मात्रा बढ़ाकर।

संकुचन (Deflation) स्फीति का उल्टा है। इसका अभिप्राय कीमतों के अत्यधिक गिरने से है, जो कि मुद्रा की कमी के कारण हो अथवा उमकी अधिक माग के कारण हो। यह स्फीति से भी अधिक विनष्टकारी समझा जाता है।

संस्फीति (Reflation) औसत मात्रा में नियन्त्रित स्फीति को कहते हैं। जब वस्तुओं की कीमतें इतनी अधिक गिर जाती हैं कि आर्थिक कार्यों में कोई लाभ नहीं होता तो उस समय द्रव्य अधिकारी कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं, जिससे कि मुद्रा परिचलन में अधिक आ जाय, जिसके कारण कीमतें बढ़ जाय तथा आर्थिक क्रियाओं में उन्नति हो। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मदी का मुख्य कारण मुद्रा ही है, तो उनके अनुसार मदी का सामना करने का यह भी एक साधन है। व्यापारिक-चक्र (trade cycles) के अध्याय में इसके बारे में और अधिक प्रकाश डाला जायगा।

अस्फीति, मुद्रा-संकुचन (Disinflation) द्वारा कीमतों के गिराने की एक प्रवृत्ति को कहते हैं जब कि वे (कीमतें) मुद्रा स्फीति के कारण अनियमित रूप से बढ़ गई हो। अस्फीति तथा अस्फीति शब्द अप्रिय भाव से रहित हैं।

यहां पर यह ध्यान देना चाहिए कि केवल ऊंची या नीची कीमतों से कोई विशेष अन्तर नहीं होता। यदि सब वस्तुओं की कीमत और सारी सेवाओं के दाम एकाएक दुगुने हो जाते हैं या आधे हो जाते हैं तो मनुष्यों की आर्थिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। परन्तु ऐसा कभी नहीं होता। होता यह है कि वास्तव में भिन्न-भिन्न वस्तुओं की कीमत भिन्न-भिन्न मात्रा में बदलती है। यह हो सकता है कि कुछ वस्तुओं की कीमत त्रिलकुल न बढ़े या कुछ वस्तुओं की कीमत गिर भी जाय। साधारणतः, कीमतों के बढ़ने से यह अभिप्राय है कि कीमतों का औसत स्तर ऊंचा हो जाता है।

साधारणतः किनी वस्तु की कीमत में परिवर्तन उस वस्तु की माग या पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण होता है। परन्तु जब अधिकतर वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और कम समय में बढ़ते हैं तो उसका कारण साधारणतः मुद्रा ही होता है, अर्थात् मुद्रा

की पूर्ति में वृद्धि। इसके विपरीत जब अधिकतर कीमतें एकाएक गिरती हैं तो उसका कारण साधारणतः मुद्रा की मांग बढ़ जाना है। यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कि ऊपर समझाया जा चुका है।

२ कीमतों में परिवर्तन होने के परिणाम (Consequences of Changing Prices)—कीस ने अपनी पुस्तिका "Tract on Monetary Reform" में समुदाय को तीन भागों में विभाजित किया है। (१) विनियोजन करने वाला वर्ग, (२) व्यापारी वर्ग, और (३) अर्जन करने वाला वर्ग। उन्होंने यह अध्ययन किया है कि द्रव्य के मूल्य में परिवर्तन किस प्रकार से इन तीनों वर्गों के लोगों पर असर डालता है। विनियोजन करने वाले वर्ग में अथवा उन वर्गों में, जिनकी आमदनी निश्चित है, इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। ये वे लोग होते हैं जिन्होंने कि अपनी असली संपत्ति को किसी काम में लगा दिया है, जिसके बदले में उन्हें समय-समय पर एक निर्धारित मात्रा में धन मिलता है और सदैव मिलता रहेगा या किसी खास समय तक उन्हें बदले में थोड़ा-थोड़ा धन मिलेगा और मूल धन एक अवधि के अन्त में मिल जायगा जैसे कि वधक (mortgage) बाँड्स (bonds), ऋण-पत्र (debentures) और अधिमान अंश (preference shares) कीमतों के सामान्य स्तर के ऊँचे होने में इस वर्ग के लोगों को काफी हानि होती है। वे अपनी स्थायी आय से पहले से कम वस्तुएँ खरीद सकेंगे।

कीमतों के बढ़ने से व्यवसायी वर्ग या उद्यमी वर्ग को लाभ होता है क्योंकि वस्तुओं के बेचने के दाम तो बढ़े हुए होते हैं परन्तु उत्पादन का खर्च सामान्यतः कम ही रहता है। चूँकि मजदूरी पहले से ही निर्धारित होती है, वह उसी समय नहीं बदलती। भूमि का किराया और व्याज भी नहीं बदलते, इसलिये उत्पादक-वर्ग को लाभ होता है।

मजदूरी कमाने वाले वर्ग को भी नुकसान रहता है, क्योंकि उनकी मजदूरी या तनस्वाह वस्तुओं की महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ती। इस प्रकार उनकी असली मजदूरी कम हो जाती है। परन्तु चूँकि कीमतों के बढ़ने के समय व्यवसाय और उद्योग में उन्नति होती है, इसलिये इस वर्ग के लोगों को एक यह फायदा होता है कि उनकी नौकरी बनी रहती है।

अब हमें देखना है कि उधार देने और लेने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो ऋणी लोगों को लाभ होता है। ऋण का भुगतान वस्तुओं या सेवाओं को बेचकर किया जाता है। यदि ऋणी व्यक्ति उत्पादक है तो वह ऋण के भुगतान करने के लिये कम मात्रा में वस्तुओं को बेच कर ऋण अदा कर सकेगा। और यदि वह श्रमजीवी है तो भी उसको अपना ऋण अदा करने के लिये कम काम करना पड़ेगा।

जब कीमतें बढ़ती हैं तो आमतौर पर उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है। जब कि सभी वस्तुएँ महंगी हो जाती हैं तो व्यापारी, सट्टेबाज और चोरबाजारियों को छोड़कर अन्य सब वर्गों के उन्भोक्ताओं को हानि होती है।

कीमतों के नीचे की ओर गिरने से इन वर्गों के लोगों पर प्रभाव इसका उल्टा

होता है। विनियोजन करने वाले वर्ग तथा मजदूरी करने वाले वर्ग दोनों को लाभ होता है, क्योंकि अपनी स्थिर आमदनी में पहले से अधिक मात्रा में वस्तुएँ और सेवाएँ ले सकते हैं। परन्तु यदि लगातार मदी बनी रहती है तो श्रमजीवी को हानि होती है क्योंकि उस समय बेरोजगारी (unemployment) बढ़ जाती है। कुछ ही भाग्यशाली व्यक्ति जिनकी नियुक्ति बनी रहती है, इसका लाभ उठा पाते हैं। व्यापारी वर्ग को मदी से हानि होती है। एक तो कीमतों के गिरने के कारण उनको अपने व्यवसाय में आमदनी कम हो जाती है, दूसरे उनके व्यवसायी खर्चे जैसे मजदूरी वगैरा यदि कम भी हुए, तो भी धीरे-धीरे ही कम होते हैं। इस प्रकार उनका व्यापारिक लाभ बहुत कम हो जाता है।

कीमतों के गिरने से ऋणी लोगों को भी नुकसान होना है क्योंकि उस समय उनको अपने ऋण को अदा करने के लिये अधिक मात्रा में वस्तुएँ और सेवाएँ देनी पड़ती हैं। सन् १९३० के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय किमान पर लगान का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया था क्योंकि उस समय खेती की उपज का दाम बहुत ही कम हो गया था। परन्तु दूसरी ओर जो व्यक्ति रुपया उधार दे चुके हैं, उनको लाभ होता है—क्योंकि जो धन उन्हें वापिस मिलता है उससे पहले की अपेक्षा वे अब अधिक वस्तुएँ खरीद सकते हैं।

कीमतों की कमी से आम तौर पर उपभोक्ताओं को फायदा होता है। वे अपने रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं।

सक्षेप में, हम कह सकते हैं कि ऋणी लोगों को कीमतों के बढ़ने से फायदा होता है और उनके गिरने से हानि क्योंकि उनके निश्चित धन-सम्बन्धी दायित्व वस्तुओं और सेवाओं में बढ़ जाते हैं, जब कि कीमतें गिरती हैं और यह दायित्व उस समय कम हो जाते हैं, जब कि दाम बढ़ते हैं। इसके विपरीत उधार देने वालों को दामों के बढ़ने से नुकसान होता है और गिरने से लाभ।

कीमतों के परिवर्तन का प्रभाव कृषि और व्यवसाय पर उसी मात्रा में नहीं होता। महान् मन्दी (great depression) में हमें मालूम हुआ कि कृषि उपज की कीमतें व्यावसायिक वस्तुओं की कीमतों की अपेक्षा अधिक जल्दी गिरती हैं, परन्तु धीरे-धीरे ऊपर उठनी हैं। यह मांग और पूर्ति की विभिन्न दशाओं के कारण होता है। खेती की उपज धीरे-धीरे ही प्राप्त होती है क्योंकि अनाज वगैरह के उत्पन्न होने और उनके बाजार में लाए जाने में अधिक समय लगता है। इसके अतिरिक्त कृषि-उत्पादन के इधर-उधर फैले होने के कारण पूर्ति पर नियंत्रण रखना भी कठिन हो जाता है। खेती की उपज की मांग भी निर्मित वस्तुओं की मांग की अपेक्षा कम लोचदार होती है। व्यवसाय में उत्पादन-कार्य अधिक सुगमता से नियंत्रित किया जा सकता है तथा उत्पादन को नियमबद्ध बनाया जा सकता है।

हम को मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने का प्रभाव राज्य अथवा राजस्व पर भी देखना चाहिये। राज्य को निश्चित आय वालों की श्रेणी में रखा जा सकता है और इस प्रकार जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है (अर्थात् जब कीमतें गिरती हैं) तो इसको लाभ

होता है और जब मुद्रा का मूल्य गिरता है (अर्थात् कीमतें बढ़नी हैं) तो इसको हानि होती है। परन्तु राज्य के साथ वास्तविकता साधारण नहीं है। जब मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो (अर्थात् कीमतें बढ़ती हो) तो राज्य को लाभ होगा क्योंकि आगम बढ़ेगा। यदि कर की दर समान रहनी है तो भी उनसे प्राप्ति अधिक होगी। दूसरी ओर यदि मुद्रा का मूल्य धीरे-धीरे बढ़ रहा हो (अर्थात् कीमतें गिर रही हों) तो आगम दृढ़ रह सकता है। परन्तु यदि धीरे-धीरे गिरने वाली कीमतें मदी में विकसित हो जावे तो राष्ट्रीय आय और फलस्वरूप राज्य आगम कम हो जायगा। इन स्थितियों में यदि आय-व्ययक को सतुलन करने का प्रत्येक प्रयत्न केवल मदी को बढ़ायेगा अतएव घाटे का वित्तपोषण (deficit financing) ही अधिक उचित होगा।

यदि मुद्रा का मूल्य राज्य द्वारा मुद्रा में राशिपातन (dumping) के कारण घातकता में गिर रहा हो, तो राज्य का मुद्रा बढ़ाने का उद्देश्य असफल होगा। जब तक राज्य के आगम आयेगे, कीमतें बढ़ जायेंगी। इसलिये ऋण-शक्ति कम हो जावेगी। राज्य को उतनी ही वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदने के लिये अधिक मुद्रा बनानी पड़ेगी। इस प्रकार मुद्रा स्फीति मुद्रा स्फीति को पालती है और सरकार एक दृष्ट चक्र में फँस जाती है। परन्तु यह एक तरह से प्रमाद रूप होगा। राज्य इस प्रकार एक बड़े राष्ट्रीय ऋण का मुग्तान करने के योग्य हो जायगा। यह तरीका माननीय होने के अतिरिक्त अधिक लाभकर होगा। व्यवहार में इसका अर्थ राष्ट्रीय ऋण का विलोपन होगा।

किसी भी दिशा की ओर अत्यधिक उथल-पुथल आर्थिक क्रियाओं के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे भविष्य अनिश्चित हो जाता है। अतएव अधिक विकास के लिये यह आवश्यक है कि कीमतों में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रहे। इस कार्य को करने के लिए कीमत-स्तर सूचक अंक का ध्यान रखने की जरूरत होती है।

३ सूचक अंक (Index Numbers)—मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए कीमतों का सूचक अंक तैयार किया जाता है। इस प्रकार सूचक अंक बनाने के लिये जिन-जिन बातों की आवश्यकता होनी है, वे नीचे दी जाती हैं—

(i) आधार वर्ष (Base Year) का निर्धारित करना—सहली आवश्यकता यह होनी है कि आधार वर्ष को चुना जाय। आधार वर्ष का मतलब उस वर्ष से है जिस वर्ष की कीमतों को तुलना और दूसरे वर्षों की कीमतों से प्रतिशत में दिखलाते हैं। यह एक औसत वर्ष होना चाहिए जिसमें कि आर्थिक दृष्टिकोण से न तो बहुत तेजी हो और न बहुत मदी हो। कभी-कभी कई वर्षों की कीमतों के औसत को ही आधार मान लिया जाता है।

(ii) वस्तुओं का चुनाव (Selection of Commodities)—दूसरा काम यह है कि उन वस्तुओं को छाटा जाय जिनकी कीमतें सामान्य कीमत स्तर का निरूपण करें। वे वस्तुएँ वास्तव में प्रतिनिधि रूप की होनी चाहियें और साथ ही ऐसी होनी चाहियें जो कि काफी मात्रा में प्राप्त हों। इन वस्तुओं का निरूपण उम उद्देश्य पर भी निर्भर रहता है, जिनको कि ध्यान में रखकर सूचक अंक बनाया जाता है।

(iii) इनके बाद हर वस्तु के मूल्य की सूची ली जाती है—इसके लिए

ज्यादा अच्छा यह है कि उन वस्तुओं की औसत थोक कीमत कई एक प्रतिनिधि बाजारों में ली जाये। ये कीमते आधार वर्ष (या वर्षों) के लिए मालूम की जाती हैं और दूसरे वर्षों के लिए भी जिनका सूचक अंक हमें बनाना है।

(iv) उसके पश्चात् दूसरा काम यह करना है कि प्रत्येक वस्तु के आधार वर्ष की कीमत १०० के बराबर मान ली जाय और उन सब वस्तुओं के दूसरे वर्षों की कीमत आधार वर्ष की कीमतों के प्रतिशत में निकाली जायें। उदाहरणार्थ यदि आधार वर्ष में गेहूँ की कीमत ४ रुपये मन है, जिसको कि सौ मान लिया जाता है, तो दूसरे वर्ष में जब गेहूँ की कीमत ८ रुपये मन हो जाती है तो वह २०० कहलायेगा। इसी प्रकार हर वर्ष में हरेक वस्तु की कीमत होगी।

(v) आखिरी काम यह है कि प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक वस्तु के औसत अंक निकाले जायें। आधार वर्ष में तो औसत १०० ही होगा। दूसरे वर्षों में ये औसत अंक १०० से अधिक या कम होंगे। यदि कीमते बढ़ी हैं तो १०० से अधिक होंगे और गिरी हैं तो कम।

नीचे दी हुई तालिका से मालूम होता है कि सूचक अंक किस प्रकार बनाये जाते हैं।

वस्तुएँ	आधार वर्ष के दाम १९३९	आधार वर्ष का सूचक अंक १९३९	सन् १९४५ के दाम	सन् १९४५ का सूचक अंक
	(₹० प्रतिमन)		(₹० प्रतिमन)	
गेहूँ	४-०-०	१००	१०-०-०	२५०
चावल	३-८-०	१००	१४-०-०	४००
म्पास	१५-०-०	१००	२२-८-०	१५०
शक्कर	८-०-०	१००	१६-०-०	२००
घी	६०-०-०	१००	१५०-०-०	२५०
औसत		१००		$१२५० \div ५ = २५०$

ऊपर दिये हुए सूचक अंक के हिसाब से सन् १९४५ के दाम सन् १९३९ के दामों के मुकाबिले में १५० प्रतिशत बढ़े। इसका अर्थ यह हुआ कि १९४५ में भारत में द्रव्य का मूल्य सन् १९३९ के मूल्य का ५०% हो गया, अर्थात् ६० प्रतिशत कम हो गया।

गुरुकृत सूचक अंक (Weighted Index Numbers)—ऊपर जिस प्रकार का सूचक अंक दिया गया है वह (unweighted index number) सरल सूचक अंक है, जिसमें हर एक वस्तु को बराबर महत्व दिया गया है। परन्तु वास्तव में उपभोक्ता के लिये किन्हीं वस्तुओं की कीमत में थोड़ी वृद्धि किन्हीं दूसरी वस्तुओं की कीमत में अधिक वृद्धि से अत्यन्त हानिकारक हो सकती है क्योंकि पहली वस्तु की उपयोगिता उनके घरेलू खर्च में दूसरी वस्तु की उपयोगिता में अधिक हो सकती है। इसका महत्व उन समय और भी बढ़ जाता है जब हम रहन-सहन के खर्च का सूचक अंक बनाना चाहते हैं, अर्थात् रहन-सहन के सूचक अंक में हमारा मतलब है किन्हीं एक श्रेणी के रहन-

सहन के खर्च के परिवर्तनों को मापना ।

मान लीजिये कि उपर्युक्त वस्तु किसी एक अमुक श्रेणी के लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है और हम यह जानना चाहते हैं कि युद्ध-काल में उन लोगों के रहन-सहन के खर्च पर क्या प्रभाव पडा । यह आवश्यक नहीं है कि इन उपभोक्ताओं के लिये इन सब वस्तुओं का महत्व एक ही हो । इन वस्तुओं के सापेक्ष महत्व को दिखलाने के लिये हम हर एक वस्तु को 'भार' या वजन दे सकते हैं । इसके लिये हमें हर एक वस्तु के सूचक अंक को उसके महत्व के अनुसार किसी सख्या से गुणा करना होगा । यह सख्या साधारणतः पारिवारिक बजट में वस्तुओं के ऊपर किये खर्च के अनुसार होती है ।

नीचे दी गई तालिका से मालूम होता है कि गुरुकृत सूचकांक किस प्रकार बनाया जाता है । इसमें वही सख्याएँ ली गई हैं जो पहली तालिका में थीं ।

वस्तुएँ	आधार वर्ष की कीमत १९३९ (१० प्रति मन)	सूचक अंक १९३९	सन् १९४५ में कीमतें (१० प्रति मन)	सूचक अंक १९४५
गेहूँ	४-०-०	$१०० \times ३ = ३००$	१०-०-०	$२५० \times ३ = ७५०$
चावल	३-८-०	$१०० \times १ = १००$	१४-०-०	$४०० \times १ = ४००$
कपास	१५-०-०	$१०० \times १ = १००$	२२-८-०	$१५० \times १ = १५०$
शक्कर	८-०-०	$१०० \times २ = २००$	१६-०-०	$२०० \times २ = ४००$
घी	६०-०-०	$१०० \times १ = १००$	१५०-०-०	$२५० \times १ = २५०$
जोड़		८००		१९५०
औसत		१००		२४३ ७५

यहां पर हमने चावल के मुकाबिले में गेहूँ को तीन गुना महत्व दिया है और शक्कर आदि को घी के मुकाबिले में दुगुना आदि ।

इस प्रकार से निकाला हुआ रहन-सहन के खर्च का सूचक अंक उतना नहीं बढ़ा है जितना कि सरल सूचक अंक । ये अंक तो केवल उदाहरण के लिये दिये गये हैं । वास्तव में एक ही सूचक अंक कीमतों के स्तर के परिवर्तन और रहन-सहन के खर्च के परिवर्तन को नापने के काम में नहीं लाया जा सकता । इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के लोगों के रहन-सहन के खर्च के परिवर्तन को नापने के लिये काम में लाई जाने वाली वस्तुएँ एक न होंगी । इसके लिये हमें देवना होगा कि किस श्रेणी के लोग किस प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करते हैं ।

यहां तो हमने थोड़ी सी ही वस्तुएँ चुन ली हैं । वास्तव में इन वस्तुओं की सख्या अधिक होनी चाहिये । उदाहरणार्थ, भारत सरकार के कमर्शियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट (Commercial Intelligence Department of the Government of India) के बनाये हुए सूचक अंक की माला (series) सबसे पुरानी है । इसमें २८ निर्यात की जाने वाली और ११ आयात होने वाली वस्तुएँ हैं । इस माला में गुरुकृत सूचक अंक नहीं है और १८७३ को आधार वर्ष माना है, सूचक

अको की दो जीर मालाथ है—एक वस्वर्ड की जिसमें ४० वस्तुएँ हैं और दूसरी कलकत्ते की जिसमें ७२ वस्तुएँ हैं।

महत्त्व का अग परोध रूप से भी लाया जा सकता है यदि हम किसी वस्तु के एक से अधिक गुण ले। उदाहरणार्थ गेहूँ की ३ किस्म, रुई की २ और चाय की ३ जादि।

भारत में विभिन्न महत्त्वपूर्ण नागरिक स्थानों से १९ प्रकार के रहन-सहन के खर्च के सूचक अक प्रकाशित होने हैं।

४ सूचक अको के लाभ तथा सीमाएँ (Uses and Limitations of Index Numbers)—सूचक अको से हम केवल कीमत के स्तर के परिवर्तनों को ही नहीं नाप सकते हैं वल्कि हम द्रव्य के मूल्य और रहन-सहन के खर्च के परिवर्तनों को तथा प्रत्येक मात्रिक (quantitative) परिवर्तन को भी नाप सकते हैं। मजदूरी, आयात, निर्यात, व्यावसायिक क्रियाएँ, नीकरी, कृषि की भूमि के क्षेत्र के परिवर्तन और जनसंख्या के परिवर्तनों आदि के भी सूचक अक बनाये जा सकते हैं। इन चीजों के माप से हम सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों का ज्ञान होता है जिससे कि आवश्यकतानुसार उपयुक्त नीति बनाई जा सकती है।

उदाहरणार्थ, रहन-सहन के खर्च के सूचक अक से हमें मजदूरी को कीमत के अनुसार बदलने में सहायता मिलती है। थोक कीमत के सूचक अक से मुद्रा प्राधिकारी को कीमत के स्तर और विनिमय के स्थायीकरण करने में सहायता मिलती है।

हम सूचक अको की सहायता से किसी श्रेणी के मनुष्यों की किन्हीं दो विभिन्न समय की आर्थिक दशाओं का माप कर सकते हैं।

सूचक अको की सहायता से हम बहुत से करारों (agreements) का, जैसे कि उधार देना और उधार लेना, समान भुगतान कर सकते हैं। जब कीमते बढ़ती हैं तो उधार देने वाले को हानि होती है क्योंकि जो धन अब उसको वापिस मिलता है उसकी क्रय-शक्ति कम होती है। यह अधिक न्यायमगत होगा यदि उधार देने वाले को वही क्रय-शक्ति वापिस मिले। ऐसा करने के लिये मूलधन (principal) को उसी मात्रा में बढ़ा देना आवश्यक होगा जिस मात्रा में कीमते बढ़ गईं हों। इसी प्रकार जब कीमतें गिर गईं हों तो उधार लेने वाले को चाहिये कि वह उसी तरह कम धन दे, नहीं तो ऋण का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं के हिसाब से उसी मात्रा में बढ़ा हुआ होगा जिस मात्रा में कि कीमते गिर चुकी हैं।

सीमाएँ (Limitations)—इस प्रकार हम देखते हैं कि सूचक अक अति लाभ-दायक ही नहीं है वल्कि वर्तमान गामन के लिये उनका बनना अति आवश्यक है क्योंकि वर्ग-इन्के राज्य की आर्थिक नीतियों का मतलब केवल अँधेरे में भटकना ही होगा। परन्तु यहाँ यह भी देखना आवश्यक है कि सूचक अक की कुछ सीमाएँ भी हैं। सबसे पहले तो वे केवल अनन्य (approximations) ही हैं। उनको हम बिल्कुल नहीं माप दिखलाने वाला नहीं मान सकते। उनके आकड़े भी बिल्कुल नहीं नहीं माने जा सकते और उनका मतलब भी विभिन्न लगाया जा सकता है। दूसरे, उनकी अन्तर्राष्ट्रीय तुलना विभिन्न आधारों, विभिन्न वस्तुओं की मात्रा और गुणों में अन्तर होने के कारण

यदि असम्भव नहीं, तो कठिन तो अवश्य ही है।

तीसरे, विभिन्न समय में उनकी तुलना करना भी सरल नहीं होता। अधिक समय में कुछ सामान्य वस्तुएं भी बदल जाती हैं। कभी-कभी बिल्कुल ही नई वस्तु काम में लाई जाने लगती है या वस्तु वहीं ही केवल उसका नाम बदल दिया जाता है। हो सकता है कि नई और पुरानी वस्तु में बड़ा अन्तर हो। आधुनिक रेल के इंजन और पहले के इंजन की तुलना कीजिये। सन् १९५२ की फोर्ड कार और सन् १९४२ की फोर्ड कार में बड़ा अन्तर है।

चौथे, सूचक अको से केवल एक ही प्रकार की कीमतों के स्तर की माप हो सकती है। एक सूचक अक जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाया गया है उसको दूसरे काम में नहीं लाया जा सकता। एक ऐसा सूचक अक जो कि मिल मजदूर या रेलवे हमालो (porters) की आर्थिक दशा का अध्ययन करने के लिये बनाया गया है, कालेज के अब्यापको की आर्थिक दशा जानने के लिये बिल्कुल बेकार होगा। उनके लिये पूर्णतया भिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करना होगा। विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करते हैं और उनकी क्रय-शक्ति भी विभिन्न होती है इसलिए कीमत स्तर में परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न श्रेणी के मनुष्यों पर अलग-अलग होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही सूचक अक से यह नहीं प्रतीत हो सकता कि पृथक्-पृथक् वर्ग के मनुष्यों पर कीमत के स्तर में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा।

यह भी हो सकता है कि किसी वस्तु को एक प्रकार के महत्त्व देने का प्रभाव कुछ और दूसरे प्रकार के महत्त्व का फल दूसरा हो। इसमें मालूम होता है कि सूचक अक में महत्त्व देना केवल स्वैच्छिक ही है।

जैसा कि काल्बोर्न (Coulborn) ने कहा है, 'इन प्रकार कोई भी सामान्य कीमत-स्तर नहीं मग्न किया जाता क्योंकि भिन्न-भिन्न कीमतों के इकट्ठा करने की व्यावहारिक कठिनाइया तथा आधार वर्ष के उचित और अगले वर्षों के अनुरूप उनका महत्त्व निकालने की कठिनाइया ऐसी हैं जो व्यवहार में दूर नहीं की जा सकती।'^१

५. कीमत का स्थायीकरण (Price Stabilisation)—क्योंकि द्रव्य मूल्य (या सामान्य कीमत स्तर में) एकाएक परिवर्तन होने से, सामाजिक और राजनीतिक उधल-पुधल के अतिरिक्त, आर्थिक चेष्टाओं को भी धक्का लगता है, और वे अनिश्चित हो जाती हैं, इसलिये कीमतों के स्थायीकरण की अधिक आवश्यकता प्रतीत होती है। कीमतों के स्थायीकरण का अर्थ यह नहीं है कि उनको पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की व्यवस्था की जाय। इस प्रकार की व्यवस्था न तो मभव है और न उसकी आवश्यकता ही है। कीमतों में थोड़े-थोड़े समय के उतार-चढ़ाव को बिल्कुल रोका नहीं जा सकता, चाहे वे कुछ थोड़ी सी वस्तुओं की कीमतें हो या सामान्य कीमत-स्तर। इसके अतिरिक्त दीर्घावधि में होने वाले कीमतों के परिवर्तनों से भी अधिक हानि नहीं होती। दीर्घावधि, जैसे कि २० वर्ष, में होने वाले कीमतों के परिवर्तन सरलता से माप लिये जा सकते हैं।

कीमतों के ऐसे उतार-चढ़ाव को न्यूनतम करने का प्रयत्न करना चाहिये। ऐसे उतार-चढ़ाव का निरूपण मध्य-समय पर होने वाली तेजी (boom) और मदी (depression) से होता है। एक दूसरे अध्याय में हम इन पर प्रकाश डालेंगे।^१

कीमतों का स्थायीकरण दो प्रकार से हो सकता है (1) कुछ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और माग के साधनों पर प्रभाव डालकर उनकी कीमतों का स्थायीकरण करना।

(ii) दूसरी रीति यह है कि द्रव्य की पूर्ति को उनकी माग के अनुसार बनाकर कीमतों के सामान्य स्तर की समस्या को सुझाना। इसके लिए विभिन्न अधिकारियों ने भिन्न-भिन्न मार्ग बतलाये हैं और कुछ स्वर्ण-मान पद्धति (gold standard system) को अच्छा समझने हैं और कुछ ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें नियंत्रित पत्र-मुद्रा हो।

वर्तमान जगत् में कोई भी देश अपने को विलकुल जुदा नहीं रख सकता।

कीमत का स्थायीकरण सदैव आवश्यक नहीं है (Price Stabilization not always Desirable)—इन मंत्र कठिनाइयों के अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि कीमतों का स्थायीकरण एक उद्देश्य मनझकर सदैव आवश्यक नहीं समझा जाता। एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था के लिए, जो कि स्वतन्त्र प्रतिद्वन्द्वता पर खड़ी हुई हो कीमतों का उतार-चढ़ाव एक विशेष काम करना है। इर्मा यन्त्र के द्वारा जनसम्पत्त के साधन काम में लगाये जाते हैं, जिसमें अधिक से अधिक लाभ हो। कीमतों में जनता की सापेक्षित माग का पता चलता है। कीमतों के परिवर्तन से यह मातूम होता है कि कहीं न कहीं कोई गडबडी है और उसको ठीक करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त जैसा कि ग्रेगरी (Gregory) और हेक (Hayek) ने बतलाया है, स्थायी कीमतों में अर्थ-व्यवस्था में समय-समय पर गडबडी होने का डर रहता है जैसा कि अमेरिका ने सन् १९२३ से १९२९ के बीच अनुभव किया था। यदि सामान्य कीमत-स्तर स्थायी रहता है तो भी कुछ विशेष वस्तुओं के दामों में परिवर्तन में आर्थिक जीवन में गम्भीर उथल-पुथल हो सकती है।

अन्त में हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी स्थायी कीमतें सदैव सब में अच्छी नहीं मानी जा सकती। इस दशा में एक स्थायी परिमाण में वस्तुएँ उधार के लेन-देन में रह सकती हैं। अधिक उपज के समय में उन्हीं वस्तुओं की निश्चित मात्रा के प्रति स्वार्थ त्याग थोडा होगा और आविष्कारों के कारण औद्योगिक उत्पादन अधिक होगा। न्याय की दृष्टि में ऐसे समय में कीमतों को गिर जाने देना चाहिए। इसके प्रतिकूल दशा में भी यह सब बातें ठीक होंगी।

जिम समय हमारा उद्देश्य यह होता है कि सोना मंचित किया जाय, विनिमय का स्थायीकरण किया जाय और व्यापारिक चक्रों (business cycles) से बचा जाय, उन समय भी हमारे सामने ऐसी ही समस्याएँ आती हैं। आजकल वस्तुओं और सेवाओं का अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय होने लगा है।

६ कीमत नियंत्रण की कठिनाइयाँ (Difficulties of Price Control)—हम कीमत नियंत्रण तथा इसके दोषों से तो परिचित हो ही गए हैं। साधारणतः यह ममज्ञा जाता है कि किसी देश का केन्द्रीय बैंक साख पर नियन्त्रण करके कीमत के स्तर को नियन्त्रित कर सकता है। यह अनुमान कुछ मानी हुई धारणाओं पर निर्भर है परन्तु यह धारणाएँ ठीक नहीं होती। यह धारणाएँ इस प्रकार हैं (1) मूल्यों के सूचक अको का ठीक-ठीक और शीघ्रता से वना लेना और उनसे पथ-प्रदर्शक का काम लेना सम्भव है। सूचक अको की विभिन्न कठिनाइयों को हम पहले ही बतला चुके हैं। इस प्रकार के सूचक अको में पूर्णरूप से प्रतिनिधि वस्तुएँ होनी चाहियें। उनका महत्त्व भी ठीक होना चाहिये और वे ऐसी वस्तुएँ होनी चाहिये जो कि आसानी से मिल सकें। साधारणतः इन सब बातों का होना असम्भव ही है। (11) दूसरी धारणा यह है कि द्रव्य की मात्रा और कीमतों के स्तर में सदैव एक दृढ़ सम्बन्ध रहता है। द्रव्य का पारिमाणिक सिद्धान्त (quantity theory of money) समझते समय यह बतलाया था कि वास्तव में ऐसे सम्बन्ध का अस्तित्व होता ही नहीं। साख अर्थ-व्यवस्था में यह अधिक ठीक होता है। पहले तो हम देखते हैं कि केवल बैंक-साख ही उधार लेने की एक रीति नहीं है। दूसरे, उधार लिया हुआ धन केवल वस्तुओं के खरीदने में ही नहीं लगाया जाता। यह वास्तविक सम्पदा (estate) जैसे कि भूमि और घर आदि और प्रतिभूतियाँ (securities) तथा सेवाएँ खरीदने के काम में भी लाया जा सकता है। सम्पदा तथा प्रतिभूति की कीमत बढ़ने के कारण बैंक की साख में वृद्धि होने से वस्तुओं का स्तर गिर सकता है। इसके विपरीत, उधार में कमी होने से सम्पदा और प्रतिभूति की कीमतों में कमी हो सकती है जब कि वस्तुओं की कीमतों पर कोई प्रभाव न पड़े या वे बढ़ भी जायें। उदाहरण के लिए, लेविन्सकी (Lewinsky) के कथनानुसार पोलैंड में सन् १९१३ और सन् १९२५ के बीच में प्रचलित द्रव्य का परिमाण आधा हो गया था जब कि थोड़ा दामो का सूचक अंक ३६% बढ़ गया। इनके अतिरिक्त सन् १९२३-२९ में अमेरिका में बैंकों की साख द्रव्य बहुत अधिक बढ़ गयी थी परन्तु वस्तुओं की कीमतों में बहुत ही कम परिवर्तन हुआ था। स्टॉक विनिमय की प्रतिभूतियाँ (Stock Exchange Securities) और वास्तविक सम्पदा की कीमतें अधिक बढ़ गई थी।

इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि द्रव्य के चलन का वेग उल्टी दिशा की ओर हो और वह बैंक द्वारा की गई साख को बढती या कमी को प्रतिलुलन (counter-balance) कर दे। केन्द्रीय बैंक इस वेग को अधिक नियन्त्रित नहीं कर पाता। कुछ ऐसे भी कारण हैं जो कि द्रव्य से सम्बन्धित नहीं हैं। परन्तु वे वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव डालते हैं जैसे कि जलवायु, राजनैतिक और व्यावसायिक उथल-पुथल, उत्पादन की रीतियों में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन, जनमरया और मनुष्यों के स्वभाव आदि में परिवर्तन आदि। इन सब कारणों ने उस बैंक के कार्य असफल हो सकते हैं।

दूसरे महायुद्ध तथा उसके बाद में कीमत नियंत्रण ने इस नीति की श्रुतियों को स्पष्ट कर दिया है। लड़ाई में कीमतें लगातार बढती रहती हैं और एक उचित स्तर रखने के

लिये कीमत-नियन्त्रण की पद्धति स्थापित की जाती है। ऊँची कीमतें गरीबों पर अधिक प्रहार करती हैं तथा उनको जीवन की अनिवार्यताओं से वंचित रखती हैं। जनता की नैतिक व्यवस्था को ठीक रखना पड़ता है। कीमतों पर इसलिए भी नियन्त्रण किया जाता है ताकि नरकारी नौकर ऊँची तनखाहें न मांगें। लुडार्ड में माग तथा पूर्ति के बीच का अनुलन जाता रहता है। नागरिकों की माग के अतिरिक्त युद्ध के कार्यों के लिये भी वस्तुओं की माग होती है। दूसरी ओर, पूर्ति कम हो जाती है क्योंकि नावनों को युद्ध का सामान बनाने के लिये हटाना पड़ता है तथा आयात गिर जाते हैं। मुद्रा स्फीति तथा उसका वेग बढ़ जाने के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं और अमीर-गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो जाती है। इन सामाजिक असमानता को कम करने तथा रोकने के लिये कीमतों पर नियन्त्रण रखना सरकार का कर्तव्य हो जाता है।

युद्ध में लगे हुए सारे देशों में कीमत-नियन्त्रण के उपाय लागू किये गये और युद्ध के बाद भी जारी रहे। पहले समस्या का हल दुकड़ों में किया गया तथा कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर नियन्त्रण किया गया। जब सरकार ने अधिक अनुभव प्राप्त कर लिया तो कीमत-नियन्त्रण दृढ़ तथा विस्तृत कर दिया गया। माल जमा करने तथा अनुचित लाभ (hoarding and profiteering) उठाने के विरुद्ध कानून बनाये गये। बहुत-सी वस्तुओं की कीमतें एक निश्चित मात्रा के ऊपर बढ़ने से रोक दी गईं। कुछ दशाओं में नई कीमतों को युद्ध के पहले की कीमतों से २% बढ़ा दिया गया।

यह उपाय पहले असफल रहे। जैसे ही एक वस्तु की कीमत पर नियन्त्रण किया गया, वह चोरबाजार में गाँव हो गई। कीमत नियन्त्रण असफल रहने के मुख्य कारण ये थे—(१) कीमत स्थिति को हल करने में देरी, (२) अधिकारियों में अनुभव का अभाव, (३) सरकारी नौकरों में निष्ठा का अभाव; (४) जन-सहयोग की कमी, (५) सही तथा आवधिक अकों की कमी, तथा (६) कीमत-नियन्त्रण के उपायों का एकीकरण न होना (un-coordinated) तथा उनका योजना-रहित होना।

भिन्न-भिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न कीमतें निर्धारित की गई थीं। कभी-कभी भिन्न-भिन्न जिलों में परिवहन की लागत का समालन न करके एक ही कीमत रच दी जाती थी। कभी-कभी फुटकर कीमतें ही निश्चित करके थोक विक्रेताओं को ऊँचे दाम लेने के लिए छोड़ दिया जाता था। कीमत पर नियन्त्रण था लेकिन पूर्ति पर कोई नियन्त्रण न था। सब वस्तुओं पर नियन्त्रण होने के बजाय कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर नियन्त्रण था जिसके कारण नियन्त्रण न की जान वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं और नियन्त्रित वस्तुओं पर नियन्त्रण रखना कठिन हो गया। इसका ध्यान कभी भी न गया कि अधिकतर वस्तुओं की कीमतें एक दूसरे से जुड़ी थीं। नियन्त्रण के नियम इतने सामान्य थे कि उनका बनाना सरल था परन्तु उनका चलना बहुत कठिन था।

किन्तु सब से महत्वपूर्ण बात ननुष्यों के स्वभाव में सम्बन्धित है। कीमत नियन्त्रण उन देशों में सफल हुए जहाँ जनता का नैतिक स्तर ऊँचा था तथा मनुष्य ईमानदार थे।

पर जहाँ इन गुणों का अभाव था, वे असफल रहे।

७ कीमत का कार्य (Function of Price Mechanism)—हम ऊपर यह अध्ययन कर चुके हैं कि कीमतों के स्थायीकरण की कहा तक आवश्यकता है और हमने यह बतलाया था कि स्वतन्त्र प्रतिद्वन्द्विता पर निर्मित आर्थिक पद्धति में कीमत-यंत्र रचना एक विशेष काम करती है। अब हम कीमत-यंत्र रचना का कुछ और अध्ययन करना चाहते हैं।

कीमत यंत्र-रचना इस प्रकार चलती है कि आर्थिक पद्धति का समायोजन (adjustment) अपने आप होता रहता है और किमी केन्द्रीय प्राधिकार को कोई आज्ञा देने की या सकेत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कीमत उत्पादन और उपभोग दोनों का प्रबन्धक है। उपभोक्ता जो कीमत देने के लिये तैयार होते हैं उनसे उनकी रचि का ज्ञान होता है। इसी प्रकार जो कीमत उत्पादक लेने के लिये तैयार होते हैं उनसे वस्तुओं की कमी या अधिकता मालूम होती है। कीमत के बढ़ने से माग कम होती है और पूर्ति बढ़ती है, इसी तरह इसके प्रतिकूल भी है। यदि किसी वस्तु की माग पूर्ति से ज्यादा है, तब कीमत के बढ़ने से दोनों में समायोजन होगा। इसके प्रतिकूल यदि पूर्ति माग से ज्यादा है तो कीमत गिर जायगी और दोनों के बीच साम्य स्थापित हो जायगा।

वितरण में भी, जत्र कि हमारा सम्बन्ध उत्पादन के साधनों की सेवाओं को पारिश्रमिक देना है, हम देखते हैं कि इसी प्रकार की क्रियाएँ होती हैं। लगान (rent), मजदूरी (wages), व्याज (interest) और लाभ (profits) ऐसी कीमतें हैं जो कि उत्पादन के साधनों को दी जाती हैं। यदि श्रमिकों की पूर्ति अधिक है तो उनकी मजदूरी गिर जायगी और वह नियोजकों (employers) को अधिक मजदूर काम में लगाने को उत्साहित करेगी। इसके विपरीत, यदि युद्ध या बीमारी के कारण मजदूरों की पूर्ति कम हो गई है तो मजदूरी बढ़ जायगी और नियोजकों के लिए यह श्रमिकों की कमी एक चेतावनी का सकेत होगा।

किसी वस्तु या सेवा की कीमत एक तरह की आमदनी है, जो कि अपनी क्रय-शक्ति से आर्थिक क्रियाओं की दिशा और सीमा बतलाती है। इसलिये यदि हम वर्तमान आर्थिक पद्धति को "कीमत के द्वारा शासन" कहें, तो ठीक होगा।

ऐसा समझा जाता है कि कीमत-व्यवस्था उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के हित में साम्य स्थापित करती है। वेनहम के शब्दों में "इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उद्यमी की लाभ की इच्छा और उपभोक्ताओं को दिये हुए उत्पादन के साधनों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति की इच्छा, दोनों की समता से मत्पुष्टि करती है।" परन्तु बान्न्व में यह समता देखने में नहीं आती। ऐसा देखा जाता है कि या तो उपभोक्ताओं का शोषण होता है, या उद्यमी लोग नुकसान उठाते हैं। कभी तो उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पादन का लाभ मिलता है तो कभी जान-बूझ कर उनको धोखा दिया जाता है और वे एकाग्रितारों की इच्छा पर रहते हैं, जो कि उनका पूर्ण रूप से शोषण करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इनके अनिश्चित एक नयुक्त मिश्रित पूँजी वाली कम्पनी को उनके मचात्तों के कार्य कुशल न होने के कारण हानि हो सकती है, या यह हो सकता है कि

मंचालक अपने को धनी बनाने में लगे रहें जब कि कम्पनी की हानि होनी रहे। इस प्रकार हुए देखते हैं कि वास्तव में उत्पादकों और उपभोक्तियों के हितों में भिन्नता है न कि समता, क्योंकि कीमत-व्यवस्था प्रायः स्वतन्त्रता और सरलता से काम नहीं करती।

इन सब बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कीमत-व्यवस्था के बिना पूँजीवादी व्यवस्था चल ही नहीं सकती। कीमत-व्यवस्था से ही आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न भागों का समायोजन होता है। यह सोचना ही कठिन है कि मूल्य-व्यवस्था के बिना आर्थिक क्रियाएँ किस प्रकार की जा सकती हैं। यहाँ पर हमारे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि आर्थिक व्यवस्था सरलता और न्याय के आधार पर चल रही है। परन्तु यह ठीक है कि कीमत-व्यवस्था के कारण आर्थिक व्यवस्था वगैर किनी बड़ी अडचन के प्रायः चलती रहती है।

८ महंगी मुद्रा बनाम सस्ती मुद्रा (Dear Money versus Cheap Money)—द्रव्य के विवेचन को समाप्त करने के पहिले हम यह आवश्यक समझते हैं कि हम मुद्रा के विषय की नीति पर केन्द्रित विवाद पर विचार करें।

जब अर्थ-व्यवस्था मृदु ने नष्ट हो जाती है अथवा मंदी में छिन-भिन्न हो जाती है तो एक ही विवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है—अर्थात् देश एक महंगी मुद्रा वाली नीति अपनाए या सस्ती मुद्रा वाली नीति को।

किन्तु महंगी मुद्रा अथवा सस्ती मुद्रा के क्या अर्थ हैं? कुछ विद्वानों ऐसा समझते हैं कि महंगी मुद्रा का यह अर्थ है कि उसका मूल्य वस्तुओं तथा सेवाओं में अधिक है अर्थात् कीमत नीची है तथा सस्ती मुद्रा का अर्थ है कि द्रव्य का मूल्य (अथवा उनकी क्रय-शक्ति) नीची है और कीमतें ऊँची हैं। इस प्रकार महंगे द्रव्य का सम्बन्ध नीची कीमतों में हो सकता है और सस्ते द्रव्य का ऊँची कीमतों से। परन्तु महंगी तथा सस्ती मुद्रा की परिभाषा इस प्रकार नहीं दी जा सकती। द्रव्य की कीमत जिनकी तरफ 'महंगे' और 'सस्ते' शब्द संकेत करते हैं उसकी विनिमय-कीमत या क्रय-शक्ति के शब्दों में नहीं है। द्रव्य की कीमत का उचित अर्थ वह दर है जिस पर द्रव्य उधार लिया जा सकता है। इस प्रकार महंगी मुद्रा का अर्थ यह है कि उधार लेने की दर ऊँची है तथा सस्ती मुद्रा का अर्थ यह है कि व्याज की दर नीची है। संक्षेप में द्रव्य की कीमत व्याज की दर है।

कभी-कभी हम अर्थशास्त्रियों को महंगी बनाने सस्ती मुद्रा के वाद-विवाद में भाग लेते पाते हैं। कुछ महंगी द्रव्य की नीति अपनाते हैं और कुछ सस्ती द्रव्य की नीति का समर्थन करते हैं। इनमें से कौन ठीक है, यह उन आर्थिक स्थिति पर निर्भर है जिनका हमें सामना करना पड़ता है। किसी आर्थिक नीति को चलाने के लिए व्याज की दर एक महत्वपूर्ण हथियार है। कुछ समय ऐसे होते हैं जब कि उचित आर्थिक नीति के लिये यह आवश्यक है कि द्रव्य के बाजार में व्याज की दर नीची रखी जावे तथा सभी व्याज की दर ऊँची रखनी पड़ती है। उदाहरणार्थ, जब मुद्रा का अधिक प्रसार हो जब सट्टेबाजी अधिक हो, जब उद्योगवर्ग विनिवेश (investment) अधिक मात्रा में करते हों, जब बैंकों ने सीमा से अधिक नाश बढ़ा रखा हो, जब भुगतान शेष (balance of payment) देश के प्रतिकूल हो, तो महंगी द्रव्य की नीति सूचित होगी है।

यह मुद्रा सकुचन (deflationary) वाली गति है। यह निर्बुद्धि पूंजी विनियोग पर रोक लगायेगी, यह बँकों द्वारा साख के बढ़ाए जाने को रोकेंगी, यह कीमतों को बढ़ने में भी रोकेंगी, सट्टेबाजी के वेग को कम करेगी और अन्त में भूतान शेष की स्थिति को एक दृढ़ अवस्था में कर देगी।

सस्ती मुद्रा की नीति प्रतिकूल स्थितियों में प्रकट होती है। उदाहरणार्थ जब मदी का बुरा प्रभाव ध्यापार व्यवसाय पर पड़ रहा हो, जब बैंक उधार देने में हिचकते हो, जब नीचा कीमत-स्तर आर्थिक उद्दीपक को नष्ट कर रहा हो, जब अधिक बेकारी हो, और जब विस्तृत निर्माण-कार्य चालू हो तो सस्ती मुद्रा नीति अथवा नीची व्याज दर विनियोग को प्रोत्साहन देती है, बेकारी के भार को कम करती है, औद्योगिक यन्त्र के पहियों में तेल डालती है। मक्षेप में, यह मदी के पदों को उठाकर उसके बुरे प्रभावों को दूर करेगी।

सस्ती मुद्रा नीति (अर्थात् साख का सस्ता होना) (क) मदी को रोकने, (ख) बेकारी को दूर करने तथा (ग) विकास कार्यक्रम की व्यवस्था में एक साधन का कार्य करती है। जब सस्ती मुद्रा नीति अपनायी जाती है तो सरकार को खुले बाजार में उधार लेना पड़ता है। यदि साख की कमी है तो प्रतिभूतियों की कीमत बढ़ जायगी और उनकी माग गिर जायगी। सरकार को सस्था सम्बन्धी विनियोग करने वालों का आश्रय लेना पड़ेगा। सस्ती मुद्रा नीति का अर्थ सार्वजनिक ऋण का मुद्रा-निर्माण है अर्थात् सार्वजनिक ऋण को तरल-नक्दी (liquid cash) में बदलना है। यदि पूर्ण रोजगारी की अवस्था आ गई हो, तो इसका अर्थ स्फीतिकारी वित्त-व्यवस्था होगा।

अब यह प्रश्न उठता है कि क्या यह राज्य के अधिकार में है कि केन्द्रीय बैंक द्वारा या दूसरे प्रकार से मुद्रा को सस्ता या महंगा रखने के लिये व्याज दर पर नियंत्रण रखे? क्या व्याज की दर माग तथा पूर्ति के प्राकृतिक प्रभाव से निर्धारित नहीं होती। जैसे कि पहले समझाया जा चुका है इस सिद्धान्त की अब निन्दा की गई है कि व्याज की दर मन्त्रित वन की माग तथा पूर्ति में साम्य लाती है। जैसा कि सर विलियम बेवेरिज (Sir William Beveridge) ने बतलाया है "व्याज की दर माग तथा पूर्ति में साम्य स्थापित करने का कार्य नहीं कर सकती क्योंकि पूंजी व्यय उन्नी मन्त्रय को जन्म देता है जिसकी आवश्यकता उसके अर्थ-प्रवन्ध में होनी है। एक को दूसरे की समता में लाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वे आय के स्तर में परिवर्तन होने से समता में रहते हैं।"¹ यदि व्याज की दर नीची है तो विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। समुदाय द्वारा ऋण लेकर या रिजर्व से किया हुआ व्यय अधिकृत आय लाता है और वचत के नये उद्गम पैदा करता है। इस प्रकार व्याज की नीची दर वचत करने के उत्साह को भंग नहीं करती परन्तु यह व्यय तथा विनियोग को प्रोत्साहित करती है और अधिक वचत को मन्त्रव बनाती है।

आधुनिक जर्मनशास्त्री अब इस बात को मानते हैं कि राज्य को व्याज की नीची दर

स्थिर करने तथा बनाये रखने का अधिकार है और दर किन्हीं प्राकृतिक साधनों द्वारा निर्धारित नहीं होती। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध-काल तथा युद्ध-काल के बाद ऋण के लिए बढ़ती हुई मांग व्याज की नीची दर पर मत्पुष्ट हुई। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि व्याज की दर पर नियन्त्रण रखना सम्भव है। हम को देखना चाहिए कि यह कैसे होता है। व्याज की दर पर नियन्त्रण वचत पर नियन्त्रण द्वारा हो सकता है। इसके लिए वचत के भिन्न-भिन्न रूपों का जानना आवश्यक है। मनुष्य अपने संचित धन को चार तरह से रख सकता है अर्थात् नकद, बैंक (डिपॉजिट्स) बिल (अल्पकालीन विनियोग), तथा बांड (दीर्घकालीन विनियोग)। सरकार देग की पूर्ण आर्थिक स्थिति को सोचते हुए एक विशिष्ट व्याज दर स्थिर करने का निश्चय कर सकती है और तब बचाने वाली जनता को उस दर पर अपने सचय तथा जिस रूप में वह अपने संचित धन को रखना चाहती है ठीक करती है। जैसा कि वेवेरिज ने कहा है "सरकार को दीर्घकालीन बांड तथा अल्पकालीन पत्र अवश्य निकालना चाहिए ताकि बचाने वालों की इच्छानुसार संचित धन उनमें आये।"

यदि यह देखने में आता है कि सरकार इच्छित धन को घोषित की हुई दर पर प्राप्त नहीं कर सकती और जनता का अल्पकालीन व दीर्घकालीन अगदान अपूर्ण है तो सरकार आधिक्य को केन्द्रीय बैंक से प्राप्त कर सकती है। जैसे-जैसे सरकार का व्यय आगे बढ़ता है, नई वचते होती जाती हैं और बैंक का नकद आधिक्य बढ़ जायगा। नयी वचत किसी न किसी रूप में रहनी चाहिये तथा बैंक अपना व्यावहारिक अनुपात भी रखेंगे। इस प्रकार धन कर के रूप में आ जायेगा। वचत जिसको जनता नकद तथा बैंकों में जमा करके रख सकती है, व्यापार की विद्यमान राशि पर निर्भर करती है। वे अपनी आधिक्य वचत को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पत्रों में भी विनियोजन कर सकते हैं।

इस प्रकार व्याज की एक स्थायी दर निश्चित करने की सम्भावना का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार को केवल दर निश्चित करनी होनी है और तब जनता को प्रस्ताव किया जाता है कि वह इस दर पर कितना रखना चाहेंगे। वचत का केवल एक मात्र उपाय यही है कि दर में परिवर्तन धीरे-धीरे हो। यही कारण है कि न्यून दर निश्चित करना तथा उसको ऊपर की भांति बनाये रखने का प्रयत्न करना सम्भव नहीं होगा। दर के अचानक घटा दिए जाने पर, पूजा तथा दीर्घकालीन ऋण बढ़ जायेंगे। इससे सामाजिक तनाव उत्पन्न हो जायगा। परम प्रतिभूतियों का त्रोट सूख जायगा और बैंक तथा बीमा कम्पनियों जैसी आर्थिक सम्स्थाओं की क्रियाओं की नींव टुकड़े-टुकड़े हो जायगी।

अब हमको यह देखना चाहिये कि आवृत्तिक आर्थिक स्थिति में भारत को कौन सी नीति अपनानी चाहिए। हम भ्रमजाल में पड़ जाते हैं और हमको दोनों विपरीत नीतियों में तनुलन कर लेना चाहिए। हमको मुद्रा स्फीति से लड़ना है। वह महंगी मुद्रा नीति की ओर सकेत करती है। यही कारण है कि बैंक दर ३ प्रतिशत में ३॥ प्रतिशत कर दी गई है। दूसरी ओर यह सोचकर कि हमारे महामुद्र में तथा उसके बाद औद्योगिक

सामग्री बहुत अधिक घिस गई थी और उसकी मरम्मत भी नहीं हो सकी थी, इस कारण उसका नए सिरे में सुधार होना चाहिये। इस काम को पूरा करने के लिए द्रव्य की जरूरत होगी। आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में हमें बर्बाद और योजना आदि करनी है। इसलिए हमें साव सस्ती करनी चाहिए और 'सस्ती नाख नीति' को अपनाना चाहिए।

इन दोनों उद्देश्यों में साम्य किम प्रकार स्थापित हो ? हम क्या करें ? हमारा प्रस्ताव है कि मुद्रा-प्रसार की पीठ टूट गई है। परन्तु मुद्रा-प्रसार के देव को केवल हल्की चोट ही लगी है, वह मरा नहीं है। वह फिर अपना मिर उठा सकता है। अतएव हमको सावधान रहना चाहिए। ऐसी सावधानी रखते हुए हमको यह देखने का साहम करना चाहिए कि पञ्चवर्षीय योजनाओं के लिये द्रव्य का प्रवाह पर्याप्त मात्रा में हो। यह आवश्यक नहीं है कि सस्ती द्रव्य-नीति का प्रभाव मुद्रा-प्रसार हो। सर ह्यूबर्ट हेन्डरसन (Sir Hubert Henderson) इकनामिक जरनल^१ में लिखते हैं "मेरी राय में सस्ती द्रव्य-नीति मुद्रा-प्रसार पर बहुत कम प्रभाव डालती है।" उनका इंग्लैंड के लिए नुस्खा जो भारत को भी लागू होता है, यह है, "मेरा मत है कि सब बातों को भोचते हुए दीर्घकालीन नियोजन-कार्य बड़े पैमाने में आरम्भ करना उचित होगा। मकानों की कमी जिससे लोगों को उपभोग किये जाने वाली वस्तुओं की कमी की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाना पड़ता है इतने दिनों तक बिना पूरा किये नहीं रह सकती जब तक कि अर्थशास्त्री सकेत करे कि 'समस्त माँग की कमी है सार्वजनिक कार्यों की ओर ध्यान दें।' इतने हम यह जोड़ सकते हैं कि हम अपनी दशा में अपने भूखे भाइयों के शांतिपूर्वक समागमन नहीं हो सकते। हमको अपने नीचे जीवन-स्तर का उठाना ही पड़ेगा। इसके लिये सस्ती द्रव्य आवश्यकतानुसार पर्याप्त होना चाहिए।

६ तटस्थ मुद्रा नीति (Natural Money Policy)^३—हमने ऊपर महँगी बनाम सस्ती मुद्रा के बारे में विवेचन किया है परन्तु तीसरा उपाय भी है। वह है तटस्थ मुद्रा नीति। यह नीति यथेच्छा-कारिता नीति (*laissez-faire policy*) पर आधारित है। परन्तु व्यवहार में यह उससे पृथक् है क्योंकि तटस्थ मुद्रा नीति अपनाने के लिये मुद्रा सम्बन्धी शक्ति को सचेष्ट नीति खोजनी पड़ेगी। तटस्थ मुद्रा सिद्धान्त प्रोफेसर एफ० ए० हैयक (Prof F A Hayek) के नाम से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धान्त के मानने वालों का विश्वास है कि आर्थिक अस्थिरता का मुख्य कारण मुद्रा में परिवर्तनों को रोकने से अर्थ-व्यवस्था स्थिर तथा सुव्यवस्थित हो जाती है।

तटस्थ मुद्रा नीति क्या है ? यह वह नीति है जो एक ओर मुद्रा-प्रसार के कारण और दूसरी ओर इसके नुक़ुचन में विघ्न डालने वाले प्रभावों को तटस्थ करने अथवा

1 September, 1947

2 The Economic Journal, September, 1947 p 268

3 See Halm, G N—Monetary Theory, 1946 pp 122-31 Study also Hayek, F A—Prices and Production—Monetary Theory and Trade Cycles

हटाने का प्रयत्न करती है। नई मुद्रा बढाव से मुद्रा स्फीति होती है तथा मुद्रा के हटाने तथा सकुचन से अस्फीति। मुद्रा स्फीति सस्ते द्रव्य से तथा मुद्रा अस्फीति महंगे द्रव्य से जुड़ी हुई है। आर्थिक स्थिरता अथवा कीमतों, उत्पत्ति तथा रोजगार के दृष्टिकोण से मुद्रा स्फीति तथा अस्फीति दोनों बुरे समझे जाते हैं। हम को दो में से एक को भी अमानना न चाहिये। हम को तटस्थ रहना चाहिये। मुद्रा को न तो महंगी होनी चाहिये और न सस्ती।

इस भाँति तटस्थ द्रव्य-नीति मुद्रा स्फीति तथा अस्फीति के गून्व चिन्ह के समान है। यह ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जैसे कि मुद्रा है ही नहीं अथवा सारा विनिमय वस्तुओं द्वारा ही होता है। परन्तु चूँकि मुद्रा विन्कुल लोप नहीं होती, अदला-बदली की बुराईया भी नहीं रहती। तटस्थ मुद्रा नीति अपनाने में मुद्रा सम्बन्धी शक्ति को मुद्रा की पूर्ति की ऐसी व्यवस्था करनी पडती है कि उत्पादन स्तर, मूल्य स्तर तथा व्यापार की मात्रा ऐसी है जैसे कि समुदाय किसी भी द्रव्य का उपयोग नहीं करता। यह मान लिया जाता है कि यदि चलने वाले माध्यम के टूटने-भेड़ने प्रभाव को पृथक् रखा जाय, तो ऐसी काल्पनिक विना मुद्रा वाली समुदाय की अर्थ-व्यवस्था प्रतियोगिता के प्राकृतिक प्रभावों द्वारा स्थिर रखी जायगी।

तटस्थ मुद्रा नीति के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? हमने देखा है कि तटस्थ मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या है। अब प्रश्न यह है कि यह उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? हमको यह ध्यान रखना चाहिये कि इस नीति के अन्तर्गत मुद्रा स्फीति तथा सकुचन दोनों को रोकना पडेगा। क्या हम ऐसे द्रव्य की पूर्ति को अचल रख कर कर सकते हैं ? नहीं, विन्कुल नहीं। हम जानते हैं कि कीमतों में परिवर्तन केवल द्रव्य की पूर्ति में परिवर्तन होने में होता है परन्तु ऐसे कारणों द्वारा भी जैसे जनसख्या में परिवर्तन, यन्त्र कला में तथा यातायात में सुधार, द्रव्य के चलन के वेग में परिवर्तन आदि। वे भी तटस्थ होने चाहिये। यदि मुद्रा की पूर्ति दृढता से स्थिर रखी जाय, तो एक पीढी में आर्थिक उन्नति तथा उत्पादन की कार्य-कुशलता में सुधार से कीमतें बहुत गिर जायगी और यही एक तटस्थ मुद्रा नीति नहीं चाहती। इस प्रकार केवल मुद्रा बढाने तथा घटाने से तटस्थ मुद्रा नीति का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

तब मुद्रा सम्बन्धी प्राधिकारी को क्या करना चाहिये ? यदि जनसख्या घटती है तो द्रव्य की माग बडेगी, और इस माग की सन्तुष्टि होनी चाहिये, नहीं तो द्रव्य की कमी से मुद्रा अस्फीति का प्रभाव पडेगा। इसमें तटस्थ मुद्रा नीति अलग रहेगी। यदि द्रव्य के चलन का वेग बढ जाता है, तो यह मुद्रा स्फीति होगी, और इसके रोकने के लिये मुद्रा की वृद्धि की चाल धीमी करनी पडेगी। यदि आविष्कारों तथा दूतरे यात्रिक सुधारों अथवा साधनों की कार्य-कुशलता में सुधारों के कारण उत्पादन की मात्रा बढ जाती है तो ऐसी दशा में द्रव्य की मात्रा को बढाया नहीं जा सकता क्योंकि कीमतों में कमी भयकर नहीं है। यदि परिवहन में सुधार होने से व्यापार में उन्नति होती है तो बडे हुए ट्रेडिफिक का सामना करने के लिये द्रव्य की मात्रा बढानी होगी। यदि व्यापार में सगठन होता है तो द्रव्य की माग घट जायगी। द्रव्य अधिकारियों को इसका भी ध्यान रखना होगा। इनको एकाधिकार पर भी नियन्त्रण रखना होगा ताकि कीमते उचित स्तर पर

रहे। संक्षेप में इनको द्रव्य की पूर्ति स्थिर रखने की अपेक्षा कीमत-स्तर पर व्यान रखना होगा।

यह नीति फ़ोटोप्रावक कैसे हो सकती है? कागज पर सिद्धान्त सरल मालूम होता है और तटस्थ मुद्रा नीति सीधी दिखाई देती है। पर वास्तव में इसमें बहुत सी जटिलताएँ हैं। यह सिद्धान्त गलती से यह मान लेता है कि व्यापार चक्र को निर्धारित करने वाली बातें मुख्यतः द्रव्य से सम्बन्धित हैं। कीमत-स्तर, उत्पादन मात्रा तथा रोजगार पर प्रभाव डालने वाले साधन इतने भिन्न हैं कि किसी प्रकार की द्रव्य-व्यवस्था उनमें स्थिरता नहीं ला सकती। आधुनिक अर्थशास्त्री यह मानने को तैयार नहीं है कि व्यापार चक्र केवल द्रव्य सम्बन्धी घटना है। इस प्रकार तटस्थ मुद्रा नीति की बहुत सी सीमाएँ हैं।

तटस्थ मुद्रा-नीति कीमत-स्थिरता नीति से कितनी भिन्न है? तटस्थ मुद्रा-नीति तथा कीमत स्थिरता नीति में भेद करने के लिये हम को दो कीमत-स्तरो का ध्यान रखना चाहिए, एक सामान्य (general) कीमत स्तर, और दूसरा सापेक्षित (relative) कीमत स्तर। एक तरह से इन दोनों नीतियों का उद्देश्य एक ही है। दोनों मुद्रा को तटस्थ बनाना चाहते हैं, और यह चाहते हैं कि वह एक ऐसा कार्य करे कि यदि कोई भी आर्थिक परिवर्तन हो तो द्रव्य का दोष न माना जाय। दोनों का उद्देश्य आर्थिक परिवर्तनों के एक मुख्य कारण को हटाना है। दोनों का अन्तर यह है। कीमत-स्थिरता की नीति का उद्देश्य सामान्य कीमत-स्तर में परिवर्तनों को रोकना है ताकि मुद्रा हिमाव की इकाई की तरह तटस्थ रहनी है। तटस्थ मुद्रा नीति का उद्देश्य सापेक्ष कीमतों के ढाँचे को स्थिर रखना है। इस कार्य के लिये यह द्रव्य की कुल मात्रा की व्यवस्था करना चाहती है ताकि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम होते हुए अर्थ-व्यवस्था में कोई गन्वडी न डाल सके।

१० मुद्रा नीति के उद्देश्य (Objectives of Monetary Policy)^१—मुद्रा नीति के कई उद्देश्य बताये गये हैं। इनमें से हम द्रव्य के प्रवन्ध के निम्नलिखित चार उद्देश्यों को बता सकते हैं —

- (१) विनिमय स्थिरता,
- (२) कीमत स्थिरता,
- (३) तटस्थ मुद्रा, तथा
- (४) आर्थिक स्थिरता।

कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो विदेशी विनिमय की दर को स्थिर रखना अधिक

1 For detailed discussion See Chandler, L V —An Introduction to Monetary Theory, 1950, Ch VIII

Durbin, E F M —The Problem of Credit Policy, 1935

Gayer, S D —Monetary Policy and Economic Stabilization, 1937

Royal Institute of International Affairs—The Future of Monetary Policy 1935, Ch XLII.

महत्वपूर्ण ममझते हैं। विदेशी व्यापार के लिये यह एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी और यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के जोखिम को कम कर देगा। विनिमय स्थिरता के बारे में हम अगले अध्याय में विवेचन करेंगे।

इस अध्याय में हम कौन-से स्थिरता की समस्या का विवेचन कर चुके हैं। कीमतों में तीव्र परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था पर विघ्न डालने प्रभाव डालते वाले हैं। इनके अतिरिक्त वह कुछ लोगों को कष्टदायक होते हैं तथा कुछ को लाभ पहुंचाते हैं। परन्तु एक दृष्टता-पूर्वक बंधा हुआ कीमत-स्तर न तो सम्भव ही है और न उचित।

हमने तटस्थ मुद्रा नीति तथा उसकी सीमाओं का अभी विवेचन किया है और हम समझते हैं कि हम उसको मुद्रा नीति के उचित उद्देश्य की सिफारिश नहीं कर सकते।

मुद्रा नीति का क्षेत्र से उचित लक्ष्य आर्थिक स्थिरता है। इससे ऐसा आर्थिक विकास हो कि पूर्ण अर्थ-व्यवस्था शान्तिपूर्वक चल सके। संयुक्त राज्य फेडरल रिजर्व सिस्टम (U S Federal Reserve System) के बोर्ड आफ गवर्नर्स (Board of Governors) ने आर्थिक स्थिरता की परिभाषा इस प्रकार की है "देश की उत्पादन-शक्ति तथा श्रम का ऐसा अधियोजन जो लगातार रह सके।" इस लक्ष्य को हम राष्ट्रीय सावनी की अविकलतम उपयोगिता भी कह सकते हैं। मुद्रा नीति के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए बोर्ड ने यह निर्णय दिया है "बोर्ड विश्वास करता है कि मार्वा-जनिक नीति का उद्देश्य कीमत स्थिरता की अपेक्षा आर्थिक स्थिरता होना चाहिये। इसका दृढ़ विश्वास है कि यह उद्देश्य केवल मुद्रा नीति से नहीं प्राप्त किया जा सकता परन्तु मुद्रा नीति तथा सरकार की दूसरी बड़ी नीतियों के एकीकरणसे जिनका प्रभाव व्यापारिक क्रियाओं तथा कर, व्यय, उधार, विदेशी विनिमय, खेती तथा श्रम से सम्बन्धित विशेष नीतियों पर पड़ता है।" देश के आर्थिक जीवन की स्थिरता पर मुद्रा नीति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अगले अध्याय में विवेचन किया जायगा।²

निर्देश पुस्तके

Whittlesey, C R —Money and Banking, 1948, Ch XXV.

Halm, G N —Monetary Theory, 1946, Ch 8

Keynes, J M —Essays in Persuasion

Layton, W, and Crowther, G —Introduction to the Theory of Prices

Cannan, E —Money, 1935, Part I, Chs II and III.

Crowther, G. —An Outline of Money, 1950, Ch III

Cole, G D H —Money, Its Present and Future.

Brij Narain —Money and Banking (S Chand and Co)

DeKock —Central Banking, 2nd Edition (1946)

Fisher, Irving —The Purchasing Power of Money, 1926, Chs. IX and X

—The Making of Index Numbers, 1923.

1. International Currency Experience, 1954. pp 109-10

2. Chapter XLII

अध्याय ३५

साख (CREDIT)

१ साख क्या है ? (What is Credit ?)—द्रव्य के रूप बताते समय हमने साख अथवा बैंक द्रव्य की ओर सकेत किया था । साख का अर्थ किसी मनुष्य के "सच्चाई, स्थिरता, योग्यता तथा गुण"^१ पर आधारित अच्छे विचार से होता है । साख से किसी व्यक्ति के द्रव्य देने की इच्छा तथा योग्यता में विश्वास का अभिप्राय माना जाता है । किसी मनुष्य की साख तीन बातों पर निर्भर रहनी है—चरित्र, योग्यता तथा पूंजी । इसको दूसरे मनुष्यों से व्यवहार में निष्कपट तथा न्याय-युक्त होना चाहिये, उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिये कि वह व्यवसाय को सफल बना सके, तथा वह व्यक्ति धनी हो । इस प्रकार साख ऋणी का विशेषण होता है ।

२ साख-पत्र (Credit Instruments)—आधुनिक व्यवसाय में साख का बहुत बड़ा महत्त्व है, और यह साख-पत्र के प्रयोग द्वारा होता है । साख-पत्र कई प्रकार के होते हैं जैसे खाता साख (Book Credit), वचन-पत्र (रक्का—Promissory Note), विनिमय के बिल या हुडिया (Bills of Exchange), बैंक नोट (Bank Note), चेक (Cheque) और ड्राफ्ट (Draft) ।

बैंक नोट (Bank Note)—ये साधारणतया साख-पत्र नहीं कहलाते जब तक कि वे किसी साधारण बैंक द्वारा बिना सरकार की आज्ञा के न चालू किये गये हों । अब केवल एक बैंक को, जिसे केन्द्रीय बैंक कहने हैं, नोट चलाने का एकाधिकार प्राप्त है ।

वचन-पत्र (रक्का—Promissory Note)—यह सब से सरल साख-पत्र होता है । इस में क्रेता द्वारा विक्रेता को द्रव्य की निश्चित राशि प्राप्त कीमत के बदले में देने की प्रतिज्ञा होती है । ऐसा प्रलेख निजी अथवा वाणिज्य व्यवहार में प्रयोग किया जा सकता है । विनिमय पत्र केवल वाणिज्य व्यवहार में प्रयोग किये जाते हैं ।

विनिमय-पत्र (Exchange Bills)—यह एक आदेश होता है, जिसका भुगतान मागने पर (On demand) अथवा निश्चित भविष्य में करने को सामान्यतः ऋणदाता द्वारा ऋणी, या खरीदार को किया जाता है, जिसमें खरीदार को यह आज्ञा होती है कि वह द्रव्य की उम मात्रा का भुगतान ऋणदाता या वाहक (Bearer) अथवा निर्दिष्ट किये हुए तीसरे व्यक्ति को करे ।

किमी हुडी का वट्टा उस पर अकिन् मूल्य पर जितने समय तक पत्र की मान्यता होना है, प्रचलित दर पर व्याज का अनुमान लगाकर, अकिन् मूल्य से घटाकर किया जाता है । यह वह कीमत है जिस पर बिल रखने वाला किमी समय बिल को बेच सकता है ।

विनिमय पत्र (bill of exchange) का रूप साधारणतया इस प्रकार होता है —

£ 100

Delhi

January 12, 1956,

Three months after the date pay to the Order of the State Bank of India Ltd £ 100 for value received

F Jones & Sons
London

G. Lall,

जी लाल ने दिल्ली से लन्दन के एफ जॉन्स एण्ड सन्स को १०० पाँड के मूल्य के बराबर वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात किया है। बिल १२ जनवरी १९५६ में तीन महीने तथा तीन दिन के पञ्चात् अथवा १५ अप्रैल १९५६ को परिपक्व हो जायगा। इन समय में यह एक पत्र में दूम्ने पत्र की पृष्ठाकन (endorsement) के पञ्चात् जा सकता है।

बिल के चलन का क्षेत्र स्वीकर्ता (acceptor) की साख पर निर्भर करता है। अलग अलग बिल या हुड्डियों को अच्छी फर्म जो इस व्यवसाय में विशेषोत्पुक्त होती है, द्वारा कराते हैं और इस प्रकार अपने बिलों को बड़े क्षेत्र में चलने के योग्य बनाते हैं।

विनिमय पत्र व्यवसायी को बिना नकद भुगतान के वस्तुओं को क्रय करने के योग्य बनाता है। इसके पहिन्ने कि बिल परिपक्व (mature) हो, वस्तुओं को बेच कर तथा द्रव्य पाकर दायित्व को पूरा किया जा सकता है। अतएव बिना अधिक पूँजी के उपयोग के व्यापार किया जा सकता है। दूसरी ओर यह विविध निर्यातकर्ता (विक्रेता) को, बिल के पृष्ठाकन के, यदि वह द्रव्य तुरन्त चाहता है, योग्य बनाता है। दूसरे, विनिमय बिल देणों के बीच बहुमूल्य धातु के परिवहन व्यय को बचाता है। अतएव यह अन्तर्राष्ट्रीय भगनान को सस्ती तथा सरल विधि है। तीसरे, विनिमय बिल हर निर्यातकर्ता को अपने देश के द्रव्य में निर्यात का भुगतान पाने के योग्य बनाता है। विदेशी व्यापार के वित्त पोषण में यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण है। चौथे, तरल निधि (liquid funds) के विनियोग (investment) के लिए विनिमय बिल एक अत्यन्त साधारण विधि है। यदि वह द्रव्य चाहता है, तो उसे वह सर्वव किस्मों भी बैंक में भुना सकता है। यह विधि बैंक द्वारा साधारणतया अपनी संचित तरल निधि को नकद के रूप में रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बिल को केन्द्रीय बैंक से भना सकते हैं।

हुड्डी—भारतवर्ष में बहुत समय से विनिमय बिल का प्रयोग होता रहा है। इसको हुड्डी कहते हैं। हुड्डी आन्तरिक विनिमय बिल होता है। यह आन्तरिक व्यापार की अर्थ-व्यवस्था तथा द्रव्य के भुगतान में सहायता देता है। हुड्डी दो प्रकार की होती हैं (1) दर्शनी हुड्डी—जो करीब-करीब बैंक की तरह होती है और उसको तुरन्त मागने पर भुगतान करना होता है। (ii) मुहूर्ती हुड्डी—जिसका एक निश्चित समय के पञ्चात् भुगतान करना होता है। यह विनिमय बिल की भाँति होती है।

चेक—चेक बैंक पर ग्राहक, जिसने उस बैंक में द्रव्य जमा किया हो, मागने पर चेक के ले जाने वाले अथवा उमके आदेश पर, निर्दिष्ट किया हुआ भुगतान करने की आज्ञा देता है। पहले प्रकार के चेक को वेयरर चेक और दूसरे प्रकार को आर्डर चेक कहते हैं। जब चेक क्रॉस होता है (अर्थात् उसके एक किनारे पर दो समान्तर रेखाएँ खींचकर) तो उमका भुगतान उसके खाते में किया जाता है। ऐसा चेक प्रत्यक्ष रूप से भुनाया नहीं जा सकता। वेयरर चेक क्रॉस नहीं होता और इसलिए खो जाने पर उसको कोई भी भुना सकता है। यदि यह "आर्डर चेक" है, तो सही व्यक्ति को भुगतान देने का उत्तरदायित्व बैंक पर होता है।

चेक का लाभ यह है कि यह द्रव्य की वचत करता है। सभी बैंक चेक की चलन कर सकते हैं, जबकि बैंक नोट का चलन केन्द्रीय बैंक द्वारा ही हो सकता है। चेक किसी भी मूल्य के बनाये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, १०० रु० १० आ० ६ पा०। चेक का उपयोग क्लियरिंग हाउस (Clearing House) की व्यवस्था से बहुत सरल हो गया है। इसका वर्णन नीचे किया जाता है।

ड्राफ्ट (Draft)—एक बैंक द्वारा दूसरे पर घनादेश की आज्ञा को ड्राफ्ट कहते हैं। यह अपने देश के बैंक के लिए अथवा विदेशी बैंक के लिए जिसका भुगतान विदेशी मुद्रा में होना है, हो सकता है।

३ क्लियरिंग हाउस (Clearing House)—यह ऐसी सस्था है, जिसमें अनेक बैंकों पर दिये गये चेकों का एक दूसरे के विपरीत रद्द (cancellation) किया जाता है तथा केवल शेष (balance) का भुगतान होता है। क्लियरिंग हाउस का कार्य-संचालन नीचे दिये हुए उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा। मान लीजिए कि कुल ४ बैंक अ, व, स, द हैं जिनका हिसाब एक क्लियरिंग हाउस द्वारा किया जा रहा है। हर एक बैंक अपना एजेंट चेकों की निकासी (clearance) के लिए भेजता है।

यह भी मान लीजिए कि किसी समय इन बैंकों के परस्पर क्लेम्स इस प्रकार हैं—

वक अ—बैंक ब के नाम चेक देता है	= ५००० रु०
बैंक स के " " "	= ४००० रु०
बैंक द के " " "	= २००० रु०
	<hr/>
योग	= ११००० रु०

बैंक व—बैंक स के	= ५००० रु०
" द "	= १००० रु०
" अ "	= ४००० रु०
	<hr/>
योग	= १०००० रु०

बैंक स—बैंक द के	= ५००० रु०
" अ "	= ६००० रु०
" व "	= ३००० रु०
	<hr/>
योग	= १४००० रु०

बैंक द—बैंक अ के	= ३००० रु
" व ,,	= १००० ,,
" न ,,	= ५००० ,,
योग	= ९००० ,,

सभी चेको के द्रव्य का जोड़ जिसका हिसाब तै करना है, ४४००० रु है। यदि प्रत्येक बैंक के समाकलन तथा विकलन (Credit and Debit) को देखे, तो स्थिति इस प्रकार होगी —

		(Credit)	(Debit)	शेष (Balance)
बैंक	—	नमाकलन	विकलन	+ या —
अ	—	११००० रु	१३००० रु	—२००० रु.
व	—	१०००० ,,	९००० ,,	+१००० ,,
न	—	१४००० ,,	१४००० ,,	× निल
द	—	९००० ,,	८००० ,,	+१००० ,,

अतएव यदि बैंक अ, बैंक व को १००० रु. और द को १००० रु दे दे तो सागा हिसाब ठीक हो जायगा। (४०००) रु. का हिसाब केवल (२०००) रु. के दे देने से हो जाता है। यह भी भुगतान नकद नहीं किये जाते वल्कि केन्द्रीय बैंक को चेक देकर किए जाते हैं। यह लाभ क्लियरिंग हाउस की व्यवस्था द्वारा होता है।

भारतवर्ष में क्लियरिंग हाउस की सुविधाएँ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि में राज्य बैंक के कार्यालयों में मिलती हैं।

इस पर भी चेक भीमित मनुष्यों के बीच, जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, चल सकते हैं। चेक विधिमान्य मुद्रा (Legal Tender) नहीं होते।

४. साख के विस्तार के कारण (Factors on which the Volume of Credit depends)—साख का आशय उधार लेने तथा उधार देने की क्रिया से होता है। कभी-कभी उधार लेने तथा देने की क्रियाएँ बहुत बढी होती हैं। यह साख के विस्तार का समय होता है। पर कभी कभी ऋणदाताओं तथा ऋण लेने वालों की कमी हो जाती है। दूसरे शब्दों में, साख की कमी हो जाती है। अतएव साख का विस्तार अथवा उसकी कमी ऋणदाताओं की देने तथा ऋणी के लेने की इच्छा पर निर्भर करती है। यह इच्छा बाह्य स्थितियों पर आवारित रहती है, जिनमें से मुख्यत यह है —

(i) व्यापार की दशाएँ (Trade Conditions)—यदि व्यापार अच्छा है, तो ऋणी उधार लेने को उत्सुक होते हैं। ऋणदाता उधार देने के प्रतिकूल नहीं होते, क्योंकि बड़े-बड़े व्यापार के समव व्याज के दर ऊँचे होते हैं। वह दिये हुए द्रव्य के लौटने पर निश्चिन्त होते हैं क्योंकि ऐसे समय में सभी को लाभ होता है। पर मदी के समय माख की कमी हो जाती है। पूँजी भी कम हो जाती है। व्यापारी

१. (+) का चिन्ह अपने पक्ष में है, और (—) का विरोध में।

विनियोग की जोखिम उठाने को नैयार नहीं होते। यद्यपि सभी बैंक ऋण देना चाहें, तो भी ऋणी उधार नहीं लेना चाहते। आप घोड़े को पानी के पास तक ले जा सकते हैं, पर उसको पानी पीने को बाध्य नहीं कर सकते।

(ii) राजनीतिक दशाएँ (Political Conditions)—व्यापार आधुनिक समय में राजनीतिक घटनाओं से सचेत रहता है। जब युद्ध के बादल छाये होते हैं तो बहुत कम नये व्यवसाय करने का माहस करते हैं। पंजाब की वर्तमान स्थितियाँ व्यवसायों को बढ़ाने वाली नहीं हैं। प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ का डरा देने वाला व्याख्यान पूजा को व्यवसाय में लगाने से हटा देगा। शान्ति तथा व्यवस्था मात्र को बढ़ाती है।

(iii) सट्टेबाजी (Speculative activity)—साख का विस्तार तथा सट्टेबाजी की क्रियायें साथ-साथ चलती हैं। जब सट्टे का कार्य अधिक होता है तो साख का विस्तार होता है और जब सट्टेरिये हानि उठाने लगने हैं, तो साख की कमी होती है। परन्तु साख केवल सट्टे का परिणाम ही नहीं बरन् उसका कारण भी है।

(iv) मुद्रा की स्थिति (Currency Conditions)—साख के विस्तार के लिये मुद्रा की उत्तम प्रणाली अत्यन्त सहायक होती है। जब मुद्रा की दशाएँ ठीक नहीं होती, उदाहरणार्थ मुद्रा की मिलावट (debasement) अथवा अत्रमूल्यन (depreciation) हो जाता है, तो साख की कमी हो जाती है। मुद्रा साख का यत्र है और जब मूल्य यत्र बुरे हो, तो साख नहीं बढ़ सकती। उसका कम होना स्वाभाविक होगा।

५ साख के कार्य तथा उसकी उपयोगिता (Utility and Functions of Credit)—ऊपर के दृष्टान्त से यह स्पष्ट है कि साख देश की आर्थिक उन्नति के लिये बहुत से उपयोगी कार्य करती है। अतः —

(1) यह धातु-द्रव्य के उपयोग में वचत करती है। साख-पत्र सिक्कों की जगह ले लेते हैं और इस प्रकार बहुत से अनावश्यक व्यय में वचत करते हैं।

(ii) यह व्यवसायियों को अधिक ऋण देकर उद्योगों के विकास में सहयोग देती है।

(iii) यह पूजा की उद्गादन-शक्ति को बढ़ाती है। अनुपयोगी द्रव्य बैंक द्वारा उन लोगों को प्राप्त हो जाता है, जो उसका अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं।

(iv) साख द्वारा बैंक थोड़ी सी रकम नकद में रखकर अधिक उधार दे सकते हैं।

(v) साख-पत्र मुख्यतः विनिमय विल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान करने में सहायक होते हैं। विला सिक्को तथा कोप के हस्तांतरण के कितना भी भुगतान किया जा सकता है।

६ साख की बुराइयाँ (Dangers of Credit)—हम यह ऊपर बता चुके हैं कि साख व्यापारी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। परन्तु इसकी कुछ बुराइयाँ भी हैं। साख अत्यन्त हानिकारक तथा खतरनाक साधन होता है और इसलिए इसका उपयोग बड़ी सावधानी के साथ किया जाता है। इसकी निम्नलिखित कुछ बुराइयाँ हैं —

(1) साख-स्फीति (Over-issue of Credit)--मुद्रा अधिकारी स्फीति का आश्रय ले सकते हैं, अथवा बैंक उदारता से उधार दे सकते हैं। ऐसी दशा में कीमतों का बढ़ना शुरू हो जायगा। व्यवसाय में अनिश्चितता आ जायगी। आर्थिक उन्नति के लिए अनिश्चितता का तत्त्व यन्त्र के समान होता है। कीमतों की अनुचित वृद्धि से, जो साख के अत्यधिक प्रसार के कारण होती है, लोग अपने को धनी ममझने लगते हैं और विलासिताओं पर धन व्यय करने लगते हैं। आधिक्य का उत्तरदायित्व साख की सबसे बड़ी हानि है।

(11) साख से लोग अमितव्ययी हो जाते हैं। एक मनुष्य उधार लिये हुए धन को उतनी सावधानी से व्यय नहीं करता, जितना कि अपने कमाये धन को करता है। लोग अनुचित तथा प्रमत्त जोखिम उठाते हैं। अतएव साख धन को प्रोत्साहन देती है।

(111) साख ऐसे व्यवसायों की, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, सहारा देने का साधन हो सकती है। साथ ही साथ उसके सहारे के बिना उनका विनाश भी हो सकता है। इस बुरे लक्षण से वे कभी दूर नहीं की जा सकती हैं।

(1V) साख व्यक्तियों तथा सस्थाओं के पास उनकी इच्छानुसार व्यय करने के लिए बहुत-सी पूंजी का प्रवन्ध कर देती है। इस प्रकार बहुत बड़ी-बड़ी फर्मों का जन्म होता है। और उनमें उपभोक्ताओं व श्रमिकों के शोषण तथा व्यापारिक लेन-देन में अनुचित रीतियों के प्रयोग का भय होता है।

७ साख तथा कीमत (Credit and Price)--साख कीमत पर किस प्रकार प्रभाव डालती है? क्या प्रभाव उसी प्रकार होता है जैसा कि साधारण मुद्रा का होता है? यह विवाद-सम्बन्धी विषय है। मिल तथा उसके कुछ अनुयायियों ने इस पर जोर दिया कि साख कीमत पर उसी प्रकार प्रभाव डालती है जिस प्रकार नकदी प्रभाव डालती है, क्योंकि साख नकदी की ही तरह मुद्रा-शक्ति रखती है। दूसरी ओर अनरीही अर्थशास्त्री वाकर (Walker), लावलिन (Laughlin) आदि का मत था कि साख का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता। उनका यह विश्वास था कि यद्यपि साख में ऋण-शक्ति होती है पर उसमें निस्तारण-शक्ति (liquidating power) नहीं होती। विक्रय को पूरा होने के लिए अन्त में नकद भुगतान करना पड़ता है। उधार लेने के पश्चात् उनका भुगतान नकदी में ही करना पड़ता है।

यह दोनों विचार दो अलग-अलग सीमाओं पर हैं, अतएव पूर्ण सत्य नहीं हैं। सत्यता तो इन दोनों के बीच में है। यदि साख-पत्र नकद द्रव्य के स्थानापन्न (substitute) हैं तो उनका प्रभाव कीमत पर नकदी के समान होगा। वास्तव में लोगों का विश्वास साख-पत्र के वजाय नकद द्रव्य पर अधिक होता है। अतएव बैंक मदद अपने पान माग को पूरा करने के लिए कुछ अन्पात में नकद द्रव्य रखते हैं। जब साख का विस्तार होता है तो परिचालन में नचित नकदी का काम करने के लिए कुछ द्रव्य वापस कर लिया जाता है। इसलिए कीमत उतनी नहीं बढ़ती जितनी कि नकद के वापस न करने पर बढ़ती है। परन्तु विस्तृत साख की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में नकद द्रव्य वापस किया जाता है। साख की यह स्फीति यदि ठीक तरह में रोक

न जाय तो मूल्य में वृद्धि करती है, और यही साख से भय है, अर्थात् उसका अत्यधिक विस्तार ।

८ साख तथा पूजी (Credit and Capital) —साख को गलती से पूजी मान लिया जाता है । यह बहुधा कहा जाता है कि साख-पत्र, चेक, विनिमय पत्र आदि व्यावहारिक अर्थ में द्रव्य के समान है तथा उनका व्यापार में प्रयोग होता है । अतएव प्रभाव के विचार से वे पूजी हैं । परन्तु ऐसा नहीं है । यह साख-पत्र स्वयं द्रव्य नहीं है । वे केवल द्रव्य का स्थान पूर्ण करते हैं । यदि मैं किसी को चेक दू तो मैं उसको द्रव्य नकद में नहीं देता । मैं केवल उसे बैंक में रखे हुए द्रव्य को पाने का अधिकार देता हूँ । अतएव साख पूजी नहीं है । यह केवल व्यवसायी को पूजी की वस्तुएँ जैसे कल तथा यंत्र इत्यादि पर नियन्त्रण रखने के योग्य बनाता है ।

साख पूजी का निर्माण भी नहीं करती । यह केवल पूजी को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के पास कर देती है । यह हस्तांतरण समुदाय के भले के ही लिए होता है । साख द्वारा धन ऐसे मनुष्यों के पास से, जिनके पास यह बैंक होता है, ऐसे मनुष्यों के पास हस्तांतरित हो जाता है, जो उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं । इस प्रकार साख निश्चय ही उत्पादन में सहयोग देती है परन्तु यह एक उत्पादन साधन नहीं है । यह केवल बैंसे साधनों को इकट्ठा करती है और उनका ठीक से प्रयोग करती है । उदाहरणार्थ अ व को ५०००) रु० ऋण देता है । अ यह सोच सकता है कि वह ५०००) रु० का मालिक है तथा व यह सोच सकता है कि उसके पास ५०००) रु० है । परन्तु यह ५०००) रु० १००००) रु० न हो जायेंगे । वहा धन की केवल एक मात्रा ५०००) रु० है । साख ने ५०००) रु० की अन्य मात्रा का निर्माण नहीं किया परन्तु इसने अ से व को ५०००) रुपये का हस्तांतरण किया है । अतएव साख को एक उत्पादन का स्वतन्त्र साधन नहीं कहा जा सकता । अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साख पूजी नहीं है और न यह पूजी का निर्माण करती है । यह केवल पूजी के हस्तांतरण का एक साधन है ।

निर्देश पुस्तके

Balogh, T —Financial Organisation

Sayers, R S —Modern Banking

१. बैंको का विकास (Evolution of Banks)—बक वास्तव में एक ऐसी सस्या है जो द्रव्य का व्यापार करती है। स्पष्ट रूप में बक उन लोगों में आधिक्य द्रव्य (surplus money) खींचते हैं, जो उस समय उसे प्रयोग में न ला रहे हों और जो लोग उसे उत्पादक-कार्यों में लगा सकते हैं, उन्हें ऋण देते हैं। आधुनिक बैंको ने छोटी स्थिति से विंगाल उन्नति की है। प्राचीन साहूकार मुनार थे। योरोप में वे द्रव्य का अदल-बदल करते थे। वे एक प्रकार के द्रव्य को दूसरे प्रकार के द्रव्य के माध्य बदलते थे क्योंकि वे मूल्यवान् धातुओं का व्यापार करते थे, उनको अपने कोष की रक्षा करने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। धीरे-धीरे लोग, जिनके पास द्रव्य या सोना अधिक होता था, अपनी मूल्यवान् धातुओं को ऐसे व्यक्तियों के पास जमा करने लगे। यह आदि रूप में निक्षेप बैंकिंग का प्रारम्भ था। वे मुनार धातुओं के जमा करने पर रसीदें दिया करते थे। चूँकि हरेक व्यक्ति उनकी ईमानदारी पर विश्वास करता था, इसलिए समय बीतने पर अनुभव होने से ये रसीदें वगैर पहले मोने में परिवर्तन किये हुए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास लेन-देन का भुगतान करने के लिए प्रयोग होने लगी। ये रसीदें ही आदि बैंक के नोट थे।

उन मुनारों ने शीघ्र ही अनुभव किया कि जमा करने वाले जमा की हुई धातु के केवल एक छोटे से भाग की ही माग करते थे। इसलिए उन्होंने लोगों को, जमा (deposits) का एक भाग उधार देकर लाभ उठाना शुरू किया। उधार देने समय वे केवल सोना ही उधार नहीं देते थे, बल्कि रसीदें भी देते थे, जो लोगों में इन तरह चलती थी जैसे कि सोना। इन प्रकार बैंक जमा की हुई धातु ने कई गुना अधिक ऐसी रसीदें (नोट) चालू कर देने थे। काउयर^१ का कथन है कि आधुनिक बैंको के तीन पूर्व थे—व्यापारी, साहूकार तथा मुनार। आधुनिक बैंको में इन तीनों का कोई न कोई अंश पाया जाता है। १६कहा जाता है कि द्रव्य के दो गुण हैं। यह चपटा (flat) है, जिसे इमे जमा किया जा सकता है (piled up), तथा गोल होने के कारण परिचालन में आ सकता है। साहूकार की मौजूदा नस्ल इन प्रकार के चपटे द्रव्य से सम्बन्धित है, अर्थात् जमा धन से, बचत में। मुनारों की नस्ल इन प्रकार के गोल द्रव्य से सम्बन्धित है अर्थात् परिचालन मुद्रा, नकद से।

क्रमशः, बैंकिंग कारोबार व्यक्तियों ने संयुक्त-पूजी नम्बाओं (joint stock Concerns) के पास चला गया। कुछ समय के बाद राज्य ने हर बैंक को नोट छापने

की स्वतन्त्रता देने में खतरे का अनुभव किया। धीरे-धीरे नोट छापने का काम साधारण बैंको से ले लिया गया और विशेष नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंको को सौंप दिया गया।

इसी बीच बैंको ने ऋण-शक्ति के निर्माण करने की नई विधियाँ निकाली। उन्होंने अपने ग्राहकों को उनके जमा पर चेक काटने की स्वतन्त्रता दे दी। यह जमा अवश्य ही वह धन था जो ग्राहकों द्वारा वास्तव में "जमा किया गया था"। ये जमा बैंक द्वारा अधिविकर्षण की सुविधा देकर या जमानत पर ऋण देकर उत्पन्न किये जा सकते थे।

जब तक कि बैंक नकद रिजर्व (cash reserves) के सुरक्षित अनुपात पर विश्वास रख सकता था, उस समय तक वह ऋण या अधिविकर्षण की सुविधा देकर साख को एक ऊँचे शिखर तक पहुँचा सकता था।

२ बैंको के भेद (Kinds of Banks)—बैंको में उनके विभिन्न कार्यों के क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष उन्नति हुई है। मुख्य प्रकार के बैंक नीचे दिये जाते हैं—

(1) व्यवसायी बैंक (Commercial Banks)—ये बैंक विशेषकर आन्तरिक व्यापार की अर्थ-व्यवस्था करने में लगे हुए हैं तथा और भी साधारण साहूकारा व्यवसाय, जैसे कि जमा रखना, ऋण देना और हुन्डी का लेन-देन करना।

(ii) औद्योगिक बैंक (Industrial Banks)—ये संस्थाएँ उद्योग-बन्धों को वित्तीय सहायता देने में लगी होती हैं। जो व्यक्ति उद्यमी का कार्य करते हैं, उनको ये दीर्घ काल के लिये ऋण देती हैं।

(iii) कृषि बैंक (Agricultural Banks)—इस प्रकार के बैंक दीर्घकाल और अल्पकाल के लिये खेती के लिये ऋण देते हैं। दीर्घकालीन पूँजी की, भूमि प्राप्त करने और उसकी उन्नति करने के लिये तथा भारी मशीनें खरीदने के लिये आवश्यकता होती है। अल्पकालीन पूँजी की आवश्यकता बीज, खाद, मजदूरी आदि के चाल व्यय के लिए होती है। भारत में इस प्रकार के बैंको ने अल्पकालीन उधार देने के लिए सहकारी समितियों (co-operative societies) का रूप ग्रहण किया है और दीर्घकालीन उधार के लिए भूमि-बन्धक बैंको (Land Mortgage Banks) का।

(iv) विनिमय बैंक (Exchange Banks)—इन बैंको का विशेष काम विनिमय पत्र, ड्राफ्ट, तार द्वारा संचार के रूप में विदेशी मुद्रा, वल्कि विदेशी मुद्रा के स्वत्व का क्रय और विषय करना है।

(v) सेविंग्स बैंक (Savings Banks)—ये संस्थाएँ साधारणतया थोड़ी पूँजी के व्यक्तियों को धन संचित करने में सुविधा देती हैं। भारत में डाकखाने इन कामों को करते हैं। हाँ, हमारे बैंक भी जमा करते हैं।

(vi) केन्द्रीय बैंक (Central Bank)—किसी देश की बैंकिंग व्यवस्था में केन्द्रीय बैंक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण संस्था है। वास्तव में यह प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप में अन्य सम्स्त बैंको की कार्यवाहियों का नियंत्रण करता है।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये ऊपर दिये हुए बैंक अपने कार्यों के हिमायत में हमारे पर छाये रहते हैं। उनके नामों से, केवल उनके आवश्यक कार्यों का जिनमें

उन्होंने विनिष्पत्ता प्राप्त की है, आभास होता है। सामान्य नाहूकारे का कार्य कुछ-कुछ समी बैंको में होता है।

३. साधारण बैंकिंग कार्य (General Banking Functions)—स्पष्ट रूप में तीन ऐसे कार्य हैं जो कि बैंक (केन्द्रीय बैंको के अतिरिक्त) करते हैं (क) जमा रखना (holding deposits), (ख) ऋण देना (advancing loans), तथा (ग) पूर्व प्रापण अधिपत्र या हुडियो का भुनाना (discounting bills)।

(क) वचत को जमा रखना (Holding Deposits)—यह कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंक विशेषकर उन जमा की रकमों पर निर्भर करते हैं जिनको कि जनता ने उनके पास जमा कर रखा है। निक्षेप तीन प्रकार के हैं —

(i) चालू खाते (Current Deposits) में जमा की हुई रकमों पर बैंक साधारणतः कोई व्याज नहीं देता। वे बैंक के द्वारा एक अंश में या पुणेस्वरूप से बैंक से किसी समय भी निकाले जा सकते हैं। (ii) मियादी जमा (Fixed Deposits) इसलिए ऐसे कहे जाते हैं क्योंकि वे एक निर्धारित समय के लिए बैंक के पास रहते हैं जिसके व्यतीत होने के पहले वे बिना उचित नूचना दिये निकाले नहीं जा सकते। ऐसी जमा की रकमों पर बैंक व्याज देता है। (iii) मेविंग्स के खाते में जमा की हुई रकम सप्ताह में एक या दो बार निकाली जा सकती है। वास्तव में किसी विशेष समय पर केवल एक छोटा भाग ही निकाला जाता है। परन्तु क्योंकि ग्राहक जमा वापिस ले सकते हैं और इसलिए बैंक को अपनी आस्तियाँ (assets) के एक भाग को नकदी में रखना पड़ता है। बाकी सब विविध कारों के लिए उधार दिया जा सकता है। अब हम बैंको के दूसरे कार्यों पर आते हैं।

(ख) ऋण देना (Advancing Loans)—इस दिशा में बैंक को सबसे अधिक उत्तरदायित्व लेना पड़ता है। बैंक ऋण देकर लाभ उठाना है। परन्तु बैंक दूसरे व्यक्तियों के धन से व्यापार करता है, जो किसी भी समय निकाला जा सकता है। उधार देने और वचत को जमा रखने में अति विचार-निर्गम्य की आवश्यकता रहती है।

यह ध्यानपूर्वक देवना चाहिए कि बैंक केवल उम्मी रकम को उधार नहीं देता जो कि वास्तव में ग्राहक द्वारा जमा की गई है। बैंक स्वयं जमा की उत्पत्ति करता है और इस प्रकार वह उधार दी हुई रकम को जमा की हुई रकम में कहीं अधिक बना लेता है। अपने को मनुष्य करके वह कार्य जिसके लिए ऋण को आवश्यकता है और आर्थिक दृष्टि से उचित है, और जमानत आदि के द्वारा पूर्व सचेत होकर बैंक अपने ग्राहक को चेक देने का अधिकार दे देता है। सम्बन्धित व्यापारी का ऋण इस प्रकार उसके खाने में जमा हो जाता है। यदि ग्राहक एक चेक या कई चेको द्वारा इस रकम को निकाल देना है, तो उसका भुगतान किसी न किसी को कर दिया जाता है। यह चेक उन देश या प्रदेश के उम्मी बैंक या दूसरे बैंको के पास फिर आ जाते हैं। वह उन व्यक्तियों के खाने में जिनको कि भुगतान किए गए थे, जमा के रूप में आ जाते हैं। इसका अर्थ हुआ 'ऋण जमा को उत्पन्न करते हैं।' वर्तमान काल में रोकट के जमा नाश के जमा में परिवर्तित हो गये हैं।

(ग) हुन्डियों का भुनाना (Discounting of Bills)—व्यावहारिक दृष्टि से हुन्डियों को भुनाने के पूर्व प्रापण का अर्थ है अल्प-काल के लिए उधार देना। उदाहरण के लिए, व्यापारी, जो व्यापार-कार्य में बड़ी रकम नहीं फँसाना चाहता, अपने ऋणी पर हुन्डी कर सकता है और जब वह उसके ऋणी द्वारा या उसकी ओर से स्वीकृत हो जाय तब वह अपने बैंकर द्वारा उसे भुना सकता है। इसमें व्यापारी को व्याज और बैंक के कमीशन को निकालकर बची हुई रकम तुरन्त मिल जाती है। हुन्डिया साधारणतया तीन महीने के लिए होती है। और जब वे पूरी हो जाती है तो बैंक उनके अंकित मूल्य का भुगतान कर देता है। इस प्रकार बैंक व्यापार को सुविधा देने के अतिरिक्त लाभ भी उठाता है। ये विल अल्पकाल में पूरे हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनका पूर्व प्रापण हो सकता है। यह बैंक की सम्पत्ति (assets) के एक भाग को द्रव्य अवस्था में रखने की एक साधारण युक्ति है। बैंकर हुन्डियों के लेन देन को एक अति उत्तम विनियोग (investment) समझते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है बैंक का उत्तम संचालक एक विल या हुन्डी (bill) और वचक (mortgage) के अंतर को जानता है।

बैंकों के मुख्य कार्यों का सकलन एक वाक्य में किया जा सकता है।

बैंक ऋण देने के लिये उधार लेते हैं—वे जमा के रूप में उधार लेते हैं। (क) मियादी जमा (Fixed Deposits), (ख) सेविंग बैंक जमा (Savings Bank Deposits), तथा (ग) चालू खाते में जमा (Current Deposits)। बैंक तीन प्रकार से उधार देते हैं

(क) विवृत लेखा या अविक्वर्षण पर (On Open Account or Overdraft)

(ख) रोकड़ मात्र के आधार पर ऋण (Loans on Cash Credit Basis)

(ग) विल या हुन्डियों का भुनाना (Discounting of Bills)

बैंक थोड़े समय के लिए उधार लेते हैं और अधिक समय के लिये उधार देते हैं। उनके दायित्व (देयवन) उनके कर्ज की अपेक्षा शीघ्र पूरे हो जाते हैं। उनका दायित्व द्रव्य होना है तथा आस्तियाँ (आदेय) कछ द्रव्य होती हैं और कुछ द्रव्य के रूप में शीघ्र परिवर्तित होने वाया बन होता है। अतएव अपने आदेय पर आने वाला व्याज दायित्व पर देने वाले व्याज में अधिक होता है। "जितना ही द्रव्य-तुल्य द्रव्य के समीप होगा उतनी ही उसमें आमदनी कम होगी और जितना ही द्रव्य से अधिक दूर होगा उतनी ही उसमें आमदनी अधिक होगी।"

उपर्युक्त विशेष कार्यों के अतिरिक्त बैंक जनता की कई अन्य सेवाएँ भी करते हैं। बैंक के प्रयोग में वे धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचाने में सहायता देते हैं। कुछ बैंक अपने ग्राहकों (clients) की ओर से विल स्वीकार कर लेते हैं और इन प्रकार उनको अधिक सुगमतापूर्वक भुनाने

योग्य वना देते हैं। वे अपने ग्राहकों को विनियोग सम्बन्धी सूचना और आदेश देते हैं। इसके अतिरिक्त वे और अनेक प्रकार की सेवाएँ करते हैं, जैसे मूल्यवान् वस्तुओं और सिक्कोरिटियों को सुरक्षित रखना, अपने ग्राहकों की ओर से एक एजेंट की भाँति कार्य करना, उनकी ओर से हिस्सा-पत्रों और ऋण-पत्रों का क्रय-विक्रय करना, कल्लव और धार्मिक मस्याओं को नियमावधि चदा आदि।

४ साख का उत्पादन और उसकी सीमाएँ (Creation of Credit and its Limitations)—साख का निर्माण आधुनिक बैंक के उच्चतम कार्यों में से एक है। कभी-कभी बैंक साख के निर्माण का एक कारखाना कहा जाता है। हमें देखना चाहिए कि साख निर्माण या उत्पादन का क्या अर्थ है? बैंकों द्वारा इसका किस प्रकार निर्माण होता है और अंत में यह देखना है कि क्या बैंकों की साख निर्माण की शक्ति पूर्ण या असीमित है या कुछ सीमाओं के अन्तर्गत है?

साख-उत्पत्ति क्या है? (What is Credit Creation?)—यह एक प्रत्यक्ष रहस्य है कि बैंक ग्राहकों की मागों की पूर्ति करने के लिये जमा के हिस्सा से शत-प्रतिशत सुरक्षित कोष (reserve) नहीं रखते। बैंक कोई सामान रखने की जगह (cloak room) नहीं है, जहाँ कि आप अपने नोट (Currency Notes) या मुद्रायें रख सकें और जब चाहें तब उन्हीं नोटों (Currency Notes) या मुद्राओं को वापस ले लें। सामान्यतः यह समझा जाता है कि बैंक में आया हुआ धन दूसरों को देने के लिए है। एक जमा करने वाले को, बैंक की केवल इस प्रतिज्ञा पर कि वह मागने पर भुगतान कर देगा, मनोष करना पड़ता है। बैंक यह कार्य बहुत ही छोटे सुरक्षित कोष द्वारा कर लेते हैं क्योंकि नव ग्राहक अपना धन एक साथ नहीं निकालने आते। कुछ निकालते हैं, तो कुछ जमा करते हैं। एक बैंक में यह एक साधारण दृश्य होता है। इस प्रकार बैंक एक छोटी रोकड सञ्चिती (cash reserve) के द्वारा साख का बहुत विशाल भवन निर्माण करने में सफल होता है। बैंक वगैर रोकड दिये धन उधार देने में और उस पर व्याज लेने में सन्नय होता है और जैसा कि हमने ऊपर देखा है, बैंक का ऋण एक जमा का निर्माण करता है। वह उधार लेने वाले के लिए साख का निर्माण करता है।

इसी प्रकार बैंक सिक्कोरिटिया खरीदता है और विक्रेता को अपने चेक द्वारा ही भुगतान करता है, जो रोकड नहीं होती, यह रोकड देने की केवल एक प्रतिज्ञा होती है। चेक किन्नी बैंक में जमा कर दिया जाता है और सिक्कोरिटियों के विक्रेता के लिए साख की उत्पत्ति कर दी जाती है। इसको साख की उत्पत्ति कहते हैं। बेनहम (Benham) के शब्दों में साख उत्पत्ति का संकेत इस व्यवस्था से है। "बैंक व्याज ले सकता है, केवल ग्राहकों को अपने लेखा से अधिक धन निकालने की अनुमति देकर या सिक्कोरिटियों खरीदकर और अपने ही चेक से उनका भुगतान करके, जिसमें कि बैंक में जमा का योग बढ़ेगा।"^१

साख की उत्पत्ति कैसे होती है ? (How is Credit Created ?)—जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है, दो ऐसी रीतियाँ हैं जिनके अनुसार बैंक साख उत्पत्ति करता है। (1) रोकड़ साख (Cash Credit) के आधार पर ऋण देकर या जमा में अधिक रकम उधार देने (Overdraft) की व्यवस्था करके, और

(ii) बिल्योरिटियाँ खरीदकर उनका भुगतान अपने ही बैंक द्वारा करके।

इन दोनों अवस्थाओं में जमा की उत्पत्ति होती है या ऋणी के लिए साख की उत्पत्ति होती है और बैंक की साख किसी निश्चित लेन-देन में लगा दी जाती है। बहुत सी योडी रोकड़ मचिति (cash reserve) लेन-देन के दायित्व को पूरा करने के लिये बैंक में रखी जाती है। इस प्रकार उत्पन्न की हुई साख एक बहुत बड़ी रकम के बराबर हो जाती है।

अब हम वास्तविक विधि का निरीक्षण करेंगे। मान लीजिये कोई ग्राहक किसी बैंक में १०००) रुपये जमा करना है। बैंक को उसे व्याज देना पड़ेगा, इनलिये बैंक इन रकम को किसी सुरक्षित और लाभदायक विनियोग (investment) [में लगाने का प्रयत्न करेगा। उसे धन किसी न किसी को उधार देना पड़ेगा। परन्तु यह रकम वास्तव में ऋणी को नहीं दी जाती, बैंक इसे लेन-देन के दायित्व जर्मान् उन जमा के भुगतान करने के लिए, जो रोकड़ चाहते हैं और उनके लिये जो चेक लिखते हैं, अपने पास रख छोड़ते हैं। बैंक का अनुभव उन्हें बतलाता है कि इस काम के लिए रोकड़-मचिति का संपूर्ण दायित्व या केवल एक विशेष भाग रखने की ही आवश्यकता होती है। इंग्लैंड जैसे देशों में, वह लगभग १० प्रतिशत रखते हैं। भारत जैसे देशों में, जहाँ बैंकिंग अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, दायित्व में रोकड़ का अनुपात बहुत ऊँचा है। मान लीजिये, वह बैंक, जिसमें किसी जमा करने वाले ने, १०००) रुपये जमा किये हैं, जमा करने वाले की मांग पूरी करने के लिये २०% 'रोकड़ कोष' रखना है। इसका अर्थ है कि जैसे ही बैंक के पास १०००) रुपये आते हैं वैसे ही वह ५०००) रुपये तक अग्रिम ऋण देने के लिये तैयार हो जायगा (मचिति का केवल पाचवा भाग रखा जाता है) इसलिए जब कोई व्यापारी बैंक से ५०००) रुपये के ऋण की मांग करता है, तो वह यह विश्वास कर सकता है कि उसको इस मीना तक ऋण मिल जायगा वगैरे कि उसकी मांग ठीक है। हालांकि बैंक के पास केवल १०००) रुपये नकद हैं, फिर भी वह ५०००) रुपये उधार दे देता है। इस प्रकार वह साख क्षेत्र में आ जाता है। ऋणी को साख नकद के रूप में नहीं दी जाती। केवल उसके नाम में एक ज्ञाता खोल दिया जाता है और वह रकम उसके खाते में जमा कर दी जाती है। उनको केवल एक चेक-पुस्तक दे दी जाती है अर्थात् उसको इच्छानुसार किसी भी समय चेक द्वारा नकद लेने का अधिकार दे दिया जाता है। जब भी वह नकद बैंक से निकालना है, तो वह किसी दूसरे बैंक में भी जमा किया जा सकता है, क्योंकि व्यापारी लोग वकन में बन्द करके रखने के लिये नहीं, बल्कि अपना व्यापार चलाने के लिये और अपने साहूकारों को भुगतान करने के लिये ऋण लेते हैं। जब व्यापारी अपने साहूकारों को भुगतान करने के लिये बैंक को चेक लिखता है, तो ये चेक उन साहूकारों

के द्वारा उनके बैंको में पहुँच जाने हैं और वहाँ वह रकम उनके बैंक क्लियरिंग पद्धति के द्वारा पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार एक बैंक (१०००) रुपए की नकद संचिति पर (५०००) की साख की उत्पत्ति करने में सफल होता है।

परन्तु लाख उत्पत्ति की क्रियायहा पर ही समाप्त नहीं होती। बैंक सामान्यतः अपना बचा हुआ नकद केन्द्रीय बैंक में रखते हैं। (१०००) रुपए का एक भाग इस प्रकार से, केन्द्रीय बैंक में जमा रहेगा, जो उसे फिर जीर अविज्ञ नाख की उत्पत्ति करने में प्रयोग में लायेगा। जिस प्रकार बैंक केन्द्रीय बैंक में जमा किए हुए नकद आविक्व पर भरोसा रखकर, नाख की उत्पत्ति किया करते हैं, उसी प्रकार शाखा बैंक भी मुख्य बैंक पर भरोसा रखकर अपने ग्राहको को मनुष्ट करते रहते हैं। इस प्रकार साख उत्पत्ति का कार्य चलता रहता है। साख उत्पन्न करने की यह एक रीति है।

साख उत्पत्ति की दूसरी रीति बहुत मामूली है। बैंक बिना नकद का भुगतान किये हुए निक्वोरिटी खरीद सकता है। वह क्रय मूल्य का भुगतान करने के लिए अपना ही चेक देता है। वह चेक या तो उसी बैंक में या किसी दूसरे बैंक में जमा कर दिया जाता है। और योडी भी नकद-पत्रिति, जो बैंक अपने पान रखता है, ऐसे लेन-देन के दायित्व को पूरा करने के लिये पर्याप्त होती है। इस प्रकार नकद की एक छोटी-सी नीव पर साख के एक विशाल भवन का निर्माण किया जाता है।

परिमितताएँ (Limitations)—साख-उत्पत्ति के उपर्युक्त वर्णन से, यह मालूम हो जाता है कि 'बैंक बिना कुछ क्रय ही फल प्राप्त करते हैं,' वह बिना नकद दिए हुए उधार देते हैं या निक्वोरिटी खरीदते हैं। और उसी प्रकार वे अपने दिये हुए ऋण पर व्याज देने हैं और खरीदी हुई निक्वोरिटी पर लाभांश (dividends) प्राप्त करते हैं। यह अनि आकर्षक है कि वह बिना नकद लगाये लाभ प्राप्त करते हैं। नाख का यह एक जाड़ है। यह बैंक द्वारा निर्मित साख का जाड़ है, जो काम करता है। वह मनुष्ट, जितना अधिक हो सकता है, उतना अधिक लाभ उठाना चाहेंगे। परन्तु वह अनिश्चित काल के लिए साख का विस्तार नहीं कर सकते। अपनी ही रक्षा के लिए उन्हें रोकडल्लगानी पड़ेगी, और वे लगाते भी हैं, क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि बैंको के लाभ बहुत अधिक नहीं होते। मन्ने बड़ी परिमितता यह है कि बैंक को जमा करने वालो की भाग के दायित्व को पूरा करना होता है।

वेनहम ने बैंको की साख उत्पन्न करने की शक्ति की तीन परिमितताएँ बतलाई हैं—

(1) देय में नकद की कुल रकम, (ii) रकम की मात्रा, जो जनता चाहती है कि वह रखे, और (iii) नकद में जमा का न्यूनतम प्रतिशत जो बैंक सुरक्षित समझते हैं।

जहाँ तक (1) का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता है कि नकद के आधार पर नाख की उत्पत्ति की जा सकती है। नकद अर्थात् विधिमान्य मुद्रा नाख जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक नाख की उत्पत्ति की जा सकती है। परन्तु नकद की वह रकम जो बैंक के पान है, केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रण के अन्तर्गत होती है। हम लोग दूसरे अध्याय में इस प्रकार के प्रभाव के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर यह उक्तता देना पर्याप्त है कि केन्द्रीय बैंक नकद निकालने पर एकाधिकार रखता है। वह

उसको बढ़ा सकता है और कम कर सकता है और साथ उसी के अनुसार विकसित या संकुचित होगी। केन्द्रीय बैंक की मुद्रा-नियन्त्रण शक्ति बैंको की साथ उत्पन्न करने की शक्ति के क्षेत्र पर नियन्त्रणकारी प्रभाव रखती है।

दूसरी सीमा लोगों के नकद के प्रयोग में सम्बन्धित आदतों के कारण होती है। यदि स्वभाव से लोग नकद व्यवहार में लाते हैं और चेक नहीं, जैसे कि भारत में, तो जैसे ही ऋणी को बैंक साथ देता है, वैसे ही वह चेक का भुगतान करा लेगा और नकद ले लेगा। जब बैंक का नकद इस प्रकार कम हो जाता है तो उसकी साथ उत्पन्न करने की शक्ति भी क्रमशः संकुचित हो जाती है। इसके विपरीत यदि लोग नकद का व्यवहार केवल छोटे-मोटे लेन देन के लिये ही करते हो, तो बैंको की नकद मंचित अधिक कम नहीं होती और उनकी साथ उत्पन्न करने की शक्ति का भी ह्रास नहीं होना। अमरीका, इंग्लैंड जैसे उन्नतिशील देशों में ऐसा होता है। वहाँ पर बैंक मुश्किल से १०% नकद मंचित रखते हैं।

तीसरी सीमा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी उत्पत्ति होती है नकद और दायित्व के परम्परागत मंचित अनुपात के कारण जो बैंको को अपनी रक्षा के लिए और उचित मात्रा में द्रवता (liquidity) बनाये रखने के लिए अवश्य रखना चाहिए। यह बहुत ही गीधी-सी बात है कि जब कोई बैंक साथ की उत्पत्ति करता है या ऋण देता है, तो वह दायित्व का भार अपने ऊपर लेता है। उसके दायित्व में वृद्धि होती है और उसके फलस्वरूप मंचित अनुपात में कमी होती है। बैंक उस अनुपात को एक विशेष न्यूनतम स्तर के नीचे नहीं गिरने देगा। जब यह न्यूनतम स्तर की दशा आ जाती है, तो बैंक की साथ उत्पन्न करने की शक्ति का अन्त हो जाता है। उस समय और अधिक ऋण देने में जोखिम रहती है, जब तक कि बैंक अनुभव यह न बता सके कि और अधिक छोटे अनुपात से हानि न होगी। तब वह उसकी सीमा हो जायगी।

इसमें चौथी सीमा जोड़ी जा सकती है। बैंक बिना आस्तियों (आदेय) के साथ साथ का उत्पादन नहीं कर सकते। आदेय एक प्रकार का धन होता है। इस प्रकार बैंक केवल गतिहीन धन को गतिशील धन बना देता है। अतएव क्राउथर के शब्दों में, "बैंक हवा से द्रव्य का निर्माण नहीं करता—यह अन्य प्रकार के धन को द्रव्य के रूप में परिवर्तित कर देता है।"¹

अतएव साथ के निर्माण के मूल गुण यह है कि बैंक को नए रोकड़ रिजर्व मिलें, वे उनको उधार देने को तथा व्यवसायी उधार लेने को तैयार रहें, और उधार लेने वाले वर्ज को वापस न लें, परन्तु बैंक में जमा के रूप में पड़े रहने में सतुष्ट रहें। स-लिए अगुआई उधार लेने वालों के हाथ है। वास्तव में, निक्षेप उधार ली राशि से नहीं बनता बल्कि उस राशि में जिने बैंक से नहीं निकाला जाया।

६ सुरक्षित कोष का रखना (Maintenance of Reserves)—अच्छे बैंकिंग का रहस्य पर्याप्त कोष को बनाये रखने रखना और उसके साथ हिस्सेदारों

(shareholders) के लिए लाभ प्राप्त करना है। हमने देखा है कि बैंक दूसरे लोगों के द्रव्य से व्यापार करता है, वह इस दृष्टि से कि वह द्रव्य सूचना देकर या बिना सूचना के बैंक से निकाला जा सकता है। परन्तु अनुभव से बैंकर यह जानते हैं कि जमा का केवल छोटा भाग ही वास्तव में निकाला जाता है। उनका उद्देश्य इसी-लिये यह रहता है कि मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त कोष रखना और शेष धन को उधार देकर लाभ उठाना। इसमें पर्याप्त कुशलता की आवश्यकता होती है। एक चतुर बैंकर को तरलता (liquidity) तथा लाभ (profitability) के बीच उचित सतुल्य बनाना पड़ता है। अत्यधिक सावधानी का अर्थ होगा कम लाभ और अत्यधिक ऋण देने से बैंक सुरक्षित न रहेगा। दोनों में सामंजस्य लाना आवश्यक है, परन्तु यह काम आसान नहीं है। क्योंकि चाहे जिस रूप तथा मात्रा में वे अपने रिजर्व को रखें वे सामान्य समय बैंकर होंगे और जमा करने वालों के विश्वास के हटने पर अपर्याप्त रहेंगे। बैंक में सुरक्षित कोष या रिजर्व का रखना निम्नलिखित बातों से निर्धारित होता है¹, (१) बैंक के जमा में रोज के उतार-चढ़ाव। (२) ग्राहकों के उधार की आवश्यकता में कमी-बढ़ी। (३) गौण कोष (secondary reserves) की प्रकृति, तथा बैंकिंग प्रणाली में कोष व्यवस्था की प्रकृति।

साधारणतया बैंक अपनी संपत्ति को द्रव साधनों या नकद में परिवर्तनशीलता के घटते हुए क्रम में रखता है। इसकी सुरक्षा की पहली लाइन जैसे कि कहा जाता है, एक विशेष मात्रा में वास्तविक नकदी रखना है। यह नकदी या तो मुद्रा के रूप में या नोटों के रूप में या केन्द्रीय बैंक में वचत के रूप में रखी जाती है। नोट जारी करने का कार्य केन्द्रीय बैंक का एकाधिकार है।

केन्द्रीय बैंक के आधिक्य (balances) सदैव विधि-मान्य मुद्रा के रूप में निकाले जा सकते हैं। बैंक इन आधिक्यो को इसलिए नकद की भाँति मानते हैं। सभी मुख्य बैंक कानूनी तौर पर देश के केन्द्रीय बैंक में अपने दायित्व के एक विशेष भाग को रखने के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इस प्रकार के आधिक्य का अस्तित्व केन्द्रीय बैंक को दूसरे बैंकों की साथ विस्तार पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है।

कोष या रिजर्व को कायम रखने के लिये सुरक्षा की दूसरी दीवार वह धन है जो अति अल्पकाल के लिये उधार दिया गया है। इसमें वे ऋण शामिल होते हैं जो बिलों या हुडियों के दलालों को दिये जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को दिये जाने वाले ऋण भी इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार के ऋण मांग पर या कुछ दिनों के अन्दर वापिस लिये जा सकते हैं।

इनके पश्चात् हुडियों के बट्टे का काम आता है। ज्योंही वे पूरी होनी हैं भुनायी जा सकती हैं। यह या तो सरकारी बिल होते हैं या व्यावसायिक हुडियाँ।

इसके बाद विनियोग आता है। यह मुत्तरतर सरकारी निश्चयोरिटिया होती है।

निर्धारित व्याज देने वाली सिक्क्योरिटिया इस कार्य के लिये बहुत लोक-प्रिय है क्योंकि इनमें वास्तव में कोई जोखिम नहीं होता।

अन्त में ग्राहकों के अग्रिम (advances) आते हैं। वे ऋण या अविधिकर्षणों (overdrafts) का रूप ले सकते हैं। वे सब से अधिक लाभ देते हैं, हालांकि उनमें जोखिम भी सब से अधिक है क्योंकि वे न्यूनतम अस्थिर होने हैं।

६. तरलता का महत्त्व (Importance of Liquidity)—वह अनुपात, जिसके अनुसार अनेक रूपों के आदेय (assets) रखा जाता है, एक देश और दूसरे देश में, एक बैंक और दूसरे बैंक में और व्यापार की अवस्था के अनुसार अलग-अलग है। संपत्ति की तरलता जितनी ही अधिक होगी, उतना ही अधिक विश्वास उस पर किया जायगा परन्तु उसके लाभ उतने ही कम होंगे।

समस्त बैंकिंग व्यापार बैंक की माग पर, धन के वापस देने की योग्यता के ऊपर, लोगों के विश्वास पर निर्भर है। यदि किसी भी कारणवश यह विश्वास हट जाता है, तो बैंक के प्रति एक "दौड़" शुरू हो जाती है। कोई भी बैंक यह "दौड़" सहन नहीं कर सकता, क्योंकि समस्त जमा नकदी की अवस्था में नहीं होता। बैंकिंग व्यापार समृद्धिकाल का व्यापार है। जब तक मौसम साफ है अर्थात् जब तक बैंक की साख बनी है और जमा कराने वालों का विश्वास बैंक पर है कोई भी अपना पैसा निकालना नहीं चाहता, और बैंक इस बात को गर्व से कह सकता है "जो चाहे अपना पैसा निकाल ले।" लेकिन जैसे ही विपत्ति आती है और इस घबराहट में लोग पैसा निकालने के लिए दौड़ने हैं, तो पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है। यदि किसी एक बैंक पर भी ऐसी विपत्ति आ पड़े तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है और बैंक को अपनी आस्तियों को बदलना पड़ता है जिमसे लोगों का भुगतान हो सके। किन्तु यदि विपत्ति बहुत भारी हो बैंक की हालत विगड़ जाती है और जमा कराने वालों में से किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होता।

लोगों को अपनी आर्थिक दशा से सूचित रखने के लिये बैंकों के लिए कानूनी रूप से यह आवश्यक है कि वे अपने चिट्ठे को प्रकाशित करें। किसी बैंक का स्थिति विवरण (Balance Sheet) उसकी आर्थिक दशा का विवरण है। साधारणतया इन प्रकार का विवरण आर्थिक वर्ष (financial year) के अन्त में निकाला जाता है। केन्द्रीय बैंक यह विवरण प्रति सप्ताह निकालता है। विवरण दो खानों में बनाया जाता है। बाईं ओर वाले खाने में बैंक का दायित्व (liabilities) रहता है और दाईं ओर के खाने में आस्तियाँ (assets)। दायित्व वह धन है, जो बैंक को देना है और आदेय वह है, जो दूसरों को बैंक को देना है और जो कुछ भी बैंक के पास उस समय हो।

साधारणत एक बैंक का चिट्ठा इस प्रकार होता है —

दायित्व (Liabilities)	आदेय (Assets)
पूजी (Capital)	नकद (Cash)
नुरक्षित कोष (Reserve Fund)	केन्द्रीय बैंक में जमा नकद (Cash at Central Bank)
जमा (Deposits)	मांगने पर तुरन्त मिलने वाला द्रव्य (Money at Call)
ग्राहकों के लिए स्वीकृतियाँ (Acceptance for Customers)	भुनाए हुए बिल (Bills Discounted)
	ग्राहकों को अग्रिम (Advances to Customers)
	विनियोग (Investments)
	स्वीकृति के लिए ग्राहकों का दायित्व (Liabilities of Customers for Acceptance)
	फर्नीचर आदि।
	भवन तथा अन्य सम्पत्ति (Premises and other Property)

बैंक अपने विवरण में यह दिखलाने का प्रयत्न करते हैं कि उनकी दशा अति दृढ़ है। यह कार्य वे एक बड़ी नकद संचिति रख कर या संचिति और दायित्व का उच्चतर अनुपात रख कर पूरा कर सकते हैं। इस उद्देश्य से वे उन रकमों को वापस मांगते हैं, जो मांग पर या अल्प सूचना पर वापस कर देने की शर्त पर दी गई थी और यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे दिन फिर से वे उधार दे देंगे। इस प्रकार का एक मुन्दर दिखावा करने को "अभिविन्धासन" (window dressing) कहते हैं।

७. बैंकों की उपयोगिता (Usefulness of Banks)—इस समय तक यह बात समझ में आ जानी चाहिये कि बैंक आधुनिक समाज के लिये अति उपयोगी ही नहीं बरन् अनिवार्य भी हैं। "बैंकर, अस्थिर पूजी के जो हमारे व्यावसायिक और औद्योगिक क्रियाओं की जीवन-रक्त हैं, रक्षक तथा वितरक हैं और उनके प्रशासन की योग्यता पर ही हमारे राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि निर्भर है।" इस प्रकार स्टीफनसन (Stephenson) और ब्रैन्टन (Branton) ने बैंकों के महत्त्व के विषय में लिखा था। अधिक वास्तविकता से हम बैंकों की उपयोगिताओं को इस प्रकार मध्यम में कह सकते हैं।

(i) वे बैंक नोट, चेक, बिज और ड्रॉटों के रूप में रुक-रकित को उदात्ति

करते हैं और इस प्रकार मूल्यवान् धातुओं के व्यवहार में मितव्ययिता करते हैं।

(11) वे उधार देने वाले और उधार लेने वाले को इकट्ठा करके और चेक, बिल और ड्राफ्टों के द्वारा निधियों को एक स्थान से दूसरे स्थान और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास सुविधापूर्वक और कम खर्चिले तौर पर ले जाने में सहायता देकर धन को अधिक गतिशील बनाते हैं।

(111) वे लोगों में धन की वचत करने की आदत को प्रोत्साहन देते हैं और इस प्रकार छोटी-छोटी वचत, जो वैसे इधर-उधर बेकार पड़ी रहती, मिलकर बड़ी रकम हो जाती है और विभिन्न प्रकार के विनियोगों में लगाई जा सकती है।

(1V) वचत और विनियोग को प्रोत्साहन देकर बैंक देश के साधनों की उत्पादन-शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे कि सार्वजनिक उन्नति और कल्याण करने में वे सहायक होते हैं।

बिना बैंकों के ससार में आर्थिक उन्नति के स्तर की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

दुर्भाग्यवश, भारतवर्ष में बैंकिंग की सुविधाएँ बहुत कम हैं और यह अनेक कारणों में से एक है कि हमारे प्राकृतिक और मानवीय साधनों से उचित मात्रा में लाभ क्यों नहीं उठाया जा सका है।

कुछ ऐसे विशेष और अति महत्त्वपूर्ण कार्य हैं, जो एक देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा किये जाते हैं। अब हमें इनके अध्ययन की ओर ध्यान देना चाहिये।

निर्देश पुस्तकें

- Crowther, G —An Outline of Money, 1950, Ch II, pp 22 42
 Benham, F —Economics, 1940, pp 348-358
 Brij Narain—Money and Banking (S Chand & Co)
 Meyers, A L —Elements of Modern Economics, 1951, Ch 21
 Samuelson, P A —Economics, 1948, Ch 14
 Keynes, J M —A Treatise on Money, 1950, Vol I, Ch 3
 Coulborn, W A L —A Discussion of Money, 1950, Ch VI
 Sayers, R S —Modern Banking, 1947, Ch II
 Bradford, F H —Money & Banking, 1936, Ch V
 Dowrie, G W —Money & Banking, 1936, Ch VIII
 Foster, M B and Rodgers, R —Money and Banking, 1936, Ch. VIII and V
 Steiner, N H —Money and Banking, 1933, Ch VII
 Truett, R J —British Banks and the London Money Market, 1936

द्रव्य-बाजार तथा केन्द्रीय बैंक

(MONEY MARKET AND CENTRAL BANKS)

१ द्रव्य बाजार (Money Market)—हम देख चुके हैं कि अर्थशास्त्र में “बाजार” शब्द का अभिप्राय किसी क्षेत्र या स्थान से नहीं होता वरन् उम समस्त प्रदेश से होता है जहा-जहा विक्रेता होते हैं। परन्तु ‘द्रव्य बाजार’ क्या है ? यह देखना है कि द्रव्य बाजार में क्रेता और विक्रेता कौन होते हैं ? तथा ये क्रेता और विक्रेता किस वस्तु का आदान-प्रदान करते हैं ? ‘द्रव्य-बाजार’ का तात्पर्य कोई विशेष बाजार या चीज नहीं है, जहा नगर के बैंकों के अधिकांश कार्यालय स्थित हो। “द्रव्य-बाजार” —यह शब्द भी किसी क्षेत्र की ओर संकेत नहीं करता वरन् विनिमय-मगठनों के समूहों की ओर संकेत करता है। द्रव्य को उधार लेने तथा देने वाले ही विनिमय कर्ता या विक्रेता हैं और द्रव्य ही ऋण-विक्रय की वस्तु है। उधार लेने वाले द्रव्य के खरीदार हैं। वे द्रव्य के उपभोग का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। द्रव्य बाजार की माग का पक्ष ये ही लोग निर्मित करते हैं। द्रव्य को उधार देने वाले विक्रेता हैं। ये लोग पूंति का पक्षधन जाते हैं। जिस व्याज की दर पर द्रव्य उधार लिया या दिया जाता है, वही द्रव्य का मूल्य है। बैंक उधार देने वाले हैं (ये जनता से रुपया जमा करा कर उधार लेते भी हैं।) हुडी (विल) स्वीकार करने वाले अभिकरण, कटौती घर, रुपया लगाने वाले तथा अन्य कारोवारी लोग—ये उधार लेने वाले हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बैंकों से उधार लेकर दूसरों को उधार देते हैं।

क्राउथर के शब्दों में “द्रव्य बाजार उन विभिन्न फर्मों तथा मस्याओं का सामूहिक नाम है जो विभिन्न द्रव्य को व्यवहार में लाते हैं।” बैंक डिपॉजिट्स तथा विनिमय पत्र (bills of exchange) इस द्रव्य (near-money) के उदाहरण हैं। किन्तु ये द्रव्य की भांति स्वीकार नहीं किए जाते।

२ द्रव्य-बाजार के अंग अथवा सदस्य (The Constituents or Members of the Money Market)—द्रव्य-बाजार किन लोगों ने बना है, तथा द्रव्य-बाजार के सदस्य कौन हैं ? द्रव्य-बाजार किन लोगों का बनना है, यह तो हम संकेत कर चुके हैं। महाजन, दलाल, कटौती घर तथा रुपया लगाने वाले लोग—ये ही द्रव्य-बाजार के सदस्य हैं। सब में ऊपर केन्द्रीय बैंक है, जो देखभाल तथा नियन्त्रण का कार्य करता है।

भारतीय द्रव्य-बाजार निम्नलिखित से बना है—रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, तथा अन्य

ज्वाइस्ट स्टॉक बैंक, महकारी बैंक, भूमि-बन्धक बैंक, सरकारी डाकघानो के सेविंग्स बैंक, तथा अन्य पुरानी चाल के महाजन। भारतीय द्रव्य-बाजार के दो निश्चित विभाग हैं। एक तो देशी महाजन है, दूसरे आधुनिक बैंकिंग सस्थाएं हैं।

भारतीय द्रव्य-बाजार पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तथा इसका संगठन भी सुदृढ़ नहीं है। पुराने ढंग के (देशी) महाजन जिनके हाथों में लगभग ९० प्रतिशत महाजनी कार्य होते हैं, अपना अलग अस्तित्व रखते हैं। दोनों विभागों में कोई सहयोजन नहीं है। अतः रिजर्व बैंक की आकलन को नियंत्रित करने की शक्ति बिल्कुल सीमित है। विनिमय की कई दरें प्रचलित रहती हैं तथा वित्त-विषयक सामयिक खीचा-तानी प्रायः देखने में आती है। भारतीय द्रव्य-बाजार की एक और विशेषता यह है कि बिल-बाजार (bill market) का विकास नहीं हुआ है। द्रव्य बाजार में व्यावसायिक महाजनी का बोलबाला है, तथा औद्योगिक वित्त-आयोजन तथा दीर्घकालीन ऋणों की सुविधा बहुत कम है। साठेबाजी (hoarding) की आदत का होना तथा बैंक में जमा कराने की आदत का न होना—ये भारतीय द्रव्य-बाजार के समुचित विकास के मार्गों में कठिनाइयाँ हैं।

३. केन्द्रीय बैंक (Central Bank)—देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने वाली सस्था केन्द्रीय बैंक है। राष्ट्र की अन्तिम सचिव निधि इसी के हाथ में होती है। ऋणशक्ति के प्रवाह का नियंत्रण भी इसी के हाथ में होता है तथा यह सस्था राज्य के लिए बैंक-सम्बन्धी कार्य सम्पादित करती है।

पिछले वर्षों में केन्द्रीय बैंको का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। इसके कई कारण हैं। विभिन्न देशों के भीतरी तथा उनके आपसी आर्थिक जीवन में स्वातन्त्र्य की वृद्धि, मुद्रा प्रवाह के प्रवन्ध तथा नियंत्रण की अधिकाधिक आवश्यकता, सन् १९१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात् मुद्रा-स्फीति तथा विनिमय-विषयक गड़बड़ी, भारी मन्दी का युग तथा उसके परिणाम के रूप में यह जानकारी कि केन्द्रीय बैंको द्वारा द्रव्य की पूर्ति (supply) को नियंत्रित करने से, भावों में घट-बढ़ का कुचक्र बहुत कुछ सुवारा जा सकता है, हाल ही में विभिन्न देशों की आर्थिक पद्धतियों में योजनानुसार नियम का प्रारम्भ किया जाना—इन्हीं समस्त कारणों के आधार पर एक ऐसी सस्था का महत्त्व बढ़ गया है, जो उन जटिल तथा विरोधी विषयों को नियंत्रित करे, उनका प्रवन्ध करे और उनमें सामंजस्य स्थापित करे, जो विषय राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करते रहे हैं।

इंग्लैंड ने अपनी केन्द्रीय बैंक (बैंक ऑफ इंग्लैंड) सन् १६९४ में ही स्थापित कर लिया था। फ्रांस तथा जर्मनी मरीखे अन्य महत्त्वपूर्ण राष्ट्रों ने अपने केन्द्रीय बैंक प्रथम महायुद्ध के बहुत पूर्व स्थापित कर लिये थे। मयवत राष्ट्र की फेडरल रिजर्व प्रणाली सन् १९१४ में स्थापित हुई। केन्द्रीय बैंक का महत्त्व प्रथम महायुद्ध के पश्चात् उत्पन्न होने वाली मुद्रा-विषयक कठिनाइयों के दिनों में विशेष रूप से समझा गया। यह आवश्यक हो गया कि बैंको की उन नीतियों को जो अधिकतर स्वार्थपूर्ण होनी थी, नियंत्रित रखने के हेतु एक बैंक रहे। सन् १९२० में ब्रुसेल्स में एक आर्थिक

सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन ने आधुनिक समस्त देशों में केन्द्रीय बैंको की स्थापना पर बहुत जोर दिया। फलस्वरूप अब लगभग प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक है। भारतीय केन्द्रीय बैंक अर्थात् रिजर्व बैंक आफ इंडिया सन् १९३५ में स्थापित हुआ।

४. रिजर्व बैंक का सतुलन पत्र (Reserve Bank Balance Sheet)—रिजर्व बैंक आफ इंडिया भारत का केन्द्रीय बैंक है तथा द्रव्य-बाजार की आधार-शिला है। इसका पाक्षिक विवरण प्रकाशित होता है। इंग्लैंड में बैंक आफ इंग्लैंड को द्रव्य-बाजार का मापयन्त्र माना जाता है। कारण यह है कि लन्दन का बाजार एक सुसम्बद्ध तथा गुथी हुई पद्धति का द्योतक है। भारत में ऐसा नहीं है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक के विवरण को हम भारतीय द्रव्य-बाजार का सच्चा मापयन्त्र नहीं कह सकते।

पाक्षिक रिजर्व बैंक विवरण के दो भाग हैं। निकानी विभाग से सम्बन्धित विवरण तथा महाजनी या बैंकिंग विभाग से सम्बन्धित विवरण। ३० दिसम्बर १९५५ को समाप्त होने वाले सप्ताह का रिजर्व बैंक विवरण निम्नलिखित है —

जारी करने वाला विभाग (Issue Department)

(रुपयों की संख्या लाखों में)

दायित्व	आस्तिया
जारी किये गये नोट बैंकिंग विभाग में १२,०४	सोने का सिक्का तथा वुलियन (ख) ४०,०२
परिचालन में १,३६१,९८	विदेशी सिक्कोरिटिया (ग) ६८६,८८
	(ख+ग) का कुल योग ७२६,९०
	(ख+ग) (क) के प्रतिशत के अनुरूप ५२,९०
	रुपयों के सिक्के १०८,४४
	रुपयों की प्रतिभूतिया ५३८,६७
जारी किये गये नोटों की कुल संख्या (क) १,३७४,०१	कुल आस्तिया १,३७४,०१

बैंकिंग विभाग (Banking Department)

(रूपयों की मर्यादा लाखों में)

दायित्व		आस्तिया	
निक्षेप —		नोट तथा सिक्के	१२,१६
केन्द्रीय सरकार	५०,९५	खरीदे गए तथा भुनाए गए विल	१२,०७
अन्य सरकारें	१०,६२	विदेशों में लेना बाकी	४८,३० ^१
बैंक	५७,८७	(balances held abroad)	
दूसरे	१५,८१	सरकारों को दी गई उधार रकम तथा	
		अग्रिम	३,६६
कुल योग	१३८,३१	अन्य उधार तथा अग्रिम	४४,६३
		विनियोग	५०,५४
अन्य दायित्व	३६,१३	अन्य आस्तिया	१३,०९
कुल दायित्व	१८४,४५	कुल आस्तिया	१८४,४५

हम इनमें से प्रत्येक को समझाने का प्रयत्न करेंगे। पहले निकासी विभाग को लीजिये। जितने नोट निकाले जाते हैं सब निकासी विभाग के दायित्व के रूप में होते हैं। जब नोट का रूपया भागा जाय तभी नकद देना होगा। चाहे ये नोट जनता में चलते हों या बैंकिंग विभाग में, इन नोटों के सम्बन्ध में दायित्व निश्चित है। ये विधिमान्य (legal tender) हैं तथा बैंक इनका प्रयोग अपने दायित्वों के चुकाने में कर सकता है। परन्तु यही नोट निकासी विभाग के दायित्व हैं, क्योंकि उससे किसी समय उनके बदले में नकद रूपया देने को कहा जा सकता है।

दायित्व की दृष्टि से जितने नोटों की निकासी है, वह आदेय में दी हुई रक्षित निधि से चुकाई जा सकती है। संपत्ति में दी हुई रक्षित निधि में निम्नांकित अंश होते हैं जो मिलकर रक्षित निधि कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं—(1) सुवर्ण मुद्रा और वूलियन तथा स्टर्लिंग सिक्योरिटी, तथा (11) मुद्रा (रूपये) तथा रूपये के रूप में सिवयो-रिटी। भारतीय सरकार की वैसी ही सिक्योरिटी है, जैसे ब्रिटिश सरकार की स्टर्लिंग सिक्योरिटी होती है।

रिजर्व बैंक अधिनियम सन् १९३५ के अनुमार कम से कम ४० करोड़ का सुरक्षित (कोप) सुवर्ण मुद्रा तथा वूलियन में अवश्य होना चाहिये। प्रस्तुत सन्तुलन पत्र में ४०.०२ करोड़ है। अधिनियम में दूसरा उपबन्ध यह है कि कुल सुरक्षित कोप में कम से कम ४० प्रतिशत सुवर्ण तथा स्टर्लिंग प्रतिभूतियां होनी चाहियें। प्रस्तुत बैंक-विवरण में यह अनुपात ५६ प्रतिशत से अधिक है। इससे प्रकट होता है कि स्थिति बहुत दृढ़ है।

अब बैंकिंग विभाग को ले लीजिये—दायित्व का सबसे प्रमुख अंश जमा रकम का

१ इनमें नकद तथा अल्पकाकीन सिक्योरिटियां शामिल हैं।

है। इस रकम में से अधिकतर सार्वजनिक (अर्थात् सरकारी जमा रकम) तथा अनुमचित बैंको (scheduled bank) की जमा रकम है। अन्य जमा रकम फुटकर है जैसे कर्मचारी-गण के वेतन का अद्वितरित भाग अथवा अन्य कोई रकम, जिसका जमा-बर्च नहीं हुआ हो उदाहरणार्थ, स्टेट बैंक की कोई रकम।

'अन्य दायित्वों में पूंजी, रक्षित निधि, तथा हानि-लाभ का हिसाब मुख्य है।

आदेय में नोट, रुपये तथा अन्य मुद्रा है। कटीती लगाये हुए विलो का अर्थ है वे विल जिनका मूल्य, बैंक ने अपनी कटीती काट कर, उनके तात्कालिक मूल्य के आधार पर चुका दिया है। जब इन विलों के भुगतान का समय आया, बैंक रुपया ले लेगा। 'balance held abroad' का अर्थ है वह रकम जो विदेशी बैंकों में जमा है। 'अन्य ऋण तथा अग्रिम धन' का अर्थ है अनुमचित बैंको को दिया गया रुपया। सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा खजाने के विल जो बरीदे गये हैं, 'विनियोग' (investment) है। अन्य आदेय अन्य दायित्वों के समानान्तर है तथा इसमें भेज, कुर्सी आदि, साज सामान, लेखन सामग्री तथा बैंक की अन्य सम्पत्ति है।

५ केन्द्रीय बैंकिंग के सिद्धान्त (Central Banking Principles) — केन्द्रीय बैंकिंग जिन सिद्धान्तों पर नचालित होती है, वे सामान्य बैंकिंग सिद्धान्तों से बिल्कुल भिन्न है। (i) साधारण बैंक लाभ के लिये चलाया जाता है। किन्तु केन्द्रीय बैंक देण की वित्त-विषयक तथा आर्थिक स्थिरता विषयक जिम्मेदारी निभाने के लिए चलाया जाता है। डी काक का कथन है कि "केन्द्रीय बैंक का प्रमुख सिद्धान्त यह है कि उसे सार्वजनिक हित की दृष्टि से तथा समूचे राष्ट्र के हितार्थ कार्य करना चाहिये तथा लाभ को प्रधानता नहीं देनी चाहिये।"^१ लाभ उपार्जन करना तो केन्द्रीय बैंक के लिये गौण विषय है। केन्द्रीय बैंक राज्य की विधि के अन्तर्गत कार्य करता है तथा किसी जोखिम वाले उद्यम में रुपया नहीं लगा सकता।

इस प्रकार केन्द्रीय बैंक लाभ तथा लाभांश के पीछे पडने वाली नस्य़ा नहीं है और न अन्य बैंको से प्रतियोगिता ही करता है। अतः जमा रकम पर व्याज शायद ही कभी दिया जाय, और न अच्छे सम्पत्ति की प्रतिभूति पर रुपया ही दिया जाता है। इस बैंक का प्रधान उद्देश्य होता है देण की समस्त बैंकिंग व्यवस्था को मातबर बनाए रहना। अतः इसको अपनी आस्तियाँ अधिक से अधिक नकद (liquid) रूप में रखनी पडनी है।

(ii) केन्द्रीय बैंक सबसे बड़ा ऋणदाना है। समस्त बैंक तथा वित्तीय मस्य़ाये आवश्यकता पडने पर केन्द्रीय बैंक का सहारा ले सकती हैं। परन्तु केन्द्रीय बैंक नकद रुपया मांग कर अथवा विलो या प्रतिभूतियों को देकर किसी अन्य नस्य़ा का सहारा नहीं ले सकता।

(iii) केन्द्रीय बैंक की नीति विद्वान्मूलक होनी चाहिये। जब मानव-विषयक प्रश्न रचना में कहीं भी कोई गडबडी उत्पन्न हो जाय तो केन्द्रीय बैंक चुप बठकर नमाया नहीं देन सकता। उन स्थिति को संभालने के लिए केन्द्रीय बैंक को क्रियाशील होना पडना

है। इस अभिप्राय से केन्द्रीय बैंक दो अस्त्रों का प्रयोग कर सकता है—प्रथम, बैंक दर की नीति में उलट-पलट, द्वितीय, खुले बाजार में किये गये कृत्य। इन अस्त्रों का कार्यवहन आगे समझाया गया है।

(iv) अपने कार्य-मचालन के हेतु केन्द्रीय बैंक के पास विशेष साज-सामान है (क) केन्द्रीय बैंक को नोट निकालने का एकाधिकार प्राप्त है। (ख) केन्द्रीय बैंक सरकारी बैंक है। (ग) यह अन्य बैंकों का भी बैंक है। इस प्रकार की स्थिति होने के कारण केन्द्रीय बैंक मुद्रा तथा साख को नियन्त्रित कर सकता है।

(v) केन्द्रीय बैंक को किसी राजनैतिक दल के हाथों में न रहना चाहिए। केन्द्रीय बैंक को राजनैतिक प्रभाव से विलकुल मुक्त रहना चाहिये जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्र के हित साधन में बिना भय या पक्षपात कार्य किया जा सके। फिर भी बैंक तथा सरकार के बीच विशेष पारस्परिक सहयोग विद्यमान रहता है।

६ केन्द्रीय बैंक के कार्य (Central Banking Functions)—
अर्थ-वेत्ताओं ने इस विषय पर बहुत विचार-विमर्श किया है कि कौन-से कार्य ऐसे हैं जो केन्द्रीय बैंक के ही, विशेषतया, माने जायें। हाटरे (Hawtry) का कथन है कि ऋण देने के विषय में केन्द्रीय बैंक को 'अन्तिम आश्रय' मानना चाहिए। वेरास्मिथ (Vera Smith) नोटों की निकासी के एकाधिकार पर जोर देते हैं, तथा शा (Shaw) के अनुसार साख को नियन्त्रित रखना ही "एकमात्र सच्चा परन्तु परिपूर्ण कार्यक्षेत्र है।" किश तथा एल्किन्स (Kish and Elkins)¹ के अनुसार द्रव्य-विषयक मापदण्ड के स्थायित्व को बनाये रखना केन्द्रीय बैंक का वास्तविक कार्य है। किसी एक कार्य को विशेष रूप से छाट लेना कठिन है। एक विद्वान² ने हाल ही में केन्द्रीय बैंक के निम्न-लिखित कार्य गिनाए हैं —

(१) कारोबार तथा जनसाधारण की आवश्यकताओं के अनुसार कागजी मुद्रा (नोटों) की निकामी। इसी हेतु केन्द्रीय बैंक को नोट निकालने का एकाधिकार (चाहे कुछ मीमित भले ही हो) प्राप्त रहता है।

(२) राज्य के लिए बैंकिंग सेवाएँ, तथा अभिकरण के रूप में सेवाएँ करना,

(३) व्यापारिक बैंकों की नकद रक्षित निवियों की अभिरक्षा (Custody),

(४) राष्ट्र की धातु-मुद्रा की अभिरक्षा,

(५) व्यापारिक बैंकों, विक्रेताओं तथा अन्य आर्थिक सस्थाओं द्वारा भेजे गये विनिमय विल (Bills of Exchange), सरकारी विल, तथा अन्य उपयुक्त कागजों पर पुन कटौती लगाना,

(६) अन्तिम आश्रय के रूप में ऋणदाता का दायित्व स्वीकार करना,

(७) बैंकों के बीच जमा-खर्च की वाकियों का निपटाना, तथा

(८) साख के निम्नत्रण को कारोबार की आवश्यकताओं के अनुमार, अपने हाथ

1 Kish and Elkins—Central Banks, p 74

2 De Kock—Op cit, p 15

में रखना, जिससे राज्य द्वारा निर्धारित द्रव्य-विषयक मापदण्ड स्थिर बना रहे।

तदनुसार, केन्द्रीय बैंक के कार्य के सिलसिले में उसकी हेमियत निम्नांकित है —

(1) नोट निकालने वाला अभिकरण।

(ii) राज्य के लिए बैंक।

(iii) बैंको के लिए बैंक।

(iv) साख पर नियंत्रण द्वारा द्रव्य-वाजार का अभिरक्षक।

इन कार्यों का अब हम विस्तृत विवेचन करेंगे।

७. केन्द्रीय बैंक नोट निकालने वाले अभिकरण के रूप में (The Note-Issuing Agency)—वैक्यपद्धति के प्रारम्भिक काल में, लगभग प्रत्येक बैंक को नोट निकालने का अधिकार प्राप्त था। फलस्वरूप, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती थी। अत्यधिक नोटों की निकासी से मुद्रा-स्फीति होकर, मुद्रा-प्रणाली में अच्यवस्था उत्पन्न होती तथा बुरे आर्थिक परिणाम होते थे। अतः नोट निकालने पर सरकार को कठोर नियंत्रण करना पड़ा। धीरे-धीरे राज्य के प्रधान बैंक—केन्द्रीय बैंक—को यह कार्य-भार सौंपा जाने लगा। अब लगभग प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक को यह एकाधिकार प्राप्त है। इस एकाधिकार का बहुत महत्त्व है। इससे नोट की निकासी की प्रणाली में समानता आ जाती है। केन्द्रीय बैंक के नोटों की साख अधिक होती है, तथा कभी-कभी जब स्थिति डावाडोल होती है तब भी नोटों को मुद्रा के रूप में बदल कर दिये जाने की माँग बहुत कम होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस एकाधिकार में केन्द्रीय बैंक को अन्य बैंकों पर ऋण-विषयक नियन्त्रण प्राप्त हो जाता है क्योंकि ऋण-विषयक प्रसार की सीमा को केन्द्रीय बैंक की नकद निधि ही निर्धारित करती है।

८. नोटों की निकासी के सिद्धान्त (Principles of Note-Issue)—नोट निकालते समय एक दूसरे के विपरीत दो उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। एक ओर तो नोटों की निकासी लचीली होनी चाहिये। व्यवसाय की आवश्यकतानुसार नोटों का चलन विस्तृत तथा मकुचित हो जाना चाहिये। दूसरी ओर नोटों का मुद्रा के रूप में रूपान्तर करते रहकर नोटों में विश्वास की भावना बनाए रखना चाहिये। प्रथम लचीलेपन का है, तथा द्वितीय सुरक्षा में सम्बन्धित है। इसलिए नोटों की निकासी का सिद्धान्त उचित नियमन (regulation) आवश्यक है।

मुद्रा सिद्धान्त बनाम बैंकिंग सिद्धान्त (Currency Principles vs Banking Principles)—इंग्लण्ड में मन् १८४६ में बैंक चार्टर एक्ट पास होने समय इन विषय पर बहुत मतभेद था कि नोटों के चलने का सही सिद्धान्त क्या है? दो विचार पद्धतियाँ एक दूसरे का विरोध कर रही थीं। एक मौद्रिक सिद्धान्त और दूसरी बैंकिंग सिद्धान्त की पक्षपाती थी।

मुद्रा सिद्धान्त का कहना था कि पूरा अर्थान् वन प्रतिगत मौद्रिक कोष था होना अनिवार्य समझा जाय। प्रत्येक नोट, जो निष्काश जाय, उनके बदले की मुद्रा बैंक में रख ली जाय। इस प्रकार नोटों को मुद्रा के स्थान पर मुविधाजनक माधन-मात्र माना गया था।

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि इस प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा पर परिपूर्ण नियन्त्रण हो जाता है। किन्तु इस प्रकार नोटों की निकामी लचीली नहीं रहती। उतने ही नोट निकाले जा सकते हैं जितने के सम्बन्ध में नोट निकालने वाला अधिकारी मोना या चादी जमा कर सके। इस प्रकार मुद्रा का विस्तार व्यावसायिक आवश्यकताओं पर अवलम्बित न रहकर खानों की निकामी पर अवलम्बित हो जाता है। व्यावसायिक आवश्यकताओं को अवश्य प्रधानता दी जानी चाहिये।

जो बैंकिंग सिद्धान्त के पक्ष में थे, उनका कथन था कि नोटों की निकामी को पूर्णतया बैंकों के स्वविवेक पर छोड़ दिया जाय। इस प्रकार वे व्यवसाय की आवश्यकतानुसार नोटों की निकासी को विस्तृत अथवा सकुचित कर सकेंगे। यदि अधिक नोट निकालेंगे तो नकदी की माग अपने आप बैंकों से की जायगी। यदि बैंकों को अपने हित का ध्यान होगा तो वे अपने आप समुचित रक्षित निधि बनाये रखेंगे। बैंकों पर विश्वास करके नोटों की निकासी का नियमन उन्हीं पर छोड़ा जा सकता है।

इस सिद्धान्त के अनुसार नोटों की निकासी लचीली अवश्य हो गई परन्तु पद्धति अरक्षित रही। इंग्लैण्ड के बैंकिंग इतिहास में ऐसे अनेको उदाहरण हैं, जब लाम के लोभ ने स्वविवेक को दबा दिया। अनेको बैंक बन्द हो गए, जिनसे वे स्वयं तथा उनके अनेको आश्रित नष्ट हो गए।

अत अनुभव यह बतलाता है कि साधारण बैंकों के हाथ में नोटों की निकासी को छोड़ देना अच्छा नहीं। इस प्रकार मौद्रिक सिद्धान्त में सुरक्षा है परन्तु लचीलेपन की कमी है, तथा बैंकिंग सिद्धान्त में लचीलेपन है परन्तु सुरक्षा की कमी है। अत समस्त देशों में ऐसी पद्धतियाँ विकसित हो चुकी हैं जो इन दोनों सिद्धान्तों की सम्मिश्रण हैं। ये पद्धतियाँ हैं—(क) निश्चित विश्वास-निष्ठ पद्धति या आंशिक जमा पद्धति (Fixed Fiduciary System or Partial Deposit System), आनुपातिक सुरक्षित पद्धति (Proportional Reserve System)

६ विभिन्न देशों में नोटों की निकामी की पद्धति (System of Note-Issue in Different Countries)—ग्रेट ब्रिटेन में सशोधित बैंक चार्टर एक्ट के अनुसार प्रथम पद्धति का प्रयोग किया गया। इस पद्धति के अनुसार नोटों की कुछ निश्चित मात्रा बिना धातु-रक्षण के रखे हुए निकाली जा सकती है। इस निश्चित मात्रा के समान सरकारी प्रतिभूतियाँ होनी चाहियें। यह निष्ठा की मीमा कहलाती है। इस मीमा में अधिक निकाले गए नोटों के बराबर मोना होना अनिवार्य है। इस प्रणाली की आलोचना करते समय यह कहा जाता है कि यह लचीली नहीं है। परन्तु यह अत्यधिक विस्तार पर रोक-थाम रखती है। असाधारण परिस्थितियों में कानून का सशोधन करके उक्त मीमा बढ़ाई जा सकती है। सन् १९२८ में खजाने को यह अधिकार दे दिया गया कि निर्धारित मीमा को बढ़ा सके। इसमें पद्धति में कुछ लचीलेपन आया। परन्तु यह कहा जाता था कि इस मीमा का बढ़ाना आर्थिक कमजोरी का लक्षण नमस्का जाता है। इस प्रकार यह भी तर्क किया गया कि विश्वास में कमी करके लचीलेपन लाना अच्छा नहीं। ऐसी आलोचना होने पर भी परम्परावश यह पद्धति बनी हुई है। जापान

तथा नावों ने भी यही पद्धति ग्रहण की है।

फ्रांस तथा जर्मनी में दूसरी पद्धति—आनुपातिक सुरक्षित निधि पद्धति—ब्रती जाती है। फ्रांस ३५ प्रतिशत तथा जर्मनी ४० प्रतिशत रक्षित निधि रखता है। न्युक्त्त राज्य की फेडरल रिजर्व प्रणाली में भी कुछ रूपान्तर सहित यही पद्धति ग्रहण की गई है। यह प्रणाली सप्ताह के बड़े भाग में फँस गई है और इसका विशेष लक्षण यह है कि नोटों के चलन के निश्चित अनुपात से धातु के रूप में रक्षित निधि बनी रहे, यह अनुपात २५ प्रतिशत में ४० प्रतिशत तक हो सकता है, शेष के सम्बन्ध में व्यावसायिक विल तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ हो, तथा यह उपबन्ध (provision) भी हो सकता है कि कुछ शर्तों तथा कुछ नियमों (penalties) को मानते हुए रक्षित निधि का अनुपात कानून द्वारा निश्चित न्यूनतम सीमा के नीचे भी गिराया जा सकता है। (डी काक) यह द्वितीय पद्धति (आनुपातिक सुरक्षित निधि पद्धति) प्रथम ने अधिक लचीली है। यदि केन्द्रीय बैंक चालीस रुपये का सोना प्राप्त कर लेता है तो द्वितीय पद्धति के अन्तर्गत एक सौ रुपये के नोट निकाल सकता है। किन्तु प्रथम पद्धति के अन्तर्गत, निश्चित सीमा पर पहुँच जाने के पश्चात्, केवल चालीस रुपये के ही नोट निकाल सकेगा। किन्तु द्वितीय पद्धति के अन्तर्गत सुरक्षा कम होती है।

कुछ लोगों का विचार है कि यदि राज्य की ओर से नोट निकाले जायें तो निकासी पर अधिक नियंत्रण रहता है। रिजर्व बैंक के यह कार्य-भार सम्भालने के पूर्व भारत में राज्य द्वारा ही नोट निकाले जाते थे। परन्तु आपत्तिकाल में तो नोट अधिक निकल ही जायेंगे, चाहे राज्य ऐसा स्वयं करे या केन्द्रीय बैंक पर अपने प्रभाव द्वारा करायें। तब तो यह है कि इस दृष्टिकोण से केन्द्रीय बैंक द्वारा नोट की निकासी ही कुछ अच्छी रहती है, क्योंकि केन्द्रीय बैंक द्वारा उन सरकारी प्रस्तावों का कुछ विरोध हो सकता है जिनके अनुसार द्रव्य के हेतु सरकार अधिक नोट छपवाना चाहे।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है रिजर्व बैंक को नोट की निकासी का एकाधिकार प्राप्त है। इसी अभिप्राय से रिजर्व बैंक में एक अलग निकासी-विभाग है, जैसा कि कुछ अन्य केन्द्रीय बैंकों जैसे बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में भी है। इस विभाग के आदेय (assets) को बैंक के दूसरे विभाग अर्थात् बैंकिंग विभाग के आदेय से अलग दिखनाया जाना है। निकासी विभाग की संपत्ति में चांदी, मुद्रा के रूप में रुपये, भारतीय सरकार की रुपये के रूप में प्रतिभूतियाँ, मुयर्ण मुद्रा, मोना वुलियन, स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ होनी हैं। सुवर्ण मुद्रा तथा मोना चालीस करोड़ रुपये में मूल्य में किसी समय कम नहीं होता, तथा सोना तथा स्टर्लिंग प्रतिभूतियों को सम्पूर्ण रक्षित निधि का चालीस प्रतिशत होना अनिवार्य है। केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेकर चालीस प्रतिशत की सीमा को सीमित काल के लिये, विधिभंग कर देकर, घटाया जा सकता है। इन प्रकार भारत में जो प्रणाली प्रयुक्त है वह उल्लिखित दोनों पद्धतियों का सामंजस्य है।

द्वितीय महायुद्ध का अनुभव बतलाता है कि नोट की निकासी की जो प्रणाली भारत में प्रयुक्त है, उसमें मुद्रा-स्फीति को रोकना नहीं जा सकता। स्टर्लिंग कोय बनाए रखने का उपबन्ध, जो अत्यधिक निकासी पर रोकथाम रखने के लिये लगाया गया था,

और भी अधिक मुद्रास्फीति का कारण बना। युद्धकाल में सरकार ने जो माल खरीदा था, उसके बदले में स्टर्लिंग प्राप्त हुआ। यह स्टर्लिंग लंदन में रिजर्व बैंक के निकामी विभाग के हिसाब में ले जाया गया और उसी के आधार पर भारत में नोट चालू हुए। यद्यपि कानून का अक्षरशः पालन हुआ परन्तु नोटों का प्रसार बहुत अधिक हो गया। इस प्रकार का अनुमान इसी में लगाया जा सकता है कि १ सितम्बर १९३९ को १८२ करोड़ रुपये के नोटों का चलन हो रहा था और ४ जनवरी १९४६ को यह चलन बढ़ कर १,२१८ करोड़ हो गया। रिजर्व बैंक के निकामी विभाग में तत्स्थानीय स्टर्लिंग प्रतिभूतियां ५९ करोड़ से बढ़कर १,११० करोड़ हो गईं।

१०. केन्द्रीय बैंक राज्य के बैंकर के रूप में (Banker of the State)—केन्द्रीय बैंक का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य सरकार के लिए बैंक के रूप में कार्य करना है। देश की सरकार के समस्त शेष रोकड़ केन्द्रीय बैंक में रखे जाने हैं। केन्द्रीय बैंक साधारणतया इन पर कोई व्याज नहीं देता। किंतु केन्द्रीय बैंक सरकार की कुछ सेवाएं कर देता है। सामान्यतः केन्द्रीय बैंक सरकार के वित्तीय अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। तथा सरकार को मुद्रा, विनिमय तथा वित्त-विषयक परामर्श देता है। “केन्द्रीय बैंक के राज्य के लिए बैंक का कार्य करने का कारण केवल यही नहीं है कि ऐसा प्रवन्ध राज्य के लिए मुविधाजनक तथा मितव्ययता से युक्त होता है, वरन् यह भी है कि सार्वजनिक वित्त तथा द्रव्य-विषयक मामलों में घनिष्ट सम्बन्ध होता है।”^१ (डी काक) राज्य की विभिन्न वित्त-विषयक क्रियाओं द्वारा द्रव्य-बाजार, विनिमय की दरों, तथा केन्द्रीय बैंक की ऋण देने की नीति में हस्तक्षेप होता रहता है, अतः राज्य के महाजनी कृत्यों का केन्द्रीय बैंक के हाथों में ही रहना अच्छा होता है।

केन्द्रीय बैंक का राज्य से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण कार्य थोड़े समय के लिए ऋण देना होता है। केन्द्रीय बैंक सरकारी खजाने के बिलों को, जो चाहे सीधे आए हो या अन्य बैंकों द्वारा आए हो, कटौती पर ले लेता है। इस प्रकार ये ऋण थोड़े समय के लिए दिए जाते हैं। यह इसलिए किया जाता है, जिसमें प्राप्त होने वाली आय के आधार पर, वह अपने चालू आर्थिक दायित्वों के भार से मुक्त हो सकें। युद्ध-सरीखे आपत्काल में सरकार को इस प्रकार दिए गए ऋण के फलस्वरूप बहुत अधिक मुद्रा स्फीति हो सकती है। १९१४-१८ में तथा इसके पश्चात् फ्रांस, जर्मनी तथा योरोप में अन्यत्र ऐसा ही हुआ। “राज्य को दिये गये ऋण के कारण मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा के मूल्य में कमी होने के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। अनुभव से ज्ञात होता है कि सरकार द्वारा ज्विक्र ऋण लिया जाना चाहे वह केन्द्रीय बैंक से सीधा लिया जाय अथवा बटौतियों द्वारा लिया जाय, मुद्रा-स्फीति का सबसे मरल तथा कभी-कभी एकमात्र साधन होता है।” (डी काक)।

जब केन्द्रीय बैंक खजाने के बिलों अथवा अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में सरकार को अग्रिम धन (advances) देना है, तब सरकार द्वारा खर्च किया हुआ

रूपया जिन लोगो को प्राप्त होता है, वह उमे पुन व्यावसायिक बैंको के पास जमा करा देते हैं । तदनुसार व्यावसायिक बैंको की केन्द्रीय बैंक मे जो रकम जमा होनी है, वह बढती है । यह जमा रकम नकदी के समान ही समझी जाती है । और इसके आधार पर व्यावसायिक बैंक अपना ऋण तथा अग्रिम धन बड़ा लेना है । इन प्रकार मुद्रा स्फीति का प्रारम्भ होता है । अतः यह आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक राज्य मे अलग रहे जिनमें वतरे के समय धन की माग के रूप मे नरकारी दबाव का बैंक द्वारा विरोध हो सके । प्रथम महापुद्ध में तथा उसके पश्चान् कुछ देशो की सरकारो द्वारा ऋण लिये जाने के फलस्वरूप होने वाले विनाशकारी परिणामो को देखते हुए, हाल मे स्थापित कुछ केन्द्रीय बैंको (स्वित्सी, चेकोस्लोवेकिया, दक्षिणी अफ्रीका तथा भारत) पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाए गए थे, जिसमें सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण पर रोकथाम बनी रहे । परन्तु आर्थिककाल में ये प्रतिबन्ध हीले करने पडे ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया राज्य बैंक बन कर कई कार्य करता है । यह केन्द्रीय सरकार का तथा राज्यों की सरकारो का रूपया लेता है । उनकी जमा रकम की सीमा के अन्दर भुगतान करता है, उनका विनिमय तथा अन्य बैंक-विषयक कार्य संचालित करता है । राज्य को दिये गए अग्रिम धन के सम्बन्ध मे रिजर्व बैंक पर कोई रोक नहीं है, परन्तु यह अग्रिम-धन दिये जाने के तीन मास के अन्दर अवश्य वापस आ जाना चाहिये । बैंक किन्ती भी देश की नरकारी प्रतिभूतिया खरीद सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि महाजनी विभाग में जिनकी रकम की ऐसी प्रतिभूतिया हो, वह रकम कभी भी बैंक की शेयर-पूजी, रक्षित निधि तथा महाजनी विभाग के जमा सम्बन्धी दायित्वो के ऋण के योग मे अधिक न हो; साथ-साथ यह भी प्रतिबन्ध है कि वे प्रतिभूतिया, जो एक वर्ष में अथवा दस वर्ष मे पूरी होने वाली हो, किमी सीमा के बाहर न जायें ।

११ केन्द्रीय बैंक बैंको के लिए बैंक के रूप मे (The Bankers' Bank)—केन्द्रीय बैंक महाजनी या अन्य बैंको के लिए बैंक के रूप मे तीन हैमियतो मे कार्य करता है । (1) व्यावसायिक बैंको की नकद रक्षित निधि के अभिरक्षक की हैमियत मे, (II) ऋण देने के लिए अन्तिम आश्रय की हैमियत से, (III) केन्द्रीय जमा खर्च, निपटारो तथा हस्तान्तरणो के लिए बैंक की हैमियत से ।

(1) व्यावसायिक बैंको द्वारा केन्द्रीय बैंक में अपनी नकद रक्षित निधि जमा कराने की आदत का धीरे-धीरे विकान हुआ तथा इन आदत का केन्द्रीय बैंक के (सरकारी बैंक तथा नोट निष्कारने वाले बैंक के रूप में) कर्तव्यपालन मे बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । केन्द्रीय बैंक के पास रक्षित निधि रखने में मुश्किल होने का कारण यह था कि केन्द्रीय बैंको के नोटो पर सबने अधिक विश्वास किया जाता था, तथा सरकारी बैंकिंग कार्य केन्द्रीय बैंक के द्वारा हुआ करते थे । पहले तो केन्द्रीय बैंक के पास नकद रूपया रखना (या नहीं रखना) अन्य बैंको की इच्छा पर निर्भर था । परन्तु बाद में अधिकतर देशो में यह एक कानूनी पाबन्दी कर दी गई

ऐसा करने से बड़ी लाभ है । प्रथम, नकद धन के प्रयोग मे विफायत होती है । केन्द्रित होने पर राष्ट्र का नकद धन अधिक क्रियाशील हो जाता है । द्वितीय, व्याव-

सायिक बैंक अपनी रक्षित निधियों को, आवश्यकता पड़न पर, केवल केन्द्रीय बैंक के विलो में कटौती लगाकर बड़ा सकता है, तथा उन्हें स्वयं अपने साधनों पर अवलम्बित नहीं रहना पड़ता। तृतीय, केन्द्रीय बैंक को अन्य बैंकों को ऋण देने से सम्बन्धित नीति पर नियन्त्रण प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्योंकर होता है, यह आगे स्पष्ट किया जाता है।

भारत के अनुसूचित बैंकों (Scheduled banks) (अनुसूचित बैंक वे हैं, जिनका नाम, उनकी चुकता पूंजी तथा रक्षित निधि के आधार पर, रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में समाविष्ट है) के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने माग-विषयक दायित्वों का कम से कम पाँच प्रतिशत तथा समय-विषयक दायित्वों का कम से कम दो प्रतिशत रिजर्व बैंक में जमा रखें। वर्तमान काल में लगभग एक सौ अनुसूचित बैंक हैं।

(11) केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के लिए ऋण-विषयक अन्तिम आश्रय है। जब व्यावसायिक बैंक अपने साधनों को समाप्त कर चुकते हैं तथा बाहरी साधनों से धन नहीं प्राप्त कर पाते तब केन्द्रीय बैंक का आश्रय ग्रहण करते हैं। केन्द्रीय बैंक पुनः की हुई कटौतियों द्वारा यह कार्य सम्पन्न करता है।

मकुचित अर्थों में, केवल प्रथम श्रेणी के व्यावसायिक तथा कृषि-सम्बन्धी विलो की पुनः कटौती (rediscounting) की जाती है। अर्थात् वे विल, जो ऐसे व्यावसायिक बैंकों, विलो का लेन-देन करने वालों, या दलालों द्वारा केन्द्रीय बैंक के पास लाये जाते हैं जिनको नकद रूप में तात्कालिक आवश्यकता होती है और अपने किसी आदेश को नकद के रूप में परिणत करना चाहते हैं। विस्तृत अर्थों में, जोकि अब अधिकतर देशों में मान्य है, पुनः कटौती करना "व्यावसायिक बैंकों की लेनदारी को केन्द्रीय बैंक के अतिरिक्त दायित्व में परिणत करना है, चाहे ऐसा कार्य सीधा किया जाय या घुमाकर" (डी काक)। इस प्रकार पुनः कटौती खजाने के विलो तथा बैंकों या अन्य अर्थ-केन्द्रों को दिये गये उन थोड़ी कालावधि वाले ऋणों पर भी लागू होती है जो केन्द्रीय बैंक द्वारा विलो, प्रामिमरी नोटों तथा सरकारी प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में दिये जाते हैं।

पुनः कटौती की सुविधा के कारण व्यावसायिक बैंक अपना दैनिक कारोबार थोड़ी नकद रक्षित निधि द्वारा भी चला ले जाते हैं। क्योंकि आपत्ति काल में वे केन्द्रीय बैंक का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्यावसायिक बैंकों की सम्पत्ति को अधिक लचीलापन तथा अस्थिरता प्राप्त हो जाती है। परन्तु पुनः कटौती के क्रम का दुरुपयोग न होना चाहिए। केवल आपत्तिकाल में इसका उपयोग होना चाहिए, सामान्य व्यापारिक क्रियाओं में नहीं। केन्द्रीय बैंक को भी कठिनाई के समय में सहायता देने को प्रस्तुत रहना चाहिए, किन्तु साधारणतया उदार नहीं होना चाहिए। व्यावसायिक बैंकों में आत्म-निभरता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है तथा आपत्तिकाल के लिए केन्द्रीय बैंक की शक्ति को संचित रखने के लिए भी यह आवश्यक है। केवल इतना ही भरोसा, कि आपत्तिकाल में केन्द्रीय बैंक ने सहायता मिल नकनी है, जनता में व्यावसायिक बैंकों का विश्वास जगाए रखने के लिए पर्याप्त है।

(11) केन्द्रीय जमा-खर्च (Clearing) का कार्य सभी केन्द्रीय बैंक करने है। कुछ देशों में तो यह परम्परा अथवा सुविधा मात्र है, अन्य देशों में यह कानूनी पावन्दी है। जबकि केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों की नगद रक्षित निधि के अभिरक्षक हैं, तो उनकी इस स्वनिधि का उपर्युक्त फल होना तर्कसंगत है जबकि अन्य बैंक, केन्द्रीय बैंक के पास नगद रक्षित निधि रखते हैं तो केन्द्रीय बैंक के खातों में जमा या नाम करा कर उनके आपसी नियतारे सुविधापूर्वक हो सकते हैं। कई देशों में तो बैंकों की आपसी तथा केन्द्रीय बैंक से सम्बन्धित दायित्वों का खंडन करने के लिए अलग जमा-खर्च के केन्द्र होते हैं। इन देशों में, जो कुछ अंत में शेष निकलता है, वह बिना नकदी दिए व्यावसायिक बैंकों तथा केन्द्रीय बैंक के खातों में जमा-खर्च मात्र से ही दिया-लिया जा सकता है। जमा-खर्च के फलस्वरूप किसी बैंक की केन्द्रीय बैंक के पास जमा निश्चित सीमा के नीचे भी गिर सकती है। ऐसी दशा में वह बैंक कुछ दिन के लिए पुनः कटौती के आधार का सहारा ले सकता है, जब तक कि कमी पूरी न हो जाय।

हिसाब निपटाने की प्रणाली सुविधाजनक होने के अतिरिक्त किफायती भी है। इससे, आपत्तिकाल में, बैंक ने रकम उठाना कम हो जाता है, तथा बैंक द्वारा सम्पन्न होने वाली महाजनी पद्धति सुदृढ़ होती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक को यह पता रहता है कि व्यावसायिक बैंकों की सम्पत्ति की अस्थिरता के सम्बन्ध में उनकी दशा कैसी है। इस जानकारी से केन्द्रीय बैंक को देश में ऋण-विषयक फंजाव पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है।

१२ साख का नियंत्रण (Control of Credit)—नियंत्रण के उद्देश्य (The Objectives)—केन्द्रीय बैंक निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर साख का नियंत्रण करता है —

(क) स्वर्ण के रूप में रहने वाले, रक्षित निधि को घटाने वाले भीतरी तथा बाहरी दवावों से उक्त निधि का बचाव,

(ख) भीतरी कीमतों पर स्थायित्व बनाए रहना,

(ग) विदेशी विनिमय का स्थायित्व प्राप्त करना, तथा

(घ) उत्पादन तथा रोजगार में घट-बढ़ (fluctuations) को दूर करना।

स्वर्ण-विषयक मापदण्ड बना रहने के कारण स्वर्ण निधि के बचाव की आवश्यकता उत्पन्न होती है। स्वर्ण मान देश (gold standard country) में सोने का स्वतंत्रता-पूर्वक आयात तथा निर्यात हो सकता है। तथा ऐसे देश की मुद्रा को कानून के अनुसार मोने या स्वर्ण मुद्रा के रूप में रूपान्तरित किया जा सकता है। ऐसे देश में माप के अत्यधिक विस्तार में मुद्रा-स्फीति हो जाती है। जब देश के अन्दर कीमतें बढ़ जाती हैं तब पहले तो बैंकों में अधिक नकदी निवाली जाती है तथा केन्द्रीय बैंकों में अधिक मोना निकाला जाता है, जिसमें उच्च स्तर के सीदे निपट सकें। यह "निधि घटाने वाला भीतरी मार्ग" कहलाता है। दूसरी बात यह है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में देश के अन्दर कीमतें अधिक होती हैं तब आयात को प्रोत्साहन मिलता है तथा निर्यात हतोत्साह हो जाता है। व्यापार का मतुलन विगड़ जाने के कारण सोने का निर्यात करना पड़ता है। इसको "निधि

घटाने वाला बाहरी मार्ग” कहते हैं। यदि विदेशी पूजा लगाने वालों का मुद्रा के भविष्य में विश्वास उठ जाय और वे अपनी जमा वापस लेने लगे तो भी सोना बाहर जाने लगेगा। इन दशाओं में केन्द्रीय बैंक साख्त को मकुचित करेगा, कीमतों को गिराएगा, तथा स्वर्ण निधि घटाने वाले भीतरी तथा बाहरी मार्गों को बन्द करेगा।

दूसरा उद्देश्य आन्तरिक कीमतों में स्थायित्व बनाए रखना है। कीमतों की घट-बढ़ से होने वाली विभिन्न हानियों का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। कीमतों में स्थिरता न रहने से आर्थिक सम्बन्धों में गड़बड़ी, विषमताएँ तथा बुरे सामाजिक फल होते हैं। केन्द्रीय बैंक लोगों की आवश्यकतानुसार ऋण शक्ति की पूर्ति का नियंत्रण करके घटबढ़ को बहुत कुछ कम कर सकता है।

विदेशी विनिमय (अर्थात् विदेश द्रव्य का देश के द्रव्य में मूल्य) में अस्थिरता से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में गड़बड़ी उत्पन्न होती है।

इस विषय पर मतभेद रहा है कि भीतरी कीमतों में स्थिरता या विनिमय की स्थिरता—इन दो उद्देश्यों में से कौनसा उद्देश्य लेकर केन्द्रीय बैंक को चलना चाहिये, जब कि अवसर ऐसा हो कि दोनों उद्देश्य एक साथ नहीं प्राप्त किये जा सकते हो। यदि समस्त सम्बन्धित देश स्वर्ण मान पर आरूढ़ हैं, तो भीतरी कीमतों के नियंत्रण का फल अपने आप यह होगा कि विनिमय सकुचित सीमा^१ के अन्दर रहता हुआ स्थिर हो जायेगा। अतः सन् १९१४ के महायुद्ध तक कीमत-स्तर में विशेष गड़बड़ी उत्पन्न किये बिना ही, विभिन्न देश विनिमय को स्थिर बनाए रखते थे। किन्तु जिन दिनों में कागजी मुद्रा का रूपान्तर एक देश से दूसरे देश के बीच नहीं हो सका, उन दिनों में विभिन्न देशों की कीमतें अलग-अलग मार्गों पर चल पड़ी और फलस्वरूप एक देश तथा दूसरे देश के बीच कीमतों के स्तर में खाई हो गई। ऐसी परिस्थितियों में, विनिमय की स्थिरता चाहने वाले देश को अपने देश में कीमतों के स्तर में घट-बढ़ को विदेशी कीमतों के अनुरूप ही रखना पडा। ऐसा करने से उस देश की भीतरी आर्थिक व्यवस्था में बहुत उथल-पुथल हुई। अतः आधुनिक काल में केन्द्रीय बैंकों ने भीतरी कीमतों की स्थिरता पर अधिक ध्यान दिया है, तथा विदेशी विनिमय को अपने-आपको परिस्थितियों के अनुकूल बना देने के लिए छोड़ दिया है। अन्य विषयों में समानता न होने पर जिन देश की विदेशी व्यापार में अधिक रुचि होगी, (जैसे इंग्लैण्ड), वह विदेशी विनिमय पर अधिक ध्यान देगा, और जिन देश का तुलनात्मक दृष्टि से विदेशी व्यापार कम होगा (जैसे भारत) वह भीतरी स्थिरता पर अधिक ध्यान देगा। भारत सरकार की मुद्रा तथा विनिमय विषयक नीति की आलोचना के रूप में यह कहा जाता रहा है, कि यहाँ भीतरी कीमतों की स्थिरता पर कम ध्यान और विदेशी विनिमय की स्थिरता पर अधिक ध्यान दिया गया।

हाल ही के एक नये दृष्टिकोण के अनुसार विनिमय की स्थिरता तथा भीतरी कीमतों की स्थिरता इन दोनों उद्देश्यों की आवश्यकता नहीं है। विश्वव्यापी मदी के दिनों

के अनुभवों के आधार पर इस दृष्टिकोण ने जन्म लिया है। इसका कहना है कि केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य यही होना चाहिए कि व्यापारिक चक्र को रोके, उसे बढ़ने न दे। उद्देश्य यह होना चाहिए कि व्यापार उच्च रूप में चलता रहे और उसमें ज्यादा मदी-तेजी (booms and slumps) न आए। बैंकिंग नीति के औचित्य के विषय में काउचर का कहना है कि "बैंकिंग नीति अपने में इतनी पर्याप्त नहीं होगी की आर्थिक पूर्ण नमृद्धि (economic utopia) की स्थिति आजाए। इसका पहला काम तो जटिल साख पद्धति को उमकी प्राकृतिक अनिश्चितता से रोकना चाहिए जिससे आर्थिक घट-वृद्धि में वृद्धि न हो। इसका दूसरा काम ऐसी गडबड को कम करना है जिस पर इसका कोई बम नहीं चलता। किन्तु इन कारणों को हमें द्रव्य की सीमा से बाहर देखना चाहिए।"¹

बहुत समय तक अर्थशास्त्री हाट्ट्रे (Hawtrey) के इस विचार को मानते थे कि "बैंक-साख स्वतः अस्थायी है"। इस विचार के अनुसार बैंक व्यापार-चक्र को और जटिल बनाने है। बैंक-साख स्फीति काल में स्फीति को प्रोत्साहन देती है और सकुचन के समय सकुचन को प्रोत्साहित करती है। प्रो व्हिटलेसी (Whittlesey)² ने यह दिखलाने की चेष्टा की है कि बैंक के जमा स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। यह व्यापारिक बैंकों के आदेश के रूप में अन्तर पडने के कारण सम्भव हो गया है। पहले बैंकों के अविकाश आदेश व्यापारिक पत्रों (commercial papers) के रूप में होते थे। लेकिन अब इनका अर्थ घट गया है और सरकारी सिक्कोरिटियों का अर्थ बढ़ गया है जो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती हैं।

सन् १९४५ में अमेरिका में सरकारी सिक्कोरिटिया व्यापारिक बैंकों के आदेश का ७५ प्रतिशत भाग थी। लडाई के बाद व्यापारिक पत्रों का अर्थ बढ़ गया है लेकिन १९४८ में सरकारी पत्र ५५ प्रतिशत थे जब कि सन् १९२९ में केवल १० प्रतिशत थे।

१३ साख के नियंत्रण में कठिनाइया (Difficulties of Credit Control)—यदि केन्द्रीय बैंक उपर्युक्त उद्देश्यों में से एक या अधिक को प्राप्त करना चाहें तो भी इस मार्ग में भारी कठिनाइया है। प्रथम, साख का नियंत्रण करने में तो कठिनाइया है ही, द्वितीय, यदि साख को नियंत्रण कर भी लिया जाय तो भी यह आवश्यक नहीं है कि उद्देश्य प्राप्त हो जायेंगे। साख के नियंत्रण में कठिनाइया निम्न-लिखित हैं

(१) बैंक-साख ही का एकमात्र रूप नहीं है। अन्य प्रकार की व्यावसायिक साख जैसे विनिमय-पत्र, ऐसे प्रामिन्तरी नोट जिनकी बैंकों द्वारा कटौती नहीं हुई है, खाता बाकी आदि होते हैं, जिन पर केन्द्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं के बराबर है।

(२) बैंक साख के मामले में भी समस्त बैंकों का केन्द्रीय बैंक में नीचा सम्बन्ध नहीं होता। उदाहरणार्थ, सकुचन राज्य में व्यावसायिक बैंकों में से जिनके माध्यम सम्पूर्ण माधनों

1 Crowther—Op cit, p 201

2 Whittlesey, C.R.—The American Economic Review, December 1949, pp-392—98

का पाँचवाँ अंश है, फेडरल रिजर्व प्रणाली के बाहर है। भारत में तो पुराने ढंग के महाजन, जो भारत के कुल महाजनी कारोबार का ९० प्रतिशत कारोबार करते हैं, अब भी रिजर्व बैंक के प्रभाव-क्षेत्र के बाहर हैं।

(३) यदि समस्त बैंक "सदस्य" बन जायें, तो भी व्यावसायिक बैंकों के सदा सहयोग नहीं देने पर तथा निश्चित मार्ग पर न चलने पर वही प्रश्न शेष रह जाता है। बिना इस सहयोग के साख का नियन्त्रण ही नहीं सकता।

(४) देश के आर्थिक ढांचे में बैंकों के अतिरिक्त अन्य तत्त्व भी हैं। अर्थात् के परिस्थितियाँ, जो व्यापारी वर्ग के रुख को प्रभावित करती रहती हैं, केन्द्रीय बैंक के कार्य-क्षेत्र के परे हैं।

(५) साख का प्रयोग बयोकर और कैसे किया जायगा, इस पर केन्द्रीय बैंक को नियन्त्रण नहीं प्राप्त हो सकता। उदाहरणार्थ, पूर्ण व्यावसायिक ऋणों का प्रयोग सट्टे में किया जा सकता है।

इसका यह अर्थ नहीं कि केन्द्रीय बैंक द्वारा किये गये साख को नियन्त्रित करने के प्रयत्न का असफल होना अवश्यम्भावी है। ऊपर तो केन्द्रीय बैंक के कार्यक्षेत्र की सीमाएँ दी हुई हैं। बैंक के अधिकारियों को इनका ध्यान रखना पड़ेगा।

यदि बैंक साख को नियन्त्रित कर भी ले, तो भी इसका यह अर्थ नहीं कि कीमतों में स्थिरता, विनिमय स्थिरता आदि अपने आप आ जायेंगी। इसमें भी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं।

अब हम साख के नियन्त्रण की प्रणालियों पर विचार करेंगे—ये हैं—(i) बैंक-दर की नीति (ii) खुले बाजार के कृत्य (iii) साख की राशनिंग, (iv) अन्य प्रणालियाँ।

१४ बैंक-दर की नीति (The Bank-Rate Policy)—बैंक-दर वह दर है जिस पर किसी देश का केन्द्रीय बैंक प्रथम श्रेणी के बिलों की कटौती करने को प्रस्तुत रहे। अतः यह दर केन्द्रीय बैंक की कटौती की दर है। बाजार रेट या कटौती की दर वह दर है, जो द्रव्य-बाजार में अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं में प्रचलित हो। केन्द्रीय बैंक अन्तिम आश्रय के रूप में ऋण देने वाला बैंक होता है, अतः बैंक की दर बाजार की दर से ऊँची होती है। 'ब्याज की दर'—ये शब्द अधिकतर लम्बी अवधि के लिये लम्बाये गए धन पर लागू होते हैं। 'अल्पकालीन दर' (call rate) ब्याज की उस दर को कहते हैं जो बिलों के दलालों को थोड़े समय के लिए अग्रिम देने के लिए की जाती है। पूर्णतया विकसित द्रव्य बाजार में इन समस्त दरों का एक दूसरे से निरन्तर सम्बन्ध बना रहता है। उदाहरणार्थ, प्रथम महायुद्ध के पूर्व इंग्लैण्ड में बैंक अपनी 'अल्पकालीन दर' को अधिकतर बैंक दर से लगभग १॥ प्रतिशत नीचा रक्खा करते थे तथा बिलों के दलालों आदि को बहुत छोटी अवधि के लिए दी गई रकमों के लिए साधारणतया जमा कराने की दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऊँची दर रक्खी जाती थी, जिसमें बैंक को लेन-देन में मुनाफा रहे। ग्राहकों से अग्रिम धन में बैंक-रेट से लगभग एक प्रतिशत अधिक लिया जाता था, किन्तु पाच प्रतिशत न्यूनतम दर थी। कटौती की बैंक-दर तथा बाजार दर का सम्बन्ध द्रव्य-बाजार की परिस्थितियों पर

निर्भर रहता था।

ऐसी परिस्थितियों में बैंक-रेट के बदलने से अन्य सब रेट साधारणतया उसी ओर चल पड़ते थे, किन्तु सर्वदा ऐसे परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ करते थे।

उन देशों में जिनमें द्रव्य-बाजार इतनी भली भाँति मुमगठित नहीं है, बैंक-दर तथा अन्य दरों का सम्बन्ध इतना निकट नहीं होता। अतः केन्द्रीय बैंक कटौती की अपनी दरों या रेट में परिवर्तन करके अन्य दरों में परिवर्तन इन्हीं सीमा तक नहीं कर पाता।

बैंक-दर की नीति का सिद्धान्त (The Theory of Bank-rate Policy)
—इस सिद्धान्त के अनुसार केन्द्रीय बैंक की बैंक-दर में परिवर्तन करने पर समस्त स्थानीय दरों में परिवर्तन आ जाता है। यदि बैंक-रेट बढ़ाया जाता है, तो बाजार-दर तथा द्रव्य-बाजार की अन्य ऋण देने की दरें बढ़ जाती हैं, तथा जब केन्द्रीय बैंक अपना बैंक-रेट घटा देता है तब कटौती की बाजार-दर तथा अन्य दरें भी गिर जाती हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव द्रव्य की माँग तथा पूर्ति पर पड़ता है। जब दरें बढ़ जाती हैं, ऋण लेना कम, तथा जब दरें घट जाती हैं, ऋण लेना बढ़ जाता है। अर्थात् प्रथम परिस्थिति में साख सकुचित तथा द्वितीय परिस्थिति में विस्तृत हो जाती है। विदेशी थोड़ी अवधि वाली पूँजी का प्रवाह भी प्रभावित होता है। जब दरें ऊँची होती हैं तब विदेशी निधि आने लगती है और जब नीची होती हैं तब जाने लगती है। साख के सकुचन से भीतरी कीमतों का स्तर गिरने लगता है तथा साख के विस्तार से भीतरी कीमतों का स्तर उठने लगता है। जब व्याज की दरें नीची होनी हैं, तब व्यापारिक तथा औद्योगिक दोनों प्रकार की क्रियाएँ प्रोत्साहित होती हैं, तथा जब ऊँची होती हैं, तब हतोत्साह होती है। साख को सकुचित करके घरेलू लागत तथा कीमतों को गिराकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में समता लाई जा सकती है, क्योंकि इसके फलस्वरूप निर्यात बढ़ेगा तथा आयात घटेगा।

स्वर्णमान के अन्तर्गत बैंक-दर की नीति (Bank-Rate Policy under Gold Standard)—इस नीति का सिद्धान्त स्वर्ण मान के विवेकतया अनुकूल है। अतः ब्रिटेन में १९१४ के पूर्व इसने बहुत सफलतापूर्वक कार्य किया। स्वर्ण मापदण्ड के अन्तर्गत व्यापार का असतुलन तब होता है जब विनिमय की गति उस स्थल पर पहुँच जाती है जहाँ कि सोने का निर्यात भीमा पार हो जाय तथा मोना बाहर जाने लगे। ऐसा होने का कारण या तो पूँजी का अत्यधिक निर्यात होना है या नैयार माल का अत्यधिक आयात होता है। इसके विपरीत जब भुग्नान शेष (balance of apayment)^१ पक्ष में हो जाता है तब सोने का प्रवाह भीतर की ओर हो जाता है।

सोने का प्रवाह बाहर की ओर होने का कारण यह हो सकता है कि उत्पादन की घरेलू लागत अधिक हो, जिसके फलस्वरूप निर्यात हतोत्साहित हो जाय और

१ For "Balance of Payment" see Ch XLI.

आयात प्रोत्साहित हो जाये, या अपने देश की मुद्रा पर अविश्वास होने के कारण, विदेशों में पूजा अधिक लगा दी जाय या सट्टे का प्रभाव काम कर रहा हो। ऐसी परिस्थितियों में बैंक-रेट बढ़ाने का फल हुआ—साख का सकुचन। वस्तुओं तथा प्रतिभूतियों का विनियम बढ गया, क्योंकि व्याज की दर ऊँची होने के कारण उनको पडी रहने में लागत अधिक हो गई, विभिन्न वर्गों की आय घट जाने के कारण घरेलू माग कम हो गई, सट्टा तथा नये काम में पूजा लगाना कम हो गया, कीमतें और मजदूरी कम हो गई। अतः फल यह हुआ कि निर्यात बढने लगा, विदेशी पूजा आने लगी, विदेशी पूजा जो लगी हुई थी, कम होने लगी आदि। इस प्रकार समयानुसार मतुलन पुनः स्थापित हो गया। सोने का बाहर जाना बन्द हो गया। यदि इस नीति को काफी दिन तक बरता जाय तो सोना देश में आने लगेगा, साख का तनाव (credit stringency) कम हो जाएगा, द्रव्य की दरे गिर जायेंगी तथा कारोबार पुनः जोर पकड़ेगा।

इस प्रकार बैंक-दर के ऊँचा करने के दो प्रभाव पड़ते हैं (1) तात्कालिक (immediate) तथा अन्त्य (ii) (ultimate)। तात्कालिक फल तो यह होता है कि विलो की कटौती महगी हो जाने के कारण ऋण लेना कम हो जाता है। द्रव्य बैंको के बाहर नहीं जा पाता। यही नहीं, बाहर की निधि भी आने लगती है, क्योंकि बैंक-रेट के बढ़ने पर महाजनों की रुपया जमा करने की दर भी बढ जाती है। अन्त्य का फल यह होता है कि जब सोना लगातार आता रहता है, तो केन्द्रीय बैंक बैंक-रेट को नीचा गिराता है। इससे द्रव्य का मूल्य कम हो जाता है, साख, व्यापार, उत्पादन, रुपया लगाना, तथा सट्टा ये सब प्रोत्साहित होते हैं, घरेलू कीमतें तथा लागत बढ जाती हैं। आयात प्रोत्साहित होता है तथा निर्यात हतोत्साहित होता है। विदेशों में रुपया लगाने को प्रोत्साहन मिलता है। यदि लम्बी अवधि तक यही नीति बरती जाती रहे तो भुगतान में अमतुलन पैदा हो जायेगा और सोने का प्रवाह भीतर की ओर न रह कर बाहर की ओर हो जायेगा।

बैंक दर-नीति की सीमायें (Limiting Conditions of Bank Rate Policy)—विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि बैंक-दर नीति की सफल क्रियान्विति के लिये कई शर्तों का पालन आवश्यक हो जाता है—

(1) अन्य सब दरों की गति को बैंक-दर की गति का अनुगामी होना चाहिये, जिसमें यथाम्भव साख विस्तृत तथा सकुचित होता रहे।

(ii) देश का आर्थिक ढाँचा लचीला होना चाहिये, जिसमें साख-विषयक परिवर्तन के फलस्वरूप मजदूरी, लगान, उत्पादन, व्यापार आदि में भी तदनुसार परिवर्तन हो जाय।

ब्रिटेन सरीखे मगठिन द्रव्य-बाजार में प्रथम शर्त परिपूर्ण होती है।

ब्रिटेन में ऐसी परिपाटी हो गई है कि अन्य सब दरों का सम्बन्ध बैंक दर से एक-सा ही चलता रहता है। कभी-कभी जब द्रव्य-बाजार में आवश्यकता से अधिक निधि संचित हो जाती है, बैंक-दर मले ही प्रभावशाली न रहे, और अन्य मार्ग ग्रहण करना पड़े। बहुत से अन्य देशों में यह शर्त भी पूर्ण नहीं होती। अतः वहाँ बैंक-दर-नीति को बहुत कम

सफलता प्राप्त होती है। दूसरी शर्त के सम्बन्ध में भी ब्रिटेन की स्थिति विशेषतया सन् १९१४ के युद्ध के पूर्व, बहुत अच्छी थी। आर्थिक ढाँचा बहुत लचीला था। द्रव्य की दरों तथा साख की परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार मजदूरी, लगान और उत्पादन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाया करता था। कुछ समय पश्चात् ब्रिटेन के आर्थिक ढाँचे का लचीलापन जाता रहा। इसके कई कारण थे, जिनमें स्वर्णमान का टूट जाना, मुद्रा का नवीन प्रबन्ध के अन्तर्गत आ जाना, तथा मजदूरी तथा कीमतों का नियमन प्रधान थे।

अन्य देशों में, बैंक-दर-नीति को बहुत कम सफलता मिली, क्योंकि उपर्युक्त दोनों शर्तें विद्यमान नहीं थीं। हाल में साख के नियन्त्रण का यह मार्ग ब्रिटेन में भी गौण हो गया है। इसके महत्त्व में कमी का कारण है—द्रव्य-बाजार की परिस्थितियों में परिवर्तन तथा आर्थिक ढाँचे का कठोर हो जाना। द्रव्य-बाजार के विषय में विकास के रूप में कई परिवर्तन हुए। घरेलू व्यापार अब बैंक ड्राफ्टों के आधार पर अधिक और विनिमय पत्रों के आधार पर कम चलता है। विदेशी हुडियों का महत्त्व भी कम हो गया है क्योंकि लदान का आर्थिक स्तर आज इतना ऊँचा है जितना १९१४-१९१८ के युद्ध के पूर्व था। इससे लदान में कटौती के लिए आने वाली विदेशी हुडियाँ कम हो गई हैं, यही नहीं, थोड़ी अवधि की लागत के लिए खजाने के बिलों ने थोड़ी अवधि की हुडियों का स्थान ग्रहण कर लिया है। इससे द्रव्य-बाजार पर खजाने का प्रभाव बढ़ गया है। इस प्रकार के परिवर्तन बैंक दर नीति की क्रियान्विति के लिए उपयोगी नहीं होने।

१५ बैंक-दर नीति के सम्बन्ध में कीन्स का दृष्टिकोण (Keynes' View of Bank-Rate Policy)—स्वर्गीय लार्ड कीन्स के मतानुसार बैंक-दर के पुराने सिद्धान्त इस बात पर बहुत जोर देने थे कि बैंक-दर बैंक के द्रव्य की मात्रा का नियमन करने का तथा देश की स्वर्ण-निधि के रक्षण का साधन है। उन सिद्धान्तों में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता था कि वचत को दृष्टिगत रखते हुए, रुपया लगाने की दर पर बैंक-रेट का क्या प्रभाव पड़ता है। रुपया लगाने तथा वचत—इन दोनों के सम्बन्ध में परिवर्तन का कीमतों, उत्पादन, काम घड़े तथा मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है।

कीन्स हाटरे की आलोचना करते हैं। हाटरे ने रुपया लगाए जाने के विषय पर जोर दिया था, किन्तु “केवल एक प्रकार में रुपया लगाए जाने पर (अर्थात् विदेशी मुद्राओं और दलालों द्वारा अस्थिर वस्तुओं में रुपया लगाया जाना) बैंक-दर में परिवर्तन का प्रभाव बतलाया जाता है, जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है।”^१ कीन्स के मतानुसार अल्पकालीन व्याज की दर में तथा चालू पूँजी वाली वस्तुओं के स्टाक में परिवर्तन द्वारा आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं किया जा सकता, वरन् दीर्घकालीन व्याज की दरों तथा निश्चिन्त पूँजी वाले माल द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव न केवल अल्पकालीन व्याज की दरों पर पड़ता है, वरन्

दीर्घकालीन दरों पर भी पड़ता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। दीर्घकालीन दरों में परिवर्तन का प्रभाव रुपया लगाने वाले पर पड़ता है। रुपया लगाना दीर्घकालीन व्याज तथा लाभ की गुंजाइश पर निर्भर है। यदि यह मान लिया जाय कि लाभ की गुंजाइश उतनी ही रहेगी तो दीर्घकालीन दर जितनी ऊँची होगी, रुपया लगाना उतना ही कम आकर्षक। जब उद्यमी निश्चित पूँजी वाले माल पर कम खर्च करता है, तब बड़े माल के व्यापार में काम कम हो जाता है। इसका फल होता है—कुल आर्थिक आय का सकुचन तथा चालू उपभोग व्यय में कमी। इसका फल यह होता है कि उपभोग्य माल के व्यापार में भी काम की कमी हो जाती है। उत्पादन तथा कीमतेँ चारों ओर से गिरने लगती हैं। इसके विपरीत जब व्याज की दरें गिरती हैं, तब फल उल्टा होता है।

अपनी हाल ही की कृति^१ में कीन्स ने सामान्य आर्थिक स्थिरता के लिये बचत तथा रुपया लगाये जाने—इन दोनों में सतुलन बनाए रखने के महत्त्व पर और अधिक जोर दिया है किन्तु उसके मतानुसार खुले बाजार में संचालन (operation) द्वारा द्रव्य की मात्रा के नियमन को छोड़ते हुए, इस प्रकार की साम्यावस्था (equilibrium) बैंक-दर नीति द्वारा नहीं वरन् राज्य द्वारा, राज्य की ओर से रुपया लगाया जाना सगठित करके तथा मदी के काल में सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करवा कर किया जाना चाहिये। कीन्स का कथन है कि बैंक-दर नीति साख के नियन्त्रण को ऐसी रीति है, जो अब पुरानी हो चुकी है।

बैंक-दर-नीति का प्रयोग अब भी समाप्त नहीं हुआ है किन्तु इसका महत्त्व बहुत कुछ कम हो गया है। अब भी यह गलत प्रवृत्तियों को सुधारने तथा द्रव्य की पूर्ति तथा मांग पर अपने प्रभाव द्वारा, सतुलन के पुनर्स्थापन का साधन है। इस नीति की क्रिया-पद्धति अल्पकालीन व्याज की दरों तथा अस्थिर माल में रुपया लगाये जाने को प्रभावित करने के द्वारा है (जैसा कि हाटरी का कथन है), अथवा दीर्घकालीन व्याज की दरों, तथा बड़े माल में रुपया लगाये जाने को प्रभावित करने के द्वारा है (जैसा कीन्स का कथन है)—यह पता लगाना कठिन है। चाहे रुपया अस्थिर माल में या बड़े माल में लगाया जाय, व्याज तो केवल लागत के तत्त्वों में से एक तत्त्व-मात्र है। व्यापार तथा कीमतों की दशा पर बहुत से तत्त्वों का प्रभाव पड़ता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हाटरी तथा कीन्स ने क्रियाओं की जो व्याख्या की है, वह एक दूसरे से धिक्कुल असम्बद्ध नहीं है। अन्तर केवल जोर देने से हो जाता है। बैंक-दर में परिवर्तन के फल-स्वरूप स्टाक रखे जाने में भी परिवर्तन हो सकता है और निश्चित पूँजी वाले माल में रुपया लगाये जाने में भी।

१६ खुले बाजार की नीति (Open-Market Operations)—विस्तृत अर्थों में, खुले बाजार की नीति का अर्थ है—केन्द्रीय बैंक द्वारा ऐसे किसी कागज की खरीद या बिक्री, जिसका केन्द्रीय बैंक आदान-प्रदान करता है, जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, या अन्य सार्वजनिक प्रतिभूतियाँ या व्यापारिक ढुङ्गियाँ आदि, किन्तु इस

पद का प्रयोग सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या विक्री के सम्बन्ध में होना है, चाहे वह अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन। यह खरीद या विक्री केन्द्रीय बैंक की ओर से, जानबूझ कर बरती जाने वाली साख नीति के रूप में की जानी है। गत बीस या तीस वर्षों में साख के नियन्त्रण की इन रीति का महत्व अधिक हो गया है।

खुले बाजार में नचालन का सिद्धान्त यह है—प्रतिभूतियों के विक्रय के फलस्वरूप साख सकुचित होती है तथा ऋण के फलस्वरूप साख का विस्तार। जब केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है, उनको बदले में किसी व्यावसायिक बैंक का चेक मिलता है। यदि खरीदार (क्रेता) कोई बैंक है, तो उसी बैंक पर ही चेक काटा जाता है। दोनों स्थितियों में फल एक ही होता है। सम्बन्धित बैंक की वह रोकड़ बाकी, जो केन्द्रीय बैंक के पास रहती है, कम हो जाती है। रोकड़ घटने से बैंक को ऋण घटाना पड़ता है। इस प्रकार साख का सकुचन होता है। जब केन्द्रीय बैंक, प्रतिभूतियां खरीदता है तो अपने आप पर ही चेक काट कर अदायगी करता है। इनसे व्यावसायिक बैंकों की रोकड़ बाकी बच जाती है और वे साख का विस्तार कर सकते हैं। “विधिमान्य भुद्रा (legal tender money) का ध्यान रखो और साख स्वयं अपना ध्यान रखेंगे” यही सूत्र है।

बैंक-दर-नीति को प्रभाव-युक्त बनाने के लिए यह रीति कभी-कभी ग्रहण की जाती है। यदि सदस्य बैंक, बैंक-दर के अनुसार अपनी दरों को न बढ़ावे, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त निधि हो, तो केन्द्रीय बैंक इस अतिरिक्त निधि को प्रतिभूतियां बेचकर खींच सकता है, तथा इस प्रकार बैंकों को अपनी दरें बढ़ाने के लिए बाध्य कर सकता है। बाजार में निधि की कमी बैंकों को बाध्य कर देती है कि वे नीचा या घूमकर केन्द्रीय बैंक से हुडियों को पुनः कटौती करवा कर ऋण लें। यदि बैंक-रेट ऊँचा है तो बाजार-रेट तब नीचा कैसे रह सकता है ?

सिद्धांत की सीमायें (Limitations of the Theory)—यह स्पष्ट है कि यह सिद्धान्त तभी काम करेगा जब कुछ जतें पूर्ण हों। ये जतें निम्नलिखित हैं—

(i) जब केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों की खरीद करता है, तब सदस्य बैंकों की नकद निधि बढ़ जाती है, तथा जब केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियां बेचता है, तब सदस्य बैंकों की नकद निधि घट जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि यह न हो। प्रतिभूतियों का विक्रय बैंकों में सोना आ जाने से, या चलन में रहने वाले नोट आ जाने के बराबर हो सकता है। प्रतिभूतियों की खरीद के साथ-साथ नोटे की निकालनी या एकत्रीकरण के लिए नोटों की खींच भी हो सकती है। दोनों दशाओं में सदस्य बैंकों की नकद निधि प्रभावित नहीं होगी।

(ii) और यदि नकद निधि घट या बढ़ भी जाय तो भी बैंक तदनुसार साख का विस्तार या सकुचन न करे। रोकड़ और साख का अनुपात विकसुद्ध निश्चिन्त नहीं होता तथा बड़ी सीमाओं के अन्दर रहना हुआ भिन्न स्थिति में भिन्न हो सकता है। बैंक केवल नकदी साधनों के आधार पर साख को विस्तृत या सकुचित नहीं करेगा वरन् विद्यमान आर्थिक तथा राजनैतिक दशा को देख कर।

(III) तीसरी शर्त है कि जब व्यावसायिक बैंको के नकदी साधन बढ़ेंगे तब ऋणो तथा अग्रिम धनो की माग भी बढ़ेगी। विपरीत क्रिया का विपरीत फल होगा। परन्तु ऐसा होना भी आवश्यक नहीं है। आर्थिक तथा राजनैतिक स्थिति के ढावाडोल होने पर सस्ती दर पर भी ऋग लेने वाले न मिलें, यह संभव है। इसके विपरीत जब व्यापार चलता है, तथा लाभ की गुंजाइश होती है, तब उद्यमी ऊँची दर पर भी ऋग लेगा।

(IV) अन्त में, बैंक की साख का चलन सम-गति (constant velocity) से चलना चाहिए। परन्तु बैंक में जमा होने वाली रकम की गति एक-सी नहीं होती। व्यापार की उन्नति के समय में जमा होने वाली रकम की गति बढ़ जाती है और मन्दी के दिनों में घट जाती है।

अतः चलन की गति अधिक हो जाने से साख के सकुचन की नीति निष्फल की जा सकती है। इन सीमाओं के होते हुए भी, बैंक को साख के सकुचन तथा विस्तार में तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय तथा ऋय में अच्छा खासा सम्बन्ध है।

वाजार में होने वाले संचालनों के लिए यह आवश्यक है कि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों का वाजार बड़ा तथा चलता हुआ हो। इस प्रकार का वाजार ब्रिटेन और मयूक्त राज्य अमरीका में ही है, अतः साख के नियन्त्रण की यह रीति इन दो देशों में बहुत प्रभावोत्पादक ढंग से प्रयुक्त हुई है।

विशेषतया ब्रिटेन में इस रीति का प्रयोग बैंक दर को क्रियाशील बनाने के लिये, मौसमी गतिविधि (seasonal movements) के निधि पर प्रभाव का सामना करने के लिये, मोते के आने या जाने को प्रभावहीन करने के लिये तथा सस्ता द्रव्य प्राप्य बनाये रखने के लिए बहुत किया गया है।

१७ साख-सम्बन्धी राशनिंग (Credit Rationing)—साख की राशनिंग का अर्थ उन नियंत्रणों से है, जो द्रव्य की कमी के समय में केन्द्रीय बैंक द्वारा लगाये जाते हैं। प्रत्येक प्रार्थी की रकम सीमित कर देने से साख की राशनिंग हो जाती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक छोटी अवधि के पश्चात् पूरी होने वाली ऋणियों की ही कटौती स्वीकार करता है। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड द्वारा इस रीति का प्रयोग १८वीं शताब्दी के अन्त तक किया गया जब कि व्याज-विषयक कानूनों द्वारा कटौती की दर पाच प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती थी। हाल ही में, विशेषतया प्रथम महायुद्ध के पश्चात् उत्पन्न होने वाली कठिन परिस्थितियों में रूम तथा जर्मनी सरीखे कई देशों ने माय की राशनिंग की नीति ग्रहण की।

इस रीति का दुष्प्रयोग बहुत हो सकता है अतः इसको केवल आपत्तिकाल में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिये।

१८ अन्य रीतियाँ (Other Methods)—साख नियन्त्रण की अन्य रीतियों का नक्षेप में विवेचन किया जा सकता है। सीधी कार्यवाही का एक मार्ग होता है। इसका अर्थ है दबाव डालने वाली नीति, अर्थात् जिन बैंको की साख नीति केन्द्रीय

बैंक की इच्छानुसार न हों, उनकी हुड्डियों में पुन कटाती करने से इन्कार करना। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक सदस्य-बैंकों से प्रार्थना कर सकती है तथा उन्हें ममता सकता है कि सट्टे या अनावश्यक अभिप्रायो के लिये ऋण को न बढ़ावें। कानून द्वारा केन्द्रीय बैंक को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह सदस्य बैंकों की न्यूनतम रक्षित निधि को परिवर्तित कर सकें। अन्त में, प्रचार का माधन भी प्रयुक्त होता है। पाक्षिक आरुडे, निश्चित समय पर द्रव्य वाजार की दशा का पुनर्विलोकन, सार्वजनिक वित्त, व्यवसाय तथा उद्योग की तलपट के रूप में आदेय तथा देनदारी का पाक्षिक विवरण आदि प्रकाशित करना।

सेन्ट्रल बैंक की साख नियन्त्रण शक्ति के विषय में काउथर ने लिखा है "देश में उपलब्ध द्रव्य मात्रा का नियन्त्रण करने की सेन्ट्रल बैंक की नीमा है। किन्तु ये नीमाएँ विस्तृत तथा लोचदार हैं। इसलिये जहाँ तक द्रव्य की मात्रा का सम्बन्ध है, सेन्ट्रल बैंक का आधुनिक समाज में नियन्त्रण काफी भारी है। इस प्रश्न का, "मीजूदा द्रव्य की मात्रा कौन निश्चित करता है?" उत्तर यह है "सेन्ट्रल बैंक की नीति, सामान्य रूप से जो कि अपना विवेक काम में लाते हैं उस नीमा के अन्दर, विस्तृत है, अपने क्षेत्र में केन्द्रीय बैंक स्पष्ट रूप से डिक्टेटर के समान हैं।"^१

१६ अन्तिम ऋणदाता (Lender of Last Resort)—आपान वाल में नकदी की माँग पूरा करने का काम केन्द्रीय बैंक का है। जब लोगों में हलचल फैल जाती है और उनकी निष्ठा कम हो जाती है, जब दूसरे बैंकों में भी गडबड होने लगती है तो सेन्ट्रल बैंक निर्भयता से सामने आता है और नकदी देकर उन भय को कम करता है। इतने तरल अधिमान की स्थिरता पर सिर्फ सेन्ट्रल बैंक ही काबू पा सकता है। इस स्थिति के लिए सेन्ट्रल बैंक के विधान में ऐसे उपबन्ध होने ह कि वह नियमित राशि से अधिक नोट जारी कर सके।

इसके लिए हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उदाहरण पेश कर सकते हैं जिनने इन ओर बड़ा सफल कार्य किया है। कृषि वित्त की उन्नति, बैंक सुधार कार्य, उद्दरनन्द बैंकों की सहायता, महाजनो की बैंकिंग सस्थाओ को आधुनिक बैंको में मिलाना आदि ऐसे कार्य हैं।

२०. केन्द्रीय बैंको का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Central Banks)—पिछले कुछ वर्षों में कई केन्द्रीय बैंको का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। इनमें बैंक आफ इंग्लैण्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक प्रधान हैं।

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि ये बैंक सार्वजनिक सम्पत्ति में समझी ही जाती हैं। इनके भागीदारों के हित की अभिवृद्धि के म्यान पर राष्ट्रीय वित्त की अभिवृद्धि होती है। केन्द्रीय बैंक एक निश्चित नीमा ने जखिन लभाय (dividend) नहीं घोषित कर सकता। हिस्सेदारों को उतना ही मिलता है जितना सरकारी प्रनिभूनिगो में रपया लगाने वाली को। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक इन्हें कुछ राष्ट्रीय सम्पत्ति

होती है। यदि वास्तव में ये ऐसी है तो कानूनन उनको ऐसा क्यों न घोषित कर दिया जाय ?

दूसरे, सरकार हिस्सेदारों के हितों पर विशेष ध्यान रखे बिना, राष्ट्रीय हित में और अधिक दृढ़तापूर्वक तथा मुचाह रूप से कार्य कर सकेगी। सचालकगण कुछ व्यक्तियों के प्रतिनिधि न होकर सरकार द्वारा मनोनीत (nominated) होंगे। हिस्सेदारों के प्रतिनिधि होने की दशा में उनको कुछ तत्सम्बन्धी बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। किन्तु सरकारी तौर पर मनोनीत होने पर उनका दृष्टिकोण विलकुल बदल जायेगा।

तीसरे, केन्द्रीय बैंक जमा रकम पर कोई व्याज नहीं देता, अतः उसे बहुत लाभ होता है। राष्ट्रीयकरण हो जाने पर यह लाभ समाज को होगा, हिस्सेदारों की सीमित मर्यादा को नहीं।

चौथे, केन्द्रीय बैंक प्रधानतया सरकारी काम करता है, करो आदि का संग्रहण (collection), सरकारी ऋणों का प्रवन्ध आदि। मुद्रा की निकासी पूर्णतया सरकारी कार्य है, जिसे केन्द्रीय बैंक करता है। जनता को ठोस तथा पक्की मुद्रा का दिया जाना महान् राष्ट्रीय महत्त्व का विषय है। अतः यह उचित ही है कि केन्द्रीय बैंक सरकारी हो।

पाचवे, केन्द्रीय बैंक का कारोवार क्रमवद्ध होता है तथा एकाधिकार के रूप में है, अतः राजकीय प्रवन्ध के अन्तर्गत मुचाह रूपेण चल जाता है।

आजकल समाजवाद की वृद्धि है। केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण से जनता की इच्छाओं की पूर्ति होगी तथा समाजवाद की ओर कदम बढ़ेगा।

राष्ट्रीयकरण के विरोधी नीकरशाही के भूत को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। वे कहते हैं कि बैंकिंग व्यावसायिक उद्यम है, तथा उसका पूर्णतया व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार चलाया जाना जरूरी है। स्थायी राजकीय कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकेंगे। उनका पद स्थायी होता है तथा सेवाकाल के आधार पर उनकी तरक्की होती है। अतः अच्छा काम करने की सारी भावना तथा प्रेरणा मारी जाती है। ये लोग सरकारी घिस-घिस में बंधे रहते हैं।

इसके अतिरिक्त बैंकिंग के कारोवार के लिये विशेष ज्ञान अपेक्षित है तथा सामान्य मंत्री इसे नहीं समझ सकता। अतः उसे अपने स्थायी कर्मचारियों के हाथ में रखना पड़ेगा।

यह भी कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केन्द्रीय बैंक पूर्णतया राष्ट्रीय हितों के आधार पर संचालित हो रहा है। शेयरहोल्डर्स को जो लाभ मिलता है, वह बहुत अधिक नहीं है। केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण का सबसे बड़ा खतरा यह है कि केन्द्रीय बैंक को राजनीतिक दलबन्दी की चालों में कहीं दान पर न रखा दिया जाय। विचारहीन मंत्रिमण्डल द्वारा केन्द्रीय बैंक का उपयोग दल का मतानुसार करने के लिये किया जा सकता है न कि समूचे राष्ट्र के कल्याण के हेतु। आइयर का ज्ञान है, "पूर्ण सेंट्रल बैंक का मुख्य कार्य लोक भावना के विह्वल तैरना है,

जो कभी अति आशावादी होती है तो कभी अत्यधिक निराशावादी। राज्य की ओर से यदि सेन्ट्रल बैंक की नीति गणतन्त्र के लिए लोकप्रिय होने की रहे तो यह अन्त में हानिकारक होगी।" इस पर "अन्तिम रूप से सरकारी नियन्त्रण तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अन्तिम नियन्त्रण का श्रेणीबद्ध कार्यक्रम विषय सही बात से लेकर दिन प्रति दिन हस्तक्षेप तक, जहाँ सेन्ट्रल बैंक की स्वतन्त्रता गुरु होती है, सिद्धान्त की बात न होकर कार्य-साधक होने का विषय है।"

सारी स्थिति को समझ कर हम यह कह सकते हैं कि केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण ने अपने औचित्य को सिद्ध कर दिया है, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीयकरण के खतरों को अधिकतर बढा-चढा कर प्रदर्शित किया गया है।

२१ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development)—सन् १९४५ में दूसरी लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन लड़ाई के कारण जो विभिन्न देशों को महान क्षति पहुँची थी, उसे दूर करना वाक़ी थी। आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य बहुत ही आवश्यक था। इस कार्य के लिये केवल राजनीतिक उपाय ही पर्याप्त न थे। इस समस्या के हल के लिये अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था (फ्रानिस्तको) और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सस्था (हवाना) तथा ब्रैटन वुड्स (Bretton Woods) सम्मेलन के फलस्वरूप दो सस्थाओं का जन्म हुआ—एक तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (International Bank of Reconstruction and Development)।

इस बैंक का मुख्य उद्देश्य युद्ध-पीडित देशों के पुनर्निर्माण तथा पिछड़े हुए देशों के विकास में सहायता पहुँचाना है। इस कार्य के लिये यह बैंक दीर्घकालीन वित्त प्रदान करता है। अपनी पूँजी से ही नहीं बल्कि बाड द्वारा सग्रह की गई पूँजी ने भी यह बैंक दीर्घकाल के लिये माख की व्यवस्था करता है। उसके बाड के बिकने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इनके पीछे सभी सदस्य-देशों की गारंटी है। इसके अलावा यह बैंक व्यवितगत सस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों पर ३ या १ प्रतिशत कमीशन के ऊपर गारंटी दे सकता है। इससे विदेशों में पूँजी-विनियोग के कार्य को प्रोत्साहन मिलता है। यह बैंक पुनर्निर्माण कार्य के लिये दिये गये ऋण को प्राथमिकता देता है, फिर भी यह पिछड़े हुए देशों की विकास योजनाओं की ओर काफी ध्यान देता है। व्यापारिक सम्बन्धों को बहुमुखी आधार पर पुनः स्थापित करने में भी यह सहायक होगा।

संसार के ५० प्रमुख देश (रुस को छोड़ कर) इन बैंक के सदस्य हैं और इनकी कुल पूँजी ९ बिलियन डालर^१ है। इनमें अमेरिका का हिस्सा एक-तिहाई है। भारत का अंश ४०० मिलियन डालर है। अन्य देशों के हिस्से इस प्रकार हैं—इंग्लैण्ड १०० मि. डा, चीन ६०० मि डा, फ्रांस ४५० मि डा। सदस्य देशों ने अपने हिस्से का २०

१. ३१ मार्च, १९५२ में इनके सदस्यों की संख्या ५४ थी।

प्रतिशत दे दिया है और अब निकट भविष्य में शायद उन्हें और न देना पड़े। इम २० प्रतिशत में हर सदस्य देश को १८ प्रतिशत अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में और शेष २ प्रतिशत माने या डालर में देना पड़ता है।

बैंक की सहायता से सदस्य देश अपने उपलब्ध साधनों को पूर्ण रूप से उपयोग में लाकर जीवन-स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। ससार के पिछड़े हुए क्षेत्र—एशिया, अफ्रीका, भारत, लेटिन अमरीका—अब अपने-अपने देशों में उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं।

बैंक के कार्य उचित व्यावसायिक सिद्धान्त के अनुसार चलाये जाते हैं। ऋण देने के पहले सब आवश्यक आर्थिक बातों और परिस्थितियों की पूरी जाच-पड़ताल कर ली जाती है। बैंक केवल यही बात नहीं देखता कि जिस काम के लिये ऋण मागा जा रहा है, वह ठीक है या नहीं। वह यह भी देखता है कि उस देश की आर्थिक दशा किस प्रकार की है। इम उद्देश्य की पूर्ति के लिये बैंक केवल पत्रों आदि की ही जाच नहीं करता, वरन् कुछ कर्मचारियों को उम स्थान पर भेजता है जिससे वे स्वयं अपने आप वहा की स्थिति को समझे। बैंक उम समय तक उधार नहीं देता जब तक उसे यह निश्चय नहीं हो जाए कि (क) उधार लेने वाले देश की समूची आर्थिक व्यवस्था ठीक है, और वहाँ की नीति तथा व्यवहार से यह धारणा न बन जाए कि वहाँ बहुत जल्दी ही ठीक हालात पैदा हो जाएंगे, यदि वह देश सकट में से गुजर रहा हो, (ख) अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा विकास की समूची योजना ठीक प्रकार बनी है और उन्हें इस प्रकार चलाया जा रहा है जिससे आर्थिक व्यवस्था ठोस होगी, तथा (ग) वे परियोजनाएँ (Projects) जिनका वित्त-पोषण बैंक द्वारा हो रहा है, उचित रूप में टैक्नीकल टग से तैयार हुई हैं और उनका निर्माण वित्तीय तथा आर्थिक रूप में न्यायसंगत है।

उधार लेने वाले देश के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह अपने बजट की ओर से मतर्क रहें। मजरी तथा कीमतों के स्थायी सम्बन्ध को भी ध्यान में रखें। उपलब्ध भौतिक, परिवहन तथा शक्ति स्रोतों की भी क्रियाशील उपयोगिता बनी रहे। देश के भीतर मीमा में आने वाले माल का तथा आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं की मात्रा आदि का, तथा राष्ट्रीय जीवन के ऐसे सभी विभिन्न अंगों का जिनसे स्वस्थ आर्थिक स्थिति का पना चलता है।

१९८१ में बैंक के उपाध्यक्ष श्री होर उधार के सिलसिले में भारत आए तो उन्होंने बैंक के कामों की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि बैंक इतना अवास्तविक नहीं है कि वह पूर्णता की आशा करे, बल्कि इसका काम तो तथ्यों की वास्तविकता की जाच करना है तथा ऐसी निश्चित और चातुर्य पूर्ण नीति का अनुसरण करना जिसमें वह आगे बढ़कर किसी भी ऐसी आर्थिक व्यवस्था के मार्ग की बाधा दूर करे जो उसके स्वस्थ विकास में बाधक है। जहाँ तक किनी विशेष परियोजना के वित्त-पोषण का प्रश्न है, किसी परियोजना के विषय में बचन नहीं देना चाहिए, जब तक (क) यह सुरक्षित विकास के सामान्य ढाँचे में पूरी नहीं उतरती, (ख) आवश्यक न हो, (ग) इमका पूरा होना सम्भाव्य न हो, (घ) नोमिन काल में पूरा होने की आशा न हो तथा इससे प्राप्त

होन वाले लाभ इसके अभाव में पाए गए विकल्पों से अधिक उपयोगी न हों, (ड) दूसरी परियोजनाओं के साथ पूरक तथा स्पष्टीकृत न हों, (च) ननुलन आदि विषयों का मूल्यांकन तब न हो चुका हो जिनमें काम में लगाए जाने वाले सलाहकारों, ठेकेदारों तथा इंजीनियरों का हित सम्बन्धित है।

थोड़े से समय में ही आई बी आर डी (I. B. R. D.) ने कई महत्वपूर्ण ऋण दिए हैं। इसका पहला बड़ा ऋण जो २,५०० लाख डॉलर था, फ्रांस को मिला। इसके पश्चात् २,६३० लाख डॉलर के ऋण नीदरलैंड, डेनमार्क, लक्सम्बर्ग तथा चिली आदि देशों को दिए गए। ३४० लाख डॉलर का ऋण मेक्सिको में विद्युत शक्ति विकास के लिए दिया गया। १९५२ के राजकोपीय वर्ष में, बैंक ने १९ ऋण २९४६ लाख डॉलर के दिए जबकि १९५०-५१ में ३८५७ लाख डॉलर के मजूर किए गए थे। पिल्ले पांच वर्षों में (१९४७-५२ तक) बैंक ने ६८ ऋण २७ देशों को दिए जिसकी राशि १४१२ $\frac{१}{२}$ करोड़ डॉलर थी। इनके अलावा कई टेक्नीकल मिशन भी भेजे। ऋण की अवधि १५-२० वर्ष है। बैंक की व्याज दर २ $\frac{३}{४}$ % तथा ४ $\frac{३}{४}$ % है और १% कमीशन बैंक के विशेष रिजर्व के नाम जमा करनी पड़ती है। ये प्रायः सभी ऋण कृषि उत्पाद की उन्नति के लिए दिए गए तथा कम विकसित देशों में आधारभूत उपयोगिताएँ पूरी करने के लिए। उद्योगों के लिए दिया गया ऋण अपेक्षाकृत कम है। कुल मिलाकर ३०० करोड़ डॉलर की राशि से २५० परियोजनाओं पर काम चालू है और इनमें से कुछ पूरी हो चुकी है। बैंक के अध्यक्ष श्री यूजिन ब्लेक ने १९५२ के सितम्बर मास में अपनी रिपोर्ट में बताया कि बैंक शूमान योजना (Schuman Plan) की आर्थिक सहायता करने की सम्भावना की जांच करेगा जिसके अनुरार पश्चिमी यूरोप के कोयले तथा इस्पात उद्योगों के एकीकरण का प्रश्न है। यह बात माननी पड़ेगी कि जहाँ तक बैंक के स्रोतों का प्रश्न है वे यूट्रु द्वारा नष्ट हुए देशों तथा अर्धविकसित देशों के विकास के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अनन्त राशि देने में समर्थ हैं।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने ३४० लाख डॉलर का ऋण इजिन खरीदने के लिए, १०० लाख डॉलर कृषि विकास तथा मशीनों, जैसे सेन्ट्रल इंजिनरिंग नगठन को मशीनें खरीदने को दिया जिसमें कान्त नामक गहरी खास को निकाल कर भूमि कृषियोग्य बनाई जा सके, और १८५ लाख डॉलर नदी घाटी योजनाओं के लिए दिया। इन योजनाओं की जांच के लिए कई टेक्नीकल मिशन भेजे गए। १९५१ के अन्तिम महीनों में एक टेक्नीकल मिशन भारत का दौरा करने आया। उसका काम प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आयोजन, वित्त तथा निष्पादन आदि बातों के बारे में जानकारी हासिल करनी थी। मई १९५१ में बैंक के प्रतिनिधियों ने औद्योगिक वित्त निगम की सहायता के बारे में विचार किया जो उद्योगों के लिए थोड़े समय तथा दीर्घ अवधि के लिए ऋण का प्रवन्ध करे। जून १९५२ में बैंक स्टाफ का एक सदस्य दामोदर घाटी योजना के बारे में अध्ययन करने आया। एक अन्य मिशन भारत में लोहा तथा इस्पात उद्योग में सम्बन्धित टेक्नीकल और वित्तीय समस्याओं का अध्ययन करने आया। बैंक ने सिन्धु नदी घाटी योजना के प्रति भी कुछ रूचि प्रकट की है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त (THEORY OF INTERNATIONAL TRADE)

१ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् सिद्धांत क्यों ? (Why Separate Theory of International Trade) -- अभी तक हम एक ही देश की वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय की समस्याओं के विषय में चर्चा कर रहे थे । अब हम उन समस्याओं का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न देशों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से सम्बन्धित हैं ।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि आन्तरिक व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्तर किस्म का भेद नहीं है बल्कि मात्रा (degree) का है । मूल सिद्धान्त दोनों में एक ही है । आन्तरिक व्यापार, देशीय व्यापार (home trade) की भाँति, श्रम-विभाजन का फल है । व्यापारी लोग आन्तरिक व्यापार में उन वस्तुओं का उत्पादन करने में विशेषता हासिल करने का प्रयत्न करते हैं, जिनमें अधिकतम तुलनात्मक लाभ होता है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ऐसा ही होता है ।

देशीय तथा विदेशी व्यापार में कुछ ऐसे भेद हैं जिनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् सिद्धान्त बनाने की आवश्यकता होती है ।

पहला कारण यह कि देश में श्रम तथा पूँजी की गतिशीलता विभिन्न देशों के बीच की अपेक्षा अधिक होती है । इस भिन्नता का बहुत महत्त्व है । इसके कई कारण भी हैं । श्रम के विषय में एडम स्मिथ ने कहा है, "समस्त वस्तुओं में मनुष्य का परिवहन (transport) अत्यन्त कठिन है ।" भाषा, परम्परा, धर्म, रीति-रिवाज, सामाजिक तथा राजनीतिक दशाओं के अन्तर उनको अपने ही देश में रखते हैं । पूँजी श्रम से अधिक गतिशील होती है, परन्तु इसे भी लोग अपने ही देश में विभिन्न कारणों से लगाना अधिक पसन्द करते हैं । पूँजी लगाने वाले अपने देश में पूँजी लगाने में अपने को अधिक सुरक्षित समझते हैं ।

विभिन्न देशों में श्रम तथा पूँजी की कम गतिशीलता के कारण प्रतियोगिता एक देश के विपरीत दूसरे देशों में एक प्रकार की वस्तुओं की उत्पादन-लागत को समान रखने में असमर्थ रहती है । यही कारण है कि भिन्न-भिन्न देशों को भिन्न-भिन्न वस्तुओं के उत्पादन में असमान लाभ होता है । अतएव विभिन्न देशों के बीच प्रतियोगिता नहीं रहती । दो देशों के बीच में श्रम तथा पूँजी के गतिशील न होने का एक दूसरा परिणाम भी होता है । एक देश में किमी वस्तु की कीमत उमकी उत्पादन-लागत के समान हो जाती है क्योंकि श्रम तथा पूँजी एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आ-जा सकते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा नहीं होता । श्रम तथा पूँजी के गतिशील न होने के कारण

कीमत तथा उत्पादन-लागत बहुत कम समान हो पाते हैं ।

दूसरे, लाभ में अन्तर प्राकृतिक कारणों जैसे भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु की दशाओं द्वारा भी हो सकता है । इसमें उद्योगों का स्थानीकरण हो जाता है । उदाहरणार्थ, कुछ देशों में विशिष्ट खनिज पदार्थ जैसे कोयला, लोहा, तांबा होते हैं । दूमरों में जलवायु अथवा भूमि कुछ फसलों के योग्य होती है, जैसे बंगाल प्रान्त में जूट । या तो यह लाभ दूसरे देशों को हस्तांतरित नहीं किये जा सकते अथवा उनकी हस्तांतरण लागत बहुत अधिक होती है ।

तीसरे, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ समस्याएँ इस बात से उत्पन्न होती हैं कि वे देश स्वतन्त्र राज्य होते हैं और द्रव्य, बैंकिंग कानून, विदेशी ऋण, कीमत, मजदूरी आदि के सम्बन्ध में स्वतन्त्र नीति अपना सकते हैं । सीमाओं के बाहर जाने वाली वस्तुओं पर राज्यों द्वारा रोक लगाई जा सकती है, प्राकृतिक तथा सामाजिक बाधाओं के कारण भी वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाई जा सकती ।

इन सब कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् सिद्धान्त है ।

२. तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त (The Theory of Comparative Costs)—रिकाडों ने सब से पहले तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया था । उन्होंने बताया कि एक ही देश में भिन्न-भिन्न व्यवसायों में लाभ समान होता है, परन्तु विभिन्न देशों में ऐसा नहीं होता । इसका कारण यह है कि देश के अन्दर श्रम गतिशील होता है, परन्तु भिन्न-भिन्न देशों के बीच नहीं । गणित के उदाहरण द्वारा उन्होंने बताया कि यदि पुर्तगाल, इंग्लैण्ड की अपेक्षा सस्ता कपड़ा तथा शराब पैदा कर सकता है, तो भी पुर्तगाल के लिए यह लाभदायक होगा कि वह शराब में लगा रहे, जिसमें उसको अधिक तुलनात्मक लाभ है और कपड़े का इंग्लैण्ड से आयात करे । जे० एम० मिल ने यह बताया कि तुलनात्मक लागत की नीमाओं के बीच में विनिमय दर हर देश की दूसरे देश की वस्तुओं की माग की शक्ति पर निर्भर होती थी, वशर्त कि साम्य-स्थिति पर आयात निर्यात के बराबर हो ।

जे० ई० कैयरन ने रिकाडों की इन कल्पना पर आक्षेप किया कि उत्पादन के साधन एक देश के अन्दर ही गतिशील होते हैं, कई देशों के बीच नहीं । तो भी, वह मानने पे कि एक देश के अन्दर प्रतियोगिता न होने वाले समूहों के होते हुए भी उत्पादन के साधनों की गतिशीलता लाभ को समान करने के लिए पर्याप्त थी । किन्तु ऐसा विभिन्न देशों के बीच नहीं हुआ । इन भाँति पुरातन सिद्धान्त कैयरन द्वारा पूर्ण हुआ । अब यह विशयान किया जाता है कि जब एक देश के अन्दर वस्तुओं का विनिमय दर उनकी लागत के अनुपात में होता है तो विभिन्न देशों में एक दूसरे की भाग डमें निश्चित करती है ।

यद्यपि यह प्रतिष्ठित सिद्धान्त प्रधानत आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा मान्य है, तो भी, उसकी दृढ़ता तथा व्याख्या करने में कुछ सुधार कर दिये गये हैं । यह सुधार इन प्रकार हैं :

(1) पुगतन अर्थशास्त्रियों ने लागत का माप श्रम के अनुसार किया। आधुनिक लेखक सिद्धान्त को सीमान्त लागत में उत्पादन के साधनों की सापेक्ष न्यूनता की मात्रा का वर्णन करते हुए प्रस्तुत करते हैं।

(11) रिकार्डों के सिद्धान्त ने यह मान लिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिर प्राप्ति का नियम लागू होता है। आधुनिक लेखकों ने इस साधारण वर्णन का वृद्धि तथा ह्रास नियम के प्रभावों को दिखाते हुए विस्तार किया है। अतएव यदि उत्पादन के पैमाने में वृद्धि से प्रति इकाई लागत कम हो जाती है, तो तुलनात्मक लाभ बढ़ जायगा। दूसरी ओर, यदि अधिक उत्पादन से प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है, तो तुलनात्मक लाभ घट सकता है अथवा समाप्त हो सकता है।

(111) रिकार्डों के सिद्धान्त ने विनिमय की शर्तों की व्याख्या नहीं की। एडम स्मिथ प्रारम्भिक समर्थक बाजार के भाव 'मोल तोल' ('higgling') करने पर, जो एक अनिश्चित शब्द है, आश्रित थे। आधुनिक विश्लेषण के अनुसार विनिमय का अनुपात प्रत्येक देश की दूसरे देश की वस्तुओं की माग की लोच से निश्चित होता है।

ऊपर लिखे हुए सुधारों के अनुसार अब हम तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त (theory of comparative costs) का आधुनिक वर्णन करेंगे।

मारा व्यापार इसलिए होता है कि उत्पादन-लागत में अन्तर होता है। ऐसे अन्तर तीन प्रकार के हो सकते हैं —

- (1) लागतों में पूर्ण अन्तर,
- (11) लागतों में समान अन्तर, तथा
- (111) लागतों में तुलनात्मक अन्तर।

व्यापार (1) तथा (11) में सम्भव है, परन्तु (111) में नहीं। हम इसको उदाहरण देकर समझा सकते हैं।

(1) पूर्ण अन्तर (Absolute Differences)

क देश में	{ गेहूँ के उत्पादन की सीमान्त लागत ५ रु० प्रति मन है।
	{ कपास के उत्पादन की सीमान्त लागत १० रु० प्रति मन है।
ख देश में	{ गेहूँ के उत्पादन की सीमान्त लागत १० रु० प्रति मन है।
	{ कपास " " " ५ रु० " " ।

चूँकि कीमत उत्पादन की सीमान्त लागत के बराबर होती है, इसलिए क देश में १ मन गेहूँ, ३/४ मन कपास के बदले में दिया जायगा। और ख देश में १ मन गेहूँ का विनिमय २ मन कपास के बदले में होगा।

इस प्रकार —

		लागत अनुपात
क देश में	१ गेहूँ = ३/४ कपास	१ . २
ख देश में	१ गेहूँ = २ कपास	१ ३/४

इस प्रकार क को गेहूँ में और ख को कपास में पूर्ण लाभ है। क गेहूँ के उत्पादन में तथा ख कपास के उत्पादन में लग जायगा। क को तब तक लाभ होगा, जब तक

कि वह १ मन गेहूँ के बदले $\frac{1}{2}$ मन कपास से अधिक पा सकता है। ख को तब तक लाभ होगा, जब तक कि वह १ मन गेहूँ २ मन कपास से कम के बदले में पा सकता है। विनिमय का अनुपात १ मन गेहूँ के लिए $\frac{1}{2}$ तथा २ मन कपास के बीच में कही होगी। वास्तविक दर प्रत्येक पक्ष की दूमरे देश की वस्तुओं की माग की सापेक्षिक लोच पर निर्भर होगी। इस को हम आगे देखेंगे।

पूर्ण लाभ के कारण व्यापार समशीतोष्ण कटिबन्ध तथा अयनवृत्त वाले प्रदेशों में पाये जाते हैं।

(11) समान अन्तर (Equal Differences)

जब तुलनात्मक लाभ समान होता है, तो दोनों पक्षों के बीच कोई स्थायी व्यापार नहीं हो सकता। अन्तु,

क देश में	{	गेहूँ के उत्पादन की सीमान्त लागत ५) २० प्रति मन है।
		कपास के उत्पादन की सीमान्त लागत १०) २० प्रति मन है।
ख देश में	{	गेहूँ के उत्पादन की सीमान्त लागत ४) २० मन है।
		कपास के उत्पादन की सीमान्त लागत ८) २० प्रति मन है।

इस प्रकार

		लागत अनुपात
क देश में	गेहूँ की १ इकाई = $\frac{1}{2}$ कपास की इकाई	१ : २
ख देश में	गेहूँ की इकाई = $\frac{1}{2}$ कपास की इकाई	१ : २

उपर्युक्त दशाओं में विशिष्टीकरण से किन्हीं भी पक्षों को कोई लाभ न होगा। यदि क गेहूँ में विशिष्ट है और ख कपास में, तो क को केवल तभी लाभ हो सकता है, जबकि १ मन गेहूँ उसको $\frac{1}{2}$ मन से अधिक कपास प्रदान करता है। परन्तु ख १ मन गेहूँ के बदले $\frac{1}{2}$ मन से अधिक कपास न देगा, क्योंकि वह घर पर साधनों को कपास से हटाकर और गेहूँ में लगाकर इतना उत्पादन कर सकता है। यदि व्यापार प्रारम्भ भी हो जाय, तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, व्यापार थोड़े समय में समाप्त हो जायगा।

(111) लागत में तुलनात्मक अन्तर (Comparative Differences in Costs)—जब तुलनात्मक लाभ भिन्न हों तो व्यापार बढ़ेगा और चलता रहेगा।

इस प्रकार

क देश में	{	गेहूँ के उत्पादन की सीमान्त लागत ७) प्रति मन है।
		कपास के उत्पादन की सीमान्त लागत १४) प्रति मन है।
ख देश में	{	गेहूँ के उत्पादन की सीमान्त लागत ५) प्रति मन है।
		कपास के उत्पादन की सीमान्त लागत ७) प्रति मन है।

ऐसी दशा में ख देश, क देश की अपेक्षा गेहूँ तथा कपास क देश में सन्ती उत्पन्न कर सकता है परन्तु तुलनात्मक लाभ कपास के उत्पादन में गेहूँ के उत्पादन में अधिक है।

दूमरी ओर क देश की दोनों वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक हानि है, परन्तु

हानि गेहूँ में कपास की अपेक्षा कम है।

इस प्रकार —

क देश में गेहूँ का १ मन = ३ मन कपास

ख देश में १ मन गेहूँ = ५ अथवा ७१ मन कपास

लागत अनुपात

१ २

१ १३

अतएव ख देश की कपास के उत्पादन में तथा क को गेहूँ के उत्पादन में विशिष्ट होना अधिक लाभदायक होगा।

ससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि क देश में कपास तथा ख में गेहूँ का उत्पादन पूर्णतया बन्द हो जायगा। तुलनात्मक लागत सिद्धान्त केवल औसत लागत को बताता है। यदि ख में हर कपास के खेत की लागत क के हर कपास के खेत की लागत से कम है, तथा यदि क में हर गेहूँ के खेत की लागत ख के हर गेहूँ के खेत की लागत से कम है, तो क में कपास और ख में गेहूँ का उत्पादन न होगा। परन्तु ऐसा होना असम्भव है। क देश में कुछ ऐसे कपास के खेतों का होना आवश्यक है जिनकी लागत ख के कुछ कपास के खेतों से कम है। अतएव क में कुछ कपास और ख में कुछ गेहूँ का उत्पादन होगा।

व्यापार की क्या शर्तें होंगी? — ख को तब तक लाभ होगा, जब तक कि वह ७१ मन से कम कपास के बदले में १ मन गेहूँ पाता रहे। क को तब तक लाभ होता रहेगा, जब तक वह १ मन गेहूँ के बदले में ५० मन से अधिक कपास पाता रहे। विनिमय की दर इसके बीच में होगी—

१ मन गेहूँ = ५० मन कपास।

१ मन गेहूँ = ७१ मन कपास।

वास्तविक दर एक पक्ष की दूसरे पक्ष की वस्तुओं की माग की सापेक्षिक लोच (relative elasticities of demand) पर निर्भर करेगी।

यदि क की कपास की माग ख की गेहूँ की माग की अपेक्षा अधिक लोचदार है तो विनिमय दर क के लिये अधिक अनुकूल होगी। यह इस कारण है कि क कपास के लिये इतना उत्सुक न होगा। दूसरी ओर इसके विपरीत विनिमय दर ख के लिये अधिक अनुकूल होगी।

जब विनिमय दर क के लिये अनुकूल होगी तो वह १ मन गेहूँ = ७१ मन कपास की सीमा के निकट होगी। जब दर ख के लिये अनुकूल होगी तो वह १ मन गेहूँ = ५० मन कपास की सीमा के निकट होगी।

इस उदाहरण में लाभ की सीमा अधिक मकुचित है। वास्तविक व्यवहार में व्यापार उस समय होगा जब कि लाभ की सीमा अधिक विस्तृत होगी क्योंकि ऐसा होने पर असुविधाओं का व्यापार पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ेगा। इस तर्क में दो देशों को लिया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत दो से अधिक वस्तुएँ तथा दो से अधिक देश बिना मूल सिद्धान्तों को भंग किए, शामिल किए जा सकते हैं।

तुलनात्मक लागत का यही सिद्धान्त है तो फिर विदेशी विनिमय के क्षेत्र में इसके प्रयोग में कहा अन्तर पड़ता है ?

हम प्रारम्भ में कह चुके हैं कि सब प्रकार का व्यापार लागत में अन्तर होने के कारण

होता है। एक ही देश में उत्पादन के साधनों के एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय तक सरलतापूर्वक गतिशील होने के कारण तुलनात्मक लागत में भेद के लोप हो जाने की प्रवृत्ति होती है। अतएव वस्तुएँ एक ही देश के अन्दर अपने उत्पादन की सीमान्त लागत के अनुसार विनिमय की जाती हैं। उत्पादन के साधनों के गतिशील न होने के कारण यह सामजस्य देशों के बीच में नहीं हो सकता। इस भाँति तुलनात्मक लागत में न्यायी अन्तर हो जाता है, जिससे, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लाभप्रद हो जाता है। परन्तु तुलनात्मक लागत में ऐसे अन्तर एक ही देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में हो सकते हैं, क्योंकि इन प्रदेशों के बीच उत्पादन-साधन गतिशील नहीं होते। इस प्रकार एक ही देश में प्रतियोगिता न होने वाले समूह ('non-competing groups') भी हो सकते हैं, उस दशा में तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त देशीय व्यापार में भी लागू होगा। यही कारण है कि आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात को नहीं मानते कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रस्तुत करने के लिये एक विशेष सिद्धान्त की आवश्यकता है। परन्तु चूँकि तुलनात्मक लागत में अन्तर विभिन्न देशों में एक देश के भिन्न क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है इसलिये राष्ट्रों के बीच व्यापार पर विचार करते समय इन सिद्धान्त पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है।

हम तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को इस भाँति मक्षेप में कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत से कार्य करने के योग्य है, परन्तु वह सब कार्य नहीं करता। वह केवल उनी कार्य को चुन लेता है, जिससे उसे सबसे अधिक लाभ होता है। एक चिकित्सक कम्पाउण्डर का भी कार्य कर सकता है, परन्तु वह ऐसा नहीं करता। एक वकील टाइप का कार्य कर सकता है पर वह उसे नहीं करता, तथा एक प्रोफेसर अपने लडके को स्वयं पढ़ा सकता है, परन्तु वह ऐसा नहीं करता। इन सब मनुष्यों के लिये यह लाभ-दायक होता है। समाज का भी इसी में लाभ है कि कम महत्व के कार्यों को दूसरों पर छोड़ दिया जाये। ऐसी दशा में समय तथा शक्ति को अधिक लाभ के कार्यों में लगाया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी यही सिद्धान्त कार्य करता है। जलवायु, खनिज पदार्थों तथा अन्य प्राकृतिक साधनों का वितरण भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक वनावट का ध्यान रखते हुए, प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं के उत्पादन के लिये दूसरों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है। यह प्रत्येक देश तथा समस्त संसार के लिये लाभदायक होगा कि हर देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्ट हो, जिसमें उसको सापेक्ष लाभ है। ऐसी दशा में उन देश के उत्पादन के साधन पारितोषिक रूप में अधिक उपयोग में आ पायेंगे। उन वस्तुओं में जो यह निर्धारण करते हैं कि किन-किन वस्तुओं के उत्पादन में कोई देश लगेगा, हम विनिमय दर, एकाधिकारी तत्त्व, हस्तांतरित लागत, साधनों की कीमतें तथा उनकी मृत्तनात्मक कार्य-क्षमता को शामिल कर सकते हैं। एक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में लगेगा जिनमें हस्तांतरित लागत और साधनों की कीमतें कम हैं लेकिन उत्पादन कार्य-क्षमता अधिक है।

साधारणतः वस्तुएँ वहाँ पैदा की जाती हैं, जहाँ उत्पादन-लागत सबसे कम होतीं

है। परन्तु यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार नहीं है। वास्तव में तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि एक देश कुछ वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्ट हो और अन्य वस्तुओं का आयात करे चाहे वह उनको कम लागत पर उत्पन्न कर सकता हो। इंग्लैण्ड डेन्मार्क में दूध के पदार्थों का आयात करता है, यद्यपि उनके उत्पादन की लागत इंग्लैण्ड में कम है। कारण यह है कि इंग्लैण्ड श्रम तथा पूँजी को अन्य दिशा में लगाकर अधिक लाभ कर लेता है, जैसे मशीनो आदि में, और पनीर तथा मक्खन के खरीदने में जो हानि होती है, वह पूरी कर ली जाती है। अतएव तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इस प्रकार लागू होता है कि प्रत्येक देश वही वस्तु उत्पन्न नहीं करता, जो दूसरे देशों की अपेक्षा सस्ती उत्पन्न कर सकता है, प्रत्युत वह वस्तुएँ जिनको वह अधिकाधिक सापेक्ष लाभ अर्थात् कम से कम तुलनात्मक लागत पर उत्पन्न कर सकता है।

दूसरे आर्थिक नियमों की भाँति तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त भी केवल एक प्रवृत्ति का विवरण है। वास्तविक व्यवहार में सिद्धान्त का प्रयोग भाषा, रीति-रिवाज, धर्म के अन्तर तथा श्रम और पूँजी के केवल आर्थिक महत्त्व से संचालन न होने के कारण ठीक तरह से नहीं होता। उन पर राजनीतिक प्रवृत्ति, व्यापारिक व्यवहारों तथा सामान्य सुरक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। परिवहन की लागत तथा उत्पादन-लागत के व्यवहार दूसरे सीमित करने वाले अंश हैं। विशिष्टता उत्पादन के परिमाण को बढ़ाती है, परन्तु यदि उद्योग में बढ़ती लागत का नियम लागू होता है, तो तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का लागू होना बन्द हो जायगा।

देश के पिछड़े होने की स्थिति में (Case of a Backward Country)

—यदि एक देश आर्थिक दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ है कि वह मसार को कुछ भी नहीं दे सकता और केवल क्रेता की दशा में सासारिक व्यापार में घुस सकता है, तो ऐसी दशा में क्या हाँगा? वास्तविक मसार में ऐसा संभव नहीं है। हर एक देश चाहे जितना भी वह पिछड़ा हुआ हो, कुछ न कुछ पूर्ति करने की स्थिति में होगा। साधारणतया ऐसे देश में मजदूरी कम होगी, तथा उसकी मुद्रा की भी कीमत कम होगी ताकि दूसरे देशों को इस देश से आयात करने में लाभ हो। विधिवत् विनिमय दर ऐसी भीमा पर निश्चित होगी कि उस देश के लिये उन वस्तुओं का आयात करने में जिनके उत्पादन में उसे सापेक्ष हानि अधिक है तथा उन वस्तुओं का निर्यात करने में जिनके उत्पादन में उसे सापेक्ष हानि कम है, लाभप्रद होता है। अतएव, 'एक ओर का व्यापार' वास्तविक मसार में एक अपूर्व घटना होगी, या यूँ कहिए कि पूर्णतया न होगी।

तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की व्याख्या करते समय हमने उत्पादन की द्रव्य-लागत की ओर संकेत किया था, परन्तु द्रव्य-लागत उन वस्तुओं के बीच का विनिमय सम्बन्ध बताती है, जो इसके अन्तर्गत होती हैं। फिर वास्तविक लागत का क्या अर्थ है? रिकार्डों के लिए श्रम-लागत वास्तविक लागत है लेकिन उत्पादन की लागत के अन्तर्गत कई अंश होते हैं।

वह लागत जो विनिमय-सम्बन्ध स्थापित करती है, अवसर अथवा सापेक्ष लागत

होती है। इन लागतों का कारण यह है कि एक देश के साधन उमकी माग की अपेक्षा सीमित होते हैं। यदि साधन एक कार्य के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं, तो उनको दूसरे प्रयोगों से हटाना होगा। मान लीजिए किनी देश में १ मन गेहूँ पाने के लिए साधनों को कपास के उत्पादन से हटाना पड़ता है और इस भाँति $1\frac{2}{3}$ मन कपास को त्यागना पड़ता है। अस्तु, उम देश में १ मन गेहूँ की लागत $1\frac{2}{3}$ मन कपास है। $1 : 1\frac{2}{3}$ का अनुपात दोनों वस्तुओं की लागत का अनुपात है। हम इसको तुलनात्मक लागत का अनुपात या अवसर-लागत का अनुपात अथवा हस्तांतरित लागत का अनुपात कह सकते हैं। क्योंकि यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की स्थानापन्न दर को बताता है।

यह प्रतिस्थापन (substitution) अनुपात देश-देश में भिन्न होते हैं। यह इस कारण होता है कि उत्पादन के भिन्न-भिन्न साधन भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न मात्रा में सीमित होते हैं। यदि यह साधन एक देश से दूसरे देश को स्वतन्त्रतापूर्वक गतिशील हो सकते तो न्यूनता की यह मात्राएँ सामान्य हो जाती। परन्तु क्योंकि, जैसा बताया जा चुका है, यह साधन देशों के बीच इतने गतिशील नहीं होते, इस कारण यह भिन्नता रहनी है और इसीलिए तुलनात्मक लागत के अनुपात में न्यायी भिन्नता उत्पन्न होती है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्भव होता है।

३. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतियोगिता क्यों ? (Why Competition in International Trade)—तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक देश को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्ट होना चाहिये, जिनमें उनको अधिकाधिक सापेक्ष लाभ हो। प्रत्येक देश की उत्पादक क्रियाओं का पृथक् क्षेत्र होगा; ऐसे विशिष्टीकरण से प्रतियोगिता की अपेक्षा सहयोग की आशा की जाती है, क्योंकि प्रत्येक देश अपनी विशिष्ट वस्तुओं की पूर्ति दूसरे देशों को करता है। परन्तु हम बहुधा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गलबोटू प्रतियोगिता पाते हैं, जिसे अधिकतर राष्ट्रीय स्पर्धा कहते हैं और उपरान्त युद्ध। इंग्लैंड और अमरीका का जापान में विरोध होने का कारण उसकी औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रधानता थी। फिर इसका क्या कारण है ?

जैसा हमने ऊपर बताया है, तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त केवल एक प्रवृत्ति का वर्णन है, जिसका प्रयोग नवर्षों के प्रभावों से नष्ट हो जाता है। यह सिद्धान्त स्वतन्त्र व्यापार पर आधारित समझा जाता है, जो विद्यमान नहीं होता। आर्थिक राष्ट्रीयकरण के कारण आयात-कर, कोटा-पद्धति (quota system), विनिमय नियन्त्रण आदि जैसे उपाय प्रयोग में लाये जाते हैं, जिसे वस्तुओं का स्वतन्त्र विनिमय नहीं हो पाता। अतएव विशिष्टीकरण पूर्ण नहीं होता तथा कुछ प्रतियोगिता का होना स्वाभाविक है।

दूसरे, तुलनात्मक लाभ ऐसा स्थापित तथ्य नहीं है, जिसका मान सभी देना करते हो। हम कदाचित् ही वह साम्यावस्था (equilibrium) अथवा स्थायित्व की दशा प्राप्त करते हैं, जब हम यह कह सकें कि प्रत्येक देश ने कुछ वस्तुओं के उत्पादन में निश्चित रूप से प्रधानता प्राप्त कर ली है। वास्तव में प्रत्येक देश नदीय प्रधानता की

दशा प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है। प्रत्येक देश यह जानने का भी प्रयत्न करता है कि उसका तुलनात्मक लाभ कहा है। अतएव कुछ वस्तुएँ एक ही समय में विभिन्न देशों में उत्पन्न की जाती हैं जिसमें उनमें प्रतियोगिता होती है।

प्राप्ति के घटते हुए नियम के भय से किसी देश में एक वस्तु का उत्पादन रूक जाता है तथा उसका कुछ अंश आयात करना पड़ता है। उस दशा में कुछ प्रतियोगिता होना स्वाभाविक है। यदि उद्योग में प्राप्ति का बढ़ता हुआ नियम लागू होता है, तो तुलनात्मक लागत का क्षेत्र विस्तृत हो सकता है।

४ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ (The Gain from International Trade)—सब व्यापारों की भांति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रम-विभाजन के कारण लाभ होते हैं। भिन्न देशों में श्रम-विभाजन सापेक्ष लागतों के अन्तरो और उत्पादन की पूर्ण लागत के अन्तरो के योग से उत्पन्न होता है। जब लागतों के अन्तर समान होते हैं तो शुद्ध लाभ प्राप्त नहीं होता। इसी अध्याय के विभाग २ में दिये उदाहरण को यह दिखाने के लिये ले सकते हैं कि (1) और (11) में कैसे लाभ हो जाता है, और (11) में क्यों नहीं होता।

(1) लागतों में पूर्ण अन्तर (Absolute Differences in Costs)—क देश में (जैसा कि लागत अनुपात से स्पष्ट है) उत्पादन साधनों की एक इकाई या तो १ मन गेहूँ का उत्पादन करती है अथवा ३ मन कपास का। ख देश में साधनों की एक इकाई या तो १ मन गेहूँ का उत्पादन करती है अथवा २ मन कपास का। यदि इनमें से प्रत्येक देश उत्पादन-शक्ति की दो इकाइयों को विशेषता दिये बिना लगाये तो संपूर्ण उत्पादन इस प्रकार होगा—

$$क = १ \text{ मन गेहूँ} + ३ \text{ मन कपास।}$$

$$ख = १ \text{ मन गेहूँ} + २ \text{ मन कपास।}$$

$$क + ख = २ \text{ मन गेहूँ} + २\frac{१}{२} \text{ मन कपास।}$$

यदि क देश केवल गेहूँ का उत्पादन करे और ख केवल कपास, तो उन्हीं उत्पादन के साधनों से इस प्रकार प्राप्ति होगी

$$क = २ \text{ मन गेहूँ}$$

$$ख = ४ \text{ मन कपास}$$

$$क + ख = २ \text{ मन गेहूँ} + ४ \text{ मन कपास}$$

इस प्रकार उन्हीं उत्पादन साधनों के विशिष्टीकरण से $१\frac{१}{२}$ मन अधिक कपास की प्राप्ति होगी। यह व्यापार से लाभ है।

(11) लागतों में समान अन्तर (Equal Differences in Costs)—दूसरी अवस्था में विशिष्टता के बिना और विशिष्टता के साथ संपूर्ण उत्पादन समान है।

विशिष्टता के बिना

$$क = १ \text{ मन गेहूँ} + ३ \text{ मन कपास}$$

$$ख = १ \text{ मन गेहूँ} + ३ \text{ मन कपास}$$

$$क + ख = २ \text{ मन गेहूँ} + ६ \text{ मन कपास}$$

विशिष्टीकरण से : जबकि क सिर्फ गेहूँ का उत्पादन करता है और ख सिर्फ कपास का ।

$$क = २ \text{ मन गेहूँ ।}$$

$$ख = १ \text{ मन कपास ।}$$

$$\frac{क + ख = २ \text{ मन गेहूँ} + १ \text{ मन कपास ।}}$$

(iii) लागतों में सापेक्ष अन्तर--(Comparative Differences in Costs) इस सूत्र में विशिष्टीकरण में आधिक्य (surplus) होता है ।

विशिष्टता के बिना :

$$क = १ \text{ मन गेहूँ} + ५० \text{ मन कपास}$$

$$ख = १ \text{ मन गेहूँ} + ७१ \text{ मन कपास}$$

$$\frac{क + ख = २ \text{ मन गेहूँ} + १२१ \text{ मन कपास}}$$

बिना विशिष्टता के : जबकि क गेहूँ पैदा करता है तथा ख सिर्फ कपास ।

$$क = २ \text{ मन गेहूँ}$$

$$ख = १.४२ \text{ मन कपास}$$

$$\frac{क + ख = २ \text{ मन गेहूँ} + १.४२ \text{ मन कपास}}$$

$$\text{आधिक्य} = २१ \text{ मन कपास}$$

अतः व्यापार में यही लाभ है ।

५ लाभ की मात्रा निर्धारित करने वाले अंश (Factors Determining the Size of Gain)—ऊपर के विश्लेषण में यह स्पष्ट हो जायगा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कुल लाभ दोनों देशों में लागत के अनुपात के अंतर पर निर्भर करते हैं । जितना ही अधिक तुलनात्मक लागतों में अन्तर होगा, उतना ही अधिक कुल लाभ होगा । हैरड (Harrod) के शब्दों में, "किसी देश को विदेशी व्यापार में तब लाभ होता है, जब व्यापारी यह जान लेते हैं कि अन्य देशों में कीमत का अनुपात अपने देशों की अपेक्षा भिन्न है । वे वह वस्तुएँ क्रय करते हैं, जो उनको सस्ती दीख पड़ती हैं, और उन वस्तुओं को बेचते हैं, जो महंगी दीख पड़ती हैं । जितना ही अधिक इन दोनों का अन्तर होगा, और जितनी ही अधिक महत्वपूर्ण वस्तु होंगी, उतना ही अधिक व्यापार से लाभ होगा ।"

इस लाभ का विभाजन, जो दोनों पक्षों को मिलेगा, व्यापार की शर्तों पर निर्भर होगा, अर्थात् हमारे उदाहरण में जिस अनुपात में गेहूँ कपास के लिये बदला जाना है, यह अनुपात, जैसा कि हम बता चुके हैं, एक देश के लिये दूसरे देश की वस्तुओं की माग की लोच अथवा दोनों की माग की तीव्रता पर निर्भर है । जो देश खरीदने या बेचने के लिये अधिक उत्सुक होगा, नौदे में घाटा उठाएगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ सम्बन्धित देशों में द्रव्य-आय के स्तर द्वारा प्राप्त किया जायगा । यह स्तर यह भी बतलायगा कि कौन-सा देश लाभदायक नौदा कर रहा है ।

यदि किसी देश की वस्तुओं की माग दूसरे देशों में निरंतर बनी रहती है तो उस देश की द्रव्य-आय का स्तर ऊचा होगा। निर्यात करने वाले उद्योगों में, अधिक विदेशी माग के कारण, मजदूरी बढ़ जायगी, ऐसे उद्योगों की सफलता दूसरे उद्योगों में भी मजदूरी को प्रभावित करेगी। प्रतियोगिता इन उद्योगों को निर्यात करने वाले उद्योगों के बराबर मजदूरी करने के लिए विवश करेगी। यदि ऐसा न होगा तो श्रम उन उद्योगों की ओर जायगा जिनमें अधिक मजदूरी दी जा रही हो। इस भाँति सब आय बढ़ जायगी। देश में इस प्रकार द्रव्य-आय तो बढ़ जायगी लेकिन विदेशी वस्तुओं की कीमतें कम रहेगी। इसलिए लोगों को विदेशी वस्तुओं के उपभोक्ता के रूप में लाभ होगा। इसके विपरीत उम देश में जिसकी विदेशी वस्तुओं की माग अधिक है, द्रव्य-आय कम हो जायगी, परन्तु विदेशी वस्तुओं के लिए उसे अधिक कीमत देनी पड़ेगी।

६ विदेशी व्यापार से लाभ (Advantages of Foreign Trade)—अब हम उन तमाम लाभों की ओर संकेत कर सकते हैं, जो विदेशी व्यापार करने वाले देशों को होते हैं —

(1) सर्वप्रथम वह लाभ है जो तमाम देशों में श्रम-विभाजन के सिद्धान्त के लागू होने से होता है। विदेशी व्यापार देशों को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्ट होने के योग्य बनाता है, जिसके लिये वे पूर्णतया समर्थ हैं अथवा जिनके उत्पादन में उनको सबसे अधिक लाभ है। इसके कारण वस्तुओं का उत्पादन अनुकूल दशाओं में होता है और इस भाँति सत्तार की कुल संपत्ति तथा द्रिष्टि बढ़ जाता है।

(11) विदेशी व्यापार न केवल उपभोक्ताओं को उन विदेशी वस्तुओं के उपभोग करने योग्य बनाता है जिनका उत्पादन उनका देश नहीं कर सकता, वरन् वह अपनी आवश्यकतायें सत्तार के सबसे सस्ते बाजार से प्राप्त करते हैं। वस्तुओं का विदेश से आयात होना यह बताता है कि उनको कीमत उसी तरह की देश की वस्तुओं से सस्ती है।

(111) अकाल के समय में एक देश के लोग विदेश से खाद्य-पदार्थों का आयात करके अपने जीवन तथा स्वास्थ्य को बनाये रखने के योग्य होते हैं। विदेशी व्यापार न होने पर ऐसे अकालों से लाखों मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि सन् १९४३ में बंगाल में युद्ध के कारण बर्मा से चावल न आ सकने पर हुआ।

(1V) विदेशी प्रतियोगिता के भय में देशीय उत्पादकों को अपना उत्पादन आधुनिक रीति से करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह एकाधिकार को रोक कर प्रतियोगिता बढ़ाता है। अतएव उपभोक्ता के लिये कीमतें कम होती हैं।

(V) विदेशी व्यापार से वे देश जिनके पास कच्चा माल नहीं होता आयात द्वारा कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उन उद्योगों के विकास में प्रोत्साहन मिलता है, जिनमें वे देश अन्यथा परिपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त कच्चे माल का उपयोग भली प्रकार हो सकता है।

७ विदेशी व्यापार से हानियाँ (Disadvantages of Foreign

Trade) -- तो भी ऊपर लिखे हुए लाभ निम्नलिखित हानियों के कारण एक नीमा तक कम हो जाते हैं और फलस्वरूप विदेशी व्यापार के इतने लाभ नहीं रह जाते ।

(i) विदेशी व्यापार से देश के आवश्यक पदार्थ व वनिजों की नमाप्ति हो जाती है जिनका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता । उदाहरणार्थ, भारत के वहुत से प्रमुख खनिज-पदार्थ जैसे अभ्रक आदि हमारे देश से कच्चे माल के रूप में बाहर भेज दिये जाते हैं । भारत को उनसे बहुत कम लाभ हुआ है । यदि उन्हें नमाल कर रखा जाता तो उद्योगीकरण के पश्चात् भारत उनसे लाभ उठा सकता था ।

(ii) विदेशी व्यापार देशी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता के अधीन कर देता है और कभी-कभी तो विदेशी वस्तुओं की कीमत कम होने लगती है । १९वीं शती में भारत की दस्तकारियों के पतन से हमारे आर्थिक ढांचे को बड़ा बक्का पहुंचा और कृषि पर दबाव बढ़ गया । यह उस समय हुआ जब कि परिवहन की उन्नति आदि ने विदेशी प्रतियोगिता बढ़ गई । इसी विदेशी प्रतियोगिता ने भारतीय उद्योगों को आधुनिक रूप में विकसित होने में रुकावट डाली और फलस्वरूप हमारी आर्थिक व्यवस्था मध्यकालीन रह गई ।

(iii) विदेशी व्यापार हानिकर वस्तुओं के आयात द्वारा लोगों के उपभोग को आदतो को बदल देता है । पिछली शताब्दी में अफीम के व्यापार से चीन को बड़ी हानि पहुंची ।

(iv) इसके अतिरिक्त तुलनात्मक लागत के नियम के कार्यान्वित होने से देश केवल कुछ वस्तुओं में ही अपने आपको विद्युष्ट कर लेता है । इससे लोगों को प्राप्त होने वाले व्यवसाय कम हो जाते हैं । अस्तु, किसी देश को आर्थिक व्यवस्था को स्थिर रखने के लिये देश में किसी एक उद्योग में अधिक विशिष्टता बुरी होती है ।

(v) अन्त में विदेशी व्यापार देश की आर्थिक व्यवस्था को दूसरे देशों पर निर्भर कर देता है । यदि युद्ध अथवा दूसरे कारणों से वस्तुओं का आयात-निर्यात स्वतंत्रता से नहीं हो सकता, तब ऐसी दशा में देश की आर्थिक व्यवस्था का बड़ा बक्का पहुंचता है । इसके अतिरिक्त आर्थिक व्यवस्था अथवा उद्योग में किसी प्रकार का गड़बड़ी का प्रभाव उन स्व देशों पर पड़ता है जिनका उस देश से व्यापारिक सम्बन्ध होता है । १९२९-१९३२ की मन्दी के विश्वव्यापी होने का कारण केवल यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सम्बन्धों के कारण नमाल के विभिन्न देश परस्पर-निर्भर हो गये थे ।

पर विदेशी व्यापार के लाभ इसकी हानियों ने कहीं अधिक हैं । इनमें से अधिकतर लाभ तभी उठाये जा सकते हैं जबकि वस्तुओं का आयात-निर्यात स्वतंत्रता-पूर्वक हो सके । साथ ही नाथ स्वतंत्र व्यापार ने बहुत ही हानियाँ भी की हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि स्वतंत्र व्यापार और रक्षण नीति (protection policy) का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाय ।

निर्देश पुस्तक

Gordon, M. S — Barriers to World Trade

स्वतन्त्र व्यापार बनाम संरक्षण (FREE TRADE VS PROTECTION)

१ स्वतन्त्र व्यापार का सिद्धांत (The Theory of Free Trade)— विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के अनियन्त्रित आदान-प्रदान की नीति को स्वतन्त्र व्यापार की नीति कहते हैं। पर देशीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिये जो नियन्त्रण किये जाते हैं, वे संरक्षण की नीति के अन्तर्गत होते हैं। एडम स्मिथ के शब्दों में, “स्वतन्त्र व्यापार व्यावसायिक नीति को उस प्रणाली को कहते हैं, जिसमें देशी व विदेशी वस्तुओं में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखा जाता और इसलिये न तो विदेशी वस्तुओं पर अनावश्यक कर लगाये जाते हैं और न स्वदेशी उद्योगों को कोई विशेष सुविधायें प्रदान की जाती हैं।” इसके यह अर्थ नहीं है कि स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत वस्तुओं पर किसी प्रकार के कर लगते ही नहीं। किन्तु जो भी कर लगें, वह केवल आय के लिये होने चाहियें, संरक्षण के लिये नहीं।

व्यावहारिक नीति के रूप में स्वतन्त्र व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उस सिद्धांत पर आधारित है जिसका अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। कैरस (Carnes) के शब्दों में “यदि किसी विशेष लाभ के हेतु कुछ राष्ट्र परस्पर व्यापार करना आरम्भ कर दें तो उनके स्वतन्त्र व्यापारिक आदान-प्रदान में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उनको इस लाभ से वंचित कर देगा।”^१ इससे कहीं पहले एडम स्मिथ ने लिखा था कि “यदि कोई बाहरी देश किसी वस्तु को हमारे उत्पादन की अपेक्षा अधिक सस्ती दे सकता है, तो इसमें हमें लाभ होगा कि हम किसी अन्य वस्तु को तैयार करें, जिसमें हमें अपेक्षाकृत अधिक सुविधायें प्राप्त हों और उसके विनिमय द्वारा विदेश की वस्तु को खरीदें।” आगे चल कर वे फिर लिखते हैं कि “यदि किसी देश को अन्य देशों की अपेक्षा कोई सुविधा प्राप्त हो, तो चाहे वह सुविधा प्राकृतिक ही अथवा प्राप्त की हुई, यह कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं है, क्योंकि जब तक उस देश को वे सुविधायें प्राप्त न रहेंगी, उस समय तक दूसरे देशों के लिये बजाय स्वयं उत्पादन करने के उस देश की वस्तुओं को खरीदना ही अधिक लाभप्रद होगा।”^२ इस सम्बन्ध में एडम स्मिथ ने केवल प्रतिरक्षा सम्बन्धी (defence) उद्योगों का संरक्षण आवश्यक बताया है। क्योंकि समृद्धि की अपेक्षा देश की प्रतिरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। स्वतन्त्र व्यापार

-
- 1 Quoted by Palgrave in Dictionary of Political Economy, Vol II p 143
 - 2 Carnes Leading Principles of Political Economy, Pt III Chapter IV, Sec I
 - 3 Wealth of Nations, Book IV Chapter II

का सिद्धात श्रम-विभाजन के सिद्धान्त का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तारमात्र है। एडम स्मिथ के शब्दों में, "किमी देश के लो। अपने लाभ के लिये उन उद्योगों में लगने हैं जिनमें उन्हें अपने पड़ोसियों की अपेक्षा अधिक मुविधाये प्राप्त होती है।" उनका यह विश्वास था कि "जो बात किसी घर के लिये बुद्धिमानों की होती है वह किसी बड़े राष्ट्र के लिये वेवकूफी की बात नहीं हो सकती।" साराश यह कि स्वतन्त्र व्यापार की नीति हर देश को उन उद्योगों में लगने योग्य बना देती है जो अपेक्षाकृत उसके लिये अधिक अनुकूल होते हैं।

२ संरक्षण नीति (Protectionism)—देश के उद्योगों को कुछ मुविधाएँ देकर अथवा विदेशी वस्तुओं पर ऊँचे कर लगा कर प्रोत्साहन की नीति को संरक्षण की नीति कहते हैं। इसका ध्येय स्वदेशी उद्योगों को उन्नति करना होता है, चाहे इसमें कुछ समय के लिये उपभोक्ताओं के हितों को कुचलना भी पड़े। संरक्षण की नीति में राजनीतिक व आर्थिक उद्देश्य मिले रहते हैं। "आर्थिक स्वतन्त्रता स्थापित करना व विदेशी वस्तुओं के 'आक्रमण' से अपने देश की रक्षा करना आदि ऐसी दलीले हैं, जो संरक्षण के समर्थकों द्वारा दी जाती हैं। ये दलीले ऐसी हैं, जिनमें पता चलता है कि संरक्षण का विचार भयंकर अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष के दिनों में हुआ होगा।"^१ पर इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रीयता के भावों का विकास है। "देशभक्त नागरिक के लिये देशीय उद्योगों का विकास उतना ही महत्व रखता है, जितना कि अपने देश का विदेशी आक्रमण से रक्षा का विचार।" इस प्रकार संरक्षण के कारण आर्थिक नहीं है बल्कि राजनीतिक है। "विभिन्नतापूर्ण उद्योगों के लाभ, राष्ट्रीय साधनों का विकास और ऐसे उद्योगों की रक्षा, जो स्वतन्त्र व्यापार में लोप हो जाते हैं, आदि विचार आर्थिक नहीं हैं।"^२

संभवतः संरक्षण नीति का सर्वप्रथम उल्लेख अमरीकी राजनीतिज्ञ ऐलेक्जेंडर हैमिल्टन ने सन् १७९१ में अपनी एक रिपोर्ट में किया। इस रिपोर्ट में उन्होंने यह सिफारिश की कि राजगार में वृद्धि और विभिन्नता लाने तथा देश की सुरक्षा के लिये देशीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

संयुक्त राज्य अमेरिका में १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कई कारणों से संरक्षण के समर्थन में जोर पकड़ा। योरोप में क्रांतिपूर्ण व नैपोलियन युद्धों के कारण इंग्लैंड के व्यवसाय में अडचने उत्पन्न होने लगीं। अभी तक इंग्लैंड ही प्रमुख औद्योगिक देश था। पेनसिलवेनिया में हेनरी केरी के नेतृत्व में संरक्षण के समर्थकों का एक प्रमुख समुदाय उत्पन्न हुआ। केरी संरक्षण का समर्थन इसलिए करता था कि उसका विश्वास था कि "इससे उद्योगों में विभिन्नता आ जाती है।" उसका यह भी कहना था कि अनाज के निर्यात में भूमि की उत्पादनशक्ति समाप्त हो जाती है। एम एन पैटन (१८५२-१९००) ने भी संरक्षण के बारे में इसी प्रकार की दलीले दी थीं। जर्मनी में संरक्षण का सत्रने

1 Prigave, op cit. p 234

2 Ibid

बड़ा समर्थक फ्रैंडरिक लिस्ट था। जर्मनी की सरक्षण नीति उस देश की राष्ट्रवादी नीति का परिणाम थी। लिस्ट (List) ने व्यक्तिगत सम्पत्ति पर नहीं वरन् राज्य की भलाई पर जोर दिया। उनके विचार में एडम स्मिथ एक अत्यन्त भौतिकवादी, व्यक्तिवादी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति था। वह राष्ट्र पर जोर नहीं देता था और यही कारण था कि लिस्ट ने एडम स्मिथ की आलोचना की। लिस्ट का यह भी कहना था कि यह आवश्यक नहीं कि जिम वात में इंग्लैंड को भलाई हो, उसी वात में दूसरे देश की भी भलाई हो। उसने इस वात पर जोर डाला कि प्रत्येक देश में विभिन्न प्रकार के उद्योग होने चाहियें। क्योंकि उसका विश्वास था कि "जो देश केवल खेती करता है, वह ऐसे व्यक्ति के समान है, जिसके एक हाथ नहीं होता।"^१

अमरीका और जर्मनी से ये विचार दूसरे देशों में पहुँचे। सरक्षण के पक्ष में जो तर्क दिये जाते हैं, उन्हें यहाँ प्रकट किया जाता है।

३ सरक्षण के पक्ष में दलीलें (Arguments for Protection)-- सरक्षण के पक्ष में जो दलीलें दी जाती हैं, वे निम्नलिखित हैं --

(1) प्रारम्भिक उद्योग (The Infant Industry Argument)-- इंग्लैंड का जेम्स स्टुअर्ट मिल केवल इमी दलील को मानता था। मिल ने इस दलील की व्याख्या इस प्रकार की थी, "जो कर सरक्षण के लिये लगाये जाते हैं, वह यदि काफी समय तक रहें तो वह अपने प्रयोग के लिये (नये उद्योग चालू करने में) सबसे कम असुविधाजनक उपाय हैं, जिसे कोई भी राष्ट्र अपना सकता है। पर यह आवश्यक है कि सरक्षण केवल तभी दिया जाय जब यह विश्वास हो जाय कि कुछ समय पश्चात् सरक्षित उद्योग इससे मुक्ति पा सकेगा।"^२

इस दलील को लगभग सभी अर्थशास्त्री मानते हैं। दलील यह है कि यदि किसी उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से सरक्षित रखकर विकसित होने के लिये समय दिया जाय तो वह थोड़े समय में विकसित होकर बड़ी मात्रा के उत्पादन के लाभों को उठा सके और आगे चल कर सरक्षण के बिना अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा।

यह दलील ऐसे देशों पर, जिनमें उद्योग देर से प्रारम्भ होता है, विशेष प्रकार से लागू होनी है। ऐसे देशों में कुछ ऐसी सुविधायें होती हैं, जिनसे उस समय तक लाभ नहीं उठाया जा सकता जब तक कि विदेशी प्रतियोगिता को कुछ समय के लिये दूर न रखा जाय।

पर इस दलील को सर्व-स्वीकृति नहीं मिल सकी है। इसकी आलोचना दो कारणों से हुई है (क) एक बार सरक्षण मिल जाने पर उद्योग को स्वार्थ आ धरता है और तब सरक्षण को हटाना असम्भव-सा हो जाता है। (ख) एक बार इस आधार पर सरक्षण दे देने ने सब प्रकार के उद्योग सरक्षण भागने लगते हैं। परिणामस्वरूप राजनीतिक भ्रष्टाचार फैल जाता है।

1 F List The National System of Political Economy, p 130

2 J S Mill—Principles of Political Economy, Book V, Ch 10, Sec 1

पर इन कमजोरियों के होते हुए भी मसाले के बहुत से देशों ने इसी दलील के आधार पर संरक्षण द्वारा अपना उद्योगीकरण किया है, जैसे अमरीका, बहुत से ब्रिटिश डोमिनियन और भारत ।

स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक कहते हैं कि स्वतन्त्र व्यापार आदर्श होता है । संरक्षण से तो केवल अस्थायी रूप से काम निकाला जा सकता है ।

(11) उद्योग का विभिन्नता-सम्बन्धी तर्क (Diversification of Industry Argument)—जर्मनी के फ्रैंडरिक लिम्बे व दूसरे लेखकों ने यह दलील दी । इसके अनुसार किसी देश के पास उत्पादन व व्यवसाय के विभिन्न माधन होने चाहिये । संतुलित आर्थिक प्रणाली के लिये यह आवश्यक है । किसी एक अथवा थोड़े से उद्योगों पर निर्भर रहना राजनीतिक व आर्थिक दोनों दृष्टियों में हानिकारक है । राजनीतिक दृष्टि से तो इसके अर्थ यह होते हैं कि ऐसी दशा में राष्ट्र को विदेशी व्यापार पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ेगा, जो युद्ध के समय में समाप्त हो सकता है । आर्थिक दृष्टि से यह इसलिए हानिकारक है कि ऐसा करने से कुछ परिस्थितियों में उस उद्योग में बड़ी गड़बड़ी मच जाने के कारण देश में आर्थिक अव्यवस्था पैदा हो सकती है । क्योंकि कृषि से आय कम होती है ।

किन्तु यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इस दलील से तुलनात्मक व्यय का सिद्धान्त पूर्णतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके अनुसार देश उन वस्तुओं का भी उत्पादन करता है जिससे उसे अपेक्षाकृत लाभ न हो ।

(111) रोजगार का तर्क (The Employment Argument)—यह कहा जाता है कि संरक्षण के द्वारा औद्योगिक विकास में देश में रोजगार बढ़ जाता है । यदि संरक्षण न मिले तो विदेशी प्रतियोगिता पुराने उद्योगों को भी समाप्त करके देश में बेकारी फैला देगी । १९ वीं शताब्दी में विदेशी प्रतियोगिता के कारण भारतीय दस्तकारी का पतन और फलस्वरूप फैलने वाली बेकारी इन बातों का प्रत्यक्ष उदाहरण है । स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों का कहना है कि संरक्षण ने रोजगार बढ़ता नहीं, बल्कि उससे केवल रोजगार संरक्षित उद्योगों से आ जाता है । इनके अतिरिक्त यदि विदेशी प्रतियोगिता देशी उद्योगों को समाप्त भी कर देती है, तो भी उन देश में हमारे निर्यात-सम्बन्धी उद्योग विकसित हो सकते हैं, अथवा वहाँ के लोग दूसरे स्थानों को जा सकते हैं । ऐसा यह मान कर कहा जाता है कि श्रम व पूँजी आनातनी से एक उद्योग से हमारे उद्योग और एक देश से हमारे देश को जा सकते हैं । वास्तव में ऐसा बहुत धीरे-धीरे होता है । स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक यह भी मान लेते हैं कि देश के सारे उत्पादन-माधन पूर्वतः पूर्णरूप में नियोजित हैं, जब कि वास्तविकता यह है कि भारत जैसे देश में ऐसे माधनों का पर्याप्त रूप में नियोजन नहीं हुआ है ।

(11V) राष्ट्रीय माधनों का अधिरक्षण (Conservation of Natural Resources)—बेरे और पैटेन के कथनानुसार स्वतन्त्र व्यापार का परिणाम यह हुआ कि अमरीका को मारी फसलों का निर्यात हुआ और भूमि की उत्पादन-शक्ति को धनि पृथ्वी । इंग्लैंड में जैविक नै कोयले के निर्यात के सम्बन्ध में भी यही दलील

अपना पूरा सहयोग नहीं दे पाते और उत्पादन में कमी होने के कारण जीवन-स्तर नीचा होने लगता है, और इस प्रकार उन्नति रुक जाती है।

इस दलील का यह उत्तर दिया जा सकता है कि जब तक सांसारिक नागरिकता आरम्भ नहीं होती तब तक आर्थिक रूप से शक्तिवान देशों की पतियोगिता से अपने हितों की रक्षा के लिए पिछड़े हुए देशों को सरक्षण का सहारा लेना आवश्यक है। इसलिए हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि सिद्धांत के रूप में चाहे स्वतन्त्र व्यापार आदर्श हो, किन्तु क्रियात्मक दृष्टिसे कुछ परिस्थितियों में सरक्षण आवश्यक होता है, विशेषकर भारत जैसे अर्ध-विकसित देशों में।

५ विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध (Barriers to Foreign Trade)—आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों में सरक्षणवाद के जोर पकड़ने से, विदेशी व्यापार पर, अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। विदेशी व्यापार पर कई प्रकार की रुकावटें हो सकती हैं। उनमें से कुछ ये हैं—(१) आयात अथवा निर्यात का निषेध, (२) विनिमय नियन्त्रण, (३) आयात-निर्यात कर, (४) अधिमान्य व्यवहार, (५) कोटा, (६) आयात के लिए लाइसेंस, (७) आयात-सम्बन्धी एकाधिकार।

(१) आयात निषेध (Import Prohibition)—कभी-कभी सरकार की ओर से कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ वस्तुओं का आयात बन्द कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए कहीं-कहीं पर “स्वच्छता के नियम” (“sanitary regulations”) होते हैं। एक बार मयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अर्जेंटाइना के किसी प्रदेश से आने वाले गो-मांस को बन्द कर दिया था क्योंकि वहाँ पर जानवरों के मुह और पैर में बीमारी हो गई थी। बाद में यह निरोध सम्पूर्ण अर्जेंटाइना पर लगा दिया गया। कभी-कभी कुछ देश परोक्ष रूप से आयात कम करने के लिए निर्यात करने में इन्कार कर देने हैं, जब तक कि उत्पादन का कुछ काम उसी देश में न होने लगे। रूमानिया इस शर्त पर अपने तेल का निर्यात करने को तैयार था कि उसे रूमानिया में ही साफ किया जाय। इसके विपरीत हंगरी की यह शर्त थी कि वह तभी रूमानिया ने तेल लेगा जब कि उसकी सफाई निर्यात के बाद हो।^१

(२) विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)—जब राज्य की ओर से विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय में सरकारी हस्तक्षेप होता है, तो उसे “विनिमय नियन्त्रण” कहने हैं। इन प्रकार विदेशी व्यापार को कम करके दूसरी दिशाओं की ओर कर दिया जाता है। ऐसी दशा में सरकार एक निश्चित राशन के अनुसार व्यापारियों को दूसरे देशों में केवल सीमित रूप में क्रय करने का अधिकार देती है। यही नहीं, वह विनिमय को ‘विलकुल बन्द’ (block) भी कर सकती है। उदाहरणार्थ, एक अमरीकन, जो जर्मनी की वस्तुओं का निर्यात करता है, उसे इस बात के लिए बाध्य किया जा सकता है कि वह वहाँ से मिले हुए मार्क सिक्के से जर्मनी में ही क्रय करे। दूसरे उपाय का नाम विनिमय ‘क्लियरिंग’ (exchange clearing) है। इस प्रकार

एक जर्मन जो अमरीका में १,००० डालर का माल खरीदता है उसके लिए यह अशुभ होगा कि वह उम द्रव्य को जर्मनी में ही किमी बैंक के पास जमा कर दे । यदि कोई जर्मन उमी दाम का माल किमी अमरीकन को बेचता है तो उस बैंक माल का भुगतान हो सकता है । इस प्रकार यह प्रयत्न किया जा सकता है कि विदेशी विनिमय के विदेशी व्यापार चलता रहे ।

(३) सीमा शुल्क (Customs Duties)—यह बहुत प्राचीन उपाय जिसके अन्तर्गत आयात और निर्यात पर आयात व निर्यात कर लगाये जाते ; निर्यात कर की अपेक्षा आयात कर अधिक प्रचलित है । जब कर परिमाण आ माप के अनुसार लगाया जाता है तो वह निश्चित कर (specific duty) कहलाता है । जैसे एक आना प्रति गज कपडा अथवा दो रुपये प्रति मन गेहूँ । जब यह मूल्य के अनुसार लगता है तो इसे मूल्यानुसार कर (ad valorem) कहते हैं १०% मोटरो पर अथवा रेडियो पर ।

इस प्रकार के करों का उद्देश्य या तो राजस्व प्राप्त करना होता है अथवा रक्षण देना । सूती कपडे के उद्योग को सरक्षित करने के लिए कच्ची कपास के आयात कर लगा कर उसे उत्पादक के लिए सस्ता बनाया जा सकता है अथवा सूती कपडे आयात कर भी लगाया जा सकता है । वाद का उपाय अधिक प्रचलित है ।

(४) अधिमान्य व्यवहार (Preferential Treatment)—कभी-विभिन्न देशों की वस्तुओं के साथ लगने वाले करों पर पक्षपातपूर्ण वर्तन होता उदाहरण के लिए १९३२ के ओटावा-समझौते के अनुसार भारत में अंग्रेजी वस्तुओं साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता था । भारत की वस्तुओं के साथ भी ब्रिटेन में पक्षपूर्ण व्यवहार होता था । इस प्रकार के समझौते से व्यापारिक दल बन जाते हैं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इस प्रकार कम हो जाता है । इसके अतिरिक्त यह भी हो जा सकता है कि जिन देशों की वस्तुओं पर अधिक कर लगे हों, वे अपने देशों में बहुत ऊँचे कर लगा दें ।

(५) कोटा प्रतिबन्ध (Quota Restrictions)—कोटा दो प्रकार होते हैं (क) कस्टम्स कोटा (customs quota) और (ख) आयात (import quota) । पहले प्रकार के कोटे के अनुसार किमी वस्तु की कुछ कम कर पर ली जाती है और उन मात्रा के पश्चात् पूरा कर लिया जाता है माना समझौते द्वारा निश्चित की जाती है, जैसे अमेरिका कनाडा की क्रोम व वस्तुओं के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करना है । आयात कोटे का प्रभाव व्यक्त के रूप में अधिक गभीर होता है । इसमें एक मात्रा के बाद फिर उस वस्तु का आयात निश्चित समय में ही नहीं सकता ।

आयात करों में राज्य को राजस्व प्राप्त होता है, पर कोटा-प्रणाली में विदेशी वस्तु का और देशी कीमत का अन्तर आयात करने वाले की जेब में जाना है और कोटे के संपूर्ण व्यवस्था का व्यवसायिक को भुगतान पड़ता है । यदि निर्यात करने वालों के लाइसेंस हो और वह नगद हो तो यह रूपया उनकी जेब में भी जा सकता है ।

कोटे बहुत लोचपूर्ण होते हैं क्योंकि वे प्रशासन (administration) के अधीन न होकर विधान के अधीन होते हैं।

इस नियम से एक लाभ और भी है। वह यह कि इस प्रणाली में चूकि मात्रा निश्चित की जाती है, इसलिए, देशी व्यापारी अपने उत्पादन की उस मात्रा के अनुसार उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। कोटे की प्रणाली आयात करो की अपेक्षा कम बुरी समझी जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरे देशों से व्यापारिक समझौते करते समय इनसे सौदे अच्छे हो सकते हैं। इसी समझौते के कारण जब आयात कर बढ़ाना आवश्यक हो जाता है तो इन्हें सरक्षण बढ़ाने के लिए कम भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक पक्षपातपूर्ण राष्ट्र का सिद्धान्त इसके द्वारा हट सकता है।

किन्तु कोटा-प्रणाली से बहुत सी हानिया भी हैं। देश का बाजार ससार के बाजार से पृथक् हो जाता है। यदि दूसरे देशों में कीमतें गिर रही हो तब भी उनका कोई प्रभाव देश के बाजार पर नहीं पड़ता। कोटा निश्चित होने के कारण और अधिक वस्तुएँ नहीं मँगाई जा सकती। पर आयात करो के विषय में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें ससार की कीमतों के गिरने के साथ-साथ देश में भी कीमतें गिर जाती हैं। इसी प्रकार यदि विदेशी निर्यात करने वाले अपने व्यय कम कर देते हैं तो उससे आयात करने वाले देश के उपभोक्ता उतना लाभ नहीं उठा सकते जितना कि स्थिर आयात कर की दशा में उठा सकते हैं। कोटा-प्रणाली से सरकार को आय में बड़ी क्षति उठानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली के अन्तर्गत अधिकतर शक्ति नियम बनाने वालों के हाथ में रहती है, शासकों के हाथ में नहीं।

(६) आयात लाइसेंस (Import Licence) — इस प्रणाली के अन्तर्गत विना लाइसेंस के सरकार किसी प्रकार के आयात की आज्ञा नहीं देती। इस प्रकार आयात कम हो जाते हैं।

(७) आयात एकाधिकार (Import Monopolies) — कभी-कभी सरकार आयात कम अथवा भेदभाव करने के लिए, सरकारी एकाधिकार स्थापित कर लेती है, जैसा कि रूस में है।

दोनों युद्धों के बीच के समय में, विशेषकर महामदी के दिनों में, विभिन्न देशों द्वारा आर्थिक राष्ट्रीयता की भावना से इन प्रतिवन्धों का व्यापक प्रयोग हुआ था।

निर्देश पुस्तकें

- Cairnes, J E — Leading Principles of Political Economy
 Adam Smith — Wealth of Nations, Book IV, Ch II
 Carey, H C — Principles of Social Science
 List, F — National System of Political Economy
 Mill J S — Principles of Political Economy
 Viner — Tariff Questions and the Economist
 Beveridge — Tariff
 Benham, F — Economics

अध्याय ४०

भुगतान-शेष

(BALANCE OF PAYMENTS)

१ व्यापार का शेष तथा भुगतान शेष (Balance of Trade and Balance of Payments) — अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चाहे स्वतन्त्र हो, चाहे नियंत्रित, यह किमी-न-किसी समय वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात पर उसी मात्रा में प्रभाव डालेगा जिस हद तक वह स्वतन्त्र है या नियंत्रित। कोई भी देश निर्यात में कमी किये वगैर आयात में कमी नहीं कर सकता। यदि देशों को अपना अस्तित्व रखना है, तो उनके लेखे का मतुलन आवश्यक है, जैसे दो व्यक्तियों के बीच होता है।

प्रत्यक्ष (visible) और अप्रत्यक्ष (invisible) आयात और निर्यात की मदों को नमस्जाना जरूरी है। जब वस्तुएं, जिनमें निधि भी शामिल है, देश में बाहर में लाई जाती हैं या देश के बाहर भेजी जाती हैं, तो बन्दरगाहों पर उनको खाती में दर्ज किया जाता है। वह व्यापार की "प्रत्यक्ष" मदें कहलाती हैं। सेवाओं के आयात और निर्यात का कोई लेखा नहीं किया जाता। इसलिए वे "अप्रत्यक्ष" वस्तुएं कहलाती हैं। व्यापार के शेष का सम्बन्ध केवल वस्तुओं और निधि अर्थात् प्रत्यक्ष चीजों के मूल्यों से ही है जिनमें कोष (treasure) अथवा प्रत्यक्ष मदें शामिल हैं। भुगतान शेष (balance of accounts or balance of payments) का अर्थ नमस्त विकलन (debits) या समाकलन (credits) से है, चाहे वह प्रत्यक्ष विषयों के कारण हो या अप्रत्यक्ष के कारण। विकलन और समाकलन का अन्त में मतुलन होना आवश्यक है। आयात और निर्यात व्यापार की वस्तुओं का मतुलित होना आवश्यक नहीं और ऐसा होता भी बहुत कम है।

जब आयात निर्यात से अधिक होते हैं (एक वर्ष में), तब यह कहा जाता है कि व्यापार शेष विपरीत, अभावमूचक, निष्क्रिय या देश के लिए प्रतिकूल है, जब निर्यात अधिक होता है तो वह वास्तविक क्रियाशील तथा अनुकूल कहलाता है। यह शब्द इंग्लैंड की अठारहवीं शताब्दी की वाणिज्य-प्रणाली (mercantilist school) के समय में चले आ रहे हैं। वे लोग आयात के ऊपर निर्यात की अधिकता को हिनकर नमस्जते थे, क्योंकि इन अधिकता के कारण उनके देश में अधिक मोना आता था। महत्वपूर्ण वस्तु व्यापार-शेष नहीं है, बल्कि भुगतान-शेष या लेखा-शेष है। किसी देश के लेख का मतुलन अन्त में होना ही चाहिए। निरन्तर प्रतिकूल भुगतान-शेष का अर्थ यह है कि वह देश दिवालिया होने जा रहा है।

उक्त कथन के अनुसार एक अनुकूल मतुलन का अर्थ जरूरी तौर पर यह नहीं है

कि वह देश अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन (transactions) की अनुकूल स्थिति में है या वह उन्नतिशील है। वास्तव में इसकी विपरीत स्थिति की अधिक सम्भावना है। द्वितीय महायुद्ध के पहले ब्रिटेन का साधारणतः व्यापार-शेष प्रतिकूल रहता था जबकि भारत का अनुकूल। ब्रिटेन भारत से कहीं अधिक समृद्धिशाली था। भारत के अनुकूल व्यापार-शेष से केवल यही स्पष्ट हुआ कि ब्रिटेन से आई हुई वस्तुओं और सेवाओं का सतुलन करने के लिये भारत को वस्तुओं के रूप में अधिक भुगतान करना पड़ता था। हो सकता है कि अनुकूल व्यापार-शेष किसी देश की केवल ऋणी स्थिति का प्रदर्शन करता हो। इसका घन या गरीबी से कोई सम्बन्ध नहीं। महत्व की बात व्यापार-शेष नहीं है बल्कि यह है कि किस प्रकार की वस्तुएँ देश में आती हैं और किस प्रकार की बाहर भेजी जाती हैं। भारतवर्ष का निर्यात अधिकतर कच्चा माल रहा है और आयात निर्मित वस्तुएँ। व्यापार-शेष के होते हुए भी इससे हम देश की पिछड़ी हुई आर्थिक दशा का पता चलता है।

३ भुगतान-शेष में आने वाले विषय (Items Entering Balance of Payments)—किसी देश का भुगतान-शेष क्या है? इसके अन्तर्गत विभिन्न मदें इस प्रकार हैं —

(क) मुख्य विषय वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार है, जैसा कि बतलाया गया है। आयात और निर्यात के मूल्य की तुलना करने से हमें व्यापार-शेष का ज्ञान होता है।

(ख) इसके उपरान्त अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात आते हैं। ऐसी सेवाएँ कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे परिवहन सेवाएँ, जहाजों का भाड़ा, यात्रियों का किराया, वन्दरगाह और नहर के किराये, पोस्ट, टेलीफोन तथा तार की शुल्क व्यावसायिक सेवाएँ (शुल्क तथा कमीशन), अर्थ-सम्बन्धी सेवाएँ (दलालों के शुल्क आदि), और यात्रियों की यातायात सम्बन्धी सेवाएँ।¹ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें से कोई भी सेवा दो बार न गिनी जाय। इस प्रकार यदि बाहर से किसी वस्तु को बड़े हुए दाम पर बाहर भेजा जाता है, तो उस समय अप्रत्यक्ष निर्यात में आने वाली सेवाओं के कारण हुए अन्तर आयात और निर्यात के दामों द्वारा प्रदर्शन होंगे। ऐसी दशा में इसको अलग-अलग नहीं गिनना चाहिए।

अप्रत्यक्ष आयात का उदाहरण उन विभिन्न भुगतानों से दिया जा सकता है, जो भारत इंग्लैंड को करता था, जैसे कि भारत की सेवाओं में लगे हुए अंग्रेजी और फौजी अफसरों की पेंशनों तथा भिन्न प्रकार के उपहार, छुट्टी तथा फलों के भत्ते, भारतीयों के लिए की गई जहाजों तथा वीमा की सेवाएँ, इंग्लैंड में भारतीय यात्रियों तथा विद्यार्थियों पर किये गए खर्च आदि।

(ग) कभी कभी व्यापार-शेष और सेवाओं का सतुलन एक साथ कर दिये जाते हैं और मास के सतुलन में उनके अन्तर दिखलाये जाते हैं। इसके अन्तर्गत एक ओर

व्याज सतुलन (interest balance) है और दूसरी ओर पूँजी-सतुलन (capital balance) हो सकता है।

व्याज-सतुलन (interest balance) में निम्न बातें सम्मिलित हैं —

सरकारी, म्युनिसिपल तथा निजी ऋणों के नियत व्याज, परिवर्तनशील लाभ तथा लाभांश, लगान, आदि।

पूँजी-सतुलन (capital balance) में दीर्घवधि तथा अल्पावधि विनियोगों (investments) में अन्तर देखना आवश्यक होगा। दीर्घवधि पूँजी निर्यात में विदेशी उद्योगों के शेयर तथा विदेश में लिये गए ऋणों के पुनः भुगतान आते हैं। अल्पावधि पूँजी निर्यात में विदेश के बैंकों में जमा धन में कोई बढ़ती विदेशी हुडी का रखना आदि आते हैं।

सन् १९३९-४५ के महायुद्ध के पहले भारत में रेलों तथा नहरों पर लगी हुई पूँजी के व्याज के रूप में इंग्लैण्ड की भारी रकम का भुगतान करना पड़ता था। अब स्थिति बदल चुकी है। भारत अब ऋणदाता है और इंग्लैण्ड ऋणी। लन्दन में भारत के खाते में लगभग १,७३३ करोड़ रुपये की स्टॉलिंग जमा हो गई थी। हमारा साख लेखा (credit account) इस प्रकार अनुकूल हो गया है।

(घ) अन्त में, कुछ ऐसी मदें भी हैं, जो भुगतान-शेष के अन्तर्गत माने जाते हैं। ये हैं सरकारी लेन-देन, जैसे कि कूटनीतिक प्रतिनिधियों (diplomatic representatives) के वेतन, आर्थिक सहायता (subsidies) युद्ध क्षति-पूर्ति (reparations), धन के उधार जैसे कि उत्प्रवासियों (emigrants) द्वारा स्वदेश में भेजा गया धन, आदि।

ऐसी मदें हैं, जो भुगतान-शेष का पता लगाने समय साधारणतया ध्यान में रखना चाहिए। जो भी हो, इस शब्द का हमेशा एक ही अर्थ नहीं होता। इस प्रकार —

(1) किसी समय इसका अर्थ एक विशेष समय की अवधि में होने वाले विदेशी मुद्रा की खरीदी गई या बेची गई रकम से होता है। (ii) उन शब्द का अर्थ एक दिए हुए समय के विदेश को भुगतान की हुई रकम या विदेश से मिली हुई रकम से भी होता है। यह बात ऊपर दी हुई (1) जैसी नहीं है। भुगतान केवल विदेशी द्रव्य खरीद कर ही नहीं किया जा सकता बल्कि पूर्वतन रखे हुए विदेशी द्रव्य का हस्तान्तरण किया जा सकता है। (iii) इस शब्द का प्रयोग एक और अधिक सीमित अर्थ में भी होता है। जैसे, जब इसे आय-लेखा (income account) के भुगतान-शेष में प्रयोग करते हैं। इसके अन्तर्गत व्याज की तुला, व्यापार-तुला और सेवाओं की तुला आयेगी। (iv) ऊपर दिये हुए अर्थ से एक बढ़त और आगे बढ़ने पर इस शब्द का अर्थ “अन्तर्राष्ट्रीय ऋणरस्तता” (international indebtedness) होगा, जो कि किसी नियत समय के जन्दर आने वाले दायित्वों के अन्तर्गत नहीं होता। यह किसी समय के दावों (claims) और दायित्वों (liabilities) की सम्पूर्ण मात्रा का प्रदर्शन करता है। (v) भुगतान-शेष का सबसे अधिक महत्त्व विनिमय की दर (rate of exchange) पर उसके प्रभाव द्वारा उत्पन्न होता है। विनिमय की दर का अर्थ है

स्वदेशी मुद्रा का विदेशी मुद्रा या मुद्राओं की दृष्टि में मूल्य। इस दृष्टिकोण में यह पर्याप्त नहीं है कि हम किसी दिये हुए क्षण में या किसी समय की अवधि में पूरे होने वाले दायित्वों का माप करें। ऐसी परिस्थिति में सब से अच्छी विधि तो यह है कि यहाँ पर माग और पूर्ति के सिद्धान्त का प्रयोग किया जाय। स्वदेशी मुद्रा की दृष्टि से इसको विदेशी मुद्रा का दाम माना जा सकता है। भुगतान-शेष में ली गई मर्दे स्वदेशी मुद्रा (या विदेशी मुद्रा) की पूर्ति या माग बढ़ाते हैं। हेबरलर (Haberler) का कहना है, "भुगतान-नुला शब्द का उपयोग उस समय पूर्ण माग या पूर्ति की दशा के अर्थ में होता है।"¹ इस अर्थ में हम इस शब्द का प्रयोग विदेशी विनिमय (foreign exchange) के अध्ययन के समय करेंगे।

भारत का सन् १९५४ का (प्रारम्भिक) भुगतान-शेष का लेखा नीचे दिया गया है।^२

भुगतान का शेष (Balance of Payments)

क्र	चालू खाता	(करोड़ रुपये में)			
		प्राप्ति	भुगतान	शुद्ध	
१	व्यापार-वस्तुएं (निर्यात एफ० ओ० बी० आयात सी० आई० एफ०)---	५४८४	६२४५	-७५७	
२	अद्राव्यिक स्वर्ण लेनदेन	—	—	—	
३	विदेशी यात्रा ^३	१६	१०२	-४२	
४	परिवहन ^४	३२८	१०४	+२२४	
५	बीमा ^५	५१	३९	+१२	
६	नियोजित आय ^६	२१९	२६७	-४८	
७	सरकार, जिसे अन्यत्र शामिल नहीं किया गया	—	२३०	१५४	+७६
८	विविध	—	२६६	१२४	+१४२
९	दान	—	२६६	१५७	+१०९
१०	अवर्गीकृत	—	३९२	२७	+३६५
कुल चालू सीदे		७२५६	७२१९	+३७	
भूल-चूक				+८२	

1 Haberler, Op Cit p 19

2 Reserve Bank Bulletin, April 1955, Pp 351-352

3 Data for receipts are incomplete.

4 & 5 The data given for two items in this table gives only a partial idea of the transactions on two accounts. The two items are more or less complete on the receipt side but in regard to the payments only a portion of expenditure is entered here. Payments for imports shown under item 1 are mostly on a C I F basis and therefore incorporate all but a small portion of the expenditure incurred by the country on 'Transportation' and 'Insurance'.

6 Remittances of accumulated profits hitherto treated as payments under this head have been classified as 'Private Long-term Capital (viz, item 11—Capital Account)

(ख) पूजी खाता
शुद्ध लेनदेन वृद्धि (+), अथवा कमी (-)

निजी (बैंकिंग मस्याओ को जुदा करके)	(करोड़ रुपयों में)			
	आस्तित्व	दायित्व	शुद्ध	आन्तिया
११ दीर्घावधि पूजी	—	-६८	-९४	+२६
१२ अल्पावधि पूजी	—	+०१	-५३	+५४
ऑफोशियल तथा बैंकिंग संस्थाएं—				
१३ दीर्घावधि पूजी				
१. सरकारी ऋण	—	—	+०९	-०९
२ बैंक ऋण	—	—	—	—
३ पोर्टफोलियो सिक्योरिटिया	—	+०२	+२३	-२१
४ वहीजाते (अमोर्टीजेशन)	—	-१६१	-१०९	-५२
५ अन्य नविसा भुगतान	—	—	—	—
६ अन्य	—	—	-०६	+०६
१४. अल्पावधि पूजी :				
१ भुगतान तथा क्लियरिङ्ग करार	—	—	—	—
२ आई० एम० एफ० तथा आई० वी० आर० डी० के दायित्व	—	—	-२२२	+२२२
३. सरकारी तथा बैंकिंग मस्याओ के अन्य दायित्व	—	—	+१५४	-१५४
४ अन्य	—	+११	-३६	+८७
१५ धन विषयक स्वर्ण	—	—	—	—
१६ पूजी तथा धन-विषयक स्वर्ण का कुल नौदा	—	-२१५	-३३४	+११९

३ भुगतान-शेष की साम्यावस्था (Equilibrium of Balance of Payments)—जिस समय किसी देश में भुगतान-शेष की साम्यावस्था होती है, उस स्थिति में स्वदेश को मुद्रा का मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। इस प्रकार उस समय मांग और पूर्ति की परिस्थिति न तो अनुकूल ही होती है और न प्रतिकूल। यदि भुगतान-शेष किसी देश को प्रतिकूल दिशा की ओर बढ़ता है तो उस समय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात या और दूसरे प्रकार के निर्यातों को प्रोत्साहन देकर या सब प्रकार के आयात को निरुत्साहित करके उसकी व्यवस्था करनी ही चाहिए। कोई भी देश सर्वद्वय प्रतिकूल भुगतान-शेष की स्थिति में नहीं रह सकता, जब कि यह सम्भव है और अनेक देशों में अक्सर ऐसा होता है कि उनका व्यापार-शेष सर्वद्वय प्रतिकूल रहे। देशों के सम्पूर्ण दायित्वों और नपूरण आदियों (assets) का व्यक्तियों के दायित्वों

और आदेयो की भाँति, अतत सतुलन होना ही चाहिये ।

इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी देश का भुगतान-शेष प्रत्येक दूसरे देश का, जिससे कि उसका व्यापारिक सवध है, अलग-अलग साम्यावस्था में रहे। यह आवश्यक भी नहीं है और न वास्तविक ससार में ऐसा होता ही है। व्यापारिक]सम्बन्ध अनेक रूपों के होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत का भुगतान-शेष अमरीका के साथ क्रिया-शील हो सकता है और इंग्लैंड या दूसरे देशों के साथ प्रतिकूल। किन्तु इस दौड़ में प्रत्येक देश दूसरे देशों में निर्यात किए गए तमाम माल से (सब देशों के निर्यात मिलाकर) अधिक मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता।

इस प्रकार भुगतान-शेष में साम्यावस्था उस देश की अर्थ-व्यवस्था की दृढता का प्रतीक है। परन्तु असमता थोड़े समय या अधिक समय के लिए उत्पन्न हो सकती है। निरन्तर असमता सूचित करती है कि देश आर्थिक तथा वित्त-विषयक (financial) दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। इसलिए, हर एक देश को, अपने भुगतान-शेष के साम्य को बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यह जानने के लिए कि यह किस प्रकार किया जा सकता है, हमें असमता के कारणों का भी अध्ययन करना होगा।

असाम्यावस्था के कारण (Causes of Disequilibrium)—किसी देश के भुगतान-शेष में असमता किस प्रकार हो सकती है? विविध विषय, जो भुगतान शेष के अन्तर्गत हैं, हम पहले ही विस्तारपूर्वक बतला चुके हैं। कोई भी कारण, जो उन विषयों को निरन्तर एक ओर ले जाता है, असमता उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ कारणों से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में कमी हो सकती है और आयात वसा ही रहे या प्रतिकूल दिशा की ओर बढ़े। इसी प्रकार दूसरे विषयों के बारे में भी विभिन्न प्रकार के कारणों द्वारा निर्यात में कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए व्यापारिक वस्तुओं को ले लीजिये। हमारे निर्यात में ऋतु-सम्बन्धी या दूसरे कारणों से गिरे हुए उत्पादन के कारण कमी हो सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी वस्तुओं की माँग गिर सकती है क्योंकि सम्भव है, इन वस्तुओं के उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति कम हो गई हो या भारत में इन वस्तुओं की उत्पादन-लागत अपेक्षाकृत बढ़ गई हो, जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी प्रतिद्वंद्वी शक्ति को कम कर देती है। हमारे निर्यात विदेशियों के लिए विनिमय-दर के बढ़ जाने से महँगे हो सकते हैं, जैसे कि रुपये का मूल्य बढ़ जाय, उदाहरणार्थ, १ शि० ६ पं० से १ शि० ८ पं०। यदि हम कृत्रिम रूप से रुपये का मूल्य, जितना कि आर्थिक स्थिति के हिसाब से न्याययुक्त है, उससे अधिक रखें (जिसका कि हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे) तो प्रतिकूल व्यापार-शेष और भुगतान-शेष का अस्तित्व बना रहेगा।

इसी प्रकार सेवाओं के अत्यधिक आयात के कारण असमता उत्पन्न हो सकती है, जो न तो निर्यात से पूरी होती है और न पूँजी के आयात, इत्यादि से।

४ असमता किस प्रकार सुधारी जा सकती है (How Disequilibrium may be corrected)—जब किसी देश के भुगतान-शेष में कोई गभीर असमता उत्पन्न हो जाती है, उस समय यदि देश आर्थिक व्यवस्था दृढ रखता है, तो

असमता को सुधारने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। प्रत्यक्ष है कि उन कारणों को, जो इस दशा की उत्पत्ति के कारण हैं, अवश्य ही हटा देना चाहिए। ममायोजन के बारे में "प्रतिष्ठावादी" विचार यह है "एक्टिव अथवा पेट्सिव सन्तुलन, जिसमें स्वर्ण का भीतर आना तथा बाहर जाना शामिल है, को सामान्य रूप में गृह-द्रव्य पूति के विस्तार तथा सकुचन का परिणाम माना जाता था, इस विस्तार तथा सकुचन से यह माना जाता था कि गृह लागतों तथा कीमतों के स्तर में उतार-चढ़ाव होगा। विस्तार से आयात को प्रोत्साहन मिलेगा और निर्यात हतोत्साहित होगा। मकुचन से, आयात हतोत्साहित होगा और निर्यात प्रोत्साहित। स्वर्ण बाहर जाना, द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन तथा सापेक्ष कीमत-स्तर में परिवर्तन आदि समायोजन तन्त्र के मुख्य साधन हैं।"^१ हाल ही के चलमुद्रा सम्बन्धी अनुभवों से इस प्रतिष्ठावादी सिद्धान्त में रूपभेद हुए हैं। अब यह माना जाता है कि आय के बहाव में परिवर्तनों से जो भुगतान के शेष से प्रलोभित है, साम्य साधन का कार्य करता है। "मुख्य बात यह है कि चालू सौदों का एक्टिव अथवा पेट्सिव सन्तुलन...देश के भीतर कुल द्रव्य आय के बहाव का विस्तार तथा सकोच प्रत्यक्ष रूप में करता है...भुगतान शेष से प्रलोभित होकर आय तथा व्यय पर होने वाले परिवर्तनों से विदेशी माल तथा गृह वस्तुओं की माग मत्तुलन पर साम्य रूप में प्रतिक्रिया करती है।"^२

प्रतिकूल भुगतान-शेष को ठीक करने के लिए पांच महत्त्वपूर्ण विधियाँ हैं —

(१) निर्यात को प्रोत्साहित करना तथा/या आयात को रोकना (Stimulating Exports and/or checking Imports)—यदि निर्यात घट गया हो तो उसको बढ़ाने के लिए यत्न करना चाहिए। सम्भव है कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए देश में लागत के स्तर को गिराना पड़े। हो सकता है कि इस काम के लिए मजदूरी, व्याज की दरें और दूसरी आमदनी को कम करना पड़े और कीमतों को गिराने के लिए मुद्रा को मकुचित करना पड़े।

व्यवसायियों को सरकारी सहायता देकर भी निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है। आयातों को पूर्ण निषेध के द्वारा या आयात-कर लगाकर या नियत-अंश-प्रणाली (quota system) के द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(२) दूसरी विधि यह है कि स्वदेशी मुद्रा का बाहरी (विनिमय) मूल्य कम किया जाय, जिससे विदेशियों के लिए स्वदेश की वस्तुएँ सन्तोहा जाय। परन्तु इस मार्ग की विशिष्ट नीमाएँ हैं, क्योंकि दूसरे देश भी वैसे ही करने लगेंगे और विनिमय वा "प्रतियोगी अवमूल्यन" (competitive depreciation) आरम्भ हो जायगा जैसा कि नीमवें वन-वर्षीय काल में मदी के समय हुआ था।

(३) तीसरी विधि मुद्रा को अपस्फीति या संकुचन करना (Deflate the Currency) है। जब मुद्रा मकुचित होगी, तो दाम गिरेगें, जिससे निर्यात को प्रोत्सा-

1 League of Nations—International Currency Experience, 1944 p, 93

2 Ibid, p 600

हनु मिलेगा और आयात पर रोक लगेगी। परन्तु अपस्फीति की विधि अनेक खतरों से भरी हुई है। यदि दाम तेजी में गिराये जाते हैं, परन्तु खर्च, जो साधारणतया दृढ़ रहते हैं, (विशेषतः उन देशों की मजदूरी जहाँ श्रमिक सघ भली प्रकार संगठित हैं) उसी प्रकार कम नहीं होते, तो उस दशा में देश को एक बड़ी मदी और बेकारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भुगतान-शेष को सुधारते समय यदि एक बार भी असमता उत्पन्न हो गई, तो उसको ठीक करना कठिन हो जाता है।

(४) चौथी विधि विनिमय अवमूल्यन (devaluation) है। इसका प्रभाव वैसा ही है, जैसा कि मुद्रा का मूल्य कम करने का होता है। जब किसी मुद्रा का अवमूल्यन होता है (अर्थात् इसका धातु का भाग कम कर दिया जाता है) तो विदेशी मुद्रा में इसका मूल्य कम हो जाता है। इसका फल यह होता है कि विदेशी लोग अपनी मुद्रा के द्वारा हमारे देश में पहले से अधिक वस्तुएँ खरीद सकते हैं। इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। परन्तु जब हम विदेशी वस्तुएँ खरीदना चाहते हैं, तो हमारी मुद्रा के सस्ते हो जाने के कारण, हमें अधिक भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार आयात निरुत्साहित किये जाते हैं और समय बीतने पर व्यापार-शेष हमारे अनुकूल हो जाता है और भुगतान-शेष को ठीक कर देता है।

(५) अतः में एक विधि विनिमय नियन्त्रण की है। हम जानते हैं कि अपस्फीति भयकर है, अवमूल्यन का प्रभाव थोड़े समय के लिए होता है। और उसके द्वारा दूसरों को भी अपस्फीति करने का उत्साह मिल सकता है, और अवमूल्यन देश के मान पर आघात करता है। इसलिए इन विधियों से बचने का प्रयत्न किया जाता है और इसके बजाय शासन द्वारा विदेशी विनिमय का नियन्त्रण किया जाता है। सब निर्यातकर्ताओं को आज्ञा दी जाती है कि वे अपने विदेशी विनिमय केन्द्रीय बैंक के द्वारा करें और उनके बाद वह लाइसेंस प्राप्त आयातकर्ताओं को बांट दिये जाते हैं। इनके अतिरिक्त और किसी को वस्तुओं के आयात करने की आज्ञा नहीं दी जाती। इस प्रकार आयात को सीमा के अन्दर रखकर भुगतान-शेष ठीक कर दिया जाता है।

जिस समय अर्ध-डेमो में स्वर्ण-मान (gold standard) ठीक कार्य कर रहा था, उस समय अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की असमता अपने आप ठीक हो गई थी। यह १९१४-१८ के महायुद्ध के पहले हुआ था। सन् १९१९-३९ अर्थात् दो युद्धों के बीच के काल के पहले भाग में स्वर्ण-मान फिर कार्यान्वित किया गया था जो कि महान् मदी के समय में नष्ट हो गया, जिसके कारण हम पहले ही एक अध्याय में दे चुके हैं। स्वर्ण-मान का आप से आप प्रभावित होना बन्द हो गया इसलिए यह इस सम्बन्ध में बेकार है।

कई अर्थशास्त्रियों ने अभी हाल में यह विचार प्रकट किया है कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन लाकर नाम्यावस्था पुनः स्थापित की जा सकती है। निर्यात में वृद्धि से राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है और फिर इनमें विदेशी माल खरीदने की हमारी शक्ति बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आयात में भी वृद्धि होगी और फलस्वरूप आयात और निर्यात के बीच साम्य बना रहेगा। किन्तु आधुनिक आर्थिक विश्लेषण

से यह पता चलता है कि आयात में थोड़ी वृद्धि होगी क्योंकि राष्ट्रीय आय का कुछ भाग बचत का रूप धारण कर लेगा। इसलिए पूर्ण साम्य की दृष्टि से मूल्य या विनिमय दर में परिवर्तन लाना आवश्यक है।

हाल में साम्य बनाये रखने के लिए तथा टूटने पर फिर नें इसे लाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था की स्थापना की गई है। इसका नाम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F) है अगले अध्याय में हम इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ यह कहना काफी होगा कि अब किसी देश के लिए यह आवश्यक नहीं रह गया है कि असमता के कारणों को दूर करने के लिए मुद्रा-संकुचन का प्रयोग करे जैसा कि स्वर्ण-मान के अन्तर्गत आ करता था। "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष" नामक सस्था एक ऐसा साधन प्रस्तुत करती है जिससे विदेशी विनिमय दरों में उचित ढंग से परिवर्तन लाया जा सकता है।

निर्देश पुस्तकें

- League of Nations—International Currency Experience.
 Haberler, G —Theory of International Trade
 Whale, B —International Trade
 Heuser—Control of International Trade
 Crowther, G —Outline of Money, 1950 Ch X
 Benham F —Economics, 1940, pp 425-35
 Meade, J E —Balance of Payments
 Tarshis, L —Elements of Economics
 Samuelson, P A —Economics, 1948, Ch 16.

हन मिलेगा और आयात पर रोक लगेगी। परन्तु अपस्फीति की विधि अनेक खतरो से भरी हुई है। यदि दाम तेजी से गिराये जाते हैं, परन्तु खर्च, जो माधारणतया दृढ़ रहते हैं, (विशेषतः उन देशों की मजदूरी जहाँ श्रमिक सघ भली प्रकार सगठित हैं) उसी प्रकार कम नहीं होते, तो उस दशा में देश को एक बड़ी मदी और बेकारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भुगतान-शेष को सुधारते समय यदि एक बार भी असमता उत्पन्न हो गई, तो उसको ठीक करना कठिन हो जाता है।

(४) चौथी विधि विनिमय अवमूल्यन (devaluation) है। इसका प्रभाव वैसा ही है, जैसा कि मुद्रा का मूल्य कम करने का होता है। जब किसी मुद्रा का अवमूल्यन होता है (अर्थात् इसका धातु का भाग कम कर दिया जाता है) तो विदेशी मुद्रा में इसका मूल्य कम हो जाता है। इसका फल यह होना है कि विदेशी लोग अपनी मुद्रा के द्वारा हमारे देश में पहले से अधिक वस्तुएँ खरीद सकते हैं। इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। परन्तु जब हम विदेशी वस्तुएँ खरीदना चाहते हैं, तो हमारी मुद्रा के सस्ते हो जाने के कारण, हमें अधिक भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार आयात निरुत्साहित किये जाते हैं और समय बीतने पर व्यापार-शेष हमारे अनुकूल हो जाता है और भुगतान-शेष को ठीक कर देता है।

(५) अतः में एक विधि विनिमय नियंत्रण की है। हम जानते हैं कि अपस्फीति भयकर है, अवमूल्यन का प्रभाव थोड़े समय के लिए होता है। और उसके द्वारा दूसरों को भी अपस्फीति करने का उत्साह मिल सकता है, और अवमूल्यन देश के मान पर आघात करता है। इसलिए इन विधियों से बचने का प्रयत्न किया जाता है और इसके बजाय शासन द्वारा विदेशी विनिमय का नियंत्रण किया जाता है। सब निर्यातकर्ताओं को आज्ञा दी जाती है कि वे अपने विदेशी विनिमय केन्द्रीय बैंक के द्वारा करें और उसके बाद वह लाइसेंस प्राप्त आयातकर्ताओं को बाट दिये जाते हैं। इनके अतिरिक्त और किसी को वस्तुओं के आयात करने की आज्ञा नहीं दी जाती। इस प्रकार आयात को सीमा के अन्दर रखकर भुगतान-शेष ठीक कर दिया जाता है।

जिस समय अधिष्ठित देमो में स्वर्ण-मान (gold standard) ठीक कार्य कर रहा था, उस समय अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की असमता अपने आप ठीक हो गई थी। यह १९१४-१८ के महायुद्ध के पहले हुआ था। सन् १९१९-३९ अर्थात् दो युद्धों के बीच के काल के पहले भाग में स्वर्ण-मान फिर कार्यान्वित किया गया था जो कि महान् मदी के समय में नष्ट हो गया, जिसके कारण हम पहले ही एक अध्याय में दे चुके हैं। स्वर्ण-मान का आप में आप प्रभावित होना बन्द हो गया इसलिए यह इस सम्बन्ध में बेकार है।

कई अर्थशास्त्रियों ने अभी हाल में यह विचार प्रकट किया है कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन लाकर नाम्यावस्था पुनः स्थापित की जा सकती है। निर्यात में वृद्धि से राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है और फिर इसमें विदेशी माल खरीदने की हमारी शक्ति बढ़ जाती है। इनका अर्थ यह हुआ कि आयात में भी वृद्धि होगी और फलस्वरूप आयात और निर्यात के बीच साम्य बना होगा। किन्तु आधुनिक आर्थिक विश्लेषण

से यह पता चलता है कि आयात में थोड़ी वृद्धि होगी क्योंकि राष्ट्रीय आय का कुछ भाग वचत का रूप धारण कर लेगा । इसलिए पूर्ण साम्य की दृष्टि से मूल्य या विनिमय दर में परिवर्तन लाना आवश्यक है ।

हाल में साम्य बनाये रखने के लिए तथा टूटने पर फिर से इसे लाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था की स्थापना की गई है । इसका नाम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F) है अगले अध्याय में हम इनका अध्ययन करेंगे । यहाँ यह कहना काफी होगा कि अब किसी देश के लिए यह आवश्यक नहीं रह गया है कि असमता के कारणों को दूर करने के लिए मुद्रा-सकुचन का प्रयोग करे जैसा कि स्वर्ण-मान के अन्तर्गत आ करता था । "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष" नामक मस्या एक ऐसा साधन प्रस्तुत करती है जिससे विदेशी विनिमय दरों में उचित ढंग से परिवर्तन लाया जा सकता है ।

निर्देश पुस्तकें

- League of Nations—International Currency Experience
 Haberler, G —Theory of International Trade
 Whale, B —International Trade
 Heuser—Control of International Trade
 Crowther, G —Outline of Money, 1950 Ch X
 Benham F —Economics, 1940, pp 425-35
 Meade, J E —Balance of Payments
 Tarshis, L —Elements of Economics
 Samuelson, P A —Economics, 1948, Ch 16

हनु मिलेगा और आयात पर रोक लगेगी । परन्तु अपस्फीति की विधि अनेक खतरों से भरी हुई है । यदि दाम तेजी से गिराये जाते हैं, परन्तु खर्च, जो साधारणतया दृढ़ रहते हैं, (विशेषतः उन देशों की मजदूरी जहाँ श्रमिक सघन प्रकार सगठित हैं) उसी प्रकार कम नहीं होते, तो उस दशा में देश को एक बड़ी मदी और बेकारी का सामना करना पड़ सकता है । इसलिए भुगतान-शेष को सुधारते समय यदि एक बार भी असमता उत्पन्न हो गई, तो उसको ठीक करना कठिन हो जाता है ।

(४) चौथी विधि विनिमय अवमूल्यन (devaluation) है । इसका प्रभाव वैसा ही है, जैसा कि मुद्रा का मूल्य कम करने का होता है । जब किसी मुद्रा का अवमूल्यन होता है (अर्थात् इसका धातु का भाग कम कर दिया जाता है) तो विदेशी मुद्रा में इसका मूल्य कम हो जाता है । इसका फल यह होता है कि विदेशी लोग अपनी मुद्रा के द्वारा हमारे देश में पहले से अधिक वस्तुएँ खरीद सकते हैं । इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है । परन्तु जब हम विदेशी वस्तुएँ खरीदना चाहते हैं, तो हमारी मुद्रा के सस्ते हो जाने के कारण, हमें अधिक भुगतान करना पड़ता है । इस प्रकार आयात निरुत्साहित किये जाते हैं और समय बीतने पर व्यापार-शेष हमारे अनुकूल हो जाता है और भुगतान-शेष को ठीक कर देता है ।

(५) अतः में एक विधि विनिमय नियन्त्रण की है । हम जानते हैं कि अपस्फीति भयकर है, अवमूल्यन का प्रभाव थोड़े समय के लिए होता है । और उसके द्वारा दूसरों को भी अपस्फीति करने का उत्साह मिल सकता है, और अवमूल्यन देश के मान पर आघात करता है । इसलिए इन विधियों से बचने का प्रयत्न किया जाता है और इसके बजाय शासन द्वारा विदेशी विनिमय का नियन्त्रण किया जाता है । सब निर्यातकर्ताओं को आज्ञा दी जाती है कि वे अपने विदेशी विनिमय केन्द्रीय बैंक के द्वारा करें और उसके बाद वह लाइसेंस प्राप्त आयातकर्ताओं को बाट दिये जाते हैं । इनके अतिरिक्त और किसी को वस्तुओं के आयात करने की आज्ञा नहीं दी जाती । इस प्रकार आयात को सीमा के अन्दर रखकर भुगतान-शेष ठीक कर दिया जाता है ।

जिस समय अविच्छेदनीय स्वर्ण-मान (gold standard) ठीक कार्य कर रहा था, उस समय अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की असमता अपने आप ठीक हो गई थी । यह १९१४-१८ के महायुद्ध के पहले हुआ था । सन् १९१९-३९ अर्थात् दो युद्धों के बीच के काल के पहले भाग में स्वर्ण-मान फिर कार्यान्वित किया गया था जो कि महान् मदी के समय में नष्ट हो गया, जिसके कारण हम पहले ही एक अध्याय में दे चुके हैं । स्वर्ण-मान का आप में आप प्रभावित होना बन्द हो गया इसलिए यह इस सम्बन्ध में बेकार है ।

कई अर्थशास्त्रियों ने अभी हाल में यह विचार प्रकट किया है कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन लाकर नाम्यावस्था पुनः स्थापित की जा सकती है । निर्यात में वृद्धि से राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है और फिर इससे विदेशी माल खरीदने की हमारी शक्ति बढ़ जाती है । इनका अर्थ यह हुआ कि आयात में भी वृद्धि होगी और फलस्वरूप आयात और निर्यात के बीच साम्य बना रहेगा । किन्तु आधुनिक आर्थिक विश्लेषण

इंग्लैंड के आयातकर्ता इंग्लैंड के निर्यातकर्ताओं से भारतीय मुद्रा के स्वत्व खरीद कर भारतीय निर्यातकर्ताओं को भुगतान कर सकते हैं। इस तरह हर देश में विदेशी मुद्रा (या उसके स्वत्व) खरीदने वाले या विदेशी मुद्रा (या उसके स्वत्व) बेचने वाले लोग होते हैं। हमारे शब्दों में, विदेशी मुद्रा की मांग भी रहती है और पूर्ति भी। विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति पर विनिमय की दर निर्भर है जिसके अनुसार विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है (या देशी मुद्रा बेची जा सकती है) और बेची जा सकती है (या देशी मुद्रा खरीदी जा सकती है) ये क्रय और विक्रेता मिलकर विदेशी विनिमय बाजार बनाते हैं।

यह इस सिद्धान्त का अति सरल विवरण है। वास्तव में नगर में निर्यातकर्ता और आयातकर्ता प्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं रखते। बैंक (विनिमय बैंक और दूसरे बैंक, जो विनिमय में सम्बन्धित हैं) विचोत्रण का काम करते हैं। आयातकर्ता विदेशी मुद्रा के स्वत्व बैंक से खरीद लेते हैं और निर्यातकर्ता विदेशी मुद्रा के स्वत्व बैंक को बेच देते हैं। बैंक दोनों के बीच मध्यस्थ होकर लाभ उठाते हैं।

२ विदेशी मुद्रा के स्वत्व (Titles to Foreign Money)—अभी हमें "विदेशी मुद्रा के स्वत्व" के अर्थ को स्पष्ट करना है। इनके ये रूप हो सकते हैं—
(I) विनिमय बिल, (II) बैंक ड्राफ्ट्स, अथवा (III) तार द्वारा हस्तान्तरित (telegraphic transfers)। हमने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि विनिमय पत्र या हुडी क्या है और वही पर यह भी बतलाया गया है कि इसमें विदेशी व्यापार के अर्थ-प्रवण करने में क्या फायदे हैं। भारतीय निर्यातकर्ता अपनी वस्तुओं के इंग्लैंड के आयातकर्ता के नाम पॉण्ड स्टर्लिंग से मन्विन विनिमय-पत्र लिख देता है। वह बैंक को यह पत्र बेच देता है या पारिभाषिक शब्दों में वह उसको भुना लेता है। पत्र का वर्तमान मूल्य उसको रुपये में मिल जाता है। भारत में इंग्लैंड की वस्तुओं का आयातकर्ता इस प्रकार के पत्र को रुपये देकर खरीद लेता है और उसको अपने इंग्लैंड के निर्यातकर्ता के पास भेज देता है, जो उसको किसी बैंक में भुना लेता है या उनके पूरे हो जाने पर पॉण्ड स्टर्लिंग में भुगतान पा लेता है।

ड्राफ्ट, जैसा कि हम देख चुके हैं, बैंक में उनकी शाखा के लिए या दूसरे बैंक के लिए जिनमें कि उनका हिसाब हो, किसी दियरर को मांग पर लिखित नक़्का में मुद्रा देने के लिए एक आज्ञा है। नक़्के में, ड्राफ्ट एक ऐसा चेक है, जो एक बैंक द्वारा किसी दूसरे बैंक के लिए एक तीसरे व्यक्ति के हित में लिखा गया हो। आप एक ड्राफ्ट, जिनका कि अंग्रेजी मुद्रा में भुगतान दिया जा सकता हो, खरीद कर वन इंग्लैंड भेज सकते हैं। यह ड्राफ्ट तार से उस व्यक्ति के पास भेज दिया जाता है, जिसको भुगतान पाना है, और वह व्यक्ति उसे उस बैंक को देकर, जिनके नाम ड्राफ्ट लिखा गया है, अपना भुगतान पा जाता है।

तार द्वारा हस्तान्तरण किसी बैंक को एक लिखित पत्र-राशि का, कथित व्यक्ति को, भुगतान करने का आदेश है। यह एक तार द्वारा भेजा गया ड्राफ्ट कहा जा सकता है। इन नीति में भुगतान तुम्हें कर दिये जाते हैं। इसलिए तार द्वारा हस्तान्तरण की

विदेशी विनिमय

(FOREIGN EXCHANGE)

१ विदेशी विनिमय क्या है ? (Meaning of Foreign Exchange)—“विदेशी विनिमय” के निम्नलिखित अर्थ हो सकते हैं —

(क) विनिमय की दर, अर्थात् विदेशी द्रव्य की वह मात्रा है जो स्वदेशी द्रव्य की एक इकाई खरीद सकती है, अथवा

(ख) विदेशी विनिमय की चेष्टाएँ अथवा सौदे (व्यवहार), अर्थात् एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलना या वह यत्र, जिमसे विदेशी भुगतान किया जाता है, अथवा

(ग) विदेशी विनिमय (मुद्रा) कोष जो किसी देश के पान हो।

यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार न होता तो विदेशी विनिमय भी न होता। यदि सारे ससार के लिए एक जैसी मुद्रा होती तो उस समय भी विदेशी विनिमय की कोई समस्या न होती। परन्तु जैसी दशा है, उसके अनुसार देशों के आर्थिक सम्बन्धों के कारण एक-दूसरे के बीच लेन-देन का प्रश्न उठता है, जिसको पूरा करना पड़ता है और विभिन्न देशों की मुद्राओं के रूप भिन्न-भिन्न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि आप १०० रु० की पुस्तकें इंग्लैंड से मगाते हैं। भारत का रुपया इंग्लैंड के पुस्तक-दिक्रेता के लिए किसी काम का नहीं। आपको उसी मुद्रा में भुगतान करना होगा, जो इंग्लैंड में क्रय-शक्ति रखती हो। इंग्लैंड की मुद्रा पाँड (£) स्टर्लिंग है। इसलिए आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने १०० रुपयों को पाँड स्टर्लिंग में परिवर्तित करें (अथवा पाँड स्टर्लिंग के स्वत्व में)। यदि आपको मोना मिल सके और आप उसके परिवहन के व्यय को ठीक समझते हों, तो आप उमे भी भेज सकते हैं। डमी तरह एक अग्रेज व्यापारी भारतीय निर्यातकर्ता से चाय खरीदता है। उसे अपने पाँड स्टर्लिंग को रुपयों में बदलना होगा अथवा यदि संभव हुआ और वचत जान पड़ी तो मोना भेजना होगा, इसलिए हर एक देश में हर क्षण कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, जो विदेशों को भुगतान करना चाहते हैं या ऐसे लोग, जो दूसरे देशों से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। पहले बतलाये हुए लोगों ने वस्तुओं और सेवाओं का आयात किया है और बाद के लोगों ने निर्यात। स्पष्ट है कि भारत के निर्यातकर्ताओं को इंग्लैंड के आयातकर्ताओं से भुगतान लेने का अधिकार है और भारत में आयातकर्ताओं को इंग्लैंड के निर्यातकर्ताओं को भुगतान करना पड़ेगा। भारतीय आयातकर्ता भारतीय निर्यातकर्ताओं से इंग्लैंड की मुद्रा के स्वत्व (titles to English money) खरीद कर इंग्लैंड के निर्यातकर्ता को भुगतान कर सकते हैं। उसी प्रकार

इंग्लैंड के आयातकर्त्ता इंग्लैंड के निर्यातकर्त्ताओं ने भारतीय मुद्रा के स्वत्व खरीद कर भारतीय निर्यातकर्त्ताओं को भुगतान कर सकते हैं। इस तरह हर देश में विदेशी मुद्रा (या उसके स्वत्व) खरीदने वाले या विदेशी मुद्रा (या उसके स्वत्व) बेचने वाले लोग होते हैं। दूसरे शब्दों में, विदेशी मुद्रा की माग भी रहती है और पूर्ति भी। विदेशी मुद्रा की माग और पूर्ति पर विनिमय की दर निर्भर है जिसके अनुसार विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है (या देशी मुद्रा बेची जा सकती है) और बेची जा सकती है (या देशी मुद्रा खरीदी जा सकती है) ये क्रेतता और विक्रेता मिलकर विदेशी विनिमय बाजार बनाते हैं।

यह इस सिद्धान्त का अति सरल विवरण है। वास्तव में समार में निर्यातकर्त्ता और आयातकर्त्ता प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं रखते। बैंक (विनिमय बैंक और दूसरे बैंक, जो विनिमय में सम्बन्धित हैं) विचौलिय का काम करते हैं। आयातकर्त्ता विदेशी मुद्रा के स्वत्व बैंकों से खरीद लेते हैं और निर्यातकर्त्ता विदेशी मुद्रा के स्वत्व बैंकों को बेच देते हैं। बैंक दोनों के बीच मध्यस्थ होकर लाभ उठाते हैं।

२ विदेशी मुद्रा के स्वत्व (Titles to Foreign Money)—अभी हमें "विदेशी मुद्रा के स्वत्व" के अर्थ को स्पष्ट करना है। इनके ये रूप हो सकते हैं— (i) विनिमय बिल, (ii) बैंक ड्राफ्ट, अथवा (iii) तार द्वारा हस्तान्तरित (telegraphic transfers)। हमने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि विनिमय पत्र या हुडी क्या है और वही पर यह भी बतलाया गया है कि इसमें विदेशी व्यापार के अर्थ-प्रबन्ध करने में क्या फायदे हैं। भारतीय निर्यातकर्त्ता अपनी बन्तुओं के इंग्लैंड के आयातकर्त्ता के नाम पौंड स्टर्लिंग से सम्बन्धित विनिमय-पत्र लिख देता है। वह बैंक को यह पत्र बेच देता है या पारिभाषिक शब्दों में वह उनको भुना लेता है। पत्र का वर्तमान मूल्य उनको रुपये में मिल जाता है। भारत में इंग्लैंड की बन्तुओं का आयातकर्त्ता इस प्रकार के पत्र को रुपये देकर खरीद लेता है और उसको अपने इंग्लैंड के निर्यातकर्त्ता के पास भेज देता है, जो उसको किन्ही बैंक में भुना लेता है या उनके पूरे हो जाने पर पौंड स्टर्लिंग में भुगतान पा लेता है।

ड्राफ्ट, जैसा कि हम देख चुके हैं, बैंक ने उनकी शाखा के लिए या दूसरे बैंकों के लिए जिनमें कि उनका हिस्सा हो, किन्ही बियरर को माग पर लिखित महत्वा में मुद्रा देने के लिए एक आज्ञा है। नज़र में, ड्राफ्ट एक ऐसा चेक है, जो एक बैंक द्वारा किन्ही दूसरे बैंक के लिए एक तीसरे व्यक्ति के हित में लिखा गया हो। आप एक ड्राफ्ट, जिनका कि अंग्रेजी मुद्रा में भुगतान किया जा सकता हो, खरीद कर वह इंग्लैंड भेज सकते हैं। यह ड्राफ्ट डाल से उस व्यक्ति के पान भेज दिया जाता है, जिसको भुगतान पाना है, और वह व्यक्ति उसे उस बैंक को देकर, जिसके नाम ड्राफ्ट लिखा गया है, अपना भुगतान पा जाता है।

तार द्वारा हस्तान्तरण किन्ही बैंक को एक लिखित बत-राशि का, कथित व्यक्ति को, भुगतान करने का आदेश है। यह एक तार द्वारा भेजा गया ड्राफ्ट कहा जा सकता है। इस नीति में भुगतान तुरन्त कर दिये जाते हैं। इसलिए तार द्वारा हस्तान्तरण की

विदेशी विनिमय

(FOREIGN EXCHANGE)

१ विदेशी विनिमय क्या है ? (Meaning of Foreign Exchange)—“विदेशी विनिमय” के निम्नलिखित अर्थ हो सकते हैं —

(क) विनिमय की दर, अर्थात् विदेशी द्रव्य की वह मात्रा है जो स्वदेशी द्रव्य की एक इकाई खरीद सकती है, अथवा

(ख) विदेशी विनिमय को चेष्टाएँ अथवा सौदे (व्यवहार), अर्थात् एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलना या वह यत्र, जिसे विदेशी भुगतान किया जाता है, अथवा

(ग) विदेशी विनिमय (मुद्रा) कोष जो किसी देश के पान हो।

यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार न होता तो विदेशी विनिमय भी न होता। यदि सारे सप्ताह के लिए एक जैसी मुद्रा होती तो उस समय भी विदेशी विनिमय की कोई समस्या न होती। परन्तु जैसी दशा है, उसके अनुसार देशों के आर्थिक सम्बन्धों के कारण एक-दूसरे के बीच लेन-देन का प्रश्न उठता है, जिसको पूरा करना पड़ता है और विभिन्न देशों की मुद्राओं के रूप भिन्न-भिन्न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि आप १०० रु० की पुस्तक इंग्लैंड से मगाते हैं। भारत का रुपया इंग्लैंड के पुस्तक-विक्रेता के लिए किसी काम का नहीं। आपको उसी मुद्रा में भुगतान करना होगा, जो इंग्लैंड में क्रय-शक्ति रखती हो। इंग्लैंड की मुद्रा पाँड (£) स्टर्लिंग है। इसलिए आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने १०० रुपयों को पाँड स्टर्लिंग में परिवर्तित करें (अथवा पाँड स्टर्लिंग के स्वत्व में)। यदि आपको मोना मिल सके और आप उसके परिवहन के व्यय को ठीक समझते हों, तो आप उसे भी भेज सकते हैं। इसी तरह एक अग्रज व्यापारी भारतीय निर्यातकर्ता से चाय खरीदता है। उसे अपने पाँड स्टर्लिंग को रुपयों में बदलना होगा अथवा यदि संभव हुआ और वचत जान पड़ी तो मोना भेजना होगा, इसलिए हर एक देश में हर क्षण कुछ ऐसे व्ययित होते हैं, जो विदेशों को भुगतान करना चाहते हैं या ऐसे लोग, जो दूसरे देशों से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। पहले बतलाये हुए लोगों ने वस्तुओं और सेवाओं का आयात किया है और बाद के लोगों ने निर्यात। स्पष्ट है कि भारत के निर्यातकर्ताओं को इंग्लैंड के आयातकर्ताओं में भुगतान लेने का अधिकार है और भारत में आयातकर्ताओं को इंग्लैंड के निर्यातकर्ताओं को भुगतान करना पड़ेगा। भारतीय आयातकर्ता भारतीय निर्यातकर्ताओं में इंग्लैंड की मुद्रा के स्वत्व (titles to English money) खरीद कर इंग्लैंड के निर्यातकर्ता को भुगतान कर सकता है। उसी प्रकार

इसलिए एक पाँड

$$= \frac{732236 \times 20}{400674} \text{ फ्रैंक}$$

$$= 25.2215 \text{ फ्रैंक।}$$

इस प्रकार लन्दन और पेरिस के बीच टकसाली सममात्र २५.२२१५ फ्रैंक = १ पाँड था। यदि इन स्थितियों में विनिमय सममात्र है तो एक फ्रांसीसी आयातकर्ता को अपने दायित्व को पूरा करने के लिए पेरिस में २५.२२१५ फ्रैंक देने पर लन्दन में १ पाँड मिलेगा। एक अंग्रेजी आयातकर्ता को लन्दन में १ पाँड देने पर पेरिस में २५.२२१५ फ्रैंक मिलेंगे।

५. स्वर्णांक (Specie Points)—मान लीजिये कि फ्रांसीसियों को इंग्लैण्ड के लोगो को उससे अधिक भुगतान करना पड़ता है, जितना कि इंग्लैण्ड के लोग फ्रांसीसियों को करते हैं। फ्रांस में इंग्लैण्ड की मुद्रा की मांग उनकी पूर्ति से अधिक होगी। फ्रैंक की दर में पाँड का मूल्य बढ़ जायगा। फ्रांसीसी आयातकर्ता को लन्दन में एक पाँड लेने के लिए २५.२२१५ फ्रैंक देने पड़ेगे। परन्तु वह कितना अधिक देने को तैयार रहेगा? हम यह पहले ही बता चुके हैं कि आयातकर्ता सोना भेजेगा, यदि वह उसे प्राप्त हो और उसे भेजना अधिक सस्ता समझे। स्वर्ण-मान के देश सदैव अपनी मुद्रा के बदले में सोना दे देते हैं और उसको बाहर भेजने की आज्ञा भी देते हैं। परन्तु सोना बाहर भेजने में परिवहन-व्यय (जहाज का किराया, बीमा, व्याज आदि) लगता है। इसलिए फ्रांस में आयातकर्ता उन्ही समय सोना भेजेगा यदि विनिमय सममात्र में पेरिस में लन्दन सोना भेजने के व्यय से भी अधिक है। मान लीजिये कि २५.२२१५ फ्रैंक के मूल्य के मोने का पेरिस से लन्दन भेजने का खर्च ३ फ्रैंक है। यदि विनिमय की दर २५.५२१५ फ्रैंक बराबर १ पाँड से अधिक हो जाती है तो उस समय सोना भेजना उचित हो जायगा। यदि विनिमय वास्तव में इस बिन्दु के ऊपर उठ जाता है तो सोना फ्रांस से इंग्लैण्ड की ओर जाने लगेगा। इसलिए यह बिन्दु फ्रांस के दृष्टिकोण से स्वर्ण-निर्यात-अंक (gold export point) और इंग्लैण्ड के दृष्टिकोण से स्वर्ण-आयात-अंक (gold import point) कहा जायगा। यह अंक-विनिमय की टकसाली दर में परिवहन-व्यय जोड़ देने से मालूम होता है। इसे ऊपरी स्वर्ण-बिन्दु या ऊपरी स्वर्णांक भी कहते हैं।

इसी प्रकार फ्रांस के लिये नीची स्वर्णांक (lower specie point) या स्वर्ण आयात-अंक होता है और इंग्लैण्ड के लिए निर्यात अंक। यह परिवहन व्यय को सममात्र टकसाल में से घटा देने पर मालूम हो जाता है। ऊपर के उदाहरण में इस प्रकार होगा २४.९२१५ फ्रैंक बराबर १ पाँड के। यदि विनिमय इस अंक के नीचे गिर जाता है तो इंग्लैण्ड के आयातकर्ता फ्रैंक के मूल्य खरीदने की अपेक्षा सोना भेजेंगे। इस प्रकार यदि सोना मिल सकता हो और उसको दो देशों (स्वर्ण-मान के अन्तर्गत) के बीच जाने-जाने की स्वतन्त्रता हो, तो विनिमय-दर उन दो सीमाओं के बीच चलेगी, जो कि ऊपरी और नीची स्वर्ण-अंकों द्वारा निर्दिष्ट की गई है। यदि सोना न मिल सके तो विनिमय-दर-स्वर्णांक को पार कर जायगी। ये दो सीमाएँ हैं, जिनके

दर, खरीदारों के लिए मामान्य ड्राफ्टों पर लगने वाले दरों के मुकाबले में अधिक प्रतिकूल होती है।

३ विनिमय की दरें (Rates of Exchange)^१—विनिमय की दर मालूम करने के लिए अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। हमने देखा कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति और माग ही विनिमय की दर को निर्धारित करती है, ठीक वैसे ही जैसे वस्तुओं का बाजार-मूल्य पूर्ति और माग की शक्तियों द्वारा निश्चित होता है। हमने यह भी देखा कि विदेशी मुद्रा की माग और पूर्ति (या इसके विपरीत देशी मुद्रा की पूर्ति और माग) किस प्रकार उत्पन्न होती है। जब पूर्ति माग के बराबर होती है तो विनिमय सममात्र (par) होता है। यदि विदेशी मुद्रा की पूर्ति माग से अधिक है तो विदेशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के नीचे गिरता है (या देशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के ऊपर उठता है।) और इसके विपरीत यदि विदेशी मुद्रा की माग उसकी पूर्ति से अधिक है तो विदेशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के ऊपर उठता है। (या देशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के नीचे गिरता है।)

विनिमय की दर किस सीमा तक सममात्र के ऊपर उठ सकती है या नीचे गिर सकती है? ये सीमाएँ विभिन्न दशाओं में विभिन्न प्रकार से निश्चित की जाती हैं। विनिमय के सममात्र का अर्थ भी विभिन्न स्थितियों में भिन्न होता है।

४ स्वर्ण-मान के अन्तर्गत विनिमय की दरें (Rates of Exchange under Gold Standard)—जब दो सम्बन्धित देश स्वर्ण-मान (Gold Standard) के अन्तर्गत होते हैं, उस समय, जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, उनकी मुद्रा इकाई या तो सोने के सिक्के होते हैं या वे एक नियत दर पर सोने में परिवर्तित हो सकने वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त सोना स्वतन्त्र रूप से देशों के बीच आता-जाता है। ऐसे देशों के बीच की विनिमय की दर को 'विनिमय की टकसाली दर' कहते हैं। उन दो देशों की मुद्रा-इकाई में रहने वाले सोने को (या सोने की उस मात्रा को जो मुद्रा अधिकारियों ने उनके बदले में देना नियत किया हो) समीकरण करने से इसका निरूपण किया जा सकता है। एक स्वर्ण-मान के देश और रजत-मान के देश के बीच कोई विनिमय की टकसाली दर नहीं हो सकती।

उदाहरण के लिए, १९१४ से पूर्व इंग्लैंड और फ्रांस, दोनों स्वर्ण-मान प्रणाली के अन्तर्गत थे। उनके विनिमय के सममात्र टकसाल का निरूपण इस प्रकार किया जा सकता था —

एक अंग्रेजी पाँड	≈ ७ ९८८०५ ग्राम $\frac{3}{32}$ शुद्ध सोने के।
	≈ ७ ३२२३८ ग्राम शुद्ध सोने के।
एक फ्रांसीसी नेपोलियन	≈ ६ ४५ १६९ ग्राम $\frac{5}{8}$ शुद्ध सोने के।
(२० फ्रैंक)	≈ ५ ८०६८५ ग्राम शुद्ध सोने के।

1 For diagrammatic representation of the determination of rate of exchange see Halm G N — Monetary Policy, 1945 pp 141-70

इसलिए एक पौंड

$$= \frac{७३२२३८ \times २०}{५८०६५} \text{ फ्रैंक}$$

$$= २५.२२१५ \text{ फ्रैंक।}$$

इस प्रकार लन्दन और पेरिस के बीच टकसाली सममात्र २५.२२१५ फ्रैंक = १ पौंड था। यदि इन स्थितियों में विनिमय सममात्र है तो एक फ्रांसीसी आयातकर्ता को अपने दायित्व को पूरा करने के लिए पेरिस में २५.२२१५ फ्रैंक देने पर लन्दन में १ पौण्ड मिलेगा। एक अंग्रेजी आयातकर्ता को लन्दन में १ पौण्ड देने पर पेरिस में २५.२२१५ फ्रैंक मिलेंगे।

५. स्वर्णांक (Specie Points)—मान लीजिये कि फ्रांसीसियों को इंग्लैण्ड के लोगो को उससे अधिक भुगतान करना पड़ता है, जितना कि इंग्लैण्ड के लोग फ्रांसीसियों को करते हैं। फ्रांस में इंग्लैण्ड की मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होगी। फ्रैंक की दर में पौण्ड का मूल्य बढ़ जायगा। फ्रांसीसी आयातकर्ता को लन्दन में एक पौण्ड लेने के लिए २५.२२१५ फ्रैंक देने पड़ेंगे। परन्तु वह कितना अधिक देने को तैयार रहेगा? हम यह पहले ही बता चुके हैं कि आयातकर्ता सोना भेजेगा, यदि वह उसे प्राप्त हो और उसे भेजना अधिक सस्ता ममझे। स्वर्ण-मान के देश सदैव अपनी मुद्रा के बदले में सोना दे देते हैं और उसको बाहर भेजने की आज्ञा भी देते हैं। परन्तु सोना बाहर भेजने में परिवहन-व्यय (जहाज का किराया, बीमा, व्याज आदि) लगता है। इसलिए फ्रांस में आयातकर्ता उसी समय सोना भेजेगा यदि विनिमय सममात्र से पेरिस से लन्दन सोना भेजने के व्यय से भी अधिक है। मान लीजिये कि २५.२२१५ फ्रैंक के मूल्य के सोने का पेरिस से लन्दन भेजने का खर्च ३ फ्रैंक है। यदि विनिमय की दर २५.५२१५ फ्रैंक वरार १ पौण्ड से अधिक हो जाती है तो उस समय सोना भेजना उचित हो जायगा। यदि विनिमय वास्तव में इस बिन्दु के ऊपर उठ जाता है तो सोना फ्रांस से इंग्लैण्ड की ओर जाने लगेगा। इसलिए यह बिन्दु फ्रांस के दृष्टिकोण से स्वर्ण-निर्यात-अंक (gold export point) और इंग्लैण्ड के दृष्टिकोण से स्वर्ण-आयात-अंक (gold import point) कहा जायगा। यह अंक-विनिमय की टकसाली दर में परिवहन-व्यय जोड़ देने से मालूम होता है। इसे ऊपरी स्वर्ण-बिन्दु या ऊपरी स्वर्णांक भी कहते हैं।

इसी प्रकार फ्रांस के लिये नीची स्वर्णांक (lower specie point) या स्वर्ण आयात-अंक होता है और इंग्लैण्ड के लिए निर्यात अंक। यह परिवहन व्यय को सममात्र टकसाल में से घटा देने पर मालूम हो जाता है। ऊपर के उदाहरण में इस प्रकार होगा २४.९२१५ फ्रैंक वरार १ पौण्ड के। यदि विनिमय इस अंक के नीचे गिर जाता है तो इंग्लैण्ड के आयातकर्ता फ्रैंक के स्वत्व खरीदने की अपेक्षा सोना भेजेंगे। इस प्रकार यदि सोना मिल सकता हो और उसको दो देशों (स्वर्ण-मान के अन्तर्गत) के बीच आने-जाने की स्वतन्त्रता हो, तो विनिमय-दर उन दो सीमाओं के बीच चलेगी, जो कि ऊपरी और नीची स्वर्ण-अंशों द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं। यदि सोना न मिल सके तो विनिमय-दर-स्वर्णांकों को पार कर जायगी। ये दो सीमाएं हैं, जिनके

दर, खरीदारों के लिए मामान्य झापटों पर लगने वाले दरों के मुकाबले में अधिक प्रतिकूल होती है।

३ विनिमय की दरें (Rates of Exchange)^१—विनिमय की दर मालूम करने के लिए अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। हमने देखा कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति और माग ही विनिमय की दर को निर्धारित करती है, ठीक वैसे ही जैसे वस्तुओं का बाजार-मूल्य पूर्ति और माग की शक्तियों द्वारा निश्चित होता है। हमने यह भी देखा कि विदेशी मुद्रा की माग और पूर्ति (या इसके विपरीत देशी मुद्रा की पूर्ति और माग) किस प्रकार उत्पन्न होती है। जब पूर्ति माग के बराबर होती है तो विनिमय सममात्र (par) होता है। यदि विदेशी मुद्रा की पूर्ति माग से अधिक है तो विदेशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के नीचे गिरता है (या देशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के ऊपर उठता है) और इसके विपरीत यदि विदेशी मुद्रा की माग उसकी पूर्ति से अधिक है तो विदेशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के ऊपर उठता है। (या देशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के नीचे गिरता है।)

विनिमय की दर किस सीमा तक सममात्र के ऊपर उठ सकती है या नीचे गिर सकती है? ये सीमाएँ विभिन्न दशाओं में विभिन्न प्रकार से निश्चित की जाती हैं। विनिमय के सममात्र का अर्थ भी विभिन्न स्थितियों में भिन्न होता है।

४ स्वर्ण-मान के अन्तर्गत विनिमय की दरें (Rates of Exchange under Gold Standard)—जब दो सम्बन्धित देश स्वर्ण-मान (Gold Standard) के अन्तर्गत होते हैं, उस समय, जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, उनकी मुद्रा इकाई या तो सोने के सिक्के होते हैं या वे एक नियत दर पर सोने में परिवर्तित हो सकने वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त सोना स्वतन्त्र रूप से देशों के बीच आता-जाता है। ऐसे देशों के बीच की विनिमय की दर को 'विनिमय की टकसाली दर' कहते हैं। उन दो देशों की मुद्रा-इकाई में रहने वाले सोने को (या सोने की उस मात्रा को जो मुद्रा अधिकारियों ने उनके बदले में देना नियत किया हो) समीकरण करने से इसका निरूपण किया जा सकता है। एक स्वर्ण-मान के देश और रजत-मान के देश के बीच कोई विनिमय की टकसाली दर नहीं हो सकती।

उदाहरण के लिए, १९१४ से पूर्व इंग्लैंड और फ्रांस, दोनों स्वर्ण-मान प्रणाली के अन्तर्गत थे। उनके विनिमय के सममात्र टकसाल का निरूपण इस प्रकार किया जा सकता था —

एक अंग्रेजी पाँड	= ७ ९८८०५ ग्राम $\frac{1}{2}$ शुद्ध सोने के।
	= ७ ३२२३८ ग्राम शुद्ध सोने के।
एक फ्रांसीसी नेपोलियन	= ६ ४५ १६१ ग्राम $\frac{1}{5}$ शुद्ध सोने के।
(२० फ्रैंक)	= ५ ८० ६४५ ग्राम शुद्ध सोने के।

1 For diagrammatic representation of the determination of rate of exchange see Halm G N — Monetary Policy, 1945 pp 141-70

इसलिए एक पाँड

$$= \frac{७३२२३८ \times २०}{५८०६४५} \text{ फ्रैंक}$$

$$= २५.२२१५ \text{ फ्रैंक।}$$

इस प्रकार लन्दन और पेरिस के बीच टकसाली सममात्र २५.२२१५ फ्रैंक = १ पाँड था। यदि इन स्थितियों में विनिमय सममात्र है तो एक फ्रामीसी आयातकर्ता को अपने दायित्व को पूरा करने के लिए पेरिस में २५.२२१५ फ्रैंक देने पर लन्दन में १ पाँड मिलेगा। एक अग्रेजी आयातकर्ता को लन्दन में १ पाँड देने पर पेरिस में २५.२२१५ फ्रैंक मिलेंगे।

५. स्वर्णांक (Specie Points)—मान लीजिये कि फ्रांसिसियों को इंग्लैंड के लोगो को उससे अधिक भुगतान करना पड़ता है, जितना कि इंग्लैंड के लोग फ्रांसिसियों को करते हैं। फ्रांस में इंग्लैंड की मुद्रा की माग उसकी पूर्ति से अधिक होगी। फ्रैंक की दर में पाँड का मूल्य बढ़ जायगा। फ्रामीसी आयातकर्ता को लन्दन में एक पाँड लेने के लिए २५.२२१५ फ्रैंक देने पड़ेंगे। परन्तु वह कितना अधिक देने को तैयार रहेगा? हम यह पहले ही बता चुके हैं कि आयातकर्ता सोना भेजेगा, यदि वह उसे प्राप्त हो और उसे भोजना अधिक सस्ता समझे। स्वर्ण-मान के देश सदैव अपनी मुद्रा के बदले में सोना दे देते हैं और उसको बाहर भेजने की आज्ञा भी देते हैं। परन्तु सोना बाहर भेजने में परिवहन-व्यय (जहाज का किराया, बीमा, व्याज आदि) लगता है। इसलिए फ्रांस में आयातकर्ता उन्ही समय सोना भेजेगा यदि विनिमय सममात्र से पेरिस में लन्दन सोना भेजने के व्यय से भी अधिक है। मान लीजिये कि २५.२२१५ फ्रैंक के मूल्य के सोने का पेरिस से लन्दन भेजने का खर्च ३ फ्रैंक है। यदि विनिमय की दर २५.५२१५ फ्रैंक बराबर १ पाँड से अधिक हो जाती है तो उस समय सोना भोजना उचित हो जायगा। यदि विनिमय वास्तव में इस बिन्दु के ऊपर उठ जाता है तो सोना फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जाने लगेगा। इसलिए यह बिन्दु फ्रांस के दृष्टिकोण से स्वर्ण-निर्यात-अंक (gold export point) और इंग्लैंड के दृष्टिकोण से स्वर्ण-आयात-अंक (gold import point) कहा जायगा। यह अंक-विनिमय की टकसाली दर में परिवहन-व्यय जोड़ देने से मालूम होता है। इसे ऊपरी स्वर्ण-बिन्दु या ऊपरी स्वर्णांक भी कहते हैं।

इसी प्रकार फ्रांस के लिये नीची स्वर्णांक (lower specie point) या स्वर्ण आयात-अंक होता है और इंग्लैंड के लिए निर्यात अंक। यह परिवहन व्यय को सममात्र टकसाल में से घटा देने पर मालूम हो जाता है। ऊपर के उदाहरण में इस प्रकार होगा २४.९२१५ फ्रैंक बराबर १ पाँड के। यदि विनिमय उस अंक के नीचे गिर जाता है तो इंग्लैंड के आयातकर्ता फ्रैंक के स्वत्व खरीदने की अपेक्षा सोना भेजेंगे। इस प्रकार यदि सोना मिल सकता हो और उनको दो देशों (स्वर्ण-मान के अन्तर्गत) के बीच आने-जाने की स्वतन्त्रता हो, तो विनिमय-दर उन दो सीमाओं के बीच चलेगी, जो कि ऊपरी और नीची स्वर्ण-अंकों द्वारा निश्चित की गई हैं। यदि सोना न मिल सके तो विनिमय-दर-स्वर्णांकों को पार कर जायगी। ये दो सीमाएँ हैं, जिनके

बीच में विदेशी मुद्रा अर्थात् हुडी ड्राफ्ट तार द्वारा परिवर्तन आदि की पूर्ति और माग में परिवर्तनों द्वारा उतार-चढ़ाव होगा ।

६ स्वर्ण तथा रजत मान के बीच विनिमय—उपर्युक्त उदाहरण ऐसा है जहा कि सम्बन्धित दोनो देश स्वर्ण-मान के अन्तर्गत हैं । यदि एक स्वर्ण-मान के अन्तर्गत हो, और दूसरा रजत-मान के अन्तर्गत, तो उस समय विनिमय-दर उस देश के, जो रजत-मान के अन्तर्गत है, चाँदी की मात्रा में सोने के दाम द्वारा निश्चित की जायगी, और जो स्वर्ण मान के अन्तर्गत है, सोने की मात्रा में चाँदी के दाम द्वारा निश्चित की जायगी ।

७ अविनिमयसाध्य कागजी मुद्राओं के बीच विनिमय—क्रयशक्ति की समता (Exchange between Inconvertible Paper Currencies—Purchasing Power Parity)—परन्तु सबसे कठिन समस्या उन देशों की है, जहा कि दोनो अपरिवर्त्य पत्र-मुद्रा के अन्तर्गत हैं । मान लीजिये कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनो धातु में न बदल सकने वाली कागजी मुद्रा के अन्तर्गत हो तब एक पौण्ड खरीदने के लिए कितने फ्रैंक देने पड़ेंगे ? स्पष्ट है कि उतने ही, जिनकी कि फ्रांस में क्रय-शक्ति उतनी ही है, जितनी कि इंग्लैंड में एक पौण्ड की है । यदि इंग्लैंड में एक पौण्ड से 'क' वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं, तो एक पौण्ड से फ्रांस में उतने फ्रैंक खरीदे जा सकेंगे, जो फ्रांस में 'क' वस्तुएँ खरीद सकें, 'क' वस्तुओं के एक देश से दूसरे देश में ले जाने के खर्च को छोड़कर । मान लीजिये कि इंग्लैंड में एक पौण्ड 'क' वस्तुएँ खरीदता है । फ्रांस, में 'क' वस्तुओं का मूल्य २५ फ्रैंक है । तब विनिमय-दर इस प्रकार प्रवृत्तिशील होगी —

१ पौण्ड = २५ फ्रैंक ।

अब कल्पना कीजिए कि दोनो देशों में कीमत-स्तर स्थिर रहता है परन्तु विनिमय किसी प्रकार बदल कर ऐसा हो जाता है

१ पौण्ड = ३० फ्रैंक ।

इसका अर्थ हुआ कि फ्रांस में पौण्ड की क्रय-शक्ति अधिक है, अर्थात् २५ फ्रैंक । लोगों को इस दर पर पौण्डों को फ्रैंकों में परिवर्तित करने से लाभ होगा । वे फ्रांस में २५ फ्रैंक देकर 'क' वस्तुएँ खरीद कर फिर उनको इंग्लैंड में १ पौण्ड पर बेच देंगे । उस व्यापार में वे ५ फ्रैंक प्रति पौण्ड का लाभ उठावेंगे । इससे इंग्लैंड में फ्रैंक की माग बहुत बढ़ जायगी तथापि उनकी पूर्ति कम हो जायगी, क्योंकि बहुत कम लोग इंग्लैंड से फ्रांस के लिए वस्तुओं का निर्यात करेंगे । पौण्ड की मात्रा में फ्रैंक का मूल्य बढ़ता जायगा जब तक कि वह, १ पौण्ड = २५ फ्रैंक के नहीं हो जाता । उस बिन्दु पर फ्रांस से किये हुए आयात से असामान्य लाभ नहीं होगा । यह दर (१ पौण्ड = २५ फ्रैंक) दो देशों की खरीदने की समशक्ति (parity) कहलाती है । "जब कि किसी मुद्रा-इकाई का मूल्य दूसरी मुद्रा की मात्रा में किसी विशिष्ट समय पर बाजार की माग और पूर्ति की स्थितियों में से निश्चित किया जाता है, दीर्घकाल में वह मूल्य दोनो मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य से, जिसका कि ज्ञान उनकी वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने की सापेक्षिक शक्ति द्वारा होता है, निश्चित किया जाता है । दूसरे शब्दों में, विनिमय के दर की प्रवृत्ति उस बिन्दु पर स्थिर रहने की

होती है, जो दोनों देशों की मुद्राओं की सापेक्षिक क्रय-शक्तियों में घराबरी दिखलाती है। यह विन्दु क्रयशक्ति की समता कहलाता है।”


ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार यदि फ्रांस में दाम दुगुने हो जाते हैं तो फ्रैंक का मूल्य ब्रिलकुल आधा हो जायगा। नई समता दर होगी १ पाँड = ५० फ्रैंक। यह सब कारण होगा क्योंकि अब फ्रैंक में ५० फ्रैंक 'क' वस्तु खरीदेंगे, जो पहले २५ फ्रैंक खरीदते थे। यहाँ हमने माना है कि इंग्लैंड में दाम वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। परन्तु यदि दोनों देशों में दाम दुगुने हो जाते हैं, तब क्रय-शक्ति में कोई अन्तर न आयेगा।

इस प्रकार—२ पाँड = ५० फ्रैंक।

१ पाँड = २५ फ्रैंक।

परन्तु वास्तविक परिस्थिति में खरीदने की सम-शक्ति-दर वस्तुओं के एक देश से दूसरे देश तक के परिवहन-व्यय (कर आदि सहित) के कारण बदल जाती है।

इस प्रकार अविनिमयसाध्य कागजी मुद्रा वाले देशों के बीच टकनाली दर का स्थान क्रय-शक्ति की समता ले लेती है। दोनों में अन्तर यह है कि पहली तो एक स्थिर दर है, जब कि दूसरी उन दोनों देशों में होने वाले दामों के उतार-चढ़ाव के साथ



रेखाचित्र न० ७३

चदलनी रहती है। सम्बन्धित मुद्रा की पूर्ति और माँग में परिवर्तन होने के कारण इस समता के इर्द-गिर्द पहले की तरह उतार-चढ़ाव होगा। इन उतार-चढ़ाव की सीमाएँ एक देश ने दूसरे देश को वस्तुएँ ले जाने के परिवहन-व्यय द्वारा निश्चित होगी। इसलिए ये सीमाएँ उतनी निश्चित न होगी, जितनी कि स्वर्णांक में। उपर्युक्त रेखाचित्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

८. क्रय-शक्ति सिद्धांत की आलोचना (Criticism of Purchasing Power Parity Theory)—प्रथम महायुद्ध के बाद लीडन के एक अर्थशास्त्री गुन्ट्य कैमल द्वारा यह सिद्धांत प्रचलित किया गया था। कैमल ने लिखा था, “दो मुद्राओं के विनिमय की दर अवश्य ही उनकी आन्तरिक क्रय-शक्तियों के भागफल पर निर्भर होनी चाहिए।” इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि यदि हम इस बात पर विचार करने ह कि विदेशी मुद्रा में दी गई कीमत अन्त में वही कीमत होती है, जो देशी बाजार में वस्तुओं की कीमत ने कोई-कोई सम्बन्ध अवश्य

रखती है।

यहां पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऋय-शक्ति ममता दोनों देशों की कीमत के सामान्य स्तर की तुलना करती है, न कि केवल उन वस्तुओं के कीमत-स्तर की, जो वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आती हैं। उपर्युक्त प्रकार की वस्तुओं की कीमतें हर देश में उनके परिवहन व्यय, तट कर आदि का ध्यान रखते हुए, निःसंदेह एक ही होती हैं। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं की कीमतों की केवल तुलना करें तो इस सिद्धांत को प्रमाणित करना अति सुगम हो जायगा। वास्तव में जब हम इसे केवल इन्हीं वस्तुओं पर लागू करते हैं तो यह सारहीन तथ्य रह जाता है जैसा कि प्रो० हाम लिखते हैं कि "यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुओं की राष्ट्रीय कीमतों को यदि प्रचलित विनिमय दरों में अंकित किया जाय तो वे विभिन्न बाजारों में समानता की ओर चलेगी।"¹ परन्तु जब हम उन सब वस्तुओं के दामों के सूचक अंकों की तुलना करने का प्रयत्न करते हैं जो सम्बन्धित बाजार में बेची जाती हैं, तो उस समय विनिमय की दर इस प्रकार से निश्चित किये गये अंकों के सदैव अनुरूप न होगी। यह इसलिए कि घरेलू वस्तुओं की कीमतें कम से कम अल्पकाल में हो सकता है कि उसी दिशा की ओर न बढ़ें, जिस ओर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ें। दीर्घकाल में तो अवश्य ही विनिमय दर और कीमत-स्तर की वृत्ति एक ही दिशा की ओर जाने की होगी। इसलिए यह सिद्धांत, केवल दीर्घकाल में ही लागू होता है। इसके अलावा उन वस्तुओं के बीच जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होती हैं, और वे जो शामिल नहीं होती कोई स्थायी भेद नहीं होता। यह तो स्वयं विनिमय की दर पर आधारित है। यदि विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है तो कुछ वस्तुओं का, जो अभी तक देश में ही रहती थी, निर्यात लाभप्रद हो जायगा तथा प्रतिक्रम भी।

दीर्घकाल में भी यह सिद्धांत केवल उसी समय लागू होगा जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होता परन्तु ये परिस्थितियां बहुत ही कम अपरिवर्तित रहती हैं। उदाहरणार्थ, व्यापार के वस्तु-विनिमय की शर्तें सदैव देशों के बीच विदेशी वस्तुओं की मांग में परिवर्तनों के कारण या घरेलू वस्तुओं की पूर्ति की स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के कारण, निरन्तर बदलती रहती हैं। इससे अधिक, विदेशी ऋण की मात्रा में, परिवहन-व्यय में या अप्रत्यक्ष व्यापार-तुला के किसी मद में परिवर्तन हो सकते हैं। वस्तु-विनिमय की शर्तों में इस प्रकार हुए परिवर्तन कीमत-स्तरों के बीच के सम्बन्ध को अस्त-व्यस्त कर सकते हैं और हो सकता है कि इन कीमत-स्तरों पर निर्मित समताएं विनिमय-दर के अनुकूल न हों। जैसा कि श्री कैसल लिखते हैं, "दो देशों की आर्थिक स्थिति में विभिन्नता विशेषकर यातायात तथा तट-कर के सम्बन्ध में, साधारण विनिमय दर को, कुछ सीमा तक, मुद्राओं की ऋय-शक्ति द्वारा निर्धारित दर से दूर हटा सकती है।"² यदि कोई देश तट-कर बढ़ा देता है तो

1 Monetary Theory, 1946, p 224

2 Cassel, G — Money and Foreign Exchange After 1914, p 139

उसकी मुद्रा का विनिमय-मूल्य बढ़ जायगा लेकिन मूल्य-स्तर वही रहेगा ।

कैमल का सिद्धान्त यह बतलाता है कि कीमतों के परिवर्तन विनिमय-दर में भी परिवर्तन लाते हैं लेकिन विनिमय-दर के परिवर्तन कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं लाते । यह दूसरी बात ठीक नहीं है क्योंकि विनिमय के परिवर्तन आंतरिक कीमतों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य डालते हैं ।

अन्त में, हम कह सकते हैं कि क्रय-शक्ति नमता सिद्धान्त विनिमय दर का निश्चय करने वाली तात्कालिक शक्तियों की अपेक्षा अन्तिम शक्तियों की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है । अपनी त्रुटियों के होते हुए भी, क्रय-शक्ति नमता सिद्धान्त आजकल दीर्घकाल के विनिमय-दरों की अति मनोपजनक व्याख्या मानी जाती है । यह सिद्धान्त सब मुद्राओं पर लागू होता है । यह पुराने सिद्धान्त से जिनके अनुसार विनिमय दर ऋणत्व (balance of indebtedness) द्वारा निश्चित की जाती थी, अधिक उत्तम है । यह सिद्धान्त ऋणत्व-नुला के जड़ तक चला जाता है । यह इस बात की व्याख्या करता है कि स्वर्ण व्यापार-नुला या ऋणत्व-नुला किस प्रकार निश्चित की जाती है । यह सिद्धान्त विनिमय-दर के निश्चित करने में कीमत-स्तर के प्रभाव को उचित महत्त्व देता है । किसी विशेष समय पर वास्तविक दर साम्य-दर से विचलित हो सकती है, जो उस समय के व्यापार की शर्तों या भुगतान-नुला पर प्रभाव डालने वाले साधनों के कारण क्रय-शक्ति नमता-सिद्धान्त द्वारा सूचित होता है । ये साधन क्या हैं ? इनका अध्ययन नीचे किया जाता है ।

६ विनिमय-दर की अस्थिरता (Fluctuations of the Rate of Exchange)—दीर्घकाल-नमता चाहे टकसाल-समयात्र हो जैसी स्वर्ण-मान के अन्तर्गत होती है या चाहे क्रय-शक्ति-नमता हो, जैसे अपरिवर्तनीय, राजकी मुद्रा के अन्तर्गत होती है, अल्पकाल में बहुत से ऐसे कारण हैं, जो इन साम्य-दर स्तर के नीचे या ऊपर विनिमय-दर को गिराते, उठाते हैं । ये कारण दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं :

(1) जो विदेशी मुद्रा की मांग या पूर्ति पर प्रभाव डालते हैं, और

(11) वे, जो कि मुद्रा की स्थितियों को प्रभावित करते हैं ।

पहले के सम्यन्ध में हम देखते हैं कि विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति तीन कारणों में उत्पन्न होती है —

(क) व्यापारिक दशाये ,

(ख) स्टाक-विनिमय के प्रभाव ; तथा

(ग) बैंक कारोबार के प्रभाव ।

(क) व्यापारिक दशायें—ये आयात और निर्यात पर प्रभाव डालती हैं और इसीलिये विदेशी मुद्रा की पूर्ति और मांग नमज. होती हैं । जिन समय हमारे निर्यात आयात में अधिक होते ह, उस समय विनिमय की प्रवृत्ति हमारे हित की ओर बढ़ने की होगी और विपरीत स्थिति में इनकी प्रवृत्ति हमारे प्रतिकूल होगी । आयात और निर्यात के अन्तर्गत यहाँ पर केवल प्रत्यक्ष मद (visible items) ही नहीं हैं,

बल्कि अप्रत्यक्ष मद भी है ।

(ख) **स्टाक-विनिमय के प्रभाव**—इसके अन्तर्गत है ऋण का लेना, व्याज और ऋण का भुगतान करना, विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय, आदि । जब कोई देश किसी दूसरे देश को ऋण देता है तो विदेशी मुद्रा की माग वनती है और स्वदेशी मुद्रा के मूल्य की प्रवृत्ति गिरने की ओर होती है । जब देश के विनियोजक विदेशी प्रतिभूतिया खरीदते हैं या विदेशी विनियोजक स्वदेशी प्रतिभूतिया बेचते हैं तो उस समय भी ऐसा ही होता है । विनिमय किसी उस देश के हित में चलता है जब कि उसके ऋण का भुगतान हो रहा हो या जब विदेशी लोग उसकी प्रतिभूतिया खरीदते हो, क्योंकि सरकार के कार्यों से स्वदेशी मुद्रा की माग की उत्पत्ति होती है ।

(ग) **बैंक के प्रभाव**—बैंक ड्राफ्ट का क्रय-विक्रय, यात्रियों के साख-पत्र, अन्तर-पणन (arbitrage operations) (अर्थात् विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय करके, विभिन्न केन्द्रों में उनकी दरों में अन्तर हो जाने के कारण लाभ उठाना) आदि इस वर्ग के अन्तर्गत हैं । किसी विदेशी केन्द्र में ड्राफ्ट का विक्रय विदेशी मुद्रा की माग की उत्पत्ति करता है और उसके मूल्य को बढ़ाता है या स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को गिराता है । बैंक-दर भी विनिमय-दर को प्रभावित करती है । ऊँची बैंक-दर विदेशी केन्द्रों से धन को आकर्षित करती है और इस प्रकार स्वदेशी मुद्रा की माँग को बढ़ाती है और इसलिए उसके मूल्य को भी । इसके विपरीत स्थिति में उसका मूल्य गिर जाता है, क्योंकि निधि देश के बाहर जाने लगती है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है ।

(२) **मुद्रा-सम्बन्धी स्थितिया (Currency Conditions)**—वास्तविक या आशान्वित मुद्रा के मूल्य के परिवर्तन भी विनिमय-दर को प्रभावित करते हैं । यदि मुद्रा बहुत अधिक बाहर निकाली गई है या उसकी आशा है, तो लोग उस देश में अपनी पूँजी का विनियोजन करने के इच्छुक न होंगे । वास्तव में पूँजी की प्रवृत्ति बाहर जाने की होगी । इसको “मुद्रा से भागना” कहते हैं । यदि लोग मुद्रा के अधिमूल्यन की आशा करते हैं तो उनकी प्रवृत्ति परिकल्पनिक लाभ के लिए ऐसी मुद्रा खरीदने की होगी । पहली दशा में विनिमय-दर की प्रवृत्ति प्रतिकूल होने की होगी और उत्तरोत्तर दशा में अनुकूल ।

१० **विनिमय उतार-चढ़ाव की सीमायें (Limits to Exchange Fluctuations)**—परन्तु उतार-चढ़ाव कुछ सीमाओं के अन्दर ही होता है । हम यह पहले ही देख चुके हैं कि स्वर्ण-मान के अन्तर्गत इन सीमाओं का निर्धारण स्वर्णिक या स्वर्ण-अको द्वारा होता है ।

किसी देश के लिए अनुकूल विनिमय-दर उस समय होती है जब यह दर स्वर्ण आयात-अक के अधिक समीप हो, और उस समय प्रतिकूल होती है जब वह स्वर्ण-निर्यात-अक के अधिक समीप हो । यह दर उस समय अनुकूल कहलाती है, जब स्वदेशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में बढ़ जाता है या जब आयात से निर्यात होने लगता है । यदि

स्वदेशी मुद्रा का मूल्य गिरता है या सोने की प्रवृत्ति देश के बाहर जाने की होती है तो विनिमय-दर प्रतिकूल कही जाती है।

फिर भी, याद रखना चाहिये कि "अनुकूल" और "प्रातिकूल" शब्द केवल पारिभाषिक शब्द हैं जो कि वाणिज्यवादी काल में चले आ रहे हैं। जिसे "अनुकूल" कहा जाता है, संभव है कि वह वास्तव में वैसा न हो। उदाहरण के लिये, भारत के लिये १ शि० ६ पें० की दर १ शि० ४ पें० की दर की अपेक्षा अधिक अनुकूल मानी गई है। क्योंकि इस दर पर स्वदेशी मुद्रा अधिक खरीदी जा सकती थी। परन्तु यह दर निश्चय ही देश के हित में न थी, क्योंकि इसमें कृषि और औद्योगिक हितों को उस समय हानि पहुँची थी जब कि यह पहले पहल नियत की गई थी।

विनिमय स्वर्ण-आयात-अंक के ऊपर नहीं जाता (यह मानते हुए कि यह विदेशी मुद्रा में दिया गया है) क्योंकि विदेशी आयातकर्ता के लिये मोना भोजना हमारी मुद्रा खरीदने से अधिक सस्ता पड़ेगा। इसके विपरीत, विनिमय-दर स्वर्ण-निर्यात-दर के नीचे नहीं गिरती, क्योंकि स्वदेश के आयातकर्ताओं के लिये मोना भेज कर भुगतान करना विदेशी मुद्रा के खरीदने की अपेक्षा अधिक सस्ता पड़ेगा।

जब दोनों देश अविनिमयसाध्य कागजी मुद्रा के अन्तर्गत होते हैं, तो उस समय एक-दूसरे की दर का स्थान ऋण-शक्ति समता ले लेती है। जैसा कि पहले अध्ययन किया जा चुका है, ऋणशक्ति-समता टर्कनाल सममात्रा की तरह स्थिर नहीं है, बल्कि एक गतिशील सममात्रा है। अतएव, विनिमय की चाल की कोई निश्चित सीमा नहीं है। जैसा कि पहले ही देखा गया है मुद्रा की माग और पूर्ति के परिवर्तनों और मुद्रा की स्थितियों के परिवर्तनों के अनुसार तब्दीली होती है।

११. विनिमय की साम्य दर (Equilibrium Rate of Exchange)—उत्तर-चढाव के बाद विनिमय दर अपेक्षाकृत एक ऐसे स्तर पर पहुँच सकती है जिसे साम्य दर कहा जा सकता है। भारतीय मुद्रा के इतिहास में हमने १८ पें० और १६ पें० की विनिमय दरों का अध्ययन किया है। उनमें से कौन सा अनुपात ठीक था? दोनों दरों के बारे में यह कहा जाता था कि उन पर विभिन्न आर्थिक बातों का, जैसे कि कीमत, मजदूरी, व्याज की आदि का मिलान था। अर्थात् वे साम्य दरें थीं। सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो दर सब से उत्तम होती है, उसे साम्य दर कहते हैं। उस दर पर किसी प्रकार की त्रिसमता व असमता (जैसे कीमत लागत असमानता) नहीं होती तथा अर्ध-व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में असम्य तथा दुर्व्यवस्थापन का चिह्न नहीं देख पड़ता। इनकी परिभाषा इन शब्दों में की गई है "यह वह दर है कि जिन पर भुगतान साम्य की स्थिति में होता है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा रिजर्व में कोई वास्तविक घट-वृद्ध नहीं होती।" इनकी परिभाषा इन प्रकार भी की गई है, "जो शेष मन्तार से अधिक बेरोजगार फैलाए बिना भुगतान-शेष का साम्य बनाए रखता है।"¹ इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि साम्य दर वह दर है जिन पर प्रत्येक मुद्रा

की माग उसकी पूर्ति के बराबर होगी। यह विभिन्न अर्थ-व्यवस्थाओं के बीच साम्य का संकेत करती है। साम्य दर पर देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा के अनुपात में न तो अधिक मूल्य रखती है और न कम। यह न तो निर्यात को प्रोत्साहन देती है और न आयात को। यह तटस्थ रहती है।^१

श्री हाम साम्य दर के बारे में निम्नलिखित बातें बताते हैं —

(I) इसे घरेलू स्थिरता के औसत अनुपात में होना चाहिए। उदाहरणार्थ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आन्तरिक बेकारी बाह्य बेकारी से अधिक न होनी चाहिए।

(II) यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि इस दर को स्थिर रखने के लिए राष्ट्रीय स्वर्ण कोष पर अधिक बोझ पड़े या विदेशी विनिमय की वचत को अधिकाधिक प्रयोग करना पड़े। यदि इसके लिए देश की मुद्रा को कम करना पड़े जिसके फलस्वरूप मदी की स्थिति आये या विकास में रुकावट पड़े तो वह साम्य-दर नहीं होगी।

(III) इससे विदेशी व्यापार में कृत्रिम लाभ या हानि नहीं होनी चाहिए। विदेशी व्यापार से संबंधित दूसरे देशों की माग, लागत व कीमत आदि बातों के सम्बन्ध में इसे निष्पक्ष रहना चाहिये।

१२ स्वर्ण-मान के अन्तर्गत असमता कैसे ठीक की जा सकती है ? (Correcting Disequilibrium under Gold Standard ?)—हमने स्वर्ण-मान का अध्ययन करते समय इसके गुणों में से एक की व्याख्या करते हुए यह बतलाया था कि इसके अन्तर्गत भुगतान-शेष के साम्य में होने वाली किसी भी गड़बड़ी की प्रवृत्ति इसको ठीक करने की ओर होती है। अब हम यह देखेंगे कि यह किस प्रकार होता है। एक पूर्ण आदर्श स्वर्ण-मान की कल्पना सैद्धान्तिक रूप से ही की जा सकती है। परन्तु सन् १९१४ से पहले की ब्रिटिश पद्धति इस आदर्श के निकट मानी जा सकती है।

मान लीजिये कि उस समय ब्रिटेन का आयात निर्यात की अपेक्षा अधिक था और यह प्रतिकूल आधिक्य अप्रत्यक्ष निर्यात से भी पूरा नहीं हुआ। इससे विदेशी मुद्रा की माग बढ़ जायेगी। मान लीजिये फ्रांस की मुद्रा की जो स्वर्ण-मान के अन्तर्गत थी जिससे कि स्टर्लिंग का फ्रैंको में अवमूल्यन (depreciation) होगा। यही अवमूल्यन स्वयं फ्रांसिसियों के लिये ब्रिटिश वस्तुएं अधिक मस्ती करेगा और फ्रांसीसी वस्तुएं अंग्रेजों के लिए अधिक महँगी। निर्यात को इस प्रकार प्रोत्साहन मिलेगा और आयात को निरुत्साह, और व्यापार-नुला की प्रवृत्ति ब्रिटेन के हित में जाने की होगी। इस प्रकार पहले की असमता ठीक हो जायेगी। यह उस समय भी होगा जब कि विनिमय एक अंश में ब्रिटेन के प्रतिकूल भी जाय।

परन्तु मान लीजिये कि प्रतिकूल आधिक्य बहुत गम्भीर था और विनिमय इंग्लैंड से स्वर्ण निर्यात अंक को पार कर गया, तो सोना इंग्लैंड से बाहर निकलेगा और फ्रांस के भीतर जायेगा। इंग्लैंड में साख मकुचित होगी (केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनी तिथि को बचाने के कार्य से) और उमी तरह फ्रांस में साख का प्रसार होगा। कीमतें और लागनें

इंग्लैंड में गिरेगी और फ्राम में बढ़ेगी। इंग्लैंड खरीदने के लिए एक आकर्षक बाजार बन जायेगा और फ्राम में इसके विपरीत होगा। इंग्लैंड के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और आयात निरुत्साहित होंगे। इस प्रकार असमता के मूल कारण ठीक ही जायेंगे।

जैसा कि हम प्रारम्भिक अध्याय में देख चुके हैं, इस प्रकार की आत्मगतिक कार्य-बहन पद्धति के लिये कुछ शर्तें अवश्य ही पूरी होनी चाहियें जैसे कि सोने को बेरोज-दोस्र आने-जाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए जिन्में वह दोनों देशों में कीमती और लागती को प्रभावित कर सकें। इससे कीमती और लागत उस देश में बढ़ेगी जो सोना प्राप्त करना है और उस देश में गिरेगी जो सोना बाहर भेजता है। इसमें अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्मीले न्वभाव का और केन्द्रीय बैंक के स्वर्ण-मान का खेल करने की इच्छा का आभास होता है।

सन् १९१४ के पहले ऐसी स्थितियाँ बड़ी गहरी में पाई जाती थी। परन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद वे न रही। इस प्रकार यह देखा गया कि स्वर्ण-मान अन्तर्गष्ट्रीय असमता को अपने आप ठीक करने में समर्थ न रह सका।

१३ अविनिमयसाध्य मुद्रा के अन्तर्गत असमता का सशोधन (Correcting Disequilibrium Under Inconvertible Paper)—यदि वस्तुओं के एक देश से दूसरे देश में आने-जाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाय तो उन देशों में भी अपरिवर्तनीय मुद्रा के अन्तर्गत ऐसे ही स्वयगतिक सशोधन की कल्पना की जा सकती है। सोने के चलन के स्थान पर वस्तुओं का चलन होगा और उसमें दोनों देशों के नापेक्ष मूल्य-स्तरों पर प्रभाव पड़ेगा।

परन्तु बान्धव में देशों में होने वाले दामों के नापेक्ष परिवर्तनों का उस समय अधिक गठिनाई में आभास होता है जब कि सोने की अपेक्षा सम्बन्ध वस्तु या वस्तुओं द्वारा जोड़ा जाता है। उन वस्तुओं की अपेक्षा जितनी माग बहुत से कारणों पर निर्भर है, सोना सर्वत्र मान्य होता है। इन तरह ऐसा हो सकता है कि वास्तविक विनिमय-दर ऋय-सहित समानता में दूर रहे और यह असमता नापेक्ष कीमत के स्तरों के परिवर्तनों द्वारा सशोधित न हो सके। ऐसी परिस्थिति में समता लाने का आम तरीका यह है कि विनिमय को स्वतः मूल्य स्तर का समायोजन करने के लिए स्वतन्त्र कर दिया जाय।

स्वर्ण-मान के अन्तर्गत विनिमय और व्याजजी मुद्रा-मान के अन्तर्गत विनिमय के बीच एक और अन्तर यह है कि पत्र-मुद्रा का वर्तमान मूल्य उनके भविष्य के आशातीत मूल्य के विचारों द्वारा बहुत कुछ प्रभावित होता है। यदि वह सामान्यतः विद्यमान किया जाता है कि मन्त्रनिवृत्त मुद्रा के अवमूल्यन की आशा है तो लोग उनको किसी दूसरी मुद्रा में परिवर्तन करके उसमें पीछा छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे। इन प्रकार इन मुद्रा का अवमूल्यन होगा, भले ही उन देशों के नापेक्ष मूल्य-स्तरों में कोई परिवर्तन न हुआ हो। इसी प्रकार इन तरह के परिवर्तनी प्रभावों के कारण एक असमानता उत्पन्न हो जायेगी।

एक देश में दूसरे देश की वस्तुओं की परस्पर माग की तीव्रता का प्रभाव भी एक कारण है। यदि नापेक्ष मूल्य-स्तर स्थिर रहने दें और किसी भी कारण से एक देश 'अ'

की मांग देश 'ब' की वस्तुओं के लिये अपेक्षाकृत अधिक तीव्र हो जाती है, तो विनिमय दर देश 'अ' के विपरीत और देश 'ब' के अनुकूल उस सीमा से अधिक बढ़ेगी जितना कि मूल्य-स्तरो के अन्तर के अनुसार आवश्यक है। यदि दोनों देश स्वर्ण-मान के अन्तर्गत है तो इस परिस्थिति का फल यह होगा कि सोना 'अ' देश से निकल कर 'ब' देश के पास तब तक जाता रहेगा, जब तक कि मूल्य-स्तरो के परिवर्तन टकसाली विनिमय-दर पर माम्य स्थापित नहीं करते।

हम यह कह सकते हैं कि स्वर्ण-मान के अन्तर्गत दो देशों के बीच समता की प्रवृत्ति सोने के चलन और सापेक्ष मूल्य-स्तरो द्वारा स्थापित होने की होती है तथा अविनिमय-साध्य कागजी मुद्रा के अन्तर्गत विनिमय की दरों के परिवर्तन द्वारा।

१४ विनिमय स्थायित्व बनाम कीमत स्थायित्व (Exchange Stability Versus Price Stability)^१—स्वर्ण-मान के अन्तर्गत विनिमय अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं और सोने के चलन से समन्वय किया जाता है जिनका प्रभाव सापेक्ष मूल्य-स्तरो पर पड़ता है। अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा के अन्तर्गत विनिमय के परिचलन द्वारा समन्वय अधिक सरलता से हो जाता है। परन्तु कागजी मुद्रा के अन्तर्गत भी विनिमय कृत्रिम रूप से नियंत्रित किये जा सकते हैं और स्थायी रखे जा सकते हैं। तब उन देशों के बीच समन्वय कीमतों और लागतों के एक दु खदायी सापेक्षक परिवर्तन द्वारा करना होगा।

प्रश्न उठता है कि देश को किस नीति को अपना उद्देश्य बनाना चाहिये—विनिमय स्थायित्व [या] कीमत स्थायित्व? इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह देश की आर्थिक दशा और उसके विदेशी व्यापार के विस्तार पर निर्भर होगा।

यदि देश बड़ा है और उसकी अर्थ-व्यवस्था में विदेशी व्यापार का स्थान तुच्छ है और उसके मूल्य और लागतों का ढांचा लचीला नहीं है, तो उस समय उसके मूल्य-स्तर के स्थायित्व को सुरक्षित रखना और विनिमय की दर की गतिविधि का उचित समन्वय करना उसके हित में होगा। इसके विपरीत एक छोटे देश के लिए, जिसका विदेशी व्यापार विस्तृत है और कीमतों और लागतों का ढांचा लचीला है, यह लाभदायक होगा कि वह अपने विनिमय की दर को स्थायी रखे और आन्तरिक कीमत और लागतों की गतिविधि द्वारा समायोजन होने दे। उदाहरण के लिये, भारत जैसे देश का लक्ष्य कीमतों का स्थायित्व और स्वतन्त्र विनिमय होना चाहिये जबकि ब्रिटेन के लिये अधिक आवश्यक उद्देश्य स्थायी विनिमय होना चाहिये।

डबर कुछ समय से मुद्रा-नीति का उद्देश्य इन दोनों से दूर हट गया है। उद्देश्य अब न तो विनिमय की स्थिरता है और न कीमत की स्थिरता। आर्थिक जीवन में स्थिरता लाना अथवा व्यापार चक्र को रोकना अब उद्देश्य बन गए हैं।

१५ अनिश्चित बनाम निश्चित विनिमय (Fluctuating Vs

Fixed Exchange)¹—क्या विनिमय-दरों को स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिये, जिसे ओर वे जाय जाने दिया जाय या उन्हें स्थिर रखना चाहिये? दोनों पक्षों में कुछ कहा जा सकता है। लोचदार विनिमय के नमर्थको का कहना है कि स्वतन्त्र दर की प्रथा द्वारा कोई देश स्वतन्त्र आर्थिक नीति अपना सकता है। देश को आन्तरिक स्थिरता की ओर प्रयत्नशील रहना चाहिए और विनिमय-दर को स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिये। इस प्रकार की नीति से आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था को बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सकता है। विनिमय दर भुगतान-मुला को साम्य स्थिति पर लाती है और यह ठीक ही होगा कि इसे हम वक्त अपने आप स्वतन्त्रतापूर्वक रहने दिया जाय। यदि विनिमय-दर को स्थिर रखा जाता है, तो विदेश में उत्पन्न हुई मुद्रा-विस्तार और संकुचन की बुराईया आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में आघुसती हैं। परिवर्तनशील विनिमय-दरें इन बुराईयों से बचा सकती हैं और यह भी पूछा जा सकता है कि “यदि भाग पूर्ति के नियम सब आर्थिक क्षेत्रों में ठीक प्रकार कार्य कर सकते हैं तो विदेशी विनिमय में क्यों नहीं कर सकते?”

इस प्रकार के तर्कों में काफी सचाई है। फिर भी निम्नलिखित बातों के कारण स्वतन्त्र परिवर्तनशील विनिमय-दर की पद्धति को सर्वत्र त्याग दिया गया है—^२

(१) चूंकि विनिमय की दरों में परिवर्तन का प्रभाव आयात और निर्यात पर पड़ता है, इसलिए परिवर्तनशील विनिमय-दर आन्तरिक स्थिरता में बाधा डालती है। इसमें प्राकृतिक स्रोतों में लगातार परिवर्तन होगा जैसा कि आयात उद्योगों तथा निर्यात उद्योगों में होता है, जिसमें आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में गड़बड़ी होने के अलावा बहुत कुछ अपव्यय भी होता है।

(२) उतार-चढ़ाव वाली विनिमय दर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के जोखिमों को बढ़ाकर उसके विकास में बाधा है।

(३) उतार-चढ़ाव वाली विनिमय की प्रथा में विदेशी मुद्राओं के सम्बन्ध में बहुत सट्टेबाजी होती है जिसमें विनिमय की दरों में अत्यन्त जम्पिरता आ जाती है। यदि विनिमय में अवमूल्यन की शक्ता है, तो इससे बहुत गतन बढ़ता है। पूंजी दूर भागने लानी है। इन प्रकार उतार-चढ़ाव वाली विनिमय दर नमामोजन की वृद्धि के लिए उचित नहीं है।

(४) उतार-चढ़ाव वाली विनिमय-दरों में आकस्मिक लाभ और हानि होती है। विनिमय-दर में आकस्मिक परिवर्तन से लाभ उठाने के लिए व्यापारियों को अधिक मात्रा में नवदी रखनी होती है। इसमें नाश का संकुचन होता है, व्याज की दर बढ़ गानी है और बेकारी फैलने लगती है।

(५) उतार-चढ़ाव वाली दरों में दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन में भी बाधा पड़ती है क्योंकि जिन बात में आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में हलचल मचनी है उनका प्रभाव

1 See League of Nations—International Currency Experience, 1941, Pp 117-118 and also Ch XI

2, See Halm, G N —Monetary Theory, 1946, pp 211-16.

पूजी लगाने वाले पर भी पडता है।

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि न तो स्थायी और न अस्थायी दरो से काम चल सकता है। “यह सच है कि विनिमय फेरफार भुगतान-शेष की अल्पावधि की गडबडी को दूर करने का अनुचित तथा अवाञ्छित उपाय है, लेकिन यह भी समान रूप से सही है कि आन्तरिक तथा बाह्य साधनों में बड़े परिवर्तन होने की दशा में निरपेक्ष (absolute) विनिमय दर हानिकारक है। सामान्य हित की दृष्टि से चलमुद्रा मूल्य का समय-समय पर पुनरीक्षण होना चाहिए जिसमें विभिन्न देशों के कीमत-स्तर तथा विनिमय दर में असमानता कम हो जाए।”

उतार-चढ़ाव वाली विनिमय दर की जोखिमों तथा हानियों के कारण ही विनिमय नियंत्रण प्रणाली का चलन हुआ।

१६ विनिमय-नियंत्रण (Exchange Control)^१—प्रथम युद्ध से विभिन्न कारणों के फलस्वरूप सरकार ने विनिमय पर नियंत्रण रखना प्रारम्भ कर दिया है।

विनिमय पर नियंत्रण करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसे उस स्थान के बजाय जहाँ यह आर्थिक शक्तियों को स्वतन्त्र छोड़ देने पर निश्चित होता, दूसरे-स्थान पर निश्चित किया जाय। यह सीमित रहे जब कि आर्थिक शक्तियों को पूर्ण स्वतन्त्र कर दिया जाय। विनिमय पर नियंत्रण तब होता है जब कि देश की आर्थिक स्थितियों में मसारा अन्य देशों के समक्ष अधिक अन्तर पड जाता है। इससे देश का व्यापार विदेशियों के व्यापार से सन्तुलन न रखकर विषमता रखने लगता है। इसमें देश की पूजी का विदेशी पूजी के साथ द्वन्द्व होता है। इन तमाम कारणों से देश में विनिमय-नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है।

वह देश जो विनिमय नियंत्रण चाहता है इन तीन तरीकों से चल सकता है (यह वहाँ की आर्थिक स्थिति पर आधारित है) (१) वह देश चल मुद्रा के मूल्य को कम कर सकता है (अथवा अवमूल्यन), (२) अतिमूल्यन (overvaluation), अथवा (३) उतार-चढ़ाव से बच कर स्थिर दर बनाए रखने का निश्चय करे। अब हम प्रत्येक पर जुदा-जुदा विचार करेंगे।

जब कोई देश मूल्य में कमी करता हो अर्थात् स्वतंत्र विनिमय की बाजार से कम मूल्य पर वस्तुओं को बेचता है तो आयात को घक्का लगता है और निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है जिससे देश की वस्तुओं की कीमत दूसरे देशों की अपेक्षा बढ़ जाती है। यह तरीका मन्दी के हटाने के लिये प्रयोग में आता है। किन्तु यह पूर्णरूप से संभव नहीं होता। इसमें आन्तरिक कीमतों के बढ़ने के बजाय बाहरी कीमतें बढ़ जाती हैं। यह बड़े-बड़े देशों में ही घटित होती है, जैसे, भारत और अमरीका। मूल्य में न्यूनता कर देने की नीति उन देशों के लिए अच्छी है जहाँ पर खाद्य-सामग्री और कच्चे सामान

1 See International Currency Experience Ch VI and also Halm, G N — Monetary Theory, 1946, Ch XIV and League of Nations Report on Exchange Control, 1938 Crowther, G — An Outline of Money, 1950, Ch VIII

का निर्यात किया जाता है। मन्दी के समय इन मालों की कीमतों को बहुत दबा दिया जाता है किन्तु मूल्य की न्यूनता आयात को महंगा कर देती है। चाय-नामची और कच्चे सामान के विक्रेताओं के मूल्य में कमी हो जाती है। माल की कीमत को गिराने से बचाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। महामन्दी के समय बहुत नें देशों ने अवमूल्यन अथवा मूल्य में कमी कर देने वाला रास्ता स्वीकार किया।

विनिमय नियन्त्रण का दूसरा उद्देश्य मुद्रा अधिमूल्यन अथवा दूसरी मुद्रा से ऊंचा मूल्य निश्चित करना है। नियन्त्रण के न होने पर ऐसा नहीं हो सकता। यह रास्ता तभी अस्तिधार किया जाता है जब व्यापार-तुला में अधिक उतार-चढ़ाव पाया जाता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय मुद्रा की पूर्ति उमकी माग से कहीं अधिक बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में देश को विदेशी माल की अधिक आवश्यकता होगी या तो युद्ध की तैयारी के लिए अथवा युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए। यदि ऐसी अवस्थाओं में विनिमय की दरें कम कर दी जायेंगी तो आयात वस्तुओं की कीमत अधिक हो जायेगी अथवा आयात बन्द हो जायेगा। यदि किसी देश की आकस्मिक आवश्यकता किसी वस्तु की दूसरे देश से खरीदने की पड़ जाती है तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि लाना अधिक लाभप्रद पाया जाता है। यदि किसी देश में मुद्रास्फीति है तो राष्ट्रीय मुद्रा के विनिमय का मूल्य कम हो जायगा जब कि विनिमय स्वतन्त्र रूप में छोड़ दिया जायगा। यदि विदेशी व्यापार भली प्रकार से देश की आर्थिक अवस्था के लिए कार्य कर रहा है तो इसे अवश्य रोकना चाहिए नहीं तो आयात महंगा हो जायगा और निर्यात को लाभ होगा। अधिमूल्यन की नीति देश के लिए इस अवस्था में लाभदायक होती है, जब कि देश को किसी दूसरे देश को कर्ज अदा करना हो। यह अवस्था अपने देश के लिए लागू होनी है। यदि विनिमय गिर जाता है तो विदेशी ऋण का भार बढ़ जायेगा।

‘अतएव हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते हैं कि किसी देश को मुद्रा के मूल्य में कमी करनी चाहिए अथवा वृद्धि। यह उस देश की स्थिति पर निर्भर है। कुछ देशों को अधिक मूल्य रखना लाभदायी हो सकता है और कुछ देशों के लिए अवमूल्यन लाभदायक हो सकता है। वही देश किन्हीं परिस्थितियों में अधिक मूल्य वाली नीति से लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार किन्हीं अन्य परिस्थितियों में वह हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यही मत आउथर का भी है।’ “इसलिए प्रायः नियम इन प्रकार है युद्ध काल में तथा कमी के समय अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन करो, और मन्दी तथा अधिकाई में अवमूल्यन।”

विनिमय नियन्त्रण का तीसरा रास्ता जो न तो अधिक मूल्य का है और न कम मूल्य का, वह है उतार-चढ़ाव में बचाव। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विनिमय को कठोरता से एक मूल्य में बांध दिया जाय और वह तनिक भी हिल डुल न सके। उमका केवल तात्पर्य यह है कि विनिमय को आकस्मिक उतार-चढ़ाव में बचाया जाय जिनमें कि सर्वसाधारण के लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। विनिमय नाम्य का यही परिणाम

हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के स्थापित करने का यही उद्देश्य है ।

विनिमय नियन्त्रण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय माल के विधिवत् घुमाव से रहता है अथवा किसी निश्चित दर से विदेशी सिक्के के क्रय और विक्रय में रहता है । विनिमय नियन्त्रण तभी फलीभूत हो सकता है जब कि विनिमय बाजार में प्रभावित माग के लिये पूर्ति हो । यह तटकर, ब्याज दरों में परिवर्तन आदि द्वारा परोक्ष रूप में किया जा सकता है । आयात कर और आयात मात्रा (कोटा) आने वाले माल को कम कर देगी । और विदेशी मुद्रा की माग और मूल्य भी कम हो जायेंगे । निर्यात कर, जो इतने साधारण नहीं है, इसके विपरीत प्रभाव डालते हैं । इसके विषय में आर्थिक सहायता पृथक् प्रभाव डालती है । निर्यात सरकारी आर्थिक सहायता देशी सिक्को के मूल्य को बढ़ा देती है और आयात आर्थिक सहायता देशी सिक्को के मूल्य में कमी कर देती है । ब्याज की दर में वृद्धि विदेशी पूँजी अपनी ओर खींच लाती है, देशी सिक्को की माग में वृद्धि लाती है तथा इसका मूल्य बढ़ाती है, किन्तु इन साधनों से विनिमय प्रभावित किया जाता है, नियंत्रित नहीं । यह ढग विनिमय पर नियन्त्रण करने के लिये प्रतिद्वन्द्वी देश के निमित्त प्रयोग में नहीं लाये जाते हैं । यह ढग विनिमय पर नियन्त्रण करने के लिये आवश्यक रूप से नहीं स्वीकार किये जाते । और न यह ढग कुशल नियन्त्रण लाने के लिये पर्याप्त ही है । अतः और बहुत से प्रत्यक्ष साधनों के प्रयोग आवश्यक होते हैं ।

साधारणतया केवल दो ही ढग हैं जिनसे विनिमय पर नियन्त्रण लगाया जा सकता है (१) शासन की आर से विनिमय की बाजार में विदेशी विनिमय के क्रय और विक्रय को साम्य स्तर पर लाने के लिये हस्तक्षेप किया जाता है । इस ढग को हस्तक्षेप कहते हैं और यह विनिमय उद्बन्धन (exchange pegging) की ओर बढ़ाता है । (२) सरकार मुद्रा की माग और पूर्ति पर रोक लगा सकती है जिससे वे विनिमय बाजार तक न पहुँच सके । यह तरीका बहुत ही लाभदायक और प्रसिद्ध है, क्योंकि पहला तरीका केवल अल्पकालीन अस्त्र है । और इसमें अधिक व्यय की आवश्यकता होती है । विनिमय प्रतिबन्ध वास्तविक विनिमय नियन्त्रण है । इसके लिये निम्नलिखित ३ बातों की आवश्यकता होती है (क)—प्रत्येक विदेशी विनिमय क्रिया को सेंट्रल बैंक में केन्द्रित कर देना चाहिये । (ख) राष्ट्रीय सिक्के विनिमय के लिये विना पूर्ण-स्वीकृति के नहीं दिये जा सकते । (ग) अनधिकृत विदेशी विनिमय के लेन-देन में प्रवेश करने पर दंड दिया जाता है । इसके लिये साधारण रास्ता यह होना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति जो बाहर माल भेजना चाहता है उसे सेंट्रल बैंक के पास प्रार्थना-पत्र तथा विदेशी सिक्को पर अपना अविचार प्रस्तुत करना चाहिए और सेंट्रल बैंक को लाइसेंस-प्राप्त व्यक्तियों के पास विदेशी आये हुए माल को बाट देना चाहिए । इस प्रकार से विनिमय-नियन्त्रण पूर्ण रूप से आये हुए माल पर नियन्त्रण रखता है । सन् १९३९ तक जर्मनी ही विनिमय-नियन्त्रण में प्रमुख देश था । विनिमय-नियन्त्रण ने जो विभिन्न रूप अपनाये हैं, वे इस प्रकार हैं —

(1) विनिमय "उद्बन्धन" (Exchange Pegging)—यह विधि साधारणतया युद्ध के समय में विनिमय उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए काम में लाई जाती है । किन्ती मुद्रा के आंतरिक मूल्य का मुद्रा-प्रसार के कारण अवमूल्यन हो सकता

है परन्तु सरकार अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन को सुविधा देने के लिए इसके बाह्य मूल्य को जितना कि वह क्रय-शक्ति समता के अनुसार उचित है, उमसे भी ऊँचा स्तर बनाये रखने का प्रयत्न कर सकती है। यह विधि इंग्लैंड के द्वारा प्रथम महायुद्ध में, और फिर दूसरे महायुद्ध में भी काम में लाई गई थी। सन् १९१६-१९ के बीच स्टर्लिंग कृत्रिम रूप में ४०७६५ डालर—उस मूल्य पर जो कि स्टर्लिंग के अमली मूल्य में ऊँचा था—पर बन्धन रखा गया था। यह अमरीका में ऋण लेकर और उसमें ऊपर दी हुई दर के अनुसार लदन में विनिमय खरीद करके किया गया था। इस प्रणाली से सफलता इस बात पर निर्भर है कि अमुक राष्ट्र के पास कितने नग्नाधन है। विनिमय उद्वन्धन द्वारा अधिकाधिक उतार-चढ़ाव कम किये जा सकते हैं किन्तु विनिमय दर की साम्यावस्था में मूल्य परिवर्तन सम्भव नहीं है।

(11) विनिमय-समकारी या क्षतिपूरक लेखा (Exchange Equalisation Account)—विनिमय निधि का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान प्रचलन का अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण निर्णय प्रणाली^१ में रूपान्तर करना था, जो (यह परिवर्तित प्रणाली) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मोने को सन्तुलन मद के रूप में उपयोग करने लगी। इंग्लैंड द्वारा सन् १९३१ में स्वर्ण-मान के बन्द किये जाने के बाद तीव्र विनिमय उतार-चढ़ाव के रोकने की फिर आवश्यकता हुई। इस कार्य के लिए विनिमय समकारी लेखा-निधि (Exchange Stability Fund) को काम में लाया गया। (यह पहले अध्याय^२ में स्पष्ट कर दिया गया है)। “विनिमय समकारी लेखानिधि आस्तियों का समग्रह है जिसे केन्द्रीय नियन्त्रण के अन्तर्गत पृथक् किया जाता है। उमने विनिमय मार्केट में ज्यादा उतार-चढ़ाव पर नियन्त्रण रहता है।”^३ आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्रा का इस निधि की सहायता से क्रय-विक्रय किया गया और इस प्रकार अल्पकाल निधियों की इंग्लैंड के अन्दर जाने की या बाहर आने की अनिश्चित गतिविधियों के होते हुए भी विनिमय एक संकुचित क्षेत्र में नीमित रखा गया। यह निधि मुद्रा मूल्य में दीर्घकाल समायोजन (adjustment) को रोकने के काम में नहीं लाई जाती। विनिमय समकारी लेखा निधि का विभिन्न देशों में भिन्न उपयोग हुआ है तथा एक ही देश में कई स्टेज पर भिन्न प्रयोग। “ब्रिटिश विनिमय समकारी निधि की रचना इस प्रकार हुई थी जिसमें सामान्य धारा पर नियन्त्रण लगाए बिना, विनिमय में तीव्र उतार-चढ़ाव कम हो सके, जो पूँजी की अनिश्चित गतिविधि तथा स्टॉकमार्केट की चेंप्टाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। धीरे-धीरे निधि के उद्देश्यों को व्यापक कर दिया गया और इन्हें समय-समय पर होने वाली गड़बड़ को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। दूसरी विन्म की निधियों को स्थापित करने या उद्देश्य सामान्य विनिमय धाराओं पर नियन्त्रण करता था। इनके मुख्य कार्य ये हैं (1) विनिमय की दरों

1 For characteristics of the Gold Settlement System, see International Currency Experience p 155

2 Chapter XXXII

3 League of Nations—International Currency Experience. 1914, p 143.

में अल्पकाल के उतार-चढ़ाव को ठीक करना, (11) अल्पकालिक निधियों की गतिविधि और सट्टेबाजी की क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न हुए विघ्नकारी प्रभावों से रक्षा करना। लगातार घटते-बढ़ने वाले विनिमय व्यापार को भारी क्षति पहुंचाते हैं। यह निधि इसलिये, विदेशी व्यापार के मार्ग को समतल बनाने के लिए होती है।

द्वितीय महायुद्ध के समय ऐसी ही विधियों से डार्जर स्टॉलिंग की दर १ पौण्ड= ४ ०३ डालर पर कायम रखी गई थी।

(111) विनिमय नियंत्रण (Exchange Control Proper)—वास्तव में विनिमय-नियंत्रण का अर्थ उन अनेक युक्तियों से है, जिनमें से बहुत सी जर्मनी में नाजी शासन के समय शुरू की गई थी। उसके बाद दूसरे देशों ने भी उनमें से कुछ को अपनाया।

विदेशी व्यापार की बाधाओं के बारे में समझाते हुए हमने इनमें से कुछ युक्तियों का अध्ययन किया है। यहाँ हम फिर विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण की अपेक्षा विदेशी विनिमय के दृष्टिकोण से उन पर प्रकाश डालेंगे। ये युक्तियाँ हैं (क) निष्कासन या निकामी समझौते (clearing agreements), (ख) यथापूर्व-स्थिति समझौते (standstill agreements), (ग) ट्रांसफर मोरेटोरिया (transfer moratoria) और (घ) समावृद्ध-लेखे (blocked accounts)।

दो देशों के बीच के निष्कासन-समझौते (clearing agreements) के अन्तर्गत आयात-कर्ता अपने-अपने केन्द्रीय बैंकों में आयात की हुईं सब वस्तुओं के क्रय-मूल्य को एक लेखे में जमा कर देते हैं। इस घन से फिर निर्यात-कर्ताओं का भुगतान कर दिया जाता है। मुद्राओं की दर साधारणतया समझौते की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसका उद्देश्य है राज्य की इच्छानुसार आयात का नियमन करना, भुगतान-तुला में साम्य निश्चित करना और घटते-बढ़ते हुए विनिमय की अनिश्चितता को दूर करना। इस प्रणाली की प्रवृत्ति बहुमुखी व्यापार के वजाय द्विमुखी व्यापार को प्रोत्साहन देने की है और इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका प्रभाव अवरोधक होता है। इसके अतिरिक्त यह राशिपातन (dumping) और मुद्रा-अवमूल्यन को निरस्त/सहित करती है। सब प्रकार से देखते हुए यह प्रणाली निन्दित ठहराई जाती है। केवल युद्ध के समय की विशेष परिस्थितियों में या एक अस्थायी मुक्ति के तौर पर किमी देश की भुगतान-तुला की असमता की परिस्थिति पर काबू पाने के लिये उस समय तक इसका आश्रय लिया जाता है, जब तक कि असमता के कारण दूर नहीं हो जाते।

यथापूर्व-स्थिति समझौता (Standstill Agreement)—किसी देश को अपनी दशा सुधारने के लिए समय देने की एक युक्ति है जिससे कि उस देश से अति विशिष्ट विदेशी अल्पकाल ऋण के विलम्ब काल शोष (moratorium) के रूप में पूजी बाहर न जा सके। या तो अल्पकाल ऋण दीर्घकाल ऋण में परिवर्तित कर दिया जाता है या उसके धीरे-धीरे भुगतान करने की व्यवस्था कर दी जाती है। यह युक्ति जर्मनी में सन् १९३१ के नकट के बाद प्रयोग में लाई गई थी।

हस्तांतरण विलम्ब काल शोध (transfer moratoria)¹ उनी प्रकार की एक दूसरी युक्ति है। इस प्रणाली के अन्तर्गत आयातकर्त्ता और दूसरे लोग अपने विदेशी ऋण का भुगतान अपनी स्वदेशी मुद्रा में एक निर्दिष्ट प्राधिकारी को करते हैं। जब विलम्ब काल शोध (moratorium) की ममाप्ति हो जाती है, तो ये निधिया विदेशों को भेज दी जाती हैं। कभी-कभी एक विदेशी ऋणदाता को उन देश में, जो विलम्ब कालशोध (moratorium) लागू करता है, अपनी निधि को सरकार द्वारा निर्दिष्ट ढंग पर व्यवहार में लाने की आज्ञा दे दी जाती है। जर्मनी में इस प्रणाली को १९३१ में काम में लाया गया।

पहले बतलाए हुए यथापूर्व-स्थिति समझौते और हस्तांतरण विलम्ब कालशोध की पृथितयो से एक तीसरी युक्ति निकलती है जिसको कि समावहद लेखा या बँधे हुए खातों की प्रणाली (blocked accounts) कहते हैं। जिन समय केन्द्रीय बैंक को स्वदेशी मुद्रा में दिये गए विदेशी ऋण सरकार की आज्ञा के वगैर विदेश नहीं भेजे जा सकते उस समय समावहद लेखों का उदय होता है। चूँकि देश में पड़ी बैंकर निधि साख को मकुचित करनी है, इसलिए विदेशी उन्नमर्ग ऋणदाता उनको व्यवहार में लाने से त्रिस्तु वचित नहीं किये जाते। परन्तु निधिया सरकार की निर्दिष्ट विधि के अनुसार ही व्यवहार में लाई जाती हैं। साधारणतया उनको म्वनन्त्र बाजार में बेचने की आज्ञा दे दी जाती है। अधिकतर वे ऊँचे बट्टे पर बेची जाती हैं।

१७ वायदा विनिमय (Forward Exchange)—विनिमय में उतार-चढ़ाव की जोखिम, विशेषकर अविनिमयमाध्य मुद्रा के अन्तर्गत, एक युक्ति से हटाई जा सकती है, जिसको कि “वायदा विनिमय” कहने हैं। इसके अनुसार वह व्यक्ति, जिसे भविष्य में कभी कोई भुगतान करना है, या लेना है, एक ऐमे बैंक में प्रमविदा कर लेता है जो इस समय विनिमय की दर का निर्णय करता है। मान लीजिए कि किसी भारतीय आयातकर्त्ता को तीन महीने बाद इंग्लैण्ड के एक निर्यातकर्त्ता को ५०० पीण्ड का भुगतान करना है। विनिमय की अनिश्चितता के कारण वह उस वान का निर्णय नहीं कर सकता कि समय आने पर उसको कितने रुपये देने होंगे। बिना यह समझे हुए कि उसकी लागत कितनी हुई वह आयात को हुई वस्तु का मूल्य निर्वारित नहीं कर सकता। इस समय के किसी निश्चिन दिये हुए दर पर अगिम (फॉरवर्ड) स्टैलिङ्ग खरीद कर वह इन नकद में मुक्ति पा सकता है। यह उसको विनिमय में उतार-चढ़ाव की जोखिम से सुरक्षित कर देगा। उनी प्रकार भारतीय नियतिवर्त्ता जिन का कि भविष्य में स्टैलिङ्ग में भुगतान मिश्रता है, एक निश्चिन की हुई दर पर वस्तुएं बैंक को बेच सकता है। उनको विश्वास रहेगा कि भविष्य में उसको कितने रुपये मिलेंगे।

वायदा-विनिमय की दरें प्रचलित दर में दी जाती हैं, या ‘तात्कालिक दर (spot

1 An emergency measure authorising the suspension of payments of debts for a given time: the period thus declared.

rate) में। यदि स्वदेशी मुद्रा को एक इकाई के बदले में विदेशी मुद्रा का एक थोड़ा भाग मिलता है, तो यह अग्रिम दर "अधिमूल्य" (at a Premium) पर होती है। यदि स्वदेशी मुद्रा की इकाई के बदले में अधिक भाग मिलता है तो उसको "अपहार" अथवा बट्टे पर होना कहते हैं।

किन परिस्थितियों में अन्तिम दर अधिमूल्य पर या बट्टे पर हो सकती है? दूसरे शब्दों में, वे क्या कारण हैं जिनको बैंक अग्रिम दरों का मूल्यांकन करते समय अपने ध्यान में रखते हैं। साधारणतया तीन बातें ध्यान में रखी जाती हैं —

(1) स्वदेश और विदेश में व्याज की सापेक्ष दरें (The Relative Rates of Interest at Home and Abroad)—यदि व्याज की दर किसी विदेशी केन्द्र में स्वदेश से अधिक है तो बैंक को अपनी निधि विदेशी केन्द्र में भेजने से लाभ होगा। इस प्रकार वह अग्रिम विनिमय सस्ती दरों पर बेच सकता है। अग्रिम विनिमय का मूल्यांकन बट्टे पर होगा। यदि स्वदेश में व्याज की दर उच्चतर है तो निधि के विदेश भेजने में कोई आकर्षण न होगा। अग्रिम विनिमय का मूल्यांकन अधिमूल्य पर किया जायगा।

(11) सविदा का सन्तुलन ('Marrying' a Contract)—निधियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के द्वायक बैंक एक लेन-देन को दूसरे लेन-देन से पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यापारियों को विदेशी मुद्रा की भविष्य में आवश्यकता होगी और इसके विपरीत कुछ व्यापारी भविष्य में विदेशी मुद्रा बेचना चाहते हैं। बैंक उनके बीच में एक मध्यस्थ के तौर पर आ जाता है। वह एक से खरीदता है और दूसरे को बेचता है और लाभ अपने लिए निकाल लेता है। इसको सविदा का सन्तुलन (marrying a contract) कहते हैं। इसलिए यदि बैंक ने पहले से ही वायदा विनिमय खरीद लिया है तो वह उन लोगों को, जो उससे खरीदना चाहते हैं, उन्हें अच्छे दर पर बेच देगा। अग्रिम दरें, इस प्रकार, बट्टे पर मूल्यांकित होंगी, क्योंकि बैंक पहले ही जोखिम उठा चुका होता है।

(111) मुद्रा की स्थितियाँ (Currency Conditions)—यदि विदेशी मुद्रा के अवमूल्यन की आशा है, तो बैंक उसको अग्रिम रूप से खरीदने के लिए तैयार न होगा और इस प्रकार अग्रिम दरें अधिमूल्य पर मूल्यांकित की जायेंगी।

ऊपर कही गई बातों को ध्यान में रखकर देखने से यह समझना सरल हो जाता है कि अग्रिम विनिमय या भविष्य का लेन-देन, जैसा कि कहा जाता है, किस प्रकार विनिमय में उतार-चढ़ाव कम करने में सहायक होता है। ये लेन-देन केवल सच्चे व्यापारिक उद्देश्यों में ही प्रयोग में नहीं लाये जाते बल्कि सट्टेबाजी के उद्देश्यों से भी।

१८ अन्तर-पणन (Arbitrage Operations)—जब अग्रिम विनिमय से विनिमय उतार-चढ़ाव समय की दृष्टि से कम हो जाती है तो अन्तर-पणन से विनिमय दरों के अन्तर स्थान की दृष्टि से कम हो जाते हैं। एक उदाहरण से यह भेद समझ में आ जायगा। मान लीजिये कि वम्बई के विनिमय बाजार में रुपया-स्टर्लिंग विनिमय की दर है १८ पैसे प्रति रुपया और लन्दन में, किसी भी कारण से, दर बढ़

कर १९ पै० प्रति रुपया हो जाती है। प्रत्यक्ष है कि इस अन्तर के कारण लाभ कमाने का एक अवसर उत्पन्न हो जाता है। आप अपने इंग्लैण्ड के बैंक को तार में १९ पै० प्रति रुपया की दर पर स्टर्लिंग खरीदने का आदेश कर सकते हैं। आप उसको अपने भारतीय बैंक द्वारा १८ पै० प्रति रुपया की दर पर बेचकर १ पै० प्रति रुपया लाभ उठा सकते हैं। और लोग भी अवश्य ऐसा करेंगे। लन्दन में स्टर्लिंग की माँग बढ़ जायगी और विनिमय की दर १८ पै० प्रति रुपया की ओर बढ़ने के लिए प्रवृत्ति-शील होगी। इसके विपरीत भारत में स्टर्लिंग की पूर्ति बढ़ जायगी और रुपयों में इसका मूल्य गिरेगा। विनिमय की दर १९ पै० की ओर बढ़ेगी। यह उतार-चढ़ाव तब तक चलता रहेगा, जब तक भारत और लन्दन में विनिमय दर लगभग एक-सी नहीं हो जाती। वास्तव में इतना ऊँचा अन्तर जितना कि यहाँ हमने माना है, असम्भव होता है, क्योंकि अन्तर-पणन अन्तः को न्यूनतम बनाये रहता है।

१६. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)^१— आजकल एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना करके विनिमय उतार-चढ़ाव को दूर करने का एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्न किया गया है। इस समस्या का जन्म मन् १९४४ में होने वाले ब्रेटन वुड्स (Bretton Woods) सम्मेलन में हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नामक नस्था के स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि विनिमय में स्थिरता आ जाय और परस्पर एक दूसरे देशों में विनिमय मित्रतापूर्वक हो जिससे भुगतान-मुला की विषमता मिट जाय।

इसी नस्था के अनुच्छेद १ के अनुसार इसके निम्नलिखित कार्य होंगे—

(१) एक स्थायी नस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी कोष प्रोत्साहित करना।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में साम्य रचना और सदस्य देशों में ऊँचे स्तर का नियोजन-व्यवस्था करना।

(३) विनिमय की प्रतिस्पर्धा को रोकना एवं विनिमय की स्थिरता में वृद्धि करना।

(४) एक सदस्य और विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में द्रव्य की अदायगी के लिये बहुमुखी पद्धति की पुष्टि के लिये सहायक होता।

(५) सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध होने का विश्वास दिलाना जिससे वे अपने देशों की भुगतान-मुला को सही और ठीक रख सकें और जिससे राष्ट्रीय दरमित्रता अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति बरबाद न हो (जैसे अपस्कीनि नीति)।

(६) इन उद्देश्यों के आधार पर सदस्यों के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की विषमता को ठीक किया जाना है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I. M. F.) सदस्यों के चन्द्रे में बनाया गया, जिन्होंने कि उन कोष में भाग लेने का निश्चय किया था। चन्द्रे के भुगतान का कुछ भाग सोने में

1. See the excellent article on "The International Monetary Fund" by Alvin Hansen in America's Role in World Economy reprinted by Hess and others in "Outside Readings in Economics", pp 752-64. See also Halm, G \ — Monetary Theory, Ch XV.

और अशत कुछ उस देश की मुद्रा में होता था। सदस्य देश को २५% अपना कोटा देना होता है अथवा सोने के भाग का १०%, जो भी कम हो। इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साधन, कुछ तो सोने में हैं और कुछ सदस्य-देशों की मुद्राओं में जो कि उन देशों के केन्द्रीय बैंकों में रखी जाती हैं।

इस कोष का मुख्य कार्य सदस्य-देशों की मुद्राओं को एक दूसरे के लिए क्रय और विक्रय करना है। सदस्य-देशों को इस निधि से उनके कोटों का ७५% और इसके अतिरिक्त २५% प्रति वर्ष, और अधिक से अधिक उनके कोटों के २००% तक सहायता दी जा सकती है। कोष की इच्छा पर ये शर्तें ढीली की जा सकती हैं। इस कोष की सहायता से एक ऋणी देश सोने के निर्यात और उसमें उत्पन्न हुई अपस्फीति (जैसा कि स्वर्ण-मान के अन्तर्गत हुआ था) से सुरक्षित रहता है।

ऋणदाता देश की मुद्राएँ जिनका निर्यात आधिक्य उनके कोटों के ७५% से ऊपर है, दुर्लभ घोषित कर दी जाती है। इस प्रकार की मुद्राओं का सम-वितरण उन देशों के बीच कर दिया जाता है, जिनको उन मुद्राओं की आवश्यकता होती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुर्लभ मुद्राओं की पूर्ति को भी, या तो ऋण लेकर और या सोने के द्वारा खरीदकर, बढ़ा सकता है। यदि तब भी ये मुद्राएँ पर्याप्त नहीं होती तो उस समय ऋणी देशों को ऋणदाता देशों से आयात अवश्य ही कम करना पड़ेगा, जिससे उनकी भुगतान-तुला में समता आ जावे।

जहाँ तक विनिमय की दरों का प्रश्न है, सदस्य देशों को अपनी मुद्राओं की सोने के माध्यम विनिमय दर निर्धारित करनी पड़ती है परन्तु ये दरें हर समय के लिए निर्धारित नहीं की जाती। उनमें पूर्णतया एकरूपी परिवर्तन उन सदस्य-देशों की राय से, जो अलग-अलग अपने अभ्यर्थ का १०% प्रतिशत भाग देने हैं, किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सदस्य-देश अपनी मुद्राओं के विनिमय-मूल्य को १०% तक परिवर्तन कर सकते हैं। इस सीमा के परिवर्तन, इस कोष की स्वीकृति से केवल मौलिक असमता को ठीक करने के हेतु ही किये जा सकते हैं।

“इस प्रकार विनिमय के मूल्य में कमी, जो कि उक्त देश के लिए जिसका द्रव्य अधिक मूल्यवान है, बिना किसी वैमनस्य के पूरी की जा सकती है। इस प्रकार से मुद्राकोष किसी एक देश को थोड़े ही समय तक निग्रहण में लाने के लिए सहायक नहीं होता है जबकि वह वह किसी भी प्रकार का विदेशी माल न निर्यात कर सके, किन्तु बहुत सी मुख्य कठिनाइयों को भी हल करना है। अपने सदस्य-देशों की कभी भी विनिमय के मूल्य में न्यूनता की प्रतिस्पर्धा को नष्ट करता है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में एक बहुत सुन्दर नापजोख का ढाँचा तैयार हो गया है।”^{११}

भुगतान-तुला में फिर से समता लाने के लिये यह निधि सदस्य-देशों की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करती। सदस्य केवल एक लिखित सूचना देकर इस कोष से अलग हो सकते हैं।

मुद्रा कोष का प्रबन्ध कार्यकारिणी मडल के १२ मन्त्रियों में होता है जिसमें अमेरिका, भारत, चीन, इंग्लैंड प्रत्येक को स्थायी स्थान दे दिया गया है। दो स्थान लैटिन अमेरिका प्रजातन्त्र को दे दिये गए हैं और शेष ५ स्थानों की चुनाव द्वारा पूर्ति की जाती है।

यह प्रणाली विनिमय स्थायित्व लेवों से, जिनका कि मदी के दिनों में पृथक्-पृथक् देशों ने निकाला था, मिलती-जुलती है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी यही सिद्धान्त प्रयोग में लाये गए हैं। यह निधि अन्तर्राष्ट्रीय-स्वगंमान के उद्देश्य की प्राप्ति, उसकी कृतियों के विना, करना चाहती है।

इस प्रकार उपर्युक्त दिये गए वर्णन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तीन कार्य हो सकते हैं—

(१) यह अल्पकालीन साख सस्या के रूप में कार्य करता है। यदि किसी देश को कठिनाई है और व्यापार-तुला उसके प्रतिकूल है तो ऐसे समय पर उसकी मदद के लिये आगे कदम बढ़ाता है। लेकिन यह उस देश की विदेशी विनिमय की प्रत्येक पूर्ति की जो वहां पर प्रयोग में आती है, जिम्मेदारी नहीं लेता। प्रत्येक देश में आना की जाती है कि वे विदेशी विनिमय नञ्चित रखें जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यह सस्या प्रत्येक वस्तु की पूर्ति का उत्तरदायित्व नहीं लेती। वह तो केवल आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बर्ज लेने वाले देश को व्याज देना पड़ता है और अपने कोटे को पूर्ण रखना पड़ता है। साधारणतया देशों को बर्ज न लेना चाहिये, क्योंकि जब सभी बर्ज लेने लगते हैं तो व्याज की दर बढ़ जाती है। कम व्याज उन्नी अवस्था में लिया जाता है जब बर्ज थोड़े समय के लिये दिया जाता है। यदि बर्ज की दर पर व्याज ५% में बढ़ जाता है तो वह दर को किसी भी स्तर तक जर्मनी के रूप में बढ़ा सकता है। इस प्रकार से विदित हुआ कि उत्तम व्यापारिक आधार पर इस सस्या के सिद्धान्त आधारित नहीं हैं। वह केवल अल्पकाल के लिये ही ऋण देने हैं।

(२) मुद्रा कोष दीर्घकालीन भूगतान-तुला की स्थिति में सुधार लाने की व्यवस्था करता है। यह केवल साधारण विनिमय दणों को बताता है। कोई भी सदस्य-देश अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। जब कोई देश यह समझता है कि हमारी विनिमय की दरें कम हैं तो वह उन्हें परिवर्तित कर सकता है किन्तु देश और मुद्रा कोष के अधिकारियों के मान लेने पर ही। इस प्रकार से विनिमय दणों में एक निश्चित वर्णन है। इस प्रकार इस दण में आन्तरिक स्थिरता और स्थान के पूर्ण धरे उच्च व्यापार के रूप में चलने हैं। प्रत्येक देश को उसकी उत्पादन-शुशालता पर विश्वास करना चाहिये। उसे विनिमय हानि की कृत्रिम उन्नेजना पर भरोसा करने विश्व मार्केट में अपने वल पर चलना चाहिए।

(३) मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रीय विचार विनिमय के लिए माधन आयोजित करता है। इस सस्या में समार के मुख्य-मुख्य देशों के प्रतिनिधि जाते हैं। उसके केवल समार की आर्थिक व्यवस्था पर ही विचार नहीं होना बल्कि समार के प्रत्येक देश के व्यापार के विधान के विषय में आयोजनाय बनाने जानी हैं। समार के उत्पादन का भी लेखा-

जोखा प्रभुत किया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक सदस्य देश के व्यवसाय-वृन्धो और आय विकास पर विचार किये जाते हैं। यह सस्था इन सब समस्याओ को हल करने के लिए गहन अध्ययन और शोध-कार्य करने में सतत प्रयत्नशील है।

यह विलकुल स्पष्ट है कि मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धो को सफल बनाने में बहुत महत्त्वपूर्ण भाग ले सकता है। किन्तु अभी तक मुद्रा कोष अपने मुख्य उद्देश्य तक नहीं पहुच सका है। इसकी सातवी रिपोर्ट सितम्बर १९५२ में वितरित हुई थी। उस में लिखा है कि युद्ध समाप्त हुए सात वर्ष हुए, किन्तु व्यापार में नाममात्र के लिए बहुत थोडा-सा सुधार हो सका है। यूरोप और अमेरिका में कृषि-उत्पादन में राज्य सम्बन्धी नीति लागू होती है। यह नीतिया मुद्रा-कोष के लिए अच्छी नहीं प्रतीत होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और आयात के पिछड़े होने के कारण बहुत सी कठिनाइयो का सामना करना पडता है। रिपोर्ट में आन्तरिक आर्थिक स्थिरता को प्रमुख बताया गया है जिससे कि स्फीति समाप्त हो जाय। स्फीति को समाप्त करने की सूचना प्रत्येक सदस्य-देश को दे दी गई है, नहीं तो ससार भर में व्यापार पर रोक और मुद्रा की परिवर्तनशीलता पर हस्तक्षेप होगा।

मक्षेप में हम इसको अंग्रेजी के छोटे से मुहावरे में कह सकते हैं कि "too little and too soon" अर्थात् देखने में तो बहुत थोडा-सा प्रतीत होता है किन्तु कार्य अधिक और शीघ्र होता है। सन् १९४८ में फ्रांस में ४४४ प्रतिशत अदमूल्यन था किन्तु इसने सोने का बाजार अमरीका के डालर से स्वतन्त्र रखा था, क्योंकि वह कोष के सिद्धांतो से प्रतिस्पर्धा के योग्य न था। किन्तु फिर भी इस सस्था ने फ्रांस के साथ सहानुभूति प्रकट की और इसके प्रवन्ध और सिद्धांतो को कायम रखा। सितम्बर १९४९ में पौण्ड में ३०५ प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ। इसके अनुसार केवल मित्रराष्ट्रो के देशो में ही नहीं (पाकिस्तान को छोडकर) १३ अन्य देशो में भी अवमूल्यन हुआ। मुद्रा कोष इस महान् परिवर्तन पर हस्तक्षेप कर सकता था किन्तु उसने किया नहीं, क्योंकि विषमता अर्थात् असमता को ठीक करने का यह एक सही रास्ता था। श्री आइवर रूथ (Ivar Rooth) प्रवन्ध सचालक ने सितम्बर १९५२ में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि पूर्व से ही द्रव्य की अदायगी की स्थिति वन्धेज द्वारा हुई थी। कौलबार्न (Coulborn) ने मुद्रा कोष के कार्यों का एक खाका दिया है जो निम्नलिखित है - "लगभग ५० देश हैं जो अर्ध-स्वर्ण मान का खेल खेलना चाहते हैं। जिसमें से ६ देश मुख्य हैं। यह उसी प्रकार का जाल है और इसमें मुख्य भाग लेने वाले भी वही देश हैं जैसा कि चुनाव की तालिका से सूचित होता है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्वर्णमान विनिमय के लेखा को सम रखना चाहता है। यह अच्छा खेल है जो किमी हद तक वार्शिंगटन में देखा जा सकता है। यह यथोचित कल्पना होगी कि यह वर्तमान मगठन लाभप्रद सिद्ध होगा।" अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के पास इतना धन नहीं है कि आकस्मिक आवश्यकताओ को पूरा कर सके। इसके नियन्त्रण के

कोई भी साबन नहीं है। इसके लिए राष्ट्रीय वचन के माध्यम प्रयोग में आते हैं।

२० अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के साथ तुलना (Comparison with International Gold Standard)—ब्रेटनवुडम स्कीम जैसा कि यह व्यवस्था साधारणतया कहलाती है, कुछ बातों में स्वर्ण-मान में मिलती है।

(1) स्वर्ण-मान के अन्तर्गत हर एक देश अपने बाह्य लेखों का समन्वय सम्पूर्ण संसार से एकवारगी करता है, न कि पृथक्-पृथक् देशों से।

इसको बहुपक्षपाद (multilateralism) कहते हैं। यह द्विपक्षपाद के विपरीत है, जो कि सन् १९३० की मदी के समय बहुत लोकप्रिय हो गया था। बहुपक्षपाद के अन्तर्गत एक देश का निर्यात-आधिक्य दूसरे देश के आयात-आधिक्य के भुगतान करने के काम में लाया जा सकता है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्तर्गत मुद्राएँ किसी विशेष समय पर निर्धारित की हुई दरों पर परिवर्तित की जा सकती हैं। इस प्रकार बहुपक्षी लेन-देन को प्रोत्साहन मिलता है।

(ii) स्वर्ण-मान के अन्तर्गत एक देश, जिसकी भुगतान-तुला घाटे में है, इस कमी को मोने या विकर्षों के निर्यात से पूरा करता है। नई व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोटा इस कार्य को करता है।

(iii) स्वर्ण-मान के अन्तर्गत कोटा और प्रत्यक्ष विनिमय जैसी कोई बाधाएँ नहीं थीं। ये बाधाएँ इस सिद्धांत के असंगत हैं कि व्यापार तुलनात्मक लागत के द्वारा शान्ति होना चाहिए। ये बाधाएँ व्यापार को उस मार्ग पर ले गईं जो इन सिद्धांत के विरुद्ध था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्तर्गत भी ये बाधाएँ अन्तर्वर्ती काल के बीतने पर हट जायेगी और व्यापार फिर से स्वतन्त्र रूप से परिवर्त्य मुद्राओं और उचित स्थायी विनिमय द्वारा होने लगेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के अन्तर्गत ये सब सुविधाएँ, वगैर स्वर्ण-मान की बुरा-इयों के मिल जाती हैं। हम एक दूसरे सम्बन्ध में स्वर्ण-मान की कुछ श्रुतियों को पहले बतला चुके हैं।^१ हम यहाँ पर इस प्रणाली की दो सबसे बड़ी श्रुतियाँ बतलाते हैं, जो कि नयी व्यवस्था में नहीं पाई जाती।

(1) स्वर्ण-मान के अन्तर्गत किसी देश के नचित स्रोतों पर चाटू लेखों के अन्तर्गत आयात-आधिक्य (import surplus) (अर्थात् प्रतिकूल व्यापार-तुला) और पूँजी के वापस लेने का प्रभाव लगभग एक-सा ही था। मोना बाहर गया और नाग्य अनु-वित्त हो गई। विनिमय-समकारी लेखों की प्रणाली द्वारा, जो घरेलू नाउ के आधार को अल्पावधि पूँजी के आंतरिक प्रवाह (inflow) तथा बाह्य-प्रवाह (outflow) में प्रभावित नहीं होने देती थी, यह श्रुति बहुत कुछ दूर हो गई है। नयी प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की महायता से एक देश को, उसकी नाग्य-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाले बिना प्रतिकूल आधिक्य का सामना करने के लिए शक्तियुक्त बतानी है।

(ii) स्वर्ण-मान की दूसरी और अधिक महत्त्वपूर्ण श्रुति यह थी कि विनिमय-

स्थायित्व इस नीति का पहला उद्देश्य बनाया गया था और यह मान सोना बाहर भेजते रहने वाले देश के साथ की अपस्फीति करके कायम रखा गया था। सिद्धांततः जिस देश में सोना अन्दर जा रहा था उससे साथ के विस्तृत होने की आशा थी। परन्तु इस व्यवस्था के नियमों के इस भाग का सदैव पालन नहीं किया गया। भुगतान तुला में समता कायम रखने की इस कोष ने, जिमसे कि विनिमय समता रही, उस समय तक सरलतापूर्वक कार्य किया जब तक कि मजदूरी तथा दूसरी लागतें लोचदार रही, जिससे कि साथ की अपस्फीति ने निर्यात वस्तुओं की कीमत को कम किया और समता के मौलिक कारणों को फिर उत्पन्न किया। परन्तु क्योंकि विशेषकर व्यावसायिक सघों के मजदूरी कायम रखने के दबाव के कारण लागत अधिकाधिक दृढ़ होती गई इसलिए साथ की अपस्फीति का अर्थ आ आर्थिक व्यवस्था पर पक्षाघात और अपने सब दुष्परिणामों के साथ देश में बेकारी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्वर्ण-मान की इन कट्टाओं से बचने का प्रयास करता है, जैसा कि हमने देखा है। हालांकि विनिमय दरें सोने की मात्रा में सदस्य-देशों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, परन्तु फिर भी किसी मूल असमता के आने पर सदस्यों द्वारा इन दरों में परिवर्तन करने की व्यवस्था है। हालांकि ये परिवर्तन इस कोष की आज्ञानुसार ही किये जा सकते हैं, परन्तु यह आज्ञा सच्चे मामलों में रोकी नहीं जायगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्तर्गत भी सोना निम्नलिखित कार्य करेगा^१—

(१) जब सोने की विनिमय दरें बदल जाती हैं, तो यह विनिमय दर को स्थिर रखने में सहायक होगा।

(२) जब अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में अल्पकालिक असमता आ जाती है, तो यह फिलहाल काम चलाने में सहायता दे सकता है।

(३) यह विभिन्न मुद्राओं का मान है।

(४) चूँकि मुद्रा कोष में सोने को निश्चित स्थान दिया गया है, इसलिए उन देशों को, जो सोना उत्पन्न करते हैं, इस कोष में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

हैम का कथन है “निधि के अन्तर्गत सोने का उपबन्ध दिखावा मात्र नहीं है। निधि की तरल आस्तियों के रूप में इसका भाग बड़ा महत्त्वपूर्ण है, और सदस्य-देशों के लिए लगर का काम करता है।”

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्वर्ण-मान तथा स्वतन्त्र विनिमय के गुणों को मिलाता है। मोना अब भी मूल्य का अन्तिम मान है। परन्तु स्वर्ण-मान के नियमों को दूर रखा गया है। फिर भी इस नई प्रणाली को चलाने के लिए अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। निधि निर्माण में सदस्य-देशों का बड़ा हाथ है क्योंकि चलमुद्रा को सोने के रूप में माना जाता है।

व्यापार-चक्र और संकट-काल

(TRADE CYCLES AND CRISES)

१ व्यापार-चक्र किसे कहते हैं ? (What is a Trade Cycle ?)—
पिछले डेढ़ सौ वर्षों में मनुष्य ने महान् आर्थिक उन्नति का अनुभव किया है। पर यह विचार सर्वथा भ्रमपूर्ण होगा कि यह उन्नति सदैव समान व स्थिर रही है। सच तो यह है कि हर दस या बारह वर्ष बाद व्यवसाय को एक घबका-सा लगता है, जिसमें कई वर्षों के लिए उद्योगों की प्रगति रुक जाती है। अन्तु, व्यवसाय में प्रगति के साथ अवनति के भी दिन आते हैं और समृद्धि-काल के पीछे मन्दी का समय भी आया करता है। मन्दी व समृद्धि के इसी चक्र को व्यापार-चक्र कहते हैं।

इसके विपरीत मकटकाल उस काल को कहते हैं जब व्यवसाय में कठिनाइयाँ उपस्थित होने लगती हैं। एडोल्फ वेगनर के शब्दों में "मकटकाल में व्यवसायियों के सामने इस प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं कि वह अपने को ऋण चुकाने के लिए निरन्तर अथवा तब पाते हैं।" अथवा जे एम मिल के अनुसार, "जब बहुत से व्यापारी अपने व्यापार में अडचनो का अनुभव करने लगते हैं तो वह अवस्था मकट की होती है।" जब यह कठिनाइयाँ केवल व्यापारियों तक ही सीमित रहनी हैं तो मकटकाल व्यावसायिक होता है, पर जब यह अत्यधिक बढ जाती है और बैंक आदि बन्द होने लगते हैं, तो आर्थिक मकट पैदा हो जाता है।

२. व्यापार-चक्र का पथ (Course of Trade Cycles)—अब हम व्यापार-चक्रों के पथ का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। मन्दी के दिनों में जब व्यवसाय विल्कुल स्थिर होता है, तो नौकरोंपैसा लोगों की तनखाहें विल्कुल कम हो जाती हैं। ऐसे समय में द्रव्य की प्रयत्न-शक्ति तो अवश्य बहुत अधिक बढ जाती है, पर व्यक्ति की प्रयत्न-शक्ति कम हो जाती है, जाति की सामान्य क्रय-शक्ति कम हो जाती है। इसलिए उत्पादन-कार्य, चाहे वह उद्योगोक्तो की वस्तुओं का हो अथवा उद्योगी वस्तुओं का, स्थिर हो जाता है। ऐसा लगता है मानो दिव्य बहुत नीचे व्यवसाय व जीवन्-मर पर स्थिर हो गया हो। अयोग्य उद्योगी ऐसी परिस्थितियों में स्वयं नष्ट हो जाते हैं और मन्दी में सीमा, लगनो और लाभो के निम्न-स्तर को एक नई समता के आधार पर व्यापार की स्थापना होती है। इस प्रकार बिना अपने आपको मन्दी के अनुभव व्यभिचरित करके किसी प्रकार काम चलता है। उन भाँति की व्यवस्था या साम्य-स्थिति कई वर्षों तक रह सकती है।

पर यह परिस्थिति सदैव वनी नहीं रह सकती। जोड़े की समग्र बढ आगा की सीमा रेखाएँ प्रकट होने लगती हैं और मन्दी के दिन समता होने लगते हैं। चूँकि यह

कुशल व्यक्तियों की भी तनख्वाहे कम होती हैं, इसलिये उनकी पूति बढ जाती है। द्रव्य व उत्पादन के अन्य पदार्थ और साधन बहुत मस्ते होते हैं। यह अवश्य है कि मूल्य कम होते हैं पर साथ ही उत्पादन-व्यय तो बहुत ही कम हो जाता है। कभी-कभी तो उत्पादन-व्यय व लागतों में इनकी कमी हो जाती है कि लाभ का भाग उभर आता है और फलस्वरूप उद्यमी अपने प्रतियोगियों को पीछे हटाने के लिये अपने व्यवसाय में हर प्रकार की उन्नति करने का प्रयत्न करता है। रचनात्मक उद्योगों की उन्नति होती है और बेकार व्यक्ति उनमें खप जाते हैं। यह श्रमिक इस प्रकार मिली हुई अपनी नयी श्रम-शक्ति का उपयोग उपभोक्ताओं की वस्तुएँ खरीदने में करते हैं, जिससे उद्योग को बढने का अवसर मिलता है। मदी में इन तमाम परिवर्तनों से व्यापार की दशा ही बदलने लगती है और उन्नति के लक्षण प्रकट होने लगते हैं।

यह उन्नति उत्तरोत्तर बढने लगती है और उद्योगों में वृद्धि होने लगती है। एक उद्योग दूसरे उद्योग को सहारा देता है। माग की वृद्धि से कीमते बढने लगती है। व्यापारी की आय आशातीत रूप से बढ जाती है, जबकि मजदूरी, व्याज व अन्य व्यय नीचे स्तर पर रहते हैं। लाभ बढ जाते हैं। बैंक अग्रिम देना आरम्भ कर देते हैं और इस प्रकार उबार व साख-प्रणाली बढ जाती है। व्यावसायिक लोग अधिकाधिक विनियोजन करना चाहते हैं। हर व्यक्ति अधिक से अधिक रुपया बनाने का प्रयत्न करता है। इस काल को समृद्धि काल कहते हैं, और मदी की भांति यह भी कई वर्षों तक चल सकता है।


पर जिस प्रकार से मदी के बाद तेजी आती है इसी प्रकार तेजी की परिस्थितियों में भी कुछ समय बाद अडचनें आने लगती हैं। क्योंकि सब प्रकार के लोग उद्योग में लग जाते हैं, इसलिए घटिया किस्म के श्रमिक काम पर लग जाते हैं। परिणाम यह होता है कि कम योग्य व्यक्ति भी अधिक वेतन पाने लगते हैं। व्याज व अन्य वस्तुओं की दरें भी बढ जाती हैं। फलस्वरूप व्यय बढ जाते हैं, जिससे लाभ का भाग कम होने लगता है। बैंक अग्रिम देने में आनाकानी करने लगते हैं और अन्तत यह होता है कि समृद्धि का काल समाप्त हो जाता है।

फिर चक्र नीचे की ओर घूमता है। लाभ कम हो जाने से चतुर व्यापारी अपने व्यवसाय में छँटनी करना प्रारम्भ कर देते हैं। सरकार नियंत्रण लगाती है, बैंक भुगतान पर जोर देते हैं, चारों ओर जमा की हुई वस्तुओं को निकालने की भावना जोर पकड जाती है। मदी के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं, बहुत से उद्योगी तो दिवालिया हो जाते हैं। व्यवसाय में चारों ओर अधकार दिखाई पडने लगता है। व्यापार-चक्र के इस पहलू को सकट-काल कहते हैं।

सकट-काल उद्योगों के लिये सबसे अधिक मुमीवत का समय होता है। पर समय के नायबे अपनी कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। किसी प्रकार वह अपने भुगतानों को निपटाकर अपना व्यवसाय चलाते हैं। यह मदी का समय होता है। लार्ड ओवरस्टोन ने व्यापार-चक्र की गति का वर्णन इस प्रकार किया है—“स्थिरता का समय—उन्नति—विश्वास-काल समृद्धि—उत्तेजना—अत्यधिक व्यापार-घक्का—निराशा—कठिनाई अथवा

मदी और अन्त में फिर स्थिरता।”^१

मिचेल (Mitchell) के शब्दों के अनुसार हम व्यापार-चक्र के चार चरण बतला सकते हैं—अर्थात् विस्तार (ऊपर की ओर गति), अवरोध, मकुचन (नीचे की ओर गति) तथा पुनर्लाभ। इसको हम इस प्रकार भी प्रस्तुत कर सकते हैं।



३ व्यापार-चक्र की विशेषताएँ (Characteristics of a Trade Cycle)—व्यापार-चक्र के अध्ययन से दो विशेषताओं का पता चलता है (१) इसका चक्रात्मक रूप (cyclic nature) अर्थात् आवधिकता (periodicity) और (२) इसकी सामान्य प्रकृति (general nature), अर्थात् समरूपता (synchronism)।

यह देखा गया है कि व्यापार-चक्र लगभग निश्चित समय के उपरान्त प्रकट होने रहते हैं। यह व्यापार-चक्र जिस नियंत्रित रूप में प्रकट होते हैं, उसमें हम इस अवधि की निश्चितता का पता लगा सकते हैं। लोगों का विचार है कि लगभग सात तथा दस वर्षों में व्यापार-चक्र पूरा हो लेता है। इसके विषय में किमी निश्चित अवधि को स्थिर नहीं किया जा सकता। पर यह अवश्य है कि जिन प्रकार रात के पंद्रहान् दिन होता है, उसी प्रकार मदी के बाद तेजी का होना आवश्यक है। व्यापारियों की अन्तर्दृष्टि उतनी तीव्र हो जाती है कि उनको यह पता चल जाता है कि किस समय मदी अथवा तेजी होगी। इसमें हम वर्तमान काल में व्यापार की नियमित गति का अनुमान लगा सकते हैं।

व्यापार-चक्र की दूसरी विशेषता यह है कि यह सर्वव्यापक होता है। व्यापारिक विश्व एक सम्पूर्ण आर्थिक इकाई है, जिनमें किमी भाग पर धक्का लगने में सम्पूर्ण व्यवसाय को झटका लगता है। यदि किसी एक उद्योग में बुराईया उत्पन्न हो जाये तो वह नाने उद्योग, जिनका उससे सम्बन्ध है, प्रभावित होंगे। इस प्रकार मदी एक उद्योग से दूसरे उद्योग में फैलती है। व्यवसाय जगत् में किमी एक उद्योग के बन्द होने में अन्य बहुत से उद्योग बन्द होने लगते हैं, निराशावादी भावनाओं में छूट का प्रभाव होता है और इसलिए बहुत कम व्यवसाय ऐसे हैं, जो मदी अथवा तेजी की परिस्थितियों में अन्तरे रह सकें। ऐसा समय आता है जबकि नारे देश में उद्योग तथा व्यावसायिक सम्पत्ति निम्न हो जाती है। इन बातों में बहुत कम सम्झौता बच पाती है। 'अमरीकन

1 Quoted by Marshall in Money, Credit and Commerce, p 245.

इकानामिक्म अमोसियेशन' के अनुसार व्यापार-चक्र के साधारण लक्षण इस प्रकार हैं—

(1) कृषि को छोड़कर कीमत तथा उत्पादन की गति एक ही ओर को होती है।

(11) उत्पादक तथा स्थायी वस्तुओं के कुल व्यय में उपभोग तथा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के कुल व्यय से अधिक परिवर्तन होता है। अतएव उन उद्योगों में, जो उत्पादक वस्तुओं तथा स्थायी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, अधिक तेजी से घटाव-बढ़ाव होते हैं।

(111) व्यावसायिक आविष्कार पर प्रचलित व्यय कुछ विक्री से अधिक प्रतिशत दर से घटते अथवा बढ़ते हैं।

(1V) द्रव्य (मुद्रा तथा साख द्रव्य) की मात्रा तथा चलन-वेग कुछ उत्पादन तथा व्यवसाय के परिवर्तन के साथ प्रत्यक्ष रूप में बदलता है।

(V) निर्मित वस्तुओं की कीमतें सापेक्ष रूप में दृढ़ होती हैं जबकि कृषि उत्पादित वस्तुओं की कीमतें दृढ़ नहीं होती।

(VI) लाभ में दूसरे साधनों की आय की अपेक्षा अधिक घटाव-बढ़ाव होता है।

व्यापार-चक्र के सिद्धान्त

(Theories of Trade Cycles)

४ जलवायु-सम्बन्धी सिद्धान्त (Climatic Theory)—कुछ अर्थशास्त्रियों ने व्यापार-चक्र के कारण भौगोलिक बताया है। उनका विश्वास है कि जलवायु की परिस्थितियों के कारण ही व्यापार-चक्र उत्पन्न होते हैं। भारत में यह विश्वास है कि मानसून अच्छी और बुरी वर्षा के चक्र के अनुसार होती है। जलवायु का प्रभाव फसल पर पड़ता है और परिणाम यह होता है कि कच्चे माल की पूर्ति प्रभावित होती रहती है।

अच्छी फसल के उपरान्त बुरी फसल का समय आता है और फलस्वरूप तेजी और मदी एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। किसी देश में यदि फसल खराब हो जाती है तो उसका प्रभाव ससार के अन्य देशों पर भी पड़ता है। यही नहीं कि कच्चे माल की केवल पूर्ति ही प्रभावित होनी है, बल्कि उत्पादकों की भी क्रय-शक्ति कम हो जाती है, जिसका प्रभाव उस देश की अथवा दूसरे देश की बनी वस्तुओं की माग पर बुरा पड़ता है। यदि भारत में फसल खराब होने के कारण अकाल पड़ जाय तो बहुत सम्भव है कि जापान की कुछ मूनी कपड़ों की मिलें बन्द हो जायें। इससे यह स्पष्ट है कि जलवायु का प्रभाव व्यापार-चक्र पर बहुत होता है।

जलवायु सिद्धांत के समर्थकों का विचार है कि जलवायु में परिवर्तन नियमित रूप में होते हैं, इसलिए, वे केवल इस मकट के होने की ही व्याख्या नहीं करना चाहते, प्रत्यत उसके पुन होने की भी। इसके लिये प्रमाण बहुत दुर्लभ हैं। इस प्रकार के सिद्धान्त के लिए कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं जान पड़ता। यह केवल कल्पना का विषय है।

इन नम्र-नम्र में एक अग्रगामी सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है, वह है जेवन्स का सूर्य-

विन्दु सिद्धांत (Sunspot theory) । प्रोफेसर जेवन्स का कहना है कि सूर्य पर नियमित रूप से कुछ विन्दु या धब्बे प्रकट हुआ करते हैं, जिनमें सूर्य की गर्मी पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जो बदले में वर्षा और फसल को प्रभावित करते हैं। इसके बाद फसल और उद्योग का सामान्य सम्बन्ध आता है, और मन्दी फैल जाती है। जलवायु के दूसरे सिद्धान्तों की भांति जेवन्स का सिद्धान्त भी सदिग्ध दृष्टि में देखा जाता है।

हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि जलवायु का प्रभाव व्यवसाय और उद्योग पर पड़ता तो अवश्य है किन्तु भौगोलिक अंश में हमें व्यापार-चक्र के चक्रमय स्वरूप की पूर्ण एवं सतोषजनक व्याख्या नहीं मिलती। नसार में कृषि का क्षेत्र इतना विस्तृत है और जलवायु की परिस्थितियाँ इतनी भिन्न हैं कि स्थानीय भिन्नताओं का केवल स्थानीय प्रभाव ही दिखाई पड़ता है।

५. मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त (Psychological Theory)—योगों का विश्वास है कि बाह्य कारणों से सकटकाल नहीं पैदा होते। इसलिए बहुत से लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि व्यापार-चक्र मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं।

इस सिद्धांत के समर्थकों का यह कहना है कि अधिकतर व्यवसाय चतुर दूर्ध्वगिता पर निर्भर करता है और व्यापारिक लोग सदैव निराशा अथवा आशा की लहर में प्रभावित हुआ करते हैं। "बढ़ा तो स्वतः उत्पन्न की हुई भूलों का समूह है।" आशा और निराशा दोनों ही इनकी वीमारियाँ हैं। इन सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार यह विचार गलत है कि व्यक्तियों के मस्तिष्क अलग-अलग दिशाओं में काम करते हैं। मनुष्यों में सामूहिक प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए उनकी मनोवृत्ति समूह के अनुसार चलने की होती है। व्यापारिक मन्दी का विस्तृत रूप में कारण मनःशा में पाई जाने वाली यही समूह मनोवृत्ति है।

कभी-कभी मनुष्य जीवित लेकर व्यापार को विस्तार देने के लिये तैयार होते हैं किन्तु ऐसे समय भी आते हैं कि जब वह असफलता के भय में किसी प्रकार का जीवित उठाना पसन्द नहीं करते। जब कोई व्यवसायी किसी मोदे में हानि उठाना है, तो वह केवल रुपये की ही हानि नहीं उठाता बल्कि वह हीन मनोवृत्ति वाला हो जाता है, जिस का और भी बुरा प्रभाव उसके व्यापार पर पड़ता है। किन्तु जब उसे लाभ होता है तो वह मोक्षता है कि व्यापार में उत्कर्ष ही उत्कर्ष है, और बहुत से दूसरे लोग भी इसी विचार के भागीदार होते हैं, और अधिकाधिक लाभ करते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त में सच्चाई का अंश है। पर इस सिद्धान्त में इस बात का कोई उत्तर नहीं मिलता कि मन्दी का आरम्भ किस प्रकार होता है और मन्दी के बाद तेजी किस प्रकार आती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत द्वारा व्यापार की इन 'जटिलताओं' की मन्तोपजनक व्याख्या नहीं होती, यद्यपि यह इन बातों की नहीं-मन्दी व्याख्या कर सकता है कि कैसे वह प्रवृत्ति उत्पन्न हो और उठती है अथवा नीचे की ओर जाती है। वह वास्तविकता है कि व्यापार बढ़ता अच्छी तरह चलता रहता है, चाहे भले ही व्यापार की समृद्धि करने वाले उद्दिष्ट हेतुओं का लोभ हो जाय। इसी प्रकार यह गिरता भी जानी रहता है, चाहे भले ही उत्पन्न करने वाले लोगों की

विद्यमानता न रहे। इसका विश्लेषण मानव की मनोदशा में निहित है।

६ द्रव्य-विषयक सिद्धान्त (Monetary Theory)—ऐसे भी लेखक हैं जो यह यकीन नहीं करते कि व्यापार-चक्र जलवायु के अंश पर निर्भर करते हैं अथवा मानव-प्रकृति की भिन्नताओं पर निर्भर करते हैं। वह वित्त सस्थाओं पर ही पूर्ण दोष डाल देते हैं अर्थात् बैंकिंग और साख-प्रणाली पर। आर० जो० हाट्टे इस सिद्धान्त पर दृढ़ विश्वास रखते थे। उनके अनुसार द्रव्य के वहाव में परिवर्तन पूर्ण रूप से व्यापारिक क्रियाओं को निश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त वे परिवर्तनशील पुनर्लाभ तथा मदी के समय लाते हैं। ऐसे मुद्राहीन कारण जैसे अनावृष्टि, बाढ़, भूकम्प, सग्राम, हडताल, कुछ उद्योगों का विस्तार आदि केवल अपूर्ण मदी ला सकते हैं। इस सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि अधिकतर व्यवसाय उधार लिये घन से होता है।

उन्नत व्यापार की स्थितियों में बैंक उधार की खूब सुविधायें प्रदान करते हैं। यदि उधार की ममुचित सुविधायें प्राप्त हुईं तो व्यापारी हर प्रकार के जोखिम लेकर अपने व्यापार का निरन्तर विस्तार करता रहता है। इस कारण साख का बहुत बड़ा ढाँचा खड़ा कर लिया जाता है, जिसको स्थिर रखने के लिए सस्ते द्रव्य का प्रचलन आवश्यक है। किन्तु हर देश में एक समय आता है, जब बैंक यह समझने लगता है कि और अधिक उधार देना ठीक नहीं होगा। ऐसे अवसरों पर वह और अधिक उधार देना बन्द कर देता है और पूर्वत दी हुई पेशगियों को लौटाने की माँग शुरू कर देता है। उधार की सुविधाओं के इस प्रकार एकाएक समाप्त हो जाने से व्यवसाय को बड़ा धक्का लगता है।

व्यापारी वर्ग सदैव बैंक से प्राप्त सुविधाओं पर निर्भर रहता है। इससे बाजार में मदी आ जाती है और जमा की हुई वस्तुओं को व्यापारियों की ओर से निकालने का प्रयत्न होता है। उन परिस्थितियों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर काम बन्द होने लगते हैं। यही नहीं, बहुत सी बड़ी-बड़ी फर्मों भी समय पर आर्थिक सहायता न मिलने के कारण बन्द हो जाती हैं।

इसका कारण सिर्फ यह है कि कभी-कभी बैंक इतनी सरलता से उधार देते हैं कि वाद में फर्मों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह बैंक सट्टेबाजों को भी वित्तीय सुविधायें देते हैं, पर जब सकट आता है तो यह बैंक सट्टेबाजों को किसी प्रकार की सहायता करने से इन्कार कर देते हैं। सकटकाल में यदि बैंक थोड़ा भी सहायतापूर्ण रुझ अख्तियार करें तो आर्थिक सकट से व्यापार की रक्षा की जा सकती है। परन्तु उन परिस्थितियों में बैंक का प्रभाव अनुदार रहता है। अविकाधिक फर्मों दिवालिया होनी चली जाती है। परिणाम यह होता है कि व्यापारिक सकट आर्थिक सकट का रूप धारण कर लेता है।

इसमें इन्कार नहीं किया जा सकता कि व्यापारिक क्षेत्र में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहना कि सकट का निर्माण बैंक करता है, एक निर्दय आक्षेप के सिवाय और कुछ नहीं है। इनमें बैंक सकट को अविक्र भयकर बना देते हैं। पहले तो वह खूब उधार देकर नमृद्धि का निर्माण करते हैं और फिर उधार की सारी सुविधाएँ बन्द करके

मन्दी का समय लाते हैं। किन्तु मन्दी या तेजी का जन्म बँकों के कारण नहीं होता। इसके अतिरिक्त नवीन मन्दी जैसी विश्व घटना को एक देश में नितान्त बँकों पर ही नहीं डाला जा सकता। इसलिए यह कहना कि केवल द्रव्य की प्रणाली से ही व्यापार-चक्र पैदा होते हैं, ठीक नहीं।

७ प्रतियोगिता सिद्धान्त अथवा आधिक्य-उत्पादन सिद्धान्त (Competition Theory or Over-Production Theory)—कुछ लोगो का विश्वास है कि पूँजीवादी परिस्थितियाँ में प्रतियोगी शक्तियों के कारण व्यापार-चक्र उत्पन्न होते हैं। प्रतियोगिता दो प्रकार से व्यापार-चक्र पैदा करती है, (१) इसमें अत्यधिक उत्पादन हो जाता है, जिसे चैपमैन सकारात्मक पहलू (positive aspects) कहता है, (२) इसमें उत्पादन की लागतों में वृद्धि होती है, नकारात्मक पहलू (negative aspects)।

प्रतियोगिता की दशा में अत्यधिक उत्पादन हो जाता है, क्योंकि हर व्यवसाय में प्रतिद्वन्द्वियों की मख्या अत्यधिक हो जाती है और प्रत्येक प्रतिद्वन्द्वी अधिकाधिक उत्पादन करके बाजार में जमाने का प्रयत्न करता है। यही नहीं, ऐसी दशा में बहुत-सी नई फर्मों का भी जन्म होना है। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि बाजार भर जाय और कीमतें गिरने लगें।

इसके विपरीत इन सब बातों का सामूहिक प्रभाव यह होता है कि लागतें बढ़ जाती हैं। उद्यमी उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न में अधिकाधिक उत्पादन के साधनों की मांग करते हैं। फलस्वरूप साधनों की कीमतें बढ़ जाती हैं और इस प्रकार व्यय बढ़ जाता है। हम यह देख ही चुके हैं कि प्रतियोगिता में वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं। इसलिए उद्यमियों का लाभ समाप्त हो जाता है।

फलस्वरूप छोटी-छोटी फर्में समाप्त हो जाती हैं जिनमें चीजों की कीमतें कम होकर बढ़ने लगती हैं। मन्दी के दिनों में कीमतें गिर जाती हैं और परिस्थितियाँ आरोग्य के अनुकूल हो जाती हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रतियोगिता व्यापार की चक्रात्मक प्रगति होती है। चैपमैन के शब्दों में "जिस प्रकार हवा में समुद्र का पानी उठने लगता है, उसी प्रकार व्यवसाय में भी प्रतियोगिता की शक्तियों से व्यवसाय में समृद्धि आती है और जिन प्रकार पृथ्वी का आकर्षण हवा के प्रभाव को समुद्र पर कम कर देता है, उसी प्रकार प्रतियोगिता की प्रतिकूल शक्तियाँ मन्दी उत्पन्न करती हैं। माराय यह कि आर्थिक क्षेत्र में भी समुद्र की भाँति अच्छे व बुरे समय की लहरें आती हैं।" समाजवादियों का कहना है कि मारे मकट प्रतियोगी पूँजीवाद की देन हैं और जब तब समाज में पूँजीवाद रहेगा, मकट समाप्त नहीं हो सकेगा।

किन्तु प्रतियोगिता में उसका कोई उत्तर नहीं मिलता कि ऐसे मकट निश्चित समय के भीतर क्यों आते हैं। इसमें मन्देह नहीं कि प्रतियोगिता ने अनावश्यक उत्पादन हो जाना है और परिणामस्वरूप मन्दी पैदा हो जाती है, पर यह मन्दी कितने समय तक रहती है और व्यापार-चक्र पूर्ण होने में कितना समय लगता है, उसका कोई समुचित उत्तर प्रतियोगिता सिद्धान्त में नहीं मिलता। एक बात और भी है, जो मन्दा में नहीं

आती और वह यह कि इस प्रकार की मदी अथवा तेजी के काल एक ही समय में सब प्रकार के व्यवसायों में कैसे प्रकट हो सकते हैं। प्रतियोगिता द्वारा इसका कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं मिलता।

८ अतिरिक्त बचत अथवा कम उपभोग सम्बन्धी सिद्धान्त (Over-Saving or Under-Consumption)—ममाजवादियों ने व्यवसाय-चक्र के सम्बन्ध में एक नये सिद्धान्त की स्थापना की है। वह लोग इसे अतिरिक्त बचत अथवा कम उपभोग का सिद्धान्त कहते हैं। सर्वप्रथम इसको जे ए हौवसन ने प्रतिपादित किया है और मेजर डगलस ने उसे विस्तृत किया। इन लोगों का कहना है कि अमीरों और गरीबों की आय में अत्यधिक अंतर होता है, जो समय के साथ बढ़ता ही चला जाता है। अमीर अपनी सारी आय खर्च नहीं कर सकते और परिणामस्वरूप बचत होती रहती है। अपनी इस बचत को वह उद्योग में लगाने रहते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती रहती है। किन्तु श्रमिक वर्ग, जो अधिकतर उपभोक्ता होने हैं, उद्यमियों की अपेक्षा कम आय पाते हैं। उत्पादन में तो वृद्धि होती रहती है किन्तु उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति में उतनी वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार माग और पूर्ति के मध्य एक प्रकार की असमता स्थापित हो जाती है, और यहाँ तक कि मूल्य बहुत अधिक गिर कर मदी की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं।

मकट को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति उत्पादन व्यय के बराबर हो। किन्तु होना यह है कि उत्पादन व्यय उपभोक्ता तक पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि उत्पादक कम्पनी सम्पूर्ण लाभ को हिस्सेदारों में बाँटने के बजाय लाभ के बहुत बड़े भाग को रिजर्व के रूप में अलग कर देती है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को लागत की तुलना में क्रय-शक्ति प्राप्त नहीं होती। यह अवश्य है कि जैसे-जैसे पूँजी का संचय होता है, व्याज की दरें कम होती जाती हैं किन्तु मकट टालने के लिये यह कमी पर्याप्त नहीं होती।

ममाजवादियों की दलील बहुत कुछ मान्य है, परन्तु यह सकट का केवल पक्षपात-पूर्ण उत्तर है। इस दलील में एक गलती है। यदि क्रय-शक्ति को संचय न किया जाय तो वह उपभोक्ता तक अवश्य पहुँचेगी। किन्तु बनत और संचय में अन्तर है। बचत विनियोजन को कहते हैं और ऐसा होने पर यह क्रय-शक्ति का कुछ लोगों से दूसरों में परिवर्तन कर देती है और फिर केवल पूँजी की वृद्धि ही व्यापार में समृद्धि नहीं ला सकती। जब तक लाभ की आशा नहीं होती, उद्यमी अपनी पूँजी बैंकों से नहीं निकालते। इसके बाद पुनः पूँजी के अधिक संचित हो जाने से व्याज की दरें कम हो जाती हैं और इस प्रकार लागतें न्यून होती हैं। जब तक कीमतों की अपेक्षा लागतें कम रहती हैं, तब तक मदी आ ही नहीं सकती। यह सच है कि पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादकों की संचय-शक्ति उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। अमीर अधिक अमीर होने लगते हैं और गरीब अधिक गरीब। अमीरों द्वारा निर्मित बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या अधिकतर गरीबों की होती है और गरीब होने के कारण वह सब वस्तुओं का क्रय नहीं कर सकते। परिणामस्वरूप सकट पैदा हो जाता है।

६. कीन्स का विचार (Keynes' View)—स्वर्गीय कीन्स का विश्वास था कि व्यापार में किसी प्रकार की मदी वचत और विनियोजन की असमता के कारण होती है। किसी वस्तु के उत्पादन का व्यय उस आय को प्रकट करता है, जिन्होंने उस वस्तु के उत्पादन में भिन्न साधनों द्वारा लाभ प्राप्त किया है। मत्र वस्तुओं और सेवाओं के नयोजित उत्पादन-व्यय समाज के विभिन्न सदस्यों की आय प्रकट करते हैं। इस आय में से एक भाग वस्तुओं और सेवाओं के क्रय में लगा दिया जाता है और शेष भाग बच जाता है। यदि इस बचत का विनियोजन कर लिया जाय तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं की माग बढ़ जायेगी। पर इसका यदि सचय किया जाय तो समाज की क्रय-शक्ति क्षीण हो जायेगी और उत्पादित वस्तुएँ अधिक लाभ से नहीं बँची जा सकेंगी। परिणामस्वरूप व्यवसाय में मदी आ जायेगी। दूसरी ओर यदि बचत से विनियोजन अधिक होता है, तो बैंकों द्वारा साख की सुविधायें अतिक्र होने से कीमत बढ़ जाने के कारण व्यापार में समृद्धि आ जायेगी। इस प्रकार बचत और विनियोजन की असमता के कारण मदी अथवा तेजी होती है। जब भी बचत बढ़ जाती है, तो व्याज की दरें गिरने लगती हैं और विनियोजन को प्रेरणा मिलती है और इन प्रकार विनियोजन और बचत में नतुलन रहता है। दो गो में असमता होने में व्यापार अस्त-व्यस्त हो जायगा।

पर व्याज की दर में कमी हो जाने मात्र से विनियोजन में वृद्धि नहीं हो जाती। उद्यमियों के लिये व्याज की दर ही मुख्य विचार नहीं। उन्हें व्यापार की दगा का भी ध्यान अधिक रहता है। वेनहम के शब्दों में "उद्यमी केवल उनी दशा में अपने व्यवसाय का विस्तार करते हैं अथवा नये व्यवसाय प्रारंभ करते हैं जब कि उन्हें यह आशा होती है कि उनकी वस्तुओं की माग बढ़ जायेगी अथवा उत्पादन-व्यय इनका कम हो जायेगा कि वह अपनी वस्तु पहले की अनेका कम दाम पर लाभ से बेच सकेंगे।" व्याज की नीनी दर उद्यमी को उबार देने के लिए प्रेरणा नहीं देती। "जब घोड़े को पानी के पास ले जाकर भी उने पानी पीने के लिये मजबूर नहीं कर सकते।" प्रोफेसर कीन्स का सिद्धांत व्यापार-चक्र की आवधिकता पर कोई प्रकाश नहीं डालता। पर इनके यह श्रय नहीं कि विनियोजन में उतार-चढ़ाव का व्यापारिक दगाओं के परिवर्तनों से कोई महत्वपूर्ण सम्बन्ध नहीं।

१० गुणक-सम्बन्धी विचार—(The Concept of the Multiplier)—व्यापारिक उतार-चढ़ाव के सम्बन्ध में दो प्रकार के गुणकों का बंटा हुआ है—विनियोजन गुणक (Investment Multiplier) और नियोजन गुणक (Employment Multiplier)।

विनियोजन गुणक (Investment Multiplier) का सत संप्रयन

१. विनियोजन सम्पूर्ण अथवा मुद्ध हो सकता है। यह सम्पूर्ण विनियोजन निर्माता की वस्तुओं के उत्पादन और रखा पर व्यय हुई सम्पूर्ण राशि है। यदि लाभ उन्में से केवल पूजा को स्थिर रखने के लिए व्यय (अर्थात् मरम्मतों; और अदक-प्रशु के व्यय) की राशि को घटा दें, तो शेष मुद्ध विनियोजन रह जायेगा।

प्रोफेसर कीन्स ने प्रकट किया। प्रोफेसर कीन्स ने सम्पूर्ण विनियोजन व राष्ट्रीय आय में अनुपात की व्याख्या करने का प्रयत्न किया। जब विनियोजन बढ़ जाता है तो उत्पादन-योग्यता में भी वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। विनियोजन की वृद्धि और राष्ट्रीय आय की वृद्धि के अनुपात को विनियोजन गुणक कहते हैं। यह अनुपात समयानुसार बदलता रहता है। यह व्यापार की कार्य-कुशलता में उन्नति और उत्पादन-साधनों की क्षमता में वृद्धि अथवा साख, बैंकिंग और संचार तथा परिवहन के साधनों में प्रगति के साथ परिवर्तनशील होता है। यदि यह अनुपात अथवा विनियोजन गुणक 'अ' कहलाता है, तो सम्पूर्ण विनियोजन में होने वाली वृद्धि आय में वृद्धि का कारण होगी, जो विनियोजन की 'अ' गुणा वृद्धि है।^१

नियोजन गुणक (Employment Multiplier) का सम्बन्ध आर० एफ० काहन (R F Kahn) के नाम से है।^२ "नियोजन गुणक पूर्ण नियोजन की वृद्धि के अनुपात व प्रारम्भिक नियोजन की निश्चित वृद्धि के अनुपात को नापता है।" जब उद्योगी नवीन यंत्र और मशीनों का क्रय करना प्रारम्भ करते हैं तो बहुमूल्य वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योग उन्नत होंगे। ऐसे उद्योगों में विनि-मोजित राशि प्रारम्भिक विनियोजन कहलाती है। इस प्रकार के विनियोजन से उन लोगों के विनियोजन की उत्पत्ति होती है, जो मशीनों के निर्माण में लगे होते हैं इस प्रकार के नियोजन को प्रारम्भिक नियोजन कहते हैं और जब मशीनें तैयार होकर विक्रि जाती हैं, तब उनका प्रयोग उपभोक्ताओं की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। जब उत्पादन आरम्भ होता है तो नियोजन अधिक होगा। सम्भव है यह प्रारम्भिक विनियोजन तुरन्त न हो सके, क्योंकि प्रारम्भिक नियोजन और उपभोक्ताओं की वस्तुओं के उद्योगों के नियोजन के बीच सदैव कुछ समय का अन्तर होता है। प्रारम्भिक नियोजन की वृद्धि से पूर्ण नियोजन में भी वृद्धि हो जाती है और इन दोनों वृद्धियों के बीच के अनुपात को नियोजन गुणक कहते हैं।

गतिवर्धन नियम (Acceleration Principle)^३ —यह कहावत कि कभी-कभी हम को रुकने के लिए चलते जाना पड़ता है, आर्थिक सप्ताह में जो गतियुक्त होता है, पूर्ण रूप से सत्य होता है। आर्थिक सप्ताह में हमको वर्तमान स्थिति को बनाये रखने के लिए तेजी से आगे बढ़ना पड़ता है। यदि आर्थिक पद्धति को अपना कार्य विना किसी रुकावट के कुशलतापूर्वक करना है तो विनियोजन माग को व्यापार, आय तथा विक्री के क्रमागति फैलाव से ऊंचा रखना होगा। इसी को गतिवर्धन नियम कहते हैं। जब आय तथा विक्री बढ़ जाती है तो उससे जो समृद्धि होती है वह विनियोजन को बढ़ाती है। विनियोजन को लाभदायक बनाये रखने के लिए विक्री को तीव्र गति से

1. Brj Narain—Principles of Economics, 1945, p 266.

2. Ibid—pp 287

3. See Samuelson, P A —Economics, 1948, pp 405-407.

बढ़ाना पड़ता है। उपभोग, आय तथा विक्री के परिवर्तन का विनियोजन पर तीव्र गति में प्रभाव पड़ता है। इसी कारण में इसे गतिवर्धन अथवा तीव्र गति का नियम कहते हैं। यह नियम दोनों स्थितियों को काटता है। यदि आय तथा विक्री का तीव्र गति में बढ़ना बन्द हो जाता है तो व्यापार में कमी हो जायेगी। पूँजी का विनियोजन शीघ्र ही नमाप्त हो जायगा, क्योंकि विनियोजन लाभदायक न होगा। यह याद रखना चाहिये कि यदि विक्री में कोई कमी नहीं है तो भी मन्दी आ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विक्री में बढ़ती हुई वृद्धि वर्तमान उत्पादन तथा व्यवसाय को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। अतः व्यापार-चक्र की नीचे की ओर चाल प्रारम्भ हो जायेगी चाहे विक्री उतनी ही ऊँची रहे अथवा कम दर से बढ़े। गतिवर्धन नियम विनियोजन को प्रोत्साहित करता है।

गतिवर्धन नियम का प्रयोग प्रो० जे० वार० हिक्स ने अपने व्यापार-चक्र के सिद्धांत में किया है। परन्तु बहुत से अर्थशास्त्री इसको विश्लेषण के लिए एक अपरिपक्व तथा बड़ा अयोग्य औजार समझते हैं। इस नियम के अनुसार उत्पादन तथा पूँजी का अनुपात किसी विशेष कारण से निश्चित होता है और इसीलिए इसमें अल्पकाल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। परन्तु यह अनुपात व्यापार-चक्र के साथ-साथ बराबर बदलता रहता है।

११. डाक्टर हैयक का सिद्धान्त (Dr Hayek's Theory)—डाक्टर हैयक ने संकट का सारा दोष कृत्रिम रूप में अल्प दर पर दी गई अत्यधिक साव पर रखा है। यह अल्प दर प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि चालू वचनों में से आने वाली पूँजी की वास्तविक पूर्ति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होता।

जब स्वेच्छापूर्वक वचनें ही केवल पूँजी की पूर्ति का स्रोत हैं, तो उचित भीमाओं से परे ऋण लेना संभव नहीं होगा, क्योंकि साख के विस्तार पर रोक लगाने के लिए ब्याज की दर तेजी के साथ बढ़ेगी। उत्पादन और खपत के बीच एक मतुल्य को अधिक या कम रखा जायेगा।

किन्तु वाष्प वचनों की अवस्था में मामूली बुरी तरह छिन्न-भिन्न हो जाता है अर्थात् मुद्रा स्फीति द्वारा। चूँकि साख का विस्तार बैंकों की निजी इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए वह उन दरों की अपेक्षा अल्प दर पर उधार दे सकते हैं जो कि उन समय ली गई होती जब कि उन्हें स्वेच्छा वचनों पर निर्भर करना होता। मन्दी मुद्रा कीमतों को बढ़ाती है। द्रव्य की अतिरिक्त पूर्ति उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों की ओर बढ़ती है। उत्पादन की विधि "लम्बी" हो जाती है अथवा उत्पादन अधिराशिक चक्रदार अथवा पूँजीवादी हो जाता है। यह नया द्रव्य अन्ततः उत्पादन के मापनों के सुगतानों द्वारा अन्तिम उपभोक्ताओं तक पहुँचता है। उपभोक्ताओं की वस्तुओं की कीमतें भी ऊँची हो जाती हैं। इससे फलस्वरूप सावनों का उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्थाओं ने अन्तिम अवस्थाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। प्रारम्भिक अवस्था को साख के अधिक विस्तार द्वारा स्थिर रखा जा सकता था। किन्तु बैंक, निजी रखा के चिन्तित और केवल आत्मरक्षा के कारण, अधिक उधार देने से इन्तार

कर देते हैं और तब सकट उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्रारम्भिक अवस्थाओं में वहा स्थिरता होती है। इस सकट से बचा जा सकता था, वशर्ते कि उत्पादन विधि को उपभोक्ता वस्तुओं की माग में वृद्धि प्रकट होने के समय के साथ ही पूर्ण कर दिया जाना, किन्तु यह संभव नहीं है। जब साधनों को चुकाये गये पारिश्रमिक से उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तब भी उत्पादन जारी रहता है।

यह सिद्धान्त इस तथ्य पर आधारित है कि समाज के साधन सीमित हैं। एक उद्देश्य केवल दूसरे के त्याग पर ही प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादन के एक चरण को केवल तभी विस्तार दिया जा सकता है, जब कि दूसरे में छँटनी की जाय। जब उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि पूर्ण माग के प्रत्युत्तर में अन्तिम चरण का विस्तार हो जाता है तो उस समय उन साधनों को प्रारम्भिक चरणों से हटा लेना चाहिए। निःसंदेह, विगिष्ट साधनों को हटाया नहीं जा सकता, अस्तु, उन्हें बेकार रहना होगा, क्योंकि विशिष्टताहीन उन साधनों को तो हटाया जा चुका होता है जिनके साथ वह काम कर सकते थे। उत्पादन के प्रारम्भिक चरण उलझ जाते हैं और अलाभकर बन जाते हैं, क्योंकि बैक ऋण लेने वालों से पिंड छुड़ाने के लिए अत्यधिक ऊँची दरें बमूल करने लग जाते हैं। डाक्टर हेयक का विश्वास है कि इस सब अव्यवस्था का कारण वह ऋण है, जो उद्यमों को उचित मीमाओं का उल्लघन करके व्यापार स्थापित करने की प्रेरणा करते हैं।

डाक्टर हेयक ने अपने सिद्धान्त में यह मान लिया है कि वचत और विनियोजन में समता होती है, जो कि बैक की नीति से अव्यवस्थित हो जाती है। परन्तु यह मान लेना ठीक नहीं है। हम देख चुके हैं कि प्रोफेसर कीन्स का सिद्धान्त इस सत्य पर निर्भर है कि वचत व विनियोजन में असमता होती है। इस सिद्धान्त में यह भी मान लिया गया है कि सब साधनों का पूर्ण नियोजन किया जाता है और उद्यम के कारण उत्पादन की कुछ प्रणालियों का दूसरी प्रणालियों की ओर परिवर्तन हो जाता है और इससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है। किन्तु सचाई तो यह है कि सब साधनों का पूर्ण प्रयोग तो शायद ही कभी होता है। अत्यधिक व्यस्त व्यापार के दिनों में भी कुछ न कुछ बेकारी रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्पादन विना किसी दूसरे चरण को अव्यवस्थित किये भी किसी एक चरण में विस्तृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ताओं की माग बढ़ने के साथ-साथ उत्पादक वस्तुओं के निर्माण की माग नही बढ़ती, यह बात सर्वथा असत्य है। अन्ततः इस सिद्धान्त के अनुसार यह जान पड़ता है कि साख उत्पन्न करना सदैव हानिकारक है। निःसंदेह साख के आधिक्य के बहुधा गम्भीर परिणाम होते हैं, तिस पर भी साख के साधन को कभी-कभी समाज के महान् लाभ में प्रयुक्त किया जा सकता है। सम्भवतः जब देश आर्थिक स्थिरता की दशा में हो, ता व्याज की न्यून दर विनियोजन को विस्तार दे सकती है। इसके अतिरिक्त, डाक्टर हेयक का सिद्धान्त व्यापारिक मन्दी के चक्रात्मक रूप की व्याख्या नहीं करता।

१२. हिक्स का सिद्धान्त^१ (Hicks's Theory)—ऊपर दिये हुए सिद्धान्तों से यह पता चलता है कि व्यापार-चक्र पर विचार कितने भिन्न हैं। इन विरोधी सिद्धान्तों के बीच विद्यार्थी उलझन में पड़ जाता है कि किस सिद्धान्त को अपनाया जाय। सीभाग्यवश कीन्स के सिद्धान्त के प्रकाशित होने से व्यापार-चक्र पर विचार समान होने लगे हैं। आजकल अधिकतर व्यापार-चक्र के आधुनिक सिद्धान्त कीन्स के उत्पादन बयवा व्यवसाय की समता के मत के चारों ओर घूमते हैं और इस प्रकार आय तथा विनियोजन के परस्पर सम्बन्ध को बतलाते हैं। इनमें हम कैलेक्की (Kalecki), काल्डर (Kaldor), फ़िश्च (Fisch), हारड (Harrod), सैमुल्सन (Samuelson) तथा हिक्स (Hicks) के सिद्धान्तों को शामिल कर सकते हैं।

हिक्स आय पर विनियोजन की निर्भरता लाभ आकांक्षा में सम्बन्धित परिवर्तन द्वारा बतलाने को गतिवर्धन नियम का प्रयोग करते हैं। वे विनियोजन को आय के परिवर्तन के बजाय आय में परिवर्तन के दर का कार्य समझते हैं। गतिवर्धक गुणक (accelerator co-efficient) दो प्रकार के होते हैं—मकुचित तथा अमकुचित (linear and non-linear)। (गतिवर्धक गुणक विनियोजन के मूल्य में परिवर्तन, आय के मूल्य में परिवर्तन के अनुपात में बताता है।) मकुचित गुणक यह मानता है कि उपभोग करने की सीमान्त प्रवृत्ति (मल्टीप्लायर के आकार का) तथा गतिवर्धक स्थिर रहते हैं और अमकुचित गुणक में स्वयं गुणक की कीमत उत्पादन की मात्रा के साथ-साथ बदलते हैं। हिक्स के व्यापार-चक्र का प्रतिरूप अमकुचित गुणक के विचार पर आधारित है यद्यपि वे मकुचित पद्धति के मत पर भी विश्वास रखते हैं। अतएव उनका सिद्धान्त “प्राथमिक हटाने वाले कार्य में विना सम्बन्धित एक विशिष्ट विस्तार की अस्थिरता” बतलाने में नमर्य होता है। वे यह दिखलाते हैं कि अस्थिरता दो सीमाओं के बीच होती है। ऊपरी सीमा पूर्ण व्यवसाय में निश्चित होती है तथा नीचे की सीमा इस बात से निश्चित होती है कि स्वच्छ विनियोजन किमी एक सीमा में बाहर नहीं जा सकता। जब प्राथमिक गति इन सीमाओं के विपरीत उठती है तो चक्र गति का होना शुरु हो जाता है। “स्वाभाविक शीघ्रदाह चक्र स्थिर विस्तार के चक्र में बदल जाते हैं क्योंकि एक बार यदि ऐसी गति की सीमाओं में गंजा गया तो क्षमप्रद हल्कोरे उन्नी प्रकार की गति करेंगे।” अतः वाद बायीं गति केवल पहरे के पुनर्जन्म हैं। व्यापार चक्र के ऊपर की ओर की गति में गतिवर्धक गुणक तब तक कम होता चला जाता है जब तक कि वह पूर्ण व्यवसाय की सीमा पर शून्य नहीं हो जाता, तथा नीचे की ओर की गति में भी गुणक उन्नी प्रकार बदल जाता है।


काल्डर (Kaldor) के विचार में हिक्स के सिद्धान्त की साम्प्रतिक निर्ययना गतिवर्धन सिद्धान्त के प्रयोग की है। गतिवर्धक मन्त्र-वृत्त से नव्याभामत परिधान की

1. Hicks, J. R.—A Contribution to the Theory of Trade Cycle, 1950, See also article by Nicholas Kaldor on “Mr Hicks on the Trade Cycle” in the Economic Journal, December 1951, pp 833-47, This section leans heavily on this article.

आशा नहीं की जाती। जैसा कि काल्डर का कहना है, "यह मान लेना आवश्यक है कि पैदावार के परिवर्तन से किया गया विनियोजन उस उत्पादन के परिवर्तन का कोई गुणक है जो पूर्ण रूप के परिवर्तन से स्वतन्त्र है। यद्यपि वास्तव में व्यावसायिक सस्थाओं का विस्तार उनके आर्थिक साधनों से सीमित रहता है, जिसका अर्थ यह होता है कि वे बड़े विनियोजन के अवसरों का लाभ इतनी शीघ्रता से नहीं उठा पाते जितना कि छोटे विनियोजन के अवसरों का . . . ऐसा इसलिए नहीं होता कि किसी व्यावसायिक सस्था के लिए आर्थिक साधन काफी हों और किसी के लिए कम। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि छोटे परिवर्तनों से बड़े परिवर्तनों से सम्बन्धित आकांक्षा लोचदार बहुत कम होती है।"

१३ जाल सूत्र^१ (Cobweb Theorem)—कुछ अर्थशास्त्रियों ने व्यापार-चक्र का एक ऐसा सिद्धान्त बनाया है जिसको यदि आकृति द्वारा प्रस्तुत किया जाय तो एक मकड़ी के जाले के समान दिखाई पड़ता है। यह सिद्धान्त उत्तरगामी समय के उत्पादन पर वर्तमान कीमत, फिर परिणाम की कीमत तथा उत्तरगामी उत्पादन आदि की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर है। इसका सैद्धान्तिक वर्णन तीन अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग-अलग किया गया था। उनके नाम ये हैं—इटली के अमबर्टो रिस्सी (Umberto Ricci), हालैण्ड के स्कल्टज (Schultz) तथा अमरीका के टिनबर्गन (Tinbergen)। 'जाल सूत्र' नाम सबसे पहले निकोलस काल्डर (Nicholas Kaldor) ने 'Review of Economic Studies, Feb 1934' में एक लेख में दिया था।

उत्पादन कीमत तथा माग और पूर्ति वक्रों के बीच आगे व पीछे उत्पादन के क्रमबद्ध समायोजन तथा दुबारा क्रमबद्ध समायोजन से बने हुए जाल तीन प्रकार के हो सकते हैं अर्थात् लगातार (निरन्तर), एक केन्द्र पर झुकता हुआ (समवाय) तथा विभिन्न।



रेखाचित्र न० ७५

(१) लगातार (continuous type)—इस प्रकार के जाल में कुछ प्राथमिक एकीकरण के पश्चात् चक्र स्वयं फिर से उसी प्रकार चालू हो जाता है। यह उसी ओर की गति होती है और करीब-करीब उसी प्रकार का उत्पादन तथा कीमत पैदा करती है। यह उस समय होता है जब कि माग वक्र पूर्ति वक्र के ठीक विपरीत होता है अर्थात् उनकी लोच एक-सी होती है। साथ दिये हू


1 See article by Mordecai Ezekiel in the Quarterly Journal of Economics, February, 1938 Pp 255-80

रेखाचित्र द्वारा इस प्रकार के जाल को प्रस्तुत करते हैं :-

हम उ क₁ वड़ी मात्रा से प्रारम्भ करते हैं। जहा यह माग वक्र को छूता है यह प₁ कीमत (कम) देता है। यह कम कीमत दूसरे समय में कम उत्पादन उ क₂ करेगा। कम उत्पादन से कीमत प₂ तक बढ़ेगी—इन ऊंची कीमत से उत्पादन क₃ तक बढ़ेगा और इसी प्रकार चक्र फिर से प्रारम्भ हो जायेगा।

(२) एक केन्द्र पर झुकता हुआ (convergent type)—इस प्रकार उत्पादन तथा कीमत की गति भी भीतर की ओर झुकती है और जाल छोटा होता जाता है। यह उस समय होता है जब पूर्ति माग में कम लोचदार होती है। यह नीचे दिये हुए रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है—

हम पहले की तरह क₁ वड़ी मात्रा से प्रारम्भ करते हैं। इससे प₁ कीमत आती है। क्योंकि प₁ कीमा कम है इसलिये दूसरे समय में उत्पादन क₂ तक कम कर दिया जायेगा। पर इससे कीमत प₂ तक बढ़ जायेगी और फिर उत्पादन क₃ तक बढ़ जायेगा। पैदावार के अधिक होने के कारण कीमत प₃ तक गिर जायेगी। उत्पादन क₄ तक घट जायेगा।




रेखाचित्र न० ७६

और कीमत प₄ हो जाएगी, इससे क₄ उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। इनमें कीमत कम होकर प₅ हो जाती है। और इसी प्रकार यह चक्र चलता रहेगा। कीमत और उत्पत्ति दोनों हर समय में घटते चले जायेंगे और इनमें एक केन्द्र पर झुकता हुआ जाल बनेगा।

(३) विभिन्न प्रकार के जाल (Divergent type)—उन प्रकार में जाल बाहर की ओर बढ़ता है। यह उन समय होता है जब कि पूर्ति माग में अधिक लोचदार होती है। इस प्रकार का जाल नीचे दिये हुए रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है —

ऐसी दशा में क₁ मात्रा प₁ कीमत पर विद्यती है। कीमत के कम होने के कारण उत्पादन की मात्रा घटकर क₂ हो जाती है। मात्रा के घट जाने में कीमत प₂ तक बढ़ जाती है। ऐसी हालत में क₃ मात्रा का उत्पादन होता है। तो भी कीमत प₃ तक गिर जाती है। कीमत के गिरने में उत्पादन क₄ तक घट जाता है। पूर्ति घटने से कीमत बढ़ कर प₄ हो जाती है, जिन्में उत्पादन बढ़कर क₅ तक हो जाता है। इसी प्रकार जाल बाहर की ओर बढ़ता जाता है। ये निम्नलिखित वर्णन स्पष्टता, एक केन्द्र

पर झुका हुआ तथा विभिन्न प्रकार का, आर्थिक सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है। इनका झुकाव साम्यावस्था की ओर है। ये सिद्धान्त साम्यावस्था की ओर जाने की वजाए



रेखाचित्र न० ७७

व्यापार-चक्र के बने रहने पर जोर देते हैं।

जाल सूत्र की कई सीमायें हैं। यह केवल इन दशाओं में लागू हो सकता है— (क) जब कि पर्याप्त पूर्ति से कीमत का निर्धारण होता है, (ख) जबकि उत्पादन स्वच्छ प्रतियोगिता में कीमत के विचार से निर्धारित होता है, तथा (ग) जब कि उत्पादन में विना एक समय के अन्त होने से पहले परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उत्पादक एक बार जब किसी वस्तु के पैदा करने के विषय में निर्णय कर चुकते हैं तो वे पैदावार में कमी तो कर सकते हैं पर उसको बढ़ा नहीं सकते। इसके अतिरिक्त किसी वस्तु को पैदा करने में केवल उस वस्तु की कीमत पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, वरन् उन साधनों की कीमतों पर ध्यान दिया जाता है जिनकी उस वस्तु के उत्पादन में आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन प्राकृतिक दशाओं पर भी निर्भर रहता है। खेती के व्यवसाय में कीमत के गिरने से खेती के क्षेत्र में तो तुरन्त कमी हो सकती है पर कीमत के बढ़ने से क्षेत्र में बढ़ती के लिए अधिक समय लगेगा। ऐसी दशा में वह कौन-सी वस्तु है जिसकी कीमत का निर्धारण केवल उस वस्तु की पूर्ति करती है? बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे वस्तु की कीमत के निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है जैसे—उपभोक्ता की आय, मौसम, फैशन तथा प्रतियोगी वस्तुओं की पूर्ति में परिवर्तन, आयात-निर्यात कर, सरकारी रोक आदि। ऐसे विचार हमको इस निष्कर्ष पर लाते हैं कि जाल-सूत्र व्यापार-चक्र का सन्तोषजनक वर्णन प्रस्तुत नहीं करता।

१४ व्यापार चक्रों के कारण (Causes of Trade Cycles)— किमी विषय में इतना मतभेद नहीं है जितना व्यापार-चक्रों के विषय में है। हर सिद्धान्त में कुछ न कुछ सत्य है पर हम किसी एक सिद्धान्त पर पूर्णतया निर्भर होकर व्यापार की गतियों की चक्रात्मक प्रकृति अथवा सामान्यता का पता नहीं लगा सकते।

व्यापार-चक्र बड़ी जटिल घटना है। किसी भी सिद्धान्त में हमें व्यापार-चक्र की पूर्ण व्याख्या नहीं मिलेगी। व्यापार-चक्र विभिन्न प्रकार के बहुत से कारणों के फलस्वरूप होता है। जलवायु उत्पादन को रोककर अथवा उसकी सहायता करके व्यापार-चक्र का निर्माण करती है। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक कारण आशावादी व निराशावादी लहरी को जन्म देते हैं। आर्थिक कारणों से गति में उत्थान और पतन होता है, प्रतियोगिता तथा अत्यधिक वचत, अत्यधिक उत्पादन व कम उपभोग की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। इन प्रकार अनेक बातें मिल कर सकट पैदा कर देती हैं। नट विन्फेल्ड के अनुसार "चक्रात्मक उतार-चढ़ाव के सिद्धान्त तथा पर्याप्त कारणों के लिए हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि टेक्नीकल तथा वाणिज्यिक प्रगति में गति समान नहीं रहती। इसके विपरीत यह घटती-बढ़ती है।" जब आर्थिक उन्नति होती है तो समृद्धि होती है और जब यह सुस्त होती है तो मंदी।

एस. ई. टामस^१ ने व्यापार-चक्र के कारणों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया है —

(क) आकस्मिक कारण, जिनका प्रभाव कच्चे पदार्थों की पूर्ति पर पड़ता है।

(ख) मांग व पूर्ति का अपूर्ण समन्वय।

(ग) वित्तीय कारणों से मूल्यों में भिन्नताएं।

(क) कच्चे पदार्थों की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारण (Causes affecting the Supply of Raw Material)—बुरी जलवायु, बहुत अधिक या बहुत कम वर्षा, कीड़े, भूचालों तथा युद्ध आदि का प्रभाव कच्चे पदार्थों की पूर्ति पर बुरा पड़ता है। यदि कोई आम हड़ताल बहुत दिनों तक रहे, तब भी व्यापार उखड़ जाता है। साथ ही साथ यदि कच्चे पदार्थों की कमी हो तो उत्पादक यन्त्र भी बंकाव रहने लगेंगे। आधुनिक सकट केवल कच्चे माल की कमी से ही नहीं पैदा होता बल्कि उनके आधिक्य से भी पैदा होता है। पिछले दिनों में होने वाली महान् मन्दी में जहाँ एक ओर बेहद धमिली थी, वहाँ दूसरी ओर लोग मूर्खों मर रहे थे। इसका कारण मांग व पूर्ति के बीच समन्वय का न होना था।

(ख) मांग व पूर्ति का अपूर्ण समन्वय (Imperfect Adjustment of Demand and Supply)—आधुनिक उत्पादन एक बड़ी लम्बी-चौड़ी विधि है। विश्व के कोने-कोने में रहने वाले हजारों व्यक्ति बहुत सामूहिक-नी एक यन्त्र के उत्पादन में सहायता देते हैं। इनके अनिश्चित उद्योगों के व्यक्तिगत प्रयत्नों ने भी उत्पादन-कार्य नियन्त्रित होता है। इसलिए यदि उत्पादन कभी बहुत अधिक और कभी बहुत कम हो जाय, तो कोई आश्चर्य नहीं। उदाहरण के लिए, यह ही सचता है कि सूती माल के उद्योग के सूत कातने की क्षमता कच्चा सूत के धमिले से अधिक विस्तृत हो जाय। इनके सूत कातने के उद्योग में मंदी पैदा हो जायगी, जो कभी बड़ेगी भी और कभी कम होगी। इसलिए यदि उत्पादन-कार्य

सफलतापूर्वक चलता है तो उत्पादन की दोनों परिस्थितियों में पूर्ण रूप से सतुलन होना चाहिए। पर एमए होता नहीं और अधिकतर असमता रहती है। जब विभिन्न परिस्थितियों में उत्पादन विभिन्न व्यक्तियों के हाथ में होता है, तब यदि उत्पादन और माग में सतुलन स्थिर रहे, तो आश्चर्य की बात होगी।

(ग) कीमत-स्तर में विभिन्नताएँ (Variations in the Price Level)—मुद्रा-प्रसार के समय में कीमतें बढ़ जाती हैं। यह या तो इसलिए कि सरकार अत्यधिक मुद्रा जारी कर देती है या बैंक साख का बहुत विस्तार कर देते हैं। बढ़ती हुई कीमतों की दशा में स्ट्रेवाजी को प्रोत्साहन मिलता है और यह सकट को आह्वान करता है। मुद्रा-स्फीति के बाद मुद्रा-सकुचन की नीति अपनायी जाती है।

१५. आर्थिक सकट को दूर करने के उपाय (Remedial Measures to fight Economic Crisis)—सकट के समय व्यवहार में आने वाली नीतियों के विषय में सकट के कारणों की अपेक्षा अधिक मतभेद है। अधिकतर अर्थशास्त्री अब इस विषय पर सहमत हैं कि वर्तमान आर्थिक अवस्था में सकट अवश्यम्भावी है। अधिक से अधिक उन्हें स्थगित मात्र किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। अस्तु, इन सकटों का सामना करने के लिये हमें दो प्रकार के उपायों की आवश्यकता है—निवारक (preventive) और औपचारिक (curative)।

निवारक उपाय सकट की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कच्चे माल की पूर्ति पर जलवायु का जो प्रभाव होता है, उससे हम विमुख नहीं रह सकते। भारत जैसे देश के लिए, जहाँ दो-तिहाई से अधिक निवासी कृषि पर निर्भर करते हैं, यह आवश्यक है कि कृषि को वर्षा से स्वतन्त्र किया जाय। पानी की नियमित पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में कुओं, नहरों व तालाबों का निर्माण अति आवश्यक है। यह अवश्य है कि युद्ध, भूचाल व छूत की बीमारी जैसे बाह्य कारणों का कोई उपाय नहीं किया जा सकता पर इनका व्यापार-चक्र में कोई विशेष महत्त्व नहीं है। कम से कम यह नियमित रूप से तो कोई प्रभाव नहीं डाल सकते।

माग व पूर्ति की अपूर्ण व्यवस्था को फसलों की दशा, उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा, व्यवसाय की दशा, आयात व निर्यात, आय प्रति व्यक्ति, मूल्य व लागत सबकी देशनाको, व लाभ की दशा आदि की सही परिगणना करके समझाया जा सकता है। इसके द्वारा व्यापारी वस्तुओं की माग व पूर्ति के विषय में ठीक अनुमान लगा सकता है। इसके अतिरिक्त सूचना विभाग को अनुचित आशावादिता अथवा निराशावादिता को रोकने के हेतु समय-समय पर चेतावनियाँ प्रकाशित करते रहना चाहिये। समृद्धि के दिनों में कारखानों को लाभान्वित करने के लिये विशेष सावधानी से कार्य करना चाहिए।

मुद्रा-नीति (Monetary Policy)—पर केवल इतने निवारक उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा तेजी व मदी को रोकने के लिए देश को सदैव उचित बैंकिंग नीति को अपनाना चाहिए। नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि यदि किसी भाँति आर्थिक सकट उपस्थित भी हो जाय तब भी कम से कम उनकी तीव्रता तो कम हो जिससे शीघ्रतापूर्वक आर्थिक स्थिरता स्थापित हो सके।

मुद्रा-नीति साख के विस्तार को प्रभावित करके देश में प्रचलित कीमतों व धार्मिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। इसका विस्तृत अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। यहाँ केवल इतना याद रखना पर्याप्त है कि इस नीति को दो उपायों से प्रभावशाली बनाया जा सकता है—बैंक-दर को व्यवस्थित करके और गुले बाजार की क्रियाओं द्वारा। जब समृद्धि की परिस्थितियाँ होती हैं तो बैंक-दर को बढ़ाकर व्यापारिक क्रियाओं में और अधिक विस्तार को रोक दिया जाता है। इसी प्रकार मदी के दिनों में सस्ती मुद्रा की नीति से व्यापारिक विनियोजन को प्रोत्साहन दिया जाता है और इस प्रकार पुनर्जीवन में सहायता होती है।

बैंक की साख नीति में दो प्रकार के नियंत्रण होते हैं—परिमाण-सम्बन्धी तथा गुण-सम्बन्धी (quantitative and qualitative)। परिमाण-सम्बन्धी नियंत्रण से अभिप्राय साख-पद्धति को सामान्य, दृढ़ तथा ढीला करने से है। यह बैंक के कोष को प्रभावित करके किया जाता है। गुण-सम्बन्धी नियंत्रण एक विशिष्ट प्रकार के साख को नियंत्रित करता है। यह स्पष्ट है कि मुद्रा-नीति बड़ी सफल नीति है और इसी कारण अभी कुछ ही वर्षों तक यह सर्वसुन्दर व्यापार-चक्र-विरोधी उपाय समझा जाता था।

पर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बहुत-सी मानी हुई बातें सही हों। उदाहरणार्थ, यह बात ध्यान रखने योग्य है कि अन्य बैंक किन्तु नीमा तक केन्द्रीय बैंक का अनुकरण करने को तत्पर हैं, कहा तक बैंक अपने ऋणियों को रुपये का उचित विनियोजन करने के लिये बाध्य कर सकते हैं, कहा तक इन परिवर्तनों के लिये मुद्रा-सम्बन्धी कारण उत्तरदायी हैं और अन्त में व्यापारिक वर्ग परिवर्तित दर पर विनियोजन करने को तत्पर है या नहीं।^१ लेकिन, यह बातें सर्वथा सत्य नहीं हैं, इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था पूर्णतया सफल नहीं हो सकती। मदी के दिनों में विशेष तौर से यह नीति सर्वथा असफल रहती है, क्योंकि इन दिनों में व्यापारी वर्ग निराशा में ऐसा जकड़ा होता है कि दरों में अत्यधिक कमी होने पर भी वह नवीन विनियोजन करने अथवा अपने व्यापार का विस्तार करने की हिम्मत नहीं करता। द्रव्य अधिकारी व्यापार के लिए प्रोत्साहन मात्र दे सकते हैं, वे व्यापारियों को उधार लेकर व्यापार चालू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कम व्याज की दर का परिणाम केवल अस्थिर धन की दशा बनाने का है। भारी सरकारी ऋण ने मुद्रा-सम्बन्धी नियंत्रण को कठिन बना दिया है। लेकिन आधुनिक मुद्रा विशेषज्ञ मुद्रा नीति पर अधिक भरोसा नहीं करते जो आर्थिक नीति को अपनी उचित मज्जा में बनाए रखे।

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)—मुद्रा नीति के अपर्याप्त होने के कारण दूसरे उपायों की तलाश हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय राजकोषीय नीति का उपाय है। यद्यपि “इस उपाय की तलाश केवल मुद्रा-नीति की सहायता के लिए की गई थी किन्तु अब वह उसी नीति को चिन्तित करने का साधन है।”

(विलियम्स) चूकि राज्य से होने वाले खर्च की मात्रा बहुत अधिक होती है इसलिए यह कुल राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग है। इस तरह राजकोषीय नीति से कीमत स्तर प्रभावित होता है। इसके अलावा उत्पादन और नौकरी पर भी प्रभाव पड़ता है, चाहे ऐसी नीति जान-बूझ कर अपनायी गई हो या वैसे ही।

आयात-निर्यात-कर में यह बातें सम्मिलित हैं—(क) राजकीय व्यय (Public spending) अथवा सार्वजनिक कार्यों की नीति और (२) उचित कर प्रणाली (appropriate taxation)। हम यह देख चुके हैं कि कीन्स के सिद्धान्त के अनुसार व्यापार-चक्र वृद्ध व विनियोजन के बीच असमता के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए यदि राज्य और सार्वजनिक संस्थाओं के विनियोजनो का विभिन्न व्यक्तिगत विनियोजनो से समन्वय कर दिया जाय तो असमता उत्पन्न होने से रोकी जा सकती है। और इस प्रकार आर्थिक स्थिरता स्थापित की जा सकती है। और यदि किसी भाति असमता उत्पन्न भी हो जाय तो सार्वजनिक व्यय के समायोजन द्वारा उसकी व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए व्यापारिक स्थिति के अनुसार सार्वजनिक व्यय को परिवर्तित करते रहना पड़ता है। मदी के दिनों में जब व्यक्तिगत विनियोजन बहुत शिथिल होता है तो उसकी कमी पूरी करने के लिए राज्य को बड़ी मात्रा में विनियोजन करना पड़ता है। इसके विपरीत यदि समृद्धि का काल हो तो राज्य को अपने व्यय कम करने पड़ने हैं। इस प्रकार मदी के दिनों में राज्य को अपने चलित राजस्व की सीमा से परे खर्च करने को तैयार रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में मदी के दिनों में राज्य को घाटे के वजटों के लिए उद्यत रहना चाहिए और अमाधारण समृद्धि के दिनों में वजट अतिरेक के लिए। अस्तु, राज्य को वजट सतुलन की नीति अपनानी चाहिए।

जहा तक राज्य के राजस्व का प्रश्न है राज्य को मदी के दिनों में कर कम कर देने चाहिये और तेजी के दिनों में अधिक। यही नहीं, मदी के दिनों में राज्य की ओर से कई प्रकार की उदार रियायतें और दूसरी सुविधाएँ दी जानी चाहिए।

इस प्रकार राजकोषीय नीति का संचालन सार्वजनिक राजस्वों और सार्वजनिक व्यय द्वारा हो सकता है। इसे राजस्व का चक्र विरोधी सगठन भी कहते हैं। इन दोनों में व्यय वाला सिद्धान्त अधिक सफल है, क्योंकि इससे व्यापारिक क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त राजस्व वाला ढग विशेष लाभ का नहीं होता क्योंकि इससे विनियोजन उचित रूप से नहीं हो सकता। पर सबसे अधिक सफलता तब प्राप्त की जा सकती है जब दोनों ढगों के सहयोग से काम लिया जाय।

राजकीय व्यय अथवा सार्वजनिक कार्यों की नीति (Public Spending or Public Works Policy)—यह नीति अधिक सफल हुई है। मदी के दिनों में जब आर्थिक क्रियाएँ पूर्णतः शिथिल हो जाती हैं, और फलस्वरूप बेकारी बढ़ जाती है, तो वस्तुओं के उपभोग में कमी जा जाती है। यह बात बड़े महत्त्व की है कि उपभोग की ओर रुचि बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय। यदि किसी प्रकार सार्वजनिक कार्यों द्वारा कुछ नवीन विनियोजन पैदा किया जा सके तो लोगों की ऋय-शक्ति बढ़ जायगी और उपभोग की मात्रा भी बढ़ जायगी, जिसे गुणक के सिद्धान्त के अनुसार व्यक्तिगत विनियोजन

को प्रोत्साहन मिलता है। अस्तु, सार्वजनिक कार्यों पर सरकार की ओर से व्यय किये गए धन से व्यक्तिगत विनियोजन को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार किसी देश की आर्थिक क्रिया में राज्य जीवन-संचार का कार्य करता है।

इससे मंदी रोकੀ जा सकती है। पर सार्वजनिक व्यय से एक और भी काम होता है—वह यह कि इससे आर्थिक क्रिया में दीर्घकाल में स्थिरता आ जाती है और वह मंदी व तेजी से सुरक्षित हो जाती है। इस उद्देश्य को व्यक्तिगत विनियोजनों के अनुसार सार्वजनिक विनियोजनों का समन्वय करके प्राप्त किया जा सकता है। इसे आर्थिक नीति का क्षतिपूर्क पूर्णात्मक कार्य (compensatory action) कहते हैं। 'अमरीकन इकानामिक्स एसोसियेशन' के अनुसार "ऐसी राज्य-व्यवस्था में जहाँ अधिकांश लोग प्राइवेट कार्यों में लगे हैं सरकारी नीति यह होनी चाहिए कि सामान्य आर्थिक दशा में परिवर्तन किया जाए जिससे प्राइवेट (निजी) व्यापार आदि में विक्रमिit उतार-चढ़ाव में कुछ कमी हो और ऐसे हालात में सुधार हो।" चक्र की अस्थिरता को रोकने के लिए सरकारी नियंत्रण निम्नलिखित हैं —

(१) व्यक्तिगत उत्तेजना में परिवर्तन लाने के लिए कर दर तथा कर के ढांचे में परिवर्तन।

(२) कुल आय में सरकारी अंश का हस्तान्तरित भुगतान द्वारा (उदाहरणार्थ employment benefit) परिवर्तन।

(३) राजकीय कार्यों में तथा अन्य सरकारी व्यय में परिवर्तन।

(४) लागत तथा बैंक साख की प्राप्ति में परिवर्तन लाने के लिए मुद्रा-सम्बन्धी नियंत्रण।

(५) जनता के ऋण चुकाने योग्य संपत्ति में परिवर्तन के लिए ऋण अथवा मुद्रा सम्बन्धी नीति।

(६) विनियोजन निर्णय तथा उत्पादन और व्यवसाय में सम्बन्धित निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकारी नीति की ठीक समय में घोषणा।

(७) कीमत तथा मजदूरी-निर्धारण पर प्रभाव डालने वाले कारण।

(८) उचित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति।

आर्थिक स्थिरता को पाने के लिए दो मूल नियम दत्तवाए गए हैं —

(१) सरकारी करों से प्राप्त आमदनी (राजस्व) को पूर्ण व्यवसाय के समय में ऊंचा तथा बेकारी के दिनों में अपेक्षाकृत कम होना चाहिए।

(२) पूर्ण व्यवसाय के समय में द्रव्य तथा मात्र मापे-रूप में अधिक दूट हो और व्यापार बेकारों के समय ढीला होना चाहिए।

परन्तु भी अर्थशास्त्रियों में उगम का मतभेद है कि सार्वजनिक व्यय की नीति द्वारा बचन व विनियोजन में मदद रगी जा सकती है अथवा नहीं। इनके विरुद्ध यह मत मानते हैं कि वास्तव-नियंत्रण नीति चक्रात्मक परिवर्तनों में रूढ़ने में दृढ़ उपयोग की है।

मंदी के दिनों में विनियोजन में सहायता देने के अतिरिक्त रूढ़ने राज्य को कम

मूल्य में सार्वजनिक सेवा के कार्य करने में सहायता मिलती है। मजदूरी, कीमत व व्याज की दरें मदी के दिनों में कम हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के शुद्ध व्यय तो और भी कम होते हैं, और फिर यदि यह नीति नहीं अपनायी जाती तो बेकारी के भत्ते देने आवश्यक हो जाते हैं। इसलिए सार्वजनिक कार्यों का शुद्ध व्यय उनके पूर्ण व्यय में से बेकारी के भत्ते निकालकर होता है जो कि अन्यथा दिया जाना होता।

पर राजकोषीय नीति में कुछ कमजोरिया भी हैं। बहुत से सार्वजनिक कार्य ऐसे भी हैं, जिन्हें मदी की प्रतीक्षा में स्थगित नहीं किया जा सकता। उनमें से बहुतों का सवध तो व्यवसाय की गति से होता है और इसलिए उनके द्वारा सुधार नहीं हो सकता। फिर श्रम की गतिहीनता के कारण कभी-कभी नीति अतिरिक्त नियोजन का निर्माण करने में असफल रहती है। जैसे सड़क बनाने के काम में सूती मिल के बेकार मजदूर नहीं लगाये जा सकते। एक जनतन्त्रामत्क राज्य में जनता समृद्धि के दिनों में वचत के वजहों का विरोध करती है और करो में कमी की माग करती है। इसके अतिरिक्त राज्य को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वह ऐसे क्षेत्रों में व्यय करे, जहाँ व्यक्तिगत विनियोजन की संभावना न हो, अन्यथा राज्य का विनियोजन व्यक्तिगत विनियोजन को स्थानापन्न मात्र कर देगा। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि राज्य के सार्वजनिक व्यय से उत्पादन-व्यय बढ़ जाने के कारण व्यक्तिगत विनियोजन की कठिनाइया भी कही बढ़ न जायें।

इन सब बातों के होते हुए भी राजकोषीय नीति बहुत अच्छा व्यापार-चक्र विरोधी सास्त्र है। यदि इसके साथ समुचित द्रव्य-व्यवस्था भी हो तो यह और भी अधिक सफल हो सकती है। "मदी से निकलने के लिए कमी का व्रजट आय के नवीन साधन निकालकर और सस्ते द्रव्य को अपनाकर अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकता है तथा समृद्धि के दिनों में मुद्रा की नीति अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती है।"

विनियोजन पर राज्य-नियंत्रण (State Control of Investment)—कुछ वर्षों से व्यापारिक परिवर्तनों से बचाव के लिए अर्थशास्त्री राज्य-विनियोजन के अतिरिक्त और भी उपाय सोचने लगे हैं। उनका कहना है कि व्यक्तिगत विनियोजन के ऊपर राज्य की ओर से नियंत्रण होना चाहिए। कुछ देशों में सन् १९३० से यह नियंत्रण लागू है। यद्यपि पहले यह केवल सकट से बचाव के लिये लगाये गये थे तो भी, लड़ाई के दिनों में यह नियंत्रण और भी बढ़ा दिए गए। पर इनका उद्देश्य केवल युद्ध के साधनों को व्यवस्थित करना था। युद्ध के पश्चात् यह नियंत्रण कम कर दिये गए पर अर्थशास्त्री अब इस बात पर जोर देते हैं कि आर्थिक स्थिरता के लिए यह नियंत्रण आवश्यक है। किन्तु इस नीति में भय यह है कि राज्य के बहुत अधिक हस्तक्षेप से व्यक्तिगत विनियोजन समाप्त हो जायगा। पर व्यक्तिगत विनियोजन को पूर्णतः स्वतन्त्र छोड़ देना भी भयकर है। अस्तु, एक मध्यम मार्ग की आवश्यकता है। कीन्स का विश्वास है कि इस प्रकार का मार्ग निकाला जा सकता है और यदि ऐसा हो गया तो आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय उपाय (International Measures)—अभी तक हमने

केवल उन उपायो का अध्ययन किया है जो व्यक्तिगत राष्ट्रों की ओर से किए जाते हैं। पर व्यापार-चक्र की प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय है। कोई देश सप्तर के दूसरे भागो मे पृथक् नही रह सकता। इसकी यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति नियन्त्रण को जटिल बना देती है।

अन्तर्राष्ट्रीय ढग पर व्यापार-चक्र को रोकने के लिये जिन उपायो का सुझाव रखा गया है वह इस प्रकार हैं—अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन नियंत्रण (International Production Control); अन्तर्राष्ट्रीय निरोध स्क्रंघ (International Buffer Stocks); अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन नियंत्रण (International Investment Control)। अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन नियन्त्रण के अन्तर्गत उत्पादन की प्रमुख वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण रखा जाता है। इस प्रकार के नियन्त्रण में वडी कठिनाइया होती है। भारत जैसे देशो मे कृषि बहुत छोटे पैमाने के व्यवसाय के रूप मे नही वरन् जीवन की आवश्यकता के रूप में होती है। फलस्वरूप यदि कृषि लाभप्रद न भी रहे तो भी उसे छोडा नही जा सकता। पर उत्पादन नियन्त्रण और स्क्रंघ-निरोधक पूर्ति के अचानक परिवर्तनों को रोककर कीमतों के उतार-चढाव को रोक सकेगा।

पिछडे हुए प्रदेशो के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ढग पर विनियोजन नियन्त्रण करने मे वहा के लोगो का जीवन-स्तर उठाया जा सकेगा और विभिन्न देशो के लोगो के जीवन-स्तर में असमानता दूर हो जायगी, परिणामस्वरूप स्थिरता बढ़ेगी। प्रेमिडेन्ट ट्रूमैन का चतुर्य-योजना मंत्र (Point-Four Programme), कोलम्बो योजना तथा आर्डि वी आर डी. डीमि दिशा में किये गये प्रयत्न है।

पर यह उपाय बहुत अघिन सफल नही हो सके। अभी तक भी व्यापारिक मकट की कोई अबूक दवा नही खोजी जा सकी है। वास्तव में आवश्यकता तो इस बात की है कि हमारे आर्थिक ढांचे को पूर्णतः बदल दिया जाय। यह सम्पूर्ण मकट पूजावाद की देन है, और सप्तर में जब तक पूजावाद रहेगा यह सकट भी रहेगा। इसलिए समाजवाद के किसी रूप की आवश्यकता है।

किन्तु उत्पादन के संगठन में समाजवादी राज्य ने भी गलती हो सकती है। क्योंकि उसे भी माग के अनुसार चलना पडेगा। कोई मानवीय संगठन सम्पूर्ण नहीं हो सकता। पर यदि आर्थिक क्षेत्र को समुचित रूप में संगठित कर दिया जाय तो आर्थिक क्रियाएं कुछ इतनी सुव्यवस्थित हो जायेंगी कि मकट कम हुआ करेगा और यदि उन प्रकार के मकट होंगे भी तो राज्य उनका मुकाबला कर सकेगा—व्यक्तिगत फार्माने बन्द नही होंगे और हानिया पूरी की जा सकेंगी। सन् १९३० के आनपान जब नारे विश्व में मशी व बेकारी का अन्धकार था, तब रूस के आर्थिक क्षितिज पर उन प्रकार के काले बादल नहीं दिखाई देते थे। वस्तु, सकट मे लडने का सबसे अच्छा उपाय आयोजित आर्थिक नीति ही है।

सार्वजनिक अर्थशास्त्र

(PUBLIC ECONOMICS)

१ आर्थिक क्षेत्र में राज्य-हस्तक्षेप की आवश्यकता (Necessity of State Intervention in the Economic Sphere)—राज्य एक राजनीतिक समाज है। इसका अन्तिम उद्देश्य मानव-कल्याण की वृद्धि है। इसलिए राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने नागरिकों की आर्थिक क्रियाओं पर दृष्टि रखे। विभिन्न कार्यों में वह कार्य, जिनका रूप आर्थिक है, मानव-कल्याण के लिये अत्यावश्यक है। कोई भी राज्य अपने नागरिकों के आर्थिक कार्यों की उपेक्षा करके इस उद्देश्य की ओर सतोषजनक रूप से नहीं बढ़ सकता।

हम इस बात को नहीं मानते कि राज्य स्वतः एक लक्ष्य है। कुछ अर्थशास्त्री कहा करते थे कि अर्थशास्त्र राजनीति की कठपुतली है। किन्तु इस कथन में अधिक सचाई है कि राजनीति अर्थशास्त्र की कठपुतली है। आर्थिक उद्देश्य—जनकल्याण करना—एक अति आवश्यक उद्देश्य है, इसलिए आर्थिक ढांचा इस प्रकार का बनाना चाहिए कि जिससे यह उद्देश्य पूरा किया जा सके। उदाहरण के लिए हम भारत से गरीबी मिटाना चाहते हैं। इसलिए इस देश की सवैधानिक व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो हमें इस उद्देश्य की ओर बढ़ने में सहायता दे। यदि भारत की जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने के लिए आर्थिक योजनाओं के बनाने की आवश्यकता है, तो न वे शान में ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिए, जिससे देश का केन्द्रीय शासन आर्थिक कार्यों के विभिन्न अंगों का आवश्यकतानुसार संचालन कर सके।

अब तो यह आम तौर पर माना गया है कि राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप और नियन्त्रण सामान्य कल्याण के लिए आवश्यक है। ऐसा अनुभव किया जाने लगा है कि आर्थिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उनको फलदायक बनाने के लिए राज्य को इस क्षेत्र में अवश्य उतरना चाहिए। राज्य का ध्यान, समुदाय के स्रोतों की अनुकूलतम उपयोगिता की ओर जाना चाहिए।

२ राज्य की गतिविधि की सीमा (Extent of State Activity)—यह ठीक ही कहा गया है कि “राजनीतिक सिद्धांत परिस्थितियों पर आश्रित है।” यह देखा गया है कि जैसे-जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं, वैसे ही राज्य की गतिविधि के उचित क्षेत्र के विचार भी बदलते गये हैं। राज्य के हस्तक्षेप की सीमा और रूप के सम्बन्ध में राजनीतिक विचारकों में असमता रही है। हम यहाँ पर कुछ राजनीतिक विचारों के मुख्य रूपों का भेद उपस्थित करते हैं।

अराजकतावादी (The Anarchists)—ये लोग शासन-तंत्र न होने में

विश्वास करने हैं। वे सोचते हैं कि एक ऐसी अवस्था आयगी, जब मनुष्य नैतिकता के इतने ऊँचे स्तर पर पहुँच जायगा कि शासन अनावश्यक हो जायगा और "उसका अन्त हो जायगा"। समाज स्वयं अपने को नियमित कर लेगा। राजनैतिक विचारको का यह केवल स्वप्न-मात्र है।

साम्यवादी (The Communists)—दूसरे छोर पर साम्यवादी है, जो विश्वास करते हैं कि राज्य का हटाना तो दूर की बात है, राज्य को जीवित रहना होगा और उसे आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शक्तिशाली साधन के रूप में दृढ़ होना होगा। साम्यवादी व्यक्तिगत आर्थिक चेष्टाओं पर दृढ़ नियंत्रण रखेंगे। प्रत्येक वस्तु राज्य की होगी और शासन सब तरह की आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था करेगा। व्यक्ति तो केवल शतरंज के खेल में एक प्यादे के समान है। कुछ लोग इसको आर्थिक दासता कहेंगे। यह अवस्था अभी व्यावहारिक राजनीति से दूर है।

इन दो चरम धारणाओं के बीच में दो अन्य विचारधाराएँ हैं, जिन्होंने वास्तव में राजनीतिक नीतियों को प्रभावित किया है। इनमें से एक विचारधारा वह है, जिसको व्यक्तिवाद (individualism) या आर्थिक उदारता (economic liberalism) कहते हैं, दूसरी है समूहवाद (collectivism)।

व्यक्तिवादी (Individualists)—व्यक्तिवादी राज्य को एक घुराई समझते हैं, और यह घुराई अनिवार्य है। उनका विश्वास है कि मानव-कल्याण उस समय सब से अधिक होगा, जब आर्थिक गतिविधि राज्य के हस्तक्षेप के बिना निर्बाध रुकावट और अडचन-रहित दशा में होगी। फ्रान्स के एक फिजियोक्रेट (Physiocrat) फ्रैंकोस क्वेन्ने (Francois Quesnay) के शब्दों में "प्रतियोगिता की असीमित स्वतंत्रता आन्तरिक तथा बाह्य वाणिज्य का सबसे उत्तम संरक्षण है, यह बहुत ही ठीक है और राष्ट्र और राज्य, दोनों के लिए अति लाभदायक है।" इंग्लैंड में ऐडम स्मिथ की आर्थिक विचारधारा के अनुसार सरकार को कम से कम कार्य करने चाहिए। यह एक पुलिस राज्य होगा और नियमों का पालन कराना और शान्ति स्थापित रखना ही केवल इसका काम होगा। वारखानों के नियम और सामाजिक सुरक्षा के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि यह विचारधारा समाज की उचित आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देती। व्यक्तिवाद को राजनीतिक सिद्धान्त और राज्य कार्यों के लिए एक पथ-प्रदर्शक के रूप में भी दोषी ठहराया गया है। व्यक्तिवाद की नींव कभी की नष्ट हो चुकी है। अब कोई भी यह सचाई में विश्वास नहीं करता कि हर व्यक्ति अपने हित को ठीक-ठीक समझता है या उसके पाने की शक्ति रखता है। यहाँ तक कि जो एन मिश को भी, जो 'यथेच्छाचारिता' (laissez faire) के प्रबल समर्थक हैं, कुछ क्षेत्रों में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ी। जीवित रहने का सर्षप बड़ा तीव्र हो गया है। मारी पृथ्वी बम गई और अब "पर्टामी के कुत्ते की आवाज सुनकर वहाँ जाने तक की जगह नहीं रह गई है।" समुद्र तक में कहीं जगह नहीं रह गई है। आज के एम. सन्मर ने उन्नीसवीं शताब्दी के व्यक्तिवाद का कोई भी स्थान नहीं है। व्यक्तिवाद के दिन पूर्णतया चले गये हैं। एक वचन के

शब्दों में —

“The Moving Finger writes, and having writ,
Moves on nor all your Piety nor Wit,
Shall lure it back to cancel half a line,
Nor all your tears wash out a word of it”¹

समूहवादी या समाजवादी विचारधारा (The Collectivist or the Socialist View)—समूहवादियों और समाजवादियों की विचारधारायें बिल्कुल भिन्न हैं। समाजवादी समाज के हित पर ज्यादा जोर देने हैं और व्यक्तियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर कम। राज्य को एक अनिवार्य बुराई समझना तो दूर रहा, वे इसकी एक अति आवश्यक और उपयोगी सत्ता मानते हैं और वे उसको बहुत-सी सीमा-रहित शक्तियाँ देना चाहते हैं। वे राज्य के हर प्रकार के हस्तक्षेप को उचित मानते हैं वद्यत्कि उसके द्वारा सामाजिक कल्याण में उन्नति होती है। राज्य के हस्तक्षेप की कोई सीमा नहीं है किन्तु उसका ध्येय मानव-कल्याण की प्रगति होनी चाहिए।

आधुनिक काल की विचारधारा समाजवाद या समूहवाद की ओर दृढ़ता से झुकी हुई है। आज के नीतिज्ञ शासन के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की कोई सीमा निश्चित नहीं करते। वे केवल यही देखते हैं कि राज्य के कार्य प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से समाज के हित में होते हैं या नहीं। लियोन दुगुट (Leon Duguit) ने अपनी पुस्तक ‘Law in the Modern State’ में कहा है, “जो कुछ भी समाज की सरलता-पूर्वक उन्नति करने के लिये आवश्यक है, वह सार्वजनिक सेवा है।”

कुछ समय तक राज्य-कार्य पर आर्थिक विचारों का शासन रहा। लाभ ही उनकी कमीटी ममशी जाती थी। राज्य के सब कार्यों पर एक प्रश्न किया जाता था, “क्या उससे लाभ होता है ?” निम्नलिखित अवतरण में इस विचारधारा को अच्छी तरह अंकित किया गया है :²

“जे० एम० कीन्स ने उन्नीसवीं शताब्दी को एक लेखा परोक्षक का कुस्वप्न कहा है। ऐसा कोई काम नहीं किया जाता जब तक कि उससे “लाभ” न हो, प्रत्येक गतिविधि आर्थिक गणना के अन्तर्गत रखी जाती थी। हम लोगों ने झोपड़े बनाये, क्योंकि उनसे अच्छे मकानों के मुक़ाबले में अधिक लाभ होता था। हमने जमीन के रूप को बिगाड़ा, नदियों के तलों को बर्बाद किया, जंगलों को नष्ट किया, कुछ तो अज्ञान के कारण परन्तु अधिकतर इसलिये कि ऐसा करने से हमें क्षणिक लाभ होगा। हमने बेकार व्यक्तियों को सरकारी कार्यों में न लगाया, क्योंकि उससे हमें लाभ न होता। हमें गरीब रहना होगा, क्योंकि बनी होने से लाभ नहीं होगा। हमें गंदे झोपड़ों में रहना होगा, इसलिए नहीं कि हम महल बनवा नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि हम उनको लाभकारी नहीं समझते। वित्तीय गणना के इस स्वयं-नष्टकारी नियम ने जीवन के हर क्षेत्र पर शासन किया।”

1 See Samuelson, P. A —Economics, 1948 pp 152—53

2 Kineey—Government of Economic Life, 1936, pp 11—20

नि सन्देह यह अत्यन्त दु खदायी वाधा थी, परन्तु सीभाग्यवश अब यह दूर हो चुकी है। आर्थिक विचार मर्वथा अमगन नहीं हैं, किन्तु आजकल यह बात स्वीकार की जाती है कि कोई भी सार्वजनिक खर्च, जो राष्ट्र की प्राकृतिक सामग्री या मानव-हित की उन्नति करने के लिए किया जाता है, वह न्यायपूर्ण है, और उसे 'लाभकर' ममझा जा सकता है।

समयानुसार शासन को परिस्थितिवश अधिक से अधिक कार्य अपने हाथ में लेने पड़े। इस प्रकार राज्य-गतिविधि का क्षेत्र दिन पर दिन बढ़ता गया और विभिन्न प्रकार का होता गया। समार-व्यापी प्रथम महायुद्ध (सन् १९१४-१८) ने 'यथेच्छाचारिता' नीति पर एक कठोर प्रहार किया। नसार-व्यापी और अभूतपूर्व आर्थिक मदी ने समार के शामनो को वृहद् आर्थिक नीतियो का आविर्भाव करने पर मजबूर किया। अमेरिका की नई नीति (New Deal) ने आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश किया। दूसरा महायुद्ध राज्य को आर्थिक जीवन के प्रबन्धक या सचालक के रूप में हमारे समक्ष लाया। राज्य नियन्त्रण और नियमन अब बढ़ा दिये गये हैं और वे आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का सचालन करते हैं। इनमे हमारा सम्बन्ध केवल नागरिक की हैसियत से ही नहीं है, वल्कि उत्पादक और उपभोक्ता की हैसियत से भी है। अब पीछे हटा नहीं जा सकता। चेस (Chase) का कहना है कि "समूहवाद हमें चारो तरफ से घेरे हुए है, घुडसवार, पैदल और तोपखाने के साथ।"^१ उनके मतानुसार इस समय योरोप के ७० प्रतिशत निवामी राज्य-नियन्त्रित व्यवसाय की छाया में रहते हैं और अब प्रश्न यह है कि क्या व्यापारी लोग शासक बनेंगे या शासक व्यापारी ?

आधुनिक अर्थशास्त्री राज्य की आर्थिक गतिविधि की कोई सीमा नहीं मानता। आजकल समाज के साधनों के मितव्ययी वितरण और सम्पत्ति के विभिन्न रीतियो से वितरण के लिए शासन का यत्र स्वतन्त्रतापूर्वक काम में लाया जाता है। शासन इस कार्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निजी उद्यम पर दड नियन्त्रण रखकर करता है।

हम आधुनिक विचारधारा को इन शब्दों में प्रकट कर सकते हैं "ऐसा विश्वास किया जाने लगा है कि राज्य का कर्तव्य मेन, जल सेना और पुलिस की व्यवस्था के अतिरिक्त और भी कुछ है और एक दूसरी प्रकार की सुरक्षा का प्रबन्ध भी आवश्यक है। पूर्ण समाज को संगठित होना चाहिए और "वर्चर-शक्ति" के विरुद्ध अपने अधिकारो की रक्षा करनी चाहिये, जिनमे आर्थिक दृष्टि मे शक्तिशाली व्यक्तियो मे निर्बल व्यक्तियो की रक्षा हो सके जिसे कि धनी लोग गरीबो का शोषण न कर सके और जिसमे कि गरीबो और बीमारो की बुराइयो के साथ, जिनका सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर दण्टकारो प्रभाव होता है, लडाई लडी जा सके।"^२

३ आधुनिक राज्य के कार्य (Functions of a Modern State)—
विभिन्न लेखको ने राज्य के कार्यों का भिन्न-भिन्न वर्गीकरण किया है। एडम स्मिथ ने इसके तीन वर्ग बनाये (क) "समाज की दूसरी स्वतन्त्र समाजो के आक्रमण और शक्ति

1 Chase, S — Government in Business 1935, p 5

2 Thomas, S E — Elements of Economics, 1936, p 599

प्रयोग से रक्षा करना', (ख) "जहाँ तक सम्भव हो समाज के हरेक व्यक्ति की रक्षा करना", (ग) और "ऐसी जन-मस्याओं और सार्वजनिक उद्योगों का निर्माण करना और उनके अस्तित्व को बनाये रखना, जो कि समाज के लिए एक वृहद् मात्रा में लाभकारी हो, चाहे भले ही वे इस रूप के हों जो किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के खर्चों को भी पूरा न कर सकते हों।"

जे० एस० मिल ने राज्य के कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया है (क) आवश्यक कार्य, जो न्याय और सुरक्षा का प्रबन्ध करे, और (ख) दूसरे वैकल्पिक, जिसमें अन्य सब कार्य सम्मिलित हों। एडम स्मिथ ने अपनी १७७६ की प्रकाशित 'वेल्थ आफ नेशन्स' में शासक के तीन कर्तव्यों का उल्लेख किया है

(१) समाज की, अन्य म्वाधीन समाजों के अन्याय तथा हिंसा से रक्षा करना,

(२) नागरिकों के बीच आंतरिक न्याय का प्रबन्ध,

(३) जनता की उन मस्याओं का बनवाना तथा बनाए रखना जो चाहे बड़े समाज के लिए अत्यन्त लाभदायक हों परन्तु एक व्यक्ति को कभी व्यय न अदा कर सकें।"

आधुनिक राज्य के मुख्य कार्यों का नीचे दिया हुआ वर्गीकरण उचित माना जा सकता है—

(1) सुरक्षण तथा रक्षा के कार्य (Protective Functions)—ब्राह्म आक्रमण से देश की रक्षा करना आर देश में शांति स्थापित रखना, इन कार्यों में शामिल है। राज्य का यह पहला काम है। कुछ लेखक इन कार्यों को अनुत्पादक कार्य कहते हैं। परन्तु यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि मकुचित आर्थिक दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार के कार्यों का कोई भौतिक या प्रत्यक्ष फल नहीं होता, तिस पर भी विस्तृत दृष्टि से और अप्रत्यक्षत, रक्षाविषयक कार्य उत्पादक कहा जा सकता है। जब तक कोई देश बाहरी आक्रमण से सुरक्षित नहीं रखा जाता, उस समय तक वहाँ कोई उत्पादन-कार्य नहीं किया जा सकता।

(11) प्रशासनीय कार्य (Administrative Functions)—सेना और पुलिस रखने के अतिरिक्त, जिन्हें देश की प्रतिरक्षा के लिए रखा जाता है, हर एक सरकार बहुत से ऐसे प्रशासन कर्मचारियों और मस्याओं का प्रबन्ध करती है, जिनका काम शासन के विभिन्न विभागों का प्रबन्ध करना होता है। प्रशासन-कार्यों का सवध सरकार के नित्य-प्रति के कार्यों के करने से है।

(111) सामाजिक कार्य (Social Functions)—इसी वर्ग में आम तौर पर वे कार्य हैं जैसे गरीबों, रोगियों और बेकारों की सहायता का प्रबन्ध, सामाजिक बीमा, जिसमें कि आरोग्य और बेफारा का बीमा शामिल है, और वृद्धावस्था की पेशने, वर्तमान काल में सभी सभ्य सरकारों के आवश्यक कार्य समझे जाते हैं। समार के उन्नतिशील देशों में आजकल ऐसी बड़ी-बड़ी और ऊंची योजनाएँ बनाई जा रही हैं, जिनका लक्ष्य जनता से अभाव और भय को एक दम हटा देना है। इन सब बातों के अतिरिक्त आजकल की सरकारें अजायबवर, सार्वजनिक उद्यान, पुस्तकालय,

शिक्षा, चिकित्सा और मकानों का भी प्रवन्ध करती है और इनको अपना कर्तव्य समझती है। सकृचित दृष्टि से इन कार्यों से कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, परन्तु विस्तृत दृष्टि से ये कार्य अति लाभदायक समझे जाते हैं। इनमें राष्ट्र के प्राकृतिक और मानवीय साधनों का उत्थान होता है।

(iv) आर्थिक और वाणिज्यिक कृत्य (Economic and Commercial Functions)—अर्थशास्त्र में हमारा ऐसे कार्यों में ही अधिक सम्बन्ध है। ये सरकार के सभी व्यापारिक और औद्योगिक कार्यों से सम्बन्धित हैं। इनमें “व्यापार को सुविधाएँ देना, उत्साहित करना और उस पर नियंत्रण करना” शामिल है।¹

अब हमें यह अध्ययन करना चाहिए कि राज्य का हस्तक्षेप कब उचित है, और वह किस रूप में सामने आना चाहिए।

४ राज्य द्वारा हस्तक्षेप (State Intervention)—आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप निम्नलिखित दशाओं में उचित है²—

(1) जब व्यापार एकाधिकार-प्रकृति का हो (When the Business is of Monopolistic Nature)—एकाधिकार के होने पर उपभोक्ताओं के एकाधिकारी द्वारा शोषण किये जाने की संभावना और भी बढ़ जाती है। उस समय राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह एकाधिकारी शक्ति के दुरुपयोग को रोकें और शोषण को बन्द करें। ऐसे समय में शासन के लिए एकाधिकारी के कार्य पर नियंत्रण करना आवश्यक हो सकता है, यहाँ नरु कि शासन को एकाधिकार वस्तु की कीमत को भी निश्चित करना आवश्यक हो जाता है।

(ii) जब निजी उद्यम का कोई आकर्षण नहीं होगा (When Private Enterprise would not be Attracted)—यह अधिकतर उम्र नमय होता है, जबकि विनियोजन पर लाभ की कोई आशा नहीं होती, जैसे स्कूल, अस्पताल और मडकें। इस प्रकार के उद्योगों में अधिक लाभार्थ नहीं मिल सकता, इसलिए उनको चलाने के लिए समाज को मिलकर काम करना पड़ता है। सरकार को उस अवस्था में भी दखल देना चाहिए, जब व्यक्तिगत उद्योग आगे न बढ़ता हो, क्योंकि उसको वर्तमान पीढ़ी में लाभ नजर नहीं आता। उदाहरणार्थ, जंगलों के लगाने की योजनाएँ, भूमि कटाव बन्द करने की योजनाएँ आदि।

(iii) जबकि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को रक्षा की आवश्यकता हो (Where the Economically Weak Require Protection)—कारखानों के मजदूर बहुत ही शोचनीय दशा में हैं और उनको शक्तिशाली मन्त्रियों ने मुग्धित रखना ही चाहिए। ऐसी दशा तासतीर पर पसीने की कमाई या पसीने के बंधों में पाई जाती है।

(iv) सामाजिक एकाधिकार या सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाएँ (Social

1- Thomas, S E —Elements of Economics, 1936, p 616

2 Ibid, p 605

Monopolies or Public Utility Services) —साधारणतः रेलवे, डाक तथा तार, जल, विद्युत या गैस वितरण आदि लोकोपयोगिता के वर्ग में आते हैं। ऐसी अवस्थाओं में यह स्पष्ट है कि प्रतियोगी सस्याओं का सेवाओं की पूर्ति करना अमित-व्ययी तथा अवाञ्छनीय है। लगातार और सस्ती सेवाओं के बनाए रखने के लिए नगरपालिका या शासन का नियन्त्रण होना आवश्यक है। इसलिए यह शासन के हस्तक्षेप करने का उचित क्षेत्र है।

(v) जहाँ उपभोक्ताओं के हितों की जरूरत हो (Where the Consumers' Interests need Protection) —साधारण उपभोक्ता से किसी वस्तु की क्वालिटी या शुद्धता के बारे में ठीक निर्णय पर पहुँचने की आशा नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार वह इस दशा में नहीं होता कि वह अपने हितों की रक्षा कर सके। सरकार को उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहिये। इसलिये हम देखते हैं कि सब देशों में मिलावट के विरुद्ध नियम बनाये गए हैं। उत्पादकों के दुर्घ्यवहार से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक समझा जाता है।

(vi) जहाँ कि राज्य-प्रबन्ध और नियन्त्रण के लिए राजनीतिक या सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से आज्ञा दी जाती है (Where State Management and Control are Dictated by Political or Social as well as Economic Considerations) —इसके उदाहरण स्पष्ट हैं मुद्राचलन की पूर्ति तथा अस्त्रों का उत्पादन। अब यह माना जाता है कि कागजी मुद्रा का निजी सस्याओं द्वारा निकाला जाना संपूर्ण समाज के लिये बहुत खतरनाक हो सकता है। आर्थिक यंत्र को अव्यवस्थित न होने देने के लिये मुद्रा-चलन का राज्य द्वारा नियन्त्रण और नियमन बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार यंत्रों का निर्माण और विक्रय निजी उद्यम को नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि उम्र दशा में शान्ति भंग होने का भय रहेगा। अगु-शक्ति के अन्वेषण को राज्य के एक बहुत बड़े रहस्य की तरह सुरक्षित रखा जाता है।

५ व्यवसाय में राज्य-हस्तक्षेप के रूप (Forms of State Intervention in Business) —अब हमें यह देवना चाहिए कि राज्य की गतिविधि किस प्रकार में देश में व्यापार और व्यवसाय को सहायता पहुँचाने है। विस्तृत रूप से हम व्यापार और व्यवसाय का सहायता पहुँचाने वाले राज्य-कार्यों को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं—

(1) व्यापार को सुविधाएँ देना (Facilitating Business) —सरकार व्यापारियों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ देती है, जिनके बिना उनको लगभग अपना काम चलाना मुश्किल हो जाय। उनमें से ज्ञात ये हैं—मुद्रा-चलन की व्यवस्था करना, मन्वार आर परिवहन के साधनों की व्यवस्था करना, नाप और तोल को निर्धारित करना, व्यापारिक कानूनों का बनाना आदि। इस तरह की सब सुगमताओं के कारण व्यापार और व्यवसाय का चलना आसान हो जाता है। भारत में हम इन दिशा में उचित रूप में सम्पन्न नहीं हैं। देश के क्षेत्र और विस्तार को देखने हुए आने-जाने

और परिवहन के साधन बहुत ही अपर्याप्त हैं। बैंकिंग और साख भी भली प्रकार विकसित नहीं हैं। यह त्रुटियाँ देश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण हैं।

(11) व्यवसाय को प्रोत्साहन देना (Encouraging Business)—आधुनिक समय में ऊपर बतलायी हुई मुविवाएँ मुश्किल से पर्याप्त समझी जाती हैं। राज्य के इस प्रकार के उपेक्षित व्यवहार से देश को उतनी मात्रा में उन्नति होने की आशा नहीं की जा सकती जितनी कि वह कर सकता है। इसलिए ऐसा अनुभव किया जाता है कि सरकार को अवश्य ही देश में औद्योगिक और आर्थिक कार्यों को तीव्रता से प्रोत्साहन देना चाहिए। वह प्रोत्साहन अनेक रूपों में हो सकता है। एक उचित मुद्रा-नीति देश को बहुत कुछ व्यावसायिक दृष्टि से समृद्धिशाली बना सकती है। घरेलू व्यवसाय विदेशी प्रतियोगिता से आयात-कर लगाकर रक्षित किये जा सकते हैं या विदेशी आयात कौट-प्रणाली द्वारा, जिससे विदेशी प्रतियोगिता सीमित हो, नियमित किया जा सकता है। किसी उद्योग को सरकारी सहायता या आर्थिक सहायता देकर सरकार उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दे सकती है। द्विमुखी या बहुमुखी व्यापार सम्बन्धी करार देश के वाणिज्य के हितों के लिए किए जा सकते हैं।

उद्योगों के लिए और भी ऐसी सुविवाएँ हैं, जो राज्य देते हैं। उदाहरणार्थ, औद्योगिक शिक्षा और अन्वेषण की व्यवस्था करना, औद्योगिक जानकारी तथा आँकड़ों की आर्थिक सहायता, कर्ज या शेयर पूँजी के चन्दे द्वारा, ऋण-पत्र के क्रय द्वारा या पूँजी पर न्यूनतम-प्रत्याय की प्रत्याभूति द्वारा। सरकार अपनी नीति निर्धारित कर सकती है और सब वस्तुओं का क्रय अपने देश के उत्पादकों से कर सकती है। औद्योगिक कारखानों के लिए उचित स्थान रियायती दर पर दिलाने में राज्य सहायता कर सकता है। ये ऐसे तरीके हैं जिन पर सरकार व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन दे सकती है। यह कहना बेकार है कि राज्य की एक प्रोत्साहन देने वाली सचेष्ट नीति एक पीढ़ी में औद्योगिक क्रांति ला सकती है।

(111) व्यापार का नियमन करना (Regulating Business)—देश में व्यापारिक क्रियाशीलता का नियमन करने के लिए और उद्योगों की आवश्यक और असामाजिक प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप और भी आवश्यक है। भूतकाल में अनियमित और अनियंत्रित प्रतियोगिता से ऐसी सामाजिक बुराईयाँ पैदा हुईं, जो सामाजिक चेतना पर गहरा आघात करने के लिए पर्याप्त थीं। औद्योगिक क्रांति की आदि अवस्था में कारखानों के मालिकों के लालच और स्वार्थ-साधन के परिणामस्वरूप श्रमजीवियों पर बहुत अत्याचार हुआ। व्यवित्तियों की आर्थिक क्रियाओं पर राज्य-नियमन रखने की आवश्यकता को देख राजनीतिज्ञ जैमे जाग उठे। कारखानों के लिए नियम बनाने लगे। कानून में रेलों और जहाजों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था है। दुर्घटना होने पर मुआवजा दिया जाता है और सभी उन्नत देशों में सामाजिक बीमों की योजनाएँ कार्य कर रही हैं। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है। जन-हित सेवाओं का दृढ़ता से नियमन करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की गई है।

(iv) नियंत्रण (Control)—कुछ क्षेत्रों में राज्यों को केवल व्यापार को सुविधाएँ देने से, प्रोत्साहन देने से और उनके नियमन करने से ही सन्तोष नहीं होता। वह आगे बढ़ते हैं और देशवासियों पर एक नियंत्रण रखने लगते हैं। शान्ति के समय इटली और जर्मनी जैसे फासिस्ट देशों में राज्य-नियंत्रण एक दूर सीमा तक पहुँच गया था। उस समय वहाँ पर उत्पादन और उपभोग, दोनों पर सेना-क्रम था। जन-साधारण अब आर्थिक नियंत्रणों की कार्य-प्रणाली से भली भाँति परिचित हो गया है। यद्यपि युद्ध का अन्त हो गया है तथापि नियंत्रण का अस्तित्व जारी है। विनिमय पर नियंत्रण है, आयात और निर्यात पर नियंत्रण है, कीमतों तथा पूँजी व व्यय पर नियंत्रण है आदि। जब राष्ट्र मक्कट-काल से निकल रहा हो तो ऐसे नियंत्रण आवश्यक हो जाते हैं।

(v) राज्य स्वामित्व (State Ownership)—हस्तक्षेप का अधिकतम उग्र रूप, जो कि राज्य धारण करता है, वह है उद्योग के निजी स्वामित्व का अन्त करना। इंग्लैंड के बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, भारत में रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। कुछ स्थितियों में ऐसा समझा जाता है कि राष्ट्र के सम्पूर्ण हितों की मददसे अच्छी रक्षा उस समय हो सकती है, जब निजी व्यवसायों को हटा दिया जाय। समाज लाभ को कुछ आर्थिक कार्यों से इस प्रकार सम्बन्धित करना चाहता है कि वह व्यक्ति-विशेष को धनी न बनाकर इस प्रकार से किया जाय कि उसमें साधारण समाज का हित हो। आजकल समूहवाद या राष्ट्रीयकरण की ओर तीव्र झुकाव है। निजी उद्यम के किले के मध्य में ही निरकुश पूँजीवाद की इमारत टुकड़े-टुकड़े होकर गिरती हुई दिखलाई देती है।

निर्देश पुस्तकें

- Kinley—Government Control of Economic Life
 Chase, S —Government in Business
 Dalton, H —Public Finance
 Pigou, A C —Public Control of Industry
 Findlay Shirras—Public Finance

सार्वजनिक वित्त

(PUBLIC FINANCE)

१ सार्वजनिक वित्त तथा उसका महत्त्व (Public Finance and its Importance)—“द्रव्य मे ही गाडी चलती है”, यह बहुत साधारण कहावत है। प्रत्येक व्यक्ति उन सब कार्यों में, जिन्हें वह करता है, द्रव्य की आवश्यकता को अनुभव करता है। यदि व्यक्ति के लिए द्रव्य का महत्त्व बड़ा है तो सरकार के लिए द्रव्य का महत्त्व तो और भी बड़ा है। पिछले अध्याय में हम उन अनेक कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं जिनसे हम आगा करते हैं कि आधुनिक सरकार को सम्पन्न होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए द्रव्य की आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति का सूचक उसका आयव्ययक (budget) होता है। राष्ट्र के कार्यों की सीमा तथा उसकी कार्यक्षमता मुख्यतः उनके कोष की शक्ति पर निर्भर करती है।

हम प्रायः यह शिकायत किया करते हैं कि शिक्षा की दृष्टि में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था पूर्णतः अमनीपजनक है तथा भारत में कृषि व उद्योग सर्वाधिक प्रारम्भिक ढंग पर संचालित होते हैं। ऐसा क्यों है? इसका केवल एक ही उत्तर है—धन का अभाव। भारत में जनश्रम-सम्बन्धी सेवाओं पर जितना धन व्यय होता है वह अत्यधिक न्यून है और सम्यक् स्तर के बराबर नहीं है। राष्ट्रनिर्माणकारी विभागों के हाथ में न्यून साधन होने से कोई विशेष प्रगति की आशा नहीं की जा सकती। ऐसा कहा जाता है कि “राजस्व ही राज्य है।” हर चीज इसी पर निर्भर करती है। भारतीय अर्थशास्त्रियों में सबसे प्राचीन कौटिल्य ने २००० वर्ष से अधिक समय पूर्व लिखते हुए कहा है कि “प्रत्येक उपक्रम का आरम्भ धन है।”

किसी देश के सार्वजनिक धन का प्रभाव पूरे आर्थिक क्षेत्र पर पड़ता है। अब इसे केवल राजस्व की वृद्धि करने का साधन मात्र नहीं माना जाता। कालवर्षों के शब्दों में अब यह केवल “ऐसी चुटकी काटो कि रोए नहीं” मात्र बल्कि नहीं मानते। दूसरी ओर सार्वजनिक वित्त सामाजिक न्याय का एक शक्तिशाली अन्त्र माना जाता है। आधुनिक सरकारों द्वारा धनी और गरीब के बीच की गार्ड को जहाँ तक हो सके पाटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। धन की निम्न प्रगामी धनदान लोगों पर कर लगावेगी और जो आय होगी उसे ऐसी सेवाओं पर व्यय करेगी जिनसे मुख्यतः गरीबों का हित हो। कर लगाने की शक्ति वान्धव से शक्तिशाली शक्ति की व्यवस्था करने की शक्ति है, यह उसमें स्काउट डाल सकती है या उसको उत्तेजित व नकती

है। कर का प्रभाव केवल राजस्व प्राप्त करने में ही नहीं होता, परन्तु उस समय भी होता है जब उसका व्यय होता है। "किमी विशिष्ट कर-नीति से केवल द्रव्य-सम्बन्धी भार अथवा लाभ ही नहीं होते किन्तु मानसिक भार व लाभ भी होते हैं जिनका प्रभाव कर देने वालों तथा समुदाय की भावनाओं, विवेक तथा आर्थिक व्यवहार पर भी पड़ता है।"¹ इस प्रकार आधुनिक काल में कर लगाने का दोहरा उद्देश्य है— (क) राज्य के लिए धन इकट्ठा करना, (ख) सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। सार्वजनिक वित्त के इन उद्देश्यों का आजकल अधिक महत्त्व हो गया है।

डाल्टन के अनुसार राजकीय अर्थ-व्यवस्था का सबसे अधिक मौलिक सिद्धांत वह है, जिसे, उन्होंने "अधिकतम सामाजिक सुविधा का सिद्धांत" कहा है।² सार्वजनिक वित्त की क्रियाओं का प्रभाव ऋण-शक्ति हस्तांतरण क्रम पर पड़ता है। कर सरकार की ऋण-शक्ति का हस्तांतरण करता है, जो वाद में व्यक्तियों के पास पहुँच जाती है। सरकार उसी का भुगतान ठेकेदारों या कर्मचारियों को कर देती है। इन सभी हस्तांतरणों का उद्देश्य "अधिकतम सामाजिक सुविधा" की प्राप्ति है। डाल्टन के अनुसार 'सामाजिक सुविधा' की कसौटी समाज के संरक्षण से तथा उपभोग व उत्पादन दोनों के सुधार से बनती है।

एक अर्थशास्त्री के लिए, जो मुख्यतः मानव-कल्याण की उन्नति से सम्बन्धित है; वास्तव में सार्वजनिक वित्त के अध्ययन का महत्त्व बहुत बड़ा है।

सार्वजनिक वित्त के विज्ञान का सही अर्थ हम क्या समझते हैं तथा इसका क्षेत्र और विषय क्या है? इसके अन्तर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि सरकार राजस्व कैसे प्राप्त करती है और वह उसको किस प्रकार खर्च करती है? आर्मिटेज स्मिथ के शब्दों में "राजकीय व्यय और आय के स्वभाव व सिद्धांतों की जांच को सार्वजनिक वित्त कहा जाता है।"³

किन्तु सार्वजनिक वित्त का विज्ञान, जैसा कि आजकल समझा जाता है, केवल राजकीय व्यय व राजकीय आय से ही सम्बन्धित नहीं है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें आर्थिक प्रशासन भी सम्मिलित है।

बेस्टेबल (Bastable) के शब्दों में, "सार्वजनिक वित्त राष्ट्र के राजकीय अधिकारियों के आय-व्यय, उनके पारम्परिक सम्पर्क तथा आर्थिक प्रशासन व नियंत्रण से सम्बन्ध रखता है।"

अस्तु, व्यापक दृष्टि से राजकीय अर्थ-व्यवस्था विज्ञान के अध्ययन को निम्नलिखित मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(क) सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण तथा उसके सिद्धान्त,

(ख) सार्वजनिक राजस्व प्राप्त करने की प्रणालियाँ तथा कर लगाने के सिद्धांत,

1 Alfred G Buehler—Article on "Taxation and the Economy" in National Tax Journal, July 1950

2 Dalton, Hugh Principles of Public Finance, 1943 pp 10-11

3 Armitage Smith Principles and Methods of Taxation, 1935, p 14

(ग) वैतिक प्रशासन—जिसमें वज्र का प्रस्तुत करना, स्वीकृति, जात्र आदि शामिल हैं, और

(घ) लोक ऋण—श्रीक ऋण लेने के साधनों व मिद्धातों का अध्ययन

२ सार्वजनिक एवं निजी वित्त का अन्तर (Distinction between Public Finance and Private Finance)¹—सार्वजनिक वित्त का अध्ययन करने के पूर्व इसका अध्ययन कर लेना उचित होगा कि सरकारी वित्त एवं त्रैयविक वित्त में क्या अन्तर है। इससे हमको यह समझने में आसानी होगी कि सरकार तथा व्यक्ति के पाम पहुँच करने की रीति और उद्देश्यों में क्या अन्तर है।

(1) आय-व्यय का समायोजन (Adjustment of Income and Expenditure)—यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि “उतना पैर पसारिये जितनी चादर होय।” लोगों को प्रायः यही उपदेश दिया जाता है, किन्तु सरकार पहले चादर की लम्बाई-चौड़ाई निश्चित करती है और उसके बाद उसके लिए आवश्यक कपड़े का प्रवन्ध करती है। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति को अपनी आय की सीमा के अन्दर रहना अर्थात् आय के अनुसार व्यय करना आवश्यक होता है। किन्तु सरकार पहले व्यय का अनुमान लगाती है, उसके पश्चात् उतना धन प्राप्त करने के उपाय एवं मार्ग निकालती है।

परन्तु ऐसा मर्दव सत्य नहीं होता। कभी-कभी व्यक्ति भी यह निश्चित करता है कि उसे कितना देना या व्यय करना है तथा उसके बाद उतना धन कमाने का प्रयास करता है। कभी-कभी सरकार भी अपनी आय के अनुसार व्यय का समन्वय करने में व्यक्ति के समान कार्य करती है। जब सरकार आधिक्य आय का अनुभव करती है, तब वह कुछ उच्छित दिशाओं में व्यय में वृद्धि करने का निर्णय कर सकती है। दूसरी ओर जबकि सार्वजनिक राजस्व में कमी होती है तब सरकार छँटनी की नीति के द्वारा अपने व्यय में उतनी ही कमी करती है। परन्तु इस पर भी हम यह कह सकते हैं कि सरकार और व्यक्ति के वित्त-व्यवस्था के तरीकों में वास्तविक अन्तर होता है। साधारणतः व्यक्ति अपनी आय जानता है और तदनुसार अपने व्यय को योजनाएँ बनाना उसके लिए आवश्यक होता है। इसके विपरीत सरकार प्रयत्न-विभिन्न विभागों से व्यय का अनुमान मांगती है, कुल व्यय निश्चित करती है और उसके बाद तदनुसार कर लगाती है।

(ii) समय की अवधि (Period of Time)—श्रीक-अधिकारियों के लिए, आय-व्यय के लिए समय की अवधि एक वर्ष होती है। परन्तु व्यक्ति उन अवधि को कोई विगेष महत्त्व नहीं देता जिन्में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्र लगाने में उसे किसी निश्चित तारीख को या निश्चित अवधि के अन्दर अपना आय-व्यय प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती।

(iii) व्यक्ति कोई आन्तरिक ऋण नहीं ले सकता (No Internal Bor-

1. For a fuller discussion see Findlay Shirras Principles of Public Finance, 1937, Vol 1, Ch IV

rowing for an Individual)—सरकार तथा व्यक्ति के अपने साधनों में भी अन्तर होता है। जब कठिनाई उपस्थित होती है तो सरकार देश व विदेशों से ऋण ले सकती है अर्थात् वह आन्तरिक या बाह्य ऋण ले सकती है, लेकिन व्यक्ति केवल बाह्य ऋण ही ले सकता है, आन्तरिक नहीं।

(iv) सरकार के लिए मुद्रा-प्रसार—एक विशेष सुविधा (Inflation, a Peculiar Privilege of the Government)—सरकार के लिए आय का एक दूसरा स्रोत भी चला रहता है। वह मुद्रण-यन्त्र का आश्रय ले सकती है। युद्ध में लिप्त सभी सरकारों ने, कम या अधिक, युद्ध के भारी व्यय की पूर्ति के लिए नोट छापे थे। मन् १९१८-१९१८ के युद्ध में जर्मनी ने तो नोटों के अत्यधिक प्रसार में अपने को नष्ट ही कर लिया। जब सरकारें यह अनुभव करती हैं कि राष्ट्र की जरूरतों की सामर्थ्य पर अधिक भार हो गया है और जनता का विश्वास समाप्त हो रहा है तब वे इस "गुण-शक्ति" का प्रयोग कर सकती हैं और इस जादू के उड़े को चलाकर रुपया बना सकती हैं। क्या व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। कदापि नहीं। हा, जेल जाने को तैयार हो जाने पर ही वह ऐसा कर सकता है।

(v) सीमान्त उपयोगिताओं का समीकरण (Equalising Marginal Utilities)—हम यह देख चुके हैं कि मम-सीमान्त उपयोगिता के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यय को ऐसा व्यवस्थित करना चाहता है कि वह धन की प्रत्येक इकाई से वही सीमान्त उपयोगिता पाता है, जैसा कि वह खर्च करता है। इस उद्देश्य में वह मरकतापूर्वक विभिन्न वस्तुओं के खरीदने की उपयोगिताओं पर विचार कर लेता है। किन्तु जब सरकार धन को व्यय करती है तो उसके लिए इस प्रकार मरकतापूर्वक विचार करना सम्भव नहीं है, क्योंकि उपयोगिता निराकार है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सार्वजनिक व्यय अविवेकपूर्ण होता है।

(vi) सार्वजनिक वित्त में सोच-विचार कर भारी परिवर्तन करना आसान है (Deliberate and Big Changes in Public Finance are Easier)—किसी व्यक्ति के लिये आय अथवा व्यय में बड़े परिवर्तन लाना आसान नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय को बढ़ाना या दुगुना करना चाहता है। लेकिन ऐसा कितने लोग कर सकते हैं? इसी प्रकार व्यक्ति रहन-सहन के एक निश्चित स्तर का आदी हो जाता है जिसमें आसानी से परिवर्तन व समायोजन नहीं हो पाता। लेकिन सरकार सार्वजनिक आय व व्यय की योजना में अच्छी तरह बड़े व मौलिक परिवर्तन कर सकने में अमर्थ है। यदि एक समाजवादी दल के हाथ में सत्ता आ जाए तो वह निश्चित ही सार्वजनिक आय व व्यय दोनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकता है। निजी अर्थ-प्रवृत्त में इन लोच का अभाव है।

(vii) भविष्य के लिये व्यवस्था (Provision for the Future)—भविष्य के लिये व्यवस्था करने के मामले में सरकार बहुत अधिक उदार और दूरदर्शी होती है। राजनीतिज्ञ भावी पीढ़ियों के लिये एक ट्रस्ट होता है। जगलात सम्प्रन्धी, निर्माण-कार्य व सामाजिक सुखा आदि में मरकित योजनाओं पर सरकार

भारी रकमे खर्च करती है, जिनके बदले में उसको कुछ धन का लाभ नहीं होता, यदि होता भी है तो पीड़ियों वाद। इसके विपरीत व्यक्ति शीघ्र लाभ प्राप्त करने को उत्सुक रहता है। मानव-जीवन इतना अनिश्चित होता है कि कुछ व्यक्ति भविष्य को विशेष चिन्ता नहीं करते। परन्तु समाज व्यक्तियों के आवागमन के बाद भी जीवित है। वह हमेशा स्थायी रहता है। इनलिये राज्य भविष्य के लिये ठोस व्यवस्था करने को बाध्य होते हैं।

(VIII) आधिक्य आय-व्ययक व्यक्ति के लिए एक गुण है परन्तु राज्य के लिए नहीं (Surplus Budgeting is a Virtue for an Individual but not for the State)—मितव्ययी व्यक्ति को अपनी आय में कम व्यय करना ही चाहिए। उसका आधिक्य आय-व्ययक होना चाहिए। व्यक्ति के लिये यह स्वाभाविक है, किन्तु राज्य के लिये नहीं। घाटे के बजट निम्नदेह बुरे और अस्थिर वित्त-व्यवस्था का नकेत करते हैं। परन्तु कुछ भी हो, आधिक्य आय-व्ययक होना वास्तव में कोई गुण नहीं है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि करो का स्तर अनावश्यक रूप से ऊंचा रखा जाय और राजकीय व्यय अनुचित रूप में नीचा रखा जाये। कर्मग-सवधी या राष्ट्र-निर्माण-सम्बन्धी जैसे कुछ विभागों को पोषण रहित रहना पड़ सकता है। आधिक्य आय-व्ययक को साधारण बना देना अच्छी वित्त-व्यवस्था नहीं है। हमें आधिक्य आय को देवता नहीं बना देना चाहिए। यदि प्रतिवर्ष बड़ी तादाद में आधिक्य आय हो तो कर-दाताओं को कुछ छूट देना या सामाजिक व्यय के स्तर में वृद्धि करना अधिक उत्तम होगा।

(IX) व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्ध रहस्य में छिपा है (Individual Finance is Shrouded in Mystery)—व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्ध गुप्त होता है। प्रत्येक धनवान व्यक्ति दूसरों की बुरी नजर बचाता है। व्यक्तिगत माख इस बात पर आश्रित नहीं होती कि उसके पास कितना धन है बल्कि वह साख इस पर निर्भर रहती है कि उसे कितना धनवान माना जाता है। वह लोगों को अनुमान लगाने देता है। वह अपनी आर्थिक स्थिति के विषय में लोगों के सामने अल्पतया बड़ा हुआ चित्र रखने का प्रयत्न करता है। किन्तु इसके विपरीत सार्वजनिक वित्त का सार प्रचार है। आय-व्ययक प्रकाशित होते हैं और इसका अधिकतम प्रचार किया जाता है। प्रचार सार्वजनिक माख को कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है।

यही वे सत्य हैं, जिनके द्वारा सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत वित्त-प्रबन्ध के बीच का अंतर जाना जाता है और जो व्यक्तिगत वित्त-प्रबन्ध से राजकीय वित्त-प्रबन्ध को भिन्न रखते हैं।

सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)—सार्वजनिक वित्त के सार्वजनिक आय व सार्वजनिक व्यय नामक जो दो अंग हैं, उनमें से पहले हम सार्वजनिक व्यय का अध्ययन करेंगे। १९वीं शताब्दी में सार्वजनिक वित्त के क्षेत्रों द्वारा सार्वजनिक वित्त के इन विभाग पर कम ध्यान दिया गया। केवल सार्वजनिक आय पर ही अधिकाधिक ध्यान दिया गया। केवल वर्तमान शताब्दी में ही यह अनभव किया गया कि सार्वजनिक

व्यय जनहित में उमड़े अधिक महत्त्वपूर्ण है। मभवत पहले सार्वजनिक व्यय की उपेक्षा किये जाने का मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि उम समय सावजनिक व्यय की रकम बहुत थोड़ी थी, क्योंकि सरकारी कार्य के क्षेत्र सीमित थे। किन्तु अब सरकारी कार्य के क्षेत्र बहुत बढ़ गए हैं।

(1) क्षेत्र व जनसंख्या में वृद्धि (Increase in Area and Population)—सर्वप्रथम सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का कारण यह है कि राष्ट्रों की सीमा में व्यापक प्रसार हो गया है। “अराजक क्षेत्रों” में भी सगठित शासन होने लगा है। साथ-साथ जहाँ क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई, वहाँ जनसंख्या काफी मात्रा में बढ़ गई। इसलिये सरकारों को उन जगहों के करोड़ों अतिरिक्त लोगों की आवश्यकताओं का प्रबन्ध करना पड़ता है जो कि विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

(11) उच्च कीमत-स्तर (The High Price Level)—सार्वजनिक व्यय के अधिकाधिक बढ़ते जाने का दूसरा कारण उच्चतर कीमत-स्तर है। जिन्होंने भारत के पुराने ‘अच्छे दिन’ देखे हैं या उनके विषय में सुना है, उनका कथन है कि एक समय वह था, जब घी रुपये का चार सेर बिकता था, जबकि आज उसका भाव रुपये में चार छटाँक भी नहीं है। अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी इसी प्रकार वृद्धि हुई है। अतः व्यय के समान सरकारों का भी इन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अधिक धन का प्रबन्ध करना पड़ा।

(111) राष्ट्रीय धन व रहन-सहन के उच्चतर स्तर में वृद्धि (Increase in National Wealth & the Higher Standard of Living)—हर देश में कृषि, व्यापार व उद्योग में निरन्तर विकास हुआ है, यद्यपि भारत जैसे कुछ देशों में इसकी गति दुःखद रूप से धीमी रही है। प्रति व्यक्ति की आय में काफी वृद्धि हुई है और उसके फलस्वरूप जीवन-स्तर में सुधार हुआ है। साथ-साथ सार्वजनिक राजस्व (public revenue) तथा सार्वजनिक व्यय (public expenditure) में भी विकास हुआ है।

(1V) युद्ध व युद्ध-निवारण (War and Prevention of War)—हम हानि उठाकर यह जान चुके हैं कि आधुनिक युद्ध कितना खर्चीला है। गत युद्ध में इंग्लैंड १५० लाख पाँड दैनिक खर्च कर रहा था। आज, जबकि युद्ध चल भी नहीं रहा है, तब भी उसकी तैयारी या उसे रोकने के उपायों पर भारी रकम खर्च की जा रही है। सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने के लिये जिम्मेदार कारणों में से युद्ध मुख्य रहा है।

(V) दोषपूर्ण वित्त-व्यवस्था व नागरिक-प्रशासन (Defective Financial and Civil Administration)—नागरिक प्रशासन के कारण सार्वजनिक व्यय में कोई कम वृद्धि नहीं हुई। सरकारी नस्थाओं का दोहराव तथा उनका अनावश्यक गुणक हो जाना नाधारण बात है। मन्त्रों एवं दायों के दोषपूर्ण निर्धारण से भी अधिक व्यय होता है। सार्वजनिक व्यय पर डी ट्रा नियन्त्रण होने से भी व्यय के अक अनावश्यक रूप में ऊँचे हो जाते हैं।

(vi) प्रजातंत्र का भार (Incidence of Democracy)—प्रजातंत्र राज्य में कई राजनीतिक दल होते हैं और उनमें से प्रत्येक जनता का समर्थन प्राप्त करने को उत्सुक रहता है। इन दलों के समर्थक सार्वजनिक निधि में लाभ व सुविधाओं के लिये निरन्तर जोर देते रहते हैं। देश के हर कोने तथा हर वर्ग की ओर से अधिकाधिक सुविधा, शिक्षा, विद्वित्सा-सहायता, सड़क आदि के लिये आवाज उठाई जाती है। मंत्रियों से जनता के लिए जिले-जिले में कालेज आदि खोलने की माग की जाती है। अन्तु, प्रजातंत्री शक्तियों के द्वारा सरकारों पर कार्यों का बोझ बढ़ता जाना है। "सार्वजनिक कार्यों में वृद्धि" के बंगनर के मिद्धान्त के अनुसार सार्वजनिक कार्यों में गहन व विस्मृत दोनों रूपों में वृद्धि हुई है। पुराने कार्यों को और अच्छे ढग से सम्पादित किया जा रहा है तथा अनेक नये कार्य हाथ में लिये जा रहे हैं।

अल्फ्रेड बुह्लर (Alfred Buehler) अपने ग्रन्थ 'पब्लिक फिनांस' में कहते हैं, "कुछ लोगों को सार्वजनिक व्यय में सवधित वृद्धि एक मजदूत के समान प्रनीत होती है। कुछ लोग इससे प्रभावित ही नहीं होते। राष्ट्रीय आय के किन्नी भी निश्चित प्रतिशत को सरकार के खर्च की सीमा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी सीमा सम्बन्धित परिस्थितियों पर निर्भर होती है। उचित व्यय समाज की आवश्यकताओं व इच्छाओं, सरकारी व्यय व उसके लिए आगम के प्रभावों, कर-भार सहन करने की जनता की इच्छा, कर के वर्तमान बोझ, जनसंख्या व नमदाय के माधन व आय के वितरण, आर्थिक विकास के स्तर तथा आय विभिन्न बातों पर निर्भर करता है। वास्तविक प्रश्न है विशिष्ट समय पर किन्नी विशिष्ट सरकार का विशिष्ट व्यय।"

४. सार्वजनिक व्यय के नियम (Principles of Public Expenditure)—जिस प्रकार कर लगाने के सुविधित नियम हैं, ठीक उमी प्रकार कुछ ऐसे नियमों को बना लेना मजदूत है जिनके अनुसूत मितव्ययी सार्वजनिक व्यय हो। ये निम्न-लिखित हैं—

(i) अधिकतम सामाजिक हित (The Maximum Social Benefit)—सार्वजनिक व्यय के लिए "अधिकतम सामाजिक सुविधा" के मूल आधार की पूर्ति करना आवश्यक है। सरकार द्वारा खर्च किए गए हर रुपये का उद्देश्य समाज को अधिकतम सुविधा पहुँचाना होना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सार्वजनिक निधि का प्रयोग समाज के किन्नी गुट या विशेष वर्ग के हित में न हो। हमारा ध्येय समाज का सामान्य कल्याण है। सरकार जनता की भलाई के लिये होती है। इसलिए पूरे समाज के हित में सार्वजनिक व्यय होना न्यायपूर्ण है।

(ii) मितव्ययिता (Economy)—प्रथम सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है तथापि इसमें सरकार के अपने व्यय में अधिकतम मितव्ययिता करने में सफल नहीं आती। मितव्ययिता का अर्थ कमपणा नहीं है। इसका अर्थ केवल अव्यय और धय को गेवना है। सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परन्तु यह हानिकारक भी हो सकता है। कौलरिज के शब्दों में "सूर्य बगीची, चरगागाह तथा खेत में पानी बरमाने के लिए, नदी,

दलदल और समुद्र से नमी को सोख सकता है, परन्तु इसी प्रकार वह सड़े हुए तालाब-कीचड़ तथा बेकार वालू में नमी पहुँचाने के लिए उसे खनो से खींच सकता है।¹ इसी प्रकार यदि कर्दाताओं से संग्रहीत राजस्व का व्यय लापरवाही में किया जाता है तो यह अमितव्ययितापूर्ण होगा।

क्रियायत करने के लिए यह जरूरी है कि अधिकारी दोहरे खर्च से बचने का पूरा-पूरा यत्न करे। सार्वजनिक व्यय का वचत पर विपरीत प्रभाव नही पडना चाहिए। यदि सरकारी कार्यविधि व्यक्तियों की वचत करने की इच्छा या शक्ति को नष्ट करती है, तो यह मितव्ययिता नियम के विपरीत होगा।

(iii) स्वीकृति नियम (The Canon of Sanction)—सार्वजनिक व्यय का एक अन्य मुख्य सिद्धान्त यह है कि वास्तविक रूप में इस व्यय को करने के पूर्व इसको ठीक अधिकारी द्वारा स्वीकृत हो जाना चाहिए। अस्वीकृत खर्च करने से अव्यय व अतिव्यय होगा। इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी रकम को उमो उद्देश्य में खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए यह स्वीकृत हुई हो। स्वीकृति नियम से सम्बन्धित एक दूसरा नियम लेखा-परीक्षण का है। सार्वजनिक व्यय के लिए उसको पूर्व स्वीकृति ही अनिवार्य नहीं है बल्कि व्यय के बाद उसको परीक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। सभी सार्वजनिक खातों के विषय में प्रतिवर्ष इस बात की जाँच होती चाहिए कि रकमों का अनुचित ढंग से तो खर्च नहीं किया गया।

(iv) आधिक्य नियम (The Canon of Surplus)—व्यक्तिक वित्त व्यवस्था के समान ही सार्वजनिक वित्त की यह सुदृढ़ प्रणाली है कि बजट को संतुलित रखने व आय-व्यय में सामंजस्य लाने का प्रयास करते रहना चाहिये। प्रतिवर्ष बड़े परिमाण में आधिक्य प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। ऐसा भी आय-व्ययक अच्छा नहीं होगा। परन्तु निरन्तर घाटे से बचने की जरूरत है। यदि किसी देश को अपनी अर्थ-साख रहना है और स्याधित्व को नष्ट नहीं होने देना है, तो उसको अपने आय-व्ययक में उचित संतुलन रखना ही चाहिए।

(v) लोच नियम (The Canon of Elasticity)—सार्वजनिक व्यय का एक और सिद्धांत यह भी है कि इसको उचित रूप में लोचदार होना चाहिए। सार्वजनिक अधिकारियों के लिए आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुसार व्यय में भिन्नता लाना सम्भव होना चाहिए। व्यय का कठोर स्तर आपत्तिकाल में कष्टदायक हो सकता है। ऊपर की दिशा में परिवर्तन करना कठिन नहीं है। व्यय के स्तर में वृद्धि कर देना आसान है। किंतु लचीलेपन की आवश्यकता व्यय को घटाने की दिशा में सबसे अधिक होती है। मितव्ययिता की कुल्हाड़ी का प्रयोग करना वेदनाप्रद तरीका है। व्यापक स्तर में छेड़नी से गम्भीर सामाजिक अनोप उत्पन्न होता है। इसलिए यदि सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना है तो उसे धीरे-धीरे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। थोड़े समय के लिए यदि समृद्धि आ जाय तो उसके माथ ही दीर्घकालीन व्यय निर्धारण न हो जाना चाहिए।

आगम में जब गिरावट आ रही हो तब यदि आर्थिक पतन से बचना है तो उचित मात्रा में लचीलापन होना अत्यन्त आवश्यक है।

(vi) उत्पादन व वितरण पर बुरा प्रभाव न हो (No Adverse Influence on Production or Distribution)—इस पर भी ध्यान रखना आवश्यक है कि घन के उत्पादन व वितरण पर सार्वजनिक व्यय का अच्छा प्रभाव बना रहे। उसे उत्पादन-सम्बन्धी कार्य को इतना प्रोत्साहन देना चाहिये कि देश का उत्पादन-स्तर बढ़ जाय और इससे जनता के जीवन के स्तर को ऊंचा करना भी संभव हो सकता है। लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति केवल तभी सम्भव है, जबकि घन का समान वितरण हो। यदि नव-उत्पादित घन केवल उनके ही पास जाता है, जिनके पास पहले से ही वन है तो इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य घन के वितरण की असमानता को कम करना होना चाहिए।

५ राजकीय व्यय का वर्गीकरण (Classification of Public Expenditure)¹—ऐसे कई आधार हैं जिन पर राजकीय व्यय का वर्गीकरण हो सकता है। हम आगे कुछ प्रमुख वर्गीकरण दे रहे हैं—

सार्वजनिक अधिकारियों के प्रादेशिक कार्यों के आधार पर हम एक वर्गीकरण कर सकते हैं। इस आधार पर सार्वजनिक व्यय के निम्नलिखित वर्ग किये जा सकते हैं—

(i) केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित केन्द्रीय या राष्ट्रीय व्यय (Central or National Expenditure)—जैसे भारत सरकार का व्यय।

(ii) स्थानीय व्यय (Local Expenditure)—स्थानीय मय्याओं के व्यय जैसे कारपोरेशन, नगरपालिकाएँ तथा जिला बोर्ड समितियाँ और

(iii) अर्धराष्ट्रीय व्यय (Semi-National Expenditure)—इस वर्ग में भारत तथा अमरीका की राज्य सरकारों का व्यय आयेगा।

एडम्स ने सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार विभाजित किया है—

(i) संरक्षण व्यय (Protective Expenditure)—जैसे सेना, पुलिस आदि पर होने वाला व्यय।

(ii) व्यावसायिक व्यय (Commercial Expenditure)—व्यवसाय के नियन्त्रण, नियमन, प्रोत्साहन तथा सुविधा आदि देने तथा प्रत्यक्ष राज्य द्वारा व्यावसायिक उद्यम पर किया जाने वाला व्यय।

(iii) विकास-सम्बन्धी व्यय (Development Expenditure)—शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह-निर्माण, निर्माण कार्य, अक सफल आदि सम्बन्धी व्यय।

६ उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव (Effects of Public Expenditure on Production)—एक दूसरे प्रकार का सार्वजनिक व्यय भी है, जो कुछ लोगों के अनुसार अनुत्पादक है। यह व्यय युद्ध की तैयारी या उनके

¹ For a fuller discussion see Findlay Shirras, Principles of Public Finance, 1936, Vol 1, Ch V.

संचालन में होता है। यह विश्वास पूर्ण रूप में सही नहीं है। सैनिक व्यय, यदि अधिक न किया जाय, तो वह समाज में व्यवस्थित आर्थिक जीवन बनाकर उत्पादन में अप्रत्यक्ष सहायक होता है। वस्तुतः वह अधिक होता है और उसके एक बड़े भाग को अनुत्पादक कहा जा सकता है। साथ ही होने यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अल्पकालीन और सफल युद्ध कुछ आर्थिक सुविधाओं को पाकर राष्ट्र का बहुत आर्थिक लाभ कर सकता है। इसी प्रकार आक्रमण को रोककर मशरूफ़ सेना देश को आर्थिक हानि से बचा सकती है। इसलिये सैनिक व्यय को अप्रत्यक्ष या व्यापक रूप में उत्पादक माना जा सकता है।

सार्वजनिक व्यय का अविकाश, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, उत्पादक होता है। प्रत्येक देश में सरकारें व्यापारिक उद्योगों का संचालन करती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में उत्पादक हैं। भारत सरकार ने नहरों और रेलों के रूप में ठोस और उत्पादक संपत्ति बना ली है। राज्यों के उद्योग उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं। इसी प्रकार भूमि का सुधार करके उसे कृषि-योग्य बनाने व जंगल उगाने की योजनाएँ भी प्रत्यक्ष रूप में उत्पादक हैं।

कुछ भी हो, सार्वजनिक व्यय का बड़ा भाग केवल परोक्ष रूप में उत्पादक होता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पर सार्वजनिक व्यय के प्रभावों के विषय में विचार किया जा सकता है —

- (क) कार्य करने तथा बचत करने की शक्ति,
- (ख) कार्य करने और बचत करने की इच्छा, और
- (ग) स्रोतों को भिन्न-भिन्न जगहों और नियोजनों में लक्षाना।

कार्य करने व बचत करने की शक्ति (Power to Work and Save)—जहाँ तक इसका सम्बन्ध है, यह ध्यान में रखने की बात है कि आधुनिक सरकारों द्वारा किया जाने वाला सामाजिक दृष्टि से वाञ्छनीय व्यय निःसन्देह समाज की उत्पादन-शक्ति को बढ़ाता है और इसके परिणामस्वरूप बचत करने की शक्ति को भी बढ़ाता है। इस प्रकार के व्यय में सूचना, संचार व परिवहन के साधनों की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा, मनुष्य, पशु व पौधों के रोगों पर नियंत्रण, सामाजिक बीमा (स्वास्थ्य बीमा, वैकरी बीमा, वृद्धावस्था में पेंशन) आदि सम्बन्धित व्यय सम्मिलित हैं।

कार्य करने व बचत करने की इच्छा (Will to Work and Save)—यह अधिकतर सार्वजनिक व्यय व उसको संचालित करने वाली नीति पर निर्भर करती है। यदि जनता को सार्वजनिक व्यय से भविष्य में होने वाले लाभ की आशा दिलाई जाय तो इसमें जनता की काम करने व बचत करने की इच्छा नष्ट हो सकती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धावस्था में पेंशन देने, वैकरी व अस्वस्थता का बीमा और शिक्षा की व्यवस्था करने में जनता में भविष्य के प्रति उदासीनता आ जायगी और वह बचत करने की अपेक्षा करेगी। वर्तमान दशा में इसका विपरीत प्रभाव होगा। लोग कम काम करेंगे। किन्तु यदि इस प्रकार के व्ययों को उचित सीमा में रखा जाय और यदि यह वास्तव में

असहायो की सहायता करे, तो काम करने व वचत करने में जो बाधा पड़ेगी, वह उपेक्षणीय रहेगी।

स्रोतों का भिन्न-भिन्न जगहों व निरोजनों में लगाना—व्यय का उत्पादन पर लाभदायक प्रभाव हो सकता है। सहायता व अनुदानों द्वारा सरकार अपने साधनों का ऐसी मदों में प्रयोग कर सकती है, जो अब तक उपेक्षित रहे हो। इस प्रकार वह नए उद्योगों की स्थापना कर सकती है। इसी प्रकार पिछड़े हुए क्षेत्रों पर रुपये खर्च करके सरकार देश के कुछ उत्पादन को बढ़ा सकती है। बुद्धिमानों से संचालित सार्वजनिक ऋण लेने की रीति से उन वर्गों को पूजा लगाने व वचत करने की प्रेरणा मिल सकती है, जो कि उत्पादन के लिए निश्चित रूप में लाभदायक हैं। साथ ही सरकार अपने साधनों का ऐसे मदों में प्रयोग कर सकती है, जिसमें राष्ट्रीय धन की पर्याप्त वृद्धि हो सकती है।

अन्ततः, हम इन परिणाम पर पहुँचते हैं कि बुद्धिमानों से होने वाले सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। काम करने व वचत करने की इच्छा बढ़ाकर यह परोक्ष रूप में उत्पादन में सहायता करता है। यह राज्य द्वारा उद्यमों के प्रत्यक्ष उत्पादन के अलावा होता है।

७ सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव (Effects of Public Expenditure on Distribution)—समाज में धन के वितरण पर सार्वजनिक व्यय का बहुत अच्छा और बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि यह आय की अमानताओं को भी दूर कर सकता है। इस बात को सब जानते हैं कि राज्य-संस्थाओं द्वारा गरीबों को अमीरों से अधिक लाभ पहुँचाना है। धनी व्यक्ति अपना संरक्षण स्वयं कर सकता है। वह अपनी शिक्षा तथा चिकित्सादि की व्यवस्था स्वयं कर सकता है। परन्तु एक निर्धन मनुष्य असहाय होता है। अस्तु, सार्वजनिक कार्यों से निर्धन ही अधिक लाभ प्राप्त करता है। सार्वजनिक व्यय इस सीमा तक धनी तथा निर्धन की खाई को पाटने का प्रयत्न करता है और यही उसका लक्ष्य भी होता है।

कुछ निश्चित व्यय ऐसे हैं जिनमें गरीब का मुख्यतः हित होता है, जैसे गरीबों की सहायता, वृद्धावस्था में पेंशन, बेकारी व अस्वस्थता की सहायता आदि। इन रीतियों से गरीबों को जो लाभ होता है, उसे उनकी आय में योग कहा जा सकता है। जब कि हम यह जानते हैं कि धनियों पर कर लगाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है, तब हमें इसी परिणाम पर पहुँचना होगा कि कुछ सीमा तक धन-वितरण की असमानताओं को कम कर दिया गया है।

किन्तु फिर भी सार्वजनिक व्यय व उमको संचालित करने वाली नीति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जिस प्रकार आनुपातिक, प्रगतिशील व प्रतिगामी कर होते हैं, ठीक उसी प्रकार सार्वजनिक अनुदान भी आनुपातिक, प्रगतिशील व प्रतिगामी हो सकते हैं। यदि वामन में सार्वजनिक व्यय द्वारा धन के वितरण को अधिक न्यायपूर्वक बनाना है तो उसे प्रगतिशील होना ही पड़ेगा। इसे (कर के रूप में भुगतान की क्षमता के अनुषंग ही) प्राप्ति की क्षमता के अनुषंग रहना ही होगा। कर में न्यूनतम त्याग के निश्चित के अनुकूल सार्वजनिक व्यय में अधिकतम लाभ का निश्चित है। सार्वजनिक व्यय को इस

प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिये कि उससे पूरे समाज को अधिकतम लाभ हो। यह मार्गदर्शक सिद्धांत है। इस दृष्टि से हम यह देखते हैं कि ऋण-सम्बन्धी सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय प्रतिगामी होता है क्योंकि इससे बनी लोगों को अधिक आय होती है। वृद्धावस्था में सहायता (पेंशन) तथा सामाजिक बीमा आदि के लाभों का अनुदान प्रगतिशील है। यदि सरकार गरीबों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में सहायता देती है तो वह प्रगतिशील है अन्यथा प्रतिगामी।

हमें यहाँ वैयक्तिक आय पर सार्वजनिक व्यय की प्रतिक्रिया पर भी विचार कर लेना चाहिये। यदि सार्वजनिक अनुदान कार्य करने व बचत करने की इच्छा को कम करता है, तो इससे लाभ पाने वालों की आय में कमी हो सकती है। यदि ऐसा है तो धन के वितरण की असमानताएँ कम नहीं की गईं।

सारांश यह है कि आधुनिक युग में सार्वजनिक व्यय समाज में धन के वितरण में अधिकतर समता लाता है।

सार्वजनिक वित्त (क्रमशः)

सार्वजनिक राजस्व (PUBLIC REVENUE)

१. सार्वजनिक राजस्व का वर्गीकरण (Classification of Public Revenue)—पिछले अध्याय में सार्वजनिक व्यय के बारे में चर्चा की थी, अब हम सार्वजनिक राजस्व पर विचार करेंगे। पहले इसके वर्गीकरण को लेंगे। सार्वजनिक राजस्व का वर्गीकरण इस प्रकार है। एडम स्मिथ ने सार्वजनिक राजस्व को दो भागों में विभक्त किया है (1) सम्पूर्ण प्रभु की संपत्ति से प्राप्त तथा (2) लोगों की आय और संपत्ति से प्राप्त। स्पष्टतया यह वर्गीकरण समयानुकूल नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण प्रभु (sovereign) और राज्य (state) के बीच पूर्ण अलगाव किया गया है। सम्पूर्ण प्रभु को सिविल लिस्ट की उदार सूची से सन्तुष्ट होना पड़ता है। आधुनिक राज्य अपनी अधिकांश आय करों द्वारा प्राप्त करता है।

एडम स्मिथ ने राजकीय आय का निम्न भाति वर्णन किया है —

(1) प्रत्यक्ष आय (Direct Revenue)—राज्य की निजी आय अर्थात् सार्वजनिक कार्यों, सार्वजनिक उद्योग, गेच्युटी, उपहार, ज्वेली और हजानों से प्राप्त किया जाता है।

(2) व्युत्पादित आय (Derivative Revenue)—यह आय लोगों की आय में प्राप्त की जाती है। इसे आयकर, फीस, असेसमेंट, जुर्माना और दंडों से प्राप्त किया जाता है।

(3) प्रत्याशित आय (Anticipatory Revenue)—इसमें भावी आय का अनुमान किया जाता है, जैसे ऋण तथा ट्रेजरी बिलों से प्राप्त आगम।

किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि ऋणों से प्राप्त आय सामान्यतः सार्वजनिक राजस्व का अंग नहीं मानी जाती। जैसा कि नावारणतया विदित है, सार्वजनिक राजस्व में राज्य की आय सम्मिलित है, जो राज-भूमि-अधिकार, उद्योग और करों आदि से प्राप्त होती है।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि वर्गीकरण के प्रयत्नों में केवल भौदान्तिक महत्त्व होता है, व्यावहारिक महत्त्व बहुत थोड़ा या बिल्कुल नहीं होता। भारत में राजस्व के साधनों का वर्गीकरण केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय किया गया है। केन्द्रीय साधनों में आय कर, चुगी, केन्द्रीय आवकारी कर, अफीम, नमक, डाक-तार, रेलवे और कारपोरेशन कर सम्मिलित हैं। राज्य साधनों में हैं लगान, जगलात, रजिस्ट्रेशन टिकट, आवकारी, आमोद-प्रमोद कर, विक्री कर तथा आव-कर का भाग सम्मिलित है तथा स्थानीय सूत्रों में राज्य-पालिकाओं के लिए चुगी कर, गाड़ियों, व्यापारों, व्यवसायों पर कर, पानी कर, मकान कर, आदि तथा जिला बोर्डों के लिए प्रांतीय दरें और अनुदान सम्मिलित हैं।

२ कर, फीस, दर आदि (Tax, Fees, Rates etc) — हमने देखा है कि सार्वजनिक राजस्व का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत कर है। किन्तु करो द्वारा राजस्व के बहुत से रूप होने हैं। उनमें कर, फीस, कीमते, विशेष निर्धारण, दरे आदि सम्मिलित हैं। अब हम इन सब के भेदों पर विचार करेंगे।

कर (Tax)—प्लेह्न (Plehn) ने कर की परिभाषा इस प्रकार की है "कर धन के रूप में दिये गए सामान्य अनिवार्य अगदान है जो राज्य के निवासियों पर सामान्य लाभ पहुंचाने के लिए, किये गये व्यय को पूरा करने के लिए, लोगों से लिये जाते हैं।"¹ इस परिभाषा से कर का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। कर की विशेषता यह है (क) कुछ दशाओं के अन्तर्गत यह अनिवार्य आरोपण (levy) है और (ख) यह राज्य के सामान्य अभिप्राय के लिए लिया जाता है। व्यक्ति यह आशा नहीं कर सकता कि उसके द्वारा दिये गये कर के बदले राज्य को उसकी विशेष सेवा करनी चाहिए। यदि मैं आयकर अदा करता हू तो मैं बदले में यह दावा नहीं कर सकता कि राज्य मेरी संपत्ति की रक्षा के लिए जो मरी आय का स्रोत है मेरे फाटक पर पुलिस बिठा दे। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोगो से आय प्राप्त कर के बदले में राज्य को कुछ भी नहीं करना चाहिए। राज्य सामान्य प्रशासन को चलाता है और लोगो को बहुत से लाभ पहुंचाता है। किन्तु वे मिले-जुले लाभ हैं, जो सबके लिए होते हैं, किसी विशेष करदाता के लिए नहीं। कोई प्रत्यक्ष "तत्-प्रति-तत्" (quid pro quo) नहीं है। सरकार द्वारा सभी के हित के लिए किये गये सामान्य व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से कर लगाये जाते हैं। टासिग के शब्दों में, "सरकार द्वारा लिये गये अन्य प्रभार (charges) के अतिरिक्त कर का सार करदाता तथा सार्वजनिक अधिकारी के अन्तर्गत किसी प्रत्यक्ष "तत्-प्रति-तत्" का न होना है।"²

शुल्क या फीस (Fee)—यह भी अनिवार्य अदायगी है, जो उन लोगो द्वारा दी जाती है जो बदले में निश्चित सेवा करते हैं। फीस की गई सेवा की लागत के एक अंश को सामान्यतः पूरा करने के लिए ली जाती है। यह सेवा की लागत से अधिक नहीं होती। की गई सेवा में किसी सार्वजनिक अभिप्राय का दृष्टिकोण रहता है। स्पष्ट उदाहरण शैक्षिक फीस का है। प्लेह्न के शब्दों में, "फीस व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक शक्ति के अधिकार के अंतर्गत धन के रूप में दिया गया चन्दा है, जो सरकार द्वारा किये गए ऐसे कार्य की कुल लागत अथवा उसके एक भाग को पूरा करने के लिए ली जाती है, जो साझे के लाभ प्रदान करने के साथ-साथ विशेष लाभ की भी व्यवस्था करता है अथवा जो मध्यस्थतापूर्वक माना जाता है।" संक्षेप में फीस विशेष सेवा के लिए ली जाती है, जो सार्वजनिक हित के लिए की जाती है। लाइसेंस की फीस सेवा की लागत से बहुत अधिक होती है और बदले में विशिष्ट सेवा नहीं की जाती।

कीमत (Price)—राज्य द्वारा की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए कीमते भी दी जाती है। किन्तु फीस और कीमत में अन्तर यह है कि फीस में सार्वजनिक हित

1 Plehn Introduction to Public Finance, 1921 p 59

2 Taussig Principles of Economics, Ch LXVI, I

प्रमुख होते हैं, जब कि कीमत व्यापारिक ढंग की सेवा के लिए अदायगी है, जैसे कि राज्य की रेलों द्वारा यात्रा करने की लागत। आप सेवा को क्रय न करके कीमत देने से बच सकते हैं। कीमतें कर से भी भिन्न होती हैं। कर साझे लाभ के लिए दिये जाते हैं जबकि फीम और कीमत दोनों ही विशेष लाभो के लिए दिये जाते हैं। जब सार्वजनिक अधिकारी किसी वस्तु को बेचना है अथवा सेवा करता है, तो उपभोक्ता से जो सेवा का उपयोग करता है, ली गई अदायगी कीमत कहलाती है।

विशेष निर्धारण (Special Assessment)—प्रोफेसर सेलिगमैन ने विशेष कर-निर्धारण की परिभाषा इस प्रकार की है, “विशेष लाभ के अनुपात से लिया गया एक अनिवार्य अंशदान है, जो सार्वजनिक हित के लिए ली गई संपत्ति के विशेष सुधार की लागत को चुकाने के लिए लिया जाता है।” कल्पना कीजिए कि सरकार सड़क का निर्माण करती है अथवा नालियों की उचित व्यवस्था करती है, तो पड़ोस की सारी सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जायेगी। सरकार को अधिकार है कि वह इस अनर्जित वृद्धि का एक भाग उपयोग में लाये। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किये गये निर्धारण विशेष व्यय के एक भाग को पूरा करने के लिए किये जाते हैं। वे पहुँचाये गये लाभ के अनुपात से संपत्ति पर लगाये जाते हैं। सेलिगमैन ने विशेष कर-निर्धारण के सार का विश्लेषण इस प्रकार किया है (क) उनमें विशेष अभिप्राय का तत्त्व रहता है, (ख) विशेष लाभ को नापा जा सकता है, (ग) ये निर्धारण प्रगतिशील नहीं वरन् प्राप्त लाभ के समानानुपाती हैं, (घ) वे विशेष स्थानीय सुधार के लिए होते हैं और (ङ) वे समुदाय को बढाने और सुधार करने के लिए लगाये जाते हैं। विशेष निर्धारण में दवाव का तत्त्व रहता है, जो फीम में नहीं होता।

दर (Rates)—वे स्थानीय अभिप्रायो से नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों द्वारा लगाये जाते हैं। वे मामान्यता निवासियों की उच्चल संपत्ति पर लगाये जाते हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं कि ये किसी विशेष सुधार अथवा लाभ के लिये लगाये जाते हैं। दरें स्थान-स्थान पर भिन्न होती हैं।

३. करों का वर्गीकरण (Classification of Taxes)—करों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया गया है। कुछ वर्गीकरण नीचे दिये जा रहे हैं—

(1) कर अनुपाती, क्रमवर्धमान, प्रतिगामी तथा अवोगामी हो सकते हैं।

अनुपाती कर (Proportional Tax)—आनुपातिक कर उमे कहते हैं जिनमें शाय का चाहे जो भी आकार हो, वही दर अथवा वही प्रतिशत लिया जाता है। यदि अभी करदाताओं को अपनी आय का १ प्रतिशत अथवा रूपये में ६ पाई कर के रूप में ना पड़े तो यह आनुपातिक कहलाना है।

क्रमवर्धमान कर (Progressive Tax)—इसके विपरीत यदि कर की दर में आय की वृद्धि के साथ बढ़ती है, जिन पर कर लगाया जाय, तो इस कर को क्रमवर्धमान कर कहते हैं। क्रमवर्धमान कर का सिद्धान्त यह है कि जितनी अधिक आय उतना ही अधिक कर होता है।

यह ध्यान देने की बात है कि आनुपातिक करके अन्तर्गत भी घनी व्यक्ति—

अदा करता है। उदाहरणार्थ, यदि मासिक वेतन पर दर १ प्रतिशत है, तो जो व्यक्ति २०० रुपये प्रति मास पाता है, वह वर्ष में २४ ६० अदा करता है और जो व्यक्ति महीने में ५०० ६० पाता है, वह वर्ष में ६० ६० अदा करेगा। इस प्रकार अधिक आयवाला व्यक्ति आनुपातिक कर के अन्तर्गत भी अधिक अदा करना है किन्तु क्रम-वर्धमान कर-निर्धारण के अन्तर्गत वह अपेक्षाकृत अधिक अदा करेगा, क्योंकि जैसे-जैसे आय बढ़ती है, कर की दर भी बढ़ती है। ५०० ६० मासिक आय वाले व्यक्ति को १ प्रतिशत के वजाय २ प्रतिशत अदा करना पड़ सकता है। अतएव वह वर्ष में ६० ६० के वजाय १२० ६० अदा करेगा। प्रत्येक देश ने कर-निर्धारण की क्रम-वर्धमान प्रथा को अपनाया है, क्योंकि उसे अधिक समता-योग्य समझा जाता है। यह इस कारण है कि आनुपातिक कर-निर्धारण में योजित त्याग जितना होना चाहिए, उससे कम होता है। क्रम-वर्धमान कर-निर्धारण की अच्छाई-बुराई पर हम आगे विचार करेंगे।

प्रतिगामी कर या (क्रमश घटता हुआ) (Regressive Tax)—जब कर का भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है, तो उसे प्रतिगामी कर कहते हैं। वह क्रमवर्धमान कर का उल्टा है। कोई भी मध्य सरकार ऐसा कर नहीं लगाती जिसमें आय के बढ़ने के साथ कर घटता जाता हो। वह अनुचित होगा। किन्तु वस्तुओं पर लगे ऐसे बहुत से कर होते हैं, जिनका बोझ मुख्यतः गरीबों पर ही पड़ता है। भारतीय नमक कानून अप्रगतिशील माना जाता था, क्योंकि उसका भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर बहुत था। साफ बात तो यह है कि अमीर लोगों को यह कर महसूस ही नहीं होगा।

अधोगामी कर (Degressive Tax)—उस कर को अधोगामी कर कहते हैं, जो अधिक आय उचित त्याग नहीं करती अथवा जब कर का भार अपेक्षाकृत कम होता है। ऐसा उस दशा में होता है जब कर अर्द्ध-प्रगतिशील होता है अर्थात् जब प्रगतिशीलता की गति काफी ढालू नहीं होती। कोई भी कर एक सीमा तक प्रगतिशील हो सकता है, जिसके आगे वही दर ली जाती है। ऐसी दशा में कम आय को अपेक्षा अधिक आय को, कम त्याग करना पड़ सकता है।

(11) करों का एक अन्य वर्गीकरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों (Direct or Indirect Taxes) में किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर में जो व्यक्ति उसे अदा करता है, वही उसे वरदास्त भी करता है। किन्तु अप्रत्यक्ष कर का भार अन्य व्यक्तियों पर चला जाता है। यदि मैं आय कर देता हूँ तो मुझे ही उसे वरदास्त करना पड़ता है। मैं उम्मे किमी अन्य व्यक्ति के माथे वरदास्त करने के लिए नहीं मढ़ सकता। यह प्रत्यक्ष कर है। किन्तु यदि शक्कर पर कर लगाया जाना है तो शक्कर का व्यापारी जो उस कर को देता है वह उसकी अदायगी हमारे क्रेता से करा लेता है। अन्त में यहाँ तक कि उम्मे शक्कर के उपभोक्ता द्वारा वरदास्त करना पड़ता है। कर एक स्थान से हमारे स्थान पर वरदास्त करने के लिए हट जाता है। इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं।

(अगले अध्याय में हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के गुण-दोषों पर विचार करेंगे।)

(111) विशिष्ट तथा यथामूल्य कर (Specific and 'ad valorem')

Taxes) — विशिष्ट कर वस्तु के भार के अनुसार लगाया जाता है। यथामूल्य वस्तु के मूल्य के अनुसार होता है। यदि उसे मोटी और सस्ती वस्तुओं पर लगा दिया जाय तो उसे प्रतिगामी समझा जाता है। किन्तु ऐसे करों का प्रशासन करना आसान होता है। यथामूल्य करों के प्रशासन के लिए समुचित प्रशासकीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। वोजक को जाच की जाती है और वस्तुओं का मूल्यांकन करने के लिए जाचने वाले की आवश्यकता पड़ती है।

४ कर नीति के सिद्धांत (Canons of Taxation) — अर्थशास्त्र सिद्धांत के इस अद्य के प्रति एडम स्मिथ का योगदान अब भी प्रतिष्ठित माना जाता है। कर निर्धारण-नियम सम्बन्धी एडम स्मिथ का कथन स्पष्टता और सरलता से आगे निकल गया है। उसके नियम अब भी कर-निर्धारण सिद्धांतों पर होने वाली वातचीत का आधार ग्रहण करते हैं।

(1) समानता का सिद्धांत (The Canon of Equality) — “प्रत्येक राज्य की प्रजा को अपनी क्षमतानुसार सरकार के नह्योग के लिए योगदान देना चाहिए अर्थात् उम आमदनी के समानुपात से जो राज्य द्वारा दी गई सुरक्षा के अन्तर्गत उसे प्राप्त होती है।”

इस नीति में समानता का न्याय या सिद्धांत निहित है। यह कर-निर्धारण का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी से कर-प्रथा की नैतिक नींव पड़ती है। समानता के नियम का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक करदाता को उतना ही धन अदा करना चाहिए। ऐसा अनुचित होगा। न इसका यही अर्थ है कि उन्हें जो दर में अदा करना चाहिए, जिसका अर्थ होता है समानुपातिक कर-निर्धारण और समानुपातिक-कर भी उचित कर नहीं होता। इस रीति का अर्थ है त्याग की समानता। कर की मात्रा करदाता की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। इससे साफ साफ क्रम-वर्धमान वर का नकेत मिलता है। एडम स्मिथ ने अपनी “वेल्थ आफ नेशन्स” नामक पुस्तक में लिखा है— “अमीरों द्वारा न केवल आमदनी के समानुपात में बल्कि उनसे अधिक सार्वजनिक व्यय में योगदान देना बहुत अधिक अनुचित नहीं होगा।” तभी कर अदा करने की क्षमता के समानुपात होगा।

(11) निश्चितता का सिद्धांत (Canon of Certainty) — “वह कर जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अदा करना पड़ता है, वह निश्चित होना चाहिए, ऐच्छिक नहीं। अदायगी का समय, अदायगी का ढंग, अदायगी की मात्रा, अदा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्पष्ट होनी चाहिए। जहां ऐसी बात नहीं है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कर अदा करना होता है, कर-वसूलकर्ता के अधिकार के अन्तर्गत कम या ज्यादा आ जाता है। वसूलकर्ता या तो कर न देने वाले व्यक्ति के ऊपर यह कर और अधिक चढ़ा सकता है अथवा वडावे का डर दिखाकर अगने लिए कुछ भेड़ या चिड़चत वसूल कर सकता है।”

एडम स्मिथ के अनुसार कर निर्धारण में अनिश्चितता से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। वह इस नियम को बहुत ही आवश्यक मानता है, क्योंकि उसके विचार से "असमानता की अधिकता बहुत बड़ी बुराई नहीं है... जितनी कि थोड़ी-सी अनिश्चितता बुराई है।" हैडले भी इसी महत्त्वपूर्ण नियम को मानता है, क्योंकि उसके विचार से समानता के सारे प्रयत्न करो के निश्चित होने के बिना भ्रमात्मक सिद्ध होंगे। निश्चितता के नियम की मांग यह है कि कर में स्वेच्छाचारिता की गुजाइश न हो। यह आय-कर विभाग की इच्छा पर छोड़ दिया जाने वाला न हो। करदाता को स्वयं ही देखना चाहिए कि उसे विशेष धन देने के लिए क्यों कहा जाता है। इसी कारण वजट प्रस्तावा और उन पर होने वाली बहस का अत्यधिक प्रचार किया जाता है। वजट का पाम होना निश्चितता की गारंटी करना है।

'पुराना कर कोई कर नहीं' यह एक सिद्धांत है, जो निश्चितता के इस सिद्धांत में से निकलता है। पुराने कर को सभी जानते हैं और उसके प्रति होने वाली प्रतिक्रिया भी निश्चित है और लोगों के सम्बन्ध में ऐसा अनुमान कर लिया जाता है कि वे आवश्यक समन्वय कर लेते हैं और कर महसूस नहीं होता। करदाता की आर्थिक व्यवस्था में उससे कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होती।

न केवल करदाता के दृष्टिकोण से निश्चितता आवश्यक है वरन् राज्य के दृष्टिकोण से भी उसकी आवश्यकता है। लगाये जाने वाले प्रस्तावित करो का मोटे तौर से सरकार में अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए, और उसे उस समय का भी अनुमान लगाने की योग्यता होनी चाहिए जब कि वे आने लगेंगे तभी सरकार अपने वित्तीय कार्यक्रम पर चल सकती है।

(111) सुविधा का सिद्धांत (The Canon of Convenience)—प्रत्येक कर को ऐसे समय और इस ढंग से लगाना चाहिये, जिससे कि करदाता को अधिक से अधिक सुविधा का अनुभव हो।

निश्चितता का नियम बताता है कि अदायगी का समय और ढंग निश्चित होना चाहिये, किन्तु सुविधा का नियम बताता है कि अदायगी का समय और ढंग सुविधाजनक होना चाहिये। यदि भूमि अथवा मकान पर किराया ऐसे समय में लिया जाता है जब कि किराया अदा किये जाने की आशा है, तो इससे सुविधा की रीति को सतोष हो जाता है। यदि कर चंक्र द्वारा अदा किया जा सकता है तो यह ढंग सुविधाजनक है, किन्तु इतना नहीं कि जितना कर अधिकारी को व्यक्तिगत रूप में अदा करने से हो जाना है। वाद वाद के मामले में बहुत अधिक अशुविधा और परेशानी होगी। उपभोक्ताओं पर लगाये जाने वाले कर सुविधाजनक होने हैं। उपभोक्ता उन करो को उस समय अदा करता है, जब कि वह क्रय करता है और उस समय जबकि वह अदा कर सकता है क्योंकि क्रेता अपने क्रय का समय स्वयं तय करता है। ढंग भी बहुत ही सुविधाजनक होता है, क्योंकि कर अदा करने के लिये उसे कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी होती। वह उसे उस समय अदा करता है जब कि कोई वस्तु क्रय करता है। कर वस्तु की कीमत में लिपट जाता है।

भारतीय लगान सुविधा के नियम के अनुसार है, क्योंकि वह किराये में और फसल

कटने के बाद असा किया जाता है। इसके विपरीत आय-कर मुविधा की रीति का उल्लघन करता है। करदाता को अपनी हिसाब-किताब की वहियों को आय-कर अधिकारी के पास उसे सत्पुष्ट करने के लिये ले जाना पड़ता है। इसके फलस्वरूप बहुत-सी व्यक्तिगत मुलाकातें करनी पड़ती हैं और इससे बहुत-सा समय बरबाद होता है। इसमें बहुत परेगानो भी होती हैं। अच्छे प्रशासन और उत्पादन के आधार पर मुविधा की रीति उचित है।

(1V) मितव्ययिता का सिद्धांत (The Canon of Economy)—प्रत्येक कर को इस प्रकार लगाना चाहिये कि लोगों की जेबों से जितना लिया जाता है, और जितना सरकार के पास पहुँचता है, इन दोनों में कम से कम अन्तर हो।

मितव्ययिता की रीति का एक कार्य-रूप बहुत ही स्पष्ट है। वह कर मितव्ययी है जिम पर वसूली की लागत बहुत कम होती है। इसके विपरीत यदि कर वसूली करने वाले अधिकारियों के वेतन में कर से प्राप्त आय का बहुत बड़ा भाग निकल जाता है, तो यह कर निश्चय ही अमितव्ययी होगा। जहाँ तक मभव हो, राज्य के कोष में उतना आना चाहिये, जितना कि लोगों की जेबों से लिया जाय। भार्ग में कोई ऐसी चीज न होनी चाहिये कि वह कम पड जाय। यदि आय-कर कार्यालय में बहुधा आने में अथवा कर अधिकारी की जाच में अप्टाचार अथवा दबाव निहित है तो मितव्ययिता का नियम पूरा नहीं होगा।

किन्तु कर दूसरे अर्थों में कदाचित् विस्तृत अर्थों में मितव्ययितापूर्ण होना चाहिए। उसमें मितव्ययिता के नियम का उल्लघन होगा यदि उसमें व्यापार और उद्योग के विकास में किसी प्रकार की अडचन पड़ती है। यदि आय पर भारी कर लिया जाता है तो पूजी जमा नहीं होगी और समाज की उत्पादन-क्षमता पर गम्भीर आघात पड़ेगा। वचन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह स्पष्टतया अमितव्ययितापूर्ण होगा। वह कर मितव्ययी कहा जाता है यदि उससे देश की समृद्धि में किन्ती भी प्रकार से अडचन नहीं पड़ती। मितव्ययिता की रीति के नियम के अनुसार ही १९४६-४७ का केन्द्रीय सरकार के बजट में वैज्ञानिक अनुसंधान, निर्मित इमारतों और खड़ी की गई मशीनों पर खर्च की रियायत देना स्वीकार किया गया था। समय आने पर उनमें निश्चय ही राष्ट्र की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि होगी।

हानिकारक दवाइयों तथा नशीले पदार्थों पर लगाये गये कर मितव्ययितापूर्ण माने जाते हैं क्योंकि उनमें न केवल राज्य को आमदनी होती है वरन् अनुत्पादक व्यय को भी प्रोत्साहन नहीं मिलता। किन्तु कच्चे माल पर लगाये गये कर मितव्ययितापूर्ण नहीं होते, क्योंकि उनसे तैयार वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और उद्योग की प्रतियोगिता क्षमता निर्बल हो जाती है। साथ ही यह भी कि प्रत्येक विचित्रता उम कर में कुछ न कुछ जोड़ना जाता है जो वह असा कर नुका होता है।

एटम स्मिथ का पहला नियम नैतिक है और अन्य तीन प्रशाननीय प्रकृति के हैं। अन्य सिद्धांत (Other Canons)—जब ने एटम स्मिथ ने लिखा है, तब से सार्वजनिक वित्त ने बराबर प्रगति की है। बाद के लेखकों ने उनकी चार रीतियों में अपनी रीतिया जोड़ दी हैं।

(v) राजकोषीय औचित्य अथवा उत्पादकता (Fiscal Adequacy or Productiveness)—कर द्वारा लोगो से प्राप्त राजस्व पर ही राज्य को रहना चाहिए। सरकार को आर्थिक कठिनाइयो से मुक्त रहना चाहिए। अतएव यह आवश्यक है कि कर से प्राप्त आय उचित होनी चाहिए और सरकार को घाटा नहीं होना चाहिए। किन्तु सरकार को ज्यादानी की गलती भी नहीं करनी चाहिए। अधिक राजस्व बढ़ाने के उत्साह में उसे समाज की उत्पादन-क्षमता को किमी भी प्रकार से कम अथवा देश के आर्थिक साधनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।

उत्पादकता की रीति से यह मकेत मिलता है कि एक कर जिससे अधिक आय होती है, वह उन बहुत से करो से अच्छा है, जिनमें से प्रत्येक से बहुत थोड़ी आय होती है। करो की मख्या को रोकना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक कर से नागरिको को परेशानी हो सकती है। किन्तु यहां पर हमें चेतावनी देनी चाहिये कि सकेन्द्रण (concentration) के नियम को अधिक ज्यादानी की ओर नहीं ले जाना चाहिये अन्यथा वह या तो अमितव्ययितापूर्ण अथवा अनुचित बन जायेगा।

(vi) लोच का सिद्धान्त (The Canon of Elasticity)—लोच की रीति राजकोषीय औचित्य के निकट है। जैसे-जैसे राज्य की जरूरियात बढ़ती है, वैसे वैसे राज्य की आय भी बढ़नी चाहिए अन्यथा वे समान नहीं रह पायेंगे। सकट अथवा परेशानी की अवधि का मामला करने के लिये राज्य को इस स्थिति में होना चाहिए कि वह अपने आर्थिक साधनों को बड़ा सके। कुछ कर ऐसे होने चाहिये कि यदि आवश्यकता आ पड़े तो उनसे अधिक आय हो सके। आय-कर लोचपूर्ण कर का एक अच्छा उदाहरण है। कर को थोड़ा बढ़ा देने अथवा उपरि कर (surcharge) लगा कर आय को काफी बढ़ाया जा सकता है। जब यह शुरू हुआ था तो प्रथम आर्थिक उपाय, जो काम में लाया गया, वह यह था कि जायकर में उपरि कर लगा दिया गया। रेलवे और डाक दरें भी बहुत ही लोचपूर्ण हैं।

(vii) लचक (Flexibility)—लचक की रीति लोच की रीति जैसी लगती है किन्तु दोनों के बीच का अन्तर बहुत ही स्पष्ट है। लचक का अर्थ यह है जा कर प्रथा में कोई कठोरता न होनी चाहिए जिससे कि उसका नई दशाओ के अनुसार आसानी के साथ समन्वय किया जा सके। लोच का अर्थ यह है कि आय बढ़ाई कि सकती है। जब तक प्रथा लचकदार नहीं है, आय बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। इस प्रकार लचक का होना लोच की एक शर्त है। यदि कर प्रथा को बिना क्रांति के बदलना सम्भव नहीं है तो उसमें कोमलता नहीं होती। बगाल का स्थायी वन्दोवस्त (१७९३) कठोरता का अथवा कर में लचक के अभाव का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार ने अपने को भूमि-मालिको से एक ही राशि सदैव वसूल करने के लिए बांध लिया था। लचक का यह अभाव बगाल में आर्थिक मकटो का कारण है।

(viii) सरलता (Simplicity)—आरमीटेज स्मिथ (Armitage Smith) के शब्दों में "सर-प्रथा मादी, नीची और सर्वसाधारण की समझ में आने

योग्य होनी चाहिये।" भ्रष्टाचार और दवाव को रोकने के लिए यह नियम आवश्यक है। यदि कोई कर जटिल है कि करदाता यह समझ नहीं पाता कि उसे कितना अदा करना चाहिए, और क्यों अदा करना चाहिए, तो कर एकत्र करने वालों के हाथ में बहुत अधिकार चले जावेंगे। भ्रष्टाचार और दवाव के लिए दरवाजा खल जावेगा।

(1x) अनेकरूपता (Diversity)—अन्य महत्वपूर्ण रीति विभिन्नता की है। अकेले एक कर से अथवा थोड़े करों से काम नहीं चलेगा। करों में बहुत सी किस्में होनी चाहिये, जिससे कि सभी नागरिक जो राज्य की आय में देने की क्षमता रखते हों, दे सकें। उनके पास विभिन्न तरीकों से पहुंचना चाहिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का वृद्धिमत्तापूर्ण मिश्रण होना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक औचित्य व समानता दोनों को सतोषप्रद ढंग से उपयोग किया जा सकता है। किन्तु अत्यधिक नस्य वृद्धि अनुचित और अमितव्ययी होगी।

(x) आधुनिक काल में करारोपण के कार्यों पर विचार करते हुए एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ है, अर्थात् किमी ममुदाय में कर का प्रभाव वहां के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के तथा उन समस्याओं तथा विधियों के अनुरूप होना चाहिये जो इन्हें पूरा करने में सहायक हो। तटस्थता का सिद्धांत अथवा "वे-जैमे हों उन्हें रहने दो" सिद्धांत आज इम कमीटी पर पूरा नहीं उतरना। करारोपण नीति अधिक निश्चित होनी चाहिए। इसका उद्देश्य अधिकाधिक आर्थिक स्थिरता तथा विकास के अलावा राजनैतिक तथा सामाजिक लक्ष्य पूरे करना है। आर्थिक नियंत्रण तथा वन विषयक उपायों के माय करारोपण का काम आर्थिक अस्थिरता तथा रुकावट को "प्रतिकरात्मक प्रबन्ध राजकोषीय प्रोग्राम" द्वारा अन्त करना है। जर्मन अर्थशास्त्री, एडोल्फ वेगनर ने अपनी १८८० में प्रकाशित "Finanzwissenschaft" नामक पुस्तक में असमानताओं को दूर करने के लिए "सामाजिक प्रतिकरात्मक अथवा करारोपण के सामाजिक एवं राजनैतिक सिद्धांत" का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत को १९३० की महामंदी के दिनों में लागू किया गया, तथा द्वितीय महायुद्ध के बाद जब करारोपण मुद्रास्फीति से बचने के लिए हथियार के रूप में काम आया।

अन्य कई विचार सामने आए। उदाहरण के लिए, यह सिफारिश की गई कि, कर पूजी पर न पड कर राजस्व पर पडना चाहिए। इमसे टैक्स देने वाले के न्यूनतम गुजर-बसर पर आघात नहीं होना चाहिए आदि।

थीमती हिक्स ने करारोपण^१ के तीन सिद्धांतों पर जोर दिया है। पहला, करारोपण का प्रथम उद्देश्य लोक-सेवाओं के लिए वित्त-रोपण करना है। दूसरा, नागरिकों पर कर इस तरह लगाया जाय कि वह उनकी अदा करने की क्षमता तथा पारिवारिक हालात के मुताबिक हो। यह सिद्धांत सामाजिक न्याय में सम्बन्धित है। तीसरा, कर व्यापक होना चाहिए जवात् एक-सी हैसियत के नागरिकों में कोई फर्क नहीं किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत कानूनी समानता पर आधारित है।

यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी देश में कोई भी कर इन सभी सिद्धांतों को पूरा नहीं करता। हमें इस टैक्स व्याख्या को व्यापक रूप में देखना है न कि व्यक्तिगत कर को। कुछ टैक्स तो इन सिद्धांतों में बाधक होंगे ही। किन्तु व्यापक रूप से टैक्स प्रणाली को इन सिद्धांतों के पूरा करना चाहिए।

५ उत्तम कर-प्रथा की विशेषताएँ (Characteristics of a Good Tax System)--उत्तम कर-प्रथा में ऐसे कर शामिल होने चाहिये जो उपयुक्त कर-निर्धारणों के नियमों के अनुकूल हों। समूची कर-प्रथा समान होनी चाहिये। उसका भार विस्तृत करों पर पड़ना चाहिये। उसे क्रियायती होना चाहिये जिससे कि एकत्र करने का काम जितना ही मस्ते ढग में हो सके, उतना ही अच्छा है। उससे व्यापार और उद्योग के विकास में बाधा नहीं पड़नी चाहिये। इसके विपरीत उसे देश के आर्थिक विकास में सहायता करनी चाहिये। सरकार को अपनी आगमदनी के सम्बन्ध में निश्चय होना चाहिये। कर-प्रथा सम्पूर्ण और वर्तमान आकड़ों सम्बन्धी जानकारी पर आधारित होनी चाहिये, जिससे कि सही भविष्यवाणी संभव हो सके। कर-प्रथा अंग्रे में एक उछालमात्र नहीं होनी चाहिये। उसके प्रभावों का सही-सही हिसाब लगाया जा सकना चाहिये। समूचे कर मुविधाजनक होने चाहियें अर्थात् उनको जितना भी संभव हो, उतना कम महसूस किया जा सके।

कर-प्रथा सरल, वित्तीय रूप से उचित और लोचपूर्ण होनी चाहिये जिसमें कि उसमें नई आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। वह हमारे लगान की भांति जटिल नहीं होनी चाहिये जो ३० या ४० वर्षों के लिये निर्धारित कर दिया जाता है। पंजाब में लगान की सरकारने वाले स्तर की प्रणाली (sliding scale system) के उपयोग से यह खराबी कुछ सीमा तक दूर हो जाती है।

सरलता के आदर्श से हम एकल (single) कर प्रणाली के समर्थक हो सकते हैं। किन्तु एकल कर-प्रथा अन्य गम्भीर आपत्तियों को खोल देगी। अतएव, यह माना जाता है कि कर-प्रथा का जितना संभव हो, उतना ही विस्तृत आधार होना चाहिये। कर-प्रथा में विभिन्नता होनी चाहिये। किन्तु हम करों की बहुत अधिक संख्या नहीं चाहते। अतएव, हम आर्थिक यग के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि "यदि उसे उत्तम कर-प्रथा की परिभाषा करनी पड़े तो वह विन्दुओं की अनिश्चित संख्या हल्का प्रभाव डालने वाली और भारी दबाव डालने वाली, किन्तु किसी पर नहीं होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त प्रशासन के दृष्टिकोण से कर-प्रथा योग्य होनी चाहिये। वह प्रशासन के लिये सरल होनी चाहिये। वकाया के दवा जाने अथवा जमा हो जाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। उस पर मूर्खों का कोई असर नहीं पड़ना चाहिये और न दगावाजों का कोई असर होना चाहिये। भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होनी चाहिये।

उत्तम कर-प्रथा की एक अन्य विशेषता यह है कि वह पूरी तरह से सद्भावनापूर्ण होनी चाहिये। वह साम्प्रतिक एक प्रथा होनी चाहिये न कि अलग करों की वसूली मात्र।

प्रत्येक कर समूची प्रथा में ठीक-ठीक जम जाना चाहिये जिसमें कि वह मिले-जुळे सम्पूर्ण का एक अंग हो जाय। अधिक ढाँचे में प्रत्येक कर को एक निश्चित और उचित स्थान प्राप्त होना चाहिये। वे विभिन्न दिशाओं में खींचातानी करने वाले नहीं होने चाहिये। उदाहरणार्थ, सरक्षणत्मक शुल्क (protective duty) तथा उत्पादन शुल्क (excise duty) साथ-साथ भली भाँति नहीं चल सकते।

६. भारतीय कर-प्रथा (The Indian Tax System)—प्रधान के दृष्टिकोण से भारतीय कर प्रथा बहुत ही सुन्दर है। चोरी ने वस्तुएँ लाने और ले जाने का काम नहीं हो पाता और न उसमें बहुत-सी खामियाँ ही हैं। कर देने से बचना साधारण बात नहीं। कर बमूली की लागत भी असमानानुगत रूप से अधिक नहीं है। वह बहुत ही सदी है। राज-रर औचित्य और पर्याप्तता के आधार पर कठिनाता से कोई आपत्ति की जा सकती है। कर-प्रथा नितान्त उत्पादक है। वह वित्तकुल विस्तार के साथ आधारित है। यहाँ तक कि देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी कुछ न कुछ अदा करता है, अर्थात् लगान। यह अनेक रूपों वाली प्रथा है। अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय कर-प्रथा विशेषतया अमुविधाजनक भी नहीं है। लगान क्रिस्तों में अदा किया जाता है और फसल बटने के बाद दिया जाता है। वस्तुओं पर करों का महत्वपूर्ण स्थान है। लचक अथवा लोच के आधार पर हमें शिकायत का कोई कारण नहीं है। हमारी कर-प्रथा ने खर्चों के प्रभावों का ध्यानदार ढंग से सामना किया है।

किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि हमारी कर-प्रथा आदर्श कर-प्रथा है। भारत में भारतीय व्यापार और उद्योग की आवश्यकता के महत्व को समझे बिना कर लगाये गये हैं। चुंगी-कर आमदनी के उद्देश्य से लगाये गये हैं। टैरिफ अनुसूची से भारतीय उद्योगों के विकास में बहुधा बाधा उपस्थित हुई, घिसाई-खर्च के लिए कम राशि मजूर की गई। अतएव, उद्योग के यंत्रों को नया करने अथवा उनके स्थान पर दूसरे यंत्र लगाने में वास्तविक कठिनाई अनुभव हुई। यद्यपि हाल के बजटों में इस बुराई को कुछ सीमा तक दूर किया गया है। फिर भी हमारी कर-प्रथा किफायत नियम के पूरी तरह अनुकूल नहीं है।

सबसे अधिक उल्लघन समानता के नियम का है।¹ भारतीय कर-प्रथा अमीरों के विरुद्ध गरीबों के प्रति भेद-भाव रखती है। आय-कर वह कर है, जो अमीरों द्वारा अदा किया जाता है, किन्तु प्रगति उतनी ढालू नहीं है जितनी कि होनी चाहिये। लगान, चुंगी, आवकारी और यहाँ तक कि रेलवे किराया कुल मिला कर गरीबों द्वारा अमीरों की अपेक्षा अधिक अदा किया जाता है। उत्तराधिकार की अनुपस्थिति अथवा मृत्यु-कर हमारी कर-प्रथा की प्रातोगामी प्रवृत्ति को बटा देता है। प्रोफेसर के टी. ग्राह के शब्दों में, "अमीर वर्ग अपेक्षाकृत थोड़े भार के साथ बच जाते हैं, यद्यपि इस भार को टाल देने अथवा वहन की उनकी क्षमता अधिक होती है, जब कि गरीब वर्ग, जो इस प्रकार के भार में बच नहीं सकते, उन्हें सिद्ध-सी शक्ति के इन भारी बोझ को वहन करना पड़ता है जब कि उसे वहन करने की उनकी क्षमता मंमने जैनी होती है।"

1 See Indian Economics by Dewett and Singh

भारतीय आय-कर-प्रथा आश्रितों की सख्या के लिये कोई भत्ते की व्यवस्था नहीं करती । अतएव वह अदायगी की क्षमता के अनुकूल नहीं है ।

अनिश्चितता का तत्त्व भी इसमें निहित है । मानसून एक धवडाहट पैदा करने वाला कारण है । भारतीय वजट मानसून में एक जुआ माना गया है ।

भारतीय कर-प्रथा में अन्य बहुत से दोष हैं । वह बहुत ही उल्टी-भीवी है, और उसकी योजना वैज्ञानिक ढंग ने नहीं तैयार की गई । वह समय की आवश्यकताओं के अनुकूल तोड़ी-मोड़ी गई है । विशेष आवश्यकता वजट में मनुलन बनाने की रही है । करो के प्रभावों तथा उत्पादन और वितरण पर उनके प्रभावों के प्रति बहुत कम ध्यान दिया गया है । वह वास्तव में कोई प्रथा नहीं रही । सर वाल्टर लेटन ने भारतीय वजट को "कसा हुआ" ^१ बताया है । जिसमें अप्रत्याशित और अनजाने व्ययों की विल्कुल ही व्यवस्था नहीं है ।

कर-प्रथा बहुत ही अनुदार भी है । वर्तमान रूप में आवकारी आय और लगान भी जारी है, यद्यपि उनकी व्यापक रूप से निन्दा की गई है ।

अन्य उन्नत देशों के विपरीत भारत में प्रत्यक्ष कर गौण कार्य करते हैं, यद्यपि युद्ध-काल (१९३९-४५) में अपनाये गये आर्थिक साधनों के फलस्वरूप यह प्रथा इस दशा में सुधारी गई है । १९३८-३९ में सम्पूर्ण राजस्व में आय पर लगाये करो का अनुपात २२.६ प्रतिशत था, किन्तु १९४५-४६ में वह ६२.३ प्रतिशत था ।

अभी हाल तक हमारी कर-प्रणाली ने अर्जित और अनर्जित आय में कोई भेद नहीं किया और इस प्रकार वास्तविक श्रमिक और निष्क्रिय अमीर के साथ एक-सा व्यवहार किया । १९४५-४६ में १० प्रतिशत अर्जित सहायता स्वीकार की गई थी ।

केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय वित्त के बीच वितरण की रीति भी दोषपूर्ण है । चूकि आय-कर प्रत्यक्ष कर है, अतएव वह सम्पूर्णतया प्रान्तीय होना चाहिये और बहुत से प्रान्तीय कर, जैसे मनोरजन-कर और विक्री-कर स्थानीय मस्याओं के होने चाहिये । भूमि-कर का एक भाग भी स्थानीय बोर्डों को मिलना चाहिये ।

अतएव, हम यह नहीं कह सकते कि भारतीय कर-प्रणाली पूर्णतः सतोषजनक है । सुधार की बहुत ही गुजायश है ।

७ कराधान में न्याय की समस्या (The Problem of Justice in Taxation)—हमने कर-निर्धारण के विभिन्न नियमों पर विचार किया है और इनमें अत्यधिक महत्त्वपूर्ण नियम समानता का नियम जान पड़ता है । अतएव कर-निर्धारण की अत्यधिक आधारभूत समस्या न्याय की समस्या है । प्रत्येक व्यक्ति वित्त मंत्री से आशा करता है कि वह अपने कर-निर्धारण प्रस्तावों को इस प्रकार तैयार करे कि जिससे इस बात का विश्वास पैदा हो जाय कि कर-निर्धारण का भार उन पर पड़ता है, जो उसे पूरी तरह से वहन कर सकते हैं । यह उचित है कि एक ही आर्थिक स्थिति के लोगों के साथ कर-निर्धारण के अभिप्राय से एक प्रकार से

व्यवहार किया जाय, किन्तु आर्थिक स्थिति की नाय क्या होनी चाहिये ?

कर-निर्धारण में न्याय के आदर्श को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अनेक सिद्धांत सामने रखे गए हैं। हम नीचे उनमें से कुछ सिद्धांतों की जांच करेंगे—

(i) सेवा की लागत का सिद्धांत (The Cost of Service Principle)—चाहे कितना ही सेवा लागत सिद्धांत उचित जान पड़े, उसे वास्तविक व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। करो से प्राप्त आय द्वारा की जाने वाली सेवाओं जैसे सशस्त्र सेनाएँ, पुलिस आदि का लागत खर्च ठीक-ठीक निश्चित नहीं किया जा सकता। हमें हिसाब लगाना पड़ता है कि किसी विशेष करदाता की सेवा में क्या लागत लगेगी। हम जानते हैं कि करो के मामले में करदाता के लिए कोई प्रत्यक्ष तत्-प्रति-तत् व्यवहार नहीं है। इसलिए किसी करदाता के लिए व्यक्तिगत रूप से सेवा के मूल्य के आकने का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल उन्हीं मामलों में, जिनमें सेवाएँ कीमतों के बदले में की जाती हैं, जैसे विजली की पूर्ति, रेलवे या डाक सेवा आदि, वहाँ सेवा के मूल्य के अनुसार कुछ निकटता तक कीमत वसूल की जा सकती है। यहाँ तक कि यहाँ भी ठीक-ठीक कीमत नहीं आकी जा सकती और कीमत को निर्धारित करने के लिए हमें इस सिद्धांत पर आना पड़ता है कि सेवा की जो लागत हो वही वसूल किया जाय। अतएव, सेवा के कीमत-सिद्धान्त को व्यावहारिक होने के कारण अस्वीकार कर देना चाहिए।

(ii) लाभ अथवा 'तत्-प्रति-तत्' सिद्धांत (Benefit or 'Quid Pro Quo' Theory)—जिन कारणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उन्हीं के फल-स्वरूप लाभ सिद्धान्त भी उस समय असफल हो जाता है, जब उसे व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया जाता है। बहुत-सा सार्वजनिक व्यय साझे अथवा अविभाज्य लाभों के लिए किया जाता है। यह हिसाब लगाना कठिन है कि एक विशेष कार्य के लिए कितना लाभ किसी समय में बढ़कर होता है। बहुत थोड़े ऐसे मामले हैं, जहाँ व्यक्ति के लाभ का हिाव लगाया जा सकता है, जैसे वृद्धावस्था की पेंशन। इस मामले पर लागू करने से सिद्धांत स्वयं ही पेंशन की वाग्नी की माँग करेगा, क्योंकि वह लाभ की ठीक-ठीक नाय है। कोई भी इस प्रस्ताव को गम्भीरता के साथ नहीं रखेगा। अतएव लोगों ने यह कहना असम्भव है कि वे अपने द्वारा प्राप्त लाभ के अनुसार धन अदा करें। लाभ सिद्धांत के विरुद्ध अन्य बहुत-सी आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं। कर राज्य के सामान्य अभिप्रायों के लिए दिया जाता है न कि किसी विविष्ट सेवा का बदला चुकाने के लिए। लाभ सिद्धान्त का अर्थ उम्मीदशा में हो सकता है, जब कि हम नारे समाज के लाभ की बात नोचें, किन्तु व्यक्ति पर कर लगाने के अभिप्राय से यह स्पष्टतया व्यर्थ है। यदि आप कुछ मामलों में ऐसा करना भी चाहेंगे, तो कठिनाई में पड़ जायेंगे। आप किस आधार पर ऐसा करेंगे ?

इनके अतिरिक्त ऐसा सामान्यतः विश्वास किया जाता है कि राज्य के नगटन से गरीबों को अमीरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। यदि ऐसा ही है तो लाभ सिद्धांत को लागू करने का अर्थ होगा उन लोगों से अदायगी कराना जो अदा

करने की क्षमता नहीं रखते और उन लोगों को छोड़ देना जो कर सकते हैं, और जिन्हें करना चाहिये। यह एक भद्दी बात होगी।

प्लेह्न (Plehn) के शब्दों में, “शांतिपूर्ण जीवन-यापन, स्वतन्त्रता और संपत्ति साझे के लाभ है।” जहाँ तक जीवन और स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है, सभी के लिए वही सुरक्षा राज्य की ओर से प्राप्त होती है। यह ममान कर के लिए सकेत करता है अर्थात् पॉल टैक्स (poll tax)। किन्तु पॉल टैक्स को बहुत पहले ही त्याग दिया जा चुका है, क्योंकि उसमें अपेक्षाकृत कम प्राप्ति होती है और लागत अधिक लगती है तथा बमूली में बड़ा झझट भी होता है। यदि हम आधार के रूप में सम्पत्ति की सुरक्षा को ले तो वह समानुपातिक कर होगा, पूँजी के मूल्य की समानुपातिक अथवा सम्पत्ति की आय कराने वाली क्षमता। किन्तु आधुनिक समय में समानुपातिक कर-निर्धारण भी अस्वीकार कर दिया गया है। क्योंकि वह न्यायपूर्ण नहीं है, अतएव हम लाभ को न्याय का स्तर नहीं मान सकते।

फिर भी, सभी आधुनिक कर-प्रणालियों में लाभ सिद्धांत को स्थान है। फीस, लाइसेंस, विशेष निर्धारणों तथा स्थानीय करों में लाभ का सिद्धान्त लागू होता है।

(iii) अदा करने की योग्यता अथवा क्षमता का सिद्धांत (Ability to Pay or Faculty Theory) — अत्यधिक लोकप्रिय तथा न्याय का विश्वमनीय सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक करदाता को अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार कर देना पड़े। उसे उसकी कर दे सकने की क्षमता पर आधारित होना चाहिए। इससे अधिक और कुछ न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। किन्तु इस सिद्धांत को स्वीकार करने का अर्थ हमारी कठिनाइयों का अन्त नहीं, बल्कि यही से कठिनाइयाँ शुरू होती हैं। जो प्रश्न हमारे सामने है वह यह है कि मनुष्य की योग्यता की नाप किम प्रकार की जाय। किसी व्यक्ति की कर अदा करने की क्षमता जानने के उचित आधार की खोज करने के लिए हमें दो दिशाओं पर चलना चाहिए—एक तो भीतरी और दूसरी बाहरी। यदि हम किसी करदाता की कर देने की क्षमता की उसके परोक्ष रूप में जांच करना चाहें तो उसमें निहित अमुविधा और त्याग पर विचार करना होगा। इस बात पर तीन स्पष्ट दृष्टिकोण सामने रखे गये हैं — (क) ममान त्याग का सिद्धांत, (ख) समानुपातिक त्याग का सिद्धांत, और (ग) न्यूनतम त्याग का सिद्धांत।

जे० एस० मिल के शब्दों में, “राजनीति के सिद्धान्त के रूप में कर-निर्धारण की समानता का अर्थ है त्याग की समानता। इसका अर्थ है सरकार के कामों की मद में प्रत्येक व्यक्ति के भाग को इस प्रकार से निश्चित करना कि जिसमें वह अपनी अदायगी के भाग से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा, जो अपने भाग से अमुविधा अनुभव करता है, न कम और न अधिक अनुभव करे।”^१ इस सिद्धांत के अनुसार कर-निर्धारण का धन भार इस प्रकार वितरित किया जाता है कि व्यक्तिगत करदाता के ऊपर समान वास्तविक बोझ रहे। इसका अर्थ होगा ममानुपातिक कर-निर्धारण।

समानुपातिक त्याग (Proportional Sacrifice) के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के ऊपर वास्तविक बोझ समान नहीं बरन् या तो उनकी आय या आर्थिक कल्याण, जो वे प्राप्त करते हैं, उसके समानुपातिक होगा। जो अधिक त्याग कर सकते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए कहना चाहिए। इसका अर्थ है क्रमवर्धमान कराधान।

न्यूनतम त्याग का सिद्धांत (Minimum Sacrifice Principle)—कर-दाताओं का विचार सम्पूर्ण रूप से करना है, न कि व्यक्तिगत रूप से। इस सिद्धांत के अनुसार समुदाय पर कुल बोझ इतना कम होना चाहिये, जितना कि सम्भव हो। न्यूनतम सम्पूर्ण त्याग सिद्धांत के प्रमुख प्रतिनिधि एजवर्थ के शब्दों में, “न्यूनतम त्याग कर-निर्धारण का श्रेष्ठतम सिद्धांत है।” इस सिद्धांत में “न्यूनतम शक्ति का एक ऊँचा धरातल होगा और जैसे-जैसे आय बढ़ती है, बहुत ही ढालू क्रम (steep progression) निहित होगा। जितना ही सम्पूर्ण त्याग कम होगा, उतना ही समुदाय पर कर-भार का अच्छा वितरण होगा। राज्य मानव-कल्याण को बढ़ाने के लिए होना है। ऐसा वह निहित त्यागों को कम करके कर सकता है।

त्याग के सिद्धान्तों का केवल सैद्धांतिक महत्त्व है। इसका बहुत ही कम व्यावहारिक महत्त्व है। त्याग एक परोक्ष की वस्तु है। वह करदाता की आंतरिक वस्तु है और हमारे पास उसके नापने के कोई साधन नहीं होने। शराव पर लगे कर का अर्थ है शराव के उपभोक्ता के लिए बहुत बड़ी अमुविधा, किन्तु उसके लिए कम हानि। क्षमता की परीक्षा के रूप में त्याग को अवश्य ही छोड़ देना चाहिये।

अतएव व्यक्ति की क्षमता को मापने के लिये हमें दूसरी विधि से काम लेना चाहिये। यहाँ हमारा आधार अपेक्षाकृत अधिक निश्चित है। किन्तु यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि बहुत-सी विधियाँ बताई गई हैं। व्यक्ति की कर देने की क्षमता को (क) उपभोग, (ख) संपत्ति, अथवा (ग) आय के अनुसार मापना चाहिए। उपभोग निश्चित विधि नहीं है क्योंकि गरीब द्वारा राज्य की सेवाओं का उपभोग अथवा उपयोग उनके साधनों के सम्पूर्ण समानुपात से बाहर माना जाता है। अतएव उसे कर-निर्धारण का व्यावहारिक सिद्धांत नहीं माना जा सकता। संपत्ति भी कर-निर्धारण का उचित आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसी आकार और उसी प्रकार की संपत्ति से वही आय नहीं प्राप्त हो सकती। कुछ लोगों के पास दिखाने के लिये कोई संपत्ति न हो, किन्तु हो सकता है कि वे अधिक आय प्राप्त करते हों, जबकि संपत्ति वाले व्यक्तियों को, हो सकता है, छोटी आय होती हो। संपत्ति के आधार पर क्षमता के अनुसार कर नहीं होगा। फिर भी मनुष्य की देने की क्षमता के लिए आय सबसे अच्छा परीक्षण है। किन्तु आय के मामले में भी कर क्षमता के अनुसार तभी होगा जबकि उचित निर्वाह के लिए न्यूनतम छूट दी जाती है, वगैरि आश्रितों की मर्यादा के लिए भत्ते की व्यवस्था कर दी जाती है, और अतः यदि वही व्यक्ति पर ऊँचे दर पर कर लगाकर प्रगतिशीलता के सिद्धांत को लागू किया जाता है।

इसके अतिरिक्त न केवल हमें व्यक्तिगत कर-दाता की बरन् सम्पूर्ण समुदाय की अदायगी की क्षमता पर विचार करना है। इस अवस्था में यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण

कर-प्रणाली द्वावपूर्ण न हो अर्थात् वह बचत को हतोत्साह न करती हो और न ही पूजा के निर्माण में शिथिलता लाती हो, और न देश के व्यापार एवं उद्योग के विकास में अडचन डालकर समुदाय की उत्पादन-समता को कम करती हो।

कर-निर्धारण (कराधान) में न्याय की समस्या का यही हल है। न्याय के उद्देश्य से सेवा के मूल्य सिद्धान्त को लागू करने अथवा लाभ के अनुसार कर लगाने से पूरे नहीं होते, वरन् वे अदा करने की क्षमता और योग्यता के अनुसार पूरे होते हैं। अदा करने की क्षमता निहित त्याग की मात्रा के द्वारा परोक्ष ढंग से नहीं आकी जा सकती, वरन् मनुष्य की आय के अनुसार परोक्ष ढंग से, और उसके उपभोग अथवा सम्पत्ति के अनुसार नहीं। न्याय प्राप्त करने का प्रत्येक प्रस्ताव कर-निर्धारण में प्रगतिशीलता के एक ढंग की ओर ले जाता है। आवश्यकता है कि सम्पूर्ण कर-प्रणाली उचित हो। प्रत्येक व्यक्तिगत कर विलकुल ही उचित नहीं भी हो सकता। एक कर की बुराई दूसरे कर की अच्छाई से तटस्थ बन सकती है। "अलग भागों में असमानता हो सकती है किन्तु सम्पूर्ण में औचित्य होगा।"

समानता के विषय में अलग-अलग राय हो सकती है। कभी-कभी कुछ लोग सोचते हैं कि कोई एक कर समता योग्य है। समता की सामान्य-स्वीकृत कोई व्याख्या तो है नहीं। डाल्टन के शब्दों में, "यह एक छलना के समान है, जिसका अनुसरण, शायद एक दार्शनिक के लिए उत्साहपूर्वक हो और राजनीतिज्ञ के लिए सावधानी से केवल देखना ही भर हो।"

८ कराधान के कुछ अन्य सिद्धान्त (Some Other Theories of Taxation)—सार्वजनिक वित्त पर कुछ लेखकों द्वारा प्रस्तुत कुछ अन्य सिद्धान्तों अथवा विधियों का हम यहाँ पर केवल सक्षिप्त उल्लेख करेंगे।

"जैसा उन्हें पाया वैसा छोड़ दो" सिद्धान्त ('Leave-as-you-found them' Principle)—इस सिद्धान्त के अनुसार वर्तमान धन-वितरण से छेड़-छाड़ नहीं की जाती। धन-वितरण की असमानताएँ न तो बढ़ाई जाती हैं और न घटाई जाती हैं। इस सिद्धान्त के समर्थक वर्तमान धन-वितरण के प्रश्न की आलोचना न करने का रुख अपनाते चाहते हैं। इसके अनुसार "करो को इस प्रकार लगाना चाहिए कि जब सभी उन्हें अदा कर दें, प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों जैसी स्थिति में रह जाय जैसा कि वह अदायगी से पहले था।" इस सिद्धान्त को आधुनिक काल में नहीं माना जाता। राज्य को धन-वितरण की असमानता को कम करना चाहिए और जैसे वे हैं, वैसे ही उन्हें नहीं छोड़ देना चाहिए।

राजनीति अथवा नीति सिद्धान्त—इसका सम्बन्ध कर-निर्धारण में समानता, औचित्य अथवा न्याय से है। इस सिद्धान्त पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं। यदि करदाता की परिस्थितियाँ और आर्थिक दशा वही रही तो न्याय प्राप्त करना एक साधारण क्रम होगा। किन्तु व्यक्तिगत करदाता की विभिन्न परिस्थितियों में न्याय प्राप्त करने का प्रयत्न वित्तमन्त्री को कुछ सिर-दर्द पैदा कर सकता है। अनेक तरीकों के सुझाव किये हैं जिनकी पहलें ही जाच की जा चुकी हैं।

वित्तीय सिद्धांत (The Financial Principle)—काल्वर्ट ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है—“ऐसी चुटकी काटो कि रोए नही।”^१ इस सिद्धांत के अनुसार कर वसूल करने वाले के लिए एकमात्र पथ-प्रदर्शन यह है कि कम से कम विरोध के साथ अधिक से अधिक आय हो। उनके मस्तिष्क में न्याय का कोई विचार नहीं आना चाहिए। उसे कम से कम विरोध का मार्ग अपनाना चाहिए। वास्तव में वित्तमन्त्री इस प्रकार के मार्ग को अपनाते हैं, यद्यपि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वित्तमन्त्री प्रत्यक्ष कर-निर्धारण की अपेक्षा अप्रत्यक्ष कर-निर्धारण की ओर अधिक झुके होते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार औचित्य की अपेक्षा उत्पादन और अत्रिलम्बन अधिक महत्त्वपूर्ण है।

समाजवादी अथवा क्षतिपूरक सिद्धांत (Socialist or Compensatory Theory)—कर-निर्धारण के इस सिद्धान्त के समर्थकों के अनुसार यह राज्य का काम है कि वह समुदाय में धन-वितरण में समानता लाए। यह प्रगतिशील कर-निर्धारण द्वारा किया जा सकता है। उद्देश्य गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने का है। यदि यह उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है तो उनमें अमीरों पर इम सीमा तक कर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी कि वचत को प्रोत्साहन न मिले और पूँजी को बाहर खदेड़ दे, जिसमें इसमें सन्देह नहीं कि समुदाय की उत्पादन-शक्ति को पगु बना देगी। धन वितरण की असमानतायें केवल कर लगाने से ही वही वरन् वृद्धिमत्ता से सार्वजनिक व्यय कम किये जा सकते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अदा करना चाहिए (Every one Ought to Pay Something)—विचार यह है कि राज्य के मामलों में प्रत्येक नागरिक में जिम्मेदारी की भावना पैदा हो जिसमें कि वह नागरिक जीवन में अधिक सक्रिय और बुद्धि-सम्पन्न दिलचस्पी ले सके। इसमें नागरिक को अपनी स्थिति का आभास और राज्य में अपने महत्त्व का आभास होगा। किन्तु गरीब लोगों के लिए यह नागरिक आभास बहुत ही महंगा पड़ेगा। यदि गरीबों को कर के भार में विल्कुल मुक्त कर दिया जाय, तो यह अधिक उचित होगा।

६ आनुपातिक बनाम क्रमवर्धमान कराधान (Proportional Vs. Progressive Taxation)—कर-भार के उचित वितरण के विभिन्न सिद्धान्तों पर विचार करते समय हम इन नतीजों पर पहुंचते हैं कि जहां कहीं सम्भव हो कर में प्रगतिशीलता की कुछ मात्रा होनी चाहिये। क्रमवर्धमान के सिद्धान्तों को सर्वत्र स्वीकार किया गया है। किन्तु ऐसा सदैव नहीं।

आनुपातिक कर-निर्धारण के बहुत से समर्थक हुए हैं। मैककुलो (Mc Culloch) का प्रसिद्ध कथन १९वीं शताब्दी की मनोवृत्ति को स्पष्ट करता है। उन्होंने लिखा है—“जब आप सरल सिद्धान्त (समानुपात) को छोड़ देने हैं तो आप अपने को बिना पतवार तथा कम्पान के समुद्र में पाने हैं और अनौचित्य की कोई सीमा

1. “Pluck the goose without its squealing”

नहीं जिसे आप पार कर सकते हैं।" जे० एस० मिल इससे भी अधिक जोरदार शब्दों में कहते हैं—“क्रमवद्ध परिवर्तित होने वाले आय-कर का निर्धारण का तरीका सम्पूर्णतः अनुचित है। वास्तव में वह एक क्रमवद्ध परिवर्तित होने वाली डकैती है।” उसके अनुसार क्रमवर्धमान करारोपण छीन लेने की दिशा में एक कदम है।

त्याग की समानता के सिद्धान्त के अनुसार आनुपातिक करारोपण केवल इस अनुमान पर उचित हो सकता है कि आय के बढ़ने के साथ धीरे-धीरे आय की उपयोगिता कम हो। यदि हम समानुपातिक त्याग के सिद्धान्त को दृष्टिकोण में रखें तो समानुपातिक कर केवल इस अनुमान पर उचित हो सकता है कि जैसे-जैसे आय बढ़ती है, वैसे-वैसे आय की उपयोगिता विल्कुल ही कम नहीं होती। यह अनुमान गलत है, क्योंकि जब आय बढ़ती है तो उसकी उपयोगिता अवश्य गिरनी चाहिए। इसलिए आनुपातिक करारोपण न तो त्याग की समानता के सिद्धान्त पर और न आनुपातिक त्याग के ही सिद्धान्त पर उचित है। आनुपातिक करारोपण में समान त्याग निहित होगा जबकि स्वयं त्याग कर-दाता की क्षमता के अनुपात में होना चाहिये। अतएव समानुपातिक करारोपण उचित नहीं है। वह पर्याप्त उत्पादक भी नहीं है और यहाँ तक कि आनुपातिक करारोपण में भी स्वेच्छा का तत्व विल्कुल ही अनुपस्थित नहीं रहता। अतएव समानुपातिक करारोपण के सिद्धान्त को, जहाँ तक प्रत्यक्ष करारोपण का सम्बन्ध है, विलुप्त ही त्याग दिया गया है। दूसरे शब्दों में, जहाँ सम्भव है, क्रमवर्धमान करारोपण का सिद्धान्त अपनाया गया है।

क्रमवर्धमान करारोपण का सिद्धान्त कुछ अनुमानों पर उचित है। अनुमान किया जाता है कि जैसे-जैसे आय बढ़ती है, आय में होने वाली प्रत्येक वृद्धि की उपयोगिता कम होती है। आगे और अनुमान किया जाता है कि आय के बढ़ने के साथ विलास की सामग्रियों पर व्यय बढ़ता है। जबकि आर्थिक लाभ के विचार से विलास की सामग्रियों की अपेक्षा आवश्यकतायें अधिक महत्वपूर्ण हैं। अतएव इससे यह होता है कि धनवानों पर अधिक कर लगा कर हम उन्हें विलास की सामग्रियों में कमी करने के लिए बाध्य करते हैं। इसमें जो त्याग निहित है, वह उन गरीबों को होने वाले लाभ की भाँति ही महान् है कि जिन पर कर से प्राप्त धन खर्च किया जा सकता है।

क्रमवर्धमान करारोपण से अधिक आय होती है और इस कारण वह अधिक उत्पादक है। यह देखना बड़ा कठिन है कि क्रमवर्धमान सिद्धान्त को अनुपस्थिति में आधुनिक सरकार आज अपने बजट को किस प्रकार सतुलित करती है।

क्रमवर्धमान करारोपण अधिक मितव्ययितापूर्ण है। जब दर बढ़ती है तो करों के उगाहने की लागत नहीं बढ़ती। क्रमवर्धमान करारोपण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। वह करदाता से समानुपातिक त्याग की माग करता है। वह चौड़ी पीठ पर सबने भारी बोझा रखता है।

क्रमवर्धमान प्रणाली कर-प्रणाली को अति आवश्यक समानता प्रदान करती है। जब आवश्यकता पड़ती है तो दरों में थोड़ी वृद्धि कर देने से स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त हो जाती है।

क्रमवर्धमान सिद्धात के विरोधियों ने इस प्रणाली के विरुद्ध बहुत-सी आपत्तिया उठाई हैं। हम नीचे इन आपत्तियों की जांच करेंगे।

(1) कहा जाता है कि यह विल्कुल ही अस्वेच्छाचारितापूर्ण है। क्रमवर्धमान प्रणाली की मात्रा वित्तमत्री द्वारा बिना किसी निश्चित और वैज्ञानिक आधार के तय की जाती है। यह विशुद्ध व्यक्तिगत राय होती है। स्पष्ट है कि यह आपत्ति सिद्धात पर नहीं वरन् क्रमवर्धमान प्रणाली की मात्रा पर है। यद्यपि उसे वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित नहीं किया जा सकता, फिर भी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए छोटे अंतरों का कोई महत्त्व नहीं। वित्तमत्री की बुराइयों को ठीक करने के लिए विधान नभा के सदस्य तो होते ही हैं।

(ii) कहा जाता है कि क्रमवर्धमान प्रणाली के सिद्धात का समर्थन हित-वृद्धि करने के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हित परीक्षण होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। ऐसा कोई वैज्ञानिक यन्त्र नहीं जिसमें यह परीक्षण किया जा सके कि आय में असमानता की कमी होने के फलस्वरूप हितवृद्धि हुई है या नहीं। कदाचित् गरीबों को आराम पहुंचने की अपेक्षा गरीबों को परेशानी अधिक होती है।

हम इस आपत्ति की शक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। हम मुख अथवा कल्याण को माप नहीं सकते। किन्तु कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि सामाजिक रूप से यह उचित है कि धनवानों को अधिक कर देना चाहिये, क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं।

(iii) क्रमवर्धमान प्रणाली वचत को हतोत्साहित करेगी, पूजा को बाहर लीचेगी और इस प्रकार व्यापार तथा उद्योग में बाधा उपस्थित करेगी। मन्त्रेण मे वह मिनव्ययिता-पूर्ण नहीं होगी।

किन्तु ऐसे बुरे परिणाम उसी दशा में होंगे, जब क्रमवर्धमान प्रणाली अंधित्व और अविलम्बन की सीमा पार कर जायगी। ऐसा बहुत कम हुआ है। पूजा इतनी चेतनशील नहीं है जैसा कि समझा जाता है।

(iv) क्रमवर्धमान प्रणाली वैज्ञानिक आधार पर टूट जाती है। उनका यह आधार-भूत अनुमान कि वही आय उनी सन्तोष को नापती है, उचित नहीं है। फिर घटती हुई प्राप्ति के नियम को उपयोगिता धन के मामले में ठीक भी नहीं उतर सकती। उनका कथन है, "धन एक अच्छाई का प्रतिनिधित्व नहीं करता वरन् सामान्यतः अच्छाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। चूकि मानव की आवश्यकताएँ अनीम हैं, इसलिए यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या धनी व्यक्ति को अनिश्चित धन की आवश्यकता कम होती है। यह भी हो सकता है कि जैसे-जैसे आय बढ़े वैसे-वैसे उसकी अनिश्चित आय की इच्छा भी बढ़े। ऐसा उस दशा में हो सकता है जब आय में वृद्धि उनके रखने वाले को उच्चतर सामाजिक क्षेत्र में आने-जाने के लिए प्रेरित करे और इन प्रकार उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि हो।"¹ चूकि गरीब की अपेक्षा अमीर के लिए आय की नीमान्त

उपयोगिता कम होती है, इसलिए अमीरो पर क्रमवर्धमान करारोपण होना चाहिए।

किन्तु इस क्षेत्र में राविन्स घटती हुई उपयोगिता सिद्धान्त को पूरे तौर पर अवैध और अवैज्ञानिक ठहराते हैं।^१ चूँकि सीमान्त उपयोगिता आत्मपरक है इसलिए दृष्टि-गोचर नहीं होती। राविन्स के अनुसार व्यक्तियों की परस्पर भावनाओं का मापना असम्भव है। क्रमवर्धमान करारोपण के अन्तर्गत हम यह धारणा करते हैं कि समान आय वालों को उससे समान सन्तुष्टि प्राप्त होनी है। किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि यह धारणा निश्चित तथ्यों पर आधारित है, चूँकि इसकी माप नहीं की जा सकती। राविन्स कहते हैं, “यदि हम अपनी बात की पुष्टि के लिए यह वहाना बनाए कि यह किसी भी रूप में वैज्ञानिक है ही, तो सचमुच यह बड़ी मूर्खता होगी।”

वैज्ञानिक धरातल पर तो इस तर्क का कोई उत्तर ही नहीं है। क्रमवर्धमान करारोपण का जोरदार समर्थन समान रूप से नीति तथा राजनैतिक आधार पर किया जा सकता है।

वैज्ञानिक आधार पर इस दलील का जवाब नहीं दिया जा सकता किन्तु धार्मिक और राजनैतिक आधार पर क्रमवर्धमान प्रणाली का समर्थन जोरों के साथ किया जा सकता है।

(v) कहा जाता है कि क्रमवर्धमान से कर देने से वच जाने की भावना बढ़ सकती है। किन्तु समानुपातिक कर-निर्धारण में भी कर देने से वच रहने की सम्भावना कम नहीं है। यह सामाजिक चेतना पर निर्भर करता है।

इस प्रकार क्रमवर्धमान करारोपण चाहे वैज्ञानिक ढंग से उचित हो अथवा नहीं, धार्मिक रूप से ठीक है सामाजिक रूप से उचित है और मितव्ययिता, उत्पादन तथा नम्रता के नियम के अनुरूप है।

१० कर देने की शक्ति (Taxable Capacity)—कर देने की क्षमता के विचार ने बहुत से अर्थशास्त्रियों और प्रसारकों के मस्तिष्कों को परेशान किया है। डाल्टन उसे एक “घुघला अस्त-व्यस्त विचार” कहते हैं। वह कहते हैं कि “कर देने की क्षमता एक ऐसी पौराणिक कहानी है, जिसे सार्वजनिक वित्त पर होने वाले गम्भीर विचार के समय बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए।” इस प्रश्न पर कि क्या कर देने की क्षमता नापी जा सकती है, उनका विचार है कि कैनन (Cannan) का यह उत्तर कि “नहीं कैसे?”, सब से अच्छा है। फिन्डले शिराज कहते हैं कि “सरकार के लिये मोटे तौर से भी यह जानना बुद्धिमानी होगी और साथ ही उपयोगी भी, कि साधारण और अमावारण दोनों ही परिस्थितियों में करो के द्वारा देश किस सीमा तक अदायगी कर सकता है।” उनका आगे यह कहना है कि “युद्धोत्तरकालीन वित्त की आवश्यकता ने, विशेषकर सार्वजनिक ऋण से लदे बजटों के सन्तुलन की आवश्यकता ने कर अदा कर सकने की क्षमता को वास्तविक और कर-निर्धारण को एक स्थिर समस्या बना दिया।”^२

1 Robbins, L —The Nature and Significance of Economic Science, 1931, Ch VI

2 Findlay Shirras Science of Public Finance, 1936 p 227

कर अदा कर सकने की क्षमता क्या है ? (What is Taxable Capacity ?)—कर अदा कर न करने की क्षमता दो अर्थों में प्रयुक्त हो सकती है (1) निर-कुण (निरपेक्ष) (11) तुलनात्मक (मापेक्ष) । निरकुण कर अदा कर सकने की क्षमता की परिभाषा भिन्न तरीकों से की गई है । इसका अर्थ है कि एक विशेष समुदाय करो के रूप में कोई अगोभनीय प्रभाव डाले बिना कितना अदा कर सकता है । इसके विप-रीत तुलनात्मक अदा कर सकने की क्षमता का अर्थ है—भाड़े खर्च में अर्थात् केन्द्रीय खर्च के प्रानीय योगदान में दो समुदायों को अलग-अलग कितना देना चाहिए । डाल्टन का कहना है कि पहला एक कल्पना है, और दूसरा वास्तविकता । मापेक्ष नीमा पर निरकुण नीमा के बिना जाया जा सकता है अर्थात् हम उस नीमानक पहुच सकते हैं कि एक विशेष समुदाय को कितना अदा करना चाहिये । ऐसा हम उस नीमा तक पहुचे बिना कर सकते हैं कि जिसके आगे सम्भवत वह समुदाय अदा नहीं कर सकेगा ।

निरकुण कर अदा कर सकने की क्षमता के दो अलग-अलग दृष्टिकोण हैं—(क) बिना पीडा के अदा करने की क्षमता, (ख) पीडा की परवाह किये बिना अदा कर न करने की क्षमता । पहले अर्थ में अदा कर सकने की क्षमता वस्तुतः कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कर में कुछ पीडा निहित होती ही है । दूसरे अर्थ में अदा कर सकने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है । सिवा इसके कि जो समुदाय के नायवों के विचार से निश्चित की जाय ।

मर जोसिया स्टाम्प ने कर अदा कर सकने की क्षमता की परिभाषा इस प्रकार की है "कुल खर्च पर कुल उत्पादन का नीमान्त या जननख्या को एक जीवनोंसर्जन के स्तर पर रखने के लिए आवश्यक धन" इसका अर्थ यह है—"अधिक ने अधिक जो कि समुदाय अदा कर सके और इस अज्ञायगी में दुःखी और पददलित जीवन न रहे और न सगठन में बहुत अधिक गडबडी हो ।" फिन्टले गिराज ने निरकुण कर अदा कर न करने की परिभाषा इस प्रकार की है—"किमी असहनीय कष्ट का अनुभव किये बिना देय के नागरिकों द्वारा सार्वजनिक खर्च के लिए दिया गया अधिक से अधिक धन" । नक्षेप में, कर दे सकने की क्षमता दबाव की सीमा है । "वह राष्ट्र की कर दे सकने की क्षमता है, कर से वसूल किया गया और समुदाय की आर्थिक भलाई के लिए खर्च किया गया अधिक से अधिक धन ।"

इन परिभाषाओं में वैज्ञानिक औचित्य की कमी है और साथ ही वह अस्पष्ट भी हैं । स्टाम्प का "जीविकोसर्जन का धरातल" और "दुःखद पददलित जीवन" और गिराज का "असहनीय दुःख" और "अधिक ने अधिक आर्थिक कल्याण" की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं की जा सकती और न उनको ठोस शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है । किन्तु इनसे कर दे सकने की क्षमता के विचार की उपयोगिता तथा व्यावहारिक महत्त्व कम नहीं होता । ऊपर की परिभाषाओं में जो अर्थ है, वह बहुत ही स्पष्ट है । अद्यपि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कर दे सकने की क्षमता की नापने के लिए

कोई भी प्रयत्न निश्चित रूप से असफल होगा। कैनन का "नहीं कैसे" वास्तव में सही उत्तर है।

कर दे सकने की क्षमता की सीमा कब पार होती है ? (When is the Limit of Taxable Capacity Exceeded)—इस सम्बन्ध में भी दृष्टिकोणों में अन्तर है कि कर दे सकने की क्षमता के पार हो जाने की पहचान क्या है। स्टाम्प कर दे सकने की क्षमता के लिए दो सीमाओं का उल्लेख करते हैं : (अ) कुल उत्पादन पर अकुश व (ख) कुल आय पर अकुश। किन्तु अत्यधिक कर-निर्धारण के अतिरिक्त अकुश के और भी कारण हो सकते हैं। कर-निर्धारण ही एक ऐसी वस्तु नहीं जो उत्पादन पर प्रभाव डालती है। एलिंगर (Ellinger) समझते हैं कि "सीमाओं तक उस समय पहुँचा जायेगा जब कि करदाता की जेब से इतना लिया जाय कि उत्पादन के लिए किए गए प्रयत्नों में कमी हो जाय और जब कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक पूँजी की व्यवस्था करने के लिए तथा बड़ी हुई जनसंख्या में नये श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए अपर्याप्त शप रह जाता है।" वह उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय के लाभप्रद प्रभाव को स्पष्टतया ध्यान में नहीं रखते। तथ्य यह है कि कर दे सकने की क्षमता को जटिलता के साथ निर्धारित नहीं किया जाता। वह एक गतिशील विन्दु है। वह ऐसे बहुत से कारणों से सम्बन्धित है जिसमें होने वाला कोई भी परिवर्तन राष्ट्र की कर दे सकने की क्षमता के सम्बन्ध में किए गए हमारे अनुभवों को बदल देगा।

फिडले शिराज ने निम्न तत्व बताये हैं जो राष्ट्र की कर दे सकने की क्षमता को निश्चित करते हैं^१ —

(१) निवासियों की संख्या (The Number of Inhabitants)—यह विल्कुल स्पष्ट है कि जितनी ही अधिक जनसंख्या होगी उतना ही अधिक सरकारी खर्च में समुदाय द्वारा कर दे सकने की क्षमता होगी। इस दृष्टिकोण से भारत का स्थान अच्छा है। उसकी कर दे सकने की क्षमता उस समय निश्चित रूप से बढ़ेगी, जब कि देश का उचित आर्थिक विकास किया जायगा।

(२) देश में धन का वितरण (The Distribution of Wealth in the Country)—यदि धन को अधिक समानता के साथ वितरित किया जायगा तो उम्मी हिसाब से कर दे सकने की क्षमता भी कम होगी। किन्तु यदि कुछ हाथों में धन का अधिक जमाव है, तो सरकार अमीरों पर कर लगाकर अधिक धन एकत्र कर सकती है।

(३) करायान का तरीका (The Method of Taxation)—वैज्ञानिक ढंग में निर्मित कर-प्रणाली, जिनमें करो के विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों का बुद्धिमानी के साथ समन्वय किया गया हो, निश्चित रूप से अधिक प्राप्ति करेगी। हमारी कर-प्रणाली इतनी विभिन्नरूपी नहीं है। कृषि की लम्बी आय तथा उत्तरा-

धिकार पर हमारे यहाँ कर नहीं लगाये जाते । इसमें निश्चय ही कर दे सकने की क्षमता में कमी होती है ।

(४) करारोपण का उद्देश्य (The Purpose of Taxation)—यदि करारोपण का उद्देश्य लोगों की भलाई करने का है, तो अपने ऊपर कर लगाने के लिए वह अपेक्षाकृत अधिक इच्छुक होंगे । एक लोकप्रिय उद्देश्य के लिए लोग अपनी क्षमता को अधिकाधिक विस्तृत करने के लिए इच्छुक होंगे । यदि सरकार अकाल और बीमारी का सामना करने के लिए और शिक्षा-प्रसार के लिये धन वसूल करना चाहती है तो करों की प्राप्ति में आश्चर्यजनक विस्तार होगा । किन्तु यदि अधिकांश सार्वजनिक धन को विदेशी सशस्त्र सेनाओं के रखने और ऐसे खर्चों पर सरकारी कर्मचारियों पर, जिनमें विदेशियों की भरमार है, खर्च किया जाता है, जैसा कि भारत में था, तो कर देने की क्षमता बहुत अधिक कम हो जायगी ।

(५) करदाता की मनोवैज्ञानिक स्थिति (The Psychology of the Tax Payer)—सरकार के प्रति लोगों के रुख पर अधिक निर्भर करती है । लोकप्रिय सरकार लोगों के उत्साह को बढ़ा सकती है और उन्हें बड़े त्याग के लिए तैयार कर सकती है । इसी से युद्ध ऋण को सफरता मिलती है । लोगों का मनोविज्ञान एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है और जब तक उचित ढंग से उनके पास पहुँचा न जाय, वे अपने ऊपर कर लगाने के लिए तैयार नहीं हो सकते ।

(६) आय की स्थिरता (Stability of Income)—यदि नागरिकों की आय गभीर रूप से कम है तो अधिक कर-निर्धारण के लिये गुंजाइश नहीं रह सकती । अनिश्चित मानमूल भारत में कम कर दे सकने की क्षमता का कारण है । केवल स्थिर आय पर ही दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्थाएँ आधारित हो सकती हैं ।

(७) मूद्रास्फीति (Inflation)—इसमें लोगों की क्रय-शक्ति कम हो जाती है । कर देने की शक्ति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है ।

राष्ट्र को कर दे सकने की क्षमता की जानकारी के लिये हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिये । ऐसा भी हो सकता है कि कर दे सकने की क्षमता पर प्रभाव डालने वाले अनेकानेक कारणों के फलस्वरूप हम इस क्षमता की माप न कर सकें । महत्त्व मात्रा में निहित है, न कि लक्ष्य में । गिराज के शब्दों में “किमी महत्त्वपूर्ण केंद्र को जानने वाली सड़क पर बहूवा चौराहे होने हैं जो दिशा मकेन है, जो खतरा सूचक चिह्न (Danger Signal) होते हैं किन्तु इससे चतर्क यात्री के लिए यात्रा का मूल्य कम नहीं होता” ।^१

११. एकल कर प्रथा का स्वप्न (Dream of a Single Tax)—इन की सादगी में आकर्षित होकर बहुत से लेखकों ने केवल एक कर लगाने का समर्थन किया है । इसके पीछे एक लम्बा इतिहास है । माय ही इसका समर्थन में विभिन्न रूपों में किया गया है ।

क्वेसने (Quesnay) और टर्गट (Turgot) जैसे फिजियोक्रैट्स ने भूमि में एकल कर का समर्थन किया है। उनके अनुसार भूमि ही धन का एकमात्र साधन है। भूमि ही से अकेले विशुद्ध आय की प्राप्ति होती है। उन्होंने इस विशुद्ध प्राप्ति पर इकहरे कर की व्यवस्था की है।

मानफ्रासिस्को के हेनरी जार्ज ने भूमि के मूल्य में अनर्जित वृद्धि पर एकल कर का समर्थन किया है। वह समाजवादी ढाँचा की विचारधारा रखते थे और उनका कहना था कि भूमि पर कुछ लोगों का एकाधिकार जनता की गरीबी का कारण है। उन्होंने राज्य द्वारा करारोपण के माध्यम से समूचे लगान पर अधिकार करने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद किसी भी कर की आवश्यकता नहीं होगी।

उनके सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया और उनके प्रस्तावों के विरुद्ध निम्न आवारों पर आपत्ति उठाई गई है—

(क) कहा जाता है कि कर से प्राप्त आय आवृत्तिक सरकार के लम्बे खर्च को सहन करने के लिए काफी नहीं होगी।

(ख) उमसे एक ढग की आय के व्यक्तियों को दब सहना पड़ेगा और दूसरे लोग विल्कुल अछने वच जायेंगे। यह न केवल अनुचित है, वरन् उससे कर देने से वच रहने का मार्ग खुलेगा, क्योंकि जमींदार उसके वजाय दूसरे ढग की जायदाद प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और उससे कर के बोझ का उचित वितरण नहीं होगा।

(ग) यह हिसाब लगाना आसान नहीं है कि ठीक-ठीक कितना अनर्जित किया गया है और व्यक्तिगत प्रयत्न अथवा भूमिस्वामी के सुधारों के फलस्वरूप कितनी वृद्धि हुई है।

(घ) जहा भूमि का मूल्य कम हो जाता है, वहा राज्य द्वारा मुआवजा देना पड़ेगा। अनावश्यक रूप से सरकार भूमि मूल्य के उतार-चढ़ाव में फस जायगी।

(ङ) बहुत-नी प्रगासन-सम्बन्धी कठिनाइया होगी।

समाजवादी आय पर एकल कर का समर्थन करते हैं। प्रत्येक आय पर कर लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे भूमि पर एकल कर के समक्ष उपस्थित दो प्रमुख कठिनाइया आमानी के साथ हल की जा सकती है। सभी आयों और ऊँची आयों पर कर लगाने से उचित कोष तैयार किया जा सकता है। वर्गीकरण और अन्तरीकरण (graduation and differentiation) के द्वारा भी कर का बोझ उचित ढग से वितरित किया जा सकता है। किन्तु यह भी प्रस्ताव आपत्तियों से मुक्त नहीं है—

(क) यह कष्टप्रद होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कर देने की अमुविधा उठानी पड़ेगी।

(ख) अनेकानेक छोटी-छोटी आयों से कर वसूल करने का खर्च लगभग निषेधात्मक होगा। फिर भी शासन-सम्बन्धी सुधारों से इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

(ग) जब केवल एक ही कर होगा तो कर से वच रहना अपेक्षाकृत एक गम्भीर मामला होगा। मिथिलताओं को ठीक करने के प्रयत्न से कर-प्रणाली और भी दुरूह हो जायगी।

(घ) प्रशासन-सम्बन्धी कठिनाइयाँ होंगी।

(ङ) धन के उत्तराधिकारी बचे रहेंगे, यदि केवल आय पर कर लगाया जायगा। इस पर केवल इसी प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है कि उत्तराधिकार को कर लगाई जाने वाली आय समझा जाय।

(च) इससे वचत पर रोक रहेगी और इसलिए पूँजी जमा होगी और फिर इस से व्यापार और उद्योग के विकास में बाधा पहुँचेगी। इस आगति को वचत पर छूट देकर दूर किया जा सकता है। किन्तु इसका अर्थ व्यक्तिगत आय पर कर लगाना न होगा वरन् व्यक्तिगत खर्च पर कर लगाना होगा। इससे प्रशासकीय कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी और बहुत सी शिथिलताएँ रह जायगी।

आय पर एक कर व्यावहारिक भी नहीं है। इन्हें कर की दूसरी किस्म संपत्ति की पूँजीगत कीमत पर कर लगाना है। किन्तु हम पहले ही कह चुके हैं कि आय पर कर-निर्धारण जायदाद की अपेक्षा मनुष्य की अदा कर सकने की क्षमता का अधिक अच्छा संकेत है।

एकल कर के विशेष रूपों के विरुद्ध अपत्तियों के अलावा एकल कर के सभी रूपों के लिए सामान्य ढंग की दो दलीले दी जा सकती हैं—

(क) इससे व्यक्तियों के बीच असमानता पैदा होगी और इन्हें केवल बहुरूपी कर-प्रणाली द्वारा ही सुधारा जा सकता है।

(ख) एकल कर में कर देने से बचे रहना आसान है जबकि गुणक (multiple) प्रणाली में रुकावटें हैं।

एकल कर सिद्धान्तवादियों का स्वप्न है। व्यावहारिक राजनीतिज्ञों में उसके बहुत कम समर्थक हैं। इस वाद-विवाद का केवल सिद्धान्तिक महत्त्व है, क्योंकि एकल कर व्यावहारिक वित्त से परे की चीज है। प्रत्येक देश ने कर-निर्धारण की मिश्रित अथवा गुणक कर प्रणाली अपनायी है।

१२ स्थानीय कर (Local Taxation)^१—चूँकि स्थानीय अधिकारी ही नागरिक के घनिष्ठ सम्पर्क में आते हैं, इसलिये स्थानीय कर-व्यवस्था का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है।

स्थानीय वित्त की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या केन्द्रीय और स्थानीय वित्त सम्बन्धों का समन्वय है। यह एक टेडी समस्या है। प्रजातन्त्रवाद और कार्य-क्षमता कुछ अंश तक एक दूसरे के विरोधी हैं। प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए स्थानीय बोर्ड या कमिटी को बहुत अधिकार या छूट देनी पड़ती है। लेकिन स्थानीय बोर्डें नुस्खार रूप से उच्च कोटि की सेवाएँ नहीं कर सकती। फलस्वरूप कार्य-क्षमता गिरेगी। लेकिन यदि कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सेवाओं को अपने हाथों में लेती है तो स्थानीय बोर्डों की स्वतन्त्रता और अधिकार छिन जायेंगे। स्थानीय नुप्रबन्ध के लिये उस स्थान की जानकारी आवश्यक है। लेकिन स्थानीय सम्पत्ति और स्थानीय,

1 See Hicks, U K —Public Finance, 1948 Ch XV

आवश्यकताओं के बीच बहुत कम अन्तर होता है। अधिकतर स्थानीय सम्पत्ति आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत कम होती है। जितना ही कोई स्थान निर्धन होता है, उतनी ही अधिक बहा की आवश्यकताएँ होती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए स्थानीय करो और केन्द्रीय अनुदानों की उचित व्यवस्था आवश्यक है।

जिस प्रकार केन्द्रीय कर-सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त हैं उसी प्रकार स्थानीय करो के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्तों की स्थापना की जा सकती है। एक अच्छी स्थानीय कर-प्रणाली के लिये क्या-क्या बातें आवश्यक हैं? अन्य करो की तरह, स्थानीय करो को भी समानता, निश्चितता, वचन तथा सुविधा के सिद्धान्तों को पूरा करना चाहिए। इनके अलावा अच्छे स्थानीय करो की कुछ और भी विशेषताएँ हैं क्योंकि स्थानीय वित्त-अवस्था केन्द्रीय वित्त-व्यवस्था से कई आधारभूत बातों में भिन्न है।

(१) अच्छे स्थानीय करो की एक मुख्य विशेषता यह है कि उनसे प्राप्त आय स्थायी होनी चाहिए। व्यापार के उतार-चढ़ाव का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। स्थानीय सरकार के लिये यह बात अपेक्षाकृत बहुत आवश्यक है। स्थानीय सरकार की ऋण लेने की शक्ति सीमित होती है जबकि केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में वस्तुतः कोई सीमा नहीं होती। अस्तु, यह आवश्यक है कि स्थानीय सरकार की आय जहाँ तक हो सके स्थायी हो और व्यापार आदि की दशा पर निर्भर न हो। अन्यथा मन्दी के दिनों में स्थानीय सेवाओं का काम बन्द हो जायगा। सन् १९३० में अमरीका के साथ ऐसा ही हुआ।

(२) आधार का केन्द्रीकरण कर-प्रणाली का दूसरा चिन्ह है। जब तक कि कर का आधार कुछ सीमाओं के भीतर केन्द्रित न होगा, बजट पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण सम्भव न होगा। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। छोटे क्षेत्रों में वित्त-सम्बन्धी अवसर तो कम होने हैं लेकिन बाहर जाने के अवसर अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। बम्बई में ऊँचे स्थानीय करो के कारण मूनी मिल उद्योग वहाँ से हटकर हैदराबाद, अहमदाबाद आदि की ओर चला गया। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जहाँ तक सम्भव हो, स्थानीय अर्थ-व्यवस्था में तीव्र प्रगतिशील करो को दूर रखना चाहिए। स्थानीय करो को आनुपातिक और धोडा-सा घटता हुआ होना चाहिए।

(३) "स्थानीय उपयोग के लिए स्थानीय कर" एक तीसरी विशेषता है। राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच कर लगाने के अधिकारों का उचित बँटवारा होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर दुवारा व तिवारा कर लगने का डर रहेगा जिससे वित्त-रण-अंत्र में बड़ी असुविधा होगी। साथ ही केन्द्रीय सरकार को अपनी कर-व्यवस्था को क्रमवर्धमान बनाने में अडचन होगी।

इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भूमि और मकान पर कर स्थानीय उद्देश्यों के लिए अति उत्तम प्रतीत होते हैं। इन करो से आय स्थायी होनी है और इनका आधार निश्चित रूप में केन्द्रित होता है। स्थायी होने का कारण यह है कि अन्य माल की तुलना में इनके चलन का वेग धीमा होता है और फलस्वरूप इनके मूल्य में कम उतार-चढ़ाव होता है। भूमि कर में एक और अच्छाई है। प्रत्येक नागरिक के आर्थिक

जीवन में उनका इतना महत्त्व होता है कि कर के थोड़े-से भार से भी काफी आय हो सकती है। "इस प्रकार अधीनस्थ सरकार इस तरह से स्वनत्र रूप में काफी राजस्व प्राप्त कर सकती है, और उन्हें अपनी मदों को अधिकतम करने की जरूरत भी नहीं है।" केन्द्रीय सरकार द्वारा इन करों पर अधिकार प्राप्त करने का भी डर नहीं रहता। सामान्य रूप से केन्द्रीय सरकार की दशा ठीक रहती है किन्तु आपातकाल में इन मदों से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं कर सकती, चूंकि ये पूर्णतया स्थायी होते हैं।

फिर भी भूमि आदि पर कर लगाने में एक कमजोरी नजर आती है। मूल्यांकन के लिए स्थानीय सरकार विशेषज्ञों को नियुक्त नहीं कर सकती। एक दूसरी मुसीबत छूट के गुणन में आती है। फल यह होता है कि जिनको छूट नहीं मिल पानी, उन्हें कर का अधिक भार महन करना पड़ता है। सिद्धांततः भूमि-कर के खिलाफ यह बात कही जाती है कि स्थानीय सरकार की दृष्टि से यह लोच-रहित है और कर-दाता की दृष्टि से प्रतिगामी। लेकिन यह हम पहले ही कह चुके हैं कि स्थिरता और प्रतिगामिता स्थानीय कर-प्रणाली के गुण हैं, दोष नहीं।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि स्थानीय सरकार के लिए निम्न प्रकार के कर अति उत्तम हैं—मनोरजन कर, सवारी कर, मोटर कर, चुर्गी, व्यवसाय-कर, साइकिल कर, पशु-कर आदि।

कर का भार

(INCIDENCE OF TAXATION)

१ कर का भार और उसका महत्त्व (Incidence and its Importance)—वास्तव में कर कौन देता है ?—यही कर के भार की समस्या है। कर सदैव उन्हीं व्यक्तियों पर नहीं पड़ता जो उसको प्रारम्भ में देते हैं। कभी-कभी वह अन्य व्यक्तियों पर टाला जा सकता है। उसके भार का अभिप्राय कर के अन्तिम स्थान पर स्थिर होने से है। वह भार उस मनुष्य के कंधे पर पड़ता है, जो अन्त में उस कर का द्रव्य-भार सहन करता है।

हम दबाव (impact) और भार (incidence) में भेद कर सकते हैं। कर का दबाव उस व्यक्ति पर होता है जो प्रारम्भ में उसे देता है। और भार उस व्यक्ति पर होता है जो अन्त में उसे सहन करता है। यदि चीनी पर उत्पादन-कर लगा दिया जाता है, तो प्रारम्भ में उसका भुगतान चीनी का व्यवसायी करता है, तथा उसका दबाव उसी पर ही पड़ता है। परन्तु वह कर चीनी की विश्वी के समय मूल्य में जोड़ दिया जायगा जो कि तबादलो द्वारा अन्त में चीनी के उपभोक्ता पर पड़ेगा। अतएव, उसका भार अन्त में उपभोक्ता पर पड़ता है।

कर का भार, विवर्तक नहीं होता (Incidence is not Shifting)—कर विवर्तन का अर्थ है हस्तांतरण की विधि अर्थात् एक कर का उस व्यक्ति से, जो सबसे पहले भुगतान करता है, आगे उस व्यक्ति तक बढ़ना, जो अन्त में सहता है। यह कर विवर्तन या चलन की विधि के द्वारा ही है कि कर का भार अन्त में कहीं न कहीं पड़ ही जाता है। कर विवर्तन की क्रिया घीमी हो सकती है अथवा कुछ ही अंश तक प्रभावक हो सकती है, जिसके कारण एक कर का बोझ उस व्यक्ति पर नहीं भी पड़ सकता, जिस पर कि पड़ना चाहिए था। कर विवर्तन को प्रतिघात (repercussion) भी कहते हैं।

कर-विवर्तन अपवचन से रूढ़्या पृथक् है (Shifting is Quite Different from Evasion)—अपवचन का अर्थ कर देने से मुह चुराना है। मैं कर लगी हुई वस्तु का उपभोग छोड़ सकता हूँ और इस प्रकार कर को टाल सकता हूँ। ऐसा अपवचन बिल्कुल कानूनी है। अपवचन में किसी दूसरे पर कर विवर्तन का कोई प्रश्न नहीं उठता, कर तो बिल्कुल दिया ही नहीं जाता।

कर के 'भार' और प्रभाव या परिणाम में भेद करना चाहिये। कर के प्रभाव से उसके आनुपंगिक परिणाम प्रतीत होते हैं। एक कर के लगाने से ऐसे बहुत से परिणाम होते हैं जो कि कर-भार की समस्या से सर्वथा पृथक् होते हैं। जैसा कि हम देख चुके

है, यदि चीनी पर उत्पादन-कर लगाया जाना है तो वह अन्त में चीनी के उद्योगों पर विवर्तन किया जा सकता है। उपभोक्ता पर उसका भार पड़ता है परन्तु ऐसे उत्पादन-कर के प्रभाव गहरे भी हो सकते हैं, भारी उत्पादन-कर किसी उद्योग को कुचल सकता है। उस व्यवसायी का लाभ कम हो सकता है। मजदूरी घट सकती है। श्रमिकों तथा पूजोपतियों को उद्योग छोड़ना पड़ सकता है। हजारों विचौलियों की, जो कि चीनी के वितरण में लगे हुए हैं, आय घट सकती है। उनके पारिवारिक आय-व्ययों (वजदों) में उथल-पुथल होने के कारण कुछ अन्य वस्तुओं की माग पर भी प्रभाव पड़ सकता है। चीनी का उपभोग कम हो सकता है और उसको स्थानापन्न वस्तुओं का बढ़ सकता है। यह सब कर के ही प्रभाव हैं। यह एक बड़ी विस्तृत समस्या है, जो कि कर भार की समस्या से पृथक् है। कर के भार में एक सीमित तथा त्रिगुण समस्या का अध्ययन करते हैं, जिससे कि हम इस बात की खोज करते हैं कि किस पर मुद्रा-भार पड़ता है।

हम कर के द्रव्य-दबाव तथा वास्तविक दबाव में भेद कर सकते हैं। कर का मुद्रा-दबाव, कोष में जो कुल द्रव्य आता है उसके बराबर होता है। यदि एक उपभोक्ता को ५ रुपये प्रति मास चीनी पर इसलिये व्यय करना पड़े, क्योंकि चीनी का कर लगा हो, तो उसको मुद्रा-दबाव सहना ही होगा। परन्तु वह चीनी के उपभोग को कम कर सकता है जिसमें उसके आर्थिक क्षेम में कमी हो जायेगी। उसको अन्य वस्तुओं के उपभोग को कम करना होगा। यह प्रेरणा, अमुविवा, त्याग अथवा संक्षेप में आर्थिक कल्याण की क्षीणता है जो कि एक कर का वास्तविक दबाव कहा जा सकता है। कर के भार में हम मुद्रा-दबाव को ही देखते हैं, न कि वास्तविक दबाव को।

कर के भार का अध्ययन बड़ा जरूरी है। कर-प्रणाली का ध्येय केवल एक निश्चिन् राजस्व प्राप्त करने का ही नहीं है, परन्तु जनता की उन श्रेणियों पर कर लगाने का है जो कर को आसानी से सह सकती हैं। संक्षेप में, ध्येय यह है कि कर-भार का एक उचित वितरण हो। यह स्पष्ट है कि ऐसा करना असम्भव है जब कि प्रत्येक कर के भार की, जो कि सरकार लगाये, पूरी तौर से खोज न कर ली जाय। यह जानने के लिये कि किसी व्यक्त से एक कर देने के लिये कहना उचित है या नहीं अथवा उस पर उत्तम दबाव कर-दाता की योग्यता के अनुकूल है या नहीं, हम को यह जानना आवश्यक है कि अन्त में कर किमको देना पड़ेगा। यदि हमें एक कर-प्रणाली को एडम स्मिथ की प्रयत्न रीति अर्थात् समानता रीति के अनुसार बनाना है, तो हमको प्रत्येक कर की प्रतिक्रियाओं और प्रतिवार्तों का सावधानी से अध्ययन करना और उनके अन्तिम विधायन का स्थान पता चलाना आवश्यक हो जाता है।

कुछ कर ऐसे भी हैं जिनको हम प्रत्यक्ष कर कह सकते हैं और जिनको उन्हीं व्यक्तियों को भुगतान करना पड़ता है जो उनको सब से पहले देते हैं। इनमें मूल्य का भार स्पष्ट है। परन्तु एक देश की कर-प्रणाली केवल प्रत्यक्ष करों से ही नहीं बननी। उसमें परोक्ष कर भी होते हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं जटिल होती हैं। ऐसे करों को विवर्तक बनाने के अभिप्राय से लगाया जाता है। परन्तु वास्तविक व्यवहार में आर्थिक

मर्घ्य होने के कारण करों का विवरण ही सच्चा है, बिल्कुल न हो अथवा अपूर्ण रूप से हो, अथवा उन व्यक्तियों पर हो, जिन पर बोझ डालने की इच्छा ही नहीं थी।

यदि मार्वाजनिक वित्त को सामाजिक न्याय का एक दन्त या साधन बनाना है तो कर के भार की समस्या का नहत्वि एकाएक बहुत बड़ा जाता है। धनी पुरुषों पर कर लगाना ही है और उनकी आय में दखि पुरुषों का उपकार करना ही होगा। यदि आप धनी पुरुषों पर कर लगाना चाहते हैं तो उनका भार उन्ही पुरुषों पर पडना चाहिये वरना हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अतएव, हमको चाहिए कि हम प्रत्येक कर का अनुकरण करें और यह निश्चय करें कि उस कर को विश्राम करने के लिए एक धनी पुरुष का स्थान मिले।

२ प्रत्यक्ष और परोक्ष कर (Direct and Indirect Taxes)—हम पहले यह बता चुके हैं कि कर के भार की समस्या, जहां तक कि एक प्रत्यक्ष कर का सम्बन्ध है, बहुत नीची है, क्योंकि एक ही व्यक्ति पर कराघात और कर-भार पडते हैं परन्तु एक परोक्ष कर का एक व्यक्ति पर दो दवाव पडता है और दूसरे पर भार। एक प्रत्यक्ष कर को विवर्तक बनाने की इच्छा में नहीं लगाया जाता, जबकि एक परोक्ष कर को इसी इच्छा से लगाया जाता है। वास्तव में कर के भार को समस्या, परोक्ष कर के सम्बन्ध में ही खड़ी होती है। इनमें पहले कि हम एक कर के भार की खोज करें, हमको चाहिये कि प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में अविक स्पष्ट रूप से भेद करें और उनके सापेक्ष गुण-अवगुण का अव्ययन करें।

वस्तुओं पर कर, साधारण परोक्ष कर कहलाते हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूप से अथवा अपूर्ण रूप से उपभोक्ताओं पर टाल दिये जाते हैं, यद्यपि वे विक्रेता या उत्पादकों से पहले वन्द किये जाते हैं। परन्तु हमको यह याद रखना चाहिए कि केवल एक वस्तु पर कर का लगाना ही उनको परोक्ष कर नहीं बना देता। कर को परोक्ष कहने से पूर्व हमको यह निश्चित करना चाहिए कि उसका दवाव विवर्तक हो। यह भी बहुत सम्भव है कि किसी वस्तु पर कर लगाया जाय, तो भी उनकी कीमत पर कोई प्रभाव न पडे। इन अवस्था में उपभोक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पडता और कर प्रत्यक्ष होता न कि परोक्ष।

किन्ती एकाधिकारी पर, जो एकमुस्त अथवा एकाधिकार शुद्ध राजस्व, प्रतिगत कर लगाया जाता है, विवर्तक नहीं होता। इनके विपरीत, एकाधिकार पर ऐसा कर जो पैदावार के उत्पादन में हो, विवर्तक ही होता है। पहली अवस्था में वह एक प्रत्यक्ष कर होता जब कि दूसरी अवस्था में वह परोक्ष कर होता। उत्तराधिकार कर साधारणतः एक प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। यह उत्तराधिकारी पर पडता है और वही रक जाना है। परन्तु पूर्वाधिकारी ने जब कि वह जीवित था, कोई जीवित-वीमा करा लिया हो तबने कि उनके कर की राशि का आवरण हो जाता हो। ऐसी अवस्था में वह उन पर परोक्ष-रूप दवाव डालता। आय-कर भी एक प्रत्यक्ष कर है परन्तु कुछ विशेष अवस्थाओं में उनका कोई अन्त विवर्तक ही सकता है। उस नीति तक यह परोक्ष

प्रत्यक्ष और परोक्ष करो के बीच नहीं खींच सकते। इन दो प्रकार की अवस्थाओं में केवल इतना ही भेद कर सकते हैं कि एक कर विवर्तक हो सकता है अथवा नहीं। यदि कोई कर विवर्तक है तो वह परोक्ष है अन्यथा प्रत्यक्ष।

३ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर के सापेक्ष गुण और अवगुण (Relative Merits and Demerits of Direct and Indirect Taxes)—हम इन दो प्रकार के करो की इसलिए तुलना नहीं करते कि हम यह निश्चय करना चाहते हैं कि इनमें से एक रखें अथवा दूसरा। कोई भी देश केवल एक प्रकार के कर पर निर्भर नहीं रह सकता। दोनों प्रत्यक्ष और परोक्ष करो की एक सामान्य तथा पर्याप्त पद्धति बनाने के लिए आवश्यकता होती है। ग्रेट स्काटमैन के कथनानुसार, मैं “प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो के सम्बन्ध में और कुछ सोच नहीं सकता सिवा इसके कि मैं उनको दो आकर्षक बहनो के सदृश मानूँ जो कि लन्दन के सुन्दर वातावरण में आई हैं। दोनों ही भाग्यशालिनी हैं, दोनों के एक ही माँ-बाप हैं—मेरा विश्वास है कि दोनों के माता-पिता ‘आवश्यकता’ और ‘आविष्कार’ हैं—उनमें अन्तर केवल इतना ही हो सकता है कि जितना दो बहनों में है।”¹ कुछ भी सही, किसी सूरत में प्रत्यक्ष कर अधिक उत्तम है और किसी में परोक्ष कर।

हम प्रत्यक्ष करो के पक्ष में यह कह सकते हैं : (In favour of direct taxes we can say)—(क) वे अधिक निष्पक्ष हैं, क्योंकि उनमें क्रमवर्धमान सिद्धांत लागू होता है। कर की दर को बदला जा सकता है ताकि कर देने की योग्यता के अनुसार हो।

(ख) वे मितव्ययी होते हैं, क्योंकि उनके संग्रह पर बहुत थोड़ा व्यय होता है और क्योंकि कर-दाता और राज्य के बीच में कोई मध्य-जन नहीं होते, इसलिए मार्ग में कर का कोई अश लोप नहीं हो जाता।

(ग) उनकी प्राप्ति की गणना बहुत कुछ पूर्ण रूप से की जा सकती है। कर-दाता को भी अपनी निश्चित राशि का जो उसको देनी है, ज्ञान होता है।

(घ) उनमें अत्यधिक मात्रा में लोच होती है। आय-कर ने युद्ध में राज्य की अत्यधिक बड़ी हुई आवश्यकताओं की काफी पूर्ति की।

(ङ) वे कर-दाताओं में एक नागरिक कर्तव्य का भाव उत्पन्न करते हैं। एक मनुष्य जो कि प्रत्यक्ष कर देता है, या वह अनुभव करता है कि वह राज्य के व्यय के प्रति रुपये दे रहा है तो उससे यह आशा की जाती है कि वह नागरिक मामलों में अधिक तीव्र अभिरुचि रखेगा।

इसके विपरीत प्रत्यक्ष करो में कुछ अवगुण भी होते हैं (On the other hand, direct taxes have some drawbacks too)—(क) उनके भुगतान करने में बहुत असुविधा होती है। प्रत्येक कर-दाता को उनको देते समय कष्ट होता है। इसलिए वे लोकप्रिय नहीं हैं। कर को एक इकट्ठी राशि में देना पड़ता है,

विक्रय वही का अनुवर्तन एक जटिल काम है और बहुत क्लेश सहना पड़ता है।

(ख) उनको आसानी से टाला जा सकता है और राज्य की यथोचित आय में घोखे में बमी हो जाती है। एक तरह से प्रत्यक्ष कर ईमानदारी पर लगाये गये कर के समान होता है।

परोक्ष कर के गुण निम्नलिखित हैं (The Merits of Indirect Taxation are as under).—

(क) ये सुविवाजनक हैं। हम जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो कर देते हैं और वह उस समय जब वह सुविधा से दिया जा सकता है। वह थोड़ा-थोड़ा करके दिया जाता है, न कि एवमुश्न। 'बहुत-से व्यक्ति कर के मामले में अयकार में रहना पसन्द करते हैं।' करदाता यह अनुभव नहीं करता कि वह कर दे रहा है। कर तो उस वस्तु के मूल्य में मिश्रित रहता है जिसको वह खरीदता है।

(ख) परोक्ष कर को टालना अत्यन्त दुष्कर है।

(ग) यदि उन वस्तुओं पर कर लगाया जाय जो कि प्रायः धनी पुरुष ही उपभोग करते हैं, तो परोक्ष करों को भी अधिक समान बनाया जा सकता है। विलास-सामग्री पर साधारणतः कर अधिक दर से लगाया जाता है।

(घ) जबकि परोक्ष कर जीवन की अनिवार्यताओं पर लगाया जाता है अथवा उन वस्तुओं पर जिनकी माग लोचपूर्ण हो, तो वह कर बहुत अश तक लोचपूर्ण हो जाता है।

(ङ) उनका एक लाभदायक सामाजिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसे करों द्वारा हानिकारक पदार्थों तथा मादक वस्तुओं के उपयोग को कम किया जा सकता है।

परोक्ष करों में निम्नलिखित अवगुण होते हैं (The demerits of indirect taxes are as follows).—

(क) वे अनिश्चित होते हैं। किसी कर के, जो कि एक वस्तु पर लगाया गया हो, अनेक प्रभावों के सम्बन्ध में पूर्व धारणा करना सर्वथा सम्भव नहीं है। वित्त-मन्त्री ठीक-ठीक यह अनुमान नहीं कर सकता कि एक कर से कितनी आय प्राप्त हो सकेगी।

(ख) वे प्रतिगामी होते हैं। एक कर लगाई हुई वस्तु का प्रत्येक उपभोक्ता, चाहे वह धनवान हो अथवा गरीब, एक ही दर से कर देता है। अतएव, वास्तविक भार गरीब पर धनवान की अपेक्षा अधिक पड़ेगा। यदि कर जीवन की अनिवार्यताओं पर लगाया जाय, तो इनके प्रतिगामी स्वभाव पर दवाव पड़ जाता है। एन्जिल के 'उपभोक्ता के नियम' के अनुसार एक गरीब आदमी की अधिकतर आय जीवन की अनिवार्यताओं पर व्यय होती है। अतएव गरीब प्रायः अपनी कुल आय पर कर देता है। जबकि धनिक अपनी उम आय के थोड़े-थोड़े अंश पर कर देता है, जिसको वह जीवन की अनिवार्यताओं पर व्यय करता है।

(ग) वे कर दाता में किसी नागरिक चेतना का विकास नहीं करते।

(घ) यद्यपि ईमानदार को अवैतनिक वर इकट्ठा करने वाला समझा जाता है, तो भी यह चिन्ता विद्या जाता है कि कुछ निश्चित परोक्ष करों को वमूल करने में राज्य अत्यधिक लग जाती है। नौमा शुल्क के वमूल करने के लिये एक उच्च आगम

कर्मचारी वर्ग को, चोरी से भीतर से माल लाने को रोकने के लिए छापा मारने वाले समूह का अभियोजन करना पड़ता है। ये कर एक दूसरी दृष्टि से भी अलाभकर हैं। कर-आरोपित वस्तु अनेक मध्य-जनो के बीच से निकलती है और हर एक उस पर कुछ कर जोड़ देता है। इस प्रकार अन्तिम ग्राहक को, राज्य को जो कुछ मिलता है, उससे कहीं अधिक भुगतान करता है।

प्रत्यक्ष और परोक्ष कर का अन्तर व्यावहारिक रूप से अधिक महत्त्व का नहीं है। हम यह नहीं मान सकते कि प्रत्यक्ष कर का सारा बोझ धनी लोगों पर और परोक्ष कर का गरीबों पर पड़ता है। परोक्ष कर, जैसे विलासिता की वस्तुओं के कर, धनिकों पर पड़ते हैं, न कि गरीबों पर। फिर भी, यह साधारणतया सच है कि प्रत्येक कर जैसे कि उत्तराधिकार कर, आय-कर और सुपर टैक्स केवल धनिकों पर ही पड़ते हैं। एक उत्तम कर-प्रणाली के अनुसार प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में एक उचित अनुपात होना चाहिए। वे एक दूसरे को ठीक करते हैं। परोक्ष करारोपण धनियों पर पड़ने वाले दवाव को कम करता है और कर-प्रणाली को विस्तृत आधारयुक्त बनाता है।

४ कर का सम्मिश्रण सिद्धान्त (Diffusion Theory of Taxation)—कर के सम्मिश्रण के सिद्धान्त को मानने वाले यह कहते हैं कि कर समुदाय में अपने आप विस्तारपूर्वक मिल जाता है, जिससे कि हर एक कर-दाता कर के बोझ का केवल एक छोटा अनुपात ही अपने ऊपर लेता है। वह एक ऐसा अनुपात है जिसे वह सह सकता है और सहना भी चाहिए। वास्तविकता यह है कि कर का बोझ अपने आप समाज के विभिन्न वर्गों के ऊपर बराबर से फैल जाता है। इसलिए कर के भार के विषय में चिन्तित होना बेकार है तथा इस जटिल विनिमय के सार में कर-विवर्तन की, जो कि अन्तिम भार के प्रश्न को हल करता है, देखभाल करते रहना असम्भव है। दूसरे शब्दों में कर-प्राधिकारी यह विश्वास करके, कि कर-नीति विलकुल ठीक है, शान्ति से रह सकता है। और यदि एक कर में पहले से अन्याय का कोई अंग आ गया है, तो उसका समयोजन अवश्य ही हो जायगा और अन्याय या तो हटा दिया जायगा या उसका विलकुल अनुभव न होगा। अठारहवीं शताब्दी के अन्त के लगभग लार्ड मैस फील्ड ने कहा था, "मैं यह सच मानता हूँ कि किमी स्पान में लगाया हुआ कर किसी झील में गिरने हुए पत्थर के समान है कि जो उसमें वृत्त बनाना है, जिससे कि एक वृत्त दूसरे वृत्त की उत्पत्ति करता है तथा उसको आगे बढ़ाता है और केन्द्र से लगाकर समस्त परिवि में झूलचल मच जाती है।"⁹ इस प्रकार कर सारे समुदाय में मिल जाता है या फैल जाता है।

विनिमय की विधि के द्वारा प्रसार होता है। यदि किसी वस्तु पर कर लगा दिया गया है तो वह वस्तु की कीमत में छिपकर धीरे-धीरे उपभोक्ताओं पर आ जाता है। लाभ पर लगाया हुआ कर वस्तु की लागत में आ जायगा। कर उत्पादन-व्यय का एक भाग होता है या किसी सेवा-कार्य के व्यय का भाग और इस प्रकार यह एक व्यक्ति से

दूसरे व्यक्ति के पास वस्तु के साथ जाता है और शात हो जाता है जब कि उसे होना ही चाहिए। यह समुदाय के किसी विशेष भाग को हानि नहीं पहुँचाता। केनार्ड ने करारोपण की तुलना रक्त चूसने वाले यन्त्र की क्रिया से की है। उन्होंने कहा है “धमनी का रक्त निकालने के पश्चात् शरीर में रक्त-संचार के कारण, वह दूसरी धमनियों की अपेक्षा अधिक रक्तहीन नहीं रहती।”^१

यह इन्कार नहीं किया जा सकता कि करारोपण का कुछ प्रसार या सम्मिश्रण तो होता ही है, परन्तु यह कहना कि कर-प्रसार के कारण करारोपण का बोझ अपने आप कर-दाता की महानशक्ति के अनुसार समार्वर्तित हो जाता है, प्रमाणित करने का अत्यधिक प्रयत्न होगा। यदि यह इतना स्वयंगामी होता तो वित्त-मन्त्रियों को किसी कर के सम्भावित प्रभाव का पता लगाने और उसकी गहरी खोज करने की आवश्यकता न पड़ती। यदि कर किसी अज्ञात नियम के अनुसार प्रसारित हुआ करते, तो वे किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए करारोपण के मार्ग न ढूँढते। कोई भी यह गम्भीरतापूर्वक विश्वास नहीं करता कि कर समस्त समुदाय के ऊपर अपने आप न्यायोचित ढंग से फैले हुए हैं वरना जब भी कर लगाया जाता है, उस समय के कोलाहल की व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं। कर वास्तव में कुछ व्यक्तियों से चिपट जाते हैं। यह रक्त चूसने के यन्त्र की क्रिया की तरह नहीं है बल्कि किसी वृक्ष की डाल या शरीर के किसी अंग काटने की भाँति है।

कुछ ऐसे कर हैं जैसे पोल टैक्स, उत्तराधिकार-कर या आय-कर जिनमें कि विवर्तन विल्कुल नहीं होता, विस्तार भी विल्कुल नहीं होता। इस सिद्धान्त का प्रयोग केवल सीमित है। यह परोक्ष करो के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है और उनसे सम्बन्धित होते हुए भी समस्त समुदाय में थोड़ा भी प्रसार नहीं होता।

सम्मिश्रण या प्रसार-सिद्धान्त स्वतन्त्र और पूर्ण प्रतियोगिता को मान लेता है, जिनका अस्तित्व नहीं होता। आर्थिक सघर्ष अधिक मात्रा में रहता है जो कि कर के विवर्तन के मार्ग को रोकता है।

प्रसार सिद्धान्त रीति की दृष्टि से दोषपूर्ण है, वास्तविक अनुभव तथा विश्वास के प्रतिकूल है तथा यह केवल एक सीमित प्रयोग के ही अन्तर्गत है।

इसकी केवल यही विशेषता है कि यह इस बात पर जोर देता है कि कर जहाँ पहले लागू किये जाते हैं, वहाँ नहीं बने रहते। किन्तु समाज में उचित रूप से पूर्णतः कर के बोझ को वितरित करने के लिए हम ऐसे सिद्धान्त पर विश्वास नहीं कर सकते।

हम अब कुछ महत्त्वपूर्ण करो के भार पर विचार करेंगे।

५ वस्तु-कर (Commodity Tax)—किसी वस्तु पर कर विवर्तन की प्रवृत्ति उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, और फिर उपभोक्ता से उत्पादक की ओर विवर्तन करती रहती है। किसी वस्तु के उत्पादन पर कर की प्रवृत्ति उसकी कीमत को बढ़ाने की ओर रहती है और इसलिए उसको नावारंगन उपभोक्ता सहन करेगा। किन्तु उपभोग

पर कर लगाने से उपभोग पर रोक लगने की संभावना रहती है और उसकी प्रवृत्ति फिर पीछे उत्पादक तक के विवर्तन की ओर रहती है। किन्तु किस सीमा तक वास्तव में कर का विवर्तन किया जायगा, यह माग और उसकी पूर्ति वक्रों पर आधारित है। यदि माग लोचहीन है, जैसा कि जीवन की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में है, तो लोग उस वस्तु को अवश्य खरीदेंगे। उत्पादक की स्थिति दृढ़ रहेगी और कर के पूरे बोझ को उपभोक्ता पर विवर्तित किया जायगा। परन्तु यदि माग लोचदार हुई तो लोग कम खरीदेंगे। इस स्थिति में कर की पूरी रकम के अनुसार कीमत नहीं बढ़ेगी इसलिए कुछ अंश में विक्रेता व कुछ अंश में खरीदार कर का बोझ सहन करेंगे। ठीक-ठीक कितना? यह लोच की मात्रा पर निर्भर करेगा। इसी प्रकार यदि पूर्ति लोचहीन होती है, जैसा कि खराब हो जाने योग्य वस्तु के सम्बन्ध में होता है, विक्रेता पूर्ति को वापस नहीं ले सकता। उसकी स्थिति कमजोर होती है। कर उसी पर पड़ेगा और जमा रहेगा। यदि पूर्ति लोचदार हुई तो वह उपभोक्ता पर बोझ को विवर्तित कर सकता है। “वास्तव में जब पूर्ति से मांग अधिक लोचदार होती है, तो वह कर का छोटा अंश सहन करता है।”

यह संभव है कि कीमतों में विलकुल वृद्धि न हो। यह तब होता है जब कि उपभोक्ता उस वस्तु की ऐसी पूर्ति ढूँढ निकालता है, जिस पर कर नहीं लगा हो या उसने कोई दूसरी ऐसी वस्तु निकाली हो जो उसी की स्थानापन्न हो और जिस पर कर न लागू हो। ऐसी स्थिति के कर का पूरा बोझ उत्पादक तथा विक्रेता पर पड़ेगा।

पूर्ति की ओर से प्राप्ति के नियम अपने प्रभाव का प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु पर कर लगाने से उसकी माग पर रोक लगती है, जिसके बदले में उत्पादन भी रुक जायेगा। यदि किसी उद्योग पर बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है तो ऊँची लागत पर कम उत्पादन होगा, किन्तु यदि घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है तो कम लागत पर अधिक उत्पादन। इस स्थिति से पहले बताई गई स्थिति में कीमतें ऊँची होगी, फलतः उपभोक्ता पर बोझ आयेगा।

बहुत कुछ कर की रकम और प्रणाली पर भी निर्भर करता है। छोटे कर की कोई चिन्ता नहीं करता। थोड़ी-सी रकम के लिये कोई उत्पादक अपने ग्राहक को परेशान करना पसन्द नहीं करेगा। वह स्वयं प्रसन्नता के साथ उसे सहन कर लेगा। केवल जब यह भारी होगी तभी उसका विवर्तन होगा। सीमान्त पैदावार पर कर कीमत को बढ़ा देगा परन्तु आधिक्य पैदावार पर नहीं।

वस्तु की किस्म से भी अन्तर पड़ेगा। शक्कर जैसी वस्तु पर लगे कर का विवर्तन शीघ्रता से हो जायगा। किन्तु इतनी जल्दी एक मकान पर लगे कर का विवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि एक निश्चित अवधि के लिये किराया निश्चित होता है और जब तक पट्टा चालू है, उस अवधि में कुछ भी नहीं किया जा सकता।

वस्तु-कर के विवर्तन की क्रिया को जो प्रभावित करने हैं, वे यह हैं प्रतियोगिता पूर्ण है या नहीं, श्रम और पूँजी स्वतन्त्र रूप से गतिशील है या नहीं। केवल स्वतन्त्र और बंधनरहित प्रतियोगिता के द्वारा ही कर को उपभोक्ता तक पहुँचाया जा सकता है।

अन्यथा यह उत्पादक पर ही स्थिर रहेगा। यदि श्रम तथा पूँजी स्वतन्त्र रूप में गतिशील हैं, तो इससे उत्पादक की उपभोक्ता पर बोझ ढालने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, यदि किसी उद्योग में पूँजी बड़े परिमाण में एकत्रित और ताले में बन्द पड़ी है, तो उत्पादक की उतनी ही स्थिति कमजोर रहेगी। सम्भावना इस बात की रहेगी कि उसी को कर का बोझ सहन करना पड़ेगा। वह अपनी पूँजी को वापिस नहीं ले सकता। कुछ समय गवाते हुए भी उसे मैदान में रहना ही होगा।

इस प्रकार 'भार' बहुत जटिल प्रश्न है। यह कीमत की निर्धारण की बड़ी समस्या का एक भाग है। कीमत पर भिन्न-भिन्न प्रभाव होते हैं। हम कहते हैं कि वस्तु पर कर की प्रवृत्ति उपभोक्ता द्वारा सहन किये जाने की होती है। किन्तु इस प्रवृत्ति को वास्तविक रूप में अनुभव किया जा सकता है अथवा नहीं भी किया जा सकता। जब तक कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ता उपभोक्ता अछूता रहता है और उसका स्पर्श केवल उसी सीमा तक होता है जब करारोपण के साथ ही कीमत बढ़ा दी जाती है।

६ एकाधिकार पर कर (Tax on Monopoly)—हम यह बात चुके हैं कि भार का प्रश्न कीमत सम्बन्धी सिद्धान्त के बड़े प्रश्न का एक भाग है। जिस प्रकार एकाधिकार के अन्तर्गत कीमत निर्धारण प्रतियोगिता की स्थिति में होने वाले कीमत-निर्धारण से भिन्न होता है, उन्हीं प्रकार एकाधिकार पर कर का भार भी भिन्न रूप में कार्य करता है।

एकाधिकार कर (क) एकाधिकृत उत्पादित वस्तु की उपस्थिति से स्वतन्त्र हो सकता है (ग) तथा वह पैदावार से भिन्न रूप का हो सकता है अर्थात् पैदावार के साथ वृद्धि या नमी।

जब कर उत्पादित वस्तु के परिमाण से स्वतन्त्र होता है, तब यह एकाधिकारी पर एतन्मुक्त रकम, कर, या एकाधिकारी की विशुद्ध राजस्व (लाभ) का एक प्रतिशत हो सकती है। इन दोनों स्थितियों में यह एकाधिकारी पर पड़ेगा। वह इसका विवर्तन उपभोक्ता पर नहीं कर सकता। ऐसा कीमत बढ़ाकर किया जा सकता है। किन्तु ऐसा माना जाता है कि वह पहले ही कीमत निश्चित कर चुका है, जिससे उसको एकाधिकार की अधिकतम वृद्धि आय हुई है। इसमें ऊँचे या नीचे मूल्य (कीमत) का अर्थ होगा कम एकाधिकार का लाभ। यदि उसके लिए अपना लाभ अधिकतम करने की नीति के अनुसार कीमत बढ़ाना नभव होता है, तो उसने इसे पहले ही कर लिया होता है। इस प्रकार लाभ पर ही कीमत में कोई परिवर्तन होगा। ऐसा होने के कारण उनको अब अपने लाभ में नती कर का भुगतान करना होगा। विशुद्ध-कीमत को अनिश्चित रूप पर उपभोक्ता को बिना प्रभावित किए हुए वह कर का भुगतान करने के बाद अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा।

यह नभव है कि वह प्रजाय यह खोज करने के कि कर देने के बाद लाभ को कैसे अधिकतम किया जायगा वह कीमत बढ़ाकर उपभोक्ता पर कर का बोझ ढाल दे। ऐतिहासिक एकािकार को अब अपने लाभ में नती कर का भुगतान करना होगा।

यदि अधिकतम लाभ पाने की प्रेरणा वह उपभोक्ता के हित का ध्यान रखते हुए

कम लाभ लेता है तो जब कर लगेगा, वह धीरे से उसे प्राप्त कर लेगा और इस सीमा तक कर के बोझ को उपभोक्ताओं पर विवर्तित कर दिया जायगा।

आइये, हम अब यह अध्ययन करें कि जब कर प्रत्यक्ष रूप में या उल्टे रूप में उत्पादित वस्तु के परिमाण से भिन्न होता है, तब क्या होता है। ऐसी स्थिति में जैसा कि पहले विचार किया जा चुका है, माग और पूर्ति की लोच तथा उत्पादन के नियमों के प्रभाव पर विचार करना चाहिये। कर उत्पादन की लागत में शामिल हो जायगा। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक उत्पादित इकाई के व्यय में योग हो जायगा। वस्तु, वस्तुओं पर कर लगाने से कीमत बढ़ती है जो माग को कम कर देगी। यदि माग लोचदार नहीं है, तो इसे काफी घटाया नहीं जा सकता और कर उपभोक्ता पर अतरित कर दिया जायगा। यदि माग लोचदार है, तो उपभोक्ता कम खरीदेगा। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी अगत कर का भार सहन करेगा। माग की कमी का सामना करने के बदले यह कीमत घटा सकता है तथा स्वयं कर का भार सहन करने का निश्चय कर सकता है। यदि पूर्ति और अधिक लोचदार है तो उत्पादक की स्थिति मजबूत रहती है। इसी प्रकार यदि माग पूर्ति से अधिक लोचदार है तो उपभोक्ता पर कर का भार कम पड़ेगा और यदि पूर्ति माग से अधिक लोचदार है तो उत्पादक पर कर का कम भार पड़ेगा।

यदि वस्तु का उत्पादन बढ़ती हुई प्राप्ति के नियम को मानता है, तो कर लगाने के फलस्वरूप उत्पादन में होने वाली कमी घटती हुई प्राप्ति के नियम से भी अधिक कीमत बढ़ा देगी। पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में उपभोक्ता पर अधिक भार आयेगा। जब सीमान्त लागत स्थिर है तथा एकाधिकारी के सामने माग वक्र एक सीधी रेखा की तरह है, तो एकाधिकार कीमत के सिद्धान्त¹ के अनुसार कर लगाई गई वस्तु की कीमत कर की आधी मात्रा के बराबर बढ़ जायेगी; जबकि प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत कर की पूरी मात्रा के बराबर बढ़ जाती। यदि माँग वक्र नतोदर (Concave) है तो कीमत में वृद्धि इससे अधिक होगी। जहाँ माग वक्र इस प्रकार नतोदर है कि सीमान्त आय वक्र प्रासंगिक फैलाव पर माग वक्र के समानान्तर है तो कीमत कर की पूरी मात्रा के बराबर बढ़ जायेगी। तो भी यदि माग वक्र केवल नतोदर नहीं है परन्तु स्थिर लोच प्रकट करता है, तो सीमान्त लागत और कीमत के बीच अनुपात स्थिर रहेगा। सीमान्त आमदनी की कीमत से कम होने के कारण सीमान्त आमदनी वक्र की ढाल माग वक्र की ढाल से कम होगी, अतः कीमत कर से अधिक बढ़ जायेगी।²

यदि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कर की दर उत्पादन के विपरीत रूप में भिन्न होती है, तब एकाधिकारी को अधिक उत्पादन करने तथा कीमत को नीचा रखने को प्रलोभन मिलेगा। कर का भार पूर्णतः एकाधिकारी पर होगा जो वास्तव में अपने एकाधिकार-लाभ का एक अंश उपभोक्ताओं को देता रहेगा।

1 See Mrs J. Robinson—The Economics of Imperfect Competition.

2 Mrs U K Hicks—Public Finance, 1948, pp 173 74.

७ आयात तथा निर्यात पर कर (Taxes on Imports and Exports)—सामान्यतः तथा लगभग विशिष्टतः स्वदेश के उपभोक्ता को ही आयात करो को सहन करना पड़ता है। आयातकर्ता जो कर देता है, वह उस कीमत में जोड़ दिया जाता है जिसे वह दूसरे खरीदार से लेता है और यही क्रम चलता रहता है। अन्तिम रूप से कर उपभोक्ता तक ही पहुँचता है। ऐसे थोड़े से ही आयात होते हैं जिनमें करो का भार विदेशी उत्पादकों पर छोड़ा जा सकता है। यदि आयात वस्तु के लिए हमारी माँग लोचदार है ताकि हम उसे खरीदें या न खरीदें, और पूर्ण लोचदार नहीं है, और विदेशी उत्पादक के लिए कोई दूसरा बाजार नहीं है, तब ऐसी स्थिति में कर का भार विदेशी उत्पादक पर डाला जा सकता है। किन्तु ऐसी स्थितियाँ बहुत कम रहती हैं तथा स्वदेश के उपभोक्ता ही कर का भार सहन करना पड़ता है।

इसी प्रकार निर्यात कर माल भेजने वाले को देना पड़ता है। जहाँ तक उसका सम्बन्ध है, विश्व के बाजारों में कीमत निश्चित है। कोई भी व्यक्तिगत निर्यातक विश्व की कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। किन्तु हम यहाँ भी उम स्थिति की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें अपवादस्वरूप निर्यातक मजबूत स्थिति में है, ताकि कर विदेशी खरीदार पर डाला जा सके। उदाहरणार्थ, किसी वस्तु की पूर्ति के हम एकाधिकारी हो सकते हैं और हमारे उत्पादकों के लिए विदेशियों की माँग शून्य हो सकती है, क्योंकि अनेक दूसरे बाजार उनके लिये खुले हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम कर की पूरी रकम के अनुरूप वस्तु की कीमत बढ़ाकर निश्चित रूप में विदेशियों से निर्यात कर दिला सकते हैं। किन्तु ऐसी स्थिति मुश्किल से आती है। जब तक यह स्थिति उपस्थित न हो, निर्यातक को ही निर्यात कर देना पड़ता है। डाल्टन ने यह नियम स्थिर किया है—“आयात और निर्यात पर करो को विनिमय की बाधा माना जा सकता है और पिछले सिद्धान्त के अनुसार ऐसी किसी बाधा के मूद्रा-सम्बन्धी भार को विनिमय के दो पक्षों के बीच में अपनी क्रमिक माँगों की लोच के विपरीत अनुपात में विभाजित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में विभाजन उनकी क्रमिक आवश्यकताओं की तात्कालिकता के प्रत्यक्ष अनुपात में होता है जिनकी तुल्य विनिमय के द्वारा होती है।”^१

८ भूमि पर कर (Taxation of Land)—भूमि का मूल्य दो प्रकार के तत्वों पर निर्भर करता है—(क) भूमि की उर्वरता, जैसे प्राकृतिक तत्त्व, भूमि की स्थिति तथा कुछ अन्य प्राकृतिक दशाएँ तथा (ख) नालियों सम्बन्धी योजनाओं पर पूँजी का लगाना, भूमिदाय विरोधी उपाय, सिंचाई-सम्बन्धी मुविवाएँ तथा उत्पादित मकानों को कायम रखने और उनमें वृद्धि करने के लिए आवश्यक अन्य उपाय। प्रथम प्रकार के तत्व पर जायिन रहने वाला कर आर्थिक लगान पर कर है और वह मालिक पर जाना है। यह इसे किरायेदार पर नहीं लगा सकता। कारण, आर्थिक लगान भूमि पर मे स्वतन्त्र भावनों द्वारा निश्चित किया जाता है। नीमान्त भूमि से अपनी भूमि की

श्रेष्ठता के अनुरूप मालिक पहले से ही पूरा किराया लेता रहता है, यह अनुमान लगाया गया है। किन्तु यदि अज्ञानता या आलस्यवश वह पूरा आर्थिक किराया नहीं ले रहा है, तो जब कर लगेगा तब वह चारों ओर शीघ्र ही अपनी दृष्टि डालेगा और धीरे से उसे प्राप्त कर लेगा। इस सीमा पर कर का बोझ किरायेदार पर आ जाता है।

इस प्रकार के कर अर्थात् आर्थिक लगान पर कर का बोझ उपभोक्ता पर नहीं टाला जा सकता क्योंकि केवल कीमत के द्वारा ही उपभोक्ता तक पहुँचा जा सकता है। हम जानते हैं कि लगान कीमत में नहीं शामिल होता। लगान को कम या अधिक करने का प्रभाव कीमत पर नहीं पड़ता। भूमि पर रहने वालों के द्वारा लगान का भुगतान होता है, यह बात कोई अन्तर नहीं उपस्थित करती। यदि वह कर का भुगतान करता है तो वह मालिक को लगान का भुगतान करने के समय उसे उसमें से काट सकता है।

इस प्रकार भूमि के मालिक द्वारा आर्थिक लगान सहन किया जाता है न कि किरायेदार या उपभोक्ता के द्वारा।

किन्तु जहाँ मालिक भूमि में अपने विनियोग को बदल सकता है, वहाँ जब कर लागू होगा, वह अपने विनियोग को कम कर देगा। इसका प्रभाव उपज पर और इसलिए वस्तु की कीमत पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अर्थात् उन्नति की स्थिति में कर उपभोक्ता पर पहुँच जाता है।

भवन के स्थानों पर लगने वाला कर इन स्थानों के मालिकों पर ही, जो अपनी भूमि की अधिक अच्छी स्थिति होने के कारण अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं, पड़ता है।

क्या भूमि-कर भूमि के भावी खरीदार पर डाला जा सकता है? नहीं, इसे वर्तमान मालिक ही सहन करेगा। खरीदार को भूमि खरीदने के समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसे कर का भुगतान करना पड़ेगा। फलस्वरूप, वह कम कीमत प्रस्तावित करेगा। इस प्रकार कर मूलधन बना दिया जाता है या भूमि की निम्नतर कीमत में लगा दिया जाता है। यह इस सीमा तक होता है कि कर के भावी भुगतानों के सम्बन्ध से ठीक भविष्यवाणी की जा सकती है। किन्तु एक तटस्थता की धारणा भी है। भूमि की कीमत के सम्बन्ध में भविष्य में सम्भावित वृद्धि की आशा की जा सकती है और अधिकतम कीमत आकी जा सकती है।

६. मकान पर कर (Tax on Buildings)--जहाँ तक गृह-निर्माण का सम्बन्ध है, दो पक्षों का तत्काल पारस्परिक सम्पर्क होता है। ये पक्ष हैं मालिक और किरायेदार। यदि मालिक पर कर लगाया जाता है तो वह मकान का किराया बढ़ाने का प्रयास करेगा और इस प्रकार वह कर के बोझ को किरायेदार पर आ रहने वाले पर पहुँचा देगा। किन्तु जब तक पट्टा चालू है उस अवधि के बीच वह कुछ नहीं कर सकता। किराये पर नियन्त्रण रखने और मालिकों को किराया बढ़ाने से रोकने के लिए किराया कानून भी हो सकते हैं। यदि वह किराया बढ़ा भी सकता है तो किरायेदार कम निवास स्थान का अधिक ऊँचा किराया समझ कर दूसरे मकान में चला जा सकता है। अतः ऐसे मामलों में, किसी भी दर पर, कुछ समय के लिए भार जमींदार पर रहेगा। किन्तु

परिणाम यह होगा कि हो सकता है कि किराए पर उठाने के लिये भवन-निर्माण लाभ-प्रद साध्य न रहे। भारी कर भवन-निर्माण की क्रिया में स्कावट हो जायगा तथा सम्भव है कि इस कार्य में लगे लोगो व निर्माणकर्ता की मजदूरी का स्तर गिर जाय। भवनो के लिये स्थानो की माग कम हो सकती है। यदि वे उसे बेचने की चेष्टा करेंगे तो नया खरीदार कर को ध्यान में रखेगा और उसके अनुरूप कम कीमत आकेगा। किन्तु कुछ समय में मकानों की पूर्ति कम हो सकती है, तब किराए में अधिक वृद्धि होगी। इस प्रकार कुछ सीमा तक कर का बोझ किरायदारो पर आ जायेगा। इस प्रकार कर का बोझ अशत मालिक, अशत भवन-निर्माण-कर्ता और अशत रहने वाले पर पडता है।

इसके विपरीत यदि रहने वाले पर कर लगाया जाता है तो वह उस पर लगा ही रहेगा। न तो नया मकान पाना सरल होता है और न घर बदलना इतना सुविधाजनक होना है। मनुष्य जहा है वही रहना पसन्द करता है। मकान की माग लोचहीन होती है। अतः जमीदार (मकान मालिक) की स्थिति मजबूत होती है। इस प्रकार कर वही रहेगा जहा वह पहले लागू होता है। किन्तु यदि रहने वाला दूकानदार है, तो जो वस्तुएँ वह बेचता है, उनकी कीमत को थोडा-सा बढाकर कर का बोझ अपने पडोमी ग्राहको पर डाल सकता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि संचार तथा परिवहन के साधनो का विकास यात्री विक्रेता को हमारे दरवाजे पर ले आता है और इससे आस-पास की दूकानो को कमजोर बना देता है।

इस प्रकार अन्त में हम इस परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि सामान्यतः मकान पर लागू कर का बोझ रहने वाले पर आता है। परन्तु कुछ परिस्थितियों में इसे मालिक निर्माण कर्ता या ग्राहक पर डाला जा सकता है।

१० जायदाद कर (Property Tax)—वास्तविकता में यह आयकर है और यह शेषपूर्ति के अभिप्राय से लगाया जाता है। जब किसी भी प्रकार की जायदाद पर कर लगाया जाता है तो उसकी कीमत में वृद्धि होती है। वह माग को कम करेगी तथा इनके पश्चात् पूर्ति व्यवस्थित हो जायगी जिससे इसके उत्पादक साधन दूनरे व्यवसायो में प्रयोग में लाये जायेंगे। इसके विपरीत कर के हटाये जाने अथवा कम करने से उत्पादक साधन इस ओर आकर्षित होंगे। स्थायी वस्तुओ में जिनके उत्पादन में काफी समय लगता है, पूर्ति केवल क्रम से प्रभावित होगी। यह मकानों में भी होना है। उत्पादक वस्तुओ के विषय में क्या होगा? उत्पादक साधनो का, जो कर लगाई गई वस्तुओ के उत्पादन में प्रयोग में लाये जाते हैं, मूल्य कम हो जायगा। परन्तु वह किन सीमा तक गिरेगा यह माग की प्रकृति, यंत्र के जीवन, तथा कब तक उनका प्रयोग बनामान्य है, पर निर्भर होगा। परन्तु जब उत्पादक वस्तुओ पर प्रत्यक्ष रूप में कर लगाया जाता है, उनके मूल्य तुरन्त प्रभावित होते हैं। जितना ही वस्तु स्थायी होगी और जितने ही समय तक कर लगने की सम्भावना होगी, उतना ही अधिक उत्पादन मूल्यों पर प्रभाव पडेगा जबकि कम स्थायी वस्तुओ पर थोडे समय के लिए कर लगने से प्रभाव कम पडेगा।

११ दरों का भार (Incidence of Rates)—नम्पत्ति के पूजीकृत

मूल्य या वार्षिक मूल्य के अनुपात से अचल सम्पत्ति पर स्थानिक संख्याओं द्वारा दर लागू किये जाते हैं। उनका भार ठीक भवन-निर्माण करो के भार जैसा होता है। इसको भी मालिक, रहने वाले या ग्राहक (यदि व्यावसायिक उद्देश्य में सम्पत्ति का प्रयोग होता है) सहन करेंगे तथा हर एक पड़ने वाला क्रमिक बोझ आर्थिक सघर्ष तथा सभी पक्षों की सम्बन्धित सौदा करने की शक्ति या उस सम्पत्ति के लिए मांग और पूर्ति की लोचों पर निर्भर करेगा।

यह सामान्य नियम है कि स्थान के मूल्य पर कर उसके मालिक पर पड़ेगा और भवन का कर अथवा निर्माण दर उसके रहने वाले या उद्योग के ग्राहक पर पड़ेगा। रहने वाले की दूसरा मकान बदलने की इच्छा तथा योग्यता पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जितना ही अधिक वह स्थान बदलने के लिए इच्छुक तथा योग्य होगा, उतना ही अधिक दर का भार मालिक पर पड़ेगा। अल्पावधि में सग्रह की रीति भी महत्वपूर्ण है। चाहे मालिक अथवा रहने वाले, जिस पर भी इसका आघात होता है, अल्पावधि में इसकी प्रवृत्ति वही पर जमे रहने की रहेगी।

१३. मृत्यु कर (Death Duty)—लगभग सभी विकसित देशों में कर-व्यवस्था का मृत्यु-कर प्रमुख अंग है। मृत्यु-कर के दो रूप होते हैं—सम्पदा कर तथा उत्तराधिकार कर। उत्तराधिकारी के सम्बन्ध से पृथक् मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई अचल समस्त सम्पत्ति के कुल मूल्य पर भू-सम्पत्ति-कर लगाया जाता है। सम्पत्ति के कुल मूल्य के अनुसार इसमें वृद्धि हो जाती है। उत्तराधिकार-कर में मृतक के साथ मार्फदार (beneficiary) के सम्बन्ध के अनुरूप रूपान्तर होता है। इसको उस अलभ्य तत्त्व के आधार पर विभाजित किया जाता है, जो सम्बन्ध की दूरी को वडाता है। यह उत्तराधिकारी के वैयक्तिक हिस्सों पर विचार करता है न कि कुल मूल्य पर, जैसा कि भू-सम्पत्ति-कर के सम्बन्ध में होता है।

इंग्लैण्ड में मृत्यु-कर, भू-सम्पत्ति-कर तथा उत्तराधिकार-कर का सम्मिश्रण है। जर्मनी में इस कर में माफीदार की पहले की भी सम्पत्ति शामिल होती है। अन्य बातों में समानता होते हुए भी यदि माफीदार के पास पहले की बडी सम्पत्ति है तो इस कर का दर उच्चतर होगा। भारतीय ससद् (१९४८) में भी सम्पदा शुल्क विवेक प्रस्तुत किया गया है और सामान्यत इस विवेक के कर खंडों में संयुक्त राज्य ब्रिटेन जैसी ही व्यवस्था है।

मृत्यु-करो का भार कहा पर पडता है? क्या यह भार मृतक या माफीदार अर्थात् उत्तराधिकारी पर होता है? यदि मालिक मर चुका है तो ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु समस्त ऋण का भुगतान करती है। उससे अब और अधिक कर नहीं लिया जा सकता। उस पर आगे कोई और बोझ नहीं डाला जा सकता। यदि इस प्रकार का कर देने के लिए उसका वीमा हुआ होता, तब वह निश्चित रूप से इसे सहन करता जबकि उमने प्रीमियम का भुगतान किया है। क्योंकि जायदाद के मालिक को, जबकि वह जीवित था, ऐसी कोई सम्भावना नहीं थी, इसलिए अब उस कर का भार स्पष्टतः माफीदार पर पड़ेगा, क्योंकि वह उसकी उतनी कम सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है। मृतक की सम्पत्ति

पर लगाये गये कर के द्वारा वह और गरीब होता है।

करदाता के दृष्टिकोण से भारी वार्षिक आय-कर तथा मृत्यु-कर में कौनसा कर अच्छा है ? यह इस बात पर निर्भर है कि वह किस दर से मृत्यु-कर के अपने दायित्व को पूर्वप्रापण करता है। क्योंकि वर्तमान स्वामी को न तो अपनी आय देनी पडती है और न अपनी पूजा। इसलिए वह मृत्यु-कर के दायित्व को ऊची दर से अपहार करता है। अतएव, मृत्यु-कर का अर्थ उसके थोड़े त्याग से है। अत सरकार आय-कर के लगाने के वजाय मृत्यु-कर लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकती है तथा इससे करदाता की सन्तुष्टि में कमी होगी।

जहा तक मृत्युकर के आर्थिक प्रभाव का प्रश्न है, वे वार्षिक आय-कर की भांति है। इसमें सन्देह नहीं कि मृत्यु का भुगतान भू-सम्पत्ति अथवा पूजा से किया जाता है परन्तु इस दायित्व को भुगतान करने में बेची जाने वाली सम्पत्ति समुदाय की सामान्य वार्षिक वचत द्वारा सरलता से खरीदी जा सकती है। अत मृत्यु-कर का भुगतान पूजा की अपेक्षा आय से समझना चाहिये।

समुदाय में मृत्युकर धन के वितरण में अधिक समानता लाता है और इस सामाजिक न्याय के आदर्श के पूर्णतया अनुरूप है। यह उपयोग में स्थिरता प्रोत्साहित करता है।

यह बहुधा कहा जाता है कि मृत्यु-कर छोटे व्यवसायियों को विस्तार के लिए पूजा इकट्ठा करने से रोकता है। परन्तु इसके लिये केवल मृत्यु-कर पर पूरा दोष न लगाना चाहिये। आजकल छोटी व्यावसायिक सस्थाओं की पूजा के बाजार में अधिक साख नहीं है। अतिरिक्त कर भी विनियोजन के लिये पर्याप्त निजी धन में कमी कर देता है। तो भी मृत्यु-कर कृपि पूजा को विरहता से प्रभावित कर सकता है। वास्तविक भू-सम्पत्ति का बाजार भीमित होता है और जब मृत्यु-कर के दायित्व को भुगतान करने के लिये उन्हें बेचना होता है तो उसके उत्पादक मूल्य में भारी कमी हो सकती है।

१३. आय पर करों का भार (Incidence of Taxes on Income)—आय-कर, अतिरिक्त कर तथा आधिक्य लाभ-कर ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं और इनको वे लोग सहन करते हैं जो पहले इनका भुगतान करते हैं। उनको साधारणतया म्यानान्तरित नहीं किया जा सकता। किन्तु एक व्यवसायी, जिसे उसका सम्पत्ति होता है, उनसे ज्यादा मजबूत हालत में होता है, अपने कर के एक भाग को अपने ग्राहकों पर डाल सकता है। हो सकता है कि वह बहुत ही लोकप्रिय व्यापारी हो, हो सकता है कि वह ऐसा चिक्लिमन हो जिसे उनके रोगियों का पूर्ण विश्वास हो। ऐसी स्थिति में ग्राहक कुछ अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार हो सकते हैं। किन्तु ऐसी स्थिति बहुत कम होती है और आय-कर दाताओं को ही कर का बोझ सहन करना पडता है। अल्पावधि में यह निश्चित है कि व्यवसायी पर कर की कीमत जो माग और पूर्ति के द्वारा निश्चित होती है, छोटे प्रभाव नहीं रखती। लाभ कीमत पर निर्भर करना है परन्तु इसके विपरीत नहीं है। अत लाभ पर कर कीमत में वृद्धि करके उपभोक्ता पर नहीं डाला

जा सकता। दीर्घकाल में भारी कर पूर्व धारण किये हुए लाभो को घटाकर उद्यम में बाधा डाल सकता है। परन्तु यह पूँजी लगाना प्राप्य वैकल्पिक स्रोतो तथा पूर्ति की लोचन पर निर्भर करेगा। यह कहना अत्यन्त कठिन है कि दीर्घकाल में क्या होगा। उदार कर की अवाञ्छित प्रतिक्रिया न होने की संभावना है।

यदि आय-कर अत्यधिक भारी है, तो यह वचत को हतोत्साह कर सकता है, पूँजी के इकट्ठा होने को रोक सकता है, या उसे बाहर निकाल सकता है। ऐसे भारी कर की व्यापक प्रतिक्रिया होगी तथा समाज की उत्पादक क्षमता का ह्रास होगा। किन्तु मुश्किल से ही कर इतने भारी होते हैं। अस्तु, साधारणतः ये कर उन्हीं पर निर्भर करते हैं, जिन पर इन्हें लागू किया जाता है।

भारी आय-कर प्रवर्तक तथा साहस को हताश कर सकता है। फिर भी यह इस बात पर निर्भर होगा कि कर औमत आय पर पडता है या सीमान्त आय पर पडता है। पहली अवस्था में करदाता कम आय की श्रेणी में हस्तातरित हो जाता है तथा उसको अपने प्रचलित रहन का स्तर बनाये रखने के लिए अधिक परिश्रम करना पडेगा। यदि कर की वृद्धि पूर्णतया सीमान्त आय पर पडती है तो इसका अर्थ आय को पूरा करने के लिए उत्साह भग करने के कार्य से होगा। वास्तव में उद्यम कितना प्रभावित होगा यह करदाता की आय तथा उसके अपने प्रयत्न को परिवर्तित करके, दायित्व को परिवर्तित कर सकने की शक्ति पर निर्भर होगा। साधारणतया अपने प्रयत्नो को परिवर्तित करके आय के परिवर्तित कर सकने की शक्ति कुछ ही श्रमिको में होती है। ऐसा तभी हो सकता है जबकि अतिरिक्त समय में काम करने की माँग अधिक है।

१४. व्याज पर कर (Tax on Interest)—आय के स्रोत के रूप में साधारणतः आय-कर के अन्तर्गत व्याज पर कर लिया जाता है। किन्तु व्याज से होने वाली आय पर जुदा कर लगाया जाता है। साधारणतः इस प्रकार के कर पूँजीपति द्वारा सहन किये जायेंगे। विशेषतया तब, जब कि पूँजी की पूर्ति बहुत अधिक हो और पूँजी के लिए माँग कम हो, परन्तु यदि माँग अविक्ततर तात्कालिक है और पूँजी की पूर्ति बहुत थोड़ी है, जैसा कि भारत के ग्राम्य क्षेत्रों में होता है, तो व्याज पर लगने वाले कर को ऋण वाले पर पहुँचा दिया जायगा। बहुत कुछ पूँजी की गतिशीलता की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि पूँजी को लागत के कुछ अन्य स्रोतो में ले जाया जा सकता है, तो उधार देने के लिए पूँजी की पूर्ति सकुचित हो जायगी जिससे व्याज की दर बढ़ जायगी। इसका अर्थ यह है कि इसका भार ऋण लेने वाले पर होगा। वास्तव में मुश्किल से ही पूँजी इतनी गतिशील होती है तथा कर का एक अंश कम से कम पूँजी के स्वामियो द्वारा सहन किया जाता है। यदि कर बहुत भारी है तो यह पूँजी के एकत्रित होने को हतोत्साहित करेगा, जिससे देश के व्यवसाय तथा उद्योग की क्षति होगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओ में भार व्यापक रूप में फैल जायगा।

१५. लाभ पर कर (Tax on Profits)—लाभ पर कर के भार की समस्या इस बात के कारण जटिल है कि लाभों तथा जिन तत्वो से यह बनते हैं, उनकी व्याख्या पर अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। प्रोफेसर वाँकर जैसे अर्थशास्त्री लाभ को

के सदृश मानते हैं। इस अर्थ में लाभ उद्यमी द्वारा अर्जित आधिक्य है, जो सीमात उद्यमी से श्रेष्ठकर है। सीमात उत्पादक द्वारा बाजार में कीमत निश्चित है इसलिए लगान के समान लाभ भी कीमत में नहीं शामिल होता। अतः इसे उपभोक्ता पर नहीं डाला जा सकता। इसे वही व्यापारी सहन करेगा जो इसका भुगतान करता है। किन्तु हम इस विचारधारा को नहीं मानते। सीमात उद्यमी भी दीर्घवधि में थोड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है। अतः साधारण लाभ आधिक्य नहीं वरन् आवश्यक लागत का एक भाग है। इससे हम इस परिणाम पर नहीं पहुँचते कि जब तक उद्यमी कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, जिस को वह मुश्किल से कर सकता है, तो लाभ पर लगाया कर उपभोक्ता पर डाल दिया जायगा। किसी उद्यमी के लिए बाजार की कीमत निश्चित है। ऐसा होने के कारण उसकी जेब में से उसके लाभो पर लगे हुए कर को अवश्य बाहर निकालना चाहिए। जब तक कीमतेँ तेजी से न चढ़ रही हो और उपभोक्ता खरीदने के लिए उतने विन्तित न हो तब तक लाभो पर लगने वाला कर, जैसा कि नियम है, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ऐसा मगर बहुत कम होता है।

परन्तु यदि कर किसी विशेष व्यापार तथा उद्योग से हुए लाभ पर है, तो उद्यमियों में इन उद्योगों से हट जाने की प्रवृत्ति फैल जायगी। यदि ऐसा होता है तो यह कर भार वस्तु के उपभोक्ताओं पर, तथा ऐसे सेवा करने वालों पर जिन्हें इन उद्यमियों ने नियुक्त किया, अतः डाला जायगा। बहुत कुछ माग की लोच तथा पूजी की गतिशीलता पर निर्भर करता है।

लाभो पर लगने वाला कर लाइसेंस कर का रूप धारण कर सकता है। इस स्थिति में भी उत्पादक ही इसको सहन करेगा। अपने को सतुलित करने के लिए वह अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है। उपभोक्ता को सामान्यतः लाभ होता है लेकिन लाइसेंस कर का भार उत्पादक पर पड़ेगा। यह सामान्यतः इतना छोटा होता है कि उत्पादक इसका विवर्तन करने की चेष्टा करता है।

यद्यपि लाभ को पूरी छूट देना वाछनीय नहीं है, तो भी अधिक करारोपण अवाछनीय है। इससे आविष्कार तथा उद्यम पर कुठाराघात होगा। राजस्व खत्म हो जाएँगे और साथ ही मशीनों का आधुनिक कार्य चौपट हो जायगा। श्रीमती हिक्स के शब्दों में, "प्रत्याशित लाभ प्राप्ति के वक्र पर अतिरिक्त कर से वक्र बाएँ को मुड़ जायगा, किन्तु इस से इसकी आकृति में अन्तर न आएगा तथा नुकसान का अवसर न होगा। इस प्रकार पहले लेंचे लाभ के अवसर जो जोयिम वाले बड़े नुकसान के नियोजक वक्रों के कारण सतुलित होते थे खत्म हो जाते हैं, और परिणामस्वरूप तुला इसके विरुद्ध हो जाती है, इसके विपरीत नुरक्षित नियोजन, जो अपेक्षाकृत प्रभाव-रहित रहता है, अधिक आकर्षक रहेगा। अधिक लाभो पर कर के विरुद्ध 'उपक्रम पूजी' (venture capital) में भेद करना किसी देश के लिए गहन हो सकता है, अर्थात् आधुनिक विकास के साथ जुड़े रहना, यह विशेष रूप में औद्योगिक देश के लिए गहन है, जहाँ कई किस्म का औद्योगिक सामान मिश्रता है और जहाँ, नए उद्यम को हौशियार रहने की जरूरत है। इस दृष्टि में महत्त्वपूर्ण चक्र गति है मदी में, प्रत्याशित प्राप्ति के वक्र सीधे हो

के सदृश मानते हैं। इस अर्थ में लाभ उद्यमी द्वारा अर्जित आविष्कृत है, जो सीमात उद्यमी से श्रेष्ठकर है। सीमात उत्पादक द्वारा बाजार में कीमत निश्चित है इसलिए लगान के समान लाभ भी कीमत में नहीं शामिल होता। अतः इसे उपभोक्ता पर नहीं डाला जा सकता। इसे वही व्यापारी सहन करेगा जो इसका भुगतान करता है। किन्तु हम इस विचारधारा को नहीं मानते। सीमात उद्यमी भी दीर्घविधि में थोड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है। अतः साधारण लाभ आविष्कृत नहीं वरन् आवश्यक लागत का एक भाग है। इससे हम इस परिणाम पर नहीं पहुँचते कि जब तक उद्यमी कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, जिस को वह मुश्किल से कर सकता है, तो लाभ पर लगाया कर उपभोक्ता पर डाल दिया जायगा। किसी उद्यमी के लिए बाजार की कीमत निश्चित है। ऐसा होने के कारण उसकी जेब में से उसके लाभों पर लगे हुए कर को अवश्य बाहर निकालना चाहिए। जब तक कीमतें तेजी से न चढ़ रही हो और उपभोक्ता खरीदने के लिए उत्तरे विनित्त न हो तब तक लाभों पर लगने वाला कर, जैसा कि नियम है, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ऐसा मगर बहुत कम होता है।

परन्तु यदि कर किसी विशेष व्यापार तथा उद्योग से हुए लाभ पर है, तो उद्यमियों में इन उद्योगों से हट जाने की प्रवृत्ति फैल जायगी। यदि ऐसा होता है तो यह कर भार वस्तु के उपभोक्ताओं पर, तथा ऐसे सेवा करने वालों पर जिन्हें इन उद्यमियों ने नियुक्त किया, अतः डाला जायगा। बहुत कुछ माग की लोच तथा पूँजी की गतिशीलता पर निर्भर करता है।

लाभों पर लगने वाला कर लाइसेंस कर का रूप धारण कर सकता है। इस स्थिति में भी उत्पादक ही इसको सहन करेगा। अपने को सतुलित करने के लिए वह अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है। उपभोक्ता को सामान्यतः लाभ होता है लेकिन लाइसेंस कर का भार उत्पादक पर पड़ेगा। यह सामान्यतः इतना छोटा होता है कि उत्पादक इसका विवर्तन करने की चेष्टा करता है।

यद्यपि लाभ को पूरी छूट देना वाञ्छनीय नहीं है, तो भी अधिक करारोपण अवाञ्छनीय है। इसमें आविष्कार तथा उद्यम पर कुठाराघात होगा। राजस्व खत्म हो जाएँगे और साथ ही मशीनों का आधुनिक कार्य चौपट हो जायगा। श्रीमती हिक्स के शब्दों में, "प्रत्याशित लाभ प्राप्ति के वक्र पर अतिरिक्त कर से वक्र बाएँ को मुड़ जायगा, किन्तु इस में इमर्जी प्रकृति में अन्तर न आएगा तथा नुकसान का अवसर न होगा। इस प्रकार पहले ऊँचे लाभ के अवसर जो जोनिम वाले बड़े नुकसान के नियोजक वक्रों के कारण सतुलित होते थे खत्म हो जाते हैं, और परिणामस्वरूप तुला इसके विरुद्ध हो जाती है, इसके विपरीत सुरक्षित नियोजन, जो अपेक्षाकृत प्रभाव-रहित रहता है, अधिक आकर्षक रहेगा। अधिक लाभों पर कर के विरुद्ध 'उपक्रम पूँजी' (venture capital) में नैद करना किसी देश के लिए गहन हो सकता है, अर्थात् आधुनिक विकास के साथ जुड़े रहना, वह विशेष रूप से औद्योगिक देश के लिए गहन है, जहाँ कई किस्म का औद्योगिक सामान मिलता है और जहाँ, नए उद्यम को होशियार रहने की जरूरत है। इस टेंस में महत्त्वपूर्ण चक्र सगति है मदी में, प्रत्याशित प्राप्ति के वक्र सीधे हो

साधारण लाभ में कटौती करता है तो इससे उद्यमी हतोत्साहित होगा, उत्पादन में कमी हो सकती है और कर मजदूरों या उपभोक्ताओं पर विवर्तित हो जायगा। यदि न्यूनतम मजदूरी पर कर लगता है तो या तो यह श्रमिक की योग्यता को घटा देगा या उसकी पूर्ति को घटा देगा। इसका अर्थ उपभोक्ता या मालिक पर कर का विवर्तन होगा। आवश्यक लागतों पर कर लगाने का अर्थ सम्बन्धित साधनों को हटाना होगा। इस प्रकार यह कहा जाता है कि सभी करों की प्रवृत्ति आधिक्य, अर्थात् किसी साधन को नियमित रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता से अधिक आय की ओर होती है। केवल एकाधिकारी ही आधिक्य का आनन्द लेता है। वह स्वयं ही कर का बोझ सभालेगा। यदि जीवन की आवश्यकता के उत्पादन से आधिक्य आता है तब माग के लोचहीन होने के कारण कर का बोझ पूर्णतः उपभोक्ताओं पर चला जायगा। यदि यह वस्तु विलासिता की है तो इस भार को अशत. उत्पादक, अशत: मध्यम वर्ग और अशत उपभोक्ता सहन करेंगे।

२०. विक्री कर का भार (Incidence of Sales Tax)—यह कर विक्रय राशि पर लगता है, चाहे लाभ हो या न हो। इसका भार एक जटिल समस्या है। क्योंकि इसमें विस्तृत रूप में विभिन्न किस्म की वस्तुएँ आ जाती हैं। यदि किसी वस्तु के लिए माग लोचहीन है तो उसकी कीमत बढ़ायी जा सकती है और वाद में उसी सीमा तक उपभोक्ताओं पर कर को विवर्तित कर दिया जायगा। किन्तु यदि माग लोचदार है तो अशत: विक्रेता और अशत उपभोक्ता इसे सहन करेंगे। विक्रय कर लाभो पर ऐसा आघात पहुँचा सकता है जिससे व्यवस्था-विभाग व कर्मचारियों की छटनी हो सकती है, कुछ व्यावसायिक स्थान खाली रह सकते हैं। इस प्रकार इसके भार कर्मचारियों, व्यवस्था-विभाग व जमींदारों पर पड़ सकते हैं। वास्तव में विक्रय कर विभिन्न प्रकार की बड़ी सख्या में जनता पर चोट करता है।

२१ व्यवसाय कर या हैसियत कर (Profession Tax or Haisiyat Tax)—यह कर व्यवसाय या सेवा पर लगता है। इसके भार आय-कर के समान होते हैं। यह वही पडा रहता है, जहा इसे लागू कर दिया जाता है और विवर्तन नहीं करता बशर्ते कि यह सामान्य कर है। यदि यह कुछ निश्चित व्यवसायों पर कर है और भारी है तब यह उन व्यवसायों में दूसरे के प्रवेश को हतोत्साहित करता है। जो लोग ऐसे लोगों की सेवा का प्रयोग करते हैं, उन्हें अधिक भुगतान करना होगा और अधिक भार सहन करना होगा।

२२. करों की विभिन्नता (Tax Differentiation)—जब कोई कर लगाया जाता है तो उससे कुछ लोग निश्चय ही प्रभावित होंगे। कुछ के पक्ष और कुछ के विपक्ष में इसका प्रभाव पड़ेगा। किसी स्थान के लोगों के पक्ष में यह प्रभाव कर सकता है और किसी दूसरे स्थान के लोगों को यही दडित कर सकता है। कुछ लोगों की हानि करके यह प्रभाव कुछ व्यापारियों को लाभ पहुँचा सकता है। दूसरे शब्दों में करों में कुछ लोगों के पक्ष व कुछ के विपक्ष में भिन्नता होती है। यही कर-भिन्नता है। वेनहम के शब्दों में "कर कुछ करने की आन्तरिक प्रेरणा को परिवर्तित कर देते हैं, कुछ क्रियाओं में इनसे भिन्नता होती है।"

कुछ उदाहरण इसे स्पष्ट कर देंगे । आय-कर, जो अर्जित आय पर छूट देता है, विनियोग-आय के विरुद्ध और वैयक्तिक परिश्रम के पक्ष में अधिक भिन्नता करता है । उत्तराधिकार कर का भी इसके सदृश प्रभाव होता है । जो उत्तराधिकार से सम्पत्ति प्राप्त करते हैं, उनकी अपेक्षा यह उनका साथ देता है, जो स्वयं सम्पत्ति बनाते हैं । बम्बई में स्थानिक करो के भार ने सूती वस्त्रोद्योग को बम्बई से विकालकर अहमदाबाद, शोलापुर व हैदराबाद भगा दिया । प्रति व्यक्ति कर किसी देश के निवासियों में ही भिन्नता करता है । कुछ पेशों पर लगे हुए करो से ऐसे लोगों को लाभ होता है जो बिना कर के व्यवसाय में हैं और जो ऐसे व्यवसाय के हैं, जिसमें कर नहीं लगा है तो उनके प्रति भिन्नता होती है । चाय पर लागू कर काफी के प्रति भिन्नता पैदा करता है । अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । भिन्नता का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट है । समाज के कुछ वर्गों पर इसका क्या अनुचित प्रभाव है या इसके विपरीत क्या प्रभाव होगा, इसका पता लगाना ही इसका अर्थ है ।

सामाजिक न्याय के साधन के रूप में सरकार को सार्वजनिक वित्त का प्रयोग करना है । इस उद्देश्य के लिए यह कुछ की क्षति करके कुछ को लाभ पहुँचाता है । इसकी कुछ उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, या उन्हें कुछ क्षेत्रों में विकसित करना है । इन सब उद्देश्यों के लिए करो के भेद का अव्ययन अति आवश्यक है ।

१ प्रस्तावना—सरकार द्वारा ऋण लेने की प्रणाली हाल ही में प्रारम्भ हुई है। १८वीं शताब्दी तक इसे कोई नहीं जानता था। जब भी कोई आकस्मिक घटना, जैसे लड़ाई आदि छिड़ती थी, तो राजा अपने सचिव धन का आश्रय लेता था अथवा अपनी निजी साख पर ऋण लेता था। इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण पाये जाते हैं, जिनमें राजाओं के खजानों अथवा मन्दिरों और गिरजाघरों में सचिव धन की लूटमार का वर्णन किया गया है। परन्तु वित्त-प्रबन्ध की यह रीति आधुनिक काल के लिए उचित नहीं है। यह पर्याप्त तथा मितव्ययी नहीं होगी। १९वीं शताब्दी में ऋण का स्थान लोक ऋण ने ले लिया है। एक साधारण नागरिक आजकल अधिक सुरक्षा तथा विश्वास के कारण उधार देने के अधिक योग्य और तत्पर है। ये सब लोक ऋण की प्रणाली के मुख्य आधार हैं।

लोक ऋण की इस प्रणाली के फलस्वरूप जिससे ऋण लेने में सुविधा हो गई है, आधुनिक राज्यों में भी ऋणग्रस्तता की अधिक वृद्धि हो गई है। २७ देशों का लोक ऋण सन् १९०० में ६ अरब, ७ करोड़ ९० लाख पौंड था। १९१३ में यह ऋण ८ अरब ५६ करोड़ ६० लाख पौंड हो गया तथा १९३३ में २२ अरब पौंड हो गया। इस घटनावश वृद्धि का मुख्य कारण था युद्ध। १९१४-१८ के युद्ध की वास्तविक लागत ४,२०० करोड़ पौंड थी,^१ १९३९-४५ के युद्ध की लागत तो इससे भी कहीं अधिक होगी।

युद्ध के अतिरिक्त अन्य दूसरे कारण भी हैं जिनकी वजह से लोक ऋण में वृद्धि हुई है। पहला कारण वजट में बढ़वा घाटा है। इन घाटों का कारण पूर्ण आर्थिक क्रिया के प्रतिपादन की आवश्यकता उन अर्थ-व्यवस्थाओं में है जो कि विस्तृत होने से रुक गई हैं। लोक ऋण में वृद्धि का दूसरा कारण दीर्घकालीन औद्योगिक विनियोग तथा कल्याण-योजनाओं का चलना है। तीसरे सार्वजनिक उपयोगिताओं में जहाँ लाभ पर कोई अनुकूल रूकावट नहीं है, लागतों पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा जा सकता और इसलिए लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। इनसे भी लोक ऋण में वृद्धि हुई है।

२. लोक ऋण के लाभ व हानि—इससे उत्पादन का विकास होता है, और इससे राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि होती है। धीरे-धीरे इससे जीवन-स्तर भी ऊँचा हो जाता है। लोक-ऋण के बिना राज्य के बड़े-बड़े कार्य, जैसे, सड़कों, नहरों आदि का कार्य असम्भव था। लोक-ऋण ही प्राकृतिक दुर्घटना, जैसे बाढ़, भूकम्प, अकाल आदि के समय

देश की साधारण स्थिति बनाये रखने का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना सामान्य राजस्व नहीं कर सकता। आधुनिक युद्ध भी लोक-ऋण के बिना नहीं लड़े जा सकते। जिस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सकुचित हो जाती है, वह आत्म-समर्पण के लिए बाध्य हो जाता है। अतः लोक-ऋण ही राज्य की सुरक्षा और स्वतन्त्रता का अस्तित्व बनाये रखता है। जनता द्वारा दिये गये लोक-ऋण से ही पिछड़े देश अपने प्राकृतिक साधनों का विकास करके, अपनी शक्ति और प्राकृतिक सम्पत्ति बढ़ा सकते हैं। उधार देने वाले राष्ट्रों को भी लोक ऋण अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ है। उधार देने वाले राष्ट्रों के नागरिकों के लिए सुरक्षित और लाभजनक धन लगाने के साधन मिल जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय ऋण व्यापारिक सन्तुलन में एक अनुकूल प्रतिक्रिया है और वैदेशिक विनिमय को भी सतुलित रखता है।

अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था के कुछ आर्थिक लाभ भी हैं, जैसे उधार देने वाले देश ऋणी देश के भौतिक उत्थान में रुचि रखने लगते हैं। यह उस देश के नागरिकों के दृष्टिकोण को विकसित करता है। इस तरह विभिन्न देशों का पारस्परिक सम्बन्ध एक दूसरे को समझने में सहायक होता है और फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय शांति को बनाये रखने में समर्थ होता है।

लोक ऋण के लाभों के साथ-साथ कुछ हानियाँ भी होती हैं, जो निम्न प्रकार हैं— लोक ऋण का सबसे बड़ा भय इस बात से उत्पन्न होता है, कि सरकार बहुत आसानी से उधार ले सकती है। यह ऋण लेना लोगों की कर देने की क्षमता की सीमा पार कर जाता है। नये और पिछड़े देशों का लापरवाही से उधार लेना उनको अमितव्ययी बना देता है। अधिक व्यय वाली योजनाएँ होने वाले लाभ का माप किये बिना ही प्रारम्भ की जाती हैं और इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता कि योजनाएँ देश की सहन-शक्ति की सामर्थ्य की हैं भी या नहीं। यह आने वाली पीढ़ी पर व्याज का भार और अधिक बढ़ा देती हैं, जबकि इन योजनाओं से कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसके कारण बहुत से देशों ने अपनी राजनैतिक स्वतन्त्रता खो दी। मिस्र उनमें से एक है। देश के राजस्व कभी-कभी विदेशी वाण्ड रखने वालों के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिये जाते हैं। उनके हित सुरक्षित रखने के लिये विदेशी सरकार हस्तक्षेप करती है। विदेशी ऋण देश के धन को निरन्तर देश के बाहर ले जाते हैं। अगर रुपया अनुत्पादक कार्यों के लिए लिया गया है, तो व्याज का देना आने वाली पीढ़ी पर व्यर्थ का भार होगा। लोक ऋण अन्तर्राष्ट्रीय उलझनों बढ़ाता है और शान्ति को बढ़ाने के वजाय उसको खतरों में डाल देता है। इससे निजी स्वार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। लोक ऋण उधार देने व लेने वाले देशों में निरन्तर फट का कारण बन जाते हैं।

सारान यह कि लोक ऋण के लाभ उसकी हानियों से अधिक हैं। ऋण के भी निराशापूर्ण पक्ष हैं परन्तु उसके आशापूर्ण पक्ष अधिक हैं, और वह अधिक प्रत्यक्ष हैं। हमने सम्बन्धित उधार देने व लेने वाले देशों पर अनेक और सदैव रहने वाले लाभ प्रदान किये हैं।

३ आपात काल में सरकार किस प्रकार कोष बढ़ाती है (How the Govt Raises Funds For Emergencies)—सरकार के सकटापन्न स्थिति में धन जुटाने के निम्नांकित साधन हैं—

- (i) संचित धन का उपयोग ।
- (ii) सरकारी सम्पत्ति का विक्रय ।
- (iii) नये करो का लागू करना और पुराने करो की दर में वृद्धि करना ।
- (iv) अस्थायी ऋणों का लेना ।
- (v) स्थायी ऋण का लेना ।
- (vi) अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा का चलन ।

संचित संपत्ति कुछ ही आधुनिक सरकारों के पास होती है । जवाहरात और संचित संपत्ति शासकों की अपनी निजी संपत्ति है । दूसरा साधन 'सरकारी सम्पत्ति का विक्रय' है, जो कि पुराने देशों में जहाँ राज्य की भूमि पहले से ही विक्री हुई मान ली जाती है, महत्वपूर्ण नहीं है । एक आधुनिक सरकार पूर्वत संपत्ति को बेचने की अपेक्षा अधिक संपत्ति प्राप्त करना चाहेगी ।

जब कभी लड़ाई जैसी सकटापन्न स्थिति उपस्थित हो जाती है तो राजकीय कोष बढ़ाने के लिये सबसे पहला साधन आता है, नये करो की वृद्धि के साथ पुराने करो, जैसे आयकर, उत्पादन कर, रेलवे और डाक की दरों में वृद्धि करना । नये उत्पादन करो के वसूल करने और आयात-निर्यात कर की सूची बढ़ा दी जाती है । लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है । इसके बाहर सरकार को इस दशा में अप्रिय कर बढ़ाना सुरक्षित नहीं है । एक सीमा के बाहर लोग कर देने में असमर्थ या अपने आपको परेशान पाते हैं या कर न देने की इच्छा करते हैं । यदि कर अधिक लगाये जाते हैं तो इससे राष्ट्र के उत्पादन-सामर्थ्य को क्षति होती है । इसके अलावा देश के नागरिकों की देश-भक्ति पर अत्यधिक दबाव पड़ता है । इसलिये सरकार कम-से-कम विरोध की नीति को अपनाती है और अपनी कर-प्रणाली को अधिक नहीं बढ़ाती ।

४. अस्थायी बनाम स्थायी ऋण (Temporary Vs. Permanent Loans)—अस्थायी ऋण बहुधा सरकारी हुडियों के बेचने से बढ़ाया जाता है अथवा केन्द्रीय बैंक के अर्थोपाय-पेगगियों (ways and means advances) द्वारा । नियम के अनुसार यह देश के अन्दर ही बढ़ाये जाते हैं । नीचे कुछ "अल्प-अवधि-ऋण" लेने के विषय में आवश्यक विवेचनाएँ दी जाती हैं—

(क) जब मुद्रा के बाजार में व्याज की दर साधारण से कुछ अधिक हो तो यह बुद्धिमत्ता नहीं होगी कि सरकार अधिक व्याज के बोझ को सहन करे । जब व्याज की दर कम हो तब रुपया उधार लेना बुद्धिमत्ता होगी । मुख्यतः स्थायी ऋण के लिए यह अच्छा अवसर है ।

(ख) जब सरकार को अस्थायी कठिनाइयों पर विजय पानी होती है तब स्थायी ऋण लेना अनावश्यक होगा, जैसे वजट की कमी को पूरा करना या तात्कालिक व्यय और आशावृत्त आय के बीच की खाई को पूरा करना । जून और जुलाई में नये करो

की आय का आना प्रारम्भ नहीं हो सकता और अप्रैल और मई में घन कोष का अभाव हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में स्थायी ऋण-व्यवस्था ही केवल एकमात्र उपाय है। जगर लक्ष्य अस्थायी है तो ऋण का स्थायी होना आवश्यक नहीं।

(ग) अस्थायी ऋण की यह विशेषता है कि वह सरकार को अपने कामों को अविरोध और बेरोक टोक करने की क्षमता प्रदान करता है और स्थायी ऋण बढ़ाने की कठिनाइयों से बचाता है।

(घ) मुद्रा के बाजार में अस्थायी ऋण के निकालने का स्वागत होता है। सरकारी ढुडिया सबसे अधिक सुरक्षित और बैंकों के लिए सब से अधिक लाभप्रद विनियोग है और वे बैंकों के लिए एक आदर्श विनियोग बनानी हैं।

दूसरी ओर अस्थायी ऋण की कुछ बुराइयाँ भी हैं—

(क) जब सरकार मुद्रा बाजार में अस्थायी ऋण बढ़ाने के लिए प्रवेश करती है तो बैंकों का रुपया व्यापार और उद्योग से हटाकर सरकारी ढुडियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। फलस्वरूप वे नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि बैंक जमा में भी कमी आ जाती है। सरकार की ओर से भी ऐसी स्थिति के कारण आर्थिक चेष्टा को आघात पहुँचता है।

(ख) अल्पकालीन ऋण का होना सरकार के लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। इससे सरकार की आर्थिक स्थिरता में अविश्वास उत्पन्न हो सकता है और इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। जब एक बड़ा अस्थायी ऋण पूरा हो लेता है तो यह सरकारी अर्थ-प्रबन्ध के लिए कठिन और भार-स्वरूप प्रतीत होता है।

(ग) यह बहुधा देखा जाता है कि जब एक अस्थायी ऋण पूरा प्राप्त होता है तो उसके भुगतान के लिए दूसरे ऋण निकाले जाते हैं। इस तरह से यह अस्थायी ऋण एक स्थायी ऋण का रूप धारण कर लेता है। मुद्रा बाजार का घन निश्चित काल के लिए एक जगह बन्द कर दिया जाता है जिससे व्यापार और उद्योग को क्षति पहुँचती है।

(घ) अल्पकालीन ऋण का होना, भविष्य में एक भयानक रूप धारण कर लेता है जबकि वास्तविक मकट उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिये जब युद्ध छिड़ जाता है तो सरकार को शीघ्र ही अधिक धन की आवश्यकता होगी, लेकिन पहले से ऋणी होने के कारण और ऋण लेने के कम अवसर प्राप्त होंगे।

(ङ) अल्पकालीन ऋण से दूसरी कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि वह मुद्रा-प्रसार को जन्म देता है। जब ऋण लौटाने का समय आता है तो चुकाने के लिए सरकार पत्र-मुद्रा छाप सकती है और मुद्रा-प्रसार की कठिनाइयों से तो हम भली भाँति परिचित ही हैं।

(च) अल्पकालीन ऋण पर वैधानिक नियन्त्रण नहीं रहता और उसका प्रचार भी अधिक नहीं होता। यह नितान्त प्रबन्ध-कृत्य द्वारा होता है। ऋण लेना वास्तव में एक बड़ी कठिनाई है। अल्पकालीन ऋण लेना अमितव्ययिता को जन्म देता है।

स्थायी ऋण के भी हानि और लाभ हैं। स्थायी ऋण के पक्ष में हम निम्न बातें कह सकते हैं—

(१) यह उच्च समय लाभप्रद होगा जबकि व्याज की दर कम हो। इन परि-

स्थितियों में जन-कल्याण की योजनाएँ कार्यान्वित करना अच्छा होगा क्योंकि धन के लिए अधिक व्याज नहीं देना पड़ेगा ।

(ख) स्थायी ऋण सरकार के लिये कठिनाई स्वरूप नहीं होते । इनके भुगतान के लिए सामयिक प्रबन्ध किये जा सकते हैं ।

(ग) सरकारी वाड वास्तव में अच्छा विनियोग है । वे ट्रस्ट फंड बैंक और बीमा कम्पनियों के लिये लाभप्रद प्रतीत होते हैं । नि सन्देह इसके द्वारा धन की वचत बढ़ती है और देश अधिक पूँजी का सचय कर सकता है ।

(घ) यह हमारी न्याय की भावना को भी सतुष्ट करता है जिससे रेलों, नहरों का निर्माण आने वाली सन्तान को लाभप्रद होता है । युद्ध के द्वारा हुई वर्वादी के लिए भी लाभप्रद हो सकता है । यह सब तभी हो सकता है जबकि अधिक समय के लिए ऋण लिया जाय ।

(ङ) आधुनिक युद्ध को सफल बनाने और उसके द्वारा हुई वर्वादी के सुधार के लिये स्थायी ऋण का होना नितान्त आवश्यक है । क्षतिग्रस्त स्थानों की मरम्मत और पूर्ववत् दशा में लाने के लिए भी अधिक कोष चाहिए, जो अधिक करो के बढ़ाने से होगा । ऋण का इतना बड़ा भार कुछ ही वर्षों द्वारा प्राप्त धन पर नहीं लादा जा सकता । इसे सहने योग्य बनाने के लिए इसकी अवधि अधिक लम्बी होना चाहिये । यह केवल स्थायी ऋण के द्वारा ही संभव है ।

(च) उत्पादक-कार्यों के लिए लिये गये ऋण राष्ट्रीय धन की रचना करते हैं, जिससे मूलधन और व्याज, दोनों पूर्ण किए जा सकते हैं । स्थायी ऋण की सहायता से धन बढ़ाने वाले साधन उत्पन्न होते हैं—जैसे नहरें, रेलें आदि सदैव रहती हैं और भविष्य में राष्ट्रीय धन को बढ़ाती हैं । अतः स्थायी ऋण अधिक लाभकारी है ।

(छ) अन्त में स्थायी ऋण नागरिकों को राज्य में स्थायी व्याज देते हैं । यह उनमें नागरिक भावनाएँ तथा देशभक्ति को बढ़ाते हैं और सरकार का जनता द्वारा ऋण लेने से दोनों के बीच एक निकट संपर्क स्थापित हो जाता है ।

दीर्घकालीन अथवा स्थायी ऋण में भी कुछ बुराईयाँ हैं—

(क) स्थायी ऋण व्याज की दर ऊँची होने की दशा में लेना उचित नहीं होता । ऐसे समय में दीर्घकालीन ऋण का निकालना जनता की राय में अनुचित होगा ।

(ख) यह भी उचित नहीं है कि हमारी भूलों को आने वाली सन्तान भुगते । हिटलर द्वारा की जाने वाली भूलों के लिए जर्मनी की आने वाली सन्तान को क्यों दण्ड दिया जाय ? इसी ढंग से गलत जन-कल्याण की योजनाएँ भी आने वाली सन्तान के लिए अहितकर भार-स्वरूप होती हैं ।

(ग) करो की तुलना में ऋण लेना आसान है । कर लोकप्रिय नहीं होते लेकिन सरकार ऋण लेकर एक अप्रिय कार्य को उन्नति दे सकती है या एक शक्ति उद्देश्य को चला सकती है । सरकार के हाथ में यह एक भयकर शस्त्र है और यह प्रजातन्त्र के विपरीत है । यदि युद्धों की अकेले करो द्वारा ही अर्थ-व्यवस्था होती है तो वह समाप्त हो जायेंगे ।

(घ) भारी लोक ऋण उद्योग और व्यवसाय पर रोक लगाने का काम करते हैं । सरकार को अधिक व्याज का भुगतान करने के लिए (ऊँचे) भारी करों का लगाना आवश्यक हो जाता है और अधिक कर आर्थिक उन्नति पर चोट करते हैं । इस तरह उद्योग पर इसका भारी दबाव पड़ेगा ।

इन आपत्तियों के होते हुए भी ऋण लेने से छुटकारा नहीं दीख पड़ता । प्रत्येक सरकार ऋण लेती है और लेना ही चाहिए । इसकी राजनीतिक आवश्यकता भी है । दीर्घविधि ऋण आन्तरिक और बाह्य दोनों हो सकते हैं । वह देश की जनता से या विदेशी सरकार से लिये जा सकते हैं । विदेशी ऋण की दशा में व्याज का धन दूसरे देशों में जाता है । इसमें ऋणी देश अपनी राजनीतिक स्वाधीनता भी खो सकता है । इसका अर्थ आने वाली सन्तान पर यह ऋण भार-स्वरूप होगा जब कि इस धन को उत्पादित कार्यों में न लगाकर युद्ध आदि में लगाया जाता है ।

५ राष्ट्रीय ऋण की सीमा (Limit to National Borrowing) —आखिरकार ऋण चुकाना ही होता है । इसलिए कोई भी राज्य लौटाने की सामर्थ्य के बाहर उधार नहीं ले सकता । राज्य विभिन्न रूपों में ऋण ले सकता है, लेकिन इनकी भी सीमा है और अपनी सुरक्षा के बाहर वह नहीं जा सकता । आइए, हम ऋण के विभिन्न रूपों और हर एक की सीमा पर विचार करें ।

(क) कागजी मुद्रा का निकालना (Issue of Paper Money) —यह अस्वाभाविक या विवश-ऋण कहलाता है । अब यह मान लिया गया है कि मुद्रा-प्रसार एक बहुत भयानक शस्त्र है । हम शीघ्र ही बड़ी हुई पेचीदी कीमतों में जकड़ जाते हैं । अगर कागजी मुद्राप्रसार सीमा के बाहर बढ़ जाता है, तो यह सारहीन हो जाता है और देश को नष्ट कर देता है । १९१४-१८ के युद्ध के बाद में जर्मनी में यही तो हुआ था ।

(ग) बाह्य ऋण (External Loan) —इस विषय में ऋण लेना देश की आर्थिक स्थिरता और साख पर निर्भर करता है । कुछ ही देशों की असीमित राष्ट्रीय नाग्य होती है । प्रत्येक देश का वज्र उस सीमा को बतलाता है जिसके बाद विदेश से ऋण लेने की आज्ञा नहीं की जा सकती । विदेशी सरकार उधार लेने वाले देश के नागरिकों की कर-सहन शक्ति और देश के प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय के अनुसार वार्य करेगी । कोई भी विदेशी सरकार एक सीमा के बाहर उधार नहीं दे सकती ।

(ग) आन्तरिक ऋण (Internal Borrowing) —यहाँ फिर से इसे दुहराना पड़ेगा कि उधार लेने की भी एक सीमा है । उसके बाहर उधार लेना असम्भव है । भौतिक सम्भावित वचत के द्वारा ही उधार लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है । सिद्धान्त यह कहा जा सकता है कि सरकार वह सब उधार ले सकती है जो कि नागरिक वचत करते हैं । निःसन्देह जब तक सरकार मधुर काल से न गुजर रही हो तब तब ऐसा कम ही होता है । परन्तु यदि सरकार उस सब को, जो कि नागरिक वचाने हैं, ले लेती है, तो व्यापार और उद्योगों को चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचना । नई पूँजी का निरन्तर बहाव वर्तमान पूँजी को न केवल पूर्ववत् बनाये रखने

के लिए है वरन् और नई पूजी बनाने के लिए आवश्यक है, साथ ही उद्योगो को न केवल सुचारु रूप से चलाने के लिए ही बल्कि उनके उत्थान के लिए भी आवश्यक है। अगर सरकार इस बहाव को रोक देती है या बूद-बूद करके आने देती है, तो निःसंदेह व्यापार और उद्योग-धन्धो को हानि पहुंचेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि साधारण-तया सरकार अतिरिक्त बचत ही उधार ले सकती है। उदाहरणतः वह धन जो उद्योग-धन्धो और व्यापारो की आवश्यकता के बाद बचे रहते हैं।

इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चाहे सरकार विदेश से उधार ले या दश के भीतर से, या केवल कागजी मुद्रा छाप कर, प्रत्येक दशा में इन सब की एक सीमा होगी। इस सीमा को या तो देश की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना या देश की उत्पादन-शक्ति को हानि पहुंचाये बिना पार नहीं किया जा सकता।

६. लोक ऋण बढ़ाने का मुद्रा-प्रसार एक साधन (Inflation as a Means of Raising Public Funds)—आधुनिक युद्ध इतने महंगे हो गये हैं कि किसी देश का युद्ध में प्रवृत्त होना पत्र-मुद्रा निकाले बिना असम्भव हो गया है। ऋण और कर इस काम के लिए ठीक सिद्ध नहीं होते। १९१४-१८ के युद्ध के अन्त में, जर्मनी को करीब-करीब पूर्ण रूप से इसी का आश्रय लेना पडा और यह अच्छा भी सिद्ध हुआ। द्वितीय महायुद्ध से सम्बन्धित सभी देशो ने कम या अधिक रूप में इस साधन को अपनाया। इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशो में भी प्रचुर मात्रा में कागजी मुद्रा छपी गई। भारत में इसने बहुत बड़े रूप में खतरे का आह्वान किया, जिसका अर्थ-शास्त्रियो ने विरोध किया। सितम्बर १९३९ से मार्च १९४३ तक भारत में पत्रमुद्रा में ८० प्रतिशत वृद्धि हुई।

इस प्रकार आकस्मिक घटनाओ के लिए धन बढ़ाने में पत्र-मुद्रा निकालने के साधन ने राज्य ऋण में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। लेकिन यह मानना होगा कि यह एक गलत और चिन्तायुक्त भय का साधन है। यहा हम पत्र-मुद्रा-प्रसार के विपरीत आर्थिक कारणो पर विचार नहीं करेंगे। किन्तु हम बलपूर्वक कह सकते हैं कि पत्र-मुद्रा-प्रसार या उसके अत्यधिक निकालने का आन्तरिक व्यापार पर अस्थिर प्रभाव होता है; यह विदेशी विनिमय को उद्विग्न करके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अशांत कर देता है। यह इसमें न मुलझाने वाले सट्टे को जन्म देता है और व्यापारिक सम्बन्धो में अविश्वास की भावना उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह व्यापार की जड़ काटता है जिस पर भविष्य की उन्नति निर्भर होती है। डाल्टन के शब्दों में "कृत्रिम समृद्धि के नशे में चूर व्यापारी लोग पहले खूब प्रसन्न होते हैं, उसके बाद विक्षिप्त बुद्धि से भविष्य को गलत आंकते हैं, अपने साधनों का गलत निर्देशन करते हैं और ऐसे उद्यमो को आरम्भ करते हैं जो आर्थिक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं। ये व्यापारी लोग उत्पादन-शक्ति के जिस बड़े भाग को नियन्त्रित करते हैं, उसकी भ्रान्ति को दूर करने के लिए, व्यापारिक विश्वास को नष्ट करने के लिए, मांग की पूर्ण आशा को निराश करने के लिए, और उसे क्रियाहीन करने, और कभी-कभी तो एक पर्याप्त अवधि तक के लिए, किसी प्रकार के निश्चित सकुचन के बिना मुद्रा-प्रसार की दर में कभी-कभी केवल क्षीणता लाने मात्र से ही,

अवरोध पर्याप्त होता है।”

मुद्रा-चलन के तीव्र विस्तार के कारणों से कीमतों में जो कष्टकर वृद्धि होती है, उससे समाज के कुछ सदस्यों को अनत कष्ट उठाने पड़ते हैं। इससे निर्धन उपभोक्ता, परिमित आय वाले और मजदूरी पाने वालों को सबसे अधिक कष्ट होता है। ऋण लेने और देने वालों के पारस्परिक सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं। मुद्रा-प्रसार का विशुद्ध परिणाम कुछ को अनुचित लाभ और अनेकों को अकारण हानियाँ होती हैं। “यह सटोरियों तथा अनुचित लाभ उठाने वालों के लिए स्वर्ग है और यह अशत मजदूरी उपाजन करने वालों (क्योंकि कीमतें तो उछलकर बढ़ती हैं, किन्तु मजदूरी एक-एक सीढ़ी चढ़कर बढ़ती है), और उससे भी अधिक नियत आय वालों की कीमत पर अपने निजी यत्न के बिना ही सम्पन्न हो जाते हैं।”¹

राज्य की स्थिरता में लोगों का विश्वास विक्षिप्त हो जाता है। मुद्रा-चलन में भगदड़ होती है। सरकार एक दुश्चक्र में फँस जाती है, जिसमें से निकलना आसान नहीं होता। नोटों का निकालना कीमतों को बढ़ाता है, इसलिए, सरकार को अपने ऋण के लिए अधिक धन प्राप्त करना ही पड़ता है। इसके फलस्वरूप पत्र-मुद्रा और अधिक निकाली जाती है, और इसी प्रकार क्रम जारी रहता है। यह बहुत ही फिसलन का मार्ग है, और अपने मुद्रा-चलन का विस्तार करने वाली सरकार आर्थिक और राजनीतिक विनाश की दिशा में बढ़ रही होती है।

किन्तु मुद्रा-प्रसार की इन भीषण प्रतिक्रियाओं को छोड़कर, अर्थशास्त्र के पंडितों ने इसकी कड़ी निन्दा की है, क्योंकि यह अर्थ-व्यवस्था की सुदृढ़ नीतियों की विरोधी है। इसे अस्वाभाविक या विवश ऋण कहा जाता है और साथ ही व्याज से भी मुक्त है। सरकार पत्र-मुद्रा के निकालने से अपनी ऋण-शक्ति को सम्पन्न करती है, किन्तु उमके साथ ही लोगों की ऋण-शक्ति घटाती है। यदि मेरे पास एक सौ ६० का नोट है, और सरकार नोटों की संख्या दोगुना कर देती है, तो कीमतें, द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त के अनुसार दोगुना हो जायेंगी और मेरा १०० का नोट केवल पचास रुपये लागत की वस्तुओं का ऋण करने योग्य होगा। इसका सरल अर्थ यह है कि लोगों को विवश होकर उन वस्तुओं और सेवाओं को सरकार की इच्छा पर छोड़ना पड़ता है जिन्हें वह ऋण कर सकते थे, और यह भी उनके अनजानेपन में ही हो जाता है। यह केवल एक विवश-ऋण नहीं, परन्तु गुप्त ऋण है। प्रो० सी० एन० वकील इसे उफँती कहते हैं।

द्रव्य के इस प्रकार के रूप के प्रति आधारमूलक आपत्ति यह है कि यह न्याय अथवा समानता की रीति को भंग करता है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो धनी और निर्धन, नव ऊँची कीमतें देते हैं, और वह सब एक ही कीमत पर ऋण करते हैं। यदि चाट की कीमत ८ जाने प्रति सेर से १ ६० प्रति सेर हो जाती है, तो निर्धन धनी के साथ-साथ दुगुनी कीमत देता है। किन्तु धनी तो सशक्त है और निर्धन दे नहीं सकता। मुद्रा-

प्रसार की आनुपातिक टैक्स-निर्धारण से तुलना हो सकती है। यह सहन करने की शक्ति का विचार नहीं रखती। इसलिए, अपने प्रभाव की दृष्टि से यह प्रतिगामी है। समाज का निर्धन वर्ग राज्य के अर्थ-कोष में अधिक अशदान के लिए विवश किया जाता है और वही ऐसे लोग हैं जो देने की शक्ति ही नहीं रखते। यह सर्वथा अन्याय है। सम्पत्ति का पुनर्वितरण उन्हीं के पक्ष में होता है जो पूर्वतः धनी हैं।

इस प्रकार मुद्रा-प्रसार राजनीतिक दृष्टि से भयानक, आर्थिक दृष्टि से विनाशकारी और नैतिकता की दृष्टि से बुरा है। सरकारों के लिए कभी-कभी अत्यावश्यकता के समय, यदि यह सकट-पूर्ति के लिए न होता, तो कोषों की रचना का यह उपाय, सम्भवतः कदापि न अपनाया जाता। यह सम्पत्ति वितरण की असमानताओं में वृद्धि करता है, यह सम्पत्ति उत्पादन के यत्र को हिला देता है, और यहाँ तक कि आगम का स्रोत होने के रूप में यह शीघ्र ही सूख जाता है।

७. ऋण को कम करना या चुकाना (Debt Redemption or Repayment)—आधुनिक सरकार अपना ऋण चुकाना एक सम्मानपूर्ण कार्य समझती है। ऋण चुकाना उनकी साख और शक्ति को बनाये रखता है। जब कभी राष्ट्र पर सकट आता है, तो वाद में कोष बढ़ाना सरल हो जाता है। ऋण चुका देने से व्यापार और उद्योग के लिए धन मुक्त हो जाता है।

ऋण चुकाने के निम्नांकित कुछ उपाय हैं—

(१) आधिक्य राजस्व का उपभोग (The Utilization of Surplus Revenue)—यह एक प्राचीन उपाय है, लेकिन आधुनिक परिस्थितियों में पूर्ण रूप से विपरीत है। वजट का आधिक्य साधारणतः सम्भव नहीं है और यदि वजट में आधिक्य भी हो तो वह इतना महत्त्वहीन होगा कि वह ऋण को कम करने में उपयोगी नहीं हो सकता।

(२) बाजार में सरकारी स्टॉक का खरीदना (Purchasing of Govt. Stock in the Market)—सम्भव है, सरकार बाजार में अपने निजी स्टॉक को क्रय कर ले और इस प्रकार उस सीमा तक अपने दायित्व का अन्त कर दे। यह कार्य राजस्व के आधिक्य या कम व्याज पर अनुकूल परिस्थिति में लिये हुए ऋण से किया जा सकता है।

(३) सावधि-वार्षिकी (Terminal Annuities)—जब यह पूर्ण निश्चय कर लिया जाता है कि सरकार को अपने स्थायी ऋणों का भुगतान करना है तो वह प्रतिवर्ष कुछ निश्चित धन वार्षिकी के रूप में ऋणदाताओं को उधार चुकाने के लिए वाँच देती है। इसी भुगतान को वार्षिकी कहते हैं। यह प्रकट होगा कि जिस काल में यह वार्षिकी दी जा रही होगी, उसमें केवल व्याज देने के काल की अपेक्षा सरकारी वित्त पर कहीं अधिक दबाव पड़ा होगा।

(४) रूपान्तरकरण (Conversion)—ऋण का भार घटाने का यह एक अच्छा उपाय है। जब सरकार ने ऊँची दर के समय ऋण लिया हो और अब अगर व्याज की दर कम हो गई हो तो सरकार ऊँचे व्याज की दर वाले ऋण को कम व्याज की दर में

परिवर्तित कर सकती है। ऐसे समय में सरकार उधार देने वालों को सूचना देती है या तो अपने व्याज की दर को कम करे या अपना रुपया वापिस ले ले। यदि वाड होल्डर व्याज की दर को कम करना स्वीकार नहीं करते तो सरकार कम व्याज पर दूसरा धन उधार लेकर उस धन से पिछले ऋण को चुका देती है। इस प्रकार ऊँचे व्याज की दर को कम व्याज की दर में परिवर्तित करने से सरकार का आर्थिक बोझ कम हो जाता है।

(५) निक्षेप निधि राजस्व (Sinking Fund)—यह उपाय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष राजस्व में से एक निश्चित धन ऋण चुकाने के लिए निकाल लिया जाता है। यह इस हिसाब से निकाला जाता है कि एक निश्चित समय के अन्दर ऋण को व्याज सहित चुकाने में आसानी हो।

ऋण चुकाने के इन साधारण उपायों के अतिरिक्त कुछ और भी नवीन क्रांतिकारी योजनाएँ हैं। उनमें से ये मुख्य हैं—

(क) ऋण निषेध (Debt Repudiation)—जब कोई नई क्रांतिकारी सरकार बनती है तो वह पहली सरकार द्वारा लिये गए ऋण को चुकाने से इन्कार कर सकती है। यह तभी होता है, जब नई सरकार का निर्माण क्रांति द्वारा हुआ हो लेकिन विद्वान् राजनीतिज्ञ इन प्रस्तावों का स्वागत नहीं करते। सरकार के लिए यह एक चलन है कि वह अपने पूर्वाधिकारियों के वचनों का सम्मान करे।

(ख) व्याज में अनिवार्य कमी (Compulsory Reduction of Interest)—यदि परिस्थिति के बदल जाने से ऊँची व्याज की दर सरकार को कष्टदायक हो गई हो तो सरकार का व्याज की दर में कमी कराना कम अप्रिय दिखता है, लेकिन एक सभ्य सरकार के लिए वचन भंग करना उचित नहीं है।

(ग) ऊँची आय पर उच्च करारोपण (Steep Taxation of Higher Income)—हम पहले कह आये हैं कि करो की अधिकता से उद्योग-व्यवसायों पर प्रतिभूल प्रभाव पड़ सकता है। यह नये धन या वचन को नष्ट कर देता है। नई औद्योगिक योजनाएँ त्रिफल और व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें ठीक तरह से चलाने के लिए सामयिक मुआर और हस्तांतरण आवश्यक हो जाते हैं। इसलिये व्यापारी वर्ग के हितों में यह आवश्यक है कि कोई ऐसा आर्थिक कदम न उठाया जाय, जिससे उद्योग व्यापार की पृथी में कमी आये, और व्यापार की क्षति हो। वास्तव में जब कि पुराने कर अपनी अन्तिम सीमा तक पहुँच गए हों उस समय करो का लगाना उद्योग व्यापार के लिए अहितकर होगा।

(घ) इसके जलावा पूँजी आरोपण का भी बड़ा महत्त्व है इसलिये इसे एक अलग विभाग में दिनाया गया है।

८ पूँजी पर कर लगाना (Capital Levy)—इसके समर्थकों का कथन है कि मुद्र-पाठ में लिये गए ऋणों को चुकाने के लिए पूँजी पर एक प्रकार का कर लगाना चाहिए, जिसे पूँजी पर कर लगाना कहते हैं। एक ऐसा कानून बनाया जाय, जिसे अनुसार "एक निश्चित मात्रा की सम्पत्ति वाला प्रत्येक व्यक्ति मरा हुआ माना जायगा और दूसरे दिन वह फिर अपनी सम्पत्ति पर कर देने के वाद उस सम्पत्ति

के उत्तराधिकारी के रूप में जीवित हो जायगा।” यह प्रस्ताव प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) के समय बहुत ठीक और उसके अनुकूल था, क्योंकि उस समय मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ इसके अनुकूल थीं। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद इसके समर्थकों का उत्साह कम हो गया। प्रशासन की दृष्टि से कर लगाना विल्कुल व्यावहारिक है लेकिन यह साधारणतया बिना पूर्व स्वीकृति के नहीं चलाया जा सकता। १९२३ में राज्य ऋण और करों के लिए स्थापित कॉल्विन कमेटी (Colwyn Committee) ने यह परिणाम निकाला था कि “पूजी पर कर लगाने से ऋण चुकाने में काफी सहायता मिल सकती है, लेकिन यह कष्टकर, अपूर्ण और बड़े प्रयोगों के योग्य नहीं है।”

पूजी पर कर आरोपण के प्रस्ताव के विपक्ष में भी कई तर्क उपस्थित किये जा सकते हैं।

सबसे पहले तो यह कि इससे पूजी तथा साख दोनों को हानि पहुँचेगी। इससे उद्योग और व्यापार को क्षति पहुँचेगी। इस प्रकार के अपहरण से जनता का विश्वास उठ जाता है और व्यापार में घन का बहाव रुक जाता है।

दूसरे, यह मितव्ययिता के प्रति एक दण्ड स्वरूप है। जो लोग अधिक खर्च करते हैं सरकार उनसे कुछ नहीं ले सकती। वह अपना मस्त जीवन बिताएंगे। पूजी पर करारोपण की परछाईं से ही पूजी भाग खड़ी होगी और वचत निरुत्साहित होगी।

तीसरे, पूजी पर कर-आरोपण से व्यापार पर दबाव पड़ता है। कीमतों और मजदूरी में कमी आ जाती है तथा व्यापारी वर्ग की उधार देने की शक्ति क्षीण हो जाती है।

चौथे, यह कि पूजी पर करारोपण से यह डर रहता है कि वह उपभोग के काम में न आ जाए और इस तरह समाज की उत्पादक क्षमता को नष्ट कर दे। इससे समाज के वर्तमान उपबन्ध की तुलना में भविष्य का उपबन्ध समाप्त हो जायगा।

अन्त में इसके द्वारा प्रशासन में भी कठिनाई आएगी।

पूजी पर करारोपण निम्नांकित आधारों पर न्यायसंगत है—(क) सरकारी खजाने को ऋण के भारी भार से मुक्त करके उसे सार्वजनिक (समाज-सेवा) कार्यों में लगाया जाय। अधिक-से-अधिक मनुष्यों की हालत सुधारी जाय। अब यह सम्भव नहीं है कि आगम का अधिक-से-अधिक भाग वाड रखने वालों को दिया जाय।

(ख) यह युद्ध-काल में गरीबों और अमीरों के त्याग में समानता लायेगा। कहा जाता है कि युद्ध-काल में धनी वर्ग तो घर पर रहा और कीमतों के बढ़ जाने से अधिक धन कमाते रहे, जबकि गरीबों ने सेना में भर्ती होकर युद्ध-क्षेत्र में अपनी जान गँवाई।

(ग) यह करारोपण के समानता के सिद्धान्त का पालन करता है। जो लोग कर देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें कर देना ही पड़ेगा। पूजी का मालिक उससे प्राप्त आय के अतिरिक्त कुछ आर्थिक लाभ भी उठाता है। पूजीपति के इस आधिक्य पर कर लगाना उचित है।

(घ) यातना को एक ही वार सह लेना कही अच्छा है, और दो सौ बरस तक चुकाने की सरदरों की अपेक्षा एक ही धक्के में ऋण चुका देना चाहिए।

(ङ) ऊँचे करो की अपेक्षा पूजी पर कर लगाना अधिक न्याय-सगत है हालांकि दोनों एक ही से हैं। दोनों ही नैतिक दृष्टि से बहिष्कृत किये जाते हैं, लेकिन उगाही में व्यक्तिगत रूप से कोई अनैतिकता नहीं। नैतिकता तो केवल सापेक्ष पदावल है।

(च) यह धन-वितरण की असमानताओं को कम करेगा।

(छ) अत्यधिक आय-कर उद्दीपक तथा उद्यम को मिटाता है। परन्तु पूजी कर में यह दोष नहीं होते क्योंकि इसका सम्बन्ध पिछले कार्यों से है न कि वर्तमान प्रयास से।

(ज) पूजी-कर का समर्थन युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रसार अपस्फीतिकारी होता है। यह इसलिए है क्योंकि इससे पूजी का पूर्ण रूप में हस्तांतरण हो जाता है ताकि करदाताओं के पास कर-भुगतान के लिए तरल निधि हो सके। तो भी वास्तव में इसका उल्टा असर हो सकता है, क्योंकि कर का भुगतान करने के लिए उनको ऋण लेने की सुगमता दी जाती है। इस नये ऋण का स्फीतिकारी प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार विरोधी तर्कों के समक्ष कोई अपना मत उपस्थित करना सरल नहीं है। इस पर एक राय होना असम्भव है। फिर भी हमारा मत है कि पूजी पर करारोपण आर्थिक सहायता की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है और न इससे ऋण के चुकाने में ही कमी आती है। वास्तव में इस पूजी-कर के पक्ष में दो मुख्य तर्क हैं—(१) ऋण का पूजी-मूल्य अत्यधिक है, और (२) ऋण की वार्षिक लागत भी अधिक है। यह आवश्यक रूप से उचित नहीं है कि राज्य ऋण की मात्रा घटा दी जाय। राष्ट्रीय ऋण की वापसी पर देश की आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिये। पूजी पर कर लगाने में जो सम्पत्ति का बड़े पैमाने में नाश होता है उससे व्यापार के कार्यक्रम तथा पूजी बाजार में विघ्न पड़ता है। तो भी वार्षिक ऋण व्यय को कम करने के बहुत से सारपूर्ण कारण हैं। पर यह पूजी कर के ढाँचे पर निर्भर है अर्थात् उसकी छूट की सीमा की ऊँचाई तथा उसकी वृद्धि के ढालुआपन पर। ऋण पर व्याज की दर कहा तक यह कर-रहित है, ऋण की मात्रा यदि पर भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत कम देशों में पूजी पर कर लगाने की अनुकूल स्थिति होगी। हम श्रीमती हिक्स के शब्दों में समाप्त कर सकते हैं, “पूजी पर कर लगाना राजनीति के शरीर पर आपरेशन करना है, इससे या तो मौत हो जायगी या चिल्कुल ठीक ही हो जायगा और इसका प्रभाव सामान्य करके ढाँचे की लगातार ग्राहकों में भिन्न होगा।”^१

६ राज्य-ऋण का बोझ (Burden of Public Debt)—ऋण चुकाने के बोझ को उतारने के लिए हमें उसके रूप और कारण की विवेचना करनी पड़ेगी। यदि ऋण उत्पादक या जन-कल्याण के कार्यों के लिए लिया गया है, जैसे सिंचाई, रेलवे आदि तो यह बोझ नहीं होगा, वरन् अगर योजना सफलतापूर्वक चलाई गई है, तो

लाभ ही पहुँचायेगी। लेकिन यदि ऋण अनुत्पादक कार्यों के लिए लिया गया है तो यह दोनो रूपों में, आर्थिक और समाज पर बोझा होगा, भले ही वह आन्तरिक ऋण ही या विदेशी।

आन्तरिक ऋण में धन देश में ही हस्तान्तरित होता है, जैसे अगर सरकार ने किसी से ऋण लिया तो उधार देने वाले का धन हस्तान्तरित होकर सरकार के पास आ जाता है और सरकार फिर उस धन को देश के दूसरे लोगों, जैसे मरकारी नौकरो, ठेकेदारो आदि को देती है। इस तरह देण का धन एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाता है। इसे हमें सरकार के ऊपर बोझ नहीं समझना चाहिये या यह ऋण बोझ के रूप में नहीं है। लेकिन देने वाले वर्ग पर यह एक प्रत्यक्ष बोझ होगा, परन्तु यदि धन का हस्तान्तरण उपयुक्त रूप से होता है, जैसे अगर धन धनी-वर्ग से गरीब लोगों के पास जाता है, तो राज्य-ऋण बोझ की अपेक्षा लाभदायक ही सिद्ध होगा, लेकिन यदि लोक-ऋण इसके विपरीत होता है, तो नि सन्देह एक बोझ हो जायगा।

अस्तु, हमें 'हस्तान्तरण' के रूप की पूर्ण विवेचना करनी चाहिए। ऋण और व्याज के भूगतान के लिए सरकार को कर लगाना आवश्यक है, लेकिन जो कुछ करो के लगाने से मिलता है, वह वाड रखने वाले ले लेते हैं। ऐसे पत्र रखने वाले तो नि सन्देह ही धनी होते हैं, लेकिन करो का बोझ केवल अमीरो पर ही नहीं, बल्कि गरीबो पर भी पडता है। अधिकतर करो का बोझ गरीबो पर ही पडता है, इसलिए धन के हस्तान्तरण से अधिकतर धन गरीबो के पास से अमीरो के पास जाता है। इसका अर्थ यही है कि आर्थिक हितो की वास्तविक क्षति होती है।

इस तथ्य से यह बोझ और भी बढ जाता है कि युवको से वृद्ध, (वाड वाले, जो सरकार के ऋणदाता होते हैं) सामान्यत वडी आयु वाले होते हैं और समाज के सन्निय सदस्यो से निष्क्रिय सदस्यो को यह हस्तान्तरण होता है। डाल्टन का कथन है, 'राजस्व के क्षेत्र में, अन्यत्र नहीं, समानता अथवा न्याय की ऊँची एव स्पष्ट ध्वनि घोषित होती है। उत्पादन के आधार पर (वितरण के आधार को छोडकर) यह सामान्य धारणा भी है कि निष्क्रिय सक्रिय के बल पर अधिकाधिक धनी होते हैं जिनके द्वारा सचित सम्पत्ति के लाभ के लिए कार्य और उत्पादक जोखिम लेना दण्डनीय हो जाता है।'¹ इस प्रकार आतरिक ऋण का सम्पत्ति के उत्पादन और वितरण दोनो पर ही विपरीत प्रतिधान होता है। यह इसका प्रत्यक्ष वास्तविक बोझ है।

इसका वास्तविक भार अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की रोक पर लगता है। यदि कार्य करने तथा बचाने की योग्यता और इच्छा को कम कर दिया जाता है तो निश्चय ही उत्पादन पर रोक लगेगी। यदि ऋण चुकाने के लिए भारी करो को लगाया जाता है तो अवश्य ही कार्य करने की योग्यता और धन बचत करने की इच्छा में कमी हो जाती है।

अब विदेशी ऋण-भार के विषय में क्या होता है? विदेशी ऋण भी हस्तान्तरण को

जन्म देता है, लेकिन धन का यह हस्तांतरण उसी देश में नहीं होता। विदेशी धन का हस्तान्तरण इससे भिन्न होता है। जब ऋण बढ़ाया जाता है तो धन उधार देने वाले देश से उधार लेने वाले देश को दिया जाता है परन्तु जब भुगतान होता है तो इसमें विपरीत दिशा में होता है। जो धन उधार लेने वाला देश देता है, उसमें उसे मूल-धन के बोझ के साथ ही साथ व्याज का भार भी देना होता है। लेकिन यदि हम वास्तविक भार को जानना चाहते हैं तो हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि इस उधार को चुकाने में गरीबों और अमीरों ने किस अनुपात में अश्रदान दिया, क्योंकि सरकार यह धन करो द्वारा प्राप्त करेगी। यदि यह कर प्रत्यक्ष रूप से धनी वर्ग से लिये जाते हैं, तो वास्तविक ऋण का सीधा भार अधिकतर गरीबों से लिये गया करो की अपेक्षा कम होगा। जो भुगतान हम बाहरी देशों या साहूकारों को करते हैं, तो उसमें हमारा माल और सेवा भी आ जाते हैं। हमारा धन उनके उपयोग का नहीं होता। वे हमारी सेवाओं और वस्तुओं को लेते हैं, धन नहीं लेते। वे उस धन से हमारे देश का सामान मोल लेते हैं, इसलिए विदेशी ऋण से हमारा माल भी बाहर चला जाता है। ऋणी न होने पर यह माल देश के अन्दर ही हम लोगों द्वारा उपयोग किया जाता। इसका अर्थ है हमारे आर्थिक सुखो का हनन और फलत एक प्रत्यक्ष तथा वास्तविक बोझ।

अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी ऋण का भार देश के धन-उत्पादन पर रोक लगाता है। ऋण चुकाने के लिए करो के लगने से कार्य करने की क्षमता और वचन करने की इच्छा में कमी हो सकती है। सरकार द्वारा ऋण चुकाने से सार्वजनिक व्यय की उन दिशाओं में कमी होगी जिसमें उत्पादन में वृद्धि होती। फलत उत्पादन घट सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान केवल वस्तुओं के निर्यात से हो सकता है। इस कारण उधार लेने वाले देश को उसका भुगतान करने के लिये अधिक उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। इनमें उत्पादन को सहायता मिलनी है लेकिन उत्पादन एक निश्चित दिशा में होता है। माघारणत उत्पादन और नियोजन में सामान्य वृद्धि नहीं होती। इसमें उत्पादन के साधन सीमित रहते हैं, क्योंकि ऋण देने वाला देश जिन वस्तुओं को चाहता है, ऋणी देश को उनी का उत्पादन बढ़ाना पड़ता है या दूसरों से लेना पड़ता है या अपने कारखानों को उनी वस्तु के उत्पादन में लगाना पड़ता है। इस तरह पहली वस्तु के उत्पादन में कमी होगी। इसका एक ही उपाय है कि साधनों का परिवर्तन किया जाय और उत्पादन और नियोजन में वास्तविक वृद्धि न की जाय।

१० युद्धकालीन वित्त-व्यवस्था¹ (War Finance)—युद्ध की किस तरह अर्थ-व्यवस्था की जाय? इन प्रश्न का कोई प्रत्यक्ष या सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता। युद्ध का कुल व्यय, युद्ध-प्रारम्भ काल, मुद्रा बाजार की परिस्थितियों और इन सबमें अधिक मनोवैज्ञानिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों पर इस प्रश्न का उत्तर निर्भर है। एक परिस्थिति के जन्मगत किया हुआ नया दूसरी परिस्थिति के अन्दर भिन्न हो सकता है।

1 See Keynes, J M—How to pay for the war, 1940

हम यहाँ एक पुराने विवादग्रस्त विषय को ले सकते हैं कि “क्या युद्ध को करो और ऋणों से सहायता पहुँचानी चाहिये ?”

कुछ अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण कर-प्रणाली तथा कुछ ने पूर्ण ऋण-प्रणाली का समर्थन किया है। रिचार्डों पूर्णकर-रिति का पक्का विरोधी था, और युद्ध के लिए ऋण लेने का वह विरोध किया करता था, क्योंकि इससे घाटा होता है और पूँजी कम हो जाती है। साथ ही युद्ध के लिये लगाये गए कर उस समय की सन्तान के मस्तिष्क में युद्ध की-सी धारणा उत्पन्न कर देते हैं। म्लैडस्टन का मत है कि “युद्ध के व्यय नैतिक अवरोध है, जिन्हें परमात्मा ने विजयी की कामना और तृष्णा पर लागू किया है और वह अनेक राष्ट्रों में स्वाभाविक है।”^१

करो के पक्ष में यही मत दिया जाता है कि कर युद्ध-व्यय को कम से कम सतह तक बनाये रखते हैं और युद्ध-काल को भी कम से कम करते हैं। दूसरे, कर युद्ध के द्वारा उत्पन्न होने वाले मुद्रा-प्रसार को रोकते हैं, युद्ध के द्वारा जिनका होना अनिवार्य है, जैसा कि पिछले युद्ध के परिणामस्वरूप कितनी ही प्रकार की परेशानियाँ मुद्रा-प्रसार के कारण झेलनी पड़ी। करो से अधिक व्यय और अनावश्यक उपभोग कम हो जायगा।

लेकिन इन मतों के विरोध में भी कुछ कहा जा सकता है कि कोई भी कर-प्रणाली आधुनिक युद्ध के भयानक बोझ को सहन नहीं कर सकती है।

अधिक करो से जनता की आय कम होगी और इससे उत्पादन को क्षति पहुँचेगी। भारी कर लगाने से उच्च वर्ग की जनता में से सरकार के प्रति विश्वास उठ जायगा और यह सरकार के विपक्ष में गुप्तचर कार्यों को बढ़ावा देगे। गृह-युद्ध भडक उठेगे और सामाजिक सगठन में दरार पड़ जायगी।

ऋण नीति धन को प्राप्त करने का अच्छा और सरल ढंग है। करो की अपेक्षा ऋण लेने से सरकार की लोकप्रियता नहीं घटती। ऋण देने वाले यह जानते हैं कि वे व्याज से जो धन प्राप्त करेंगे वह उस कर से अधिक होगा जो कि उनको ब्याज भुगतान करने के लिए देना पड़ेगा। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को कम करके लोग युद्ध-काल में बड़े-बड़े बाड खरीद कर लाभ उठाते हैं और इस प्रकार युद्ध को भी सहायता मिलती है। कर उद्योग व्यापार में भी बाधा डालते हैं लेकिन ऋण उत्पादन का सहायक होता है। ऋण देने वाले अपनी आवश्यकताओं से बचे हुए धन को ही देते हैं। इस प्रकार उद्योग-वधों को हानि नहीं पहुँचती। सरकार भी लिये हुए ऋण का उपभोग वस्तुओं को खरीदने और सेवाओं के लिए करती है। अतः इससे व्यापार को सहारा मिलता है।

इस प्रकार युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था के दो रूप हैं—(१) केवल ऋण लेकर, और (२) अकेले करो से। लेकिन यह दोनों ही अन्त में अपने-अपने पक्ष में एकतरफा हैं। दोनों के मिश्रित उपयोग द्वारा ही आय प्राप्त करना सबसे अच्छा है। एडम स्मिथ का कथन है कि “शान्ति के दिनों में खर्च करने से बचाया हुआ धन युद्ध-काल में देना

आवश्यक हो जाता है।" लेकिन हमारे मतानुसार शान्ति काल की वृत्त ही पूर्ण रूप से आधुनिक युद्ध अर्थ-व्यवस्था को पूर्ण नहीं कर सकती। ऋण लेना आवश्यक है। लेकिन ऋण लेना उन समय अति आवश्यक हो जाता है जब युद्ध छिड़ जाता है और सरकार को शीघ्र ही उमके लिए कोष की आवश्यकता होनी है। ऐसे समय में कर आगम शीघ्र नहीं किये जा सकते। इसलिए सरकार के लिए ऋण लेना आवश्यक हो जाता है। लेकिन युद्ध के लिए पैसा उगाहने का सबसे अच्छा यह ढंग है कि सरकार "देश में से पाई-पाई ऋण ले डाले।"

युद्ध आय का तीसरा तरीका है कागजी मुद्रा का छापना। यह बहुत ही भयानक उपाय है। सदा युद्ध में लगे रहने वाले राष्ट्रों में इसका उपयोग होता है लेकिन इस का उपयोग बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। हम इस विषय पर ७वें विभाग में कह आये हैं। इस प्रकार युद्ध की अर्थ-व्यवस्था हम तीन तरह से कर सकते हैं—

(१) ऋण से, (२) करो से, (३) पत्र-मुद्रा निकालने से।

युद्धकालीन भार (The Cost of War ?)—युद्ध की लागत का अर्थ द्रव्य लागत से या वास्तविक लागत से हो सकता है। युद्ध की द्रव्य लागत का आशय उन तमाम खर्चों से है जो युद्ध में करने पड़ते हैं। इसका भार उन लोगों पर पड़ता है जो युद्ध-व्यय के लिए योगदान करते हैं, जैसे कर देने वाले, ऋण देने वाले और भविष्य में आने वाली सन्तान, जिसको इसके लिए कर तथा व्याज देना पड़ेगा। युद्ध की वास्तविक लागत है—आतक, चिन्ता, गोपनीयता, परेशानिया, घृणा और नैतिक पतन। यह स्पष्टतः वर्तमान पीढ़ी में दिखाई देता है।

युद्ध का भार युद्धकालीन जनता पर है या कि आने वाली सन्तान पर, यह युद्ध के लिए प्राप्त आय और उनकी आर्थिक परिस्थितियों की नीति पर निर्भर है। जहां तक युद्ध जाय पत्र-मुद्रा छापने में प्राप्त की जाती है उसका भार अधिकतर उस काल की जनता पर ही होता है। मुद्रा-प्रसार के सभी कुपरिणामों को उस समय की जनता को ही उठाना पड़ता है, भविष्य के लिए इनका कोई भी कुपरिणाम शेष नहीं रह जाता। साधारणतः यह कहा जाता है कि करो द्वारा युद्ध के लिए प्राप्त आय का भार उस समय की जनता पर पड़ता है और ऋण द्वारा प्राप्त जाय का भार आने वाली सन्तान पर। लेकिन यह आवश्यक नहीं है।

ऐसा विद्वान् करने के कुछ कारण हैं कि ऋणों का अधिक आघात वर्तमान पीढ़ी को भी महना पड़ता है। कर देनदारों को अपने उपभोग को कम करना पड़ता है। अधिक करों का तो उपभोग व्यापार पर ऐसा उल्टा प्रभाव पड़ता है कि आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो जाती है। लेकिन यह निश्चय है कि क्या यह उत्पादन का दुःप्रभाव आने वाली सन्तान पर न आ जायगा? कल-कारखानों की उत्पादन की क्षमता के नष्ट होने में भविष्य में भी उत्पादन कम हो जायगा। भारी कर लगाने से कल-कारखानों के बढ़ने तथा उनके पूर्व अवस्था में करने के लिए कुछ भी स्थायी कोष नहीं बचता और अन्य जादि पुराने तथा अयोग्य हो जाते हैं। भारी कर लगाने से पूंजी का नष्ट हो जाता है तथा भविष्य में उत्पादन को हानि पहुँचती है। इसलिए यह

कहना कि भारी करो का भार केवल उस समय की पीढी को ही सहना पडता है पूर्णतया सत्य नहीं है ।

इसी प्रकार यह कहना कि ऋण केवल अपना बोझ आने वाली सन्तान पर ही डालता है, आवश्यक नहीं है । जबकि युद्ध के समय मनुष्य हथवा उधार देते हैं तो उन्हें भी उस समय अपने उपभोगो की बलि चढानी पडती है । युद्ध मे उद्योग-व्यापार से भी धन ले लिया जाता है । इस प्रकार उस काल के उद्योग-व्यापार को भी कष्ट उठाना पडता है, क्योंकि उत्पादन-क्षमता की कमी से उस समय की जनता को भी कष्ट उठाना पडता है । इसलिए यह सत्य है कि ऋण का भार भी उस समय की जनता को सहन करना पडता है ।

नि सन्देह ऋण देने वालो को अधिक करो के बोझ से कुछ छुटकारा मिल जाता है ।

यह जानने के लिए कि किस सीमा तक आने वाली सन्तान पर ऋण का भार होता है, हमें यह सोचना पडता है कि क्या यह अल्प-अवधि ऋण है या स्थायी ऋण है, और साथ ही यह भी देखना होगा कि वह आन्तरिक ऋण है या बाह्य ऋण ।

यदि ऋण की अवधि २०-३० वर्ष है, तब तो वर्तमान पीढी मे ही वह समाप्त हो जायगा, और भावी पीढी पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, केवल दीर्घकालीन ऋण की दशा में ही भावी सन्तति पर व्याज चुकाने का बोझ पड सकता है ।

आन्तरिक ऋण के तारे मे यह शकापूर्ण है कि क्या ऋण का सम्पूर्ण भार आने वाली सन्तान पर पडता है । नि सन्देह व्याज और मूलधन भविष्य मे चुकाये जायेंगे, और उनके लिए लोगो पर कर लगाये जायेंगे । इसलिए भविष्य मे कर देने वालो को उसका भार सहन करना पडेगा । किन्तु व्याज का भुगतान कौन प्राप्त करता है ? वर्तमान स्टाक होल्डरो की सन्तान पर । इसके यह अर्थ हुए कि सम्पत्ति का भावी पीढी के कुछ वर्गों में से (अर्थात् कर-दाताओ) भावी पीढी के अन्य वर्गों मे (अर्थात् वाड रखने वालो में) हस्तान्तरण हुआ । इसलिए यदि आने वाली सन्तान को कुछ देना पडता है तो आने वाली सन्तान कुछ लेती भी है । इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि भविष्य की सन्तान को ऋण का भार सहन करना पडता है । हाँ यदि ऋण आन्तरिक नहीं है तो ऐसा नहीं होता ।

लेकिन यदि ऋण बाहरी है तो भविष्य की सन्तान को व्याज तथा मूलधन का भुगतान करना पडता है । इसमे उधार लेने वाले देश का उधार देने वाले देश में हस्तान्तरण होता है । इत तरह से एक देश का धन दूसरे देश मे जाने लगता है । युद्ध-काल मे या युद्ध के बाद ही जब व्यापार पूरे जोर पर तथा कीमते बढी हुई और बेकारी नहीं होती है, तब ऋण का बोझ कम हाता है । लेकिन जब परिस्थितियाँ इसके प्रतिकूल होती है, तब यह बोझ बहुत बड जाता है ।

इन सब का सार निकालकर अगर हम यह कहें कि युद्ध की वित्त-व्यवस्था पत्र-मुद्रा से हो तो बहुत हद तक उस काल की सन्तान को ही उसका बोझ उठाना पडता है लेकिन जहा तक युद्ध-आय की पूर्ति कर द्वारा होती है उस काल की सन्तान का ही मुख्यतः उस स बोझ को उठाना पडता है । फिर भी भविष्य की सन्तान भारी करा के

कुप्रभाव से बची नहीं रह सकती। इसी प्रकार हालांकि ऋणों का यह स्वभाव है कि वह भविष्य की सन्तान पर अपना बोझ डालते हैं, लेकिन लोक ऋण से उस काल की जनता पर प्रभाव पड़ता है। यदि वह अल्पकालीन ऋण है तो आने वाली सन्तान बची रहती है लेकिन आंतरिक स्थायी ऋण में भी आने वाली सन्तान पूर्ण भार नहीं उठाती, क्योंकि वह भविष्य को सन्तान, भविष्य की सन्तान को ही दे देती है। केवल बाहरी ऋण में ही युद्ध-कर बोझ पूर्णतः आने वाली सन्तान पर पड़ता है। केवल इसी तरह हम युद्ध-कर को आने वाली सन्तान के ऋण में डाल देते हैं।

निर्देश पुस्तके

- Dalton, H— Public Finance
 Pigou, A C —Public Finance
 U Hicks—Public Finance
 Macgregor—Public Aspects of Finance
 Armitage Smith—Principles and Methods of Taxation.
 Lutz, Harley Leist—Public Finance
 Robinson—Public Finance
 Adams—The Science of Finance
 Silverman—Taxation
 Shyras—Science of Public Finance
 Plehn—Introduction to Public Finance
 Bastable—Public Finance
 Keynes, J M —How to Pay for the War, 1940
 De Vebi De Marco—Principles of Public Finance
 Alfred G Buehler on "Taxation and Economy" in National
 Tax Journal, June, 1950, pp 121-33,

घाटे की वित्त-व्यवस्था

(DEFICIT FINANCING)

१ प्रस्तावना—निजी खर्चों, कुल खर्चों अथवा अर्थ-व्यवस्था में जरूरी माग के स्तर में जो पूर्ण नियोजित पैदावार को चालू कीमत स्तर पर खरीदने के लिए जरूरी है गिरावट आने से, घाटे की वित्त व्यवस्था को लागू करना, १९३० की मदी में एक महत्त्वपूर्ण खोज थी। आज तो सरकार इसका मुख्य अस्त्र के रूप में प्रयोग करती है। विशेष रूप से उन देशों में जहां उन्नत निजी उद्यम की व्यवस्था है, जिससे निजी खर्चों में मदी की प्रवृत्ति दिखाई देने पर भी विशेष रूप से निजी कुल घरेलू नियोजन में, आर्थिक चेष्टाओं का उच्च स्तर सुनिश्चित रहे। काफी समय से, अविकसित देशों ने इसकी वदती हुई सम्भावनाओं को अनुभव किया है, जिससे विकास के लिए उपलब्ध स्रोतों में वृद्धि की जा सके। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय, विकास कामों के लिए ५०० करोड़ रुपये की वित्त की व्यवस्था इसी तरह की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में, इस तरह १,२०० करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की प्रस्तावना है। वास्तव में घाटे की वित्त-व्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण उत्तोलक (lever) के रूप में उपयोग की जा रही है जिससे उन्नत देशों में उच्च स्तर कायम रहे तथा कम उन्नत देशों ने आर्थिक विकास को गति मिले।

२ घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है ? (What is Deficit Financing ?) घाटे की वित्त व्यवस्था वाक्यांश का अर्थ बनाए हुए अथवा नवीन गतिशील द्रव्य (activated money) से है, जिससे खर्चों की व्यवस्था सम्भव हो सके। जब तार्वजिक खर्चा, चालू तथा पूंजीगत, मिलाकर, सरकार द्वारा प्राप्त करों, फीसों जुमानों, समाज सुरक्षा निधि में दिए जाने वाले निजी अशदान, सरकारी उद्यमों के आधिक्य, विदेशों से अनुदान तथा ऋण, तथा पब्लिक से ऋण आदि से अधिक हो जाता है तो सरकार इस खाई को पाटने के लिए या तो सेंट्रल बैंक के पास जमाने की शेष को कम करती है अथवा उससे उधार लेती है। इस खाई को पाटने के लिए काम में लाये गए ये दोनों उपाय घाटे की वित्त-व्यवस्था के दो रूप हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि सरकार द्वारा नई निर्मित अथवा गतिशील द्रव्य के कारण लोगों में द्रव्य-पूर्ति बढ़ने लगती है। चालू वित्तीय वर्ष में (अर्थात् १९५५-५६ में) भारत सरकार द्वारा २२२ करोड़ रुपये की वित्त-व्यवस्था का अनुमान है। अगले वर्ष ३५६ करोड़ रुपये की वित्त-व्यवस्था की आशा है।^१

1 Budget Speech by Shri C D Deshmukh (Finance Minister, Govt. of India)

घाटे की वित्त-व्यवस्था गैर-सरकारी क्षेत्र में भी अपनायी जा सकती है। चूँकि सार्वजनिक खर्चों की भाँति, गैर-सरकारी खर्चों का एक भाग भी नए निर्मित द्रव्य से, अर्थात् वाणिज्यिक बैंक में साख बढ़ाने से पूरा किया जा सकता है। इसलिए, अर्थ-व्यवस्था पर होने वाला कुल प्रभाव इस बात पर आधारित है कि सामूहिक रूप से कुल अर्थ-व्यवस्था में घाटे के वित्त की मात्रा कितनी रही।

३ घाटे की वित्त-व्यवस्था का मुद्रास्फीति सम्भाव्य (Inflationary Potential of Deficit Financing)—चूँकि घाटे की वित्त-व्यवस्था के अन्तर्गत नई निर्मित मुद्रा द्वारा खर्चों का वित्त पोषण होता है इसलिए यह जरूरी है कि लोगों में मुद्रा पूर्ति में विस्तार हो। यही घाटे की वित्त-व्यवस्था के मुद्रास्फीति सम्भाव्य का कारण है। घाटे की वित्त-व्यवस्था के कारण मुद्रा-स्फीति दबाव कुल द्रव्य आय अथवा खर्चों के विस्तार की सीमा तक बढ़ जाता है, जो बढ़े हुए लेन-देन के लिए द्रव्य की मांग को नई मुद्रा द्वारा पूरा करता है। जिस सीमा तक इस नई सीमित मुद्रा को कुल आय अथवा खर्चों में बिना मुद्रा स्फीति विस्तार ग्रहण कर लिया जायगा, घाटे की वित्त-व्यवस्था से मुद्रास्फीति का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

नीचे कुछ ऐसे non-inflationary उपायों का वर्णन किया जाता है जिनसे सरकार द्वारा, घाटे को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त द्रव्य-पूर्ति करने के उपरान्त भी यह द्रव्य लोगों में खप जाता है।

(क) किसी देश के विदेशीय विनिमय रिजर्व के आधार पर आधिपत्य आयात द्वारा कम करना—इसरी षचवर्षीय योजना के दौरान में भारत की स्टॉलिन राशि में से २०० करोड़ रुपये कम करने की प्रस्तावना है। इसलिए, इस सीमा तक सरकार द्वारा घाटे की वित्त-व्यवस्था होने पर भी लोगों में द्रव्य सप्लाई की शुद्ध अतिरिक्त पूर्ति नहीं होगी। चूँकि जो पैसा इस व्यवस्था के लिए जारी किया जायगा वह इस तरह आयात किए गए माल में खप जायगा।

(ख) गैरसरकारी क्षेत्र की ओर से नकारात्मक घाटे के वित्त की व्यवस्था करके कम करना—यदि निजी धरेलू बचत तथा विदेशीय निधि के आदान-प्रदान की दर निजी धरेलू विनियोजन की निजी निधि तथा सरकार के शुद्ध ऋण से बढ़ जाती है तो इस ब्रेकेज (शेप) को बैंकिंग प्रणाली में हो रही निजी ऋणग्रस्तता को कम करने में उपयोग किया जा सकता है। वाणिज्यिक बैंक साख के सिकड़ने से इतनी ही मुद्रा कम हो जाएगी। गैरसरकारी क्षेत्र द्वारा इस प्रकार की घाटे की नकारात्मक वित्त-व्यवस्था नीति से लोगों में पैदा हुई द्रव्य सप्लाई का प्रभाव कम हो जाता है।

(ग) द्रव्य की सोदा मांग में वृद्धि द्वारा (गैर मुद्रास्फीति नीति से) खपाना—पैदावार के अधिक मात्रा में बाजार में जाने से इस प्रकार की सोदा-मांग में वृद्धि होगी। वाणिज्यिक पैदावार में इस प्रकार की वृद्धि, अर्थ-व्यवस्था में बढ़े हुए द्रव्य तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था के लिए जुटाए गए विनियोजन के फलीभूत होने के कारण तथा निजी धरेलू बचत, विदेशीय उधार और अनुदान द्वारा पूरी होती है। इस प्रकार की गैर मुद्रास्फीति नीति मांग में द्रव्य में वृद्धि द्रव्य आय के स्रोतों की अनुपात मात्रा के परिणाम-

स्वरूप हो सकती है, (जैसा कि आजकल प्रायः व्यवहार में नहीं आता) अर्थात् आर्थिक चढा के खड़े एकीकरण (vertical integration) से परे हटने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप।

(घ) द्रव्य की आस्ति मांग में गैरमुद्रास्फीति वृद्धि द्वारा खपत—इसरी आस्तियों (assets) की तुलना में द्रव्य को इस प्रकार में आस्ति के रूप में रखने की मांग में वृद्धि, गैरसरकारी द्रव्य को बढ़ाने से हो सकती है। और ऐसी स्थिति संयुक्त परिवार जैसी व्यवस्था तथा ढाँचे में दरार पड़ने तथा नागरिकता को बढ़ावा देने से पैदा होती है। ऐसी स्थिति उस समय भी होती है जब कीमते गिरने की आशा हो अथवा अधिक माल उपलब्ध होने की। तरल अधिमानों के विस्तार के फलस्वरूप भी ऐसा ही होता है (अर्थात् तरल अधिमान अनुसूची में नीचे की ओर गति होने से)। उपर्युक्त स्थिति व्याज की दर में गिरावट होने तथा सरकार की घाटे की वित्त-व्यवस्था के लिए द्रव्य की पूर्ति में विस्तार के कारण उत्पन्न होती है।

जिस सीमा तक सरकार द्वारा घाटे की वित्त-व्यवस्था के लिए लाई गई अतिरिक्त द्रव्य-पूर्ति उपर्युक्त उपायों द्वारा खप जाती है मुद्रास्फीति दबाव में वृद्धि नहीं होती। किन्तु इस सीमा के आगे, जो ज्यादा द्रव्य जारी किया जाता है वह सिर्फ द्रव्य की सौदा मांग में वृद्धि द्वारा ही खप सकता है, घाटे की वित्त-व्यवस्था के खर्चें पूरे करने के गुणक प्रभावों के कारण इस प्रकार की द्रव्य आय में मुद्रास्फीति वृद्धि होती है।

४. मुद्रास्फीति की सीमा और विस्तार (Scope and Limitations of Deficit Financing)—उपर्युक्त बातें घाटे की वित्त-व्यवस्था की सीमा और विस्तार के बारे में कही गई हैं। जिस सीमा तक गैरमुद्रा-स्फीति के उपाय अपनाए जाते हैं (उपर्युक्त वर्णित) उस सीमा तक मुद्रास्फीति दबाव में वृद्धि नहीं होती। इस सीमा तक घाटे की वित्त-व्यवस्था आसानी से की जा सकती है। वास्तव में, आर्थिक स्थिरता को द्रव्य की माँग के लिए गैरमुद्रास्फीति उपायों को काम में लाकर द्रव्य पूर्ति बढ़ा कर, सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना ही चाहिए। किन्तु इस सीमा के बाद, घाटे की वित्त-व्यवस्था से मुद्रास्फीति दबाव बढ़ जाता है। इसलिए, घाटे की वित्त-व्यवस्था की सीमा इस बात पर आधारित है। मुद्रास्फीति दबावों को मुद्रास्फीति स्थिति पर भौतिक नियंत्रणों द्वारा (कीमत नियंत्रण तथा रार्शनिंग व्यवस्था द्वारा) किन्नी सीमा तक रोका जा सकता है। इसके अलावा घाटे की वित्त-व्यवस्था तथा दूसरे विनियोगों के कारण पैदावार में वृद्धि करके और द्रव्य में सौदा मांग में बढ़ोतरी आदि से इन दबावों को कम किया जा सकता है।

आर्थिक व्यवस्था

(ECONOMIC ORDER)

१ पूंजीवाद क्या है ? (What is Capitalism?)—आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण के विषय में विचार करने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम विद्यमान आर्थिक पद्धति की क्रिया तथा उसमें निहित विषयो को भली भाँति समझ लें। इस पद्धति को पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था, पूंजीवाद या पूंजीवादी पद्धति कहते हैं।

इन पद्धति के अन्तर्गत समस्त खेत, कारखाने तथा उत्पादन के अन्य साधन व्यक्तियों तथा फर्मों की निजी सम्पत्ति मानी जाती है, तथा अपने लाभ के लिए उनका उपयोग करने अथवा न करने की उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। अपनी सम्पत्ति का किसी प्रकार आदान-प्रदान करते समय लाभ प्राप्त करना सम्पत्ति के स्वामियों का एक-मात्र उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति उत्पादन का कोई भी मार्ग ग्रहण कर सकता है, तथा अपने लाभ के लिए अन्य नागरिकों से सविदा अथवा ठेका करने के लिए स्वतन्त्र है। यद्यपि जन-कल्याण के लिए समस्त आधुनिक राज्य कुछ प्रतिबन्ध लगाते हैं, तथापि इन प्रतिबन्धों के होते हुए सम्पत्तिवान् वर्गों को अपनी सम्पत्ति का जैसे चाहें वैसे प्रयोग करने की, अपने लिए लाभदायक कोई भी कारोबार चालू करने की, तथा अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रकार के सविदा करने की बहुत गुंजायश रहती है। पूंजीवाद की वेब द्वारा की गई परिभाषा से इस पद्धति में निहित विषय स्पष्ट हो जाते हैं। यह परिभाषा इस प्रकार है—“पूंजीवाद या पूंजीवादी पद्धति या पूंजीवादी सभ्यता का अर्थ है उद्योग के विज्ञान तथा वैधानिक संगठन में वह स्थिति, जिसमें कि श्रमिकों का समुदाय उत्पादन के यन्त्रों के स्वामित्व में इस प्रकार परे हो जाता है कि वह ऐसे मजदूरों में परिणत हो जाता है कि उनका निर्वाह तथा निजी स्वातन्त्र्य राष्ट्र के थोड़े से व्यक्तियों की, अर्थात् उन व्यक्तियों की जो भूमि, यन्त्रादि तथा श्रम-शक्ति के स्वामी हैं, तथा अपने कानूनी स्वामित्व के द्वारा उनके प्रबन्ध का नियन्त्रण रखते हैं तथा अपने उच्च व्यक्तिगत तथा निजी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा करते हैं, इच्छा पर विचार प्रतीत होता है।”

२ पूंजीवाद के प्रमुख लक्षण (Outstanding Features of Capitalism)—पूंजीवाद के अध्ययन में यह ज्ञात होता है कि इस पद्धति के कई प्रमुख लक्षण हैं। इनमें से प्रमुख ये हैं—(1) निजी सम्पत्ति का अस्तित्व तथा उत्तराधिकार की प्राणिकी न्यूनसे प्रधान है। हर एक व्यक्ति को निजी सम्पत्ति प्राप्त करने का, उसे रखने का तथा अपनी मृत्यु के पश्चात् अपने उत्तराधिकारियों को देने का अधिकार होता है। इस पद्धति का फल यह होता है कि इन के वितरण में विषमता फैलने

लगती है। धनवान लोग अधिक धनवान होते जाते हैं तथा निर्धन लोग अधिकाधिक निर्धन।

(ii) इसी से सम्बन्धित दूसरा लक्षण यह है कि उत्पादन के यन्त्र व्यक्तियों के हाथ में रहते हैं और वे उनका प्रबन्ध एक मात्र अपने लाभ के लिये करते हैं। इस प्रकार ये व्यक्ति जेतों तथा कारखानों के स्वामी होते हैं तथा कृषि, व्यवसाय और उद्योग के रूप में अपने निजी लाभ के लिये कारोबार करते हैं, समाज के लाभ के लिये नहीं। फल-स्वरूप राष्ट्रीय लाभांश का बहुत बड़ा भाग शक्तिशाली पूँजीपतियों तथा धनवान स्वामियों के पास चला जाता है। जनता का शोषण होता है और उसे अपने श्रम का उचित प्रतिफल नहीं मिलता।

(iii) इसी से वर्तमान आर्थिक व्यवस्था का एक और लक्षण प्रकट होता है। वह है वर्ग-सघर्ष। समाज दो वर्गों में बंट गया है। एक वे जो 'भरे' (सम्पन्न) हैं, दूसरे वे जो 'खाली' हैं। दोनों वर्गों में निरन्तर सघर्ष चला करता है। समस्त पूँजीवादी देशों में श्रम तथा पूँजी का सघर्ष चल रहा है और इस समस्या का कोई हल हाल में निकलता नहीं दिखलाई देता। एक वर्ग दूसरे को अपना प्राकृतिक शत्रु समझता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह वर्ग-सघर्ष पूँजीवाद में स्वाभाविक है।

(iv) पूँजीवादी व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण आर्थिक स्वातन्त्र्य है जिसमें तीन बातें निहित हैं—(क) उद्यम स्वातन्त्र्य, (ख) सविदा या ठेके (Contract) का स्वातन्त्र्य, (ग) अपनी सम्पत्ति का बेरोक-टोक उपयोग। हर व्यक्ति को जो उद्योग वह चाहे करने की स्वतन्त्रता होती है तथा अन्य नागरिकों से अपने लिये सबसे अधिक लाभदायक ढंग से सविदा या ठेका करने की स्वतन्त्रता को निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता क्योंकि सर्व-साधारण के कल्याण की दृष्टि से समस्त राज्यों में व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। अपना काम स्वयं चुनने की स्वतन्त्रता नाम-मात्र की ही है। पारिवारिक प्रभाव, व्यक्ति-विशेष के साधन, प्रतिकूल प्रवृत्तियाँ तथा अन्य सामाजिक बन्धन अपना कार्य स्वयं चुनने वाले हरेक व्यक्ति के मार्ग में बाधक होते हैं। फल-स्वरूप, निर्धन व्यक्तियों के लिये केवल उन्हीं उद्यमों का द्वार खुला रहता है जिनमें आमदनी बहुत कम है।

(v) वर्तमान आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष लक्षण उनकी विषमता है। आर्थिक क्रियाओं का कोई विचारयुक्त नियमन या केन्द्रीय संचालन नहीं होता। सब कुछ अपने आप होता हुआ-सा प्रतीत होता है। अनेक एकाकी सांस्कृतिक उपक्रमों के करने वालों और उनके निश्चयों के फलस्वरूप उत्पादन जारी रहता है। इस उत्पादन पर उपभोक्ताओं की एक ऐसी विशाल जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है जिसके सदस्य बिना एक दूसरे से परामर्श किये निश्चय कर लेते हैं। उन उपभोक्ताओं की हृत्ति और अहृत्ति के आधार पर ही यह अन्तिम निर्णय अवलम्बित है कि क्या उत्पादित किया जाय और क्या उत्पादित न किया जाय। यह उपभोक्ता-मात्र की तथा उत्पादकों की अव्यवस्थित क्रियाओं की पूर्ति किसी प्रकार एक दूसरे को मनुष्यित कर लेती है। कीमतेँ मकेत-चिह्न का काम करनी ह। कीमतों का प्रभाव उपभोक्ताओं तथा

उत्पादको दोनों पर पड़ता है।

(VI) वर्तमान आर्थिक व्यवस्था का एक मुख्य लक्षण साहसी व्यवसायी का महत्वपूर्ण कार्य है। सारे देश की समस्त उत्पादक यथावलि उमी के निर्देशानुसार चलती है। वही अन्य उत्पादक शक्तियों को किराये पर लेकर उनके कार्य के बदले में कीमत देने का आश्वासन देता है। उत्पादन के मामले में समाज का वह एकमात्र अभिकर्ता या प्रतिनिधि है। यह नहीं समझ में आता कि उद्यमी के बिना वर्तमान प्रणाली का संचालन क्योंकर हो सकता है। हर बात उसी से सम्बद्ध है।

(VII) वर्तमान आर्थिक व्यवस्था का एक और लक्षण यह है कि कारोबार का नियन्त्रण तथा जोखिम सह्यामी है। इसे पूजीवाद का स्वर्ण नियम कहते हैं। जो अपने रुपये को जोखिम में डाले, वह कारोबार का नियन्त्रण अवश्य करेगा, जो पूजी लगायेगा वह अपने मन के अनुसार कार्य चाहेगा। यदि पूजी तो किसी और की है और नियन्त्रण ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है, जिन्होंने कारोबार में विलकुल पूजी नहीं लगाई है तो ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि किये जाने वाले निश्चय बहुधा बेढगे होंगे।

(VIII) हम इस बात पर भी ध्यान रखें कि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था न केवल प्रतियोगिता पर अवलम्बित है वरन् साथ-साथ विभिन्न हितों के सगठन पर भी अवलम्बित है। क्रेताओं का क्रेताओं से, विक्रेताओं का विक्रेताओं से तथा धर्मजीवियों में आपस में नाकरी प्राप्त करने के लिए होड़ लगी रहती है। परन्तु धर्मजीवी पूजीपतियों से लड़ने के लिए श्रमिक सघ बनाते हैं। इस प्रकार नियोजक न केवल आपस में प्रतियोगिता करते हैं वरन् अपनी सगठन समस्याएँ बनाकर अपने हितों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में प्रतियोगिता और सगठन साथ-साथ चलते हैं।

३. पूजीवाद की सफलताएँ (Achievements of Capitalism)—
पूजीवाद की अनेक सफलताएँ हैं—

पूजीवाद के नमर्क हमारा ध्यान सामान तथा सेवाओं की विभिन्नता तथा बाहुल्य की ओर आकर्षित करते हैं। लाभ की तृष्णा के वशीभूत उद्यमी जोखिम उठाने तथा उत्पादन के नवीन क्षेत्रों को हस्तगत करने का प्रयत्न करने के लिए बाध्य हो जाता है। रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो गया है। जीवन के वैभव में वृद्धि हुई है, तथा जीवन अधिनायिक परिपूर्ण तथा नमपन्न होता जाता है।

इससे, समाज के नीमित साधन अधिकतम नित्यव्ययिता से तथा न्यूनतम नष्ट होते हुए, प्रयुक्त होते हैं। जिन व्यक्ति पर विनाश का दायित्व होता है, उसे हानि तथा दिवाले के रूप में अपनी गलती का फल मिल जाता है।

तीसरे, पूजीवाद ने नमने अधिक योग्य, माहमी तथा दूरदर्शी उद्यमी को ही सबसे अधिक लाभ होता है, जो आगे बढ़कर जमाधारण चातुर्य और जीवट में काम करता है वही ऊँचे में ऊँचे गम का भागी होता है। इसमें अधिक उचित और कुछ दिखलाई नहीं पता कि योग्यता के अनुसार पारितोषिक मिले।

चौथे, उपभोक्ताओं का नियन्त्रण बना रहने के कारण इस पद्धति में जनतन्त्र की मानता का मोटा-पट्टा रग चट जाता है।

पाँचवें, पूजीवाद में जोखिम और नियन्त्रण साथ-साथ चलने हैं, अतः आर्थिक विषयो पर सदा विचारपूर्वक निश्चय किये जाते हैं।

यदि 'जीवन-सम्पन्न ही जोवित रह पाता है' के सिद्धांत को किसी पद्धति की श्रेष्ठता का आधार मान लिया जाय तो पूजीवाद निस्सन्देह ठोस सिद्धांत कहा जायेगा। इस पद्धति ने अनेको विषय परिस्थितियों का सामना किया है, परन्तु अतः यही पद्धति अंग-भंग हो जाने पर भी, विजयी सिद्ध हुई है। इसी पद्धति ने आश्चर्यजनक ढंग से अपने आपको परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल बनाया है। इस पद्धति की सुदृढ़ता और अवसर के अनुकूल बन जाने की योग्यता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि इस पद्धति ने खर्चीले युद्धों के भार को भली भाँति वहन किया है।

४ पूजीवाद की आलोचना (Criticism of Capitalism)—परन्तु अब पूजीवाद चारों ओर से आक्रांत हो रहा है। सर्वप्रथम, प्रतियोगिता, जो कि पूजीवादी आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, एक विनाश-मात्र है। विज्ञापन तथा विक्रय-पटुता में बहुत बड़ी धन-राशियाँ केवल प्रतिद्वन्द्वी को मात देने के लिए व्यय की जाती हैं। इस दौड़ में हारने वालों द्वारा प्रयुक्त साधनों को विनाश ही कहा जायेगा। भीषण प्रतियोगिता से कोई विशेष सामाजिक लाभ नहीं होता।

दूसरे, आर्थिक व्यवस्था में गड़बड़ी को दूर करने के लिए आवश्यक शक्तियों का आवास-प्रवास प्रतियोगिता के क्रियाशील होने पर ही निर्भर है। परन्तु कानूनी, सामाजिक और आर्थिक संघर्ष के फलस्वरूप खुली प्रतियोगिता नहीं हो पाती तथा उत्पादन-शक्तियाँ अधिकतर व्यर्थ पड़ी रहती हैं।

तीसरे, उपभोक्ताओं अर्थात् समाज तथा उत्पादकों के हितों में माना हुआ सामंजस्य वास्तविक नहीं होता। खुली प्रतियोगिता नहीं सकने के कारण नैतिकताहीन उत्पादकों द्वारा जान-बूझकर चले जाने के कारण तथा व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता के अज्ञानी और साहसहीन होने के कारण, यह उपभोक्ता राजा से रक हो जाता है और शोषण का शिकार हो जाता है।

चौथे, अत्यधिक प्रतियोगिता तथा अत्यधिक वृद्धि के कारण व्यापारिक घट-वृद्धि की पुनरावृत्तियों को जिनके फलस्वरूप अत्यधिक उत्पादन होता है, हम पूजीवाद का सबसे कड़वा फल कह सकते हैं। जबकि एक ओर उत्पादन योजनाहीन होकर पूजी के निरन्तर बढ़ते हुए एकाकीकरण के कारण जोर पकड़ता है, तथा दूसरी ओर उपभोक्ताओं में से अधिकतर चूसे जाते हैं, तब उत्पादन और खपत में सन्तुलन बना रहे, तो यह अव्यय आश्चर्य का विषय होगा।

पाचवें, हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा अंग श्रमजीवी है और वे हर समय नौकरी से हटा दिए जाने के भय से ग्रस्त रहते हैं। स्थिरता की कोई भावना उनमें नहीं है।

छठे, पूजीवाद मानवीय अधिकारों के विरुद्ध सम्पत्ति के अधिकारों पर अनुचित जोर देता है। ईश्वर का अंश, मानव, एक वस्तु-मात्र समझा जाता है।

सातवें, श्रम तथा पूजी नामक दो प्रतिद्वन्द्वियों में समाज को बाँटकर पूजीवाद ने चिर-सामाजिक अनतोष का बीज बोया है। यह दोनों प्रतिद्वन्द्वी एक-दूसरे को घूर-

घूर कर देखने हें और लडने का अवसर बूढा करते हैं।

आठवे, पू जीवाद का सबसे विपम फल वन के बितरण की वह अत्यधिक असमानता है, जो समय के साथ-साथ बढ रही है। जैमा जी० डी० एच० कोत्र ने लिखा है, "उद्योग के मन्दिर में सुख के नाम पर पुजारी और दासों में जमीन-आसमान का अन्तर है।"¹

अन्त में पू जीवाद घातक विरोधाभासों से परिपूर्ण है। कुछ तो मनमाने वैभव में मस्त हैं, किन्तु अधिकतर आधे-पेट भोजन करके जीवित हैं। एक ओर फसले सङ्ग रही हैं तो दूसरी ओर मनुष्य भूखा मर रहा है। कारखानों के अन्दर मशीनें खाली पडी हैं और बाहर बेकारी नग्न नृत्य कर रही है।

इन जोड़ी-नी बातों में वर्तमान पू जीवादी पद्धति की पर्याप्त आलोचना हो जाती है। म्रियो और बच्चों के कठोरतापूर्वक शोषण, वृद्ध, रूग्ण और बेकारी की निर्मम उपेक्षा, तथा ममस्त मानव सम्बन्धों पर आर्थिक विषमताओं के प्रभुत्व ने समाज की आत्मा को छेद दिया है तथा लोग अन्य किसी मार्ग की खोज में भटक रहे हैं। पू जीवाद के अन्तर्गत पाई जाने वाली असह्य परिस्थितियों से बचाव के निम्नलिखित साधन बतलाये जाते हैं—

आयोजित पूजीवाद (planned capitalism), समाजवाद जिसमें साम्यवाद भी सम्मिलित है। हम इनमें से प्रत्येक पर विचार करेंगे।

५ आयोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy)—महान् मदी के उन दिनों के पश्चात्, जब कि मसार में बाहुल्य होते हुए भुखमरी का विचित्र तथा असाधारण दृश्य उपस्थित हुआ, मसार की प्रवृत्ति योजनाधीन रहने की ओर अग्रसर होनी जा रही है। अत्र आर्थिक व्यवस्था का माग धीरे-धीरे पूर्ति के आधार पर अपने आप कार्य करने रहने देना अच्छा नहीं समझा जाता। वर्तमान प्रणाली में वैभव के असाध्य हो जाने का खतरा मूलतः विद्यमान है। अब बहुत कम लोगों को यह आशा रह गई है कि यदि आर्थिक शक्तियों को निरकुश छोड़ दिया जाय तो देश के आर्थिक साधनों का असाधारण विनियोग हो सकेगा। सर विलियम वेवेरिज का कथन है कि, "यह कदापि आशा नहीं की जा सकती कि बहुत से छोटे-छोटे कारोबारों की व्यक्तिगत उन्नति से किन्हीं ऐसे उद्योग का जन्म हो सकता है, जो अधिकतम तथा सर्वांगीण कार्य-क्षमता के आधार पर निर्मित हो। ठीक उसी प्रकार जैसे कि छोटे-छोटे अनेको वनवानों तथा निर्माताओं की अत्यवस्थित तथा निरकुश क्रियाएँ एक ऐसा आयोजित नगर नहीं बना सकती, जिसमें अनावश्यक मोड़ों, दोहरी सड़कों अथवा जावागमन की असुविधायें न हों।" विपन्नताओं की उन पुनरावृत्तियों को रोकने के लिये, जिसके कारण वर्तमान आर्थिक प्रणाली में एक व्यापार-चक्र चलने लगता है, योजनाओं के बनाने की विशेष आवश्यकता पर जोर दिया जाता है।

किन्तु योजना बनाने का क्या तात्पर्य है? (But What is Planning?)—इन विषय पर विचारों में बहुत मतभेद है। रविन्म का कथन है, "सब

तो यह है कि आर्थिक जीवन में हर जगह योजना बनाने की आवश्यकता पड़ती है। योजना बनाने का अर्थ है कि किसी अभिप्राय को लेकर कार्य किया जाय तथा चयन किया जाय। यही चयन आर्थिक क्रियाओं का मूल तत्व है।¹ परन्तु सामान्यतया योजना बनाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाता और न योजना बनाने का यह अर्थ है कि उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो अथवा कृषि की पुन व्यवस्था हो। भारत में केन्द्रीय तथा राज्यो की सरकारों के विभिन्न विभागों ने युद्ध के पश्चात् विकास की योजनायें बनाई हैं। एक प्रकार से इमें भी भविष्य के लिये योजना बनाना कह सकते हैं। परन्तु ऐसी योजनाओं का आर्थिक योजना बनाने का मूल तत्व समझ में नहीं आता। योजना बनाने का अर्थवत्ता जो अर्थ लगाते हैं, वह यह है कि राष्ट्रीय साधनों को निश्चित उद्देश्य के आधार पर रेखांकित किया जाय तथा केन्द्रीय नियन्त्रण में रखा जाय, जिसमें समस्त आर्थिक विषयों का निश्चित रूप में एकीकरण हो जाय तथा उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाय तथा इस प्रकार व्यर्थ की प्रतियोगिता तथा व्यर्थ का दोहराव हो ही न पावे। लूइस लारविन ने योजनाधीन अर्थ-व्यवस्था की व्याख्या इस प्रकार की है, “आर्थिक प्रबन्ध की ऐसी योजना समस्त प्राप्य साधनों को उपयोगी बनाने के अभिप्राय से व्यक्तिगत तथा विभिन्न यत्रादि, उद्यम तथा उद्योगों को एक ही प्रणाली की एक साथ चलने वाली इकाइया माना जाता है जिससे निश्चित समय के अन्दर लोगों की आवश्यकताओं की अधिकतम तुष्टि हो सके।”² अथवा जैसा कि डिकेन्सन कहता है, “आर्थिक योजना बनाने का तात्पर्य बड़े-बड़े आर्थिक निश्चय करना है—क्या और कितना उत्पादन किया जाय, तथा एक सुनिश्चित अधिकारी के विचारयुक्त निश्चयानुसार सम्पूर्ण आर्थिक-व्यवस्था के विस्तृत निरीक्षण के आधार पर, वह किसको बाटा जाय।”³

इस आधार को लेकर योजना बनाने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएँ स्पष्ट हो जाती हैं —

(क) योजना बनाना विचारयुक्त, जानबूझ कर तथा एक निश्चित उद्देश्य को लेकर हो।

(ख) एक ही ऐसा अविभक्त अधिकारी हो, जो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को आयोजित करने और उनका एकीकरण करने के लिए जिम्मेदार हो। कृत्यों का भार दूसरों पर भी डाला जा सकता है।

(ग) सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र आयोजित किया जाना परमावश्यक है। टुकड़े-टुकड़े करके योजना न बनाई जाय।

(घ) समस्त प्राप्य साधनों का एकमात्र सर्वसाधारण के कल्याण के उद्देश्य से वैज्ञानिक वितरण किया जाय।

योजना बनाना अब केवल सैद्धान्तिक वादविवाद का विषय नहीं रह गया है अपितु

1 Robbins, Lionel—Economic Planning and International Order, 1937, p. 14

2 Quoted by George Frederick in his “Readings in Economic Planning”, p 153

3 Dickenson, H D Economics of Socialists, 1939, p 41.

व्यावहारिक नीति का एक आवश्यक अंग हो गया है। जून सन् १९३३ के नॅशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट (राष्ट्रीय औद्योगिक पुनर्जीवन अधिनियम) द्वारा अमरीका की सरकार को उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में चारों ओर से नियन्त्रण का अधिकार दिया गया। इस प्रयोग के सफल होने में किन्हीं को सन्देह नहीं है। रूस में तो आयोजन द्वारा जीर भी अधिक गानदार सफलता प्राप्त हुई है, जिससे कि रूस को औद्योगिक उत्पादन में योरोप में प्रथम तथा ससार में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। जर्मनी में भी, जहाँ पूँजी पर राज्य का स्वामित्व नहीं था, आयोजन के फलस्वरूप बेकारी दूर हुई, वेतन बढ़े तथा कृषि का विकास हुआ। आयोजन के बिना जर्मनी इतना आश्चर्यजनक पुनर्निर्माण न कर पाता।

योजनाधीन अर्थ-व्यवस्था किसी भी प्रकार की अर्थ-व्यवस्था के साथ-साथ चल सकना है। पूँजीवाद में भी योजना बनाना संभव है। पूँजीवाद के समस्त अनुगामी अंग अर्थात् निजी संपत्ति, व्यक्तिगत उद्यम बने रह सकते हैं। परन्तु राज्य की ओर से बहुत अधिक नियन्त्रण आवश्यक होगा। समस्त उद्यमी व्यक्तियों को योजना के अन्तर्गत कार्य करना पड़ेगा। यह स्वाभाविक है कि पूँजीवाद के अन्तर्गत योजना बनाने में सीमित सफलता प्राप्त हो। यह भी संभव है कि बिना किसी पूर्व-निश्चित तथा विचारयुक्त योजना के समाजवादी अर्थ-व्यवस्था बनी रहे। आर्थिक नीति एक प्रवाह के समान हो। परन्तु यदि योजना बनाने का अधिकार निश्चित और सुदृढ़ होता है, तो वह किसी न किमी रूप में समाजवाद अवश्य होगा।

योजना के आलोचकों का कहना है कि इसमें आर्थिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। उनका कहना है कि उपभोक्ता की स्वतंत्रता तथा उत्पादक का उद्यम नष्ट हो जाएगा। किन्तु यह त्रिचार भ्रमपूर्ण है। योजना तो आर्थिक स्वतंत्रता की पूर्णतया पोषक है। श्रीमती वूटन का कथन है "आर्थिक प्राथमिकताओं के सचेत रूप में योजना बनाने में ऐसा कोई भी तत्त्व नहीं पाया जाता जो स्वतंत्रता का वैरी हो। ऐसी स्वतंत्रता जिसे जमगी ही जीर अर्थेज नामयिक काल में मानते हैं।" उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों को अपनी पसन्द में व्यय करने तथा बनाने की पूरी आजादी होगी।

६ समाजवाद (Socialism)—समाजवाद पूँजीवाद का एक विकल्प है। इसका नवम् अर्थि त्रिन्नुन प्रभाव है। स्वीडन के एक राजा ने अपने एक मंत्री से कहा था, "यदि नार्वे पच्चीस वर्ष की आयु तक समाजवादी नहीं होता है तो इससे यह प्राप्त होता है कि उनके हृदय नहीं है। परन्तु यदि पच्चीस वर्ष की आयु के पश्चात् वह समाजवादी बना रहता है तो उनके मन्तिष्क नहीं है।" समाजवाद ने सारे ससार के नोकरानों की तल्पना को जकट रखा है।

परन्तु उन विषय पर विद्वानों में परिपूर्ण एकमत नहीं है कि समाजवाद वास्तव में है क्या? ऐसा प्रतीत होता है कि जितने समाजवादी हैं उतने ही प्रकार के समाजवादी मत भी हैं। समाजवाद को उम हट के समान कहा गया है जिसका हर किमी के पहल

लेने के कारण, कोई रूप ही नहीं रह गया है। समाजवादियों की योजना-सम्बन्धी मुख्य बातें समझने के लिए उनकी विभिन्न विचारधाराओं की जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। यह कथन ठीक ही है कि समाजवाद के अन्तर्गत बहुत सी बातें शामिल हैं और बहुत-सी बातों को मिलाकर समाजवाद वा नाम दिया जाता है। इस बहुरंगी स्थिति का विवरण शेडवेल ने दिया है "यह समान रूप से भावपरक तथा ठोस, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक, आदर्शवादी तथा भौतिक, प्राचीनतम तथा आधुनिकतम है। यह भावना मात्र से लेकर निश्चित कार्यक्रम तक चलता है। इसके पीछे इसे जीवन दर्शन मानने हैं, अर्थात् एक प्रकार का धर्म, नीतिशास्त्र, आर्थिक प्रणाली, ऐतिहासिक सत्य, न्यायिक सिद्धान्त आदि। यह लोकप्रिय आन्दोलन है तथा वैज्ञानिक विश्लेषण भी। भूतकाल का विवेचन और भविष्य का स्वप्न, युद्ध की विभीषिका तथा युद्ध का नकार; हिंसात्मक क्रांति, सहज क्रांति। प्रेम का उपदेश तथा परोपकार, घृणा और लोभ का मूलमंत्र। मानवमात्र की आशा तथा सभ्यता का अन्त, स्वर्णिम युग का उपा काल तथा भयकर विनाश।" समाजवाद की विभिन्न धारणाओं को समझने में उसके तत्व का स्पष्ट पता चल सकता है।

७ मार्क्सवादी समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद (Marxian Socialism or Scientific Socialism)—कार्ल मार्क्स ने सन् १८६७ में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दिस कैपिटल' लिखी, जो समाजवाद की गीता समझी जाती है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता माना जाता है। उसके सिद्धान्तों के प्रधान आ निम्नलिखित हैं —

(१) इतिहास की भौतिक धारणा (Materialistic Conception of History)—उसने इतिहास की प्रत्येक घटना के आर्थिक आधार को लेकर समझाने का प्रयत्न किया है। उसने इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया है। समस्त युद्धों, दगों तथा राजनैतिक आन्दोलनों के मूल में ऐतिहासिक कारण होते हैं। हर एक आर्थिक स्थिति का समकालीन कोई न कोई उपयुक्त राजनैतिक सगठन होता है। उदाहरणार्थ, पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था ऐसी शासन-प्रणाली का विकास करती है जो सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकारों का समर्थन तथा अनुगमन करती है। वह आगे यह समझाता है कि किस प्रकार पूँजीवाद से ऐसी परिस्थितियों का प्रादुर्भाव होगा, जिनमें समाजवाद पूँजीवाद का स्थान ग्रहण कर लेगा। पूँजीपति समय बीतते-बीतते अधिकाधिक धनवान होते जायेंगे परन्तु उनकी सख्या कम होती जायेगी। बड़ी म उन्नी छोटी मठलियों को लीलनी जायेगी। एकाधिकार उत्पन्न हो जायेंगे। उत्पादन बढ़ेगा तथा विदेशी बाजारों में माल की सपत के लिये भड़भडाहट होगी। साम्राज्यवादी युद्ध होंगे जब तक कि इस सवर्ष में पूँजीवाद समाप्त हो जायेगा तथा मजदूर वर्ग के हाथ में बागडोर आ जायेगी।

(२) मूल्याधिक्य का सिद्धांत (Theory of Surplus Value)—कार्ल मार्क्स का कथन है कि उत्पादन अपनी बनाई हुई वस्तु के मूल्य के रूप में श्रम तथा अन्य

लागत में लगे हुए धन से अधिक धन प्राप्त कर लेता है। बाजार मूल्य का वह भाग जो लागत से अधिक होता है, मूल्याधिक्य कहलाता है। यह मूल्याधिक्य श्रमिक की ही सृष्टि है। इसकी उत्पत्ति होने का कारण यह है कि श्रमिक को, जो मिलना चाहिये उससे बहुत कम मिलता है। पूजीपति द्वारा इस मूल्याधिक्य को खतम करना कार्ल मार्क्स की दृष्टि में लूट तथा शोषण है। उसके अनुसार हर वस्तु श्रम का निखरा हुआ अथवा सिमटा हुआ रूपान्तर मात्र है।

८ सामूहिकवाद अथवा राजकीय समाजवाद (Collectivism or State Socialism)—सामूहिकवादी अथवा राजकीय समाजवादी ससदीय जनतन्त्र में तथा उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण में विश्वास करते हैं। वे राजनीतिक शक्तियों को हस्तगत तथा सुदृढ़ करके उनको समाजवादी उद्देश्यों तथा आदर्शों की प्राप्ति में प्रयुक्त करना चाहते हैं। बलवान राजकीय शक्ति का प्रयोग धनोपार्जन तथा उसके समवितरण में करना चाहते हैं। राज्य ही सब कुछ है, तथा समाजवादियों को राज्य-शक्ति प्राप्त होते ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। राज्य सब कुछ करेगा। व्यक्तिगत उद्यम समाप्त कर दिये जायेंगे तथा समस्त उत्पादन राज्य के वैतनिक अधिकारियों द्वारा सम्पन्न होकर लाभ सार्वजनिक कोष में एकत्रित होगा और उसका प्रयोग जनता की उन्नति के लिए किया जायेगा। पूजीवाद और राजकीय समाजवाद में केवल इतना ही अन्तर है कि राजकीय समाजवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबन्ध व्यक्तिगत रूप में उद्यमी के हाथ में न रहकर राज्य के हाथ में रहता है। पूजीवाद के अन्य विनिमय-साधन, जैसे मूल्यांकन विक्रय आदि बने रहते हैं।

समाजवादी सिद्धान्त के अन्तर्गत ये शामिल हैं (क) उत्पादक स्रोतों पर राज्य का नियंत्रण, (ख) राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण, (ग) आर्थिक योजना, तथा (घ) आर्थिक पद्धति में शान्तिपूर्वक तथा दूसरे उपायों से (प्रजातन्त्र) क्रांति लाना।

९ कारीगर या श्रेणी समाजवाद (Guild Socialism)—यह समाजवादी राज्य पर अविश्वास करते हैं, सामूहिकवादियों के समान, कारीगर समाजवादी राज्य को उत्पादक यंत्रादि के सफल संचालन के योग्य नहीं समझते। इन समाजवादियों के अनुसार पूजीवादियों को हटा देना होता है। परन्तु फर्मों, कारखानों तथा उत्पादन के अन्य यंत्रादि को कारीगरों की उस श्रेणी को सौंप देना होता है, जो उत्पादन को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित तथा संगठित कर सकें अर्थात् उद्योगों में स्वशासन होना चाहिये। राज्य तो केवल देय-रेख करे, कीमत निश्चित करने के लिये तथा उत्पादित माल की कोटि का ध्यान रखने के लिये सामान्य उपभोक्ताओं की ओर से प्रतिनिधित्व करे।

मूढ़ सिद्धांत यह है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व राज्य से हाथ में अवश्य हो, परन्तु वास्तविक क्रियान्विति कारीगर के हाथों में होनी चाहिए। राज्य का कार्य तो केवल यह देयने रहना है कि उपभोक्ता को धोखा तो नहीं दिया जा रहा है या उनके नाथ छूट तो नहीं गिया जा रहा है। अत्यधिक केन्द्रीकरण की बुराइयों को तथा कारीगरों में नौकरशाही की जयोग्यता को दूर करना इन समाजवादियों का उद्देश्य है। इनका यह दावा है कि इनकी पद्धति के अनुसार विकेन्द्रीकरण होने पर वास्तविक जनतन्त्र तथा कार्यक्षमता अवश्य आ जायेगी।

१०. श्रमिक सघवाद (Syndicalism)—श्रेणी समाजवादियों के समान, समाजवादी आदर्शों की प्राप्ति के लिए भी राज्य शक्ति को उपयुक्त नहीं समझते। राजकीय अधिकारी में, वह चाहे जिस श्रेणी का भले ही क्यों न हो, एक विशेष प्रकार की नौकरशाही प्रवृत्ति अवश्य होती है। वह कभी समझ ही नहीं सकता कि श्रमिक क्या चाहता है? दूसरों पर रौब जमाने की उसकी आदत होती है। अतः इन समाजवादियों के विचारों के अनुसार राज्य को शक्तिमान बना देने पर बहुत से छोटे-छोटे अत्याचारी शासक उत्पन्न हो जायेंगे। अतः सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक ढाँचे को, ट्रेड यूनियनों का एक जाल-सा विछा कर, ये समाजवादी बनाना चाहते हैं।

वैधानिक मार्गों से ये अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं—इसमें भी इनका विश्वास नहीं है। राजकीय अधिकारी बहुत शक्तिमान होते हैं। अतः इनका विश्वास सीधी तथा हिंसात्मक कार्यवाही में है। हड़ताल इनका प्रधान अस्त्र है। इनका विश्वास है कि यदि हड़ताल असफल भी हो तो भी उससे आर्थिक युद्ध का अनुभव कामकरो को प्राप्त हो जाता है। हड़तालों से कामकर सुसंगठित होते हैं और पूँजीपतियों के प्रति उनकी घृणा बढ़ती है। इस घृणा को कम न होने देना चाहिए। इनका मत है कि हड़ताल पर हड़ताल जारी रहे तथा अन्त में एक लम्बी आम हड़ताल होकर राजनीतिक प्रक्रिया को व्यर्थ कर दिया जाय और शक्ति को हस्तगत कर लिया जाय। ये समाजवादी विद्यमान ढाँचे को नष्ट करने पर बहुत जोर देते हैं और क्रान्ति के पश्चात् समाज के उस ढाँचे पर जिसे ये जन्म देना चाहते हैं, जानबूझकर प्रकाश नहीं डालते।

११. साम्यवाद (Communism)—आजकल का साम्यवाद, जैसा कि सन् १८४५ के साम्यवादी घोषणा-पत्र (Communist Manifesto of 1845) से स्पष्ट है, साम्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के सिद्धान्तों को अधिक स्पष्ट करता है, किन्तु जैसे समाज को ये जन्म देना चाहते हैं उसको स्पष्ट नहीं करता। साम्यवादी इस बात पर जोर देते हैं कि सारे देश में ही नहीं, वरन् समस्त ससार में साम्यवादी सगठनों का जाल विछा दिया जाय, तथा अन्य सगठनों के केन्द्रीय पदों को हस्तगत करके शान्तिपूर्वक अपने अनुयायियों की सख्या बढ़ा दी जाय। जब पार्टी सुदृढ़ हो जाय, तब वह पूँजीपतियों का तख्ता पलट कर शासन-सूत्र अपने हाथ में ले सकती है और मजदूर राज्य स्थापित कर सकती है। राज्य-शक्ति का उपयोग समस्त विरोध को दबाने तथा पूँजीपतियों को समाप्त करने में किया जाय। इनका उद्देश्य है—वर्ग-विहीन समाज की स्थापना, जिसमें कोई ऊँचा-नीचा, धनी या निर्धन न हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात् राज्य की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी। राज्य अपने आप विलीन हो जायगा। साम्यवादी जिस प्रकार का समाज चाहते हैं, उसका कुछ अनुमान प्लेटो की 'रिपब्लिक' (Republic) तथा वेल की 'न्यू वर्ल्ड फार ओल्ड' (New World For Old)—इन पुस्तकों से लग सकता है। साम्यवादी न केवल उत्पादन के साधनों पर सब प्रकार की निजी सम्पत्ति को समाप्त कर देना चाहते हैं, वरन् उपभोग वस्तुओं में भी निजी सम्पत्ति के प्रश्न को समाप्त कर देना चाहते हैं।

लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करे और अपनी आवश्यकतानुसार फल प्राप्त करें। हर एक व्यक्ति को निश्चित कार्य दे दिया जाय। वह स्वयं अपना उद्यम न चुन सकेगा। किसी के निजी मकान अथवा बैंक में हिसाब नहीं होगा। हर व्यक्ति सरकारी कर्मचारी समझा जायगा। उसे नकद रूपया नहीं मिलेगा वरन् राजकीय क्वार्टरों में निवास तथा राजकीय भोजनालयों से भोजन मिलेगा। उसे वही वस्तुएँ तथा सेवा कार्य करने को दिए जायेंगे, जो राज्य द्वारा तत्कालीन उत्पादन के आधार पर निश्चित किये जायेंगे। बच्चों का पालन-पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा आदि सब राज्य का काम होगा। मूल्यांकन की प्रणाली ही समाप्त हो जायगी। लाभ की नीयत के बिना राज्य उत्पादन को नियंत्रित करेगा, काम देगा, तथा कार्य का प्रतिफल तथा वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत निश्चित करेगा। कैसा सुहावना स्वप्न है !

साम्यवादी समाज में न तो व्यापारिक उथल-पुथल हो सकती है, न बेकारी रह सकती है, न धनवान तथा निर्धन का भेद-भाव रह सकता है, और न पूजा तथा श्रम में सघर्ष ही रह सकता है। विचार निस्सन्देह नैसर्गिक हैं। प्रारम्भिक अवस्थाओं में रूसियों ने इन विचारों को कार्य-रूप में परिणत करने का प्रयास किया। उन्होंने द्रव्य तथा विनिमय समाप्त कर दिया। परन्तु सफलता नहीं मिली। द्रव्य सम्बन्धी आर्थिक-व्यवस्था की पुनः स्थापना करनी पड़ी। कार्य-कुशलता को प्रोत्साहन तथा फलीभूत करने के लिए विभिन्न वेतन देने पड़े।

१२ अराजकतावाद (Anarchism)—साम्यवादियों का अन्तिम उद्देश्य यही है कि समाज का ऐसा ढांचा बना लिया जाय कि राजकीय शासन का अस्तित्व समाप्त हो जाय। 'राज्य विलीन हो जायगा।' सामान्य बोलचाल में अराजकता का अर्थ अव्यवस्था, कुपत्रन्य आदि से होता है। परन्तु समाजवादी शब्दावली के अनुसार इसका अर्थ है 'राज्यहीनता' जब कि शासन अनावश्यक हो चुका हो। साम्यवादियों की आशा है कि जब समाज में पूजावाद उठ जायगा तब लोभ, स्वार्थ, छल, अत्याचार आदि पाप नष्ट हो जायेंगे तथा उनके स्थान पर त्याग, समाज-सेवा, सद्भावना आदि गुणों का प्रादुर्भाव होगा, तथा लोगों में हठपने की प्रवृत्ति के स्थान पर त्याग की भावना प्रबल होगी। मानव इतना ऊँचा उठ जायेगा कि पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी। न्यायालय बन्द हो जायेंगे। क्या यह चकित करने वाली बात है? प्राचीन भारत के सम्बन्ध में फाहियान हमें बतलाता है कि चोरियाँ तथा डकैतियाँ नहीं होती थी और लोग घरों में ताँचे नहीं डालते थे। संभव है, अराजकतावादियों के स्वप्न कभी सजीव हो जायें।

सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को स्वशासित संस्थाओं द्वारा सुसंगठित किया जायगा। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का जादर करेगा, अतः कोई कठिनाई नहीं होगी। मन्दार तो जावागमन पर रोक-धाम रखने वाले चौराहे के सिपाही के समान होगी। जब कुछ घटों के लिए सिपाही चला जाता है तब भी जावागमन चलता रहता है, ठीक इसी प्रकार समाज की क्रियाएँ चला करेगी। यह और भी अधिक सुखद स्वप्न है। पिछले सोवियत से हमें इसकी रू-रेखा प्राप्त हुई है। अराजकतावादियों

का कथन है कि पूजीवादियों के अन्यायपूर्वक प्राप्त किये गये लाभ तथा लूट अथवा सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए ही राज्य की आवश्यकता है। जब यह सब चला जायगा तो राज्य-शासन भी उसका अनुगामी होगा।

१३. फेबियन समाजवादी (Fabian Socialists)—बर्नार्ड शॉ के समान ये समाजवादी साहित्यिक हैं। इंग्लैंड में और भी बहुत से ऐसे विद्वान हैं, जिन्हें यह विश्वास है कि समाजवाद का सम्बन्ध धारणा से है। यदि लोगों को समाजवाद से उत्पन्न विशेषताओं का विश्वास दिलाया जा सके तो समाजवाद के स्थापित होने को रोका नहीं जा सकता। ये समाजवादी, साहित्य—विशेषतया उपन्यास, नाटको तथा कहानियों द्वारा पूजीवाद के विरुद्ध अविरोध प्रचार करते रहते हैं, तथा समाजवाद की आवश्यकता तथा उससे लाभ का दिग्दर्शन कराते हैं। उनका यह विश्वास है कि वह समय आयेगा जब कि ससार को समाजवाद में विश्वास हो जायगा तथा समाजवाद चारों ओर फैल जायगा। यह विश्वास सही हो सकता है।

१४. समाजवादी योजना के आवश्यक अंग (Essentials of a Socialist Scheme)—हमने समाजवादियों के मतों के विभिन्न झुकावों का सिंहावलोकन कर लिया है। इन झुकावों में अन्तर होते हुए भी, जो किसी-किसी विषय पर अत्यन्त तीव्र विरोध का रूप धारण किये हुए हैं, एक ऐसी योजना समझ में आ सकती है, जिस पर अधिकांश समाजवादियों का मतैक्य हो। उत्पादन के साधनों का व्यक्तिगत स्वामित्व हटाये जाने के पक्ष में सभी समाजवादी हैं। भूमि, कारखाने, रेलें, खानें तथा उत्पादन के अन्य समस्त साधनों का राष्ट्रीयकरण अवश्यमेव किया जाय। उनका स्वामित्व तथा नियन्त्रण राज्य के हाथ में हो, जिसमें राज्य हर एक व्यक्ति को काम दे सके। कोई निजी उद्यम नहीं होगा। उत्पादन में राज्य ही हाथ डालेगा, तथा राज्य ही उत्पादन का संचालन करके, वेतन तथा अन्य व्यय करेगा, और लाभ राज्य को प्राप्त होगा। पूजीपतियों तथा जमींदारों को व्याज तथा किराये आदि की अदायगी समाप्त हो जायगी, क्योंकि राज्य ही पूजीपति, जमींदार तथा उपक्रमी माना जायगा। साम्यवादियों को छोड़कर समस्त समाजवादी मकान, फर्नीचर, घरेलू सामान तथा अन्य उपभोग सामग्री के रूप में निजी सम्पत्ति रहने दे सकते हैं।

विना कमाई के खाना हतोत्साहित किया जायगा। कार्य का प्रतिकर कार्य की कोटि के अनुरूप होगा तथा विल्कुल समान नहीं होगा। योग्यता के अनुसार इसमें विभिन्नता होगी। माग तथा पूर्ति के नियम की सीमित रूप में क्रियान्विति को मान्य समझा गया है। यह विश्वास निराधार है कि समाजवाद के अन्तर्गत सब लोग आर्थिक दृष्टि में समान होंगे। आर्थिक समानता की कोई गारंटी नहीं की जा सकती। श्रेणी-विहीन आधार पर सभी के लिये अवसर की समानता अवश्य प्राप्त होगी। राज्य व्यक्ति को अपना उद्यम चुनने में तथा उसे उस उद्यम के योग्य बनाने में सहायता करेगा।

राज्य ही उत्पादन तथा वितरण दोनों का दाखिल-भार लेने वाला अधिकारी होगा। समाज के उत्पादन साधनों का वितरण तथा उपयोग केन्द्रीय प्राधिकारी के निर्देशानुसार निश्चित किया जायगा। उत्पादन के लाभ कुछ थोड़े से व्यक्तियों की जेबों में

जाने के स्थान पर राजकीय खजानों में जायेगे तथा उनका व्यय सामान्य व्यक्ति को, उसके परिवार तथा बच्चों को पर्याप्त चिन्तना, परिपूर्ण तथा निशुल्क शिक्षा तथा आमोद-प्रमोद के यथेष्ट माधन प्रदान करके, उसके भाग्य में परिवर्तन लाने के लिए किया जायगा, आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य ही होगी तथा अरक्षा से उत्पन्न भय के लिए कोई स्थान न रहेगा। हर एक व्यक्ति को अपना उद्यम चुनने में स्वतन्त्रता होगी तथा अपनी आय को वह जैसा चाहे, व्यय कर सकेगा, सक्षेप में यही समाजवादी योजना है।

बहुत दिनों तक वैश्व द्वारा की गई समाजवाद की परिभाषा को अधिकांश समाजवादी स्वीकार करते रहे। वह परिभाषा यह है "समाजवादी सिद्धांतों पर अवलम्बित उद्योग वह है जिसमें उत्पादन के राष्ट्रीय साधन सार्वजनिक प्राधिकार अथवा स्वेच्छापूर्वक किए गए मन्थापन के स्वामित्व में हो तथा अन्य व्यक्तियों को किए गए विक्रय से लाभ प्राप्ति की दृष्टि से मंचालित न हो वरन् उन लोगों की सीधी सेवा के रूप में हो—जिनका वह प्राधिकारी या सस्था का प्रतिनिधित्व करती है।" यह परिभाषा समाजवाद की वर्तमान धारणा से नहीं मिलती, क्योंकि इसमें योजना बनाने का विचार निहित नहीं है। अतः डिकेन्सन द्वारा की गई परिभाषा अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। डिकेन्सन के अनुसार समाजवाद समाज का वह आर्थिक संगठन है, जिसमें उत्पादन के भौतिक साधन सम्पूर्ण समाज के स्वामित्व में होते हैं तथा ऐसे अंगों द्वारा चलाये जाते हैं, जो एक सामान्य योजना के अनुसार समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा समाज के प्रति उत्तरदायी हों, और समाज के समस्त सदस्यों को ऐसे समाजवादी आयोजित उत्पादन के फलों से प्राप्त लाभ समान अधिकारों के आधार पर प्राप्त करने का हक हो।¹ दूसरी परिभाषा के अनुसार समाजवाद की जटिलता का स्पष्टीकरण है। "समाजवाद ऐसा आन्दोलन है जिसके अन्तर्गत सारे समाज को निहित करने का लक्ष्य है, व्यक्ति मात्र को नहीं, प्रकृति-निर्मित तथा व्यक्ति-निर्मित सभी प्रकार के माल का नियन्त्रण। इन सबका उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है, जिसके उचित वितरण से व्यक्ति का भौतिक प्रयोजन तथा स्वतन्त्रता जिसके द्वारा वह धर्मों (उत्पादक) लगा है तथा उपभोग करता है, नष्ट न हो।"²

१७ समाजवाद की आलोचना (Case Against Socialism)— समाजवाद के आलोचकों ने समाजवादी म्नावट में बहुत से छिद्र बतलाए हैं। कुछ आपत्तियाँ तो विचारहीन हैं, जैसे समाजवाद धर्म को नष्ट कर देगा, विवाह तथा पारिवारिक बन्धनों को नष्ट कर देगा, जादि भोले तथा मूढ़ व्यक्तियों को भडकाने के ऐसे प्रयत्नों के अनिश्चित समाजवाद को नमस्त कर उनकी वास्तविक कहानियाँ तथा तत्सरे प्रत्यक्ष का भी प्रयत्न किया गया है।

समाजवाद के निम्न सबसे महत्त्वपूर्ण तर्कों का समूह आर्थिक व्यवस्था के नाँकर

1 Dickenson H, D—Economics of Socialism, 1939, p, 11

2 Leuchs and Weldon Hoot—Comparative Economic Systems, 1948

शाही द्वारा संचालन होने के विरुद्ध है। नौकरशाही को कारोवार चलाने में कार्यकुशल नहीं समझा जाता। राज्य-कर्मचारी कारोवार में उतना तीव्र स्वार्थ नहीं महसूस करता जितना कि किसी निजी सस्था का कर्मचारी, जिसकी स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं होती। राजकर्मचारी जानता है कि नियमानुसार अधिक दिन काम करने के साथ-साथ उनकी उन्नति होनी जायगी। वह चाहे जितना उत्साहपूर्वक अधिक काम करे, परन्तु क्रम-वद्ध सूची में वह आगे नहीं बढ़ पायगा। उसका प्रधान ध्येय यही रहता है कि किसी प्रकार काम चलता रहे। वह केवल जनता की आलोचना से बचना चाहता है। अतः वह कोई साहसयुक्त जोखिम नहीं उठायगा तथा सामान्य सफलता में सन्तुष्ट हो जायगा। अपने आप नये साधनों की खोज होने की बहुत कम आशा है। व्यावसायिक नीति दबी हुई तथा उद्यम रहित होगी। घिसघिस तथा "लाल फीते" का बो-वाला होता है, जिसमें साधारण आदमी के लिए तो सुरक्षित स्थान होगा, परन्तु असाधारण मेधावान व्यक्ति के लिए कोई स्थान न होगा। साधारण श्रेणी के आदमी कभी उच्च श्रेणी का कार्य नहीं कर सकते।

कोई भी सरकारी विभाग कारोवार में सफलता का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि तात्कालिक निश्चय करने पड़ते हैं तथा साहसयुक्त नीति की आवश्यकता होती है। सरकारी कर्मचारी मण्डल नये क्षेत्रों को हस्तगत करने के योग्य नहीं होता। सरकारी विभागों में योग्य व्यक्ति अवश्य आते हैं परन्तु राज-सेवाओं का वातावरण असाधारण योग्यता प्रदर्शित करने के लिये उपयुक्त नहीं होता। प्राप्त होने वाला फल किये गये परिश्रम के अनुरूप नहीं समझा जाता। इस से अधिक नौकरशाही का अर्थ होगा व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य की समाप्ति तथा अहं का बोलबाला।

यह भी कहा जाता है कि सरकार समस्त उद्योग तथा व्यापार की उन्नति तथा सफल संचालन के लिये बहुत बड़ी आवश्यक पूंजी का प्रवन्ध नहीं कर सकती।

समाजवाद के अन्तर्गत समाज के साधनों का सबसे अधिक मितव्ययितापूर्वक उद्योगों के बीच वितरण करने के लिये कोई स्वचालित यंत्र नहीं होगा। पूंजीवाद के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की पसन्द एक ऐसी बात है, जो कीमतों को अपने आप उत्तर-चढ़ाकर इन साधनों का आशातीत वितरण करती रहती है। अतः समाजवाद में हमें अंधेरे में टटोलना पड़ेगा। कुछ वस्तुएँ अधिक उत्पादित होंगी और सर्राव जायेंगी जब कि अन्य वस्तुओं की कमी होगी और माग पूरी नहीं होगी। भय है कि माग और पूर्ति में असाध्य वैषम्य उत्पन्न हो जाय। कोई भी एक प्राधिकारी इतने बड़े कार्य को नहीं कर सकता कि उत्पादन का प्रवन्ध करे। भूमि के प्रत्येक एकड़ को उचित प्रयोग के लिये बाटे, प्रत्येक कामकर को नहीं काम दे तथा प्रत्येक रूपये को अधिकतम कार्यक्षमता की दृष्टि से लगावे।

पूंजीवाद के अन्तर्गत उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। यह तो सही है कि यह प्रभुत्व उनकी आय, एकाधिकार के अस्तित्व आदि द्वारा नीमित होता है, फिर भी उसके लिये पसन्द और चुनाव का बहुत विस्तृत क्षेत्र है। परन्तु समाजवाद के अन्तर्गत तो उनका प्रभुत्व जाता रहेगा। उनसे अधिक उतना उतना के अनुकूल बनाना होगा। उपभोक्ता

के लिये यह हानि बहुत वास्तविक है। वह अपने आपको यथेष्ट रूप से सन्तुष्ट नहीं कर सकेगा। अतः समाजवाद का अर्थ है कि उपभोगता को मुसीबत और तंगी झेलनी पड़े तथा त्याग करना पड़े। राज्य द्वारा कीमत अवश्य निश्चित हो जायेगी परन्तु सब स्वेच्छाचारयुक्त होगी। कीमत निर्धारण कठोर होगा और बाजार के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर सकेगा जब कि बाजार इतना नाजुक हुआ करता है कि उपभोगताओं की पसन्दों में तनिक अन्तर से भी प्रभावित होता है।

वह भी भय है कि जब निजी लाभ या व्यक्तिगत हित का प्रश्न ही न रहेगा तो कठिन परिश्रम तथा आत्मोन्नति की प्रेरणा भी नहीं रहेगी। लोग लगन से कोई कार्य नहीं करेंगे। आविष्कार, उद्यम और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम होती जायेगी तथा सृजन कार्य असंभव हो जायेगा। कहा गया है कि "शेक्सपियर के ग्रंथों का अच्छा संस्करण सरकार अवश्य निकाल सकती है, परन्तु उन ग्रंथों को लिखवा नहीं सकती।"¹

समाजवाद के विरुद्ध एक अन्य आपत्ति यह है कि जब उद्यम का स्वातन्त्र्य नहीं रहेगा तो उद्यम का स्वतन्त्र चनाव भी नहीं होगा। श्रमिकों को निश्चित काम दे दिया जायेगा और वे योजना बनाने वाले अधिकारी की अनुमति के बिना उसे बदल न सकेंगे, क्योंकि बदलने से योजना में गड़बड़ी उत्पन्न हो जायेगी। संभव है कि स्वतन्त्रता का इस प्रकार नष्ट होना अत्यन्त खेदजनक हो जाय।

कुछ लोग समाजवाद से इस कारण हतोत्साहित हो गये हैं कि रूस में, जहाँ समाजवाद की क्रियान्विति हुई, वहाँ आर्थिक समानता स्थापित न हो सकी। वहाँ अब भी धनवान और निर्धन का भेद-भाव है। वर्ग-विहीन समाज का स्वप्न अब भी बहुत दूर है। पूँजीवादी व्यवस्था में, जैसे अमरीका या इंग्लैंड में, श्रमिकों की अवस्था इतनी शोचनीय नहीं है। उनके जीवन का स्तर कुछ अधिक ऊँचा है। लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि पूँजीवाद के अन्तर्गत निर्धन व्यक्ति और भी अधिक निर्धन होते जाते हैं। धनवानों के पास निःसन्देह धन बढ़ता जाता है, परन्तु साथ-साथ निर्धन का भाग्य भी चमकता जाता है। इस प्रकार समाजवाद को समस्त सामाजिक दोषों के लिये रामबाण के रूप में समझने वाले कुछ समाजवादियों को नैराश्य हुआ है तथा उनका उत्साह ठंडा पड़ गया है।

यह मानना पड़ता है कि समाजवाद के अन्तर्गत बेकारी नहीं होती। परन्तु समाजवाद के आलोचकों का कहना है कि जेल में भी तो बेकारी नहीं होती। समाजवादी राज्य को एक उद्भूत बड़ी जेल समझा जाता है तथा इन आलोचकों का कहना है कि रोजगार से लगाये जाने की स्वातन्त्र्य-विनाश का नई बदला नहीं माना जा सकता।

अन्त में यह भी बतलाया जा सकता है कि मार्क्स के समाजवाद की वास्तव में पूर्ण हानि प्रमाणित नहीं है। समस्त मूल्य का एकमात्र आधार श्रम नहीं है और न समस्त मूल्य को श्रम द्वारा ही ले लिया जाना अधिकृत माना जा सकता है। इतिहास के नैतिक विवेचन को, जो मार्क्स की मान्यता है, बहुत कम लोग मानते हैं। यद्यपि आर्थिक

विषय सबसे अधिक बलवान होते हैं, परन्तु वही मनुष्यमात्र के कार्यों को प्रभावित करने वाले एकमात्र विषय नहीं ब्रहे जा सकते ।

१६ आलोचकों को समाजवाद की ओर से दिया गया उत्तर (Answer to Critics of Socialism)—समाजवाद के विरुद्ध तर्कों की एक बलवान पलटन नी दिखलाई देती है, परन्तु वह ऐसी बलवान नहीं है जैसी कि प्रतीत होनी है । समाजवाद की नुदृष्टता पूजीवाद की दुराइयों से प्रकट है, जो सिद्ध हो चुकी है । समय-समय पर ससार में इतनी मन्दी आ जाती है कि अव्यवस्था, बेकारी तथा मूर्खवत बहुत बढ जाती है, पूजीवाद द्वारा आर्थिक परिस्थितियों का स्वायत्तत्व प्राप्त नहीं हो सकता । राष्ट्रीय साधनों को व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयुक्त किया गया है । मानव, विशेषतया स्त्री बच्चों को पूजीपतियों का धन बढ़ाने के लिए मशीनों के रूप में प्रयोग किया गया है । बच्चों की पुकार को कौन नहीं सुनेगा ?

How long, O cruel nation,

Will you stand, to move the world, on a child's heart,—

Stifle down with a mailed heel its palpitation

And tread onward to your throne amid the mart,

Our blood splashes upward, O gold heaper,

And your purple shows your path !

—(Elizabeth Barret Browning).

जिस समय एक निर्धन परिवार को कठोर से कठोर परिश्रम करने पर जब कभी-कभी दोनो समय भोजन नहीं मिलता, चीथड़ों में लिपटे हुए कबूतरखानों के निवासी होकर, जब बच्चे बिना चिकित्सा और दूध के मरते हैं, तब समाज की आत्मा तडप उठती है । इसके विपरीत धनवान विलास में लुडकते रहते हैं । उनके घोंडे और कुत्ते उनके नह्योगी मानवों से उत्तम भोजन और निवास के भागी होने हैं । वे धनिक सम्भवत यह समझते हैं कि निर्धन में मनुष्यत्व है ही नहीं । वह तो किसी अन्य कोटि का प्राणी है । जिस पद्धति से ऐसी अनमानता उत्पन्न हो वह अपने-आप कलकित मानी जायगी ।

उनके विरुद्ध समाजवाद की ओर देखिये । समाजवाद में व्यापारिक मदी नहीं हो सकती और बेकारी, जो श्रमिकों के सर पर नगी तलवार के रूप में लटक करती है, दूर भाग जाती है । यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको समाजवाद दूर करता है । उद्योग की स्वतन्त्रता पूजीवादी व्यवस्था में विडम्बना-मात्र होती है । अपना उद्योग कौन चुन पाता है । चुनाव तो उसके माता-पिता के साधनों तथा प्रभाव पर निर्भर होता है । कभी-कभी मनुष्य जो भी काम मिल जाय, वही करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है । परन्तु काम नहीं मिलता । पूजीवाद ऐसे व्यक्ति को कूड़ा समझता है । कोई भी श्रमिकों में काम करने रहने को बेकारी और भुखमरी में अच्छा समझेगा । समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत हर एक व्यक्ति को अपनी-अपनी सामर्थ्य तथा झुकाव के अनुकूल स्थायी तथा प्थेन्शन सहित काम मिलता है ।

समाजवादी राज्य में समाज साधनों को एकमात्र सामाजिक स्थिरता तथा मन्दाण के आधार पर बाटा जा सकता है । उपभोक्ताओं की इच्छा के न्याय पर उच्चकोटि की

सामाजिक भावनाओं को स्थान दिया जाता है। यह सम्भव है कि किसी स्थिति में किसी प्रकार की उपभोग्य सामग्री की कमी हो जाय। परन्तु ऐसा समाज के वास्तविक कल्याण के लिए जान-बूझ कर किया जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम कुछ दिनों के लिए त्याग करें, जिससे हमारे वच्चे जागे चलकर जीवन अच्छे स्तर पर व्यतीत कर सकें। देश की शक्ति और उन्नति के लिए केवल समाजवादी व्यवस्था ही सुदृढ़ नींव पात्र बनती है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था ने दृष्टिकोण सकीर्ण तथा नीति अदूरदर्शी होनी है, जिससे एकमात्र उद्यमी के लाभ की ओर ध्यान दिया जाता है।

समाजवाद में सब प्रकार की शिक्षा के प्रकार के लिए बहुत कुछ व्यय किया जा सकता है, समुचित चिकित्सा-प्रबन्ध, उद्योगों को वैज्ञानिक आविष्कारों से सज्जित किया जाना, कृषि का पुनर्र्गठन हो सकता है। फलस्वरूप राष्ट्र के भौतिक तथा मानव-साधन प्रबुद्ध उन्नति कर जाते हैं। समाजवादी राज्य में निर्धनों की सहायतायें बहुत बड़ी जन राशि प्राप्त हो सकती है क्योंकि जो पूँजीवादी व्यवस्था में धनवानों का धन बढ़ाता है, वह समाजवादी व्यवस्था में राजकीय कोष में एकत्रित हो जाता है। स्वास्थ्य तथा कार्यक्षमता के लिए उपयोगी वस्तुएँ निशुल्क अथवा बहुत कम मूल्य में दी जा सकती हैं। इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि कुछ मार्गों में उपभोग की कमी हो जाती है परन्तु इसमें कोई मूर्खता नहीं पड़ती, क्योंकि वही खपत अन्य उपयुक्त मार्गों में बढ़ाई जाती है। समाजवादी राज्य में बच्चों को निशुल्क दूध प्राप्त हो सकता है, उनका निशुल्क भरण-पोषण, शिक्षा तथा चिकित्सा-प्रबन्ध हो सकता है, कामकारों को निशुल्क सिनेमा, खेलकूद, आमोद-प्रमोद, साप्ताहिक अवकाश के लिए रेलवे पास, तथा कारखानों के अन्दर निशुल्क जलपान प्राप्त हो सकता है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में यह सम्भव नहीं है क्योंकि वहाँ तो सबसे बड़ा खपता होता है। पूँजीपति का ध्यान केवल अपनी बैग पर होता है।

समाजवादी राज्य सब प्रकार के उत्पादन में तत्काल वृद्धि कर सकता है। ऐसे लोग जो कुछ दिन पूर्व ही अपठ, अज्ञानी, पिछड़े हुए, रूढ़िपरायण दीन किसान थे, वे समाज के अन्तर्गमन करा कर सकते हैं, इसका जीता-जागता उदाहरण रूसी पञ्चवर्षीय योजना है। हमारे ही समान रूप भी छोटे-छोटे किसानों का एक देश था, जो सब अपठ थे। अब उनका शत-प्रतिशत लोग पढ़े हुए हैं और उत्पादन में रूस ने लगभग उन सब धारोन्मुख देशों को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने लगभग एक शताब्दी पूर्व औद्योगिक दौड़ प्रारम्भ की थी। इसका कारण यह है कि समाजवादी राज्य में ही योजना बनाना सम्भव है प्रसार-युक्त ही नकल है। हमने देखा कि युद्ध के दिनों में बेकारी विलकुल नहीं थी तथा उत्पादन के आँकड़े इतने ऊँचे हो गए कि जिनको देखकर कुछ वर्ष पूर्व हर व्यक्ति चिन्तित हो जाता। इसका कारण यह था कि आर्थिक जीवन का प्रत्येक पहलू राष्ट्रीय योजना द्वारा नियन्त्रण में था। शान्तिकाल में भी समाजवादी राज्य ऐसा ही करता है, जहाँ उत्पादन के समस्त साधनों को अधिक से अधिक प्रभाव-युक्त ढंग से व्यवस्थित करता है।

समाजवादी ने प्रबन्ध से उन्नत खतरों को बटा-चटाकर वर्णित किया गया है।

कम्पनियो के प्रबन्ध मे भी, पूजीवादी पद्धति के अन्तर्गत "लालफीते" की बहुत प्रधानता होती है। समाजवादी राज्य भी लेन-देन तथा वैको के कार्य का ऐसा प्रबन्ध कर सकता है कि किमी प्रकार की असमता का नाम न रहे।

जहा तक कठिन परिश्रम का प्रश्न है, समाजवादी राज्य मे लगातार पचार द्वारा तथा शिक्षा द्वारा जनता की मनोवृत्ति को बदला जा सकता है तथा नई भावनाओं को जमा दिया जा सकता है। उत्पादन-विषयक अतिरिक्त लाभांश द्वारा श्रमिकों को अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। गंदा तथा नीच सेवा-कार्य कौन करेगा ? समाजवादियों का कहना है कि अधिकतर तो वह मशीन से किया जायगा। मशीन का प्रयोग ऐसे कार्यों मे आजकल इसी कारण नहीं हो रहा है कि मनुष्य मशीनों से सस्ता है। पूजीवाद के अन्तर्गत ऐसे कार्यों को करने के लिए बहुत कम पैसा लेकर सहस्रो क्षुधा-पीडित लोग प्रस्तुत हो जाते हैं। क्योंकि पूजीवाद ने जनता को इतना गिरा दिया है। परन्तु समाजवादी राज्य में, जिसमे राज्य लाभ की दृष्टि से कार्य नहीं करेगा, मनुष्य को समस्त गंदे, खतरनाक तथा हीन कार्यों मे लगाया जाने से बचाया जाना संभव होगा।

समाजवाद हर एक को आर्थिक समानता भले ही न प्रदान कर सके, लेकिन यह समाजवादी राज्य की प्रबन्धकारिणी शक्ति की कमी के कारण नहीं वरन् मनुष्यों में जन्मजात असमानता के कारण ही होगा। प्रकृति सब को समान नहीं बनाती। प्रत्येक व्यक्ति मे भिन्न-भिन्न शक्ति तथा कार्य-सामर्थ्य है। राज्य इसके लिए क्या करे। विधान द्वारा इसे नहीं मंजूर किया जा सकता। परन्तु समाजवादी राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और झुकाव जानकर शिक्षा तथा प्रशिक्षण द्वारा उसे समुन्नत किया जा सकता है, जिममे हर एक नागरिक राज्य के कल्याण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ भाग प्रदान कर सके। निर्धनता के कारण वास्तविक योग्यता को दबने या नीचे नहीं गिरने दिया जायगा। समाजवादी राज्य में नीच से नीच परिवार में से प्रतिभाशाली व्यक्ति को निकाल कर उसे पूरी सुविधाएँ तथा अवसर दिये जा सकते हैं। अत यदि आर्थिक समानता की प्राप्ति सम्भव नहीं दिखलाई पडती, तो कम से कम अवसर की समानता का हर व्यक्ति को आश्वासन दिया जा सकता है और इतना हो जाना ही कोई छोटा काम न कहलाएगा। जनता को बहुत कुछ समान स्तर पर भी लाया जा सकता है।

अस्तु, समाजवाद का पलड़ा बहुत भारी जान पडता है।

१७. समाजवाद की प्रगति (Progress of Socialism)—पीगु न कहा था, "यदि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को जैसी कुछ वे अपने देश मे आज कल हैं, हम पूजीवाद का प्रतिनिधि मान लें, तथा समाजवाद को अस्पष्ट रूप में छोड दें, तो पूजीवाद का पलड़ा ऊँचा उठकर समाजवाद के बराबर आने लगेगा, क्योंकि ऐसा करते समय हम दान्तव मे पूजीवाद की नग्न मूर्ति को, जिसके समस्त दोष स्पष्ट हैं, समाजवाद की ऐसी मूर्ति के सामने रखेंगे जिमपर पर्दा पडा हुआ है।"¹ अब समाजवाद की मूर्ति परदे के अन्दर नहीं है। एक समय था जब समाजवाद प्लेटों की 'रिपब्लिक'

अथवा मूर की 'यूटोपिया' सरीखी पुस्तकों में ही पाया जाता था अथवा रावर्ट ओवन सरीखे आदर्शवादी उगे कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते थे। छोटी-छोटी साम्यवादी जातियाँ, जैसे एक्ना समाज (हारमनी), भ्रातृभाव समाज (ओनेडिया) आदि स्थापित हुईं, परन्तु नस्थापकों को बुरी तरह निराश होना पड़ा। यह तो केवल प्रतियोगितापूर्ण विन्तृत पूँजीवादी महस्थल में समाजवादी भाई-चारे के जल स्थानों के समान थे। इनका अस्तित्व इन पूँजीवादी राज्यों के अन्तर्गत था, जिनके हाथ में न्याय तथा व्यवस्था थी। आधुनिक समाजवादी पूरे देश को समाजवाद से ओत-प्रोत चाहता है, समाजवाद के विगरे हुए टुकड़े नहीं।

समाजवाद अब काल्पनिक अपरिपक्व अवस्था से निकल आया है। यह अब आर्थिक-सिद्धांत-मात्र नहीं रह गया है वरन् वास्तविक राजनीति में खड़ा हो गया है। सन् १८४८ के कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र ने समस्त ससार के मजदूरों से एक होने की पुकार करके सनसनी फैला दी। यह क्रांति की पुकार थी और उसमें कहा गया था कि मजदूरों के बन्धन टूटने के अतिरिक्त उनका और कुछ नहीं विगडता है तथा समस्त ससार विजय किये जाने के लिये सामने है।

तब से समाजवाद के अनुयायी ससार में बटते जा रहे हैं। जर्मनी से भाग कर यहूदियों ने साइप्रस में समाजवादी आधार पर कई समाज स्थापित किये। लेकिन हाल ही में समाजवाद का फैलाव देखने योग्य हुआ है। सन् १९१९ में जर्मन चुनावों में समाजवादियों को लगभग पचास प्रतिशत वोट मिले। सन् १९२४ में एक-तिहाई ब्रिटिश जनता ने मजदूर दल को वोट दिया, १९३५ में यह सख्या चालीस प्रतिशत हो गई तथा १९४५ में मजदूर दल को ठोस बहुमत से चुन लिया गया। फ्रांस में १९३३ में एक-तिहाई से अधिक सहायक अधिकारी समाजवादी विचारों के थे। स्पेन में समाजवादी सरकार थी जिमको जनरल फ्रैंको ने हिटलर और मुसोलिनी से अनुचित गठ बन्धन करके उलट दिया। इसी अस्त्र-शस्त्रों ने पिछले महायुद्ध में जो शानदार सफलता पाई तथा हिटलर के प्रवाह को ऐसा पलटा जैसा कि अन्य कोई राष्ट्र न कर सका तथा इस प्रकार समस्त ससार की सराहना का भागी बना। स्वाभाविक फल यह हुआ है कि लगभग सब योरोपीय देश लाल हो रहे हैं। इटली, बल्गेरिया, युगोस्लाविया, फ्रांस, आस्ट्रिया और पोलैंड सब समाजवाद की ओर झुक रहे हैं।

पूर्व में कम्युनिस्टों ने पृथ्वी के एक अच्छे वासे भाग, चीन को हस्तगत कर लिया है। चीन की कम्युनिस्ट जीत मानव-इतिहास की सबसे प्रभाव-युक्त घटना सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम में समाजवाद का मन्त्र जपा जा रहा है।

भारतीय नस्लिक, युक्त-हृदय तथा प० जवाहरलाल नेहरू सरीखे नेता किसी न किसी रूप में समाजवाद पर विश्वास करते हैं। इण्डियन नेशनल कांग्रेस न देश में समाजवादी राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है। भय का कोई विषय नहीं है। आन्दोलन को आगन्तिक मानि न रूप ग्रहण करता अनावश्यक है। परिवर्तन शान्ति मार्ग द्वारा धीरे-धीरे किया जा सकता है। समस्त समाजवादी शक्तिकारी परिवर्तन में विश्वास करने वाले नहीं हैं। बहुत अरने से नव म्यानों के विचारशील लोग उत्पादन में प्रधान साधनों

के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में रहे हैं। समस्त एकाधिकारों का बिना शर्त या विरोध उत्पन्न किये राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। जब कोई उद्योग पट्टरी पर चलने लगता है तथा उसकी कार्यशैली बंध जाती है, तब निजी उद्यम का प्रश्न ही नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में उस उद्योग को सरकार द्वारा ले लिया जाना चाहिये, जिसमें लाभ आम जनता के लिये सुरक्षित किया जा सके। व्यक्तिगत उद्यम के लिये नये उद्योगों में ही क्षेत्र रह जाता है, क्योंकि उनमें साहसिक कदम उठाने की आवश्यकता होगी है।

समाजवाद के लिए उत्साह उत्पन्न करने का श्रेय रूस को है। यदि हम अभी प्रयोग के विषय में कुछ तथ्यों को संकल्पित करें तो ऐसा करना अवसर के अनुकूल होगा।

१८ रूस का प्रयोग (The Russian Experiment)—ब्रॉल्शेविक नेता लेनिन के नेतृत्व में रूसी मजदूर वर्ग ने किसानों की सहायता से ७ नवम्बर, १९१७ को प्रौलीतेरियत समाजवादी क्रान्ति को पूरा किया। इसके फलस्वरूप एक नये राज्य का निर्माण हुआ जिसमें मजदूर वर्ग को सशक्त राजनैतिक शक्ति प्राप्त हुई। क्रान्ति के नेताओं को मार्क्स के समाजवादी सिद्धान्तों से प्रेरणा मिली थी जिससे उन्होंने क्रान्ति कार्यक्रम आरम्भ किया। मूल उद्योगों तथा भूमि का राष्ट्रीयकरण बिना मुआवजा दिये किया गया। ऐसा करने का विचार इसलिए उत्पन्न हुआ कि समस्त निजी उद्योग तथा व्यापार को धीरे-धीरे सार्वजनिक स्वामित्व में बदल दिया जाय, तथा खेती को समाजवादी आधार पर पुनर्गठित किया जाय। किन्तु १९१८-२० का गृह-युद्ध, कई विदेश शक्तिओं के हस्तक्षेप के कारण तथा घरेलू प्रति-क्रातीय तत्वों के कारण, समाजवादी समाज का ढांचा बनाने में असफल रहा। गृह-युद्ध के कारण उत्पन्न हुई शोचनीय दशा को ऐसे ही उपायों द्वारा सुधारा जा सकता था। इन उपायों को "युद्ध साम्यवाद" का नाम दिया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य यह थे (क) उत्पादन का केन्द्रीकरण तथा मूल उत्पादन और सेवाओं का वितरण और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बीच के तथा लघु-स्तर के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, साथ ही किसानों से कृषि उत्पादित अधिक माल लेकर उसका राष्ट्रीयकरण करना, (ख) मजदूरों को माल के रूप में देना चूँकि उस समय द्रव्य का मूल्य मुद्रा-स्फीति के कारण बिल्कुल खत्म हो गया था, तथा (ग) युद्ध की-सी स्थिति का मुकाबला करने के लिए श्रम-सेवा को व्यापक रूप देना।

गृह-युद्ध के समाप्त होने से यह सम्भव हो सका कि अधिकाधिक सामान्य उपाय काम में लाए जाय। इनकी जल्दतरत इसलिए नहीं पड़ी कि अर्थ-व्यवस्था को फिर से ठीक किया जाय जो कि युद्ध के कारण खत्म हो गई थी, इसलिए १९२१ में नयी आर्थिक नीति शुरू की गई। इस नीति की मुख्य बात यह है कि राज्य के अन्तर्गत अर्थ-सम्बन्धी सभी जल्दरी बातें आती थीं, किन्तु एक सीमित मात्रा में निजी उद्योग को भी स्वतन्त्र छोड़ दिया गया। खेती द्वारा तैयार अधिक माल को सरकारी कब्जे में लेने के बजाय एक प्रकार का टैकम लगाया गया जो माल के रूप में था, जिसमें किसानों को अधिक

पैदा करने की प्रेरणा मिले। कुछ निजी उद्योगों तथा व्यापार को खुला छोड़ दिया गया जिससे औद्योगिक उत्पादन तथा वस्तुओं का आदान-प्रदान बना रहे। इसके बाद मजदूरी द्रव्य में दी जाने लगी है।

वोन्शेविस्ट युग के प्रारम्भिक काल में ३ वर्ष तक चलने वाले गृह-युद्ध के कारण दीनता तथा दुःख का राज्य था। उत्पादन युद्ध के पूर्वकाल के आकड़ों का अंश मात्र रह गया था, तथा रहन-सहन का स्तर बहुत कुछ गिर गया था। परन्तु पुनर्वास का कार्य जारी रहा तथा सन् १९२७ में युद्ध-काल के पूर्व की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया। १९२८ में पंचवर्षीय योजना के प्रथम भाग का श्रीगणेश हुआ, जिसमें कृषि-विषयक तथा बड़े उद्योगों के उत्पादन की लक्षित सीमा निर्धारित की गई थी। एकत्रीकरण की नीति पूरे जोर से काम में लाई गई। बड़े-बड़े फार्म बनाए गए, ऋण तथा मशीनें दी गईं। कृषि के उत्पादन में बाढ़-सी आ गई। सन् १९३३-३४ में एकत्रीकरण की चाल घीमी कर दी गई तथा व्यक्तिगत लाभ को कुछ सीमा तक स्थान दिया गया। स्टालिन ने बड़ी वास्तविकतायुक्त नीति ग्रहण की। उसने उम मानव-मनोविज्ञान का पूर्ण-रूपेण लाभ उठाया जो शक्ति, प्रभाव, यश, और प्रतिफल चाहता है। औद्योगिक नेताओं को सम्मान-सूचक पदक प्रदान किये गये। अधिक कार्य-कुशलता के लिए लाभांश तथा पारितोषिक दिए गए। प्रतिस्पर्धा की भावना को विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच फैला दिया गया तथा ममस्त वातावरण को खिलाड़ियों के ऐसे खेल के समान कर दिया गया जिसमें दोनों पक्ष सम्मान के लिए परिश्रम करते हैं। उत्पादन की गति बड़ी तथा योजना बनाने वाले आयोग के निर्देशानुसार लक्ष्य प्राप्त किया गया। जब वे अर्ध-सम्य अपठ किमान, जिन्होंने कभी सामूहिक कार्य करना नहीं जाना था, नई प्रणालियों में काम पर लगाए गए, तब सम्य समार ने रूस को तिरछी निगाहों से देखा परन्तु जब प्रथम योजना ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, तब समार चकित रह गया। ट्रैक्टर, मशीन बनाने के कल-पुर्जे, मोटरों तथा अन्य भारी मशीनें कारखानों से ताता बाध कर निकलने लगी।

दूसरी योजना में उपभोग्य माल के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। १९३८ में जिसके अन्तर्गत १९३८-४२ का समय जाता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। १९४० में सोवियत गण एक औद्योगिक देश बन चुका था। कच्चे लोहे की पैदावार १५० लाख टन, इस्पात १८३ लाख टन, कोयला १६६० लाख टन, तेल ३१० लाख टन, तथा विजली ४८० करोड़ किलोवाट। सन् १९२८ में यह आकड़े इन प्रकार थे -- लोहा ३३ लाख टन, इस्पात ४३ लाख टन, कोयला ३५५ लाख टन, तेल ११७ लाख टन तथा विजली ५० करोड़ किलोवाट। इसके बाद नाती हमारे के कारण आर्थिक विकास में बाधा पड़ी जिससे सोवियत अर्थ-व्यवस्था फिर में गिरावट आई। सोवियत यूनियन में युद्ध-पूर्व की स्थिति का स्तर १९४८ में प्राप्त हुआ। इन तरह युद्ध-काल में आठ वर्ष तक बाधा पड़ती रही। किन्तु तब से यह उन्नति बहुत अधिक हुई है। १९५० में चौथी पंचवर्षीय-योजना तथा १९५५ में पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाई गई। १९५५-५६ में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है।

इसके अन्तर्गत काफी बड़े लक्ष्य रखें गए हैं। १९६० में सोवियत यूनियन में कच्चा लोहा ५३० लाख टन, इस्पात ६८३ लाख टन, कोयला ५९३० लाख टन, तेल १३५० लाख टन तथा विजली ३२०० करोड़ किलोवाट होगी। इसके अलावा ५५० लाख टन सीमेंट और १८०० लाख टन अनाज उत्पन्न होगा। यह पैदावार आज के ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी तथा फ्रांस की कुल पैदावार से बहुत ज्यादा है। अमरीकी पैदावार की तुलना में यह कम है किन्तु सोवियत यूनियन को इस बात का पूरा भरोसा है कि वे इस सीमा को पार कर जायेंगे और जहाँ तक आर्थिक विकास का सम्बन्ध है वह सप्ताह में पहले दर्जे का देश होगा। इस विश्वास की झलक सोवियत यूनियन की छठी योजना में दिखाई देती है जिसके पास सारा जरूरी सामान मौजूद है। यह योजना थोड़े अरसे में पूरी होगी तथा स्थिति शांतिपूर्ण आर्थिक प्रतियोगिता की रहेगी। इसका मुख्य आर्थिक सिद्धांत है, पूँजीवादी देशों की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति उत्पादन की सीमा को लाघना।

१६. समाजवादी राज्य में आर्थिक समस्याएँ (Economic Problems in a Socialist State)—रूस ने अपनी विभिन्न आर्थिक समस्याओं का कैसे सामना किया, यह जानना रुचिकर होगा।

निजी सम्पत्ति (Private Property)—मकान, मोटर, कुछ जानवर तथा अन्य उपभोग सामग्री के रूप में निजी सम्पत्ति रखना कानून के खिलाफ नहीं है। सरकारी बाँड तथा प्रतिभूतियाँ खरीदी भी जा सकती हैं तथा बैंक में हिसाब रखा जा सकता है। पचास सहस्र रूबल तक की सम्पत्ति उत्तराधिकार में दी जा सकती है, परन्तु विना कमाई की आय पर निर्भर रहना बहुत हतोत्साहित किया जाता है और ऐसी आय पर भारी कर लगाया जाता है।

मूल्यांकन प्रणाली (Pricing System)—स्वतन्त्र व्यक्तिगत पद्धति में मूल्यांकन प्रणाली द्वारा प्रमुख आर्थिक समस्याएँ अपने आप हल हो जाती हैं। कुछ अर्थ-वेत्ताओं, विशेषतया श्रीमती हेयक तथा रॉबिन्स का कथन है कि समाजवादी पद्धति के अन्तर्गत विचारयुक्त हिसाब-किताब रखना असम्भव है तथा अंधेरे में टटोलना पड़ता है। परन्तु पीगू सरीखे अन्य अर्थ-वेत्ता कहते हैं कि ऐसा हिसाब-किताब रखने में कोई कठिनाई नहीं होती। डिक्नेसन का भी कथन है कि मूल्यांकन तथा विक्रय-विषयक पूँजीवादी यन्त्र का समाजवाद में प्रयोग किया जा सकता है। हस्तियों ने उत्पादित माल के मूल्य निर्धारित किये हैं। कच्चे माल, मजदूरी, आवागमन तथा अन्य लागत में कुछ थोड़ा-सा लाभ जोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ स्वेच्छाचारिता अवश्य है। मूल्यों में उपभोक्ताओं की मांग का कोई पता नहीं लगता, फिर भी किसी वस्तु की विशेष कमी पर ध्यान रखा जाता है।

श्रम की पूर्ति तथा मजदूरी (Supply of Labour and Wages)—अब वहाँ बंधों को छोटने की स्वतन्त्रता है। कभी-कभी श्रमिकों को अनिवार्य रूप से भरती होना पड़ा। परन्तु अब टेक्नीकल शिक्षा की बहुत सुविधाएँ हैं। शिक्षा का व्यय सरकार इस चर्त पर सहन करने को तैयार है कि शिक्षा के पश्चात् निश्चित अवधि तक

(शर्त के अनुसार) ने सरकारी कारखानों में काम करे। कार्य का प्रतिफल (मजदूरी) द्रव्य या रुपये के रूप में दिया जाता है और योग्यता, कार्यपटुता तथा काम के आधार पर मजदूरी में अन्तर होता है। कार्य में कितना श्रम और कितना समय लगता है (motion study and time study आदि की जांच करके), इसका पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन करने के पश्चात् मजदूरी का प्रमाण निर्धारित किया जाता है। जिन् श्रमिका को कम समय लगता है, उन्हें कार्यपटुता के आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है। यदि किसी विशेष कोटि के श्रम की कमी है, तो ऊँचे वेतन का प्रलोभन देना पड़ता है, जिसमें अच्छा और सही श्रम प्राप्त हो सके। कामकरो को निश्चित कार्य सौंपा जाता है। श्रमिकों को सरकारी कार्याचारियों के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। सरकार मांग के अनुसार पूर्ति का प्रबन्ध करने की व्यवस्था करती है।

वित्त (Finance)—रूसियों ने विदेशी ऋणों को खत्म कर दिया था। अतः विदेशी ऋण मिलने की तो आशा ही नहीं थी। रुपया बनाना पड़ा। नोट बड़ी सख्या में निकाले गये। मुद्रा-स्फीति तथा उसके समस्त परिणाम झेलने पड़े—बढ़े-चढ़े मूल्य और बड़ा मद्रगा जीवन-निर्वाह। जनता से भी ऋण लिया गया। तत्पश्चात् उद्योगों से आय होने लगी आर योजना के आगे बढ़ाने में वित्त प्राप्त होने लगी।

लगान (Rent)—समाजवादी राज्य में भी लगान के विचार को हटाया नहीं जा सकता। पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था को समाजवादी रूप देने से सीमित भूमि, असीमित नहीं बन जायगी। उत्पादन-शक्ति के सूचक के रूप में लगान भूमि को विभिन्न प्रयोगों में वितरण करने में सहायक होगा। समाजवादी राज्य को भी भूमि को एक उपयोग में हटाकर दूसरे उपयोग में लगाना होगा जिससे उसकी सीमान्त उत्पादन-शक्ति नव उपयोगों में समान हो जाय। लगान द्वारा सीमांत उत्पादन-शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसा कि सेम्पुलसन का कथन है “जमीन की कीमत अथवा लगान इसलिए बढ़ता है कि सर्वोत्तम उपयोग में इसकी पूर्ति बट सके।” समाजवादी राज्य में भी भूमि को एक काम में हटा कर दूसरे में लगाना होगा, जिससे सब उद्योगों में इसका सीमांत उत्पादन समान रह। मूल्यवान मानवीय अथवा अमानवीय श्रमों में उचित बटन सुनिश्चित करने का यही मार्ग है।

व्याज (Interest)—व्याज को समाप्त नहीं किया गया है। राजकीय ऋण पर व्याज मित्रता है। इसमें यह प्रष्ट होता है कि पूँजी की मांग और पूँजी की प्रान्त का समन्वय पर लाने का प्रयत्न किया गया है। व्यक्तिगत खातों पर बैंक भी व्याज देता है। निर्वाह पूँजी के समाप्त हो जाने के कारण पूँजीपतियों को प्रयोगहीन धन के जमा करने के व्याज के रूप में प्रतिफल नहीं मिल पाता। राज्य ऋण लेता है, व्याज देता है, आर उद्योगों का लाभ स्वयं रख लेता है।

समाजवादी व्यवस्था में व्याज का क्या कार्य होता है? जैसा कि हम जानते हैं,

पूजीवादी व्यवस्था में व्याज निम्नलिखित कार्य करता है। (१) वाट तथा आस्तियो आदि से यह लोगो की आय निर्धारित करता है। (२) लोगो को पूजी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन देने में यह आवश्यक है। (३) यह भावी और वर्तमान आर्थिक मूल्यों को सम्बन्धित करता है। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में प्रथम दो बातों का कोई स्थान नहीं होता। इसका कारण यह है कि पूजी निजी सम्पत्ति नहीं होती। लेकिन व्यवस्था के पत्येक रूप में व्याज को तीसरा कार्य तो करना ही होगा। पूजी सीमित होती है लेकिन इसके प्रयोग के स्थान असीमित है। व्याज की दर यह निर्धारित करती है कि पूजी किन दिशाओं में प्रयोग की जाय। निम्नस्वदेह वे व्यवसाय जहाँ १२ प्रतिशत व्याज मिलने की सम्भावना है, उन व्यवसायों से अधिक आकर्षक होंगे जहाँ केवल १० प्रतिशत आय की सम्भावना है “दुर्लभ पूजी पूर्ति के बटन के लिए व्याज का उपयोग होना चाहिए तथा इस बात के लिए जिससे वैकल्पिक प्रोजेक्ट्स को प्राथमिक रूप में रखा जा सके।”

मजदूरी (Wages)—अन्य उत्पादन-साधनों के विपरीत, श्रम के सम्बन्ध में लेखा-कीमत की पद्धति उपयुक्त न होगी क्योंकि श्रम की मात्रा बची नहीं हुई है। लोग कार्यों को अपनी पसन्द के हिसाब से चुन सकते हैं और यह भी तय कर सकते हैं कि अधिक काम करें या कम। इसलिये यह आवश्यक है कि वास्तविक बाजार-मजदूरी की दरें निर्दिष्ट की जायें। ये दरें विभिन्न बातों पर निर्भर होंगी, जैसे काम की पसन्दगी, सहायक बंधों के मिश्रण के अंतर, श्रमिकों की उत्पादन शक्ति आदि। सीमान्त उत्पादन से मजदूरी निर्धारित होगी। अस्तु, समाजवादी राज्य में कोई एक बनी हुई मजदूरी की दर नहीं होगी।

उत्पादन के साधनों की बाट (Allocation of Factors of Production)—राज्य की योजना बनाने वाला अधिकारी किसी उद्योग से सम्बन्धित उन साधनों को आकता है, जो उस उद्योग के अधिकतम उत्पादन के सम्बन्ध में आवश्यक होते हैं। पहले यह निश्चित कर लिया जाना है कि कौन-से उद्योगों को विकसित करना है और किस सीमा तक। उक्त साधनों को उपभोक्ताओं की पसन्द के आधार पर नहीं, बरन् राज्य के अधिकारियों के निश्चयानुसार प्रवाहित किया जाता है। उदाहरणार्थ, उन्होंने पहले भारी उद्योगों की ओर साधनों को केन्द्रित किया। फलस्वरूप, उपभोग सामग्री का मूल्य अपने आप बहुत बढ़ गया। पूजनद्धति के अन्तर्गत इस कमी को दूर करने के लिए उत्पादक दौड़ पड़ेंगे। परन्तु समाजवादी राज्य में प्रवाह इस प्रकार नहीं बदला जाता। कमी बनी रहेगी। राशनिंग और मूल्य नियन्त्रण जारी किया जायगा। रूस में राज्य-प्रणाली द्वारा सामान्य मूल्य-प्रणाली को, जो उपभोक्ताओं के मूल्यांकन के आधार पर साधनों का वितरण करती है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। अतः साधनों की बाट, उपभोक्ताओं के मूल्यांकन के आधार पर अवलम्बित रहनी है। राष्ट्र के जीवन में अमुक अवधि के लिए सब से उपयोगी क्या है, इसका निर्णय राज्य करना है। उपभोक्ताओं को अपनी मांग राजकीय परिस्थितियों तथा उत्पादन के अनुसार व्यवस्थित करनी पड़ती है।

नियोजन-सिद्धान्त

(THEORY OF EMPLOYMENT)

१ कुल पैदावार और नियोजन (Aggregate Output and Employment)—पिछले अध्यायो में हमने मुख्यतः उत्पादक साधनों की कीमत निश्चित करने वाले सिद्धांतों तथा उनके विभिन्न उपयोगों के वितरण का अध्ययन किया है। मूल्य और नियोजन का सिद्धांत मुख्यतः इन सिद्धांतों के साथ सम्बन्धित है। यद्यपि कीमतों का काफी महत्त्व है किन्तु अर्थव्यवस्था में कार्यवाही की मात्रा (तथा नियोजन) का भी बड़ा महत्त्व है। जिन साधनों पर नियोजन आधारित है उन पर विचार करना बहुत आवश्यक है। अब हम एक नवीन एवं अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अब हमारा ध्यान अर्थ-व्यवस्था के खंडित भागों से संपूर्ण रूप की अर्थ-व्यवस्था की ओर जाता है। अब हम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करने वाले उत्पादक साधनों के कुल नियोजन का अध्ययन करेंगे। जिस समस्या की हमें जांच करनी है, वह यह है कुल उत्पत्ति और नियोजन के स्तर का, और एक से दूसरे वर्ष के इस स्तर में घटा-बढ़ी का कैसे निश्चय होता है? इस प्रकार प्रस्तुत समस्या के दो रूप हैं—(१) कुल पैदावार और नियोजन का निश्चय, (२) व्यापार और उद्योग में परिवर्तनों के कारण इस स्तर में घटा-बढ़ी। द्वितीय रूप औद्योगिक उतार-चढ़ाव के उस सिद्धांत का द्योतक है, जो साधारणतया व्यापार-चक्र कहलाता है। (इसका अध्ययन पहले किया जा चुका है।)

२ से का बाजार-सम्बन्धी नियम (Say's Law of Markets)—निम्नान्वेह, कुल पैदावार और नियोजन की इस समस्या पर प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने भी ध्यान दिया था। अनेकों की इस अगुद्ध धारणा के विपरीत, नियोजन के प्राचीन सिद्धान्त का अस्तित्व है। इस सिद्धांत का न्यूनाधिक स्पष्ट शब्दों में प्रसार करने वाला संप्रथम अर्थशास्त्री जीन बैप्टिस्ट से था। से भौतिकवादी मत (Physiocratic School) का फ्रांसीसी अर्थशास्त्री एवं एडम स्मिथ का प्रबल अनुयायी था। से ने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि ममस्त रूप में अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन-आविव्य हो ही नहीं सकता। पूर्ति स्वतः अपनी मांग उत्पन्न करती है और फलतः किसी समुदाय के अन्तर्गत वस्तुओं और सेवाओं का कुल बहाव, वशतः कि वह आवश्यक है, शीघ्र अथवा देरी में अपने उपभोक्ताओं को पा लेगा। यदि मांग और पूर्ति में असमता जान पड़ेगी तो वह उस समय तक अन्यायी होगी जब तक निजी निर्माता अथवा राज्य द्वारा मर्यादित नियंत्रण नहीं किया जाता। यह मान कर कि विभिन्न बाजारों में हस्तगत असों के सन्तुलन समन्वय के लिए पर्याप्त क्षेत्र और समय है, और जो लोग उन्हें हस्तगत

करते हैं, उनमें न्यूनताधिक पूर्ण दूरदर्शिता है, बाजार का उत्पादन-आधिक्य किन्हीं अन्य बाजारों के न्यून-उत्पादन द्वारा प्रति-संतुलित हो जायगा। इस प्रकार, सभी बाजारों में एक ही समय पर उत्पादन-आधिक्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार, सम्मिलित रूप में सभी बाजारों में न्यून उपभोग नहीं हो सकता। से और उसके अनुयायियों ने उन उपायों द्वारा बेकारी की व्याख्या करनी चाहिए कि जिन्हें वे निर्माण अथवा सघर्ष-सम्बन्धी बाधाएँ कहते थे। ऐसी एक बाधा उच्च मजदूरी के प्रत्युत्तर में श्रमिकों के एक काम से दूसरे काम में अथवा एक से दूसरे स्थान में जाने की अनिच्छा थी। एक अन्य बाधा निर्माताओं की इस अनिच्छा के कारण थी कि वे अपने निजी उद्योग से बाहर के लाभ-सीमाओं का उपयोग करने को तैयार नहीं थे। तिस पर भी एक अन्य, वस्तुओं की पूर्ति पर एकाधिकारियों के नियंत्रण की थी। प्राचीन अर्थशास्त्री इन सब बाधाओं को अनुचित मानते थे। जब तक इन सब का अंत नहीं होगा, अनियोजन या बेकारी का उपचार नहीं हो सकता। इस बात का समर्थन किया जाता था कि राज्य को चाहिए कि वह अपनी पूरी शक्ति के साथ इन्हें नष्ट करे जिससे कि अर्थ-व्यवस्था में स्वतंत्र और पूर्ण प्रतियोगिता हो सके।

प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने बेकारी पर विजय पाने के लिए यह विशिष्ट उपचार निर्धारित किया था कि श्रमिकों को उस मजदूरी की कटौती स्वीकार कर लेनी चाहिए जब उनके समक्ष गिरती कीमतों तथा अल्प वृत्तियों की समस्या उपस्थित हो। चूँकि मन्दी में कीमतें सामान्य स्तर से भी नीचे गिर जाती हैं, इसलिए मजदूरी की कटौती, ब्रशर्त्ते कि वह कीमतों की न्यूनता के समान नहीं है, श्रमिकों को आघात नहीं पहुँचा सकती। उनकी वास्तविक मजदूरी उस समय तक न्यून नहीं होगी जब तक कीमतें प्रबलता के साथ न्यून नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह कि वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी, जिसमें वह सब-कुछ है जिसका वे सामान्यतया उपभोग करते हैं—उनके जीवन-यापन के स्तर का ठोस चिह्न—उनकी मजदूरी में कटौती के वावजूद भी छोटी नहीं होगी। प्राचीन अर्थशास्त्रियों का मत है कि मन्दी के काल में भी यदि श्रमिक सघ कम मजदूरी को स्वीकार करने से इन्कार करते हैं तो वे मूर्ख हैं, और इसके फलरूप मन्दी का पूर्ण उपचार नहीं किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में हम आगे अधिक अध्ययन करेंगे।

३ से के नियम की कमजोरियाँ (Weaknesses of Say's Law)—यहाँ तक कि से के जीवन-काल में भी उसके बाजार-सम्बन्धी नियम की कड़ी आलोचना हुई थी। यद्यपि नियोजन के प्रभुत्वकारी सिद्धान्त के रूप में समूची उन्नीसवीं सदी और प्रस्तुत सदी की लगभग तीन दशाब्दियों में इस नियम का प्रभाव रहा तथापि यह आलोचना भी निरन्तर बनी रही। सर्वाधिक प्राचीन आलोचक टी आर मालथस था, जो जनसंख्या के सिद्धान्त का प्रणेता है। मालथस का मत था कि सम्पूर्ण मांग और सम्पूर्ण पूर्ति, अर्थात् परिवद्ध अर्थ-व्यवस्था (closed economy) में कुल उत्पादन और कुल उपभोग के बीच किसी प्रकार की अनिवार्य दीर्घकालिक समता नहीं है। यह न केवल सम्भव है प्रत्युत बहुधा सम्भव भी है कि दोनों असमान रहें, जिसके कारण वस्तुओं

और सेवाओं की वार-वार बहुलता और दुर्लभता हो। इस बात के बावजूद भी प्रख्यात प्राचीन अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने से के नियम का पक्ष लिया, पर मालथस अपनी वारणा के प्रति दृढ़ रहा। से का एक अन्य आलोचक कार्ल मार्क्स था। उसने भी इस बात को अस्वीकार किया कि सामाजिक माग और पूर्ति के बीच सदैव और अनिवार्यतः ममता होनी ही चाहिये।

इतने समय के अन्तर में हम से के नियम के पूर्ण अर्थों को भली प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। यदि माग और पूर्ति के स्वतन्त्र और पूर्ण समन्वय पर किसी प्रकार के अवरोध नहीं, यदि त्रिनियोजन के चरण सदा नयी वस्तुओं और सेवाओं की माग के समान रहते हैं, यदि लोग स्वेच्छापूर्वक वचत कानित नया विनियोजन करते हैं, केवल तभी से का नियम स्थिर रहेगा और सामान्य उत्पादन-आविक्य असंभव बन जायगा। किन्तु वास्तविक जगत् में इन निरोधात्मक धारणाओं की उपलब्धि नितांत कोरी और अवास्तविक है। इस प्रकार भौदान्तिक आधारों पर सामान्य उत्पादन-आविक्य असंभव है, और फलस्वरूप अनियोजन भी। से के अनुसार अर्थ-व्यवस्था का एक ऐसा चित्र था, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की प्रभावकारी माग सदा एक स्तर पर रहती है, जहाँ काम की खोज करने वालों को काम मिल सकता है और जहाँ अनियोजन, जो स्वेच्छया नहीं है, विद्यमान नहीं। इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था की दशा को पूर्ण नियोजन कहा जाता है। ज्यों-ज्यों हम आगे अध्ययन करेंगे, इसके अर्थ स्पष्ट होते जायेंगे।

४ नियोजन का आधुनिक सिद्धान्त (The Modern Theory of Employment)—समूची उन्नीसवीं सदी में अनेको तेजी मदी हुई और प्रस्तुत नदी के प्रारम्भिक भाग तक ये वनी भी रही, किन्तु सन् तीस की महान् मदी इन सबमें महान् थी। इस प्रकार की तेजी मदी का वारम्बार होना बेरोजगार के प्राचीन सिद्धान्त के लिए गभीर चुनौती थी, और तिम पर यह तेजी मदी ऐसी थी कि प्राचीन सिद्धान्त उनका समुचित स्पष्टीकरण भी नहीं कर सका। क्योंकि प्राचीन सिद्धान्त ऐसी दुनिया पर लागू होता था, जहाँ स्वतन्त्र और पूर्ण प्रतियोगिता हो, जहाँ किसी प्रकार के सधर्ष न हो, निम्न श्रमिक मय सदा विवेकपूर्ण आचरण करते हो और जिसमें दीर्घकालिक प्रवृत्तियों में सदा सफलता प्राप्त होनी हो।

किन्तु अब १९३० की महान् मदी के कारण सब अर्थशास्त्रियों को प्रारम्भिक मूल-तत्त्वों में लेकर नियोजन-सिद्धान्त पर विचार करना पड़ा। और फलस्वरूप एक नवीन सिद्धांत का जन्म हुआ जो प्राचीन की अपेक्षा पूर्णतया भिन्न था। इसका सर्वप्रथम निर्माण जान मेनाडे कोन्स ने किया था जो अतदिग्ध रूप में आधुनिककाल के महान् अर्थशास्त्री है। १९३३ में उनका "General Theory of Employment, Interest and Money" (नियोजन, व्याज और द्रव्य का सामान्य सिद्धांत) नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। कोन्स ने क्रान्तिकारी उग्रता के साथ अपने विचारों को उपस्थित करने की चेष्टा की और ऐसा करते हुए उन्होंने, अपने मतानुसार नवीन का निर्माण करने में पूर्व जो कुछ भी पुराना था, उस सारे को नष्ट करने की चेष्टा की। इन्होंने उन लोगों की ओर से अनावश्यक विरोध उत्पन्न हुआ जो प्राचीन

विचारो पर स्थिर थे। फलस्वरूप प्राचीन और कौन्सवादी विचारधाराओं में बड़ा भारी विवाद उत्पन्न हो गया, और अभी हाल ही में इसकी इति हुई है। अब तो इसका बहुत बड़ा अंश अथहीन भी हो गया है और हम समझते हैं कि उससे हमारा कोई सम्बन्ध भी नहीं। इससे आगे हम आय-पैदावार और नियोजन के स्वीकृत मूल तत्त्वों को उपस्थित करने की चेष्टा करेंगे।

५ सामाजिक आय और पैदावार (Social Income and Output)— किसी अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण दृष्टिकोण को जानने के लिए कुछ आधारमूलक धारणाओं के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय या उत्पादन है, जो सामाजिक आय जैसी ही वस्तु है। यह वस्तुओं और सेवाओं के वहाव का द्रव्य-सम्बन्धी मूल्य है, जो अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत समय की एक इकाई, जैसे कि एक वर्ष में, उत्पन्न किया जाता है। इस तरह नापी गई वार्षिक राष्ट्रीय आय सकल रूप में मानी जा सकती है, अर्थात् मूल्य ह्रास और नकारा करने (depreciation and obsolescence) यानी टैक्नीकल ज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप पूज्यगत वस्तुओं की घिसाई और टूट-फूट के लिए किसी प्रकार की छूट दिये बिना। यह कुल राष्ट्रीय आय है। कोई राष्ट्रीय आय के विषय में मूल्य ह्रास और घिसाई के लिए छूट देकर उसके विशुद्ध रूप पर भी विचार कर सकता है। तब यह विशुद्ध राष्ट्रीय आय होगी। विशुद्ध राष्ट्रीय आय में निम्न दो मुख्य साधन सहायक हैं प्रथम, निजी आय, और दूसरी सरकारी आय। प्रथम सहायक व्यक्तिगत, और द्वितीय सम्मिलित आय द्वारा निर्मित होता है। इसके विपरीत, सरकारी आय स्थानीय प्रांतीय (एकात्मक) और केन्द्रीय अधिकारियों की आय के मेल से बनती है। यह विशुद्ध राष्ट्रीय आय सदा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर होती है जो विशुद्ध राष्ट्रीय व्यय के भी बराबर होती है, क्योंकि एक अवधि में उपाजित सारी आय खर्च की गई आय के समान होती है। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन सदा उपभोग वस्तुओं, वस्तुओं के विनियोग और खण्ड लागत पर अंकित मूल्य की सब प्रकार की सेवाओं के कुलयोग से बनता है। अब यह पैदावार सदैव उत्पादन के साधन को किये गये भूगतान के बराबर होगी। इसमें लाभ पारिन्तोषिक-मात्र ही होगा। इससे परिणाम यह निकला कि राष्ट्रीय व्यय राष्ट्रीय उत्पादन के मूल्य के बराबर हो जाता है। राष्ट्रीय आय का व्यय करने के दो मार्ग हैं। एक तो इसके उपभोग का है, और दूसरा बचत का। बचत उपभोग नहीं है, क्योंकि इसमें उपभोग से परे रहने का निर्णय निहित है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय उत्पादन उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य और पूज्यगत वस्तुओं के मूल्य के समान होता है। इस प्रकार हमें निम्न एकात्म्य प्राप्त होता है।

प्रत्येक नियत काल अवधि में

राष्ट्रीय आय = प्रचलित उपभोग + प्रचलित बचत

राष्ट्रीय व्यय = प्रचलित उपभोग + प्रचलित विनियोग

चूँकि राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय पैदावार के समान है और उपभोग वस्तुओं का मूल्य भी राष्ट्रीय उपभोग के ही समान है, तो इससे परिणाम यह निकला कि बचत वस्तुओं के विनियोग मूल्य या प्रचलित विनियोग के समान होती है। निःसंदेह हम दोनों शब्दों-

वक्तियों को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं—वचत और विनियोग जिससे कि उन्हें तदात्मक बनाने की वजाय उन्हें एक दूसरे से भिन्न किया जा सके।

६ वचत और विनियोग (Saving and Investment)—अब हम वचत और विनियोग के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। जब एक व्यक्ति वचत करता है, तो वह उपभोग स्थगित करने का निर्णय करता है और वैसे करने पर उसे उम आय को भविष्य में व्यय करने का स्वत्व ही जाता है। संभव है उसकी वचत विभिन्न रूप ग्रहण करे। वह कुछ नकदी भविष्य के उपभोग के लिए रख सकता है, वह अपने द्रव्य को बैंक के चालू या सावधि खाते में जमा करा सकता है, वह सरकार को ऋण दे सकता है और प्रतिभूतिया खरीद सकता है, अथवा किसी कम्पनी को ऋण दे सकता है और औद्योगिक या व्यापारिक हिस्से क्रय कर सकता है; अथवा उन्हें छोड़ कर, वह एक मकान या किसी प्रकार की अन्य पूजीगत वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। जो भी हो, वचत के ये सब रूप व्यक्तिगत हैं, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति की वचत करने की क्रिया समाज की वचत की क्रिया पर भी लागू हो। वस्तुतः, ऐसा तो हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसे ढंग से वचत करे कि उसमें एक अन्य व्यक्ति की वचत की अयोग्यता का समावेश हो। यदि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ चत्वर (स्टॉक एक्सचेंज) में किसी अन्य बाजार से शेयर क्रय करता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि पहले ने तो वचत की है जबकि दूसरे ने वचत की अयोग्यता। यदि कोई व्यक्ति एक अन्य से एक मकान क्रय करता है, तब भी यही बात होगी। ऐसी अवस्थाओं में एक व्यक्ति की वचत अन्य व्यक्ति की वचत करने की अयोग्यता के कारण शून्य हो जायगी और किन्हीं प्रकार की सामाजिक वचत भी नहीं होगी। जब समाज वचत करता है, अर्थात् उपभोग को स्थगित करता है, तो उसकी वचत के फल का विभिन्न रूप उपभोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, सरकार नये ऋण जारी कर सकती है, और उनसे नयी सड़कें और भवन बना सकती है। एक नवीन औद्योगिक कम्पनी जारी की जा सकती है और बाजार में नये शेयर उपस्थित किये जा सकते हैं, जिनसे नयी वस्तुओं का निर्माण हो सकता है, नये मकान बनाये जा सकते हैं, अथवा इनके अलावा सरकार या निजी उद्योग या व्यापार अपनी कार्यकारी पूजी में कच्चे पदार्थों, अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं या पूर्ण-निर्मित वस्तुओं के स्टॉक के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। जब इन तरह की सामाजिक वचत होती है तो इससे पूजी के स्टॉक में विशुद्ध वृद्धि, अर्थात् नव-पूजी निर्माण हो जाता है। यह विनियोग का दूसरा नाम है। उपरान्त, हम प्रतिदिन के प्रयोग में अपनी आय को तब "विनियोजित" कह सकते हैं जब हम स्वतः भावी आय का कोई स्वत्व क्रय करते हैं। किंतु निजी विनियोग का यह रूप व्यक्तिगत विनियोग की अयोग्यता के नाथ-माथ भी चल सकता है और दोनों क्रियाएँ एक दूसरे को काट भी सकती हैं। सामाजिक विनियोग निश्चयात्मक होता है और अनिवायं व्यक्तिगत विनियोग में प्रकट नहीं होता।

७ आय कैसे उत्पन्न की जाती है? (How Income is Generated)
—अब हमें देना है कि सामाजिक या राष्ट्रीय आय कैसे उत्पन्न की जाती है।

हम सबको ज्ञान है कि हम तब तक कोई आय उपार्जन नहीं कर सकते जब तक कि हमारी विक्रय की वस्तु को कोई लेने के लिए तय्यार न हो। यह हमारी निर्मित वस्तुएं भी हो सकती हैं अथवा अन्य ऐसा कार्य हो सकता है जिसे हम मजदूरी या वेतन के लिए करना चाहते हैं। तो यह कार्य या वस्तुएं उनके विक्रय की सम्भावनाओं के अनुकूल उत्पन्न करनी होंगी। समाज में वस्तुओं के स्टॉक में किसी प्रकार की वृद्धि के लिए पूंजी निर्माण या विनियोग आवश्यक होगा। अन्य शब्दों में, हम तब तक किसी प्रकार की आय का उपार्जन नहीं कर सकते जब तक हम सामाजिक उत्पादन के स्टॉक में वृद्धि नहीं करते। यह, वस्तुतः इस प्रश्न का आधार है कि आय कैसे पैदा की जाती है, क्योंकि वह सामाजिक उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कर रहा होता है, और क्योंकि वह उत्पादन के विभिन्न अंशों का भुगतान कर रहा होता है। जब इस प्रकार की वृद्धि होती है, तो आय का लोत उत्पन्न हो जाता है। यह आय का लोत उत्पादन के साधनों को किये भुगतान के बराबर होता है। यह इस कथन का केवल दूसरा रूप है कि सामाजिक उत्पादन में किनी प्रकार की वृद्धि के साथ-साथ साधन-लागतों या साधन-भुगतानों में भी समान वृद्धि होगी। अब ये साधन-भुगतान वही स्थिर नहीं रहते जहां भुगतान किए गये थे। एक श्रमिक को उपार्जन के बाद तत्काल ही अपनी मजदूरी सम्बन्धी आय का व्यय करना होता है। उसे अपने लिए भोजन, वस्त्र, अन्य आवश्यकताएँ और सुविधायें क्रय करनी होती हैं, और ऐसा करते हुए वह अपनी उपार्जित आय को उन दुकानदारों के हाथों में दे देता है जिनसे वह अपने लिए सामान खरीदता है। तो, आय के हस्तांतरण का यह चक्र एक से दूसरे तक निरन्तर चलता रहता है। किन्तु प्रत्येक चक्र पूर्व की अपेक्षा छोटा होता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी आय प्राप्त करता है तो वह सारी की सारी खर्च नहीं करता, प्रत्युत उसके एक भाग को भावी उपयोग के लिए अपनी वचत के रूप में रोक लेता है। जिन चक्रों में यह विधि चलती है, इसे निम्न रूप में अंकित किया जा सकता है।

मान लो एक व्यक्ति सौ रुपया उपार्जन करता है। पहली तारीख को वह अपनी वचत के रूप में $\frac{1}{5}$ रख लेता है और शेष खर्च डालता है। उसका लेखा इस प्रकार होगा : आय १०० रु० = १० रु० उपभोग + १० रु० वचत। १० रु० की जिस राशि को वह खर्च करता है, वह किसी दुकानदार के हाथों में चली जाती है। अब अपनी वारी के रूप में दुकानदार को यह आय खर्च करनी है। मान लीजिये कि वह $\frac{1}{5}$ की वचत करता है और शेष खर्च कर डालता है। उसका लेखा इस प्रकार होगा : आय १० रु० = उपभोग ८१ रु० + १९ रु० वचत। इस दुकानदार का ८१ रु० का व्यय समाज की अन्य परतों में घूमता है। मान लीजिए कि वह थोक के दुकानदार के हाथों में जाता है और वह भी $\frac{1}{5}$ की वचत करता है और शेष खर्च कर डालता है। अब हमारी ८१ रु० की आय = ७२.९ उपभोग + ८.१ वचत के हैं। थोक दुकानदार अपनी आय का $\frac{1}{5}$ श्रमिकों, ठेकेदारों आदि पर खर्च करता है। जब ये लोग अपनी आय उपार्जन करेंगे तो वे भी, अपने तौर पर, $\frac{1}{5}$ की वचत कर सकते हैं और शेष खर्च, जिससे ७२.९ रु० का व्यय ६४.६१ उपभोग + ७.२९ वचत के समान हो जायगा।

व्यय के ये चक्र निरन्तर चलते जायगे और इस रूप में अल्प होते जायगे कि इसका प्रत्येक अनुवर्ती सदस्य पूर्व की अपेक्षा लघु होगा। चूँकि ये क्रम अल्प हो रहे हैं इसलिए उन्हें सहज ही सयुक्त किया जा सकता है। सपूर्ण क्रमों, अर्थात् व्यय के सब चक्रों की राशि १०० रु० के मूल-व्यय से दस गुना होगी। अन्य शब्दों में, १०० रु० का मूल-व्यय १,१०० रु० के सम्पूर्ण व्यय को जन्म देगा। अब नव-निर्मित आय और मूल आय का सम्बन्ध वचत और आय के अनुपातानुसार एक निश्चित सम्बन्ध का होगा। यदि यह अनुपात $\frac{1}{10}$ है, तो उत्पादित आय मूल व्यय से दस गुना बड़ी होगी। यदि अनुपात $\frac{1}{5}$ है, तो उत्पादित आय मूल व्यय से नौ गुना होगी, और इसी प्रकार अन्य भी। सो इस तरह जितनी बार मूल पूँजी व्यय फैलता है, उसे विनियोग गुणक कहते हैं। हमने ऊपर जो उदाहरण दिया है, उसमें गुणक १० रु० है। यह किसी नये विनियोग के फलरूप उत्पादित नयी आय की राशि को नापने का उपयोगी साधन है। हम आगे देखेंगे कि इस साधन की महायता में हम अधिक प्रभाव के साथ अनेक समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे।

८ नियोजन के निर्णायक (Determinants of Employment)

—अब हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि नियोजन का आकार कैसे निश्चित होता है? किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप के अभाव में और बाजार सम्बन्धी स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था में, निजी व्यापारियों और व्यवसायों के नए व्यापार और उद्योग में विनियोग के निर्णय पर श्रम और पूँजी का नियोजन निर्भर करता है। यही वह विनियोग के निर्णय है, जो दस समस्या के निराकरण की मूल कुंजी है। तो अब यह देखना है कि विनियोग नबवी ये निर्णय किस आधार पर किये जाते हैं? प्राचीन अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि ये व्याज की दर पर अर्थात्, नयी पूँजी की पूर्ति-कीमत, अथवा विनियोजन योग्य राशियों पर निर्भर करते हैं। प्राचीन सिद्धांत के अनुसार, व्याज दर की न्यूनता निजी पूँजीपतियों को अधिक धन ऋण लेने और उसे नए व्यापार और उद्योग में लगाने की प्रेरणा करती है, जिसके कारण नियोजन के आधार में वृद्धि होती है। फलस्वरूप, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि किसी प्रकार का अनियोजन हो और यदि निजी पूँजीपतियों को इसके उपचार के लिए प्रभावित करना हो तो व्याज की दर को कम करना होगा। लेकिन यह प्राचीन दृष्टिकोण वास्तविक मदी में कभी सफल नहीं हुआ। उदाहरणार्थ, विगत महान् मदी के समय इंग्लैंड में बैंक दर कम की गई थी, द्रव्य सन्ता किया गया था। किन्तु इतने पर भी निजी विनियोग अमफल रहा। प्राचीन दृष्टिकोण में मुख्य दोष यह है कि वह विनियोग और नियोजन के निर्णायक रूप में व्याज दर को अन्वयित महत्त्व देता है।

गर्भोन्नापूर्वक विचार करने पर मालूम होगा कि व्यवसायी और व्यापारी भविष्य में काम बनाने की आशा में विनियोग के लिए ऋण लेने को प्रेरित है। तान्पर्य यह कि पर वे सोच लेते हैं कि उनके विनियोग की योजनाएँ परिपक्व हो सकती हैं और पूँजीगत योजनाओं में काम होना शुरू हो गया है। किन्ती भी व्यापार के लिए माजनाएँ बनाने और पूर्ण करने के बीच पर्याप्त समयांतर होता है। यह समय ६ मान ने एक वर्ष और

डेढ़ वर्ष अथवा अधिक भी हो सकता है। इस प्रकार, लाभ प्राप्त करने की आशा पूँजीपतियों के विनियोग-मन्त्री निर्णयों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि अधिक लाभों की आशा है तो वह महँगी दरों पर भी ऋण लेने के लिए प्रेरित होंगे और यदि लाभों की कम आशा होगी तो भले ही कितनी भी सस्ती दरें न्योन हों, वे ऋण लेने को तय्यार नहीं होंगे। साम्यावस्था में व्याज-दर के कारण ऋण की लागत को उसके मूल्य के ऊपर विनियोग के (भावी) पत्याय की सीमात दर, अर्थात् भावी लाभ की सीमात दर के बराबर करना होगा। नियोजन तब तक उन्नत नहीं हो सकता जब तक कि लाभ की आशा उज्ज्वल नहीं होगी। इस प्रकार की आशा के अभाव में, सात्व को चाहे जितना सस्ता किया जाय, विनियोग के आकार में प्रभावपूर्ण वृद्धि नहीं हो सकती।

जब व्यापार और उद्योग मंदे हो और पूँजीपतियों का भविष्य मन्त्री दृष्टिकोण निराशावादी हो, तो मंदी हो जाती है और बेकारी उत्पन्न हो जाती है। यही वह समय होता है जब सरकार इस क्षेत्र में उतरकर और विनियोग का कार्य स्वतः अपने ऊपर लेकर परिस्थिति की रक्षा कर सकती है। सरकार सड़कें, मकान, पुल और ऐसी अनेक सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएँ बना सकती है, जिससे अर्थ-व्यवस्था के भिन्न भागों में बेकार साधनों का उपयोग हो सके। इन साधनों के एक बार नियोजित होने पर निजी लाभ की आशा पर प्रभाव होता है और निजी पूँजीपति उन्हें ग्रहण करते हैं। हम पूर्वतः देख चुके हैं कि प्रारम्भिक विनियोग किस प्रकार विनियोग की लहरो अथवा अनुप्रेरित विनियोग को उन्नत करता है। सरकारी विनियोग के गुणक प्रभावों को शीघ्र ही तब अनुभव किया जाने लगता है जब सरकार सार्वजनिक व्यय का कार्यक्रम उपस्थित करती है। इन प्रकार की सरकारी कार्यवाही को अग्रेजी में पम्प-प्रिमिंग (pump priming) कहते हैं।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार सर्वथा उदासीन दृष्टिकोण (राम-भरोसे पर आधारित) नहीं अपना सकती। उसे क्रियाशील रहना होगा और जब व्यापार तथा उद्योग शिथिल हो तो उसे विनियोजन और नियोजन के क्षेत्र में प्रविष्ट होना चाहिए। स्वतन्त्र बाजार-सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था के पूर्ण एवं स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने के लिए यह वस्तुतः आवश्यक है कि उसे इस सक्रिय रूप को पूर्ण करना चाहिये तथा नियोजन का उच्च एवं सुदृढ़ स्तर स्थिर रखना चाहिए। मंदी काल में सरकार को अपने उपार्जनो की अपेक्षा अधिक खर्च करना चाहिए, तात्पर्य यह कि, उसे घाटे के वजट बनाने चाहिए, किन्तु, यदि तेजी हो तो उसे अपने उपार्जनो की अपेक्षा कम खर्च करना चाहिए, और इन प्रकार वचत के वजट बनाने चाहिए। इस भाँति सरकार अपने वजटो को प्रतिवर्ष नहीं प्रत्युत कुछ वर्षों में सन्तुलित करने की चेष्टा करती है, जिससे आर्थिक कार्य-कलाप और नियोजन उच्च एवं सुदृढ़ स्तर पर स्थिर रहे जा सकें।

६ पूर्ण-नियोजन का विचार (The Concept of Full Employment)—उक्त विचार-विनिमय के आकार पर हम पूर्ण नियोजन के विचार पर पहुँच जाते हैं। नियोजन तब पूर्ण कहा जाता है जब किनी को काम की आवश्यकता

हो तो उसे वह मिल सके। नि सन्देह, पूर्ण नियोजन का आशय अनियोजन का सर्वथा अभाव न तो समझना चाहिए और न ही समझा जा सकता है। क्योंकि, किसी भी प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में अनियोजन की कोई सीमा तो होगी ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो किसी कारणवश बेकार रहना पसन्द करते हैं, और उन्हें थोड़े ही समय के लिए, चाहे जितना भी प्रलोभन क्यों न हो, कार्य करने की प्रेरणा नहीं की जा सकती। दूसरे, कुछ लोग ऐसे हैं, जो एक कार्य को छोड़कर दूसरे की खोज करते हैं, और उन्हें एक कार्य को छोड़कर दूसरे तक पहुँचने के मध्यकाल तक बेकार रहना पड़ता है। इसके बाद, कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अपने पुराने कार्य को छोड़ दिया होता है, और उन्हें नया काम सीखने में कुछ समय लगाना पड़ता है। उस सीखने के काल में वे अस्थायी होते हैं और उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलता अथवा मिलता भी हो तो नाममात्र का भत्ता मिलता है। बेकारों में ऐसे सब लोगों की संख्या ३ से ५ प्रतिशत अथवा अधिक भी जाकी जा सकती है। इन सीमा को छोड़ कर, शेष प्रभावी मनुष्य-शक्ति नियोजन के लिए उपलब्ध होती है। नियोजन तब पूर्ण कहा जाता है जब यह श्रम-शक्ति, जो सम्पूर्ण मनुष्य-शक्ति की ९५ में ९७ प्रतिशत है, पूर्ण रूप से नियोजित हो। नियोजन का ऐसा उच्च स्तर व्यापक युद्ध के समय ही पूर्णरूपेण दृष्टिगोचर होता है। किन्तु समस्या तो इसे शान्ति-काल में प्राप्त करने की है। वस्तुतः प्रत्येक स्वतन्त्र वाजार-सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था की यह सबसे जटिल समस्या है।

हमारे उक्त विचार विनिमय के आधार पर पूर्ण नियोजन प्राप्त करने तथा स्थिर रखने सम्बन्धी सामान्य मूल तत्त्वों को सहज ही ग्रहण किया जा सकता है। प्रथमावस्था में सरकार को चाहिए कि वह सार्वजनिक विनियोग की समुचित नीति द्वारा वारम्बार होने वाली मंदियों की प्रतिक्रिया करे। इसके विपरीत, उसे उस काल में सार्वजनिक विनियोग में कटौती करनी चाहिए और द्रव्य को महँगा बनाना चाहिए जब कि व्यापार उद्योग में तेजी हो और विनाशकारी स्टूट मन्वी कार्य-कलाप हो। दूसरे, उसे इस ढंग से योजना करनी चाहिए, और उद्योग स्थापना के विषय में भौगोलिक दृष्टिकोण को समक्ष रखना चाहिए कि बेरोजगार पुरुषों और स्त्रियों के समूह मदी वाले क्षेत्रों में, जहाँ वे रहने हो कार्य प्राप्त कर सके। यह कार्य को श्रमिकों तक ले जाने की नीति है। तीसरे, उसे समुचित व्यापार नीति द्वारा अपनी निर्यात और घरेलू उद्योगों की सहायता करनी चाहिए। नियोजन के उच्च एवं सुदृढ़ स्तर को रखने के लिए ऐसी तथा अन्य विधियाँ आवश्यक हैं।

१० अर्द्ध-विकसित देशों की विशिष्ट समस्याएँ (The Special Problems of Under-Developed Countries)—अर्द्ध-विकसित देशों में पूर्ण नियोजन में नरहित समस्याओं का गभीरतापूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। नि सन्देह, हमारे लिए तो इस देश में इनका विशेष महत्त्व है। जब किसी देश के साधनों का पूरा विज्ञान नहीं होना, तो वह इन बातों के कारण पीड़ित होता है। बड़ी श्रम शक्ति और यह भी अधिमान्य अकुशल और कृषक, अत्यधिक छोटी पृथ्वी और छोटे-छोटे गाँवों, जो अधिमान्य उपभोग वस्तुओं का ही निर्माण करते हैं। इन प्रकार के देशों

को सर्वप्रथम अपने सामरिक साधनों, अर्थात्, भारी उद्योगों या आधारमूलक उद्योगों—इस्पात, लोहा, कोयला, सीमेंट, रासायनिक आदि—का विकास करना चाहिए। यदि इन साधनों का शीघ्रतापूर्वक विकास करना होगा तो यह अत्यावश्यक है कि सरकार इस दिशा में सक्रिय कदम उठाए। यह कार्य, विनिमय नियंत्रण और भौतिक कौटो के द्वारा घरेलू बाजार की विदेशी प्रतिद्वन्द्विता से रक्षा करने से किया जा सकता है। इससे अधिक वह सार्वजनिक विनियोग की धारा को भारी रचनात्मक उद्योगों की दिशा में निर्दिष्ट कर सकती है, और साथ ही वह निजी विनियोगों को इन उद्योगों की दिशाओं में प्रवृत्त करने की प्रेरणा भी कर सकती है। जो भी हो, इस प्रकार के अर्द्ध-विकसित देशों में इस बात की विशेष आवश्यकता है कि उनको उपलब्ध श्रम-शक्ति का यथासंभव पूर्ण उपयोग किया जाय। वस्तुतः, यदि इन देशों के आर्थिक साधनों का शीघ्रतापूर्वक विकास करना है तो यह आवश्यक है कि श्रम का उपयोग परिपूर्णता के साथ हो किन्तु पूँजी का उपयोग थोड़ा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिनमें पूँजी की अपेक्षा श्रम का अधिकाधिक उपयोग हो। ऐसा करने से अर्थ-व्यवस्था सरलता एवं गतिपूर्वक प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेगी।

निर्देश पुस्तकें

- Samuelson, P A —Economics, An Introductory Analysis, 1951,
Chs 12-14
Tarshis, L —Elements of Economics, 1947.
Boulding K E.—Economic Analysis, Part II, 1948

परिशिष्ट

GUIDE TO THE STUDY OF ECONOMIC THEORY

For Beginners

Lehfeldt—*Descriptive Economics*

Dane—*Economics for Boys and Girls*

Dewett, Varma and Singh—*Introductory Economics (Theory)*,
(Part I)

Scott, Mrs Groome—*Approach to Economics*

Jathar and Beri—*Elementary Principles of Economics*

Thomas—*Teach Yourself Economics*

Hicks—*Social Frame work*

For Degree Students

Pigou—*Income*

Briggs and Jordon—*Text book of Economics*

Erich roll—*Elements of Economic Theory*

Benham—*Economics*

Albert Meyers—*Elements of Modern Economics*

Bve—*Principles of Economics*

Hansen—*Economics for Students*

Samuelson, Paul A —*Economics*

Cairncross—*Introduction to Economics*

Odhams Press—*Economics, Man and His Material Resources*

Stonier and Hague—*A Text book of Economic Theory*

For Advanced Students

Traditional Economics

Marshall, A —*Principles of Economics*

Henderson—*Supply and Demand*

Wicksteed—*Commonsense of Political Economy*

Wicksell—*Lectures on Political Economy*

Todd, J A —*Science of Prices*

—*Mechanism of Exchange*

Wieser, A —*Natural Value*

Pigou—*Economics of Welfare*

Meade—*Economic Analysis and Policy*

ट्रेडिगनर अर्थशास्त्र के सम्बन्धित पुस्तकों का मुख्य विश्लेषण मार्केट प्रणाली से है जो गणितीय तथा मात्रात्मक और कान्तिमिक है। इसके अन्तर्गत उपभोग का सिद्धान्त, उत्पन्न का सिद्धान्त तथा वितरण का सिद्धान्त शामिल हैं। इसके प्रत्येक अंग में कुछ सिद्धान्त वास्तवों के अन्तर्गत जिनका सम्बन्ध प्रतिनिधित्व तथा चोरी की स्थिति

आदि से साम्यावस्था की स्थिति बूढ़ना हे । इन भागो में आन्तरिक शक्तियों के कारण माग, पूर्ति तथा कीमत के परस्पर सम्बन्धो से मूल्य के सिद्धान्त का उदय होता है । कीमत प्रणाली किस प्रकार कार्य करे जिससे अधिकतम आर्थिक कल्याण हो, इन बात का विवेचन उपर्युक्त सूची की अन्तिम दो पुस्तको में दिया गया है ।

नवीन अर्थशास्त्र—इसका दूसरा नाम कीस अर्थशास्त्र भी है । इसके अन्तर्गत ट्रेडिशनल अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो की मूल मान्यताओ पर आपत्ति की गई है, और इसके स्थान पर एक नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है । इसमें भाव-परक जगत् की बात छोडकर वास्तविक जगत् की समस्याओ पर विचार किया गया है । कीस की पुस्तक 'General Theory of Economics, Interest and Money' में इस नए विश्लेषण को दिया गया है । कोसियन अर्थशास्त्र को शुरू करने वाले इन पुस्तको ने आरम्भ कर सकते हैं जोन राविन्सन "Introduction to the Theory of Employment", आक्सफोर्ड की मासिकी सस्या की पुस्तक "Economics of Full Employment", मीड की 'Economic Analysis and Policy' and "Planning" and "Price Mechanism" तथा मॉर्शल की "Conquest of Unemployment" कोस विचारवारा के विभिन्न पहलुओ पर हैरिस द्वारा सम्पादित "New Economics" में प्रकाश डाला गया है ।

ट्रेडिशनल अर्थशास्त्र के विरुद्ध विद्रोह के साथ-साथप्राचीन विचारवारा के अन्तर्गत अर्थशास्त्र के स्वरूप तथा क्षेत्र के सम्बन्ध मे भी गहन विचार किया गया है । इसके लिए राविन्स की "Nature and Significance" तथा बूटन की "Lament for Economics" पुस्तकें पढ़िए ।

आर्थिक सिद्धान्त के एडवास्ड विचारो के लिए जिनका हाल ही मे विफास हुआ है निम्नलिखित पुस्तकें पढ़िए —

Tarshis, L — *Elements of Economics*

Hess and Others — *Outside Readings in Economics.*

Robinson, E.A G — *Monopoly*

Joan Robinson — *Economics of Imperfect Competition*

Chamberlin — *Theory of Monopolistic Competition*

Hicks — *Value and Capital*

Hayek — *The Pure Theory of Capital*

Stigler — *Production and Distribution Theories*

— *Theory of Price*

Tugwell — *Trend of Economics*

Meade — *An Introduction to Economic Analysis and Policy*

Boulding — *Economic Analysis.*

Keynes — *The General Theory of Employment, Interest and Money.*

Joan Robinson — *Introduction to the Theory of Employment*

Harris — *New Economics*

Fraser, L M — *Economic Thought and Language*

The Oxford Institute of Statistics and Economics—*Economics of Full Employment*

For excursions beyond the Keynesian field, with the same fundamental approach nevertheless, the following books may be suggested

Joan Robinson—*Essay in the Theory of Employment*

—*Essay on Marxian Economics*

M Kalecki—*Studies in Economic Dynamics*

The student of advanced economic theory will find important contributions in periodical literature. In this connection we may recommend

- 1 *The Economic Journal* (Royal Economic Society, London)
- 2 *Economica* (London School of Economics)
- 3 *Review of Economic Studies*, Cambridge
- 4 *Oxford Economic Papers*, New Series
- 5 *Manchester School of Economics* (Department of Economics, University of Manchester),
- 6 *Quarterly Journal of Economics* (Department of Economics, Harvard University)
- 7 *Review of Economics and Statistics* (Do)
- 8 *Journal of Political Economy* (Department of Economics, University of Chicago)
- 9 *American Economic Review* (American Economics Association)
- 10 *Econometrica* (Econometric Society, Chicago)

कुछ प्रश्न

TYPICAL QUESTIONS

[Answers to most of these questions can be found in *Refresher Course in Economic Theory* by the same author]

प्रस्तावना (Introductory)

- 1 Economics has been defined as a science of wealth. Is this definition adequate or appropriate? Give reasons
- 2 Is it correct to describe Economics as a 'dismal' science? Give reasons. (P U 1949)
- 3 "Economics is a study of man's actions in the ordinary business of life" Discuss (C U. 1934, 1940; Bom 1942, All 1943)
- 4 "Economics is the science which studies human behaviour as relationship between ends and scarce means which have alternative uses." (Robbins) Discuss.
- 5 "Whatever Economics is concerned with, it is not concerned with the causes of material welfare" (Robbins) Discuss (Delhi Univ B H 1951)
- 6 "Economics deals with means, the study of ends lies outside its scope" Give reasons (P U 1939)
- 7 "The role of the Economist is more conceived of as that of the expert who can say what consequences are likely to follow certain actions, but who cannot judge, as an Economist, the desirability of these actions." Discuss (P U 1941)
- 8 "The function of the Economist is, therefore, to explore and to explain, not to uphold or to condemn" Comment
- 9 "The study of Economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to policy, it is a method rather than a doctrine, an apparatus of the mind, a technique of thinking, which helps its possessor to draw correct conclusions." Comment
- 10 Examine the nature and scope of Economics. (C U B Com 1931, Agra 1928, 1933, 1939 Bom 1940)
- 11 "Emphasis has now shifted from economy to what may appropriately be called political economy" Discuss
- 12 "Economics cannot be a science because the economists disagree" Comment (C U 1933, Agra 1935, P U 1931)
- 13 What is an Economic Law? Examine in this connection the statement that "the laws of Economics are to be compared with the laws of tides rather than with the simple and exact law of gravitation" (P U 1930, Agra 1939, C U 1926, Delhi 1934, Madras 1936, Patna 1945)
- 14 Explain briefly the method most suited to economic investigations. (P U 1937, Agra 1937, C U 1935)
- 15 Describe the End and Method of the Science of Economics. (P U 1950)
- 16 What is Economics? Consider its relation to other social sciences. (C U 1917, 1939, P U 1940)
- 17 Estimate the utility of Economics as an aid to good citizenship in a democratic State. (P U 1942)
- 18 Define Wealth and discuss the relation between Wealth and Welfare
- 19 What is economic welfare? To what extent can the study of economics help in the advancement of economic welfare? (Delhi 1952)

उपभोग (Consumption)

- 1 Reconcile the following statements —
 - (i) Consumption is the end of all economic activity
 - (ii) Human wants are the starting point of all economic activity
- 2 Explain the Law of Stability of Want. Yet how are wants insatiable? (P U 1949)
- 3 Discuss the relation between wants and utility. (All 1936, Pun 1936, Agra 1921, 1931)

- 4 Discuss the characteristics of consumer's demand. Can any laws be formulated? Explain. (P U 1948)
- 5 Define the Law of Diminishing Utility, and explain carefully the relation it bears to the principles of taxation. (P U 1933)

Or,

- Estimate its importance in shaping the theory and practice of modern taxation. (P U 1939)
- 6 What is utility? Show that the total utility is maximum when marginal utility is zero.
- 7 Explain the principle of maximum satisfaction and show how it determines our scheme of expenditure. (P U 1942, C U 1923)
- 8 What is meant by the principle of Equi Marginal Returns? Explain its importance in Economics. (P U 1944)
- 9 Examine the principle of Substitution as applied to industry. (P U 1949)
- 10 Write a note on marginal rate of substitution. (P U 1952)
- 11 Write a critical note on consumer's surplus and discuss its importance in economic theory. (P U 1943, 45, C U 1922, 1926, 1945)
- 12 Explain the conception of consumer's surplus. What are the effects which a change in the conditions of supply is likely to exert on it? (P U 1933)
- 13 What are the assumptions underlying the concept of consumer's surplus? Discuss the uses of the concept in Welfare Economics. (Delhi, B H 1951)
- 14 What is consumer's surplus? Show how it is related to individual demand price and market price. (C U 1951)
- 15 Discuss the utility of the concept of consumer's surplus both as an explanation of economic phenomenon and as a guide to economic policy. (C U B A Hons. 1946)
- 16 State the Law of Demand. Discuss the relationship between the Law of Diminishing Utility and the Law of Demand. (C U 1934, Agra 1952, All 1937 1939, 1940, Nag 1935, Pat 1940, 1945, Pun 1945)
- 17 Enumerate the factors which lead to the increase of demand for a commodity. Show how an increase of demand may be represented diagrammatically. (P U 1951 Suppl.)
- 18 Why does a consumer buy only a definite amount of a commodity at a given market price and neither more or less? (C U 1950)
- 19 What is the nature of the demand curve for the product of an individual firm under full and free competition? (P U 1952)
- 20 Write a note on the nature of demand for a factor of production. (P U 1951 Suppl.)
- 21 How would you explain the demand of a consumer in terms of his preference? Is this explanation an improvement upon that in terms of utilities? (C U B A Hons 1951)
- 22 Explain Elasticity of Demand. Carefully indicate qualifying assumptions. (P U 1950)
- 23 Consider the effect of elasticity of demand on (a) Taxation, and (b) monopoly profits. (C U 1936)
- 24 Explain the concept of 'elasticity of demand'. What is its use in the theory of value? (P U 1934, 1938, 1942)
- 25 How can elasticity be measured? (P U 1938, 1940, C U 1936, 1942, 1946)
- 26 State the circumstances in which a demand curve throughout its length represents unit elasticity. (P U 1952)
- 27 Define elasticity of demand and give a few instances of the use of the concept in economic analysis. (P U 1951)
- 28 Point out the importance of elasticity of demand and of supply in the determination of international value. (P U 1951 Suppl.)
- 29 Show that (a) the law of demand states a (qualitative) relation between the price of a commodity in a market and the amount demanded at each price, and (b) The elasticity of demand expresses a (quantitative) relation between the change in price and the corresponding change in the amount of demand. (C U 1952)
- 30 Explain the concept of elasticity of demand and give a technique of measuring the elasticity.

Take a falling straight line demand curve. Demonstrate how the elasticity of demand at a lower point on the curve is less than the elasticity of demand at a higher point (Delhi, 1951)

30 Enunciate the law of Diminishing Utility bringing out the distinction between total utility and Marginal Utility. Also explain how the law is related to (a) The Law of Demand, (b) Elasticity of Demand, (c) The Law of Equi Marginal Utility. Explain the relation between Elasticity of Demand and Consumer's Surplus

31 Write short notes on any three of the following —

(a) Joint Demand (b) Standard of Living (c) Engel's Law (d) Consumer's indifference

32 Explain the concept and properties of indifferent curves

(P U 1952 Suppl)

Give examples showing the use of such curves

(Delhi, 1951)

33 What do you understand by Consumer's sovereignty? How far is it real and what are its functions?

उत्पादन (Production)

सामान्य (General)

1 "Production is the creation of utilities." Comment

2 What is production? What influences govern its volume? Discuss the significance of the volume of production.

3 How can the volume of production be measured?

4 Indicate the criticism to which the traditional classification of the factors is subjected

भूमि (Land)

1 In economic discussion land is usually distinguished from capital. How far, in your opinion, is the distinction valid? (P U 1951 Suppl)

2 Explain the Law of Diminishing Returns both with special reference to agriculture and as a general law applicable to all industries (P U 1937)

3 State the Law of Diminishing Returns with its limitations

(C U 1926, 1937, Agra 1937, All 1934, Delhi 1936, Mad 1937, Nag 1941, Pun 1937)

4 Examine the significance of the Law of Diminishing Returns and indicate its bearing on (i) the Malthusian Theory of Population, and (ii) the Theory of Rent

5 Does the Law of Diminishing Returns apply also to factors other than land? Explain fully

6 Explain the Law of Diminishing Returns and how it is a statement relating to the limitation of substitution of one factor of production for another?

(P U 1951)

श्रम (Labour)

1 Define Labour. Distinguish between productive and unproductive labour

2 What are the peculiarities of labour as a factor of production?

3 What was Malthus's Theory of Population? Discuss the present position concerning this problem (P U 1940, Agra 1944, Nag 1942)

4 Write a note on the Optimum Theory of Population? (P U 1935)

Define over population and under-population in the light of the Optimum Theory (Banaras 1938, Dacca 1942, 1943)

5 "The problem of population is not one of mere size in relation to food supply but of efficient production and equitable distribution." Discuss

6 What are the factors that affect the efficiency of labour and what method do you consider best to measure it?

(P U 1938, C U 1939, Agra 1940, Nag 1942)

7 Examine the conditions that promote efficiency of Labour (P U 1948)

8 What is meant by Division of Labour? Briefly discuss its advantages and disadvantages (P U 1939, C U 1930, All 1939)

9 "Division of Labour is limited by the extent of the market." Discuss (P.U. 1943)

10 "Of all sorts of luggage man is the most difficult to be transported" Discuss with special reference to India. Discuss the factors which in recent years have increased the mobility of labour.

11 Discuss the causes that hinder the mobility of labour. Would there be difference in wages if there were perfect mobility of labour?

(C U, B A. Hons 1946)

पूँजी (Capital)

1 Define capital and briefly discuss the functions it performs in production.

(C U 1924, 26)

2 Write short notes on Fixed Capital and Circulating Capital, and mention the factors that determine the ratio between the two in an industry.

3 'Land is capital' Discuss.

4 'In the short run Labour and capital are competitive, in the long run they are complementary' Discuss the statement.

(C U 1932)

5 What do you understand by capitalistic production? What are its advantages? Is capitalistic production associated with capitalism only?

(Delhi 1952)

6 Review the factors that are essential to capital formation in a country.

(P U 1949, 1950, Delhi 1951)

Account for slow growth of capital in India.

7 Discuss the economic effects of the introduction of machinery. Does machinery create unemployment? Give reasons.

8 What is meant by mobility of capital? How far can capital be said to be mobile in India?

संगठन (Organisation)

1 Analyse the functions of the entrepreneur and show what light this analysis throws on the nature of profit.

(C U, B.A. Hons. 1946)

2 How far have the functions of the entrepreneur been delegated in modern times?

3 What is the nature of the services performed by the entrepreneur and how is he rewarded?

(C U 1943)

4 Indicate the characteristic features of a joint stock company and compare it with partnership.

5 Account for emergence of combinations in industry. Do they make for industrial stability?

(C U, B.A. Hons. 1951)

6 Consider the difficulties in the way of the maintenance of industrial combinations.

7 Discuss the various forms of combinations among producers. Are such combinations necessarily injurious to society?

(C U 1927)

8 What are Trusts and Cartels? Examine their merits and demerits.

(C U 1945)

9 Explain with illustrations what is meant by (a) Vertical combination, (b) Horizontal combination.

10 What is a holding Company? Discuss its merits and demerits.

11 Discuss the contention that monopoly retards rather than promotes efficiency. Give reasons for your views.

(P U 1940)

12 What do you understand by monopoly? What difficulties are encountered in its formation?

13 Compare a joint stock concern and a co-operative store as types of business organisation.

14 Discuss the fundamental principles underlying co-operation and show how it avoids the drawbacks of both capitalism and socialism.

15 Account for the increasing scope of State undertakings and indicate their advantages and drawbacks.

16 How far is it desirable to extend State ownership of industries as a means of securing additional public revenues?

(C U, B A Hons. 1946)

17 Explain the origin of rationalization and indicate its main features.

18 Give the main features of modern industrial organisation.

19 What do you understand by the Scale of Production? Indicate the factors that lead to variations in the scale of production.

(P U 1930, 1932)

Or,

Indicate the factors that determine the size of industrial unit in a community. (P U 1938)

20 Explain what is by internal and external economics, and consider the part played by them in bringing about increasing returns. (P U 1941)

21 "The growth of a firm must be considered biologically and not mechanically. What is the optimum and what is sub optimum depends on the industrial environment"

Explain the statement and consider its implications for the policy of nationalisation. (C U, B A Hons 1951)

22 Why are modern industries organised on a large scale? Indicate the limitations of large scale production and explain in this connection the concept of the optimum firm

23 Describe the forces which perpetuate the existence of small-scale business. Illustrate your answer by reference to Indian conditions (P U 1952 Suppl)

24 Explain the economics of cottage industry. Mention the factors that can promote its efficiency (P U 1950)

25 Explain the Law of Diminishing Costs. In what sense can its operation be checked? (P U 1949)

26 "The part played by Nature conforms to Diminishing Returns while the part which Man plays conforms to Increasing Returns" Discuss

27 Is it proper to regard the laws of increasing and decreasing returns as in some way parallel to one another? (C U, B A Hons 1951)

28 Account for the operation of the Law of Diminishing Returns in Indian agriculture, and say how it can be counteracted

29 "The Law of Diminishing Returns is the only one phase of the universal law of variable proportions." Explain (C U, B Com. 1942, Nag 1943, Dacca 1943)

30 "Labour and capital cannot be withdrawn from a part of the land and centralised on the rest without causing a reduction in social income" Bring out the significance of this statement (C U 1944)

31 Enunciate the Law of Constant Returns and indicate the cases where it operates

32 Distinguish between Optimum Firm and Representative Firm. What causes determine the size of optimum firm?

33 Discuss the causes of localisation of industries, and account for the present-day tendency towards decentralisation (P U 1939)

34 Why does an industry once started in a particular place tend to remain there?

35 On what principles are the factors of production combined by an entrepreneur?

36 Amplify the statement that there is a continual movement towards equality of advantages in different fields of industry, and note the circumstances under which the tendency may become inoperative (P U 1939)

37. How are the factors of production allocated among the various uses?

38 How far is the modern economic system adaptable?

विनिमय (Exchange)

विनिमय, मार्केट तथा कीमत (Exchange, Markets and Price Formation)

1. Distinguish between perfect and imperfect competition. Bring out the implications of perfect competition

2 Analyse the essential features of free and full competition. (P U 1951)

3 Discuss the merits and demerits of perfect competition.

4 Enumerate the factors which hinder the operation of free competition in a market (P U. 1952)

5 Define a market and discuss the factors which determine its size for different commodities (P U 1940, C U 1920)

What would you expect to be the size of the market in bricks, vegetables and precious metals?

6 How would you distinguish between a perfect market and an imperfect one? What are the conditions of a perfect market?

- 7 What is meant by 'organised marketing'? In what respect and why is such marketing lacking in India?
- 8 What are the functions of a Stock Exchange? How does it facilitate the financing of industries? (P U 1934, C U 1930)
- 9 Describe the working of either stock exchange or produce exchange with which you may be familiar (P U 1943)
- 10 Write short notes on any three of the following —(a) Contango (b) Futures, (c) Produce Exchange (d) Rigging, (e) Opportunity Costs, (f) Imperfect competition, and (g) Hedging
- 11 Distinguish between legitimate and illegitimate speculation. Explain the economic consequences of the latter (P U 1933, 1937)
How would you suppress illegitimate speculation? (P U 1937)
- 12 What is the economic role of speculation? What are its abuses, and how would you deal with them?
- 13 Distinguish between the market price and the normal price. Point out the dominant influences that determine them (C U 1951)
- 14 Explain the meaning of supply in the context of analysis of (a) market value, (b) normal value (P U 1952 Suppl)
- 15 "If prices fall, demand increases, but if demand increases prices rise, I cannot see how it is that prices ever change." Comment and criticize (P U 1934)
- 16 What is meant by equilibrium price? How is it determined under competitive conditions? (C U 1929, 1933, 1939)
- 17 Discuss briefly the problem of competitive price under conditions of decreasing return (C U 1946)
- 18 Show how in perfectly competitive equilibrium the price of a commodity is equal to its marginal and average cost of production. Illustrate your answer diagrammatically (Delhi 1952)
- 19 What is Normal Price? How is it determined? (P U 1940, C U 1917, 1923)
Under what conditions can normal value change? (P U 1951 Suppl)
- 20 Classify the problem of value from the point of view of time, noting carefully the interpretation which you put on 'demand' and 'supply' in each case (C U, B A Hons. 1946)
- 21 A rise in demand may lead to fall in price. How do you explain the paradox?
- 22 Discuss the effects of increased consumption of (a) Wheat, (b) Steel manufactures on the value of these commodities. (C U 1931, 1934)
- 23 Briefly explain the theory of short period normal value, and indicate how the problem of quasi rent arises in the analysis of short period normal value
- 24 "Ricardo and his followers maintain that the value of a commodity is fixed by its cost of production while Jevons and those who agree with him contend that value is determined by its marginal utility." Which of these two views is correct? (C U 1935)
- 25 "Cost of production, eagerness of demand, margin of production and price of the produce mutually govern one another." Explain
- 26 What do you understand by the term 'cost of production'? Distinguish between Prime Costs and Supplementary Costs and examine the bearing of this distinction on the theory of value (Pun 1945, All 1935, Delhi 1936)
- 27 Show the cost curve of a firm under competition (Delhi 1951)
- 28 Distinguish between Prime Costs, Supplementary Costs and Total Cost.
- 29 Fully explain the significance of the distinction (C U 1930)
- 30 "Marginal uses do not govern value, but are governed together with value by the conditions of demand in relation to supply." Elucidate (All 1933, Ban 1939)
- 31 The normal price of a commodity cannot be permanently either above the cost of production or below it. Why?
- 32 Water is more useful than gold, and yet gold has greater value." How do you explain the paradox? (C U 1932, 1937, Pat 1940)
- 33 Explain the concept of 'Opportunity Cost' and discuss its bearing on the problem of relative values
- 34 Explain the marginal theory of value and show why it is necessary to study behaviour of demand and supply at the margin

35 In every market some possible buyers are willing to bid very high and some possible sellers to sell very low. Why then, do lower bids and higher offers not become effective? (P U 1935)

36 "There is a balancing mechanism brought about through price which is at the very foundation of the economic life and is the final deciding factor of the way in which man's efforts are distributed in alternative walks of life." Discuss (C U, B A Hons 1946)

37 Indicate how the problem of value is influenced by short and long-term considerations. Illustrate (P U 1949)

38 Distinguish between a 'Marginal Firm' and a 'Representative Firm'. Which of these do you think, and why, is more important in price determination in practical life? (P U 1938)

39 Explain Marshall's concept of Representative Firm and discuss its use in the determination of value (Delhi, B H 1951)

40 Distinguish between monopoly prices and competitive price. How are monopoly prices determined? (P U 1935, 1939)

41 Explain the factors which determine price under simple monopoly. Use a diagram to illustrate your answer (Delhi 1951)

42 Indicate the methods and objects of Price Discrimination under monopoly (P.U. 1939)

43 Enumerate the conditions which are necessary in order to enable a monopolist to practice price discrimination successfully (C U, B.A Hons 1951)

Examine the effect of such discrimination on consumer's surplus

Distinguish between simple monopoly price and discriminating monopoly price. How is the former determined? (Delhi 1952)

44 "Monopoly price is influenced by cost of production in a different way from competitive price." Discuss (P U 1946)

45 Both the monopolist and the competitive producer aim at maximising their net gain. Show how they achieve their objective (P U 1952)

46 Show how monopoly price is affected by (i) elasticity of demand, (ii) substitutes, (iii) potential competition, (iv) regard for future demand, and (v) risk of legal interference

47 How far is monopoly detrimental to the consumer? Indicate the restraining influences to which a monopolist is subject

48 Discuss the applicability of the principle of joint cost to the case of railway rates. (C U B A Hons 1952)

49 How is value determined under imperfect competition? How will the rise in price of wool affect the price of mutton? (C U 1940)

50 Explain how prices are fixed under oligopoly (C U, B A Hons. 1952)

51 Distinguish between 'joint demand' and 'composite demand'. Explain the difficulties of price determination under conditions of joint demand

52 What is joint supply? How is value determined under joint supply?

53 Gas and coke are jointly produced. A duty of 10% is imposed on gas. How will it affect the price of coke? (C U 1932)

54 "Cost of production is coming more and more to mean joint cost. The price of a given product may bear only a remote relation to its individual cost of production." Elucidate (C U 1927)

55 How is the value of goods in joint demand determined? State the conditions under which a factor of production can permanently raise its remuneration (C U 1934, P U 1945, All 1942)

56 Briefly explain the meaning of the following proposition.—

"The tyranny which one factor of production of a commodity might in some cases exercise over the other factors through the law of derived demand is tempered by the law of substitution" (P U 1952 Suppl)

57 What do you understand by joint demand? Briefly explain the theory of normal price in the case of joint demand (Delhi 1951)

58 What do you understand by 'composite demand' and 'composite supply'? Explain how value is determined in such cases

59 State briefly (a) the relation between the prices of competing goods, (b) the relation between the prices of complementary goods, (c) the relation between the prices of joint cost goods (C U 1952)

वितरण (Distribution)

सामान्य (General)

- 1 "National Dividend is at once the aggregate net product of and the sole source of payment for, all the agents of production within the country" Discuss (C U 1935, Mad 1939, Agra 1942)
- 2 Explain the term 'National Dividend' Briefly discuss the principle which governs its distribution among various agents of production (C U 1935, Agra 1942, Pat 1944 and Mad. 1939)
- 3 Why does the marginal productivity of a factor of production diminish as more of it is employed? In this connection show that a change in the supply of one factor reacts on the earning of other factors. (C U, B A Hons 1951)
- 4 How far is the general theory of value applicable to the distribution of National Dividend?
- 5 Carefully explain how the National Income of a country can be estimated (C U, B A Hons 1952)
- 6 Analyse carefully the effect of an increase of population on rent, interest and wages (C U, B A Hons 1946)

लगान (Rent)

- 1 What do you understand by economic rent? Distinguish it from contract rent
- 2 Is there any fundamental difference between Land and Capital? Consider the bearing of this question on the theory of rent (C U B A. Hons 1952)
- 3 'Rent is paid for the original and indestructible powers of the soil' Explain (C U 1935, 54, Agra 1941, All 1935, Ban. 1938, Pun 1938, Nag 1943)
- 4 Attempt a statement of the Ricardian Theory of Rent (P U 1935)
- 5 Examine the concept of Rent in relation to agricultural land and building sites in cities (P U 1950)
- 6 Explain the Marshallian restatement of the theory of rent (C U 1935, Agra 1936, Nag 1939, Mad 1936)
- 7 Give some modifications made by modern economists in the theory of rent
- 8 Explain Opportunity Cost What effect, if any, does it exert on rent? (P U 1949)
- 9 Discuss the relation between agricultural rent and agricultural price
- 10 Tradesmen often say that they have to charge high prices because they have to pay high rent Do you agree?
- 11 Explain, giving reasons, the effect on rent of (a) Improvement in the means of communication and transport, (b) Increase in population, (c) Improvement in methods of cultivation, (d) Economic progress in general
- 12 "The rent of the land is not a thing by itself, but the leading species of a larger genus" What does Marshall mean by this statement? (P U 1933)
- 13 Write short notes on any three of the following —
(a) Producer's Surplus, (b) Quasi Rent, (c) Transfer Earnings, (d) Margin of cultivation, and (e) No-rent land
- 14 Distinguish between Rent and Quasi Rent Show how the two are related to transfer earnings. (P U 1951)
- 15 Would there be rent (a) if all lands were equally fertile? (C U 1945 1929), (b) if there were no tendency to diminishing returns, (c) if the Government owned all lands, (d) if the lands were cultivated by the owners, (e) if the supply of better lands were practically unlimited, and (f) if land revenue were abolished? Give reasons in each case
- 16 Analyse the nature of rent and indicate the position it is likely to hold under a socialistic regime (P U 1933)

मजदूरी तथा श्रम समस्याएँ (Wages and other Labour Problems)

- 1 What are the peculiarities of labour in relation to demand and supply? (P U 1935)
- 2 Distinguish between real and normal wages. What factors would you take into consideration in determining real wages? (C U 1925, Agra 1941, All 1942, Mad 1937)

- At present, in India, nominal wages are high, but real wages are low Why ?
- 3 Briefly examine the various theories of wages
(CU 1924, Agra 1942, Delhi 1940, Pun 1935)
- 4 Briefly describe the most acceptable theory of wages of labour
(P U 1934)
- State and examine the marginal productivity theory of wages Is it correct to say that wages under pure competition are equal both to the marginal and average product of labour ?
(Delhi 1951, P U 1951)
- 5 How far is it true to say that the theory of wages is an application of the general theory of value ?
(CU 1931, Agra 1939, P U 1935)
- 6 How are wages determined ? Do wages in India always attain the same level ? Give reasons
- 7 How is marginal analysis applied in the determination of wages ?
- 8 "The rate of wages is determined by the discounted marginal product of labour" Explain
- 9 Explain the connection between changes in the manner of living and the rate of earnings with reference to Indian conditions
(P U. 1937)
- 10 How do you explain the fact that labour in different occupations earns strikingly different rates of wages ?
(CU 1930)
- 11 Why do wages differ (i) from occupation to occupation, and (ii) from country to country ?
- 12 The average woman earns considerably less than the average man Why ?
(P U 1944, CU 1918)
- 13 Discuss the functions and utility of Trade Unions
(P U 1940)
- 14 Trace the influence of Trade Unions on the wages rate Consider limitations
(P U 1940, 1948, CU 1936, 1938)
- 15 How far is it possible by trade-union action to raise wages permanently (i) in any given occupation, and (ii) in all occupations ?
- 16 It is sometimes said that labourers could increase their wages by first increasing their standard of living, that is, by demanding more and better goods for consumption. Is this statement correct ? Explain how wages are determined and how best labourers can succeed in increasing their wages
(P U 1934)
- 17 What do you mean by the 'minimum wage' ? What considerations should enter in its determination ?
(P U 1937)
- 18 Examine the basis for the determination of minimum wages rate Consider the limiting factors
(P U 1949)
- 19 Discuss the desirability and feasibility of (a) national minimum wage and (b) minimum wage for selected occupations
- 20 Examine the merits and demerits of the (a) Labour co-partnership, (b) Profit-sharing and (c) Sliding scale of wages as means of settling differences between labour and capital
(CU 1944, 1947)
- 21 Analyse the causes of, and suggest remedies for, unemployment
- 22 "Unemployment may be regarded as a shadow side of modern progress" Discuss
- 23 What is Social Insurance ? How far has India gone in providing social insurance to the factory workers ?
- 24 What are the principal labour problems of today ? How would you attempt to solve them in India ?
(P U 1933)
- 25 What is meant by economy of high wages ? Explain the statement that dear labour is really cheap labour
(CU 1944)

व्याज (Interest)

- 1 Distinguish between Gross Interest and Net Interest and analyse Gross Interest into its various constituents
- 2 Why does a village money-lender charge 18% interest, whereas a bank charges only 6% ?
- 3 What do you understand by Interest ? How does it arise ?
Indicate the factors that determine the general rate of interest
(P U 1939)
- 4 Why is interest paid ? Do you think that the complete abolition of interest payment would cause all savings to cease ?
(P U 1942)
- 5 Write short notes on
(a) Liquidity Preference, (b) Forced savings.

- 6 Explain the concept of "liquidity preference" What part does liquidity preference play in the determination of the rate of interest? (P U 1952)
- 7 Distinguish between money rate of interest and real rate of interest How is the former a necessary price for overcoming the preference for liquidity? (Delhi 1952)
- 8 Account for differences in rates of interest on loans of different kinds, with special reference to long term and short term rates (C U, B A Hons. 1951)
- 9 Enumerate the causes that give rise to interest payment Does the net rate of interest tend towards equality? (P U 1945)
- 10 "Interest is the measure of marginal productivity or marginal forbearance." Explain and comment
- 11 "Interest is the price of time" Discuss
- 12 State Keynes' Theory of Interest and explain how it differs from the classical theory (Delhi, B.A., 1951)
- 13 Interest balances the supply of capital savings and capital investments Discuss. (P U 1951 Suppl)
- 14 Why is there a tendency to equality in interest rates and not in wage rates?
- 15 What do you understand by 'mobility' in the economics of Distribution? Indicate its relationship to the rates of interest (P U 1936)
- 16 Examine the effect of economic progress on interest Will the rate of interest ever fall to zero?
- 17 Compare Rent and Interest
- 18 Discuss the socialist criticism of interest
- 19 What would be the position of interest in a socialist state? Is there any justification for controlling rates of interest by legislation?

तम (Profits)

- 1 Distinguish between Gross Profits and Net Profits What are the constituents of gross profits?
- 2 Who is to be regarded as the risk taker in modern economic organisation? Is he paid for it and, if so, on what principles?
- 3 Give briefly the important theories of profits
- 4 Discuss the importance of the distinction between the Static and Dynamic state for the theory of value and for the theory of profits (C U, B A Hons 1952)
- 5 Write short notes on
(a) Net profits. (b) Normal Profits
- 6 "Profits are like rent and do not enter price" Do you agree?
- 7 Explain "Profits are a constituent part of normal supply price" (P U 1942)
- 8 Distinguish between normal profits and actual profits Show how expected profits influence production (C U 1952)
- 9 Explain the causes of differences in normal profits
- 10 Examine the validity of the following propositions —
(a) Profits tend to equality,
(b) Profits tend to a minimum.
- 11 Is there any social or economic justification for profits? Do you consider that profits are excessive under the present capitalistic system?
- 12 Critically examine the socialistic view of profits as a share in distribution (C U 1922)
- 13 Indicate the nature of profits and indicate the position they are likely to hold under a socialistic regime (P U 1943)

द्रव्य (Money)

सामान्य (General)

- 1 "Money is what money does" Explain this statement and briefly define money
- 2 If all money suddenly disappeared from the country, what difficulties would be encountered in ordinary business?
- 3 Write short notes on—(a) Bimetallism, (b) Reflation, (c) Seigniorage, (d) Fiduciary money (e) Standard money (f) Token money, (g) Gold Bullion Standard (h) Monometallism, and (i) Legal Tender

- 4 Explain Gresham's Law Indicate the essentials of a sound monetary system.
- 5 "The Indian rupee is a curious mixture of token and standard coin"
- Discuss
- 6 What are the prospects of the managed paper currency standard ?
- 7 Elucidate the merits and drawbacks of a paper currency system. Indicate methods of control (P U 1949)
- 8 Account for the adoption of gold as a money material Why has it been discarded in recent times ?
- 9 Distinguish between (a) free coinage and gratuitous coinage, (b) mint price and market price of gold
- 10 Define money and briefly discuss its various functions How are these functions performed by the different forms of money that we use ?

द्रव्य प्रणाली (Monetary Systems)

- 1 What do you mean by the term 'System of Money' ? What are the essential features that a monetary system should have before it can be looked upon as satisfactory ? (P U 1936)
- 2 What do you understand by bi-metalism ? Briefly discuss its merits and demerits
- 3 Discuss the strong and weak points of the gold standard and indicate its future
- 4 State the grounds on which the decision to restore Gold Standard in Great Britain in 1925 was criticised in the ensuing years Indicate also the cause that led to the suspension of the gold standard in 1931 (C U, B A Hons 1946)
- 5 Explain the principal features of the Gold Bullion Standard and compare it with Gold Exchange Standard
- 6 How far can Gold Standard ensure stability of the price level ?
- 7 Show that a country may have a Gold Standard though it has no gold in circulation and no great stock of gold
- 8 What is Gold Exchange Standard ? Under what conditions is it likely to be a failure ? (P U 1936)
- 9 The case for the gold standard is the case for a strict *de jure* gold standard, with each country following "the rules" so that no gold standard currency becomes distrusted Explain and illustrate (P U 1941)

द्रव्य का मूल्य (Value of Money)

- 1 In what sense is the phrase 'value of money' used ? What do you understand when it is said that money is cheap or money is dear ?
- 2 What is the Quantity Theory of Money ? Does this theory give adequate explanation of the forces governing the value of money ? (P U 1951 Suppl)
- 3 Why does the value of money fluctuate from time to time ?
- 4 Explain clearly the relation between the quantity of money in circulation and general price level in the country (C U 1942, 1938, Agra 1942, Delhi 1939)
- 5 "The value of money depends on its quantity." Do you agree ?
- 6 What are the considerations determining an individual's demand for money, and what are the principal influences which cause variation in this demand ?
- 7 What, according to the Quantity Theory of Money, would be the effect on the general level of prices of the following (other things being supposed to remain the same)—
 - (a) Improvement in the means of communication, (b) The growth of trade and population (c) The development of deposit banking (P U 1932)
- 8 Give reasons for the view that the Savings and Investment theory marks an improvement on the older formulation of the Quantity Theory in explaining price changes (C.U., B A Hons 1946)
- 9 "Elasticity of demand for money is unity" Discuss
- 10 "The value of money, like the value of anything else, is mainly a question of demand and supply." Elucidate
- 11 What do you mean by changes in the value of money How can you measure these ? Do you notice any change in the value of Indian money these days ? If so, account for these (P U 1947)

- 12 "Since everyone is both a creditor and a debtor, changes in the value of money do not matter" Comment and criticise (P U 1935)
- 13 Indicate briefly the influence that the volume of credit exercises on the price level How do you measure the latter ? (P U 1937)
- 14 What are weighted index numbers and what purposes do they serve ?
- 15 What are index numbers ? How are they prepared ? Briefly discuss the utility of index numbers
- 16 Describe the construction of Cost of Living Index Numbers. Illustrate their utility in the settlement of wages disputes (P U 1950)
- 17 Explain how real wages index number is prepared Indicate its uses in labour disputes.
- 18 "Inflation is unjust and inequitable and deflation is inexpedient" (Keynes) Discuss
- 19 What are the evils of currency inflation ? What are the special war time factors contributing to it ? (Bom. 1942)
- 20 What is inflation ? Discuss its effects upon production, price level and distribution (C U 1951)
- 21 Briefly mention the evils associated with inflation What measures can you suggest to counteract these evils ?
- 22 "Stable prices are as harmful and iniquitous as rapidly rising or rapidly falling prices." Discuss
- 23 Indicate the factors that determine the price level of a country (C U 1944)
- 24 "Thus money which is a source of so many blessings to mankind becomes also, unless we can control it, a source of peril and confusion" Elucidate
- 25 Explain the terms 'inflation', 'deflation' and 'reflation' Discuss the influence of an unbalanced budget on prices (C U 1936)

साख और बैंकिंग (Credit and Banking)

- 1 Explain the economic advantages of a sound system of credit
- 2 "Like all useful and delicate instruments, credit is dangerous when abused" Why ? (P U 1936)
- 3 'Credit is capital' Criticise Trace the effect of credit on prices
- 4 What do you mean by "Money Market"? Indicate the constituents of the money market and the nature of the transactions which take place therein. (Delhi 1952)
- 5 What is an exchange bank ? Indicate its place in the economic organisation of the country (P U 1937)
- 6 Explain the following —
(a) 'Every bank loan creates a deposit'
(b) 'A good bank manager knows the difference between a bill and a mortgage'
- 7 What functions does a commercial bank perform ? What economic advantages does it confer on the community ?
- 8 Explain how a bank deposit arises, and consider the limitations on banks to create credit
- 9 Show why banks should maintain adequate cash reserves What help can legislation offer in this matter ?
- 10 What considerations influence a banker in determining the character, composition and the amount of his reserves ?
- 11 In what sense is it true to say that the main function of a bank is to exchange its own credit for its customer's credit ? What limits, if any, are there to the bank's power of creating credit ? (C U 1932, All 1940, Agra 1928)
- 12 Discuss the role of bank credit in national economy and the importance of controlling such credit (Delhi 1951)
- 13 Prepare an imaginary balance sheet of a bank
- 14 What are the main functions of the Central Bank ? How far has the Reserve Bank of India succeeded in discharging these functions ? (P U 1941)
- 15 What are the principal methods of regulating note issue ? (P U 1940)
- 16 Consider the need for controlling monetary supply Briefly enumerate the more important methods which the central bank of a country may adopt in order to control such supply (P U 1951)

- 17 Discuss the aims and objects of Bank Rate, Manipulations and Open Market Operations by central banking authorities (P U 1939)
- 18 Explain the significance of bank rate
How does it influence the general level of production and prices, business activity and employment? (Delhi 1952)
- 19 Examine the effects produced by bank rate charges with special reference to internal economic activity
- 20 "Bank rate as an instrument of credit control has become obsolete"
Discuss
- 21 Enumerate the main difficulties in the way of and limitations to the central bank's power of controlling credit
- 22 Indicate the importance of the Clearing House System in modern banking. (C U 1951)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade)

- 1 "In fact, foreign trade is nothing more than a highly organised system of barter" Explain
- 2 "Foreign trade is merely an extension of the principle of division of labour." Explain
- 3 In what respects does international trade differ from home trade?
- 4 Why is it necessary to formulate a theory of international trade distinct from that of domestic trade?
- 5 Write short notes on any three of the following—(a) Law of comparative costs, (b) Invisible exports, (c) Dumping, (d) Discriminating Protection, (e) Protective Tariff, (f) Free Trade, (g) Imperial Preference, (h) Import duties vs import quotas, (i) Terms of Trade
- 6 Examine the principle of comparative cost as an explanation of international trade (C U 1950)
- 7 Explain, with examples, why certain countries export more than they import, while others import more than they export (C U 1940)
- 8 Explain.—
(a) Why does a country import a commodity that it can produce more cheaply?
(b) Why does a country produce a commodity which it also imports?
- 9 Review the chief arguments in favour of free trade and show why it has been almost universally abandoned
- 10 Discuss the case for protection in the light of modern economic conditions. (P. U 1951)
- 11 In what circumstances and how long should protection be given to an industry? Give reasons for your answer (C U 1952)
- 12 Indicate the dangers of a policy of protection How would you prevent or minimise them?
- 13 Distinguish between protective tariff and revenue tariff.
- 14 In what manner, and to what degree, is the infant industry argument compatible with the principle of multi-lateralism in international trade? Expound. (P U 1949)
- 15 Discuss on what grounds it may be considered desirable to impose restrictions on the freedom of international trade (C U 1942, Mad 1937)
- 16 Compare import duties and quota system as a means of protecting home industry
- 17 Indicate the forms in which international trade has been restricted in recent times.
- 18 If a country to which other countries owe large sums of money puts almost prohibitive duties upon all imports, what will happen? (P U 1941)
- 19 Distinguish between Balance of Trade and Balance of Account. What steps can be taken to correct an adverse balance of account?
20. State and explain the various items in the balance of account of a country's foreign trade (P U. 1952 Suppl.)
- 21 Weigh the effects of Devaluation on the economy of a given country that may happen to adopt it (P U 1950)
- 22 What do you understand by a favourable balance of trade? Is it necessarily advantageous to a country? Discuss with reference to Indian conditions.

- 23 Briefly mention the advantages and disadvantages of foreign trade
 24 Analyse the dictum that 'Exports pay for Imports' How should this notion affect tariff policy ? (P U 1949)

विदेशी विनिमय (Foreign Exchanges)

- 1 Explain how foreign exchange rates are determined (C U 1947)
- 2 Show how the rate of foreign exchange is determined under a system of inconvertible paper currencies. (C U 1951)
- 3 What are specie points ? On what do these points depend ? Can exchange go beyond these points ? If so, when and how ?
- 4 "The purchasing power parity does not provide a ready made measure of the true value of exchange" Discuss
- 5 Enumerate the influences that bring about fluctuations in the rates of exchange (P U 1936)
- 6 Estimate the effect of a depreciated currency on foreign trade and inland trade
- 7 Discuss the limits of the fluctuations of the rate of foreign exchange under paper standard (C U 1944)
- 8 What methods are adopted to correct adverse exchange rates ?
- 9 "The distribution of metallic money is in a large measure the result of international forces." Explain the statement What are the factors which cause gold movements nowadays ?
- 10 Write a brief explanatory note on the object and working of exchange control in any country with which you may be familiar (P U 1942)
- 11 Write short notes on any three of the following —
 (a) Cross Rate (b) Purchasing Power Parity (c) Exchange Equalization Fund, (d) Exchange Control, (e) Blocked Accounts, (f) Clearing Agreements, (g) Specie Points, (h) Mint Par
- 12 Describe the origin and character of Exchange Clearing Agreements and discuss their influence on foreign trade (C U B A Hons. 1946)

व्यापार चक्र (Trade Cycles)

- 1 What is a trade cycle ? Discuss some of its characteristics
- 2 Clearly indicate the main phases of a trade cycle
- 3 State the fundamental causes of the trade cycle and briefly point out the weapons with which to combat it (P U 1951 Suppl)
- 4 What do you understand by a trade cycle ? How are the cyclical fluctuations in trade and industry caused ? Suggest remedies
- 5 What is a crisis, and how is it brought about ? (P U 1938)
- 6 Comment on the following dicta issued by a firm of manufactures —
 When some one stops buying some one stops selling
 When some one stops selling, some one stops making
 When some one stops making some one stops earning
 When some one stops earning some one stops buying (P U 1934)
- 7 Discuss the various measures which should be adopted to fight business fluctuations
- 8 What is, in your judgment the most satisfactory explanation of trade cycles Give reasons for your answer (P U 1952)

सार्वजनिक अर्थव्यवस्था (Public Economics)

- 1 Write a critical note on the desirability of efficient State regulation of industry with reference to existing conditions in India (P U 1935)
- 2 Every State intervenes or interferes to some extent but some States go much further than others. What, in your opinion, should be the limits of State intervention in economic matters ?
- 3 Enumerate the economic functions of a modern State

सार्वजनिक वित्त (Public Finance)

- 1 What is Public Finance ? Distinguish between Private and Public Finance

- 2 Write a short note on the doctrine of maximum social advantage as the aim of public finance. (Agra 1942, Mad 1934)
- 3 Give the principal sources of income and the main items of expenditure of the Government of India. What change, if any, would you wish to effect? State your reasons clearly in either case. (P U 1932)
- 4 Examine the principles which should govern public expenditure and bring out their implications. (Delhi 1951)
- 5 Distinguish between recurring and non recurring expenditure. How would you proceed to raise to meet them? (P U 1937)
- 6 Discuss whether (a) wars and (b) public utility projects would be financed by taxes or loans. (P U 1950)
- 7 Discuss the effects of public expenditure on production and distribution.
- 8 Under what circumstances is unproductive expenditure justified? Discuss the question with special reference to irrigation and famine relief in India.
- 9 What are the dangers attendant on excessive public expenditure?
- 10 What are the main functions of taxation?
- 11 Discuss how far taxation may be used for reducing inequalities in the distribution of wealth and economic welfare. Explain in this connection the relative merits of productional and progressive taxes. (Delhi 1951)
- 12 What do you mean by a Progressive Tax? With what ends in view is this kind of taxation usually adopted? (P U 1938)
- 13 Enunciate the fundamental principles of taxation. (P U 1952 Suppl)
- 14 Discuss the Canon of Equity in taxation. (P U. 1948 and 1949)
- 15 Mention the taxes which (a) violate and (b) observe the principle "The rich should pay more in taxes than the poor"
- 16 Explain the doctrine of equality of sacrifice in a system of taxation. (P U 1949, 1949)
- 17 Examine and compare the merits of the different interpretations placed upon the principle of justice in taxation.
- 18 Discuss the main considerations which usually underlie the system of taxation in a country. (C U 1947)
19. How far is equality in taxation attained by income tax and a tax on expenditure.
- 20 Critically examine the following principles of taxation and point out the difficulties in their practical application :—
(a) The principle of equality of sacrifice
(b) The principle of ability to pay
- 21 Explain the Diffusion Theory in relation to taxation.
- 22 Write short notes on —
(a) Canon of Taxation ; (b) Progressive Taxation , (c) Treasury Bills.
- 23 "From the point of view of its effects on production, an inheritance tax has certain advantage over an income tax " Elucidate this statement. (C U B.A Hons 1946)
- 24 What do you mean by the incidence of tax? Trace the incidence of (1) customs duty paid in Bombay on long cloth imported from Lancashire by a wholesale merchant in Delhi, who sold it to a retailer in Gurdaspur who sold it to a local resident, and income-tax paid by the retail dealer in Gurdaspur. (P U 1936)
25. Discuss the practical importance of the study of the incidence of taxation. How would you determine the incidence of a tax on a consumable commodity? (P U 1939)
- 26 Distinguish between impact and incidence of a tax. Give illustrations. Trace the incidence of a tax on (a) economic rent, (b) monopoly, (c) building. (d) import duties, and (e) sales tax.
- 27 What is meant by 'differentiation' in taxation? Give illustrations.
- 28 Examine the merits and demerits of direct and indirect taxes.
- 29 Examine the limitations of raising revenue by indirect taxes. (C U 1952)
- 30 What is meant by taxable capacity? What factors determine it?
31. Examine the purposes for which public debt is generally incurred. (C U 1946)
- 32 What are Public Debts? Discuss the ways in which their burden can be diminished. (C U. 1951)

- 33 Discuss the uses and dangers of external loans
- 34 What are the uses of public loans in peace and war? Should a war be financed by taxes or loans or both?
- 35 How is war financed? Can the burden of a war be shifted to posterity? If so, how?
- 36 Discuss inflation as a means of financing war
- 37 Some writers have urged that there should be only one tax—a tax on land value. Do you agree or disagree with the view? Give reasons for your answer (P U 1941)
- 38 Consider the view that an unbalanced budget necessarily leads to inflation (C U, B A Hons 1946)

आर्थिक व्यवस्था (Economic Order)

- 1 The present organization of industry is often described as capitalistic. Give an explanation of the meanings of this term pointing out the distinguishing feature of capitalism (P U 1940, 1942)
- 2 Discuss the economic consequences of the institution of private property (P U 1951, Suppl)
- 3 Analyse the problem of inequality of incomes in modern society and suggest remedies (Delhi 1952)
- 4 The modern economic system has been called "a Government by price". Do you agree? Give reasons
- 5 "The present is frequently described as the age of Economic Freedom". Discuss
- 6 Critically examine the thesis that maximum satisfaction is attained under the capitalist *laissez faire* economy (P U 1951)
- 7 What is wrong with capitalism? How would you propose to remove its defects? (C U 1951)
- 8 Do you agree with the view that capitalism should be allowed to function unhampered in India for some time? Give reasons.
- 9 Critically examine the main tenets of socialism. (P U 1948)
- 10 Write a note on socialist programmes (C U 1946)
- 11 Weigh whether individual initiative is furthered or frustrated under socialism. (P U 1949)
- 12 How does socialism maintain the principle of the right to work, and in what way does it achieve it? Exemplify (P U 1949)
- 13 Enumerate the distinguishing features of socialism. Would you recommend a socialist economy for India? (P U 1952)
- 14 Analyse the essentials of Planned Economy (P U 1950)
- 15 Trace the effects of social institutions on the economic life of a country (P U 1944)
- 16 Write short notes on —
 (a) *Laissez faire* (b) Socialism (c) Planned Economy

GLOSSARY

पारिभाषिक शब्दावली

नोट--निम्न सूची ऐसे पारिभाषिक शब्दों की है जिनका प्रयोग 'अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धांत' तथा हमारे अन्य अर्थशास्त्र सब्दी प्रकाशनों में हुआ है। ये कोश विद्यार्थियों के लाभ के लिए हैं तथा इनकी प्रामाणिकता के विषय में हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है।

<i>English Term</i>	<i>Hindi Equivalent</i>
Abandonment	परित्याग
Ability	योग्यता
Abnormal	असामान्य
Abolish	अन्त करना, उत्सादन करना, उन्मूलन करना
Abolition (of zamindari, of jurisdiction, of untouchability)	उन्मूलन, उत्सादन, अन्त करना
Above mentioned	उपर्युक्त, पूर्वोक्त, उपरिलिखित
Abridge	न्यून करना, न्यून
Absolut	परम, पूर्ण, निरपेक्ष
Abstract	भावपरक
Abstract Estimates	संचिप्त प्राक्कलन
Abundance	बाहुल्य, प्रचुरता
Academic	विद्या संबंधी सैद्धांतिक, शास्त्रीय
Academy	प्रकाशनी
Accept	स्वीकार करना
Acceleration	गतिवर्धन
Access	प्रवेश
Accessories	उपसाधन
Accommodation	आवास, स्थान
Accountant	लेखपाल
Accountant General	महालेखपाल
Accounts	लेखा
Accounts Officer	लेखाधिकारी
Activity	क्रिया, कार्यवाही, चेष्टा, गतिविधि
Additional functions	अपर, अतिरिक्त
Additions and alterations	अतिरिक्त कृत्य
Adjust	परिवर्धन तथा परिवर्तन
Adjustment	समायोजन करना
Administered	समायोजन, व्यवस्थापन
Administration	प्रशासित
Administrative	प्रशासन
	प्रशासनीय, प्रशासो

Administrator	प्रशासक
Adopt	अधिकार करना, गोद लेना, इत्तक लेना, स्वीकार करना, अपनाना
Adult	वयस्क, प्रौढ
Adulteration	अपमिश्रण
<i>Ad Valorem</i>	यथामूल्य
Advance	अग्रिम धन, पेशगी
Adversc	विपरीत, प्रतिकूल, विरोधी
Adverse balance of trade	प्रतिकूल व्यापार अंतर
Advertisement	विज्ञापन
Advisory Council	मन्त्रणा परिषद्
Advisory Land Settlement Committee	भूमि बंदोबस्त मन्त्रणा समिति
Affinity	आत्मीयता, आकर्षण
Affirm	पुष्टि करना, समर्थन करना, निश्चय करना
After sight	दर्शनोत्तर
Age groups	वयस् वर्ग
Agency	अभिकरण, एजेंसी, आइट
Agent (one delegated to transact business for another)	गुमास्ता, प्रतिनिधि, एजेंट, अभिकर्ता, आदती
Agony	यातना
Agrarian reform	भूमि सबधी सुधार
Agreement	वारार
Agricultural	कृषि सबधी, कृष्य
Agricultural credit	कृषि उधार
Agricultural debt	कृषि ऋण
Agricultural economies	कृषि-अर्थशास्त्र
Agricultural income	कृषि आय
Agricultural labour	खेतिहर मजदूर, कृषि श्रम
Agricultural Labour (Implementation of Minimum Wages) Act	कृषि-श्रमिक (न्यूनतम मजदूरी परिपालन) अधि-नियम
Agricultural land	कृषि-भूमि
Agricultural Meteorological Division	कृषि-ऋतुविज्ञान विभाग
Agriculture and meteorology	कृषि-ऋतुविज्ञान
Agriculture	कृषि, खेती
Agriculturist	कृषक, किसान
Agro-Economic Research	कृषि-अर्थशास्त्र गवेषणा
And	सहायता
Am	ध्येय
Alert	दन्त

Alive	जागरूक, सजग
Alkaline land	क्षारीय भूमि
All India Handicrafts Board	अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड
All India Handloom and Village Industries Board	अखिल भारतीय हथकरघा तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
Allocate	नियत करना
Allocated	नियत
Allocation	वंटवारा
Alluvial clay	कछारी मिट्टी
Alternative 1. <i>n</i>	विकल्प
2 <i>Adj</i>	वैकल्पिक
Amendment	सशोधन
Amount	राशि
Analyser	विश्लेषक
Analysis	विश्लेषण
Analytic	विश्लेषणात्मक
Analytical	विश्लेषण सत्रधी
Ancillary	सहायक
Anonymous	गुमनाम
Announcement	घोषणा
Anti-	विरोधी, प्रति-
Anticipate	पूर्वावधारण करना, पूर्वानुमान करना, प्रत्याशा करना, पूर्वाशा करना
Anti-social elements	ममाज-विरोधी तत्व
Anxiety	चिन्ता
Appreciate	नराहना करना, प्रशंसा करना, समझना
Apprentice	शिष्यार्थी, शिशिन्नु
Apprenticeship	शिशिन्ना
Approach	दृष्टिकोण, तरीका, ढंग, पहुँच
Appropriate <i>adj, v</i>	समुचित, उचित; विनियोग करना
Appropriate government	समुचित शासन
Appropriation	विनियोग
Approve	अनुमोदन करना
Apriori	कारण से कार्य का तर्क
Arbitration	मध्यस्थ निर्णय, विवाचन
Area	क्षेत्र
Argument	युक्ति, दलील, प्रतर्क
Artesian well (a well in which water rises in a bore hole by hydrostatic pressure)	पाताल तोड कुआ
Artificial insemination	कृत्रिम गर्भाधान
Artisan	कारीगर, शिल्पी

Artistic	कलात्मक
Ascending	चढ़ती हुई, बढ़ते हुए
Assess (to fix value, tax etc)	निर्धारण करना
Assessed	परिगणित
Assessee	निर्धार्य
Assessing	परिगणन
Assessment	परिगणन, निर्धारण (शुल्क के लिये) (कर निर्धारण)
Assessor	निर्धारक, असेसर
Assets	आस्तिया
Assets and liabilities	आस्तिया तथा दायित्व
Assets, floating or circulating	चल आस्तिया
Assign (to)	सौंपना
Assignment	सौंपा जाना
Assimilate	आत्मसात् करना
Assistant Trade Commissioner	सहायक व्यापारायुक्त
Associated Chamber of Commerce	सयुक्त वाणिज्य मंडल
Association (a society of persons)	संस्था, सघ
Assumption	पूर्वानुमान, अभिधारण, हाथ में लेना, हस्तांतरण
At a premium	अधिमूल्य
At par	समतल पर
At sight	दर्शनी
Attach	कुर्ची
Attest a document	दस्तावेज प्रमाणित करना
Attitude	मनोवृत्ति, रवैया, दृष्टिकोण
Auction	नीलाम, क्रोश-विक्रय (कौटिल्य)
Audit	लेखापरीक्षा
Authorisation of Capital Issue	प जी निर्गम का प्राधिकरण
Authorised Capital	प्राधिकृत पू जी
Automatic	स्वयगतिक, स्वयगामी, स्वचालित, आत्मगतिक
Automobile Industry	मोटोरगाड़ी उद्योग
Average	औसतन
Avocation	रोजगार
Award	पचाट, दिया जाना, पुरस्कार
Background	पृष्ठभूमि
Balance 1 (the remainder)	शेष, बकाया, अन्तर
2 (equilibrium)	संतुलन
Balance held abroad,	विदेशी बैंकों में जमा रकम
Balance of payment	मुगतान शेष, भुगतान-अन्तर
Balance of payment position	मुगतान शेष स्थिति
Balance of power	शक्ति संतुलन

Balance of Trade	व्यापार अंतर
Balance-sheet	सतुलन-पत्र
Ban	रोक, प्रतिवध (लगाना)
Bank	बैंक
Bank draft	बैंक की हुण्डी
Bank, indigenous	देसी बैंक
Bank, land mortgage	भूमिचंभक बैंक ।
Banker	महाजन, साहूकार ।
Banking	महाजनी, साहूकारा ।
Banking Companies (Amendment) Bill	बैंकिंग समवाय (सशोधन) विधेयक
Banking Enquiry Committee	बैंकिंग जाच समिति
Banking, Rural	ग्राम्य महाजनी
Bankrupt	दिवालिया
Bankruptoy	दिवाला
Bank's Guarantee	बैंक की प्रत्याभूति
Bargain	सौदा
Barrage	बाध
Barter	वस्तु विनिमय
Base (that on which a thing rests)	आधार
Based	आधारित
Base price	आधार मूल्य
Basic	आधारभूत, आधारिक
Basic index price	आधारभूत सूचक मूल्य
Basic plan conference	मूल योजना सम्मेलन
Basic wage	मूल मजूरी
Basic	आधार
Betterment charges and Acreage rates	सुधार शुल्क तथा प्रति एकड़ दर
Bid (act of making bids) (command)	बोली देना आज्ञा
Bilateral	उभयपक्षीय
Bill (proposed law, of exchange, of payment)	विधेयक, विपत्र, हुण्डी, देयक ।
Bill	
Agricultural Produce (Grading and Marketing) Amendment Bill	कृषि-उत्पन्न (क्रमस्थापन तथा विपणन) सशोधन विधेयक ।
Banking Companies (Amendment) Bill	बैंकिंग समवाय (सशोधन) विधेयक ।
Collection of Statistics Bill	आकडा संग्रह विधेयक
Companies Bill	समवाय विधेयक
Control of Export and Standardisation of Handloom Cloth Bill	हथकरवा वस्त्र निर्यात-नियंत्रण प्रमाणिकरण विधेयक

Employees' Provident Funds (Amendment) Bill	कर्मचारी भविष्य निधि (मशोधन) विधेयक
Essential Goods (Declaration and Regulation of Tax on Sale or Purchases) Bill	अत्यावश्यक वस्तुषु (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक
Essential Supplies (Temporary Powers) Amendment Bill	अत्यावश्यक प्रदाय (अस्थायी शक्तियाँ) सशोधन विधेयक
Forward Contracts (Regulation) Bill	वायदे के सौदे (विनियमन) विधेयक
Handloom Industry (Improvement and Protection) Bill	हथकरवा उद्योग (सुधार तथा सुरक्षण) विधेयक
Import and Export (Control) Amendment Bill	आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) सशोधन विधेयक
Indian Finance Corporation (Amendment) Bill	भारतीय वित्त निगम (सशोधन) विधेयक
Indian Income tax (Amendment) Bill	भारतीय आयकर (सशोधन) विधेयक
Indian Merchant Shipping (Amendment) Bill	भारतीय व्यापार नौवहन (सशोधन) विधेयक
Indian Tariff (Amendment) Bill	भारतीय प्रशुल्क (मशोधन) विधेयक
Indian Trade Unions (Amendment) Bill	भारतीय कार्मिक संघ (सशोधन) विधेयक
Industrial Disputes (Amendment) Bill	औद्योगिक विवाद (सशोधन) विधेयक
Industrial Disputes (Banking Companies) Commencement of Decision Bill	औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय का प्रारम्भ विधेयक
Industrial Finance Corporation (Amendment) Bill	औद्योगिक वित्त निगम (मशोधन) विधेयक
Industries (Development and Regulation) Amendment Bill	उद्योग (विकास तथा विनियमन) सशोधन विधेयक
Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Bill	खादी तथा अन्य हथकरवा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक
Khadi and other Handloom Industries (Development) Cess Bill	खादी तथा अन्य हथकरवा उद्योग (विकास) उपकर विधेयक
Mines and Minerals (Regulation and Development) Bill	खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक
Minimum Wages (Amendment) Bill	यूनतम मजदूरी (सशोधन) विधेयक
Public Owned Industries Control Board Bill	लोक वित्तपोषित उद्योग नियंत्रण बोर्ड विधेयक
Reserve Bank of India (Amendment and Miscellaneous Provisions) Bill	भारत का रजिस्टर्ड बैंक (सशोधन तथा विविध उप-बंध) विधेयक

Stock Exchange Regulation Bill	श्रेष्ठ-वृत्तर वित्तियमन विनियम
Unemployment Relief Bill	बेकारी सहायक विनियम
Bill of lading	वहन पत्र
Bimetallism	दो प्रणाली धातु
Birth rate	जन्म दर
Blockade	नानेवन्दी
Blocked	अवरुद्ध
Blocked accounts	अवरुद्ध लेखे
Board (Association)	पार्षद्, समूह, मंडली, बोर्ड, मंडल
Board (Arbitrary, conciliation)	विवाचन मंडल, सुलह मंडल
Board of directors	संचालक मंडल
Body politics (an organized society)	समाज
Bonus	बोनस
Book (v) (to record in a book)	अंकित करना, बुक करना
Book credit	खाता साख
Book value	पुस्तक मूल्य
Border posts	सीमांत चौकिया
Borrowing, power	उधार लेना, उधार लेने की शक्ति
Bounty	सहायता
Brain worker	बुद्धि जीवी
British Industries Fair	ब्रिटिश उद्योग मेला
Broker	दलाल, मध्यस्थ
Brokerage	दलाली
Budget (balanced, deficit, revised surplus)	आयव्ययक, वज्र (संतुलित, घाटे का, पुनरीक्षित, वचत का)
Budgeted sum	आयव्ययक वाली राशि
Bullion	तुलियन
Bureau	ब्यूरो, कार्यालय, विभाग
Bureau, labour	कामगार कार्यालय, मजदूर इन्टर
Bureaucratic regime	नौकरशाही शासन व्यवस्था
Business	कारवार
Buy	खरीदना
Buyer	खरीदार
By-product	उपोत्पादन, गौण उत्पादन
Calendering	कपड़े को चिक्कना करना
Calculate	गणना करना
Calculated	अप्योजित
Calculation	गणना
Call rate	द्रव्य देने की अनपक्षणीत दर
Cancel	रद्द करना
Cancellation	रद्द

Cancellation of debt	ऋण विलोपन
Cancelled	प्रतिसहृत
Capacity	सामर्थ्य, हैसियत
Capital	पू.जी
Capital Assets	पू.जी आस्तिया
Capital at charge	खाता पू.जी
Capital, blocked	अवरुद्ध पू.जी
Capital called up	मागी गई पू.जी
Capital charges	पू.जी व्यय, पू.जी भार
Capital expenditure	पू.जी व्यय
Capital formation	पू.जी निर्माण
Capital goods	पू.जी वस्तुयें, मशीन आदि
Capitalisation	पू.जीकरण
Capitalised value	पू.जीकृत मूल्य
Capitalism	पू.जीवाद
Capital Outlay	पू.जी व्यय
Capital Outlay of the Ministry of Commerce and Industry	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पू.जी व्यय
Capital Outlay of the Ministry of Labour	श्रम मंत्रालय का पू.जी व्यय
Capital Outlay on Currency	मुद्रा (चलार्थ) पर पू.जी व्यय
Capital Outlay on Mint	टकासाल पर पू.जी व्यय
Capital Outlay on Multipurpose River Projects	बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पू.जी व्यय
Capital, paid up	चुकती पू.जी ।
Capital, subscribed	स्वीकृत पू.जी
Capital, working	कार्यवहन पू.जी
Capital punishment	प्राणदण्ड
Capital repatriation	पू.जी प्रत्यावर्तन
Capital value	मूल मूल्य
Capitation Tax	प्रतिव्यक्ति कर
Cardinal	आधारभूत
Cargo ship	मालवाही जहाज
Carriage	परिवहन, वाहन
Carrier	वाहक
Carrying trade	वहन व्यापार
Carry over	मवहित, अग्रे नयन, आगे ले जाना
Carry over stocks	मवहित स्क्रन्ध
Carry over trade	मवहित व्यापार
Carte Blanche	अवाध अभिप्राय
Cattle	निम्नात्मा मय
Cash	नकद धन, नकदी

Cash assessment	नकदी कर निर्धारण
Cash Balances	रोकड़ बाकी
Cash crop	व्यापारिक फसलें
Castration	बधिया करना, अण्डाकर्षण
Casual	आकस्मिक
Casual labour	नैमित्तिक श्रमिक
Casualty	हताहत, अहात व्यक्ति
Category	वर्ग
Ceiling (upper limit)	अधिकतम
Ceiling price	अधिक से अधिक मूल्य, अधिकतम मूल्य, उपरि- सामा मूल्य ।
Census	जनगणना
Census of land holdings	जोतों की गणना
Central Co-operative Marketing Development Board	केन्द्रीय सहकारी विक्रय विकास बोर्ड
Central Excise Deptt	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग
Central Food Technological Re- search Institute	केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलोजी गवेषणा संस्था
Central Handloom Marketing Organsation	केन्द्रीय-हथकरवा-वस्त्र विक्रय संगठन
Central Marketing Directorate	केन्द्रीय विक्रय निर्देशालय
Central Statistical Organisation	केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्था
Central Tractor Organisation	केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन
Centrifugal pump	केन्द्रप्रसारी पम्प
Ceramics	कुम्भकारी
Certainty	निश्चय
Cess	उपकर
<i>Ceteris paribus</i>	यदि अन्य बातें समान रहें
Challenge	चुनोती, आपत्ति करना
Characteristic (n.) (adj)	लक्षण लाक्षणिक
Chargeable	आदेय
Charges	दाम, मूल्य, आरोप
Charity	पूत
Chartered	राजाधिकार प्राप्त, अधिष्ठित, भाड़े पर लिया गया, चार्टर्ड, राज्य सनद प्राप्त ।
Chartered Accountant	अधिष्ठित लेखापाल
Check	प्रतिबन्ध, रोक, परिवीन, रोकना, पड़ताल करना
Checks (positive, preventive)	प्राकृतिक निरोध, कृत्रिम निरोध
Chemical	रासायनिक, रसायन
Cheque	चैक
Choice	वरण

cost price	लागत-बीमा-भाडा सहित मूल्य
Circulation	परिचालन
Circumstances	परिस्थितिया
Cite	उदाहरण देना, उल्लेख करना
Citizenship	नागरिकता
City	नगर
Class	प्रकार, वर्ग
Classified	वर्गीकृत
Classify	वर्गीकृत करना
Clay	चिकनी मिट्टी
Closing balance (figures of closing balance of Central Revenues)	अन्तिम शेष (केन्द्रीय राजस्व के अन्तिम शेष के आकड़े)
Coal, metallurgical	धातुकार्मिक कोयला
Coinage	टकाण, टक
Comed	बनाया हुआ, गढ़ा हुआ
Collaboration	सहकारिता
Collect	एकत्रित करना, जमा करना, संग्रह करना
Collection	संग्रहण
Collection of Statistics Bill	आकड़ा संग्रह विधेयक
Combines	गुट
Comfort	सुख
Comfort, article of	सुख की वस्तु
Comment	टीका करना, टिप्पणी करना
Commerce	वाणिज्य
Commercial	वाणिज्यिक
Commercial Intelligence and Statistics	वाणिज्यिक सूचना तथा आकड़े
Commercial Intelligence Department	वाणिज्यिक सूचना विभाग
Commercial Secretary	वाणिज्यिक सचिव
Commission	आयोग
Commission agent	आदतिया, आदती, प्रमोशन एजेंट, दलाल, बर्तन अधिकर्ता
Commission—Planning	योजना आयोग
Commissions of Inquiry Bill	जाच आयोग विधेयक
Commodity	पदार्थ, वस्तु
Commonwealth	राष्ट्रमट्टन
Communication	संचार
Community	समुदाय
Community Development Blocks	सामुदायिक विकास खंड
Community Project Administrator	सामुदायिक परियोजना प्रशासक
Community Project Blocks	सामुदायिक परियोजना खण्ड

Community Project Officer	समुदायिक परियोजना अधिकारी
Compact	जटिल, संकुच
Company	कम्पनी, हस्तक
Company, holding	निपन्त्रक कम्पनी
Company-promoter	सम्पाद्य प्रवर्तक
Comparative	तुलनात्मक
Compatible	अनुसूप
Competent	ज्ञानताशाली, सक्षम
Complacence	आत्मतुष्टि
Complacency	संतुष्टि
Complex	जटिल
Components	पुञ्ज
Composite	सामासिक
Composite coaches	मिश्रित रेल टिप्पे
Compost manure scheme	कम्पोस्ट खाद योजना
Comprehensive	व्यापक, विशद, विस्तृत
Comprehensive measure	व्यापक उपाय, व्यापक विधान
Compromise	समझौता, मध्यमार्ग
Comptroller and Auditor-General	नियन्त्रक महालेखापरीक्षक
Computation	सगणना
Compute	सगणना करना, गणना करना
Computer	सगणक
Concentration	केन्द्रण
Concentration of capital	पूँजी का सकेन्द्रण
Concept	विचार, धारणा
Confirmation	पुष्टि
Conflict	विरोध, संघर्ष
Conformity	के अनुसार, अनुसारिता
Conforms	के अनुसार है
Confusion	संभ्रम, भ्रान्ति, गड़गड़ी, अस्त व्यस्तता
Consecutive	निरन्तर, लगातार
Conservation	परिरक्षण, संरक्षण, अधिभरण
Consign	सौंपना, भेजना
Consols, consolidated annuities	संचित वार्षिकी
Consolidation	समेकन, एकीकरण
Consolidation of holdings	चक्रवर्त्ता
Constant	मतत
Constitute	गठित करना
Construe	अर्थ करना, व्याख्या करना
Consul	वाणिज्यदूत
Consulate	वाणिज्य दूतावास
Consume	उपयोग करना, खरीद करना

Consumer	उपभोक्ता
Consumer's surplus	उपभोक्ता की श्रुत
Consumption	उपभोग, खपत
Consumption of cloth	कपड़े की खपत
Contemplated	अवेक्षित
Contemplation	विचार, ध्यान, अनुभ्यान, चिन्तन, अवेक्षण
Contingencies	आकस्मिकतायें
Contract	ठेका, सविदा
Contract-'marrying' a,	'सविदा'का सतुलन
Contribution	अशदान
Control	नियन्त्रण, कंट्रोल
Controversial	विवादग्रस्त, विवादास्पद
Co efficient	गुणक
Co-operative Credit Society	सहकारी उधार समिति
Co-operative endeavour	सहकारी प्रयत्न
Co operative Farming	सहकारी खेती
Co operative Society	सहकारी समिति
Co operative Weavers Production and Sale Society	बुनकरों की सहकारी उत्पादन तथा विक्रय समिति
Co ordination	एकसूत्रता, समन्वय, सहयोजन
Corporation	निगम
Corporation tax	निगम कर
Cost	खर्च, परिव्यय, लागत, मूल्य
Cost Account	लागत लेखा
Cost of living	निवाह व्यय
Cost of living index figures	निवाह-व्यय देशनाक के आकड़े
Cost of maintenance (of the Directorate)	(निर्देशनालय का) सधारण व्यय
Cottage Industry	कुटीर उद्योग
Cotton seed	विनौले
Cotton waste	छीजन, गूदड़, रद्दी रुड
Count	गिनना
Counter-balance	प्रतिसतुलन
Covered Workers	सरञ्चित श्रमिक
Credit	प्रत्यय, साख, जमा करना, समाकलन
Creditor	ऋणदाता
Credit worthiness	विश्वामनीयता, साख
Crop financing	फसलों के लिये वित्त व्यवस्था
Cross elasticity	मिश्रित लोच
Cultivator	काश्तकार, कृषक, किसान
Culturable waste	खेनायोग्य ब्रजर भूमि
Culturable waste land	कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि

Cumulative preference shares	संचयी पूर्वाधिकार भ्ररा (शेयर)
Cumulative shares	सचयी भ्ररा, सचयी शेयर
Currency	मुद्रा, चलार्थ
Current	चालू
Custom duty	सीमा शुल्क, वहि शुल्क
Customs	सीमा शुल्क
Cut-throat competition	गल-घाँटू प्रतियोगिता
Damage	हरजाना
Data (facts given from which others are inferred)	न्यास, सामग्री
Days of grace	रियायती दिन
Debentures	ऋण-पत्र
Debt	विकलन, नामे
Debt charges	ऋण
Debt due	ऋणभार
Debt Settlement Agreements	देय ऋण
Decent standard of life	ऋण के निपटारे के करार
Deduction	शिष्ट-जीवन-स्तर
Deductive	कमी, काट, निगमन, कटौती
Deferred	निगमन
Deficiency	आस्थगित
Deficit	न्यूनता, कमी ।
Deficit areas	कमी, न्यूनता, घाटा
Deficit Financing	कमी प्रधान क्षेत्र
Defrayable	नोट छाप कर वित्त की व्यवस्था करना, घाटे को अर्थ व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था
Degrassive	व्यय किये जाने वाले
Deliver	अधोगामी
Demand	भुगतान करना, देना, हुनाना ।
Demand (alternative, composite, constant, curve, potential)	माग
Department	माग [विकल्पी, सामासिक (समूहित), एकत्री, वक्र, सम्भावनीय]
Deposit	विभाग
Deposited	निक्षेप, जमा करना
Depositor	रख दिया गया, निक्षिप्त ।
Depreciation	रूपया जमा करने वाला, निक्षेपक
d allowance	अवमूल्यन, अवक्षयण, मूल्य ह्रास,
d fund	घिमाई की छूट, अवक्षयण छूट
d. of currency	अवक्षयण निधि
d. Reserve Fund	मुद्रा अवमूल्यन
Depression	अवक्षयण रक्षित निधि
	मही

Descent	उद्भव, उत्पत्ति
Desire	इच्छा
Detail	ब्योरा
Devaluation	न्यून मूल्यन, अवमूल्यन
Development	विकास, उत्पत्ति, वृद्धि
Development Blocks	विकास खण्ड
Development Suspense Account	विकास उचन्तो खाता
Dexterity	निपुणता, दक्षता
'Differential Cost' Subsidy	'भिन्नक लागत' वित्तीय सहायता
Diminution	हानि करना, घटोतरी
Discount	वट्टा, अपहार
Discount (a bill of exchange), to	(हुण्टी) मुनाना
Discretion	स्वविवेक
Distribution	वितरण
District	ज़िला
Diversion line	विकर्षण लाइन
Divide	बाटना
Dividend	लाभाश
Dividend—limitation of	लाभाश का परिसीमन
Dividend payable to General Revenues	साधारण राजस्व में देय लाभाश
Division	श्रेणी, भाग, विभाग, प्रदेश, मंडल, डिवीजन, भाग (गणित में), विभाजन, खण्ड
Dolls	दानरूप में दी गई वस्तु
Donee	देयी, दान ग्रहीता
Dose	धरा
Double taxation	दुहरा कराधान, दुहरा करारोपण
Draft	ममौदा, हुंटी
Due (Debt) 1 (owed, that ought to be paid)	देय (ऋण), देहाश, प्राप्य
2 (proper) <i>adj</i>	उचित, यथा नियम, सम्यक
Dumping	राशिपातन
Duopoly	दयाधिकार
E.C.A.F.E.	एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग
Economic Adviser	आर्थिक सलाहकार
Economic and Social Council	आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्
Economic Civil Service	आर्थिक अर्थसैनिक सेवा
Economic cost	उचित लागत
Economic incentive	आर्थिक प्रेरणा
Economic Missions	आर्थिक शिष्ट मंडल
Economic necessity	आर्थिक आवश्यकता
Economic policy	अर्थ-नीति

Economic system	आर्थिक व्यवस्था
Economics, theoretical—applied	सैद्धान्तिक, फलित अर्थशास्त्र
Economiser (a part of Boulder)	इकोनोमाइजर
Economy	मितव्ययता, अर्थव्यवस्था, क्लिफायन
Economy (mixed, planned and un-planned)	मिली-जुली अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध तथा यात्रना रहित
Edible	खाद्य, खाने के योग्य
Efficiency	कर्मदक्षता, दक्षता, कार्य-कुशलता, कार्यपटुता
Efficiency of production	उत्पादन क्षमता
Elasticity	लोच
Element	तत्व
Embankment	बन्ध
Employed	सेवायुक्त, नियोजित
Employee	नौकर, कर्मचारी, नियोज्य
Employees' Provident Fund (Amendment) Bill	कर्मचारी भविष्यनिधि (सशोधन) विधेयक
Employees' State Insurance Corporation	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employer	नियोजक, मालिक
Employment	नौकरी
Employment Bureau	सेवा योजनालय
Employment Exchange	काम दिलाऊ दफ्तर
Employment Exchanges and R- settlement	काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनर्स्थापना
Employment full	पूर्ण रोजगार
Endorse	अंकन, पृष्ठांकन
Endorsed	अंकित, पृष्ठांकित
Endowment	धर्मन्व
Engineer	इंजीनियर
Enquiry	जाच, पृष्टताद्य करना
Enquiry Committee	जाच समिति
Enterprise	उपक्रम, उद्यम
Entrepreneur	उपक्रमी, उद्यमी
Equipment	उपकरण
Equitable	समन्याय
Equity	समन्याय्य
Equilibrium	साम्यावस्था
Erosion	मिट्टी का बटाव, भूमि क्षय ।
Estimate v	दृष्टना, मूल्यांकन करना, अनुमान करना, प्राक्कलन करना
Evasion	बचना, अपवचन
Evasion of tax	कर अपवचन

Evolution	विकास
Exceptional grant	विशेष अनुदान
Excess profit	अतिरिक्त लाभ
Exchange	विनिमय, आदान प्रदान
Exchange control restrictions	मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रतिबन्ध
Exchange Rate	विनिमय दर
Exchange Ratio	विनिमय अनुपात
Exchequer	राजकोष
Excise Duty	उत्पादन शुल्क
Exchange, produce, stock	मंडी, स्टॉक बाजार
Expansion	प्रसार
Expenditure	व्यय
Expense	व्यय
Experimental	प्रयोगात्मक, परीक्षात्मक
Expiration	समाप्ति
Exploitation	उपयोग करना, शोषण करना, लाभ उठाना, शोषण
Export	निर्यात
Export Duty	निर्यात शुल्क
Export general manifest	सामान्य निर्यात माल सूची
Export Promotion Council for Textiles	वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्
Export Promotion Councils	निर्यात संवर्धन परिषदें
Export visible, invisible	दृश्य, अदृश्य निर्यात
Extension	विस्तार
Extensively	विस्तारपूर्वक
External economics	वाहरी किफायतें
Extractive	निष्कर्षक
Extreme	चरम
Extremity	चरम सीमा
Face value	अंकित मूल्य
Facility	सुकरता, सुविधा
Factor	साधन, कारक
Factory	फैक्टरी, कारखाना
Fair price shop	उचित मूल्य वाली दुकान
Fair Retention Price of Steel	स्पात का उचित धारण मूल्य
Fair wages	उचित मजूरी
Family Planning	परिवार आयोजन
Family Survey	परिवार सर्वेक्षण
Famine	दुर्भिक्ष, अकाल
Famine Code	(दुर्भिक्ष) अकाल संहिता
Firm	किगना, भाटक, भाड़ा
Farmer	खेतिहर, कृषक

Fatigue	क्लाति
Fertiliser	उर्वरक
Field	मैदान, खेत
Field-work	क्षेत्र कार्य
Finance	वित्त, वित्त व्यवस्था करना
Finance Bill	वित्त विधेयक
Finance Commission	वित्तयोग
Financed	वित्तपोषित
Finances	वित्त
Financial	वित्तीय
Financial Bill	वित्तीय विधेयक
Financial implications (of agreement)	(ममभौते के) वित्तीय परिणाम
Financial matter	वित्तीय विषय
Financial obligation	वित्तीय आभार, वित्तीय दायित्व
Financial stability	वित्तीय स्थायित्व
Financiers	पू जी लगाने वाले
Firm (a business house)	सार्थ, फर्म
Fiscal	राजकोषीय
Fix	नियत करना, स्थिर करना
Fixed deposit	सावधि निक्षेप
Flexibility	लचीलापन
Floating Capital	चलपू जी, चलमान
Floating debt	अल्पकालीन ऋण
Floor price	निम्नतम मूल्य
Fluctuating	धटती बढ़ती
Food-stuffs	खाद्य पदार्थ
Food Technological Institute	खाद्य प्रौद्योगिक संस्था
Forbidden	निषिद्ध
Forced labour	बेगार
Foregoing	पूर्ववर्ती, पूर्वगामी
Foreign	विदेशी
Foreign affairs	विदेशी कार्य
Foreign Agent	विदेशी जामन
Foreign country	विदेश
Foreigner	विदेशीय
Foreign Exchange	विदेशी मुद्रा, विदेशी विनिमय
Foreign Exchange Regulation Act	विदेशी विनिमय विनिमयन अधिनियम
Forest	वन
Forfeit	जप्त करना
Formal	यथारोति, यथानियम, यथारूप, यथाचार, विहित- चार, उपरिक्त, वासरूपिक, औपचारिक

Former and latter	पूर्वाक्त तथा उपर्युक्त
Formula	सूत्र
Forward Markets Commission	वायदा बाजार आयोग
Forward Trading	वायदा व्यापार
Fraction	भिन्न
Free Commerce	अबाध वाणिज्य
Freedom	स्वानन्त्य, छूट
Freehold (land)	निष्कर (भूमि), जागीर
Free import	निर्बाध आयात
Freely	अबाध
Freely, (move)	अबाध (संचरण)
Free of tax	कर-मुक्त
Free trade	अबाध व्यापार
Freight	भाड़ा, किराया, वस्तुभाड़ा
Fundamental	मूलभूत, मूल
Fundamentals	मूलसिद्धान्त
Future Market	वायदा बाजार
Gambling	जुआ
G A T T (General Agreement on Trade and Tariff)	व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता
Gazette	सूचना-पत्र
General Budget	सामान्य आयव्ययक
Geographical proximity	भौगोलिक समीपता (निकटता)
Geographical society	भौगोलिक समिति
Geographical (territorial) division of labour	भौगोलिक श्रम विभाजन
Geological survey	भूतत्वीय परिमाप भूतत्वीय सर्वेक्षण
Geologist	भूतत्वज्ञ, भूतत्ववेत्ता
Geometric	गुणोत्तर
Godown	गोदाम, कोष्ठागार कोठार
Goods	माल, वस्तु, पदार्थ, सामग्री
Goods, (economic, exported, im- ported, free, material, non- material, transferable, non- transferable)	[माल अथवा पदार्थ—आर्थिक, निर्यात, आयात, नैसर्गिक, भौतिक, अर्भातिक, अस्वातन्त्रणीय, अहस्तांतरणीय
Goodwill Mission	सद्भावना मंडल
Government	शासन, सरकार
Governmental	सरकारी, शासकीय
Government of a State	राज्य की सरकार
Government of India	भारत सरकार
Governor	राज्यपाल
Grading	श्रेणीबद्ध करना, अनुपातन

Grant	अनुदान
Graph	ग्राफ, लेखाचित्र
Gratuity	उपदान
Gross	सकल
Gross income	सकल आय
Ground	भूमि, जमीन, स्थल, आधार, कारण
Ground Survey	भूमि सर्वेक्षण
Group	वर्ग, समूह
G R T (Gross Registered Tonnage) of shipping	कुल पंजीकृत टनभार
Guarantee	प्रत्याभूति, गारंटी
Guidance	मार्ग दर्शन, पथ-प्रदर्शन
Gynaecology	स्त्री-रोग विद्या, सतनि विद्या
Gypsum	जिप्सम
Gypsy	बायावर, खानाबदोश
Handicap	बाधा, कठिनाई
Handicraft	हस्तशिल्प, दस्तकारी
Handicraftsman	हस्तशिल्पी, दस्तकार
Handloom Cess Fund	हथकरवा उपकर निधि
Handloom Industries Development Rules	हथकरवा उद्योग (विकास सन्धी नियम)
Handloom Industry (Improvement and Protection) Bill	हथकरवा उद्योग (सुधार तथा सरक्षण) विधेयक
Hard board	मोटा गत्ता
Hard coke	पक्का कोक, हार्ड कोक
Hard currency	दुर्लभ मुद्रा
Headman	मुखिया
Heavy chemicals	भारी रसायन, भारी रासायनिक पदार्थ
Heavy chemicals (Acids and Fertilisers)	भारी रसायन (अम्ल तथा उर्वरक)
Hedge planting of tea	चाय की भाडियों का कतार में लगाना
Heredity	वंश परम्परा
High-level experts	उच्च कोटि के विशेषज्ञ
Highways (National)	(राष्ट्रीय) राजपथ
High-yielding clones	अधिक पैदावार वाली क्लोन
Hire-purchase	क्रयवक्रय
Hoard	सचय करना, साठेवाजी करना
Hoarding	सचय, अपसचय, साठेवाजी
Hold	गोदाम, अधिकार, प्रभाव, धारण करना, रखना
Horizontal	चैतिज
Horizontal and Vertical development	चैतिज तथा उदग्र विकास

Horizontal basis (of rates)	(दरों का) एक समान आधार
Horticulture Committee	उद्यान विद्या समिति
Human consumption	मानव-उपभोग
Humane	मानवोचित
Hybridisation	प्रसकरण
Hydro electric	पन-विजली, जलविद्युत
Hydrographic survey	पानी सम्बन्धी पड़ताल
Hydrological data	जल विज्ञान सम्बन्धी आकड़े (तथ्य)
Hypothesis	वाद-कल्प, कल्पना
IJMA	भारतीय पटसन मिल सघ
Immigrant	आप्रवासी
Imminent	सन्निकट
Immoral	अनैतिक
Impact	आघात
Implement	परिपालन करना, कार्यान्वित करना, क्रियान्वित करना, अभिपूर्ति
Implicit	अन्तर्हित, अन्तर्निहित
Import	आयात
Impose (a duty, a restitution, a service, a tax)	(निर्वन्धन) आरोपित करना, कर्तव्य आरोपित करना, कर्तव्य सौपना, सेवा लागू करना
Imposition (of a tax)	करारोपण
Inception	उपक्रम, प्रारम्भ
Incidence	आघात
Incident	घटना
Incidental	सयौंगवशा, प्रासंगिक
Incidental charges	प्रासंगिक व्यय
Income tax	आय-कर
Income tax Appellate Tribunal	आय-कर अपीलिय न्यायाधिकरण
Income-tax Clearing Certificate	आय-कर मुगतान प्रमाणपत्र, आय-कर रोधन प्रमाणपत्र
Incompatible	विसंगत, असंगत
Incompetency	अक्षमता
Incongruous	अननुरूप
Inconsistent	असंगत
Incorporated	समाविष्ट, सम्थापित, निर्गमित
Increase	वर्धन, वृद्धि
Indebted	ऋणग्रस्त
Indebtedness	ऋणिता
Indemnity	तारण देना, क्षतिपूर्ति
Indent	वस्तु सूची, व्यादेश
Index numbers	देगनांक, सूचक अंक
Indian Companies	भारतीय नमनवाय

Indian Cotton Cess	भारतीय रुटे उपकर
Indian hemp	भग, भान
Indian Merchant Shipping	भारतीय वाणिज्यिक नौवहन
Indian Shipping Companies	भारतीय नौवहन समवाय
Indian Statistical Institute	भारतीय सांख्यिकी संस्था
Indian Supply Department	भारतीय सभरण विभाग
Indian Supply Mission	भारतीय सभरण मिशन
Indian Tea Market Expansion Board	भारतीय चाय विक्रय विस्तार बोर्ड
Indian Trade Unions	भारतीय कार्मिक संघ
Indigenous	देशीय
Inductive	आगमन
Industrial Administration and Business Management	औद्योगिक प्रशासन तथा कारवारी प्रबन्ध
Industrial Employment Standing Orders Act	औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम
Industrial Finance Corporation	औद्योगिक वित्त निगम
Industrial Hygiene Survey	औद्योगिक स्वास्थ्य व्यवस्था सर्वेक्षण
Industrialisation	औद्योगिकरण
Industrial Mineral Laboratory	औद्योगिक खनिज प्रयोगशाला
Industrial or Business undertakings	औद्योगिक वाणिज्यिक उपक्रम
Industrial Truce Resolution	औद्योगिक संधि सकल्प
Industrial Workers Housing Scheme	औद्योगिक श्रमिक गृहव्यवस्था योजना
Industry	उद्योग
Inelastic	लचकहीनता
Inequality of wealth	व्यवृत्ती असमता
Infant industries	प्रारम्भिक उद्योग
Infectious	संक्रामक
Inference	अनुमान
Inflammable	ज्वालामग्री, ज्वलनशील
Ingredient	अंश
Inheritance	दायभाग, दाय
Inland	अन्तर्देशीय
In point of time	समय क्रम
In rotation	वारी मे
Insecticides and fumigants	हनिनाशक तथा घूमक
Inquiry	जाच
Insolence	प्रौढ़त्व, उद्दण्डता
Insolvency	रोधात्मकता, दिवालियापन
Insolvency Law	रोधात्मकता विधि

Insolvent	दिवालिया
Installation	सस्थापना, अधिष्ठापना
Installed capacity	सस्थापित क्षमता, अधिष्ठापित क्षमता
Institute	सस्था, संस्थापन, प्रारम्भ करना, जारी करना
Institution	सस्था, प्रतिष्ठान
Insurance	बीमा
Intense	तीव्र, उग्र, प्रकृत
Intensive	प्रकृत, गहन
Intensive cultivation	घनी खेती, गहन कृषि
Intensive Evaluation of Community Projects	सामुदायिक परियोजनाओं की प्रगति की गहन पड़ताल
Intensive Evaluation Organisation (Community Projects)	गहन मूल्यांकन संगठन
Interchange	अदला-बदली
Intercourse	समागम
Interest	स्वार्थ, स्वत्व, अभिरुचि, हित, अरा, व्याज
Internal (economies)	आन्तरिक, आभ्यन्तरिक, भीतरी किफायतें
International	अन्तराष्ट्रीय
International Bank for Reconstruction and Development	पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तराष्ट्रीय बैंक
International Farm Youth Programme	अन्तराष्ट्रीय किसान युवक कार्यक्रम
International Monetary Fund	अन्तराष्ट्रीय मुद्रा निधि
International Trade Fair	अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेला
Intervening period	अन्तःकाल
Intestacy	वसीयत हीनता, इच्छापत्रहीनता
Intestate	वसीयत रहित, इच्छापत्रहीन, निर्दसीयत
Intrinsic value	आन्तरिक मूल्य
Invalidity pension	असमर्थता-निवृत्तिवेतन
Invest	विनियोग करना, विनियोजन करना, पूंजी लगाना, युक्त करना, देना
Invested	विनियोजित
Investigate	जाच करना, अनुसन्धान करना
Investigation	जाच, अनुसन्धान
Investigator	जाच करने वाला, अनुसन्धानकर्ता
Investment	विनियोग, विनियोजन
Investor	विनियोजक
Invoice	वीचक
Iron and Steel Companies Amalgamation Bill	लोहा तथा इस्पात ममवाय एकीकरण विधेयक
Iron scrap	लोहे का कत्राड़
Irrigation	निचाड़

Irrigation charges	सिंचाई शुल्क, ध्रावधाना
Irrigation (including working expenses), Navigation, Embankment and Drainage Works (met from Revenue)	सिंचाई (कार्यवहन-व्यय सहित), नौपखिहन, बन्ध तथा जल निस्तारण योजनाए (राजस्व से देय)
Issued	निर्गमित, जारी किया गया
Issued capital	निर्गमित पूंजी
Issue of money	धन की निकालनी करना
Issue process	प्रादेशिगत निकालना
Job analysis	कार्य विश्लेषण
Job work	फुटकर काम
Joint family	अव्यभक्ति परिवार
Joint Stock Companies	संयुक्त स्तम्भ समवाय, संयुक्त पंजी मनवाय
Judiciary	न्यायपालिका
Junior and senior	कनिष्ठ और ज्येष्ठ
Key Farms	मूल फार्म
Kind (or cash)	जिन्स (अथवा नकदी)
Kung seam	खड़ी रूढ़
Labour	श्रम, श्रमिक
Labour Appellate Tribunal	श्रम अपीलिय न्यायाधिकरण
Labour copartnership	श्रम सहभागिता
Labour Force	श्रमिक वर्ग
Labour Welfare Committee	श्रमिक कल्याण समिति
Labour Welfare Officer	श्रमिक कल्याण अधिकारी
Labour Woman	मजदूरिनि
Lacquerid articles	लाक के रंग की पन्चीकारी वस्तुए
Land	भूमि, जमीन
Land Acquisition Act	भू-अवाप्ति अधिनियम
Land Acquisition Officer	भू-अवाप्ति अधिकारी
Land Customs Office	भू-मीमागुल्क कार्यालय
Landed Cost	तयगत मूल्य
Landlord	भून्दाजी
Land Mortgage Banks	भू-बन्धक बैंक
Land records	भू-अभिलेख
Land reform	भूमि सुधार
Land Reforms Committee	भूमि सुधार समिति
Law	विधि, विधान, कानून, नियम
Law (of equi-marginal utility)	[मनसीमान्त उपयोगिता का] नियम
Law (of substitution)	[प्रतिस्थापन का] नियम
Law of inheritance	उत्तराधिकार विधि
Ledger	बही रचना, लेजर
Legal documents	कानूनी कागजपत्र

Legal right	वैध अधिकार
Legal tender	विधिमान्य मुद्रा
Legislative	विधायिनी, वैधानिक
Legislature	विधान मंडल
Lend Lease Account	उधार पट्टे का लेखा
Lessees	पट्टेदार
Letters patent	एकम्वपत्र
Level	तल, स्तर
Level of nutrition	आहारपुष्टिस्तर
Levy	आरोपण
Licence	अनुज्ञप्ति, लाइसंस
Limitation of dividends	लाभार्गा का परिमोमन
Linear or non linear	सकुचित अथवा असकुचित
Line of communication	संचार की लीक
Liquidate	परिममापित कर देना
Liquidated	परिममापित
Liquidation	परिममापन
Liquidator	परिममापक पदाधिकारी
Liquidity preference	तरल अधिमान
Liquids	तरल
Livelihood	जीविका
Live stock	पशुधन
Live-Stock Importation	पशुधन आयात (म गोधन) विधेयक
Living conditions	रहन-महन की हालत
Living wage	निवाह मजूरा
Load	भार
Loan	उधार, ऋण
Loans and Advances by Central Government	केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अत्रिम धन
Local body	स्थानीय निकाय
Locked Assets	अवरुद्ध आस्तिया
Lock out	तालाबन्दी
Log Book	रोजनामचा
Long and Medium term loans	दीघ तथा मध्यमकालीन ऋण
Long term Market	दीघकालीन बाजार
Loss	हानि, घाटा, डेटा, अलाम
Lottery	भाग्यदा, लाडरा
Low cost	नम्ना
Low grade coal	घटिया कोयला
Low grade manganese ore	घटिया मंगनात अयस्क
	विमान वस्तु
	विमान वस्तु

Machinery	मशीनरी, कार्य व्यवस्था, प्रबन्ध, यन्त्र
Machine Tool Prototype Factory	मूलरूप मशीनी औजार निर्माण कारखाना
Machine tools	मशीनी औजार
Machinist	मशीन चालक
Maintenance allowance	भरण-पोषण भत्ता, निर्वाह भत्ता
Male line	पितृ-परम्परा
Malnutrition	कुपोषण, अपूर्वाप्त पोषण
Ma-practice	कदाचार, दुष्टाचार
Management	प्रबन्ध, व्यवस्थापन
Managing agency system	प्रबन्ध अभिकरण पद्धति
Managing Agents	प्रबन्ध अभिकर्ता
Managing Director	प्रबन्ध मंचालक
Man-day loss	जनदिनों की हानि
Man-days	जन-दिवस, जन-दिन
Manganese Ore	मैंगनीज अयस्क, लोहक अयस्क
Manganese processing plant	मैंगनीज साफ करने का यंत्र
Man power	जन-शक्ति
Manufacture	निर्माण
Manufactured	निर्मित
Manufacture of earthenware and porcelainware	मिट्टी के तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण
Manure	खाद
Marginal fallow land	सीमान्त पटती भूमि
Marginal yield	सीमान्त पैदावार
Mark	चिह्न
Marked	चिह्नित
Market	मंडी, हाट, बाजार
Marketable	विक्री योग्य
Market fluctuations	भावों का उतार चढ़ाव
Master workman	उस्ताद कारीगर
Material advantages	भौतिक लाभ, विशेष लाभ
Material resources	भौतिक समाधन
Maternity Centre	प्रसूति केन्द्र
Maternity welfare	प्रसूति कल्याण
Matured and unmatred policies	परिपक्व तथा अपरिपक्व बीमा-पत्र
Maximum	अधिकतम, अधिक
Means	साधन
Means of Communication	संचार-साधन
Measure	माप, माप, मान, उपत्य, विमान
Mechanical contraceptives	गर्भ निरोधक उपकरण
Mechanical Engineering Research Institute	यांत्रिक इंजीनियरी गवेषणा मंत्रालय

अथशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त

Mechanically propelled	यन्त्र-चालित
Mechanisation	यन्त्रीकरण
Medium	माध्यम
Menufi	एक किस्म की मिछ्री रूई (मेनुफी)
Mercantile agent	वाणिज्य-अभिकर्ता
Mercantile Marine	वाणिक-पोत
Merchandise	पण्य, व्यापार-वस्तुयें
Merchandise marks	पण्य चिह्न, व्यापार चिह्न
Merchant Vessel	वाणिक् पोत
Messenger	सदेशवाहक, हरकारा, सदेशाहर
Mesta	एक किस्म की मिछ्री रूई (मेस्ता)
Metallic ore	धात्विक खनिज
Metallurgical	धातु विज्ञान सम्बन्धी, धातुकार्मिक, धातुरोधन सम्बन्धी
Metric system	दशमिक प्रणाली
Micomto	माइकोनाइट
Middle men	विचोलिए, मध्यजन
Migration	प्रव्रजन
Milch	दुधारू
Milo	लाल जुआर
Mineral	खनिज
Mineral development	खनिजों का विकास
Mineral oil resources	खनिज तेल समाधन, खनिज तेल संपत्
Mineral resources	खनिज-संपत्
Mines and Minerals	खान तथा खनिज
Minimum	न्यूनतम
Minimum Wages	न्यूनतम मजूरी
Mining lease	खनन पट्टा
Mining Method	खनन रीति
Mining settlement	खनि-वसति, खनिक वस्ती
Minister	मन्त्री
Ministry of Commerce and Industry	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
Ministry of Communications	संचार मंत्रालय
Ministry of Finance	वित्त मंत्रालय
Minor Irrigation Projects	छोटी मिचाई परियोजनायें
Minority	अव्ययस्कता, नामालगी, अल्पसंख्यक वर्ग
Mixed economy	मिश्रित अर्थ-व्यवस्था
Mobility	गतिशीलता
Mobility (horizontal, vertical, occupational)	गतिशीलता [समस्तर (क्षैतिज), उपग्र, व्यावसायिक]
Model	आय रूप, नमूना, आदर्श, प्रतिकल्प

Modernisation	आधुनिकीकरण
Moisture	नमी
Monetary	धन विषयक
Monetary Bill	धन विधेयक
Monetary Fund, International	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-सोप
Money	धन
Money Bill	धन विधेयक
Money lender	माहूकार
Money lending	माहूकारी
Money motive	द्रव्य हेतु
Monopoly	एकाधिकार, एकाधिकार
Monopsony	क्रयधिकार
Mopping up (savings)	शकटा करना
Mortgage	बन्धक, रहन
Mortgage decrees	बन्धक प्राप्तिपत्र
Mortgage deed	बन्धक-पत्र, रहन नामा
Mortgagee	बन्धकधारी
Mortgager	बन्धककर्ता
Motive	प्रेरणा, हेतु, प्रयोजन
Motive (business, financial, income speculation, transaction)	हेतु—व्यापार, विरतीय, आय, मट्टा, मोदा
Motor seeds	मूल बीज
Multilateral convertibility	बहुपक्षीय मुद्राविनिमय
Multilateral system	बहुपक्षीय पद्धति
Multiple	गुणित, गुणक
Multiple-Unit-Stock	बहु-एकक-नाम
Multi-point-taxation	बहुसूत्री करारोपण
Multipurpose River Schemes	बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें
Mutual benefit	पारस्परिक हित
Mutual transfer	पारस्परिक स्थानान्तरण
Natality	जन्म संख्या
National Physical Laboratory	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
National Productivity Centre	राष्ट्रीय उत्पादन केन्द्र
National Prosperity	राष्ट्रीय समृद्धि
National Sample Survey	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
National Savings Certificate	राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रिय बचत प्रमाण-पत्र
Naval Ratings	सैनिकी
Necessary (ies), (conventional, absolute)	आवश्यक, आवश्यक कर्तुण [हट आवश्यकताएँ, अनिवार्यताएँ]
Necessity	आवश्यकता
Negative	नकारात्मक
Negotiate	बातचीत करना

Nepotism	भार्य-भतीजावाद
Net income	शुद्ध आय
Net proceeds	शुद्ध आगम
Non cereal food	निरन्न आहार
Non credit	ऋण्येत्तर
Non-ferrous	अलौह
Non-ferrous metals industry	अलौह धातु उद्योग
Non par value share (a share in the form of fraction of the whole capital)	असम मूल्य पर
Non perennial canal	मौसमी नहर
Non preferential	प्राथमिकता रहित
Non recurring	अनावर्तक अनावर्ती
Non Scheduled Banks	अन-अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक
Normality	सामान्यता
Number	सख्या, क्रमांक
Nutrition	पोषण, पौष्टिक पदार्थ, आहार पुष्टि
Nutritional	पोषाहारी
Nutritional diseases	कुपोषण रोग
Nutrition Committee	आहार पोषण समिति
Nutrition Research Laboratory	पोषण गवेषणा प्रयोगशाला
Nutritive	पोषक
Objects and Reasons	उद्देश्य तथा कारण
Occidental	पश्चात्य
Occupancy	अधिभोग
Occupancy right	भोग अधिकार
Occupancy tenant	भोक्ता कृषक
Occupant	अधिभोक्ता
Occupation	उपजीविका, दसल
O E E C (Organisation of European Economic Cooperation)	यूरोपीय आर्थिक सहयोग सगठन
Office of profit	लाभ-पद
Oilcake	सर्ला
Oil refineries	तेल शोधक कारखाने
Oil resources	तेल-सम्पत्
Oil seeds	तिलहन
Oil survey	तेल सर्वेक्षण
Oligopolistic	स्वल्पाधिकार (गै) [अल्पाधिकार]
Open Line Works—Development Fund	चाल लाइनों सम्बन्धी कार्य—विकास निधि
Open Line Works (Revenue)—Labour Welfare	चाल लाइनों सम्बन्धी कार्य (राजस्व) — श्रम कल्याण
Open Line Works—Replacements	चाल लाइनों सम्बन्धी कार्य—प्रतिस्थापन

Open market	सुना बाजार
Operational costs	संचालन व्यय
Operative	क्रियान्तरी
Opportunity	अवसर
Optimum	जुलन, सत्याचार
Ordinance	अव्यदेश
Ore	अयस्क, खनिज
Organised industry	संगठित उद्योग
Orient	प्राच्य
Other Capital Outlay of Ministry of Finance	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय
Outlay	व्यय
Outstanding business	बन्ना हुआ कार्य
Outstanding claims	दावे जो चुकाये नहीं गये
Over-all planning	समूचा आयोजन
Over-estimation	अत्यागणन, अघ्यागणन
Overhead charges	उपरि व्यय, ऊपर का खर्च
Overhead costs	उपरि व्यय, ऊपर की लागत, बकी लागत
Overlap	अतिव्याप्ती होना
Overtime allowance	अधिक समय तक काम करने का भत्ता
Over-valuation	उपरि-मूल्यन, अतिमूल्यन
Owner	स्वामी होना
Ownership	स्वामित्व, मालिकी
Paid employment	वैतनिक नौकरी
Paid up capital	प्रदत्त पूंजी
Parliament	संसद
Partial Financial Aid Scheme	आंशिक वित्तीय सहायता योजना
Partition	विभाजन
Partnership	भागिना
Pay	भुगतान करना
Payable	देय
Payment	भुगतान, गोवन, देना
Pay scales	वेतन श्रेणी, वेतन क्रम
Peak level	चरम स्तर
Pecuniary	आर्थिक
Pegging exchange	उड़ वन विनिमय
Penultimate	उत्तम उत्पादन
<i>P. annum</i>	प्रतिवर्ष
<i>Per capita</i> income	प्रति व्यक्ति आय
Per cent	प्रतिशत
Perennial and non-perennial canals	वर्द्धनीय तथा नैर्द्धनीय नहरें
Performance Bonds on Contracts	संवेदाओं में कार्यपूर्ति का

Per mensem	प्रतिमास
Pertinent	तत्संगत
Physical	भौतिक
Pictorial	खण्डश
Piece work	खण्ड कार्य
Pilot Development Projects	अग्रिम विकास परियोजनायें
Pilot Project	अग्रिम परियोजना
Pilot Quarrying Project	अग्रिम खनन परियोजना
Pilot Scheme	अग्रिम योजना
Pisciculture	मडली-पालन
Planned economy	आयोजित अर्थ व्यवस्था
Planning	योजना
Planning Commission	योजना आयोग
Plant	सयंत्र, उद्भिद्
Plantation labour	बागानों के मजदूर
Politician	राजनीतिज्ञ
Polytechnised education	विविध टैकनिकल विषयों की शिक्षा
Pool	संग्रह
Pool price	संग्रह मूल्य
Population	जन-समुदाय, जन संख्या
Port	पत्तन, बन्दरगाह
Porter	कुली, हमाल
Positive approach or negative approach	क्रियात्मक (सकारात्मक) दृष्टिकोण या अक्रियात्मक (नकारात्मक) दृष्टिकोण
Post war Reconstruction Fund	युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि
Potential	सम्भाव्य
Potential capacity	उत्पादन क्षमता
Power house	विजली घर
Power looms	शक्ति चालित धरवे
Practical Training	व्यावहारिक प्रशिक्षण
Precedence	पूर्ववादिता, पूर्ववर्तिता
Precedent	पूर्व दृष्टान्त
Precision	सूक्ष्मता
Pre fabricated Housing Factory	पूर्वनिर्मित गृहनिर्माण कारखाना
Preference	अधिकार, बराबती
Preference share	प्राधिकार अंश
Prejudice	प्रतिकूल प्रभाव, विपरीत प्रभाव, पृच्छह
Premium	प्रतिभूत्य, प्रवृत्ति
Premium bonus system	लाभान्न वितरण योजना
Premium insurance	बोने की कल्प
Preserved food	परिरक्षित खाद्य पदार्थ
Price	कामन, मूल्य

Price (control penetration, skimming)	मूल्य-नियन्त्रण, मूल्य-झेडन, मूल्य-मथन
Prince	नरेश, राजकुमार
Principal value	मूल मूल्य
Private Sector	गैर सरकारी क्षेत्र
Private Sector in Industry	गैर सरकारी उद्योग
Privy purse	निजी खेती
Produce (v)	पेश करना, उत्पादन करना, मद्य-उपाद
Produce	उत्पादक
Product	उत्पाद उत्पादन
Production	उत्पादन
Productive	उत्पादनगमल
Profit	लाभ
Profit and loss	लाभालाभ, लाभ हानि
Progression in taxation	कारोपरण में उत्तरोत्तर वृद्धि
Project Implementation Committee	परियोजना अभिपूर्ति समिति
Prospecting (for minerals)	(खनिजों को) खोजना
Prospecting of oil	तेल को खोजना
Prospecting work	खोजने का कार्य
Prosperity	ममृद्धि
Protective Duty	सरक्षणात्मक शुल्क
Provide	व्यवस्था करना, प्रावधान करना, उपबन्धित करना
Provident Fund	भविष्य निधि
Public Accounts Committee	लोक लेखा समिति
Public borrowings	सार्वजनिक ऋण
Public debt	लोक ऋण
Public economics	सार्वजनिक अर्थशास्त्र
Public Financed Industries Control Board	लोक वित्तपोषित उद्योग नियन्त्रण बोर्ड
Public limited company	सार्वजनिक सीमित ममवाय
Public money	लोक धन
Purchase	क्रय करना, खरीदना, क्रय
Qualitative and Quantitative	गुण सम्बन्धी तथा परिमाण सम्बन्धी
Quantity	मात्रा
Quasi-rent	अर्द्ध-लगान
Quid pro quo	तत् प्रति-तत्
Quota	अभ्यंग, क्वोटा
Quotation	उद्धरण, मूल्य-क्रयन
Railway	रेल पथ
Railway Rolling Stock	रेल के डिब्बे, इंजिन आदि
Railway stores	रेलवे का सामान
Random sampling	अनिश्चित न्यादर्श

Rated capacity	(निर्धारित) धारिता, क्षमता सामर्थ्य
Ratification of instrument	लिखत का अनुसमर्थन
Ratio	अनुपात, समानुपात
Rationalisation	प्रभिनवीकरण, वैज्ञानिकन
Rationalisation of factories	कारखानों का वैज्ञानिकन
Realised value	प्राप्त मूल्य
Receipt (Paper)	प्राप्ति
Reciprocal	परस्पर, पारस्परिक, अन्योन्य
Reclaim	कृष्यकरण करना, कृषि-योग्य बनाना
Reclaimed	कृष्य, कृष्ट
Reclamation	कृष्यकरण, कृषि योग्य बनाना
Reclamation targets	कृष्यकरण लक्ष्य
Recommendation	अभिस्ताव, सिफारिश, प्रस्तावना, सिफारिश
Reconnaissance	पूर्व-परीक्षण
Record	अभिलेख, अभिलेख रखना, रिकार्ड
Recover	लोडाना, वसूल करना, वसूल करना
Recovery	प्राप्ति, वसूली
Recurring	आवर्ती, आवर्तक
Recurring and non-recurring ex- penditure	आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय
Red rot disease of sugarcane	गन्ने में लाल कीड़ा लगने की बीमारी
Reference	निर्देश, पृच्छा
Refinery	परिष्कारिणी, शोधनशाला
Reflation	सस्कीति
Refractory clay	ऊष्ममह मिट्टी
Regional (Territorial)	प्रादेशिक प्रादेशिक
Regional fund	प्रादेशिक निधि
Registrar	रजिस्ट्रार
Regressive	प्रतिगामी
Rehabilitation Finance Adminis- tration	पुनर्वास वित्त प्रशासन
Reimburse	पति के लिए (दिना), परिशोध करना
Relative	सापेक्ष
Relief cum-Employment Works	सहायता एवं रोजगार मन्वही कार्य-केन्द्र
Reminiscence	समरण
Remittance	भेजा गया धन, विप्रेषण
Remuneration	पारिश्रमिक
Renaissance	नवजागृति
Rent	भाटक, भाड़ा, किराया
Rent (of a land)	भाटक
Expiration	सुद्ध नतिपति, हानिपूर्ण
Expatriation of capital	मूर्तियों का प्रत्यादान

Report	रिपोर्ट, प्रतिवेदन, समाचार
Representative	प्रतिनिधि
Requisition	अधिग्रहण
Requisitioned land	अधिग्रहीत भूमि
Research	अनुसन्धान, खोज, अन्वेषण, गवेषण
Reserve Bank of India	भारत का रक्षित बैंक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया
Reserved Capital	रक्षित पूंजी
Reserved forest	रक्षित वन
Residuary Powers	अवशिष्ट शक्तियाँ
Resources	सम्पत्ति, स्रोत, संसाधन
Resources (material)	(भौतिक सम्पत्ति)
Respective	क्रमशः, क्रमिक, तत्सम्बन्धी
Result	परिणाम
Retail	फुटकर, खुदरा
Retention price	प्रतिधारण मूल्य
Retirement	निवृत्ति
Retrench	छुटनी करना
Retrograde step	प्रतिगामी कार्यवाही
Retting tank	(जूट आदि) भिगोने के हौज
Return	विवरण, लौटाना, प्रतिफल, प्राप्ति
Revaluation	पुनर्मूल्यन
Revenue	राजस्व
Revenue Court	राजस्व न्यायालय
Revenue Maps	राजस्व आदि के नक्शे
Revenue Stamps	राजस्वी टिकट
Review	पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, प्रत्यालोचन
Revise	परिवर्तन करना, पुनरावर्तन करना, पुनरीक्षण करना
Revised Estimates	पुनरीक्षित प्रान्कलन
Revolution	क्रान्ति, विप्लव
Risk	जोखिम
River valley	नदी दून, नदी घाटी
Rubble Coal	खल कोयला
Rule of law	विधि का शासन
Ruling	विधि निर्णय
Rural	ग्रामीण, ग्राम्य
Rural Banking Enquiry Com- mittee	ग्रामीण नहाननी जाच समिति
Rural credit	ग्रामीण उधार
Rural Credit Survey	देशान्त में ग्राम सम्बन्धी सर्वेक्षण
Rural Economics	ग्राम-अर्थव्यवस्था
Rural Post Offices	देशान्त की डाक घर

Rural Programme (of All India Radio)	देहाती प्रोग्राम
Rythmic method	मदनतरंग प्रणाली (रीति)
Sacrilege	ऋष्य करना
Sacrosanct	पवित्र, अनुल्लङ्घनीय
Salary	वेतन
Sale	विक्रय, विक्रान्त
Sales depots	विक्रय केन्द्र
Saline Soil	लोनी मिट्टी
Salt	नमक
Salt refineries	नमक शोधक कारखाने
Sample survey	नमूना परिमाण
Simple test	नमूना परीक्षण
Sampling	नमूने लेना
Suitability	तृप्त्यता
Satisfaction	सन्तोष, समाधान, तुष्टि, पूर्ति
Savings bank	बचत बैंक
Savings Bank Account	बचत बैंक लेखा
Savings Bank Deposits	बचत बैंक निक्षेप
Scale	मापमान
Scarce	दुर्लभ
Scarcity	दुर्लभता
Schedule	अनुसूची
Scheduled Bank	अनुसूचित बैंक
Scheme	योजना
Science	विज्ञान
Scientific Research	वैज्ञानिक गवेषणा
Scope	गु जाग्रह, विस्तार, क्षेत्र, व्यापकता
Scope of economics	अर्थशास्त्र का विषय-क्षेत्र
Screening Committee	परीक्षण समिति
Sea salt	समुद्री नमक
Seasonal agricultural operations	मौसमी कृषि कार्य
Secondary	गौण
Section	विभाग
Sector	वृत्तखण्ड
Secular State	धर्मनिरपेक्ष राज्य
Securities	प्रतिभूतिया
Security deposit	प्रतिभूति निक्षेप
Seismic Survey	भूकम्पाय सर्वेक्षण
Select	प्रवरण करना, चुनना
Senior	ज्येष्ठ, वरिष्ठ
Seniority	वरिष्ठता, अग्रता

Sentiment	भावना, भाव
Sequestration	पृथक्करण, कुर्की
Serialism	क्रमवार
Service Stamps	राजकीय मुद्राक
Servicing	देखभाल, मरम्मत
Settlement	निवटारा
Settlement Act	बन्दोबस्त अधिनियम
Sewage system	नाली व्यवस्था
Sewer lines	गन्दे नाले
Sex	लिंग
Shares	अंश, शेयर
Shares (non-cumulative, ordinary, preference, redeemable, transfer, warrant)	शेयर, असंचयी अधिमान, साधारण, अधिमान, प्रतिदेय, हस्तांतरण, अधिपत्र
Shift Production	पारी पारी उत्पादन
Shipping	नौवहन
Short-landings of food-grains	जहाज से कम अनाज उतरना
Silk Board, Central	केन्द्रीय रेशम बोर्ड
Silo-cum-Elevators	अनाज और चारे के लिए गोदाम और माल रखने-निकालने का यंत्र
Sinking fund	निक्षेप निधि
Skilled worker	प्रवीण श्रमिक, कुशल कारीगर
Slab System	खण्ड पद्धति
Sliding scale	सरकने वाला
Sluice-gate	पानों के निकास का फटिक
Slump	मन्दो
Slums	दग्धि वस्ती
Small scale industries (Large scale industries)	छोटे पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग [बड़े पैमाने के उद्योग, विशाल उद्योग]
Smuggling	चोरी छिपे माल लाना, ले जाना, तकर व्यापार
Social	सामाजिक
Social customs	नामानिक रूढ़िया
Social opportunity	सामाजिक अवसर
Social order	सामाजिक व्यवस्था
Social patterns	सामाजिक ढांचे
Social tension	सामाजिक तनाव
Social welfare	सामाजिक कल्याण
Social Welfare Board	सामाजिक कल्याण बोर्ड
Societies	समितिया
Soil	धरती, मिट्टी
Soil conservation	मिट्टी का संधारण
Soil resistivity surveys	मिट्टी रोधित्व सर्वेक्षण
Solemnly	दृढ़सकल्य होकर

Sound Finances	सुस्थित वित्त
Sources	स्रोत
Sources of power	शक्ति के मूल साधन
Spay	असहायताकर्य
Special Industrial Tribunal	विशेष औद्योगिक न्यायाधिकरण
Specifications of Khadi	खादी सम्बन्धी ब्यौरा
Specified	उल्लिखित
Speculation	सट्टा, परिकल्पना
Speculative tendencies	सट्टेवाजी की प्रवृत्ति
Spirituos	मद्यसारिक
Split duty	विभक्त कार्य-काल
Spontaneous	स्वाभाविक, स्वत, स्फूर्त, अपने अप
Stabilisation	स्थायीकरण
Stabilised oil	जमाई हुई मिट्टी
Stage (hunting, pastoral, agricultural, industrial)	दशा, अवस्था, आखेट, पशुपालन, कृषि अवस्था, उद्योग अवस्था
Stages of economic development	आर्थिक विकास की अवस्थाएँ
Standard 1	माप-दण्ड, मानदण्ड, प्रमाण, मान, प्रतिमान
2 (as in the standard of living)	स्तर
Standard acre	प्रतिमान एकड़
Standardisation	प्रमापीकरण
Standard of life	जीवन स्तर
Standard of living	जीवन स्तर
Standard of living index	जीवन-स्तर देशनाक
Standard rent	नियमोचित किराया, प्रामाणिक किराया
Standstill Agreement	यथापूर्व-स्थिति समझौता
Staple food	मुख्य भोजन
Staple length of cotton	रुई के रेशों की लम्बाई
State enterprises	सरकारी उद्यम, सरकारी उपक्रम
State Finance Corporation Bill	राज्य वित्त निगम विधेयक
State fund	राज्य निधि
State Trading	राज्य व्यापार
Statistical	सांख्यिक, सांख्यिकीय
Statistician	सांख्यिक
Statistics	समक आकड़े, सांख्यिकी
Statistics Bill, Collection of	आकड़ा, संग्रह विधेयक
Statute	नविधि, परिनियम, प्रनियम
Statutory rules	नविहित नियम
Step system	क्रम पद्धति
Sterilize	वाष्क करना, वन्धीकरण
Sterling Balances	पाँड पावना
Stipulated period	निधारित अवधि
Stock Exchange	श्रेष्ठि-चक्र, स्टॉक एक्सचेंज
Stock exchange transaction	शेयर बाजार के सौदे

Stocks	स्कन्ध, स्टॉक
Storage	मग्नह करना
Store	स्टोर, विक्रयागार, सग्रहागार सग्रह
Store-keepers	भण्डारी
Store Purchase Screening Committee	क्रय क्रिये जाने वाले माल के सम्बन्ध में जाच करने वाली समिति
Study Group	अध्ययन मण्डल
Subscribed capital	प्रार्थित पूंजी
Subsidiary	सहायक
Subsidy	अनुसहाय्य, राजकीय सहायता, वित्तीय सहायता
Subsistence	निर्वाह
Subsistence allowance	निर्वाह भत्ता
Sub-soil	अधोभूमि
Sub soil water	अधोभूमि जल, भूमिगत जल
Substitute	प्रतिस्थापित करना, आदिष्ट करना, स्थानापन्न करना
Subversive activities	विभ्रमक कार्यवाहिया
Succession to property	सम्पत्ति का उत्तराधिकार
Sugarcane breeding	अच्छड़ी किस्म का गन्ना पैदा करना
Sugar refinery	चीनी शोधक कारखाना
Sunk capital	निगमन, उपयोजित पूंजी
<i>Suo moto</i>	स्वप्रेरणा से, अपने आप
Super tax	अधिभार, अधिकार
Supply	संभरण, प्रदाय, रसद
Supply and Demand	माग तथा पूर्ति
Surcharge	अधिभार, अतिरिक्त कर
Surplus	अतिरिक्त, फालतू, अधिक्य, अतिरेक
Survey	सर्वेक्षण, भूनापन, पर्यालोक्षण, परिमाण, भू-परिमाण
Survey—General Village	सामान्य ग्राम सर्वेक्षण
Survey of India	भारतीय भूपरिमाण
Survey of power, potential	विद्युत शक्ति की सम्भाव्यता का सर्वेक्षण
Survey of unemployment	बेकारी का सर्वेक्षण
Sweated trades	मेहनत वाले काम
Synchronisation	समलयकरण
Syndicate	सिटीनेट
Synthetic	सांश्लेषिक, संश्लेषित
System	पद्धति, सम्था, व्यवस्था
Table	सारणी
Tabulate	सारणीबद्ध करना
Tabulation	सारणीकरण
Tanning (the art or act of tanning or converting skins and leather into leather)	चमड़ा बनाना

Tariff 1 (a schedule of duties imposed by Government on goods imported or exported)	प्रशुल्क-सूची
2 (a duty imposed on goods)	प्रशुल्क
Tariff Board	प्रशुल्क बोर्ड
Tariff Commission	प्रशुल्क आयोग
Tariff wall	प्रशुल्क मिति
Tax	कर
Tax (proportional, progressive, regressive, degressive)	कर [अनुपाती, क्रमवर्धमान, प्रतिगामी, अधोगामी]
Taxable	कर योग्य
Taxable property	कर योग्य सम्पत्ति
Taxation	करारोपण, कराधान
Taxation Inquiry Commission	कर जाच आयोग
Taxation Structure	करों का ढांचा
Tax dodgers	कर बचाने वाले
Taxed	करारोपित
Taxes on income including Corporation Tax	आयकर, निगम कर समेत
Tax evasion	कर-अपवचन
Tax multi-point	बहुस्थान कर
Tax on trades	व्यापार-कर
Tax payer	करदाता
Tax-progressive	आरोही कर
Tax-proposal	कर के प्रस्ताव
Tax, Terminal	सीमा कर
Tea Estates	चाय वागान
Tea planters	चाय वाग के स्वामी
Technical	प्रविधिक, परिभाषिक, शिल्प सम्बन्धी, टेकनीकल, शिल्पी, शिल्पिक
Technical Training	प्रविधिक प्रशिक्षण
Technician	प्रविधिज्ञ, शिल्पिक, यंत्र विशेषज्ञ
Technique	प्रविधि, तकनीक
Telecommunications	दूरसंचार
Telescopic rates	अधिक दूरी के लिये कम दरें
Tenancy	किरायेदारी, पट्टेदारी
Tenancy Act	कास्तकारी अधिनियम
Tenant	किरायेदार, किसान, भाटकी
Tenant-at-will	इच्छाधीन कृषक
Tenements	मकान
Tenure, land	भूधारण, भूश्रुति, भूधारणाधिकार
Term	निबन्धन, अवधि
Term of Bill	हुंडी की मियाद
Terrestrial Survey	भूमि सर्वेक्षण

Territory	राज्य क्षेत्र
Test works	परीक्षण कार्यकेंद्र
Textile Export Promotion Organisation	कपड़ा निर्यात सवर्द्धन संस्था
Theory	सिद्धांत, वाद
Thermal Environment Health Consultant	ऊष्मीय वातावरण सम्बन्धी स्वास्थ्य परामर्शदाता
Thermal Plant	ताप विद्युत् कारखाना
Thorium	थोरियम
Tidal waters	ज्वार-जल
Tillers	जोतने वाले, जोता
Time lag	एक धधा छोड़कर दूसरे में जाने तक का समय
Time-scale	समय-क्रम, वेतन-क्रम
Time work	समय कार्य
Titular ownership	नाम मात्र का स्वामित्व
Token Grant	प्रतीक अनुदान
Tonnage	टन भार, भारक्षमता, नौभार
Total v.	समस्त
Total Income	सकलन, सकलित करना
Totalitarianism	सर्वाधिकारवाद
Tourist traffic	पर्यटक यातायात
Township	नगरी, वस्ती
Tract	भू-भाग
Trade	व्यापार
Trade, adverse balance of	निर्यात-आयात व्यापार प्रतिकूल अन्तर
Trade balance	व्यापार संतुलन
Trade cycle	व्यापार चक्र
Trade mark	व्यापार चिह्न
Trade post	व्यापार चौकी
Trade Union	कार्मिक संघ
Trade Unionism	कार्मिक संघवाद
Trade Unionist	कार्मिक संघवादी
Trading and Employment	व्यापार तथा रोजगार
Traffic	यातायात
Training	प्रशिक्षण
Training and Employment Services Organisation Committee	प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा समिती
Training of River Yamuna	यमुना नदी के बहाव पर नियंत्रण
Training, Technical	शिल्प प्रशिक्षण
Training, Theoretical and Practical	सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण
Transaction	मौद्रा
Transferee	हस्तान्विती
Transformation	रूपांतर

Transitional	अतर्कालीन, मक्रमयकालीन
Transparent	पारदर्शी
Transport	परिवहन
Treasure	कोष
Treasure Trove	निखत निधि
Treasury	कोषागार, खजाना
Treasury Bills	राज हुंटिया
Treasury Officer	कोषाधिकारी
Treated and reinforced timber	दवाकर तैयार की गई इमारती लकड़ी
Tremor	कम्प
Tribal Development Fund	आदिम जाति विकास निधि
Tripartite Advisory Board	त्रिपदीय सलाहकार बोर्ड
Tropics	अयन वृत्त
Tube wells	नलकूम
Ultimate	चरम, अन्त्य
Under developed	अल्पविकसित
Under Employment	न्यून काम
Under invoicing	बीजक में कम दिखाना
Under nourishment	अल्पपोषण
Under-valuation	अधोमूल्यन
Under-writer	हामीदार
Undivided family	अविभाजित परिवार
Un economic holdings	टोटे की जोतें
Unemployment	बेकारी
Unemployment Insurance	बेकारी बीमा
Unemployment Relief	बेकारी सहायता
Unfit	अयोग्य
Unilateral	एकपक्षीय
Union Excise Duties	सब उत्पादन शुल्क
Unitary type	एकीय प्रकार
Units	एकक, इकाई
Universal standard	सर्वमान्य प्रमाण
Unproductive	अनुत्पादक, अनुत्पादी
Unrealised book debts	अप्राप्त पुस्त ऋण
Unspent Balances	खर्च न हुई राशिया
Unsuited	अनुकूल
Unwrought	बिना गढ़ी
Usage	प्रथा
Use	उपयोग
Usurer	सूदखोर, कुमीद
Utility	उपयोगिता
Utility (diminishing, increasing, equi marginal, marginal, positive, negative, dis, total)	उपयोगिता, घटती हुई, बढ़ती हुई, सममीमान्त, मीमान्त, मकारात्मक, नकारात्मक, अनुपयोगिता, कुल, सकल]

Valid	मान्य
Value	मूल्य, अर्हां, उपयोगिता
Various	विभिन्न, विविध
Vegetable Seed Breeding Station	सब्जी के बीजों की किस्मों में सुधार करने सम्बन्धी केन्द्र
Velocity	वेग
Veracity	सत्यता, सचार्द
Verdict	निर्यय, फैसला, सुनिश्चय
Veterinary training	शालिहोत्री परिशिक्षण, शालिहोत्री प्रशिक्षण
Veto	वीटो
Vexatious	उद्वेगकारी, तग करने वाली
Viable State	अस्तित्व योग्य राज्य
Vice-Consul	उप-वाणिज्य दूत
Vice Gonsulate of India	भारत का उपवाणिज्य दौत्य
Vicinity	समीपता, सामीप्य
Village Community Projects	ग्राम-सामुदायिक-योजना
Village council	ग्राम-परिषद्
Village level workers	ग्राम-सेवक
Village Uplift Committee	ग्रामोद्धार समिति
Violence	हिंसा
Virgin	अच्छता, कुमारी
Visas	दृष्टाक
Visual Education	दृश्य शिक्षा
Vital	जीवन सम्बन्धी, अत्यावश्यक
Vital statistics	जीवन सम्बन्धी सांख्यिकी
Vocation	व्यवसाय, वृत्ति
Voluntarily	स्वेच्छापूर्वक, स्वेच्छा से
Votes of credit	प्रत्ययानुदान
Votes on account	लेखानुदान
Wage	मजूरी
Wage Boards	मजूरी बोर्ड
Wage Fund	मजूरी निधि
Wage, piece	उजरत
Wage, real	असल मजूरी
Wage, time	अमानो
Waive the duty	शुल्क न लेना
Want (s)	अभाव, आवश्यकताएँ
Wanting	अभाव युक्त
Warehouse	भाण्डागार, भटार, गोदाम
Warehousing	गोदाम में मात्र रखने का काम
Warp	ताना
War Surplus Stores	युद्ध का फालतू सामान
Waste	अपव्यय, क्षति, क्षीन
Water Power	जल-शक्ति

Water storage	जल-संग्रह
Ways and means advances	अर्थोपाय-पेशागिया
Wealth	धन सम्पत्ति
Wealth (collective, hoarded, international, national, personal)	धन [सामूहिक, साठेबाजी से संचित हुआ, अन्त-राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, निजी]
Wear and tear	टूट-फूट
Weavers' Co operative Societies	बुनकर सहकारी समितिया
Weightage formula	गुरुभार सूत्र
Welfare	कल्याण
Welfare of the people	लोक-कल्याण
Welfare State	मंगल राज्य, कल्याणकारी राज्य
Well-being	कल्याण, हित
Wet Cultivation	जलाधिक्य कृषि
Wheat bran	गेहू का चोकर
Wholesale	थोक
Wholesome principles	हितकर सिद्धांत
Will	वसीयत
Windfall	अप्रत्याशित आय
Window dressing	अभिविन्यास
Wind-power	पवन-शक्ति
Winnowing	फटकना (गेहू आदि)
Withdraw (money)	(धन) निकालना
Withdrawal of money	धन निकालना
Withhold Sanction	मजूरी रोकना
Wont	अभ्यास, अभ्यस्त
Woof	दाना
Work charged employees	काम के लिए स्थायी रूप से रखे गए कर्मचारी
Worker	श्रमिक, कार्यकर्ता
Working expenses	कार्यवहन व्यय
Working-man	कामगार, कार्मिक
Workman	कर्मकार, कामगार
Workmanship	कारोगरी
Works	कर्मशाला
Works Council	कर्मशाला परिषद्
Workshop	बकशाप, मिस्त्रीखाना, कारखाना.
Works Manager (Factories)	कर्मशाला प्रबन्धक
World Bank	विश्व बैंक
Write off	वट्टे खाते में डालना, अपलेखन
Year, Financial	वित्त-वर्ष
Yield	उपज
Youth	किशोरवस्था
Zamundar	जमींदार
Zamindari	जमींदारी
Zone	प्रदेश कटिवन्ध

